# बिहार
## आर्थिक सर्वेक्षण
2024-25

वित्त विभाग, बिहार सरकार

# बिहार सरकार

## वित्त विभाग

# आर्थिक सर्वेक्षण

# 2024-25

मुख्यमंत्री
बिहार

# संदेश

विगत दो दशकों में न्याय के साथ विकास की अपनी यात्रा में बिहार ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्याय के साथ विकास का अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। आर्थिक सर्वेक्षण (2024–25) के इस संस्करण में इन दो दशकों में वृद्धि और विकास के मापदंडों पर हमारे सतत प्रदर्शन का विवरण अंकित है।

बिहार को आज आधारभूत संरचनाओं, बिजली, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और विशेषकर महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के लिए जाना जा रहा है। अब खेलों के विकास की दिशा में भी बिहार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और हम ऐसे खिलाड़ी भी तैयार करने लगे हैं जो हमारे राज्य के साथ–साथ देश के लिए प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। हमने बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देना जारी रखा है ताकि लोगों के जीवन–स्तर में लगातार सुधार होता रहे। सरकार के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। अब महिलायें घर के भीतर एवं बाहर, हर क्षेत्र में अपने जीवन को सुरक्षित, नियमित एवं नियंत्रित करने के अधिकार का प्रयोग कर रही हैं।

मुझे विश्वास है कि यह आर्थिक सर्वेक्षण नीति–निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों एवं अन्य पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

**( नीतीश कुमार )**

**उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री**
**बिहार**

बिहार सरकार

# संदेश

आर्थिक समृद्धि की राह पर बिहार महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी प्रतिबद्धता 'न्याय के साथ विकास' की यात्रा में राज्य के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ाना है। बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023–24 में 9.2 प्रतिशत रही है, जो देश के सभी राज्यों के बीच तीसरे स्थान पर है।

हाल के वर्षों में राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयास से राज्य के बजट आकार में विशेष कर विकासात्मक व्यय में काफी उछाल आया है। राज्य सरकार की विवेकपूर्ण आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज हुए हैं।

सड़क, रेल तथा वायु परिवहन सहित अन्य अवसंरचनात्मक विकास के मामले में राज्य नित्य नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य में ई–शासन द्वारा आम जन के लिए उपलब्ध सुविधाओं को सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाया जा रहा है।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से किसानों के जीवन में खुशहाली आयी है। राज्य सरकार बाल विकास, महिला सशक्तीकरण सहित मानव संसाधन विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ–ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर भी सजग है और पर्यावरणीय सुधार के उपाय कर रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण में इन पहलुओं का विस्तृत विवरण है। मुझे आशा है कि यह दस्तावेज राज्य के सतत् विकास एवं उन्नति में रूचि रखने वाले सभी हितधारकों के लिए मूल्यवान स्त्रोत सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि हमारा 'विकसित बिहार' का सपना साकार होगा।

**(सम्राट चौधरी)**

# विषय सूची


| अध्याय | शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | शब्द संक्षेप संग्रह | i-x |
| | तालिका सूची एवं तालिका परिशिष्ट | xi-xxiv |
| | विभागों की सूची | xxv-xxvi |
| | कार्यकारी सारांश | xxvii-xli |
| **अध्याय-1 :** | **बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन** | **1-26** |
| | 1.1 वृहदार्थिक अवलोकन | 1-5 |
| | 1.2 बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना | 6-7 |
| | 1.3 प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 8-10 |
| | 1.4 सकल स्थिर पूंजी निर्माण | 10-11 |
| | 1.5 सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्र-वार हिस्सा (स्थिर मूल्य पर) | 11-13 |
| | 1.6 मूल्य और मुद्रास्फीति | 13-14 |
| | 1.7 क्षेत्रीय विषमता | 15 |
| | 1.8 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रूपरेखा | 16-17 |
| | 1.9 राज्य विवरणी | 18 |
| | *परिशिष्ट* | 19-26 |
| **अध्याय-2 :** | **राजकीय वित्तव्यवस्था** | **27-71** |
| | 2.1 वित्तीय स्थिति का अवलोकन | 29-34 |
| | 2.2 राजकोषीय प्रदर्शन | 34-37 |
| | 2.3 घाटा प्रबंधन | 38-42 |
| | 2.4 नकद प्रबंधन और जमानतें | 42-43 |
| | 2.5 ऋण प्रबंधन | 43-48 |
| | 2.6 संसाधन प्रबंधन | 48-59 |
| | 2.7 व्यय प्रबंधन | 59-71 |
| **अध्याय-3 :** | **कृषि एवं संबंधित क्षेत्र** | **72-139** |
| | 3.1 भूमि उपयोग पैटर्न | 73-75 |
| | 3.2 फसल उत्पादन | 76-79 |
| | 3.3 बिहार में बागवानी फसलों को प्रोत्साहन | 80-86 |
| | 3.4 पशुपालन, गव्य उत्पादन और मछली पालन | 87-95 |
| | 3.5 कृषि लागत सामग्रियां | 95-108 |
| | 3.6 कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलें | 108-122 |
| | *परिशिष्ट* | 123-139 |
| **अध्याय-4 :** | **उद्यम क्षेत्र** | **140-176** |
| | 4.1 उद्योगों की स्थिति | 142-146 |
| | 4.2 बिहार में अनौपचारिक उद्यम | 147-157 |
| | 4.3 कृषि आधारित उद्योग | 157-163 |
| | 4.4 कृषितर उद्योग | 163-165 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.5 | बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन | 165–169 |
| | 4.6 | उद्योग मित्र | 170 |
| | 4.7 | मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाएं | 170–171 |
| | 4.8 | बिहार स्टार्ट-अप नीति 2022 के तहत स्टार्ट-अप की स्थिति | 172 |
| | 4.9 | खान एवं भूतत्व | 173 |
| | 4.10 | पर्यटन | 174–176 |
| **अध्याय–5 :** | | **श्रम, रोजगार तथा कौशल** | **177–213** |
| | 5.1 | बिहार में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति | 178–189 |
| | 5.2 | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय | 190–194 |
| | 5.3 | राज्य और अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए रोजगार | 194–200 |
| | 5.4 | कौशल विकास | 201–207 |
| | 5.5 | पासपोर्ट निर्गमन | 207–208 |
| | *परिशिष्ट* | | 209–213 |
| **अध्याय–6 :** | | **भौतिक अधिसंरचना** | **214–250** |
| | 6.1 | परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र की वृद्धि | 214 |
| | 6.2 | सड़कों और पुलों के निर्माण पर सार्वजनिक व्यय | 215–216 |
| | 6.3 | सड़क नेटवर्क | 216–220 |
| | 6.4 | बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) | 220–222 |
| | 6.5 | सात निश्चय-2 के तहत सुलभ संपर्कता | 222 |
| | 6.6 | बिहार में पुल क्षेत्र | 223–224 |
| | 6.7 | ग्रामीण पथ नेटवर्क | 224–226 |
| | 6.8 | पथ परिवहन क्षेत्र | 227–230 |
| | 6.9 | पथ सुरक्षा | 230–232 |
| | 6.10 | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) | 233–234 |
| | 6.11 | रेलवे नेटवर्क | 234–235 |
| | 6.12 | वायु परिवहन | 236–237 |
| | 6.13 | भवन निर्माण | 237–239 |
| | 6.14 | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बीएसबीसीसीएल) | 240 |
| | 6.15 | बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बीपीबीसीसीएल) | 240–241 |
| | 6.16 | डाक अवसंरचना | 241–242 |
| | *परिशिष्ट* | | 243–250 |
| **अध्याय–7 :** | | **ई-शासन** | **251–281** |
| | 7.1 | सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना : ई-शासन की बुनियाद | 251–254 |
| | 7.2 | कानून और प्रशासन का प्रवर्तन | 254–263 |
| | 7.3 | आर्थिक विकास को प्रोत्साहन | 263–269 |
| | 7.4 | राजकोषीय शासन सक्षमीकरण | 270–272 |
| | 7.5 | लोक सेवा प्रदान में आसानी की व्यवस्था | 272–276 |
| | 7.6 | आपात ई-सेवाएं | 276–279 |
| | 7.7 | हरित पहलें | 279–281 |

**अध्याय-8 : विद्युत क्षेत्र** **282-313**

8.1 बिहार में विद्युत क्षेत्र का अवलोकन 282-284
8.2 विद्युत क्षेत्र का सांगठनिक ढांचा 284-286
8.3 बिजली की मांग और आपूर्ति 287-290
8.4 उत्पादन 291-300
8.5 वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) 300-301
8.6 वितरण कंपनियों की कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थिति 301-303
8.7 संचरण 303-305
8.8 विद्युत क्षेत्र की योजनाएं 305-309
8.9 नागरिक हितैषी सेवाएं 309-310
*परिशिष्ट* 311-313

**अध्याय-9 : ग्रामीण विकास** **314-349**

9.1 जीविका 315-325
9.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 326-329
9.3 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और गृहस्थल वितरण योजना 329-332
9.4 जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) 333-335
9.5 पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआइ) 335-341
9.6 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) 341-342
*परिशिष्ट* 343-349

**अध्याय-10 : नगर विकास** **350-375**

10.1 नगर स्थानीय निकायों का पुनर्गठन 351-352
10.2 आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 353-358
10.3 केंद्र और राज्य आधारित नगर विकास कार्यक्रम 359-367
10.4 पटना मेट्रो रेल परियोजना 368
10.5 नगर विकास पर व्यय 368-369
10.6 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था 369-371
*परिशिष्ट* 372-375

**अध्याय-11 : वित्तीय संस्थाएं** **376-405**

11.1 बैंकिंग अधिसंरचना 377-386
11.2 जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपात 386-396
11.3 वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां 396-398
11.4 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 398-399
11.5 बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 399-400
11.6 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 401-402
11.7 अन्य विकासमूलक कोष 402-403
*परिशिष्ट* 404-405

**अध्याय-12 : मानव विकास** **406-499**

12.1 जनसांख्यिक स्थिति 408-411
12.2 स्वास्थ्य संबंधी स्थिति 412-421
12.3 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता 421-426
12.4 शिक्षा और युवा 426-449
12.5 समाज कल्याण 449-459
12.6 महिला विकास 459-467
12.7 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा 468-471
*परिशिष्ट* 472-499

**अध्याय-13 : बाल विकास** **500-533**

13.1 जनसांख्यिकी 501-503
13.2 बच्चों पर व्यय 503-504
13.3 सतत विकास लक्ष्य 505
13.4 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खाका 505-508
13.5 बच्चों के लिए विकासमूलक कार्यक्रम 508-517
13.6 पेयजल और स्वच्छता 517-518
13.7 छोटे बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम 519-525
13.8 बाल संरक्षण 525-527
13.9 बाल सहभागिता 527-529
*परिशिष्ट* 530-533

**अध्याय-14 : पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन** **534-578**

14.1 जलवायु परिवर्तन 535-536
14.2 वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन की वृद्धि 536-537
14.3 जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सार्वजनिक व्यय 537
14.4 वन संसाधन 537-546
14.5 बिहार में नमभूमि संरक्षण एवं विकास 546-547
14.6 जैव विविधता और वन्यजीवन 547-552
14.7 पर्यावरण प्रदूषण 552-557
14.8 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 557
14.9 जल संसाधन 558-566
14.10 आपदा प्रबंधन 566-571
*परिशिष्ट* 572-578

# शब्द संक्षेप संग्रह

| | |
|---|---|
| अजा | अनुसूचित जाति |
| अजजा | अनुसूचित जनजाति |
| एएआइ | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण |
| एसीपी | वार्षिक ऋण योजना |
| एडीबी | एशियाई विकास बैंक |
| एडीवी | विज्ञापन कर |
| एई | कृषि-उद्यमी |
| एआइबीपी | त्वरित सिंचाई लाभ योजना |
| एआइसीटीई | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद |
| एएमसी | वार्षिक अनुरक्षण संविदा |
| एएमआरयूटी (अमृत) | अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन |
| एएनसी | प्रसव-पूर्व देखरेख |
| एएनएम | सहायक नर्स-सह-धाई |
| एपीईडीए (अपेडा) | कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण |
| एपीएल | गरीबी रेखा के ऊपर |
| एक्यूएमसी | वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति |
| एक्यूएमएस | वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र |
| एआर | वर्धित यथार्थ |
| एआरडब्ल्यूएसपी | त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम |
| एएसएचए (आशा) | प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता |
| एएसआइ | वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण |
| एएसक्यू | वायु सेवा गुणवत्ता |
| एएसयूएसई | वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण |
| एटीएम | स्वचालित टेलर मशीन |
| एटीएमए (आत्मा) | कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण |
| एटीएस | स्वचालित जांच केंद्र |
| एडब्ल्यूपी एंड बी | वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट |
| बीएएएफ (बाफ) | बिहार आधार प्रमाणन रूपरेखा |
| बीएआइपीपी | बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति |
| बीएएमईटीआइ (बामेती) | बिहार कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान |
| बीएपीसीसी | बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना |
| बीई (ब.अ.) | बजट अनुमान |
| बीएचडीएस | बिहार बागवानी विकास समिति |
| बीएचआइएम (भीम) | भारत मुद्रा इंटरफेस |
| बीआइएडीए (बिआडा) | बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार |
| बीआइआरएसी | जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद |
| बीएमआइ | शारीरिक मात्रा सूचकांक |
| बीपीबीसीसीएल | बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम |
| बीपीएल | गरीबी रेखा से नीचे |
| बीपीएससी | बिहार लोक सेवा आयोग |
| बीपीएसएससी | बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग |
| बीआरईडीए (ब्रेडा) | बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण |

| | |
|---|---|
| बीआरएफएसवाइ | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
| बीआरजीएफ | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि |
| बीआरजेपी | बिहार राज्य जल पर्षद |
| बीआरएलपीएस | बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति |
| बीआरपीएनएनएल | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड |
| बीएसबीसीसीएल | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड |
| बीएसडीसी | बिहार राज्य आंकड़ा केंद्र |
| बीएसडीएम | बिहार कौशल विकास मिशन |
| बीएसडीएमए | बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार |
| बीएसईबी | बिहार राज्य विद्युत बोर्ड |
| बीएसईडीसी | बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक्स विकास निगम |
| बीएसईएफसीएल | बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड |
| बीएसएचबी | बिहार राज्य आवास पर्षद |
| बीएसएचपी | बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना |
| बीएसएचपीसी | बिहार राज्य जलविद्युत निगम |
| बीएसएमसीएल | बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड |
| बीएसपीसीबी | बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद |
| बीएसपीजीसीएल | बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड |
| बीएसपीएचसीएल | बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड |
| बीएसपीटीसीएल | बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड |
| बीएसआरडीसी | बिहार राज्य पथ विकास निगम |
| बीएसआरटीसी | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम |
| बीएसएससी | बिहार राज्य बीज निगम |
| बीएसएसएफसी | बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम |
| बीएसएसओसीए | बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन अभिकरण |
| बीएसडब्ल्यूएएन (बिस्वान) | बिहार राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क |
| बीएसडब्ल्यूसी | बिहार राज्य भंडारण निगम |
| बीटीएससी | बिहार तकनीकी सेवा आयोग |
| बीयूडीए (बूडा) | बिहार नगर विकास अभिकरण |
| बीयूआइडीसीओ (ब्यूडको) | बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम |
| सीएएक्यूएमएस | सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र |
| सीएडी (कैड) | कंप्यूटर सहायतायुक्त डिस्पैच |
| सीएजीआर | वार्षिक चक्रवृद्धि दर |
| सीएएमपीए (कैंपा) | क्षतिपूर्ति-परक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण |
| सीसीटीएनएस | अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली |
| सीडी | ऋण-जमा |
| सी-डीएसी (सी-डैक) | सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग |
| सीईए | केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण |
| सर्ट-इन | भारतीय कंप्यूटर विषयक आपात अनुक्रिया टीम |
| सीएफसी | सामान्य सुविधा केंद्र |
| सीएफएमएस | व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली |
| सीजीएसटी | केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर |
| सीएचसी | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र |
| सीआइएमएमवाइटी (सिम्मिट) | अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र |
| सीआइपीईटी (सीपेट) | केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान |

| | |
|---|---|
| सीएलटीएस | बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली |
| सीएनजी | कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस |
| सीओएमएफईडी (कॉम्फेड) | सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड |
| सीपीसीबी | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद |
| सीपीसीआर | बाल अधिकार संरक्षण आयोग |
| सीपीआइ | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
| सीआरए | जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम |
| सीआरसी | बाल अधिकार समझौता |
| सीआरआइएफ (क्रिफ) | केंद्रीय पथ एवं अवसंरचना कोष |
| सीएसबीसी | केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद |
| सीएसपी | ग्राहक सेवा केंद्र |
| सीएसआरपी | सामान्य सामाजिक निबंधन पोर्टल |
| सीएसएस | केंद्र प्रायोजित योजना |
| सीएसएसएम | केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रबंधित |
| सीटीएमआइएस | व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| सीयूजी | बंद उपयोगकर्ता समूह |
| सीडब्ल्यूसी | केंद्रीय भंडारण निगम |
| सीडब्ल्यूपीआरएस | केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र |
| डीएवाइ-एनयूएलएम (डे-नुल्म) | दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन |
| डीबीटी | प्रत्यक्ष लाभांतरण |
| डीडीयूजीजेवाइ | दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना |
| डीडीयू-जीकेवाइ | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना |
| डीईएएस | दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली |
| डीईएस | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय |
| डीआइसी | जिला उद्योग केंद्र |
| डीआईईटी (डाइट) | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान |
| डीआइएससीओएम (डिस्कॉम) | वितरण कंपनी |
| डीएमआरसी | दिल्ली मेट्रो रेल निगम |
| डीपीआइटीटी | उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग |
| डीपीआर | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| डीपीआरसी | जिला पंचायत संसाधन केंद्र |
| ईसीसीएमए | इलक्ट्रॉनिक व्यवसाय कोड प्रबंधन संघ |
| ईडीपी | उद्यमिता विकास कार्यक्रम |
| ईईएसएल | इनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड |
| ईजीडब्ल्यूयूएस | विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं |
| ईआइए | पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन |
| ईपीसी | अभियंत्रण, क्रय एवं निर्माण |
| ईआरपी | उद्यम संसाधन नियोजन |
| ईआरएसएस | आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली |
| ईएसडीएम | इलक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण |
| ईएसआइसी | कर्मचारी राज्य बीमा निगम |
| ईएसटी एंड पी | कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन द्वारा रोजगार |
| ईटीपी | नि:स्राव उपचार संयंत्र |
| ईडब्ल्यूएस | आर्थिक रूप से कमजोर तबका |
| एफसीआइ | भारतीय खाद्य निगम |
| एफडीडीआइ | पादुका रूपांकन एवं विकास संस्थान |

| | |
|---|---|
| एफडीआरवीसी | ग्रामीण मूल्यशृंखला विकास फाउंडेशन |
| एफएचटीसी | कार्यशील घरेलू टैप कनेक्शन |
| एफआ एंड इएसईपी (फाइसेप) | वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम |
| एफएमसीजी | द्रुत विक्रय उपभोक्ता वस्तु |
| एफएमआइएस | वन प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एफएमएमएस | बाढ़ अनुश्रवण प्रबंधन प्रणाली |
| एफपीसी | कृषक उत्पादक कंपनी |
| एफपीआइआइ | तीव्र भुगतान नवाचार सूचकांक |
| एफपीएम | महीन कणीय पदार्थ |
| एफपीओ | कृषक उत्पादक संगठन |
| एफआरबीएम | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन |
| एफएसआइ | भारतीय वन सर्वेक्षण |
| जीएपी (गैप) | गंगा कार्ययोजना |
| जीसीएफ | सकल पूंजी निर्माण |
| जीडीडीपी | सकल जिला घरेलू उत्पाद |
| जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |
| जीईआर | सकल नामांकन अनुपात |
| जीएफसीएफ | सकल स्थिर पूंजी निर्माण |
| जीएफडी | सकल राजकोषीय घाटा |
| जीआइ | भौगोलिक संकेत |
| जीआइए | सकल सिंचित क्षेत्र |
| जीआइसी | भारतीय सामान्य बीमा निगम |
| जीपी | ग्राम पंचायत |
| जीएसडीपी | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
| जीएसटी | वस्तु एवं सेवा कर |
| जीएसटीएन | वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क |
| जीएसवीए | सकल राज्यगत मूल्यवर्धन |
| जीवीए | सकल मूल्यवर्धन |
| जीवीओ | सकल निर्गत मूल्य |
| एचएचडी | हैंड-हेल्ड डिवाइस |
| एचएमआइएस | अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एचएनएस | स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता |
| एचआरआइडीएवाइ (हृदय) | विरासत नगर विकास एवं वृद्धि योजना |
| एचआरएमएस | मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली |
| एचयूडीसीओ (हुडको) | आवास एवं नगर विकास निगम |
| आइएपी | समेकित कार्ययोजना |
| आइएवाइ | इंदिरा आवास योजना |
| आइसीएपी (आइकैप) | समेकित संकुल कार्ययोजना |
| आइसीएआर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| आइसीसीसी | समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र |
| आइसीडीएस | समेकित बाल विकास सेवा |
| आइसीजेएस | अंतर-व्यवहार्य आपराधिक न्याय प्रणाली |
| आइसीपीएस | समेकित बाल संरक्षण योजना |
| आइसीटी | सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी |
| आइडीएसपी | समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम |
| आइएफएडी (आइफैड) | अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष |

| | |
|---|---|
| आइजीएसटी | अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर |
| आइआइएचएल | व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय |
| आइएमसी | समेकित विनिर्माण संकुल |
| आइएमएफएल | भारत निर्मित विदेशी शराब |
| आइएमएमआइएस (इम्मिस) | समेकित खनन प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| आइएमपीएस | तत्काल भुगतान सेवा |
| आइएमआर | शिशु मृत्यु दर |
| आइओटी | इंटरनेट ऑफ थिंग्स |
| आइपीसीसी | जलवायु परिवर्तन विषयक अंतर-सरकारी पैनल |
| आइपीडीएस | समेकित कुक्कुट विकास योजना |
| आइआरएडी (आइरैड) | समेकित पथ दुर्घटना डेटाबेस |
| आइसैम-ईनाम | समेकित कृषि विपणन योजना - राष्ट्रीय कृषि बाजार |
| आइसैम-अन्य | समेकित कृषि विपणन योजना - अन्य |
| आइएसबीटी | अंतर-राज्य बस पड़ाव |
| आइएसएफआर | भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट |
| आइटीईएस | सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षमित सेवा |
| आइटीआइ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान |
| जेजेएचए | जल-जीवन-हरियाली अभियान |
| जेएसवाइ | जननी सुरक्षा योजना |
| केसीसी | किसान क्रेडिट कार्ड |
| केजीबीवी | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय |
| केएचपीएस | कोशी जलविद्युत केंद्र |
| केवीआइबी | खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद |
| केवीआइसी | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग |
| एलईबी | जन्मकालीन जीवन संभाव्यता |
| एलईडी | प्रकाश उत्सर्जी डायोड |
| एलएफपीआर | श्रमशक्ति सहभागिता दर |
| एलएनजी | तरलीकृत प्राकृतिक गैस |
| एलपीसी | भूमि दखल प्रमाणपत्र |
| एलएसबीए | लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान |
| एलडब्ल्यूई | वामपंथी अतिवाद |
| एमसीआरसी | प्रवास परामर्श एवं निबंधन केंद्र |
| एमडीआर | मुख्य जिला पथ |
| एमएफआइ | सूक्ष्मवित्त संस्था |
| एमजीएनआरईजीए | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम |
| एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा) | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
| एमएचए | गृहकार्य मंत्रालय |
| एमआइ | मिशन इंद्रधनुष |
| एमएमसी | गणितीय प्रतिरूपण केंद्र |
| एमएमआर | मातृ मृत्यु दर |
| एमओयू | समझौता-पत्र |
| एमओवीसीडीएनईआर | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैविक मूल्यशृंखला विकास मिशन |
| एमपीआइ | बहुआयामी गरीबी सूचकांक |
| एमएसडीपी | बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम |
| एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| एमएसपी | न्यूनतम समर्थन मूल्य |

| | |
|---|---|
| एमएसटीसी | धातु स्क्रैप निगम लिमिटेड |
| एमयूडीआरए (मुद्रा) | सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त अभिकरण |
| एमवीआइ | मोटर वाहन निरीक्षक |
| एनएएसी | राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद |
| एनएबीएआरडी (नाबार्ड) | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक |
| एनएबीएल | राष्ट्रीय जांच एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रमाणन पर्षद |
| एनएएफईडी (नाफेड) | भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ |
| एनएआइपी | राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम |
| नमस्ते | राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता परितंत्र कार्रवाई |
| एनएपीडीडीआर | राष्ट्रीय औषधि मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना |
| एनबीए | राष्ट्रीय प्रमाणन पर्षद |
| एनबीएफसी | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां |
| एनबीपीडीसीएल | उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| एनसीएपी | राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम |
| एनसीसी | राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स |
| एनसीडीसी | राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम |
| एनसीडीईएक्स (एनसीडेक्स) | नेशनल कोमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड |
| एनसीपीसीआर | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग |
| एनसीएस | राष्ट्रीय शिशुशाला योजना |
| एनसीवीटी | राष्ट्रीय व्याावसायिक प्रशिक्षण परिषद |
| एनडीडीबी | राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड |
| एनडीएमए | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| एनआरडीसी | राष्ट्रीय डॉल्फीन अनुसंधान केंद्र |
| एनडीआरएफ | राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल |
| एनईईआरआइ (नीरी) | राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान |
| एनईएमएल | एनसीडेक्स ई मार्केट्स लिमिटेड |
| एनईपी (नेप) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति |
| एनएफएचएस | राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण |
| एनएफएसएम | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
| एनएचएआइ | भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण |
| एनएचडीपी | राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना |
| एनएचएम | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन |
| एनआइसी | राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र |
| एनईआइएलआइटी (नीलिट) | राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान |
| एनआईईएसबीयूडी (नीस्बुद) | राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान |
| एनएमसीजी | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन |
| एनएमईओ-ओएस | राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन |
| एनपीए | अनिष्पादित परिसंपत्तियां |
| एनपीसीआइ | भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम |
| एनपीके | नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश |
| एनपी-एनपीएसई | राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम |
| एनआरडीसी | राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम |
| एनआरडीडब्ल्यूपी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम |
| एनआरएलएम | राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन |
| एनआरयूएम | राष्ट्रीय रूर्बन मिशन |
| एनएसडीसी | राष्ट्रीय कौशल विकास निगम |

| | |
|---|---|
| एनएसडीपी | निवल घरेलू राज्य उत्पाद |
| एनएसओ | राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय |
| एनएसओपी | राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानदंड |
| एनएसक्यूएफ | राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा |
| एनएसएस | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण |
| एनएसएसएफ | राष्ट्रीय लघु बचत कोष |
| एनएसएसओ | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन |
| एनटीसीए | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण |
| एनटीएफपी | गैर-टिंबर वन्य उत्पाद |
| एनयूडीएम | राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन |
| एनयूएलएम (नूल्म) | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन |
| ओएई | स्वश्रम उद्यम |
| ओडीएफ | खुले में शौच से मुक्त |
| ओएफसी | ऑप्टिकल फाइबर केबल |
| ओजीसी | मुक्त भूस्थानिक संकाय |
| ओएनओआरसी | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड |
| ओओएससी | विद्यालय-त्यागी बच्चे |
| ओपीडी | वाह्य-रोगी विभाग |
| ओपीआरएमसी | निर्गत एवं प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदा |
| ओपीवी | ओरल पोलियो वैक्सीन |
| ओएसएफसी | सर्व-सुविधा केंद्र |
| ओडब्ल्यूआरसी | पारदैशिक श्रमिक संसाधन केंद्र |
| पीएसीएस (पैक्स) | प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति |
| पीसीडीई | प्रति व्यक्ति विकास व्यय |
| पीसीआइ | प्रति व्यक्ति आय |
| पीडीएस | जन वितरण प्रणाली |
| पीईएसओ (पेसो) | पेट्रॉलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन |
| पीफ | भविष्य निधि |
| पीएफसी | विद्युत वित्त निगम |
| पीएफएमएस | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली |
| पीजीडीएम | स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा |
| पीजीएस-इंडिया | सहभागी गारंटी प्रणाली-इंडिया |
| पीएचसी | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र |
| पीआइसीयू | शिशु सघन देखरेख इकाई |
| पीआइएन (पिन) | व्यक्तिगत पहचान संख्या |
| पीआइपी | कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना |
| पीएलसीसी | पावर-लाइन कैरियर कम्यूनिकेशन |
| पीएलएफएस | सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण |
| पीएम-पोषण | प्रधानमंत्री संपूर्ण पोषण अधिभावी योजना |
| पीएम-स्वान | प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि/ पीएम-स्वनिधि |
| पीएमए | पोस्टमैन मोबाइल ऐप |
| पीएमसी | भौतिक प्रतिरूपण केंद्र |
| पीएमआइएस (पीमिस) | परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| पीएमआरसीएल | पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड |
| पीएनजी | पाइप आधारित प्राकृतिक गैस |
| पीओबी | डाकघर बैंक |

| | |
|---|---|
| पीओपी | उपस्थिति-स्थल |
| पीओपीएसके | डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र |
| पीओएस (पॉस) | विक्रय केंद्र |
| पीपीपी | सार्वजनिक-निजी साझेदारी |
| प्रशाद | तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक वृद्धि अभियान |
| पीआरआइ | पंचायती राज संस्था |
| पीएसबी | पंचायत सरकार भवन |
| पीएसयू | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम |
| पीटीआर | विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात |
| पीयूसीसी | प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्र |
| पीवीसीएस | प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति |
| पीडब्ल्यूडी | दिव्यांग (नि:शक्त) जन |
| क्यूएमएस | गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली |
| आर-एपीडीआरपी | पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम |
| आरबीए | नदी व्यवहार विश्लेषण |
| आरसीएच | प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य |
| आरसीएमएस | राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली |
| आरडीओ | ग्रामीण विकास अधिकारी |
| आरई-डीडीयूजीजेवाइ | ग्रामीण विद्युतीकरण – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना |
| आरईआइडी एंड पीएस | स्थावर संपदा, निवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं |
| आरएफए | दर्ज वन क्षेत्र |
| आरएफपी | प्रस्ताव हेतु अनुरोध |
| आरआइडीएफ | ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष |
| आरएमएनसीएच+ए | प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु एवं किशोर-किशोरी स्वास्थ्य |
| आरएमएसए | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान |
| आरएनटीसीपी | संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम |
| आरओबी | सड़क उपरिपुल |
| आरआरएफ | ग्रामीण राजस्व फ्रैंचाइजी |
| आरएसईटीआइ (रूसेटी) | ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान |
| आरटीई | शिक्षा का अधिकार |
| आरटी-पीसीआर | रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन-पॉलीमरेज चेन रिऐक्शन |
| आरटीपीएस | वास्तविक समय प्रसंस्करण प्रणाली |
| आरयूडीएसईटीआइ (रुडसेटी) | ग्राम विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान |
| आरयूएसए (रूसा) | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान |
| एसएजी | किशोरी योजना |
| एसएजीवाइ | सांसद आदर्श ग्राम योजना |
| एसएआइएफआइ (सैफी) | प्रणालीगत औसत व्यवधान बारंबारता सूचकांक |
| एसएएमएएसटी (समस्त) | विद्युत संचरण सूचीकरण, लेखाकरण, मीटरीकरण एवं निष्पादन |
| एसएएनकेएएलपी (संकल्प) | जीविका प्रोत्साहन हेतु कौशल ग्रहण एवं ज्ञान जागृति |
| एसएएस | उप-केंद्र स्वचालन प्रणाली |
| सौभाग्य | सहज बिजली हर घर योजना |
| एसबीडी | मानक बोली दस्तावेज |
| एसबीएलपी | स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम |
| एसबीएम | स्वच्छ भारत मिशन |
| एसबीपीडीसीएल | दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
| एससीएडीए (स्काडा) | पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण |

| | |
|---|---|
| एससीएपी (स्कैप) | राज्य कनवर्जेंस कार्ययोजना |
| एससीबी | अनुसूचित व्यावसायिक बैंक |
| एससीडीएफ | सिडबी संकुल विकास कोष |
| एससीईआरटी | राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद |
| एससीआइ | फसल सघनीकरण प्रणाली |
| एससीवीटी | राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद |
| एसडीसी | कौशल विकास केंद्र |
| एसडीजी | सतत विकास लक्ष्य |
| एसडीएमएस | कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली |
| एसडीआरएफ | राज्य आपदा अनुक्रिया कोष |
| सेक्लैन | सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क |
| एसईसीयूआरई (सिक्योर) | ग्रामीण रोजगार आधारित प्राक्कलन गणना सॉफ्टवेयर |
| एसईआइएए | राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण |
| एसईआइटीआरए (सीट्रा) | स्मार्ट ऊर्जा अधिसंरचना एवं राजस्व प्रबंधन |
| एसईओसी | राज्य आपात कार्यसंचालन केंद्र |
| एसएफएसी | लघु कृषक कृषि व्यवसाय संकाय |
| एसएफबी | लघुवित्त बैंक |
| एसएफसी | राज्य खाद्य निगम/ राज्य वित्त आोग |
| एसएफआरटीआइ (स्फूर्ति) | पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन वित्तीयन योजना |
| एसजीएसटी | राज्य वस्तु एवं सेवा कर |
| एसएचजी | स्वयं सहायता समूह |
| एसआइए | सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन |
| एसआइडीबीआइ (सिडबी) | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक |
| एसआइपीबी | राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद |
| एसएलबीसी | राज्यस्तरीय बैंकर समिति |
| एसएलसीसी | राज्य-स्तरीय परामर्शदाता समिति |
| एसएलडीसी | राज्य लोड डिस्पैच केंद्र |
| एसएलईसी | राज्य-स्तरीय शक्ति-प्राप्त समिति |
| एसएलडब्ल्यूएम | ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन |
| एसएम एंड आइडी | सामाजिक गोलबंदी एवं संस्थागत विकास |
| एसएएमई (सेम) | कृषि प्रसार उप-मिशन |
| एसएनपी | पूरक पोषण कार्यक्रम |
| एसओयूएलएस (सोल्स) | सुस्थिरता हेतु स्थानीयकरण जनित सौर ऊर्जा |
| स्पैरो | स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रलेखन ऑनलाइन विंडो |
| एसपीएमआरएम | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन |
| एसआरआइ (श्री) | चावल सघनीकरण प्रणाली |
| एसआरआर | बीज प्रतिस्थापन दर |
| एसएसए | समग्र शिक्षा अभियान |
| एसएससी | क्षेत्र विषयक कौशल परिषद |
| एसएसजीएस | राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियां |
| एसएसयू | स्टार्ट-अप समर्थन इकाई |
| एसटीपी | मलजल उपचार संयंत्र |
| एसटीपीआइ | सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया |
| एसटीआरआइवीई (स्ट्राइव) | औद्योगिक मूल्यवर्धन कौशल सुदृढ़ीकरण |
| एसयूएच (सुह) | शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय |
| एसयूएसवी (सुस्व) | नगर पथ विक्रेता सहायता |

| | |
|---|---|
| एसवीईपी (स्वेप) | स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम |
| एसवीएस | एकल ग्राम योजना |
| एसडब्ल्यूएएन (स्वान) | राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क |
| एसडब्ल्यूआइ (स्वी) | गेहूं सघनीकरण प्रणाली |
| एसडब्ल्यूएम | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन |
| टी एंड डी | संचरण एवं वितरण |
| टीसीपीओ | शहर एवं देहात नियोजन संगठन |
| टीएफआर | कुल प्रजनन दर |
| टीएचआर | सूखा राशन |
| टीपीडीएस | लक्षित जन वितरण प्रणाली |
| टीआरएआइ (ट्राइ) | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण |
| टीआरटीसी | टूल रूम प्रशिक्षण केंद्र |
| टीवीसी | नगर पथ विक्रेता समिति |
| यूडीएवाइ (उदय) | उज्ज्वल डिस्कॉम ऐस्यूरेंस योजना |
| यूआइडीएफ | नगर अवसंरचना विकास कोष |
| यूआइपी | चरम सिंचाई क्षमता |
| यूएलबी | नगर स्थानीय निकाय |
| यूएलडीसी | एकीकृत लोड डिस्पैच एवं संचार |
| यूएनएई | अनिगमित कृषीतर उद्यम |
| यूएनसीआरसी | संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन |
| यूएनडीपी | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम |
| यूएनईएससीओ (यूनेस्को) | संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन |
| यूपीआइ | एकीकृत भुगतान इंटरफेस |
| यूएसओ | सर्व सेवा दायित्व |
| यूटीएस | चरम तनन सामर्थ्य |
| वीएटी (वैट) | मूल्यवर्धित कर |
| वीएटीएमआइएस (वैटमिस) | मूल्यवर्धित कर सूचना प्रबंधन प्रणाली |
| वेजफेड | सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन महासंघ |
| वीएलई | ग्राम-स्तरीय उद्यमी |
| वीटीआर | वाल्मीकि बाघ आरक्ष |
| डब्ल्यूएएसएच (वाश) | जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई |
| डब्ल्यूबीएम | वाटरबांउड मकाडेम |
| डब्ल्यूसीडीसी | महिला एवं बाल विकास निगम |
| डब्ल्यूएफपीसी | महिला कृषक उत्पादक कंपनी |
| डब्ल्यूएचओ | विश्व स्वास्थ्य संगठन |
| डब्ल्यूआइएफ | भंडारण अवसंरचना कोष |
| डब्ल्यूएमए | अर्थोपाय अग्रिम |
| डब्ल्यूपीआइ | थोक मूल्य सूचकांक |
| डब्ल्यूपीआर | श्रमिक जनसंख्या अनुपात |
| डब्ल्यूपीयू | अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई |
| डब्ल्यूएसए | मार्गगत सुविधाएं |
| डब्ल्यूटीपी | जल उपचार संयंत्र |
| डब्ल्यूटीटीसी | विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद |

# तालिका सूची


| तालिका सं. | विषय सूची | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| | | |
| **अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन** | | |
| 1.1 | बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24) | 2 |
| 1.2 | भारत के सकल घरेलू उत्पाद और बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशत वृद्धि दरें (2012-13 से 2023-24) | 4 |
| 1.3 | स्थिर (2011-12) मूल्य पर प्रमुख राज्यों के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्र-वार प्रतिशत वृद्धि दरें (2021-22 से 2023-24) | 5 |
| 1.4 | बिहार में स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना (2019-20 से 2023-24) | 7 |
| 1.5 | बिहार और संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24) | 9 |
| 1.6 | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देश के बड़े राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24-त्वरित) | 10 |
| 1.7 | वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2019-20 से 2023-24) | 11 |
| 1.8 | बिहार और भारत के सकल मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्र-वार हिस्सा (2017-18 और 2023-24) | 13 |
| 1.9 | राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2012 = 100) और मुद्रास्फीति की दर (सितंबर 2023 और सितंबर 2024) | 14 |
| 1.10 | बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले (2022-23 और 2023-24) | 15 |
| **अध्याय-2 : राजकीय वित्तव्यवस्था** | | |
| 2.1 | प्राप्ति और व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 30 |
| 2.2 | बिहार के लिए राजकोषीय प्रदर्शन के सूचक (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 37 |
| 2.3 | बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 38 |
| 2.4 | बिहार में सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण ((2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 39 |
| 2.5 | विभिन्न राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (2021-22 से 2024-25 ब.अ.) | 40 |
| 2.6 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा(2021-22 से 2024-25 ब.अ.) | 41 |
| 2.7 | राज्यों के राजस्व लेखे में घाटा/ अधिशेष (2021-22 से 2024-25 ब.अ.) | 42 |
| 2.8 | बिहार में राज्य सरकार की बकाया देनदारियां (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 44 |
| 2.9 | बिहार में राज्य सरकार द्वारा लोक ऋण-ग्रहण की संरचना (2022-23 और 2023-24) | 46 |
| 2.10 | प्राप्त शुद्ध लोक ऋण (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 47 |
| 2.11 | बकाया देनदारियों की अदायगी (2020-21 से 2024-25 ब.अ.) | 48 |
| 2.12 | राज्य के राजस्व लेखे में प्राप्ति के घटक (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 49 |
| 2.13 | अपने स्रोतों से राज्य सरकार के कर राजस्व के घटक (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 51 |
| 2.14 | अपने स्रोतों से राज्य सरकार के कर राजस्व के घटकों का प्रतिशत हिस्सा (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 51 |
| 2.15 | प्रमुख करेतर राजस्व (2019-20 से 2023-24 ब.अ.) | 52 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.16 | राज्य सरकार के अपने स्रोतों से प्राप्त कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत बतौर (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 53 |
| 2.17 | विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्य कर संग्रहण (2019-20 से 2023-24) | 54 |
| 2.18 | राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण (2019-20 से 2023-24) | 54 |
| 2.19 | राज्य और समेकित वस्तु एवं सेवा करों से मासिक संग्रहण (अप्रील 2023 से सितंबर 2024) | 55 |
| 2.20 | स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त राजस्व (2019-20 से 2023-24) | 56 |
| 2.21 | स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व (2023-24) | 57 |
| 2.22 | कर संग्रहण व्यय (2019-20 से 2023-24) | 58 |
| 2.23 | कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2023-24) | 58 |
| 2.24 | राज्य सरकार का व्यय पैटर्न (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 59 |
| 2.25 | राज्य सरकार के व्यय में प्रतिशत परिवर्तन (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 60 |
| 2.26 | राजस्व और पूंजीगत व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 62 |
| 2.27 | राजस्व लेखे में विकासमूलक और विकासेतर व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 62 |
| 2.28 | राजस्व और पूंजीगत लेखों के व्ययों का वितरण (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 63 |
| 2.29 | सकल और निवल ब्याज भुगतान (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 63 |
| 2.30 | वेतन और पेंशन पर व्यय (2019-20 से 2023-24) | 64 |
| 2.31 | सामाजिक सेवाओं पर व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 65 |
| 2.32 | आर्थिक सेवाओं पर व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 67 |
| 2.33 | सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 68 |
| 2.34 | व्यय की गुणवत्ता के मापदंड (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 70 |
| 2.35 | संचित निधि का वितरण - प्राप्ति तथा व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.) | 71 |
| **अध्याय-3 : कृषि एवं संबंधित क्षेत्र** | | |
| 3.1 | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दरें (2019-20 से 2023-24) | 73 |
| 3.2 | बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (2019-20 से 2023-24) | 73 |
| 3.3 | भूमि उपयोग का प्रतिरूप (2019-20 से 2022-23) | 74 |
| 3.4 | बिहार में प्रयुक्त जोतों का क्षेत्रफल और लिंग के आधार पर वितरण (2010-11 और 2015-16) | 75 |
| 3.5 | बिहार में फसल प्रतिरूप (2020-21 से 2023-24) | 76 |
| 3.6 | बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन (2020-21 से 2023-24) | 78 |
| 3.7 | बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता (2020-21 से 2023-24) | 79 |
| 3.8 | बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2021-22 से 2023-24) | 81 |
| 3.9 | बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2021-22 से 2023-24) | 83 |
| 3.10 | बिहार में फूलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2021-22 से 2023-24) | 84 |
| 3.11 | बागवानी की विभिन्न योजनाओं के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2021-22 से 2023-24) | 85 |
| 3.12 | बिहार में पशु संसाधनों की संख्या का विवरण (2003, 2007, 2012 और 2019) | 87 |
| 3.13 | बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन (2018-19 से 2023-24) | 88 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.14 | बिहार में पशुधन सेवाएं (2019-20 से 2023-24) | 88 |
| 3.15 | बिहार में बकरी पालन के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा (2019-20 से 2023-24) | 90 |
| 3.16 | मुर्गी पालन क्षेत्र के लिए भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा (2019-20 से 2023-24) | 91 |
| 3.17 | मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24) | 91 |
| 3.18 | मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24) | 92 |
| 3.19 | पठारी क्षेत्र में मछली पालन के लिये तालाब निर्माण योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24) | 93 |
| 3.20 | निजी तालाब जीर्णोद्धार योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24) | 93 |
| 3.21 | जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24) | 93 |
| 3.22 | तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2023-24) | 94 |
| 3.23 | नदी मत्स्य-पालन कार्यक्रम के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 से 2024-25) | 94 |
| 3.24 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2020-21 से 2023-24) | 95 |
| 3.25 | मात्स्यिकी प्रशिक्षण योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2023-24) | 95 |
| 3.26 | बिहार में प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2021-23 से 2023-24) | 97 |
| 3.27 | बिहार में तीव्र बीज कार्यक्रम की प्रगति (2019-20 से 2023-24) | 97 |
| 3.28 | बिहार में कृषि के लिए उर्वरकों के उपयोग के रुझान (2021-22 से 2023-24) | 98 |
| 3.29 | बिहार में सब्सिडी योजना के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या (2019-20 से 2023-24) | 100 |
| 3.30 | बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली का उपयोग (2019-20 से 2023-24) | 100 |
| 3.31 | बिहार में दिए गए कृषि कनेक्शनों की संख्या (2023-24 के अंत में) | 101 |
| 3.32 | बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि क्षेत्र को दी गई विद्युत सब्सिडी (2019-20 से 2023-24) | 101 |
| 3.33 | कृषि ऋण के तहत उपलब्धि (किसान क्रेडिट कार्ड और खरीद) (2019-20 से 2023-24) | 101 |
| 3.34 | बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्रगति की स्थिति (2019-20 से 2024-25 के खरीफ मौसम तक) | 102 |
| 3.35 | बिहार में स्रोत-वार सकल सिंचित क्षेत्र (2018-19 से 2022-23) | 103 |
| 3.36 | बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति (2021-22 से 2023-24) | 103 |
| 3.37 | बिहार में बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता (2019-20 से 2023-24) | 104 |
| 3.38 | बिहार में लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र (2020-21 से 2023-24) | 104 |
| 3.39 | बिहार में कृषक समितियों की स्थिति (मार्च 2024 तक) | 104 |
| 3.40 | बिहार में सिंचाई पर सार्वजनिक व्यय (2019-20 से 2023-24) | 105 |
| 3.41 | वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता सृजन (2023-24) | 105 |
| 3.42 | बिहार में हरी खाद योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धि (2024-25) | 109 |
| 3.43 | बिहार जैविक कॉरीडोर योजना के तहत प्रगति का विवरण (2022-23 से 2024-25) | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.44 | बिहार में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्रगति का विवरण (2023-24 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 111 |
| 3.45 | बिहार में जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक के संबंध में प्रगति (2021-22 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 111 |
| 3.46 | बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण (2021-22 से 2023-24) | 113 |
| 3.47 | बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के तहत लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण (2021-22 से 2023-24) | 114 |
| 3.48 | बिहार में डीजल सब्सिडी योजना की प्रगति का विवरण (2022-23 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 114 |
| 3.49 | आकस्मिक फसल योजना का विवरण (2022-23 और 2023-24) | 115 |
| 3.50 | बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि योजना के क्रियान्वयन का ब्योरा (2019-20 से 2024-25) | 116 |
| 3.51 | बिहार में मृदा जांच संबंधी भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण (2023-24 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 117 |
| 3.52 | बिहार में बिहार कौशल विकास मिशन के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण (2019-20 से 2023-24) | 118 |
| 3.53 | बिहार में बिहार कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण (2024-25, 15 जनवरी 2025 तक) | 118 |
| 3.54 | बिहार में आत्मा योजना की प्रगति (2022-23 और 2023-24) | 119 |
| 3.55 | बिहार में किसान चौपाल के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण (2021-22 से 2023-24) | 120 |
| 3.56 | बिहार में भंडारगृहों की स्थिति (2019-20 से 2023-24) | 121 |
| 3.57 | बिहार में भंडारण क्षमता का जमाकर्ता-वार उपयोग (2019-20 से 2023-24) | 121 |
| 3.58 | बिहार में चावल और गेहूं की खरीद का विवरण (2019-20 से 2023-24) | 121 |
| | **अध्याय-4 : उद्यम क्षेत्र** | |
| 4.1 | बिहार में स्थिर मूल्य (2011-12) पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दरें (2018-19 से 2023-24) | 141 |
| 4.2 | चुनिंदा भारतीय राज्यों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2019-20 से 2023-24) | 142 |
| 4.3 | बिहार और भारत में कुल कारखानों और चालू कारखानों की संख्या (2013-14 से 2022-23) | 143 |
| 4.4 | बिहार और भारत में उद्योगों के विभिन्न पहलू (2013-14 से 2022-23) | 144 |
| 4.5 | बिहार और भारत में उद्योगों के विभिन्न ढांचागत अनुपात (2018-19 से 2022-23) | 145 |
| 4.6 | चुनिंदा राज्यों में उद्योगों के विभिन्न पहलुओं की तुलना (2022-23) | 146 |
| 4.7 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्र और प्रकार के अनुसार प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (2022-23) | 148 |
| 4.8 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित क्षेत्रों में स्वामित्व के प्रकार के अनुसार प्रतिष्ठानों का वितरण (2022-23) | 149 |
| 4.9 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के प्रकार के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (2022-23) | 150 |
| 4.10 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित क्षेत्रों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के प्रकार के अनुसार महिला श्रमिकों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (2022-23) | 151 |
| 4.11 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के अनुसार बाजार प्रतिष्ठानों के लिए अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा (2022-23) | 152 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.12 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिष्ठानों के प्रकार के अनुसार प्रति प्रतिष्ठान अनुमानित सकल वार्षिक मूल्य (हजार रु. में) (2022-23) | 154 |
| 4.13 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिष्ठानों के प्रकार के अनुसार प्रति श्रमिक अनुमानित सकल वार्षिक मूल्य (हजार रु. में) (2022-23) | 155 |
| 4.14 | चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां (हजार रु. में) (2022-23) | 156 |
| 4.15 | चीनी उत्पादन और चीनी प्राप्ति की दर के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2021-22 से 2023-24) | 157 |
| 4.16 | आसवन क्षमता और बिजली उत्पादन के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2021-22 से 2023-24) | 158 |
| 4.17 | चीनी मिलों की कार्यसंचालन अवधि (2021-22 से 2023-24) | 158 |
| 4.18 | मुख्यमंत्री ईख विकास कार्यक्रम (बीज विकास) का प्रदर्शन (2023-24) | 159 |
| 4.19 | मुख्यमंत्री ईख विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण) का प्रदर्शन (2023-24) | 160 |
| 4.20 | विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत गव्य सहकारी समितियों की संख्या (2022-23 और 2023-24) | 161 |
| 4.21 | विभिन्न संघों/ परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण (2019-20 से 2023-24) | 161 |
| 4.22 | कॉम्फेड के प्रसार, उत्पादों का वितरण, और उसके द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं (2019-20 से 2023-24) | 162 |
| 4.23 | बिहार में हैंडलूम उत्पादों के संकेंद्रण वाले विभिन्न जिले | 163 |
| 4.24 | बिहार में रेशम उत्पादन का ब्योरा (2019-20 से 2023-24) | 164 |
| 4.25 | हैंडलूम और पावरलूम क्षेत्र के लिए जारी योजनाएं (2023-24) | 164 |
| 4.26 | खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद द्वारा चरखा, करघा और कार्यशील पूंजी वितरण का विवरण (2022-23 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 165 |
| 4.27 | बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत निवेश का ब्योरा (2016-17 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 166 |
| 4.28 | बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थिति (सितंबर 2024 तक) | 167 |
| 4.29 | बिआडा द्वारा विभिन्न संकुलों में भूमि अधिग्रहण और औद्योगीकरण के लिए जमीन तथा शेड के आबंटन का ब्योरा (30 सितंबर 2024) | 168 |
| 4.30 | उद्यमों के प्रकार के अनुसार इकाइयों की संख्या, निवेश और रोजगार का ब्योरा (2022-23 और 2023-24) | 169 |
| 4.31 | विभिन्न उद्यमों के क्षेत्र में इकाइयों की संख्या, निवेश और रोजगार के विवरण (2022-23 और 2023-24) | 169 |
| 4.32 | उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24) | 170 |
| 4.33 | विभिन्न उद्यमी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों और चयनित उद्यमियों की संख्या (2022-23 और 2023-24) | 171 |
| 4.34 | विभिन्न उद्यमी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जानकारी (2022-23 और 2023-24) | 171 |
| 4.35 | बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 के तहत स्टार्ट-अप की वर्तमान स्थिति (2022-23 और 2023-24) | 172 |
| 4.36 | बिहार में खनिजों से राजस्व संग्रहण (2019-20 से 2023-24) | 173 |
| 4.37 | देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या (2019 से 2023) | 174 |
| 4.38 | पर्यटन विभाग के लिए बजट आबंटन और व्यय का विवरण (2019-20 से 2023-24) | 175 |
| 4.39 | विभिन्न पारिस्थितक पर्यटन-स्थलों पर आगंतुकों की संख्या (2021-22 और 2023-24) | 176 |

| अध्याय-5 : श्रम, रोजगार तथा कौशल | | |
|---|---|---|
| 5.1 | चुनिंदा राज्यों की श्रमशक्ति सहभागिता दरें (एलएफपीआर) (2023-24) | 179 |
| 5.2 | चुनिंदा राज्यों के श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (2023-24) | 180 |
| 5.3 | चुनिंदा राज्यों में बेरोजगारी दरें (2023-24) | 181 |
| 5.4 | चुनिंदा राज्यों में रोजगार की स्थिति के अनुसार पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2023-24) | 182 |
| 5.5 | चुनिंदा राज्यों में रोजगार की स्थिति के अनुसार महिला श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2023-24) | 183 |
| 5.6 | चुनिंदा राज्यों में व्यापक क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2023-24) | 184 |
| 5.7 | बिहार और भारत में काम के उद्योग (एनआइसी 2008 के उद्योग खंडों) में सामान्यत: कार्यरत (प्रधान + सहयोगी) व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (2023-24) | 185 |
| 5.8 | बिहार और भारत में उद्यम के अनुसार कृषीतर कार्यों में रोजगारशुदा व्यक्तियों का प्रतिशत (2023-24) | 186 |
| 5.9 | बिहार और भारत के लिए षीतर क्षेत्र में सामान्य स्थिति (प्रधान + सहयोगी) में कार्यरत नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों के रोजगार की स्थिति (2023-24) | 187 |
| 5.10 | चुनिंदा राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी रोजगार से औसत सकल मासिक उपार्जन (2023-24) | 188 |
| 5.11 | चुनिंदा राज्यों में शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी रोजगार से औसत सकल मासिक उपार्जन (2023-24) | 189 |
| 5.12 | चुनिंदा राज्यों में अनियमित श्रमिक का औसत दैनिक उपार्जन (2023-24) | 189 |
| 5.13 | बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिए गए अनुदान (2019-20 से 2023-24) | 190 |
| 5.14 | मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों के लिए खर्च की गई रकम (2019-20 से 2023-24) | 191 |
| 5.15 | निर्बंधित निर्माण मजदूरों और लाभार्थियों की संख्या तथा धनराशि का उपयोग (2019-20 से 2023-24) | 192 |
| 5.16 | कर्मचारी राज्य बीमा के तहत बीमित और चिकित्सित लोगों की संख्या (2019-20 से 2023-24) | 193 |
| 5.17 | बिहार में क्षेत्र-वार न्यूनतम मजदूरी (2020 से 2024) | 194 |
| 5.18 | बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सामाजिक श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या (2020-21 से 2024-25 के 30 सितंबर, 2024 तक) | 195 |
| 5.19 | बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सामाजित श्रेणी-वार चयनित प्रत्याशियों की संख्या (2023-24 से 2024-25 के 30 सितंबर, 2024 तक) | 195 |
| 5.20 | बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या (2019-20 से 2023-24) | 196 |
| 5.21 | बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा श्रेणी-वार चयनित प्रत्याशियों की संख्या (2019-20 से 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक) | 196 |
| 5.22 | बिहार तकनीकी सेवा आयोग का बजट आबंटन और व्यय (2019-20 से 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक) | 197 |
| 5.23 | बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जरिए विभिन्न पदों पर पुलिस-कर्मियों की लिंग-वार भर्ती (2021-22 से 2024-25 में सितंबर 2024 तक) | 197 |
| 5.24 | बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जरिए विभिन्न पदों पर भर्ती पुलिस-कर्मियों का सामाजिक श्रेणी-वार वितरण (2021-22 से 2024-25 में सितंबर 2024 तक) | 198 |
| 5.25 | विभिन्न पदों पर पुलिस-कर्मियों एवं समकक्ष कर्मियों की लिंग-वार भर्ती (2021-22 से 2023-24) | 198 |
| 5.26 | भर्ती पुलिस-कर्मियों एवं समकक्ष कर्मियों का सामाजिक श्रेणी-वार वितरण (2021-22 से 2023-24 तक) | 199 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.27 | बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा नियुक्त जनशक्ति का विवरण (2021-22 से 2023-24) | 199 |
| 5.28 | रोजगार कार्यालयों की उपलब्धि, 2023-24 | 200 |
| 5.29 | बिहार कौशल विकास मिशन के तहत अभी तक की भौतिक प्रगति (2023-24) | 202 |
| 5.30 | कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विभाग-वार बजट (2019-20 से 2023-24) | 204 |
| 5.31 | विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन और व्यय (2023-24) | 205 |
| 5.32 | रूसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षित प्रत्याशियों और रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या (2019-20 से 2024-25 के 30 सितंबर 2024 तक) | 206 |
| 5.33 | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षण और नियोजन की स्थिति (सितंबर 2024 तक) | 207 |
| 5.34 | रूसेटी और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की वित्तीय स्थिति (2023-24) | 207 |
| 5.35 | पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों और जारी पासपोर्ट की संख्या (2019-20 से 2023-24) | 208 |
| 5.36 | 21 दिनों में हुए पुलिस सत्यापन का वर्ष-वार प्रतिशत और पुलिस सत्यापन में लगे औसत दिन (2019 से 2023) | 208 |
| **अध्याय-6 : भौतिक अधिसंरचना** | | |
| 6.1 | बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक व्यय का सारांश | 216 |
| 6.2 | बिहार में द्रुतमार्ग | 218 |
| 6.3 | बिहार में प्रमुख नए राष्ट्रीय उच्चपथ | 219 |
| 6.4 | राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण का अवलोकन (सितंबर 2024 तक) | 220 |
| 6.5 | बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति | 221 |
| 6.6 | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के कामकाज का सारांश | 223 |
| 6.7 | योजनानुसार ग्रामीण पथ नेटवर्क की स्थिति (सितंबर 2024 तक) | 226 |
| 6.8 | भारत में मोटर वाहनों का राज्य-वार निबंधन (जनवरी से दिसंबर 2023) | 228 |
| 6.9 | निर्बंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण | 228 |
| 6.10 | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्व संग्रहण और यात्रियों की ढुलाई | 233 |
| 6.11 | पटना हवाईअड्डा में व्यवसाय की प्रगति | 237 |
| 6.12 | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अवलोकन | 240 |
| 6.13 | बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि. की कार्यस्थिति का अवलोकन | 241 |
| 6.14 | बिहार में डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं का सारांश (मार्च 2023 के अंत में) | 242 |
| **अध्याय-7 : ई-शासन** | | |
| 7.1 | बिहार और भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना का आच्छादन (मार्च, 2024) | 252 |
| 7.2 | सितंबर 2024 तक ई-डिटेक्शन के जरिए चालान भुगतान संग्रहण का सारांश | 261 |
| 7.3 | बिहार में ई-शासन के जरिए परिवहन क्षेत्र की उपलब्धियां | 269 |
| **अध्याय-8 : विद्युत क्षेत्र** | | |
| 8.1 | बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन (2016-17 से 2023-24) | 286 |
| 8.2 | राज्य की सीमा में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग | 289 |
| 8.3 | क्षमता विस्तार का स्रोत-वार ब्योरा | 289 |

| | | |
|---|---|---|
| 8.4 | विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी | 290 |
| 8.5 | विद्यमान निबद्ध क्षमता (2023 और 2024) | 292 |
| 8.6 | अतिलघु और लघु जलविद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता | 298 |
| 8.7 | निर्माणाधीन अतिलघु जलविद्युत परियोजनाएं (सितंबर 2023) | 299 |
| 8.8 | गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता | 299 |
| 8.9 | प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या | 301 |
| 8.10 | विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति (2020-21 से 2023-24) | 302 |
| 8.11 | बिजली की अनुमानित आवश्यक क्षमता | 303 |
| 8.12 | दिसंबर, 2024 तक मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत काम का ब्योरा | 309 |
| **अध्याय-9 : ग्रामीण विकास** | | |
| 9.1 | बिहार और भारत में ग्रामीण विकास पर व्यय के रुझान (2019-20 से 2024-25, ब.अ.) | 315 |
| 9.2 | जीविका के अंतर्गत प्रगति (2020-21 से 2024-25) | 316 |
| 9.3 | जीविका के तहत आजीविका संबंधी कृषि को सहवर्ती गतिविधियों के विवरण | 317 |
| 9.4 | जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलने वाली कौशल प्रशिक्षण और अरक्षितता न्यूनीकरण सहित आजीविका से संबंधित गतिविधियों का परिमाण | 319 |
| 9.5 | कृषि उद्यमी हस्तक्षेपों पर प्रगति | 321 |
| 9.6 | इनक्यूबेशन के तहत संपर्क और अनुपालन | 322 |
| 9.7 | मनरेगा का प्रदर्शन (2019-20 से 2023-24) | 326 |
| 9.8 | मनरेगा योजना के तहत पूरे हुए श्रेणी-वार कार्य (2019-20 से 2023-24) | 329 |
| 9.9 | गृहस्थल वितरण योजना के तहत बजट आबंटन और व्यय (2021-22 से 2023-24) | 330 |
| 9.10 | अभियान बसेरा के तहत तबकावार पात्र और लाभान्वित परिवार (2019-20 से 2023-24) | 331 |
| 9.11 | राज्य सरकार द्वारा संग्रहित भूमि राजस्व और गृहस्थल वितरण (2019-20 से 2023-24) | 332 |
| 9.12 | जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि (2022 से 2024) | 334 |
| 9.13 | प्राथमिकता-प्राप्त परिवार + अंत्योदय अन्न योजना के तहत चावल और गेहूं का आबंटन और उठाव (2019-20 से 2023-24) | 334 |
| 9.14 | बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन (2024-25, सितंबर 2024 तक) | 336 |
| 9.15 | पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के व्यय स्तर (2019-20 से 2023-24) | 337 |
| 9.16 | पंचायती राज संस्थानों में ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय (2019-20 से 2023-24) | 338 |
| 9.17 | पंचायती राज संस्थानों में पंचायत समिति स्तर पर व्यय (2019-20 से 2023-24) | 338 |
| 9.18 | पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद स्तर पर व्यय (2019-20 से 2023-24) | 339 |
| 9.19 | बिहार में रूर्बन मिशन की भौतिक और वित्तीय प्रगति (2020-21 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 342 |
| **अध्याय-10 : नगर विकास** | | |
| 10.1 | नए क्षेत्र परिषद में उत्क्रमित या अधिसूचित क्षेत्र परिषदों में शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या और आबादी (2023-24) | 352 |
| 10.2 | नए क्षेत्र परिषद में उत्क्रमित या मौजूद अधिसूचित क्षेत्र परिषदों में शामिल नगर पंचायतों और नगर परिषदों की संख्या और आबादी (2023-24) | 352 |
| 10.3 | आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के तहत पटना और आसपास के क्षेत्रों से जल निकासी योजना का विवरण (2023-24) | 354 |
| 10.4 | मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की मुख्य विशेषताएं (2020-21 से 2024-25, 30 सितंबर, 2024 तक) | 356 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.5 | 38 नगर स्थानीय निकायों में वर्षा जल संग्रहण और भूजल के कृत्रिम संग्रहण के तहत उपलब्धि (2019-24) | 358 |
| 10.6 | डे-नुल्म के तहत उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24) | 359 |
| 10.7 | वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (एफआई एवं एसईपी) के तहत उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24) | 359 |
| 10.8 | शहरी पथ-विक्रेता सहायता का विवरण (2019-20 से 2023-24) | 360 |
| 10.9 | प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत प्रगति (सितंबर 2024 तक) | 361 |
| 10.10 | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम की भौतिक प्रगति (सितंबर 2024 तक) | 362 |
| 10.11 | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय विवरण (सितंबर 2024 तक) | 362 |
| 10.12 | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की विभिन्न परियोजनाओं के तहत स्वीकृत रकम (2019-20 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 363 |
| 10.13 | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की विभिन्न परियोजनाओं के तहत व्यय (2019-20 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 363 |
| 10.14 | अमृत के तहत आबंटन (2019-20 से 2023-24) | 366 |
| 10.15 | बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति (30 सितंबर 2024 तक) | 367 |
| 10.16 | नगर विकास एवं आवास विभाग का वित्तीय आबंटन और व्यय (2019-20 से 2023-24) | 369 |
| 10.17 | बिहार के 35 शहरों में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति (2019-20 से 2023-24) | 370 |
| **अध्याय-11 : वित्तीय संस्थाएं** | | |
| 11.1 | बिहार में बैंकिंग अवसंरचना (2020 से 2024) | 378 |
| 11.2 | बिहार में बैंक शाखाओं और संलग्न ग्राहक सेवा केंद्रों का बैंक श्रेणी-वार वितरण (2021 से 2024) | 379 |
| 11.3 | व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का राज्यों के अनुसार वितरण (2020 से 2024) | 383 |
| 11.4 | बिहार में प्रति बैंक शाखा एटीएम की संख्या (सितंबर 2020 से सितंबा 2024 तक) | 384 |
| 11.5 | बिहार और भारत में ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों का सारांश (31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2024) | 385 |
| 11.6 | अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च 2024) | 387 |
| 11.7 | बिहार में बैंक समूह-वार का ऋण, जमा और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2024) | 387 |
| 11.8 | बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024) | 389 |
| 11.9 | बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (2019-20 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 390 |
| 11.10 | बिहार में निजी बैंकों का जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024) | 391 |
| 11.11 | बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024) | 392 |
| 11.12 | बिहार में लघुवित्त बैंकों का जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024) | 392 |
| 11.13 | बिहार में बैंकों का क्षेत्र-वार ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024) | 393 |
| 11.14 | बिहार में बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2023-24) | 394 |
| 11.15 | जिलावार ऋण-जमा अनुपात (2022-23 से 2024-25, सितंबर 2024 तक) | 395 |
| 11.16 | वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्र-वार हिस्सा (2022-23 और 2023-24) | 397 |
| 11.17 | बिहार में वार्षिक ऋण योजना के बैंक समूह-वार लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां (2022-23 से 2023-24) | 397 |

| | | |
|---|---|---|
| 11.18 | बैंकों द्वारा जारी नए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2019-20 से 2023-24) | 399 |
| 11.19 | नाबार्ड द्वारा क्षेत्र-वार पुनर्वित्तीयन (2019-20 से 2023-24) | 401 |
| 11.20 | बिहार में मार्च 2024 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत ऋण स्वीकृति और संवितरण | 402 |
| **अध्याय-12 : मानव विकास** | | |
| 12.1 | सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान | 407 |
| 12.2 | जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (2006-10 और 2016-20) | 412 |
| 12.3 | बिहार और भारत के लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक (प्रतिशत) | 413 |
| 12.4 | स्वास्थ्य अवसंरचना की समग्र स्थिति | 415 |
| 12.5 | बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या | 417 |
| 12.6 | जननी सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता (रु.) | 418 |
| 12.7 | बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन | 419 |
| 12.8 | बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता | 420 |
| 12.9 | स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि | 421 |
| 12.10 | भौतिक और वित्तीय उपलब्धि | 423 |
| 12.11 | स्वच्छता के तहत प्रगति | 424 |
| 12.12 | राज्य योजना की योजनाओं के तहत जलापूर्ति के लिए भौतिक उपलब्धियां | 425 |
| 12.13 | प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन | 428 |
| 12.14 | प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें | 429 |
| 12.15 | प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें | 429 |
| 12.16 | प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्राप्त रकम और किया गया व्यय | 431 |
| 12.17 | पीएम-पोषण का आच्छादन | 431 |
| 12.18 | नामांकन सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रकार | 432 |
| 12.19 | समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त धनराशि की स्थिति | 433 |
| 12.20 | उच्च शिक्षा के संस्थान | 436 |
| 12.21 | बिहार में प्रमाणित संस्थानों का ग्रेड-वार वितरण | 436 |
| 12.22 | सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम | 438 |
| 12.23 | सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम | 439 |
| 12.24 | विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रगति | 444 |
| 12.25 | खेल सम्मान योजना से लाभान्वितों की संख्या | 446 |
| 12.26 | खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थिति | 447 |
| 12.27 | अजा एवं अजजा कल्याण के लिए वार्षिक योजना व्यय का विवरण | 453 |
| 12.28 | पिछड़ा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पर व्यय | 454 |
| 12.29 | छात्रवृत्ति वितरण दर | 455 |
| 12.30 | महिलाओं के लिए कुल व्यय | 460 |
| 12.31 | महिला विकास पर व्यय का अवलोकन | 461 |
| 12.32 | लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली योजनाएं | 462 |
| 12.33 | कौशल प्रशिक्षण की स्थिति | 464 |
| 12.34 | सामाजिक सशक्तीकरण घटक के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या | 465 |
| 12.35 | वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजनाएं | 468 |

| अध्याय–13 : बाल विकास | | |
|---|---|---|
| 13.1 | बच्चों पर केंद्रित योजना बजट का अवलोकन | 504 |
| 13.2 | भारत और बिहार में कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत | 508 |
| 13.3 | आंगनवाड़ी सेवा के तहत व्यय में भागीदारी के मानक | 510 |
| 13.4 | संशोधित व्यय मानक | 510 |
| 13.5 | आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) में कर्मियों की संख्या | 511 |
| 13.6 | आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) में संसाधनों का उपयोग | 512 |
| 13.7 | पूरक पोषाहार कार्यक्रम (सूखा राशन) के तहत वितरित खाद्य सामग्रियां | 513 |
| 13.8 | पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बच्चों के लिए गर्म पका खाना का और सुबह के नाश्ता का वर्तमान मेनू | 513 |
| 13.9 | आंगनवाड़ी सेवा के तहत पोषण (पूरक पोषाहार कार्यक्रम) के लिए वित्तपोषण | 516 |
| 13.10 | नकद प्रोत्साहन की शर्त | 518 |
| 13.11 | बिहार में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या | 522 |
| **अध्याय–14 : पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन** | | |
| 14.1 | बिहार में वार्षिक वर्षापात का मौसम-वार पैटर्न (मिमी में) | 535 |
| 14.2 | बिहार में वनाच्छादन का क्षेत्रफल | 539 |
| 14.3 | बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र (क्षेत्रफल वर्ग किमी में) | 539 |
| 14.4 | बिहार में वन्य कार्बन स्टॉक (हजार टन में) | 541 |
| 14.5 | बिहार के जंगलों में आग लगने की प्रमंडल-वार घटनाएं | 542 |
| 14.6 | विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग परिवर्तन | 543 |
| 14.7 | बिहार में कृषि-वानिकी (पोप्लर ईटीपी) योजना की स्थिति (लाख में) | 544 |
| 14.8 | बिहार में कृषि-वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना की स्थिति (लाख में) | 544 |
| 14.9 | मुख्यमंत्री निजी पोपलर योजना की स्थिति | 544 |
| 14.10 | मुख्यमंत्री (अन्य प्रजाति) निजी नर्सरी योजना की स्थिति (2019-20 से 2023-24) | 545 |
| 14.11 | जल-जीवन-हरियाली अभियान का विवरण | 545 |
| 14.12 | नमामि गंगे के तहत वानिकी कार्यों का विवरण (2024-25) | 546 |
| 14.13 | बिहार में जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण की केंद्र प्रायोजित योजनाएं (लाख रु. में) | 548 |
| 14.14 | बिहार में जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण की राज्य की योजनाएं (लाख रु. में) | 548 |
| 14.15 | जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षतियों की संख्या | 551 |
| 14.16 | बिहार में मुख्य प्रदूषकों का वार्षिक औसत और बीटीएक्स के मानदंड (2023-24) | 553 |
| 14.17 | पटना, मुजफ्फरपुर और गया में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति | 555 |
| 14.18 (क) | पटना में विभिन्न स्थानों पर परिवेशीय शोर अनुश्रवण | 556 |
| 14.18 (ख) | ध्वनि स्तर की मानक सीमाओं पर आंकड़े | 556 |
| 14.19 | स्नान के लिए पानी की गुणवत्ता के मुख्य मापदंड | 557 |
| 14.20 | बिहार में भूतल जल स्रोतों के ढांचों की स्थिति (2023) | 558 |
| 14.21 | बिहार में भूजल की प्रभावित गुणवत्ता वाले ग्रामीण वार्डों की स्थिति | 558 |
| 14.22 | विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां | 565 |
| 14.23 | प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति का नुकसान और क्षति (2023-24) | 566 |
| 14.24 | बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति का मूल्यांकन | 567 |
| 14.25 | बिहार में विभिन्न आपदाओं के कारण मृत और घायल लोगों की संख्या | 568 |
| 14.26 | बिहार में बाढ़ और चक्रवात के लिए आबंटित धनराशि | 569 |
| 14.27 | आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न गतिविधियों की प्रगति | 570 |

# तालिका परिशिष्ट


| परिशिष्ट | विषय सूची | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| | | |
| **अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन** | | |
| प 1.1 | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24) | 19 |
| प 1.2 | वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24) | 20 |
| प 1.3 | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24) | 21 |
| प 1.4 | वर्तमान मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24) | 22 |
| प 1.5 | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24) | 23 |
| प 1.6 | वर्तमान/ 2011-12 के स्थिर मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति/ सकल/ निवल जिला घरेलू उत्पाद (2022-23) | 24 |
| प 1.7 | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2022-23) | 25 |
| प 1.8 | पेट्रोलियम उत्पादों की जिलावार खपत (2014-15 से 2023-24) | 26 |
| **अध्याय-3 : कृषि एवं संबंधित क्षेत्र** | | |
| प 3.1 | बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार प्रतिरूप (2022-23) | 123-124 |
| प 3.2 | बिहार में चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24) | 125 |
| प 3.3 | बिहार में गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24) | 126 |
| प 3.4 | बिहार में मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24) | 127 |
| प 3.5 | बिहार में दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24) | 128 |
| प 3.6 | बिहार में ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24) | 129 |
| प 3.7 | बिहार में चुनिंदा फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2023-24) | 130 |
| प 3.8 | बिहार में चुनिंदा सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2023-24) | 131 |
| प 3.9 | बिहार में पशुधन संबंधी सेवाओं के लिए जिलावार उपलब्धि (2022-23 और 2023-24) | 132 |
| प 3.10 | बिहार में मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन (2021-22 से 2023-24) | 133 |
| प 3.11 | बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2023-24) | 134 |
| प 3.12 | बिहार में कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2023-24) | 135 |
| प 3.13 | बिहार में जिलावार सकल सिंचित क्षेत्र (2022-23) | 136 |
| प 3.14 | बिहार में जिलावार शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2023-24) | 137 |
| प 3.15 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर-आधारित योजना) की कार्यक्रम-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति (चावल) (2023-24) | 138 |
| प 3.16 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर-आधारित योजना) की कार्यक्रम-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति (गेहूं) (2023-24) | 139 |
| प 3.17 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर-आधारित योजना) के तहत अपारंपरिक क्षेत्र में कंपोजिट/संकर मक्का उत्पादन की भौतिक और वित्तीय प्रगति (2023-24) | 139 |
| **अध्याय-5 : श्रम, रोजगार तथा कौशल** | | |
| प 5.1 | प्रवासी मजदूरों की जिलावार मृत्यु और उनके परिजनों को आबंटित रकम (2021-22 से 2023-24) | 209 |
| प 5.2 | मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मुक्त और पुनर्वासित बाल मजदूर (2021-22 से 2023-24) | 210 |
| प 5.3 | विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण के लिए वित्तीय आबंटन (2019-20 से 2023-24) | 211 |
| प 5.4 | बिहार के जिलों में बैंक-वार रूसेटी | 212 |
| प 5.5 | बिहार में जिलावार प्राप्त आवेदन एवं जारी पासपोर्ट (2021-22 से 2023-24) | 213 |

| अध्याय–6 : भौतिक अधिसंरचना | | |
|---|---|---|
| प 6.1 | मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (किमी) | 243 |
| प 6.2 | मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राज्य उच्चपथ नेटवर्क (किमी में) | 244 |
| प 6.3 | मार्च के अंत में बिहार में जिलावार मुख्य जिला पथ नेटवर्क (किमी में) | 245 |
| प 6.4 | सितंबर 2024 के अंत में बिहार में भारतमाला परियोजना का अवलोकन | 246 |
| प 6.5 | सितंबर 2024 के अंत में सुलभ संपर्कता (सात निश्चय) की परियोजनाओं का सारांश | 247 |
| प 6.6 | मार्च के अंत में बिहार में जिलावार ग्रामीण पथ नेटवर्क (किमी में) | 248 |
| प 6.7 | बिहार में 2023–24 में जिलावार वाहन निबंधन (संख्या) | 249 |
| प 6.8 | भवन निर्माण विभाग द्वारा हस्तगत परियोजनाओं का विवरण | 250 |
| **अध्याय–8 : विद्युत क्षेत्र** | | |
| प 8.1 | बिजली की जिलावार खपत (करोड़ यूनिट में) | 311 |
| प 8.2 | विद्यमान और योजनाधीन उत्पादन इकाइयों के विवरण | 312 |
| प 8.3 | ग्रिड–संपर्कित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की जिलावार स्थापना | 313 |
| **अध्याय–9 : ग्रामीण विकास** | | |
| प 9.1 | मनरेगा योजना के तहत जिलावार प्रगति (2021–22 से 2023–24) | 343 |
| प 9.2 | मनरेगा योजना के तहत जिलावार प्रगति (2021–22 से 2023–24) | 344 |
| प 9.3 | मनरेगा योजना के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति (2021–22 से 2023–24) | 345 |
| प 9.4 | बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण (2023–24) | 346 |
| प 9.5 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2023–24) | 347 |
| प 9.6 | घर तक पक्की गली–नालियां (ग्रामीण) की प्रगति (2024–25, सितंबर 2024 तक) | 348 |
| प 9.7 | पंचायत सरकार भवन की स्थिति (सितंबर 2024 तक) | 349 |
| **अध्याय–10 : नगर विकास** | | |
| प 10.1 | जनगणना 2011 के आधार पर अनुमानित शहर–वार जनसंख्या 2024 में | 372 |
| प 10.2 | नए 120 नगर पंचायतों और परिषदों की स्थापना (2024) | 373 |
| प 10.3 | आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय 2 के तहत राज्य योजना के अंतर्गत मोक्षधाम क्रियान्वयन की योजनाओं का विवरण | 374 |
| प 10.4 | जलापूर्ति योजनाओं, पार्क विकास योजना और वर्षा जल निकासी योजना का विवरण (सितंबर 2024 तक) | 375 |
| **अध्याय–11 : वित्तीय संस्थाएं** | | |
| प 11.1 | प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों के लिए जिलावार वार्षिक ऋण योजना (मार्च, 2024) | 404 |
| प 11.2 | प्राथमिकता–रहित क्षेत्रों और संयुक्त रूप से सभी क्षेत्रों के लिए जिलावार वार्षिक ऋण योजना (मार्च, 2024) | 405 |
| **अध्याय–12 : मानव विकास** | | |
| प 12.1 | बिहार की जनसंख्या में दशकीय अंतर | 472 |
| प 12.2 | बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011) | 473 |
| प 12.3 | बिहार की जिलावार अनुमानित जनसंख्या | 474 |
| प 12.4 | बिहार में आयु संरचना के अनुसार जिलावार अनुमानित जनसंख्या (प्रतिशत में) | 475 |

| | | |
|---|---|---|
| प 12.5 | बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2024 में) | 476 |
| प 12.6 | प्रतिदिन पहुंचने वाली वाह्यरोगी और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर | 477 |
| प 12.7 | स्थायी और संविदाधीन चिकित्सकों का जिलावार नियोजन | 478 |
| प 12.8 | 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन | 479 |
| प 12.9 | एएनएम का जिलावार नियोजन | 480 |
| प 12.10 | आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन | 481 |
| प 12.11 | जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन | 482 |
| प 12.12 | रोगों की व्याप्ति (2023-24) | 483 |
| प 12.13 | स्वास्थ्य समितियों को जिलावार वितरित धनराशि | 484 |
| प 12.14 | 'हर घर नल का जल' के तहत बचे टोलों का विवरण | 485-486 |
| प 12.15 | हर घर नल का जल कार्यक्रम का जिलावार आच्छादन | 487 |
| प 12.16 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि | 488 |
| प 12.17 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन (सभी) | 489 |
| प 12.18 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा) | 490 |
| प 12.19 | प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा) | 491 |
| प 12.20 | बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जिलावार संख्या | 492 |
| प 12.21 | बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या | 493 |
| प 12.22 | पीएम-पोषण का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) | 494 |
| प 12.23 | पीएम-पोषण का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) | 495 |
| प 12.24 | बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या | 496 |
| प 12.25 | सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों की सूची (2024-25) | 497 |
| प 12.26 | सरकारी पॉलीटेकनीक की सूची (2024-25) | 498 |
| प 12.27 | अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला-स्तरीय अवलोकन | 499 |
| | **अध्याय-13 : बाल विकास** | |
| प 13.1 | बिहार में बच्चों की जिलावार संख्या (2011) | 530 |
| प 13.2 | बिहार में जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात (2011) | 531 |
| प 13.3 | बिहार में जिलावार किशोरवय आबादी (2011) | 532 |
| प 13.4 | बिहार में कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत | 533 |
| | **अध्याय-14 : पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन** | |
| प 14.1 | विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात (2023-24 और 2024-25 (सितंबर तक)) | 572 |
| प 14.2 | बिहार में जिलावार वन क्षेत्र (क्षेत्रफल वर्ग किमी में) | 573 |
| प 14.3 | वित्तीय और भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्योरा (2022-23 और 2023-24) | 574 |
| प 14.4 | बिहार में वन्यजीव अभयारण्य (2022-23) | 575 |
| प 14.5 | मुख्य प्रदूषकों और बीटीएक्स प्रतिमानों का शहरवार वार्षिक औसत (2022-23) | 576 |
| प 14.6 | बिहार में भूजल संसाधन की जिलावार स्थिति (2021 और 2022) | 577 |
| प 14.7 | आंधी-तूफान (बिजली गिरने) से मौत की जिलावार घटनाएं | 578 |

# विभागों की सूची


| विभाग का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| कृषि विभाग | 95-100, 108-120, 122, 134-135, 138-139, 267-268, |
| विमानपत्तन प्राधिकरण | 236-237 |
| पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय | 91-95, 133 |
| कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 269, 445-449, |
| पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 454-456 |
| बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) | 426-434, 489-495, 517-529 |
| बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) | 167-169 |
| बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम | 240-241 |
| बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) | 195 |
| बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग | 197-198 |
| बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. (बीआरपीएनएनएल) | 223-224, 263-264 |
| बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) | 292-297, 313 |
| बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. (बीएसबीसीसीएल) | 240, 263-264 |
| बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. (कॉम्फेड) | 160-163 |
| बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि. (बीएसईडीसी) | 199, 251-254 |
| बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि. (बीएसएचपीसीएल) | 297-300 |
| बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद | 269, 552-556, 576 |
| बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. | 263-266, 282-292, 300-312 |
| बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. (बीएसआरडीसीएल) | 220-222, 263-264 |
| बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) | 233-234 |
| बिहार राज्य भंडारण निगम (बीएसडब्ल्यूसी) | 120-121 |
| बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) | 195-197 |
| भवन निर्माण विभाग | 237-240, 250 |
| केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार | 4-5, 9-10, 14 |
| केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद (सीएसबीसी) | 198-199 |
| वाणिज्य कर विभाग | 53-55, 271 |
| सहकारिता विभाग | 101-102, 268, |
| उद्योग विभाग | 163-167, 170-172 |
| आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | 1-25, 72-74, 76-79, 102-103, 123-129, 132, 136-137, 141, 214-215, 227, 236, 535-537, 572 |
| बागवानी निदेशालय | 80-86, 130-131 |
| आपदा प्रबंधन विभाग | 276-277, 566-570, 578 |
| पूर्व मध्य रेलवे | 234-235 |
| शिक्षा विभाग | 272-273, 517-529, 426-436, 443-444, 489-496 |
| ऊर्जा विभाग | 100-101, 263-266, 282-313, |
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 175-176, 279-281, 534, 538-552, 573-575 |
| पशुपालन एवं गव्य निदेशालय | 87-91 |

| विभाग का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| वित्त विभाग | 27-39, 42-53, 58-71, 215-216, 225, 237-238, 270-271, 406-408, 443-444, 452-453, 459-461, 500, 503, 504, 537 |
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 121, 274-275, 333-335, 346-347 |
| सामान्य प्रशासन विभाग | 275 |
| स्वास्थ्य विभाग/ राज्य स्वास्थ्य समिति | 273, 414-421, 476 |
| गृह विभाग | 240-241, 254-262, 467 |
| इंडियन ऑयल | 13, 26 |
| सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 251-254 |
| जीविका | 206-207, 315-325, 423-424, 488, 570-571 |
| श्रम संसाधन विभाग | 190-194, 199-205, 209-211, 261 |
| खान एवं भूतत्व विभाग | 173, 266 |
| विधि विभाग | 256-259 |
| विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना | 207-208, 213 |
| लघु जल संसाधन विभाग | 103-108, 558, 565-566, 577 |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 457-459 |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 142-157, 178-189 |
| राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) | 384-386, 401-402 |
| भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) | 216-219 |
| राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) | 256-263, 266, 268-269, 273-274, 277, 279-281 |
| पंचायती राज विभाग | 262-263, 335-339,348-349 |
| डाक विभाग | 241-242 |
| मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 55-57, 271-272 |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) | 273, 421-423, 425-426, 485-487, 556-557 |
| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) | 40-42, 382-383, 386-400 |
| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 266-267, 329-332 |
| पथ निर्माण विभाग | 216-224, 243-247, 263-264 |
| ग्रामीण विकास विभाग | 206, 212, 326-329, 339-345, 423-424 |
| ग्रामीण कार्य विभाग | 224-226, 248, 263-265 |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 450-454, 499 |
| विज्ञान, प्रावैधिकी तथा तकनीकी शिक्षा | 437-445, 497-498 |
| समाज कल्याण विभाग | 273-274, 459-471, 508-517, 519-521, 525 |
| खेल विभाग | 445-448, 522-524 |
| राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) | 376-386, 383-384, 387, 402-405 |
| गन्ना उद्योग विभाग | 157-160 |
| पर्यटन विभाग | 174-175 |
| परिवहन विभाग | 227-234, 249, 260-261, 269 |
| नगर विकास एवं आवास विभाग | 272, 276, 350-375 |
| जल संसाधन विभाग | 103-108, 277-279, 558, 559-564 |
| महिला एवं बाल विकास निगम | 459-467 |

# कार्यकारी सारांश

**अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन**

1. बिहार में पिछले दो दशकों में काफी आर्थिक विकास हुआ है जिसके कारण विकास के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस अवधि में राज्य सरकार की पहलों ने जनता की प्रति व्यक्ति आय में सामान्य वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सूचकों की उन्नति में भी योगदान किया है। आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित गणना के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख करोड़ रु. से 3.5-गुनी बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रु. पहुंच गई।

2. सबसे हाल के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, बिहार के लिए वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रु. अनुमानित है। बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 58.6 प्रतिशत अनुमानित है जिसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का 21.5 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 19.9 प्रतिशत योगदान है।

3. वर्ष 2023-24 में तृतीयक क्षेत्र में व्यापार और मरम्मत सेवाओं द्वारा स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 14.8 प्रतिशत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होने का अनुमान है। इसके बाद 10.2 प्रतिशत योगदान के साथ परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाओं का और 9.5 प्रतिशत योगदान के साथ स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाओं का स्थान है। वहीं, पथ परिवहन का 5.4 प्रतिशत योगदान और वित्तीय सेवाओं का 4.6 प्रतिशत योगदान अनुमानित है।

4. वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र के अंदर विनिर्माण का 7.6 प्रतिशत और निर्माण का 11.3 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है। साथ ही, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विद्युत, गैस, जलापूर्ति, एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं का 2.7 प्रतिशत हिस्सा होना अनुमानित है। वहीं, 2023-24 के लिए राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र के फसल और पशुधन क्षेत्र का क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है।

5. वर्ष 2023-24 में गत वर्ष की अपेक्षा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर 14.5 प्रतिशत और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 9.2 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वहीं, 2023-24 में गत वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य पर 12.8 प्रतिशत बढ़कर 66,828 रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 7.6 प्रतिशत बढ़कर 36,333 रु. पहुंच जाने का अनुमान है।

6. बिहार में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल स्थिर पूंजी निर्माण काफी बढ़ा है और 2019-20 के 9,346 करोड़ रु. से 2023-24 में 38,986 करोड़ रु. पहुंच गया है। वहीं, वर्तमान मूल्य पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर सकल स्थिर पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो 2019-20 के 1.6 प्रतिशत से 2023-24 में 4.6 प्रतिशत पहुंच गया है।

7. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक रुझानों पर प्रकाश डाला गया है जो सामाजिक-आर्थिक सूचकों में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को दर्शाता है। जारी नीतिगत पहलों और राजकोषीय क्षमता अधिकाधिक बढ़ाने पर ध्यान आगे भी विकास जारी रहने की आशा दिलाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है।

**अध्याय-2 : राजकीय वित्तव्यवस्था**

1. राज्य सरकार का बजट विगत वर्षों के दौरान काफी बढ़ा है और इस वृद्धि का बिहार में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रभावी उपयोग किया गया है। बढ़े सरकारी व्यय के कारण राजकोषीय सुस्थिरता बरकरार रखते हुए विभिन्न विकासमूलक लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार के विवेकपूर्ण और लचीले वित्तीय प्रबंधन से कमजोरियों में कमी लाने में भी मदद मिली है।

2. वित्तवर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रु. था। वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में योजना व्यय 1,01,835 करोड़ रु. था जबकि कुल स्थापना एवं समर्पित व्यय 1,50,247 करोड़ रु. था।

3. वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ रु. और पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रु. था। वहीं, राजस्व लेखे में प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रु. थी जिसके कारण 2,833 करोड़ रु. का अधिशेष था। साथ ही, 2023-24 में राज्य सरकार के पूंजीगत लेखे में हुई कुल प्राप्तियां 60,313 करोड़ रु. थीं।

4. वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के राजस्व और पूंजीगत, दोनो लेखों में 2019-20 की अपेक्षा वृद्धि हुई लेकिन पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बदलाव आया। इसी अवधि में राजस्व व्यय 1.5 गुना बढ़ा जबकि पूंजीगत व्यय 3.1-गुना बढ़ गया। फलतः, राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय के प्रतिशत में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 के 14 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 24 प्रतिशत हो गया।

5. वित्तवर्ष 2023-24 में कर राजस्व 1,61,965 करोड़ रु. पहुंच गया जो राजस्व प्राप्तियों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 2019-20 के 75.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 83.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2023-24 में कुल सहायता अनुदान 26,125 करोड़ रु. था जिसका कुल प्राप्तियों में 13.5 प्रतिशत हिस्सा था जबकि करेतर राजस्व 5,257 करोड़ रु. था जिसका कुल प्राप्तियों में 2.7 प्रतिशत योगदान था।

6. वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल उधार 60,218 करोड़ रु. और लोक ऋण भुगतान 23,979 करोड़ रु. था। वित्तवर्ष 2023-24 के अंत में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 3,32,741 करोड़ रु. था। वहीं, 2023-24 में राज्य सरकार ने कुल 17,606 करोड़ रु. का ब्याज भुगतान किया।

7. वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य सरकार का सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 57,816 करोड़ रु. से बढ़कर 83,225 करोड़ रु. हो गया। वहीं, सामान्य सेवाओं पर व्यय 41,618 करोड़ रु. से 59,218 करोड़ रु. हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 26,571 करोड़ रु. से 48,071 करोड़ रु.। साथ ही, इस अवधि में सामान्य सेवाओं के तहत ब्याज भुगतान 10,991 करोड़ रु. से बढ़कर 17,606 करोड़ रु. हो गया।

8. वित्तवर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व का 27.7 प्रतिशत हिस्सा उसके अपने कर और करेतर स्रोतों से आया। राज्य के अपने कर स्रोतों से राजस्व 9.9 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 के 44,018 करोड़ रु. से 2023-24 में 48,361 करोड़ रु. हो गया। वहीं, करेतर स्रोतों से राजस्व में 27.1 प्रतिशत का उछाल आया जो 2022-23 के 4,135 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 5,257 करोड़ रु. हो गया।

9. विभिन्न राजकोषीय सूचकों से पता चलता है कि व्यय के वर्तमान स्तर को देखते हुए बिहार की राजकीय वित्तव्यवस्था, सुस्थिर, लचीली, और जोखिम से मुक्त है। कुल मिलाकर, 2023-24 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का आवंटन विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है और राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए मिलने वाले समर्थन पर प्रकाश डालता है।

**अध्याय-3 : कृषि एवं संबंधित क्षेत्र**

1. राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र का हर साल लगभग पांचवें हिस्से का योगदान रहता है।

2. बिहार में खरीफ में धान और रबी में गेहूं फसल चक्र के प्रमुख हिस्से हैं। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच चावल का उत्पादन 21.0 प्रतिशत और गेहूं का उत्पादन 10.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, 2020-21 से 2023-24 के बीच मक्का का उत्पादन 66.6 प्रतिशत बढ़ा है।

3. वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच बागवानी में आम का कुल उत्पादन 9.7 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य में लीची के बागानों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची के बागानों का क्षेत्रफल 6.0 प्रतिशत बढ़ा है जबकि कुल उत्पादन 11.7 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 27.8 हजार हेक्टेयर जमीन पर मखाना की खेती हुई और कुल 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ जो देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत है।

4. राज्य में दूध, अंडों और मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच दूध का उत्पादन 27.3 प्रतिशत और अंडों का उत्पादन 85.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, 2018-19 से 2023-24 के बीच मछली का उत्पादन 45.0 प्रतिशत बढ़ा है।

5. समग्र गव्य विकास योजना के तहत संकर नस्ल की 2, 4, 15 और 20 गायों/ बछियों वाली 7,194 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य था लेकिन 5,873 इकाइयां स्थापित हुईं। इसके लिए 2020-21 से 2023-24 के बीच 106.98 करोड़ रु. के वितरण का लक्ष्य था जबकि राज्य सरकार द्वारा 102.56 करोड़ रु. वितरित किए गए।

6. राज्य सरकार ने मछली पालन और जलकृषि के काम के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिसमें मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना, पठारी क्षेत्र मास्त्यिकी तालाब निर्माण योजना आदि शामिल हैं।

7. बिहार राज्य बीज निगम राज्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। वर्ष 2023 में गरमा फसलों के लिए 5,48,984 किसानों के बीच कुल 38,857 क्विंटल बीज वितरित किए गए थे। खरीफ 2023 के लिए निगम ने 2,86,055 किसानों के लिए 70,605 क्विंटल बीज वितरित किए हैं। वहीं, रबी 2023-24 के लिए 11,18,667 किसानों के बीच कुल 4,65,594 क्विंटल बीज वितरित किए गए।

8. राज्य सरकार ने 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण के लिए 11,900 लाख रु. स्वीकृत किए। वहीं, 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा 3866.23 लाख रु. (60 प्रतिशत) और राज्य सरकार द्वारा 2577.48 लाख रु. (40 प्रतिशत) - कुल 6443.71 लाख रु. आबंटित किए गए।

9. बिजली की कुल खपत में कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा 2019-20 के 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 17.6 प्रतिशत हो गया। कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन बढ़ने के कारण सब्सिडी की रकम भी 2019-20 के 486.93 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 3856.8 करोड़ पहुंच गई जो आठ-गुनी वृद्धि को दर्शाती है।

10. बिहार में विगत वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पहुंच का विस्तार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2019-20 में कुल 3,204.51 करोड़ रु. ऋण वितरित हुआ था जो 2023-24 में बढ़कर 7,080.07 करोड़ रु. हो गया।

11. बिहार में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने काफी अधिक निवेश किया है। वर्ष 2023-24 में सिंचाई पर कुल व्यय 1674.2 करोड़ रु. था जो 2022-23 से 9.7 प्रतिशत अधिक है। सिंचाई पर कुल व्यय का लगभग 90 प्रतिशत भाग पूंजीगत व्यय था।

12. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में 2377 योजनाएं स्वीकृत हुई थीं जिनमें से 2,182 पूरी हो गईं जिससे 2,22,639 हे. सिंचाई क्षमता और 992 लाख घनमीटर जल भंडारण क्षमता बहाल हुई। राज्य सरकार ने 2023-24 में इन पर 269.66 करोड़ रु. व्यय किए।

13. सात निश्चय-2 के 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' कार्यक्रम के तहत 2023-24 में 308.73 करोड़ रु. के व्यय 707 योजनाएं पूरी हुई हैं जिनसे 1,02,957 हे. जमीन पर सिंचाई सुविधा बहाल हुई है। वर्ष 2024-25 में 1,528 योजनाओं के लिए 2,339.10 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिनसे 1,87,194 हे. में सिंचाई सुविधा बहाल होने की आशा है।

14. जैविक कॉरीडोर योजना के दूसरे चरण में 20,000 एकड़ जमीन उन इच्छुक किसानों के बीच वितरित की गई जो योजना के पहले चरण में उसके अंग नहीं थे। इस योजना ने 2023-24 में भौतिक लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है। राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए 3,192.62 लाख रु. आबंटित किए हैं।

15. डीजल सब्सिडी योजना के तहत 2023-24 में 6.3 लाख किसान सब्सिडी से लाभान्वित हुए और सब्सिडी की कुल रकम 102.93 करोड़ रु. थी। वहीं, कृषि लागत सब्सिडी योजना के तहत 2023-24 में ओला वृष्टि और असामयिक बारिश से प्रभावित 87.12 लाख किसानों को राज्य सरकार ने 55.05 करोड़ रु. सहायता के रूप में वितरित किए।

16. जलवायु-अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार के 30 जिलों में 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए किया जा रहा है जिसके लिए 238.49 करोड़ रु. आबंटित हैं।

**अध्याय-4 : उद्यम क्षेत्र**

1. द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन; विनिर्माण; विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं; तथा निर्माण क्षेत्र आते हैं। विगत वर्षों में निर्माण बिहार में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रहा है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच निर्माण से संबंधित गतिविधियों में 22 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्माण का 50.2 प्रतिशत योगदान है, जिसके बाद विनिर्माण का योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का 2022-23 में 37.0 प्रतिशत योगदान था।

2. बिहार में संख्या के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अन्य अधातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण (1234 इकाइयां) और उसके बाद खाद्य उत्पादों का विनिर्माण (905 इकाइयां) है।

3. बिहार में उद्योगों के मामले में स्थिर पूंजी का परिमाण काफी बढ़ा है। जैसे, 2022-23 में बिहार के कारखानों में कुल स्थिर पूंजी 31.95 हजार करोड़ रु. थी जो एक वर्ष में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वहीं, 2021-22 और 2022-23 के बीच उत्पादों का मूल्य 53 प्रतिशत बढ़ा है। ये सारे कारक बिहार में औद्योगिक उत्पादन में लगातार वृद्धि का संकेत करते हैं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच प्रति कारखाना स्थिर पूंजी में 59.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है।

4. बिहार में नौ चीनी मिलों द्वारा 2023-24 में कुल 677.20 लाख क्विंटल ईख की पेराई की गई। इससे कुल 68.77 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। वर्ष 2023-24 में राज्य में चीनी मिलों की आसवन क्षमता 530 हजार लीटर प्रतिदिन और विद्युत उत्पादन क्षमता 88.5 मेगावाट थी।

5. बिहार गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार ने 2024-25 में 81 गुड़ उत्पादक इकाइयों को कुल 12.40 करोड़ रु. सब्सिडी आबंटित की है। योजना के तहत विभिन्न आकारों वाली गुड़ उत्पादन इकाइयों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।

6. राज्य के 13 दुग्ध संघों या परियोजनाओं का दैनिक दूध संग्रहण विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। कुल दैनिक दुग्ध संग्रहण एक वर्ष में 38.7 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 के 1,662.0 हजार किग्रा से 2023-24 में 2,305.1 हजार किग्रा हो गया।

7. सितंबर 2024 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) को कुल 75,293.76 करोड़ रु. निवेश के 3,752 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2023-24 में 706 प्रस्तावित परियोजनाओं द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित कुल रकम 5,642.57 करोड़ रु. थी। वहीं, 769 कार्यशील इकाइयों में कुल निवेश 8,464.35 करोड़ रु. था जिनमें 31,749 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था।

8. बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सबसे बड़ा है जिसकी 353 कार्यशील इकाइयों का सितंबर 2024 तक कुल निवेश 3,517.09 करोड़ रु. था। वहीं, ईथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रस्तावित निवेश 30,747.55 करोड़ रु. था जो कुल प्रस्तावित निवेश का 41 प्रतिशत है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुल 10,613.20 करोड़ रु. निवेश के 75 प्रस्ताव आकर्षित हुए हैं।

9. बिआडा के अनुसार, 2022-23 से 2024-25 के सितंबर 2024 तक उद्योगों में कुल निवेश 3.5-गुना बढ़ा है। वहीं, सूक्ष्म उद्यमों में 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में छः-गुना अधिक निवेश आकर्षित हुआ। रोजगार सृजन के लिहाज से देखें, तो 2023-24 में उद्यमों द्वारा सृजित कुल रोजगार में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का 66.0 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच उद्यमों द्वारा कुल रोजगार सृजन 2.6-गुना बढ़ा है।

10. बिहार लघु उद्यमी योजना का आरंभ बड़ी संख्या में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया। योजना के तहत 2023-24 में कुल 2,02,014 आवेदन प्राप्त हुए थे। उद्योग विभाग ने इनमें से 40,102 आवेदनों को स्वीकृत किया। वहीं, 2023-24 में 40,099 लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 200.47 लाख रु. व्यय किए हैं।

11. वर्ष 2023-24 में 1706 में से 297 आवेदनों को स्टार्ट-अप के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ। प्रमाणित स्टार्ट-अप को आरंभिक कोष उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 15.08 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

12. वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सभी खनिज स्रोतों से 3,114.79 करोड़ रु. अर्जित किए जो गत वर्ष के राजस्व संग्रहण से 14 प्रतिशत अधिक है।

13. वर्ष 2023 में पर्यटकों का आना काफी बढ़ा और 821.33 लाख लोग बिहार पहुंचे। देशी-विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 2023 में कोविड-19 महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2023-24 में पर्यटन विभाग के लिए बजट आबंटन 339.15 करोड़ रु. था। वहीं, 2023-24 में कुल आबंटन में से 328.03 करोड़ रु. व्यय हुए। साथ ही, 2023-24 में राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 494.71 करोड़ रु. स्वीकृत किए।

14. वर्ष 2023-24 में पारिस्थितिक पर्यटन और पार्क विकास का कुल परिव्यय 100.0 करोड़ रु. था जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कुल परिव्यय का 21.6 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में पारिस्थितिक पर्यटन और पार्क विकास के लिए कुल वित्तीय आबंटन 87.2 करोड़ रु. था।

**अध्याय-5 : श्रम, रोजगार तथा कौशल**

1. सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट है कि 2022-23 बिहार में श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) 50.9 प्रतिशत थी जो 2023-24 में बढ़कर 55.0 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, 2022-23 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 48.7 प्रतिशत था जो 2023-24 में 53.2 प्रतिशत पहुंच गया।

2. बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सहायता योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में दावों की संख्या 2563 पहुंच गई जो 2022-23 की अपेक्षा 146 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2023-24 में कुल अनुदान 14.99 करोड़ रु. था जो 2022-23 से 144.1 प्रतिशत अधिक है।

3. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के तहत 2019-20 से 2023-24 तक के गत पांच वर्षों में निर्बंधित निर्माण श्रमिकों की संचित संख्या 1772.01 हजार पहुंच गई। वर्ष 2023-24 में लाभार्थियों की संख्या 109.63 हजार थी। उस वर्ष के लिए कुल स्वीकृत रकम 694.80 करोड़ रु. थी जो 2022-23 से 50 प्रतिशत अधिक धनराशि आबंटन दर्शाती है। वहीं, कुल प्रयुक्त रकम 622.70 करोड़ रु. थी और उपयोगिता दर 90 प्रतिशत थी।

4. वर्ष 2023-24 में 1403 बाल मजदूरों को बचाया गया। बचाए गए बच्चों के पुनर्वास की निगरानी और उसके सहयोग के लिए बाल मजदूर ट्रेकिंग प्रणाली सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने 25,000 रु. प्रति बच्चा की दर से बचाए गए 2658 बच्चों के बीच 6.64 करोड़ रु. वितरित किए हैं।

5. वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 4,29,015 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। वहीं, 2023-24 में कई चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद 2,23,153 प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा सरकार के पास प्रस्तुत की गई।

6. वर्ष 2023-24 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) द्वारा कुल 3,913 पदों के लिए रिक्तियों के विज्ञापन दिए गए और 2,961 प्रत्याशियों के लिए नियुक्ति की अनुशंसा की गई।

7. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) ने 2023-24 में 973 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 30,434 प्रत्याशी प्रशिक्षित हुए। वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने पर हुआ कुल व्यय 10.91 करोड़ रु. था।

8. दीनदयाल उपाध्याय -ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाइ) का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करके आजीविका उपलब्ध कराना है। बिहार में इस योजना का क्रियान्वयन 'जीविका' के जरिए होता है। सितंबर 2024 तक इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 83,806 युवा लाभान्वित हुए। सभी प्रशिक्षित प्रत्याशियों में से 54 प्रतिशत को रोजगार मिल गया। वर्ष 2023-24 में कौशल कार्यक्रमों के संचालन पर हुआ कुल व्यय 28.04 करोड़ रु. था।

9. वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच 1,703.9 हजार लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और उनमें से 1683.1 हजार लोगों को पासपोर्ट मिल गया। भारत सरकार की पहल 'पासपोर्ट आपके द्वार' के तहत, बिहार में दो पासपोर्ट सेवा केंद्र और 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इस परियोजना का लक्ष्य बिहार के निवासियों के लिए पासपोर्ट सेवा को अधिक सुगम बनाना है।

## अध्याय-6 : भौतिक अधिसंरचना

1. वर्ष 2011-24 की अवधि में बिहार ने देश के बड़े राज्यों के बीच परिवहन एवं संचार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 10.1 प्रतिशत और कनार्टक के 7.7 प्रतिशत के बाद सर्वाधिक 7.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की। इस क्षेत्र में दर्ज तेज विकास के कारण इस क्षेत्र का योगदान क्रमशः बढ़ता गया है और 2011-12 के 17,545 करोड़ रु. से 2023-24 में 47,313 करोड़ रु. हो गया है। इस अवधि में पूरे सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में इस क्षेत्र का योगदान 3.0 प्रतिशत अंक बढ़कर 7.3 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत पहुंच गया है।

2. बिहार जनसंख्या के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका 2011 में देश की जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, क्षेत्रफल के मामले में बिहार देश का 12वां बड़ा राज्य है और देश के क्षेत्रफल में इसका 2.86 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2019 में देश के सभी राज्यों के सड़क नेटवर्क के लिहाज से बिहार का देश में आठवां स्थान है। गत दो दशकों (2005-25) में पथ अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव पर व्यय लगातार बढ़ता गया है। पूरे राज्य में सड़कों का लंबाई और चौड़ाई में फैलाव बढ़ाने के लिए गत दो दशकों में सड़कों और पुलों पर 1.13 लाख करोड़ रु. का भारी-भरकम बजट खर्च किया गया है।

3. सड़क नेटवर्क का काफी अधिक चौड़ीकरण हुआ है। अभी 90 प्रतिशत या अधिक राष्ट्रीय उच्चपथ और 85 प्रतिशत से अधिक राज्य उच्चपथ दो या अधिक लेन वाले हैं। हालांकि 48 प्रतिशत मुख्य जिला पथ मध्यवर्ती लेन और 32 प्रतिशत एक लेन वाले हैं। चार द्रुतमार्गों (वाराणसी-रांची-कोलकाता द्रुतमार्ग, गोरखपुर-सिलीगुड़ी द्रुतमार्ग, पटना-पूर्णिया द्रुतमार्ग और रक्सौल-हाल्दिया द्रुतमार्ग) का निर्माण शुरू होने से राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। वहीं, भविष्य में कुछ अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चपथों का निर्माण राज्य में यातायात का चेहरा बदल देंगे।

4. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल देने और यातायात का अबाध आवागमन सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण पथों के निर्माण और रखरखाव में रणनीतिक रूप से निवेश किया है। वर्ष 2005-25 की अवधि में ग्रामीण गांव-टोलों तक पथ संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं और पक्की सड़कों की लंबाई 835 किमी से बढ़कर 1.17 लाख किमी हो गई है।

5. पथ परिवहन क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवथा के एक विकास वाहक के रूप में उभरा है और इसका योगदान गत दो दशकों में 8400 करोड़ रु. से बढ़कर 25,100 करोड़ रु. हो गया है। देश के बड़े राज्यों के बीच बिहार का परिवहन संबंधी मोटर वाहनों के निबंधन के लिहाज से पांचवां स्थान और परिवहनेतर मोटर वाहनों के निबंधन के लिहाज से सातवां स्थान है। परिवहन विभाग ने दो नई योजनाओं - मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024 और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, 2024 - की शुरुआत की है।

6. वर्ष 2014 से भारतीय रेलवे ने बिहार में 624 किमी नई लाइनों का निर्माण किया है, 739 किमी में एकाधिक लाइनें बिछाई हैं, 519 किमी में गेज बदला है, 1927 किमी में विद्युतीकरण किया है, तथा 63 सड़क उपरिपुलों और 214 सड़क अधोपुलों का निर्माण किया है। इसी अवधि में यात्रियों की सुविधा के लिए 115 नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। वहीं, 300 जोड़ी से अधिक रेलगाड़ियों का विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। इसी प्रकार, पटना हवाईअड्डा ने गत दशक में (2014-15 से 2023-24 तक) लगभग 3 करोड़ यात्रियों को सेवा दी है, लगभग 83 हजार टन सामान की ढुलाई की है और हर साल औसतन 24,026 वायुयानों को आवगमन हुआ है।

7. भवन निर्माण विभाग का योजना व्यय 2008-09 से 2024-25 (बजट अनुमान) तक की अवधि में 332-गुना बढ़ा जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में महज चारगुनी वृद्धि हुई। योजना व्यय 2011-12 में ही प्रतिबद्ध व्यय से अधिक हो गया था। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में योजना व्यय के तहत 4008 करोड़ रु. और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत 1005 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है।

**अध्याय-7 : ई-शासन**

1. राज्य सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगकी (आइसीटी) संबंधी अवसंरचना को लगातार मजबूत करती रही है। हर परिवार में औसतन दो व्यक्तियों को इंटरनेट उपलब्ध है और अब लभगग सभी पंचायतों को डिजिटल पहुंच उपलब्ध हो गई है। युवाओं को कौशल प्रदान करने और शोध एवं विकास के मकसद से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम मेधा (एआइ) मार्कअप लैंग्वेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

2. इन प्रौद्योगिकीय प्रगतियों का उपयोग राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बहाल रखने में किया जा रहा है। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) के जरिए 3 करोड़ से भी अधिक स्टेशन डायरियां दर्ज की गई हैं। चेहरे की पहचान, गिरोह के विश्लेषण और ऐसी अन्य चीजों के आधार पर तैयार अपराध संबंधी डेटाबेस का उपयोग अपराधियों की पहचान, आपराधिक इतिहास, तेजी से गिरफ्तारी, अपराध से प्रभावी बचाव, पहचान तथा नियंत्रण के लिए किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में प्रणाली में 10 लाख से भी अधिक अपराधियों के डेटा अपलोड किए गए हैं।

3. आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) पर डायल 112 के जरिए प्रतिदिन 68,000 कॉल सुने जाते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर त्वरित अनुक्रिया उपलब्ध होती है। वहीं, महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऍप का आरंभ सितंबर 2024 में ईआरएसएस 2.0 के तहत किया गया। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल 70,057 शिकायतें दर्ज हुईं। इन धोखाधड़ियों की पुष्टि के बाद 3668 प्राथमिकियां दर्ज की गईं। विभिन्न जिलों में साइबर सेल और साइबर पुलिस थानों को साइबर अपराध के बारे में 15.72 लाख कॉल प्राप्त हुए। कुल 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।

4. यातायात नियमों को लागू करके सितंबर 2024 तक यातायात के नियमों को तोड़ने वाले 19 लाख लोगों को ई-चालान जारी करके 120 करोड़ रु. वसूले गए। समेकित खनन सूचना प्रबंधन प्रणाली के जरिए सितंबर 2024 तक 43.19 लाख ई-चालान निकाले गए हैं, 9.13 करोड़ मीट्रिक टन बालू और 1.08 करोड़ मी.टन पत्थर डिस्पैच किए गए हैं, 82,112 जीपीएस-युक्त खनिज-वाही वाहनों को निर्बंधित किया गया है, 410 धर्मकांटा समेकित किए गए हैं और 247 घाटों की जियो-फेंसिंग की गई है।

5. भूमि बंदोबस्ती एवं प्रलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वचालित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भी बढ़ाने और भूमि अधिग्रहण, चकबंदी आदि जिन अछूते क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से स्थिति बदल सकती है उनमें तथा 2024 में जारी बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी ढेर सारी पहलें की गई हैं।

6. राजकोषीय शासन के क्षेत्र में सीएफएमएस-2.0, वैटमिस, जीएसटी सिंगल साइन-ऑन, गैन पोर्टल, ई-स्टांपिंग, ई-निबंधन, ई-संपत्ति कर प्रणाली आदि स्थिति बदलने वाले साबित हुए हैं। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए ई-हरित पहलों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचारों का सक्रियतापूर्वक क्रियान्वयन किया है।

7. विद्यालयों के लिए सक्षम शासन और प्रभावी सेवा प्रदान सुनिश्चित करने के लिए ई-शब्दकोष में शाला सिद्धि, बेस्ट, यूडाइस+, ऑनलाइन मेधा सॉफ्ट आदि अनेक स्वतंत्र प्रणालियां समेकित हैं। यह राज्य में सभी विद्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी प्रदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मुख्य मापदंडों के अनुश्रवण के लिए एकल केंद्रीकृत सक्रिय प्लेटफॉर्म का काम करता है।

8. बिहार सर्वजन स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना (भव्या) सर्वसुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है जो बिहार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के रोज के काम में सहयोग करती है और रोगियों के निबंधन से लेकर उनको केंद्र से छोड़ने तक के ओपीडी और आइपीडी के सारे कार्यों को सुव्यवस्थित करती है। वहीं, पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन होने की सक्रिय पहचान करने तथा पोषण सेवा प्रदान की अंत तक ट्रैकिंग करने के लिए किया जा रहा है।

**अध्याय-8 : विद्युत क्षेत्र**

1. विगत दशक में बिहार में बिजली की मांग काफी बढ़ी है। बिजली की मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग शत-प्रतिशत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है जिससे ऊर्जा की कमी लगातार घट रही है। वर्ष 2022-23 में वस्तुतः 434.4 करोड़ यूनिट ऊर्जा अधिशेष दर्ज हुआ था। वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच चरम मांग लगभग 1.4-गुना बढ़ी है जबकि इस अवधि में बिजली की आपूर्ति भी 1.5-गुनी बढ़ी है।

2. राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की काफी मांग हो रही है और बिजली की कुल खपत में इसका 41 प्रतिशत हिस्सा अनुमानित है। वहीं, ऊर्जा की कुल खपत में कृषि कनेक्शनों का 13 प्रतिशत हिस्सा अनुमानित है जबकि शेष 46 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक, व्यावसायिक आदि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

3. राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2012 के 134 किलोवाट आवर से लगभग तिगुनी होकर 2024 में 363 किलोवाट आवर हो गई है। गत 12 वर्षों में इसमें 229 किलोवाट आवर की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय रूप से बिहार में काफी प्रगति हुई है और सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक (एटी एंड सी) ह्रास 2012-13 के 45.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 21.7 प्रतिशत रह गया है।

4. राज्य द्वारा ऊर्जा की सतत आपूर्ति की प्रतिबद्धता विद्युत संचरण नेटवर्क में सतत अवसंरचनात्मक विकास से स्पष्ट है। ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या 2005 के 45 से बढ़कर 2024 में 179 हो गई है जबकि संचरण लाइनों की लंबाई 2005 के 5000 सर्किट किमी से बढ़कर 2024 में 20,393 सर्किट किमी पहुंच गई है। इन विकासों के जरिए लोगों और उद्योगों द्वारा बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ बिजली उपलब्ध करने के लिए मजबूत बुनियाद रखी गई है।

5. बिहार में केंद्रीय संचरण जनित ह्रास को छोड़कर बिजली का उत्पादन और खरीद 2020-21 के 3207.1 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 4729.5 करोड़ यूनिट हो गई जिसका अर्थ तीन वर्षों में 1522.4 करोड़ यूनिट की वृद्धि है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति भी बढ़ी है। वर्ष 2020-21 में इससे व्यय के 88.1 प्रतिशत की पूर्ति होती थी जो 2023-24 में बढ़कर 95.1 प्रतिशत हो गई।

6. विद्युत उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप राज्य का ध्यान भी नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर है। इस बीच अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, खास कर नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए संचरण अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में लगभग 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की योजना है।

**अध्याय-9 : ग्रामीण विकास**

1. 'जीविका' बिहार में सीमांत समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में संलग्न है। सितंबर 2024 तक 1,063.5 हजार स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित हुए है। वहीं, बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऋण-संपर्क सहित) 2,198.4 हजार ऋण-संपर्कों के जरिए कुल 46.9 हजार करोड़ रु. का संचित ऋण दिया गया है।

2. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 'जीविका' ने महिला-प्रधान उद्यमों को व्यक्तिगत वित्तपोषण को बढ़ावा देने लिए 2023-24 में एक पायलट परियोजना शुरू की थी। यह हस्तक्षेप स्वयं सहायता समूहों को अपने व्यवसायों के लिए आवश्यक धनराशि पाने में सक्षम बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस पायलट परियोजना को पटना, वैशाली और नालंदा जिलों में शुरू किया गया था जिसका विस्तार 14 जिलों के 70 प्रखंडों में हो गया है। सितंबर 2024 तक बैंकों ने 4,846 उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं।

3. सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2,01,218 परिवारों की पहचान करके उन्हें आमदनी वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल का लक्ष्य चिन्हित परिवारों में आत्मविश्वास पैदा करना तथा उद्यम कौशल विकसित करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हर लक्षित परिवार को आजीविका निवेश कोष के तहत अधिकतम 2 लाख रु. आबंटित किए जाते हैं।

4. हालांकि मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्डों की संख्या में कमी आई है जो 2019-20 के 171.6 लाख से घटकर 2023-24 में 136.0 लाख रह गई है, लेकिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2019-20 के 33.7 लाख से बढ़कर 2023-24 में 48.2 लाख हो गई है। साथ ही, मिले रोजगार के दिनों की संख्या भी बढ़ी है और 2019-20 के 1416.2 लाख व्यक्ति-दिवस से 55.7 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 2205.3 लाख व्यक्ति-दिवस पहुंच गई है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) और गृहस्थल वितरण योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग के 18,297 और पिछड़ा वर्ग के 10,058 गृहविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से अति पिछड़ा वर्ग के 14,617 और पिछड़ा वर्ग के 7,789 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 204.56 लाख रु. का आबंटन किया गया। वहीं, अनुसूचित जाति के 15,075 और 69,658 महादलित गृहविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से 11,436 अजा और 59,003 महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई।

6. जन वितरण प्रणाली की दूकानों की संख्या 2021 के 48,512 से बढ़कर 2024 में 49,400 हो गई। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाली जन वितरण प्रणाली की दूकानों का हिस्सा 2022 और 2024 के बीच बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 1,086.7 हजार टन गेहूं और 3924.9 हजार टन चावल का आबंटन हुआ जिसमें से 1079.9 हजार टन गेहूं और 3911.5 हजार टन चावल का उठाव हुआ।

7. पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 2023-24 में राज्य योजना शीर्ष से स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) को 1000.00 करोड़ रु. दिए गए। वहीं, 2024-25 में उसके लिए राज्य योजना शीर्ष से 636.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। सितंबर 2024 तक 1474 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 1463 भवन संबंधित पंचायतों को सौंप दिए गए हैं।

8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत प्रस्तावित कार्यों की संख्या 2020-21 के 579 से बढ़कर 2024-25 में (सितंबर 2024 तक) 2,633 पहुंच गई। वर्ष 2024-25 में गंभीर अंतराल कोष (सीजीएफ) के जरिए 52.3 करोड़ रु. का पूरक वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया है। सितंबर 2024 तक 827 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं जो मिशन में हुई काफी प्रगति को सूचित करती हैं।

**अध्याय-10 : नगर विकास**

1. नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट आबंटन 2019-20 से 2023-24 के बीच 227 प्रतिशत बढ़कर 3587.6 करोड़ रु. से 11,742.6 करोड़ रु. पहुंच गया। गत पांच वर्षों में आबंटित बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत भी काफी बढ़ा है और 2019-20 के 34.3 प्रतिशत से 2023-24 में 77.4 प्रतिशत हो गया है।

2. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक 18.47 लाख परिवारों को अपने परिसर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। वहीं, नगर स्थानीय निकायों और ब्यूडको ने योजना का क्रियान्वयन 3398 में से 3158 वार्डों में किया है और 14.58 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति का कनेक्शन उपलब्ध कराया है।

3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2023-24 के लिए कुल व्यय 473.77 करोड़ रु. था। खास कर मलजलवाही नेटवर्क पर व्यय 279.95 करोड़ रु. और मलजल उपचार संयंत्रों सहित नालियों के अवरोध तथा मार्ग परिवर्तन पर व्यय 190.74 करोड़ रु. था।

4. वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने वर्षाजल निकासी योजना की 2,646.37 करोड़ रु. के कुल व्यय वाली 25 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिसमें से 1,218.11 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

5. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-नुल्म) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 5154 थी जिसमें 2023-24 में 48,296 नए सदस्य जुड़े। वहीं, इस अवधि में 181 क्षेत्र-स्तरीय संघ (एएलएफ) और चार नगर-स्तरीय संघ स्थापित हुए। साथ ही, 3,653 स्वयं सहायता समूहों को चक्रानुसारी कोष (आरएफ) मिला है।

6. पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3,402.09 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें से 872.50 करोड़ रु. केंद्र सरकार ने और 2,529.59 करोड़ रु. राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। वहीं, परियोजना के लिए 2024-25 में 380.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

7. नगर निकायों के लिए राजस्व के दो प्रमुख स्रोत स्वार्जित आय और बाहरी स्रोतों से आय हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 14,031.7 लाख रु. के स्वार्जित आय में होल्डिंग कर का 70.9 प्रतिशत योगदान था। वहीं, राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण बाहरी स्रोत राजस्व अनुदान थे जिनका 2023-24 में बाहरी स्रोतों से कुल आय में 76.8 प्रतिशत योगदान था।

## अध्याय-11 : वित्तीय संस्थाएं

1. विभिन्न वित्तीय गतिविधियों को आधार प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे कम खर्च पर आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देती हैं, और आर्थिक विकास में तेजी लाती हैं। रकम उधार देने के अलावा ये संस्थाएं ऐसी सेवाएं भी प्रदान करती हैं जिनसे सुनक्षित और विनियमित वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित होती है।

2. वित्तीय संस्थाएं भौतिक उपस्थिति वाले पारंपरिक स्थानों से डिजिटल अवसंरचना की ओर बढ़ रही हैं जिससे उनके लिए खर्च घटाने के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों के ग्राहकों सहित अधिक ग्राहकों तक पहुंचने की गुंजाइश बनती है। भारत के तेज विकास का मुख्य उदाहरण एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआइ) और इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग का व्यापक उपयोग है।

3. पूरी सेवाएं देने वाले पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं की तुलना में ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने से राज्य में बैंकिंग परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। बिहार में 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या 20,994 से 174.3 प्रतिशत बढ़कर 57,589 हो गई। इसके विपरीत, पूरी सेवाएं देने वाली बैंक शाखाओं की संख्या महज 6.0 प्रतिशत बढ़ी और 7589 से 8045 पहुंची। यह बदलाव राज्य में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के मुख्य माध्यम के बतौर ग्राहक सेवा केंद्रों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

4. 31 मार्च 2024 को राज्य में बैंकों की 8045 शाखाएं थीं। गौरतलब है कि इनमें से 46.9 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.7 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 21.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। राज्य में सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है जिनकी 3979 शाखाएं हैं। इसके बाद 2105 शाखाओं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और 1329 शाखाओं वाले निजी क्षेत्र के बैंकों का स्थान है। वहीं, सहकारी बैंकों की 290 और लघुवित्त बैंकों (एसएफबी) की 342 शाखाएं हैं।

5. सितंबर 2024 में बिहार के बैंकों द्वारा कुल संग्रहित जमा 5.27 लाख करोड़ रु. था जबकि इन संस्थानों द्वारा दिए गए अग्रिमों के 2.97 लाख करोड़ रु. पहुंचने से ऋण-जमा अनुपात 56.3 प्रतिशत था। साथ ही, राज्य में ऋण के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात विगत पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है और 2019-20 के 27.5 प्रतिशत से 2023-24 में 39.9 प्रतिशत हो गया है।

6. वित्तवर्ष 2023-24 के लिए बिहार में वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का तय लक्ष्य 2.6 लाख करोड़ रु. था और उपलब्धि 96.3 प्रतिशत थी। वहीं, 31 मार्च 2024 को राज्य में दो सबसे बड़े बैंक समूहों - व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 23.8 प्रतिशत थीं।

## अध्याय-12 : मानव विकास

1. सामाजिक क्षेत्र में निवेश के कारण अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ पहुंचता है। विगत 18 वर्षों में राज्य में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान 2005-06 से 2023-24 के बीच 13-गुना बढ़ा है। इसी तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय 13-गुना और शिक्षा पर व्यय 10-गुना बढ़ा है। साथ ही, 2005-06 से 2023-24 के बीच कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में 4.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है।

2. जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और रोगों की जानकारी में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष सूचक है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफी बदलाव हुआ है जो एक दशक में 3.7 वर्ष बढ़कर 2006-10 के 65.8 वर्ष से 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गया। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006-10 की अपेक्षा 2016-20 में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 4.0 वर्ष बढ़ी है।

3. बिहार में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली का प्रदर्शन सरकारी अस्पतालों में हर महीने पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या में व्यक्त होता है। वर्ष 2023 में हर महीने पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या 10,914 थी जो 2020 के 5684 से 92.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वहीं, उल्लेखनीय है कि अप्रील से सितंबर 2024 के बीच हर महीने पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या उससे भी अधिक - 11,705 - थी।

4. संस्थागत प्रसवों में वृद्धि का अर्थ मां और नवजात की मृत्यु में कमी है। बिहार में 2018-19 से 2023-24 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 3.12 प्रतिशत बढ़कर 16.02 लाख से 16.52 लाख हो गई। हर किसी को समान रूप से लक्षित करने वाले सुनिष्पादित प्रतिरक्षण कार्यक्रम से टीका से बचाव होने वाले रोगों की व्यापकता घटाने में मदद मिलती है। बिहार में 12 से 23 महीने उम्र के पूर्णत: प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात 1998-99 (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2) के 11.6 प्रतिशत से 59.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 2019-20 (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5) में 71.0 प्रतिशत हो गया।

5. शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का अनिवार्य घटक है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। बिहार में शिक्षा पर कुल व्यय 2018-19 के 23,618 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 43,224 करोड़ रु. हो गया। शिक्षा पर कुल व्यय की वार्षिक वृद्धि दर इस अवधि में 13.9 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही है। इन सभी वर्षों में कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा अन्य दो श्रेणियों से अधिक था।

6. बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना बिहार में शैक्षिक पहुंच और समता बढ़ाने के लिए तैयार की गई रूपांतरकारी पहल है। योजना के तहत लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है और दिव्यांग तथा उभयलिंगी विद्यार्थियों जैसे सीमांत समूहों को काफी कम ब्याज दरों पर ऋण के जरिए समर्थन दिया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात सुधारने में इसका प्रत्यक्ष योगदान है और यह राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुकूल है। योजना के तहत सितंबर 2024-25 तक छात्रों के लिए 527.42 करोड़ रु. और छात्राओं के लिए 236.0 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए गए थे।

7. महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य के साथ महिलाओं पर कुल व्यय 2018-19 से 2023-24 के बीच 90 प्रतिशत बढ़ा है। इसी अवधि में श्रेणी-1 के तहत व्यय 2.3-गुना और श्रेणी-2 के तहत व्यय 1.7-गुना बढ़ा है। इन पांच वर्षों में कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा औसतन 18.1 प्रतिशत के आसपास रहा है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय लगभग 5.6 प्रतिशत रहा है।

8. महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और बिहार में यात्रा के दौरान उनमें सुरक्षा की भावना भरने के लिए आरक्षी (गृह) विभाग द्वारा ''सुरक्षित सफर सुविधा' पहल का आरंभ किया गया। तेलंगाना और हरियाणा के बाद बिहार ही ऐसी योजना लागू करने वाला राज्य है। आरंभ से लेकर दिसंबर 2024 तक इस पहल के जरिए सभी प्राप्त 70 अनुरोधों के मामले में सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की गई है।

## अध्याय–13 : बाल विकास

1. बिहार में बच्चों की संख्या 4.98 करोड़ है जिसमें से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 0.50 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। लैंगिक विवरणों के अनुसार, 0 से 18 साल तक उम्र वाले इन बच्चों में 2.35 करोड़ लड़कियां हैं और 2.62 करोड़ लड़के। बच्चों की आबादी का विभिन्न आयु समूहों में वितरण इस प्रकार है - 0 से 6 वर्ष के 38.4 प्रतिशत, 7 से 14 वर्ष के 45.4 प्रतिशत और 15 से 18 वर्ष के 16.2 प्रतिशत।

2. बिहार में बच्चों के लिए बजट आबंटन पिछले छः वर्षों में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2016–17 से 2022–23 के बीच बच्चों पर व्यय 19.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2.8–गुना बढ़कर 2016–17 के 3275 रु. से 2022–23 में 9131 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का औसत हिस्सा साल–दर–साल कुछ अंतर के साथ 18 प्रतिशत के आसपास रहा है। इसी प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर व्यय का हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत रहा है।

3. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 5 की तुलना करने पर दिखता है कि बिहार में 5 साल तक के बच्चों का ठिगनापन 48.3 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत अंक घटकर 42.9 प्रतिशत गया। वहीं, कम वजन वाले बच्चों के मामले में आंकड़ा 43.9 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत अंक घटकर 41.0 प्रतिशत पर आ गया।

4. अब आंगनवाड़ी सेवा के नाम से जानी जाने वाली समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) आरंभिक बचपन के लिए समग्रता वाली योजना है। बिहार में राज्य की पहलों समेत इसका कुल बजट 2019–20 के 3800.18 करोड़ रु. से बढ़कर 2023–24 में 4611.53 करोड़ रु. हो गया जो 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, योजना के तहत पोषण के लिए कुल बजट आबंटन 1.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2019–20 के 1791.89 करोड़ रु. से बढ़कर 2023–24 में 2064.72 करोड़ रु. हो गया।

5. राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने और युवाओं, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की छात्र–छात्राओं के लिए खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खेल के मैदानों के विकास का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी दिखाने का मौका मिलेगा।

## अध्याय–14 : पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, और आपदा प्रबंधन

1. जलवायु संबंधी जोखिमों और उनके भावी परिणामों पर विचार करते हुए, राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के अनुकूलन और उनके न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और 2021 से हरित बजट लाया गया है। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य–योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने का काम अग्रिम चरण में है। पर्यावरण संबंधी टिकाऊ पहलों के साथ–साथ राज्य में हरित आच्छादन भी क्रमशः बढ़ रहा है।

2. वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान 10.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2011-12 के 4187 करोड़ रु. से 2023-24 में 13,549 करोड़ रु. पहुंच गया। जलवायु संबंधी मुद्दों पर व्यय 2020-21 के 3308 करोड़ रु. से चारगुने से भी अधिक बढ़कर 2024-25 के बजट अनुमान में 13,823 करोड़ रु. हो गया है।

3. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2011-2023 की अवधि में वनाच्छादन 687 वर्ग किमी बढ़ा है। वर्ष 2011 और 2023 के बीच खुले वन 527 किमी और उसके बाद अति सघन वन 156 किमी बढ़े। वनों में खुले वनों का आधा से अधिक हिस्सा है जबकि मध्यम सघन वनों का 44 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2023 में कार्बन स्टॉक 58,451 हजार टन होने का अनुमान है। वर्ष 2021 से 2023 के बीच कार्बन स्टॉक में 1570 हजार टन की वृद्धि हुई है।

4. जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत राज्य सरकार ने 2019-24 की अवधि में 1573 लाख पौधे लगाए जिससे हरित आच्छादन में वृद्धि, प्रदूषण में कमी, जन भागीदारी और किसानों की आमदनी में वृद्धि तथा पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन को बल मिला है।

5. राज्य सरकार राज्य में बाघ आरक्षों, पशु एवं पक्षी अभयारण्यों, तथा सामुदायिक आरक्षों की स्थापना सहित वन्यजीवों और जैव-विविधता का संरक्षण करती रही है। वर्ष 2023-24 में गज परियोजना सहित केंद्र प्रायोजित परियोजना समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास के तहत कुल 1428 करोड़ रु. व्यय किए हैं जिसमें राज्यांश 626 करोड़ रु. था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य योजना से 716 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

6. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के 23 जिलों में स्थापित 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों का उपयोग करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता का लगातार पर्यवेक्षण करता है। बोर्ड राज्य के शेष 15 जिलों में भी तत्क्षण (रियल-टाइम) अनुश्रवण केंद्रों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। बोर्ड 34 स्थानों पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता का पाक्षिक और 70 स्थानों पर तालाबों की गुणवत्ता का मासिक आधार पर नियमित अनुश्रवण करता है। बोर्ड ध्वनि प्रदूषण घटाने के लिए पटना के अनेक इलाकों में ध्वनि स्तरों का अनुश्रवण कर रहा है।

7. बिहार में भूतल और भूजल संसाधनों से प्रचुर जल उपलब्ध है जिसका बरसात के मौसम में, खास कर दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के दौरान नियमित संभरण होता है। राज्य में 2023 में भूतल जल अवसंरचना की स्थिति दर्शाती है कि यहां 968 नहरें, 4819 नलकूप, 464 तालाब (आहर, पइन, और चेक डैम सहित) तथा 26 जलाशय मौजूद हैं। वहीं, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में दो महीने में एक बार और आयरन प्रभावित वार्डों में चार महीने में एक बार पानी के नमूनों की जांच करना तथा जो वार्ड गुणवत्ता की किसी समस्या से प्रभावित नहीं हैं उनमें साल में कम से कम दो बार मूल्यांकन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

8. आपदाओं के मामले में व्यापक और प्रभावी योजना विकसित करने के लिए बचाव, न्यूनीकरण, तैयारी और अनुक्रिया के उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे जन-धन की हानि घटाने में मदद मिलती है। राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ और चक्रवात के प्रबंधन के लिए 2021-22 से 2023-24 तक में 4237.33 करोड़ रु. आबंटित किए। वहीं, 2024-25 में सितंबर 2024 तक आपदा प्रबंधन के लिए 112.8 करोड़ रु. आबंटित किए गए। आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए जीविका के कुल 30,132 कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया।

# अध्याय – 1

# बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन


**सारांश**

*बिहार में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। इस अवधि में राज्य सरकारी की पहलों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सूचकों में प्रगति के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि में योगदान किया है। सबसे हाल के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रु. अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5 प्रतिशत और स्थिर मूल्य पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 12.8 प्रतिशत बढ़कर 66,828 रु. और स्थिर मूल्य पर 7.6 प्रतिशत बढ़कर 36,333 रु. हो गया। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 58.6 प्रतिशत था, जिसके बाद 21.5 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र का और 19.9 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था। वर्ष 2023-24 में राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) 38,986 करोड़ रु. होने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित राज्य में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण राज्य में आगे के विकास के लिए उत्साहजनक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है।*


## 1.1 वृहदार्थिक अवलोकन

बिहार में गत दो दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है, जिसके कारण विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई है। आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित गणना-शृंखला के अनुरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सबसे हाल के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख करोड़ रु. से 3.5-गुनी बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रु. पहुंच गई (तालिका 1.1)। आर्थिक गतिविधियों में इस विस्तार के साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन वर्षों में राज्य सरकार की पहलों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सूचकों की समग्र उन्नति के साथ-साथ आबादी के प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि में भी योगदान किया है।

गत दो दशकों में हुई प्रगति प्रशंसनीय है, लेकिन राजकोषीय क्षमता के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए सीमित अवसरों के कारण सरकार के प्रयास सीमित हो जाते हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का बुद्धिमानी से प्रबंधन किया है, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि अपनी वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाले बिना उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों का नागरिकों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम उपयोग हुआ है। बिहार के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में वर्तमान वर्ष के लिए इन विकासों का प्रलेखन किया गया है और हाल के वर्षों के दौरान उभर रहे

रुझानों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सबसे हाल के आंकड़े भी दर्ज किए गए हैं।

वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 से 2023-24 तक के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के आंकड़े तालिका 1.1 में प्रस्तुत हैं। ये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए अनुमानों की नई शृंखला के हैं, जिनके लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है। वर्ष 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) और 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) हैं। अनुमान के आंकड़ों में एक से दो वर्ष की अवधि में संशोधन हो सकता है। वर्ष 2021-22 तक के लिए अंतिम (फाइनल) आंकड़े उपलब्ध हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में हाल के वर्षों के लिए वास्तविक आंकड़ों के साथ-साथ त्वरित और अनंतिम आंकड़ों का उपयोग भी रुझानों और आर्थिक गतिविधियों में हुए बदलावों के विश्लेषण के लिए किया गया है। बिहार के लिए वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2018-19 से 2023-24 (त्वरित अनुमान) तक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के विभिन्न घटकों के लिए अतिरिक्त आंकड़े इस अध्याय के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

**तालिका 1.1 : बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | | निवल राज्य घरेलू उत्पाद | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान मूल्य पर | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर | वर्तमान मूल्य पर | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर |
| 2011-12 | 247144 | 247144 | 228497 | 228497 |
| 2012-13 | 282368 | 256851 | 261327 | 236933 |
| 2013-14 | 317101 | 269650 | 292143 | 246915 |
| 2014-15 | 342951 | 279482 | 315732 | 255739 |
| 2015-16 | 371602 | 296488 | 340119 | 269200 |
| 2016-17 | 421051 | 318797 | 386879 | 289265 |
| 2017-18 | 468746 | 344028 | 431128 | 312605 |
| 2018-19 | 527976 | 381383 | 483604 | 345545 |
| 2019-20 | 581855 | 398329 | 532573 | 359241 |
| 2020-21 | 567814 | 368970 | 515397 | 328354 |
| 2021-22 | 647394 | 387256 | 587205 | 343583 |
| 2022-23 (अनंतिम अनुमान) | 746417 | 425384 | 673777 | 376823 |
| 2023-24 (त्वरित अनुमान) | 854429 | 464540 | 771435 | 411359 |
| औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) | 10.9 | 5.4 | 10.7 | 5.0 |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उपलब्ध सबसे हाल के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रु. अनुमानित है। वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.9 प्रतिशत रही है। वहीं, मुद्रास्फीति को समायोजित करने पर स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी प्रकार, इस अवधि में निवल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 10.7 प्रतिशत और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 5.0 प्रतिशत रही है। वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक के लिए राज्य के राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य, दोनो पर साल-दर-साल प्रतिशत वृद्धि और उपयुक्त रैखिक रुझान रेखा को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 में अंग्रेजी के वी के आकार में उबरने के साथ, राज्य की अर्थव्यवस्था ने आगे भी दो अंकों में वृद्धि दर के साथ विस्तार जारी रखा है।

**चार्ट 1.1 : बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि (2012-13 से 2023-24-त्वरित)**

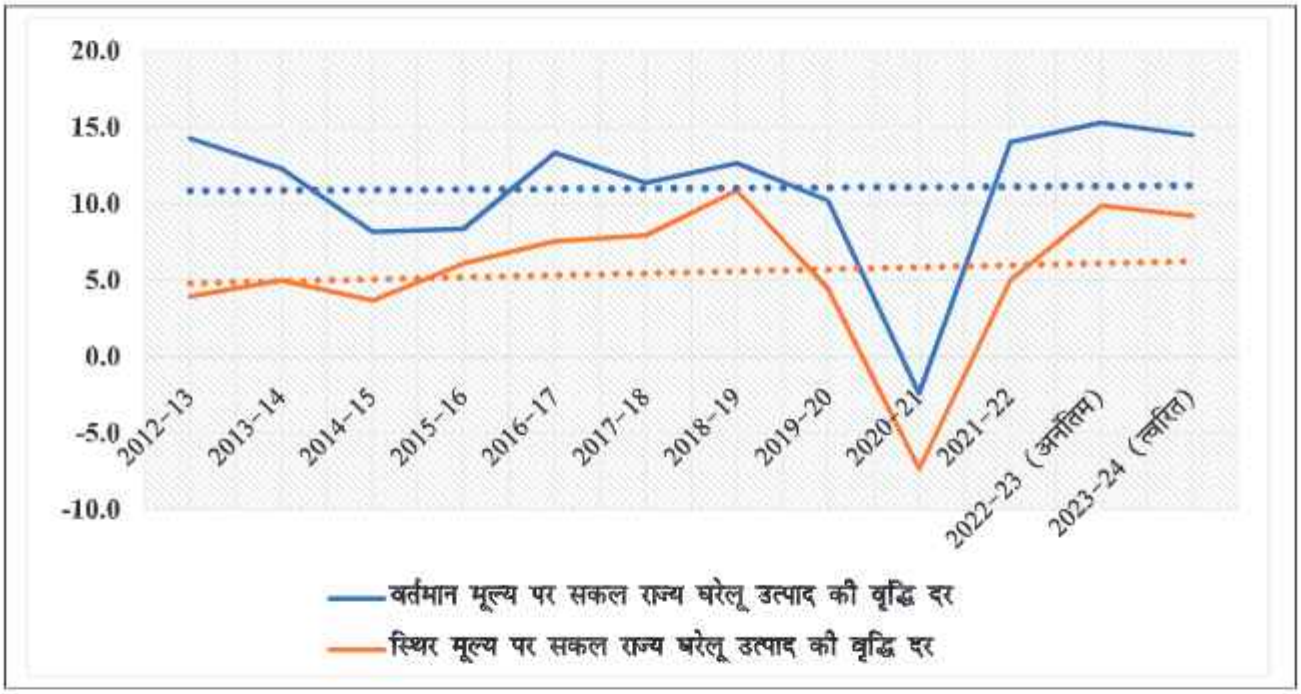


टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है।
स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में साल-दर-साल हुए प्रतिशत परिवर्तन तालिका 1.2 में प्रस्तुत हैं। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर 14.5 प्रतिशत और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। ऐसा दिखता है कि अनेक अवसरों पर वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, दोनो लिहाज से बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें संपूर्ण भारत के सकल घरेलू अनुपात से अधिक रही हैं। वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जो संपूर्ण भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 10.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से कुछ अधिक है। वर्ष 2022-23 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि संपूर्ण भारत के सकल घरेलू उत्पाद से 1.1 प्रतिशत अंक अधिक रहने का अनुमान है। वहीं, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्य घरेलू

उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद से 2.8 प्रतिशत अंक अधिक रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि भारत के सकल घरेलू उत्पाद से वर्तमान मूल्य पर 4.9 प्रतिशत अंक अधिक और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 1.0 प्रतिशत अंक अधिक होने का अनुमान है।

**तालिका 1.2 : भारत के सकल घरेलू उत्पाद और बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशत वृद्धि दरें (2012-13 से 2023-24)**

| वर्ष | सकल घरेलू उत्पाद/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में साल-दर-साल प्रतिशत परिवर्तन | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान मूल्य पर | | स्थिर (2011-12) मूल्य पर | |
| | भारत (सकल घरेलू उत्पाद) | बिहार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) | भारत (सकल घरेलू उत्पाद) | बिहार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) |
| 2012-13 | 13.8 | 14.3 | 5.5 | 3.9 |
| 2013-14 | 13.0 | 12.3 | 6.4 | 5.0 |
| 2014-15 | 11.0 | 8.2 | 7.4 | 3.6 |
| 2015-16 | 10.5 | 8.4 | 8.0 | 6.1 |
| 2016-17 | 11.8 | 13.3 | 8.3 | 7.5 |
| 2017-18 | 11.0 | 11.3 | 6.8 | 7.9 |
| 2018-19 | 10.6 | 12.6 | 6.5 | 10.9 |
| 2019-20 | 6.4 | 10.2 | 3.9 | 4.4 |
| 2020-21 | -1.2 | -2.4 | -5.8 | -7.4 |
| 2021-22 | 18.9 | 14.0 | 9.7 | 5.0 |
| 2022-23 (अनंतिम अनुमान) | 14.2 | 15.3 | 7.0 | 9.8 |
| 2023-24 (त्वरित अनुमान) | 9.6 | 14.5 | 8.2 | 9.2 |
| वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) | 10.7 | 10.9 | 5.9 | 5.4 |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है। वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2011-12 से 2023-24 तक की अवधि के लिए है।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

देश के चुनिंदा राज्यों के लिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2021-22 से 2023-24 तक के लिए सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वृद्धि दरों की तुलना तालिका 1.3 में प्रस्तुत है। बिहार में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक - तीनो क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेज गति से विस्तार हुआ है, जो राज्य को देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों के बीच स्थापित करता है। स्थिर मूल्य पर 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो राज्य को तेज दर पर विकसित राज्यों में शुमार करती है। वहीं, 2023-24 में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर बिहार में 10.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र में देश के सबसे तेज वृद्धि वाले राज्यों की वृद्धि दरों में शामिल है।

**तालिका 1.3 : स्थिर (2011–12) मूल्य पर प्रमुख राज्यों के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्र-वार प्रतिशत वृद्धि दरें (2021–22 से 2023–24)**

| राज्य | वर्ष | प्राथमिक | द्वितीयक | तृतीयक | सकल राज्यगत मूल्यवर्धन | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2021-22 | 10.6 | 6.8 | 10.8 | 9.6 | 9.6 |
| | 2022-23 अनंतिम | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 5.8 |
| | 2023-24 त्वरित | 2.0 | 8.3 | 5.2 | 5.0 | 7.4 |
| बिहार | 2021-22 | 4.2 | 9.9 | 7.4 | 7.2 | 5.0 |
| | 2022-23 अनंतिम | 6.6 | 10.6 | 11.9 | 10.5 | 9.8 |
| | 2023-24 त्वरित | 5.7 | 8.2 | 10.8 | 9.2 | 9.2 |
| गुजरात | 2021-22 | 5.0 | 10.2 | 6.7 | 8.0 | 10.0 |
| | 2022-23 अनंतिम | 4.9 | 3.7 | 7.6 | 5.3 | 7.4 |
| | 2023-24 त्वरित | — | — | — | — | — |
| हरियाणा | 2021-22 | -1.4 | 14.3 | 11.3 | 9.7 | 9.7 |
| | 2022-23 अनंतिम | 2.0 | 7.8 | 9.5 | 7.6 | 7.9 |
| | 2023-24Q | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 7.6 | 8.0 |
| झारखंड | 2021-22 | 7.9 | 24.8 | 7.6 | 13.5 | 12.0 |
| | 2022-23 अनंतिम | 5.4 | 3.5 | 12.2 | 7.5 | 7.8 |
| | 2023-24 त्वरित | 7.3 | 5.2 | 8.7 | 7.2 | 7.5 |
| कर्नाटक | 2021-22 | 5.8 | 11.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 |
| | 2022-23 अनंतिम | 3.3 | 3.6 | 9.9 | 7.6 | 8.1 |
| | 2023-24 त्वरित | -0.9 | 7.4 | 8.7 | 7.2 | 6.6 |
| केरल | 2021-22 | 4.5 | 8.5 | 15.9 | 12.6 | 11.8 |
| | 2022-23 अनंतिम | 0.9 | 3.2 | 7.0 | 5.3 | 4.2 |
| | 2023-24 त्वरित | 4.7 | 4.1 | 8.9 | 7.2 | 6.5 |
| मध्य प्रदेश | 2021-22 | 5.3 | 12.2 | 10.1 | 8.8 | 8.0 |
| | 2022-23 अनंतिम | 5.1 | 6.3 | 11.7 | 7.9 | 6.6 |
| | 2023-24 त्वरित | 3.4 | 7.4 | 6.9 | 5.8 | 6.0 |
| महाराष्ट्र | 2021-22 | 3.6 | 11.7 | 12.3 | 10.7 | 10.6 |
| | 2022-23 अनंतिम | 4.7 | 5.5 | 13.0 | 9.7 | 9.4 |
| | 2023-24 त्वरित | 3.7 | 7.4 | 8.8 | 7.6 | 7.6 |
| ओडिशा | 2021-22 | 10.1 | 25.6 | 8.4 | 15.2 | 16.4 |
| | 2022-23 अनंतिम | 13.5 | 1.8 | 7.8 | 6.8 | 6.1 |
| | 2023-24 त्वरित | 5.5 | 8.2 | 11.6 | 8.6 | 8.4 |
| पंजाब | 2021-22 | 1.2 | 11.4 | 7.1 | 6.7 | 7.4 |
| | 2022-23 अनंतिम | 2.4 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.3 |
| | 2023-24 त्वरित | 2.3 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 6.6 |
| राजस्थान | 2021-22 | 1.6 | 11.8 | 14.5 | 9.5 | 9.0 |
| | 2022-23 अनंतिम | 4.3 | 6.9 | 9.8 | 7.3 | 7.8 |
| | 2023-24 त्वरित | 2.5 | 13.3 | 6.4 | 6.9 | 8.0 |
| तमिलनाडु | 2021-22 | 6.8 | 9.5 | 6.4 | 7.6 | 7.9 |
| | 2022-23 अनंतिम | 3.0 | 9.1 | 8.3 | 8.0 | 8.1 |
| | 2023-24 त्वरित | 3.9 | 7.3 | 9.3 | 7.9 | 8.2 |
| तेलंगाना | 2021-22 | 4.5 | 6.7 | 14.7 | 11.0 | 11.2 |
| | 2022-23 अनंतिम | 12.5 | -1.4 | 10.8 | 8.5 | 8.4 |
| | 2023-24 त्वरित | 0.9 | 12.3 | 11.3 | 9.5 | 9.2 |
| उत्तर प्रदेश | 2021-22 | 14.1 | 15.4 | 8.0 | 11.5 | 11.4 |
| | 2022-23 अनंतिम | 7.2 | 3.8 | 13.6 | 9.2 | 9.0 |
| | 2023-24 त्वरित | 7.3 | 13.0 | 4.9 | 7.6 | 7.5 |
| पश्चिम बंगाल | 2021-22 | 3.0 | 15.8 | 11.8 | 11.0 | 11.8 |
| | 2022-23 अनंतिम | 3.1 | 6.3 | 9.6 | 7.3 | 6.7 |
| | 2023-24 त्वरित | 2.1 | 7.1 | 10.5 | 7.9 | 7.7 |

टिप्पणी : 2022–23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023–24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2011–12 का उपयोग किया गया है।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

## 1.2 बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना

किसी राज्य में किसी खास अवधि में आर्थिक गतिविधियों के आकार का अनुमान उन आर्थिक गतिविधियों से हुए सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) को मापकर किया जा सकता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन राज्य की अर्थव्यवस्था में हुए समग्र मूल्यवर्धन को दर्शाता है, जिसकी गणना किसी उत्पाद के कुल मूल्य में से उसके उत्पादन पर हुए मध्यवर्ती लागतों को घटाकर की जाती है। तालिका 1.4 में बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2019-20 से 2023-24 तक के लिए सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना प्रस्तुत है। वर्ष 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं, जबकि 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं।

बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2019-20 और 2023-24 के लिए सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है। इस दौरान, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा घटने का अनुमान है, जो 2019-20 के 61 प्रतिशत से कम होकर 2023-24 में 59 प्रतिशत रह गया। इस कमी के बावजूद, राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जरिए मूल्यवर्धन में यह सबसे महत्वपूर्ण योगदाता बना हुआ है। इसके विपरीत, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा इस अवधि में 19 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वहीं, राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2019-20 से 2023-24 के बीच 20 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है।

**चार्ट 1.2 : स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना (2019-20 और 2023-24)**

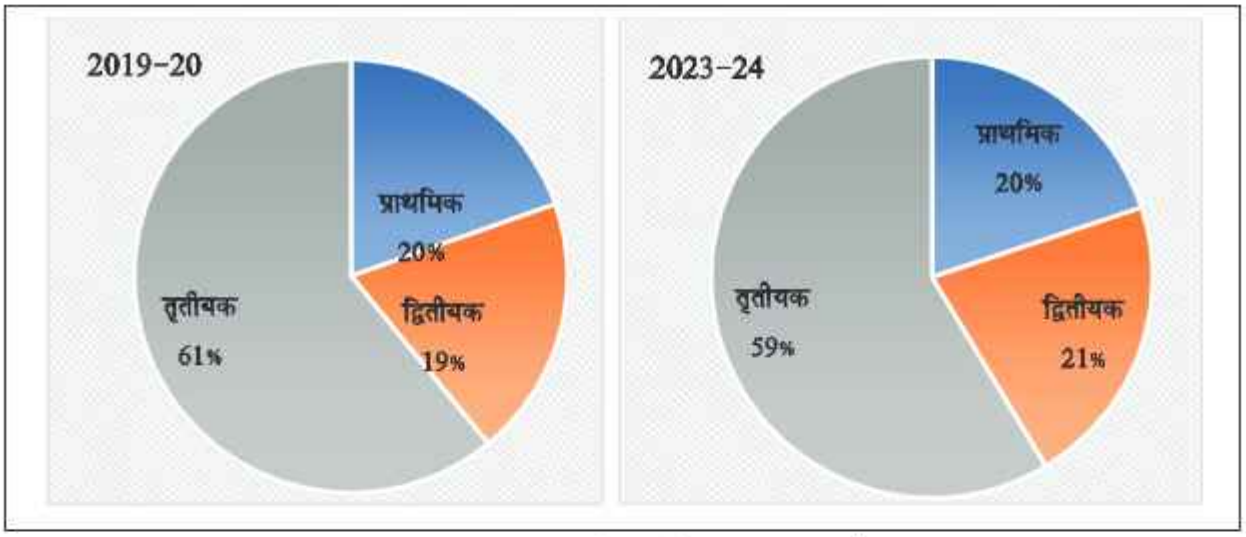


टिप्पणी : 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।
स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तृतीयक क्षेत्र में, व्यापार और मरम्मत सेवाओं द्वारा 2023-24 में राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 14.8 प्रतिशत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होने का अनुमान है। इसके बाद 10.2 प्रतिशत योगदान के साथ परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाओं का, और 9.5 प्रतिशत योगदान के साथ स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाओं का स्थान है। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पथ परिवहन का 2023-24 में 5.4 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है। साथ ही, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वित्तीय सेवाओं का योगदान 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, विनिर्माण का 2023-24 के लिए राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 7.6 प्रतिशत हिस्सा होना अनुमानित है। वहीं, विनिर्माण से संबंधित निर्माण सेवाओं का राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 11.3

प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विद्युत, गैस, जलापूर्ति, एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में आर्थिक गतिविधियों का 2.7 प्रतिशत हिस्सा होना अनुमानित है। वहीं, प्राथमिक क्षेत्र में फसल और पशुधन क्षेत्र राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में दो बड़े योगदाता है, जिनका 2023-24 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत योगदान होना अनुमानित है।

**तालिका 1.4 : बिहार में स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

| क्र. सं. | क्षेत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 18.8 | 21.8 | 21.1 | 20.2 | 19.5 |
| 1.1 | फसल | 9.7 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 9.9 |
| 1.2 | पशुधन | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 |
| 1.3 | वानिकी एवं सिल्ली निर्माण | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 1.4 | मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| 2. | खनन एवं उत्खनन | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| **प्राथमिक** | | **19.6** | **21.9** | **21.3** | **20.5** | **19.9** |
| 3. | विनिर्माण | 8.1 | 9.9 | 9.6 | 8.2 | 7.6 |
| 4. | विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.7 |
| 5. | निर्माण | 9.2 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 11.3 |
| **द्वितीयक** | | **19.4** | **21.1** | **21.7** | **21.7** | **21.5** |
| 6. | व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह | 18.0 | 16.2 | 14.6 | 15.3 | 15.9 |
| 6.1 | व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं | 17.0 | 15.7 | 14.1 | 14.3 | 14.8 |
| 6.2 | होटल एवं जलपानगृह | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| 7. | परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 10.2 | 9.0 | 10.8 | 10.1 | 10.2 |
| 7.1 | रेलवे | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 7.2 | पथ परिवहन | 5.7 | 4.6 | 6.0 | 5.3 | 5.4 |
| 7.3 | जल परिवहन | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.4 | वायु परिवहन | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.5 | परिवहन के समकक्ष सेवाएं | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 7.6 | भंडारण | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 7.7 | संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| 8. | वित्तीय सेवाएं | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
| 9. | स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 9.5 |
| 10. | लोक प्रशासन | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
| 11. | अन्य सेवाएं | 13.6 | 11.6 | 11.5 | 12.6 | 12.9 |
| **तृतीयक** | | **60.9** | **57.0** | **57.0** | **57.8** | **58.6** |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## 1.3 प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद

बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दोनो के वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य, पर आंकड़े तालिका 1.5 में प्रस्तुत हैं। वहीं, चार्ट 1.3 में इन्हीं मूल्य स्तरों पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर्शाया गया है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के 23,525 रु. से बढ़कर 2023-24 में 66,828 रु. हो गया। वहीं, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के 23,525 रु. से बढ़कर 2023-24 में 36,333 रु. हो गया। वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से वर्तमान मूल्य पर 12.8 प्रतिशत और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 7.6 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, 2023-24 में भारत के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 1,84,205 रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 1,06,744 रु. अनुमानित है।

वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। इसके विपरीत, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही। कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 में आए आर्थिक संकुचन के बाद से वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें लगातार दो अंकों में रही हैं। यह 2021-22 में 12.4 प्रतिशत, 2022-23 में 13.6 प्रतिशत और 2023-24 में 12.8 प्रतिशत रही। वहीं, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में 8.2 प्रतिशत और 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

**चार्ट 1.3 : बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24)**

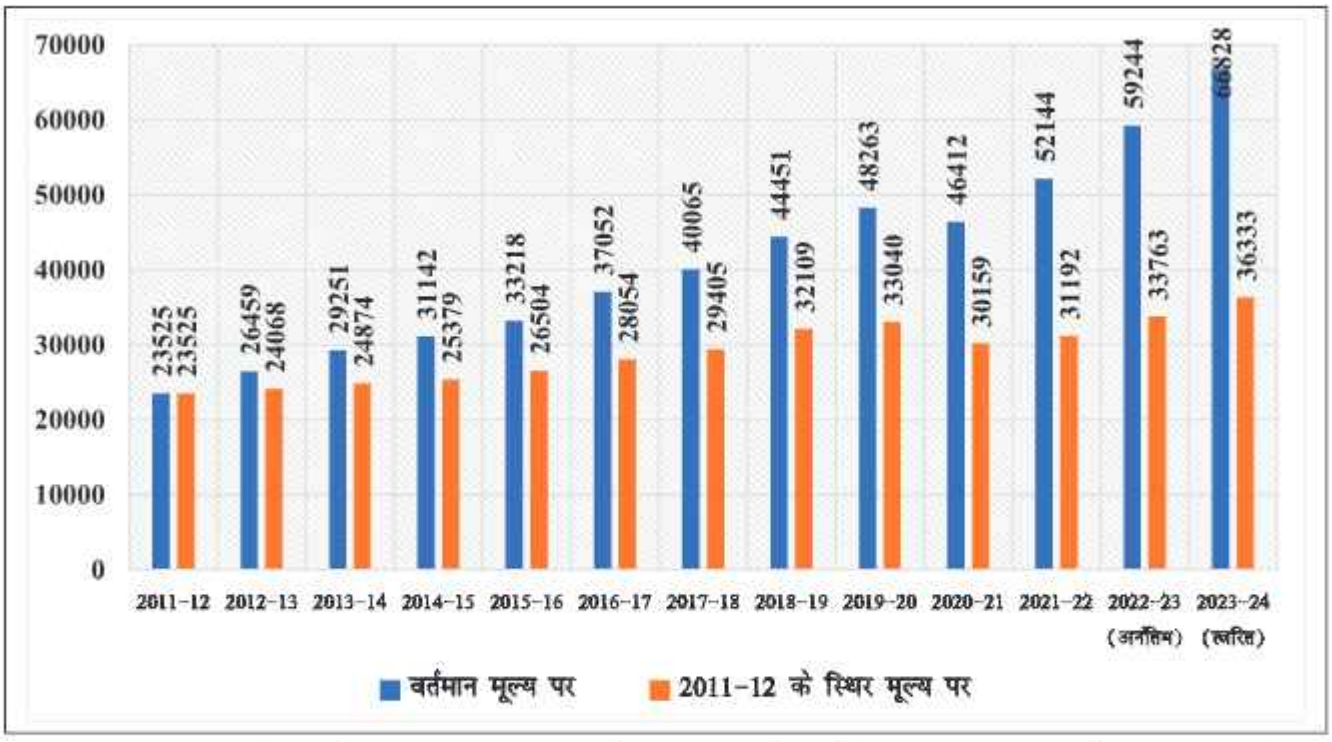


टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.5 : बिहार और संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24)

| वर्ष | प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रु.) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान मूल्य पर | | 2011-12 के स्थिर मूल्य पर | |
| | भारत | बिहार | भारत | बिहार |
| 2011-12 | 63462 | 23525 | 63462 | 23525 |
| 2012-13 | 70983 | 26459 | 65538 | 24068 |
| 2013-14 | 79118 | 29251 | 68572 | 24874 |
| 2014-15 | 86647 | 31142 | 72805 | 25379 |
| 2015-16 | 94797 | 33218 | 77659 | 26504 |
| 2016-17 | 104880 | 37052 | 83003 | 28054 |
| 2017-18 | 115224 | 40065 | 87586 | 29405 |
| 2018-19 | 125946 | 44451 | 92133 | 32109 |
| 2019-20 | 132341 | 48263 | 94420 | 33040 |
| 2020-21 | 127244 | 46412 | 86034 | 30159 |
| 2021-22 | 150906 | 52144 | 94054 | 31192 |
| 2022-23 (अनंतिम) | 169496 | 59244 | 99404 | 33763 |
| 2023-24 (त्वरित) | 184205 | 66828 | 106744 | 36333 |
| औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) | 9.3 | 9.1 | 4.4 | 3.7 |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है। वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2011-12 से 2023-24 तक की अवधि के लिए है।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

देश के चुनिंदा बड़े राज्यों के लिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 से 2023-24 तक के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का त्रिवर्षीय औसत तालिका 1.6 में प्रस्तुत है। इसमें 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद भी शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रु. अनुमानित है, जो संपूर्ण भारत के औसत प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.1 प्रतिशत है। बड़े राज्यों के बीच सर्वाधिक 1,86,038 रु. प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कनार्टक के लिए दर्ज हुआ, उसके बाद 1,85,490 रु. हरियाणा के लिए तथा 1,83,854 रु. तेलंगाना के लिए। वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से 7.6 प्रतिशत बढ़ा, जिसके कारण यह देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है।

**तालिका 1.6 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देश के बड़े राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24-त्वरित)**

(रुपए)

| राज्य | प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का त्रिवर्षीय औसत | | | | 2022-23 | 2023-24 (त्वरित) | 2022-23 से 2023-24 में प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-14 | 2015-17 | 2018-20 | 2021-23 | | | |
| आंध्र प्रदेश | 70040 | 87299 | 107539 | 119807 | 126690 | 135806 | 7.2 |
| **बिहार** | **22243** | **24247** | **28536** | **28141** | **29909** | **32174** | **7.6** |
| छत्तीसगढ़ | 57787 | 63232 | 73546 | 81719 | 87838 | 92101 | 4.9 |
| गुजरात | 95584 | 120597 | 154184 | 169589 | 181963 | अनु. | अनु. |
| हरियाणा | 112552 | 137708 | 165523 | 162670 | 173973 | 185490 | 6.6 |
| झारखंड | 43070 | 47377 | 54689 | 56525 | 60938 | 65062 | 6.8 |
| कर्नाटक | 95498 | 117898 | 148750 | 163100 | 175895 | 186038 | 5.8 |
| केरल | 103103 | 120694 | 144160 | 144259 | 152870 | 161957 | 5.9 |
| मध्य प्रदेश | 40729 | 48053 | 58094 | 59877 | 63379 | 66441 | 4.8 |
| महाराष्ट्र | 104401 | 123878 | 141406 | 140644 | 153664 | 163820 | 6.6 |
| ओडिशा | 51122 | 59528 | 74305 | 83020 | 90172 | 98331 | 9.0 |
| पंजाब | 89243 | 100599 | 114979 | 118402 | 123874 | 130002 | 4.9 |
| राजस्थान | 58895 | 68128 | 74781 | 79296 | 84935 | 90831 | 6.9 |
| तमिलनाडु | 97520 | 115399 | 139906 | 154780 | 166590 | 179732 | 7.9 |
| तेलंगाना | 93297 | 111734 | 143855 | 155517 | 169354 | 183854 | 8.6 |
| उत्तर प्रदेश | 32985 | 37468 | 42388 | 43951 | 47808 | 50875 | 6.4 |
| पश्चिम बंगाल | 52838 | 57465 | 67250 | 69190 | 74334 | 79622 | 7.1 |
| **संपूर्ण भारत** | **65857** | **77822** | **91380** | **93164** | **99404** | **106744** | **7.4** |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं।

स्रोत : कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

## 1.4 सकल स्थिर पूंजी निर्माण

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का आशय किसी राज्य के निवल मूल्यवर्धन का उस हिस्से से है जो किसी वर्ष में उपभोग में आने के बजाय निवेशित होता है। तालिका 1.7 में बिहार के लिए वर्तमान मूल्य पर 2019-20 से 2023-24 तक के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उसका हिस्सा दर्शाया गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण के आंकड़े 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान हैं जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान। साथ ही, चार्ट 1.4 में उसी अवधि में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा दर्शाया गया है।

वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 के 9,346 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 38,986 करोड़ रु. पहुंच गया। वहीं, वर्तमान मूल्य पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी काफी बढ़ा, और 2019-20 के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 4.6 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गत वर्ष से 86.3 प्रतिशत का महत्वपूर्ण उछाल आया था। वर्ष 2021-22 में 24.1 प्रतिशत और 2022-23 में 24.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा लगातार बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 45.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

**चार्ट 1.4 : वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर सकल स्थिर पूंजी निर्माण (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

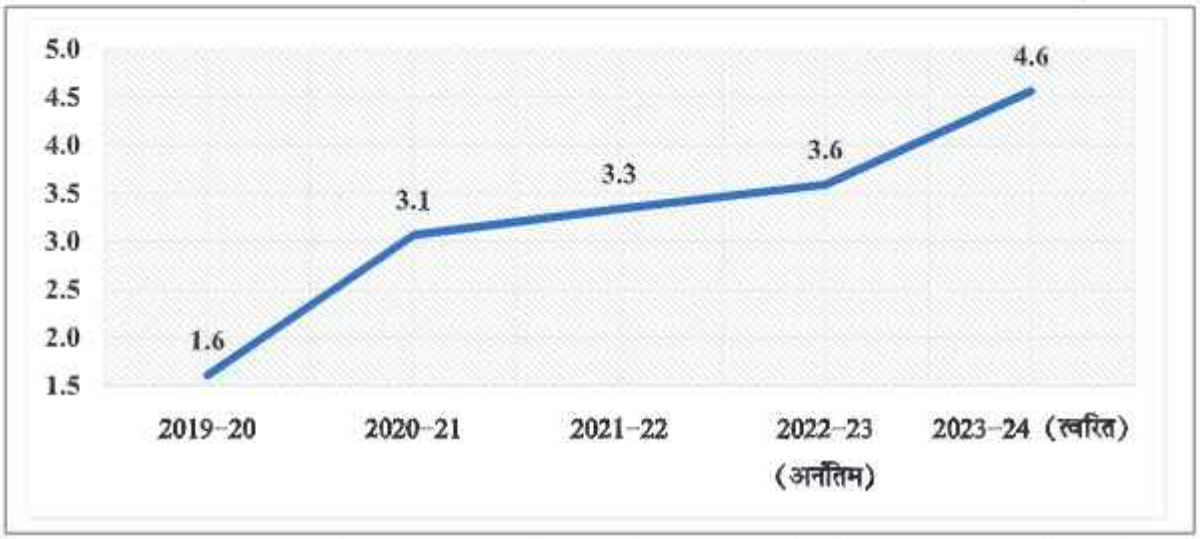


टिप्पणी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण के आंकड़े संशोधित अनुमान (आरई) हैं।
स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका 1.7 : वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2019-20 से 2023-24)**

| | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण (करोड़ रु.) | 9346 | 17416 | 21609 | 26797 | 38986 (संशोधित अनुमान) |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | 581855 | 567814 | 647394 | 746417 (अनंतिम) | 854429 (त्वरित) |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर सकल स्थिर पूंजी निर्माण | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.6 |

टिप्पणी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान (पी) और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण के आंकड़े संशोधित अनुमान (आरई) हैं।
स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## 1.5 सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्र-वार हिस्सा (स्थिर मूल्य पर)

बिहार और भारत के लिए सकल मूल्यवर्धन के क्षेत्र-वार वितरण और कार्यशक्ति सहभागिता दरों की 2017-18 और 2023-24 के लिए तुलना चार्ट 1.5 और तालिका 1.8 में दर्शाई गई है। बिहार और भारत, दोनो ही में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम योगदान है। सकल मूल्यवर्धन में

इस क्षेत्र का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों के दौरान कम रहा है। हालांकि, बिहार और भारत में इन क्षेत्रों के योगदान के पैटर्न में भिन्नता दिखती है।

वर्ष 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 16.6 प्रतिशत और बिहार में 19.9 प्रतिशत योगदान था। वहीं इस वर्ष सकल मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का संपूर्ण भारत के स्तर पर 28.7 प्रतिशत और बिहार में 21.5 प्रतिशत योगदान था। सकल मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 2017-18 से 2023-24 के बीच 1.4 प्रतिशत अंक बढ़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वृद्धि की अपेक्षा 0.1 प्रतिशत अंक अधिक है। वहीं, 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का बिहार में 58.6 प्रतिशत और संपूर्ण भारत के स्तर पर 54.6 प्रतिशत योगदान रहा।

**चार्ट 1.5 : बिहार और भारत के सकल मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्र-वार हिस्सा (2017-18 और 2023-24)**

(प्रतिशत में)

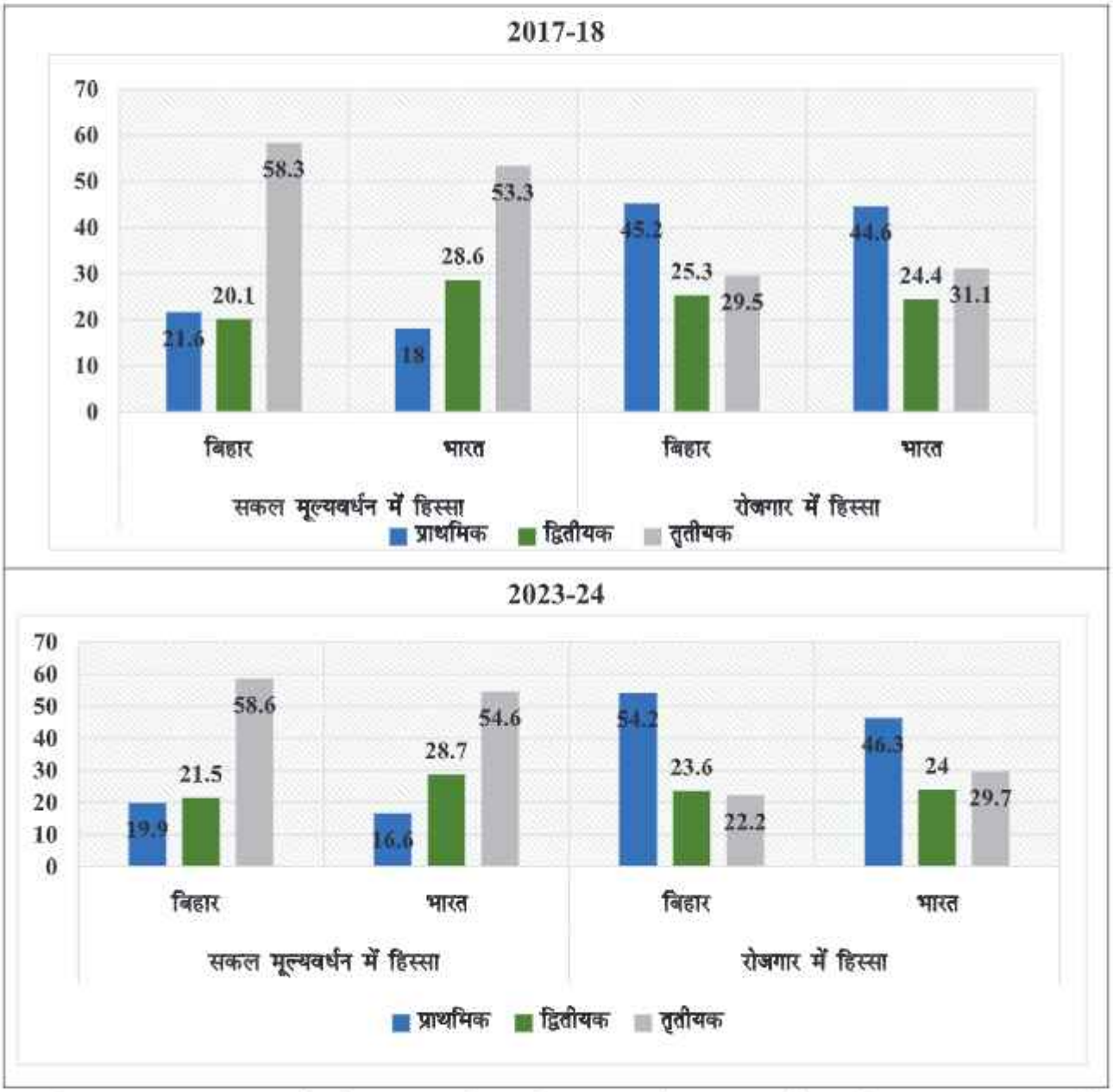


टिप्पणी : सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के 2017-18 के आंकड़े वास्तविक और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं।

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण 2017-18 और 2023-24, तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

तालिका 1.8 में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशक्ति सहभागिता का पैटर्न भी प्रस्तुत है। बिहार में आधा से अधिक कार्यशक्ति प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में लगी है, जिसमें कृषि, पशुधन और मास्त्यिकी शामिल हैं। वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशक्ति की भागीदारी बिहार और संपूर्ण भारत, दोनो स्तर पर बढ़ी है। हालांकि बिहार में यह वृद्धि अधिक स्पष्ट है, जहां कुल कार्यशक्ति सहभागिता में इस क्षेत्र का हिस्सा 2017-18 के 45.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 54.2 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, संपूर्ण भारत में इसका हिस्सा इस अवधि में 44.6 प्रतिशत से बढ़कर 46.3 प्रतिशत हो गया। वहीं, कार्यशक्ति सहभागिता में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा घटा है। वर्ष 2023-24 के अंत में बिहार में कार्यशक्ति सहभागिता में द्वितीयक क्षेत्र का 23.6 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 22.2 प्रतिशत हिस्सा रहा।

**तालिका 1.8 : बिहार और भारत के सकल मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्र-वार हिस्सा (2017-18 और 2023-24)**

(प्रतिशत में)

| क्षेत्र | 2017-18 | | | | 2023-24 (त्वरित) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा | | रोजगार में हिस्सा | | सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा | | रोजगार में हिस्सा | |
| | बिहार | संपूर्ण भारत | बिहार | संपूर्ण भारत | बिहार | संपूर्ण भारत | बिहार | संपूर्ण भारत |
| कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 21.5 | 15.3 | 45.1 | 44.1 | 19.5 | 14.5 | 54.2 | 46.1 |
| खनन एवं उत्खनन | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 0.2 |
| **प्राथमिक** | **21.6** | **18.0** | **45.2** | **44.6** | **19.9** | **16.6** | **54.2** | **46.3** |
| विनिर्माण | 9.1 | 18.4 | 8.9 | 12.1 | 7.6 | 17.3 | 5.2 | 11.4 |
| विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.5 |
| निर्माण | 9.5 | 8.0 | 16.3 | 11.7 | 11.3 | 9.0 | 18.2 | 12.0 |
| **द्वितीयक** | **20.1** | **28.6** | **25.3** | **24.4** | **21.5** | **28.7** | **23.6** | **24.0** |
| व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह | 18.2 | 19.7 | 13.7 | 12.0 | 15.9 | 18.6 | 10.4 | 10.2 |
| परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 9.7 | | 4.1 | 5.9 | 10.2 | | 5.0 | 7.6 |
| वित्तीय, स्थावर संपदा एवं पेशेवर सेवाएं | 13.7 | 21.1 | 1.9 | 2.1 | 14.1 | 23.3 | 0.6 | 1.9 |
| लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं | 16.7 | 12.6 | 9.8 | 11.1 | 18.4 | 12.7 | 6.2 | 9.9 |
| **तृतीयक** | **58.3** | **53.3** | **29.5** | **31.1** | **58.6** | **54.6** | **22.2** | **29.7** |
| **योगफल** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

टिप्पणी : सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के 2017-18 के आंकड़े वास्तविक और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान (क्यू) हैं।

स्रोत : सार्वधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण 2017-18 और 2023-24, तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

## 1.6 मूल्य और मुद्रास्फीति

मूल्य में परिवर्तन का खपत, बचत और निवेश सहित आर्थिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) के जरिए कीमतों में वृद्धि पर नजर रखता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संपूर्ण भारत के स्तर पर और अलग-अलग राज्यों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है,

और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भी नियमित अंतराल पर मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है। एक खास अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि को मुद्रास्फीति की दर कहा जाता है।

तालिका 1.9 में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के लिए राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और इस अवधि में मूल्य सूचकांक में साल-दर-साल प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। बिहार में, कीमतों में साल-दर-साल प्रतिशत परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में 7.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 7.1 प्रतिशत था, जिससे राज्य में इस अवधि में सामान्य कीमतों में समग्र वृद्धि 7.5 प्रतिशत रही। वहीं, आधार वर्ष 2012 के मूल्य से तुलना करने पर सितंबर में बिहार के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में देश के अनेक राज्यों से कम था।

**तालिका 1.9 : राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2012 = 100) और मुद्रास्फीति की दर (सितंबर 2023 और सितंबर 2024)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र का नाम | ग्रामीण | | | शहरी | | | संयुक्त | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सितंबर 2023 | सितंबर 2024 | मुद्रस्फीति की दर (%) | सितंबर 2023 | सितंबर 2024 | मुद्रस्फीति की दर (%) | सितंबर 2023 | सितंबर 2024 | मुद्रस्फीति की दर (%) |
| आंध्र प्रदेश | 188.9 | 198.1 | 4.9 | 190 | 198.7 | 4.6 | 189.3 | 198.3 | 4.8 |
| **बिहार** | **180.3** | **194** | **7.6** | **187.2** | **200.4** | **7.1** | **181.3** | **194.9** | **7.5** |
| छत्तीसगढ़ | 175.9 | 190.3 | 8.2 | 174.2 | 185.3 | 6.4 | 175.2 | 188.4 | 7.5 |
| गुजरात | 182.3 | 192.5 | 5.6 | 173 | 184.1 | 6.4 | 177 | 187.7 | 6.0 |
| हरियाणा | 187.5 | 200.1 | 6.7 | 176.4 | 186.4 | 5.7 | 182.3 | 193.7 | 6.3 |
| झारखंड | 181.8 | 190.3 | 4.7 | 183.4 | 194.2 | 5.9 | 182.4 | 191.8 | 5.2 |
| कर्नाटक | 187.3 | 197.4 | 5.4 | 190.4 | 199 | 4.5 | 189 | 198.3 | 4.9 |
| केरल | 189.1 | 200.3 | 5.9 | 187.3 | 196.3 | 4.8 | 188.5 | 198.9 | 5.5 |
| मध्य प्रदेश | 182.1 | 194.1 | 6.6 | 185.8 | 195.2 | 5.1 | 183.6 | 194.6 | 6.0 |
| महाराष्ट्र | 186.2 | 194.9 | 4.7 | 178 | 187.2 | 5.2 | 180.7 | 189.8 | 5.0 |
| ओडिशा | 187.8 | 201.3 | 7.2 | 181.5 | 191 | 5.2 | 186 | 198.4 | 6.7 |
| पंजाब | 180.9 | 189.8 | 4.9 | 172.2 | 182 | 5.7 | 177 | 186.3 | 5.3 |
| राजस्थान | 183.0 | 192.9 | 5.4 | 182.3 | 191.8 | 5.2 | 182.8 | 192.5 | 5.3 |
| तमिलनाडु | 189.3 | 199.7 | 5.5 | 188.3 | 197.7 | 5.0 | 188.7 | 198.5 | 5.2 |
| तेलंगाना | 198.6 | 207.5 | 4.5 | 192.8 | 201.2 | 4.4 | 195.4 | 204 | 4.4 |
| उत्तर प्रदेश | 184.1 | 197.9 | 7.5 | 183.6 | 193.3 | 5.3 | 183.9 | 196.3 | 6.7 |
| उत्तराखंड | 181.2 | 188.9 | 4.2 | 183.9 | 193.7 | 5.3 | 182.2 | 190.7 | 4.7 |
| पश्चिम बंगाल | 192.6 | 200.6 | 4.2 | 186.8 | 195 | 4.4 | 189.9 | 198 | 4.3 |
| संपूर्ण भारत | 185.8 | 196.7 | 5.9 | 182.2 | 191.4 | 5.0 | 184.1 | 194.2 | 5.5 |

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

## 1.7 क्षेत्रीय विषमता

हाल के दशकों में राज्य में आर्थिक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि से पता चलता है। राज्य के भीतर आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमता का आकलन सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) और निवल जिला घरेलू उत्पाद (एनडीडीपी) के जिला-स्तरीय आंकड़ों के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य में 2022-23 के लिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर समायोजित सकल जिला घरेलू उत्पाद और निवल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा उनके प्रति व्यक्ति आंकड़े परिशिष्ट में प्रस्तुत हैं। परिशिष्ट में स्थिर मूल्य पर 2018-19 से 2022-23 तक के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी शामिल हैं। साथ ही, पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रॉल, डीजल और रसोई गैस) की खपत के जिलावार आंकड़े भी परिशिष्ट में प्रस्तुत हैं। वहीं, तालिका 1.10 में विभिन्न सूचकों के आधार पर राज्य के तीन सबसे समृद्ध और सबसे गरीब जिलों की सूची प्रस्तुत है।

**तालिका 1.10 : बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले (2022-23 और 2023-24)**

| मापदंड/ वर्ष | सबसे समृद्ध जिले | सबसे गरीब जिले |
|---|---|---|
| **प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (रु.)** | | |
| 2022-23 | पटना (121396), बेगूसराय (49064), मुंगेर (46795) | शिवहर (19561), सीतामढ़ी (21931), अररिया (22204) |
| **वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति पेट्रॉल की खपत (मीट्रिक टन में)** | | |
| 2023-24 | पटना (17.7), मुजफ्फरपुर (11.8) पूर्णिया (10.9) | लखीसराय (4.9), बांका (5.1), जहानाबाद (5.6) |
| **वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत (मीट्रिक टन में)** | | |
| 2023-24 | पटना (35.9), शेखपुरा (34.9), औरंगाबाद (27.7) | शिवहर (8.9), सीवान (11.2), गोपालगंज (11.7) |
| **वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति रसोई गैस की खपत (मीट्रिक टन में)** | | |
| 2023-24 | पटना (24.9), बेगूसराय (16.5), मुजफ्फरपुर (15.7), गोपालगंज (15.7) | अररिया (7.5), बांका (8.0), किशनगंज (8.2) |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार और इंडियन आयल कॉर्पोरेशन, पटना कार्यालय

वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। इस सूचक का उपयोग अक्सर जिलों में औसत प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए पटना का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 1,21,396 रु. था, जो उसके बाद बेगूसराय के लिए 49,064 रु. और मुंगेर के लिए 46,795 रु. था। वहीं, शिवहर का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 19,561 रु. था, जो सीतामढ़ी के लिए 21,931 रु. और अररिया के लिए 22,204 रु. था। इसी प्रकार, राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत के मामले में भी काफी अंतर है। वर्ष 2023-24 में पेट्रॉल की प्रति हजार व्यक्ति वार्षिक खपत लखीसराय में 4.9 मीट्रिक टन और पटना में 17.7 मी.टन रहा है। साथ ही, प्रति हजार व्यक्ति डीजल की भी सर्वाधिक 35.9 मी.टन खपत पटना में और सबसे कम 8.9 मी.टन शिवहर में थी। वहीं, 2023-24 में रसोई गैस की सर्वाधिक 24.9 मी.टन खपत भी पटना में ही थी और सबसे कम 7.5 मी. टन अररिया में। उक्त सारे पैटर्न दर्शाते हैं कि इन सारे सूचकों के लिहाज से पटना राज्य का सबसे समृद्ध जिला है।

## 1.8 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रूपरेखा

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं की विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की गई है, जो इस अध्याय में उल्लिखित बिहार में आर्थिक गतिविधियों की वर्तमान स्थिति के बारे में परिचय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इस व्यापक आर्थिक सर्वेक्षण में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के विस्तृत सेट पर भरोसा किया गया है, जिन्हें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सावधानीपूर्वक संकलित किया गया है। साथ ही, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संस्थानों के विभिन्न प्रकाशनों से भी आंकड़े शामिल किए गए हैं, जो आर्थिक परिदृश्य पर समग्र परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करते हैं।

सांख्यिकीय आंकड़ों के अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य सरकार द्वारा लागू हाल के नीतिगत पहल पर प्रकाश डालने वाली संक्षिप्त रिपोर्टें भी शामिल हैं। ये पहल बिहार को इसके महत्वपूर्ण विकासमूलक उद्देश्यों की दिशा में बढ़ाने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रासंगिक आंकड़ों को यथासंभव विखंडित स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए राज्य स्तर पर ही नहीं, जिला स्तर पर भी उसका विस्तार करके आर्थिक रूझानों की व्यापक समझ की गुंजाइश देकर आंकड़ों की यथातथ्यता पर मजबूती से जोर दिया गया है।

वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) को 14 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक अध्याय बिहार की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं से संबंधित हैं। 'बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन' शीर्षक वाले अध्याय-1 में पूरे सर्वेक्षण का व्यापक सारांश पेश किया गया है। शेष 13 अध्यायों में बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न तत्वों की स्थिति और विकास पैटर्न की समीक्षा की गई है। इन अध्यायों में शामिल हैं - राजकीय वित्तव्यवस्था (अध्याय 2), कृषि और संबंधित क्षेत्र (अध्याय 3), उद्यम क्षेत्र (अध्याय 4), श्रम, रोजगार और कौशल (अध्याय 5), भौतिक अधिसंरचना (अध्याय 6), ई-शासन (अध्याय 7), विद्युत क्षेत्र (अध्याय 8), ग्रामीण विकास (अध्याय 9), शहरी विकास (अध्याय 10), वित्तीय संस्थाएं (अध्याय 11), मानव विकास (अध्याय 12), बाल विकास (अध्याय 13), और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन (अध्याय 14)। इस संरचना के तहत बिहार की अर्थव्यवस्था के अंदर की विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी गई है।

अध्याय 1 में पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर हाल के समग्र आंकड़ों के आधार पर बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में जहां भी उपलब्ध हुआ हो, संबद्ध विषयों के लिए प्रासंगिक जिला स्तर तक विखंडित आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। अध्याय 2 में राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था पर व्यापक विमर्श प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों तथा सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य अवसंरचना में सुधार पर अपना खर्च लगातार बढ़ाया है। व्यय में इस वृद्धि के बावजूद, राजकीय वित्तव्यवस्था का प्रबंधन सुस्थिर बना हुआ है।

अध्याय 3 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में राज्य की वर्तमान स्थिति और हाल में हुए विकासों पर अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। यह क्षेत्र बिहार के समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। साथ ही, इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का राज्य के सकल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों की अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के कारण इनका विकास समग्र आर्थिक विकास को काफी प्रभावित करता है। इस अध्याय में इन क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली राज्य सरकार द्वारा ली गई पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय 4 में राज्य में उद्यम क्षेत्र का व्यापक अवलोकन उपलब्ध कराया गया है। इसमें राज्य में औद्योगिक विकास, पर्यटन और उद्यमिता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला गया है। राज्य सरकार ने रोजगार उत्पन्न करने और कामकाजी उम्र वाली आबादी के कौशल स्तरों के विकास के लिए काफी प्रयत्न किया है। वहीं, अध्याय 5 में राज्य के अंदर कार्यशक्ति की संलग्नता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें युवाओं के कौशल विकास के लिए लक्षित सरकार की पहलों और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का विवरण दिया गया है।

राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए अनिवार्य अवसंरचना में सुधार और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने को लगातार प्राथमिकता दी है। यह प्रतिबद्धता राज्य में भौतिक और डिजिटल अवसंरचना को उन्नत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों से दिखती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 6 में राज्य में भौतिक अवसंरचना की वर्तमान स्थिति और उसमें हाल में हुई उन्नति पर विचार किया गया है। इसमें लोगों और वस्तुओं के आसानी से आवागमन में मददगार सड़क, पुल, और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों जैसे परिवहन नेटवर्कों में सुधार शामिल है। अध्याय 7 में राज्य में सेवा प्रदान में सुधार के लिए तकनीकी उन्नतियों का उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हुए डिजिटल अवसंरचना पर फोकस किया गया है। बिजली की उपलब्धता आधुनिक जीवन और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। अध्याय 8 में राज्य के संस्थागत ढांचा, बिजली की मांग और आपूर्ति, संचरण नेटवर्क, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, और नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लक्षित सरकारी योजनाओं के विवरणों को रेखांकित किया गया है।

राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जिससे राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। अध्याय 9 में ग्रामीण विकास के लिए लक्षित विभिन्न सरकारी पहलों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, राज्य में बढ़ते शहरीकरण के कारण स्थायी शहरी विकास की दिशा में नीतिगत प्रयासों को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। अध्याय 10 में शहरीकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों का प्रलेखन किया गया है। वहीं, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण राज्य में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सतत आर्थिक विकास जारी रखने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की अधिक उपलब्धता जरूरी है। अध्याय 11 में बैंकिंग अवसंरचना और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण सहयोग की वर्तमान स्थिति और उनमें हाल में हुए विकास पर चर्चा की गई है।

राज्य में सामाजिक विकास के विभिन्न सूचकों के लिहाज से काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं और विद्यालय अवसंरचना में वृद्धि के राज्य सरकार के प्रयासों ने इन सकारात्मक परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, सरकार ने समाज के अरक्षित और सीमांत समूहों की खुशहाली को लगातार प्राथमिकता दी है। सामाजिक क्षेत्र के विकास और सरकार की नीतिगत पहलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्याय 12 और 13 में चर्चा की गई है। जहां समग्र विकास के लिए आर्थिक विकास हासिल करना महत्वपूर्ण है, वहीं पर्यावरण के लिहाज से सुस्थिर तरीके से विकास करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, वन्यजीवों और जैव-विविधता का संरक्षण, तथा पर्यावरण के प्रदूषण में कमी के लिए लक्षित अनेक पहलों को क्रियान्वित किया है। राज्य में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, और आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा विभिन्न नीतिगत पहलों पर अध्याय 14 में चर्चा की गई है।

## 1.9 राज्य विवरणी

क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों समेत राज्य के आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण करते समय, जनसांख्यिक ढांचे पर भी विचार करना सहायक होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आर्थिक परिमाणों को काफी प्रभावित करता है। साथ ही, राज्य के विभिन्न प्रशासनिक प्रमंडलों से प्राप्त जानकारी आर्थिक गतिविधियों के स्थानगत प्रभाव को समझने में मदद करती हैं। इस खंड में राज्य की संक्षिप्त विवरणी को रेखांकित किया गया है।

भौगोलिक रूप से बिहार समुद्रतट-रहित राज्य है, जो देश के पूर्वी भाग में $83^0$-19'-50'' से $88^0$-17'-40'' पूर्वी देशांतरों और $24^0$-20'-10'' से $27^0$-31'-15'' उत्तरी अक्षांशों के बीच अवस्थित है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है और क्षेत्रफल के लिहाज से देश के राज्यों के बीच बिहार का 12वां स्थान है। गंगा नदी राज्य को दो असमान भागों - उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार - में विभाजित करती है। राज्य उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। राज्य से होकर, खास कर इसके उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली अनेक नदियां पड़ोसी देश से निकलती हैं। राज्य की जलवायु उपोष्ण है और यहां चार मौसम हैं - वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, और जाड़ा। राज्य प्रशासनिक रूप से पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर - नौ प्रमंडलों में विभाजित है। राज्य में 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 सामुदायिक विकास प्रखंड हैं। राज्य में दो-स्तरीय विधानमंडल है - 75 सदस्यों वाला विधान परिषद और 243 सदस्यों वाली विधान सभा।

सबसे हाल में हुए बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 13,07,25,310 रही है। राज्य की यह जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (10,40,99,452) से 25.6 प्रतिशत अधिक है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर संपूर्ण भारत के औसत से अधिक रही है, 2001-2011 के दशक में यहां की दशकीय वृद्धि दर इसी अवधि में संपूर्ण भारत के 17.6 प्रतिशत की तुलना में 25.1 प्रतिशत थी। लेकिन हाल के दशक में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। दर्जे के लिहाज से देखें, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।

वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में विलंब होने के कारण हाल के वर्षों में जनसंसख्या से संबंधित संपूर्ण भारत के हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में हाल के वर्षों के लिए संपूर्ण भारत के जनसंख्या के लिए जिन आंकड़ों का उपयोग किया गया है वे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा अनुमानित हैं। इन अनुमानों के अनुसार, देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 2011 की जनगणना के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023 में 9.4 प्रतिशत हो गया है। जनसंख्या घनत्व भी 2011 की जनगणना के 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बढ़कर 2023 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया है। वहीं, 2023 में राज्य में लिंग अनुपात 953 महिला प्रति 1000 पुरुष होने का अनुमान है, जो 2011 की जनगणना के आंकड़े 918 से अधिक है। यह हाल के दशक में हुए सुधार को दर्शाता है।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण जिस तरह वर्णित है वह काफी उत्साहवर्धक तस्वीर पेश करता है। राज्य ने समय के साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकों के मामले में काफी सुधार दर्शाया है। अनेक विगत और वर्तमान नीतिगत पहलें और ये उन्नतियां भावी विकास के प्रति आशा-भरोसा जगाती हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए राज्य ने राजकोषीय क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर लगातार फोकस किया है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों का विस्तृत विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अगले 13 अध्यायों में प्रस्तुत है।

# परिशिष्ट

**तालिका प 1.1 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2023-24)**

| वर्ष | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | | निवल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | | प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान मूल्य पर | स्थिर मूल्य पर | वर्तमान मूल्य पर | स्थिर मूल्य पर | वर्तमान मूल्य पर | स्थिर मूल्य पर |
| 2011-12 | 247144 | 247144 | 228497 | 228497 | 23525 | 23525 |
| 2012-13 | 282368 | 256851 | 261327 | 236933 | 26459 | 24068 |
| 2013-14 | 317101 | 269650 | 292143 | 246915 | 29251 | 24874 |
| 2014-15 | 342951 | 279482 | 315732 | 255739 | 31142 | 25379 |
| 2015-16 | 371602 | 296488 | 340119 | 269200 | 33218 | 26504 |
| 2016-17 | 421051 | 318797 | 386879 | 289265 | 37052 | 28054 |
| 2017-18 | 468746 | 344028 | 431128 | 312605 | 40065 | 29405 |
| 2018-19 | 527976 | 381383 | 483604 | 345545 | 44451 | 32109 |
| 2019-20 | 581855 | 398329 | 532573 | 359241 | 48263 | 33040 |
| 2020-21 | 567814 | 368970 | 515397 | 328354 | 46412 | 30159 |
| 2021-22 | 647394 | 387256 | 587205 | 343583 | 52144 | 31192 |
| 2022-23 (अनंतिम) | 746417 | 425384 | 673777 | 376823 | 59244 | 33763 |
| 2023-24 (त्वरित) | 854429 | 464540 | 771435 | 411359 | 66828 | 36333 |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 1.2 : वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | मद | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 114549 | 129136 | 150694 | 170118 | 183492 | 202488 |
| 1.1 | फसल | 63132 | 71496 | 82203 | 80970 | 87851 | 98422 |
| 1.2 | पशुधन | 33755 | 37974 | 46445 | 64981 | 68394 | 74740 |
| 1.3 | वानिकी एवं काष्ठ निर्माण | 8540 | 9756 | 10506 | 11408 | 12285 | 13549 |
| 1.4 | मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 9122 | 9909 | 11540 | 12759 | 14962 | 15777 |
| 2 | खनन एवं उत्खनन | 1902 | 6561 | 953 | 1181 | 3586 | 4530 |
| | **प्राथमिक** | **116451** | **135697** | **151647** | **171299** | **187079** | **207017** |
| 3 | विनिर्माण | 34364 | 37518 | 41533 | 49031 | 50578 | 52579 |
| 4 | विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | 8627 | 9366 | 8606 | 9561 | 15223 | 18081 |
| 5 | निर्माण | 44221 | 45828 | 42574 | 58785 | 72778 | 84473 |
| | **द्वितीयक** | **87212** | **92713** | **92712** | **117378** | **138578** | **155132** |
| 6 | व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह | 95035 | 102043 | 88889 | 97537 | 118296 | 141908 |
| 6.1 | व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं | 89647 | 96301 | 86342 | 93841 | 111297 | 132396 |
| 6.2 | होटल एवं जलपानगृह | 5389 | 5741 | 2547 | 3696 | 6998 | 9513 |
| 7 | परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 48251 | 54229 | 50920 | 68707 | 73519 | 85196 |
| 7.1 | रेलवे | 5320 | 5664 | 6847 | 7541 | 6917 | 7522 |
| 7.2 | पथ परिवहन | 27601 | 30671 | 24999 | 37979 | 39055 | 45123 |
| 7.3 | जल परिवहन | 51 | 51 | 49 | 81 | 116 | 140 |
| 7.4 | वायु परिवहन | 158 | 314 | 276 | 214 | 234 | 282 |
| 7.5 | परिवहन के समकक्ष सेवाएं | 2959 | 3320 | 2556 | 4007 | 4327 | 4962 |
| 7.6 | भंडारण | 368 | 385 | 411 | 430 | 481 | 595 |
| 7.7 | संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 11794 | 13824 | 15782 | 18454 | 22389 | 26573 |
| 8 | वित्तीय सेवाएं | 22339 | 23286 | 25492 | 26702 | 32136 | 38675 |
| 9 | स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं | 44017 | 44614 | 44105 | 50242 | 54562 | 60531 |
| 10 | लोक प्रशासन | 23525 | 25992 | 29165 | 32277 | 40326 | 46211 |
| 11 | अन्य सेवाएं | 73521 | 81231 | 69397 | 76965 | 98321 | 115080 |
| | **तृतीयक** | **306688** | **331395** | **307968** | **352430** | **417159** | **487601** |
| **12** | **कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन** | **510351** | **559805** | **552327** | **641107** | **742817** | **849750** |
| 13 | उत्पादों पर कर | 39810 | 44212 | 50802 | 54289 | 63387 | 74010 |
| 14 | उत्पादों पर सब्सिडी | 22185 | 22162 | 35315 | 48002 | 59787 | 69331 |
| **15** | **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** | **527976** | **581855** | **567814** | **647394** | **746417** | **854429** |
| 16 | जनसंख्या (करोड़) | 11.88 | 12.06 | 12.23 | 12.42 | 12.60 | 12.79 |
| **17** | **प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)** | **44451** | **48263** | **46412** | **52144** | **59244** | **66828** |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 1.3 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | मद | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 71186 | 71936 | 77776 | 80943 | 85328 | 89935 |
| 1.1 | फसल | 39266 | 37041 | 39928 | 41067 | 43811 | 45853 |
| 1.2 | पशुधन | 20444 | 22773 | 25192 | 26351 | 27064 | 29126 |
| 1.3 | वानिकी एवं काष्ठ निर्माण | 5807 | 6084 | 6222 | 6351 | 6483 | 6733 |
| 1.4 | मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 5670 | 6037 | 6434 | 7173 | 7970 | 8223 |
| 2 | खनन एवं उत्खनन | 791 | 2969 | 453 | 533 | 1561 | 1891 |
| | **प्राथमिक** | **71977** | **74904** | **78229** | **81476** | **86889** | **91825** |
| 3 | विनिर्माण | 30182 | 31040 | 35340 | 36698 | 34490 | 34966 |
| 4 | विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | 7693 | 8235 | 7599 | 7835 | 10424 | 12298 |
| 5 | निर्माण | 34633 | 34982 | 32540 | 38406 | 46840 | 52023 |
| | **द्वितीयक** | **72509** | **74256** | **75478** | **82939** | **91754** | **99288** |
| 6 | व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह | 66007 | 68758 | 57789 | 56020 | 64524 | 73501 |
| 6.1 | व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं | 62273 | 64895 | 56142 | 53909 | 60711 | 68577 |
| 6.2 | होटल एवं जलपानगृह | 3734 | 3863 | 1647 | 2111 | 3813 | 4924 |
| 7 | परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 36281 | 39065 | 32312 | 41285 | 42616 | 47313 |
| 7.1 | रेलवे | 4235 | 4516 | 3471 | 4137 | 3989 | 4126 |
| 7.2 | पथ परिवहन | 19966 | 21795 | 16311 | 23034 | 22632 | 25051 |
| 7.3 | जल परिवहन | 37 | 36 | 32 | 49 | 67 | 78 |
| 7.4 | वायु परिवहन | 114 | 223 | 180 | 130 | 135 | 156 |
| 7.5 | परिवहन के समकक्ष सेवाएं | 2141 | 2359 | 1667 | 2430 | 2508 | 2755 |
| 7.6 | भंडारण | 267 | 274 | 269 | 261 | 279 | 330 |
| 7.7 | संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 9522 | 9862 | 10382 | 11243 | 13006 | 14817 |
| 8 | वित्तीय सेवाएं | 18324 | 19065 | 19342 | 18920 | 19930 | 21465 |
| 9 | स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं | 34586 | 34969 | 34374 | 38562 | 41056 | 43682 |
| 10 | लोक प्रशासन | 17646 | 18968 | 18186 | 19570 | 23062 | 25325 |
| 11 | अन्य सेवाएं | 49661 | 51836 | 41429 | 44028 | 53265 | 59473 |
| | **तृतीयक** | **222506** | **232661** | **203432** | **218386** | **244452** | **270759** |
| **12** | **सकल राज्यगत मूल्यवर्धन** | **366992** | **381822** | **357140** | **382800** | **423096** | **461873** |
| 13 | उत्पादों पर कर | 32506 | 33098 | 38807 | 38468 | 40292 | 42203 |
| 14 | उत्पादों पर सब्सिडी | 18115 | 16591 | 26977 | 34012 | 38004 | 39535 |
| **15** | **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** | **381383** | **398329** | **368970** | **387256** | **425384** | **464540** |
| 16 | जनसंख्या (करोड़) | 11.88 | 12.06 | 12.23 | 12.42 | 12.60 | 12.79 |
| **17** | **प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)** | **32109** | **33040** | **30159** | **31192** | **33763** | **36333** |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 1.4 : वर्तमान मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | मद | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 105789 | 119596 | 139985 | 157850 | 170018 | 187493 |
| 1.1 | फसल | 55550 | 63240 | 73038 | 70594 | 76553 | 85764 |
| 1.2 | पशुधन | 33301 | 37483 | 45878 | 64156 | 67467 | 73726 |
| 1.3 | वानिकी एवं काष्ठ निर्माण | 8461 | 9670 | 10407 | 11285 | 12151 | 13402 |
| 1.4 | मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 8476 | 9203 | 10663 | 11815 | 13847 | 14601 |
| 2 | खनन एवं उत्खनन | 1604 | 5399 | 749 | 986 | 3025 | 3820 |
| | **प्राथमिक** | **107393** | **124996** | **140735** | **158836** | **173043** | **191313** |
| 3 | विनिर्माण | 30974 | 34153 | 37839 | 44291 | 44752 | 46523 |
| 4 | विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | 5866 | 6462 | 5784 | 6455 | 10261 | 12187 |
| 5 | निर्माण | 41292 | 42371 | 38849 | 54377 | 66078 | 76697 |
| | **द्वितीयक** | **78132** | **82987** | **82472** | **105123** | **121091** | **135407** |
| 6 | व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह | 91864 | 98510 | 85050 | 93000 | 112831 | 135303 |
| 6.1 | व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं | 86814 | 93145 | 82906 | 89784 | 106455 | 126635 |
| 6.2 | होटल एवं जलपानगृह | 5049 | 5365 | 2144 | 3216 | 6376 | 8668 |
| 7 | परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 39182 | 43866 | 39745 | 56229 | 59654 | 69085 |
| 7.1 | रेलवे | 3458 | 3777 | 4922 | 5370 | 4871 | 5296 |
| 7.2 | पथ परिवहन | 25107 | 27768 | 21986 | 34680 | 35259 | 40737 |
| 7.3 | जल परिवहन | 39 | 40 | 38 | 66 | 99 | 119 |
| 7.4 | वायु परिवहन | 111 | 192 | 36 | 15 | 74 | 89 |
| 7.5 | परिवहन के समकक्ष सेवाएं | 2498 | 2758 | 2041 | 3321 | 3644 | 4178 |
| 7.6 | भंडारण | 336 | 349 | 369 | 381 | 424 | 524 |
| 7.7 | संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 7634 | 8983 | 10353 | 12396 | 15284 | 18141 |
| 8 | वित्तीय सेवाएं | 21831 | 22747 | 24827 | 25999 | 31376 | 37760 |
| 9 | स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं | 38291 | 38559 | 37717 | 42904 | 46225 | 51282 |
| 10 | लोक प्रशासन | 19424 | 21615 | 24177 | 26637 | 33382 | 38254 |
| 11 | अन्य सेवाएं | 69864 | 77244 | 65187 | 72188 | 92574 | 108353 |
| | **तृतीयक** | **280455** | **302541** | **276704** | **316957** | **376043** | **440037** |
| 12 | **निवल राज्यगत मूल्यवर्धन** | **465979** | **510523** | **499910** | **580917** | **670177** | **766757** |
| 13 | उत्पादों पर कर | 39810 | 44212 | 50802 | 54289 | 63387 | 74010 |
| 14 | उत्पादों पर सब्सिडी | 22185 | 22162 | 35315 | 48002 | 59787 | 69331 |
| 15 | **निवल राज्य घरेलू उत्पाद** | **483604** | **532573** | **515397** | **587205** | **673777** | **771435** |
| 16 | जनसंख्या (करोड़) | 11.88 | 12.06 | 12.23 | 12.42 | 12.60 | 12.79 |
| 17 | **प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)** | **40715** | **44175** | **42128** | **47296** | **53478** | **60337** |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 1.5 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | मद | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 64781 | 65187 | 70469 | 73033 | 76797 | 81003 |
| 1.1 | फसल | 33834 | 31332 | 33844 | 34535 | 36771 | 38485 |
| 1.2 | पशुधन | 20093 | 22395 | 24765 | 25806 | 26501 | 28520 |
| 1.3 | वानिकी एवं काष्ठ निर्माण | 5747 | 6018 | 6148 | 6270 | 6401 | 6648 |
| 1.4 | मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 5108 | 5442 | 5711 | 6422 | 7124 | 7350 |
| 2 | खनन एवं उत्खनन | 559 | 2094 | 305 | 398 | 1189 | 1440 |
| | **प्राथमिक** | **65340** | **67280** | **70774** | **73431** | **77986** | **82443** |
| 3 | विनिर्माण | 27332 | 28254 | 32330 | 33093 | 30686 | 31110 |
| 4 | विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | 5356 | 5790 | 5279 | 5467 | 6836 | 8066 |
| 5 | निर्माण | 31930 | 31796 | 29107 | 34541 | 42492 | 47194 |
| | **द्वितीयक** | **64617** | **65839** | **66716** | **73101** | **80014** | **86369** |
| 6 | व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह | 63439 | 65930 | 54789 | 52784 | 60990 | 69445 |
| 6.1 | व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं | 59977 | 62367 | 53456 | 51013 | 57580 | 65040 |
| 6.2 | होटल एवं जलपानगृह | 3461 | 3563 | 1333 | 1771 | 3411 | 4404 |
| 7 | परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 28736 | 30672 | 23499 | 31871 | 32722 | 36287 |
| 7.1 | रेलवे | 2753 | 3046 | 2009 | 2584 | 2586 | 2675 |
| 7.2 | पथ परिवहन | 17771 | 19363 | 13938 | 20555 | 20098 | 22247 |
| 7.3 | जल परिवहन | 27 | 27 | 23 | 38 | 55 | 63 |
| 7.4 | वायु परिवहन | 74 | 121 | -9 | -20 | 20 | 24 |
| 7.5 | परिवहन के समकक्ष सेवाएं | 1763 | 1908 | 1262 | 1921 | 2022 | 2221 |
| 7.6 | भंडारण | 241 | 245 | 237 | 227 | 242 | 286 |
| 7.7 | संचार एवं प्रसारण सेवाएं | 6108 | 5962 | 6039 | 6566 | 7698 | 8770 |
| 8 | वित्तीय सेवाएं | 17907 | 18630 | 18811 | 18386 | 19377 | 20869 |
| 9 | स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं | 30246 | 30412 | 29693 | 33644 | 35911 | 38208 |
| 10 | लोक प्रशासन | 14158 | 15309 | 14102 | 15314 | 18152 | 19934 |
| 11 | अन्य सेवाएं | 46711 | 48660 | 38140 | 40595 | 49381 | 55136 |
| | **तृतीयक** | **201197** | **209614** | **179034** | **192595** | **216534** | **239879** |
| 12 | **निवल राज्यगत मूल्यवर्धन** | **331155** | **342734** | **316524** | **339127** | **374535** | **408691** |
| 13 | उत्पादों पर कर | 32506 | 33098 | 38807 | 38468 | 40292 | 42203 |
| 14 | उत्पादों पर सब्सिडी | 18115 | 16591 | 26977 | 34012 | 38004 | 39535 |
| 15 | **निवल राज्य घरेलू उत्पाद** | **345545** | **359241** | **328354** | **343583** | **376823** | **411359** |
| 16 | जनसंख्या (करोड़) | 11.88 | 12.06 | 12.23 | 12.42 | 12.60 | 12.79 |
| 17 | **प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)** | **29092** | **29798** | **26839** | **27674** | **29909** | **32174** |

टिप्पणी : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.6 : वर्तमान/ 2011-12 के स्थिर मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति/ सकल/ निवल जिला घरेलू उत्पाद (2022-23)

| जिले | सकल जिला घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | | निवल जिला घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.) | | प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (रु.) | | प्रति व्यक्ति निवल जिला घरेलू उत्पाद (रु.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य | वर्तमान मूल्य | स्थिर मूल्य |
| पटना | 149456 | 84369 | 137583 | 76439 | 215049 | 121396 | 197965 | 109987 |
| नालंदा | 18263 | 10465 | 16326 | 9164 | 54510 | 31233 | 48727 | 27353 |
| भोजपुर | 17810 | 10128 | 15817 | 8794 | 55936 | 31809 | 49678 | 27620 |
| बक्सर | 10645 | 6038 | 9518 | 5286 | 53438 | 30311 | 47780 | 26535 |
| रोहतास | 21205 | 11950 | 19003 | 10478 | 61893 | 34881 | 55468 | 30583 |
| कैमूर | 10354 | 5739 | 9361 | 5078 | 52290 | 28982 | 47276 | 25646 |
| | | | | | | | | |
| गया | 29563 | 17002 | 26551 | 14982 | 55160 | 31722 | 49539 | 27953 |
| जहानाबाद | 6757 | 3906 | 6006 | 3400 | 51526 | 29789 | 45804 | 25929 |
| अरवल | 3309 | 1885 | 2970 | 1657 | 41421 | 23601 | 37173 | 20738 |
| नवादा | 10521 | 6030 | 9472 | 5327 | 40247 | 23065 | 36235 | 20377 |
| औरंगाबाद | 17004 | 9648 | 15370 | 8555 | 54977 | 31192 | 49692 | 27660 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 19851 | 11564 | 17762 | 10157 | 43039 | 25072 | 38510 | 22021 |
| सीवान | 18320 | 10764 | 16437 | 9500 | 46663 | 27418 | 41867 | 24198 |
| गोपालगंज | 11781 | 6922 | 10588 | 6114 | 40410 | 23742 | 36317 | 20971 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 21799 | 12716 | 19514 | 11132 | 44228 | 25799 | 39590 | 22586 |
| पूर्व चंपारण | 25340 | 14516 | 22755 | 12782 | 39623 | 22698 | 35581 | 19986 |
| मुजफ्फरपुर | 35367 | 20689 | 31698 | 18210 | 59425 | 34762 | 53261 | 30597 |
| सीतामढ़ी | 15498 | 9263 | 13884 | 8163 | 36692 | 21931 | 32871 | 19326 |
| शिवहर | 2694 | 1578 | 2418 | 1393 | 33399 | 19561 | 29978 | 17269 |
| वैशाली | 22312 | 12971 | 19889 | 11338 | 51302 | 29824 | 45730 | 26069 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 23757 | 13935 | 21331 | 12293 | 52792 | 30966 | 47401 | 27317 |
| मधुबनी | 21183 | 12115 | 19125 | 10735 | 39006 | 22308 | 35217 | 19768 |
| समस्तीपुर | 24143 | 13843 | 21613 | 12149 | 46803 | 26837 | 41899 | 23552 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 30558 | 17789 | 27537 | 15818 | 84279 | 49064 | 75948 | 43625 |
| मुंगेर | 12482 | 7368 | 11017 | 6376 | 79272 | 46795 | 69970 | 40492 |
| शेखपुरा | 3286 | 1874 | 2954 | 1651 | 44484 | 25360 | 39985 | 22349 |
| लखीसराय | 6064 | 3454 | 5428 | 3028 | 50406 | 28715 | 45124 | 25171 |
| जमुई | 10038 | 5804 | 9026 | 5138 | 46969 | 27159 | 42235 | 24041 |
| खगड़िया | 9596 | 5317 | 8691 | 4717 | 45596 | 25263 | 41294 | 22410 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 29543 | 16987 | 26153 | 14700 | 80471 | 46271 | 71236 | 40040 |
| बांका | 10677 | 5917 | 9722 | 5283 | 42974 | 23817 | 39129 | 21263 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 10780 | 6101 | 9720 | 5393 | 46643 | 26401 | 42059 | 23335 |
| सुपौल | 11713 | 6375 | 10631 | 5666 | 42192 | 22964 | 38294 | 20410 |
| मधेपुरा | 11750 | 6226 | 10799 | 5606 | 46107 | 24430 | 42377 | 21996 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 18735 | 10435 | 17025 | 9317 | 46216 | 25742 | 41998 | 22984 |
| किशनगंज | 10228 | 5451 | 9281 | 4841 | 47831 | 25493 | 43404 | 22642 |
| अररिया | 14814 | 7887 | 13514 | 7057 | 41707 | 22204 | 38048 | 19869 |
| कटिहार | 19221 | 10362 | 17287 | 9107 | 50393 | 27167 | 45322 | 23876 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **746417** | **425384** | **673777** | **376823** | **59244** | **33763** | **53478** | **29909** |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 1.7 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (2018-19 से 2022-23)**

(रुपए)

| जिले | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 124315 (1) | 128573 (1) | 110590 (1) | 109527 (1) | 121396 (1) |
| नालंदा | 28423 (12) | 29672 (11) | 27421 (11) | 28709 (10) | 31233 (9) |
| भोजपुर | 28554 (11) | 30145 (10) | 27505 (10) | 28649 (11) | 31809 (7) |
| बक्सर | 28122 (13) | 29258 (12) | 27636 (9) | 28928 (9) | 30311 (12) |
| रोहतास | 31225 (6) | 34604 (5) | 31054 (5) | 32612 (6) | 34881 (5) |
| कैमूर | 24463 (19) | 27213 (15) | 25571 (15) | 27436 (15) | 28982 (15) |
| | | | | | |
| गया | 30006 (7) | 31103 (7) | 27152 (12) | 28972 (8) | 31722 (8) |
| जहानाबाद | 27829 (15) | 28785 (14) | 26386 (14) | 27917 (13) | 29789 (14) |
| अरवल | 22277 (28) | 23946 (27) | 20497 (34) | 22068 (31) | 23601 (31) |
| नवादा | 20703 (35) | 22611 (32) | 20652 (33) | 21763 (32) | 23065 (32) |
| औरंगाबाद | 29292 (10) | 31037 (8) | 28589 (7) | 30039 (7) | 31192 (10) |
| | | | | | |
| सारण | 22833 (26) | 23866 (28) | 22111 (27) | 23039 (28) | 25072 (27) |
| सीवान | 24402 (20) | 25397 (19) | 23439 (22) | 25251 (18) | 27418 (17) |
| गोपालगंज | 21918 (30) | 23804 (29) | 21525 (29) | 22246 (30) | 23742 (30) |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 29777 (9) | 25130 (20) | 23527 (20) | 24086 (24) | 25799 (22) |
| पूर्व चंपारण | 21712 (31) | 21781 (35) | 20253 (35) | 20832 (35) | 22698 (34) |
| मुजफ्फरपुर | 32932 (5) | 33840 (6) | 30392 (6) | 32782 (5) | 34762 (6) |
| सीतामढ़ी | 20910 (34) | 21619 (36) | 19888 (36) | 20567 (36) | 21931 (37) |
| शिवहर | 19023 (38) | 19049 (38) | 17904 (38) | 18448 (38) | 19561 (38) |
| वैशाली | 29828 (8) | 30254 (9) | 27653 (8) | 27796 (14) | 29824 (13) |
| | | | | | |
| दरभंगा | 28070 (14) | 29179 (13) | 26841 (13) | 28553 (12) | 30966 (11) |
| मधुबनी | 20536 (36) | 22054 (34) | 21012 (32) | 20847 (34) | 22308 (35) |
| समस्तीपुर | 24107 (22) | 24843 (24) | 24524 (16) | 24979 (20) | 26837 (20) |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 48584 (2) | 45671 (2) | 46587 (2) | 49045 (2) | 49064 (2) |
| मुंगेर | 41274 (3) | 43723 (3) | 40805 (3) | 42456 (3) | 46795 (3) |
| शेखपुरा | 22422 (27) | 24280 (25) | 22706 (24) | 23379 (26) | 25360 (25) |
| लखीसराय | 26222 (16) | 26920 (16) | 24349 (17) | 25653 (16) | 28715 (16) |
| जमुई | 24358 (21) | 25412 (18) | 23478 (21) | 25189 (19) | 27159 (19) |
| खगड़िया | 23844 (23) | 24889 (22) | 23324 (23) | 23296 (27) | 25263 (26) |
| | | | | | |
| भागलपुर | 39569 (4) | 40846 (4) | 37178 (4) | 38511 (4) | 46271 (4) |
| बांका | 22122 (29) | 23038 (30) | 22024 (28) | 22560 (29) | 23817 (29) |
| | | | | | |
| सहरसा | 25068 (17) | 26012 (17) | 23948 (19) | 24522 (22) | 26401 (21) |
| सुपौल | 21377 (32) | 22376 (33) | 21437 (30) | 21434 (33) | 22964 (33) |
| मधेपुरा | 23741 (25) | 24159 (26) | 22308 (26) | 23704 (25) | 24430 (28) |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 25057 (18) | 25055 (21) | 22465 (25) | 24781 (21) | 25742 (23) |
| किशनगंज | 21177 (33) | 22629 (31) | 21121 (31) | 24172 (23) | 25493 (24) |
| अररिया | 19652 (37) | 20127 (37) | 18536 (37) | 19110 (37) | 22204 (36) |
| कटिहार | 23797 (24) | 24875 (23) | 24007 (18) | 25378 (17) | 27167 (18) |
| | | | | | |
| **बिहार** | **32109** | **33040** | **30159** | **31192** | **33763** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जिलों का दर्जा दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 1.8 : पेट्रोलियम उत्पादों की जिलावार खपत (2014–15 से 2023–24)

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

| जिले | औसत (2014-15 से 2023-24) | | | 2023-24 | | | प्रति 1000 व्यक्ति खपत (मी.टन) (2023-24) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पेट्रॉल | डीजल | रसोई गैस | पेट्रॉल | डीजल | रसोई गैस | पेट्रॉल | डीजल | रसोई गैस |
| पटना | 95.6 | 235.1 | 146.7 | 126.0 | 256.0 | 177.6 | 17.7 | 35.9 | 24.9 |
| नालंदा | 16.5 | 60.1 | 32.6 | 22.3 | 60.2 | 40.8 | 6.4 | 17.3 | 11.7 |
| भोजपुर | 19.4 | 59.0 | 34.8 | 27.7 | 62.9 | 42.3 | 8.4 | 19.0 | 12.8 |
| बक्सर | 11.6 | 33.1 | 18.9 | 14.6 | 29.8 | 23.9 | 7.1 | 14.4 | 11.6 |
| रोहतास | 23.1 | 77.9 | 34.0 | 30.9 | 74.6 | 42.5 | 8.6 | 20.8 | 11.8 |
| कैमूर | 9.2 | 28.0 | 14.3 | 11.4 | 23.9 | 19.0 | 5.8 | 12.2 | 9.7 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 30.2 | 92.0 | 44.3 | 43.0 | 104.7 | 58.1 | 8.1 | 19.7 | 10.9 |
| जहानाबाद | 6.4 | 22.7 | 13.8 | 7.7 | 24.4 | 15.8 | 5.6 | 17.9 | 11.6 |
| अरवल | 4.0 | 12.0 | 6.9 | 5.7 | 13.2 | 9.1 | 6.7 | 15.5 | 10.7 |
| नवादा | 10.7 | 42.2 | 22.0 | 15.4 | 48.6 | 27.7 | 5.7 | 18.1 | 10.3 |
| औरंगाबाद | 17.0 | 73.9 | 23.7 | 24.8 | 85.1 | 31.9 | 8.1 | 27.7 | 10.4 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 30.0 | 92.5 | 49.8 | 40.4 | 88.4 | 65.8 | 8.5 | 18.6 | 13.8 |
| सीवान | 27.0 | 50.4 | 42.9 | 32.5 | 45.2 | 53.4 | 8.1 | 11.2 | 13.3 |
| गोपालगंज | 22.0 | 41.9 | 38.2 | 25.3 | 36.1 | 48.5 | 8.2 | 11.7 | 15.7 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्व चंपारण | 39.5 | 104.0 | 63.4 | 56.5 | 115.0 | 84.1 | 9.2 | 18.7 | 13.7 |
| पश्चिम चंपारण | 28.6 | 69.8 | 43.4 | 38.3 | 66.7 | 56.0 | 8.1 | 14.1 | 11.8 |
| मुजफ्फरपुर | 49.1 | 136.3 | 72.5 | 68.6 | 138.1 | 91.6 | 11.8 | 23.7 | 15.7 |
| सीतामढ़ी | 18.8 | 46.8 | 41.5 | 28.2 | 52.9 | 53.5 | 6.8 | 12.8 | 13.0 |
| शिवहर | 2.9 | 6.1 | 7.7 | 4.5 | 7.0 | 10.2 | 5.7 | 8.9 | 12.9 |
| वैशाली | 30.6 | 77.6 | 49.1 | 39.2 | 84.1 | 61.0 | 9.2 | 19.8 | 14.4 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 28.0 | 66.0 | 54.7 | 39.5 | 71.7 | 69.2 | 8.3 | 15.1 | 14.5 |
| मधुबनी | 28.6 | 57.0 | 53.4 | 41.1 | 66.8 | 70.8 | 7.6 | 12.3 | 13.0 |
| समस्तीपुर | 30.1 | 81.1 | 48.9 | 42.6 | 78.5 | 68.5 | 8.3 | 15.3 | 13.3 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 20.0 | 102.2 | 46.7 | 28.4 | 98.4 | 59.4 | 7.9 | 27.4 | 16.5 |
| मुंगेर | 7.6 | 28.2 | 19.1 | 10.2 | 25.9 | 22.9 | 6.1 | 15.6 | 13.7 |
| शेखपुरा | 3.7 | 21.2 | 6.7 | 5.6 | 26.8 | 8.9 | 7.3 | 34.9 | 11.7 |
| लखीसराय | 4.3 | 19.1 | 8.6 | 5.9 | 21.3 | 10.7 | 4.9 | 17.7 | 8.9 |
| जमुई | 8.1 | 24.8 | 14.6 | 12.2 | 27.8 | 20.9 | 5.7 | 13.0 | 9.8 |
| खगड़िया | 8.1 | 34.2 | 15.1 | 12.5 | 36.7 | 20.4 | 6.2 | 18.3 | 10.2 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 21.1 | 80.3 | 37.6 | 28.4 | 88.5 | 46.8 | 7.7 | 24.1 | 12.7 |
| बांका | 8.8 | 27.2 | 14.5 | 12.5 | 34.4 | 19.8 | 5.1 | 13.9 | 8.0 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 12.2 | 39.0 | 17.2 | 18.5 | 44.2 | 21.8 | 8.1 | 19.3 | 9.5 |
| सुपौल | 16.3 | 39.3 | 17.3 | 25.3 | 43.2 | 24.9 | 9.4 | 16.0 | 9.3 |
| मधेपुरा | 13.8 | 35.0 | 15.6 | 20.7 | 38.0 | 20.0 | 8.6 | 15.7 | 8.3 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 28.3 | 86.0 | 26.5 | 42.9 | 90.9 | 36.6 | 10.9 | 23.2 | 9.3 |
| किशनगंज | 11.5 | 22.7 | 11.9 | 16.2 | 29.9 | 16.6 | 8.0 | 14.8 | 8.2 |
| अररिया | 21.4 | 53.7 | 19.3 | 30.9 | 61.6 | 25.2 | 9.2 | 18.2 | 7.5 |
| कटिहार | 17.7 | 67.6 | 23.3 | 25.3 | 66.3 | 30.8 | 6.9 | 18.0 | 8.3 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **782.1** | **2246.0** | **1251.6** | **1081.7** | **2367.7** | **1607.2** | **8.6** | **18.8** | **12.8** |

स्रोत : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

# अध्याय – 2

# राजकीय वित्तव्यवस्था


**सारांश**

*समय के साथ राज्य सरकार के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि का उपयोग राज्य में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना में सुधार के लिए प्रभावी ढंग से किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न विकासमूलक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने अधिक धनराशि आवंटित की है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही, सरकार ने अपनी वित्तव्यवस्था का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया है, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि व्यय में वृद्धि राजकोषीय रूप से टिकाऊ बनी रहे। वहीं, अरक्षित स्थितियों से बचने के लिए राज्य का राजकोषीय प्रबंधन काफी लचीला रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रु. रहा। इसमें राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ रु. और पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रु. रहा। राजस्व लेखे में प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रु. रही, जिसके परिणामस्वरूप 2,833 करोड़ रु. का अधिशेष हुआ। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के पूंजीगत लेखे में प्राप्ति 60,313 करोड़ रु. थी। वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यय में योजना व्यय 1,01,835 करोड़ रु., जबकि कुल स्थापना एवं समर्पित व्यय 1,50,247 करोड़ रु. था। इस अवधि में राज्य का कुल ऋणग्रहण 60,218 करोड़ रु. था और लोक ऋण की अदायगी 22,979 करोड़ रु. थी। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा किया गया ब्याज भुगतान 17,606 करोड़ रु. था, और कुल बकाया ऋण 3,32,741 करोड़ रु. हो गया। कुल मिलाकर, 2023-24 में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का वितरण विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।*


राज्य सरकार के बजट में गत दो दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए इन राजकोषीय संसाधनों (फिस्कल रिसोर्सेज) का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। साथ ही, इसने विभिन्न विकासमूलक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक धनराशि आवंटित की है, जिसके कारण विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार का कुल व्यय 1.7-गुना बढ़कर 2019-20 के 1.46 लाख करोड़ रु. से 2023-24 में 2.52 लाख करोड़ रु. हो गया (चार्ट 2.1)। सरकार ने अपनी वित्तव्यवस्था का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि व्यय में हुई वृद्धि राजकोषीय आधार पर टिकाऊ बनी रहे। साथ ही, राज्य का राजकोषीय प्रबंधन इन वर्षों में अरक्षितताओं से बचने के लिहाज से पर्याप्त लचीला रहा है।

राज्य सरकार के राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउंट) और पूंजीगत लेखा (कैपिटल एकाउंट), दोनो में 2019-20 से 2023-24 के बीच काफी विस्तार हुआ, लेकिन पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडीचर) में उल्लेखनीय तेज वृद्धि हुई। इस दौरान राजस्व व्यय (रेवेन्यू एक्सपेंडीचर) 1.5 गुना बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय 3.1 गुना बढ़ गया। खास

कर, राजस्व व्यय 2019-20 के 1.26 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 1.91 लाख करोड़ रु. हो गया। वहीं, पूंजीगत व्यय 2019-20 के 0.20 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 0.62 लाख करोड़ रु. पहुंच गया। फलतः, कुल व्यय के प्रतिशत में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 के 14 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 24 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.2)।

**चार्ट 2.1 : राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय (2019-20 से 2023-24)**

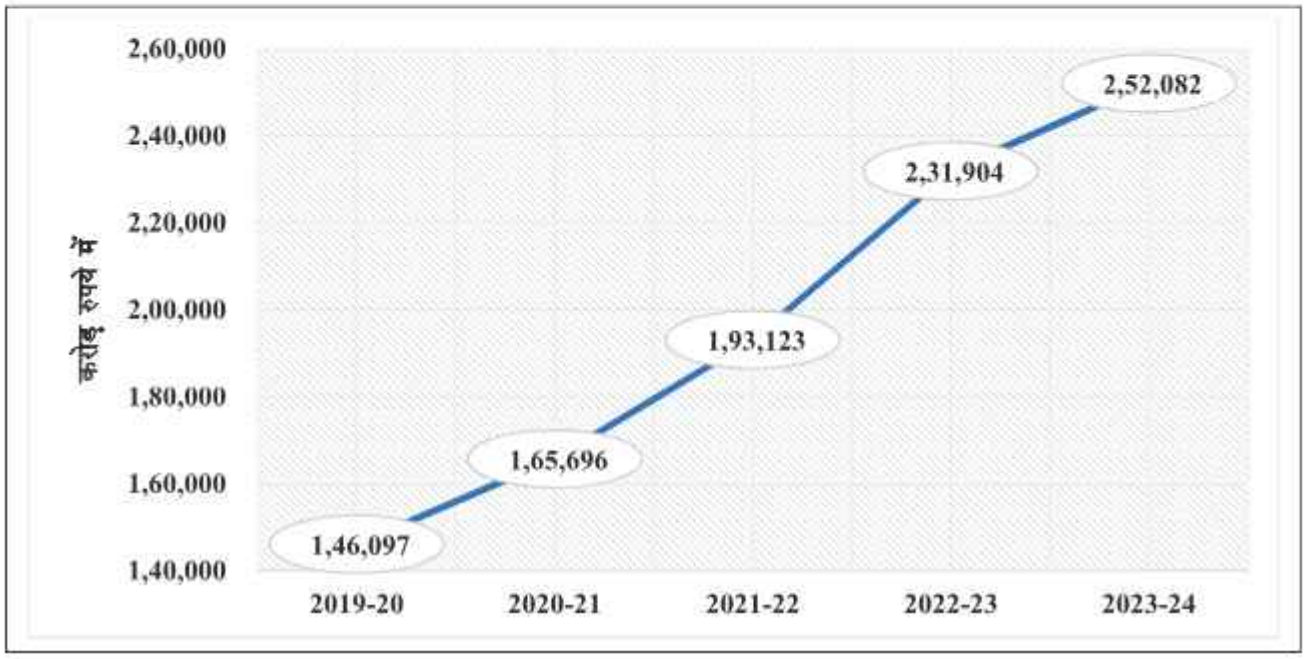


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

**चार्ट 2.2 : कुल व्यय में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का हिस्सा (2019-20 से 2023-24)**

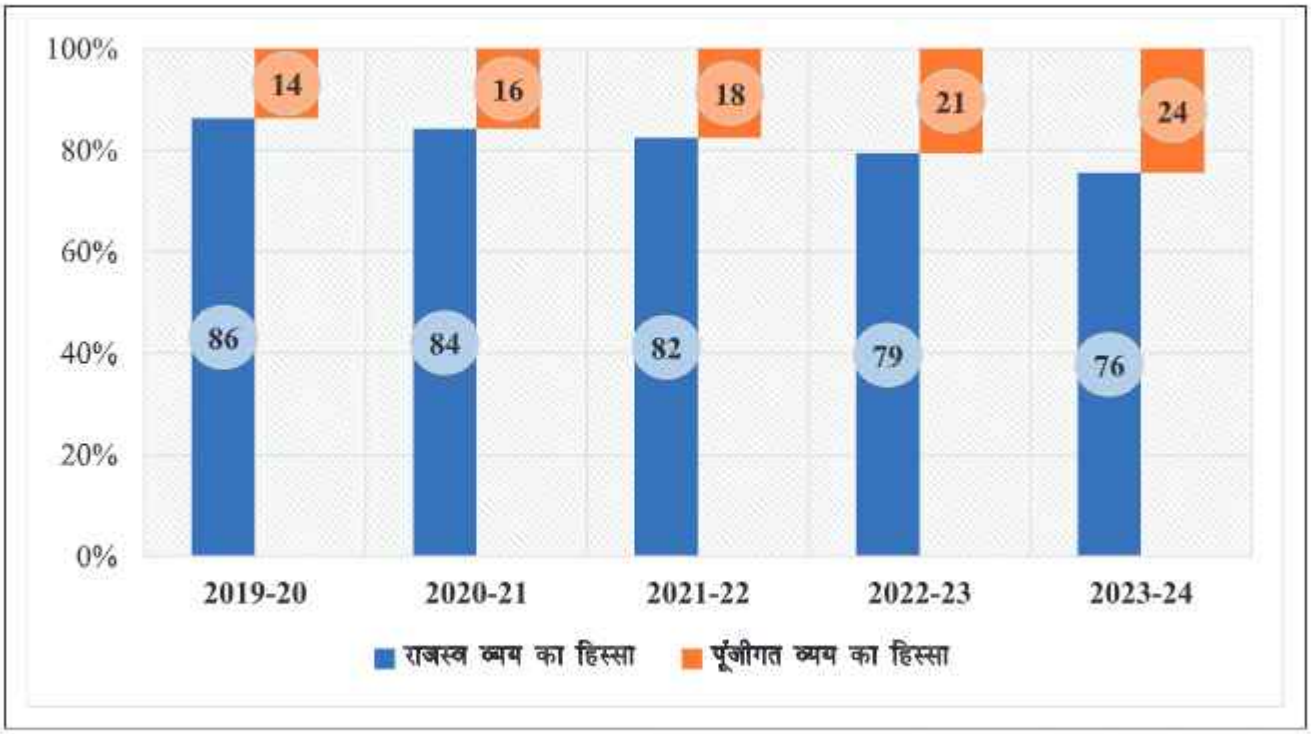


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

## 2.1 वित्तीय स्थिति का अवलोकन

गत पांच वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश तालिका 2.1 में प्रस्तुत है। तालिका में 2019-20 से 2023-24 तक के लिए मुख्य राजकोषीय सूचकों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में उनके अनुपात के साथ-साथ 2024-25 के लिए बजट अनुमान भी दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रु. के कुल व्यय में राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ रु. और पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रु. था। वर्ष 2023-24 में 2022-23 की अपेक्षा राजस्व व्यय 3.6 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 28.5 प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2023-24 में राजस्व लेखे में प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष से 12.0 प्रतिशत अधिक थी। फलतः, 2023-24 में राजस्व लेखे में 2,833 करोड़ रु. का अधिशेष (सरप्लस) था। इस अधिशेष का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया गया। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के पूंजीगत लेखे में 60,313 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई जो 2022-23 से 24.8 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के पांच वर्षों में राज्य सरकार के राजस्व और पूंजीगत लेखों में प्राप्ति और व्यय को चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप, पूंजीगत लेखे में प्राप्ति और व्यय के बीच का अंतर हाल के वर्षों में घटा है। इसी प्रकार, राजस्व लेखे में प्राप्ति और व्यय के बीच फासला घटा ही नहीं है, 2023-24 में अधिशेष भी सृजित हुआ जिसका उपयोग पूंजीगत लेखे में किया गया।

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 35,660 करोड़ रु. था जो 2022-23 के 44,823 करोड़ रु. से 20.4 प्रतिशत कम था। प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट) भी 2022-23 के 29,640 करोड़ रु. से 39.1 प्रतिशत घटकर 2023-24 में 18,054 करोड़ रु. रह गया। राज्य सरकार द्वारा कुल ऋणग्रहण (बॉरोइंग) 2023-24 में 60,218 करोड़ रु. था। राज्य सरकार ने 2023-24 में 22,979 करोड़ रु. की लोक ऋण अदायगी (डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक डेब्ट) की जो गत वर्ष से 60.1 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के ऊपर बकाया ऋण 3,32,741 करोड़ रु. था।

बिहार सरकार के राजस्व लेखे में 2019-20 से 2023-24 तक प्राप्ति की संरचना में परिवर्तन चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्ति (रेवेन्यू रिसिप्ट) में सबसे बड़ा हिस्सा कर राजस्व (टैक्स रेवेन्यू) का था, उसके बाद सहायता अनुदान तथा करेतर राजस्व (नॉन-टैक्स रेवेन्यू) का। कर राजस्व काफी बढ़ा है और 2019-20 के 93,564 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 1,61,965 करोड़ रु. पहुंच गया है। फलतः, इस अवधि में कुल प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सा 75.3 प्रतिशत से बढ़कर 83.8 प्रतिशत हो गया। इसके चलते अन्य दो घटकों के हिस्सों की संरचना भी बदल गई। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्ति में सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) का 13.5 प्रतिशत और करेतर राजस्व का हिस्सा 2.7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2023-24 के अंत तक सहायता अनुदान से प्राप्ति बढ़कर 26,125 करोड़ रु. और करेतर स्रोतों से प्राप्ति बढ़कर 5,257 करोड़ रु. हो गई।

## तालिका 2.1 : प्राप्ति और व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | मद | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **कुल प्राप्ति – राजस्व लेखा** | **124233** | **128168** | **158797** | **172688** | **193347** | **226798** |
| a | कर राजस्व | 93564 | 90203 | 126207 | 139528 | 161965 | 167312 |
| b | करेतर राजस्व | 3700 | 6201 | 3984 | 4135 | 5257 | 7326 |
| c | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 26969 | 31764 | 28606 | 29026 | 26125 | 52161 |
| **2** | **कुल व्यय – राजस्व लेखा** | **126017** | **139493** | **159220** | **183976** | **190514** | **225677** |
| a | सामान्य सेवाएं, जिसमें | 41628 | 46239 | 48939 | 56029 | 59218 | 78754 |
| | ब्याज भुगतान | 10991 | 12484 | 13822 | 15184 | 17606 | 20526 |
| b | सामाजिक सेवाएं | 57816 | 63808 | 76115 | 88348 | 83225 | 102307 |
| c | आर्थिक सेवाएं | 26571 | 29445 | 34166 | 39598 | 48071 | 44610 |
| d | सहायता अनुदान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **3** | **राजस्व घाटा** | **1784** | **11325** | **422** | **11288** | **-2833** | **-1121** |
| **4** | **पूंजीगत प्राप्ति** | **29175** | **36735** | **40473** | **48325** | **60313** | **52127** |
| a | लोक ऋण आदि | 29145 | 35915 | 40445 | 48284 | 60218 | 51688 |
| b | ऋण एवं अग्रिम वसूली | 30 | 820 | 28 | 41 | 96 | 439 |
| **5** | **पूंजीगत व्यय, जिसमें** | **20080** | **26203** | **33903** | **47928** | **61568** | **53049** |
| a | पूंजीगत परिव्यय | 12304 | 18209 | 23678 | 31520 | 36453 | 29416 |
| b | ऋण एवं अग्रिम | 666 | 1114 | 1479 | 2057 | 2136 | 1240 |
| c | लोक ऋण | 7110 | 6880 | 8746 | 14351 | 22979 | 22393 |
| **6** | **कुल व्यय** | **146097** | **165696** | **193123** | **231904** | **252082** | **278726** |
| a | योजना व्यय | 57438 | 63405 | 83298 | 105154 | 101835 | 100020 |
| b | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | 88659 | 102292 | 109825 | 126750 | 150247 | 178706 |
| **7** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **14724** | **29828** | **25551** | **44823** | **35660** | **29095** |
| **8** | **प्राथमिक घाटा** | **3733** | **17344** | **11729** | **29640** | **18054** | **8569** |
| 9 | **कुल ऋण-ग्रहण** | **29145** | **35915** | **40445** | **48284** | **60218** | **51688** |
| a | आंतरिक ऋण-ग्रहण | 27866 | 29412 | 30917 | 38129 | 49546 | 49188 |
| b | केंद्र सरकार से ऋण | 1279 | 6503 | 9527 | 10155 | 10672 | 2500 |
| **10** | **लोक ऋण अदायगी** | **7110** | **6880** | **8746** | **14351** | **22979** | **22393** |
| **11** | **बकाया ऋण** | **193382** | **227196** | **257510** | **293307** | **332741** | **348370** |
| **12** | **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** | **617153** | **618628** | **675448** | **751396** | **854429** | **976514** |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में** | | | | | | | |
| **1** | **कुल प्राप्ति – राजस्व लेखा** | **20.1** | **20.7** | **23.5** | **23** | **22.6** | **23.2** |
| a | कर राजस्व | 15.2 | 14.6 | 18.7 | 18.6 | 19.0 | 17.1 |
| b | करेतर राजस्व | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| c | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 5.3 |
| **2** | **कुल व्यय – राजस्व लेखा** | **20.4** | **22.5** | **23.6** | **24.5** | **22.3** | **23.1** |
| a | सामान्य सेवाएं, जिसमें | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 8.1 |
| | ब्याज भुगतान | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 |
| b | सामाजिक सेवाएं | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 9.7 | 10.5 |
| c | आर्थिक सेवाएं | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.6 |
| d | सहायता अनुदान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| **3** | **राजस्व घाटा** | **0.3** | **1.8** | **0.1** | **1.5** | **-0.3** | **-0.1** |
| **4** | **पूंजीगत प्राप्ति** | **4.7** | **5.9** | **6** | **6.4** | **7.1** | **5.3** |
| a | लोक ऋण आदि | 4.7 | 5.8 | 6 | 6.4 | 7.0 | 5.3 |
| b | ऋण एवं अग्रिम वसूली | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| **5** | **पूंजीगत व्यय, जिसमें** | **3.3** | **4.2** | **5** | **6.4** | **7.2** | **5.4** |
| a | पूंजीगत परिव्यय | 2 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 3.0 |
| b | ऋण एवं अग्रिम | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| c | लोक ऋण | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 2.3 |
| **6** | **कुल व्यय** | **23.7** | **26.8** | **28.6** | **30.9** | **29.5** | **28.5** |
| a | योजना व्यय | 9.3 | 10.2 | 12.3 | 14 | 11.9 | 10.2 |
| b | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | 14.4 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 17.6 | 18.3 |
| **7** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **2.4** | **4.8** | **3.8** | **6.0** | **4.2** | **3.0** |
| **8** | **प्राथमिक घाटा** | **0.6** | **2.8** | **1.7** | **3.9** | **2.1** | **0.9** |
| **9** | **कुल ऋण-ग्रहण** | **4.7** | **5.8** | **6** | **6.4** | **7.0** | **5.3** |
| a | आंतरिक ऋण-ग्रहण | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 5.0 |
| b | केंद्र सरकार से ऋण | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.3 |
| **10** | **लोक ऋण अदायगी** | **1.2** | **1.1** | **1.3** | **1.9** | **2.7** | **2.3** |
| **11** | **बकाया ऋण** | **31.3** | **36.7** | **38.1** | **39** | **38.9** | **35.7** |

स्रोत : वित्तीय लेखे, राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

चार्ट 2.3 : बिहार सरकार के राजस्व और पूंजीगत लेखे (2019-20 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

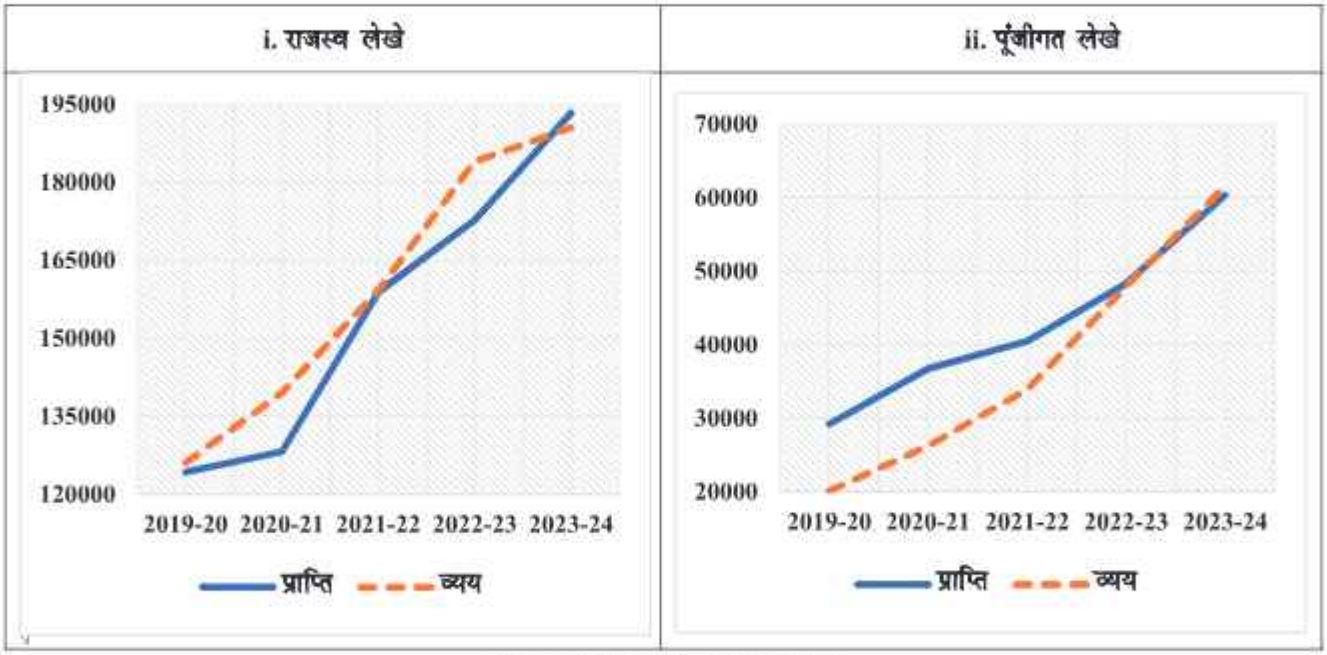


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.4 : बिहार सरकार के राजस्व लेखा में प्राप्ति की संरचना (2019-20 और 2023-24)

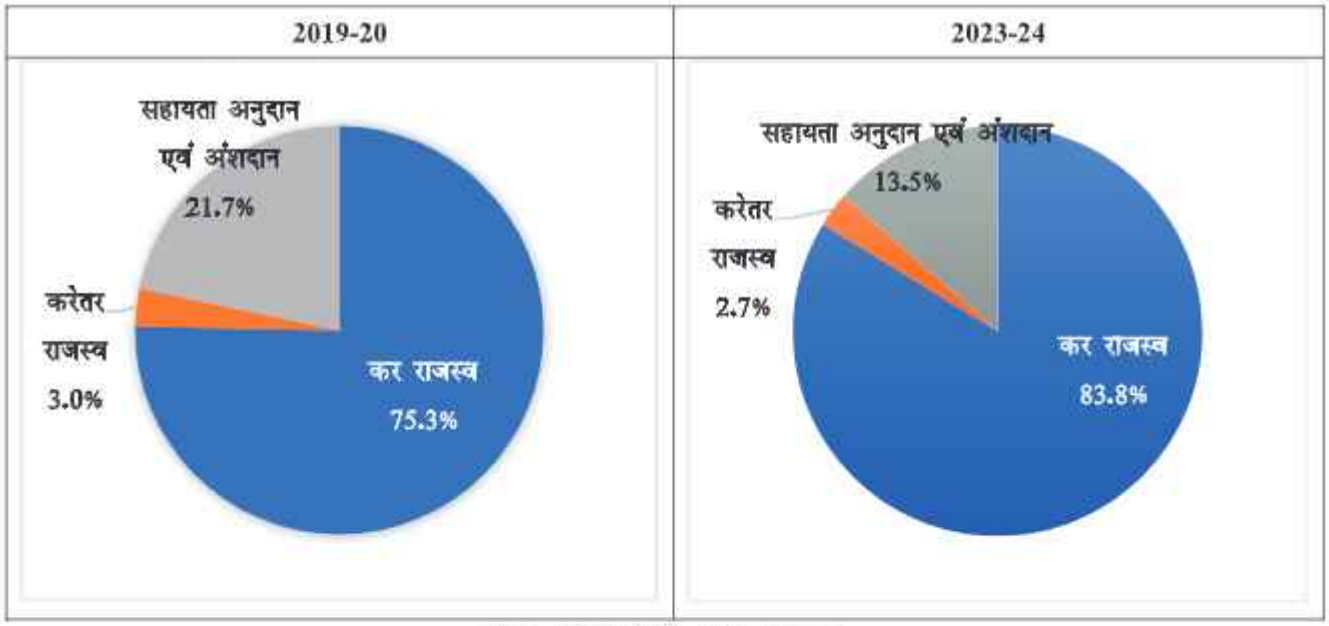


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.5 में वित्तवर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में राज्य सरकार के राजस्व लेखे से व्यय में तीन मुख्य श्रेणियों - सामान्य सेवा, सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा का प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान बहुत कम रहा है इसलिए, इसे चार्ट में नहीं दर्शाया गया है। राजस्व व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं का है, उसके बाद सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं का। वर्ष 2023-24 में इन घटकों का हिस्सा क्रमशः 43.7 प्रतिशत, 31.1 प्रतिशत और 25.2 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच सामाजिक सेवाओं पर राज्य सरकार का राजस्व व्यय 57,816 करोड़ रु. से बढ़कर 83,225 करोड़ रु. पहुंच गया। वहीं, इस अवधि में सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 41,628 करोड़ रु. से 59,218 करोड़ रु. और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व लेखे से व्यय 26,571 करोड़ रु. से बढकर 48,071 करोड़ रु. हो गया। इसके अतिरिक्त, 2019-20 के 10,991 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 17,606 करोड़ रु. हो गया। राजस्व लेखे से ब्याज भुगतान का रुझान चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.5 : बिहार सरकार के राजस्व लेखा में व्यय की संरचना (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

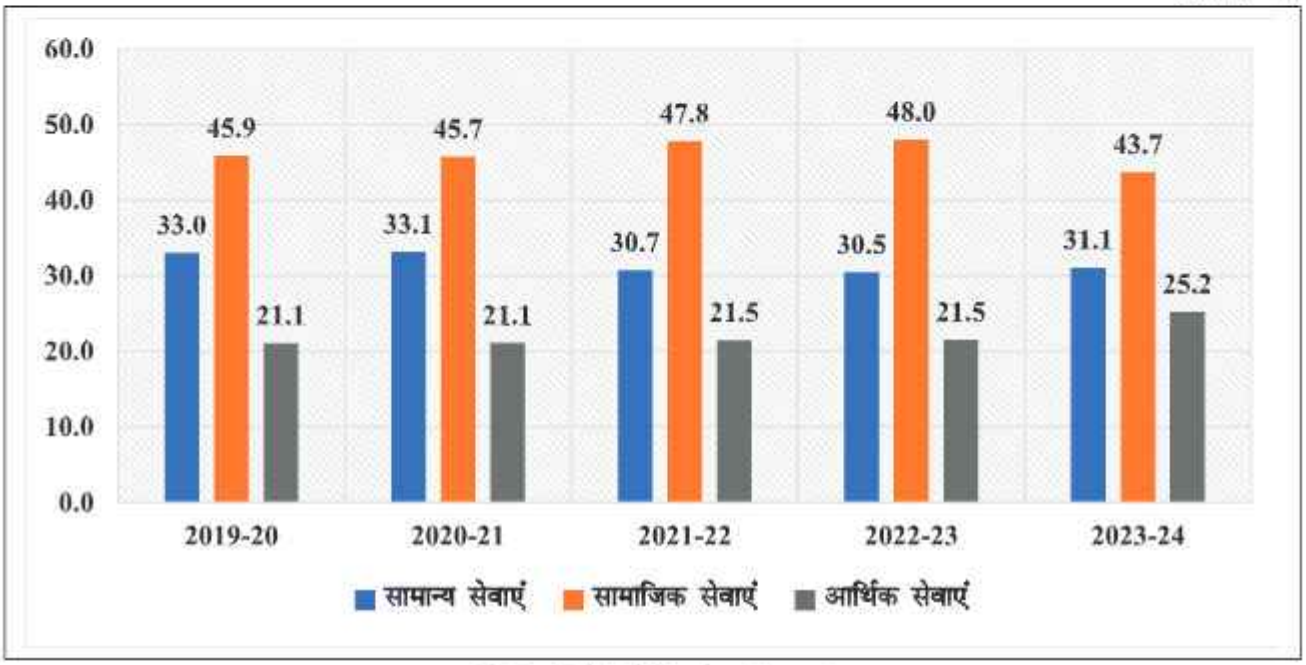


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

**चार्ट 2.6 : बिहार सरकार के राजस्व लेखा में ब्याज भुगतान की संरचना (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु. में)

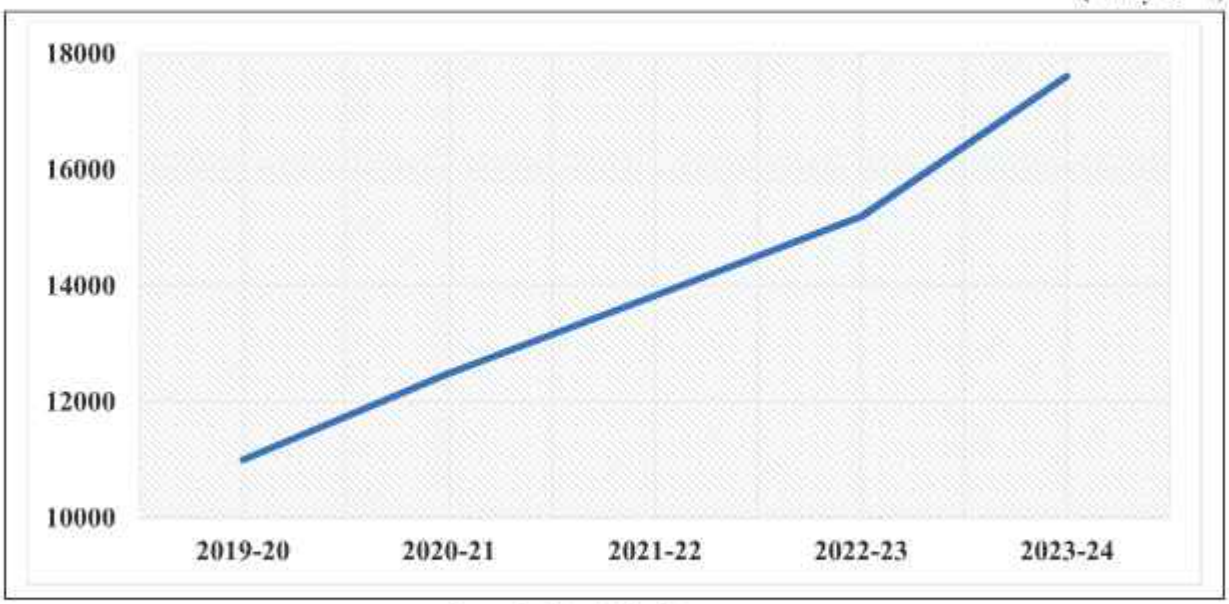


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.7 : बिहार सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (2019-20 से 2023-24)

(प्रतिशत में)

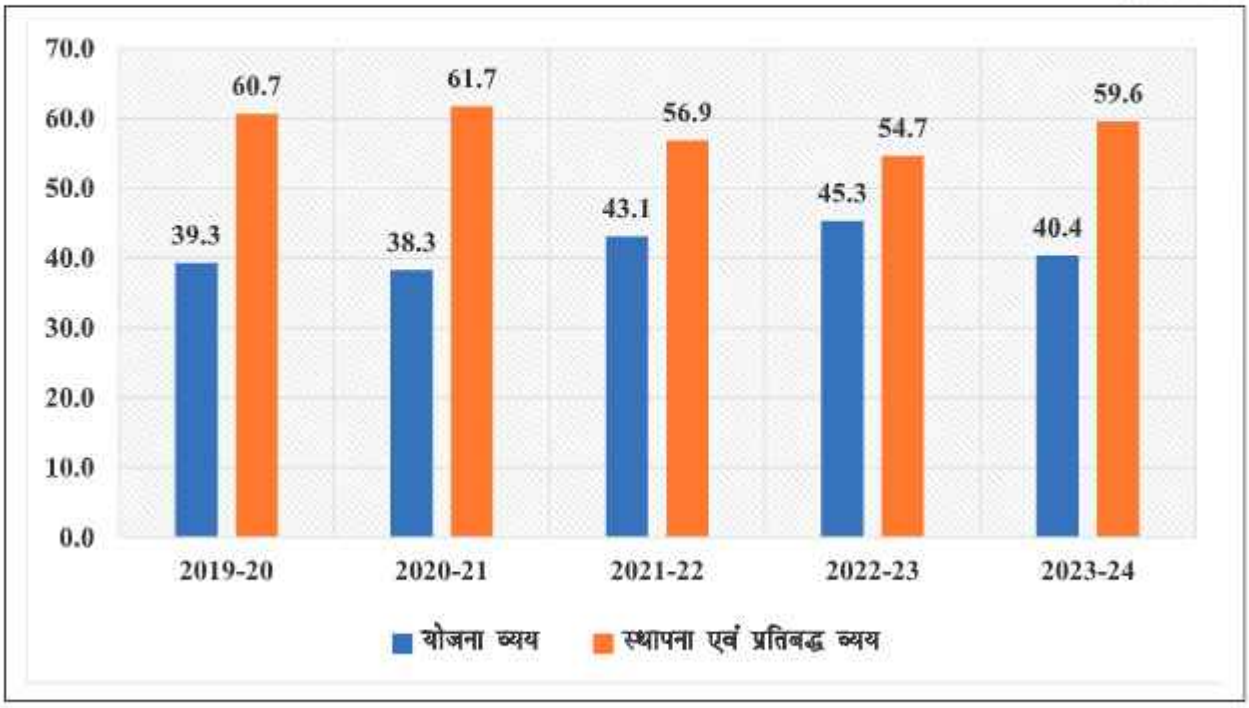


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राज्य सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय (स्कीम एक्सेंडीचर) और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (एस्टैब्लिशमेंट एंड कम्मिटेड एक्सपेंडिचर) का हिस्सा चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है। योजना व्यय का हिस्सा 2019-20 के 39.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.4 प्रतिशत हो गया है। परिणामस्वरूप, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2019-20 के 60.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 59.6 प्रतिशत रह गया। इन पांच वर्षों में योजना व्यय 77.3 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 69.5 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रु. के कुल व्यय में, योजना व्यय 1,01,835 करोड़ रु. और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1,50,247 करोड़ रु. था।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि और 2024-25 के बजट अनुमान में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के विभिन्न घटकों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सारांश तालिका 2.1 में प्रस्तुत है। आर्थिक गतिविधियां में वृद्धि के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विस्तार हुआ है, जो 2019-20 के 6.2 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रु. पहुंच गया।

विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता कुल व्यय में हुई वृद्धि से स्पष्ट है, जो 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 29.5 प्रतिशत पहुंच गया। गौरतलब है कि, पूंजीगत व्यय काफी बढ़ा है और 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 7.2 प्रतिशत पहुंच गया। कुल पूंजीगत परिव्यय में भी प्रशंसनीय वृद्धि हुई है, जो 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत से 2.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 2023-24 में 4.3 प्रतिशत पहुंच गया।

प्राप्तियों की बात करें, तो राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 20.1 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में 22.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। कर राजस्व के योगदान में 3.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और यह 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 19.0 प्रतिशत पहुंच गया। वहीं, करेतर राजस्व से प्राप्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रहीं, हालांकि 2020-21 अपवाद था जब यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। साथ ही, पूंजीगत लेखे में प्राप्ति 2019-20 के 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 7.1 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2023-24 में, योजना व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत था, जबकि स्थापना एवं समर्पित व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.6 प्रतिशत था।

राज्य सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण, 2023-24 में राजस्व लेखे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत अधिशेष दर्ज हुआ। प्राथमिक घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत रहा और राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण-ग्रहण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.0 प्रतिशत, जबकि कुल लोक ऋण अदायगी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत थी। फलतः, राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.9 प्रतिशत था, जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा बिहार के लिए अनुशंसित सीमा के नीचे बना रहा। कुल मिलाकर, व्यय के वर्तमान स्तर पर सरकार ने राजकोषीय आधार पर टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल किया है, और इसका वित्तीय प्रबंधन इसकी ऋण-ग्रहण क्षमता पर प्रभाव डालने वाली अरक्षितताओं में कमी लाने के लिहाज से पर्याप्त लचीला रहा है।

## 2.2 राजकोषीय प्रदर्शन

राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन तीन मुख्य सूचकों - सुस्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) और अरक्षितता (वल्नरेबिलिटी) - का उपयोग करके किया जा सकता है। अगर राज्य अपने बकाया ऋण (आउटस्टैंडिंग डेब्ट) में अचानक वृद्धि किए बिना अपनी व्यय संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर सके, तो उसकी वित्तव्यवस्था को सुस्थिर माना जाता है। राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में वर्तमान राजस्व शेष (बीसीआर), ब्याज अनुपात, बकाया ऋण की वृद्धि दर, कुल राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर, और राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर हैं।

वित्तीय लचीलापन का आशय विभिन्न स्रोतों से या अतिरिक्त उधार लेकर राजस्व बढ़ाने की राज्य की क्षमता से है। लचीलापन को मापने के लिए प्रयुक्त मुख्य सूचकों में पूंजीगत ऋणग्रहण (कैपिटल बॉरोइंग) के मुकाबले पूंजीगत अदायगी (केपिटल रिपेमेंट) का प्रतिशत, पूंजीगत प्राप्ति के मुकाबले पूंजीगत परिव्यय का प्रतिशत, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर कुल कर प्राप्ति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर राज्य की अपनी कर प्राप्ति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर बकाया ऋण शामिल हैं।

अरक्षितता के सूचक आकलन करते हैं कि राजकीय वित्तव्यवस्था कहीं जोखिम में तो नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से ऋण लेने की उसकी क्षमता को संभवतः बाधित तो नहीं कर रही है। घाटा से संबंधित विभिन्न पैमानों का विश्लेषण करके, ये सूचक राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिमों के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

**क. सुस्थिरता**

तालिका 2.2 के भाग क में राज्य सरकार के 2019-20 से 2023-24 तक व्यय की सुस्थिरता के आकलन के लिए प्रयुक्त सूचकों को प्रस्तुत किया गया है।

(1) **वर्तमान राजस्व शेष (बीसीआर)** : किसी वर्ष में राज्य की वित्तव्यवस्था में वर्तमान राजस्व का धनात्मक शेष बताता है कि राज्य सरकार के पास अपने राजस्व से विकासमूलक व्यय करने के लिए अधिशेष (सरप्लस) रकम मौजूद है। विगत वर्षों के दौरान बिहार की राज्य सरकार ने वर्तमान राजस्व शेष लगातार धनात्मक बनाए रखा है। वर्ष 2022-23 में वर्तमान राजस्व शेष 38,333 करोड़ रु. और 2023-24 में 48,235 करोड़ रु. था। इस सूचक से पता चलता है कि राज्य की वित्तव्यवस्था अभी सुस्थिर है।

(2) **ब्याज अनुपात (इंटरेस्ट रेशियो)** : इस अनुपात की गणना शुद्ध ब्याज भुगतान में कुल राजस्व प्राप्ति में से ब्याज प्राप्ति और सहायता अनुदान एवं अंशदान घटाने के बाद बची राशि से भाग देकर की जाती है। ब्याज अनुपात में अचानक और तेज वृद्धि होना राज्य सरकार द्वारा अपनी राजस्व प्राप्ति से अपने राजस्व व्यय को पूरा करते हुए किसी नई ऋण चुकाने की घटी क्षमता को दर्शाता है। यह अनुपात 2019-20 के 10.0 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 11.6 प्रतिशत हो गया है, जो बताता है कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था अभी सुस्थिर है।

(3) **बकाया ऋण में वृद्धि** : वर्ष के अंत में राज्य सरकार का ऋण भार उसकी देनदारी (लायबलिटी) को दर्शाता है। बकाया ऋण में तेज वृद्धि से राज्य की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का बकाया ऋण 13.4 प्रतिशत था जो 2022-23 के 13.9 प्रतिशत से कम है। साथ ही, हाल के वर्षों में बकाया ऋण की वार्षिक वृद्धि दर में कोई अचानक उछाल नहीं आया है, जो बताता है कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था सुस्थिर है।

(4) **कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि** : राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि होती रहे तो उससे राज्य सरकार को अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अधिक अदायगी के जरिए बकाया ऋण घटाने में भी मदद मिलती है। वर्ष 2023-24 में राजस्व लेखे में प्राप्ति 12.0 प्रतिशत बढ़ी, जो 2022-23 में 8.7 प्रतिशत और 2021-22 में 23.9 प्रतिशत बढ़ी थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था अभी सुस्थिर है।

(5) **राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि** : अपने स्रोतों से राजस्व बढ़ने से राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता बढ़ जाती है। इससे अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए केंद्रीय अंतरणों और उधार लेने पर उसकी निर्भरता भी घटती है। राज्य सरकार का अपने स्रोतों से राजस्व 2023-24 में 11.3 प्रतिशत बढ़ा जो 2022-23 में और अधिक, 24.0 प्रतिशत बढ़ा था। राज्य सरकार के अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्ति में सुधार का पैटर्न राज्य की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता का संकेत देता है।

**ख. लचीलापन**

तालिका 2.2 के भाग ख में बिहार में 2019-20 से 2023-24 तक के लिए राजकीय वित्तव्यवस्था के लचीलापन के आकलन के लिए प्रयुक्त चुनिंदा सूचकों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत हैं।

(1) **पूंजीगत अदायगी (कैपिटल रिपेमेंट) के साथ पूंजीगत ऋणग्रहण (कैपिटल बॉरोविंग) का अनुपात:** कुल पूंजीगत ऋणग्रहण के प्रतिशत में पूंजीगत अदायगी हर साल अदायगी के लिए आवंटित उधार ली गई धनराशि

को बतलाता है, जिसका अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा उसका उपयोग परिसंपत्ति निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। यह अनुपात हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है, और 2023-24 में 41.7 प्रतिशत पहुंच गया है।

(2) **पूंजीगत प्राप्ति के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात :** कुल पूंजीगत प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर पूंजीगत परिव्यय बताता है कि पूंजीगत प्राप्ति को राज्य में पूंजीगत परिव्यय के लिए किस हद तक आबंटित किया गया है। बिहार के लिए, यह अनुपात लगातार बढ़ा है, और 2019-20 के 42.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 60.4 प्रतिशत हो गया है। वृद्धि का यह रुझान बताता है कि राज्य सरकार ने अपनी पूंजीगत प्राप्तियों के अच्छे-खासे हिस्से का उपयोग बढ़े पूंजीगत परिव्यय के जरिए राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए करने को प्राथमिकता दी है। हाल का पैटर्न यह भी बताता है कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था लचीली बनी हुई है।

(3) **राज्य की कुल कर प्राप्ति का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात :** राज्य सरकार के राजस्व लेखे में होने वाली प्राप्तियों में कर राजस्व से प्राप्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अनुपात में वृद्धि से राज्य सरकार को अपने वित्तव्यवस्था के प्रबंधन के लिए अधिक लचीलापन उपलब्ध होता है। उल्लेखनीय है कि यह अनुपात 2019-20 में 15.2 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 19.0 प्रतिशत हो गया। यह पैटर्न बताता है कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था लचीली बनी हुई है।

(4) **राज्य की अपनी कर प्राप्ति का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात :** राज्य की अपनी कर प्राप्ति का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात राज्य में आर्थिक गतिविधियों के दिए गए आकार के लिए अपने कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व की सीमा को बताता है। इस अनुपात में वृद्धि से पता चलता है कि राज्य सरकार को अपना व्यय बढ़ाने के लिए अधिक लचीलापन उपलब्ध है। साथ ही, इससे व्यय के वर्तमान स्तर के लिए उधार लेने की कम जरूरत का भी पता चलता है। इस अनुपात में हाल के वर्षों में लगातार सुधार हुआ है, जो 2019-20 के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 5.7 प्रतिशत हो गया, जो बताता है कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था लचीली है।

(5) **बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात :** सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन के संबंध में उसकी संचित हुई देनदारियों को बताता है। इस अनुपात में अचानक और तेज वृद्धि आने से पता चलता है कि राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए दबाव में है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण 2022-23 में 39.0 प्रतिशत था जो 2023-24 में घटकर 38.9 प्रतिशत रह गया।

### ग. अरक्षितता

तालिका 2.2 के भाग ग राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था की अरक्षितता के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त चुनिंदा सूचकों के 2019-20 से 2023-24 तक के आंकड़े में पेश हैं।

(1) **प्राथमिक घाटा :** सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतानों को घटाकर परिभाषित प्राथमिक घाटा, राजकीय वित्तव्यवस्था के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। राज्य सरकार द्वारा किए गए ब्याज भुगतान पूर्व की देनदारियों से संबंधित होते हैं। इसलिए, प्राथमिक घाटा से राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था पर उनकी वर्तमान नीतियों के प्रभाव के मूल्यांकन में मदद मिलती है। वित्तवर्ष 2023-24 में, राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा

2022-23 में 29,640 करोड़ रु. से 39.1 प्रतिशत घटकर 18,054 करोड़ रु. रह गया, जो राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में सकारात्मक विकास का संकेत देता है।

(2) **राजस्व घाटा** : राज्य सरकार के राजस्व लेखे में घाटा की गणना लेखे में प्राप्ति और व्यय के बीच अंतर से की जाती है। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य सरकार ने 2023-24 में अपने राजस्व लेखे में 2,833 करोड़ रु. का अधिशेष हासिल किया, जबकि 2022-23 में 11,288 करोड़ रु. का राजस्व घाटा था।

(3) **राजकोषीय घाटा** : राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा किसी वित्तवर्ष में हुई कुल राजस्व प्राप्ति और किए गए कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 के 44,823 करोड़ रु. से 20.4 प्रतिशत घटकर 35,660 करोड़ रु. रह गया।

इन वित्तीय सूचकों से पता चलता है कि व्यय के वर्तमान स्तर को देखते हुए बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था सुस्थिर और लचीली है, और अरक्षित स्थिति में नहीं है।

**तालिका 2.2 : बिहार के लिए राजकोषीय प्रदर्शन के सूचक (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

| सूचक | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. सुस्थिरता** | | | | | | |
| वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.) | 27245 | 14577 | 39520 | 38333 | 48235 | 27673 |
| ब्याज अनुपात (%) | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 11.6 | 12.1 |
| बकाया ऋण में वृद्धि (%) | 13 | 17.5 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 4.7 |
| कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%) | -5.7 | 3.2 | 23.9 | 8.7 | 12.0 | 17.3 |
| राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%) | 1.0 | 7.9 | 6.3 | 24.0 | 11.3 | 14.9 |
| **ख. लचीलापन** | | | | | | |
| पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत ऋण-ग्रहण (%) | 26.7 | 22.3 | 25.3 | 34.0 | 41.7 | 45.7 |
| पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्ति (%) | 42.2 | 49.6 | 58.5 | 65.2 | 60.4 | 56.4 |
| कुल कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 15.2 | 14.6 | 18.7 | 18.6 | 19.0 | 17.1 |
| राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.6 |
| राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 31.3 | 36.7 | 38.1 | 39.0 | 38.9 | 35.7 |
| **ग. अरक्षितता** | | | | | | |
| राजस्व घाटा (करोड़ रु.) | 1784 | 11325 | 422 | 11288 | -2833 | -1121 |
| राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.) | 14724 | 29827 | 25551 | 44823 | 35660 | 29095 |
| प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.) | 3733 | 17343 | 11729 | 29640 | 18054 | 8569 |
| प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा (%) | 25.3 | 58.1 | 45.9 | 66.1 | 50.6 | 29.5 |
| राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (%) | 12.1 | 38.0 | 1.7 | 25.2 | -7.9 | -3.9 |

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार का बजट, बिहार सरकार

## 2.3 घाटा प्रबंधन

सकल राजकोषीय घाटा राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय प्रबंधन में संसाधनों की कमी के परिमाण को व्यक्त करता है। यह राज्य सरकार की जरूरतों के कुल वित्तपोषण को व्यक्त करता है जो मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और निवेशित शेष के साथ-साथ उधार लेने के जरिए होता है। यह वित्तपोषण राजस्व और ऋणेतर प्राप्तियों से अधिक होने वाले ऋण और अग्रिम सहित राजस्व और पूंजीगत व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है।

तालिका 2.3 में बिहार का 2019-20 से 2023-24 तक और 2024-25 के बजट के आंकड़ों के लिए सकल राजकोषीय घाटा की संरचना प्रस्तुत है। राजकोषीय घाटा के घटकों – राजस्व घाटा या अधिशेष, पूंजीगत परिव्यय, और शुद्ध ऋण-प्रदान को तालिका में दर्शाया गया है। राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 2023-24 में 35,660 करोड़ रु. था जो गत वर्ष की तुलना में 20.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वित्तवर्ष 2023-24 में राजस्व लेखे में 2,833 करोड़ रु. का अधिशेष दर्ज हुआ, जबकि पूंजीगत परिव्यय 36,453 करोड़ रु. पहुंच गया। वहीं, शुद्ध ऋण-प्रदान 2,040 करोड़ रु. था।

गौरतलब है कि पूंजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटा का 102.2 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि 2023-24 में घाटा वाले वित्तपोषण के बड़े हिस्से का आवंटन राज्य की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को सहयोग देने के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए किया गया।

**तालिका 2.3 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| संरचना | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व घाटा | 1784 | 11325 | 422 | 11288 | -2833 | -1121 |
| पूंजीगत परिव्यय | 12304 | 18209 | 23678 | 31520 | 36453 | 29416 |
| शुद्ध ऋण-प्रदान | 636 | 294 | 1451 | 2015 | 2040 | 801 |
| **सकल राजकोषीय घाटा** | **14724** | **29828** | **25551** | **44823** | **35660** | **29095** |
| **प्रतिशत संरचना** | | | | | | |
| राजस्व घाटा | 12.1 | 38.0 | 1.7 | 25.2 | -7.9 | -3.9 |
| पूंजीगत परिव्यय | 83.6 | 61.0 | 92.7 | 70.3 | 102.2 | 101.1 |
| शुद्ध ऋण-प्रदान | 4.3 | 1.0 | 5.7 | 4.5 | 5.7 | 2.8 |

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार का बजट, बिहार सरकार

राज्य सरकार के 2019-20 से 2023-24 तक के और 2024-25 के बजट के आंकड़ों में सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न तालिका 2.4 में प्रस्तुत है। राज्य सरकार की संचित निधि में मौजूद राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण शुद्ध ऋण-ग्रहण (नेट बॉरोइंग), लोक लेखा (पब्लिक एकाउंट) की शुद्ध गतिविधियों और नकद शेष में हुए परिवर्तन के जरिए किया जाता है। वर्ष 2023-24 में सकल राजकोषीय घाटा का वित्तपोषण मुख्यत: भारत सरकार और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों सहित शुद्ध ऋण-ग्रहण से हुआ, जिसमें थोड़ा हिस्सा नकद शेष के उपयोग का भी था। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध ऋण-ग्रहण 37,238 करोड़ रु. था।

**तालिका 2.4 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शुद्ध ऋण-ग्रहण | 22035 | 29035 | 31698 | 33932 | 37238 | 29295 |
| शुद्ध लोक लेखा | -6880 | 506.39 | -5778 | 11026 | -1658 | -200 |
| नकद शेष में शुद्ध (-) कमी/ (+) वृद्धि | -431 | 286.28 | -369 | -135 | 79 | 0 |
| **सकल राजकोषीय घाटा** | **14724** | **29827** | **25551** | **44823** | **35660** | **29095** |
| **प्रतिशत संरचना** | | | | | | |
| शुद्ध ऋण-ग्रहण | 149.7 | 97.3 | 124.1 | 75.7 | 104.4 | 100.7 |
| शुद्ध लोक लेखा | -46.7 | 1.7 | -22.6 | 24.6 | -4.6 | -0.7 |
| नकद शेष में शुद्ध (-) कमी/ (+) वृद्धि | -2.9 | 1.0 | -1.4 | -0.3 | 0.2 | 0.0 |

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार का बजट, बिहार सरकार

तालिका 2.5 में देश के बड़े राज्यों के 2021-22 से 2023-24 तक के लिए सकल राजकोषीय घाटा के आंकड़े दर्शाए गए हैं। बिहार छोड़कर शेष राज्यों के लिए 2023-24 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान पर आधारित हैं, जबकि बिहार के वास्तविक आंकड़े इस दस्तावेज को तैयार करते समय उपलब्ध थे, और उन्हें तालिका में शामिल किया गया है। वहीं, 2024-25 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। ऐसा दिखता है कि, बिहार का राजकोषीय घाटा 2022-23 के 44,823 करोड़ रु. से घटकर 2023-24 में 35,660 करोड़ रु. रह गया। इसके विपरीत, देश के अधिकांश बड़े राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा के आंकड़े इस अवधि में बढ़े हैं, जिसके अपवाद बिहार, पंजाब और हरियाणा रहें। इन राज्यों के बीच गत वर्ष की अपेक्षा 2023-24 में सकल राजकोषीय घाटा, बिहार में 20.4 प्रतिशत, पंजाब में 10.7 प्रतिशत और हरियाणा में 1.2 प्रतिशत घट गया।

**तालिका 2.5 : विभिन्न राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (2021-22 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| राज्य | सकल राजकोषीय घाटा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (पु.अ.) | 2024-25 (ब.अ.) |
| आंध्र प्रदेश | 25013 | 52508 | 62720 | 68743 |
| **बिहार** | **25551** | **44823** | **35660** | **29095** |
| छत्तीसगढ़ | 6093 | 4691 | 37062 | 21390 |
| गुजरात | 22692 | 16846 | 42480 | 51917 |
| हरियाणा | 31778 | 31027 | 30651 | 33635 |
| हिमाचल प्रदेश | 5245 | 12380 | 12677 | 10784 |
| झारखंड | 2604 | 4617 | 11691 | 9500 |
| कर्नाटक | 65617 | 46622 | 68505 | 82981 |
| केरल | 46046 | 25555 | 40461 | 44529 |
| मध्य प्रदेश | 37487 | 41203 | 54449 | 62564 |
| महाराष्ट्र | 64302 | 67602 | 111956 | 110355 |
| ओडिशा | -20627 | 15219 | 24982 | 32403 |
| पंजाब | 27847 | 33930 | 30311 | 30465 |
| राजस्थान | 48238 | 51029 | 65082 | 70010 |
| तमिलनाडु | 81835 | 81886 | 94060 | 108690 |
| तेलंगाना | 46631 | 32557 | 49373 | 49255 |
| उत्तर प्रदेश | 38686 | 64636 | 82515 | 86531 |
| पश्चिम बंगाल | 50528 | 49786 | 59306 | 68250 |

टिप्पणी : ब.अ. - बजट अनुमान, पु.अ. पुनरीक्षित अनुमान

2023-24 (पु.अ.) के आंकड़े बिहार के लिए वास्तविक हैं।

स्रोत : 'राजकीय वित्तव्यवस्था : बजटों का अध्ययन, 2024-25', भारतीय रिजर्व बैंक

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के लिए देश के बड़े राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात तालिका 2.6 में प्रस्तुत है। बिहार छोड़कर शेष राज्यों के लिए 2023-24 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान पर आधारित हैं, जबकि बिहार के वास्तविक आंकड़े इस दस्तावेज को तैयार करते समय उपलब्ध थे, और उन्हें तालिका में शामिल किया गया है। वहीं, 2024-25 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। सीमित राजकोषीय संसाधनों और व्यय की बढ़ी मांगों के बावजूद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राज्य का सकल राजकोषीय

घाटा 2023-24 में 4.2 प्रतिशत था जो छत्तीसगढ़ के 7.3 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश के 6.1 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश के 4.4 प्रतिशत से कम है।

**तालिका 2.6 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा (2021-22 से 2024-25 ब.अ.)**

| राज्य | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (पु.अ.) | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
| **बिहार** | **3.8** | **6.0** | **4.2** | **3.0** |
| छत्तीसगढ़ | 1.5 | 1.0 | 7.3 | 3.8 |
| गुजरात | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.9 |
| हरियाणा | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| हिमाचल प्रदेश | 3.0 | 6.5 | 6.1 | 4.7 |
| झारखंड | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.9 |
| कर्नाटक | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 3.0 |
| केरल | 4.9 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| मध्य प्रदेश | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.1 |
| महाराष्ट्र | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.6 |
| ओडिशा | -3.1 | 2.0 | 2.9 | 3.4 |
| पंजाब | 4.5 | 5.0 | 4.1 | 3.8 |
| राजस्थान | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
| तमिलनाडु | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| तेलंगाना | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 2.9 |
| उत्तर प्रदेश | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| पश्चिम बंगाल | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |

टिप्पणी : ब.अ. - बजट अनुमान, पु.अ. पुनरीक्षित अनुमान
2023-24 (पु.अ.) के आंकड़े बिहार के लिए वास्तविक हैं।
स्रोत : 'राजकीय वित्तव्यवस्था : बजटों का अध्ययन, 2024-25', भारतीय रिजर्व बैंक

देश के प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखे में 2021-22 से 2023-24 तक का घाटा या अधिशेष तालिका 2.7 में दर्शाया गया है। बिहार छोड़कर शेष राज्यों के लिए 2023-24 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान पर आधारित हैं जबकि बिहार के वास्तविक आंकड़े इस दस्तावेज को तैयार करते समय उपलब्ध थे, और उन्हें तालिका में शामिल किया गया है। वहीं, 2024-25 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार के राजस्व लेखे में 2,833 करोड़ रु. का अधिशेष दर्ज हुआ। इसके विपरीत, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित अनेक बड़े राज्यों के राजस्व लेखों में घाटा दर्ज हुआ।

**तालिका 2.7 : राज्यों के राजस्व लेखे में घाटा/ अधिशेष (2021-22 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| राज्य | राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (पु.अ.) | 2024-25 (ब.अ.) |
| आंध्र प्रदेश | 8611 | -43487 | -38683 | -34743 |
| **बिहार** | **422** | **11288** | **-2833** | **-1121** |
| छत्तीसगढ़ | -4642 | 8592 | -15670 | 1060 |
| गुजरात | -6408 | 19865 | 18618 | 9821 |
| हरियाणा | 20333 | -17212 | -13165 | -17817 |
| हिमाचल प्रदेश | 1115 | -6336 | -5730 | -4514 |
| झारखंड | -6944 | 13564 | 7136 | 18968 |
| कर्नाटक | 13666 | 13496 | -13951 | -27354 |
| केरल | 29539 | -9226 | -24585 | -27846 |
| मध्य प्रदेश | -4815 | 4091 | 621 | 1700 |
| महाराष्ट्र | 16374 | -1936 | -19532 | -20051 |
| ओडिशा | -43472 | 19456 | 22411 | 27437 |
| पंजाब | 18468 | -26045 | -23812 | -23198 |
| राजस्थान | 25870 | -31491 | -30072 | -25758 |
| तमिलनाडु | 46538 | -36215 | -44907 | -49279 |
| तेलंगाना | -9335 | 5944 | 1705 | 297 |
| उत्तर प्रदेश | -33430 | 37263 | 70447 | 74147 |
| पश्चिम बंगाल | 32000 | -27295 | -28253 | -31952 |

टिप्पणी : ब.अ. – बजट अनुमान, पु.अ. पुनरीक्षित अनुमान

2023-24 (पु.अ.) के आंकड़े बिहार के लिए वास्तविक हैं।

स्रोत : 'राजकीय वित्तव्यवस्था : बजटों का अध्ययन, 2024-25', भारतीय रिजर्व बैंक

## 2.4 नकद प्रबंधन और जमानतें

किसी वित्तवर्ष में राज्य सरकार के समग्र नकद शेष में ये घटक होते हैं : भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि, नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश, विभागीय अधिकारियों के पास रखी नकद रकम, विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए रखा गया स्थायी अग्रिम, और निर्धारित कोषों में निवेश।

वित्तवर्ष 2023-24 के अंत में बिहार में राज्य सरकार का कुल नकद शेष 36,982.2 करोड़ रु. था। इसका बड़ा हिस्सा (27,488.8 करोड़ रु.) सामान्य नकद शेष के रूप में था। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 726.7

करोड़ रु., और 26,762.1 करोड़ रु. की नकद शेष निवेश लेखा में निवेशित राशि शामिल है। 31 मार्च 2024 की स्थिति में, इसमें से किए गए निवेशों में से 26,757.4 करोड़ रु. का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों में किया गया था और 4.65 करोड़ रु. अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में। नकद शेष निवेश लेखा में निवेश पर 2023-24 में 264.3 करोड़ रु. का ब्याज अर्जित हुआ।

वहीं, अन्य नकद शेष और निवेश की रकम 9,493.4 करोड़ रु. थी। इस आंकड़े में विभागीय अधिकारियों के पास रखे गए 233.2 करोड़ रु., विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए रखा गया 765.5 करोड़ रु. का स्थायी अग्रिम, और निर्धारित कोषों में 8,494.7 करोड़ रु. का निवेश शामिल हैं।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम 1.73 करोड़ रु. का नकद शेष बनाए रखना होता है। अगर यह शेष किसी दिन स्वीकृत न्यूनतम रकम से नीचे चला जाता है, तो सरकार कमी का वित्तपोषण सामान्य या विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस)/ ओवरड्राफ्ट से कर सकती है। 1 अप्रील 2006 से राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 425 करोड़ रु. की है। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को संशोधित करता है। प्रभावी नकद प्रबंधन के कारण राज्य सरकार ने पूरे साल भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम दैनिक नकद शेष सफलतापूर्वक बनाए रखा, और उसे भारतीय रिजर्व बैंक से सामान्य या विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस) का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी।

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों पर मूलधन अदायगी और ब्याज भुगतान की गारंटी भी देती है। राज्य सरकार ने 2023-24 में 26,359.34 करोड़ रु. की गारंटी जारी की, और उसे बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बीएसएफसीएससीएल) से गारंटी कमीशन के रूप में 7.75 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। फलतः, 31 मार्च 2024 को बकाया (आउटस्टैंडिंग) गारंटी की कुल रकम 28,040.95 करोड़ रु. (मूलधन 26,715.26 करोड़ रु. और ब्याज 1,325.69 करोड़ रु.) थी। 01 अप्रैल 2023 को बकाया गारंटी की कुल रकम 25,939.25 करोड़ रु. (मूलधन 25,256.75 करोड़ रु. और ब्याज 682.50 करोड़ रु.) थी। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 26,359.34 करोड़ रु. की गारंटी जारी की।

बिहार में राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त बैंक गारंटी में सबसे बड़ा हिस्सा विद्युत क्षेत्र का है जिसमें बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि., दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. शामिल हैं। वित्तवर्ष 2023-24 के अंत में, विद्युत क्षेत्र को दी गई पूंजी और ब्याज की रकम सहित कुल बकाया गारंटी 2022-23 के अंत के 13,569.9 करोड़ रु. से 33.9 प्रतिशत बढ़कर 18,164.7 करोड़ रु. हो गई। वहीं, 2023-24 के अंत में बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के लिए दी गई समस्त गारंटी में भी वृद्धि दिखी, जो 2022-23 के अंत के 8653.0 करोड़ रु. से 8.8 प्रतिशत बढ़कर 9,417.6 करोड़ रु. हो गई।

## 2.5 ऋण प्रबंधन

इस खंड में गत पांच वर्षों में उधार और बकाया देनदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य सरकार की ऋण सक्रियता का अवलोकन किया गया है। तालिका 2.8 में 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए राज्य

सरकार की कुल बकाया देनदारी (आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी) और इन देनदारियों की संरचना को (गारंटियों को छोड़कर) दर्शाया गया है। तालिका में 2024-25 का बजट अनुमान भी शामिल है। 31 मार्च, 2024 को राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी 3,32,741 करोड़ रु. थी, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.9 प्रतिशत है।

वित्तवर्ष 2023-24 के अंत में कुल बकाया ऋण का 84.2 प्रतिशत लोक ऋण था, जिसमें आंतरिक ऋण और भारत सरकार से मिले ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। लोक ऋण में 84.3 प्रतिशत हिस्सा आंतरिक स्रोतों से ऋण का था और 15.7 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिले ऋणों एवं अग्रिमों का। आंतरिक ऋण के दो प्रमुख घटक, बाजार के ऋण और वित्तीय संस्थाओं के ऋण हैं। वर्ष 2023-24 में आंतरिक ऋणों के कारण बकाया देनदारी 2,80,084 करोड़ रु. थी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.8 प्रतिशत है। चार्ट 2.8 में 2019-20 से 2023-24 तक राज्य सरकार की बकाया देनदारियां दर्शाई गई हैं।

**तालिका 2.8 : बिहार में राज्य सरकार की बकाया देनदारियां (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| शीर्ष | वित्तवर्ष के अंत में बकाया देनदारी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
| **लोक ऋण** | | | | | | |
| आंतरिक ऋण | 136082 | 159558 | 182855 | 208098 | 236205 | 264771 |
| केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 12098 | 17657 | 26058 | 34748 | 43879 | 44608 |
| **योगफल** | **148180** | **177215** | **208913** | **242846** | **280084** | **309379** |
| लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर | 24.0 | 28.6 | 30.9 | 32.3 | 32.8 | 31.7 |
| **अन्य देनदारियां** | | | | | | |
| लघु बचतें, भविष्य निधि आदि | 9279 | 9445 | 9522 | 9397 | 9141 | 9241 |
| आरक्षित निधियां | 549 | 901 | 1041 | 2627 | 3849 | 3949 |
| जमा राशियां एवं अग्रिम | 35373 | 39634 | 38034 | 38438 | 39667 | 39467 |
| **योगफल** | **45202** | **49981** | **48597** | **50462** | **52657** | **52657** |
| अन्य देनदारियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.4 |
| **योगफल (लोक ऋण + अन्य देनदारियां)** | **193382** | **227196** | **257510** | **293307** | **332741** | **362036** |
| बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर | 31.3 | 36.7 | 38.1 | 39.0 | 38.9 | 37.1 |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** | **617153** | **618628** | **675448** | **751396** | **854429** | **976514** |

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

चार्ट 2.8 : बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2019-20 से 2023-24)

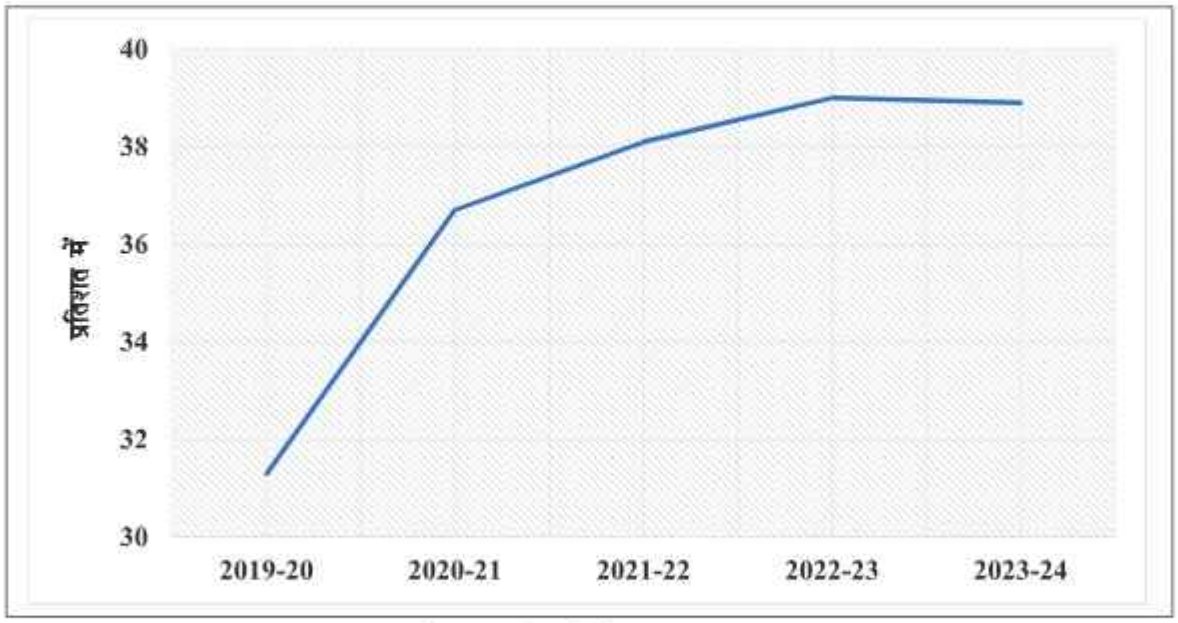


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.9 में 2019-20 से 2023-24 तक के लिए लोक ऋण का वितरण दो प्रमुख घटकों - आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम में दर्शाया गया है। राज्य सरकार के कुल लोक ऋण में आंतरिक ऋण का हिस्सा 2019-20 के 92 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 84 प्रतिशत रह गया। फलतः, केंद्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा बढ़ा और 2019-20 के 8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 16 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.9 : राज्य सरकार के लोक ऋण के घटक (2019-20 और 2023-24)

(प्रतिशत में)

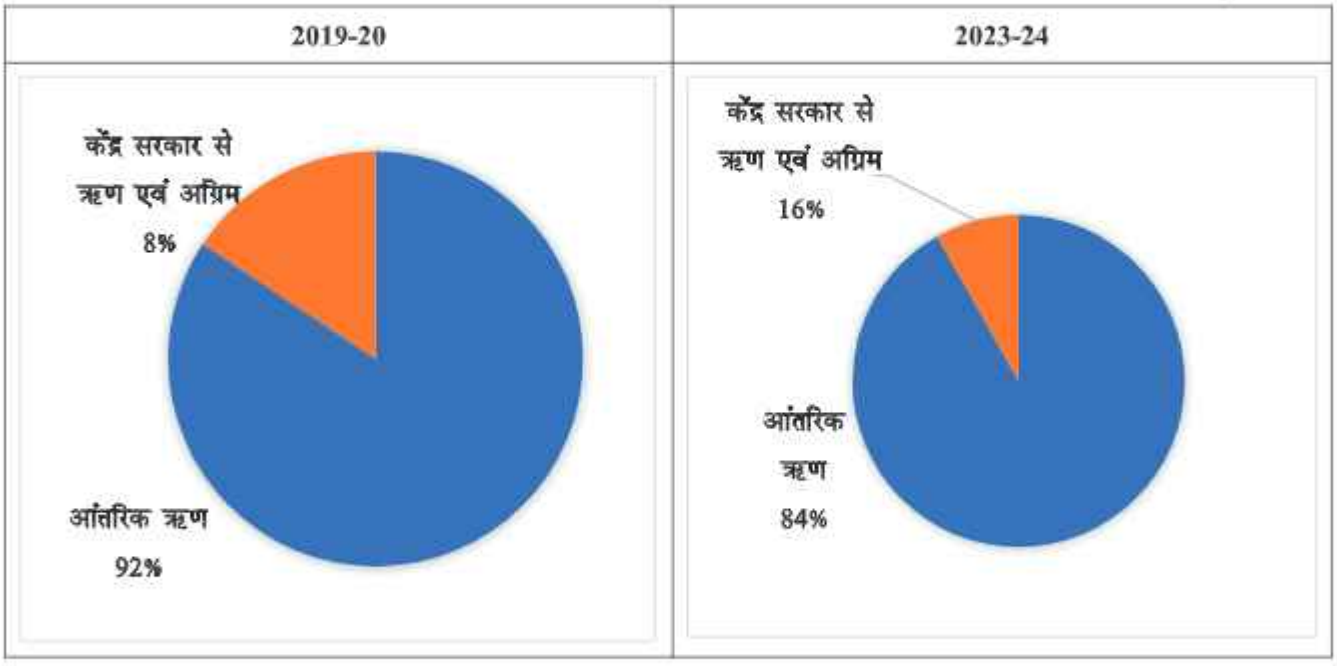


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

विभिन्न लोक ऋण उप-शीर्षों के तहत वित्तवर्ष 2022-23 और 2023-24 में नए ऋण-ग्रहण की संरचना का ब्योरा तालिका 2.9 में दिया गया है। इन दोनो वर्षों के अंत में लोक ऋण की अद्यतन बकाया देनदारियों को भी तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण की सिर्फ दो श्रेणियों के तहत ऋण लिया है : बाजार से ऋण और वित्तीय संस्थाओं से ऋण। बाजार ऋणों के जरिए 2022-23 में 36,800 करोड़ रु. का उधार लिया गया था, जो 2023-24 में बढ़कर 47,612 करोड़ रु. हो गया। फलत:, बाजार के ऋणों की बकाया देनदारी 31 मार्च 2023 को 1,84,275 करोड़ रु. थी जो 31 मार्च 2024 को 2,14,418 करोड़ रु. हो गई। गौरतलब है कि इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थापाय अग्रिमों के जरिए किसी वित्तपोषण का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी।

ऋण लेने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत वित्तीय संस्थाएं थीं, जिनसे 2022-23 में 1,329 करोड़ रु. और 2023-24 में 1,934 करोड़ रु. ऋण लिया गया। नई उधारियों और अदायगियों के चलते वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की बकाया देनदारी 31 मार्च 2023 के 9,776 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 9,862 करोड़ रु. हो गई। साथ ही, केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम श्रेणी के तहत कुल नया उधार 2022-23 में 10,155 करोड़ रु. था, जो 2023-24 में 10,672 करोड़ रु. हो गया।

**तालिका 2.9 : बिहार में राज्य सरकार द्वारा लोक ऋण-ग्रहण की संरचना (2022-23 और 2023-24)**

| उधार की प्रकृति | ताजा उधारियां | | बकाया शेष | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 (करोड़ रु.) | 2023-24 (करोड़ रु.) | 31.03.2023 को (करोड़ रु.) | 31.03.2024 को (करोड़ रु.) |
| **क. आंतरिक ऋण** | **38129** | **49546** | **208098** | **236205** |
| बाजार के ऋण | 36800 | 47612 | 184275 | 214418 |
| भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बांड | 0 | 0 | 1962 | 1729 |
| वित्तीय संस्थाओं से ऋण | 1329 | 1934 | 9776 | 9862 |
| राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 0 | 0 | 12077 | 10189 |
| अन्य | 0 | 0 | 7 | 7 |
| **ख. केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम** | **10155** | **10672** | **34747** | **43879** |
| योजनेतर ऋण | 0 | 0 | 1 | 1 |
| केंद्रीय योजना की योजनाओं के लिए ऋण | 0 | 0 | 1 | 1 |
| राज्य योजना की योजनाओं के लिए ऋण | 0 | 0 | 191 | 191 |
| केंद्र प्रायोजित योजना की योजनाओं के लिए ऋण | 0 | 0 | 1 | 1 |
| अन्य ऋण | 10155 | 10672 | 34554 | 43685 |
| **योग (क+ख)** | **48284** | **60218** | **242845** | **280084** |

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

**तालिका 2.10 : प्राप्त शुद्ध लोक ऋण (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| रकम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण | 1279 | 6503 | 9527 | 10155 | 10672 | 2500 |
| प्राप्त आंतरिक ऋण | 27866 | 29412 | 30917 | 38129 | 49546 | 49188 |
| **प्राप्त कुल लोक ऋण** | **29145** | **35915** | **40445** | **48284** | **60218** | **51688** |
| ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली | 30 | 820 | 28 | 41 | 96 | 439 |
| ब्याज भुगतान | 10991 | 12484 | 13822 | 15184 | 17606 | 20526 |
| प्राप्त ब्याज | 1416 | 3241 | 722 | 642 | 897 | 1719 |
| चुकाया गया ऋण | 7110 | 6880 | 8746 | 14351 | 22979 | 22393 |
| **प्राप्त शुद्ध लोक ऋण** | **22035** | **29035** | **31698** | **33932** | **20625** | **10928** |
| **प्राप्त शुद्ध ऋण कुल ऋण-ग्रहण के प्रतिशत के बतौर** | **75.6** | **80.8** | **78.4** | **70.3** | **34.3** | **21.1** |

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार अपने बकाया ऋण के लिए हर साल ब्याज भुगतान करने के लिए बाध्य है, और इनमें से कुछ देनदारियों को समय के साथ चुका भी दिया जाता है। साथ ही, राज्य सरकार को कुछ अग्रिमों और निवेशों के लिए ब्याज मिलता भी है। तालिका 2.10 में 2019-20 से 2023-24 तक राज्य सरकार को ब्याज भुगतान, ब्याज प्राप्ति, और ऋण अदायगी के समायोजन के बाद प्राप्त शुद्ध लोक ऋण दर्शाया गया है। तालिका में 2024-25 के लिए बजट अनुमान भी शामिल है।

चार्ट 2.10 में राज्य सरकार द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक के गत पांच वर्षों में ब्याज भुगतान और लोक ऋण की अदायगी दर्शाई गई है। राज्य सरकार की बकाया देनदारियों पर ब्याज भुगतान 2019-20 के 10,991 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 17,606 करोड़ रु. हो गया। हालांकि, राज्य सरकार ने 2021-22 से अपनी लोक ऋण की अदायगी काफी बढ़ा दी है, जो 2021-22 के 8,746 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 22,979 करोड़ रु. पहुंच गई है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य सरकार द्वारा लोक ऋण की अदायगी 223.2 प्रतिशत बढ़ी है।

राज्य सरकार द्वारा 2020-21 से 2023-24 तक और 2024-25 के बजट अनुमान में, लोक ऋण की अदायगी का सारांश तालिका 2.11 में प्रस्तुत है। आंतरिक ऋण की अदायगी काफी बढ़ी है, जो 2020-21 के 5,937 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 21,439 करोड़ रु. हो गई। इसी प्रकार, केंद्र सरकार के ऋणों और अग्रिमों की अदायगी भी 2020-21 के 944 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 1,541 करोड़ रु. पहुंच गई।

चार्ट 2.10 : राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान और लोक ऋण की अदायगी (2019-20 से 2023-24)

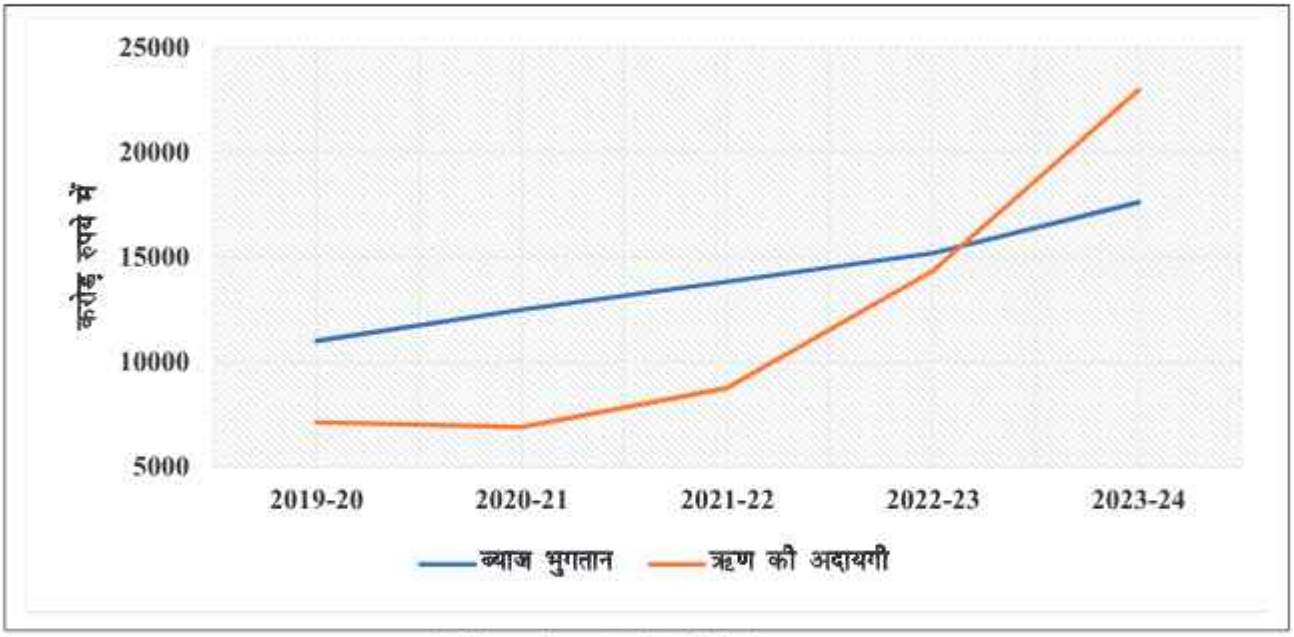


आंकड़ों का स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.11 : बकाया देनदारियों की अदायगी (2020-21 से 2024-25 ब.अ.)

(करोड़ रु.)

| रकम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| आंतरिक ऋण की अदायगी | 5937 | 7620 | 12886 | 21439 | 20622 |
| केंद्रीय ऋणों की अदायगी | 944 | 1127 | 1465 | 1541 | 1771 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

## 2.6 संसाधन प्रबंधन

इस खंड में हाल के वर्षों में राजस्व के विभिन्न स्रोतों का विवरण देते हुए राज्य सरकार के लेखे में उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन प्रस्तुत है। राज्य सरकार को कर और करेतर स्रोतों से आय होती है, तथा केंद्र सरकार से अंतरणों और सहायता अनुदान के रूप में भी राजस्व प्राप्त होता है।

कर राजस्व में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर और शुल्क, जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), तथा केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला राज्य का हिस्सा शामिल रहते हैं। वहीं, करेतर राजस्व में राज्य सरकार के अपने करेतर राजस्व और केंद्र सरकार के अनुदान शामिल रहते हैं।

जुलाई 2017 से राज्य द्वारा लगाए जाने वाले अनेक करों की जगह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने ले ली है। वस्तु एवं सेवा कर ढांचे के तीन घटक हैं - राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी)। इन घटकों के कर आधार और दरों के निर्धारण

के लिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद जवाबदेह है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संबंधित राज्यों द्वारा वसूला जाता है। वहीं, समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) अंतर-राज्य खरीद और आयात सहित कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर करों पर लागू होता है। समेकित वस्तु एवं सेवा कर के राजस्व को केंद्र सरकार संग्रहित करती है, और बाद में सभी संबंधित राज्यों के बीच बांट देती है। वहीं, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कर राजस्वों के केंद्रीय पूल का हिस्सा होता है, जिसका एक हिस्सा केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए स्थानांतरण फार्मूला के तहत राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार के राजस्व लेखे में हुई प्राप्तियों और 2024-25 के लिए बजट अनुमान को तालिका 2.12 में दर्शाया गया है। राजस्व लेखे में प्राप्ति के दो मुख्य घटक हैं : राज्य का अपना राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्ति। राज्य सरकार के अपने स्रोत से प्राप्ति में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल हैं। वहीं, राजस्व लेखे में केंद्र सरकार से होने वाली प्राप्ति में केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व के विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा, और केंद्र सरकार से मिलने वाला सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

वित्तवर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रु. थी, जो गत वर्ष से 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसका 27.7 प्रतिशत हिस्सा राज्य के अपने कर और करेतर स्रोतों से आया। राज्य सरकार के अपने कर स्रोतों से राजस्व 9.9 प्रतिशत बढ़ा और 2022-23 के 44,018 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 48,361 करोड़ रु. हो गया। वहीं, करेतर स्रोतों से राजस्व में 27.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दिखी जो 2022-23 के 4,135 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 5,257 करोड़ रु. पहुंच गया। साथ ही, 2023-24 के कुल 1,39,729 करोड़ रु. के कुल राजस्व में से 1,13,604 करोड़ रु. केंद्र सरकार के कर राजस्व के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से से आया, जबकि 26,125 करोड़ रु. केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।

**तालिका 2.12 : राज्य के राजस्व लेखे में प्राप्ति के घटक (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. राज्य का अपना राजस्व** | **33858** | **36543** | **38839** | **48153** | **53618** | **61626** |
| (a) कर राजस्व | 30158 | 30342 | 34855 | 44018 | 48361 | 54300 |
| (b) करेतर राजस्व | 3700 | 6201 | 3984 | 4135 | 5257 | 7326 |
| **II. केंद्र से प्राप्ति** | **90375** | **91625** | **119958** | **124535** | **139729** | **165173** |
| (a) विभाज्य करों का हिस्सा | 63406 | 59861 | 91353 | 95510 | 113604 | 113012 |
| (b) सहायता अनुदान | 26969 | 31764 | 28606 | 29026 | 26125 | 52161 |
| **III. कुल राजस्व प्राप्ति** | **124233** | **128168** | **158798** | **172688** | **193347** | **226798** |
| राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के % में | 27.3 | 28.5 | 24.5 | 27.9 | 27.7 | 27.2 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

राजस्व लेखे में विभिन्न स्रोतों से प्राप्ति के अलावा, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम भी मिलते हैं। चार्ट 2.11 में बिहार को 2019-20 से 2023-24 तक केंद्र सरकार से मिले सकल ऋण एवं अग्रिम दर्शाए गए हैं। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण राज्य सरकार की व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए 2020-21 में इन ऋणों में काफी वृद्धि हुई थी। ऋण की रकम 2019-20 के 1,279 करोड़ रु. से 408.4 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में 6,503 करोड़ रु. पहुंच गई थी। वर्ष 2021-22 में उसमें 46.5 प्रतिशत वृद्धि हुई और वह 9,527 करोड़ पहुंच गई। वहीं, 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से 10,672 करोड़ रु. का ऋण मिला।

**चार्ट 2.11 : केंद्र सरकार से मिले सकल ऋण एवं अग्रिम (2019-20 से 2023-24)**

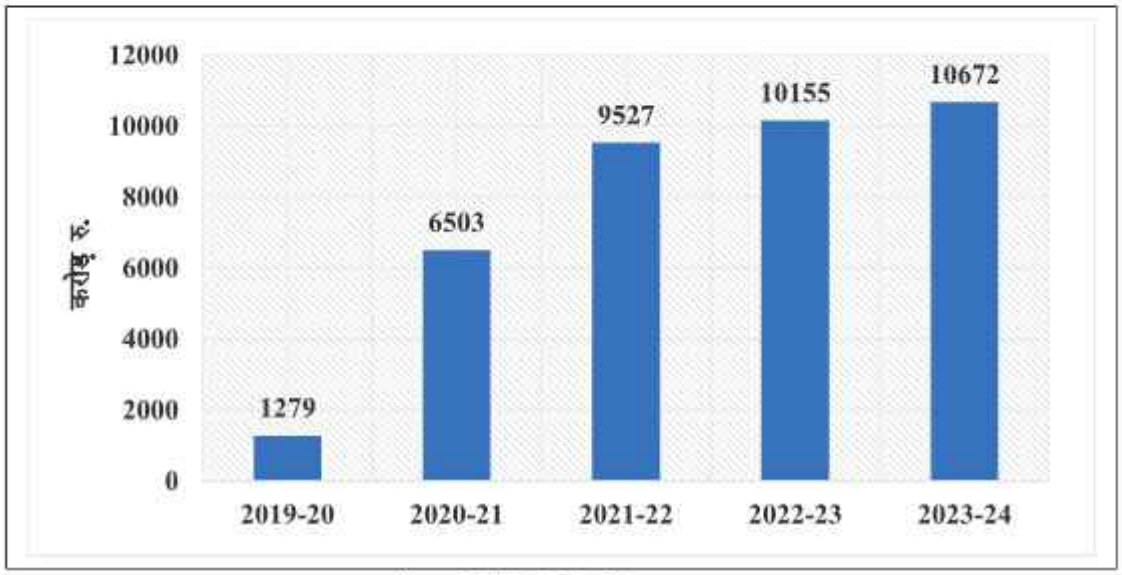


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान सहित 2019-20 से 2023-24 तक के विभिन्न वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व तालिका 2.13 में प्रस्तुत है। वहीं, तालिका 2.14 में 2024-25 के बजट अनुमान सहित इन वर्षों में राज्य के कर राजस्व के घटकों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। राज्य सरकार के कर राजस्व का मुख्य स्रोत राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, जिसका इन पांच वर्षों में राज्य के अपने कर राजस्व में आधा से भी अधिक हिस्सा रहा है। इसका 2019-20 के 52.4 प्रतिशत से उल्लेखनीय ढंग से बढ़ते हुए 2023-24 में 57.2 प्रतिशत पहुंच गया। कर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में बिक्री एवं व्यापार कर हैं, जिनका 2023-24 में 19.4 प्रतिशत योगदान है, जबकि स्टांप एवं निबंधन शुल्कों का 13.1 प्रतिशत, और वाहन कर का 6.9 प्रतिशत योगदान है। वहीं, दो छोटे घटक और भी हैं, जिनमें से भूमि राजस्व का 1.2 प्रतिशत और विद्युत कर एवं शुल्क का 1.8 प्रतिशत योगदान है।

राज्य सरकार के राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्ति में गत चार वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जो 2020-21 के 16,050 करोड़ रु. से 2023-24 में 27,678 करोड़ रु. पहुंच गया (चार्ट 2.12)। वर्ष 2023-24 में राज्य के अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्ति का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बिक्री एवं व्यापार कर था, जिसका योगदान 9,371 करोड़ रु. था। इसके बाद इस अवधि में स्टांप एवं निबंधन शुल्कों का स्थान था, जिसका संग्रहण 6,348 करोड़ रु. था। वहीं, वाहन कर से इस अवधि में 3,358 करोड़ रु. का संग्रहण हुआ। वर्ष 2023-24 में भूमि राजस्व का 580 करोड़ रु. और विद्युत कर एवं शुल्क का 846 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ।

**तालिका 2.13 : अपने स्रोतों से राज्य सरकार के कर राजस्व के घटक (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 15801 | 16050 | 19264 | 23243 | 27678 | 31565 |
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 6121 | 6031 | 6872 | 9881 | 9371 | 10010 |
| माल एवं यात्री कर | 23 | 6 | -0.01 | 1 | -1 | 0 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 4661 | 4206 | 5224 | 6451 | 6348 | 7500 |
| वाहन कर | 2713 | 2268 | 2475 | 2935 | 3358 | 3700 |
| भूमि राजस्व | 275 | 302 | 284 | 361 | 580 | 600 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | 440 | 1355 | 596 | 987 | 846 | 750 |
| वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/ शुल्क | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आय-व्यय पर अन्य कर | 114 | 126 | 141 | 156 | 180 | 175 |
| **योगफल** | **30158** | **30341** | **34855** | **44018** | **48361** | **54300** |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

**तालिका 2.14 : अपने स्रोतों से राज्य सरकार के कर राजस्व के घटकों का प्रतिशत हिस्सा (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(प्रतिशत में)

| राजस्व के स्रोत | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 52.4 | 52.9 | 55.3 | 52.8 | 57.2 | 58.1 |
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 20.3 | 19.9 | 19.7 | 22.4 | 19.4 | 18.4 |
| माल एवं यात्री कर | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 15.5 | 13.9 | 15.0 | 14.7 | 13.1 | 13.8 |
| वाहन कर | 9.0 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 |
| भूमि राजस्व | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | 1.5 | 4.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
| वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/ शुल्क | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| आय-व्यय पर अन्य कर | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| **योगफल** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.12 : राज्य सरकार को राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्ति (2019-20 से 2023-24)

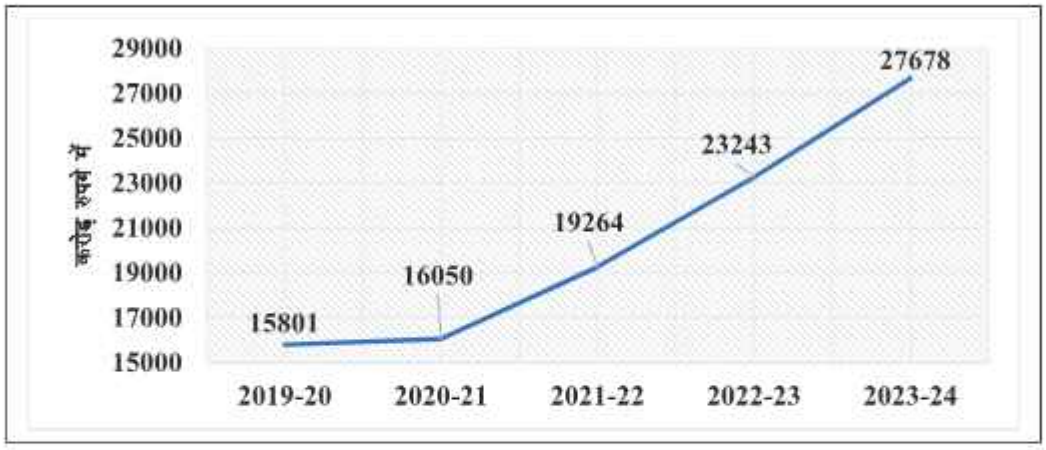


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.15 में 2024-25 के बजट अनुमान सहित 2019-20 से 2023-24 तक के लिए विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार का करेतर राजस्व दर्शाया गया है। करेतर राजस्व का बड़ा हिस्सा अलौह खनन एवं धातु उद्योग तथा ब्याज प्राप्ति से आता है। गत दो वर्षों में अलौह खनन एवं धातु उद्योग से राजस्व संग्रहण काफी बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में यह 54.6 प्रतिशत बढ़कर 2,730 करोड़ रु. हो गया था, जो 2023-24 में और भी 14.1 प्रतिशत बढ़कर 3,115 करोड़ रु. पहुंच गया। कुल करेतर राजस्व संग्रहण में अलौह खनन एवं धातु उद्योग का हिस्सा 2019-20 में 42.5 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, इस दौरान ब्याज प्राप्ति से राजस्व घटा है जो इस अवधि में 1,416 करोड़ रु. से घटकर 897 करोड़ रु. रह गया। हालांकि 2023-24 में ब्याज प्राप्ति में गत वर्ष से 39.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

**तालिका 2.15 : प्रमुख करेतर राजस्व (2019-20 से 2023-24 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 1572 | 1709 | 1766 | 2730 | 3115 | 3500 |
| ब्याज प्राप्ति | 1416 | 3241 | 722 | 642 | 897 | 1719 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 4 | 34 | 2 | 1 | 37 | 0 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 137 | 28 | 578 | 301 | 196 | 728 |
| पुलिस | 96 | 123 | 34 | 49 | 217 | 48 |
| वृहत सिंचाई | 13 | 24 | 41 | 83 | 72 | 60 |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 17 | 12 | 509 | 6 | 4 | 7 |
| सड़क और पुल | 83 | 91 | 52 | 0 | 16 | 82 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 48 | 42 | 41 | 32 | 5 | 34 |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 25 | 48 | 35 | 28 | 45 | 41 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य | 289 | 851 | 204 | 263 | 654 | 1106 |
| **योगफल** | **3700** | **6201** | **3984** | **4135** | **5257** | **7326** |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान सहित 2019-20 से 2023-24 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा कर और करेतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व को तालिका 2.16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में दर्शाया गया है। तालिका में राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अपने स्रोतों से कुल प्राप्ति की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बायोएंसी (उछाल) भी दर्शाई गई है। साथ ही, उसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से राज्य सरकार के अपने कर राजस्व की बायोएंसी भी शामिल की गई है। राज्य सरकार के अपने स्रोतों से कर राजस्व 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया। इस दौरान करेतर स्रोतों से राजस्व 0.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, जिसका अपवाद 2020-21 था जब यह 1.0 प्रतिशत पहुंच गया था। वहीं, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बदलाव के साथ राज्य सरकार के अपने कर स्रोतों से राजस्व में सकारात्मक बदलाव आया है, जो 2023-24 में 1.2 का बायोएंसी अनुपात दर्शा रहा है। साथ ही, राज्य के अपने स्रोतों से कुल राजस्व की बायोएंसी 2023-24 में 1.4 थी।

**तालिका 2.16 : राज्य सरकार के अपने स्रोतों से प्राप्त कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत बतौर (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

| सूचक | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.6 |
| अपना करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से कुल राजस्व की बायोएंसी (अनुपात) | -0.4 | 13.3 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से राज्य के अपने करों की बायोएंसी (अनुपात) | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

तालिका 2.17 में 2019-20 से 2023-24 तक के लिए राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा वस्तु एवं सेवा कर में नहीं शामिल विभिन्न कर श्रेणियों से संग्रहित राजस्व दर्शाया गया है। इन शीर्षों के तहत वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रहित कुल राजस्व काफी बढ़ा है, और 2019-20 के 6,820 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 10,437.3 करोड़ रु. पहुंच गया। इस राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए मूल्यवर्धित कर से आया, जो 2019-20 के 6,188.5 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 9,392.7 करोड़ रु. पहुंच गया। कर राजस्व में दूसरे महत्वपूर्ण योगदाता विद्युत शुल्क और पेशा कर थे, जिनका 2023-24 में क्रमशः 845.7 करोड़ रु. और 187.4 करोड़ रु. योगदान था। पेशा कर से संग्रहण में गत चार वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि दिखी है, जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा 2022-23 में 13.7 प्रतिशत की, और 2023-24 में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**तालिका 2.17 : विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्य कर संग्रहण (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | मूल्यवर्धित कर (वैट) | केंद्रीय बिक्री कर | मनोरंजन कर | विद्युत शुल्क | विलासिता कर | प्रवेश कर | पेशा कर | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6188.5 | 28.2 | 0.8 | 438.6 | 0.3 | 55.4 | 108.3 | 6820.0 |
| 2020-21 | 6123.0 | 29.7 | 1.6 | 1337.6 | 0.3 | 34.8 | 119.7 | 7646.7 |
| 2021-22 | 6994.3 | 25.0 | 0.0 | 595.1 | 0.0 | 9.1 | 142.3 | 7765.7 |
| 2022-23 | 9982.3 | 12.9 | 0.0 | 965.0 | 0.0 | 35.0 | 161.8 | 11157.0 |
| 2023-24 | 9392.7 | 10.0 | 0.0 | 845.7 | 0.0 | 1.6 | 187.4 | 10437.3 |

टिप्पणी : प्रवेश कर : स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.18 में 2019-20 से 2023-24 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) से हुए संग्रहणों को दर्शाया गया है। साथ ही, इसमें इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को मिली वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी दर्ज है। जब देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था तो राज्य सरकारों से क्रियान्वयन के अगले पांच वर्षों तक वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व में 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गारंटी करते हुए वादा किया गया था कि इसमें रह गई कमी की क्षतिपूर्ति की जाएगी। इन कमियों की क्षतिपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति सेस कोष से की गई। इस मुआबजे की गारंटी की अवधि 30 जून 2022 को समाप्त हो गई। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, समेकित वस्तु एवं सेवा कर तथा वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति से प्राप्त कुल राजस्व 2019-20 के 19,345.6 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 28,171.5 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2023-24 में समेकित वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण 19,238.0 करोड़ रु. था, जो इन स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व का 68.3 प्रतिशत था। वहीं, 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का कुल संग्रहण 8,535.4 करोड़ रु. था, और इन शीर्षों से प्राप्त कुल राजस्व में इसका 30.3 प्रतिशत हिस्सा था।

**तालिका 2.18 : राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | राज्य वस्तु एवं सेवा कर | समेकित वस्तु एवं सेवा कर | समेकित वस्तु एवं सेवा कर का निपटारा (अग्रिम/ तदर्थ) | राज्य वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति * | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5841.6 | 9459.0 | 520.3 | 3524.8 | 19345.6 |
| 2020-21 | 5371.5 | 9603.4 | 1197.5 | 8264.3 | 24436.7 |
| 2021-22 | 6083.4 | 12049.7 | 1243.6 | 8760.7 | 28137.3 |
| 2022-23 | 7543.3 | 15069.5 | 771.3 | 183.7 | 23567.7 |
| 2023-24 | 8535.4 | 19238.0 | 0.0 | 398.2 | 28171.5 |

* संरक्षित राजस्व (वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम-2017 के तहत) के संबंध में और क्षतिपूर्ति के ऐवज में प्राप्त रकम।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.19 में अप्रील 2023 से सितंबर 2024 तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर से मासिक राजस्व प्राप्ति दर्शाई गई है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर से विभिन्न

महीनों में राजस्व प्राप्ति में काफी अंतर है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्ति वित्तवर्ष 2023-24 के मार्च महीने में सर्वाधिक थी, जो क्रमश: 1,066.7 करोड़ रु. और 2,333.9 करोड़ रु. थी। फलत:, मार्च 2024 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व 3,400.6 करोड़ रु. पहुंच गया, जो 2023-24 में हुए कुल संग्रहण का 12.1 प्रतिशत था। गत वर्ष के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर की शेष 398.2 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति सितंबर 2023 में प्राप्त हुई।

**तालिका 2.19 : राज्य और समेकित वस्तु एवं सेवा करों से मासिक संग्रहण (अप्रील 2023 से सितंबर 2024)**

(करोड़ रु.)

| महीना | राज्य वस्तु एवं सेवा कर | समेकित वस्तु एवं सेवा कर | राज्य वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति * | योगफल |
|---|---|---|---|---|
| अप्रील 23 | 787.3 | 1548.5 | — | 2335.8 |
| मई 23 | 626.7 | 1434.6 | — | 2061.2 |
| जून 23 | 648.4 | 1419.3 | — | 2067.7 |
| जुलाई 23 | 715.1 | 1468.8 | — | 2183.9 |
| अगस्त 23 | 660.6 | 1336.0 | — | 1996.6 |
| सितंबर 23 | 647.5 | 1308.2 | 398.2 | 2353.9 |
| अक्तूबर 23 | 631.5 | 1855.0 | — | 2486.5 |
| नवंबर 23 | 647.1 | 1172.0 | — | 1819.1 |
| दिसंबर 23 | 695.3 | 1475.4 | — | 2170.6 |
| जनवरी 24 | 721.8 | 1563.7 | — | 2285.4 |
| फरवरी 24 | 687.6 | 2250.7 | — | 2938.2 |
| मार्च 24 | 1066.7 | 2333.9 | — | 3400.6 |
| अप्रील 24 | 940.6 | 1737.3 | — | 2677.9 |
| मई 24 | 698.9 | 1603.1 | — | 2302.0 |
| जून 24 | 686.5 | 1551.0 | — | 2237.5 |
| जुलाई 24 | 740.8 | 1611.6 | — | 2352.3 |
| अगस्त 24 | 695.0 | 1497.4 | — | 2192.3 |
| सितंबर 24 | 658.8 | 1371.6 | — | 2030.4 |

* संरक्षित राजस्व (वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम-2017 के तहत) के संबंध में और क्षतिपूर्ति के ऐवज में प्राप्त रकम।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार को स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से 2019-20 से 2023-24 तक के लिए राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका 2.20 में प्रस्तुत है। इस राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा बैंक चालानों के जरिए संग्रहित नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क से आता है, और उसके बाद दस्तावेजों के निबंधन शुल्क से संग्रहित राजस्व से। कुल मिलाकर, विभिन्न स्वरूपों में स्टांप शुल्क से प्राप्त कुल राजस्व 2019-20 में 3,590 करोड़ रु. था, जो इन पांच वर्षों में 45.2 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 5,213 करोड़ रु. पहुंच गया। खास कर, बैंक चालानों द्वारा संग्रहित नॉन-जूडिशियन स्टांप शुल्क 2023-24 में 4,363 करोड़ रु. था। वहीं, दस्तावेजों के निबंधन से संग्रहित शुल्क 2019-20 में 1,052 करोड़ रु. था जो 2023-24 में 1,255 करोड़ रु. हो गया।

**तालिका 2.20 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त राजस्व (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| राजस्व के स्रोत | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांप से | 350 | 273 | 321 | 588 | 648 |
| बैंक चालान के जरिए जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क से | 3100 | 2939 | 3620 | 4633 | 4363 |
| ऍडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप | 38 | 40 | 40 | 44 | 73 |
| स्पेशल ऍडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा | 19 | 0 | 0 | 34 | 39 |
| राजस्व स्टांप | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| न्यायिक (जूडीशियल) स्टांप | 80 | 56 | 88 | 82 | 88 |
| **उप योग** | **3590** | **3311** | **4072** | **5384** | **5213** |
| अभिलेख निबंधन शुल्क | 1052 | 985 | 1183 | 1589 | 1175 |
| भूस्वामी निबंधन शुल्क | 40 | 35 | 48 | 52 | 45 |
| भूस्वामी संबंधी प्रक्रियाकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज के लिए प्राप्त शुल्क | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| प्रमाणित प्रतियों के लिए प्राप्त शुल्क | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| **उप योग** | **1104** | **1031** | **1245** | **1668** | **1255** |

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2023-24 के लिए स्टांप एवं निबंधन शुल्कों के लिए लक्ष्य और उपलब्धि दर सहित उनसे प्राप्त राजस्व के जिलावार संग्रहण के आंकड़े तालिका 2.21 में दर्ज हैं। इस अवधि में राज्य सरकार ने 14,09,237 दस्तावेजों के आधार पर राजस्व एवं निबंधन शुल्कों से 6,170.9 करोड़ रु. संग्रहित किए। इस वर्ष इनसे राजस्व संग्रण का लक्ष्य 7,000 करोड़ रु. था, इसलिए वर्ष के तय लक्ष्य के लिहाज से उपलब्धि दर 88.2 प्रतिशत रही। प्रति दस्तावेज औसत राजस्व संग्रहण के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर था। कुल मिलाकर, राज्य में 2023-24 में प्रति दस्तावेज 43,789 रु. की औसत राजस्व प्राप्ति हुई। सर्वाधिक 1,08,936 रु. की औसत राजस्व प्राप्ति पटना जिले में दर्ज हुई और सबसे कम 22,745.8 रु. की किशनगंज जिले में।

सरकार करों के संग्रहण पर भी रकम खर्च करती है। कुशल कर प्रणाली इन खर्चों को कम से कम रखती है, और राजस्व संग्रहण अधिक से अधिक। राज्य सरकारों के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण व्यय न्यूनतम रहा है, क्योंकि उन्हें वस्तु एवं सेवा कर अवसंरचना के प्रबंधन पर अधिक निवेश नहीं करना पड़ता है। राज्य में दो अन्य प्रमुख कर श्रेणियों - वाहन कर और स्टांप एवं निबंधन शुल्कों का 2019-20 से 2023-24 तक का राजस्व संग्रहण व्यय तालिका 2.22 में दर्शाया गया है। वाहन करों से राजस्व संग्रहण का प्रतिशत व्यय 2019-20 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 4.7 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, स्टांप एवं निबंधन शुल्कों का राजस्व संग्रहण व्यय 2019-20 के 1.9 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 1.6 प्रतिशत रह गया।

## तालिका 2.21 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व (2023-24)

| जिला | अभिलेखों की संख्या | कुल प्राप्ति (करोड़ रु.) | लक्ष्य (करोड़ रु.) | प्राप्ति लक्ष्य के प्रतिशत में | प्रति अभिलेख औसत प्राप्ति (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 104939 | 1143.2 | 1369.9 | 83.5 | 108936.0 |
| भागलपुर | 35627 | 232.8 | 277.3 | 84.0 | 65345.5 |
| मुंगेर | 9135 | 55.0 | 67.1 | 81.9 | 60157.2 |
| बेगूसराय | 33249 | 174.6 | 215.8 | 80.9 | 52504.0 |
| औरंगाबाद | 27622 | 148.3 | 171.5 | 86.5 | 53676.4 |
| मुजफ्फरपुर | 75998 | 344.5 | 382.1 | 90.2 | 45323.2 |
| रोहतास | 33619 | 170.2 | 200.1 | 85.0 | 50615.1 |
| जहानाबाद | 11229 | 51.4 | 65.3 | 78.7 | 45761.8 |
| आरा | 35049 | 182.0 | 182.0 | 100.0 | 51924.6 |
| बक्सर | 18456 | 79.6 | 95.9 | 83.0 | 43120.5 |
| गोपालगंज | 33039 | 150.7 | 180.8 | 83.3 | 45613.6 |
| गया | 53293 | 240.1 | 265.9 | 90.3 | 45055.9 |
| लखीसराय | 11611 | 53.9 | 57.9 | 93.1 | 46383.9 |
| हाजीपुर | 53460 | 219.0 | 233.7 | 93.7 | 40957.4 |
| दरभंगा | 45982 | 191.5 | 214.9 | 89.1 | 41655.8 |
| सीवान | 40176 | 170.6 | 202.2 | 84.4 | 42461.1 |
| नालंदा | 36722 | 137.0 | 180.8 | 75.8 | 37303.0 |
| सहरसा | 26677 | 103.8 | 104.5 | 99.2 | 38891.9 |
| सारण | 46791 | 174.0 | 182.1 | 95.5 | 37179.1 |
| पूर्णिया | 51220 | 200.1 | 211.4 | 94.6 | 39063.9 |
| खगड़िया | 14794 | 56.3 | 68.7 | 82.0 | 38065.2 |
| मोतिहारी | 81623 | 307.6 | 336.0 | 91.5 | 37679.5 |
| अरवल | 6814 | 27.3 | 30.3 | 89.9 | 40042.2 |
| सुपौल | 23276 | 80.9 | 88.4 | 91.5 | 34739.7 |
| समस्तीपुर | 58597 | 203.2 | 217.0 | 93.6 | 34668.8 |
| सीतामढ़ी | 53395 | 185.0 | 195.2 | 94.8 | 34648.7 |
| नवादा | 25685 | 89.4 | 99.8 | 89.6 | 34787.9 |
| शेखपुरा | 9546 | 36.4 | 51.3 | 70.8 | 38077.1 |
| मधेपुरा | 29377 | 87.5 | 88.7 | 98.7 | 29798.9 |
| जमुई | 20747 | 63.6 | 70.0 | 90.8 | 30641.8 |
| शिवहर | 9559 | 29.2 | 30.6 | 95.2 | 30491.8 |
| कैमूर | 19488 | 56.7 | 71.6 | 79.2 | 29091.1 |
| कटिहार | 55102 | 147.1 | 163.8 | 89.8 | 26703.3 |
| अररिया | 40198 | 116.4 | 116.7 | 99.8 | 28956.2 |
| मधुबनी | 54138 | 154.1 | 178.5 | 86.3 | 28456.1 |
| बांका | 23597 | 67.3 | 72.9 | 92.4 | 28531.8 |
| बेतिया | 66768 | 167.1 | 174.7 | 95.6 | 25019.1 |
| किशनगंज | 32639 | 74.2 | 84.6 | 87.8 | 22745.8 |
| **योगफल** | **1409237** | **6170.9** | **7000.0** | **88.2** | **43789.0** |

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 2.22 : कर संग्रहण व्यय (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | संग्रहण (करोड़ रु.) | संग्रहण व्यय (करोड़ रु.) | व्यय संग्रहण के प्रतिशत में | संग्रहण (करोड़ रु.) | संग्रहण व्यय (करोड़ रु.) | व्यय संग्रहण के प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वाहन कर** | | | **स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क** | | |
| 2019-20 | 2713 | 74 | 2.7 | 4661 | 89 | 1.9 |
| 2020-21 | 2268 | 81 | 3.6 | 4206 | 68 | 1.6 |
| 2021-22 | 2475 | 91 | 3.7 | 5224 | 90 | 1.7 |
| 2022-23 | 2935 | 111 | 3.8 | 6451 | 144 | 2.2 |
| 2023-24 | 3358 | 158 | 4.7 | 6348 | 102 | 1.6 |

सोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

**तालिका 2.23 : कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2023-24)**

| राजस्व के स्रोत | बजट अनुमान (करोड़ रु.) 2023-24 | वास्तविक प्राप्ति (करोड़ रु.) 2023-24 | अंतर | % अंतर |
|---|---|---|---|---|
| | | | अधिकता (-)/ कमी (+) | अधिकता (-)/ कमी (+) |
| **अपना कर राजस्व** | | | | |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 31111 | 27678 | 3433 | 12.4 |
| बिक्री कर, व्यापार कर आदि | 7934 | 9371 | -1437 | -15.3 |
| माल एवं यात्री कर | 0 | -1 | 1 | -100.0 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 0 | 1 | -1 | -100.0 |
| स्टांप एवं निबंधन शुल्क | 6300 | 6348 | -48 | -0.8 |
| वाहन कर | 3300 | 3358 | -58 | -1.7 |
| भूमि राजस्व | 550 | 580 | -30 | -5.2 |
| विद्युत कर एवं शुल्क | 330 | 846 | -516 | -61.0 |
| वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 175 | 180 | -5 | -2.9 |
| **योगफल** | **49700** | **48361** | **1339** | **2.8** |
| **अपना करेतर राजस्व** | | | | |
| अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 3300 | 3115 | 185 | 5.9 |
| ब्याज प्राप्ति | 1705 | 897 | 808 | 90.1 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 0 | 37 | -37 | -100.0 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 163 | 196 | -33 | -16.8 |
| पुलिस | 46 | 217 | -171 | -78.8 |
| वृहद सिंचाई | 50 | 72 | -22 | -30.2 |
| शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | 16 | 4 | 12 | 306.1 |
| सड़क एवं पुल | 82 | 16 | 66 | 419.5 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 51 | 5 | 46 | 1008.8 |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 47 | 45 | 2 | 3.6 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| अन्य | 1051 | 654 | 397 | 60.8 |
| **योगफल** | **6512** | **5257** | **1255** | **23.9** |
| **कुल योगफल** | **56212** | **53618** | **2594** | **4.8** |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

राज्य सरकार के कर और करेतर राजस्व स्रोतों से राजस्व संग्रहण के लिए वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान और उस वर्ष के वास्तविक राजस्व संग्रहण की तुलना तालिका 2.23 में प्रस्तुत है। राज्य सरकार के अपने कर और करेतर स्रोतों से प्राप्ति 53,618 करोड़ रु. थी, जो 2023-24 में 56,212 करोड़ रु. के बजट अनुमान से कुछ कम है। यह कमी मुख्यत: राज्य वस्तु एवं सेवा कर के कम संग्रहण, अलौह खनन एवं धातु उद्योग के कम राजस्व प्राप्ति और कम ब्याज प्राप्ति के कारण हुई, जो बजट अनुमान के लक्ष्यों से पीछे रह गए। हालांकि स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से संग्रहण लक्ष्य से 48 करोड़ रु. अधिक रहा। साथ ही, विद्युत कर एवं शुल्क से हुआ संग्रहण बजट के लक्ष्य से 61 प्रतिशत अधिक था।

## 2.7 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार की संचित निधि को दो मुख्य श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है - राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा। इन लेखों से होने वाले व्ययों को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। वहीं, व्ययों को तीन मुख्य कामकाजी श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है - सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन तीन श्रेणियों के अलावा अन्य प्रकार के व्ययों में पूंजीगत परिव्यय, ऋणों की अदायगी, और स्थनीय निकायों तथा स्वायत्त संस्थानों को अनुदान शामिल हैं।

मुख्य व्यापक श्रेणियों के तहत 2019-20 से 2023-24 तक और 2024-25 के बजट अनुमान में दर्ज राज्य सरकार के व्यय का सारांश तालिका 2.24 में प्रस्तुत है। वहीं, तालिका 2.25 में इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत शीर्षों के तहत व्ययों में साल दर साल हुआ प्रतिशत परिवर्तन दर्शाया गया है।

**तालिका 2.24 : राज्य सरकार का व्यय पैटर्न (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| | व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व लेखा | सामान्य सेवाएं | 41628 | 46239 | 48939 | 56029 | 59218 | 78754 |
| | सामाजिक सेवाएं | 57816 | 63808 | 76115 | 88348 | 83225 | 102307 |
| | आर्थिक सेवाएं | 26571 | 29445 | 34166 | 39598 | 48071 | 44610 |
| | सहायता अनुदान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| पूंजीगत लेखा | पूंजीगत परिव्यय | 12304 | 18209 | 23678 | 31520 | 36453 | 29416 |
| | लोक ऋणों की अदायगी | 7110 | 6880 | 8746 | 14351 | 22979 | 22393 |
| | राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम | 666 | 1114 | 1479 | 2057 | 2136 | 1240 |
| **योगफल** | | **146097** | **165697** | **193123** | **231904** | **252082** | **278726** |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के पांच वर्षों में राज्य सरकार का कुल व्यय 1.7-गुना बढ़ा है। यह 2019-20 के 1,46,097 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रु. पहुंच गया। गत तीन वर्षों में इनकी वृद्धि दरें 2023-24 में 8.7 प्रतिशत, 2022-23 में 20.1 प्रतिशत, और 2021-22 में 16.6 प्रतिशत थीं। इस अवधि में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा था, जो 2023-24 में 33.0 प्रतिशत था। इसके बाद सामान्य सेवाओं का 23.5 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं का 19.1 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2023-24 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय 21.4 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं पर व्यय 5.7 प्रतिशत बढ़ा। चार्ट 2.13 में 2019-20 और 2023-24 के बीच विभिन्न श्रेणियों के सरकारी व्यय की प्रतिशत संरचना की तुलना की गई है। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा व्यय के आवंटन में बदलाव आया है। हालाकि इस व्यय में अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं का है, जिसके बाद सामान्य सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के लिए आवंटन है।

गत पांच वर्षों में पूंजीगत परिव्यय लगातार बढ़ा है, जो 2019-20 के 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 14.5 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण की अदायगी के लिए भी व्यय आवंटन के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो 2019-20 के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 9.1 प्रतिशत पहुंच गया। लोक ऋण की अदायगी पर व्यय 2022-23 में 64.1 प्रतिशत और 2023-24 में 60.1 प्रतिशत बढ़ गया। कुल व्यय में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का 2023-24 में 0.8 प्रतिशत हिस्सा था।

**तालिका 2.25 : राज्य सरकार के व्यय में प्रतिशत परिवर्तन (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(प्रतिशत में)

| | व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व लेखा | सामान्य सेवाएं | 7.6 | 11.1 | 5.8 | 14.5 | 5.7 |
| | सामाजिक सेवाएं | -0.8 | 10.4 | 19.3 | 16.1 | -5.8 |
| | आर्थिक सेवाएं | -4.8 | 10.8 | 16.0 | 15.9 | 21.4 |
| | सहायता अनुदान | -50.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 |
| पूंजीगत लेखा | पूंजीगत परिव्यय | -41.6 | 48.0 | 30.0 | 33.1 | 15.7 |
| | लोक ऋणों की अदायगी | -1.7 | -3.2 | 27.1 | 64.1 | 60.1 |
| | राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम | -54.7 | 67.3 | 32.8 | 39.1 | 3.8 |
| **योगफल** | | **-5.5** | **13.4** | **16.6** | **20.1** | **8.7** |

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.13 : सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण (2019-20 और 2023-24)

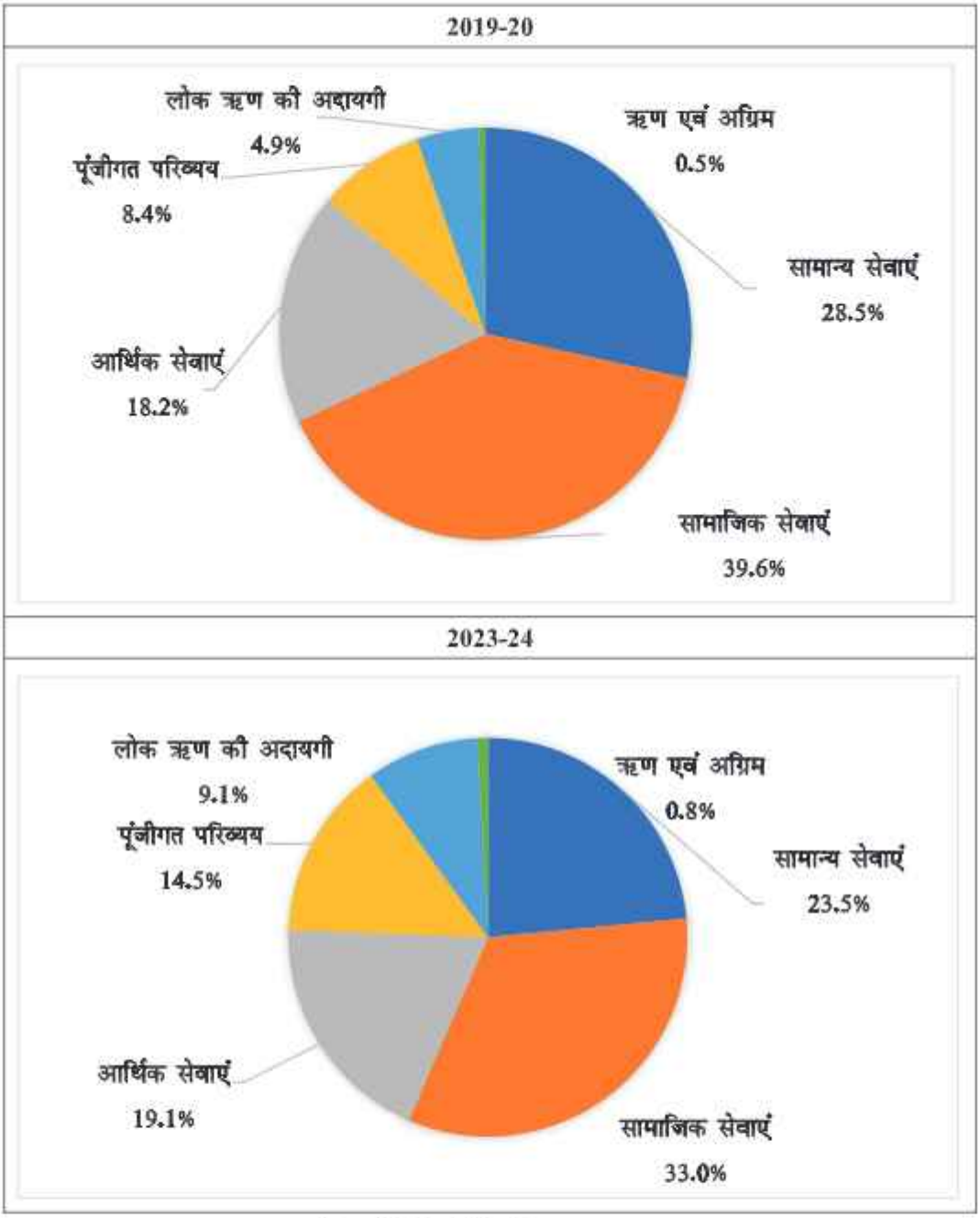


स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

कुल व्यय का राजस्व और पूंजीगत व्ययों में आवंटन राज्य सरकार के व्यय प्रबंधन का हिस्सा होता है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को विकासमूलक और विकासेतर श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जाता है। तालिका 2.26 में बिहार में 2019-20 से 2023-24 तक और 2024-25 के बजट अनुमान में राजस्व और पूंजीगत व्यय का पैटर्न दर्शाया गया है। इसमें इन व्ययों की साल दर साल की वृद्धि दरें और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर उनके अनुपात भी शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक में राज्य सरकार का राजस्व व्यय 1,26,017 करोड़ रु. से बढ़कर 1,90,514 करोड़ रु. हो गया। वहीं, इस अवधि में पूंजीगत व्यय 20,080 करोड़ रु. से बढ़कर 61,568 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का 76.7 प्रतिशत थी जबकि राजस्व व्यय कुल व्यय का 75.6 प्रतिशत था, जिसके कारण राजस्व लेखे में अधिशेष दर्ज हुआ।

**तालिका 2.26 : राजस्व और पूंजीगत व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व व्यय (आर.ई.) | 126017 | 139493 | 159220 | 183976 | 190514 | 225677 |
| पूंजीगत व्यय (सी.ई.) | 20080 | 26203 | 33903 | 47928 | 61568 | 53049 |
| कुल व्यय (टी.ई.) | 146097 | 165696 | 193123 | 231904 | 252082 | 278726 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) | 617153 | 618628 | 675448 | 751396 | 854429 | 976514 |
| राजस्व व्यय (आर.ई.) की वृद्धि दर (%) | 0.9 | 10.7 | 14.1 | 15.5 | 3.6 | 18.5 |
| पूंजीगत व्यय (सी.ई.) की वृद्धि दर (%) | -32.5 | 30.5 | 29.4 | 41.4 | 28.5 | -13.8 |
| कुल व्यय (टी.ई.) की वृद्धि दर (%) | -5.5 | 13.4 | 16.6 | 20.1 | 8.7 | 10.6 |
| आर.ई./ टी.ई.(%) | 86.3 | 84.2 | 82.4 | 79.3 | 75.6 | 81.0 |
| टी.ई./ जी.एस.डी.पी.(%) | 23.7 | 26.8 | 28.6 | 30.9 | 29.5 | 28.5 |
| आर.ई./ जी.एस.डी.पी.(%) | 20.4 | 22.5 | 23.6 | 24.5 | 22.3 | 23.1 |
| राजस्व प्राप्ति (आर.आर.)/ टी.ई. (%) | 85 | 77.4 | 82.2 | 74.5 | 76.7 | 81.4 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

वित्तवर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 66.8 प्रतिशत विकासमूलक व्यय के लिए और 33.2 प्रतिशत विकासेतर व्यय के लिए आबंटित था। खास कर, 1.69 लाख करोड़ रु. विकासमूलक व्यय के बतौर और 0.83 लाख करोड़ रु. विकासेतर व्यय के लिए आबंटित था (तालिका 2.27)। राजस्व और पूंजीगत लेखों के व्ययों का विकासमूलक और विकासेतर व्ययों के बीच वर्गीकरण तालिका 2.28 में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.27 : राजस्व लेखे में विकासमूलक और विकासेतर व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| रकम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विकासेतर व्यय | 49727 | 53574 | 59066 | 71429 | 83566 | 101859 |
| विकासमूलक व्यय | 96370 | 112122 | 134057 | 160475 | 168516 | 176866 |
| कुल व्यय | 146097 | 165696 | 193123 | 231904 | 252082 | 278726 |
| विकासमूलक व्यय कुल व्यय के % में | 66.0 | 67.7 | 69.4 | 69.2 | 66.8 | 63.5 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

**तालिका 2.28 : राजस्व और पूंजीगत लेखों के व्ययों का वितरण (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(प्रतिशत में)

| व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. राजस्व लेखा** | **86.3** | **84.2** | **82.4** | **79.3** | **75.6** | **81.0** |
| विकासेतर राजस्व व्यय | 28.2 | 27.7 | 25.0 | 23.9 | 23.1 | 27.8 |
| विकासमूलक राजस्व व्यय | 58.0 | 56.5 | 57.4 | 55.4 | 52.5 | 53.2 |
| **ख. पूंजीगत लेखा** | **13.7** | **15.8** | **17.6** | **20.7** | **24.4** | **19.0** |
| विकासेतर पूंजीगत व्यय | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 10.1 | 8.8 |
| विकासमूलक पूंजीगत व्यय | 7.9 | 11.2 | 12.0 | 13.8 | 14.4 | 10.3 |
| **कुल व्यय** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

राज्य सरकार के व्यय का एक हिस्सा बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए आवंटित होता है। साथ ही, राज्य सरकार को अपने दिए ऋणों और किए गए निवेशों पर ब्याज मिलता भी है। तालिका 2.29 में 2019-20 से 2023-24 तक हुए और 2024-25 के बजट अनुमान में दर्ज सकल और निवल ब्याज भुगतान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा सकल ब्याज भुगतान 17,606 करोड़ रु. और शुद्ध ब्याज भुगतान 16,709 करोड़ रु. था। गत वर्ष 2023-24 में सकल ब्याज भुगतान काफी बढ़ा, और 2019-20 के 10,991 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 17,606 करोड़ रु. हो गया।

**तालिका 2.29 : सकल और निवल ब्याज भुगतान (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(करोड़ रु.)

| रकम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल ब्याज भुगतान | 10991 | 12484 | 13822 | 15184 | 17606 | 20526 |
| निवल ब्याज भुगतान | 9575 | 9243 | 13099 | 14542 | 16709 | 18807 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

राज्य सरकार के व्यय का अच्छा-खासा हिस्सा अपने कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर आबंटित होता है। तालिका 2.30 में राज्य सरकार का 2019-20 से 2023-24 तक का वेतन और पेंशन पर व्यय दर्शाया गया है। हाल के वर्षों में ये व्यय लगातार बढ़े हैं। खास कर, वेतन पर व्यय 2019-20 के 20,418 करोड़ रु. से बढकर 2023-24 में 28,386 करोड़ रु. पहुंच गया। इसके साथ-साथ पेंशन पर व्यय भी इस अवधि में 17,110 करोड़ रु. से बढ़कर 24,291 करोड़ रु. पहुंच गया।

वर्ष 2023-24 में वेतन व्यय में गत वर्ष से 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पेंशन व्यय में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 में वेतन और पेंशन पर संयुक्त व्यय राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का 27.2 प्रतिशत और कुल राजस्व व्यय का 27.7 प्रतिशत था।

**तालिका 2.30 : वेतन और पेंशन पर व्यय (2019-20 से 2023-24)**

| शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **वेतन पर व्यय (करोड़ रु.)** | **20418** | **21842** | **23524** | **24816** | **28386** |
| वृद्धि दर (%) | 2.3 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 14.4 |
| वेतन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| वेतन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर | 16.4 | 17.0 | 14.8 | 14.4 | 14.7 |
| वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 16.2 | 15.7 | 14.8 | 13.5 | 14.9 |
| **पेंशन पर व्यय** | **17110** | **19635** | **20258** | **23108** | **24291** |
| वृद्धि दर (%) | 6.8 | 14.8 | 3.2 | 14.1 | 5.1 |
| पेंशन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
| पेंशन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर | 13.8 | 15.3 | 12.8 | 13.4 | 12.6 |
| पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 13.6 | 14.1 | 12.7 | 12.6 | 12.8 |
| **वेतन और पेंशन पर कुल व्यय (करोड़ रु.)** | **37528** | **41477** | **43598** | **47924** | **52677** |
| वृद्धि दर (%) | 4.3 | 10.5 | 5.1 | 9.9 | 9.9 |
| कुल व्यय जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
| कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर | 30.2 | 32.4 | 27.5 | 27.8 | 27.2 |
| कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर | 29.8 | 29.7 | 27.4 | 26.0 | 27.7 |

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

## सामाजिक सेवाओं पर व्यय

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय लोगों के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय के तहत शामिल मुख्य क्षेत्र, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, तथा आवास एवं नगर विकास हैं। राजस्व लेखे से व्यय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं के इन क्षेत्रों के लिए आबंटित किया जाता है। तालिका 2.31 में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं की इन प्रमुख श्रेणियों पर 2019-20 से 2023-24 तक और 2024-15 के बजट अनुमान में व्यय का पैटर्न दर्शाया गया है।

तालिका 2.31 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)

| व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 26353 | 27347 | 35530 | 42810 | 45481 | 55305 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 26156 | 26611 | 33770 | 41495 | 40890 | 51610 |
| (क) वेतन घटक (%) | 19.0 | 19.0 | 15.6 | 12.5 | 16.7 | 29.4 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 81.0 | 81.0 | 84.4 | 87.5 | 83.3 | 70.6 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 198 | 736 | 1761 | 1316 | 2988 | 2995 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 0.8 | 2.7 | 5.0 | 3.1 | 6.6 | 5.4 |
| **जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 11949 | 16329 | 15617 | 21752 | 18908 | 19523 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 10321 | 11462 | 13312 | 20127 | 17228 | 17907 |
| (क) वेतन घटक (%) | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 97.3 | 97.5 | 97.9 | 98.7 | 98.6 | 98.4 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 1629 | 4867 | 2305 | 1624 | 1680 | 1615 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 13.6 | 29.8 | 14.8 | 7.5 | 8.9 | 8.3 |
| **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 7674 | 9152 | 11510 | 11810 | 13014 | 14488 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 6811 | 8504 | 10645 | 9383 | 10839 | 13824 |
| (क) वेतन घटक (%) | 44.3 | 45.5 | 41.8 | 46.2 | 41.9 | 48.8 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 55.7 | 54.5 | 58.2 | 53.8 | 58.1 | 51.2 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 862 | 648 | 865 | 2426 | 2175 | 664 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 11.2 | 7.1 | 7.5 | 20.5 | 16.7 | 4.6 |
| **योगफल (सामाजिक सेवाएं)** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 60619 | 70139 | 81268 | 94316 | 91829 | 108384 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 57816 | 63808 | 76115 | 88348 | 83225 | 102307 |
| (क) वेतन घटक (%) | 15.1 | 15.2 | 13.8 | 11.7 | 14.7 | 22.5 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 84.9 | 84.8 | 86.2 | 88.3 | 85.3 | 77.5 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 2803 | 6332 | 5154 | 5967 | 7000 | 6077 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 4.6 | 9.0 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 5.6 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

सामाजिक सेवाओं पर व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' का है। इन सेवाओं पर व्यय 2019-20 के 26,353 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 45,481 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2023-24 में वेतन व्यय 40,890 करोड़ रु. था जो राजस्व व्यय का 16.7 प्रतिशत था। वहीं, इस क्षेत्र के लिए पूंजीगत परिव्यय 2019-20 में कुल व्यय का 0.8 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकार अपने राजकोषीय संसाधनों का अच्छा-खासा हिस्सा 'जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास' पर खर्च करती है। इन शीर्षों पर व्यय 2019-20 के 11,949 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 18,908 करोड़ रु. हो गया। इन क्षेत्रों में वेतन घटक राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा पर व्यय के अन्य घटकों की तुलना में कम रहता है। वर्ष 2023-24 में 17,228 करोड़ रु. के कुल राजस्व व्यय में इसका केवल 1.4 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 8.9 प्रतिशत था।

## आर्थिक सेवाओं पर व्यय

राज्य सरकार आर्थिक सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने व्यय की प्राथमिकताएं निर्धारित करती है जिसमें कृषि एवं सहयोगी गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन शामिल हैं। ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति और ऊर्जा संबंधी टिकाऊ पहलों में सहयोग देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं, उद्योग एवं खनिज क्षेत्र औद्योगिक विकास और जवाबदेही के साथ खनिज संसाधनों को निकालने को बढ़ावा देते हैं। परिवहन क्षेत्र, संपर्क बढ़ाने और वस्तुओं तथा लोगों की आवाजाही में मदद करने के लिए जरूरी है। खास कर, कृषि एवं सहयोगी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार का सहयोग किसानों को मदद देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी पहलों को जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन, बाढ़ से सुरक्षा और फसलों को पर्याप्त सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जाता है। तालिका 2.32 में इन क्षेत्रों में 2019-20 से 2023-24 तक के पांच वर्षों में राज्य सरकार के व्यय और वित्तवर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

वित्तवर्ष 2023-24 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय गत वर्ष से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 23,788 करोड़ रु. पहुंच गया। इसके पहले इसमें 2022-23 में 25.8 प्रतिशत और उसके पिछले साल 23.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। आर्थिक सेवाओं पर व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा एवं विद्युत के लिए आवंटित था और उसके बाद परिवहन क्षेत्र के लिए। ये दो क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य हैं। फलतः, राज्य सरकार ने इनके लिए अच्छा-खासा राजकोषीय संसाधन आवंटित किया है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने ऊर्जा एवं विद्युत पर 15,979 करोड़ रु. और परिवहन क्षेत्र पर 13,935 करोड़ रु. खर्च किए। उल्लेखनीय है कि परिवहन क्षेत्र के लिए कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2019-20 के 37.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 54.5 प्रतिशत पहुंच गया।

राज्य को बाढ़ की चुनौतियों का बार-बार सामना करना पड़ता है जिसका मुख्य कारण पड़ोसी देश से बहकर आने वाली नदियां हैं। इन चुनौतियों को कम करने में निवासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों का अच्छा-खासा हिस्सा आवंटित करती है। वर्ष 2023-24 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय गत वित्तवर्ष से 87.1 प्रतिशत बढ़कर 7,382 करोड़ रु. पहुंच गया। इस रकम में से 5,876 करोड़ रु. पूंजीगत परिव्यय था। इस क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा विगत वर्षों में लगातार बढ़ता गया है और 2023-24 में 2019-20 के 38.9 प्रतिशत से बढ़कर 79.6 प्रतिशत पहुंच गया है।

तालिका 2.32 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)

| व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **कृषि एवं सहयोगी गतिविधियां** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 4066 | 3374 | 3428 | 5212 | 5171 | 7943 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 3995 | 3282 | 3134 | 4563 | 5018 | 7549 |
| (क) वेतन घटक (%) | 20.2 | 25.9 | 28.1 | 21.6 | 20.9 | 17.9 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 79.8 | 74.1 | 71.9 | 78.4 | 79.1 | 82.1 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 70 | 92 | 294 | 649 | 141 | 394 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 1.7 | 2.7 | 8.6 | 12.5 | 2.7 | 5.0 |
| **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 1425 | 3844 | 4712 | 3945 | 7382 | 5388 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 871 | 1631 | 1101 | 1294 | 1506 | 1423 |
| (क) वेतन घटक (%) | 78.4 | 41.7 | 63.3 | 56.4 | 51.6 | 56.5 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 21.6 | 58.3 | 36.7 | 43.6 | 48.4 | 43.5 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 555 | 2213 | 3611 | 2652 | 5876 | 3964 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 38.9 | 57.6 | 76.6 | 67.2 | 79.6 | 73.6 |
| **ऊर्जा एवं विद्युत** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 9043 | 8625 | 10426 | 15829 | 15979 | 11334 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 5975 | 7499 | 8996 | 12750 | 13974 | 9868 |
| (क) वेतन घटक (%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 3067 | 1126 | 1430 | 3079 | 1918 | 1467 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 33.9 | 13.1 | 13.7 | 19.5 | 12.0 | 12.9 |
| **उद्योग एवं खनिज** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 813 | 534 | 1178 | 3007 | 2872 | 1808 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 676 | 419 | 1048 | 1314 | 1735 | 1603 |
| (क) वेतन घटक (%) | 12.2 | 19.7 | 7.5 | 5.9 | 5.0 | 7.0 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 87.8 | 80.3 | 92.5 | 94.1 | 95.0 | 93.0 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 137 | 116 | 129 | 1693 | 722 | 205 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 16.9 | 21.7 | 11.0 | 56.3 | 25.1 | 11.3 |
| **परिवहन** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 4001 | 6787 | 8963 | 12288 | 13935 | 8151 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 2488 | 3533 | 3630 | 4719 | 6335 | 4146 |
| (क) वेतन घटक (%) | 11.6 | 7.7 | 7.6 | 6.3 | 4.7 | 10.3 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 88.4 | 92.3 | 92.4 | 93.7 | 95.3 | 89.7 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 1514 | 3254 | 5332 | 7569 | 7599 | 4005 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 37.8 | 47.9 | 59.5 | 61.6 | 54.5 | 49.1 |
| **योगफल (आर्थिक सेवाएं)** | | | | | | |
| कुल व्यय (करोड़ रु.) | 33684 | 39935 | 49183 | 61896 | 72379 | 63718 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 26571 | 29445 | 34166 | 39598 | 48071 | 44610 |
| (क) वेतन घटक (%) | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 9.1 |
| (ख) गैर-वेतन घटक (%) | 89.8 | 90.6 | 91.5 | 92.1 | 92.9 | 90.9 |
| पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.) | 7113 | 10491 | 15017 | 22298 | 23788 | 18607 |
| पूंजीगत परिव्यय (%) | 21.1 | 26.3 | 30.5 | 36.0 | 32.9 | 29.2 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

कृषि एवं सहयोगी गतिविधियां राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए इन गतिविधियों पर निर्भर है। इस क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए राज्य सरकार संबंधित आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों की सहायता के लिए अच्छा-खासा राजकोषीय संसाधन आवंटित करती है। इस क्षेत्र पर व्यय 2019-20 के 4,066 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 5,171 करोड़ रु. हो गया, जिसमें पूंजीगत परिव्यय का 2.7 प्रतिशत हिस्सा था। इस बीच उद्योग एवं खनन क्षेत्र पर व्यय 2019-20 के 813 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 2,872 करोड़ रु. हो गया, जिसमें पूंजीगत परिव्यय का 25.1 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 2.33 में राज्य सरकार द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक और 2024-25 के बजट अनुमान में सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और सामान्य सेवाएं सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है। इन विश्लेषणों के लिए जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित अनुमान हैं। वर्ष 2023-24 में सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं पर हुआ प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 7,010 रु., 5,525 रु. और 4,954 रु. था।

**तालिका 2.33 : सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

| | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुमानित जनसंख्या (करोड़) | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.1 | 13.4 |
| **कुल व्यय (करोड़ रु.)** | | | | | | |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 26353 | 27347 | 35530 | 42810 | 45481 | 55305 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 7674 | 9152 | 11510 | 11810 | 13014 | 14488 |
| जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 11949 | 16329 | 15617 | 21752 | 18908 | 19523 |
| सामाजिक सेवाएं | 60619 | 70139 | 81268 | 94316 | 91829 | 108384 |
| आर्थिक सेवाएं | 33684 | 39935 | 49183 | 61896 | 72379 | 63718 |
| पूंजीगत परिव्यय | 12304 | 18209 | 23678 | 31520 | 36453 | 29416 |
| सामान्य सेवाएं | 44032 | 47658 | 52475 | 59311 | 64896 | 83524 |
| **प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)** | | | | | | |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 2108 | 2136 | 2733 | 3219 | 3472 | 4127 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 614 | 715 | 885 | 888 | 993 | 1081 |
| जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 956 | 1276 | 1201 | 1635 | 1443 | 1457 |
| सामाजिक सेवाएं | 4850 | 5480 | 6251 | 7091 | 7010 | 8088 |
| आर्थिक सेवाएं | 2695 | 3120 | 3783 | 4654 | 5525 | 4755 |
| पूंजीगत परिव्यय | 984 | 1423 | 1821 | 2370 | 2783 | 2195 |
| सामान्य सेवाएं | 3523 | 3723 | 4037 | 4459 | 4954 | 6233 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

खास तौर पर, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर प्रति व्यक्ति व्यय 2019-20 के 2,108 रु. से बढ़कर 2023-24 में 3,472 करोड़ रु. हो गया, जो पांच वर्षों में 65 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय इस अवधि में 2019-20 के 614 रु. से 2023-24 में 993 रु. हो गया। वहीं, जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय 45 प्रतिशत बढ़ा और 2019-20 के 956 रु. से बढ़कर 2023-24 में 1,443 रु. हो गया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय में 183 प्रतिशत उछाल आया, जो 2019-20 के 984 रु. से 2023-24 में 2,783 रु. पहुंच गया।

**व्यय की गुणवत्ता के मापदंड**

राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की गुणवत्ता का मूल्यांकन कुछ राजकोषीय मापदंडों का उपयोग करके किया जा सकता है। गुणवत्ता के चुनिंदा मापदंडों में कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अनुपात; और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर किए गए गैर-वेतन व्यय का अनुपात शामिल हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि और 2024-25 के बजट अनुमान के लिए इन मापदंडों के आंकड़े तालिका 2.34 में प्रस्तुत हैं।

राज्य सरकार के व्यय में पूंजीगत परिव्यय का बढ़ा अनुपात दीर्घकालिक विकास में सहयोग के लिए धनराशि की प्राथमिकता को दर्शाता है। कुल व्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में पूंजीगत व्यय का पैटर्न चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है। राज्य सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2019-20 के 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 14.5 प्रतिशत पहुंच गया। वहीं, 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2019-20 के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 4.3 प्रतिशत हो गया। इन पांच वर्षों में व्यय के इन मापदंडों में काफी सुधार देखा गया है।

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2019-20 के 84,387 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 1,64,208 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि में राज्य सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अनुपात में 5.5 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट 2.15)। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में व्यय 2019-20 के 13.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 22.3 प्रतिशत हो गया। इसमें सर्वाधिक उछाल 2021-22 में आया था, जब यह 2020-21 के 15.1 प्रतिशत से बढ़कर 23.6 प्रतिशत पर पहुंच गया। साथ ही, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक भी 2019-20 के 86.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 90.5 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का वेतन घटक 2019-20 के 13.6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 9.5 प्रतिशत रह गया। कुल मिलाकर, ये पैटर्न हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाते हैं।

**तालिका 2.34 : व्यय की गुणवत्ता के मापदंड (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

| व्यय शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%) | 8.4 | 11.0 | 12.3 | 13.6 | 14.5 | 10.6 |
| पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 2.0 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 3.0 |
| सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%) | 13.7 | 15.1 | 16.3 | 17.0 | 19.2 | 17.7 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रु.) | 126017 | 139493 | 159220 | 183976 | 190514 | 225677 |
| जिसमें सामाजिक और आर्थिक सेवाएं (करोड़ रु.) | 84387 | 93253 | 110280 | 127947 | 164208 | 172802 |
| (i) वेतन घटक (करोड़ रु.) | 11457 | 12481 | 13425 | 13467 | 15649 | 27094 |
| वेतन व्यय/ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय (%) | 13.6 | 13.4 | 12.2 | 10.5 | 9.5 | 15.7 |
| (ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.) | 72930 | 80772 | 96855 | 114480 | 148558 | 145708 |
| गैर-वेतन व्यय/ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय (%) | 86.4 | 86.6 | 87.8 | 89.5 | 90.5 | 84.3 |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

**चार्ट 2.14 : पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2019-20 से 2023-24)**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

**चार्ट 2.15 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

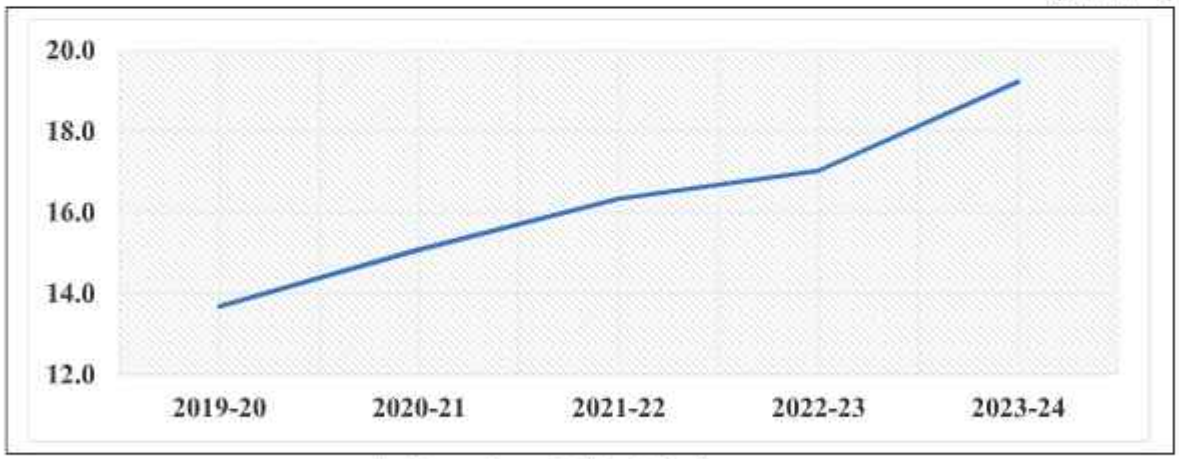


आंकड़ों का स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

**तालिका 2.35 : संचित निधि का वितरण – प्राप्ति तथा व्यय (2019-20 से 2024-25 ब.अ.)**

(प्रतिशत में)

| प्राप्ति | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) | व्यय | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व लेखा** | | | | **राजस्व लेखा** | | | |
| कर राजस्व | 63.1 | 63.9 | 60.0 | सामान्य सेवाएं | 24.2 | 23.5 | 28.3 |
| करेतर राजस्व | 1.9 | 2.1 | 2.6 | सामाजिक सेवाएं | 38.1 | 33.0 | 36.7 |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 13.1 | 10.3 | 18.7 | आर्थिक सेवाएं | 17.1 | 19.1 | 16.0 |
| **पूंजीगत लेखा** | | | | **पूंजीगत लेखा** | | | |
| लोक ऋण | 21.8 | 23.7 | 18.5 | लोक ऋण की अदायगी | 6.2 | 9.1 | 8.0 |
| ऋणों और अग्रिमों की वसूली | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ऋण एवं अग्रिम | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| | | | | पूंजीगत परिव्यय | 13.6 | 14.5 | 10.6 |
| **योगफल** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **योगफल** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट, बिहार सरकार

वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान सहित 2022-23 और 2023-24 के लिए राज्य सरकार की संचित निधि में आय और व्यय के प्रतिशत वितरण का सारांश तालिका 2.35 में प्रस्तुत है। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्ति में पूंजीगत प्राप्ति का 23.7 प्रतिशत और राजस्व प्राप्ति का 76.3 प्रतिशत हिस्सा था। इस कुल प्राप्ति में 63.9 प्रतिशत कर राजस्व से, 10.3 प्रतिशत सहायता अनुदान से, 2.1 प्रतिशत करेतर राजस्व से और 23.7 प्रतिशत लोक ऋण से आया। उल्लेखनीय है कि, पूंजीगत लेखे में प्राप्ति और व्यय, दोनो का हिस्सा इन वर्षों में बढ़ा है।

व्यय के मामले में देखें, तो 2023-24 में राज्य सरकार के कुल व्यय में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का क्रमशः 23.5 प्रतिशत, 33.0 प्रतिशत और 19.1 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2022-23 में 13.6 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, इस अवधि में लोक ऋण की अदायगी का हिस्सा 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, 2023-24 में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का वितरण विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है, जिसका जोर राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर है।

# अध्याय – 3

# कृषि एवं संबंधित क्षेत्र


**सारांश**

*कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है जिसमें राज्य की 75 प्रतिशत से भी अधिक आबादी नियोजित है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी यह महत्वपूर्ण योगदाता बना हुआ है। उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधनों, और अनुकूल जलवायु के कारण बिहार में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, ईख, और तिलहन जैसी अनेक प्रकार की फसलें उपजती हैं। राज्य आम, मखाना और लीची जैसे बागवानी उत्पादों का भी अग्रणी उत्पादक है। कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023–2028) को अपनाया है जिसका अवधान आधुनिक अवसंरचना और सहायक गतिविधियों पर है। वर्ष 2022–23 में फसल क्षेत्र 6.7 प्रतिशत, मात्स्यिकी एवं जलकृषि 11.1 प्रतिशत, और पशुधन 2.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। कृषि, वानिकी, और मात्स्यिकी क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में 20.2 प्रतिशत योगदान है। सिंचाई अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार ने कृषि में निवेश बढ़ाया है जो 2023–24 में 1674.2 करोड़ रु. आबंटित था। 'हर खेत को सिंचाई का पानी' कार्यक्रम के तहत 2023–24 में 308.73 करोड़ रु. के व्यय वाली 707 योजनाएं स्वीकृत हुई जिससे 1,02,957 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा पुन:स्थापित हुई। वर्ष 2023–24 में 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 11,900.0 लाख रु. आबंटित करके राज्य ने यंत्रीकरण को भी प्राथमिकता दी है। कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी 2019–20 से 2023–24 के बीच आठ-गुनी बढ़ी, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2023–24 में 7080.07 करोड़ रु. ऋण वितरण किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरीडोर योजना ने 2023–24 के लिए अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है। जैविक कॉरीडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में 13 जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई और राज्य सरकार ने इस मकसद से 3192.67 लाख रु. आबंटित किए। उत्पादकता, अवसंरचना और कृषक कल्याण में सुधार के लिए राज्य सरकार की पहलों का समर्थन पाकर कृषि क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है।*


## परिचय

किसी समाज की आर्थिक प्रगति को सशक्त और समृद्ध कृषि क्षेत्र के बिना नहीं हासिल किया जा सकता है। यह क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्राथमिक सामग्रियां उपलब्ध कराता है। हालांकि राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान में गत वर्षों के दौरान गिरावट का रुझान दिखा है। लेकिन देश में, खास कर बिहार में इसने आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका को समर्थन देना जारी रखा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान बनी हुई है और इसमें विकास की जबर्दस्त अदोहित संभावना मौजूद है। इस संभावना को महसूस करके राज्य सरकार ने दीर्घकालिक हस्तक्षेपों के जरिए अपना ध्यान कृषि के समग्र विकास पर केंद्रित कर रखा है। इनमें सबसे प्रमुख कृषि रोडमैप की शुरूआत है। हाल में राज्य सरकार ने 2023–2028 के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप को अपनाया है जिसका लक्ष्य कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में आधुनिक अवसंरचना निर्मित करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है।

फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण, तथा मत्स्याखेट एवं जलकृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर तालिका 3.1 में प्रस्तुत है जिससे पता चलता है फसल क्षेत्र इस विकास का केंद्र बिंदु रहा है। वर्ष 2022-23 के अनंतिम (प्रोविजनल) अनुमान के अनुसार, फसल क्षेत्र में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई। वहीं, इस अवधि में मात्स्यिकी एवं जलकृषि क्षेत्र में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखी। हालांकि मात्स्यिकी एवं जलकृषि की वृद्धि दर विगत वर्षों के दौरान लगातार उच्च स्तर पर रही है, लेकिन गौरतलब है कि इस क्षेत्र का आकार छोटा बना हुआ है। पशुधन क्षेत्र की वृद्धि दर में इस दौरान उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 2022-23 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत थी। तालिका 3.2 से पता चलता है कि कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में हर साल लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है। वर्ष 2022-23 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का 20.2 प्रतिशत योगदान था। वहीं, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 6.4 प्रतिशत योगदान था। मात्स्यिकी एवं जलकृषि की वृद्धि दरें इस अवधि में ऊंची दिखीं लेकिन उनका इस क्षेत्र के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में महज 1.9 प्रतिशत योगदान था।

**तालिका 3.1 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दरें (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

| क्षेत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|
| कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 1.1 | 8.1 | 4.1 | 5.4 | 5.4 |
| फसल | -5.7 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | 4.7 |
| पशुधन | 11.4 | 10.6 | 4.6 | 2.7 | 7.6 |
| वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 3.9 |
| मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 6.5 | 6.6 | 11.5 | 11.1 | 3.2 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका 3.2 : बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

| क्षेत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (अनंतिम) | 2023-24 (त्वरित) |
|---|---|---|---|---|---|
| कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी | 18.8 | 21.8 | 21.1 | 20.2 | 19.5 |
| फसल | 9.7 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 9.9 |
| पशुधन | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 |
| वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| मात्स्यिकी एवं जलकृषि | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## 3.1 भूमि उपयोग पैटर्न

बिहार में 2022-23 में 54.6 प्रतिशत जमीन का उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए हुआ। विगत वर्षों के दौरान शुद्ध बुआई क्षेत्र में उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 2022-23 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 5112.8 हजार हेक्टेयर था जो 2019-20 से 2022-23 के

बीच के चार वर्षों में खेती वाली जमीन का सर्वाधिक हिस्सा था। वर्ष 2022-23 में सकल बुआई क्षेत्र 7268.2 हजार हे. था जो 2021-22 के 7328.6 हजार हे. से थोड़ा कम था। फसल सघनता से एक उत्पादन वर्ष में कई फसल उत्पादन चक्र वाली जमीन के उपयोग का पता चलता है। उच्च फसल सघनता बताती है कि एक उत्पादन चक्र में एक से अधिक बार फसलों की खेती हुई। बिहार में गत चार वर्षों (2019-20 से 2022-23) में फसल सघनता में अधिक बदलाव नहीं आया है। जिलावार विखंडन से पता चलता है कि बक्सर और भोजपुर जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल का उपयोग फसल उत्पादन के लिए हुआ। वहीं, 2022-23 में सर्वाधिक 1.82 फसल सघनता सुपौल में थी और उसके बाद 1.75 जहानाबाद में (विवरण के लिए तालिका प 3.1 – परिशिष्ट देखें)।

**तालिका 3.3 : भूमि उपयोग का प्रतिरूप (2019-20 से 2022-23)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

| क्र.सं. | भूमि उपयोग | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भौगोलिक क्षेत्रफल | 9359.6 | 9359.6 | 9359.6 | 9359.6 |
| 2 | वन भूमि | 621.6 | 621.6 | 621.6 | 621.6 |
| 3 | कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि | | | | |
| | (क) बंजर एवं अकृष्य भूमि | 431.7 | 431.7 | 431.7 | 431.7 |
| | (ख) कृषीतर उपयोग वाली भूमि | 1734.1 | 1750.7 | 1749.4 | 1746.4 |
| | भूमि क्षेत्र | 1367.2 | 1368.0 | 1368.8 | 1370.4 |
| | जल क्षेत्र | 366.9 | 382.7 | 380.6 | 375.9 |
| 4 | कृष्य अकृतक्षेत्र | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.6 |
| 5 | अकृष्ट भूमि परती भूमि को छोड़कर | | | | |
| | (क) स्थायी चरागाह | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| | (ख) बागानी भूमि | 249.7 | 249.8 | 251.0 | 251.4 |
| 6 | परती भूमि | | | | |
| | (क) वर्तमान परती | 1068.9 | 1028.1 | 1003.0 | 960.8 |
| | (ख) अन्य परती भूमि | 117.6 | 173.5 | 174.1 | 176.3 |
| 7 | कुल अकृष्य भूमि (2 से 6) | 4282.4 | 4314.3 | 4289.2 | 4246.8 |
| 8 | निवल बुआई क्षेत्र | 5077.1 | 5045.4 | 5070.4 | 5112.8 |
| 9 | सकल बुआई क्षेत्र | 7296.8 | 7264.5 | 7328.6 | 7268.2 |
| | फसल सघनता | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.42 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

जमीन उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है और ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में पुरुषों द्वारा नियंत्रित रहा है जिस मामले में बिहार कोई अपवाद नहीं है। वर्ष 2015-16 में, बिहार में मौजूद 16,412 हजार जोतों में से 2297 हजार जोतें ही महिलाओं द्वारा नियंत्रित हैं जिनका योगफल में 14 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो 2015-16 में कुल 6457 हजार हे. जमीन में से 892 हे. जमीन ही महिलाओं के नियंत्रण में थीं। हालांकि, 2010-11 से 2015-16 के बीच महिलाओं के अधीन प्रयुक्त जोतों के क्षेत्रफल में 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। बिहार में प्रयुक्त जोतों के वितरण की एक अन्य खास विशेषता सीमांत (1 हे. से कम वाले) जोतों की बहुलता है। कुल 16,412 हजार जोतों में से 14,970 सीमांत अर्थात 1 हे. से कम आकार वाली जोतें थीं। वहीं, क्षेत्रफल के लिहाज से 6457 हजार जोतों में से 3727 हजार का वितरण सीमांत जोतों के अंतर्गत था। विगत वर्षों के दौरान बड़ी जोतें वस्तुत: उप-विभाजित होकर सीमांत और छोटी जोतों में बदलती रही हैं।

**तालिका 3.4 : बिहार में प्रयुक्त जोतों का क्षेत्रफल और लिंग के आधार पर वितरण (2010-11 और 2015-16)**

| आकारगत श्रेणी | लिंग | प्रयुक्त जोतों की संख्या (हजार) | | | प्रयुक्त जोतों का क्षेत्रफल (हजार हे.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2015-16 | प्रतिशत अंतर | 2010-11 | 2015-16 | प्रतिशत अंतर |
| सीमांत (1 हे. से कम) | पुरुष | 12623 | 12835 | 1.68 | 3128 | 3165 | 1.18 |
| | महिला | 2101 | 2116 | 0.71 | 533 | 555 | 4.13 |
| | कुल | 14744 | 14970 | 1.53 | 3668 | 3727 | 1.61 |
| लघु (1 से 2 हे.) | पुरुष | 824 | 820 | -0.49 | 1029 | 1024 | -0.49 |
| | महिला | 120 | 119 | -0.83 | 151 | 149 | -1.32 |
| | कुल | 948 | 943 | -0.53 | 1185 | 1178 | -0.59 |
| अर्ध-मध्यम (2 से 4 हे.) | पुरुष | 365 | 359 | -1.64 | 945 | 933 | -1.27 |
| | महिला | 47 | 51 | 8.51 | 123 | 136 | 10.57 |
| | कुल | 414 | 414 | 0.00 | 1072 | 1075 | 0.28 |
| मध्यम (4 से 10 हे.) | पुरुष | 73 | 71 | -2.74 | 373 | 378 | 1.34 |
| | महिला | 7 | 9 | 28.57 | 37 | 47 | 27.03 |
| | कुल | 81 | 81 | 0.00 | 414 | 430 | 3.86 |
| वृहत (10 हे. से अधिक) | पुरुष | 3 | 2 | -33.33 | 37 | 35 | -5.41 |
| | महिला | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.00 |
| | कुल | 3 | 3 | 0.00 | 45 | 44 | -2.22 |
| सभी श्रेणियां | पुरुष | 13889 | 14090 | 1.45 | 5511 | 5537 | 0.47 |
| | महिला | 2276 | 2297 | 0.92 | 849 | 892 | 5.06 |
| | कुल | 16191 | 16412 | 1.36 | 6387 | 6457 | 1.10 |

टिप्पणी : पूर्णांकित करने के कारण योगफल मेल नहीं भी खा सकता है

स्रोत : कृषि गणना, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

## 3.2 फसल उत्पादन

राज्य में फसल प्रतिरूप में अनाजों के उत्पादन का वर्चस्व बरकरार है। वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र के तहत 6357.9 हजार हे. जमीन पर अनाजों की खेती हुई। कृषिवर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच अनाजों की खेती वाली जमीन का क्षेत्रफल 7.1 प्रतिशत बढ़ा। साथ ही, दलहनों और तिलहनों की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ा। वहीं, रेशेदार फसलों, खास कर जूट की खेती का क्षेत्रफल 2022-23 से 2023-24 के बीच 10.6 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, ईख की खेती का क्षेत्रफल 2023-24 में घट गया। लेकिन कुल मिलाकर फसल उत्पादन का क्षेत्रफल काफी बढ़ गया।

खरीफ में चावल और रबी में गेहूं का बिहार में प्रमुख फसल चक्र है। वर्ष 2023-24 में कुल चावल उत्पादन 9522.9 हजार टन था जिसमें अगहनी चावल का हिस्सा 90.1 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच चावल का उत्पादन 21.0 प्रतिशत बढ़ा। गेहूं बिहार में रबी की मुख्य फसल है जिसका 2023-24 में राज्य में 7306.7 हजार टन उत्पादन हुआ जो 2022-23 की अपेक्षा 10.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए ऊंची मांग के कारण हाल के वर्षों में मक्का के उत्पादन के प्रति राज्य में काफी रुचि बढ़ी है। इसीलिए मक्का का उत्पादन 2020-21 के 3521.4 हजार टन से 66.6 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 5864.9 हजार टन हो गया।

चावल, गेहूं और मक्का के विपरीत, तिलहन और दलहन जैसी अन्य फसलों का उत्पादन स्तर कम है और मुख्यत: अपने उपयोग के लिए उत्पादन होता है। वहीं, रेशेदार फसलों में जूट बिहार में उत्पादित मुख्य फसल है। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच जूट का उत्पादन 24.6 प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन 2022-23 से 2023-24 के बीच ईख के उत्पादन में थोड़ी कमी आई है।

**तालिका 3.5 : बिहार में फसल प्रतिरूप (2020-21 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

| फसलें | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
| खाद्यान्न | 6383.6 | 94.2 | 6443.8 | 94.3 | 6368.4 | 94.3 | 6825.8 | 94.5 |
| अनाज | 5934.7 | 87.6 | 6008.4 | 87.9 | 5934.5 | 87.9 | 6357.9 | 88.0 |
| दलहन | 448.9 | 6.6 | 435.4 | 6.4 | 433.9 | 6.4 | 468 | 6.5 |
| तिलहन | 115.3 | 1.7 | 115.9 | 1.7 | 113.1 | 1.7 | 129.6 | 1.8 |
| रेशेदार फसलें | 56.1 | 0.8 | 64.4 | 0.9 | 60.9 | 0.9 | 67.4 | 0.9 |
| ईख | 221.1 | 3.3 | 211.2 | 3.1 | 210.2 | 3.1 | 202.2 | 2.8 |
| **कुल क्षेत्रफल** | **6776.1** | **100.0** | **6835.3** | **100.0** | **6752.6** | **100.0** | **7225** | **100.0** |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यकी निदेशालय, बिहार सरकार

फसल के उत्पादन और उत्पादकता के स्तरों का निर्धारण कई कारकों से होता है। चावल की उत्पादकता 2022-23 और 2023-24 के बीच घटी है। वहीं, कृषि के क्षेत्रफल के मामले में देखें, तो बिहार में मुख्यत: अगहनी चावल उपजाया जाता है। वर्ष 2023-24 में अगहनी चावल की उत्पादकता का स्तर 2022-23 के 4199 किग्रा प्रति हे. से घटकर 3182 किग्रा प्रति हे. रह गया। हालांकि 2022-23 से 2023-24 के बीच जिलों के बीच चावल की उत्पादकता के मामले में परिवर्तनशीलता घटा है। यह जिलों के बीच चावल की उत्पादकता में भिन्नता का गुणांक से स्पष्ट होता है जो 2022-23 के 28 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 22 प्रतिशत रह गया। बिहार के सभी जिलों के बीच चावल उत्पादन में रोहतास का सर्वाधिक 9.5 प्रतिशत योगदान था जहां उत्पादकता भी सर्वाधिक 4649 किग्रा प्रति हे. थी। रोहतास में 193.7 हजार हे. में चावल का उत्पादन हुआ जो बिहार के कुल चावल उत्पादक क्षेत्र का 6.2 प्रतिशत है (देखें तालिका प 3.2 - परिशिष्ट)।

बिहार में गेहूं की उत्पादकता 2022-23 से 2023-24 के बीच 8.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है (देखें तालिका प 3.3 - परिशिष्ट)। वहीं, गेहूं की उत्पादकता में जिलों के बीच भिन्नता कम ही रहा है। जिलों में गेहूं की उत्पादकता में भिन्नता का गुणांक 2022-23 में 18 प्रतिशत था जो 2023-24 में और भी घटकर 11 प्रतिशत रह गया। गेहूं की सर्वाधिक 4012 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता बेगूसराय में थी।

बिहार में मक्का की अधिकांश खेती रबी मौसम में होती है। बिहार में मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के समकक्ष है। हालांकि, 2023-24 में रबी मौसम में उपजे मक्का की उत्पादकता 7541 किग्रा प्रति हे. थी जो 2022-23 की उत्पादकता से 9.0 प्रतिशत कम है। मक्का की उत्पादकता में जिलों के बीच परिवर्तनशीलता चावल और गेहूं की तुलना में अधिक है। मक्का की खेती रोहतास और औरंगाबाद को छोड़कर शेष सभी जिलों में होती है। लेकिन 2023-24 में राज्य में मक्का के कुल उत्पादन में चार जिलों - पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज - का 53 प्रतिशत योगदान था। इन चारो जिलों के साथ-साथ शिवहर, सुपौल और मधेपुरा में भी मक्का की उत्पादकता अपेक्षाकृत ज्यादा रही है (देखें तालिका प 3.4 - परिशिष्ट)।

बिहार में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल 2022-23 के 433.9 हजार हे. से बढ़कर 2023-24 में 468.0 हे. हो गया। हालांकि इस बीच विभिन्न दलहनों की उत्पादकता काफी घटी है। (देखें तालिका प 3.5 - परिशिष्ट)।

बिहार की एक और महत्वपूर्ण फसल ईख है। ईख की खेती का क्षेत्रफल 2022-23 के 210.2 हजार हे. से घटकर 2023-24 में 202.2 हजार हे. हो गया है। ईख की उत्पादकता में थोड़ी गिरावट दिखी जो 2022-23 के 69 हजार किग्रा प्रति हे. से घटकर 2023-24 में 67 हजार हे. रह गई। जिलावार विवरण के लिए तालिका प 3.6 - परिशिष्ट देखें)।

## तालिका 3.6 : बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन (2020-21 से 2023-24)

(हजार टन में)

| फसलें | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| खाद्यान्न | 17952.4 | 18486.9 | 19736.0 | 23115.5 |
| अनाज | 17573.8 | 18099 | 19322.0 | 22716.8 |
| धान | 7392.7 | 7717.3 | 7872.9 | 9522.9 |
| बोड़ो धान | 657 | 709.9 | 725.7 | 772.9 |
| अगहनी धान | 6599.5 | 6862.9 | 6997.0 | 8576.9 |
| गरमा धान | 136.2 | 144.5 | 150.2 | 173.1 |
| गेहूं | 6635 | 6889.8 | 6600.1 | 7306.7 |
| मक्का | 3521.4 | 3470.9 | 4829.4 | 5864.9 |
| खरीफ मक्का | 225.1 | 235 | 445.1 | 586.2 |
| रबी मक्का | 2323.9 | 2325.1 | 3365.0 | 4207.0 |
| गरमा मक्का | 972.4 | 910.9 | 1019.3 | 1071.7 |
| कुल मोटे अनाज | 3546.1 | 3491.8 | 4849.0 | 5887.3 |
| जौ | 14.4 | 12.4 | 12.4 | 15.3 |
| ज्वार | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
| बाजरा | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 3.0 |
| रागी | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
| कोदो-सावां | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| कुल दलहन | 378.6 | 387.9 | 414.0 | 398.6 |
| कुल खरीफ दलहन | 24.6 | 18.4 | 16.7 | 18.2 |
| ऊड़द | 9.4 | 6 | 5.6 | 5.3 |
| भदई मूंग | 6.5 | 4.6 | 3.9 | 4.6 |
| कुल्थी | 6.3 | 5.9 | 5.3 | 5.6 |
| घघरा | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| अन्य खरीफ दलहन | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| कुल रबी दलहन | 354 | 369.5 | 397.3 | 380.5 |
| अरहर (तूअर) | 23.4 | 20.9 | 24.3 | 23.1 |
| चना | 54.5 | 54.4 | 57.2 | 78.5 |
| मसूर | 124.6 | 124.2 | 131.7 | 113.8 |
| मटर | 19.4 | 15.7 | 16.6 | 17.3 |
| खेसारी | 42.8 | 44.4 | 40.7 | 33.1 |
| गरमा मूंग | 88.3 | 109 | 125.8 | 112.4 |
| अन्य रबी दलहन | 1 | 1 | 1.1 | 2.2 |
| कुल तिलहन | 124.2 | 121.5 | 139.6 | 150.7 |
| अंडी | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| कुसुम | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| तिल | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| सूर्यमुखी | 9.9 | 9 | 9.0 | 8.7 |
| सरसों-राई | 95.5 | 88.4 | 106.8 | 122.4 |
| तीसी | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.9 |
| मूंगफली | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| कुल रेशेदार फसलें (गट्ठर में) | 787 | 852 | 776 | 986 |
| जूट (गट्ठर में) | 618 | 713 | 630 | 785 |
| मेसता (गट्ठर में) | 169 | 139 | 143 | 201 |
| ईख | 12109.9 | 12025.6 | 14452.0 | 13641.9 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका 3.7 : बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता (2020-21 से 2023-24)**

(किग्रा/ प्रति हे.)

| फसलें | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| कुल अनाज | 2961 | 3012 | 3256 | 3573 |
| कुल धान | 2447 | 2496 | 4024 | 3062 |
| बोड़ो धान | 1555 | 1696 | 2859 | 2179 |
| अगहनी धान | 2599 | 2620 | 4199 | 3182 |
| गरमा धान | 2307 | 2682 | 4167 | 2888 |
| गेहूं | 2985 | 3078 | 2950 | 3211 |
| कुल मक्का | 5229 | 5236 | 6456 | 6138 |
| खरीफ मक्का | 1163 | 1352 | 2458 | 2713 |
| रबी मक्का | 7472 | 7180 | 8219 | 7541 |
| गरमा मक्का | 5762 | 5512 | 6469 | 5904 |
| कुल मोटे अनाज | 5129 | 5148 | 6359 | 6056 |
| जौ | 1903 | 1779 | 1727 | 1641 |
| ज्वार | 1067 | 1067 | 1068 | 1075 |
| बाजरा | 1134 | 1140 | 1140 | 1138 |
| रागी | 934 | 978 | 1003 | 871 |
| कोदो-सावां | 753 | 755 | 754 | 771 |
| कुल दलहन | 843 | 891 | 954 | 852 |
| कुल खरीफ दलहन | 896 | 834 | 836 | 898 |
| ऊड़द | 890 | 930 | 954 | 959 |
| भदई मूंग | 931 | 677 | 657 | 889 |
| कुल्थी | 917 | 923 | 923 | 925 |
| अन्य खरीफ दलहन | 752 | 752 | 753 | 754 |
| कुल रबी दलहन | 840 | 894 | 960 | 850 |
| अरहर (तूअर) | 1606 | 1607 | 1869 | 1688 |
| चना | 1052 | 1053 | 1076 | 974 |
| मसूर | 912 | 933 | 985 | 813 |
| मटर | 1042 | 1051 | 1101 | 1107 |
| खेसारी | 1083 | 1038 | 1090 | 901 |
| गरमा मूंग | 554 | 695 | 783 | 708 |
| अन्य रबी दलहन | 1004 | 1006 | 1006 | 1004 |
| कुल तिलहन | 1077 | 1048 | 1235 | 1162 |
| अंडी | 974 | 975 | 975 | 978 |
| कुसुम | 813 | 814 | 821 | 825 |
| तिल | 874 | 874 | 878 | 879 |
| सूर्यमुखी | 1426 | 1422 | 1419 | 1401 |
| सरसों-राई | 1271 | 1125 | 1315 | 1263 |
| तीसी | 848 | 847 | 854 | 848 |
| मूंगफली | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 |
| जूट | 2620 | 2514 | 2352 | 2667 |
| मेसता | 2368 | 1982 | 2139 | 2636 |
| ईख | 54766 | 56949 | 68761 | 67483 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यकी निदेशालय, बिहार सरकार

## 3.3 बिहार में बागवानी फसलों को प्रोत्साहन

बिहार में बागवानी क्षेत्र का उत्साहवर्धक विकास हुआ है। बागवानी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाओं का उपयोग करके राज्य के किसान फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए उत्साहित हुए हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो 2023-24 में बिहार में मुख्य फल आम था और उसके बाद केला। बिहार में 2023-24 में 371.4 हजार हे. जमीन पर फलों के बागान थे जिसमें से 164.6 हजार हे. (44.3 प्रतिशत) पर आम के बागान थे। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच आम के क्षेत्रफल में सिर्फ 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आम का कुल उत्पादन 9.7 प्रतिशत बढ़ गया। यह 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में आम की अधिक उत्पादकता को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में लीची का 345.1 हजार टन उत्पादन हुआ है। बिहार में लीची के बागानों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच लीची के बागानों का क्षेत्रफल 6.0 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कुल उत्पादन 11.7 प्रतिशत बढ़ा (देखें तालिका प 3.7 - परिशिष्ट)।

एक और मूल्यवान फल मखाना है। वर्ष 2023-24 में 27.8 हजार हे. जमीन पर मखाना की खेती हुई और कुल 56.4 हजार टन उत्पादन हुआ। भारत में मखाना के कुल उत्पादन में बिहार का 85 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, राज्य के 10 जिलों (दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया और सुपौल) के 50,000 परिवार मखाना उत्पादन मूल्यश्रृंखला के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए हैं।

मिथिलांचल कृषक उत्पादन संघ के तत्वावधान में भारत सरकार ने मिथिला मखाना को जीआइ (भौगोलिक पहचान) का टैग प्रदान किया है। यह सर्वविदित है कि मखाना उत्पादन में बिहार का प्रमुख निर्यात उत्पाद बनने की संभावना है। आशा है कि मखाना का कुल निर्यात 200 टन तक बढ़ाया जा सकता है जिससे 600 करोड़ रु. से 800 करोड़ रु. तक का व्यापार संभावित है। बिहार में उत्पादित फल आम, मखाना और लीची ने बिहार के बाहर के बाजारों में खास जगह बना ली है। सीमित उत्पादन और उच्च मांग के कारण इन फसलों को ज्यादा कीमत मिलती है।

बागवानी, खास कर मखाना के लिए राज्य सरकार का सहयोग-समर्थन हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। बागवानी निदेशालय ने राज्य में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं। निदेशालय ने तीन घटकों के जरिए मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन किया है। पहला, राज्य सरकार उच्च उपज प्रजाति (एचवाइवी) के बीज उत्पादन के लिए पूर्णिया स्थित भोला पासावान शास्त्री कृषि महाविद्यालय और दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (एनआरसी) को सहायता प्रदान करती है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित हो। उच्च उपज प्रजाति के बीजों के उत्पादन के लिए राज्य ने 100 प्रतिशत सब्सिडी दी है। उन्नत बीजों के निदर्शन के लिए राज्य सरकार ने मखाना किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी है। 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले मखाना भंडारण गृह के निर्माण के लिए सरकार ने 10 लाख रु. इकाई व्यय पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी है। इस योजना का लक्ष्य मखाना की खेती को बढ़ावा देना, और किसानों के लिए भंडारण अवसंरचना बढ़ाना है। राज्य सरकार ने 2023-24 से 2024-25 तक मखाना उत्पादन योजना के लिए 1081.97 लाख रु. आबंटित किए हैं।

कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत, मखाना उत्पादन इकाइयों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता सुधारने के लिए ऋण-संपर्कित सब्सिडी दी गई है। वंचित सामाजिक समूहों (जैसे अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), महिला, और दिव्यांग) के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के प्रावधान किए गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के तहत मखाना को 'एक जिला एक उत्पाद' के तहत चिन्हित किया गया है। इस योजना से मखाना उत्पादकों को कई तरह से लाभ होता है : ऋण-संपर्कित सब्सिडी, और स्वयं सहायता समूहों के लिए आरंभिक पूंजी पाना, साझा अवसंरचना के लिए सहायता, इनक्यूबेशन केंद्रों के लिए सहायता, ब्रांडिंग और विपणन संबंधी सहयोग। सहायता कुल व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित है।

किशनगंज जिले में चाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चाय विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नए और पुराने चाय बागानों के लिए मशीनीकरण में सहयोग समेत 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। चाय क्षेत्र के समग्रता में विकास को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज जिले में चाय के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत, 2023-24 और 2024-25 के लिए 4,950.83 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 4024.58 लाख रु. 2023-24 के लिए हैं।

**तालिका 3.8 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2021-22 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार मै.टन में)

| फल | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| केला | 42.9 | 1968.2 | 44.1 | 2004.3 | 42.7 | 1903.1 |
| आंवला | 3.4 | 15.7 | 3.8 | 16.3 | 3.5 | 2.9 |
| अमरुद | 29.8 | 434.4 | 30.6 | 435.7 | 29.4 | 455.4 |
| नींबू | 19.3 | 115.0 | 19.8 | 116.6 | 19.6 | 108.8 |
| लीची | 36.7 | 308.1 | 37.0 | 308.8 | 39.2 | 345.1 |
| मखाना | 27.4 | 56.2 | 27.7 | 56.8 | 27.8 | 56.4 |
| आम | 160.2 | 1550.0 | 163.0 | 1756.1 | 164.6 | 1926.2 |
| खरबूजा | 3.9 | 22.5 | 4.1 | 23.1 | 4.0 | 35.6 |
| पपीता | 3.3 | 95.8 | 3.6 | 99.1 | 3.4 | 102.1 |
| अनारस | 3.9 | 113.8 | 4.0 | 113.9 | 4.0 | 117.5 |
| मीठा नींबू | 0.5 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 0.5 | 4.5 |
| तरबूज | 3.3 | 43.5 | 3.6 | 44.3 | 3.4 | 58.0 |
| अन्य | 29.1 | 258.9 | 29.6 | 259.5 | 29.5 | 289.5 |
| **योगफल** | **363.7** | **4986.8** | **371.2** | **5239.0** | **371.4** | **5404.8** |

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने छः जिलों (नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली) में पान की खेती के लिए वित्तीय सहायता दी है। पान विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य योजना के तहत 2023-24 और 2024-25 के लिए 491.36 लाख रु. आबंटित किए हैं। वर्ष 2023-24 में व्यय के लिए 311.51 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। वहीं, चतुर्थ कृषि रोडमैप (डीपीआर) के तहत वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र (पान) की स्थापना के लिए 469.0 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं। यह धनराशि 2023-24 से 2027-2028 तक की पांच साल की अवधि के लिए आबंटित की गई है। इस योजना के जरिए बिहार के उत्तरी भाग में विभिन्न प्रजाति के पान की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।

चतुर्थ कृषि रोडमैप और 'क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन' (पराग) नामक योजना के तहत राज्य सरकार ने शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की है। मधुमक्खी के बक्सों, और हनी एक्सट्रैक्टर तथा आहार-ग्रेड के डिब्बों के लिए गैर-अजा/अजजा उत्पादकों को 75 प्रतिशत और अजा/अजजा उत्पादकों को 90 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे भूमिहीन सहित ग्रामीण आबादी के लिए उपार्जन का व्यवहार्य रास्ता तैयार होगा। राज्य सरकार ने राज्य योजना के तहत 2023-24 के लिए 2440.92 लाख रुपये आवंटित किए हैं। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खियों के बक्से, और शहद निकालने के उपकरण दिए जाते हैं।

**सब्जी उत्पादन**

वर्ष 2023-24 में 894.01 हजार हे. पर सब्जियों की खेती हुई थी जो 2022-23 में सब्जियों की खेती के लिए प्रयुक्त जमीन से 0.5 प्रतिशत अधिक है। सब्जियों में सबसे अधिक जमीन पर आलू की खेती हुई थी जिसका 2023-24 में सब्जियों की खेती के लिए प्रयुक्त कुल जमीन में 39.6 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2023-24 में 329.5 हजार हे. जमीन पर आलू की खेती हुई और 8842.6 हजार टन आलू का उत्पादन हुआ। वर्ष 2023-24 में कुछ सब्जियों को छोड़कर लगभग सभी के उत्पादन में 2022-23 की अपेक्षा वृद्धि दिखी। चार प्रमुख सब्जियों के जिलावार विवरण तालिका प 3.8 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

बाजार की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन करते हुए राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों, संकर सब्जियों और प्याज के उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। इन फसलों को उपजाने वाले किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। पहली बार 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ, 500 हे. में खरीफ मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा दिया गया है, और 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्याज भंडारण का घटक जोड़ा गया है। भंडारण सब्सिडी के प्रावधान से किसानों को समय पर भंडारण करने और आपदा बिक्री में कमी लाने में मदद मिलेगी। कुफरी चिप्सोना-1 की मांग बढ़ने के कारण विभाग चुनिंदा आलू उत्पादक जिलों में इसके उत्पादन के लिए प्रति हे. 1.25 लाख रु. इकाई व्यय की दर से 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है। इसी प्रकार, मसाला (धनिया और मेथी) उपजाने वाले किसान प्रति हे. 30,000 रु. इकाई व्यय की दर से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2023-24 में बिहार बागवानी विकास समिति के तहत सब्जी विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 1303.56 लाख रु. आबंटित किए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। इन पहलों का लक्ष्य सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, भंडारण अवसंरचना में सुधार लाना, और लागत व्यय घटाकर तथा मुनाफा बढाकर किसानों को सहायता देना है।

मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मशरूम उत्पादन योजना शुरू की है। राज्य में हाल के वर्षों में मशरूम की खेती लाभप्रद कृषि व्यवसाय के रूप में उभरी है। बिहार अब देश में मशरूम का अग्रणी उत्पादक है। इसके पोषणमूलक और आर्थिक लाभों पर विचार करके कृषि विभाग ने वित्तीय सहायता के रूप में अनेक प्रयास किए हैं। भूमिहीन किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मशरूम किट (कंपोस्ट और स्पॉन) वितरित किए जाते हैं। इसी प्रकार, फूस के घरों में मशरूम उत्पादन के लिए मशरूम उत्पादकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। नियंत्रित वातावरण में सालो भर मशरूम उत्पादन के लिए 'कृषि-उद्यमी' वातानुकूलित मशरूम उत्पादन इकाइयों के लिए अधिकतम 10 लाख रु. की सब्सिडी पा सकते हैं। इसी प्रकर, वे मशरूम कंपोस्ट इकाई के निर्माण के लिए प्रति इकाई 10 लाख रु. की और स्पॉन इकाई के लिए 7.5 लाख रु. की सब्सिडी भी पा सकते हैं। राज्य सरकार ने झोंपड़ी मशरूम उत्पादन योजना के लिए 359.0 लाख का बजट स्वीकृत किया है। प्रति विज्ञान केंद्र एक गांव को मशरूम गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां धान के पुआल का उपयोग करके मशरूम के उत्पादन किया जाएगा।

**तालिका 3.9 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2021-22 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार मै.टन में)

| सब्जि | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| करेला | 11.30 | 91.70 | 11.70 | 91.80 | 11.53 | 93.44 |
| लौकी | 44.20 | 655.50 | 44.50 | 652.80 | 45.12 | 663.90 |
| बैंगन | 57.90 | 1203.10 | 58.20 | 1214.00 | 53.70 | 1127.70 |
| पत्तागोभी | 41.40 | 721.90 | 41.90 | 712.60 | 42.51 | 799.15 |
| गाजर | 13.90 | 147.50 | 14.40 | 148.60 | 14.34 | 151.33 |
| फूलगोभी | 68.70 | 1031.50 | 69.30 | 1101.10 | 69.80 | 1256.40 |
| खीरा-ककड़ी | 9.80 | 42.50 | 10.20 | 43.40 | 9.95 | 41.62 |
| हरी मिर्च | 47.30 | 481.30 | 47.70 | 481.00 | 48.71 | 490.81 |
| भिंडी | 59.20 | 794.10 | 59.70 | 796.70 | 60.76 | 874.91 |
| प्याज | 58.30 | 1328.30 | 57.70 | 1320.90 | 58.87 | 1348.12 |
| मटर | 11.90 | 66.30 | 12.40 | 67.70 | 12.33 | 68.28 |
| परवल | 9.80 | 99.00 | 10.30 | 100.40 | 10.89 | 111.08 |
| आलू | 326.60 | 9035.10 | 327.60 | 8778.40 | 329.46 | 8842.63 |
| मूली | 24.60 | 231.80 | 25.10 | 231.80 | 25.26 | 236.43 |
| शक्करकंद | 2.40 | 44.90 | 2.60 | 45.30 | 2.54 | 51.51 |
| टमाटर | 62.70 | 1161.80 | 63.40 | 1166.90 | 64.54 | 1445.78 |
| अन्य | 61.10 | 707.90 | 33.00 | 387.20 | 33.70 | 395.64 |
| **योगफल** | **911.0** | **17844.20** | **889.90** | **16349.40** | **894.01** | **17998.74** |

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

समेकित बागवानी विकास योजना के तहत 0.30 हे. या अधिक खाली या परती जमीन पर रतालू, हल्दी, और अदरक की खेती करने वाले को बीजों और जैविक लागत सामग्रियों पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के 12 जिलों में किया जा रहा है। फसलों की खेती के बारे में किसानों का ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इस योजना के तहत 2023-24 में 1086.22 लाख रु. उपलब्ध कराए गए।

## फूलों का उत्पादन

बिहार के कुछ हिस्सों में फूलों का व्यावसायिक उत्पादन होने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण फूल गेंदा, गुलाब और चमेली हैं। वर्ष 2023-24 में 1.350 हजार हे. में गेंदा की खेती हुई और 12.8 हजार टन उत्पादन हुआ। फूलों के कुल उत्पादन में गेंदा का हिस्सा 96.0 प्रतिशत है।

**तालिका 3.10 : बिहार में फूलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2021-22 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार मै.टन में)

| फूल | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| चमेली | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 0.006 | 0.018 |
| गेंदा | 1.159 | 10.601 | 1.201 | 11.065 | 1.350 | 12.798 |
| गुलाब | 0.018 | 0.138 | 0.018 | 0.014 | 0.025 | 0.152 |
| रजनीगंधा | 0.001 | 0.028 | 0.001 | 0.028 | 0.0010 | 0.0269 |
| अन्य | 0.027 | 0.363 | 0.022 | 0.320 | 0.028 | 0.328 |
| **योगफल** | **1.210** | **11.144** | **1.246** | **11.564** | **1.410** | **13.323** |

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.11 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बिहार में बागवानी के परिदृश्य में सुधार के लिए क्रियान्वित सर्वप्रमुख योजनाएं जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, मखाना विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति हैं।

बागवानी फसलों के सामूहिकीकरण को बढ़ावा देने और विपणन सुविधाओं में सुधार के लिए बागवानी संकुल विकास योजना का आरंभ अमरुद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, ड्रैगन फ्रुट, स्ट्राबेरी, लेमनग्रास, और गेंदा के फूल जैसी बागवानी फसलों के लिए किया गया है। हर संकुल में एक राजस्व गांव में न्यूनतम 25 एकड़ जमीन पर चिन्हित बागवानी फसल की खेती की जाएगी। किसानों को स्ट्राबेरी और ड्रैगन फ्रुट की खेती के लिए 2 लाख रु. प्रति एकड़ और अन्य बागवनी फसलों के लिए 1 लाख रु. प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। बागवानी उत्पादों के विपणन और निर्यात के लिए पटना के मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक समेकित पैक हाउस का निर्माण किया गया है। इसे व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए लीज पर संचालन अभिकरणों को दे दिया गया है।

**तालिका 3.11 : बागवानी की विभिन्न योजनाओं के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2021-22 से 2023-24)**

(भौतिक एकड़/ हे./ वर्ग मी. और वित्तीय लाख रु. में)

| योजना | भौतिक/ वित्तीय | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन | भौतिक | 1877320 | 1388893 | 1410372 | 1247659 | 1364992 | — |
| | वित्तीय | 6133 | 5330 | 6092 | 5045 | 4360 | — |
| मुख्यमंत्री बागवानी मिशन | भौतिक | 3144478 | 1598257 | 1648548 | 1458244 | 1877320 | 1368960 |
| | वित्तीय | 6226 | 4578 | 5188 | 4033 | 6075 | 4175 |
| मखाना विकास योजना | भौतिक | 906 | 902 | 3133 | 2687 | 4120 | — |
| | वित्तीय | 449 | 404 | 950 | 814 | 1082 | — |
| विशेष बागवानी विकास | भौतिक | 12 | 11 | 36 | 25 | 41 | — |
| | वित्तीय | 141 | 114 | 423 | 205 | 482 | — |
| विशेष बागवानी विकास (चाय) | भौतिक | 90 | 90 | 150 | 149 | 737 | — |
| | वित्तीय | 167 | 166 | 278 | 276 | 402 | — |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | भौतिक | 14820 | 5461 | 19760 | 14782 | 26725 | 4845 |
| | वित्तीय | 8727 | 2030 | 7459 | 3694 | 10687 | 1915 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (तिलहन) | भौतिक | — | — | 3250 | 25 | 4640 | — |
| | वित्तीय | — | — | 1313 | 9.77 | 1875 | — |
| सामुदयिक नलकूप | भौतिक | 400 | 370 | 800 | 540 | — | — |
| | वित्तीय | 1216 | 1113 | 2457 | 1593 | — | — |
| बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति | भौतिक | 25 | 6 | 34 | 12 | 13 | — |
| | वित्तीय | 1000 | 195 | 985 | 106 | 805 | — |
| छत पर बागवानी | भौतिक | 500 | 101 | 500 | 48 | 0 | 22 |
| | वित्तीय | 125 | 25 | 125 | 12 | 0 | 5.5 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | भौतिक | 251000 | — | — | — | — | — |
| | वित्तीय | 2437 | 578 | — | — | — | — |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (मशरूम) | भौतिक | 886 | 354 | — | — | — | — |
| | वित्तीय | 795 | 301 | — | — | — | — |

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

संरक्षित कृषि योजना के तहत अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए विभाग द्वारा शेड, नेट, और पॉली हाउस जैसी अवसंरचना स्थापित करने के लिए भी सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। बागवानी के यंत्रीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करने के लिए किसानों को छोटे ट्रैक्टर और पावर टिलर की खरीद पर भी 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

दक्षिण बिहार क्षेत्र में खास तौर पर शुष्क भूमि बागवानी योजना के लिए नीतिगत पहलों के जरिए कृषि विभाग ने विशेष हस्तक्षेप किया है। राज्य सरकार ने आंवला, नींबू, अमरुद, और ऍपल बेर की खेती के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है और सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। सिंचाई के लिए पानी के कुशल और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।

बागवानी फसलों की कटाई-तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी और बाजार मूल्य में वृद्धि के लिए राज्य सरकार शीतशृंखला अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शीतगृहों के निर्माण से किसानों के लिए गुंजाइश बनती है कि वे जिस कीमत पर अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, उस पर बेचें और आपात बिक्री में कमी आए। शीतगृह सुविधारहित 12 जिलों में राज्य सरकार ने नई शीतगृह इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। वहीं, छोटे और मंझोले कृषि-उद्यमियों की मांगें पूरी करने के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ माइक्रो सोलर शीतकक्ष योजना शुरू की गई है। शीतगृह चलाने के लिए बिजली की अधिक मांग पर विचार करते हुए मौजूदा शीतगृहों को सौर ऊर्जा वाले शीतगृहों में बदलने के लिए 35 लाख रु. के परियोजना व्यय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देना प्रस्तावित है।

राज्य में बागवानी फसलों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता जरूरी है। किसानों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सब्जियों के लिए नालंदा जिले के चंडी और फलों के लिए वैशाली जिले के देसारी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए कृषि विभाग राज्य में प्लग टाइप पौधशालाओं की स्थापना कर रही है और विभागीय पौधशालाओं का कायाकल्प कर रही है। कायाकल्प के प्रयास के अंग के बतौर मातृ फलोद्यानों की वंशावली संधारित और उन्नत करने पर भी ध्यान दिया गया है।

विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के अलावा, खास फसलों के लिए प्रचारमूलक जागरूकता क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है। कृषि विभाग द्वारा बागवानी महोत्सव, और मखाना महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। मखाना की उच्च मांग और भविष्य में निर्यात की संभावना के आलोक में विभाग ने बंगलुरु में मखाना से संबंधित प्रचार कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया है।

## 3.4 पशुपालन, गव्य उत्पादन और मछली पालन

बिहार में गत डेढ़ दशक में पशुधन की कुल संख्या बढ़ी है। वर्ष 2003 से 2019 के बीच पशुधन की संख्या 35.5 प्रतिशत बढ़ी। मुर्गी पालन के मामले में भी ऐसा ही प्रतिरूप दिखता है। इसी अवधि में मुर्गे-मुर्गियों की संख्या 18.3 प्रतिशत बढ़ी है (देखें तालिका 3.12)।

पशुधन की संख्या में वृद्धि को देखते हुए दूध, अंडों, मछली, मांस और ऊन का उत्पादन भी लगातार बढ़ता गया है (देखें तालिका 3.13)। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच दूध का उत्पादन 30.9 प्रतिशत बढ़ा जबकि अंडों का उत्पादन 95.1 प्रतिशत बढ़ गया। राज्य में मछली का उत्पादन भी लगातार बढ़ा है और 2018-19 के 6.021 लाख मी.टन से 2023-24 में 8.73 लाख मी.टन हो गया। मछली का उत्पादन भी 2018-19 से 2023-24 के बीच 45.0 प्रतिशत बढ़ गया।

**तालिका 3.12 : बिहार में पशु संसाधनों की संख्या का विवरण (2003, 2007, 2012 और 2019)**

(आंकड़े लाख में)

| पशुधन और पोल्ट्री | 2003 | 2007 | 2012 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| गाय-बैल | 104.7 | 124.1 | 122.3 | 154.0 |
| 3 साल से ऊपर के बैल | 30.2 | 27.4 | 19.2 | 13.5 |
| 3 साल से ऊपर की गाएं | 36.4 | 49.2 | 59.8 | 71.5 |
| बछड़े-बछड़ियां | 38.1 | 47.5 | 43.3 | 69.0 |
| भैंस-भैंसा | 57.7 | 66.9 | 75.7 | 77.2 |
| 3 साल से ऊपर के भैंसे | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 4.6 |
| 3 साल से ऊपर की भैंसें | 29.0 | 35.5 | 40.2 | 36.7 |
| पाड़ा-पाड़ी | 25.9 | 28.2 | 32.5 | 35.9 |
| भेड़ | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
| बकरा-बकरी | 96.1 | 101.7 | 121.5 | 128.2 |
| सूअर | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.4 |
| घोड़ा-घोड़ी | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| अन्य | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
| कुल पशुधन | 269.6 | 301.7 | 329.4 | 365.4 |
| कुल पॉल्ट्री पक्षी | 139.7 | 114.2 | 127.5 | 165.3 |

स्रोत : पशुपालन एवं गव्य निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका 3.13 : बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन (2018-19 से 2023-24)**

| वर्ष | दूध (लाख टन) | अंडे (करोड़) | ऊन (लाख किग्रा) | मांस (लाख मी.टन) | मछली (लाख मी.टन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 98.18 | 176.33 | 3.12 | 3.64 | 6.02 |
| 2019-20 | 104.83 | 274.08 | 3.1 | 3.83 | 6.41 |
| 2020-21 | 115.01 | 301.32 | 1.7 | 3.85 | 6.83 |
| 2021-22 | 121.19 | 306.66 | 1.72 | 3.92 | 7.62 |
| 2022-23 | 125.03 | 327.43 | 1.75 | 3.96 | 8.46 |
| 2023-24 | 128.53 | 344.0 | 1.74 | 4.04 | 8.73 |

स्रोत : पशुपालन एवं गव्य निदेशालय, बिहार सरकार

## गव्य उत्पादन (डेयरी फार्मिंग)

पशुपालन एवं गव्य निदेशालय वैसी सेवाएं भी प्रदान करती है जिनसे पशु संसाधनों का स्वस्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। तालिका 3.14 में तीन सेवाओं के बारे में सूचनाएं दी गई हैं : पशुओं की चिकित्सा, प्रतिरक्षण और कृत्रिम गर्भाधान। गत पांच वर्षों में चिकित्सित और कृत्रिम गर्भाधान वाले पशुओं की संख्या काफी बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में बिहार के छः जिलों - मधुबनी, पटना, पूर्व चंपारण, गया, समस्तीपुर और भागलपुर - में से प्रत्येक में दो लाख से भी अधिक पशुओं का इलाज होने की सूचना है। वहीं, सर्वाधिक प्रतिरक्षण गया, मधुबनी और पूर्णिया जिलों में देखा गया। जबकि, सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भोजपुर जिलों में दर्ज किया गया (देखें तालिका प - 3.9)।

**तालिका 3.14 : बिहार में पशुधन सेवाएं (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | उपचारित पशु (लाख) | प्रतिरक्षण (लाख) | कृत्रिम गर्भाधान (लाख) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 45.47 | 615.77 | 36.76 |
| 2020-21 | 40.24 | 49.96 | 36.29 |
| 2021-22 | 36.80 | 217.23 | 38.15 |
| 2022-23 | 35.92 | 509.61 | 44.83 |
| 2023-24 | 55.57 | 430.89 | 44.76 |

स्रोत : पशुपालन एवं गव्य निदेशालय, बिहार सरकार

**समग्र गव्य विकास योजना** : राज्य योजना के तहत राज्य सरकार ने 2024-25 में संकर नस्ल की 2, 4, 15 और 20 गायों/ बछियों वाली डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए 48.48 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। 2 से 4 तक गायों वाली इकाइयों के लिए अजा, अजजा और पिछड़े वर्गों के गोपालकों को 75 प्रतिशत और शेष गोपालकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। वहीं, 15-20 गायों वाली इकाइयों के मामले में सभी श्रेणी के लाभार्थियों को इकाइयों

की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, और दुधारू गाय/ बछिया वाली ऐसी 114 गव्य इकाइयां स्थापित हुई हैं। इस योजना के तहत 2021-22 से 2023-24 के बीच 5873 इकाइयों की स्थापना हुई जबकि 7194 इकाइयों का भौतिक लक्ष्य था; वहीं 106.98 करोड़ रु. का लक्ष्य था जबकि 102.56 करोड़ रु. वितरित किए गए।

वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के तहत सभी श्रेणी के गोपालकों को मुफ्त में आधुनिक वैज्ञानिक गव्य उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण का अनुमानित व्यय 7.99 करोड़ रु. है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच 18,401 हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने 11.64 करोड़ रु. के लक्ष्य में से 10.61 करोड़ रु. वितरित किए।

**देशी गौपालन योजना :** वर्ष 2024-25 में सात निश्चय-2 के अंतर्गत देशी गौपालन योजना के तहत 2 और 4 देशी गायों/ बछियों वाली इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के क्रियान्वयन का अनुमानित व्यय 25.46 करोड़ रु. है। योजना के तहत 2 और 4 देशी गायों/ बछियों वाली इकाइयों की स्थापना के लिए अति पिछड़ा वर्ग, अजा और अजजा समुदायों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान और अन्य सभी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 1214 इकाइयां स्थापित हुईं जबकि लक्ष्य 1545 इकाइयों का था। इन 1214 इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए आबंटित 37.05 करोड़ की धनराशि में से 34.30 करोड़ रु. वितरित किए।

2024-25 में सात निश्चय-2 के तहत दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना स्वीकृत की गई है जिसका अनुमानित व्यय 2.99 करोड़ रु. है। इस योजना के तहत मृत्यु, बीमारी या किहीं अन्य कारणों की स्थिति में पशुधन बीमा के जरिए वित्तीय सुरक्षा प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में 3,947 दुधारू पशुओं का बीमा किया गया जो लक्ष्य की 79 प्रतिशत उपलब्धि है। उस पर 1.35 करोड़ रु. व्यय हुए।

**दुग्ध उत्पादन सहकारिता समिति का गठन :** सात निश्चय-2 के तहत गत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में 56.00 करोड़ रु. के व्यय से 7000 गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तावित दुग्ध सहकारी समितियों में से 40 प्रतिशत महिलाओं के नेतृत्व वाली समितियां होनी चाहिए। वर्ष 2024-25 में 14.00 करोड़ रु. व्यय करके पटना में कॉम्फेड द्वारा 2000 समितियां गठित की जाएंगी।

सात निश्चय-2 के तहत गत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में 30.10 करोड़ रु. के व्यय से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन प्रणाली के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, 2024-25 में, 150 नए विपणन केंद्रों की स्थापना के लिए 7.53 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। आवश्यक दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पटना कॉम्फेड द्वारा नगर निगम और प्रखंड स्तर पर सुधा के उत्पादों के बिक्री काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

हाल के वर्षों में बकरी पालन को महत्व मिला है। फलतः, निदेशालय ने लोगों को बकरी पालन के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने विभिन्न आकार के बकरी फार्मों की स्थापना के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। इस दिशा में राज्य सरकार ने 2023-24 में 1755.99 लाख रु. आबंटित करके विभिन्न आकार के 590 बकरी पालन फार्मों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे वाले (बीपीएल) परिवरों के बीच बकरियों के वितरण का प्रावधान किया है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 'जीविका' के जरिए 3941 परिवारों को प्रति परिवार तीन प्रजनन योग्य बकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस मकसद के लिए अनुमानित व्यय 522.85 लाख रु. है।

**तालिका 3.15 : बिहार में बकरी पालन के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | योजना का नाम | भौतिक (संख्या) | वित्तीय (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | अलग-अलग क्षमता (100 बकरियां + 5 बकरे, 40 बकरियां + 2 बकरे और 20 बकरियां + 1 बकरा) के बकरी प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी | 350 | 677.54 |
| | जीविका के जरिए प्रति बीपीएल परिवार बच्चा देने लायक 3 बकरियों का मुफ्त वितरण | 12883 परिवार | 1455.56 |
| 2020-21 | अलग-अलग क्षमता (40 बकरियां + 2 बकरे और 20 बकरियां + 1 बकरा) के बकरी प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी | 39 | 52.99 |
| 2021-22 | इस वर्ष कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई थी | | |
| 2022-23 | जीविका के जरिए प्रति बीपीएल परिवार बच्चा देने लायक 3 बकरियों का मुफ्त वितरण | 3984 (लक्ष्य) | 473.121 (लक्ष्य) |
| 2023-24 | अलग-अलग क्षमता (100 बकरियां + 5 बकरे, 40 बकरियां + 2 बकरे और 20 बकरियां + 1 बकरा) के बकरी प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी | 590 (लक्ष्य) | 1755.99 (लक्ष्य) |
| | प्रति बीपीएल परिवार बच्चा देने लायक 3 बकरियों का मुफ्त वितरण | 3941 परिवार (लक्ष्य) | 522.85 (लक्ष्य) |

स्रोत : पशुपालन एवं गव्य निदेशालय, बिहार सरकार

## पॉल्ट्री क्षेत्र

राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुर्गी पालन के जरिए आजीविका उपलब्ध कराने की भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने योजना के प्रसार के लिए 'जीविका' के नेटवर्क का उपयोग किया है। योजना के विनिर्देशों के अनुसार 2023-24 में बीपीएल परिवारों के बीच 28-दिन उम्र के चूजे मुफ्त बांटे गए। राज्य सरकार ने 2023-24 में इस योजना के जरिए 13,860 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था (देखें तालिका 3.16)। इस मकसद के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 575.19 लाख रु. व्यय करने का लक्ष्य रखा था।

**तालिका 3.16 : मुर्गी पालन क्षेत्र के लिए भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | योजना का नाम | भौतिक (संख्या) | वित्तीय (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | फीड मिल के साथ 5000 और 10,000 की क्षमता का लेयर फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी | 37 | 602.3 |
| | जीविका के जरिए प्रति बीपीएल परिवार 28 दिन के 45 चूजों का मुफ्त वितरण | 38824 परिवार | 774.47 |
| 2020-21 | इस वर्ष कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई थी | | |
| 2021-22 | इस वर्ष कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई थी | | |
| 2022-23 | जीविका के जरिए प्रति बीपीएल परिवार 28 दिन के 45 चूजों का मुफ्त वितरण | 11948 (लक्ष्य) | 468.96 (लक्ष्य) |
| 2023-24 | जीविका के जरिए प्रति बीपीएल परिवार 28 दिन के 45 चूजों का मुफ्त वितरण | 13860 परिवार (लक्ष्य) | 575.19 (लक्ष्य) |
| | 5000/10000 की क्षमता का लेयर फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी | 137 | 3223.30 |
| | 3000 की क्षमता का ब्रायलर फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी | 100 (लक्ष्य) | 370 (लक्ष्य) |

स्रोत : पशुपालन एवं गव्य निदेशालय, बिहार सरकार

**मत्स्यपालन**

बिहार सरकार मछुआरों, मछली पालकों, और उद्यमियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर टिकाऊ मछली पालन और जलकृषि संबंधी प्रचलनों को सक्रियता से बढ़ावा दे रही है। इसका लक्ष्य स्थानीय मांग पूरी करने के साथ-साथ निर्यात करने के लिए भी मछली का उत्पादन बढ़ाना है। बिहार में मछलियों की लोकप्रिय प्रजातियों में रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, और मांगुर की विभिन्न प्रजातियां हैं। मत्स्यपालन निदेशालय ने निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

**मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना** : इस योजना का लक्ष्य राज्य के चौर क्षेत्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलकृषि-आधारित समेकित कृषि प्रणाली में बदलना है। इस योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग, अजा, और अजजा समुदायों के मछली पालकों को इकाई के व्यय की 70 प्रतिशत और शेष श्रेणी के मछली पालकों को इकाई के व्यय की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2023-24 में 22.8 करोड़ रु. के व्यय से 549.6 हे. चौर क्षेत्रों का विकास किया गया है।

**तालिका 3.17 : मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24)**

| वर्ष | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (हे.) | वित्तीय (करोड़ रु.) | भौतिक (हे.) | वित्तीय (करोड़ रु.) |
| 2022-23 | 600 | 27.9 | 380.3 | 15.2 |
| 2023-24 | 1000 | 50.7 | 549.6 | 22.8 |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना :** इस योजना का लक्ष्य मत्स्य बीज उत्पादन के साथ-साथ मछली का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तालाबों, आहरों, और अन्य जल संसाधनों का टिकाऊ उपयोग बढ़ाना है। इस योजना के घटकों में तालाबों में मछली पालन, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन, नलकूप और पंपसेट लगाने, तथा फिनफिश हैचरियों के जीर्णोद्धार तथा विकास के लिए अग्रिम लागत सामग्री आपूर्ति की योजना शामिल है। इस योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग, अजा, और अजजा समुदायों के मछली पालकों को इकाई के व्यय की 70 प्रतिशत और शेष श्रेणी के मछली पालकों को इकाई के व्यय की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां तालिका 3.18 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 3.18 : मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24)**

| वर्ष | घटक | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय (करोड़ रु.) | भौतिक | वित्तीय (करोड़ रु.) |
| 2022-23 | तालाबों में मछली पालन के लिए उन्नत लागत सामग्री आपूर्ति योजना (हे.) | 1420 | 31.76 | 1253 | 27.51 |
| | उन्नत मछली चारा उत्पादन (इकाई) | 3025 | 9.62 | 1063 | 4.96 |
| | नलकूप और पंपसेट लगाना (संख्या) | 2026 | 9.14 | 913 | 3.74 |
| | मछली के तालाब में एयरेटर लगाना (संख्या) | 1700 | 4.96 | 387 | 1.08 |
| | फिनफिश हैचरी का जीर्णोद्धार और विकास (संख्या) | 70 | 2 | 34 | 0.87 |
| | प्रशासनिक व्यय | | 0.5 | | |
| **योगफल** | | | **57.97** | | **38.16** |
| 2023-24 | तालाबों में मछली पालन के लिए उन्नत लागत सामग्री आपूर्ति योजना (हे.) | 1420 | 31.76 | 1300 | 25.73 |
| | उन्नत मछली चारा उत्पादन (इकाई) | 1694 | 9.62 | 1362 | 7.56 |
| | नलकूप और पंपसेट लगाना (संख्या) | 1266 | 9.13 | 718 | 4.76 |
| | मछली के तालाब में एयरेटर लगाना (संख्या) | 1700 | 4.96 | 202 | 0.58 |
| | फिनफिश हैचरी का जीर्णोद्धार और विकास (संख्या) | 30 | 0.89 | 12 | 0.30 |
| | देनदारी | | 0.05 | | |
| | प्रशासनिक व्यय | | 1.00 | | |
| **योगफल** | | | **57.41** | | **38.93** |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**पठारी क्षेत्र में मछली पालन के लिए तालाब निर्माण की योजना :** दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र में मछली पालन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अजा और अजजा मछली पालकों को इकाई व्यय के 80 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 77.27 एकड़ जमीन पर तालाब निर्माण के लिए 6.13 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

**तालिका 3.19 : पठारी क्षेत्र में मछली पालन के लिये तालाब निर्माण योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ (2022-23 और 2023-24)**

| वर्ष | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (हे.) | वित्तीय (करोड़ रु.) | भौतिक (हे.) | वित्तीय (करोड़ रु.) |
| 2022-23 | 41.9 | 5.60 | 29.75 | 2.86 |
| 2023-24 | 110.0 | 14.70 | 77.27 | 6.13 |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**निजी तालाबों का जीर्णोद्धार** : इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-2 के तहत किया गया है जिसका लक्ष्य निजी तालाबों की जल धारण क्षमता बढ़ाने और किनारों को मजबूत करने के लिए उनका जीर्णोद्धार करना है। इस पहल से जीर्णोद्धार किए गए तालाबों में मछली के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में 81.24 हे. क्षेत्रफल में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 1.45 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं।

**तालिका 3.20 : निजी तालाब जीर्णोद्धार योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 और 2023-24)**

| वर्ष | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (हे.) | वित्तीय (करोड़ रु.) | भौतिक (हे.) | वित्तीय (करोड़ रु.) |
| 2022-23 | 150 | 3.02 | 88.16 | 1.52 |
| 2023-24 | 150 | 3.08 | 81.24 | 1.45 |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना** : राज्य सरकार द्वारा बिहार सरकार जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 को स्वीकृति दी गई थी। इस नीति के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य के सभी जलाशयों में 'मछली पालन के अधिकार' को स्वीकृति दी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना को स्वीकृति दी गई है। योजना के घटकों में मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन, जलाशयों में पिंजरे (केज) लगाना, और जलाशयों में पेन लगाना शामिल है। मछली पालकों को इकाई व्यय की 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में राज्य सरकार ने योजना के विभिन्न घटकों के लिए 2.98 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

**तालिका 3.21 : जलाशय मात्सियकी विकास योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ (2022-23 और 2023-24)**

| वर्ष/ घटक | | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक (संख्या) | वित्तीय (करोड़ रु.) | भौतिक (संख्या) | वित्तीय (करोड़ रु.) |
| 2022-23 और 2023-24 | जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाएं डालना (हे.) | 4500 | 1.89 | 2918 | 1.23 |
| | जलाशयों में केज स्थापित करना (संख्या) | 125 | 2.63 | 71 | 1.23 |
| | जलाशयों में पेन स्थापित करना (संख्या) | 50 | 3.68 | 7 | 0.52 |
| | प्रशासनिक व्यय | — | 0.16 | — | — |
| **योगफल** | | | **8.36** | — | **2.98** |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना** : इस योजना का मुख्य लक्ष्य अजा, अजजा और अति पिछड़ा वर्ग समुदायों के मछली पालकों को व्यापक 'पैकेज सहायता' पहल के तहत तालाबों में मछली पालन, नलकूप और पंपसेट लगाने, मात्स्यिकी लागत सामग्रियों की व्यवस्था, शेड निर्माण तथा ऐयरेटर लगाने के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से आजीविका और रोजगार के आवसर पैदा होने की आशा है। अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग समुदायों के किसान इकाई व्यय की 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता पाने के लिए योग्य हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 6.89 करोड़ रु. व्यय करके 152.69 एकड़ का भौतिक लक्ष्य हासिल किया।

**तालिका 3.22 : तालाब मात्सियकी विशेष सहायता योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2023-24)**

| वर्ष | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (एकड़) | वित्तीय (करोड़ रु.) | भौतिक (एकड़) | वित्तीय (करोड़ रु.) |
| 2023-24 | 295.10 | 20.86 | 152.69 | 6.89 |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**नदी मत्स्य-पालन कार्यक्रम** : इस योजना को तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है। इसका लक्ष्य राज्य गंगा नदी प्रणाली में कुल 2.40 करोड़ अंगुलिकाएं डालना है। योजना का क्रियान्वयन राज्य के 22 जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच राज्य सरकार ने 1.29 करोड़ अंगुलिकाएं डालने के लिए 719.97 लाख रु. व्यय किए हैं।

**तालिका 3.23 : नदी मत्स्य-पालन कार्यक्रम के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2022-23 से 2024-25)**

| वर्ष | लक्ष्य | | | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक * (करोड़) | वित्तीय (लाख रु.) | प्रशासनिक व्यय (लाख रु.) | योगफल (लाख रु.) | भौतिक * (करोड़) | वित्तीय (लाख रु.) |
| 2022-23 | 0.04 | 24.00 | 8.00 | 32.00 | 1.29 | 719.97 |
| 2023-24 | 1.18 | 708.00 | 14.00 | 722.00 | | |
| 2024-25 | 1.18 | 708.00 | 14.00 | 722.00 | — | — |
| **योगफल** | **2.40** | **144000** | **36.00** | **1476.00** | **1.29** | **719.97** |

टिप्पणी : * अंगुलिकाएं डाली गईं की संख्या

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** : इस योजना का लक्ष्य मछली का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए विपणन और फसलोत्तर अवसंरचना विकसित करना, तथा जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए इसका कुल व्यय 8879.68 लाख रु. था जिसके कियान्वयन के लिए व्यय में केंद्र और राज्य, दोनो सरकारों की भागीदारी थी।

तालिका 3.24 : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2020–21 से 2023–24)

| वर्ष | स्वीकृत रकम | | | व्यय (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| | केंद्रांश (लाख रु.) | राज्यांश (लाख रु.) | योगफल (लाख रु.) | |
| 2020-21 | 5864.24 | 3909.49 | 9773.73 | 5956.03 |
| 2021-22 | 2758.62 | 2089.08 | 4847.7 | 1857.31 |
| 2022-23 | 809.592 | 539.73 | 1349.32 | 254.05 |
| 2023-24 | 6294.27 | 4196.18 | 10490.45 | 812.29 |
| **योगफल** | **15726.72** | **10734.48** | **26461.2** | **8879.68** |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

**मात्स्यिकी प्रशिक्षण योजना** : यह योजना मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। मछली पालकों की क्षमता निर्माण तकनीक सिखाई जा रही है। प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों में और राज्य के बाहर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में किया जाता है। वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार ने 6502 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए और इन पहलों पर 469.73 लाख रु. व्यय हुए।

तालिका 3.25 : मात्स्यिकी प्रशिक्षण योजना के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां (2023–24)

| वर्ष | भौतिक लक्ष्य (संख्या) | वित्तीय लक्ष्य (लाख रु.) | भौतिक उपलब्धि (संख्या) | वित्तीय उपलब्धि (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 7990 | 773.09 | 6502 | 469.73 |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

मछली और मत्स्य बीज उत्पादन का जिलावार विवरण तालिका प 3.10 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। मछली का कुल उत्पादन 2021–22 के 762 हजार टन से 14.5 प्रतिशत बढ़कर 2023–24 में 873 हजार टन हो गया। मधुबनी, दरभंगा और पूर्व चंपारण जिले राज्य के शीर्ष मछली उत्पादक जिले हैं। वर्ष 2021–22 में कुल मछली उत्पादन में इन तीनों जिलों का संयुक्त रूप से 30 प्रतिशत (227 हजार टन) योगदान था। वर्ष 2021–22 की तुलना में मछली का उत्पादन बढ़ने के बावजूद यह हिस्सा अपरिवर्तित रहा।

## 3.5 कृषि लागत सामग्रियां

इस खंड में कृषि उत्पादन के लिए लागत सामग्रियों की उपलब्धता और उपयोग पर विचार किया गया है। साथ ही, राज्य में किसानों के लिए अवसंरचना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई है।

**बीज**

फसलों की उत्पादकता बीजों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता से निर्धारित होती है। विगत वर्षों के दौरान बिहार में बीजों की मांग और आपूर्ति के बीच का फासला घटा है। बिहार के अनाज-प्रधान फसल प्रतिरूप को देखते हुए, धान के बीजों की आवश्यकता और आपूर्ति के बीच फासला पिछले तीन वर्षों में काफी घटा है। जैसे, 2021-22 में धान के बीज की मांग 495 हजार क्विंटल थी और आपूर्ति 387.2 हजार क्विंटल जिसके कारण 107.8 हजार क्विंटल बीज की कमी थी। लेकिन 2023-24 में यह स्थिति काफी सुधर गई है और आपूर्ति तथा मांग के बीच अंतर घटकर 64.6 हजार क्विंटल रह गया है। गेहूं, मक्का, और अन्य फसलों के लिए बीजों की आपूर्ति उनकी मांग से अधिक थी। राज्य में उन्नत उत्पादकता के एक सूचक बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) में सुधार हुआ है। वर्ष 2023-24 में बीज प्रतिस्थापन दर खरीफ धान के लिए 50.5 प्रतिशत और गेहूं के लिए 42.6 प्रतिशत थी। अनाजों में सर्वाधिक 100 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर रबी मक्का के लिए थी। वहीं, 2023-24 में दलहनों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 30 प्रतिशत के नीचे थी।

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड मुख्य खरीफ और रबी फसलों के लिए आधार बीज और प्रमाणित बीज का उत्पादन करता है। प्रमाणित बीजों को बीज उत्पादक किसानों, प्रगतिशील किसानों, और सीमित मात्रा में सरकारी खेतों से प्राप्त किया जाता है। पूंजीपति और प्रगतिशील किसान राज्य में आधार बीजों का उत्पादन करते हैं और उत्पादकों को नकद मूल्य पर बेचते हैं। निगम द्वारा पूरी गतिविधि का पर्यवेक्षण किया जाता है। बीज फसल वाले क्षेत्रों का निबंधन और प्रमाणन बीज प्रमाणन अभिकरण के जरिए किया जाता है जो बीज की खरीद के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम निरीक्षण भी करता है।

बिहार राज्य बीज निगम सुनिश्चित करता है कि किसानों को बाजार दर से ऊंची कीमत या न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो भी अधिक हो, मिले। वर्ष 2009-10 से ही अशोधित बीजों के बजाय खेती किए गए बीजों पर आधारित बीज खरीदे गए हैं। नहीं बिके बीजों को एनसीडीईएक्स ई-मार्केट लिमिटेड (एनईएमएल) द्वारा ई-नीलामी के जरिए निपटा दिया जाता है जिसमें एनसीडीईएक्स नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के लिए आता है। अभी बिहार राज्य बीज निगम के साथ 11,955 बीज उत्पादक किसान निर्बंधित हैं। वर्ष 2019-20 में निगम ने कुल 1,66,995.91 क्विंटल उत्पादन का स्तर हासिल किया था। मिशन 4.0 के तहत बीज का उत्पादन बढ़ाकर 4.00 लाख क्विंटल पहुंचाने का लक्ष्य था। वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख क्विंटल बीजों का उत्पादन हुआ जो फसल का उत्पादन बढ़ने के चलते लक्ष्य को पार कर गया। इसके तहत 2021-22 में कुल बीज संग्रहण 2.93 लाख क्विंटल पहुंच गया। वहीं, 2022-23 के खरीफ और रबी मौसमों में निगम ने 2.13 लाख क्विंटल अशोधित बीज संग्रहित किए। वर्ष 2023-24 में कुल बीज उत्पादन 2.56 लाख क्विंटल था। वहीं, 2024-45 के लिए लक्षित बीज उत्पादन 5.48 लाख क्विंटल है।

बिहार राज्य बीज निगम के आंचलिक कार्यालयों में पांच प्रसंस्करण इकाइयां हैं। वहीं, 1 टन प्रति घंटा क्षमता के अन्य 10 प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना 10 बीज बहुगुणन केंद्रों में की गई है जबकि पटना के बिहटा में स्थित एक प्रसंस्करण संयंत्र काम नहीं कर रहा है। निगम की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 7.15 लाख क्विंटल है। निगम ने सबसे बड़ी इकाई कैमूर जिले के कुदरा में स्थापित की है जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 5.0 लाख क्विंटल प्रति वर्ष है। वर्ष 2022-23 में निगम की भंडारण क्षमता 6.72 लाख क्विंटल की थी जो 2024-25 में बढ़कर 10.82 लाख क्विंटल हो गई। बीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए निगम ने नौ स्थानों पर डिह्यूमिडिफायर और छः स्थानों पर सीड ड्रायर लगाए हैं।

निगम राज्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बीजों की आपूर्ति करता है। वर्ष 2023 में गरमा फसलों के लिए 5,48,984 किसानों के बीच 38,857 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया था। वहीं, खरीफ 2023 के लिए निगम ने 2,86,055 किसानों के बीच 70,605 क्विंटल बीज वितरित किए। साथ ही, रबी 2023-24 के लिए 11,18,667 किसानों को 4,65,594 क्विंटल बीज वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री तीव्र बीज कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन के लिए आधार/प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इन बीजों की आपूर्ति 90 प्रतिशत सब्सिडी पर की जाती है। गांवों में अनाजों, दलहनों और तिलहनों के बीज की नई प्रजातियां अपनाने को गांव के अंदर उत्पादित बीजों की अदला-बदली करके सुगम बनाया जाता है। वर्ष 2023-24 में धान के बीज के लिए कार्यक्रम की 98.5 प्रतिशत और गेहूं के बीजों के लिए 75.8 प्रतिशत उपलब्धि रही थी। वर्ष 2024-25 में सितंबर 2024 तक कृषि विभाग ने 20,99,263 किसानों को 6,48,144 क्विंटल बीज वितरित किए हैं।

**तालिका 3.26 : बिहार में प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2021-23 से 2023-24)**

(आवश्यकता और आपूर्ति हजार क्विंटल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

| फसलें | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जरूरत | आपूर्ति | बीज प्रति. दर | जरूरत | आपूर्ति | बीज प्रति. दर | जरूरत | आपूर्ति | बीज प्रति. दर |
| **खरीफ फसलें** | | | | | | | | | |
| धान | 495 | 387.2 | 49.4 | 495 | 372.9 | 50.2 | 495 | 430.4 | 50.5 |
| मक्का | 54 | 7.2 | 9.4 | 54 | 5.97 | 9 | 88 | 12.5 | 19.4 |
| अरहर | 2.4 | 3.6 | 24.3 | 4 | 0.13 | 7 | 2.4 | 1.6 | 17.2 |
| **रबी फसलें** | | | | | | | | | |
| गेहूं | 805 | 1029.1 | 44.3 | 1035 | 1032.7 | 41 | 828 | 1072 | 42.6 |
| मक्का | 63 | 120 | 100 | 63 | 131.2 | 100 | 88 | 157 | 100 |
| चना | 16.8 | 35.6 | 38.3 | 22.4 | 39.5 | 38.4 | 25 | 26.3 | 19.1 |
| मटर | 7.5 | 0.1 | 0.3 | 10 | 1.57 | 5.7 | 7.5 | 6.1 | 11.7 |
| मसूर | 19.2 | 17.9 | 20.6 | 25.6 | 24.67 | 26.6 | 28.8 | 28.5 | 25.5 |
| राई/सरसों | 3.5 | 7.4 | 74.5 | 3.5 | 8.5 | 91.6 | 3.7 | 10 | 95.7 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 3.27 : बिहार में तीव्र बीज कार्यक्रम की प्रगति (2019-20 से 2023-24)**

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| वितरित बीज (क्विंटल) | 37657.9 | 35705.78 | 37315.75 | 25000.28 | 18550.84 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## उर्वरक

बिहार में उर्वरकों का उपयोग विगत वर्षों में बढ़ता गया है। वर्ष 2021-22 में उर्वरकों की कुल खपत 3085.7 हजार टन थी जो 2023-24 में बढ़कर 3867.1 हजार टन पहुंच गई। यह दो वर्षों के दौरान 25.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल प्रयुक्त उर्वरकों में यूरिया का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था। यह फसल उत्पादन में यूरिया के जरूरत से अधिक उपयोग का संकेत देता है। आंकड़ों से उर्वरकों के उपयोग में मौसमों के बीच अंतर का भी पता चलता है। वर्ष 2023-24 में प्रति हे. जमीन पर उर्वरकों की खपत खरीफ मौसम में 177.7 किग्रा और रबी मौसम में 211.1 किग्रा था जो दोनो मौसमों के बीच 33.4 किग्रा का अंतर दर्शाता है।

राज्य सरकार समेकित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देती है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम के 4:2:1 के अनुपात में उपयोग की अनुशंसा के साथ-साथ जैविक, जैव और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर बल दिया जाता है। राज्य का मिट्टी जांच कार्यक्रम इस पहल का समर्थन करता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम के उपयोग का अनुपात 2022-23 में 14.1:4.7:1 और 2023-24 में 13.4:4.1:1 था। साथ ही, प्रति हे. उर्वरकों का उपयोग 2022-23 के 207.0 किग्रा से घटकर 2023-24 में 195.6 किग्रा रह गया। उर्वरकों की खपत का जिलावार विवरण तालिका प 3.11 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.28 : बिहार में कृषि के लिए उर्वरकों के उपयोग के रुझान (2021-22 से 2023-24)**

(हजार टन)

| उर्वरक का प्रकार | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खरीफ | रबी | योगफल | खरीफ | रबी | योगफल | खरीफ | रबी | योगफल |
| यूरिया | 760.6 | 1231.3 | 1991.9 | 926.3 | 1413.5 | 2339.7 | 1077.6 | 1392.3 | 2469.9 |
| डाइ अमोनियम फास्फेट | 189.3 | 308.4 | 497.7 | 220.7 | 439.2 | 659.9 | 307.2 | 340.4 | 647.7 |
| सिंगल सुपर फास्फेट | 55.2 | 68.2 | 123.5 | 88 | 56.7 | 144.7 | 60.7 | 54.1 | 114.8 |
| म्यूरिएट ऑफ पोटाश | 33.6 | 50.1 | 83.7 | 55.3 | 80.3 | 135.6 | 38.3 | 109.4 | 147.7 |
| अमोनियम सल्फेट | 15.4 | 40.8 | 56.2 | 11.4 | 34.8 | 46.2 | 9.5 | 32.3 | 41.8 |
| मिश्रित | 137.5 | 195.3 | 332.8 | 192.5 | 225.4 | 417.9 | 120.3 | 325 | 445.2 |
| **योग** | **1191.6** | **1894.1** | **3085.7** | **1494.2** | **2249.8** | **3744** | **1613.6** | **2253.4** | **3867.1** |
| नाइट्रोजन | 410.9 | 662.8 | 1073.7 | 501.6 | 776.2 | 1277.9 | 574.2 | 767.5 | 1341.7 |
| फासफोरस | 128.7 | 197.4 | 326.1 | 159.3 | 262.5 | 421.8 | 178.4 | 236.3 | 414.7 |
| पोटाश | 27.5 | 44.3 | 71.7 | 36.1 | 54.4 | 90.5 | 27.5 | 72.3 | 99.8 |
| **योग (एनपीके)** | **567.1** | **904.5** | **1471.6** | **697** | **1093.1** | **1790.1** | **780.1** | **1076.2** | **1856.2** |
| उर्वरकों की खपत (किग्रा प्रति हे.) | 141 | 190.2 | 167.7 | 182.7 | 226.2 | 207 | 177.7 | 211.1 | 195.6 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## कृषि यंत्र

कृषि के यंत्रीकरण से फसल के उत्पादन और उत्पादकता, दोनो में वृद्धि होती है और फसल की अवधि घटती है। साथ ही, इससे कृषि कार्यों के दौरान मानवीय परिश्रम में भी कमी आती है। तालिका 3.29 से पता चलता है कि किसानों ने सब्सिड़ी प्राप्त करते हुए 2023-24 में सिंचाई के लिए पंपसेट और थ्रसर खरीदे। वर्ष 2023-24 में बड़ी संख्या में मानव श्रम पर चलने वाले औजार या उपकरण भी खरीदे गए।

राज्य सरकार ने 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण के लिए 11,900.00 लाख रु. स्वीकृत किए हैं। प्रावधान के अनुसार, 108 प्रकार के कृषि उपकरणों पर किसानों को 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। फसलों की ठूंठ के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के सीडर और स्ट्रॉ रीपर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए कुल धनराशि का 33 प्रतिशत हिस्सा अलग कर दिया गया। छोटे और सीमांत किसान हल और कुदाल जैसे छोटे औजारों की खरीद पर 80 प्रतिशत (800 रु. तक) सब्सिडी पाने के योग्य हैं। राज्य में कृषि यंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना 2023-24 के तहत प्रावधान किया गया है। योजना के तहत बिहार के पात्र कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा विनिर्मित कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। न्यूनतम 18 प्रतिशत जिला कोष का आबंटन अति पिछड़े वर्गों के किसानों के लिए किया जाता है जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के समकक्ष सब्सिडी मिलती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के जरिए प्रक्रियाकरण के लिए योजना के तहत ऑनलाइन उपयोग के लिए एनआइसी द्वारा विकसित यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

## कृषि उपकरणों की मरम्मत के लिए आवासीय प्रशिक्षण

मेकैनिक लोगों को कृषि यंत्रों की मरम्मत में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 531.75 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं। प्रशिक्षण भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय और समस्तीपुर के पूसा में स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में तथा भोजपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में कृषि अभियंत्रण कार्यशालाओं में दिया जाता है। प्रशिक्षुओं को 26 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण मिलता है और उन्हें 4200 रु. के मुफ्त टूलकिट के साथ प्रमाणपत्र दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में 32 प्रशिक्षण सत्रों के जरिए 769 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

## कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) 2023-24

कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा 3866.23 लाख रु. (60 प्रतिशत) और बिहार सरकार द्वारा 2577.48 लाख रु. (40 प्रतिशत), कुल 6443.71 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र के तहत 500 केंद्रों को 2000 लाख रु. आबंटित किए गए जिसमें हर केंद्र पर 10 लाख रु. तक के व्यय के लिए 40 प्रतिशत (4 लाख रु. तक) सब्सिडी है। चुनिंदा गांवों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 125 कृषि उपकरण बैंकों को 1000 लाख रु. आबंटित किए हैं जिसमें से प्रत्येक में 10 लाख रु. तक के उपकरणों के व्यय पर 80 प्रतिशत (8 लाख रु. तक) सब्सिडी है। फसलों की ठूंठ के प्रबंधन के लिए विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 87 केंद्रों के लिए प्रति केंद्र 20 लाख रु. तक व्यय पर 12 लाख रु. (उपकरणों पर 80 प्रतिशत) सब्सिडी के साथ 1044.00 लाख रु. आबंटित किए हैं। फसलों की

ठूंठ जलाने में कमी लाने के लिए ये केंद्र पटना और मगध प्रमंडलों में खोले गए हैं। वर्ष 2023-24 में कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिहाज से 20 प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए कुल आबंटन 2316.16 लाख रु. था जिसमें केंद्रांश 1389.70 लाख रु. और राज्यांश 926.46 लाख रु. था। कृषि उपकरणों के जिलावार विवरणों के लिए तालिका प 3.12 (परिशिष्ट) देखें।

**तालिका 3.29 : बिहार में सब्सिडी योजना के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या (2019-20 से 2023-24)**

| कृषि यंत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| कंबाइन हार्वेस्टर | 127 | — | — | — | — |
| जीरो टिलेज | 287 | — | — | 409 | 291 |
| पंपसेट | 9972 | 4850 | 1248 | 5761 | 7892 |
| पावर टिलर | 302 | — | 126 | 167 | 130 |
| शारीरिक शक्तिचालित यंत्र/ उपकरण | 2129 | — | 64 | 408 | 30816 |
| थ्रसर | 4397 | 235 | 574 | 2451 | 2802 |
| **योगफल** | **17214** | **5085** | **2012** | **9196** | **41931** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## बिजली का उपयोग

कृषि में बिजली का उपयोग विगत वर्षों के दौरान बढ़ा है। तालिका 3.30 से पता चलता है कि बिजली की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2019-20 के 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 17.6 प्रतिशत हो गया। कृषि में बिजली की खपत में वृद्धि पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाइ) के तहत बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग से फीडर स्थापित किए हैं। इस योजना के तहत 291 विद्युत उप-केंद्र और 1354 समर्पित कृषि फीडर निर्मित किए गए हैं।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि क्षेत्र को विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराई है। कृषि के लिए बिजली की मांग बढ़ने के कारण सब्सिडी की रकम भी काफी बढ़ी है और 2019-20 के 486.93 करोड़ रु. से 2023-24 में 3856.8 करोड़ रु. पहुंच गई है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच विद्युत सब्सिडी के लिए वितरित रकम आठगुनी बढ़ी है (देखें तालिका 3.32)।

**तालिका 3.30 : बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली का उपयोग (2019-20 से 2023-24)**

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| कृषि में बिजली की खपत (एम यु में) | 931.4 | 1243.7 | 1644.0 | 3707.0 | 5673.0 |
| बिजली की कुल खपत (एम यु में) | 21575.2 | 23616.8 | 25816.7 | 29079.2 | 32232.9 |
| बिजली की कुल खपत में कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा (%) | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 12.8 | 17.6 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 3.31 : बिहार में दिए गए कृषि कनेक्शनों की संख्या (2023–24 के अंत में)**

| विवरण | उपलब्धि | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (मार्च 2020 तक) | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | |
| दिए गए कृषि कनेक्शनों की संख्या | 3,14,606 | 16,283 | 64,901 | 99,558 | 1,66,568 | 6,61,916 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 3.32 : बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि क्षेत्र को दी गई विद्युत सब्सिडी (2019–20 से 2023–24)**

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| विद्युत सब्सिडी | 486.93 | 613.99 | 934.74 | 2035.68 | 3856.8 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## कृषि ऋण

किसानों को खेती में निवेश करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों की जरूरत पड़ती है। वे अल्पकालिक ऋण का उपयोग फसल के मौसम में लागत और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए करते हैं। वहीं, दीर्घकालिक ऋण की जरूरत उन्हें कृषि यंत्र जैसी पूंजीगत सामग्रियों और खेत में सिंचाई सुविधा जैसी अवसंरचना और कृषि प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए पड़ती है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत किसानों को अल्पकालिक ऋण मिल जाता है। बिहार में विगत वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हुआ है। जैसे, 2019–20 में 3,01,223 किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड थे जिनकी संख्या 2022–23 में बढ़कर 4,68,896 हो गई। हालांकि 2023–24 में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में थोड़ी कमी दिखी है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल ऋण वितरण 2019–20 में 3204.51 करोड़ रु. था जो 2023–24 में बढ़कर 7080.07 करोड़ रु. हो गया।

**तालिका 3.33 : कृषि ऋण के तहत उपलब्धि (किसान क्रेडिट कार्ड और खरीद) (2019–20 से 2023–24)**

| वर्ष | सदस्यों की संख्या | रकम (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 2019-20 | 301223 | 320451 |
| 2020-21 | 489152 | 610415 |
| 2021-22 | 442233 | 997313 |
| 2022-23 | 468896 | 897865 |
| 2023-24 | 460791 | 708007 |

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

## बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसल का नुकसान होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। योजना के लाभ रैयतों, गैर-रैयतों और अपनी तथा लीज की, दोनो तरह की जमीन पर खेती करने वाले अन्य लोगों द्वारा लिए जा सकते हैं। सहायता का स्तर क्षतिपूर्ति और सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है जिसकी गणना सात वर्ष की औसत उत्पादकता के आधार पर 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के लिए की जाती है। योजना के तहत खरीफ फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर और पत्तागोभी, तथा रबी फसलों में गेहूं, मक्का, चना, सरसों, अरहर, ईख, प्याज, आलू, बैंगन, टमाटर, पत्तागोभी, और मिर्च शामिल हैं। उपज में 20 प्रतिशत तक नुकसान होने पर किसानों को 7500 रु. प्रति हेक्टेयर (अधिकतम दो हे. के लिए 15,000 रु.) मिलते हैं। अगर नुकसान 20 प्रतिशत से अधिक हो, तो प्रभावित किसानों को 10,000 रु. प्रति हेक्टेयर (अधिकतम दो हे. के लिए 20,000 रु.) मिलते हैं। कोई रिसाव न हो इसके लिए रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

**तालिका 3.34 : बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्रगति की स्थिति (2019-20 से 2024-25 के खरीफ मौसम तक)**

| मौसम | निबंधनों की कुल संख्या | पात्र किसानों की कुल संख्या | लाभान्वितों की कुल संख्या | कुल भुगतान (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|
| **कृषि वर्ष 2019-20** | | | | |
| खरीफ | 2494495 | 728296 | 400417 | 288.28 |
| रबी | 1955512 | 854397 | 393520 | 185.14 |
| **कृषि वर्ष 2020-21** | | | | |
| खरीफ | 3929108 | 1646472 | 508684 | 259.2 |
| रबी | 1333100 | 404805 | 189514 | 74.4 |
| **कृषि वर्ष 2021-22** | | | | |
| खरीफ | 1566432 | 643963 | 337197 | 218.2 |
| रबी | 1294600 | 239453 | 155936 | 102.48 |
| **कृषि वर्ष 2022-23** | | | | |
| खरीफ | 1664944 | 414707 | 286536 | 296.83 |
| रबी | 1169128 | 472714 | 2303 | 1.88 |
| **कृषि वर्ष 2023-24** | | | | |
| खरीफ | 1596950 | — | — | — |
| रबी | 775391 | — | — | — |
| **कृषि वर्ष 2024-25 (खरीफ)** | | | | |
| खरीफ | 133146* | — | — | — |

टिप्पणी : * निबंधन प्रक्रियाधीन है

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

## सिंचाई

सिंचाई फसल उत्पादन और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंचाई की उपलब्धता से फसल के उत्पादन, उत्पादकता और सघनता में वृद्धि होती है। सिंचाई के मुख्य स्रोतों में नहरें, तालाब, विभिन्न प्रकार के कूप आदि शामिल हैं। तालिका 3.35 से पता चलता है कि भूजल से सिंचाई बिहार में सिंचाई का मुख्य

स्रोत है। वर्ष 2022-23 में 64.1 प्रतिशत सकल सिंचित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कूपों का उपयोग करके भूजल के जरिए सिंचाई की गई। सकल सिंचित क्षेत्र के 30.3 प्रतिशत हिस्से पर नहरों के जरिए भूतल जल से सिंचाई उपलब्ध थी।

**तालिका 3.35 : बिहार में स्रोत-वार सकल सिंचित क्षेत्र (2018-19 से 2022-23)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

| वर्ष | नहरें | तालाब | कुएं | | | अन्य स्रोत | सभी स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नलकूप/ कुएं | अन्य कुएं | कुल कुएं | | |
| 2018-19 | 1659.1 | 115.3 | 3488.8 | 41.1 | 3529.9 | 188.4 | 5492.7 |
| 2019-20 | 1660.6 | 109 | 3434.1 | 39 | 3473.1 | 192 | 5434.7 |
| 2020-21 | 1699.8 | 110.4 | 3440.9 | 41.5 | 3482.4 | 202.9 | 5495.5 |
| 2021-22 | 1735.8 | 121.2 | 3487.3 | 44 | 3531.4 | 209.2 | 5597.5 |
| 2022-23 | 1725.4 | 117 | 3612.8 | 41.7 | 3654.5 | 200.9 | 5697.9 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

अनुमान है कि बिहार में 53.53 लाख हे. जमीन की सिंचाई वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत हो सकती है जबकि 64.01 लाख हे. जमीन की सिंचाई लघु सिंचाई सुविधाओं के तहत हो सकती है। वर्ष 2023-24 तक वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए 53.53 लाख हे. में से 37.72 लाख हे. में सिंचाई हो रही थी। इसका अर्थ हुआ कि 70.5 प्रतिशत संभावित जमीन वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत आ चुकी है। इसी प्रकार, 75.2 प्रतिशत संभावित जमीन पर सिंचाई के लिए लघु सिंचाई योजनाएं विकसित हो गई हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं के मामले में सिंचाई का प्राथमिक स्रोत भूजल का दोहन है। सिंचाई हेतु कमांड क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने विगत वर्षों में कई वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तैयार की हैं। बिहार में सकल और शुद्ध सिंचित क्षेत्र की विस्तृत जिलावार सूची तालिका प 3.13 और तालिका प 3.14 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.36 : बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति (2021-22 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल लाख हे. में)

| सिंचाई के प्रकार | चरम क्षमता | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सृजित क्षमता | प्रयुक्त क्षमता | सृजित क्षमता | प्रयुक्त क्षमता | सृजित क्षमता | प्रयुक्त क्षमता |
| (क) वृहद एवं मध्यम सिंचाई | 53.53 | 37.22 | 28.22 | 37.39 | 25.04 | 37.72 | 26.7 |
| (ख) लघु सिंचाई | 64.01 | 45.27 | 40.74 | 46.88 | 42.19 | 48.12 | 43.31 |
| भूतल सिंचाई | 15.44 | 10.7 | 9.64 | 11.18 | 10.06 | 11.90 | 10.71 |
| भूजल सिंचाई | 48.57 | 34.55 | 31.09 | 35.7 | 32.13 | 36.23 | 32.6 |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 3.37 : बिहार में बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता (2019-20 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

| वर्ष | सृजित सिंचाई क्षमता | खरीफ | | रबी | | गरमा | | कुल प्रयुक्त सिंचाई क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | |
| 2019-20 | 3689.11 | 2130.2 | 1912.19 | 685.35 | 646.56 | 28.67 | 23.66 | 2582.41 |
| 2020-21 | 3715.1 | 2151.8 | 2090.05 | 739.15 | 701.59 | 28.67 | 10.69 | 2802.34 |
| 2021-22 | 3721.5 | 2148.31 | 2093.83 | 732.00 | 704.27 | 28.67 | 24.43 | 2822.53 |
| 2022-23 | 3738.24 | 2158.22 | 1822.75 | 721.12 | 660.74 | 28.67 | 20.82 | 2504.31 |
| 2023-24 | 3772.92 | 2200.45 | 1975.22 | 723.17 | 685.20 | 10.00 | 10.00 | 2670.42 |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

सिंचाई के मुख्य स्रोत आहर और पइन सहित तालाब तथा निजी और सरकारी नलकूप हैं। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल 60 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि 2022-23 और 2023-24 के बीच नलकूपों के उपयोग में काफी कमी आई है।

कुशल और सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रणाली के लिए कृषक समितियों का गठन किया गया है। मार्च 2024 तक 622 समितियां गठन के विभिन्न चरणों में थीं (देखें तालिका 3.39)।

**तालिका 3.38 : बिहार में लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र (2020-21 से 2023-24)**

(क्षेत्रफल हे. में)

| स्रोत | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| तालाब (आहर-पइन सहित) | 91320 | 43016 | 43509 | 68300 |
| नलकूप (निजी और सरकारी) | 26360 | 7400 | 115546 | 52200 |
| अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई और ढेंगी से सिंचाई) | 80 | 280 | 2934 | 3400 |
| **योगफल** | **117760** | **50696** | **161989** | **123900** |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 3.39 : बिहार में कृषक समितियों की स्थिति (मार्च 2024 तक)**

| स्थिति | संख्या |
|---|---|
| सिंचाई प्रणालियों का प्रबंधन हस्तांतरित | 64 |
| समितियों को हस्तांतरण के लिए तैयार सिंचाई प्रणालियां | 17 |
| निबंधन हेतु आवेदन | 30 |
| उत्प्रेरण प्रक्रियाधीन समितियां | 511 |
| **योगफल** | **622** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने भारी निवेश किया है। तालिका 3.40 से पता चलता है कि सिंचाई पर व्यय विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच सिंचाई पर सर्वाधिक व्यय 2670.5 करोड़ रु. 2021-22 में था। वर्ष 2023-24 में सिंचाई पर व्यय 1674.2 करोड़ रु. था जो 2022-23 से 9.7 प्रतिशत अधिक था। सिंचाई पर कुल व्यय में से लगभग 90 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था। सिंचाई का कमांड क्षेत्र बढ़ाने और फसल वाले मौसमें के दौरान पानी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार में विगत वर्षों अनेक परियोजनाएं चली हैं।

**तालिका 3.40 : बिहार में सिंचाई पर सार्वजनिक व्यय (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | कुल व्यय |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 151.1 | 1244.1 | 1395.2 |
| 2020-21 | 157.1 | 1957.8 | 2114.9 |
| 2021-22 | 112.8 | 2557.7 | 2670.5 |
| 2022-23 | 154.6 | 1371.0 | 1525.6 |
| 2023-24 | 179.2 | 1495.0 | 1674.2 |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बड़ी और मंझोली परियोजनाओं पर राज्य सरकार ने 2023-24 में 1577.29 करोड़ रु. खर्च किए। साथ ही, 2023-24 में वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थापना व्यय शीर्ष के तहत 464.31 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया। वहीं, नहरों की मरम्मत और रखरखाव के काम पर राज्य सरकार ने 2023-24 में 198.95 करोड़ रु. व्यय किए। बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की विस्तृत सूची और सृजित सिंचाई क्षमता तालिका 3.41 में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.41 : वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता सृजन (2023-24)**

| योजना का नाम | सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में) |
|---|---|
| पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का बचा हुआ काम | 14811 |
| बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर के पास वीयर का निर्माण कार्य | 252 |
| दरभंगा जिले अलीनगर प्रखंड में गरौल वीयर सिंचाई योजना | 1810 |
| दरभंगा जिले अलीनगर प्रखंड में पुरानी कमला नदी पर बघेलाघाट में सिंचाई योजना | 842 |
| पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में सारण मुख्य नहर और उसकी वितरणी प्रणाली में पुन:स्थापन के बचे काम (ईआरएम) का क्रियान्वयन | 300 |
| मुंगेर जिले के हवेली-खड़गपुर प्रखंड के खैरा गांव के पास सिंचाई के लिए बगड़ा और गोढ़िया नदियों पर 3 चेक डैम निर्माण, मुहाने नदी पर महकौला-ताजपुर गांवों के बीच इससे निकलने वाली नहर प्रणाली का पुन:स्थापन कार्य, तथा खैरा गांव में नजदीक गंगरी नदी पर जमीन की पुन:प्राप्ति, भूजल संभरण के लिए 2 चेक डैम का निर्माण कार्य | 500 |
| लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में पीरी बाजार क्षेत्र में पइन और आहर का पुन:स्थापन कार्य | 800 |
| दुर्गावती बायीं मुख्य नहर के 1.70 किमी छूटे हिस्से में शुरू होने वाली उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य | 318 |
| कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पंप नहर सिंचाई का निर्माण | 1555 |
| दुर्गावती जलाशय योजना | 5754 |
| मसौढ़ी प्रखंड में बेरां गांव के पासस दरधा नदी पर बेरां बराज का निर्माण कार्य | 3187 |
| नालंदा जिले के बेन प्रखंड में पैमार नदी पर तिरोजी वीयर का पुन:स्थापन कार्य | 2200 |
| हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना | 2350 |
| **योगफल** | **34679** |

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## सिंचाई के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं

**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल)** : सूक्ष्म-सिंचाई, खास कर ड्रिप इरीगेशन से पानी बचता है, उर्वरकों के उपयोग में कमी आती है, कीड़ों और रोगों का प्रकोप कम होता है, और उत्पादन व्यय घटता है। इससे फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है जिससे किसानों के लिए भूजल के प्रदूषण और तेजी से जल-स्तर में कमी से बचते हुए बेहतर कीमत सुनिश्चित होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल) के तहत 2023-24 में कुल व्यय 3417.69 लाख रु. था। योजना के तहत राज्य के सभी जिले शामिल हैं और इसका लक्ष्य इस अवधि में 9,654 हे. जमीन पर सूक्ष्म-सिंचाई की व्यवस्था करना है।

**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाइ)** : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरीगेशन अपनाने वाले किसानों को स्रोत निर्माण के लिए 40,000 रु. या व्यय की 50 प्रतिशत रकम, जो भी कम हो, मिलती है। अनुदान बोरवेल या पंप लगााने के लिए दिया जाता है जो सूक्ष्म सिंचाई और अन्य हस्तक्षेपों के साथ जुड़ा होता है। योजना के तहत सभी 38 जिले शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 345.0 लाख रु. उपलब्ध कराए गए थे जिसमें से 64 लाख रु. खर्च हुए हैं। इस योजना का अवधान सिंचाई के लिए जल स्रोतों के कुशल उपयोग पर है जिससे उत्पादन व्यय घटता है, फसल सघनता बढ़ने से पानी की प्रति बूंद अधिक फसल उपजती है, और समग्र कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के जलछाजन भूमि विकास योजना घटक के तहत, राज्य सरकार ने अनेक गतिविधियां शुरू की हैं। वर्ष 2023-24 में शुरू की गई कुछ प्रमुख गतिविधियों में 60 कंक्रीट चेक डैम, 55 कृषि तालाबों, और 232 जल संग्रहण तालाबों (डब्ल्यूएचटी) का निर्माण, 162 आहरों, 285 सामुदायिक कुओं, 35 सामुदायिक तालाबों, तथा 11 तालाबों का जीर्णोद्धार, 69 मिट्टी के चेक डैम, 325 साद बैरियर डैम का निर्माण, 20.10 हे. कृष्य भूमि का समतलीकराण, तथा 114 हे. में पौधरोपण शामिल हैं। साथ ही, उत्पादन प्रणाली संबंधी 47,480 काम और आजीविका संबंधी 1603 काम पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इन कार्यों पर 10,287.71 लाख रु. व्यय किए हैं।

## राज्य प्रायोजित योजनाएं

**जल-जीवन-हरियाली अभियान** : जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में 2377 योजनाएं स्वीकृत हुईं। इनमें से 2182 पूरी हो चुकी हैं जिनसे 2,22,639 हे. में सिंचाई क्षमता और 992 लाख घनमी. पानी का भंडारण पुन:स्थापित हुआ है। राज्य सरकार ने 2023-24 में 269.66 करोड़ रु. व्यय किए हैं। वहीं, 2024-25 में 252.10 करोड़ रु. के व्यय वाली 138 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिनसे 25,830 हे. सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित होने की आशा है। फलत:, अधिकांश प्रखंडों में भूजल में क्रमिक वृद्धि देखी गई है।

**हर खेत तक सिंचाई का पानी** : सात निश्चय-2 के 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' के तहत लघु जल संसाधन विभाग को 2000 हे. तक कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक एकड़ से अधिक जमीन वाले आहर-पइनों का जीर्णोद्धार करने तथा 15 मी. से अधिक लंबाई वाले वीयर या चेक डैम का निर्माण या जीर्णोद्धार करने की जिम्मेवारी दी गई है। वर्ष 2023-24 में 981 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी जिनमें से 707 पूरी हो गई हैं और 308.73 करोड़ रु. के व्यय से 1,02,957 हे. जमीन पर सिंचाई सुविधाएं पुन:स्थापित हुई हैं। वहीं, 2024-25 में 2339.10 करोड़ रु. व्यय वाली 1528 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनसे 1,87,194 हे. जमीन पर सिंचाई सुविधाएं पुन:स्थापित होने की आशा है।

**भूजल सिंचाई योजनाएं** : विभाग ने किसानों की सहायता के लिए दो प्रकार की नलकूल योजनाएं उपलब्ध कराई हैं - राज्य नलकूप सिंचाई योजना तथा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना।

**राज्य नलकूप सिंचाई योजनाएं** : राज्य में 8922 सरकारी नलकूप हैं जिनमें से 5450 चालू हैं। वहीं, यांत्रिक, विद्युत संबंधी या किन्हीं अन्य कारणों से प्रभावित 3472 बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू करने का प्रयास चल रहा है। उन नलकूपों की मरम्मत और संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है जिनकी मरम्मत का व्यय लघु जल संसाधन विभाग वहन करेगा। ग्राम पंचायतों को सिंचित क्षेत्र से सिंचाई शुल्क संग्रहित करने के लिए अधिकृत किया गया है। बंद पड़े नलकूपों को चालू करने और हर नलकूप के अद्यतन आंकड़े ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संधारित करने, तथा पर्यवेक्षण, नियमित समीक्षा, निरीक्षण, अनुश्रवण और बिजली संबंधी या संयुक्त गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग के साथ समन्वय के लिए मुख्यालय में क्षेत्रीय टीम गठित करने का काम किया गया है। वर्ष 2018-19 से 4884 नलकूपों की मरम्मत के लिए ग्राम पंचायतों को 191.22 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। योजनेतर शीर्ष से अतिरिक्त आबंटन भी किए गए हैं।

**मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना** : इस योजना के तहत 35,000 निजी नलकूपों की स्थापना प्रस्तावित है। लाभार्थियों को सब्सिडी देने के लिए 266.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। अभी किसानों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और 4198 किसानों को सब्सिडी दी गई है।

### बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई नई योजनाएं

**पूर्वी गंडक नहर प्रणाली** : मुख्य पूर्वी नहर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर बराज से निकलती है। तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किमी (आर.डी. 732.00) और 240.85 किमी (आर.डी. 790.00) के बीच कुछ हिस्सों में पास की जमीन की प्राकृतिक सतह का स्तर नहर की तली से नीचे है। इसके कारण नहर चालू रहने के दौरान पानी का रिसाव होता है जिससे नहर प्रणाली के निचले हिस्से के लिए निर्धारित जल प्रवाह का वितरण बाधित होता है। योजना का प्राक्कलित व्यय 181.76 करोड़ रु. है और इसके 2025-26 तक पूरा हो जाने की आशा है।

**गंगा जलापूर्ति योजना** : गंगा जलापूर्ति योजना के लिए आबंटित रकम 4515.70 करोड़ रु. है। प्रथम चरण में 2023 में गंगा जी राजगिर जलाशय से राजगिर, गया, बोधगया और नवादा में 99.1 लाख घनमी. पानी की आपूर्ति शुरू हुई। वहीं, 2024 में 161.8 लाख घनमी. पानी की जरूरत है जिसमें से 107.9 लाख घनमी. पानी बरसात के बाद के 8 महीनों में आपूर्ति के लिए होगा। चरण-2 में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत स्वीकृत धनराशि 1110.27 करोड़ रु. थी। इसमें 2.7 करोड़ घनमी. क्षमता के मधुवन जलाशय का निर्माण और संबंधित कार्य शामिल हैं जिनको अगस्त 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

**कर्मनाशा नदी पर निकृष पंप नहर योजना** : यह उद्वह सिंचाई योजना सोन नहर प्रणाली की चौसा शाखा की रामपुर वितरण नहर (30.4 किमी) में पानी की कमी की समस्या दूर करने वाली है जिससे बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में 2786.10 हे. जमीन पर सिंचाई सुनिश्चित होगी। 8994.46 लाख रु. के संशोधित व्यय से परियोजना के फरवरी 2025 तक पूरी हो जाने की आशा है।

**वर्ष 2024-25 में शुरू हुई नई सिंचाई योजनाएं**

(क) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का जलछाजन विकास घटक :** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (2024-25) के जलछाजन विकास घटक के तहत 55 चेक डैम, 20 कृषि तालाबों, 92 जल संग्रहण तालाबों, एक सामुदायिक तालाब, 117 सिंचाई कूपों, 52 मिट्टी के चेक डैम, और 180 साद बैरियर डैम के निर्माण, 126 आहर/पइनों, और 11 सामुदायिक तालाबों के जीर्णोद्धार, 26.40 हे. जमीन का समतलीकरण, 119.40 हे. जमीन पर पौधरोपण, 11,244 उत्पादन प्रणाली संबंधी कार्य और 2031 आजीविका परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इस पर कुल 4732.18 लाख रु. व्यय हुए हैं।

(ख) **सात निश्चय-2 के तहत दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 30 फीट तक लंबे स्थायी चेक डैम निर्माण:** सात निश्चय-2 के तहत बांका, मुंगेर, जमुई, गया, और नवादा सहित दक्षिण बिहार के 17 जिलों में जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग के सर्वेक्षणों के आधार पर 30 फीट तक लंबे स्थायी चेक डैम बनाए जा रहे हैं। योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तरों में वृद्धि, मिट्टी की नमी बनाए रखना, और भारी बरसात तथा बाढ़ के दौरान जल प्रवाह के नियंत्रण के जरिए फसलों का संरक्षण करना है।

(ग) **राज्य योजना के तहत भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम :** राज्य योजना के तहत भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन दक्षिण बिहार के बांका, मुगेर, जमुई आदि सहित 17 जिलों में किया जा रहा है। इसका अवधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत चिन्हित जलछाजन क्षेत्रों के बाहर तालाबों और कुओं का निर्माण करने पर है। योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए वर्षा जल संरक्षण, भूजल संभरण, और मिट्टी की नमी बढ़ाना, बढ़ी सिंचाई क्षमता सुनिश्चित करना तथा जल संरक्षण, और भारी वर्षा तथा बाढ़ के दौरान फसलों की रक्षा करना है।

## 3.6 कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलें

### जैविक खेती प्रोत्साहन योजना

हरी खाद का आशय प्राकृतिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले नहीं अपघटित हुई वनस्पति सामग्री से है। आम तौर पर मिट्टी में नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखने के लिए किसान ढैंचा जैसी हरी खाद की फसलें उपजाते हैं। ढैंचा उपजाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बीजों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। बिहार राज्य बीज निगम लि. (बीआरबीएन) को बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन योजना सभी 38 जिलों में चल रही है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना की स्वीकृति तीन घटकों – पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई, और गोबर गैस/ बायोगैस इकाई – के लिए दी गई है और उसके लिए आबंटन भी किया गयाा है। योजना के तहत स्वीकृत तीनो घटकों का विवरण नीचे प्रस्तुत है।

**पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई :** वर्मी कंपोस्ट जैविक कार्बन का महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी बढ़ती है। यह जैविक खेती में अनिवार्य भूमिका निभाता है। आरंभ में वर्मी कंपोस्ट इकाई के लाभार्थियों को केंचुओं के रूप में सहायता मिलती है जो एकमुश्त प्रावधान होता है। साथ ही, खेती और पशुधन प्रबंधन करने वाले किसान पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पा सकते हैं जिसमें सब्सिडी

की अधिकतम रकम 5000 रु. है। एक किसान को अधिकतम 3 वर्मी कंपोस्ट पिट के लिए सहायता मिलती है। वर्ष 2024-25 के लिए 20,000 वर्मी कंपोस्ट पिट निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

**व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई** : उद्यमियों को जैविक लागत सामग्रियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, और सरकारी बीज उत्पादन फॉर्म/गैर-सरकारी संगठनों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है। 1000 मी.टन, 2000 मी.टन और 3000 मी.टन उत्पादन क्षमता पर किसानों, कृषक उत्पादक संघों (एफपीओ) और कृषक उत्पादक कंपनियों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी की रकम 1000 मी.टन के लिए 6.4 लाख रु., 2000 मी.टन के लिए 12.8 लाख रु. और 3000 मी.टन के लिए 20 लाख रु. होगी। वर्ष 2024-25 में 10 व्याावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय सहायता 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के तीन किश्तों में दी जाएगी। 50 प्रतिशत की पहली किश्त निर्माण कार्य, संयंत्र और मशीनों जैसे अवसंरचनात्मक कार्यों के पूरा होने पर, 25 प्रतिशत की दूसरी किश्त प्रथम उत्पादन चक्र पर और 25 प्रतिशत की तीसरी किश्त द्वितीय उत्पादन चक्र के बाद मिलेगी।

**गोबर गैस/बायोगैस इकाई** : बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 22,500 रु. के इकाई व्यय पर सेवा प्रदाता के लिए 1500 रु. की टर्न-की रकम सहित 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। वर्ष 2024-25 में 100 गोबर गैस/बायोगैस इकाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

## हरी खाद कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 में (सितंबर 2024 तक), हरी खाद के लिए 18,600 क्विंटल का लक्ष्य था उसके लिए 1439.64 लाख रु. का वित्तीय आबंटन था। तालिका 3.42 से पता चलता है कि 2024-25 में भौतिक और वित्तीय, दोनो लक्ष्य हासिल हो गए हैं।

**तालिका 3.42 : बिहार में हरी खाद योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धि (2024-25)**

| वर्ष | भौतिक (क्विंटल) | | वित्तीय (लाख रु.) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2024-25 | 18600 | 18535.79 | 1439.64 | 1434.69 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## जैविक कॉरीडोर योजना

जैविक कॉरीडोर योजना के दूसरे चरण का क्रियान्वयन पहले चरण में चुने गए 13 जिलों में ही किया गया। इस चरण में 20,000 एकड़ जमीन उन इच्छुक किसानों में वितरित की गई जो जैविक कॉरीडोर योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं थे। इस योजना का लक्ष्य टिकाऊ खेती सुनिश्चित करना, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, और रोजगार के अवसर पैदा करना है। संकुल आधारित दृष्टिकोण अपनाकर जैविक खेती के लिए 129 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) या कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी)

का गठन किया गया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता का व्यापक पैकेज उपलब्ध कराया गया है। योजना का अवधान किसानों को सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के रूप में अवसंरचनात्मक सहायता और लॉजिस्टिक सहायता के रूप में इनस्यूलेटेड वैन उपलब्ध कराना तथा लॉजिस्टिक के रूप में विपणन सहायता उपलब्ध कराना तथा जिला स्तर पर हर साल तीन क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना है। जैविक कॉरीडोर योजना ने 2023-24 में भौतिक लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है। राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए 3192.62 लाख रु. आबंटित किए और सीआइ प्रमाणन की प्राप्ति प्रगति पर है। चूंकि यह सतत प्रक्रिया है, इसलिए वांछित लक्ष्य हासिल करने के लिए काम 2024-25 में भी जारी रहेगा।

**तालिका 3.43 : बिहार जैविक कॉरीडोर योजना के तहत प्रगति का विवरण (2022-23 से 2024-25)**

| वर्ष | भौतिक (क्विंटल) | | | वित्तीय (लाख रु.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | स्वीकृति | आबंटन | उपलब्धि |
| 2022-23 | 20000 | 19594.87 | 4109.22 | 4109.22 | 3965.67 |
| 2023-24* | 19594.87 | 19573.87 | 3192.62 | 3192.62 | सीआइ प्रमाणन प्रगति पर है |
| 2024-25 | सीआइ प्रमाणन प्रगति पर है | | | | |

टिप्पणी : 1. * मुख्यालय के व्यय शीर्ष से 332.02 लाख रु. सरेंडर कर दिए गए
2. योजना 16 जनवरी 2023 को स्वीकृत हुई थी और योजना समयबद्ध है इसलिए कार्य जारी है।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## नमामि गंगे योजना

यह योजना 2021-22 में 12 जिलों के लिए स्वीकृत हुई थी। हालांकि इसका क्रियान्वयन 2022-23 में शुरू हुआ और योजना तीन वर्षों के लिए स्वीकृत हुई। जिन जिलों में योजना स्वीकृत हुई है वे हैं : बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय, और खगड़िया। इन 12 जिलों में 14,000 हे. जमीन पर काम शामिल है। इसमें 16,744 किसानों को 700 समूहों में बांटा गया है। इस योजना के लिए वित्तीय आबंटन 3016.65 लाख रु. था। परियोजना के क्रियान्वयन का तीसरा साल चल रहा है।

## परंपरागत कृषि विकास योजना

परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया गया। चुने गए जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीवान, रोहतास, गया, जमुई, सहरसा, किशनगंज, बांका और अररिया हैं। इस योजना का क्रियान्वयन 5620 हे. जमीन पर किया गया है। इसके तहत 6122 किसानों को 281 समूहों में बांटा गया है। परियोजना क्रियान्वयन के दूसरे चरण में है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके व्यय में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इसमें किसानों को 12,000 रु., 10,000 रु. और 9,000 रु. की तीन किश्तों में वित्तीय सहायता मिलती है।

**तालिका 3.44 : बिहार में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्रगति का विवरण (2023-24 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| वर्ष | भौतिक (हे.) | | वित्तीय (लाख रु.) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2023-24 | 14000 | 14000 | 3016.65 | 1311.57 |
| 2023-24 (11 जिले) | 5620 | 5620 | 945.85 | 511.09 |
| 2024-25* | | | 341.67 | — |

टिप्पणी : * 2023-24 की योजना का क्रियान्वयन 2024-25 में हो रहा है इसलिए 2024-25 के लिए आबंटित रकम का अभी तक उपयोग नहीं हो सका है। साथ ही, योजना तीन वर्षों के लिए है इसलिए भौतिक लक्ष्य पूरी योजनावधि के लिए एक ही है।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक

बिहार में जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों को जैविक कॉरीडोर योजना, नमामि गंगे के तहत पारंपरिक कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी अनेक योजनाओं के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने जैविक कॉरीडोर योजना के तहत 19,594.9 एकड़ का भौतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए 2253.4 लाख रु. आबंटित किए हैं। वहीं, नमामि गंगे के तहत पारंपरिक कृषि विकास योजना के जरिए 2023-24 में 16,744 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने 35,000 एकड़ का भौतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए 2301.7 लाख रु. खर्च किए हैं।

**तालिका 3.45 : बिहार में जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक के संबंध में प्रगति (2021-22 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| योजना का नाम | वित्तवर्ष | भौतिक (एकड़) | | किसानों की संख्या | वित्तीय (रु.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | | लक्ष्य | उपलब्धि |
| जैविक कॉरीडोर योजना | 2021-22 | 17507.0 | 15641.7 | 16425 | 2013.3 | 2013.0 |
| | 2022-23 | 20000.0 | 19594.9 | 20273 | 2300.0 | 2253.4 |
| | 2023-24 | 19594.9 | 19573.87 | | 2253.4 | — |
| नमामि गंगे के तहत पारंपरिक कृषि विकास योजना | 2020-21 | 3250.0 | 3250.0 | 1800 | 218.8 | 109.4 |
| | 2021-22 और 2022-23 | 35000.0 | 35000.0 | 16744 | 2356.2 | 1080.2 |
| | 2023-24 | | | | 3016.7 | 2301.7 |
| परंपरागत कृषि विकास योजना | 2023-24 | 14050.0 | 14050.0 | 6369 | 945.9 | 585.4 |
| | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | | — | — | 974.5 | — |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ) (डीपीआर आधारित योजना)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की डीपीआर आधारित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कैफेटेरिया योजना की घटक है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 2023-24 में चावल के लिए 167.69 लाख रु. और गेहूं के लिए 193.71 लाख रु. व्यय किए हैं। साथ ही, इस अवधि में कंपोजिट या संकर मक्का पर कुल 135.50 लाख रु. का व्यय हुआ। योजना के तहत फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर काम होता है। जैसे, धान की खेती में धान रोपने की विभिन्न विधियों, गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण, और पोषण प्रबंधन तथा मिट्टी सुधार की तकनीकों पर जोर दिया जाता है। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों पर प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के भी प्रावधान किए गए हैं। गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए भी ऐसे ही कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं। हर घटकों की भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां, चावल के लिए तालिका प 3.15, गेहूं के लिए तालिका प 3.16 और मक्का के लिए तालिका प 3.17 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

## कृषोन्नति योजना

कृषोन्नति योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके नौ घटक हैं। ये घटक हैं : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन (एनएमईओ-ओएस), राष्ट्रीय खाद्य आयल-पाम आयल मिशन (एनएमईओ-ओपी), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआइडीएच), डिजिटल कृषि मिशन, उत्तर-पूर्व क्षेत्र जैविक मूल्य-शृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), कृषि प्रसार उप-मिशन (एसएमएई), समेकित कृषि विपणन योजना - राष्ट्रीय कृषि बाजार (आइएसएएम-ईनाम), और समेकित कृषि विपणन योजना - अन्य (आइसैम-अन्य)। यहां कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन (एनएमईओ-ओएस) पर चर्चा की गई है। इन मिशनों के वर्णित उद्देश्य हैं : देश के चिन्हित जिलों में क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के जरिए चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाजों (मक्का और जौ), विभिन्न अनाजों, और तिलहनों का टिकाऊ ढंग से उत्पादन बढ़ाना। इसका लक्ष्य अलग-अलग खेतों के स्तर पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति पुन:स्थापित करना और कृषि-स्तरीय अर्थव्यवस्था में सुधार करके किसानों का आत्मविश्वास बहाल करना है। साथ ही, इसका लक्ष्य कुशल विपणन संपर्कों के जरिए किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए खेतों में ही फसलोत्तर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना भी है।

मिशन के तहत देश के कम उत्पादक जिलों की पहचान की गई है और चुनिंदा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप किया गया है। इस योजना के तहत राज्यों के जिलों की पहचान चावल, गेहूं और तिलहनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए की गई है।

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन (एनएमईओ-ओएस) का क्रियान्वयन हो रहा है जिसमें फसल निदर्शन, बीज वितरण, समेकित पोषण प्रबंधन (आइएनएम), समेकित कीट प्रबंधन (आइपीएम), और कृषि उपकरण जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिहार में दोनो मिशनों के तहत चावल के लिए 15, गेहूं के लिए 10, दलहन के लिए 38, मोटे अनाजों के लिए 11, पौष्टिक अनाजों, चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण (टीआरएफए)-दलहन, टीआरएफए-तिलहन, और जूट, प्रत्येक के लिए 7, ईख के लिए 5 तथा तिलहनों के लिए 10 जिलों की पहचान की गई है।

तालिका 3.46 : बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण (2021–22 से 2023–24)

| कार्यक्रम | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (हे. में) | वित्तीय (लाख रु. में) | भौतिक (हे. में) | वित्तीय (लाख रु. में) |
| **2021-22** | | | | |
| चावल | 88700 | 1216.0 | 37353 | 873.9 |
| गेहूं | 50899 | 595.0 | 23896 | 442.5 |
| दलहन | 144119 | 2237.0 | 44932 | 1111.6 |
| मोटे अनाज | 17338 | 539.0 | 13818 | 389.1 |
| चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण - दलहन | 116286 | 2652.0 | 44385 | 1462.3 |
| नकदी फसल - जूट | 19738 | 242.0 | 13097 | 198.8 |
| नकदी फसल - ईख | 2204 | 83.0 | 0 | 0 |
| **योगफल** | **439284** | **7564.0** | **177481** | **4478.2** |
| **2022-23** | | | | |
| चावल | 53359 | 739.9 | 16808 | 217.5 |
| गेहूं | 31781 | 371.8 | 13114 | 235.5 |
| दलहन | 98315 | 1840.3 | 38613 | 809.6 |
| मोटे अनाज | 10454 | 346.7 | 9533 | 273.2 |
| चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण - दलहन | 98388 | 2249.9 | 49915 | 1594.4 |
| नकदी फसल - जूट | 28012 | 195.4 | 14758 | 158.2 |
| नकदी फसल - ईख | 2216 | 82.7 | 2172 | 78.2 |
| **योगफल** | **322525** | **5826.7** | **144913** | **3366.5** |
| **2023-24** | | | | |
| चावल | 44861 | 834.5 | 18765 | 442.9 |
| गेहूं | 30563 | 517.5 | 15047 | 296.0 |
| दलहन | 58378 | 1570.8 | 21230 | 713.2 |
| मोटे अनाज | 27318 | 846.0 | 19005 | 566.6 |
| चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण - दलहन | 110875 | 2307.0 | 52815 | 1658.9 |
| नकदी फसल - जूट | 32491 | 226.6 | 3743 | 144.1 |
| नकदी फसल - ईख | 3075 | 110.7 | 2421 | 87.2 |
| पौष्टिक अनाज | 14270 | 287.7 | 883 | 20.5 |
| **योगफल** | **321831** | **6700.8** | **133909** | **3929.3** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.47 : बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के तहत लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण (2021-22 से 2023-24)

| कार्यक्रम | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (हे. में) | वित्तीय (लाख रु. में) | भौतिक (हे. में) | वित्तीय (लाख रु. में) |
| **2021-22** | | | | |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - तिलहन | 9097 | 133.33 | 836 | 21.0 |
| चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण - तिलहन | 139220 | 633.33 | 22716 | 264.7 |
| **योगफल** | **148317** | **766.66** | **23552** | **285.7** |
| **2022-23** | | | | |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - तिलहन | 6782 | 110.0 | 1697 | 25.0 |
| चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण - तिलहन | 93431 | 666.7 | 26405 | 129.8 |
| **योगफल** | **100213** | **776.7** | **28102** | **154.8** |
| **2023-24** | | | | |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - तिलहन | 4785 | 208.3 | 2657 | 111.1 |
| चावल परती क्षेत्र लक्ष्यीकरण - तिलहन | 6472 | 291.7 | 4538 | 152.6 |
| **योगफल** | **11257** | **500.0** | **7195** | **263.7** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## आकस्मिक स्थिति में किसानों की सहायता

**डीजल सब्सिडी योजना :** अनियमित वर्षा के कारण सूखा जैसी स्थितियों के दौरान किसानों को अपनी फसलें सींचने के लिए डीजल सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। प्रति हेक्टेयर कृष्य जमीन पर 10 लीटर डीजल की खपत मानते हुए किसानों को गंभीर सूखा के दौरान धान के बिचड़ों की दो बार सिंचाई के लिए और खड़ी फसल की तीन बार सिंचाई के लिए 75 रु. प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2023-24 में 6.3 लाख किसान सब्सिडी से लाभान्वित हुए जिन्हें कुल 102.93 करोड़ रु. की सब्सिडी दी गई। वर्ष 2024-25 में 30 सितंबर 2024 तक 1.85 लाख किसानों को सब्सिडी मिली थी जिस पर राज्य के 34.93 करोड़ रु. व्यय हुए थे (देखें तालिका 3.48)।

तालिका 3.48 : बिहार में डीजल सब्सिडी योजना की प्रगति का विवरण (2022-23 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)

| वर्ष | किसानों की सं. (लाख) | रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 9.6 | 146.4 |
| 2023-24 | 6.3 | 102.93 |
| 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | 1.85 | 34.93 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**कृषि लागत सब्सिडी योजना :** बाढ़ या ओले गिरने के कारण फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में राज्य सरकार किसानों को कृषि लागत सब्सिडी योजना के तहत वित्तीय सहायता देती है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष/राज्य आपदा अनुक्रिया कोष के मानकों के अनुसार, मुआबजा की दरें सिंचित क्षेत्रों की फसलों के लिए 17,000 रु. प्रति हे., असिंचित क्षेत्रों की फसलों के लिए 8500 रु. प्रति हे. और बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रु. प्रति हे. हैं। वर्ष 2023-24 में 87.12 लाख किसान ओला वृष्टि और असमय की बरसात से प्रभावित हुए थे। इन किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने 55.05 करोड़ रु. वितरित किए थे।

**आकस्मिक फसल योजना :** फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूरक उपाय के रूप में वैकल्पिक फसलों के लिए बीज दिए गए। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने इन बीजों के वितरण पर 18.15 करोड़ रु. खर्च किए। वर्ष 2023-24 में वैकल्पिक बीज पाने की योजना से 2.05 लाख किसान लाभान्वित हुए।

**तालिका 3.49 : आकस्मिक फसल योजना का विवरण (2022-23 और 2023-24)**

| वर्ष | किसानों की सं. (लाख) | रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 3.3 | 21.78 |
| 2023-24 | 2.05 | 18.15 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम (सीआरए)

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु की परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि, फसलों, पशुधन और मात्स्यिकी की अनुकूलता बढ़ाना है। इसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन की प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग, जलवायु संबंधी वर्तमान जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के खेतों में स्थान आधारित प्रौद्योगिकी के पैकेजों के निर्दशन, और वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, तथा हितधारकों को जलवायु-अनुकूल कृषि अनुसंधान और उसके उपयोगों पर क्षमता निर्माण करने के जरिए हासिल किया जाएगा। मृदा कार्बन बढ़ाने, क्षरण के कारण मिट्टी के नुकसान को नियंत्रित करने, और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए जा सकते हैं जिनसे मिट्टी में अनुकूलता पैदा होगी।

पूसा स्थित बॉर्लौग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (बीसा), डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, और पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान संकुल (आइसीएआर-आरसीईआर) इस परियोजना के साझीदार हैं। इसके हस्तक्षेपों की प्रकृति में शामिल हैं : लेसर आधारित भूमि समतलीकरण, फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूल प्रभेद, धान की सीधी बुआई, जीरो टिलेज, रेज्ड बेड प्लांटिंग, सटीक लागत सामग्री प्रबंधन, अंतर्वर्ती फसलें, सामुदायिक सिंचाई, आलू आधारित कृषि प्रणाली, फसल अपशिष्ट प्रबंधन, कार्बन क्रेडिट, सोलर हार्वेस्टिंग, खाद्य प्रणाली में मोटे अनाज, और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण।

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार के 30 जिलों में 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस अवधि के लिए 238.49 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

**तालिका 3.50 : बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि योजना के क्रियान्वयन का ब्योरा (2019-20 से 2024-25)**

| उप-योजना | जिले | अवधि | स्वीकृत रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| 8 जिलों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम (सीआरए-1) | नालंदा, नवादा, मुंगेर, गया, भागलपुर, बांका, मधुबनी और खगड़िया | 2019-20 से 2023-24 तक | 60.66 |
| 30 जिलों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम (सीआरए-2) | वैशाली, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीवान, बेगूसराय, गोपालगंज और सारण | 2020-21 से 2024-25 तक | 238.49 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## मिट्टी की जांच

मृदा जांच कार्यक्रम का लक्ष्य मिट्टी का विश्लेषण करके और जांच परिणामों के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर फसल उत्पादन के लिए स्वस्थ मिट्टी सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण से फसल की उत्पादकता बढ़ती और खेती की लागत घटती है।

## मृदा जांच कार्यक्रम

केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम के तहत राज्य के गांवों से मिट्टी के 2,00,000 नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का लक्ष्य तय किया गया था। सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रति जिला 200 हे. के हिसाब से 7600 हे. जमीन के लिए जिंक का वितरण किया जा रहा है। साथ ही, योजनाओं में गया, भागलपुर और मुंगेर जिलों में प्रखंड स्तर पर मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा सहरसा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में एक-एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल हैं।

खेतों की मिट्टी के नमूनों की मुफ्त जांच के लिए राज्य के 38 जिलों में प्रति प्रमंडल एक-एक मृदा जांच प्रयोगशालाओं के साथ-साथ 9 जिला-स्तरीय मृदा जांच प्रयोगशालाएं भी काम कर रही हैं। अभी 72 ग्राम-स्तरीय मृदा जांच प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा शुल्क आधारित मृदा जांच भी की जाती है। सभी जिला-स्तरीय प्रयोगशालाएं मिट्टी के नमूनों का 12 मापदंडों (पीएच, ईसी, ओसी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, सल्फर और बोरोन) पर आधारित विश्लेषण करती हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के नमूनों का संग्रहण ऍप आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है जिसमें कृषि विभाग के कर्मी किसानों का पूरा पता और भौगोलिक अवस्थिति का विवरण दर्ज करते हैं। वर्ष 2023-24 में मृदा स्वास्थ्य के परिणामों को देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड सीधे किसानों के मोबाइल फोन पर भेजे गए थे।

जांच का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मृदा जांच प्रयोगशाला के अलावा, दोनो कृषि विश्वविद्यालयों की मृदा जांच प्रयोगशालाओं को रेफरल प्रयोगशाला नामित किया गया है।

मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशाला का लक्ष्य सुदूर गांवों में नमूना लेने की जगह पर ही मिट्टी की जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। खरीफ और रबी मौसमों में मोबाइल प्रयोगशालाएं गांवों में जाकर किसानों की मौजूदगी में खेतों से मिट्टी के नमूने लेती हैं और उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड देती हैं। वर्ष 2023-24 में मिट्टी के 2.0 लाख नमूने लेने का लक्ष्य था लेकिन 2.50 लाख नमूनों की जांच की गई। वहीं, 2024-25 में सितंबर 2024 तक 7.71 करोड़ रु. के व्यय से 2.39 लाख नमूनों की जांच की गई।

**तालिका 3.51 : बिहार में मृदा जांच संबंधी भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण (2023-24 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| वर्ष | भौतिक | | वित्तीय (करोड़ रु.) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2023-24 | 2,00,000 | 2,50,053 | 6.00 | 5.96 |
| 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | 5,00,000 | 2,39,130 | 15.00 | 7.71 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम)** : ग्रामीण युवाओं में कृषि संबंधी कौशलों की कमी को दूर करने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुशल खेती, मूल्यवर्धन, भंडारण और विपणन से कुशल श्रमिकों की आय बढ़ती है। कौशल विकास में चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो मुख्य घटक हैं - डोमेन स्किलिंग और पूर्व अधिगम मान्यकरण (आरपीएल)। कार्यक्रम का लक्ष्य इन उद्देश्यों के साथ कौशलों की गुणवत्ता बढ़ाना और उद्यमिता संबंधी ज्ञान विकसित करना है। एक, युवक-युवतियों को कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों में कौशल प्रशिक्षण देकर तकनीकी कौशल और पेशेवर योग्यता और क्षमता विकसित करना। दो, कौशल प्रशिक्षण के बाद युवक-युवतियों को कृषि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मांगे पूरी करते हुए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों का निर्माण में सक्षम बनाते हुए उनमें लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना। तीन, कौशल विकास केंद्रों को धनराशि उपलब्ध कराकर सर्वाधिक संख्या में युवक-युवतियों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना। अंत में, पूर्व अधिगम मान्यकरण पाठ्यक्रम के जरिए मौजूद कौशलों को परिशोधित करना।

मिशन ने 2023-24 में 117 कार्यक्रम आयोजित किए जो 2022-23 में आयोजित कार्यक्रमों से 19.4 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2023-24 में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर हुआ कुल व्यय 451.04 लाख रु. था। वहीं, 2024-25 में 15 जनवरी 2025 तक मिशन ने पूर्व अधिगम मान्यकरण के 189 और डोमेन स्किल के 2 प्रशिक्षण आयोजित करने पर 333.58 लाख रु. व्यय किए हैं (देखें तालिका 3.53)।

**तालिका 3.52 : बिहार में बिहार कौशल विकास मिशन के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | भौतिक (प्रशिक्षणों की सं.) | | वित्तीय (लाख रु.) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | स्वीकृत रकम | उपलब्धि |
| 2019-20 | 147 | 74 | 1200 | 450.50 |
| 2020-21 | — | 18 | — | 53.36 |
| 2021-22 | 223 | 88 | 1200 | 349.41 |
| 2022-23 | — | 98 | — | 624.25 |
| 2023-24 | — | 117 | — | 451.04 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 3.53 : बिहार में बिहार कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण (2024-25, 15 जनवरी 2025 तक)**

| प्रशिक्षण कार्यक्रम | भौतिक (प्रशिक्षणों की सं.) | | वित्तीय उपलब्धि (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | |
| डोमेन स्किल | 28 | 2 | 15.55 |
| पूर्व-अधिगम मान्यकरण | 484 | 189 | 318.03 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)

राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन चार उप-मिशनों के जरिए काम करता है। ये उप-मिशन हैं - कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन, कृषि प्रसार एवं राष्ट्रीय ई-शासन योजना उप-मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन तथा पौधा संरक्षण एवं संगरोध उप-मिशन।

कृषि प्रसार उप-मिशन (एसएएमई) का अवधान कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने और उनका उपयोग बढ़ाने पर है। जारी प्रसार योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। वहीं, प्रसार संबंधी सुधारों के लिए राज्य प्रसार कार्यक्रम सहयोग का लक्ष्य जिला स्तर पर सहभागी ढंग से प्रसार संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) नामक नई संस्थागत व्यवस्था के जरिए प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्षीकरण करके प्रसार सेवा को कृषक-आधारित और किसानों के लिए जवाबदेह बनाना है।

कृषि प्रसार उप-मिशन के हस्तक्षेप के क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक और निजी प्रसार सेवा प्रदाताओं को शामिल करके बहु-अभिकरण प्रसार रणनीतियों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, नीचे से ऊपर जाने वाली योजना निर्माण

प्रक्रिया पर अवधान करके कृषि प्रणाली संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक आधार वाले समेकित, प्रसार सेवा प्रदान व्यवस्था को बढ़ावा देना। और तीसरा, सामग्री हित समूहों (सीआइजी) और कृषक हित समूहों (एफआइजी) के रूप में तथा कृषक उत्पादक संघों को सुदृढ़ करने के लिए किसानों की चिन्हित जरूरतों के अनुरूप प्रसार के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना। योजना के तहत महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों, किसान मेलों, कृषि विद्यालयों और किसानों तथा क्षेत्र-कर्मियों के लिए दौरे भी आयोजित किए जाते हैं। आत्मा के विभिन्न पहलुओं के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण तालिका 3.54 में प्रस्तुत है।

**तालिका 3.54 : बिहार में आत्मा योजना की प्रगति (2022-23 और 2023-24)**

| गतिविधि | भौतिक | | | | वित्तीय (लाख रु.) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | | 2023-24 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | लक्ष्य (व्यक्ति दिवस) | उपलब्धि (व्यक्ति दिवस) | लक्ष्य (व्यक्ति दिवस) | उपलब्धि (व्यक्ति दिवस) | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| किसानों का प्रशिक्षण | 112720 | 127804 | 82770 | 123394 | 700.53 | 662.83 | 527.33 | 285.81 |
| परिदर्शन भ्रमण | 149520 | 109373 | 65148 | 60504 | 530.40 | 449.00 | 283.02 | 263.13 |
| **कृषक समूहों की गोलबंदी** | | | | | | | | |
| क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और सहयोग सेवाएं | 1602 | 1332 | 1602 | 1546 | 80.10 | 66.59 | 80.1 | 77.29 |
| महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा समूह | 534 | 237 | 534 | 487 | 106.80 | 71.12 | 53.4 | 48.62 |
| जिला-स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेले, फलों/ सब्जियों के प्रदर्शन | 76 | 66 | 76 | 72 | 152.00 | 132.04 | 152 | 143.91 |
| जिला स्तर पर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संपर्क-संवाद | 76 | 68 | 76 | 74 | 15.20 | 13.58 | 15.2 | 14.66 |
| क्षेत्र दिवसों और किसान गोष्ठियों का आयोजन | 1068 | 1006 | 534 | 498 | 160.20 | 145.90 | 80.1 | 74.63 |
| कृषि विद्यालय | 1602 | 1166 | 1068 | 894 | 471.21 | 342.96 | 314.14 | 262.79 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## किसान चौपाल

किसान चौपालों का आयोजन कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचनाएं फैलाने के लिए किया जाता है। बिहार के गांवों में किसान चौपाल ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ और रबी मौसमों में आयोजित किए जाते हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार, लगभग 10 लाख किसानों को मौसम-वार फसल योजना, कृषि कार्य, मृदा पोषण प्रबंधन, और जलवायु आधारित कृषि प्रणालियों और राज्य में चल रही योजनाओं के बारे

में जानकारी दी गई है। वहीं, मोटे अनाजों और कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा, तथा कृषि के विभिन्न पहलुओं के मामले में उद्यमिता विकास भी जागरूकता अभियान के अंग हैं। जागरूकता अभियान में प्रसार अधिकारी, वैज्ञानिक और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। विगत वर्षों के दौरान किसान चौपाल के लिए वित्तीय आबंटन बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में वित्तीय आबंटन 4.95 करोड़ था जो एक वर्ष में तिगुना बढ़कर 2023-24 में 15.00 करोड़ रु. हो गया। आबंटित राशि का उपयोग भी काफी अधिक रहा है।

**तालिका 3.55 : बिहार में किसान चौपाल के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण (2021-22 से 2023-24)**

| वर्ष | भौतिक (अभियानों की सं.) | | वित्तीय (करोड़ रु.) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2021-22 | 16810 | 16810 | 6.96 | 6.96 |
| 2022-23 | 16810 | 16810 | 4.95 | 4.95 |
| 2023-24 | 16116 | 8058 | 15.00 | 13.38 |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## भंडार, भंडारण और खरीद

बिहार राज्य भंडारण निगम (बीएसडब्ल्यूसी) कृषि और अन्य अधिसूचित सामग्रियों के भंडारण की व्ययस्था करता है। निगम कृषि उत्पादों, उर्वरकों आदि को भंडारित करने के लिए गोदाम बनवाता या किराए पर लेता है। वर्ष 2023-24 में इसके 54 केंद्र चालू थे और कुल भंडारण क्षमता 5.79 लाख टन की थी। तालिका 3.56 में देखा जा सकता है कि अपने स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता स्थिर रहने के बावजूद किराए की भंडारण क्षमता विगत वर्षों के दौरान बढ़ती गई है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच किराए की भंडारण क्षमता 53.8 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में प्रयुक्त भंडारण क्षमता 5.61 लाख टन अर्थात उपलब्ध क्षमता का 97 प्रतिशत थी। हालांकि भंडारण क्षमता के उपयोग में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) मुख्य जमाकर्ता बना हुआ है लेकिन कुल जमा में अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का हिस्सा विगत वर्षों में बढ़ता गया है। जैसे, 2019-20 में कुल जमा में अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का 17.8 प्रतिशत हिस्सा था जो 2023-24 में बढ़कर 30.0 प्रतिशत हो गया।

खरीद के मामले में देखें तो चावल और गेहूं की खरीद हुई है (देखें तालिका 3.58)। वर्ष 2023-24 में 4500 हजार टन चावल खरीदने का लक्ष्य था जबकि वास्तविक खरीद 3079.45 हजार टन की हुई। वहीं, गेहूं के लिए 2023-24 में 1000 हजार टन खरीद का लक्ष्य था लेकिन 601.19 हजार टन गेहूं खरीदा गया। आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और खरीद से दो महत्वपूर्ण प्रयोजन हल होते हैं। पहला, इससे फसल तैयार होने के तत्काल बाद आम तौर पर कीमत गिरने से होने वाले नुकसान से किसानों का बचाव होता है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पाकर लाभान्वित होते हैं। दूसरा, उपभोक्ता के नजरिए से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

**तालिका 3.56 : बिहार में भंडारगृहों की स्थिति (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | केंद्रों की संख्या | क्षमता (लाख टन) | | | प्रयुक्त क्षमता (लाख टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अपनी | किराए की | योगफल | अपनी | किराए की | योगफल |
| 2019-20 | 47 | 5.18 | 0.39 | 5.56 | 3.79 | 0.39 | 4.18 |
| 2020-21 | 54 | 5.19 | 0.52 | 5.72 | 4.04 | 0.52 | 4.57 |
| 2021-22 | 59 | 5.19 | 0.59 | 5.78 | 4.43 | 0.59 | 5.02 |
| 2022-23 | 56 | 5.19 | 0.53 | 5.73 | 4.60 | 0.53 | 5.13 |
| 2023-24 | 54 | 5.19 | 0.60 | 5.79 | 5.01 | 0.60 | 5.61 |

टिप्पणी : * सारे आंकड़े औसत पर आधारित हैं

स्रोत : बिहार राज्य भंडारण निगम

**तालिका 3.57 : बिहार में भंडारण क्षमता का जमाकर्ता-वार उपयोग (2019-20 से 2023-24)**

(मीट्रिक टन में)

| वर्ष | मुख्य जमाकर्ता | | | अन्य सार्वजनिक उपक्रम | निजी व्यापारी | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारतीय खाद्य निगम | उर्वरक कंपनियां | योगफल | | | |
| 2019-20 | 505364 (79.5) | 500.01 | 505864 (79.5) | 113378 (17.8) | 16791 (2.6) | 636033 (100.0) |
| 2020-21 | 534313 (80.1) | — | 534313 (80.1) | 116046 (17.4) | 17069 (2.6) | 667428 (100.0) |
| 2021-22 | 543559 (75.0) | — | 543559 (75.0) | 168082 (23.2) | 13358 (1.8) | 724999 (100.0) |
| 2022-23 | 530604 (73.1) | — | 530604 (73.1) | 181783 (25.1) | 13245 (1.8) | 725632 (100.0) |
| 2023-24 | 462303 (68.3) | — | 462303 (68.3) | 202855 (30.0) | 11696 (1.7) | 676853 (100.0) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े भंडारण क्षमता का जमाकर्ता-वार उपयोग दर्शाते हैं।

स्रोत : बिहार राज्य भंडारण निगम

**तालिका 3.58 : बिहार में चावल और गेहूं की खरीद का विवरण (2019-20 से 2023-24)**

(हजार टन में)

| वर्ष | धान | | गेहूं | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | खरीद | लक्ष्य | खरीद |
| 2019-20 | 3000 | 2001.21 | 200 | 2.82 |
| 2020-21 | 4500 | 3558.88 | 700 | 4.92 |
| 2021-22 | 4500 | 4490.41 | 700 | 455.55 |
| 2022-23 | 4500 | 4204.73 | 1000 | 3519.89 |
| 2023-24 | 4500 | 3079.45 | 1000 | 601.19 |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

## बाजार प्रांगणों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण

राज्य सरकार ने राज्य के 21 बाजार प्रांगणों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया है। राज्य योजना के तहत 748.46 करोड़ रु. के व्यय से 2021-24 की अवधि में 21 में से 12 बाजार प्रांगणों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया। राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए 449.08 करोड़ रु. का व्यय स्वीकृत किया था। शेष 9 बाजार प्रांगणों के लिए 2022-25 की अवधि के लिए स्वीकृत बजट 540.61 करोड़ रु. है। राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए 113.62 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। सभी बाजार प्रांगणों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जिसने कुल परियोजना व्यय के 95 प्रतिशत का वित्तपोषण किया है।

## फसलों की ठूंठ जलाना

खेतों में फसलों की ठूंठ जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों और आम लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने अंतर्विभागीय कार्य-समूह गठित किया है। अपशिष्ट से बचने के लिए राज्य सरकार ने फसल अपशिष्ट के प्रबंधन वाली मशीनें खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 25 कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए वेस्ट डिकंपोजर का निदर्शन किया जा रहा है। यह डिकंपोजर 3,000 एकड़ कृषि भूमि के लिए उपलब्ध है।

इन पहलों का लक्ष्य टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और फसलों की ठूंठ जलाने को हतोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने फसल अपशिष्ट जलाने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की है। वर्ष 2019 से कृषि विभाग ने फसल अपशिष्ट जलाने वाले किसानों का डीबीटी पोर्टल पर निबंधन बंद कर दिया है जिससे वे योजनाओं का लाभ पाने के अयोग्य हो गए हैं। वर्ष 2023 में गेहूं की कटनी के बाद 656 किसानों को और धान की कटनी के दौरान 2398 किसानों को दंडित किया गया। साथ ही, दोषियों की सूची सहकारिता और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी दे दी गई है ताकि वे चावल खरीद योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से उन्हें वंचित कर दें।

# परिशिष्ट

## तालिका प 3.1 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार प्रतिरूप (2022-23)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| जिले | भौगोलिक क्षेत्रफल (1) | वन क्षेत्र (2) | बीरान और अकृष्ट जमीन | कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि (3) | | | कृषि योग्य अकृष्ट क्षेत्र (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कृषीतर उपयोग | | | |
| | | | | भूक्षेत्र | जल क्षेत्र | | |
| | | | | | बारहमासी | अस्थायी | |
| पटना | 317.2 (100) | 0.1 (0) | 12.4 (3.9) | 68.0 (21.4) | 10.3 (3.3) | 2.6 (0.8) | 0.7 (0.2) |
| नालंदा | 232.7 (100) | 4.6 (2) | 1.2 (0.5) | 36.4 (15.6) | 2.5 (1.1) | 9.1 (3.9) | 0.2 (0.1) |
| भोजपुर | 237.3 (100) | 0 (0) | 6.7 (2.8) | 30.4 (12.8) | 2.8 (1.2) | 0.2 (0.1) | 0.6 (0.2) |
| बक्सर | 167 (100) | 0 (0) | 2.2 (1.3) | 13.90 (8.3) | 3.2 (1.9) | 1.4 (0.8) | 0.6 (0.4) |
| रोहतास | 390.7 (100) | 66.7 (17.1) | 16.8 (4.3) | 44.4 (11.4) | 9.0 (2.3) | 0.1 (0) | 1.0 (0.2) |
| कैमूर | 342.4 (100) | 113 (33) | 19.3 (5.6) | 31.2 (9.1) | 2.5 (0.7) | 1.5 (0.4) | 1.8 (0.5) |
| | | | | | | | |
| गया | 493.8 (100) | 77.8 (15.8) | 27.5 (5.6) | 63.5 (12.9) | 3.8 (0.8) | 6.0 (1.2) | 3.2 (0.7) |
| जहानाबाद | 94 (100) | 0.6 (0.7) | 3.3 (3.5) | 13.9 (14.8) | 0.8 (0.9) | 0.5 (0.6) | 0.1 (0.1) |
| अरवल | 62.6 (100) | 0 (0) | 2.2 (3.5) | 9.2 (14.7) | 0.6 (0.9) | 1.8 (2.9) | 0.1 (0.1) |
| नवादा | 248.7 (100) | 63.8 (25.6) | 11.2 (4.5) | 25.8 (10.4) | 3.0 (1.2) | 6.9 (2.8) | 1.1 (0.4) |
| औरंगाबाद | 330 (100) | 18.8 (5.7) | 16.4 (5) | 56.5 (17.1) | 1.6 (0.5) | 1.8 (0.5) | 1.7 (0.5) |
| | | | | | | | |
| सारण | 264.9 (100) | 0 (0) | 17.9 (6.8) | 28.9 (10.9) | 3.5 (1.3) | 0.2 (0.1) | 0.1 (0.1) |
| सीवान | 224.4 (100) | 0 (0) | 8.7 (3.9) | 29.9 (13.3) | 2.0 (0.9) | 1.5 (0.7) | 0.7 (0.3) |
| गोपालगंज | 203.8 (100) | 0 (0) | 5.5 (2.7) | 31.3 (15.4) | 2.1 (1.0) | 3.4 (1.7) | 1.4 (0.7) |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 484.4 (100) | 91.7 (18.9) | 2.9 (0.6) | 71.3 (14.7) | 15.2 (3.1) | 8.5 (1.8) | 1.2 (0.3) |
| पूर्वी चंपारण | 431.7 (100) | 0.1 (0) | 8.1 (1.9) | 51.8 (12.0) | 10.1 (2.3) | 15.2 (3.5) | 0.2 (0.1) |
| मुजफ्फरपुर | 315.4 (100) | 0 (0) | 5.3 (1.7) | 52.4 (16.6) | 7.8 (2.5) | 4.0 (1.3) | 0.3 (0.1) |
| सीतामढ़ी | 221.9 (100) | 0 (0) | 1.8 (0.8) | 45.2 (20.4) | 2.5 (1.1) | 4.6 (2.1) | 0.1 (0.1) |
| शिवहर | 43.5 (100) | 0 (0) | 0.4 (0.9) | 10.0 (23.0) | 1.3 (2.9) | 0.1 (0.3) | 0 (0) |
| वैशाली | 201.4 (100) | 0 (0) | 24.1 (12) | 30.6 (15.2) | 5.8 (2.9) | 2.4 (1.2) | 0.1 (0.1) |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 254.1 (100) | 0 (0) | 1.3 (0.5) | 44.3 (17.5) | 9.4 (3.7) | 8.5 (3.3) | 0.1 (0) |
| मधुबनी | 353.5 (100) | 0 (0) | 2.2 (0.6) | 71.3 (20.2) | 13.4 (3.8) | 17.7 (5.0) | 0.5 (0.1) |
| समस्तीपुर | 262.4 (100) | 0 (0) | 3.8 (1.5) | 54.7 (20.9) | 8.2 (3.1) | 0.9 (0.3) | 0 (0) |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 187.8 (100) | 0 (0) | 18.0 (9.6) | 30.3 (16.1) | 7.7 (4.1) | 3.1 (1.6) | 0 (0) |
| मुंगेर | 139.8 (100) | 28.5 (20.4) | 11.4 (8.2) | 20.9 (15) | 5.8 (4.2) | 5.9 (4.2) | 0.9 (0.7) |
| शेखपुरा | 62.1 (100) | 0 (0) | 1.0 (1.6) | 7.9 (12.7) | 0.9 (1.4) | 2.1 (3.3) | 0.2 (0.3) |
| लखीसराय | 128.6 (100) | 13.4 (10.5) | 7.0 (5.5) | 9.3 (7.3) | 1.2 (0.9) | 5.7 (4.4) | 0.7 (0.5) |
| जमुई | 305.3 (100) | 92.9 (30.4) | 28.6 (9.4) | 39.6 (13.0) | 2.2 (0.7) | 2.8 (0.9) | 10.3 (3.4) |
| खगड़िया | 149.3 (100) | 0 (0) | 13.6 (9.1) | 19.4 (13.0) | 7.7 (5.2) | 5.3 (3.6) | 0.6 (0.4) |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 254.3 (100) | 0.1 (0) | 22.4 (8.8) | 54.9 (21.6) | 6.6 (2.6) | 7.6 (3.0) | 2.2 (0.9) |
| बांका | 305.6 (100) | 46.3 (15.2) | 43.0 (14.1) | 36.9 (12.1) | 2.9 (1.0) | 3.1 (1.0) | 7.9 (2.6) |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 164.6 (100) | 0 (0) | 10.8 (6.6) | 23.0 (14.0) | 4.8 (2.9) | 2.1 (1.3) | 0.3 (0.2) |
| सुपौल | 238.6 (100) | 0 (0) | 20.2 (8.5) | 39.3 (16.5) | 9.8 (4.1) | 3.1 (1.3) | 1.1 (0.5) |
| मधेपुरा | 179.6 (100) | 0 (0) | 3.9 (2.2) | 26.9 (15.0) | 3.9 (2.1) | 2.0 (1.1) | 0 (0) |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 313.9 (100) | 0.1 (0) | 12.3 (3.9) | 38.1 (12.1) | 6.9 (2.2) | 2.6 (0.8) | 1.1 (0.4) |
| किशनगंज | 189.1 (100) | 0.4 (0.2) | 11.2 (5.9) | 26.0 (13.7) | 7.3 (3.8) | 2.9 (1.5) | 1.2 (0.6) |
| अररिया | 271.7 (100) | 0.8 (0.3) | 5.0 (1.8) | 41.0 (15.1) | 6.4 (2.4) | 6.5 (2.4) | 0.5 (0.2) |
| कटिहार | 291.3 (100) | 1.8 (0.6) | 22.1 (7.6) | 42.2 (14.5) | 12.1 (4.2) | 14.6 (5.0) | 0.6 (0.2) |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **9359.6 (100)** | **621.6 (6.6)** | **431.7 (4.6)** | **1370.4 (14.6)** | **207.4 (2.2)** | **168.5 (1.8)** | **43.6 (0.5)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 3.1 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार प्रतिरूप (2022-23) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| जिले | अकृष्ट भूमि वर्तमान परती को छोड़कर (5) | | परती भूमि | | कुल अकृष्य भूमि (7) (2 से 6) | निवल बुआई क्षेत्र (8) | सकल शस्य क्षेत्र (9) | फसल सघनता (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी चरागाह | बागान | अन्य परती | वर्तमान परती | | | | |
| पटना | 0.1 (0) | 1.3 (0.4) | 49.1 (15.5) | 9.9 (3.1) | 154.5 (48.7) | 162.7 (51.3) | 220.2 (69.4) | 1.35 |
| नालंदा | 0 (0) | 1.3 (0.6) | 8.7 (3.7) | 1.9 (0.8) | 65.8 (28.3) | 166.9 (71.7) | 245.3 (105.4) | 1.47 |
| भोजपुर | 0 (0) | 1.9 (0.8) | 0.4 (0.2) | 0.1 (0) | 43.2 (18.2) | 194.1 (81.8) | 241.6 (101.8) | 1.24 |
| बक्सर | 0 (0) | 0.8 (0.5) | 5.0 (3.0) | 0.7 (0.4) | 27.8 (16.6) | 139.2 (83.4) | 190.6 (114.1) | 1.37 |
| रोहतास | 0.1 (0) | 3 (0.8) | 0.6 (0.2) | 0.2 (0) | 141.9 (36.3) | 248.8 (63.7) | 409.7 (104.9) | 1.65 |
| कैमूर | 0.1 (0) | 2.3 (0.7) | 0.8 (0.2) | 0.9 (0.3) | 173.5 (50.7) | 169.0 (49.3) | 255.0 (74.5) | 1.51 |
| | | | | | | | | |
| गया | 2 (0.4) | 3.9 (0.8) | 105.0 (21.3) | 30.4 (6.2) | 323.1 (65.4) | 170.7 (34.6) | 178.2 (36.1) | 1.04 |
| जहानाबाद | 0.1 (0.1) | 0.7 (0.8) | 39.4 (41.8) | 0.5 (0.5) | 60.0 (63.8) | 34.1 (36.2) | 59.6 (63.3) | 1.75 |
| अरवल | 0.1 (0.2) | 0.9 (1.5) | 20.3 (32.4) | 1.6 (2.5) | 36.8 (58.7) | 25.9 (41.3) | 31.6 (50.4) | 1.22 |
| नवादा | 0.9 (0.3) | 0.7 (0.3) | 11.6 (4.7) | 5.5 (2.2) | 130.5 (52.5) | 118.2 (47.5) | 135.5 (54.5) | 1.15 |
| औरंगाबाद | 0.5 (0.2) | 0.7 (0.2) | 24.2 (7.3) | 1.2 (0.4) | 123.5 (37.4) | 206.5 (62.6) | 288.9 (87.5) | 1.4 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 0.1 (0.1) | 8.5 (3.2) | 49.4 (18.7) | 3.6 (1.4) | 112.3 (42.4) | 152.6 (57.6) | 182.2 (68.8) | 1.19 |
| सीवान | 0.1 (0.1) | 9 (4.0) | 4.9 (2.2) | 1.7 (0.8) | 58.5 (26.1) | 165.9 (73.9) | 224.8 (100.2) | 1.36 |
| गोपालगंज | 0.2 (0.1) | 7.5 (3.7) | 26.2 (12.9) | 1.2 (0.6) | 78.8 (38.7) | 124.9 (61.3) | 138.9 (68.2) | 1.11 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1.1 (0.2) | 6.4 (1.3) | 21.9 (4.5) | 2.2 (0.4) | 222.5 (45.9) | 261.9 (54.1) | 373.5 (77.1) | 1.43 |
| पूर्वी चंपारण | 0.4 (0.1) | 27.2 (6.3) | 23.4 (5.4) | 7.9 (1.8) | 144.4 (33.4) | 287.3 (66.6) | 413.6 (95.8) | 1.44 |
| मुजफ्फरपुर | 0 (0) | 17.9 (5.7) | 12.8 (4.1) | 0.7 (0.2) | 101.2 (32.1) | 214.2 (67.9) | 328.5 (104.2) | 1.53 |
| सीतामढ़ी | 1.3 (0.6) | 14.0 (6.3) | 9.0 (4) | 6.6 (3.0) | 85.1 (38.4) | 136.8 (61.6) | 236.6 (106.6) | 1.73 |
| शिवहर | 0 (0) | 3.7 (8.4) | 4.5 (10.3) | 0.8 (1.9) | 20.8 (47.9) | 22.7 (52.1) | 43.1 (99.1) | 1.9 |
| वैशाली | 0.3 (0.1) | 9.9 (4.9) | 9.1 (4.5) | 0.5 (0.3) | 82.9 (41.2) | 118.5 (58.8) | 169.3 (84.0) | 1.43 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0.1 (0.1) | 12.5 (4.9) | 30.5 (12) | 3.0 (1.2) | 109.8 (43.2) | 144.3 (56.8) | 175.7 (69.2) | 1.22 |
| मधुबनी | 1.3 (0.4) | 24 (6.8) | 22.2 (6.3) | 5.5 (1.6) | 158.1 (44.7) | 195.4 (55.3) | 300.5 (85.0) | 1.54 |
| समस्तीपुर | 0.1 (0) | 8.3 (3.2) | 10.9 (4.2) | 0.9 (0.3) | 87.8 (33.5) | 174.6 (66.5) | 299.5 (114.1) | 1.72 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0 (0) | 3.9 (2.1) | 1.0 (0.5) | 0.4 (0.2) | 64.4 (34.3) | 123.5 (65.7) | 215.1 (114.5) | 1.74 |
| मुंगेर | 0.2 (0.1) | 0.6 (0.4) | 20.6 (14.7) | 3.1 (2.2) | 98.1 (70.2) | 41.7 (29.8) | 47 (33.7) | 1.13 |
| शेखपुरा | 0 (0) | 0.3 (0.5) | 3.0 (4.9) | 1.1 (1.8) | 16.6 (26.7) | 45.5 (73.3) | 55.9 (90.1) | 1.23 |
| लखीसराय | 0 (0) | 0.5 (0.4) | 25.1 (19.6) | 5.4 (4.2) | 68.5 (53.3) | 60.1 (46.7) | 74.1 (57.6) | 1.23 |
| जमुई | 1.6 (0.5) | 2.1 (0.7) | 67.4 (22.1) | 19.5 (6.4) | 266.9 (87.4) | 38.4 (12.6) | 57 (18.7) | 1.49 |
| खगड़िया | 0.2 (0.1) | 3.1 (2.1) | 17.4 (11.7) | 1.1 (0.7) | 68.4 (45.8) | 81 (54.2) | 113.8 (76.2) | 1.41 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0.6 (0.2) | 6.7 (2.6) | 40.3 (15.8) | 6.0 (2.6) | 148.0 (58.2) | 106.3 (41.8) | 125.1 (49.2) | 1.18 |
| बांका | 1.0 (0.3) | 7.5 (2.4) | 32.3 (10.6) | 11.7 (3.8) | 192.6 (63.0) | 113.0 (37) | 129.5 (42.4) | 1.15 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.1 (0.7) | 4.5 (2.7) | 13.8 (8.4) | 3.5 (2.1) | 63.9 (38.8) | 100.7 (61.2) | 172.9 (105.1) | 1.72 |
| सुपौल | 0.2 (0.1) | 3.5 (1.5) | 18.6 (7.8) | 7.0 (2.9) | 102.8 (43.1) | 135.8 (56.9) | 247.1 (103.6) | 1.82 |
| मधेपुरा | 0 (0) | 7.2 (4) | 5.0 (2.8) | 0.8 (0.5) | 49.7 (27.7) | 129.9 (72.3) | 196.0 (109.1) | 1.51 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0 (0) | 9.3 (3) | 97.2 (31) | 16.0 (5.1) | 183.7 (58.5) | 130.2 (41.5) | 133.5 (42.5) | 1.03 |
| किशनगंज | 0.4 (0.2) | 5.2 (2.8) | 16.4 (8.7) | 2.8 (1.5) | 73.6 (38.9) | 115.5 (61.1) | 158.9 (84) | 1.38 |
| अररिया | 0.2 (0.1) | 19.2 (7.1) | 57.8 (21.3) | 8.5 (3.1) | 146.0 (53.7) | 125.7 (46.3) | 178.0 (65.5) | 1.42 |
| कटिहार | 0.1 (0) | 11.1 (3.8) | 55.0 (18.9) | 1.2 (0.4) | 160.8 (55.2) | 130.5 (44.8) | 221.7 (76.1) | 1.7 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **14.9 (0.2)** | **251.4 (2.7)** | **960.8 (10.3)** | **176.3 (1.9)** | **4246.8 (45.4)** | **5112.8 (54.6)** | **7268.2 (77.7)** | **1.42** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.2 : बिहार में चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 64.7 (2.2) | 209.8 (2.7) | 3240 | 74.3 (2.4) | 265.4 (2.8) | 3572 |
| नालंदा | 108.1 (3.7) | 328.4 (4.2) | 3038 | 112.6 (3.6) | 379.5 (4.0) | 3370 |
| भोजपुर | 101.7 (3.5) | 347.8 (4.4) | 3419 | 102.7 (3.3) | 388.9 (4.1) | 3787 |
| बक्सर | 83.1 (2.8) | 304.7 (3.9) | 3669 | 88.5 (2.8) | 382.2 (4.0) | 4319 |
| रोहतास | 200.3 (6.8) | 944.8 (12.0) | 4717 | 193.7 (6.2) | 900.6 (9.5) | 4649 |
| कैमूर | 134.8 (4.6) | 514.6 (6.5) | 3817 | 138.9 (4.5) | 541.9 (5.7) | 3901 |
| | | | | | | |
| गया | 84.2 (2.9) | 220 (2.8) | 2615 | 84.5 (2.7) | 252 (2.6) | 2981 |
| जहानाबाद | 18.1 (0.6) | 64.9 (0.8) | 3581 | 46.4 (1.5) | 165.9 (1.7) | 3574 |
| अरवल | 17 (0.6) | 56.6 (0.7) | 3333 | 18.7 (0.6) | 74.1 (0.8) | 3967 |
| नवादा | 67.1 (2.3) | 215.2 (2.7) | 3205 | 68.9 (2.2) | 225.4 (2.4) | 3272 |
| औरंगाबाद | 137.7 (4.7) | 527.1 (6.7) | 3827 | 145.5 (4.7) | 557 (5.8) | 3829 |
| | | | | | | |
| सारण | 59.2 (2.0) | 161.8 (2.1) | 2733 | 64.9 (2.1) | 212.8 (2.2) | 3280 |
| सीवान | 91 (3.1) | 222.5 (2.8) | 2445 | 91 (2.9) | 198.6 (2.1) | 2182 |
| गोपालगंज | 47 (1.6) | 100.5 (1.3) | 2136 | 48.9 (1.6) | 85.1 (0.9) | 1740 |
| | | | | | | |
| मुजफ्फरपुर | 121.5 (4.1) | 229.9 (2.9) | 1892 | 134.7 (4.3) | 343.7 (3.6) | 2551 |
| पूर्वी चंपारण | 201.7 (6.9) | 371.8 (4.7) | 1843 | 202.6 (6.5) | 374.1 (3.9) | 1847 |
| पश्चिम चंपारण | 128.6 (4.4) | 301.9 (3.8) | 2347 | 125.7 (4.0) | 290.8 (3.1) | 2314 |
| सीतामढ़ी | 101.2 (3.4) | 180.7 (2.3) | 1786 | 111.5 (3.6) | 233.6 (2.5) | 2095 |
| शिवहर | 21.3 (0.7) | 43.8 (0.6) | 2056 | 21.8 (0.7) | 53.2 (0.6) | 2439 |
| वैशाली | 38.9 (1.3) | 89.4 (1.1) | 2300 | 38.4 (1.2) | 116.2 (1.2) | 3025 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 96.3 (3.3) | 181.8 (2.3) | 1889 | 100.1 (3.2) | 244.8 (2.6) | 2445 |
| मधुबनी | 172.5 (5.9) | 276.2 (3.5) | 1601 | 172.6 (5.5) | 447 (4.7) | 2590 |
| समस्तीपुर | 88.3 (3.0) | 183.5 (2.3) | 2077 | 86 (2.8) | 269.3 (2.8) | 3130 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 12 (0.4) | 32.8 (0.4) | 2722 | 12.1 (0.4) | 40.9 (0.4) | 3386 |
| मुंगेर | 26 (0.9) | 74.5 (0.9) | 2868 | 25.5 (0.8) | 99.7 (1.0) | 3903 |
| शेखपुरा | 24 (0.8) | 66.7 (0.8) | 2780 | 23.9 (0.8) | 81.3 (0.9) | 3409 |
| लखीसराय | 16.2 (0.6) | 64.7 (0.8) | 3987 | 29.2 (0.9) | 121.3 (1.3) | 4156 |
| जमुई | 24.2 (0.8) | 50.1 (0.6) | 2070 | 38.8 (1.2) | 128.4 (1.3) | 3307 |
| खगड़िया | 16.6 (0.6) | 45.1 (0.6) | 2725 | 16.8 (0.5) | 47.7 (0.5) | 2837 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 22.5 (0.8) | 40.2 (0.5) | 1791 | 22.5 (0.7) | 70.2 (0.7) | 3123 |
| बांका | 86.1 (2.9) | 203.8 (2.6) | 2366 | 100 (3.2) | 342.5 (3.6) | 3425 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 76.7 (2.6) | 133 (1.7) | 1733 | 82.3 (2.6) | 215.3 (2.3) | 2616 |
| सुपौल | 107.9 (3.7) | 271.9 (3.5) | 2520 | 107.4 (3.5) | 297.8 (3.1) | 2774 |
| मधेपुरा | 80.2 (2.7) | 182.9 (2.3) | 2280 | 63.9 (2.1) | 180 (1.9) | 2818 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 57.6 (2.0) | 125.3 (1.6) | 2177 | 101.9 (3.3) | 301.6 (3.2) | 2959 |
| किशनगंज | 82 (2.8) | 189.7 (2.4) | 2314 | 95 (3.1) | 277.9 (2.9) | 2926 |
| अररिया | 36.2 (1.2) | 87.6 (1.1) | 2416 | 35.6 (1.1) | 94.1 (1.0) | 2643 |
| कटिहार | 82 (2.8) | 227.1 (2.9) | 2768 | 82.2 (2.6) | 221.9 (2.3) | 2699 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **2934.6 (100.0)** | **7872.9 (100.0)** | **2683** | **3110.1 (100.0)** | **9522.8 (100.0)** | **3062** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल और उत्पादन का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.3 : बिहार में गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022–23 और 2023–24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 69.8 (3.1) | 245.6 (3.7) | 3521 | 70.4 (3.1) | 238.1 (3.3) | 3384 |
| नालंदा | 84 (3.8) | 288.7 (4.4) | 3437 | 91.6 (4.0) | 310.3 (4.2) | 3388 |
| भोजपुर | 114.1 (5.1) | 356.2 (5.4) | 3121 | 113 (5.0) | 386.8 (5.3) | 3424 |
| बक्सर | 84.3 (3.8) | 283.8 (4.3) | 3366 | 91 (4.0) | 287.2 (3.9) | 3156 |
| रोहतास | 197.7 (8.8) | 675.9 (10.2) | 3419 | 205 (9.0) | 716.2 (9.8) | 3493 |
| कैमूर | 110.8 (5.0) | 361.3 (5.5) | 3261 | 112.6 (4.9) | 347 (4.7) | 3082 |
| | | | | | | |
| गया | 66.9 (3.0) | 183.4 (2.8) | 2743 | 76 (3.3) | 215.9 (3.0) | 2841 |
| जहानाबाद | 21.8 (1.0) | 69 (1.0) | 3167 | 35.7 (1.6) | 115.9 (1.6) | 3249 |
| अरवल | 9.2 (0.4) | 24 (0.4) | 2606 | 9.2 (0.4) | 27.3 (0.4) | 2962 |
| नवादा | 50.9 (2.3) | 152.6 (2.3) | 2996 | 51.2 (2.2) | 148.9 (2.0) | 2910 |
| औरंगाबाद | 104 (4.6) | 245.4 (3.7) | 2360 | 100.9 (4.4) | 242.8 (3.3) | 2407 |
| | | | | | | |
| सारण | 82.4 (3.7) | 298.8 (4.5) | 3625 | 78.1 (3.4) | 252.6 (3.5) | 3234 |
| सीवान | 90.6 (4.1) | 276.6 (4.2) | 3052 | 88.2 (3.9) | 290.2 (4.0) | 3289 |
| गोपालगंज | 62.4 (2.8) | 181.4 (2.7) | 2909 | 66.1 (2.9) | 212.9 (2.9) | 3220 |
| | | | | | | |
| मुजफ्फरपुर | 126.9 (5.7) | 279.6 (4.2) | 2203 | 120.7 (5.3) | 400.1 (5.5) | 3315 |
| पूर्वी चंपारण | 118.6 (5.3) | 292.4 (4.4) | 2464 | 115.6 (5.1) | 358.3 (4.9) | 3099 |
| पश्चिम चंपारण | 68.4 (3.1) | 207.4 (3.1) | 3032 | 68.4 (3.0) | 232.6 (3.2) | 3398 |
| सीतामढ़ी | 92.9 (4.2) | 245.5 (3.7) | 2643 | 95.4 (4.2) | 275.6 (3.8) | 2889 |
| शिवहर | 13.5 (0.6) | 44.1 (0.7) | 3268 | 14.7 (0.6) | 54.1 (0.7) | 3676 |
| वैशाली | 40.4 (1.8) | 125.4 (1.9) | 3106 | 40.4 (1.8) | 132.5 (1.8) | 3281 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 53.2 (2.4) | 120.1 (1.8) | 2259 | 65.3 (2.9) | 203.4 (2.8) | 3115 |
| मधुबनी | 87.8 (3.9) | 177.7 (2.7) | 2024 | 87.7 (3.9) | 237.7 (3.3) | 2709 |
| समस्तीपुर | 54.6 (2.4) | 199.4 (3.0) | 3655 | 54.1 (2.4) | 196.4 (2.7) | 3631 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 69.8 (3.1) | 268.2 (4.1) | 3843 | 69.8 (3.1) | 280.1 (3.8) | 4012 |
| मुंगेर | 13.6 (0.6) | 42.5 (0.6) | 3131 | 15.1 (0.7) | 46.6 (0.6) | 3092 |
| शेखपुरा | 23.2 (1.0) | 47.9 (0.7) | 2064 | 23.4 (1.0) | 72.3 (1.0) | 3082 |
| लखीसराय | 30.7 (1.4) | 107.8 (1.6) | 3506 | 28.4 (1.2) | 111 (1.5) | 3904 |
| जमुई | 20.7 (0.9) | 41.1 (0.6) | 1980 | 21.9 (1.0) | 63.2 (0.9) | 2884 |
| खगड़िया | 24 (1.1) | 95.2 (1.4) | 3960 | 24.9 (1.1) | 88.9 (1.2) | 3569 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 37 (1.7) | 105.5 (1.6) | 2848 | 37.2 (1.6) | 109.3 (1.5) | 2936 |
| बांका | 18.9 (0.8) | 48.1 (0.7) | 2549 | 18.9 (0.8) | 48.3 (0.7) | 2558 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 45.9 (2.1) | 94.2 (1.4) | 2052 | 32.4 (1.4) | 106 (1.5) | 3271 |
| सुपौल | 57.8 (2.6) | 144.2 (2.2) | 2495 | 58.3 (2.6) | 200.2 (2.7) | 3436 |
| मधेपुरा | 34.1 (1.5) | 115.9 (1.8) | 3403 | 32.1 (1.4) | 105.8 (1.4) | 3296 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 10.4 (0.5) | 32.1 (0.5) | 3078 | 22.3 (1.0) | 79.3 (1.1) | 3557 |
| किशनगंज | 12 (0.5) | 26.9 (0.4) | 2237 | 8.2 (0.4) | 21.1 (0.3) | 2581 |
| अररिया | 18 (0.8) | 49.1 (0.7) | 2728 | 16.7 (0.7) | 46.2 (0.6) | 2760 |
| कटिहार | 16.1 (0.7) | 47.2 (0.7) | 2926 | 14.7 (0.6) | 46.1 (0.6) | 3136 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **2237.48 (100.0)** | **6600.11 (100.0)** | **2950** | **2275.58 (100.0)** | **7306.65 (100.0)** | **3211** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल और उत्पादन का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.4 : बिहार में मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 6.7 (0.9) | 19 (0.4) | 2847 | 5.9 (0.6) | 16.6 (0.3) | 2797 |
| नालंदा | 5.3 (0.7) | 28.1 (0.6) | 5319 | 6.2 (0.6) | 28.5 (0.5) | 4590 |
| भोजपुर | 0.7 (0.1) | 2.6 (0.1) | 3817 | 0.5 (0.1) | 0.7 (0.0) | 1299 |
| बक्सर | 0.8 (0.1) | 2.1 (0.0) | 2727 | 0.6 (0.1) | 1.7 (0.0) | 2704 |
| रोहतास | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 |
| कैमूर | 0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 2410 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2284 |
| | | | | | | |
| गया | 0.2 (0.0) | 1 (0.0) | 5014 | 0.8 (0.1) | 4.9 (0.1) | 6106 |
| जहानाबाद | 0.2 (0.0) | 0.9 (0.0) | 5935 | 0.5 (0.1) | 3.7 (0.1) | 7023 |
| अरवल | 0.1 (0.0) | 0.3 (0.0) | 5340 | 0 (0.0) | 0.3 (0.0) | 6510 |
| नवादा | 0.6 (0.1) | 2.5 (0.1) | 4399 | 0.5 (0.1) | 2.4 (0.0) | 4516 |
| औरंगाबाद | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 |
| | | | | | | |
| सारण | 19.4 (2.6) | 78.7 (1.6) | 4053 | 20.3 (2.1) | 88 (1.5) | 4339 |
| सीवान | 17.8 (2.4) | 57.4 (1.2) | 3231 | 18.1 (1.9) | 64.1 (1.1) | 3546 |
| गोपालगंज | 7.5 (1.0) | 28.5 (0.6) | 3818 | 8.7 (0.9) | 36.6 (0.6) | 4188 |
| | | | | | | |
| मुजफ्फरपुर | 33.3 (4.5) | 156.4 (3.2) | 4689 | 35.4 (3.7) | 144.9 (2.5) | 4099 |
| पूर्वी चंपारण | 37 (4.9) | 135.4 (2.8) | 3664 | 37.9 (4.0) | 154.9 (2.6) | 4086 |
| पश्चिम चंपारण | 2.7 (0.4) | 13.8 (0.3) | 5125 | 2 (0.2) | 9.1 (0.2) | 4609 |
| सीतामढ़ी | 3.5 (0.5) | 20.5 (0.4) | 5783 | 3.4 (0.4) | 23.1 (0.4) | 6698 |
| शिवहर | 1.4 (0.2) | 7.7 (0.2) | 5684 | 1.6 (0.2) | 12.9 (0.2) | 8146 |
| वैशाली | 30 (4.0) | 108.7 (2.3) | 3619 | 29.9 (3.1) | 132.7 (2.3) | 4439 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 7.7 (1.0) | 33.4 (0.7) | 4338 | 39.3 (4.1) | 243.9 (4.2) | 6212 |
| मधुबनी | 0.3 (0.0) | 1.4 (0.0) | 5018 | 0.3 (0.0) | 1.5 (0.0) | 4959 |
| समस्तीपुर | 66.1 (8.8) | 328.1 (6.8) | 4961 | 65 (6.8) | 313 (5.3) | 4815 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 71.8 (9.6) | 294.5 (6.1) | 4100 | 71.6 (7.5) | 305.7 (5.2) | 4270 |
| मुंगेर | 2.1 (0.3) | 8.1 (0.2) | 3862 | 2.3 (0.2) | 10.9 (0.2) | 4631 |
| शेखपुरा | 0.4 (0.1) | 1.5 (0.0) | 3714 | 0.5 (0.1) | 2.5 (0.0) | 4804 |
| लखीसराय | 8 (1.1) | 25.5 (0.5) | 3167 | 8.1 (0.8) | 20.7 (0.4) | 2556 |
| जमुई | 2.3 (0.3) | 5.7 (0.1) | 2462 | 2.4 (0.2) | 6.8 (0.1) | 2864 |
| खगड़िया | 58 (7.7) | 335.2 (6.9) | 5785 | 56 (5.9) | 278.3 (4.7) | 4971 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 30.6 (4.1) | 145.1 (3.0) | 4742 | 64.5 (6.7) | 217.8 (3.7) | 3377 |
| बांका | 3.1 (0.4) | 10.4 (0.2) | 3307 | 3.2 (0.3) | 14.8 (0.3) | 4639 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 28.3 (3.8) | 161.1 (3.3) | 5692 | 42.8 (4.5) | 257.4 (4.4) | 6011 |
| सुपौल | 15.2 (2.0) | 136.8 (2.8) | 8985 | 14.4 (1.5) | 111.3 (1.9) | 7732 |
| मधेपुरा | 32.7 (4.4) | 251 (5.2) | 7687 | 32.6 (3.4) | 260.8 (4.4) | 7989 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 49.6 (6.6) | 462.8 (9.6) | 9322 | 146.8 (15.4) | 1144.9 (19.5) | 7800 |
| किशनगंज | 24.1 (3.2) | 196.1 (4.1) | 8120 | 47.1 (4.9) | 434.1 (7.4) | 9222 |
| अररिया | 100 (13.4) | 987.3 (20.4) | 9872 | 104.9 (11.0) | 892.8 (15.2) | 8515 |
| कटिहार | 80.6 (10.8) | 781.9 (16.2) | 9697 | 81.3 (8.5) | 622.8 (10.6) | 7658 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **748.1 (100.0)** | **4829.4 (100.0)** | **6456** | **955.5 (100.0)** | **5865 (100.0)** | **6138** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल और उत्पादन का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.5 : बिहार में दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 48.2 (11.1) | 60.5 (14.6) | 1257 | 49.4 (10.6) | 47.8 (12.0) | 967 |
| नालंदा | 21.8 (5.0) | 27.9 (6.7) | 1283 | 20.7 (4.4) | 21.3 (5.3) | 1029 |
| भोजपुर | 9.6 (2.2) | 11.9 (2.9) | 1240 | 8 (1.7) | 7.9 (2.0) | 981 |
| बक्सर | 6.2 (1.4) | 7.3 (1.8) | 1182 | 6.1 (1.3) | 5.6 (1.4) | 911 |
| रोहतास | 4.2 (1.0) | 4.5 (1.1) | 1058 | 3 (0.6) | 3 (0.8) | 1023 |
| कैमूर | 4.6 (1.1) | 4.6 (1.1) | 986 | 4.6 (1.0) | 4 (1.0) | 857 |
| | | | | | | |
| गया | 14.2 (3.3) | 15.3 (3.7) | 1083 | 16.9 (3.6) | 14.8 (3.7) | 879 |
| जहानाबाद | 13.8 (3.2) | 16.3 (3.9) | 1178 | 13.7 (2.9) | 13.2 (3.3) | 965 |
| अरवल | 3.5 (0.8) | 3.1 (0.7) | 874 | 3.6 (0.8) | 3.4 (0.9) | 945 |
| नवादा | 9.2 (2.1) | 9.4 (2.3) | 1017 | 9.3 (2.0) | 7.8 (2.0) | 843 |
| औरंगाबाद | 40.6 (9.4) | 28.5 (6.9) | 702 | 39 (8.3) | 26.7 (6.7) | 684 |
| | | | | | | |
| सारण | 2.1 (0.5) | 2 (0.5) | 955 | 2.1 (0.4) | 1.9 (0.5) | 921 |
| सीवान | 3.8 (0.9) | 4.8 (1.2) | 1280 | 3.6 (0.8) | 4.4 (1.1) | 1228 |
| गोपालगंज | 1.5 (0.3) | 1.5 (0.4) | 976 | 2.1 (0.4) | 2.2 (0.5) | 1037 |
| | | | | | | |
| मुजफ्फरपुर | 24.6 (5.7) | 20.8 (5.0) | 846 | 25 (5.3) | 23.8 (6.0) | 952 |
| पूर्वी चंपारण | 8.2 (1.9) | 8.8 (2.1) | 1064 | 9.8 (2.1) | 14.3 (3.6) | 1450 |
| पश्चिम चंपारण | 8.4 (1.9) | 8.6 (2.1) | 1021 | 8.1 (1.7) | 9.2 (2.3) | 1125 |
| सीतामढ़ी | 6.3 (1.4) | 6.3 (1.5) | 1003 | 12.2 (2.6) | 12.8 (3.2) | 1051 |
| शिवहर | 1.9 (0.4) | 2.1 (0.5) | 1129 | 4 (0.9) | 4.6 (1.1) | 1148 |
| वैशाली | 8.2 (1.9) | 9 (2.2) | 1109 | 8.1 (1.7) | 8.8 (2.2) | 1087 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 8 (1.8) | 5.3 (1.3) | 670 | 32 (6.8) | 27.7 (7.0) | 867 |
| मधुबनी | 20.4 (4.7) | 14.8 (3.6) | 728 | 18 (3.9) | 8.4 (2.1) | 464 |
| समस्तीपुर | 16.4 (3.8) | 17.9 (4.3) | 1096 | 17.7 (3.8) | 20.7 (5.2) | 1170 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 3 (0.7) | 4 (1.0) | 1324 | 3 (0.6) | 3.9 (1.0) | 1309 |
| मुंगेर | 2.4 (0.5) | 1.9 (0.5) | 812 | 1.9 (0.4) | 1.7 (0.4) | 864 |
| शेखपुरा | 5 (1.2) | 3.9 (0.9) | 771 | 4.7 (1.0) | 5.4 (1.4) | 1152 |
| लखीसराय | 13.6 (3.1) | 15.7 (3.8) | 1149 | 18.1 (3.9) | 13 (3.3) | 716 |
| जमुई | 6.5 (1.5) | 6.3 (1.5) | 980 | 7.4 (1.6) | 5.1 (1.3) | 693 |
| खगड़िया | 4 (0.9) | 4.2 (1.0) | 1059 | 4.1 (0.9) | 4.3 (1.1) | 1033 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 11.3 (2.6) | 9.3 (2.2) | 825 | 10.5 (2.2) | 8.1 (2.0) | 769 |
| बांका | 7.9 (1.8) | 6.9 (1.7) | 864 | 7.8 (1.7) | 5.5 (1.4) | 709 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 17.1 (3.9) | 10.3 (2.5) | 600 | 16.9 (3.6) | 7.4 (1.9) | 439 |
| सुपौल | 34.7 (8.0) | 24.6 (5.9) | 710 | 34.2 (7.3) | 22.1 (5.5) | 646 |
| मधेपुरा | 24 (5.5) | 22.4 (5.4) | 935 | 23.7 (5.1) | 14.6 (3.7) | 616 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 1.3 (0.3) | 1.4 (0.3) | 1104 | 2.7 (0.6) | 2.5 (0.6) | 939 |
| किशनगंज | 7.3 (1.7) | 5.3 (1.3) | 729 | 5.7 (1.2) | 3.5 (0.9) | 620 |
| अररिया | 5.9 (1.4) | 2.7 (0.6) | 459 | 5.6 (1.2) | 3.1 (0.8) | 556 |
| कटिहार | 4.6 (1.1) | 4 (1.0) | 881 | 4.6 (1.0) | 4.2 (1.0) | 913 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **433.9 (100.0)** | **414.0 (100.0)** | **954** | **468.0 (100.0)** | **398.6 (100.0)** | **852** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल और उत्पादन का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.6 : बिहार में ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2022-23 और 2023-24)**

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता टन/ हे. में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| पटना | 35 | 2577 | 74 | 30 | 2102 | 70 |
| नालंदा | 8 | 589 | 74 | 203 | 13135 | 65 |
| भोजपुर | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| बक्सर | 2.9 | 2136 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| रोहतास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कैमूर | 2.7 | 1862 | 69 | 6 | 388 | 65 |
| | | | | | | |
| गया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जहानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अरवल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नवादा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| औरंगाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| सारण | 175 | 14133 | 81 | 163 | 11994 | 73 |
| सीवान | 2714 | 159357 | 59 | 2714 | 145371 | 54 |
| गोपालगंज | 7367 | 466540 | 63 | 8941 | 697653 | 78 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 145645 | 9743068 | 67 | 145581 | 9667743 | 66 |
| पूर्वी चंपारण | 20112 | 1628118 | 81 | 20529 | 1325554 | 65 |
| मुजफ्फरपुर | 1113 | 38806 | 35 | 894 | 33415 | 37 |
| सीतामढ़ी | 20557 | 1415751 | 69 | 9211 | 637287 | 69 |
| शिवहर | 1677 | 113099 | 67 | 1671 | 111573 | 67 |
| वैशाली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 889 | 41176 | 46 | 904 | 58692 | 65 |
| मधुबनी | 276 | 29544 | 107 | 262 | 22061 | 84 |
| समस्तीपुर | 3106 | 327282 | 105 | 5753 | 427488 | 74 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 4405 | 375951 | 85 | 4408 | 428485 | 97 |
| मुंगेर | 40 | 3374 | 84 | 41 | 2527 | 62 |
| शेखपुरा | 20 | 1495 | 75 | 19 | 1166 | 61 |
| लखीसराय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जमुई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| खगड़िया | 2 | 150 | 75 | 4 | 308 | 77 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 1508 | 59608 | 40 | 481 | 36453 | 76 |
| बांका | 288 | 14725 | 51 | 279 | 14351 | 51 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 110 | 7576 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| सुपौल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मधेपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 11 | 759 | 69 | 0 | 280 | 70 |
| किशनगंज | 64 | 4289 | 67 | 55 | 3854 | 70 |
| अररिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कटिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **210179** | **14452034** | **69** | **202153** | **13641880** | **67** |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 3.7 : बिहार में चुनिंदा फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2023-24)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

| जिले | केला | | अमरुद | | लीची | | आम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 0.47 (1.1) | 20.82 (1.1) | 2.11 (7.2) | 31.92 (7.0) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 7.91 (4.8) | 96.50(5.0) |
| नालंदा | 0.02 (0.0) | 0.69 (0.0) | 1.55 (5.3) | 23.24 (5.1) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 3.01 (1.8) | 34.31(1.8) |
| भोजपुर | 0.28 (0.7) | 12.27 (0.6) | 1.59 (5.4) | 25.24 (5.5) | 0.03 (0.1) | 0.26 (0.1) | 3.61 (2.2) | 39.71(2.1) |
| बक्सर | 0.20 (0.5) | 8.92 (0.5) | 1.30 (4.4) | 19.82 (4.4) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 2.81 (1.7) | 30.63(1.6) |
| रोहतास | 0.02 (0.1) | 1.03 (0.1) | 3.64 (12.4) | 54.60 (12.0) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 5.91 (3.6) | 73.28(3.8) |
| कैमूर | 0.22 (0.5) | 9.75 (0.5) | 1.41 (4.8) | 22.56 (5.0) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 3.49 (2.1) | 39.77(2.1) |
| | | | | | | | | |
| गया | 0.37 (0.9) | 15.91 (0.8) | 0.86 (2.9) | 12.90 (2.8) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 1.67 (1.0) | 18.37(1.0) |
| जहानाबाद | 0.25 (0.6) | 10.12 (0.5) | 0.35 (1.2) | 5.47 (1.2) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.47 (0.3) | 5.26(0.3) |
| अरवल | 0.03 (0.1) | 1.28 (0.1) | 0.20 (0.7) | 3.22 (0.7) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.51 (0.3) | 5.51(0.3) |
| नवादा | 0.32 (0.7) | 13.98 (0.7) | 0.31 (1.1) | 4.68 (1.0) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.94 (0.6) | 10.90(0.6) |
| औरंगाबाद | 0.26 (0.6) | 11.23 (0.6) | 0.53 (1.8) | 8.48 (1.9) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.79 (0.5) | 8.77(0.5) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 0.93 (2.2) | 40.78 (2.1) | 0.26 (0.9) | 3.95 (0.9) | 1.15 (2.9) | 9.74 (2.8) | 5.25 (3.2) | 64.58(3.4) |
| सीवान | 0.99 (2.3) | 41.64 (2.2) | 0.73 (2.5) | 10.92 (2.4) | 1.25 (3.2) | 10.66 (3.1) | 2.62 (1.6) | 25.10(1.3) |
| गोपालगंज | 0.07 (0.2) | 3.02 (0.2) | 0.48 (1.6) | 7.35 (1.6) | 1.02 (2.6) | 8.63 (2.5) | 3.50 (2.1) | 39.20(2.0) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0.92 (2.2) | 40.85 (2.1) | 1.72 (5.9) | 26.04 (5.7) | 2.08 (5.3) | 18.30 (5.3) | 7.61 (4.6) | 95.89(5.0) |
| पूर्वी चंपारण | 0.06 (0.1) | 2.66 (0.1) | 1.33 (4.5) | 20.08 (4.4) | 4.62 (11.8) | 41.58 (12.1) | 12.26 (7.4) | 141.68(7.4) |
| मुजफ्फरपुर | 2.93 (6.9) | 125.78 (6.6) | 0.88 (3.0) | 14.08 (3.1) | 11.28 (28.8) | 101.52 (29.4) | 11.04 (6.7) | 139.11(7.2) |
| सीतामढ़ी | 0.85 (2.0) | 38.74 (2.0) | 0.72 (2.5) | 10.80 (2.4) | 2.40 (6.1) | 20.37 (5.9) | 5.51 (3.3) | 52.91(2.7) |
| शिवहर | 0.38 (0.9) | 15.84 (0.8) | 0.32 (1.1) | 4.85 (1.1) | 1.06 (2.7) | 9.03 (2.6) | 2.77 (1.7) | 26.57(1.4) |
| वैशाली | 3.75 (8.8) | 157.50 (8.3) | 1.67 (5.7) | 27.72 (6.1) | 3.92 (10.0) | 34.88 (10.1) | 12.11 (7.4) | 130.78(6.8) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0.86 (2.0) | 38.16 (2.0) | 0.51 (1.7) | 8.08 (1.8) | 0.86 (2.2) | 7.30 (2.1) | 13.26 (8.1) | 169.73(8.8) |
| मधुबनी | 2.70 (6.3) | 119.88 (6.3) | 0.49 (1.7) | 7.82 (1.7) | 0.75 (1.9) | 6.41 (1.9) | 5.96 (3.6) | 70.33(3.7) |
| समस्तीपुर | 2.41 (5.6) | 111.34 (5.9) | 0.74 (2.5) | 11.40 (2.5) | 1.94 (4.9) | 17.46 (5.1) | 10.80 (6.6) | 129.60(6.7) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1.18 (2.8) | 54.75 (2.9) | 0.41 (1.4) | 6.56 (1.4) | 0.58 (1.5) | 4.93 (1.4) | 4.24 (2.6) | 48.34(2.5) |
| मुंगेर | 0.02 (0.0) | 0.88 (0.0) | 0.37 (1.3) | 5.72 (1.3) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 1.93 (1.2) | 22.39(1.2) |
| शेखपुरा | 0.05 (0.1) | 2.15 (0.1) | 0.10 (0.3) | 1.49 (0.3) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.70 (0.4) | 6.71(0.3) |
| लखीसराय | 0.19 (0.4) | 8.04 (0.4) | 0.15 (0.5) | 2.28 (0.5) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.58 (0.4) | 6.66(0.3) |
| जमुई | 0.05 (0.1) | 2.19 (0.1) | 0.21 (0.7) | 3.19 (0.7) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 1.20 (0.7) | 18.70(1.0) |
| खगड़िया | 3.31 (7.8) | 152.26 (8.0) | 0.41 (1.4) | 6.36 (1.4) | 0.32 (0.8) | 2.75 (0.8) | 1.64 (1.0) | 18.53(1.0) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 5.42 (12.7) | 244.98 (12.9) | 0.74 (2.5) | 11.84 (2.6) | 1.02 (2.6) | 8.91 (2.6) | 8.26 (5.0) | 102.42 (5.3) |
| बांका | 0.42 (1.0) | 18.31 (1.0) | 0.29 (1.0) | 4.32 (0.9) | 0.03 (0.1) | 0.26 (0.1) | 6.66 (4.0) | 73.93 (3.8) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.20 (2.8) | 55.92 (2.9) | 0.75 (2.5) | 11.84 (2.6) | 0.63 (1.6) | 5.36 (1.6) | 2.39 (1.5) | 28.92 (1.5) |
| सुपौल | 1.11 (2.6) | 47.72 (2.5) | 0.52 (1.8) | 8.42 (1.8) | 0.16 (0.4) | 1.33 (0.4) | 1.63 (1.0) | 15.68 (0.8) |
| मधेपुरा | 2.45 (5.7) | 107.80 (5.7) | 0.72 (2.4) | 10.79 (2.4) | 0.84 (2.1) | 7.14 (2.1) | 2.07 (1.3) | 24.01 (1.2) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.51 (5.9) | 112.48 (5.9) | 0.42 (1.4) | 7.45 (1.6) | 1.78 (4.5) | 15.13 (4.4) | 2.65 (1.6) | 32.33 (1.7) |
| किशनगंज | 0.35 (0.8) | 15.05 (0.8) | 0.20 (0.7) | 3.05 (0.7) | 0.41 (1.0) | 3.45 (1.0) | 0.84 (0.5) | 9.24 (0.5) |
| अररिया | 0.55 (1.3) | 24.92 (1.3) | 0.22 (0.7) | 3.44 (0.8) | 0.46 (1.2) | 4.23 (1.2) | 0.77 (0.5) | 8.39 (0.4) |
| कटिहार | 4.60 (10.8) | 213.44 (11.2) | 0.21 (0.7) | 3.44 (0.8) | 0.63 (1.6) | 5.42 (1.6) | 5.25 (3.2) | 61.43 (3.2) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **42.7 (100.0)** | **1903.0 (100.0)** | **29.38 (100.0)** | **455.39 (100.0)** | **39.21 (100.0)** | **345.05 (100.0)** | **164.63 (100.0)** | **1926.00 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 3.8 : बिहार में चुनिंदा सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2023–24)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

| जिले | बैंगन | | फूलगोभी | | प्याज | | आलू | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| पटना | 3.29 (6.1) | 69.15 (6.1) | 7.45 (10.7) | 139.63 (11.1) | 3.53 (6.0) | 80.86 (6.0) | 29.91 (9.1) | 802.81 (9.1) |
| नालंदा | 6.15 (11.5) | 129.21(11.5) | 3.38 (4.8) | 63.56 (5.1) | 7.79 (13.2) | 178.39 (13.2) | 24.35 (7.4) | 653.54 (7.4) |
| भोजपुर | 0.72 (1.3) | 15.10 (1.3) | 0.92 (1.3) | 16.45 (1.3) | 1.16 (2.0) | 26.63 (2.0) | 5.75 (1.7) | 154.20 (1.7) |
| बक्सर | 0.68 (1.3) | 14.25 (1.3) | 0.78 (1.1) | 13.85 (1.1) | 1.03 (1.7) | 23.54 (1.7) | 3.16 (1.0) | 84.88 (1.0) |
| रोहतास | 0.48 (0.9) | 10.12 (0.9) | 1.79 (2.6) | 32.52 (2.6) | 2.24 (3.8) | 51.34 (3.8) | 12.55 (3.8) | 336.90 (3.8) |
| कैमूर | 0.62 (1.2) | 13.06 (1.2) | 0.82 (1.2) | 14.98 (1.2) | 1.03 (1.7) | 23.50 (1.7) | 3.23 (1.0) | 86.75 (1.0) |
| | | | | | | | | |
| गया | 1.84 (3.4) | 38.54 (3.4) | 1.99 (2.9) | 36.49 (2.9) | 1.64 (2.8) | 37.52 (2.8) | 12.58 (3.8) | 337.62 (3.8) |
| जहानाबाद | 0.79 (1.5) | 16.50 (1.5) | 0.62 (0.9) | 11.17 (0.9) | 0.54 (0.9) | 12.39 (0.9) | 3.69 (1.1) | 99.06 (1.1) |
| अरवल | 0.05 (0.1) | 1.13 (0.1) | 0.44 (0.6) | 7.81 (0.6) | 0.13 (0.2) | 3.08 (0.2) | 2.55 (0.8) | 68.45 (0.8) |
| नवादा | 1.94 (3.6) | 40.74 (3.6) | 1.88 (2.7) | 28.63 (2.3) | 1.12 (1.9) | 25.65 (1.9) | 5.01 (1.5) | 134.47 (1.5) |
| औरंगाबाद | 1.03 (1.9) | 21.57 (1.9) | 0.99 (1.4) | 17.67 (1.4) | 0.71 (1.2) | 16.19 (1.2) | 4.16 (1.3) | 111.76 (1.3) |
| | | | | | | | | |
| सारण | 1.87 (3.5) | 39.31 (3.5) | 2.99 (4.3) | 48.73 (3.9) | 1.05 (1.8) | 24.04 (1.8) | 13.89 (4.2) | 372.85 (4.2) |
| सीवान | 1.80 (3.4) | 37.81 (3.4) | 1.65 (2.4) | 30.43 (2.4) | 1.06 (1.8) | 24.18 (1.8) | 10.06 (3.1) | 269.96 (3.1) |
| गोपालगंज | 0.04 (0.1) | 0.79 (0.1) | 1.65 (2.4) | 30.42 (2.4) | 0.05 (0.1) | 1.12 (0.1) | 12.02 (3.6) | 322.67 (3.6) |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2.13 (4.0) | 44.75 (4.0) | 3.11 (4.5) | 59.24 (4.7) | 3.02 (5.1) | 69.12 (5.1) | 12.11 (3.7) | 325.09 (3.7) |
| पूर्वी चंपारण | 2.03 (3.8) | 42.71 (3.8) | 3.36 (4.8) | 61.23 (4.9) | 1.21 (2.1) | 27.75 (2.1) | 13.24 (4.0) | 355.31 (4.0) |
| मुजफ्फरपुर | 1.88 (3.5) | 39.44 (3.5) | 1.85 (2.7) | 28.17 (2.2) | 3.07 (5.2) | 70.26 (5.2) | 15.37 (4.7) | 412.41 (4.7) |
| सीतामढ़ी | 1.63 (3.0) | 34.17 (3.0) | 1.82 (2.6) | 32.78 (2.6) | 1.41 (2.4) | 32.35 (2.4) | 4.20 (1.3) | 112.63 (1.3) |
| शिवहर | 0.73 (1.4) | 15.42 (1.4) | 0.86 (1.2) | 15.50 (1.2) | 0.74 (1.3) | 16.87 (1.3) | 3.28 (1.0) | 88.03 (1.0) |
| वैशाली | 2.50 (4.6) | 52.44 (4.6) | 6.31 (9.0) | 118.65 (9.4) | 3.57 (6.1) | 81.76 (6.1) | 13.77 (4.2) | 369.62 (4.2) |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 2.28 (4.2) | 47.92 (4.2) | 1.94 (2.8) | 33.40 (2.7) | 1.22 (2.1) | 28.03 (2.1) | 12.27 (3.7) | 329.24 (3.7) |
| मधुबनी | 2.45 (4.6) | 51.41 (4.6) | 1.86 (2.7) | 33.89 (2.7) | 0.32 (0.5) | 7.26 (0.5) | 10.09 (3.1) | 270.80 (3.1) |
| समस्तीपुर | 2.47 (4.6) | 51.92 (4.6) | 3.46 (5.0) | 65.12 (5.2) | 3.18 (5.4) | 72.87 (5.4) | 19.36 (5.9) | 519.53 (5.9) |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2.55 (4.7) | 53.53 (4.7) | 1.98 (2.8) | 36.54 (2.9) | 1.89 (3.2) | 43.22 (3.2) | 9.18 (2.8) | 246.42 (2.8) |
| मुंगेर | 0.82 (1.5) | 17.29 (1.5) | 0.91 (1.3) | 13.86 (1.1) | 1.14 (1.9) | 26.15 (1.9) | 6.01 (1.8) | 161.20 (1.8) |
| शेखपुरा | 0.24 (0.5) | 5.14 (0.5) | 0.17 (0.2) | 3.02 (0.2) | 2.17 (3.7) | 49.65 (3.7) | 3.08 (0.9) | 82.74 (0.9) |
| लखीसराय | 0.21 (0.4) | 4.45 (0.4) | 0.32 (0.5) | 5.82 (0.5) | 0.36 (0.6) | 8.29 (0.6) | 3.10 (0.9) | 83.29 (0.9) |
| जमुई | 0.71 (1.3) | 14.85 (1.3) | 0.41 (0.6) | 7.20 (0.6) | 0.65 (1.1) | 14.97 (1.1) | 2.55 (0.8) | 68.51 (0.8) |
| खगड़िया | 0.26 (0.5) | 5.42 (0.5) | 1.12 (1.6) | 20.57 (1.6) | 0.82 (1.4) | 18.78 (1.4) | 4.11 (1.2) | 110.29 (1.2) |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1.74 (3.2) | 36.55 (3.2) | 1.98 (2.8) | 36.83 (2.9) | 1.58 (2.7) | 36.09 (2.7) | 10.02 (3.0) | 269.00 (3.0) |
| बांका | 0.72 (1.3) | 15.10 (1.3) | 0.73 (1.0) | 11.09 (0.9) | 0.74 (1.3) | 16.94 (1.3) | 5.00 (1.5) | 134.16 (1.5) |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.37 (2.6) | 28.86 (2.6) | 1.87 (2.7) | 32.63 (2.6) | 0.65 (1.1) | 14.83 (1.1) | 5.83 (1.8) | 156.61 (1.8) |
| सुपौल | 0.77 (1.4) | 16.21 (1.4) | 0.94 (1.3) | 17.15 (1.4) | 0.52 (0.9) | 11.92 (0.9) | 5.63 (1.7) | 151.09 (1.7) |
| मधेपुरा | 1.64 (3.1) | 34.47 (3.1) | 1.86 (2.7) | 34.65 (2.8) | 1.02 (1.7) | 23.38 (1.7) | 5.41 (1.6) | 145.08 (1.6) |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.48 (0.9) | 10.02 (0.9) | 2.15 (3.1) | 39.49 (3.1) | 1.91 (3.2) | 43.77 (3.2) | 5.16 (1.6) | 138.53 (1.6) |
| किशनगंज | 0.16 (0.3) | 3.39 (0.3) | 0.83 (1.2) | 14.83 (1.2) | 0.10 (0.2) | 2.19 (0.2) | 4.40 (1.3) | 118.21 (1.3) |
| अररिया | 0.78 (1.5) | 16.45 (1.5) | 0.88 (1.3) | 13.41 (1.1) | 1.63 (2.8) | 37.26 (2.8) | 4.89 (1.5) | 131.12 (1.5) |
| कटिहार | 1.83 (3.4) | 38.50 (3.4) | 1.69 (2.4) | 29.02 (2.3) | 2.88 (4.9) | 66.04 (4.9) | 8.49 (2.6) | 227.94 (2.6) |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **53.70 (100.0)** | **1127.72 (100.0)** | **69.80 (100.0)** | **1256.40 (100.0)** | **58.88 (100.0)** | **1348.20 (100.0)** | **329.46 (100.0)** | **8842.77 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.9 : बिहार में पशुधन संबंधी सेवाओं के लिए जिलावार उपलब्धि (2022-23 और 2023-24)

(लाख में)

| जिले | पशुओं का उपचार | | टीकाकरण | | कृत्रिम गर्भाधान | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 |
| पटना | 1.93 | 2.38 | 11.61 | 15.24 | 1.89 | 1.95 |
| नालंदा | 1.12 | 1.66 | 10.29 | 8.81 | 0.99 | 0.99 |
| भोजपुर | 0.79 | 1.13 | 11.37 | 10.71 | 2.32 | 2.15 |
| बक्सर | 0.55 | 0.81 | 7.89 | 7.39 | 1 | 1.04 |
| रोहतास | 0.92 | 1.65 | 15.02 | 13.14 | 1.05 | 1.05 |
| कैमूर | 0.51 | 1.25 | 6.59 | 8.71 | 0.77 | 0.84 |
| | | | | | | |
| गया | 1.67 | 2.32 | 27.26 | 23.56 | 1.24 | 1.13 |
| जहानाबाद | 0.65 | 0.8 | 4.37 | 4.14 | 0.57 | 0.58 |
| अरवल | 0.29 | 0.41 | 3.19 | 3.1 | 0.38 | 0.43 |
| नवादा | 1.11 | 1.72 | 16.33 | 10.11 | 0.53 | 0.56 |
| औरंगाबाद | 1.08 | 1.58 | 13.52 | 11.69 | 0.88 | 0.74 |
| | | | | | | |
| सारण | 1.05 | 1.29 | 11.44 | 11.29 | 1.49 | 1.53 |
| सीवान | 0.8 | 1.3 | 12.98 | 10.43 | 1.03 | 1.04 |
| गोपालगंज | 0.84 | 1.2 | 8.56 | 6.14 | 1.57 | 1.79 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0.89 | 1.77 | 16.04 | 12.16 | 1.04 | 1.12 |
| पूर्वी चंपारण | 1.19 | 2.3 | 17.1 | 14.31 | 1.39 | 1.29 |
| मुजफ्फरपुर | 1.22 | 1.8 | 11.88 | 13.23 | 2.95 | 2.67 |
| सीतामढ़ी | 0.87 | 1.58 | 11.88 | 11.19 | 1.19 | 1.21 |
| शिवहर | 0.22 | 0.34 | 2.16 | 1.88 | 0.61 | 0.6 |
| वैशाली | 0.8 | 1.24 | 6.62 | 8.04 | 1.56 | 1.59 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 0.95 | 1.62 | 14.43 | 13.22 | 1.39 | 1.29 |
| मधुबनी | 1.16 | 2.67 | 24.55 | 20.95 | 1.21 | 1.41 |
| समस्तीपुर | 1.48 | 2.18 | 16.62 | 12.96 | 3.57 | 3.3 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.98 | 1.52 | 14.14 | 9.47 | 2.89 | 2.59 |
| मुंगेर | 0.8 | 1.26 | 21.36 | 4.88 | 0.81 | 0.75 |
| शेखपुरा | 0.62 | 0.64 | 3.23 | 2.47 | 0.22 | 0.23 |
| लखीसराय | 0.56 | 0.8 | 13.49 | 4.21 | 0.93 | 0.85 |
| जमुई | 0.83 | 1.23 | 4.38 | 12.32 | 0.32 | 0.33 |
| खगड़िया | 0.9 | 1.24 | 9.75 | 6.66 | 1.57 | 1.39 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 1.54 | 2.2 | 20.39 | 15.07 | 1.08 | 0.99 |
| बांका | 1.03 | 1.88 | 6.07 | 16.9 | 0.96 | 0.84 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 0.92 | 1.2 | 21.23 | 11.27 | 0.99 | 1.1 |
| सुपौल | 1.08 | 1.58 | 16.45 | 17.9 | 0.76 | 0.98 |
| मधेपुरा | 0.84 | 1.52 | 24.41 | 13.75 | 0.81 | 1.09 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 1.29 | 1.84 | 15.65 | 19.53 | 1.06 | 1.26 |
| किशनगंज | 0.54 | 1.01 | 17.87 | 11.08 | 0.28 | 0.32 |
| अररिया | 0.83 | 1.18 | 16.61 | 17.01 | 0.73 | 0.9 |
| कटिहार | 1.07 | 1.51 | 22.88 | 15.96 | 0.8 | 0.84 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **35.92** | **55.57** | **509.61** | **430.89** | **44.83** | **44.76** |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.10 : बिहार में मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन (2021-22 से 2023-24)**

| जिले | मछली उत्पादन (हजार टन) | मत्स्य बीज (लाख) | मछली उत्पादन (हजार टन) | मत्स्य बीज (लाख) | मछली उत्पादन (हजार टन) | मत्स्य बीज (लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| पटना | 23 | 120 | 26 | 194 | 26 | 198 |
| नालंदा | 26 | 235 | 31 | 303 | 30 | 240 |
| भोजपुर | 13 | 65 | 17 | 115 | 18 | 59 |
| बक्सर | 8 | 12 | 8 | 56 | 9 | 38 |
| रोहतास | 12 | 195 | 13 | 180 | 13 | 132 |
| कैमूर | 17 | 1 | 19 | 185 | 19 | 120 |
| | | | | | | |
| गया | 10 | 90 | 11 | 90 | 11 | 60 |
| जहानाबाद | 1 | 14 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| अरवल | 1 | 51 | 2 | 50 | 2 | 34 |
| नवादा | 6 | 40 | 6 | 43 | 6 | 26 |
| औरंगाबाद | 11 | 145 | 12 | 145 | 12 | 124 |
| | | | | | | |
| सारण | 14 | 150 | 20 | 680 | 18 | 102 |
| सीवान | 11 | 365 | 12 | 366 | 12 | 312 |
| गोपालगंज | 14 | 120 | 15 | 123 | 15 | 128 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 33 | 511 | 36 | 555 | 37 | 415 |
| पूर्वी चंपारण | 71 | 912 | 71 | 912 | 82 | 542 |
| मुजफ्फरपुर | 36 | 9250 | 40 | 13000 | 40 | 6133 |
| सीतामढ़ी | 16 | 758 | 19 | 785 | 20 | 450 |
| शिवहर | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 18 |
| वैशाली | 25 | 600 | 28 | 640 | 28 | 692 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 75 | 597 | 83 | 1050 | 83 | 95 |
| मधुबनी | 81 | 2282 | 89 | 2502 | 92 | 4502 |
| समस्तीपुर | 21 | 360 | 23 | 413 | 24 | 585 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 27 | 250 | 33 | 275 | 35 | 180 |
| मुंगेर | 10 | 0 | 12 | 92 | 12 | 64 |
| शेखपुरा | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | 18 |
| लखीसराय | 5 | 0 | 7 | 64 | 8 | 47 |
| जमुई | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| खगड़िया | 31 | 82 | 34 | 206 | 37 | 180 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 18 | 246 | 19 | 356 | 20 | 360 |
| बांका | 12 | 1233 | 13 | 1446 | 15 | 1178 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 10 | 116 | 12 | 133 | 13 | 83 |
| सुपौल | 17 | 198 | 18 | 396 | 18 | 126 |
| मधेपुरा | 5 | 45 | 6 | 50 | 6 | 65 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 22 | 296 | 24 | 276 | 24 | 196 |
| किशनगंज | 7 | 65 | 8 | 179 | 8 | 149 |
| अररिया | 17 | 100 | 18 | 225 | 18 | 96 |
| कटिहार | 46 | 21 | 51 | 506 | 51 | 330 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **762** | **19614** | **846** | **26696** | **873** | **18096** |

स्रोत : पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 3.11 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2023–24)

(हजार टन में)

| जिले | यूरिया | डीएपी | सिंगल सुपर फॉस्फेट | म्यूरिएट ऑफ पोटाश | अमोनियम सल्फेट | मिश्रित | योगफल | नाइट्रोजन | फॉस्फोरस | पोटाश | योग (NPK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 98.67 | 12.04 | 4.37 | 0.62 | 1.65 | 11.26 | 128.62 | 49.86 | 8.78 | 0.62 | 59.26 |
| नालंदा | 105.19 | 17.17 | 10.01 | 1.34 | 1.30 | 11.63 | 146.64 | 53.69 | 12.17 | 1.42 | 67.28 |
| भोजपुर | 92.85 | 25.61 | 4.86 | 1.09 | 2.18 | 13.85 | 140.44 | 50.27 | 15.58 | 1.05 | 66.90 |
| बक्सर | 67.51 | 19.16 | 4.39 | 0.57 | 1.64 | 13.49 | 106.75 | 37.36 | 12.47 | 0.60 | 50.43 |
| रोहतास | 118.01 | 19.33 | 11.99 | 1.08 | 0.12 | 30.14 | 180.66 | 62.36 | 18.94 | 3.43 | 84.73 |
| कैमूर | 63.41 | 14.98 | 9.94 | 0.51 | 0.01 | 12.59 | 101.44 | 34.13 | 11.34 | 0.73 | 46.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| गया | 82.58 | 20.69 | 3.28 | 2.71 | 0.40 | 10.86 | 120.52 | 43.56 | 12.70 | 1.91 | 58.17 |
| जहानाबाद | 26.19 | 3.82 | 0.55 | 0.47 | 0.80 | 2.49 | 34.32 | 13.33 | 2.41 | 0.31 | 16.05 |
| अरवल | 24.22 | 3.80 | 1.22 | 0.26 | 0.21 | 1.76 | 31.46 | 12.17 | 2.35 | 0.18 | 14.70 |
| नवादा | 35.28 | 8.36 | 2.23 | 0.53 | 0.07 | 4.97 | 51.43 | 18.61 | 5.37 | 0.44 | 24.42 |
| औरंगाबाद | 66.24 | 24.89 | 7.69 | 0.70 | 0.00 | 10.31 | 109.83 | 36.76 | 15.06 | 0.72 | 52.53 |
| | | | | | | | | | | | |
| सारण | 65.58 | 18.23 | 0.41 | 1.47 | 0.01 | 12.66 | 98.36 | 35.89 | 11.06 | 0.96 | 47.91 |
| सीवान | 51.76 | 9.74 | 0.06 | 1.12 | 0.03 | 8.38 | 71.09 | 27.20 | 6.22 | 0.69 | 34.11 |
| गोपालगंज | 39.48 | 6.59 | 0.32 | 1.12 | 0.02 | 5.74 | 53.26 | 20.47 | 4.24 | 0.70 | 25.41 |
| | | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 101.13 | 22.50 | 5.64 | 7.66 | 0.03 | 12.44 | 149.40 | 52.86 | 13.94 | 4.84 | 71.65 |
| पूर्वी चंपारण | 129.12 | 25.35 | 4.92 | 6.13 | 0.16 | 21.69 | 187.38 | 67.72 | 17.62 | 4.52 | 89.85 |
| मुजफ्फरपुर | 93.81 | 25.74 | 3.19 | 7.80 | 3.47 | 13.89 | 147.91 | 51.11 | 15.20 | 4.85 | 71.16 |
| सीतामढ़ी | 55.43 | 14.64 | 1.55 | 3.32 | 1.25 | 7.95 | 84.14 | 29.90 | 8.61 | 2.07 | 40.58 |
| शिवहर | 13.57 | 2.74 | 0.37 | 0.57 | 0.00 | 1.40 | 18.65 | 7.00 | 1.60 | 0.35 | 8.96 |
| वैशाली | 86.03 | 28.03 | 2.15 | 4.79 | 2.90 | 18.80 | 142.71 | 48.63 | 17.38 | 3.29 | 69.30 |
| | | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 55.63 | 11.69 | 0.83 | 3.15 | 0.92 | 9.32 | 81.54 | 29.57 | 7.56 | 2.03 | 39.16 |
| मधुबनी | 46.44 | 17.26 | 0.73 | 2.43 | 0.24 | 5.75 | 72.86 | 25.45 | 9.50 | 1.65 | 36.60 |
| समस्तीपुर | 79.79 | 20.73 | 2.99 | 7.19 | 0.33 | 13.19 | 124.21 | 42.89 | 12.94 | 4.52 | 60.36 |
| | | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 66.66 | 23.35 | 1.33 | 6.45 | 0.96 | 13.46 | 112.21 | 37.57 | 13.84 | 4.07 | 55.48 |
| मुंगेर | 22.24 | 5.85 | 0.24 | 1.01 | 0.03 | 2.34 | 31.70 | 11.72 | 3.22 | 0.65 | 15.59 |
| शेखपुरा | 21.14 | 4.28 | 3.25 | 0.36 | 0.05 | 2.04 | 31.12 | 10.85 | 2.95 | 0.30 | 14.10 |
| लखीसराय | 25.64 | 7.33 | 0.32 | 0.45 | 0.05 | 4.29 | 38.08 | 13.94 | 4.32 | 0.28 | 18.54 |
| जमुई | 30.86 | 9.93 | 0.69 | 1.27 | 0.00 | 4.76 | 47.50 | 16.84 | 5.72 | 0.84 | 23.40 |
| खगड़िया | 72.12 | 25.33 | 1.13 | 8.16 | 0.00 | 12.93 | 119.67 | 40.19 | 14.49 | 4.99 | 59.67 |
| | | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 79.30 | 26.31 | 2.75 | 6.59 | 3.74 | 17.97 | 136.65 | 45.25 | 16.33 | 4.29 | 65.87 |
| बांका | 40.45 | 9.83 | 1.54 | 1.91 | 0.05 | 6.25 | 60.03 | 21.46 | 6.24 | 1.23 | 28.93 |
| | | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 46.99 | 12.00 | 0.28 | 5.44 | 0.71 | 9.42 | 74.83 | 25.63 | 7.58 | 3.51 | 36.72 |
| सुपौल | 68.56 | 24.52 | 0.18 | 7.64 | 1.16 | 22.65 | 124.70 | 40.52 | 16.03 | 4.73 | 61.28 |
| मधेपुरा | 80.80 | 19.93 | 0.64 | 9.63 | 2.57 | 23.30 | 136.87 | 45.76 | 14.07 | 6.03 | 65.86 |
| | | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 117.27 | 41.01 | 7.28 | 18.55 | 6.96 | 29.74 | 220.81 | 68.24 | 26.29 | 11.98 | 106.52 |
| किशनगंज | 38.32 | 12.43 | 5.73 | 2.45 | 0.71 | 8.74 | 68.37 | 21.62 | 8.53 | 1.58 | 31.73 |
| अररिया | 80.19 | 26.73 | 6.08 | 13.96 | 3.94 | 16.83 | 147.73 | 45.70 | 16.78 | 8.58 | 71.06 |
| कटिहार | 81.41 | 25.78 | 3.67 | 7.18 | 3.92 | 15.94 | 137.89 | 45.78 | 15.93 | 4.84 | 66.56 |
| | | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **2469.88** | **647.67** | **118.76** | **147.68** | **42.54** | **445.23** | **3871.77** | **1341.86** | **415.37** | **99.79** | **1857.02** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.12 : बिहार में कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2023-24)

| जिले | कृषि उपकरण | पंपसेट | पावरटिलर | मानव-शक्ति चालित औजार | थ्रसर |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 1956 | 319 | 48 | 313 | 131 |
| नालंदा | 1472 | 126 | 71 | 815 | 43 |
| भोजपुर | 1094 | 223 | 0 | 216 | 117 |
| बक्सर | 1136 | 99 | 0 | 388 | 54 |
| रोहतास | 1726 | 193 | 0 | 675 | 74 |
| कैमूर | 1251 | 98 | 0 | 542 | 54 |
| | | | | | |
| गया | 3349 | 236 | 4 | 1779 | 164 |
| जहानाबाद | 391 | 54 | 0 | 161 | 23 |
| अरवल | 643 | 88 | 1 | 359 | 23 |
| नवादा | 1687 | 165 | 6 | 750 | 51 |
| औरंगाबाद | 1597 | 146 | 0 | 830 | 109 |
| | | | | | |
| सारण | 1891 | 321 | 0 | 665 | 116 |
| सीवान | 2956 | 344 | 0 | 1853 | 87 |
| गोपालगंज | 2123 | 237 | 0 | 1302 | 70 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1345 | 264 | 0 | 345 | 146 |
| पूर्वी चंपारण | 2774 | 269 | 0 | 1711 | 94 |
| मुजफ्फरपुर | 3796 | 423 | 0 | 2152 | 141 |
| सीतामढ़ी | 3784 | 438 | 0 | 1826 | 133 |
| शिवहर | 532 | 55 | 0 | 275 | 12 |
| वैशाली | 2656 | 311 | 0 | 1245 | 109 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 1599 | 269 | 0 | 680 | 73 |
| मधुबनी | 3540 | 322 | 0 | 2390 | 103 |
| समस्तीपुर | 1035 | 334 | 0 | 28 | 105 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 2833 | 252 | 0 | 1605 | 50 |
| मुंगेर | 713 | 39 | 0 | 397 | 33 |
| शेखपुरा | 379 | 22 | 0 | 175 | 11 |
| लखीसराय | 990 | 80 | 0 | 546 | 24 |
| जमुई | 1223 | 126 | 0 | 594 | 40 |
| खगड़िया | 1092 | 106 | 0 | 710 | 52 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 2316 | 249 | 0 | 1311 | 75 |
| बांका | 935 | 69 | 0 | 434 | 53 |
| | | | | | |
| सहरसा | 1267 | 162 | 0 | 635 | 50 |
| सुपौल | 611 | 175 | 0 | 81 | 44 |
| मधेपुरा | 1943 | 200 | 0 | 1162 | 46 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 1506 | 275 | 0 | 378 | 84 |
| किशनगंज | 719 | 143 | 0 | 197 | 31 |
| अररिया | 1065 | 387 | 0 | 109 | 81 |
| कटिहार | 2305 | 273 | 0 | 1182 | 96 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **64230** | **7892** | **130** | **30816** | **2802** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 3.13 : बिहार में जिलावार सकल सिंचित क्षेत्र (2022-23)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| जिले | नहरें | तालाब | कूप | | अन्य स्रोत | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नलकूप | अन्य कूप | | |
| पटना | 42.12 (2.4) | 0.00 (0.0) | 97.91 (2.7) | 19.37 (46.4) | 2.03 (1.0) | 161.42 (2.8) |
| नालंदा | 29.33 (1.7) | 0.00 (0.0) | 189.51 (5.2) | 1.69 (4.1) | 5.07 (2.5) | 225.61 (4.0) |
| भोजपुर | 157.69 (9.1) | 0.00 (0.0) | 63.32 (1.8) | 1.83 (4.4) | 7.36 (3.7) | 230.21 (4.0) |
| बक्सर | 77.59 (4.5) | 0.44 (0.4) | 87.12 (2.4) | 0.38 (0.9) | 10.81 (5.4) | 176.35 (3.1) |
| रोहतास | 299.40 (17.4) | 0.00 (0.0) | 48.17 (1.3) | 11.75 (28.2) | 45.77 (22.8) | 405.08 (7.1) |
| कैमूर | 114.93 (6.7) | 0.00 (0.0) | 114.05 (3.2) | 0.00 (0.0) | 18.43 (9.2) | 247.41 (4.3) |
| | | | | | | |
| गया | 52.52 (3.0) | 0.13 (0.1) | 109.79 (3.0) | 0.00 (0.0) | 1.66 (0.8) | 164.10 (2.9) |
| जहानाबाद | 19.68 (1.1) | 0.00 (0.0) | 24.61 (0.7) | 0.00 (0.0) | 0.45 (0.2) | 44.74 (0.8) |
| अरवल | 18.95 (1.1) | 0.00 (0.0) | 9.12 (0.3) | 0.00 (0.0) | 0.02 (0.0) | 28.09 (0.5) |
| नवादा | 33.97 (2.0) | 0.00 (0.0) | 81.91 (2.3) | 0.00 (0.0) | 4.58 (2.3) | 120.46 (2.1) |
| औरंगाबाद | 139.04 (8.1) | 0.37 (0.3) | 55.72 (1.5) | 4.48 (10.7) | 46.12 (23.0) | 245.72 (4.3) |
| | | | | | | |
| सारण | 23.78 (1.4) | 0.31 (0.3) | 83.56 (2.3) | 0.00 (0.0) | 0.45 (0.2) | 108.09 (1.9) |
| सीवान | 22.28 (1.3) | 2.49 (2.1) | 84.92 (2.4) | 0.00 (0.0) | 2.41 (1.2) | 112.09 (2.0) |
| गोपालगंज | 38.91 (2.3) | 0.00 (0.0) | 50.74 (1.4) | 0.00 (0.0) | 0.21 (0.1) | 89.86 (1.6) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 182.80 (10.6) | 0.00 (0.0) | 127.13 (3.5) | 0.00 (0.0) | 1.06 (0.5) | 310.99 (5.5) |
| पूर्वी चंपारण | 58.57 (3.4) | 0.00 (0.0) | 176.89 (4.9) | 0.00 (0.0) | 1.14 (0.6) | 236.60 (4.2) |
| मुजफ्फरपुर | 62.99 (3.7) | 0.00 (0.0) | 181.80 (5.0) | 0.00 (0.0) | 10.24 (5.1) | 255.04 (4.5) |
| सीतामढ़ी | 0.00 (0.0) | 5.73 (4.9) | 193.97 (5.4) | 0.00 (0.0) | 2.24 (1.1) | 201.93 (3.5) |
| शिवहर | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 25.45 (0.7) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 25.45 (0.4) |
| वैशाली | 0.00 (0.0) | 0.42 (0.4) | 119.88 (3.3) | 0.00 (0.0) | 10.72 (5.3) | 131.02 (2.3) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 0.00 (0.0) | 91.98 (78.6) | 37.58 (1.0) | 0.00 (0.0) | 11.96 (6.0) | 141.52 (2.5) |
| मधुबनी | 96.58 (5.6) | 0.41 (0.4) | 80.46 (2.2) | 0.00 (0.0) | 0.64 (0.3) | 178.08 (3.1) |
| समस्तीपुर | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 249.31 (6.9) | 0.00 (0.0) | 1.14 (0.6) | 250.45 (4.4) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.00 (0.0) | 1.06 (0.9) | 139.48 (3.9) | 0.00 (0.0) | 0.35 (0.2) | 140.89 (2.5) |
| मुंगेर | 24.49 (1.4) | 0.15 (0.1) | 15.63 (0.4) | 0.00 (0.0) | 0.25 (0.1) | 40.52 (0.7) |
| शेखपुरा | 2.60 (0.2) | 10.66 (9.1) | 36.98 (1.0) | 0.00 (0.0) | 0.15 (0.1) | 50.38 (0.9) |
| लखीसराय | 13.87 (0.8) | 0.00 (0.0) | 44.07 (1.2) | 0.00 (0.0) | 0.19 (0.1) | 58.12 (1.0) |
| जमुई | 2.35 (0.1) | 2.55 (2.2) | 28.13 (0.8) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 33.03 (0.6) |
| खगड़िया | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 83.90 (2.3) | 0.00 (0.0) | 0.07 (0.0) | 83.98 (1.5) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 6.87 (0.4) | 0.00 (0.0) | 73.82 (2.0) | 0.00 (0.0) | 0.82 (0.4) | 81.51 (1.4) |
| बांका | 54.26 (3.1) | 0.35 (0.3) | 63.00 (1.7) | 1.87 (4.5) | 0.79 (0.4) | 120.26 (2.1) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 7.52 (0.4) | 0.00 (0.0) | 101.59 (2.8) | 0.00 (0.0) | 3.65 (1.8) | 112.76 (2.0) |
| सुपौल | 41.60 (2.4) | 0.00 (0.0) | 137.66 (3.8) | 0.00 (0.0) | 4.89 (2.4) | 184.15 (3.2) |
| मधेपुरा | 25.54 (1.5) | 0.00 (0.0) | 130.32 (3.6) | 0.00 (0.0) | 0.38 (0.2) | 156.24 (2.7) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 18.96 (1.1) | 0.00 (0.0) | 106.94 (3.0) | 0.00 (0.0) | 2.59 (1.3) | 128.49 (2.3) |
| किशनगंज | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 83.62 (2.3) | 0.06 (0.2) | 0.41 (0.2) | 84.09 (1.5) |
| अररिया | 50.58 (2.9) | 0.00 (0.0) | 103.18 (2.9) | 0.00 (0.0) | 0.23 (0.1) | 153.99 (2.7) |
| कटिहार | 5.70 (0.3) | 0.00 (0.0) | 171.58 (4.7) | 0.27 (0.6) | 1.65 (0.8) | 179.19 (3.1) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **1725.44 (100.0)** | **117.05 (100.0)** | **3612.80 (100.0)** | **41.70 (100.0)** | **200.92 (100.0)** | **5697.91 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 3.14 : बिहार में जिलावार शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2023–24)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| जिले | नहरें | तालाब | कूप | | अन्य स्रोत | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नलकूप | अन्य कूप | | |
| पटना | 21.52 (0.2) | 0.00 (0.0) | 48.15 (0.5) | 9.25 (0.1) | 0.80 (0.0) | 79.71 (0.9) |
| नालंदा | 14.54 (0.2) | 0.00 (0.0) | 93.93 (1.0) | 0.84 (0.0) | 2.51 (0.0) | 111.81 (1.2) |
| भोजपुर | 80.36 (0.9) | 0.00 (0.0) | 36.43 (0.4) | 0.93 (0.0) | 3.90 (0.0) | 121.61(1.3) |
| बक्सर | 38.93 (0.4) | 0.22 (0.0) | 43.71 (0.5) | 0.17 (0.0) | 5.44 (0.1) | 88.48 (0.9) |
| रोहतास | 152.11 (1.6) | 0.00 (0.0) | 21.37 (0.2) | 5.77 (0.1) | 23.03 (0.2) | 202.28 (2.2) |
| कैमूर | 62.65 (0.7) | 0.00 (0.0) | 62.16 (0.7) | 0.00 (0.0) | 10.05 (0.1) | 134.86 (1.4) |
| | | | | | | |
| गया | 28.81 (0.3) | 0.06 (0.0) | 60.18 (0.6) | 0.00 (0.0) | 0.97 (0.0) | 90.03 (1.0) |
| जहानाबाद | 9.87 (0.1) | 0.00 (0.0) | 12.33 (0.1) | 0.00 (0.0) | 0.22 (0.0) | 22.43 (0.2) |
| अरवल | 13.80 (0.1) | 0.00 (0.0) | 3.40 (0.0) | 0.00 (0.0) | 0.01 (0.0) | 17.21 (0.2) |
| नवादा | 18.11 (0.2) | 0.00 (0.0) | 43.67 (0.5) | 0.00 (0.0) | 2.45 (0.0) | 64.23 (0.7) |
| औरंगाबाद | 78.11 (0.8) | 0.18 (0.0) | 31.42 (0.3) | 2.61 (0.0) | 25.76 (0.3) | 138.07 (1.5) |
| | | | | | | |
| सारण | 21.16 (0.2) | 0.29 (0.0) | 74.33 (0.8) | 0.00 (0.0) | 0.39 (0.0) | 96.16 (1.0) |
| सीवान | 20.54 (0.2) | 2.30 (0.0) | 78.16 (0.8) | 0.00 (0.0) | 2.22 (0.0) | 103.22 (1.1) |
| गोपालगंज | 31.63 (0.3) | 0.00 (0.0) | 41.24 (0.4) | 0.00 (0.0) | 0.18 (0.0) | 73.05 (0.8) |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 93.78 (1.0) | 0.00 (0.0) | 65.21 (0.7) | 0.00 (0.0) | 0.56 (0.0) | 159.55 (1.7) |
| पूर्वी चंपारण | 28.51 (0.3) | 0.00 (0.0) | 90.30 (1.0) | 0.00 (0.0) | 0.85 (0.0) | 119.66 (1.3) |
| मुजफ्फरपुर | 33.51 (0.4) | 0.00 (0.0) | 96.68 (1.0) | 0.00 (0.0) | 5.46 (0.1) | 135.66 (1.4) |
| सीतामढ़ी | 0.00 (0.0) | 2.85 (0.0) | 99.84 (1.1) | 0.00 (0.0) | 1.19 (0.0) | 103.88 (1.1) |
| शिवहर | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 15.76 (0.2) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 15.76 (0.2) |
| वैशाली | 0.00 (0.0) | 0.21 (0.0) | 60.70 (0.6) | 0.00 (0.0) | 5.10 (0.1) | 66.00 (0.7) |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 0.00 (0.0) | 39.03 (0.4) | 17.02 (0.2) | 0.00 (0.0) | 4.76 (0.1) | 60.81 (0.6) |
| मधुबनी | 45.13 (0.5) | 0.18 (0.0) | 37.60 (0.4) | 0.00 (0.0) | 0.31 (0.0) | 83.22 (0.9) |
| समस्तीपुर | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 112.73 (1.2) | 0.00 (0.0) | 0.67 (0.0) | 113.40 (1.2) |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.00 (0.0) | 0.53 (0.0) | 118.47 (1.3) | 0.00 (0.0) | 0.26 (0.0) | 119.25 (1.3) |
| मुंगेर | 14.83 (0.2) | 0.09 (0.0) | 9.47 (0.1) | 0.00 (0.0) | 0.16 (0.0) | 24.55 (0.3) |
| शेखपुरा | 1.30 (0.0) | 5.11 (0.1) | 18.83 (0.2) | 0.00 (0.0) | 0.08 (0.0) | 25.31 (0.3) |
| लखीसराय | 8.91 (0.1) | 0.00 (0.0) | 28.33 (0.3) | 0.00 (0.0) | 0.12 (0.0) | 37.36 (0.4) |
| जमुई | 1.59 (0.0) | 1.04 (0.0) | 14.54 (0.2) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 17.17 (0.2) |
| खगड़िया | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 62.47 (0.7) | 0.00 (0.0) | 0.06 (0.0) | 62.53 (0.7) |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 4.13 (0.0) | 0.00 (0.0) | 44.32 (0.5) | 0.00 (0.0) | 0.49 (0.0) | 48.94 (0.5) |
| बांका | 42.06 (0.4) | 0.26 (0.0) | 48.83 (0.5) | 1.45 (0.0) | 0.63 (0.0) | 93.22 (1.0) |
| | | | | | | |
| सहरसा | 3.98 (0.0) | 0.00 (0.0) | 52.89 (0.6) | 0.00 (0.0) | 2.09 (0.0) | 58.96 (0.6) |
| सुपौल | 17.75 (0.2) | 0.00 (0.0) | 58.88 (0.6) | 0.00 (0.0) | 2.08 (0.0) | 78.72 (0.8) |
| मधेपुरा | 9.40 (0.1) | 0.00 (0.0) | 47.96 (0.5) | 0.00 (0.0) | 0.14 (0.0) | 57.49 (0.6) |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 9.62 (0.1) | 0.00 (0.0) | 54.11 (0.6) | 0.00 (0.0) | 1.38 (0.0) | 65.11 (0.7) |
| किशनगंज | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) | 41.83 (0.4) | 0.04 (0.0) | 0.20 (0.0) | 42.07 (0.4) |
| अररिया | 41.55 (0.4) | 0.00 (0.0) | 81.12 (0.9) | 0.00 (0.0) | 0.14 (0.0) | 122.81 (1.3) |
| कटिहार | 2.10 (0.0) | 0.00 (0.0) | 66.21 (0.7) | 0.07 (0.0) | 0.67 (0.0) | 69.04 (0.7) |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **950.29 (10.2)** | **52.35 (0.6)** | **1994.56 (21.3)** | **21.12 (0.2)** | **105.31 (1.1)** | **3123.62 (33.4)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका प 3.15 : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर-आधारित योजना) की कार्यक्रम-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति (चावल) (2023-24)**

| क्र. सं. | घटक | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) |
| 1 | संकुलों में निदर्शन | | | | |
| | i. एसआरआई विधि (एकड़) | 720 | 25.92 | 671 | 21.15 |
| | ii. जीरो टिलेज मशीन से खरीफ धान की सीधी बुआई (एकड़) | 720 | 25.92 | 659 | 19.18 |
| | iii. पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान के बिचड़े की रोपनी (एकड़) | 960 | 34.56 | 798 | 19.31 |
| 2 | दबाव सहन करने वाले प्रभेद (एकड़) | 1800 | 64.8 | 1686 | 52.38 |
| 3 | फसल प्रणाली आधारित निदर्शन (एकड़) | | | | |
| | i. जलवायु के अनकूल धान का निदर्शन (एकड़) | 1080 | 38.88 | 839 | 22.55 |
| | ii. जलवायु के अनकूल गेहूं की फसल का निदर्शन (एकड़) | 1080 | 25.92 | 793 | 17.46 |
| 4 | बीजों का वितरण | | | | |
| | i. 10 साल के अंदर विकसित उच्च उपज प्रभेदों के बीज (क्विंटल) | 2700 | 54 | 1738 | 4.27 |
| | ii. 10 साल से पहले विकसित उच्च उपज प्रभेदों के बीज (क्विंटल) | 2160 | 32.4 | 1161 | 2.37 |
| | iii. संकर धान (क्विंटल) | 324 | 32.4 | 333 | 1.98 |
| 5 | पोषण प्रबंधन एवं मृदा सुधारक | | | | |
| | i. सूक्ष्म-पोषक तत्व (एकड़) | 12150 | 24.3 | 1720 | 2.53 |
| | ii. जैविक खादों को बढ़ावा (एकड़) | 13500 | 16.2 | 980 | 0.53 |
| | iii. जैविक कीटनाशकों और फेरोमोन को बढ़ावा (एकड़) | 4050 | 8.1 | 393 | 0.46 |
| | iv. पौधा संरक्षण और बायो-एजेंट (एकड़) | 8100 | 16.2 | 885 | 1.07 |
| | v. खर-पतवार नाशक (एकड़) | 8100 | 16.2 | 891 | 1.14 |
| 6 | स्थानीय पहलें | | | | |
| | i. चलंत थ्रसिंग फ्लोर (संख्या) | 800 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण (संख्या) | 44 | 6.16 | 13 | 1.33 |
| | **योगफल** | — | **433.96** | — | **167.69** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.16 : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर-आधारित योजना) की कार्यक्रम-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति (गेहूं) (2023-24)**

| क्र. सं. | घटक | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) |
| 1 | संकुलों में निदर्शन (प्रत्येक में 100 हे. का) | | | | |
| | i. जीरो टिलेज गेहूं निदर्शन (एकड़) | 5900 | 212.4 | 5330 | 173.12 |
| 2 | फसल प्रणाली आधारित निदर्शन (एकड़) | | | | |
| | i. जलवायु के अनकूल खेती - सोयाबीन का निदर्शन (एकड़) | 1515 | 54.54 | 68 | 0 |
| | ii. जलवायु के अनकूल खेती - गेहूं का निदर्शन (एकड़) | 1515 | 36.36 | 122 | 2.87 |
| 3 | गेहूं के उच्च उपज प्रभेदों के बीजों का वितरण | | | | |
| | i. 10 साल के अंदर विकसित उच्च उपज प्रभेदों के बीज (क्विंटल) | 6080 | 121.6 | 4511 | 1.58 |
| | ii. 10 साल से पहले विकसित उच्च उपज प्रभेदों के बीज (क्विंटल) | 3000 | 45 | 867 | 0.36 |
| 4 | आवश्यकता-आधारित पौधा/मृदा संरक्षण प्रबंधन | | | | |
| | i. जैविक खाद (एकड़) | 14250 | 17.1 | 652 | 0.46 |
| | ii. सूक्ष्म-पोषक तत्व (एकड़) | 19950 | 39.9 | 3595 | 5.85 |
| | iii. कीट और बायो-एजेंट (एकड़) | 5697 | 11.4 | 832 | 1.42 |
| | iv. पौधा संरक्षण और बायो-एजेंट (एकड़) | 11395 | 22.8 | 2270 | 3.36 |
| | v. खर-पतवार नाशक (एकड़) | 11400 | 22.8 | 1874 | 3.28 |
| 5 | स्थानीय पहलें (गतिविधियों का उल्लेख हो) | | | | |
| | i. चलंत थ्रसिंग फ्लोर (संख्या) | 333 | 4.99 | 8 | 0 |
| 6 | फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण (चार सत्र, जैसे एक खरीफ के पहले, एक-एक खरीफ और रबी के दौरान तथा एक रबी की कटनी के बाद) (संख्या) | 48 | 6.72 | 11 | 1.4 |
| | **योगफल** | — | **595.61** | — | **193.7** |

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 3.17 : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर-आधारित योजना) के तहत अपारंपरिक क्षेत्र में कंपोजिट/संकर मक्का उत्पादन की भौतिक और वित्तीय प्रगति (2023-24)**

| घटक | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (एकड़) | वित्तीय (लाख रु.) | भौतिक (एकड़) | वित्तीय (लाख रु.) |
| कंपोजिट/संकर मक्का | 6300 | 151.2 | 6112 | 135.5 |

टिप्पणी : इकाई 2400 रु. प्रति एकड़ है

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय – 4

# उद्यम क्षेत्र


**सारांश**

*राज्य के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में वृहत उद्योगों और लघु, अनौपचारिक उद्यमों की दुहरी भूमिका पर बल देते हुए इस अध्याय में बिहार में औद्योगिक विकास की राह का पता लगाया गया है। अपनी संभावना के बावजूद, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में बिहार को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार की हाल की पहलों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआइ) और वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के आंकड़ों का उपयोग करके इस अध्याय में राज्य में औपचारिक और अनौपचारिक, दोनो ही औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और चुनौतियों का आकलन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र, खास कर निर्माण और विनिर्माण बिहार में औद्योगिक विकास के प्रमुख वाहक रहे हैं और 2022-23 में द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में निर्माण क्षेत्र का 50.2 प्रतिशत योगदान था। उसके बाद 37 प्रतिशत योगदान विनिर्माण क्षेत्र का था। उत्पादकता और निवेश में उल्लेखनीय सुधार के साथ राज्य में 'स्थिर पूंजी एवं औद्योगिक उत्पादन' में काफी वृद्धि हुई है। राज्य का औद्योगिक विकास प्रति कारखाना स्थिर पूंजी और उत्पाद मूल्य से स्पष्ट है जो प्रदर्शन संबंधी कुछ पैमानों पर राष्ट्रीय औसत को पार कर गए हैं। साथ ही, छोटे, श्रम-प्रधान उद्यमों की बिहार के अनौपचारिक क्षेत्र के कृषीतर प्रतिष्ठानों में बड़ा हिस्सा है। इस अध्याय में उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 का लक्ष्य राज्य के क्षेत्रगत अनुकूलताओं का लाभ उठाकर औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, और स्वास्थ्य देखरेख जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआइपीबी) निवेश लाने में मदद करता है जिसके कारण प्रचुर वित्तीय प्रवाह और नौकरियों का सृजन होता है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वस्त्र, जैव-इंधन, और स्टार्ट-अप के लिए विशेष नीतियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। खनन और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने राज्य के राजस्व में काफी योगदान भी किया है। बिहार के समेकित दृष्टिकोण के कारण सतत औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, और रोजगार सृजन में काफी तेजी आई है।*


## परिचय

औद्योगिक क्षेत्र दीर्घकालिक आर्थिक विकास की बुनियाद है जो सतत विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है, और देशी-विदेशी बाजारों की जरूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन करता है। बिहार अभी औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण दौर में है। अपनी समृद्ध विरासत और संभावनाओं के बावजूद, राज्य को औद्योगिक विकास के लिहाज से अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, सरकार की हाल की पहलों में राज्य के आर्थिक रूपांरतण में औद्योगीकरण की भूमिका पर जोर दिया गया है जिसमें खास अवधान बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है।

बिहार सरकार आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में वृहत उद्योगों और छोटे तथा अनौपचारिक उद्यमों, दोनो के महत्व को कबूल करती है। जहां वृहत उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करते और रोजगार उपलब्ध कराते हैं, वहीं छोटे और सीमांत उद्यम स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बिहार में औद्योगिक विकास की बारीकियों को समझने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, दोनो क्षेत्रों पर फोकस करने की जरूरत पड़ती है। इस अध्याय का लक्ष्य वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआइ) और वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए बिहार में और औद्योगिक विकास पथ का अन्वेषण करना है। बिहार जैसे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने संबंधी जटिलताओं को रेखांकित करते हुए ये डेटासेट औपचारिक उद्योगों और लघु विनिर्माण गतिविधियों, दोनो के प्रदर्शन और चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य समझ उपलब्ध कराते हैं। साथ ही, औद्योगीकरण को, खास कर युवा उद्यमिता और लघु उद्यमों के विकास को लक्षित करते हुए, बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी।

किसी भी अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना में खनन एवं उत्खनन; विनिर्माण; विद्युत गैस, जलापूर्ति, एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं; तथा निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। विगत वर्षों के दौरान निर्माण बिहार में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रही है। वर्ष 2021-22 से 2022-23 के बीच निर्माण गतिविधियों का विकास 22 प्रतिशत की दर से हुआ। द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में इसका 50.2 प्रतिशत योगदान था जिसके बाद विनिर्माण का स्थान था। वर्ष 2022-23 में द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का 37.0 प्रतिशत योगदान था। दूसरे शब्दों में, निर्माण और विनिर्माण बिहार में द्वितीयक क्षेत्र के विकास के वाहक थे।

**तालिका 4.1 : बिहार में स्थिर मूल्य (2011-12) पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दरें (2018-19 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

| वर्ष | द्वितीयक क्षेत्र | | | | | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खनन एवं उत्खनन | विनिर्माण | बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं | निर्माण | योगफल | |
| 2018-19 | 144.5 | -1.3 | 53.9 | 9.2 | 8.4 | 10.9 |
| 2019-20 | 275.5 | 2.8 | 7.0 | 1.0 | 5.4 | 4.4 |
| 2020-21 | -84.7 | 13.9 | -7.7 | -7.0 | -1.7 | -7.4 |
| 2021-22 | 17.6 | 3.8 | 3.1 | 18.0 | 9.9 | 5.0 |
| 2022-23 (अनंतिम अनुमान) | 192.9 | -6.0 | 33.0 | 22.0 | 11.8 | 9.8 |
| 2023-24 (त्वरित अनुमान) | 21.1 | 1.4 | 18.0 | 11.1 | 8.4 | 9.2 |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

देश के विभिन्न राज्यों के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान तालिका 4.2 में प्रस्तुत है। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र द्वारा विगत कई वर्षों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में लगभग पांचवें हिस्से का योगदान जारी है। तालिका में जिन 18 राज्यों का उल्लेख है उनमें से 12 के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 30 प्रतिशत से कम रहा है। इन राज्यों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान

लंबे समय से 30 प्रतिशत के नीचे बना हुआ है। खास कर तेलंगाना के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे कम 19.8 प्रतिशत था जबकि 2023-24 में बिहार का योगदान 21.5 प्रतिशत था।

**तालिका 4.2 : चुनिंदा भारतीय राज्यों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2019-20 से 2023-24)**

(प्रतिशत में)

| राज्य | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 22.7 | 27.9 | 27.2 | 26.9 | 27.8 |
| असम | 27.1 | 28.5 | 31.0 | 31.4 | 26.1 |
| **बिहार** | **19.4** | **21.1** | **21.7** | **21.7** | **21.5** |
| छत्तीसगढ़ | 38.8 | 40.0 | 42.7 | 42.5 | 43.0 |
| गुजरात | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 47.4 | अनु. |
| हरियाणा | 31.5 | 31.7 | 33.1 | 33.1 | 33.0 |
| झारखंड | 32.7 | 34.1 | 37.5 | 36.1 | 35.4 |
| कर्नाटक | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 23.9 | 24.0 |
| केरल | 26.8 | 29.4 | 28.4 | 27.8 | 27.0 |
| मध्य प्रदेश | 24.5 | 23.8 | 24.5 | 24.2 | 24.5 |
| महाराष्ट्र | 26.6 | 27.3 | 27.5 | 26.5 | 26.4 |
| ओडिशा | 33.2 | 37.2 | 40.5 | 38.6 | 38.4 |
| पंजाब | 24.6 | 25.8 | 26.9 | 27.2 | 27.5 |
| राजस्थान | 24.5 | 24.7 | 25.2 | 25.1 | 26.6 |
| तमिलनाडु | 36.5 | 36.3 | 37.0 | 37.4 | 37.2 |
| तेलंगाना | 20.6 | 22.1 | 21.2 | 19.3 | 19.8 |
| उत्तर प्रदेश | 26.9 | 27.5 | 28.4 | 27.0 | 28.4 |
| पश्चिम बंगाल | 26.8 | 28.5 | 29.8 | 29.5 | 29.3 |

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

## 4.1 उद्योगों की स्थिति

भारत में निर्बंधित विनिर्माण इकाइयों के योगदान के अनुमान के लिए आंकड़ों के मुख्य स्रोत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआइ) हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में गणना की प्राथमिक इकाइयां इस प्रकार हैं : विनिर्माण उद्योगों के लिए गणना की इकाई कारखाना है; मरम्मत सेवा के लिए गणना की इकाई कार्यशाला है; विद्युत, गैस, जलापूर्ति उपक्रमों के लिए गणना की इकाई प्रतिष्ठान या लाइसेंस-धारक हैं; वहीं, बीड़ी और सिगार उद्योगों में गणना की इकाई प्रतिष्ठान हैं।

संदर्भ वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के हाल के चक्र के अनुसार, बिहार में कारखानों की कुल संख्या 3307 थी जिसमें से 2782 कारखाने चालू थे। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 (एनआइसी, 2008) द्वारा उपलब्ध औद्योगिक विभाजन पर विचार करने पर राज्य में संख्या के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अधातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण (1234 इकाइयां) था, और उसके बाद खाद्य उत्पादों का विनिर्माण (905 इकाइयां)। अधातु खनिज उत्पादों के विनिर्माण में सीमेंट, चूना, और प्लास्टर का विनिर्माण शामिल है। इन दोनो भागों का बिहार की कुल इकाइयों में 65 प्रतिशत हिस्सा है। लकड़ी और काष्ठ तथा कॉर्क के उत्पादों (फर्नीचर, स्ट्रा निर्माण और प्लास्टिक सामग्रियों को छोड़कर) के विनिर्माण इकाइयों की संख्या 191 थी।

**तालिका 4.3 : बिहार और भारत में कुल कारखानों और चालू कारखानों की संख्या (2013-14 से 2022-23)**

| वर्ष | बिहार | | भारत | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल कारखानों की सं. | चालू कारखानों की सं. | कुल कारखानों की सं. | चालू कारखानों की सं. |
| 2013-14 | 3420 | 3132 | 224578 | 185690 |
| 2014-15 | 3530 | 2942 | 230433 | 189466 |
| 2015-16 | 3623 | 2918 | 233116 | 191062 |
| 2016-17 | 3531 | 2908 | 234865 | 194380 |
| 2017-18 | 3461 | 2881 | 237684 | 195584 |
| 2018-19 | 3422 | 2987 | 242395 | 197145 |
| 2019-20 | 3429 | 2936 | 246504 | 198628 |
| 2020-21 | 3367 | 2784 | 250454 | 200395 |
| 2021-22 | 3289 | 2729 | 249987 | 200576 |
| 2022-23 | 3307 | 2782 | 253334 | 206523 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में उद्योगों के संचालन की प्रकृति और पैमाने को समझने के लिहाज से यहां चर्चा के लिए कुछ मापदंडों पर विचार किया गया है। ये मापदंड हैं - कारखानों की संख्या, स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी, कार्यरत व्यक्ति (श्रमिक, श्रमिकेतर कर्मचारी, और अवैतनिक पारिवारिक सदस्य/ मालिक आदि), निर्गत (आउटपुट) मूल्य और शुद्ध मूल्यवर्धन। राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य के संदर्भ में बिहार की स्थिति तालिका 4.4 में प्रस्तुत है। हालांकि गत कुछ वर्षों में बिहार में कारखानों की संख्या में बहुत थोड़ा ही अंतर आया है लेकिन स्थिर पूंजी की मात्रा काफी बढ़ी है। जैसे, 2022-23 में बिहार के कारखानों की स्थिर पूंजी की मात्रा 31.95 हजार करोड़ थी जो एक वर्ष में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। भारत की कुल स्थिर पूंजी में बिहार की स्थिर पूंजी का हिस्सा 2021-22 के 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 0.74 प्रतिशत हो गया। वहीं, 2021-22 से 2022-23 के बीच बिहार में निर्गत मूल्य 53 प्रतिशत बढ़ गया। साथ ही, 2022-23 में बिहार में उत्पादित निर्गत मूल्य देश में उत्पादित निर्गत मूल्य का 0.98 प्रतिशत था जो 2021-22 के 0.78 प्रतिशत से वृद्धि दर्शाता है। ये सारे कारक बिहार में औद्योगिक उत्पादों की सतत वृद्धि का संकेत देते हैं।

तालिका 4.4 : बिहार और भारत में उद्योगों के विभिन्न पहलू (2013–14 से 2022–23)

| वर्ष | कारखानों की सं. (हजार में) | | भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा | स्थिर पूंजी (हजार करोड़ रु. में) | | भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बिहार | | भारत | बिहार | |
| 2013-14 | 225 | 3.42 | 1.52 | 2374 | 8.04 | 0.34 |
| 2014-15 | 230 | 3.53 | 1.53 | 2474 | 9.94 | 0.4 |
| 2015-16 | 233 | 3.62 | 1.55 | 2810 | 9.92 | 0.35 |
| 2016-17 | 235 | 3.53 | 1.5 | 3190 | 18.04 | 0.57 |
| 2017-18 | 238 | 3.46 | 1.46 | 3286 | 19.98 | 0.61 |
| 2018-19 | 242 | 3.42 | 1.41 | 3466 | 23.54 | 0.68 |
| 2019-20 | 247 | 3.43 | 1.39 | 3641 | 15.01 | 0.41 |
| 2020-21 | 250 | 3.37 | 1.35 | 3694 | 16.01 | 0.43 |
| 2021-22 | 250 | 3.29 | 1.32 | 3726 | 19.97 | 0.54 |
| 2022-23 | 253 | 3.31 | 1.31 | 4122 | 31.95 | 0.78 |

| वर्ष | कार्यशील पूंजी (हजार करोड़ रु. में) | | भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा | नियोजित व्यक्ति (हजार में) | | भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बिहार | | भारत | बिहार | |
| 2013-14 | 1011 | 5.88 | 0.58 | 13538 | 114 | 0.84 |
| 2014-15 | 641 | 3.49 | 0.54 | 13881 | 146 | 1.05 |
| 2015-16 | 741 | 1.45 | 0.2 | 14300 | 119.5 | 0.84 |
| 2016-17 | 663 | 2.08 | 0.31 | 14911 | 116.23 | 0.78 |
| 2017-18 | 644 | 3.01 | 0.47 | 15615 | 121.77 | 0.78 |
| 2018-19 | 809 | 3.48 | 0.43 | 16280 | 130 | 0.8 |
| 2019-20 | 883 | 5.24 | 0.59 | 16624 | 128.2 | 0.77 |
| 2020-21 | 1109 | 6.91 | 0.63 | 16089 | 126.2 | 0.78 |
| 2021-22 | 1353 | 5.96 | 0.44 | 17215 | 130.1 | 0.76 |
| 2022-23 | 1596 | 6.28 | 0.39 | 18495 | 135.4 | 0.73 |

| वर्ष | निर्गत मूल्य (हजार करोड़ रु. में) | | भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा | शुद्ध मूल्यवर्धन (हजार करोड़ रु. में) | | भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बिहार | | भारत | बिहार | |
| 2013-14 | 6555 | 55.3 | 0.84 | 895 | 5.15 | 0.58 |
| 2014-15 | 6884 | 58.76 | 0.85 | 975 | 5.82 | 0.6 |
| 2015-16 | 6862 | 47.73 | 0.7 | 1072 | 5.24 | 0.49 |
| 2016-17 | 7266 | 47.69 | 0.66 | 1146 | 5.37 | 0.47 |
| 2017-18 | 8072 | 60.03 | 0.74 | 1230 | 6.4 | 0.52 |
| 2018-19 | 9282 | 68.42 | 0.74 | 1276 | 5.96 | 0.47 |
| 2019-20 | 8983 | 76.18 | 0.85 | 1213 | 6.03 | 0.5 |
| 2020-21 | 8809 | 70.30 | 0.80 | 1335 | 7.46 | 0.56 |
| 2021-22 | 11927 | 93.33 | 0.78 | 1748 | 11.3 | 0.65 |
| 2022-23 | 14487 | 142.54 | 0.98 | 1880 | 14.39 | 0.77 |

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार के संदर्भ में और संपूर्ण भारत के स्तर पर ढांचागत अनुपात, जैसे कि प्रति कारखाना स्थिर पूंजी, प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूंजी, प्रति कारखाना श्रमिक, प्रति कारखाना नियोजित व्यक्ति, प्रति कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन, और प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन पर नीचे चर्चा की गई है। ये कारक संपूर्ण भारत के स्तर की तुलना में बिहार के उद्योगों का प्रदर्शन दर्शाते हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिहाज से बिहार का प्रदर्शन गत कुछ वर्षों में संतोषजनक रहा है। प्रति कारखाना स्थिर पूंजी काफी बढ़ी है और 2021–22 के 607.1 लाख रु. से बढ़कर 2022–23 में 966.1 लाख रु. हो गई जो एक वर्ष में 59.1 प्रतिशत वृद्धि है। संपूर्ण भारत के औसत की तुलना में बिहार में प्रति कारखाना स्थिर पूंजी 2021–22 के 40.7 प्रतिशत से 2022–23 में 59.4 प्रतिशत हो गई। अन्य सभी ढांचागत अनुपातों में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूंजी और प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन के मामले में बिहार ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है।

**तालिका 4.5 : बिहार और भारत में उद्योगों के विभिन्न ढांचागत अनुपात (2018–19 से 2022–23)**

| विशेषताएं | | प्रति कारखाना स्थिर पूंजी (लाख रु.) | प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूंजी (लाख रु.) | प्रति कारखाना श्रमिक | प्रति कारखाना नियोजित व्यक्ति | प्रति कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.) | प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | भारत | 1429.9 | 21.3 | 53 | 67 | 526.6 | 7.8 |
| | बिहार | 687.8 (48.1) | 18.1 (85) | 32 (61.5) | 38 (56.6) | 174.1 (33.1) | 4.6 (58.5) |
| 2019-20 | भारत | 1477.2 | 21.9 | 53 | 67 | 491.9 | 7.3 |
| | बिहार | 437.8 (29.6) | 11.7 (53.5) | 32 (59.7) | 37 (55.4) | 175.9 (35.8) | 4.7 (64.5) |
| 2020-21 | भारत | 1475.1 | 29.9 | 50.3 | 64.2 | 533.3 | 8.3 |
| | बिहार | 475.4 (32.2) | 12.7 (42.5) | 31.5 (62.6) | 37.5 (58.4) | 221.5 (41.5) | 5.9 (71.1) |
| 2021-22 | भारत | 1490.6 | 21.6 | 54 | 69 | 699.4 | 10.2 |
| | बिहार | 607.1 (40.7) | 15.3 (70.8) | 33.6 (62.2) | 39 (56.5) | 343.5 (49.1) | 8.7 (85.3) |
| 2022-23 | भारत | 1627 | 22.2 | 58 | 73 | 742 | 10.2 |
| | बिहार | 966.1 (59.4) | 23.6 (106.3) | 35 (60.0) | 41 (56.2) | 435.3 (58.7) | 10.6 (104.0) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े भारत के प्रतिशत में बिहार के संरचना अनुपातों को दर्शाते हैं
स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

भारत के सकल मूल्यवर्धन में बिहार का योगदान 2022–23 में 0.5 प्रतिशत था (तालिका 4.6)। बिहार में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के साथ सकल निर्गत मूल्य (जीवीओ) का अनुपात 11.2 प्रतिशत था जो संपूर्ण भारत के स्तर से 3 प्रतिशत अंकों का फासला दर्शाता है। संपूर्ण देश के सकल मूल्यवर्धन में बिहार का योगदान 0.7 प्रतिशत था। सकल मूल्यवर्धन के साथ सकल निर्गत मूल्य का अनुपात हिमाचल प्रदेश (23.0 प्रतिशत), उत्तराखंड (22.8 प्रतिशत), और जम्मू एवं कश्मीर (21.4 प्रतिशत) जैसे बहुत कम औद्योगिक आधार वाले राज्यों में अपेक्षाकृत ऊंचा रहा है। वहीं, बड़े औद्योगिक आधार वाले राज्यों के बीच सकल मूल्यवर्धन के साथ सकल निर्गत मूल्य का अनुपात महाराष्ट्र में 16.9 प्रतिशत था और उसके बाद तमिलनाडु में 15.7 प्रतिशत तथा गुजरात में 12.6 प्रतिशत।

इन तीनों राज्यों का संयुक्त रूप से देश के कुल कारखानों में 38.3 प्रतिशत और देश के सकल निर्गत मूल्य में 42.3 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा - तीन राज्यों का देश की 39.6 प्रतिशत स्थिर पूंजी पर नियंत्रण था। वहीं, कार्यशील पूंजी के मामले में तीन सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु थे। देश की 42.0 प्रतिशत कार्यशील पूंजी इन तीनो राज्यों के संयुक्त नियंत्रण में थी। सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) औद्योगिक पूंजी का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचक है जिसे स्थिर परिसंपत्तियों में सकल वृद्धि और इनवेंट्री स्टॉक में वृद्धि के योगफल के बतौर परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2022-23 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 7,66,791 करोड़ रु. था। भारत के सकल पूंजी निर्माण में बिहार का 1.7 प्रतिशत हिस्सा था।

**तालिका 4.6 : चुनिंदा राज्यों में उद्योगों के विभिन्न पहलुओं की तुलना (2022-23)**

| राज्य | कारखानों की संख्या | सकल निर्गत मूल्य (करोड़ रु.) | सकल निर्गत मूल्य (करोड़ रु.) | सकल मूल्यवर्धन सकल निर्गत मूल्य के प्रतिशत में | स्थिर पूंजी (करोड़ रु.) | कार्यशील पूंजी (करोड़ रु.) | सकल पूंजी निर्माण (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 16483 | 613867 | 90694 (4.1) | 14.8 | 225231 | 57158 | 29530 |
| असम | 5712 | 144196 | 28152 (1.3) | 19.5 | 43458 | 13920 | 11116 |
| **बिहार** | **3307** | **142536** | **15990 (0.7)** | **11.2** | **31950** | **6283** | **13323** |
| छत्तीसगढ़ | 4717 | 312258 | 40007 (1.8) | 12.8 | 101792 | 2728 | 17661 |
| गुजरात | 31031 | 2567733 | 324816 (14.8) | 12.6 | 809685 | 235072 | 125073 |
| हरियाणा | 10603 | 880270 | 119166 (5.4) | 13.5 | 162737 | 85766 | 36406 |
| हिमाचल प्रदेश | 2632 | 178457 | 40991 (1.9) | 23.0 | 51165 | 24493 | 5878 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 1015 | 36114 | 7737 (0.4) | 21.4 | 5553 | 7391 | 1039 |
| झारखंड | 2897 | 264826 | 49089 (2.2) | 18.5 | 93593 | 7047 | 11781 |
| कर्नाटक | 14510 | 894063 | 154720 (7.0) | 17.3 | 251375 | 114822 | 37589 |
| केरल | 7592 | 249141 | 34764 (1.6) | 14.0 | 55196 | 19831 | 3556 |
| मध्य प्रदेश | 5058 | 430122 | 70337 (3.2) | 16.4 | 191393 | 28291 | 23724 |
| महाराष्ट्र | 26446 | 2122242 | 358827 (16.3) | 16.9 | 493444 | 235157 | 104105 |
| ओडिशा | 3244 | 508279 | 69190 (3.1) | 13.6 | 332071 | 10085 | 44939 |
| पंजाब | 13228 | 462024 | 59742 (2.7) | 12.9 | 116736 | 61842 | 25215 |
| राजस्थान | 10528 | 567018 | 90375 (4.1) | 15.9 | 176305 | 97414 | 32560 |
| तमिलनाडु | 39666 | 1444259 | 226852 (10.3) | 15.7 | 326949 | 199017 | 84812 |
| तेलंगाना | 13063 | 368332 | 74019 (3.4) | 20.1 | 115557 | 83224 | 28989 |
| उत्तर प्रदेश | 19102 | 1018837 | 133694 (6.1) | 13.1 | 228713 | 144136 | 79209 |
| उत्तराखंड | 2870 | 256639 | 58420 (2.7) | 22.8 | 85759 | 31084 | 8636 |
| पश्चिम बंगाल | 10237 | 606849 | 72124 (3.3) | 11.9 | 141764 | 58040 | 26129 |
| **भारत** | **253334** | **14486602** | **2197056 (100.0)** | **15.2** | **4121795** | **1595589** | **766791** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल सकल मूल्यवर्धन में राज्य के सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा दर्शाते हैं
स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

## 4.2 बिहार में अनौपचारिक उद्यम

अनिगमित क्षेत्र बिहार सहित भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार में भारी योगदान करते हैं। बिहार में अनिगमित क्षेत्र का आकार काफी बड़ा है। अनिगमित क्षेत्र के आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्रोत वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसयूएसई), 2023 है। इस क्षेत्र की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं : (क) नए उद्यमों का आसानी से प्रवेश, (ख) उद्यमों का पारिवारिक स्वामित्व, (ग) देशज संसाधनों पर निर्भरता, (घ) लघु स्तरीय संचालन और निम्न उत्पादकता, (च) श्रम-प्रधान प्रौद्योगिकी, आदि। वर्ष 2022-23 में संपूर्ण भारत के स्तर पर 8,568 ग्रामीण और 7,929 शहरी - कुल 16,497 प्रथम चरण इकाइयों (एफएसयू) को चुना गया। इनमें से 8,495 ग्रामीण और 7,887 शहरी - कुल 16,382 प्रथम चरण इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया। कुल सर्वेक्षित प्रतिष्ठान 4,58,938 थे (जिनमें से 2,58,296 ग्रामीण क्षेत्रों के और 2,00,642 शहरी क्षेत्रों के थे)। वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23 में विभिन्न व्यापक गतिविधि श्रेणियों (बीएसी) के लिए अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 तक की अवधि में अनिगमित कृषीतर क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत 6.50 करोड़ प्रतिष्ठानों के अनुमान उपलब्ध हैं। इन 6.5 करोड़ प्रतिष्ठानों में से 3.56 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के और 2.94 करोड़ शहरी क्षेत्रों के हैं।

सर्वेक्षण में प्रतिष्ठानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : स्वश्रम प्रतिष्ठान (ओएई), और वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान (एचडब्ल्यूई)। स्वश्रम प्रतिष्ठान को (जिस संदर्भ अवधि में प्रतिष्ठान का काम किया जाता है उसका बड़े हिस्से में) नियमित रूप से बिना वैतनिक श्रमिक लगाए चलने वाले प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं, वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान को ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया गया है जो नियमित आधार पर कम से कम एक मजदूरी/ वेतन वाले श्रमिक को रोजगार देता हो। 6.50 करोड़ प्रतिष्ठानों में से 5.53 करोड़ स्वश्रम प्रतिष्ठान थे और 97 लाख वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान। ग्रामीण भारत में स्वश्रम प्रतिष्ठानों की संख्या 3.28 करोड़ और वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठानों की संख्या 0.28 करोड़ थी। वहीं, शहरी भारत में स्वश्रम प्रतिष्ठानों की संख्या 2.25 करोड़ और वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठानों की संख्या 0.69 करोड़ थी।

6.5 करोड़ अनिगमित कृषीतर प्रतिष्ठानों में से 5.7 प्रतिशत बिहार में अवस्थित थे (देखें तालिका 4.7)। इसका और भी विखंडन करने से पता चलता है कि 2022-23 में ग्रामीण भारत के 3.56 करोड़ प्रतिष्ठानों में से 28.09 लाख (या 7.9 प्रतिशत) बिहार के थे। ग्रामीण बिहार के इन 28.09 लाख प्रतिष्ठानों में से 25.67 लाख स्वश्रम प्रतिष्ठान थे और 2.4 लाख वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में प्रतिष्ठान बिहार में ही हैं। शहरी बिहार में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 8.9 लाख थी। शहरी बिहार के 8.9 लाख प्रतिष्ठानों में से 7.0 लाख स्वश्रम प्रतिष्ठान थे और 1.9 लाख वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान।

**तालिका 4.7 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्र और प्रकार के अनुसार प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (प्रतिशत) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
| | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 4.9 |
| असम | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| **बिहार** | **7.8** | **8.5** | **7.9** | **3.1** | **2.8** | **3.0** | **5.9** | **4.5** | **5.7** |
| छत्तीसगढ़ | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| गुजरात | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 5.2 | 6.6 | 5.4 |
| हरियाणा | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.8 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| झारखंड | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 3.0 |
| कर्नाटक | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 |
| केरल | 2.5 | 8.1 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 5.6 | 3.6 |
| मध्य प्रदेश | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| महाराष्ट्र | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 11.0 | 15.4 | 12.0 | 8.7 | 13.3 | 9.4 |
| ओडिशा | 6.8 | 5.1 | 6.7 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 4.9 | 2.7 | 4.5 |
| पंजाब | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 2.6 |
| राजस्थान | 3.6 | 5.1 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 5.6 | 4.4 |
| तमिलनाडु | 4.0 | 7.3 | 4.2 | 8.6 | 11.4 | 9.3 | 5.9 | 10.2 | 6.5 |
| तेलंगाना | 4.2 | 1.5 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 2.7 | 3.8 |
| उत्तर प्रदेश | 16.0 | 14.0 | 15.8 | 12.2 | 8.6 | 11.4 | 14.5 | 10.2 | 13.8 |
| उत्तराखंड | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| पश्चिम बंगाल | 13.1 | 7.7 | 12.7 | 12.7 | 6.6 | 11.3 | 12.9 | 6.9 | 12.0 |
| **संपूर्ण भारत** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

टिप्पणी : * लदाख का केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है

स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण के तहत प्रतिष्ठानों के मालिकाना पर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। सर्वेक्षित स्वामित्व के प्रकार मालिकाना (पुरुष/ महिला/ उभयलिंगी), एक ही परिवार के लोगों की साझीदारी, भिन्न-भिन्न परिवारों के सदस्यों की साझीदारी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संस्था/ न्यास/ क्लब/ संघ/ व्यक्तिगत/ सदस्य

संगठनों के निकाय, सहकारी समितियां और अन्य हैं। तालिका 4.8 से पता चलता है कि अधिकांश अनिगमित कृषीतर प्रतिष्ठान मालिकाना वाले (प्रोपराइटरी) थे। संपूर्ण भारत के स्तर पर 94.7 प्रतिशत प्रतिष्ठान मालिकाना थे और उसके बाद 3.7 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों के। केवल 0.07 प्रतिशत प्रतिष्ठान ही एक या अलग-अलग परिवारों के सदस्यों की साझीदारी वाले थे। देश के सभी राज्यों के मालिकाना प्रतिष्ठानों के मामले में प्रतिष्ठानों की संपत्ति का अधिकांश अधिकार पुरुषों का था। बिहार में 99.3 प्रतिशत प्रतिष्ठान मालिकाना थे। सभी मालिकाना स्वामित्व के बीच 14.5 प्रतिशत मालिक ही महिलाएं थीं।

**तालिका 4.8 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित क्षेत्रों में स्वामित्व के प्रकार के अनुसार प्रतिष्ठानों का वितरण (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | प्रतिष्ठानों का प्रति हजार वितरण | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मालिकाना | | | सदस्यों के साथ साझीदारी | | | स्वयं सहायता समूह | अन्य (न्यास आदि सहित) | सभी |
| | पुरुष | महिला | सभी * | एक ही परिवार के | अलग-अलग परिवार के | सभी | | | |
| आंध्र प्रदेश | 621 | 240 | 862 | 1 | 2 | 3 | 124 | 12 | 1000 |
| असम | 831 | 120 | 950 | 1 | 2 | 3 | 45 | 2 | 1000 |
| **बिहार** | **848** | **145** | **993** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **1000** |
| छत्तीसगढ़ | 739 | 137 | 876 | 1 | 8 | 9 | 111 | 4 | 1000 |
| गुजरात | 706 | 263 | 969 | 7 | 12 | 19 | 3 | 8 | 1000 |
| हरियाणा | 786 | 188 | 974 | 6 | 13 | 19 | 1 | 7 | 1000 |
| जम्मू एवं कश्मीर ** | 751 | 217 | 969 | 5 | 12 | 17 | 9 | 6 | 1000 |
| झारखंड | 712 | 183 | 895 | 2 | 3 | 5 | 98 | 2 | 1000 |
| कर्नाटक | 657 | 301 | 958 | 2 | 3 | 5 | 29 | 8 | 1000 |
| केरल | 619 | 226 | 845 | 10 | 25 | 35 | 85 | 36 | 1000 |
| मध्य प्रदेश | 761 | 221 | 982 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1000 |
| महाराष्ट्र | 716 | 229 | 945 | 5 | 5 | 10 | 35 | 10 | 1000 |
| ओडिशा | 636 | 206 | 842 | 2 | 2 | 4 | 134 | 19 | 1000 |
| पंजाब | 791 | 191 | 982 | 9 | 5 | 14 | 0 | 5 | 1000 |
| राजस्थान | 805 | 172 | 977 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1000 |
| तमिलनाडु | 672 | 257 | 929 | 5 | 7 | 12 | 33 | 26 | 1000 |
| तेलंगाना | 527 | 402 | 928 | 2 | 3 | 5 | 63 | 3 | 1000 |
| उत्तर प्रदेश | 823 | 168 | 991 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1000 |
| उत्तराखंड | 856 | 105 | 961 | 3 | 3 | 6 | 11 | 22 | 1000 |
| पश्चिम बंगाल | 645 | 314 | 959 | 2 | 2 | 4 | 33 | 4 | 1000 |
| **संपूर्ण भारत *** ** | **718** | **229** | **947** | **3** | **4** | **7** | **37** | **9** | **1000** |

टिप्पणी : * उभयलिंगियों द्वारा संचालित मालिकाना प्रतिष्ठान शामिल
** लदाख का केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है
*** सारे राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र शामिल
स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

भारत में 2022-23 में 10.96 प्रतिशत श्रमिक अनिगमित कृषीतर उद्यमों में नियोजित थे। लगभग 5.23 करोड़ श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे थे और 5.72 करोड़ शहरी क्षेत्रों में। वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण के तहत श्रमिकों को कार्यरत मालिक, वैतनिक श्रमिक, अवैतनिक पारिवारिक सदस्य, और अन्य में वर्गीकृत किया गया था। ग्रामीण भारत में स्वश्रम उद्यमों में 3.93 करोड़ और वैतनिक श्रमिक उद्यमों में 1.31 करोड़ श्रमिक नियोजित थे। शहरी भारत में भी स्वश्रम उद्यमों और वैतनिक श्रमिक उद्यमों के बीच ऐसा ही वितरण दिखा। बिहार में 2022-23 में 59 लाख श्रमिक अनिगमित कृषीतर उद्यमों में काम कर रहे थे। इन 59 लाख श्रमिकों में 43.6 लाख ग्रामीण प्रतिष्ठानों में नियोजित थे। साथ ही, ग्रामीण बिहार में प्रतिष्ठानों में नियोजित 43.6 लाख श्रमिकों में से 68 प्रतिशत स्वश्रम उद्यमों में काम कर रहे थे और शेष 32 प्रतिशत वैतनिक श्रमिक उद्यमों में। वहीं, 16.6 प्रतिशत श्रमिक शहरी बिहार के अनिगमित कृषीतर उद्यमों में नियोजित थे।

**तालिका 4.9 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के प्रकार के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | श्रमिकों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (प्रतिशत) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
| | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
| असम | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| **बिहार** | **7.6** | **10.6** | **8.3** | **2.9** | **2.4** | **2.7** | **5.6** | **5.0** | **5.4** |
| छत्तीसगढ़ | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| गुजरात | 3.4 | 5.2 | 3.8 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 5.4 | 7.6 | 6.3 |
| हरियाणा | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.0 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| झारखंड | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 2.0 | 2.6 |
| कर्नाटक | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| केरल | 2.2 | 6.0 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 2.7 | 4.9 | 3.5 |
| मध्य प्रदेश | 6.2 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 5.9 | 3.8 | 5.1 |
| महाराष्ट्र | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 11.5 | 15.1 | 13.3 | 9.1 | 12.9 | 10.5 |
| ओडिशा | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 2.5 | 3.7 |
| पंजाब | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 2.6 |
| राजस्थान | 4.0 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.9 |
| तमिलनाडु | 3.9 | 7.2 | 4.7 | 8.8 | 12.1 | 10.5 | 6.0 | 10.6 | 7.7 |
| तेलंगाना | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.4 |
| उत्तराखंड | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| उत्तर प्रदेश | 18.2 | 17.4 | 18.0 | 13.7 | 8.4 | 11.1 | 16.3 | 11.2 | 14.4 |
| पश्चिम बंगाल | 11.8 | 6.5 | 10.5 | 11.3 | 6.3 | 8.8 | 11.6 | 6.4 | 9.6 |
| अन्य राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
| **संपूर्ण भारत** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

टिप्पणी : * लदाख का केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है
स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

महिला श्रमिक भारत के अनिगमित कृषीतर प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में लगे 10.96 करोड़ श्रमिकों में से 2.81 करोड़ (25.6 प्रतिशत) महिलाएं थीं। इन प्रतिष्ठानों में लगी कुल महिला श्रमबल में से 53.0 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 47.0 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में काम कर रही थीं। सभी महिला श्रमिकों में से 3.3 प्रतिशत (संख्या के लिहाज से 9.27 लाख) बिहार के प्रतिष्ठानों में नियोजित थीं। ग्रामीण बिहार में सभी महिला श्रमिकों का 81.5 प्रतिशत हिस्सा प्रतिष्ठानों में नियोजित था। ग्रामीण बिहार में 5.6 लाख महिला श्रमिक स्वश्रम उद्यमों में और 1.9 लाख वैतनिक श्रमिक उद्यमों में नियोजित थीं। वहीं, बिहार के शहरी प्रतिष्ठानों में कुल 1.6 लाख महिला श्रमिक नियोजित थीं।

**तालिका 4.10 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित क्षेत्रों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के प्रकार के अनुसार महिला श्रमिकों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | महिला श्रमिकों की अनुमानित संख्या का हिस्सा (प्रतिशत) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
| | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.7 | 6.2 |
| असम | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| **बिहार** | **4.4** | **8.3** | **5.0** | **1.3** | **1.1** | **1.3** | **3.2** | **3.4** | **3.3** |
| छत्तीसगढ़ | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| गुजरात | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 9.7 | 5.8 | 8.2 | 5.6 | 4.9 | 5.4 |
| हरियाणा | 1.2 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 1.7 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| झारखंड | 3.6 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 1.3 | 2.4 |
| कर्नाटक | 6.8 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
| केरल | 2.3 | 9.6 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 5.4 | 3.0 | 8.1 | 4.3 |
| मध्य प्रदेश | 5.8 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 3.4 | 4.8 |
| महाराष्ट्र | 7.3 | 9.6 | 7.6 | 12.6 | 15.0 | 13.5 | 9.4 | 13.3 | 10.4 |
| ओडिशा | 7.4 | 2.3 | 6.6 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 5.2 | 1.5 | 4.2 |
| पंजाब | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| राजस्थान | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.4 |
| तमिलनाडु | 5.2 | 12.6 | 6.3 | 11.5 | 20.3 | 14.8 | 7.7 | 17.9 | 10.3 |
| तेलंगाना | 6.5 | 2.5 | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 4.0 | 5.4 |
| उत्तराखंड | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
| उत्तर प्रदेश | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 8.7 | 6.8 | 8.0 | 11.9 | 9.0 | 11.2 |
| पश्चिम बंगाल | 14.9 | 2.7 | 13.0 | 13.0 | 3.4 | 9.4 | 14.1 | 3.1 | 11.3 |
| **संपूर्ण भारत** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

टिप्पणी : * लदाख का केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है

स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) एक महत्वपूर्ण सूचक है। तालिका 4.11 में विभिन्न राज्यों में अनिगमित कृषीतर क्षेत्र के बाजार प्रतिष्ठानों के लिए सकल मूल्यवर्धन प्रस्तुत है। वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार, बाजार प्रतिष्ठान को ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में

परिभाषित किया जाता है जो अपने उत्पाद या सेवाएं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीमत पर बेचता हो। इस परिभाषा के अनुसार, 99 प्रतिशत से भी अधिक सर्वेक्षित प्रतिष्ठान बाजार प्रतिष्ठान थे। इसलिए इस सूचना में लगभग सारा अनिगमित कृषीतर क्षेत्र शामिल हो जाता है। संपूर्ण भारत के स्तर पर अन्य सेवाएं (खाद्य एवं निवास सेवा गतिविधियां, भू-परिवहन, एवं शिक्षा आदि सहित) ग्रामीण और शहरी, दोनो जगह के अनिगमित कृषीतर उद्यमों के समग्र सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक मूल्यवर्धन के लिए जिम्मेवार थीं। समग्र सकल मूल्यवर्धन में बिहार का योगदान 4.5 प्रतिशत था और अधिकांश सकल मूल्यवर्धन ग्रामीण कृषीतर अनिगमित क्षेत्र से आया (चार्ट 4.1)। भारत में ग्रामीण बाजार प्रतिष्ठानों के सकल मूल्यवर्धन में योगदान के लिहाज से तीन शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश (14.1 प्रतिशत), बिहार (8.8 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (8.8 प्रतिशत)।

**तालिका 4.11 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के अनुसार बाजार प्रतिष्ठानों के लिए अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा (प्रतिशत) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
| | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| असम | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| **बिहार** | **8.4** | **9.3** | **8.8** | **2.8** | **1.8** | **2.2** | **5.5** | **3.7** | **4.5** |
| छत्तीसगढ़ | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| गुजरात | 3.3 | 5.6 | 4.2 | 11.9 | 9.4 | 10.3 | 7.9 | 8.4 | 8.2 |
| हरियाणा | 1.9 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| झारखंड | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 2.2 |
| कर्नाटक | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 |
| केरल | 3.2 | 7.3 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 5.3 | 4.4 |
| मध्य प्रदेश | 4.9 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 4.0 |
| महाराष्ट्र | 8.2 | 9.5 | 8.8 | 11.5 | 15.6 | 14.1 | 10.0 | 14.1 | 12.2 |
| ओडिशा | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 2.2 |
| पंजाब | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |
| राजस्थान | 4.2 | 6.0 | 4.9 | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 4.6 | 6.0 | 5.4 |
| तमिलनाडु | 4.6 | 7.1 | 5.6 | 8.5 | 11.2 | 10.2 | 6.7 | 10.2 | 8.6 |
| तेलंगाना | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
| उत्तराखंड | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| उत्तर प्रदेश | 15.1 | 12.5 | 14.1 | 11.8 | 6.8 | 8.7 | 13.3 | 8.2 | 10.6 |
| पश्चिम बंगाल | 10.7 | 5.4 | 8.6 | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 9.9 | 5.5 | 7.5 |
| अन्य राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| **संपूर्ण भारत** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

टिप्पणी : * लदाख केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है

स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

चार्ट 4.1 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित क्षेत्रों में क्षेत्र और प्रतिष्ठान के अनुसार बाजार प्रतिष्ठानों के लिए अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा (2022-23)

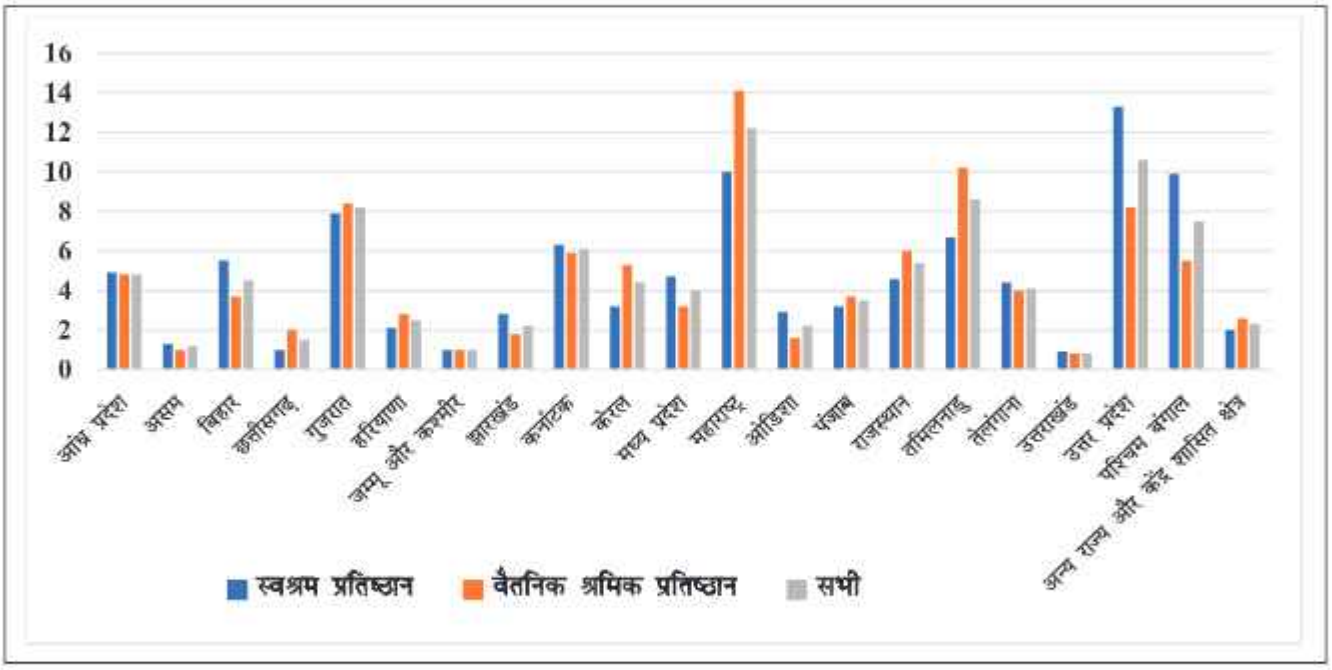


टिप्पणी : * लदाख केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है
स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

तालिका 4.12 से पता चलता है कि संपूर्ण भारत के स्तर पर स्वश्रम उद्यमों और वैतनिक श्रमिक उद्यमों के प्रदर्शन के बीच गामीण और शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर था। साथ ही, शहरी बाजार प्रतिष्ठानों के प्रदर्शन ने ग्रामीण बाजार प्रतिष्ठानों को प्रति प्रतिष्ठान सकल वार्षिक मूल्य (जीवीए) के लिहाज से पीछे छोड़ दिया। ग्रामीण भारत में स्वश्रम उद्यमों का सकल वार्षिक मूल्य वैतनिक श्रमिक उद्यमों के सकल वार्षिक मूल्य का सिर्फ 13 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में वैतनिक श्रमिक उद्यमों और स्वश्रम उद्यमों के सकल वार्षिक मूल्य के बीच अंतर का पैटर्न सभी राज्यों में देखा गया। बिहार में ग्रामीण स्वश्रम उद्यमों का सकल वार्षिक मूल्य 1,08.690.0 रु. था जबकि वैतनिक श्रमिक उद्यमों का सकल वार्षिक मूल्य 8,07,420.0 रु. था जो दोनो के सकल वार्षिक मूल्यों के बीच उल्लेखनीय अंतर को दर्शाता है। यह भी गौरतलब है कि ग्रामीण बिहार में वैतनिक श्रमिक उद्यम संपूर्ण भारत की तुलना में औसतन अधिक मूल्यवर्धन कर रहे थे। स्पष्ट है कि वैतनिक श्रमिक उद्यमों की तुलना में स्वश्रम उद्यमों के निम्न सकल वार्षिक मूल्य के बीच अंतर का कारण उत्पादन के स्तर और कुशलता के स्तर में, खास कर श्रमिकों की उत्पादकता के लिहाज से अंतर था। तालिका 4.13 में बाजार प्रतिष्ठानों के लिए प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य के बारे में जानकारी दी गई है जो श्रमिकों की उत्पादकता के लिए एक सूचक है। आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वैतनिक श्रमिक उद्यमों का प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य स्वश्रम उद्यमों की अपेक्षा अधिक था। साथ ही, शहरी बाजार प्रतिष्ठानों का प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य ग्रामीण बाजार प्रतिष्ठानों की अपेक्षा अधिक था। बिहार में स्वश्रम उद्यमों में प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों में 93,558.0 रु. और शहरी क्षेत्रों में 1,08,944.0 रु. था। वहीं, संपूर्ण भारत के औसत के साथ तुलना करने पर ग्रामीण बिहार के स्वश्रम उद्यमों में प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य ग्रामीण भारत के औसत से अधिक था। ग्रामीण बिहार में स्वश्रम उद्यमों और वैतनिक श्रमिक उद्यमों में प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य के लिहाज से काफी अंतर था। ग्रामीण स्वश्रम उद्यमों के लिए प्रति श्रमिक सकल वार्षिक मूल्य वैतनिक श्रमिक उद्यमों के आंकड़े का 66.0 प्रतिशत था। यह अंतर शहरी इकाइयों

में ग्रामीण इकाइयों की अपेक्षा कम था जिससे पता चलता है कि शहरी बाजार प्रतिष्ठानों में स्वश्रम उद्यमों और वैतनिक श्रमिक उद्यमों की श्रमिक उत्पादकता कमोबेश समान थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वश्रम उद्यमों और वैतनिक श्रमिक उद्यमों के मामले में काफी अंतर था।

**तालिका 4.12 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिष्ठानों के प्रकार के अनुसार प्रति प्रतिष्ठान अनुमानित सकल वार्षिक मूल्य (हजार रु. में) (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 108.6 | 850.7 | 154.3 | 146.5 | 1068.3 | 337.7 | 123.6 | 1007.9 | 234.3 |
| असम | 113.0 | 476.0 | 142.7 | 151.9 | 692.3 | 344.2 | 120.6 | 606.6 | 195.0 |
| **बिहार** | **108.7** | **807.4** | **169.2** | **148.6** | **594.0** | **243.9** | **117.2** | **713.6** | **187.2** |
| छत्तीसगढ़ | 69.3 | 541.4 | 103.9 | 147.5 | 1293.0 | 509.7 | 92.5 | 1076.4 | 251.5 |
| दिल्ली | 226.3 | 639.0 | 372.6 | 190.2 | 987.8 | 453.0 | 191.2 | 977.1 | 450.7 |
| गुजरात | 104.2 | 1017.4 | 195.5 | 245.0 | 1131.9 | 443.6 | 193.1 | 1110.9 | 360.5 |
| हरियाणा | 131.7 | 1345.1 | 274.4 | 184.2 | 990.6 | 380.3 | 157.5 | 1096.7 | 330.6 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 105.3 | 840.5 | 157.6 | 172.7 | 930.9 | 356.4 | 126.6 | 900.1 | 229.6 |
| झारखंड | 92.4 | 559.9 | 127.6 | 164.2 | 754.7 | 284.1 | 111.6 | 663.8 | 174.1 |
| कर्नाटक | 116.6 | 723.2 | 165.8 | 199.8 | 991.0 | 396.7 | 150.1 | 915.1 | 270.3 |
| केरल | 127.9 | 754.8 | 252.6 | 126.6 | 1017.0 | 335.2 | 127.2 | 907.4 | 297.4 |
| मध्य प्रदेश | 91.3 | 906.2 | 126.8 | 149.2 | 672.9 | 258.5 | 113.7 | 722.8 | 183.9 |
| महाराष्ट्र | 117.4 | 867.3 | 185.9 | 171.8 | 941.1 | 399.5 | 145.5 | 927.7 | 309.7 |
| ओडिशा | 67.8 | 513.3 | 90.7 | 109.4 | 654.8 | 216.2 | 74.9 | 581.0 | 115.0 |
| पंजाब | 136.1 | 1073.5 | 223.4 | 197.2 | 960.8 | 960.8 | 167.9 | 984.4 | 323.6 |
| राजस्थान | 117.7 | 891.3 | 200.5 | 166.7 | 945.5 | 373.2 | 141.3 | 931.3 | 292.1 |
| तमिलनाडु | 118.5 | 825.2 | 207.1 | 163.1 | 930.5 | 378.9 | 145.4 | 909.9 | 318.3 |
| तेलंगाना | 106.6 | 1299.9 | 141.4 | 189.4 | 1284.8 | 414.6 | 137.9 | 1287.2 | 257.8 |
| उत्तराखंड | 137.9 | 707.9 | 211.3 | 169.1 | 775.3 | 319.8 | 147.7 | 742.2 | 249.2 |
| उत्तर प्रदेश | 94.8 | 670.6 | 135.3 | 159.4 | 722.6 | 258.6 | 117.1 | 701.7 | 181.2 |
| पश्चिम बंगाल | 82.2 | 534.8 | 103.6 | 118.9 | 769.2 | 207.0 | 96.9 | 693.6 | 147.3 |
| **संपूर्ण भारत** | **101.0** | **775.4** | **153.0** | **165.0** | **928.4** | **341.3** | **127.1** | **884.3** | **238.2** |

टिप्पणी : * लदाख केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है

स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

तालिका 4.13 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिष्ठानों के प्रकार के अनुसार प्रति श्रमिक अनुमानित सकल वार्षिक मूल्य (हजार रु. में) (2022-23)

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी | स्वश्रम प्रतिष्ठान | वैतनिक श्रमिक प्रतिष्ठान | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 100.9 | 187.4 | 119.7 | 119.5 | 247.7 | 181.0 | 108.9 | 230.3 | 152.0 |
| असम | 102.9 | 153.9 | 113.2 | 126.3 | 209.0 | 176.2 | 107.9 | 188.0 | 135.3 |
| **बिहार** | **93.6** | **142.1** | **108.9** | **124.7** | **162.8** | **142.0** | **100.4** | **149.0** | **117.5** |
| छत्तीसगढ़ | 50.3 | 107.3 | 63.1 | 96.8 | 298.2 | 211.3 | 65.1 | 237.1 | 130.7 |
| गुजरात | 82.5 | 177.6 | 114.4 | 186.4 | 237.2 | 212.4 | 149.0 | 224.5 | 183.8 |
| हरियाणा | 107.0 | 241.5 | 157.7 | 152.0 | 224.6 | 191.1 | 129.0 | 230.5 | 176.5 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 88.3 | 156.1 | 105.7 | 146.7 | 249.0 | 198.3 | 106.6 | 209.4 | 143.3 |
| झारखंड | 80.5 | 158.2 | 96.0 | 130.0 | 205.1 | 162.0 | 94.6 | 183.7 | 119.7 |
| कर्नाटक | 98.9 | 184.3 | 118.3 | 155.5 | 235.8 | 197.3 | 122.9 | 222.0 | 161.2 |
| केरल | 125.6 | 214.3 | 166.6 | 122.5 | 250.6 | 192.4 | 123.9 | 236.7 | 181.4 |
| मध्य प्रदेश | 66.5 | 176.5 | 82.5 | 108.5 | 171.2 | 135.4 | 82.8 | 172.6 | 108.3 |
| महाराष्ट्र | 94.5 | 192.2 | 120.6 | 129.3 | 231.8 | 186.9 | 113.0 | 223.9 | 164.1 |
| ओडिशा | 60.2 | 125.1 | 70.9 | 92.4 | 160.5 | 123.5 | 65.9 | 142.0 | 83.9 |
| पंजाब | 114.6 | 285.2 | 156.5 | 161.3 | 256.4 | 211.1 | 139.2 | 262.4 | 191.3 |
| राजस्थान | 88.3 | 191.0 | 118.6 | 121.9 | 234.0 | 179.8 | 104.7 | 221.5 | 154.1 |
| तमिलनाडु | 100.0 | 173.0 | 126.7 | 125.2 | 207.4 | 172.4 | 115.7 | 200.4 | 159.2 |
| तेलंगाना | 101.3 | 261.4 | 121.2 | 156.0 | 279.7 | 217.2 | 123.8 | 276.6 | 173.8 |
| उत्तराखंड | 119.5 | 186.2 | 141.3 | 140.2 | 203.1 | 172.4 | 126.2 | 194.8 | 153.7 |
| उत्तर प्रदेश | 69.6 | 117.8 | 81.2 | 111.8 | 178.3 | 136.9 | 84.6 | 148.9 | 103.6 |
| पश्चिम बंगाल | 76.2 | 136.0 | 85.4 | 104.6 | 192.8 | 135.9 | 87.9 | 174.7 | 109.6 |
| **संपूर्ण भारत** | **84.3** | **166.8** | **104.5** | **129.7** | **222.7** | **175.8** | **103.4** | **205.3** | **141.8** |

टिप्पणी : * लदाख केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है

स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

पहले भी कहा गया है कि अनिगमित कृषीतर प्रतिष्ठान ग्रामीण और शहरी, दोनो ही क्षेत्रों में कुशल और अकुशल श्रमिकों के बड़े हिस्से के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। नीचे की तालिका में हमने आर्थिक गतिविधियों से वैतनिक श्रमिकों की कमाई के स्तरों के मूल्यांकन के लिए उनकी वार्षिक परिलब्धियों (ईमॉल्यूमेंट) को प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि वैतनिक श्रमिक अपने नियोक्ताओं के साथ रोजगार की जिन शर्तों पर सहमत होते हैं उसके आधार पर उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। औपचारिक रूप से नियोजित व्यक्तियों की रोजगार संबंधी स्थितियां बेहतर होती हैं और उन्हें विभिन्न स्तरों की सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध होती है। नीचे की तालिका (तालिका 4.14) में कुछ चीजें देखी जा सकती हैं। प्रथम, संपूर्ण भारत के स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी। दूसरे, ग्रामीण और शहरी, दोनो ही क्षेत्रों में औपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां अनौपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की अपेक्षा अधिक थीं। गौरतलब है कि कुल वैतनिक श्रमबल में औपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों का हिस्सा अनौपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की तुलना

में बहुत कम है। इसका अर्थ हुआ कि भारत में श्रमिकों का बड़ा हिस्सा अनिगमित कृषीतर प्रतिष्ठानों में काम करने से प्राप्त कम वार्षिक आय पर जीवन बसर करता है और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभों से वंचित रहता है। ग्रामीण भारत में अनौपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां औपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की तुलना में महज 39.0 प्रतिशत थीं। वहीं, शहरी भारत में अनौपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां औपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की तुलना में 48.4 प्रतिशत थीं। तीसरे, बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनो में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से नियोजित वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रचलित वार्षिक परिलब्धियों से कम थीं।

**तालिका 4.14 : चुनिंदा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में वैतनिक श्रमिकों की वार्षिक परिलब्धियां (हजार रु. में) (2022-23)**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | प्रति वैतनिक श्रमिक वार्षिक परिलब्धियां (हजार रु. में) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | | | शहरी | | | ग्रामीण और शहरी | | |
| | औपचारिक | अनौपचारिक | सभी | औपचारिक | अनौपचारिक | सभी | औपचारिक | अनौपचारिक | सभी |
| आंध्र प्रदेश | 443.6 | 108.7 | 131.2 | 306.9 | 135.3 | 166.4 | 324.6 | 126.9 | 156.2 |
| असम | 173.3 | 78.2 | 79.9 | 328.5 | 101.8 | 112.4 | 311.2 | 92.9 | 100.3 |
| **बिहार** | **59.3** | **76.8** | **76.5** | **159.7** | **95.8** | **96.4** | **81.6** | **82.5** | **82.5** |
| छत्तीसगढ़ | 207.2 | 55.7 | 70.1 | 147.0 | 84.6 | 93.5 | 163.6 | 74.6 | 85.6 |
| गुजरात | 233.4 | 100.8 | 120.1 | 180.3 | 127.6 | 136.6 | 192.3 | 121.5 | 132.8 |
| हरियाणा | 215.8 | 137.1 | 157.9 | 216.4 | 124.9 | 137.0 | 216.1 | 129.0 | 144.6 |
| जम्मू एवं कश्मीर * | 180.7 | 85.3 | 97.7 | 193.4 | 111.3 | 126.2 | 187.3 | 99.5 | 113.2 |
| झारखंड | 417.3 | 84.1 | 104.9 | 148.0 | 100.5 | 103.8 | 273.9 | 92.9 | 104.3 |
| कर्नाटक | 245.3 | 104.6 | 124.5 | 256.5 | 136.6 | 157.2 | 253.9 | 128.0 | 148.5 |
| केरल | 219.8 | 139.4 | 152.1 | 221.7 | 143.7 | 157.4 | 221.1 | 142.1 | 155.4 |
| मध्य प्रदेश | 87.0 | 81.1 | 90.5 | 137.0 | 88.9 | 93.1 | 114.1 | 86.8 | 92.4 |
| महाराष्ट्र | 440.7 | 90.0 | 112.1 | 412.5 | 128.5 | 148.0 | 418.0 | 120.7 | 140.8 |
| ओडिशा | 188.8 | 62.3 | 68.0 | 174.2 | 92.1 | 97.9 | 180.2 | 75.6 | 81.5 |
| पंजाब | 201.4 | 103.7 | 123.8 | 169.8 | 113.9 | 122.2 | 188.2 | 111.9 | 122.6 |
| राजस्थान | 285.6 | 109.8 | 124.0 | 180.5 | 134.4 | 140.2 | 216.6 | 126.8 | 135.2 |
| तमिलनाडु | 164.0 | 103.0 | 116.1 | 212.7 | 122.2 | 138.3 | 199.8 | 118.2 | 133.5 |
| तेलंगाना | 381.1 | 135.0 | 179.5 | 350.3 | 160.6 | 177.7 | 360.2 | 156.6 | 178.0 |
| उत्तराखंड | 129.2 | 104.5 | 109.7 | 166.8 | 107.9 | 112.2 | 140.2 | 106.4 | 111.0 |
| उत्तर प्रदेश | 193.2 | 70.7 | 73.2 | 271.5 | 88.8 | 100.3 | 256.0 | 79.5 | 86.5 |
| पश्चिम बंगाल | 192.9 | 84.0 | 89.5 | 226.5 | 101.5 | 114.4 | 224.5 | 95.9 | 106.6 |
| **संपूर्ण भारत** | **234.7** | **91.2** | **103.7** | **248.7** | **120.5** | **134.9** | **244.7** | **111.0** | **124.8** |

टिप्पणी : * लदाख केंद्रशासित क्षेत्र शामिल नहीं है

स्रोत : वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23

उद्योगों और अनौपचारिक उद्यमों पर आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों के परिणामों से पता चलता है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का आकार छोटा रहा है लेकिन हाल के वर्षों में पैमाने और उत्पादकता के लिहाज से प्रगति दिखी है। बिहार में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने समग्र औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के साथ-साथ विशेष क्षेत्रों के लिए भी नीतियां तैयार की हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने राज्य में तेजी से औद्योगीकरण के लिए

संस्थागत ढांचा निर्मित किया है। दूसरे, जैसा कि वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण, 2022-23 में दिखता है, बिहार में अनिगमित कृषीतर क्षेत्र बड़ा है लेकिन छोटे पैमाने पर उत्पादन और उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस विशाल क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों और उद्यम क्षेत्रों के विकास में राज्य की भूमिका पर नीचे चर्चा की गई है।

## 4.3 कृषि आधारित उद्योग

### चीनी उद्योग

चीनी उत्पादन के अलावा जैव-इंधन के रूप ईथेनॉल उत्पादन और बिजली उत्पादन के कारण राज्य में ऊर्जा उत्पादन में चीनी उद्योगों की भूमिका बढ़ गई है। राष्ट्रीय जैव-इंधन नीति, 2018 में ईख के रस का उपयोग करके ईथेनॉल का उत्पादन करने को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2023-24 में राज्य के नौ चीनी मिलों ने 677.20 लाख क्विंटल ईख की पेराई की। बीएच के जरिए 10.16 प्रतिशत चीनी प्राप्ति की दर पर कुल चीनी उत्पादन 68.77 लाख क्विंटल था (देखें तालिका 4.15)। विगत वर्षों में चीनी प्राप्ति की दर बढ़ी है इसलिए ईख की उत्पादकता भी बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में राज्य में चीनी मिलों की 530 हजार लीटर प्रतिदिन की आसवन क्षमता और 88.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रही है (देखें तालिका 4.16)। चीनी मिलों में उत्पादन से संबंधित गतिविधियां बढ़ने से उनके चलने के दिन भी बढ़े हैं जिसका अर्थ हुआ कि चीनी मिलों में अधिक दिनों तक रोजगार मिला (देखें तालिका 4.17)। राष्ट्रीय जैव-इंधन नीति, 2018 के आधार पर बिहार सरकार ने बिहार जैव-इंधन प्रोत्साहन नीति, 2023 अधिसूचित की है। नीति के वर्णित उद्देश्य ये हैं : एक, राष्ट्रीय जैव-इंधन नीति, 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव-इंधन समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सारे फीडस्टॉक से ईथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी)/ बायो-सीएनजी के उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य ईथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) विनिर्माण के क्षेत्र में योग्य निवेश में सहयोग देना और उसे वित्तीय प्रोत्साहन देना। तीसरे, नीति का लक्ष्य फीडस्टॉक या कच्चा माल उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाना, और विनिर्माण इकाइयों तथा संबंधित सेवाओं में रोजगार पैदा करना।

**तालिका 4.15 : चीनी उत्पादन और चीनी प्राप्ति की दर के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2021-22 से 2023-24)**

| चीनी मिल का नाम | पेरी गई ईख (लाख क्विंटल) | उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) | चीनी की प्राप्ति (%) | पेरी गई ईख (लाख क्विंटल) | उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) | चीनी की प्राप्ति (%) | पेरी गई ईख (लाख क्विंटल) | उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) | चीनी की प्राप्ति (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
| बगहा | 81.9 | 8.9 | 10.9 | 104.53 | 10.78 | 10.32 | 104.46 | 11.31 | 10.81 |
| हरिनगर | 124.1 | 12.3 | 9.9 | 147.1 | 14.45 | 9.82 | 149.91 | 16.0 | 9.66 |
| नरकटियागंज | 80.8 | 7.9 | 9.8 | 96.64 | 9.17 | 9.49 | 97.81 | 10.34 | 10.58 |
| मंझौलिया | 31.7 | 2.0 | 7.7 | 51.76 | 4.11 | 7.93 | 54.25 | 4.37 | 8.20 |
| गोपालगंज | 26.3 | 2.5 | 9.9 | 45.99 | 4.44 | 9.65 | 49.11 | 4.67 | 9.67 |
| सिधवलिया | 32.4 | 3.0 | 9.2 | 54.33 | 4.40 | 9.37 | 63.91 | 6.06 | 9.49 |
| रीगा | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| हसनपुर | 48.7 | 5.0 | 10.3 | 77.32 | 8.18 | 10.59 | 75.51 | 8.44 | 11.21 |
| लौरिया | 23.9 | 2.0 | 9.2 | 44.52 | 3.76 | 8.95 | 41.16 | 3.90 | 9.47 |
| सुगौली | 23.2 | 1.9 | 9.1 | 40.77 | 3.45 | 8.85 | 41.08 | 3.68 | 8.96 |
| **योगफल** | **473.1** | **45.6** | **9.6** | **662.96** | **62.74** | **9.46** | **677.20** | **68.77** | **10.16** |

स्रोत : गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 4.16 : आसवन क्षमता और बिजली उत्पादन के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2021-22 से 2023-24)**

| चीनी मिल का नाम | आसवन क्षमता (हजार ली. प्रतिदिन) | | | बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावट में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| बगहा | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| हरिनगर | 120 | 165 | 165 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| नरकटियागंज | 60 | 60 | 60 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| मंझौलिया | 45 | 60 | 60 | — | — | — |
| गोपालगंज | — | — | — | — | — | — |
| सिधवलिया | 75 | 75 | 75 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| रीगा | 50 | 50 | 50 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| हसनपुर | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| लौरिया | 60 | 60 | 60 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| सुगौली | 60 | 60 | 60 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| **औसत** | **470** | **530** | **530** | **88.5** | **88.5** | **88.5** |

स्रोत : गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 4.17 : चीनी मिलों की कार्यसंचालन अवधि (2021-22 से 2023-24)**

| चीनी मिल का नाम | संचालन के दिनों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| बगहा | 116 | 129 | 136 |
| हरिनगर | 113 | 122 | 128 |
| नरकटियागंज | 109 | 123 | 127 |
| मंझौलिया | 75 | 107 | 117 |
| गोपालगंज | 86 | 106 | 112 |
| सिधवलिया | 75 | 106 | 126 |
| रीगा | — | — | — |
| हसनपुर | 91 | 137 | 143 |
| लौरिया | 85 | 133 | 131 |
| सुगौली | 81 | 110 | 132 |
| **औसत** | **92** | **119** | **128** |

स्रोत : गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत खेतों में ईख का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित तथा फसल विविधीकरण पर अवधान वाली कई योजनाएं शामिल हैं। ईख के साथ दलहनी फसलों की अंतरफसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करके फसल विविधीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। ईख के साथ-साथ अन्य फसलों, खास कर दलहनों के उत्पादन से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके परिवारों के स्तर पर पोषण का संतुलन स्थापित होगा। वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण वित्तीय निकासी वाली प्रमुख योजनाओं में ईख की चुनिंदा किस्मों के लिए अनुदान (1337.92 लाख रु.), और उसके बाद प्रमाणित बीजों के उपयोग पर प्रोत्साहन (311.0 लाख रु.) तथा आधार बीजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन (210.0 लाख रु.) शामिल हैं। इन सारी पहलों से राज्य में ईख उत्पादक किसानों के बड़े हिस्से को मदद मिली है।

**तालिका 4.18 : मुख्यमंत्री ईख विकास कार्यक्रम (बीज विकास) का प्रदर्शन (2023-24)**

| पहलकदमियों का विवरण | इकाई | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) |
| **त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम** | | | | | |
| भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान के मोतीपुर केंद्र द्वारा राज्य में प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए 2.20 लाख रु. प्रति हे. प्रोत्साहन राशि | हेक्टेयर | 35 | 77.0 | 35 | 77.0 |
| आधार बीज उत्पादन के लिए 60,000 रु. प्रति हे. प्रोत्साहन राशि | हेक्टेयर | 350 | 210.0 | 246.27 | 147.751 |
| प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 50 रु. प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि | लाख क्विंटल | 6.22 | 311.0 | 3.46 | 172.84 |
| ईख के चुनिंदा प्रभेदों के लिए सामान्य श्रेणी हेतु 210 रु. और अजा/ अजजा श्रेणी हेतु 240 रु. प्रति क्विंटल क्रय अनुदान | लाख क्विंटल | 6.22 | 1337.92 | 3.46 | 729.34 |
| प्रमाणित बीजों का उपयोग करके ईख में मसूर की अंतरफसल के लिए अनुदान (बीज की कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 800 रु. प्रति एकड़) | एकड़ | 1500 | 12.0 | 1037.5 | 5.54 |
| प्रमाणित बीजों का उपयोग करके ईख में मूंग की अंतरफसल खेती के लिए अनुदान (बीज की कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 800 रु. प्रति एकड़) | एकड़ | 3000 | 24.0 | 728.8 | 5.05 |
| ईख को छेदक कीटों या अन्य रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों के उपयोग पर अनुदान (क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत, अधिकतम 2500 रु. प्रति हे.) | हेक्टेयर | 5900 | 147.5 | 2742 | 62.95 |
| जैव-उर्वरक/ जैव-कंपोस्ट की खरीद पर अधिकतम 150 रु. प्रति क्विंटल की दर से 25 क्विंटल प्रति हे. के लिए क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान (जो 3750 रु. प्रति हे. होता है) | हेक्टेयर | 1000 | 37.5 | 613 | 20.43 |
| बड चिप/ सिंगल चिप विधि से ईख रोपने के लिए अधिकतम 10,000 बीज प्रति एकड़ पर 1.50 रु. प्रति बीज का अनुदान (जो 15,000 रु. प्रति एकड़ होता है) | मात्रा | 350 | 52.5 | 58 | 8.7 |
| बिहार में गन्ना अनुश्रवण एवं परामर्श सेवाओं (मास) के लिए गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा को | — | — | 20.61 | — | — |
| एनआइसी, पटना द्वारा ''ईख प्रबंधन पोर्टल के डिजाइन एवं विकास'' और अधिकारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरण (टैब) के प्रावधान के लिए धनराशि आबंटन | — | — | 40.0 | — | 37.28 |
| **योगफल** | | | **2270.03** | | **1266.89** |

स्रोत : गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बीजों को बढ़ावा देने के अलावा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत ईख उत्पादक किसानों, चीनी मिल के प्रतिनिधियों और गन्ना विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने विभिन्न हितधारकों के लिए राज्य के अंदर प्रशिक्षण देने या उनके लिए देश के विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए आबंटित 229.97 लाख रु. में से 189.83 लाख रु. खर्च किए।

**तालिका 4.19 : मुख्यमंत्री ईख विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण) का प्रदर्शन (2023-24)**

| प्रशिक्षण कार्यक्रम | इकाई | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) | भौतिक | वित्तीय (लाख रु.) |
| 30.00 लाख रु. प्रति संगोष्ठी की दर से एक-दिवसीय राज्यस्तरीय संगोष्ठी/ कार्यशाला | संख्या | 3 | 90.0 | 2 | 59.84 |
| बिहार के बाहर विभागीय अधिकारियों/ चीनी मिलों के प्रतिनिधियों की यात्रा और प्रशिक्षण | | | 49.97 | | 49.97 |
| 20 प्रगतिशील किसानों की टीम की 7 से 10 दिनों के लिए 1500 रु. प्रति किसान प्रतिदिन की दर से दौरा-सह-प्रशिक्षण यात्रा, (प्रशिक्षण स्थल वीएसआइ पुणे/ एसबीआइ कोयंबटूर, एसबीआइ करनाल/ एसबीआइ सिवराही/ एनएसआइ कानपुर/ आइआइएसआर लखनऊ और अन्य गन्ना संस्थान) | संख्या | 15 | 45.0 | | 45.0 |
| 10,000 रु. प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम की दर से किसानों का एक-दिवसीय प्रशिक्षण | संख्या | 450 | 45.0 | 359 | 35.02 |
| **योगफल** | — | | **229.97** | | **189.83** |

स्रोत : गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**नवीनतम पहलें**

- राज्य सरकार ने रीगा चीनी मिल को फिर शुरू किया है जिससे सीतामढ़ी में ईख का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा।
- वर्ष 2024-25 में बिहार गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने 81 गुड़ उत्पादक इकाइयों को कुल 12.40 करोड़ रु. की सब्सिडी आबंटित की है। योजना के तहत विभिन्न आकार की गुड़ उत्पादन इकाइयों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।
- वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने ईख यंत्रीकरण योजना की शुरुआत की है। इस पहल में ईख की खेती का खर्च घटाने और उत्पादन बढ़ाने की संभावना है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

## गव्य (डेयरी) उद्योग

बिहार में गव्य उद्योग के विकास के लिए बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड (कॉम्फेड) की स्थापना 1983 में हुई थी। सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करने के अलावा, कॉम्फेड पशुपालकों को और भी अनेक तरीकों से सहयोग-समर्थन देता है। वर्ष 2023-24 में कॉम्फेड के सदस्यों की संख्या 13.5 लाख थी (देखें तालिका 4.22)। तालिका 4.20 के अनुसार, 2023-24 में संगठित संस्थाओं की कुल संख्या 29,172 थी जो बिहार और झारखंड की 13 इकाइयों में फैली थी। विगत वर्षों के दौरान इन 13 दुग्ध संघों या परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण बढ़ता गया है। कुल दैनिक दुग्ध संग्रहण 2022-23 के 1662 हजार किग्रा से बढ़कर 2023-24 में 2305.1 किग्रा हो गया जो एक वर्ष में 38.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (देखें तालिका 4.21)। साथ ही, सभी संघों और परियोजनाओं की दुग्ध सहकारिता समितियों में प्रति कार्यशील दुग्धशाला दैनिक दुग्ध संग्रहण भी बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में कॉम्फेड ने प्रति कार्यशील दुग्ध सहकारिता समिति से 81.4 किग्रा दूध प्रतिदिन संग्रहित किया था जो 2023-24 में बढ़कर 110.9 किग्रा हो गया है।

वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या 8.8 प्रतिशत बढ़ी है। कॉम्फेड अपने विपणन ब्रांड सुधा के तहत अनेक मूल्यवर्धित उत्पादों की भी ब्रिकी करता है। तालिका 4.22 दर्शाती है कि 2022-23 से 2023-24 के बीच सभी उत्पादों में दही, आइसक्रीम, घी और गुलाबजामुन की बिक्री बढ़ी है।

कॉम्फेड द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, कृमिनाशन, बीज उत्पादन, और पशु आहार वितरण जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच टीकाकरण की संख्या 35 प्रतिशत बढ़ गई (तालिका 4.22)। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बीज वितरण और पशु आहार वितरण भी काफी बढ़ा है।

**तालिका 4.20 : विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत गव्य सहकारी समितियों की संख्या (2022-23 और 2023-24)**

(संख्या)

| संघ/ परियोजना | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संगठित समितियां | कार्यशील समितियां | निर्बंधित समतियां | संगठित समितियां | कार्यशील समितियां | निर्बंधित समतियां |
| वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना | 5334 | 3216 | 1448 | 4852* | 2925* | 1396* |
| देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी | 2591 | 2512 | 1344 | 2664 | 2480 | 1353 |
| मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर | 2856 | 2184 | 1258 | 2935 | 2147 | 1258 |
| तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर | 4833 | 3002 | 1236 | 5063 | 3246 | 1314 |
| शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा | 4301 | 2452 | 1427 | 4457 | 2559 | 1427 |
| विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर | 2150 | 1727 | 489 | 2193 | 1758 | 489 |
| मगध दुग्ध संघ, गया | 2739 | 2476 | 418 | 2420* | 2229* | 386* |
| कोशी गव्य परियोजना, पूर्णिया | 1589 | 1480 | 101 | 1739 | 1630 | 101 |
| नालंदा डेयरी, बिहारशरीफ | — | — | — | 1051 | 392 | 59 |
| रांची दुग्ध परियोजना, रांची | 81 | 67 | 12 | 88 | 69 | 12 |
| कोशी दुग्ध संघ, सुपौल | 1550 | 1248 | 187 | 1621 | 1282 | 187 |
| बोकारो डेयरी | 28 | 24 | 0 | 31 | 27 | 0 |
| जमशेदपुर डेयरी | 56 | 34 | 0 | 58 | 36 | 0 |
| **योगफल** | **28108** | **20422** | **7920** | **29172** | **20780** | **7982** |

टिप्पणी : * वैशाल, पाटलिपुत्र और मगध दुग्ध संघों के अंतर्गत की कुछ दुग्ध सहकारी समितियों को 2023-24 में नालंदा डेयरी, बिहारशरीफ में स्थानांतरित किया गया है

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

**तालिका 4.21 : विभिन्न संघों/ परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण (2019-20 से 2023-24)**

(हजार किलोग्राम में)

| संघ/ परियोजना | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24* |
|---|---|---|---|---|---|
| वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना | 312.2 | 250.9 | 203.0 | 284.0 | 410.4 |
| देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी | 455.5 | 392.6 | 285.2 | 364.0 | 502.5 |
| मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर | 368.8 | 284.9 | 208.6 | 264.3 | 342.2 |
| तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर | 227.4 | 170.2 | 158.9 | 230.8 | 295.9 |
| शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा | 205.7 | 186.9 | 205.9 | 267.5 | 306.1 |
| विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर | 54.5 | 49.5 | 43.8 | 55.6 | 66.3 |
| मगध दुग्ध संघ, गया | 51.8 | 38.8 | 40.9 | 54.5 | 76.3 |
| कोशी दुग्ध संघ, सुपौल | 38.4 | 29.5 | 26.1 | 52.4 | 94.5 |
| कोशी गव्य परियोजना, पूर्णिया | 35.4 | 28.4 | 26.2 | 45.8 | 91.9 |
| नालंदा डेयरी, बिहारशरीफ | - | - | - | - | 46.7 |
| रांची/ बोकारो/ जमशेदपुर दुग्धशाला | 30.2 | 28.1 | 30.0 | 43.1 | 111.5 |
| **योगफल** | **1779.9** | **1459.8** | **1228.6** | **1662.0** | **2305.1** |

टिप्पणी : * 2023-24 के लिए दुग्ध सहकारी समितियों के दैनिक दुग्ध संग्रहण का योगफल नहीं किया गया है क्योंकि नालंदा डेयरी, बिहारशरीफ ने दूध संग्रहण करना फरवरी 2024 से शुरू किया

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.22 : कॉम्फेड के प्रसार, उत्पादों का वितरण, और उसके द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं (2019-20 से 2023-24)

| सूचक | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **सहकारी समितियां** | | | | | |
| संगठित (संख्या) | 24223 | 25024 | 26504 | 28108 | 29172 |
| कार्यशील (संख्या) | 17887 | 18307 | 19405 | 20422 | 20780 |
| निर्बंधित (संख्या) | 7316 | 7434 | 7679 | 7920 | 7982 |
| सदस्यों की संख्या (लाख) | 12.30 | 12.57 | 13.1 | 13.5 | 13.85 |
| **उत्पादों का विपणन** | | | | | |
| खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या | 21573 | 24459 | 26685 | 28966 | 31529 |
| दूध (लाख लीटर प्रतिदिन) | 15.1 | 15.2 | 17.1 | 17.8 | 16.9 |
| घी (टन) | 1915 | 2096 | 2194 | 2149 | 2231 |
| लस्सी (टन) | 10371 | 8730 | 9288 | 14464 | 9998 |
| पेड़ा (टन) | 1377 | 1450 | 1324.9 | 1314.57 | 1195.3 |
| पनीर (टन) | 5457 | 5157 | 5606.4 | 6165.90 | 6128.7 |
| दही (टन) | 14748 | 14902 | 23058 | 32420.10 | 34907.5 |
| गुलाबजामुन (टन) | 1582 | 1788 | 1495 | 1340.27 | 1348.8 |
| आइसक्रीम (टन) | 1598 | 656 | 1073.3 | 1646.45 | 1918.5 |
| **सेवाएं** | | | | | |
| कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या | 4427 | 4504 | 4933 | 5555 | 5587 |
| कृत्रिम गर्भाधान (लाख) | 23.0 | 23.9 | 24.9 | 29.3 | 29.3 |
| टीकाकरण (लाख) | 16.6 | 4.3 | 9.6 | 6.8 | 9.2 |
| कृमिनाशन (लाख) | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 9.9 |
| बीज वितरण (टन) | 1522.8 | 1185.0 | 1545.2 | 1558.2 | 1633.3 |
| पशु आहार वितरण (टन) | 56489 | 36721 | 38727 | 54403 | 72746 |

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

नवंबर, 2023 में, कॉम्फेड द्वारा किसानों, खास कर दूध उत्पादकों के संपुर्ण विकास के लिए एक नई पहल की गई है। कॉम्फेड ने पांच दुग्ध संघों में 10 कृषक उत्पादक संघों (एफपीओ) के गठन में मदद की है। आम तौर पर कृषक उत्पादक संघों का गठन और प्रबंधन किसानों द्वारा किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में उत्पाद के ऊपर नियंत्रण होने के कारण उन्हें उत्पाद की कीमत तय करने के लिए मोलतोल की ताकत हासिल होती है। कृषक उत्पादक संघों के गठन और उन्हें सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉम्फेड के दुग्ध संघों को आनंद स्थित राष्ट्रीय गव्य विकास पर्षद (एनडीडीबी) के साथ मिलकर संकुल आधारित व्यवसाध संघ (सीबीबीओ) के बतौर चुना गया है। दो प्रकार के कृषक उत्पादक संघ गठित किए गए हैं : फॉडर प्लस कृषक उत्पादक संघ और शहद

उत्पादन कृषक उत्पादक संघ। गठित हुए 10 कृषक उत्पादक संघों में से सात फॉडर प्लस कृषक उत्पादक संघ और तीन शहद उत्पादन कृषक उत्पादक संघ हैं।

## 4.4 कृषीतर उद्योग

### वस्त्र उद्योग

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के दायरे में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022 अधिसूचित की गई है। इस नीति का लक्ष्य रेशे से फैशन तक मूल्यश्रृंखला का निर्माण, सूक्ष्म और लघु इकाइयों को बढ़ावा देना, तथा खादी, रेशम, हथकरघा, और पावरलूम के मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा, नीति के तहत होजियरी, पोशाक, और वस्त्र प्रसंस्करण खंड में बड़ी इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। बिहार में 14 जिलों में विशेष हथकरघा उत्पादों का निर्माण होता है जिसे तालिका 4.23 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.23 : बिहार में हैंडलूम उत्पादों के संकेंद्रण वाले विभिन्न जिले**

| जिला | उत्पाद |
|---|---|
| भागलपुर | रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े |
| बांका | तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए-गमछे |
| गया | सूती कपड़ों के थान, बेड शीट, तौलिए-गमछे, ऊनी कंबल |
| नालंदा | सूती, रेशमी, लिनेन साड़ी, बावनबूटी साड़ी, बिस्तर के खोल, तौलिए-गमछे, तसर और मलबरी रेशम का कुर्ता का कपड़ा, तसर और मूंगा का कमीज का कपड़ा, मर्सराइज्ड कटिया तसर का कुर्ता का कपड़ा |
| नवादा | तसर रेशम और सूती पोशाक के सामान |
| मधुबनी | महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़े |
| औरंगाबाद, रोहतास | तौलिए-गमछे, ऊनी कालीन, ऊनी कंबल |
| कैमूर | ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियां |
| पटना, सीवान | सूती कपड़े, बेडशीट, चादरें, कमीज का कपड़ा, लुंगी, तौलिए-गमछे, डस्टर, सादा कपड़े |
| पूर्णिया, कटिहार | जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, आंतरिक सज्जा सामग्रियां |
| पश्चिम चंपारण | शॉल, मफलर, तौलिए-गमछे, चादरें |

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

राज्य में तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है – मलबरी, तसर और अंडी/ऐरी। जैसा कि तालिका 4.24 में दर्शाया गया है, 2023-24 में मलबरी रेशम के कोयों का कुल उत्पादन 10.4 टन था जिससे 1.2 टन कच्चा रेशम प्राप्त हुआ। वहीं, तसर और अंडी के कच्चे रेशम का क्रमशः 43.9 टन और 15.2 टन उत्पादन हुआ। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच तसर और अंडी के कच्चे रेशम का उत्पादन क्रमशः 18 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में कुल बजट आबंटन 430.0 लाख रु. था जो गत वर्ष से 32.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। उस वित्तवर्ष में पूरे बजट का उपयोग कर लिया गया।

**तालिका 4.24 : बिहार में रेशम उत्पादन का ब्योरा (2019–20 से 2023–24)**

| वर्ष | रोगमुक्त अंडा पालन (लाख) | कुल कॉकून उत्पादन | कच्चा रेशम (टन) |
|---|---|---|---|
| **मलबरी** | | | |
| 2019-20 | 1.2 | 24.7 (टन) | 2.2 |
| 2020-21 | 0.9 | 25.0 (टन) | 2.0 |
| 2021-22 | 0.7 | 20.3 (टन) | 1.9 |
| 2022-23 | 0.5 | 14.5 (टन) | 1.4 |
| 2023-24 | 1.8 | 10.4 (टन) | 1.2 |
| **तसर** | | | |
| 2019-20 | 11.2 | 588.0 (लाख) | 45.5 |
| 2020-21 | 9.9 | 568.0 (लाख) | 47.0 |
| 2021-22 | 12.3 | 452.1 (लाख) | 41.4 |
| 2022-23 | 8.6 | 411.7 (लाख)) | 37.1 |
| 2023-24 | 10.4 | 511.3 (लाख) | 43.9 |
| **अंडी** | | | |
| 2019-20 | 1.3 | 10.9 (टन) | 8.7 |
| 2020-21 | 1.3 | 10.2 (टन) | 8.2 |
| 2021-22 | 2.1 | 17.0 (टन) | 14.0 |
| 2022-23 | 3.2 | 16.4 (टन) | 13.2 |
| 2023-24 | 2.4 | 19.3 (टन) | 15.2 |

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

बिहार में हैंडलूम और पावरलूम क्षेत्रों को टिकाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 2023–24 में पावरलूम इकाइयों को 33.34 करोड़ रु. की विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराई है। हर हथकरघा चालक को अपना काम चलाने के लिए कार्यशील पूंजी के बतौर 10,000 रु. मिले हैं। इस मकसद से राज्य सरकार ने 2023–24 में 2.0 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

**तालिका 4.25 : हैंडलूम और पावरलूम क्षेत्र के लिए जारी योजनाएं (2023–24)**

(करोड़ रु.)

| योजना | योजना का विवरण | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| विद्युत सब्सिडी अनुदान | पावरलूम बुनकरों को 3.00 रु. प्रति यूनिट की दर से विद्युत सब्सिडी देना | 33.34 | 33.34 |
| कार्यशीला पूंजी योजना | राज्य के चालू हथकरघों को कार्यशील पूंजी के बतौर 10,000 रु. देना | 2.0 | 2.0 |
| **योगफल** | | **35.34** | **35.34** |

स्रोत : उद्योग विभाग, हैंडलूम, बिहार सरकार

### बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद (केवीआइबी)

बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद (केवीआइबी) हथकरघा क्षेत्र के लिए सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। तालिका 4.26 के अनुसार, 2023-24 में पर्षद ने हथकरघा चालकों को कार्यशील पूंजी के बतौर 436.13 लाख रु. उपलब्ध कराए हैं और उनके बीच चरखे बांटने पर 191.94 लाख रु. खर्च किए हैं। वर्ष 2024-25 में (सितंबर 30, 2024 तक) पर्षद ने 650 चरखे और 150 हथकरघे बांटे हैं तथा हथकरघा चालकों को कार्यशील पूंजी के बतौर 270.0 लाख रु. उपलब्ध कराए हैं। पर्षद ने ऋणों की वसूली भी की है। उसने हथकरघा चालकों से 2023-24 में 418.58 लाख रु. और 2024-25 में (30 सितंबर, 2024 तक) 221.53 लाख रु. की वसूली की। स्पष्ट है कि गत दो वर्षों में ऋणों की वसूली बढ़ी है।

चरखों और हथकरघों का वितरण करने के अलावा, पर्षद ने खादी संस्थाओं और समितियों को छूट भी उपलब्ध कराई है। वर्ष 2023-24 में पर्षद ने 53 संस्थाओं या समितियों को 292.45 लाख रु. की छूट स्वीकृत की। वहीं 2024-25 में (30 सितंबर, 2024 तक) 52 संस्थाओं या समितियों को 290.83 लाख रु. की छूट उपलब्ध कराई गई है।

**तालिका 4.26 : खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद द्वारा चरखा, करघा और कार्यशील पूंजी वितरण का विवरण (2022-23 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| विवरण | 2022-23 | | | 2023-24 | | | 2024-25 (30 सितंबर 2024 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्थाओं की संख्या | वितरित सामानों की संख्या | रकम (लाख रु.) | संस्थाओं की संख्या | वितरित सामानों की संख्या | रकम (लाख रु.) | संस्थाओं की संख्या | वितरित सामानों की संख्या | रकम (लाख रु.) |
| चरखा | 21 | 355 | 7.78 | 56 | 1400 | 191.94 | 26 | 650 | 79.57 |
| करघा | 5 | 22 | 2.79 | — | — | — | 28 | 150 | 60.75 |
| कार्यशील पूंजी | 21 | 485 | 208.90 | 45 | 1125 | 436.13 | 27 | 675 | 270.0 |

स्रोत : उद्योग विभाग, हैंडलूम, बिहार सरकार

## 4.5 बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य सरकार ने राज्य को मिलने वाले क्षेत्रगत लाभों के मूल्यांकन के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। साथ ही, औद्योगिक विकास बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य सरकार का इन सुविधाओं का लाभ उठाने का इरादा है। राज्य सरकार ने राज्य में प्राथमिकता वाले इन क्षेत्रों की पहचान की है : खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटी मशीनों का विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं, विद्युत एवं इलक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक एवं रबर, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखरेख, चर्म, तथा तकनीकी शिक्षा। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने विशेष क्षेत्रों के लिए बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति 2022, बिहार स्टार्ट-अप नीति 2022, और बिहार जैव-इंधन प्रोत्साहन नीति 2023 जैसे दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेज भी तैयार किए हैं।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करता है और राज्य में निवेश प्रस्तावों को चुनने में पारदर्शी, जवाबदेह

तथा विश्वसनीय तरीका अपनाता है। सितंबर 2024 तक बोर्ड को 3752 ऑनलाइन आवेदन मिले जिसमें से 3150 निवेश प्रस्तावों को कुल 75,293.76 करोड़ रु. के निवेश के लिए आरंभिक अनापत्ति प्राप्त हो गई। वर्ष 2023–24 में 706 प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए निवेश की प्रस्तावित रकम 5642.57 करोड़ रु. थी। बिहार में अभी 769 इकाइयां चल रही हैं। इन कार्यशील इकाइयों में कुल निवेश 8464.35 करोड़ रु. है और उनमें 31,749 श्रमिकों को रोजगार मिला है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य सरकार ने इन कार्यशील इकाइयों को 1615.37 करोड़ रु. का अनुदान दिया है (देखें तालिका 4.27)।

**तालिका 4.27 : बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत निवेश का ब्योरा (2016–17 से 2024–25, सितंबर 2024 तक)**

| क्रियान्वयन के चरण | 2016-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|
| नई नीति के तहत निवेश के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | 2291 | 430 | 706 | 325 | 3752 |
| प्रथम चरण की अनापत्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | 1959 | 415 | 539 | 237 | 3150 |
| निवेश की प्रस्तावित रकम (करोड़ रु.) | 56587.36 | 8417.25 | 5642.57 | 4646.58 | 75293.76 |
| वित्तीय प्रोत्साहन अनापत्ति के लिए प्राप्त पेशकश की संख्या | 485 | 143 | 215 | 146 | 989 |
| वित्तीय प्रोत्साहन अनापत्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों के तहत निवेश की रकम (करोड़ रु.) | 4242 | 2076.08 | 2915.65 | 1723.84 | 10957.57 |
| कार्यशील इकाइयों की संख्या | 353 | 83 | 194 | 139 | 769 |
| कार्यशील इकाइयों में निवेशित कुल रकम (करोड़ रु.) | 2500.57 | 1250.90 | 2522.79 | 2190.09 | 8464.35 |
| कार्यशील इकाइयों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या | 11194 | 4184 | 9083 | 7288 | 31749 |
| बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत विमुक्त अनुदान की रकम (करोड़ रु.) | 353.31 | 470.04 | 557.26 | 234.76 | 1615.37 |

टिप्पणी : * सितंबर 2024 तक
स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

तालिका 4.28 में वर्णित क्षेत्र-वार निवेश विवरणों से पता चलता है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सबसे बड़ा है जिसमें 353 कार्यशील इकाइयों द्वारा कुल 3517.09 करोड़ रु. निवेश किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जैव-इंधनों पर सकारात्मक नीति निर्माण के कारण गत कुछ वर्षों में राज्य में ईथेनॉल के उत्पादन में काफी निवेश आकर्षित हुआ है। सितंबर 2024 तक राज्य में इसकी 12 इकाइयां चल रही थीं जिनमें कुल निवेश 1363.38 करोड़ रु. था। वहीं, ईथेनॉल उत्पादन में प्रस्तावित निवेश 30,747.55 करोड़ रु. था जो राज्य में कुल प्रस्तावित निवेश का 41 प्रतिशत है। इसके अलावा, सीमेंट उद्योग में भी तेजी से निवेश बढ़ रहा है। सितंबर 2024 तक सीमेंट उद्योग में 872.94 करोड़ रु. निवेश किया जा चुका था। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी निवेश आकर्षित हुआ है। सितंबर 2024 तक 10,613.20 करोड़ रु. के कुल निवेश वाले 75 प्रस्तावों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हो गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 13 इकाइयां चालू थीं जिनमें कुल निवेश 568.91 करोड़ रु. था।

तालिका 4.28 : बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थिति (सितंबर 2024 तक)

| क्षेत्र | प्रथम चरण की अनापत्ति | | कार्यशील इकाइयां | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | निवेश (करोड़ रु.) | संख्या | निवेश (करोड़ रु.) |
| खाद्य प्रसंस्करण | 1369 | 16245.72 | 353 | 3517.09 |
| सामान्य विनिर्माण | 710 | 4533.83 | 158 | 803.98 |
| प्लास्टिक और रबर | 317 | 1347.72 | 105 | 406.51 |
| पर्यटन | 84 | 994.51 | 26 | 252.83 |
| स्वास्थ्य देखरेख | 122 | 2254.78 | 42 | 407.74 |
| वस्त्र | 140 | 712.81 | 20 | 175.80 |
| नवीकरणीय ऊर्जा | 75 | 10613.20 | 13 | 568.91 |
| छोटी मशीनों का निर्माण | 36 | 172.22 | 05 | 7.52 |
| सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं | 27 | 416.34 | 12 | 29.12 |
| तकनीकी शिक्षा | 12 | 94.40 | 01 | 1.24 |
| विद्युत और इलक्ट्रॉनिक हार्डवेयर | 19 | 69.13 | 0 | 0 |
| चर्म उद्योग | 8 | 172.82 | 3 | 3.18 |
| काष्ठ उद्योग | 33 | 117.84 | 10 | 24.49 |
| ईथेनॉल | 164 | 30747.55 | 12 | 1363.38 |
| सीमेंट | 13 | 3945.92 | 05 | 872.94 |
| चीनी मिल (विस्तार) | 05 | 1922.34 | 0 | 0 |
| निजी औद्योगिक पार्क | 03 | 683.94 | 0 | 0 |
| अन्य | 12 | 93.94 | 4 | 29.62 |
| लॉजिस्टिक क्षेत्र | 01 | 154.75 | 0 | 0 |
| **योगफल** | **3150** | **75293.76** | **769** | **8464.35** |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

बिहार में औद्योगीकरण के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) ने नौ संकुलों का निर्माण किया है। 30 सितंबर 2024 तक बिआडा ने 7652.6 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी और औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयुक्त बनाने के लिहाज से उसे विकसित किया था। कुल अधिग्रहित जमीन में से 4520.8 एकड़ जमीन का औद्योगिक इकाइयों के बीच वितरण किया जा चुका है।

**तालिका 4.29 : बिआडा द्वारा विभिन्न संकुलों में भूमि अधिग्रहण और औद्योगीकरण के लिए जमीन तथा शेड के आबंटन का ब्योरा (30 सितंबर 2024)**

| संकुल | कुल अधिग्रहित जमीन और शेड | | अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड, सड़क आदि के लिए आरक्षित जमीन (एकड़) | कुल आबंटित जमीन और शेड | | मुकदमे वाली जमीन (एकड़) | आबंटन लायक कुल खाली जमीन और शेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जमीन (एकड़) | शेड (सं.) | | जमीन (एकड़) | शेड (सं.) | | जमीन (एकड़) | शेड (सं.) |
| बेगूसराय | 846.6 | 95 | 285.7 | 439.4 | 13 | 185.8 | 186.4 | 82 |
| भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया | 924.1 | 9 | 124.8 | 370.5 | 4 | 186.5 | 242.3 | 5 |
| गया | 598.8 | | 75.7 | 391.4 | | 26.8 | 100.5 | 0 |
| पटना | 470.8 | 42 | 75.6 | 341.1 | 11 | 50.4 | 3.7 | 31 |
| दरभंगा | 500.5 | 5 | 93.6 | 265.3 | 0 | 22.5 | 119.1 | 5 |
| हाजीपुर | 447.5 | 33 | 103.3 | 331.0 | 21 | 44.7 | 13.3 | 12 |
| मुजफ्फरपुर | 379.5 | 34 | 39.0 | 291.9 | 32 | 18.6 | 23.4 | 2 |
| बिहटा | 1975.1 | 109 | 156.2 | 1604.3 | 20 | 101.2 | 113.3 | 89 |
| मोतीपुर | 1509.6 | 61 | 233.8 | 485.8 | 33 | 36.1 | 629.0 | 28 |
| **योगफल** | **7652.6** | **388** | **1187.5** | **4520.8** | **134** | **672.6** | **1431.0** | **254** |

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

वर्ष 2023-24 में विभिन्न पैमानों के उद्यमों की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 में स्थापित इकाइयों की संख्या वस्तुत: गत वर्ष के दूने से भी अधिक हो गई। फलत:, 2022-23 और 2023-24 के बीच कुल निवेश 3.5 गुना बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 2022-23 की अपेक्षा सूक्ष्म उद्यमों में छ: गुना निवेश आकर्षित हुआ है। रोजगार सृजन के मोर्चे पर देखें, तो 2023-24 में सृजित कुल रोजगार में सूक्ष्म और लघु इकाइयों का 66.0 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच सभी उद्यमों में रोजगार सृजन 2.6 गुना बढ़ गया (देखें तालिका 4.30)।

वर्ष 2023-24 में निवेश का बड़ा हिस्सा चार प्रकार के उद्यमों में आया - खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण, प्लास्टिक एवं रबर, तथा सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं, इलक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (आइटी/ आइटीईएस/ ईएसडीएम)। वर्ष 2023-24 में सभी उद्यमों में हुए कुल निवेश में इन चारो उद्यमों का 93.4 प्रतिशत हिस्सा था। साथ ही, बड़े पैमाने का रोजगार पैदा करने में वस्त्र उद्यमों ने जबर्दस्त संभावना दिखाई है। वर्ष 2023-24 में कुल 419.7 करोड़ निवेश वाले 126 वस्त्र उद्यमों में 27,588 रोजगार अर्थात प्रति वस्त्र इकाई औसतन 219 रोजगार पैदा हो सके। रोजगार पैदा करने वाला अगला बड़ा क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण इकाई था क्योंकि 2023-24 में इनमें प्रति इकाई औसतन 67 रोजगार पैदा हुए।

**तालिका 4.30 : उद्यमों के प्रकार के अनुसार इकाइयों की संख्या, निवेश और रोजगार का ब्योरा (2022–23 और 2023–24)**

| उद्यमों की श्रेणी | इकाइयों की संख्या | | निवेश (करोड़ रु. में) | | रोजगार (संख्या) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 |
| सूक्ष्म | 196 | 448 | 250.2 | 1517.8 | 5451 | 11596 |
| लघु | 111 | 199 | 684.02 | 1373.7 | 8560 | 31070 |
| मध्यम | 14 | 45 | 470.32 | 1282.3 | 5623 | 12082 |
| वृहत | 7 | 21 | 1881.21 | 7378.8 | 5111 | 10021 |
| **योगफल** | **328** | **713** | **3285.75** | **11552.6** | **24745** | **64769** |

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

**तालिका 4.31 : विभिन्न उद्यमों के क्षेत्र में इकाइयों की संख्या, निवेश और रोजगार के विवरण (2022–23 और 2023–24)**

| उद्यमों की श्रेणी | इकाइयों की संख्या | | निवेश (करोड़ रु. में) | | रोजगार (संख्या) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 |
| **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र** | | | | | | |
| खाद्य प्रसंस्करण | 134 | 254 | 614.41 | 5887.9 | 5505 | 17040 |
| वस्त्र | 44 | 126 | 389.56 | 419.7 | 8004 | 27588 |
| चर्म | 14 | 10 | 54.85 | 52.0 | 1356 | 815 |
| सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा/ इलक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण | 11 | 38 | 32.22 | 566.5 | 412 | 3353 |
| **प्राथमिकता वाले क्षेत्र** | | | | | | |
| प्लास्टिक और रबर | 27 | 50 | 222.56 | 649.2 | 1476 | 2557 |
| छोटी मशीनों का निर्माण | 6 | 2 | 14.44 | 4.7 | 227 | 44 |
| स्वास्थ्य देखरेख | 7 | 12 | 28.07 | 44.1 | 259 | 588 |
| नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र | 1 | 4 | 17.09 | 87.5 | 130 | 490 |
| सामान्य विनिर्माण | 82 | 208 | 1640.1 | 3634.8 | 7172 | 11789 |
| ईथेनॉल | 2 | 1 | 272.42 | 90.0 | 204 | 300 |
| सेवाएं (तकनीकी शिक्षा सहित) | | 8 | | 56.30 | | 205 |
| **योगफल** | **328** | **713** | **3285.75** | **11492.7** | **24745** | **64769** |

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

## 4.6 उद्योग मित्र

उद्योग मित्र बिहार में व्यवसाय सुगमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। उद्योग मित्र अन्य सेवाओं के साथ-साथ परियोजना विवरिणयों पर सलाह देकर नए उद्यमियों को बिहार में उद्योग स्थापित करने में सहायता करता है। वर्ष 2023-24 में उद्योग मित्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से 2153 उद्यमी लाभान्वित हुए। साथ ही, उद्योग मित्र संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम और निवेशकों की बैठकें भी आयोजित करता है। वस्त्र उद्योग के लिए उद्योग मित्र द्वारा आयोजित ऐसी ही बैठक जुलाई 2024 में हुई थी। उद्योग मित्र के विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 200.00 लाख रु. आबंटित किए और वित्तवर्ष के अंदर पूरे आबंटन का उपयोग कर लिया गया।

**तालिका 4.32 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | आबंटित रकम (लाख रु.) | खर्च रकम (लाख रु.) | खर्च रकम (प्रतिशत में) | लाभान्वित उद्यमियों की सं. |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 616 |
| 2020-21 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 556 |
| 2021-22 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 797 |
| 2022-23 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 2196 |
| 2023-24 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 2153 |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## 4.7 मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाएं

समाज के विभिन्न तबकों के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने स्वरोजगार की अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। अभी राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ी जाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना चल रही हैं। इनमें से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना का आरंभ 2023-24 में हुआ है। वर्ष 2023-24 में बिहार लघु उद्यमी योजना सर्वप्रमुख योजना थी। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 के आधार पर राज्य सरकार ने अनुभव किया कि बिहार में बड़ी संख्या में गरीब परिवार रह रहे हैं। बिहार लघु उद्यमिता योजनाओं में इन गरीब परिवारों को लक्षित किया और उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत करने का लक्ष्य रखा। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए 250.0 करोड़ रु. का और 2024-25 के लिए 1000.0 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया है। आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से बड़ी संख्या में आवेदन आने की स्थिति में राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 2024-25 में कुल 100.0 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित था। इस 100 करोड़ रु. में से 20.0 करोड़ रु. अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए और 2.0 करोड़ रु. अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित था।

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2023-24 में 2,02,014 आवेदन प्राप्त हुए। उद्योग विभाग ने इन 2,02,014 आवेदनों में से 40,102 आवेदन स्वीकृत किए हैं और उनमें से लगभग सभी लोग इस योजना के तहत लाभान्वित

हुए हैं। 40,099 लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 200.47 लाख रु. खर्च किए हैं। लघु उद्यमी योजना के अलावा महिला उद्यमी योजना के तहत 1614 आवेदनों के लिए 70.95 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सभी उद्यमी योजनाओं के 47,404 आवेदकों को वित्तीय सहायता देने के लिए 524.93 लाख रु. खर्च किए हैं (देखें तालिका 4.34)।

**तालिका 4.33 : विभिन्न उद्यमी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों और चयनित उद्यमियों की संख्या (2022-23 और 2023-24)**

| योजना के लाभार्थी | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राप्त आवेदनों की संख्या | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | लाभार्थियों की संख्या | प्राप्त आवेदनों की संख्या | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | लाभार्थियों की संख्या |
| अनुसूचित जाति/ जनजाति | 48956 | 2047 | 1423 | 47858 | 1959 | 1656 |
| अति पिछड़ी जाति | 63864 | 2020 | 1293 | 71404 | 1800 | 1505 |
| युवा उद्यमी | 67487 | 2080 | 1327 | 71924 | 1882 | 1530 |
| महिला उद्यमी * | 43556 | 1964 | 1390 | 42993 | 1977 | 1614 |
| अल्पसंख्यक उद्यमी | — | — | — | 28260 | 1236 | 1000 |
| लघु उद्यमी | — | — | — | 202014 | 40102 | 40099 |
| **योगफल** | **223863** | **8111** | **5433** | **464453** | **48956** | **47404** |

टिप्पणी : * उभयलिंगी उद्यमी भी शामिल हैं।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 4.34 : विभिन्न उद्यमी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जानकारी (2022-23 और 2023-24)**

| योजना के लाभार्थी | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | वितरित रकम (लाख रु.) | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | वितरित रकम (लाख रु.) |
| अनुसूचित जाति/ जनजाति | 1423 | 114.58 | 1656 | 73.4 |
| अति पिछड़ी जाति | 1293 | 105.05 | 1505 | 68.19 |
| युवा उद्यमी | 1327 | 106.78 | 1530 | 67.08 |
| महिला उद्यमी * | 1390 | 111.55 | 1614 | 70.95 |
| अल्पसंख्यक उद्यमी | — | — | 1000 | 44.84 |
| लघु उद्यमी | — | — | 40099 | 200.47 |
| **योगफल** | **5433** | **437.96** | **47404** | **524.93** |

टिप्पणी : * उभयलिंगी उद्यमी भी शामिल हैं।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## 4.8 बिहार स्टार्ट-अप नीति 2022 के तहत स्टार्ट-अप की स्थिति

ऊपर वर्णित उद्यमी योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार ने बिहार में स्टार्ट-अप परितंत्र का भी निर्माण किया है। जैसा कि बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 के नीति दस्तावेज में वर्णित है, इसे चार स्तंभों पर रचना किया गया जिनका संक्षेप नाम युवा है। ये चार स्तंभ हैं : स्टार्ट-अप को हां (जागरूकता, नेटवर्किंग, और अनुश्रवण अभियान); स्टार्ट-अप के समर्थन के लिए नियामक सक्षमकर्ताओं की विमुक्ति; स्टार्ट-अप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिए शिक्षा प्रणाली की जीवंतता; और वित्तपोषण तथा इनक्यूबेशन सहयोग की उपलब्धता। राज्य सरकार ने कुछ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में 21 इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किए हैं। स्टार्ट-अप और इंटर्न लोगों को मिलाने के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्टार्ट-अप को कार्य-विस्तार के लिए सहायता देने के लिए पोस्ट-सीड फंड के बतौर 15 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में 46 स्टार्ट-अप सेल गठित किए हैं। वहीं, कौशल प्रदान करने के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना (सीआइएमपी) में नवाचार, उद्यमिता और उद्यम निर्माण पर प्रबंधन (पीजीडीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का दो-वर्षीय पूर्णकालिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जो स्टार्ट-अप बिहार द्वारा वित्तपोषित है। राज्य सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ मिलकर 150 करोड़ रु. का 'कोषों का कोष' बनाया है। इसके अलावा, 2023-24 में बिहार नवाचारी चुनौती '23, बिहार स्टार्ट-अप पुरस्कार '23, बिहार कनेक्ट, स्टार्ट-अप कार्यशाला के लिए महिलाएं, परितंत्र निर्माण कार्यशाला आदि आयोजन किए गए। अन्य उपलब्धियों में स्टार्ट-अप बिहार ने छलांग भरी और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा की गई राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग में 'उभरता परितंत्र' से 'आकांक्षी नेता' की रैंकिंग हासिल की। स्टार्ट-अप बिहार जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बिराक) ग्लोबल बायो-इंडिया 2024 में स्टेट पार्टनर बना है। साथ ही, 7 उद्योगपति या निगम बिहार के स्टार्ट-अप के मेंटर होंगे।

जैसा कि तालिका 4.35 में दर्शाया गया है, स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त 1706 आवेदनों में से 297 को प्रमाणन प्राप्त हुआ। वहीं, 297 प्रमाणित स्टार्ट-अप में से 267 को आरंभिक कोष की पहली किश्त के बतौर कुल 11.18 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने 65 प्रमाणित स्टार्ट-अप को आरंभिक कोष की दूसरी किश्त देने के लिए 3.90 करोड़ रु. वितरित किए हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने प्रमाणित स्टार्ट-अप को आरंभिक कोष देने के लिए 15.08 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

**तालिका 4.35 : बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 के तहत स्टार्ट-अप की वर्तमान स्थिति (2022-23 और 2023-24)**

| क्रियान्वयन के स्तर | 2022-23 | 2023-24 | योगफल |
|---|---|---|---|
| प्राप्त आवेदनों की सं. | 10856 | 1706 | 12562 |
| प्रमाणित स्टार्ट-अप की सं. | 181 | 297 | 478 |
| आरंभिक कोष की पहली किश्त पाने वाले स्टार्ट-अप की सं. | 152 | 267 | 419 |
| आरंभिक कोष की दूसरी किश्त पाने वाले स्टार्ट-अप की सं. | 37 | 65 | 102 |
| पहली किश्त में वितरित कुल रकम (करोड़ रु.) | 7.53 | 11.18 | 18.71 |
| दूसरी किश्त में वितरित कुल रकम (करोड़ रु.) | 2.22 | 3.90 | 6.12 |
| कुल वितरित रकम (करोड़ रु.) | 9.75 | 15.08 | 24.83 |

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

## 4.9 खान एवं भूतत्व

राज्य सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत खनिज रहे हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने इससे 3,300.00 करोड़ रु. राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा था जो 2022-23 के राजस्व लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2023-24 में सभी खनिज स्रोतों से संग्रहित राजस्व 3,114.79 करोड़ रु. था जो गत वर्ष के राजस्व संग्रहण से 14 प्रतिशत अधिक था।

प्रमुख खनिजों की अनुपस्थिति में बिहार के लिए राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत लघु खनिज हैं। लघु खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बालू का खनन है। बिहार में निर्माण गतिविधियों के कारण बालू सहित निर्माण सामग्रियों की मांग तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में प्रमुख और लघु, दोनो प्रकार के खनिजों के खनन से संग्रहित राजस्व में बालु के खनन का अकेले 50.0 प्रतिशत योगदान था। साथ ही, इससे राजस्व संग्रहण विगत वर्षों बढ़ता ही गया है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच बालु के खनन से राजस्व संग्रहण 1384.47 करोड़ रु. से 12.5 प्रतिशत बढ़कर 1558.16 करोड़ रु. हो गया। इसी प्रकार, लोक निर्माण विभाग से राजस्व संग्रहण भी विगत वर्षों के दौरान काफी बढ़ा है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लोक निर्माण विभाग से राजस्व संग्रहण 30 प्रतिशत बढ़ा है (देखें तालिका 4.36)।

हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने 12 प्रमुख खनिज ब्लॉक पर खनन मंत्रालय से नियंत्रण प्राप्त किया है। चूंकि 12 में से 9 खनिज ब्लॉक रणनीतिक महत्व के हैं इसलिए उनकी नीलामी प्रक्रिया भारत सरकार चलाएगी। इस बीच राज्य सरकार तीन खनिज ब्लॉक (जमुई जिले में लौह अयस्क के दो ब्लॉक और रोहतास जिले में चूनापत्थर का एक ब्लॉक) की नीलामी कराएगी। वर्ष 2023-24 में मुख्य खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व 8.32 करोड़ रु. था।

**तालिका 4.36 : बिहार में खनिजों से राजस्व संग्रहण (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| स्रोत | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. प्रमुख खनिज | 10.04 | 10.80 | 7.10 | 7.59 | 8.32 |
| 2. लघु खनिज | | | | | |
| (i) ईंट | 62.18 | 73.09 | 71.05 | 77.94 | 68.73 |
| (ii) बालू | 874.31 | 678.66 | 745.45 | 1384.47 | 1558.16 |
| (iii) पत्थर + क्रशर | 91.04 | 79.37 | 51.40 | 73.49 | 71.58 |
| (1v) मिट्टी | 4.17 | 6.78 | 13.99 | 22.11 | 21.11 |
| (v) निर्माण विभाग | 529.12 | 772.07 | 707.54 | 857.93 | 1115.77 |
| (vii) अन्य | 43.56 | 58.04 | 169.61 | 306.21 | 271.12 |
| 3. बकाया | 1.83 | 30.14 | NA | NA | NA |
| **योगफल** | **1616.26** | **1708.93** | **1766.14** | **2729.73** | **3114.79** |

स्रोत : खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार

## 4.10 पर्यटन

पर्यटन विभाग ने व्यापक पर्यटन नीति 'बिहार पर्यटन नीति 2023' विकसित की है। इस नीति का लक्ष्य पर्यटन उद्योग को राज्य की आर्थिक प्रगति से जोड़ना है। इस पहल के जरिए राज्य सरकार पर्यटन अवसंरचना का विकास, पहुंच में सुधार, और पर्यटकों को सुरक्षित तथा स्मरणीय अनुभव प्रदान करना चाहती है। पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित युवाओं को बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की संभावना है। नीति दस्तावेज में व्यापक रोडमैप और सामुदायिक सहभागिता का भी उल्लेख किया गया है।

इस नीति के जरिए राज्य सरकार ने अवसंरचना और सेवाओं मे निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार किया है। राजकोषीय प्रोत्साहन के अंग के बतौर सभी योग्य परियोजनाओं को स्वीकृत परियोजना व्यय के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी या तो पूंजीगत सब्सिडी के जरिए हासिल की जा सकती है या ब्याज में छूट के जरिए।

आधुनिक विपणन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनो स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 अधिसूचित की है। इस नीति का लक्ष्य देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, और जैन परिपथ समेत समृद्ध पर्यटन विरासत के बारे में जानकारी देना है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग की विभिन्न विधियों के बीच से देश के विभिन्न शहरों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, ग्लास पैनल लगाने का प्रभावी उपयोग किया गया है।

पर्यटकों का आगमन 2023 में काफी बढ़ा और 821.33 लाख लोग बिहार पहुंचे (देखें तालिका 4.37)। इन 821.33 लाख लोगों में से 815.86 लाख देशी पर्यटक थे और 5.47 लाख विदेशी पर्यटक। वर्ष 2023 में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या कोविड-19 महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गई। महामारी के कारण 2020 से 2022 के बीच बिहार पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या घटी थी।

**तालिका 4.37 : देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या (2019 से 2023)**

| वर्ष | पर्यटकों की संख्या (लाख में) | | |
|---|---|---|---|
| | देशी | विदेशी | योगफल |
| 2019 | 339.9 | 10.9 | 350.8 |
| 2020 | 56.4 | 3.0 | 59.5 |
| 2021 | 25.0 | 0.01 | 25.0 |
| 2022 | 253.3 | 0.87 | 254.17 |
| 2023 | 815.86 | 5.47 | 821.33 |

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2023-24 में पर्यटन विभाग के लिए 339.15 करोड़ रु. का बजट आबंटन था। वहीं, 2023-24 में कुल आबंटन में से 328.03 करोड़ रु. खर्च हुए। विगत वर्षों के दौरान धनराशि के उपयोग में काफी सुधार हुआ है।

तालिका 4.38 : पर्यटन विभाग के लिए बजट आबंटन और व्यय का विवरण (2019-20 से 2023-24)

| | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| बजट (करोड़ रु.) | 275.00 | 357.90 | 377.90 | 490.0 | 339.15 |
| व्यय (करोड़ रु.) | 82.80 | 70.20 | 146.90 | 383.2 | 328.03 |
| व्यय बजट के प्रतिशत में | 30.10 | 19.60 | 38.90 | 78.2 | 96.72 |

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

## पर्यटन विकास के मुख्य कार्य

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 494.71 करोड़ रु. स्वीकृत किए। खर्च की गई रकम के लिहाज से तीन सर्वप्रमुख योजनाएं इस प्रकार थीं :

पहली, गया जिले में गया जी धर्मशाला का प्राक्कलित व्यय 120.16 करोड़ रु. था।

दूसरी, सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम के विकास का प्राक्कलित व्यय 72.47 करोड़ रु. था।

तीसरी, गया जिले में विष्णुपद मंदिर के लिए मार्ग-सह-शेड निर्माण की संरचना और वैकल्पिक संपर्क पथ तथा बस पड़ाव के लिए प्राक्कलित व्यय 61.71 करोड़ रु. था।

वर्ष 2024-25 में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 204.99 करोड़ रु. आबंटित किए। व्यय के लिहाज से तीन सर्वप्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

पहली, सीतामढ़ी में होटल जानकी विहार के परिसर में बजट होटल निर्माण का प्राक्कलित व्यय 29.87 करोड़ रु. है।

दूसरी, सुपौल में सर्विस प्लाजा के मुख्य भवन और मोटल के निर्माण का प्राक्कलित व्यय 29.54 करोड़ रु. है।

तीसरी, पटना जिले में बिहार पर्यटन विकास निगम के कार्यालय भवन के निर्माण का प्राक्कलित व्यय 28.87 करोड़ रु. है।

## पारिस्थितिक पर्यटन

राज्य सरकार ने बिहार में पारिस्थितिक पर्यटन के विस्तार और प्रोत्साहन के लिए अलग प्रमंडल गठित किया है। इस प्रमंडल द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन और पार्क विकास के अनेक कार्यक्रम चलते हैं। इसने विभिन्न जिलों में पार्कों के विकास और रखरखाव का तथा पर्यटन गंतव्यों पर सुख-सुविधाओं के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। राज्य में हाल में पारिस्थितिक पर्यटन के बड़े आकर्षणों में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, राजगिर जू सफारी, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच राज्य के 24 जिलों में पारिस्थितिक पर्यटन से संबंधित विकास कार्य किया गया। वर्ष 2023-24 में पारिस्थितिक पर्यटन की उल्लेखनीय परियोजनाओं में राजगीर में शीशे के पुल और लंबित पुल का निर्माण, तथा गया प्रमंडल के गया, बोधगया और पिपरघट्टी में

तथा औरंगाबाद प्रमंडल के भरकुंड क्षेत्र में पार्कों का विकास शामिल हैं। विभिन्न पारिस्थितक पर्यटन स्थलों पर स्थानीय और विदेशी पर्यटक आकर्षित हुए हैं। विगत वर्षों के दौरान राजगीर में तीन पर्यटन स्थलों की ओर बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित हुए हैं। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच तालिका 4.39 में सूचीबद्ध पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आगमन में जबर्दस्त वृद्धि हुई है।

**तालिका 4.39 : विभिन्न पारिस्थितक पर्यटन-स्थलों पर आगंतुकों की संख्या (2021-22 और 2023-24)**

| पारिस्थिक पर्यटन-स्थल | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| नेचर सफारी, राजगीर | 159447 | 176528 | 312125 |
| वेणु वन, राजगीर | 64849 | 129154 | 411277 |
| घोड़ाकटोरा और जयप्रकाश उद्यान, राजगीर | 82094 | 49868 | 115184 |
| बिहारशरीफ के पार्क | शून्य | 172293 | 418276 |
| योगफल | 306390 | 527843 | 1256862 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2023-24 में पारिस्थितिक पर्यटन और पार्क विकास का कुल परिव्यय 100.00 करोड़ रु. था जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कुल परिव्यय का 21.6 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 में पार्क विभाग के लिए वित्तीय आबंटन 87.2 करोड़ रु. था। इसमें से पटना पार्क प्रमंडल को सर्वाधिक 15.97 करोड़ रु. मिले और उसके बाद 11.33 करोड़ रु. नालंदा प्रमंडल को। सभी प्रमंडलों में धनराशि का उपयोग कुल मिलाकर 96.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था।

# अध्याय – 5

# श्रम, रोजगार तथा कौशल


**सारांश**

*किसी भी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति मुख्यत: उसकी कार्यशक्ति के कौशल स्तर पर और मजदूरों की उद्योग आधारित मांगें पूरी करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप, श्रमशक्ति के लिए विविधतापूर्ण और विशेष कौशलों की प्राप्ति जरूरी होती है। कुशल कार्यशक्ति के महत्व को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के जरिए कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांगें पूरी करने के लिए सकरात्मक कदम उठाए हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य कार्यशक्ति को आवश्यक सक्षमताओं से लैश करना है। ऐसी पहलों के अलावा, राज्य सरकार ने संगठित और असंगठित, दोनो क्षेत्र के श्रमिकों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए लक्षित कल्याण योजनाओं की भी शुरुआत की है। राज्य में रोजगार के गुणवत्तापूर्ण अवसरों के निर्माण के लिए नियमित नियुक्ति अभियान चलाए जाते हैं। साथ ही, महिलाओं का सशक्तीकरण करने और कार्यशक्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में राज्य सरकार ने रोजगार के विभिन्न स्तरों पर व्यापक महिला आरक्षण नीतियों का क्रियान्वयन किया है। इस अध्याय में बाल श्रम की समाप्ति और उनके पुनर्वास तथा मुख्य-धाराकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार के समवेत प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इन पहलों के जरिए राज्य सरकार अपनी विविधतापूर्ण श्रमशक्ति की जरूरतों पर काम करते हुए उनके समग्र विकास और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।*


श्रम को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण पहलू मानते हुए बिहार सरकार ने श्रम संसाधनों का उपयोग करने के लिए काफी पहल की है। राज्य सरकार ने अनेक नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए हैं जिनसे विविधतापूर्ण श्रमशक्ति के हर तबके को लाभ हो। एक ओर, राज्य सरकार ने सरकारी सेवा प्रदान प्रणाली को बल देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक रोजगार सृजित किए हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों ने प्रचुर संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। आयोगों और संस्थानों द्वारा, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों की भर्ती की जाती है। दूसरी ओर, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमशक्ति के लगभग सभी तबकों को समय से सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक नीतियां अपनाई हैं। आम तौर पर, अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को कम मेहनताना मिलता है और अधिकांश लोग सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार ने कल्याणमूलक योजनाओं के जरिए विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने की जिम्मेवारी ली है। राज्य सरकार ने युवाओं को बिहार और अन्य जगहों के रोजगार बाजार में रोजगार पाने लायक विभिन्न कार्यों और व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर कुशल युवा श्रमबल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

इस अध्याय में हमने सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का उपयोग करके देश के अन्य राज्यों का उद्धरण देते हुए बिहार में रोजगार और बेरोजगारी के व्यापक पैटर्न पर चर्चा की है। बाद के खंडों में अनौपचारिक

क्षेत्र के मजदूरों के लिए राज्य सरकार की कल्याणमूलक योजनाओं, सरकारी क्षेत्र में सृजित रोजगार, और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, खास कर श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों की चर्चा की गई है।

## 5.1 बिहार में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति

सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा देश की कार्यशील उम्र की आबादी के आंकड़े विभिन्न मापदंडों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण की सबसे हाल की शृंखला का संदर्भ वर्ष 2023-24 था। सर्वेक्षण के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार और बेरोजगारी के मुख्य सूचकों पर त्रैमासिक परिणाम उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के लिए रोजगार और बेरोजगारी के वार्षिक अनुमान भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वार्षिक अनुमानों के लिए सामान्य स्थिति (प्रधान स्थिति और सहयोगी स्थिति) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, दोनो की समय सीमा पर विचार किया जाता है। किसी व्यक्ति की सामान्य स्थिति सर्वेक्षण की तिथि के 365 दिन पूर्व की संदर्भ अवधि में हुई गतिविधि की स्थिति होती है। वहीं, किसी व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सर्वेक्षण की तिथि के 7 दिन पूर्व की संदर्भ अवधि में हुई गतिविधि की स्थिति होती है। गौरतलब है कि नमूने लेने की रूपरेखा, अवधारणाएं, परिभाषाएं, सर्वेक्षण प्रविधि, और माप 2017 से अपरिवर्तित रहे हैं जिससे शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को दीर्घकालिक नीतियां बनाने के लिए सर्वेक्षण के विभिन्न चक्रों के परिणामों की तुलना करने का अवसर मिलता है।

इस खंड में हम रोजगार और बेरोजगारी के तीन सूचकों - श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) - पर चर्चा करेंगे। श्रमशक्ति सहभागिता दर को कुल आबादी में रोजगारशुदा व्यक्तियों की संख्या और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के बतौर परिभाषित किया जाता है। श्रमशक्ति सहभागिता दर में सुधार से कुल आबादी में आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी में हुई वृद्धि का पता चलता है। बिहार में श्रमशक्ति सहभागिता दर पुरुषों के लिए ग्रामीण बिहार में 79.2 प्रतिशत और शहरी बिहार में 71.9 प्रतिशत थी। लेकिन महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर पुरुष श्रमशक्ति सहभागिता दर की अपेक्षा नीचे थी। पुरुषों और महिलाओं, दोनो के लिए ग्रामीण और शहरी बिहार की श्रमशक्ति सहभागिता दरें संपूर्ण भारत के औसत से नीचे थीं। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर में शहरी और ग्रामीण, दोनो ही क्षेत्रों में सुधार हुआ है। जैसे, ग्रामीण महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर 2022-23 में 24.8 प्रतिशत थी जो 2023-24 में बढ़कर 33.5 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, शहरी महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर 2023-24 में 18.0 प्रतिशत थी जो 2022-23 में 13.8 प्रतिशत ही थी। महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की संलग्नता में सुधार का संकेत मिलता है।

सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण द्वारा श्रमिक सहभागिता अनुपात (डल्ब्यूपीआर) को आबादी के सभी व्यक्तियों के बीच रोजगारशुदा व्यक्तियों के अनुपात के बतौर परिभाषित किया गया है। सभी चुनिंदा राज्यों में श्रमिक सहभागिता अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक थे। बिहार में पुरुष और महिला श्रमिक सहभागिता अनुपात संपूर्ण भारत के स्तर के पुरुष और महिला श्रमिक सहभागिता अनुपातों से नीचे थे। बिहार में ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में महिला श्रमिक सहभागिता अनुपात पुरुष श्रमिक सहभागिता अनुपातों से काफी नीचे थे।

तालिका 5.1 : चुनिंदा राज्यों की श्रमशक्ति सहभागिता दरें (एलएफपीआर) (2023–24)

(प्रतिशत)

| राज्य | ग्रामीण | | | शहरी | | | समग्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र |
| आंध्र प्रदेश | 84.8 | 59.1 | 71.8 | 81.1 | 34.1 | 56.8 | 83.6 | 51.3 | 67.1 |
| असम | 87.4 | 55.3 | 71.5 | 86.7 | 34.8 | 60.8 | 87.3 | 52.8 | 70.2 |
| **बिहार** | **79.2** | **33.5** | **56** | **71.9** | **18** | **46.3** | **78.5** | **32** | **55** |
| छत्तीसगढ़ | 87.7 | 70.5 | 79.2 | 82.8 | 36.8 | 60.6 | 86.7 | 63.6 | 75.3 |
| गुजरात | 88.8 | 63.8 | 76.7 | 84.6 | 33.5 | 60.4 | 87 | 50.9 | 69.6 |
| हरियाणा | 78.2 | 30.4 | 55.8 | 81 | 23.8 | 54.1 | 79.3 | 27.7 | 55.1 |
| झारखंड | 84.9 | 61.3 | 72.7 | 75.3 | 21.5 | 48.8 | 82.8 | 53.4 | 67.8 |
| कर्नाटक | 83.7 | 49.9 | 66.9 | 81.4 | 33.5 | 58.2 | 82.8 | 43.6 | 63.5 |
| केरल | 80.5 | 48.4 | 63.3 | 80.3 | 43.4 | 60.4 | 80.4 | 46 | 61.9 |
| मध्य प्रदेश | 90.7 | 65 | 78.2 | 83.3 | 31 | 57.4 | 88.8 | 55.9 | 72.7 |
| महाराष्ट्र | 81.5 | 53.6 | 68 | 83.1 | 32.7 | 58.9 | 82.2 | 44.4 | 63.9 |
| ओडिशा | 87.2 | 57.1 | 71.5 | 80.2 | 33.4 | 57 | 86 | 53.5 | 69.2 |
| पंजाब | 85.3 | 39.2 | 62.3 | 84.9 | 27.6 | 57.4 | 85.1 | 34.8 | 60.4 |
| राजस्थान | 82.9 | 61.8 | 72 | 77.9 | 33.5 | 56.6 | 81.4 | 54.1 | 67.6 |
| तमिलनाडु | 83.9 | 58.5 | 70.8 | 82.5 | 33.6 | 57.4 | 83.3 | 47 | 64.6 |
| तेलंगाना | 86.8 | 64 | 75 | 83.1 | 35.3 | 59.5 | 85.3 | 52.7 | 68.7 |
| उत्तर प्रदेश | 82.6 | 40.4 | 60.9 | 81 | 18.8 | 50.8 | 82.2 | 35.8 | 58.6 |
| पश्चिम बंगाल | 88.5 | 48 | 67.9 | 87.5 | 36.8 | 61.8 | 88.2 | 44.7 | 66 |
| **संपूर्ण भारत** | **84.3** | **51.2** | **67.6** | **81.9** | **31.2** | **57** | **83.5** | **45.2** | **64.3** |

टिप्पणी : श्रमशक्ति सहभागिता दर 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाली आबादी के लिए सामान्य (प्रधान + सहयोगी) स्थिति पर आधारित है।

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

अधिकांश विकासशील देशों में महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर और श्रमिक सहभागिता अनुपात, दोनो ही कम थे जो बताता है कि अधिकांश महिलाएं सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं की कामकाज के कारण, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं। साथ ही, काम या आर्थिक गतिविधि की प्रचलित परिभाषा महिलाओं के काम के खिलाफ पूर्वाग्रह-ग्रस्त है। काम की परिभाषा की सीमाएं हैं, क्योंकि इसमें रोजमर्रे के घरेलू कार्यों और देखरेख करने के काम को मान्यता नहीं दी जाती है जो हमेशा महिलाओं के जिम्मे आते हैं।

तालिका 5.2 : चुनिंदा राज्यों के श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (2023-24)

(प्रतिशत)

| राज्य | ग्रामीण | | | शहरी | | | समग्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र |
| आंध्र प्रदेश | 81.3 | 57.3 | 69.1 | 76.3 | 31.6 | 53.3 | 79.8 | 49.2 | 64.2 |
| असम | 84 | 53.2 | 68.7 | 81.4 | 30.5 | 56 | 83.7 | 50.5 | 67.2 |
| **बिहार** | **76.3** | **33.1** | **54.4** | **66.6** | **16.3** | **42.7** | **75.3** | **31.5** | **53.2** |
| छत्तीसगढ़ | 86.2 | 69.5 | 77.9 | 77.3 | 32.7 | 55.8 | 84.3 | 62 | 73.3 |
| गुजरात | 88.3 | 63.6 | 76.3 | 82.9 | 32.3 | 58.9 | 85.9 | 50.3 | 68.8 |
| हरियाणा | 75.2 | 29.8 | 53.9 | 77.5 | 23 | 51.8 | 76.1 | 27.1 | 53.1 |
| झारखंड | 84.1 | 61.3 | 72.3 | 70.7 | 20.2 | 45.9 | 81.2 | 53.1 | 66.9 |
| कर्नाटक | 81.3 | 49.5 | 65.5 | 77.9 | 32 | 55.6 | 80 | 42.7 | 61.6 |
| केरल | 75.9 | 41.1 | 57.3 | 76.3 | 37.9 | 55.6 | 76.1 | 39.6 | 56.5 |
| मध्य प्रदेश | 90.1 | 64.7 | 77.8 | 80.7 | 30.2 | 55.7 | 87.7 | 55.5 | 71.9 |
| महाराष्ट्र | 79 | 52.9 | 66.3 | 78.9 | 30.6 | 55.7 | 78.9 | 43.1 | 61.6 |
| ओडिशा | 84.3 | 55.9 | 69.4 | 75.3 | 29.9 | 52.8 | 82.8 | 51.9 | 66.8 |
| पंजाब | 80.4 | 36.5 | 58.5 | 80.6 | 25.1 | 53.9 | 80.5 | 32.2 | 56.7 |
| राजस्थान | 79.6 | 59.9 | 69.4 | 72.4 | 29.6 | 51.9 | 77.4 | 51.7 | 64.4 |
| तमिलनाडु | 80.6 | 56.6 | 68.3 | 79.7 | 31.4 | 54.9 | 80.2 | 44.9 | 62.1 |
| तेलंगाना | 83.3 | 61.9 | 72.2 | 77.9 | 31.5 | 55 | 81 | 49.9 | 65.2 |
| उत्तर प्रदेश | 80.2 | 39.7 | 59.4 | 76.1 | 16.6 | 47.2 | 79.2 | 34.8 | 56.6 |
| पश्चिम बंगाल | 86.3 | 46.9 | 66.2 | 85.1 | 34.8 | 59.6 | 86 | 43.3 | 64.2 |
| **संपूर्ण भारत** | **81.7** | **50** | **65.7** | **78.1** | **28.8** | **53.9** | **80.6** | **43.7** | **62.1** |

टिप्पणी : श्रमिक सहभागिता अनुपात 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाली आबादी के लिए सामान्य (प्रधान + सहयोगी) स्थिति पर आधारित है।

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

आम तौर पर, गतिविधि के सामान्य स्तर का उपयोग करके बेरोजगारी दर को रोजगारशुदा और बेरोजगार व्यक्तियों की कुल आबादी में बेरोजगार व्यक्तियों के हिस्से के बतौर परिभाषित किया जाता है। विकासशील देशों में, जहां कामकाजी उम्र वाली आबादी का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक गतिविधियों में लगा होता है, बेरोजगारी दरें निम्न होती हैं, और भारत इसका अपवाद नहीं है। सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर लंबे समय की प्रकट बेरोजगारी को प्रस्तुत करती है और 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' को छुपा लेती है। भारत जैसे देश में कामकाजी उम्र वाली अधिकांश आबादी गरीब और अकुशल है। इसलिए वे काम के बेहतर अवसरों की तलाश में लंबे समय तक बेरोजगार नहीं बैठे रह सकते हैं। अपने दैनिक उपयोग की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें जो भी रोजगार मिलता है उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। भारत समेत विकासशील देशों में प्रकट बेरोजगारी के निम्न स्तरों का एक कारण यह भी है। बिहार में बेरोजगारी दरें पुरुषों के लिए 3.6 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 1.4 प्रतिशत थीं। साथ ही, पुरुषों और महिलाओं, दोनो के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दरें ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ऊंची थीं। शहरी बिहार में पुरुष बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत और महिला बेरोजगारी दर 9.1 प्रतिशत थी।

तालिका 5.3 : चुनिंदा राज्यों में बेरोजगारी दरें (2023-24)

(प्रतिशत)

| राज्य | ग्रामीण | | | शहरी | | | समग्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र | पुरुष | महिला | समग्र |
| आंध्र प्रदेश | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 3.7 | 4.1 |
| असम | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 11.8 | 7.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
| **बिहार** | **3.3** | **0.9** | **2.6** | **6.9** | **9.1** | **7.3** | **3.6** | **1.4** | **3** |
| छत्तीसगढ़ | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 6.5 | 10.6 | 7.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| गुजरात | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| हरियाणा | 3.6 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 4 | 3.8 | 2.2 | 3.4 |
| झारखंड | 0.8 | 0 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
| कर्नाटक | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 1.9 | 2.7 |
| केरल | 4.6 | 12.1 | 7.6 | 4.2 | 10.9 | 6.7 | 4.4 | 11.6 | 7.2 |
| मध्य प्रदेश | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| महाराष्ट्र | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 4.9 | 6 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 3.3 |
| ओडिशा | 2.9 | 2 | 2.6 | 5.6 | 9.7 | 6.8 | 3.3 | 2.7 | 3.1 |
| पंजाब | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | 5.6 | 4.9 | 6.9 | 5.5 |
| राजस्थान | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 6.5 | 10.9 | 7.7 | 4.3 | 4 | 4.2 |
| तमिलनाडु | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 |
| तेलंगाना | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 6 | 10.4 | 7.3 | 4.6 | 5 | 4.8 |
| उत्तर प्रदेश | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 5.7 | 11 | 6.7 | 3.3 | 2.5 | 3 |
| पश्चिम बंगाल | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 5 | 3.3 | 2.4 | 3 | 2.6 |
| **संपूर्ण भारत** | **2.7** | **2.1** | **2.5** | **4.4** | **7.1** | **5.1** | **3.2** | **3.1** | **3.2** |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

## बेरोजगारी का पैटर्न

सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण में रोजगार की प्रकृति के अनुसार रोजगार की तीन स्थितियों पर विचार किया गया है। ये हैं : स्वनियोजित (स्वरोजगारी), नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी, और अनियमित श्रमिक। वहीं, स्वनियोजित स्थिति को स्वश्रम श्रमिक, नियोक्ता और घरेलू उद्यमों में सहायक में उप-विभाजित किया गया है। तालिका 5.4 में दर्ज आंकड़ों से पता चलता है कि स्वनियोजित श्रमिकों का बड़ा हिस्सा या तो कृषि कार्यों में लगा था या फिर वे अपने खुद के उद्यम चला रहे थे। बिहार में 61.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे। वहीं, बिहार में सभी श्रमिकों का 28.5 प्रतिशत हिस्सा अनियमित मजदूर था। ये श्रमिक बिना किसी कार्य अनुबंध या कार्य सुरक्षा के दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहे थे। बिहार में पुरुष स्वनियोजित और पुरुष अनियमित श्रमिकों का अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से अधिक था। इसके विपरीत, मात्र 10.3 प्रतिशत पुरुष श्रमिक ही नियमित मजदूरी/वेतन वाले थे। बिहार में नियमित मजदूरी/ वेतन-भोगियों का हिस्सा संपूर्ण भारत से 15.1 प्रतिशत अंक कम था। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पुरुष श्रमिकों की रोजगार की स्थिति से पता चलता है कि बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे थे जहां काम की प्रकृति जोखिम वाली थी।

महिला श्रमिकों की रोजगार की स्थिति पुरुष श्रमिकों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अलग थी। बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिकों का हिस्सा 83.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था। इन 83.7 प्रतिशत स्वनियोजित महिला श्रमिकों में से 39.8 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में सहायक के बतौर कार्यरत थीं। घरेलू उद्यमों में सहायक के बतौर काम करने वाली महिला श्रमिकों का ऊंचा अनुपात पुष्टि करता है कि महिला श्रमिकों का कृषि भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर संपदा अधिकार नहीं है। बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिकों का अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से 17.1 प्रतिशत अंक अधिक था। बिहार में 10.8 प्रतिशत महिला श्रमिक अनियमित श्रमिक के बतौर कार्यरत थीं जो संपूर्ण भारत के औसत से 4.1 प्रतिशत अंक अधिक है। नियमित मजदूरी और वेतनभोगी नौकरियों में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 5.5 प्रतिशत था।

**तालिका 5.4 : चुनिंदा राज्यों में रोजगार की स्थिति के अनुसार पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2023-24)**

| राज्य | स्वनियोजित | | | नियमित मजदूरी/ वेतन-भोगी | अनियमित श्रमिक | सभी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वश्रम श्रमिक, नियोक्ता | घरेलू उद्यम में सहायक | समस्त स्वनियोजित* | | | |
| आंध्र प्रदेश | 42.0 | 5.2 | 49.7 | 26.5 | 23.8 | 100 |
| असम | 46.5 | 5.7 | 53.3 | 19.9 | 26.8 | 100 |
| **बिहार** | **50.3** | **10.4** | **61.2** | **10.3** | **28.5** | **100** |
| छत्तीसगढ़ | 42.5 | 15.4 | 61.3 | 21 | 17.8 | 100 |
| गुजरात | 38.9 | 10.6 | 50.1 | 37.9 | 12.1 | 100 |
| हरियाणा | 36.8 | 6.4 | 44.3 | 42.1 | 13.6 | 100 |
| झारखंड | 42.3 | 10.8 | 53.8 | 17.5 | 28.7 | 100 |
| कर्नाटक | 41.7 | 8.2 | 50.3 | 27.3 | 22.4 | 100 |
| केरल | 37.9 | 1.1 | 43.8 | 33.3 | 22.9 | 100 |
| मध्य प्रदेश | 44.3 | 17.2 | 63.3 | 17.6 | 19.1 | 100 |
| महाराष्ट्र | 36.6 | 7.8 | 45.7 | 34.9 | 19.5 | 100 |
| ओडिशा | 43.6 | 10.1 | 55.8 | 17.1 | 27.1 | 100 |
| पंजाब | 36.6 | 8 | 45.6 | 34 | 20.4 | 100 |
| राजस्थान | 46.9 | 11.9 | 60.4 | 26.4 | 13.2 | 100 |
| तमिलनाडु | 29 | 2.9 | 34.3 | 40 | 25.6 | 100 |
| तेलंगाना | 46.8 | 6.2 | 53.4 | 30.4 | 16.2 | 100 |
| उत्तर प्रदेश | 50.2 | 14.4 | 66.2 | 15.5 | 18.3 | 100 |
| पश्चिम बंगाल | 42.2 | 5.7 | 49.6 | 22.8 | 27.6 | 100 |
| **संपूर्ण भारत** | **42.8** | **9.3** | **53.7** | **25.4** | **20.9** | **100** |

टिप्पणी : 1. * इसमें वे स्वनियोजित श्रमिक भी शामिल हैं जिनके पास घरेलू उद्यमों में काम था लेकिन बीमारी या किसी और कारण से वे काम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे स्वनियोजित श्रमिक तालिका के पहले दो कॉलम में शामिल नहीं है।

2. यहां दिए गए आंकड़े ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के हैं।

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

**तालिका 5.5 : चुनिंदा राज्यों में रोजगार की स्थिति के अनुसार महिला श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2023–24)**

| राज्य | स्वनियोजित | | | नियमित मजदूरी/ वेतन-भोगी | अनियमित श्रमिक | सभी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वश्रम श्रमिक, नियोक्ता | घरेलू उद्यम में सहायक | समस्त स्वनियोजित* | | | |
| आंध्र प्रदेश | 19.7 | 27.1 | 48 | 20.4 | 31.7 | 100 |
| असम | 51 | 20.7 | 72 | 20.2 | 7.8 | 100 |
| **बिहार** | **43.3** | **39.8** | **83.7** | **5.5** | **10.8** | **100** |
| छत्तीसगढ़ | 9.3 | 55.6 | 674 | 12.1 | 20.5 | 100 |
| गुजरात | 37.6 | 30.8 | 69.2 | 20.2 | 10.6 | 100 |
| हरियाणा | 35 | 24.2 | 59.5 | 34 | 6.5 | 100 |
| झारखंड | 34.5 | 48.2 | 83.5 | 10.6 | 5.9 | 100 |
| कर्नाटक | 21.2 | 29.3 | 50.8 | 25.5 | 23.7 | 100 |
| केरल | 20.8 | 10.1 | 33.9 | 49.7 | 16.4 | 100 |
| मध्य प्रदेश | 26.2 | 50.7 | 78.3 | 8.6 | 13.1 | 100 |
| महाराष्ट्र | 18.3 | 29.7 | 49.9 | 25.8 | 24.3 | 100 |
| ओडिशा | 30.5 | 42.4 | 74.2 | 11.1 | 14.7 | 100 |
| पंजाब | 40.6 | 11.9 | 53.7 | 37.6 | 8.7 | 100 |
| राजस्थान | 29.1 | 48.9 | 78.4 | 10.4 | 11.3 | 100 |
| तमिलनाडु | 25.1 | 12.5 | 39.3 | 31.9 | 28.8 | 100 |
| तेलंगाना | 24.6 | 24.6 | 49.4 | 19.8 | 30.8 | 100 |
| उत्तर प्रदेश | 46.4 | 41 | 88.2 | 7.9 | 3.8 | 100 |
| पश्चिम बंगाल | 50.7 | 20.2 | 71.6 | 18.4 | 10 | 100 |
| **संपूर्ण भारत** | **33.2** | **32.3** | **66.6** | **18.5** | **14.9** | **100** |

टिप्पणी : 1. *इसमें वे स्वनियोजित श्रमिक भी शामिल हैं जिनके पास घरेलू उद्यमों में काम था लेकिन बीमारी या किसी और कारण से वे काम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे स्वनियोजित श्रमिक तालिका के पहले दो कॉलम में शामिल नहीं है।

2. यहां दिए गए आंकड़े ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के हैं।

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है : प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बिहार में सभी श्रमिकों का 53.2 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में लगा था जबकि 23.7 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में और 23.1 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र में समाहित था। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों का अवशोषण संपूर्ण भारत के औसत से 9.7 प्रतिशत अधिक था। इन क्षेत्रों में श्रमिकों के लिंग-वार वितरण से पता चलता है कि महिला श्रमिक अत्यधिक अनुपात में (81.2 प्रतिशत) प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थीं जबकि इस क्षेत्र में 42.9 प्रतिशत पुरुष ही कार्यरत थे। पिछली तालिका 5.6 को देखें, तो पता चलता है कि अधिकांश महिला श्रमिक ग्रामीण कृषि श्रम बाजार में सहायक और दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत थीं। वहीं, बिहार में पुरुष श्रमिकों के लिए द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण रोजगारदाता क्षेत्र था क्योंकि 29.6 प्रतिशत श्रमिक विनिर्माण में कार्यरत थे। दूसरी ओर, महिला श्रमिक गांवों की सीमा में ही बंधी थीं और कृषि कार्यों में लगी थीं।

तालिका 5.6 : चुनिंदा राज्यों में व्यापक क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2023–24)

| राज्य | पुरुष | | | महिला | | | समग्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक क्षेत्र | द्वितीयक क्षेत्र | तृतीयक क्षेत्र | प्राथमिक क्षेत्र | द्वितीयक क्षेत्र | तृतीयक क्षेत्र | प्राथमिक क्षेत्र | द्वितीयक क्षेत्र | तृतीयक क्षेत्र |
| आंध्र प्रदेश | 36.4 | 26.7 | 36.9 | 46.6 | 23.8 | 29.5 | 40 | 25.7 | 34.3 |
| असम | 30.7 | 30 | 39.4 | 73.1 | 9.8 | 17.1 | 45.1 | 23.1 | 31.8 |
| **बिहार** | **42.9** | **29.6** | **27.4** | **81.2** | **7.5** | **11.4** | **53.2** | **23.7** | **23.1** |
| छत्तीसगढ़ | 50.8 | 25.1 | 24.1 | 67.7 | 14.9 | 17.4 | 57 | 21.4 | 21.6 |
| गुजरात | 32.6 | 34.6 | 32.7 | 59.1 | 19.5 | 21.5 | 41.2 | 29.7 | 29.1 |
| हरियाणा | 22.4 | 32.8 | 44.7 | 44.5 | 15.3 | 40.3 | 27.4 | 28.9 | 43.7 |
| झारखंड | 30.6 | 39.3 | 30.1 | 694 | 14.9 | 15.7 | 43.3 | 31.4 | 25.4 |
| कर्नाटक | 39.7 | 23.2 | 37.1 | 56.8 | 16.3 | 26.9 | 45.2 | 21 | 33.8 |
| केरल | 19.8 | 28.8 | 51.4 | 28.9 | 15.5 | 55.7 | 22.8 | 24.3 | 52.8 |
| मध्य प्रदेश | 50.8 | 23.3 | 26 | 73.5 | 13.1 | 13.5 | 57.9 | 20.1 | 22 |
| महाराष्ट्र | 35.1 | 24.5 | 40.5 | 57.6 | 12.5 | 299 | 42.3 | 20.6 | 37.1 |
| ओडिशा | 35.1 | 32.3 | 32.6 | 63.4 | 18.6 | 179 | 44.9 | 27.6 | 27.6 |
| पंजाब | 25.2 | 34.8 | 399 | 33.7 | 204 | 45.9 | 27.4 | 31.1 | 41.5 |
| राजस्थान | 35.2 | 30.8 | 34.1 | 70.9 | 15.1 | 14 | 48.1 | 25.1 | 26.8 |
| तमिलनाडु | 21.2 | 33.7 | 45 | 38.8 | 28.8 | 32.4 | 27.4 | 32 | 40.6 |
| तेलंगाना | 32.3 | 25.6 | 42.1 | 46.4 | 27.8 | 25.8 | 37.5 | 26.4 | 36.1 |
| उत्तर प्रदेश | 44 | 27.1 | 28.9 | 78.8 | 8.4 | 12.9 | 53.2 | 22.1 | 24.6 |
| पश्चिम बंगाल | 31.5 | 30.1 | 38.4 | 48.4 | 24.6 | 27 | 36.7 | 28.4 | 34.9 |
| **संपूर्ण भारत** | **35.6** | **28.9** | **35.6** | **60.6** | **16.2** | **23.1** | **43.5** | **24.9** | **31.6** |

टिप्पणी : यहां दिए गए आंकड़े ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के हैं।

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (एनआइसी), 2008 के खंडों के अनुसार सामान्य स्थिति (प्रधान स्थिति और सहयोगी स्थिति) में कार्यरत लोगों का वितरण तालिका 5.7 में प्रस्तुत है। इससे पता चलता है कि बिहार में पुरुषों के लिए रोजगार सृजन के लिहाज से तीन सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (42.7 प्रतिशत), विनिर्माण (25.4 प्रतिशत), और थोक तथा खुदरा व्यापार; तथा मोटरवाहनों और मोटरसाइकलों की मरम्मत (13.0 प्रतिशत) थे। संदर्भ वर्ष 2023-24 में 81.1 प्रतिशत श्रमिक इन तीनों क्षेत्रों में कार्यरत थे। इससे दो प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, श्रमिकों का अत्यंत बड़ा हिस्सा उन पेशों में लगा था जो कम भुगतान वाले और सामाजिक सुरक्षा के उपायों से रहित थे। पेशों की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए इनकी कार्यदशा खराब गुणवत्ता वाली थी। दूसरे, पुरुष श्रमिकों के छोटे हिस्से के पास उद्योगों में रोजगार पाने के लिहाज से पर्याप्त कौशल था जिसके लिए शैक्षिक और तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, और अक्सर इन कार्यों में श्रमिकों को अच्छा पारिश्रमिक मिलता है।

वहीं, संदर्भ वर्ष 2023-24 में बिहार में 82.1 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट में लगी थीं। इस सूचना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के लगातार कृषि कार्यों तक सीमित रहने का भी पता चलता है। बिहार में 7.2 प्रतिशत महिला श्रमिक ही विनिर्माण में लगी हैं। वहीं, बिहार में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में 2.4 प्रतिशत पुरुष और 2.8 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था।

**तालिका 5.7 : बिहार और भारत में काम के उद्योग (एनआइसी 2008 के उद्योग खंडों) में सामान्यतः कार्यरत (प्रधान + सहयोगी) व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (2023-24)**

| क्षेत्र | पुरुष | | महिला | | व्यक्ति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिहार | भारत | बिहार | भारत | बिहार | भारत |
| कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट | 42.7 | 36.3 | 82.1 | 64.4 | 54.2 | 46.1 |
| खनन एवं उत्खनन | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| विनिर्माण | 4.3 | 11.4 | 7.2 | 11.6 | 5.2 | 11.4 |
| विद्युत, गैस, वाष्प एवं शीत-ताप नियंत्रण आपूर्ति | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| जलापूर्ति, मलजल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचारी गतिविधियां | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| निर्माण | 25.4 | 16.4 | 0.7 | 3.7 | 18.2 | 12.0 |
| थोक एवं खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकलों की मरम्मत | 13.0 | 13.1 | 4.1 | 4.8 | 10.4 | 10.2 |
| परिवहन एवं भंडारण | 5.1 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 4.3 |
| निवास एवं आहार सेवा गतिविधियां | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.0 |
| सूचना एवं संचार | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
| वित्तीय एवं बीमा गतिविधियां | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| स्थावर संपदा संबंधी गतिविधियां | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| पेशेवर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियां | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| प्रशासनिक एवं सहयोग सेवा गतिविधियां | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
| शिक्षा | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 2.5 | 3.0 |
| मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य संबंधी गतिविधियां | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.4 |
| कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| सेवा संबंधी अन्य गतिविधियां | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
| नियोक्ता के बतौर घरेलू गतिविधियां; अपने उपयोग के लिए परिवारों द्वारा अविभेदित वस्तु एवं सेवा उत्पादन की गतिविधियां | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 1.3 |
| **योगफल** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

15वें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सांख्यिकीविद सम्मेलन (आइसीएलएस) की अवधारणात्मक रूपरेखा के अनुसार, अनौपचारिक उत्पादक सहकारी समितियों सहित मालिकाना और साझीदारी उद्यमों को मोटे तौर पर अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम माना जाता है। इसी अवधारणा के अनुरूप सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण द्वारा सूचना दी गई कि बिहार में 90.8 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 78.8 प्रतिशत महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत थे (देखें तालिका 5.8)। सरकार/ स्थानीय निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पुरुष श्रमिकों (5.4 प्रतिशत) की तुलना में महिला श्रमिकों का बड़ा हिस्सा (16.3 प्रतिशत) नियोजित था। हालांकि, संख्या के लिहाज से देखें, तो सरकार/ स्थानीय निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में महिला श्रमिकों की संख्या पुरुष श्रमिकों की तुलना में अधिक नहीं भी हो सकती है। इसलिए कि हमने देखा है कि बिहार में कामकाजी महिलाओं की संख्या कामकाजी पुरुषों से कम है।

**तालिका 5.8 : बिहार और भारत में उद्यम के अनुसार कृषीतर कार्यों में रोजगारशुदा व्यक्तियों का प्रतिशत (2023-24)**

| क्षेत्र | पुरुष | | महिला | | व्यक्ति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिहार | भारत | बिहार | भारत | बिहार | भारत |
| मालिकाना और साझीदारी | 90.8 | 76.8 | 78.8 | 61.2 | 89.4 | 73.2 |
| सरकार/ स्थानीय निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम | 5.4 | 8.2 | 16.3 | 18.8 | 6.7 | 10.6 |
| स्वायत्त निकाय | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| पब्लिक/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां | 2.1 | 12.1 | 0.6 | 8.5 | 1.9 | 11.3 |
| सहकारी समितियां | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| न्यास/ अन्य गैर-मुनाफा संस्थान | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 1.3 |
| नियोक्ता का घरेलू उद्यम | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 7.6 | 1.4 | 2.4 |
| अन्य | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| **योगफल** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

तालिका 5.9 में हमने कृषीतर क्षेत्र में सामान्य स्थिति (प्रधान + सहयोगी) में लगे नियमित मजदूरी/वेतन-भोगियों की रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी देने की कोशिश की है। यहां रोजगार की स्थिति के चार पहलुओं पर विचार किया गया है : पहला, लिखित कार्य-अनुबंध विहीन श्रमिक; दूसरा, सवैतनिक छुट्टी के अपात्र श्रमिक; तीसरा, बिना किसी विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभ वाले श्रमिक, और चौथा, सवैतनिक छुट्टी के अपात्र, लिखित कार्य-अनुबंध विहीन और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभ से रहित श्रमिक। पहले भी कहा गया है कि बिहार में 10.3 प्रतिशत पुरुष और 5.5 प्रतिशत महिला श्रमिक ही नियमित मजदूरी/ वेतन वाले कर्मी थे। पुरुष नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों में से 66.8 प्रतिशत के पास कोई लिखित कार्य-अनुबंध नहीं थे। इसके अलावा, 56.7 प्रतिशत पुरुष नियमित मजदूरी/ वेतन-भोगी कर्मी सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र, लिखित कार्य-अनुबंध विहीन और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित थे। लेकिन बिहार में महिला नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों की रोजगार संबंधी स्थिति पुरुष श्रमिकों से बेहतर थी।

**तालिका 5.9 : बिहार और भारत के लिए चीतर क्षेत्र में सामान्य स्थिति (प्रधान + सहयोगी) में कार्यरत नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों के रोजगार की स्थिति (2023-24)**

(प्रतिशत में)

| लिंग/ श्रेणी | रोजगार की स्थिति | बिहार | भारत |
|---|---|---|---|
| पुरुष | लिखित कार्य-अनुबंध विहीन | 66.8 | 58.2 |
| | सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र | 61.6 | 47.8 |
| | विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित | 61.1 | 51.8 |
| | सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र, लिखित कार्य-अनुबंध विहीन और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित | 56.7 | 40.1 |
| महिला | लिखित कार्य-अनुबंध विहीन | 49.5 | 57.3 |
| | सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र | 48.3 | 45.9 |
| | विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित | 48.9 | 58 |
| | सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र, लिखित कार्य-अनुबंध विहीन और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित | 29.3 | 38.3 |
| समग्र | लिखित कार्य-अनुबंध विहीन | 63.9 | 58 |
| | सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र | 59.4 | 47.3 |
| | विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित | 59.1 | 53.4 |
| | सवैतनिक छुट्टी पाने के लिए अपात्र, लिखित कार्य-अनुबंध विहीन और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभों से रहित | 52.2 | 39.6 |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

## रोजगार से उपार्जन के स्तर

सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण में श्रमिकों की तीनो श्रेणियों - स्वनियोजित श्रमिक, नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मी और अनियमित श्रमिक - के लिए रोजगार से कमाई पर भी जानकारी इकट्ठा की गई थी। उपार्जन पर जानकारी के लिए सर्वेक्षण में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति का उपयोग किया गया है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए गत 30 दिनों में स्वरोजगार की गतिविधि से हुए उपार्जन पर जानकारी संग्रहित की गई। वहीं, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों के मामले में पूर्व कैलेंडर माह के लिए ऐसी जानकारी एकत्र की गई। और अनियमित श्रमिकों के लिए संदर्भ सप्ताह में हर दिन के लिए उपार्जन की जानकारी इकट्ठा की गई।

स्वनियोजित श्रेणी देश के सभी राज्यों में संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी श्रेणी थी। पहले भी कहा गया है कि 61.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 83.7 प्रतिशत महिला श्रमिक स्वनियोजित थे। पुरुष स्वनियोजित श्रमिक की औसत सकल मासिक आय ग्रामीण बिहार में 10,480.2 रु. थी जो देश में ग्रामीण स्तर पर 11,088.0 रु. थी। वहीं, महिला श्रमिक की औसत मासिक आय ग्रामीण बिहार में 4,434.8 रु. थी जो पुरुष स्वनियोजित श्रमिक की औसत मासिक आय का मात्र 42 प्रतिशत है। नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों के लिए पुरुष श्रमिक की औसत मासिक आय ग्रामीण बिहार में 18,504.0 रु. थी (तालिका 5.10)। ग्रामीण बिहार में नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मियों के मामले में महिला और पुरुष की मजदूरी/ वेतन का अंतर स्वरोजागार से उपार्जन की तुलना में कम था। ग्रामीण

बिहार में नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कार्यों के मामले में महिला श्रमिकों का औसत मासिक उपार्जन पुरुष श्रमिक के उपार्जन का 80 प्रतिशत था। साथ ही, बिहार में पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिक, दोनो के औसत मासिक उपार्जन संपूर्ण भारत के स्तर से अधिक थे। स्वनियोजित और नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी, दोनो श्रेणियों के मामले में पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिक, दोनो के औसत मासिक उपार्जन शहरी बिहार में ग्रामीण बिहार से अधिक थे। शहरी बिहार में औसत मासिक उपार्जन के मामले में लैंगिक अंतराल स्वनियोजित श्रेणी के मामले में अधिक था क्योंकि महिला श्रमिक की कमाई पुरुष श्रमिक की कमाई का महज 45 प्रतिशत थी। वहीं, नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कार्यों के मामले में महिला श्रमिक की औसत कमाई पुरुष श्रमिक की कमाई के लगभग बराबर थी।

अनियमित श्रमिक के लिए ग्रामीण बिहार में औसत दैनिक उपार्जन पुरुष श्रमिक के लिए 420 रु. और महिला श्रमिक के लिए 339 रु. था (तालिका 5.12)। वहीं शहरी क्षेत्रों में औसत दैनिक उपार्जन पुरुष श्रमिक के लिए 449 रु. और महिला श्रमिक के लिए 369 रु. था। ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में मजदूरी के मामले में लैंगिक अंतराल काफी अधिक था। मजदूरी के मामले में यह लैंगिक विषमता देश के सभी राज्यों में दिखी। लेकिन बिहार में दिहाड़ी कमाई में मजदूरी संबंधी लैंगिक अंतराल देश के अन्य राज्यों से कम था।

**तालिका 5.10 : चुनिंदा राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी रोजगार से औसत सकल मासिक उपार्जन (2023-24)**

(रुपए)

| राज्य | स्वनियोजित | | नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| आंध्र प्रदेश | 13837.7 | 8576.3 | 19862.8 | 13611.8 |
| असम | 10366.0 | 2623.6 | 18068.0 | 9324.8 |
| **बिहार** | **10480.2** | **4434.8** | **18504.0** | **14848.0** |
| छत्तीसगढ़ | 8306.9 | 5024.0 | 16040.0 | 12232.0 |
| गुजरात | 16684.8 | 9766.8 | 16113.5 | 9591.0 |
| हरियाणा | 13269.0 | 7670.8 | 19437.3 | 13882.8 |
| झारखंड | 9075.3 | 3126.3 | 17981.0 | 8525.3 |
| कर्नाटक | 13021.6 | 6993.5 | 19337.8 | 11533.5 |
| केरल | 14302.6 | 6170.0 | 22597.5 | 17057.8 |
| मध्य प्रदेश | 11142.7 | 4718.0 | 15537.3 | 11214.0 |
| महाराष्ट्र | 11002.1 | 7687.5 | 17324.3 | 12416.0 |
| ओडिशा | 9383.1 | 4425.5 | 18417.8 | 13490.0 |
| पंजाब | 15761.9 | 5168.3 | 15621.5 | 7828.3 |
| राजस्थान | 13514.3 | 6034.5 | 17166.0 | 9509.5 |
| तमिलनाडु | 11586.1 | 5365.0 | 19132.0 | 12728.3 |
| तेलंगाना | 13193.8 | 7153.8 | 21235.0 | 13246.0 |
| उत्तर प्रदेश | 9154.5 | 4717.0 | 15216.0 | 8605.8 |
| पश्चिम बंगाल | 9222.1 | 3287.0 | 15216.5 | 7513.8 |
| **संपूर्ण भारत** | **11088.0** | **6686.8** | **18029.0** | **11913.8** |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

तालिका 5.11 : चुनिंदा राज्यों में शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी रोजगार से औसत सकल मासिक उपार्जन (2023-24)

(रुपए)

| राज्य | स्वनियोजित | | नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| आंध्र प्रदेश | 21464.3 | 10134.8 | 26132.3 | 16535.3 |
| असम | 18927.5 | 7441.5 | 26894.0 | 20041.5 |
| **बिहार** | **18583.0** | **8342.3** | **23869.5** | **22394.3** |
| छत्तीसगढ़ | 16193.0 | 9503.0 | 21367.3 | 13528.5 |
| गुजरात | 30946.5 | 13159.8 | 20021.3 | 14458.8 |
| हरियाणा | 26236.5 | 10880.5 | 27028.8 | 25440.0 |
| झारखंड | 22419.8 | 8200.5 | 29138.5 | 15105.0 |
| कर्नाटक | 23679.5 | 8626.8 | 31264.8 | 24207.5 |
| केरल | 22558.5 | 8521.0 | 27067.8 | 21832.0 |
| मध्य प्रदेश | 18973.8 | 6535.0 | 21379.5 | 17935.3 |
| महाराष्ट्र | 27602.3 | 11832.5 | 29051.5 | 22536.3 |
| ओडिशा | 19119.3 | 8767.8 | 25739.0 | 15740.5 |
| पंजाब | 21649.0 | 8304.8 | 19760.5 | 16906.8 |
| राजस्थान | 21989.3 | 7456.8 | 23021.0 | 19882.3 |
| तमिलनाडु | 23159.0 | 10634.0 | 25593.0 | 17917.8 |
| तेलंगाना | 26627.0 | 9123.3 | 32784.8 | 22324.5 |
| उत्तर प्रदेश | 18985.0 | 8050.0 | 22411.5 | 20710.0 |
| पश्चिम बंगाल | 17582.8 | 5250.8 | 22312.3 | 13217.8 |
| **संपूर्ण भारत** | **25816.8** | **7912.3** | **25501.5** | **19709.3** |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

तालिका 5.12 : चुनिंदा राज्यों में अनियमित श्रमिक का औसत दैनिक उपार्जन (2023-24)

(रुपए)

| राज्य | ग्रामीण | | शहरी | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| आंध्र प्रदेश | 584 | 353 | 616 | 382 |
| असम | 445 | 276 | 503 | 323 |
| **बिहार** | **420** | **339** | **449** | **369** |
| छत्तीसगढ़ | 299 | 196 | 355 | 237 |
| गुजरात | 350 | 278 | 458 | 313 |
| हरियाणा | 485 | 384 | 513 | 428 |
| झारखंड | 390 | 321 | 410 | 373 |
| कर्नाटक | 505 | 303 | 567 | 343 |
| केरल | 872 | 423 | 917 | 527 |
| मध्य प्रदेश | 364 | 277 | 402 | 301 |
| महाराष्ट्र | 389 | 245 | 525 | 285 |
| ओडिशा | 368 | 240 | 421 | 326 |
| पंजाब | 439 | 325 | 457 | 368 |
| राजस्थान | 429 | 336 | 463 | 329 |
| तमिलनाडु | 616 | 295 | 676 | 388 |
| तेलंगाना | 548 | 342 | 687 | 459 |
| उत्तर प्रदेश | 413 | 296 | 446 | 355 |
| पश्चिम बंगाल | 378 | 276 | 422 | 305 |
| **संपूर्ण भारत** | **435** | **290** | **529** | **354** |

स्रोत : सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय), 2024

## 5.2 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय

सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि कामकाजी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें पुरुष और महिला, दोनो शामिल हैं, या तो स्वनियोजित है या अनियमित मजदूर। इसके अलावा, इससे यह भी पता चलता है कि अधिकांश नियमित मजदूरी/वेतन-भोगी कर्मी भी अनौपचारिक श्रमिक के बतौर काम करते हैं जिनके पास अपने नियोक्ताओं के साथ लिखित अनुबंध नहीं होता और वे सामाजिक सुरक्षा लाभों के बिना ही काम करते हैं। ये पैटर्न देश के सभी राज्यों में देखे गए हैं, हालांकि अलग-अलग हद तक, और बिहार इसका अपवाद नहीं है। विगत वर्षों के दौरान बिहार सरकार ने श्रमिकों के इन समूहों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहलों को क्रियान्वित किया है। साथ ही, सरकार राज्य में कामकाजी आबादी के विभिन्न तबकों की रोजगार-परकता बढ़ाने के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाती है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक पदों पर लोगों की सक्रियतापूर्वक नियुक्ति की है। सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई इन नियुक्यिों का नवनियुक्त सरकारी कर्मियों की घरेलू खपत पर बहुगुणक प्रभाव हुआ है जिससे राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान हुआ है। बाद के खंडों में हम राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा करेंगे।

**बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना :** असंगठित क्षेत्र के 18 से 65 वर्ष तक उम्र वाले श्रमिकों और कारीगरों को दुर्घटना के कारण मृत्यु, आंशिक विकलांगता, या चोट-चपेट की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को 1 अप्रील 2011 से लागू किया गया। इसके तहत इन घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के बच्चों को अपनी स्कूली, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। हालांकि इस योजना का लाभ आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाइ) या भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर (सेवा स्थिति) अधिनियम, 1996 के तहत निर्बंधित व्यक्तियों को नहीं मिलता है। इस पहल के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु के लिए 2,00,000 रु., स्वाभाविक मृत्यु के लिए 50,000 रु., स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 1,00,000 रु., और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 50,000 रु. समेत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में मुआबजे की रकम बढ़ा दी गई। साथ ही, इस अवधि में लाभार्थियों की संख्या और कुल अनुदान की रकम भी काफी बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में किए गए दावों की संख्या 2563 थी जो 2022-23 से 146 अधिक है। वहीं, कुल अनुदान 14.99 करोड़ रु. हो गया जो 2023-24 में 2022-23 की अपेक्षा 144.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

**तालिका 5.13 : बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिए गए अनुदान (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | संख्या | | | | | | | कुल प्रदत्त अनुदान (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दुर्घटना में मृत्यु | स्वाभाविक मृत्यु | स्थायी पूर्ण विकलांगता | स्थायी आंशिक विकलांगता | अस्पताल में भर्ती | असाध्य रोग | कुल दावे | |
| 2019-20 | 599 | 790 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1418 | 8.46 |
| 2020-21 | 153 | 257 | 3 | 6 | 0 | 4 | 423 | 2.36 |
| 2021-22 | 224 | 307 | 6 | 10 | 0 | 2 | 549 | 3.25 |
| 2022-23 | 428 | 582 | 4 | 11 | 0 | 17 | 1042 | 6.14 |
| 2023-24 | 1037 | 1473 | 12 | 15 | 0 | 26 | 2563 | 14.99 |
| **योगफल** | **2441** | **3409** | **27** | **56** | **01** | **61** | **5995** | **35.20** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना :** इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर दुर्घटना के कारण बिहार के बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के आश्रितों को दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर 2,00,000 रु. मिलेंगे। बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 में संशोधन किया है और बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2023 अधिसूचित की है। मुआबजे की रकम बढ़ा दी गई है। दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में मुआबजे की रकम 1,00,000 रु. से बढ़ाकर 2,00,000 रु. कर दी गई है। स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए भी मुआबजा 75,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दिया गया है। वहीं, स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए मुआबजा 37,500 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में 213 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हुई थी जिनके आश्रितों को कुल 2.32 करोड़ रु. का मुआबजा भुगतान किया गया (तालिका प 5.1 भी देखें)।

**तालिका 5.14 : मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों के लिए खर्च की गई रकम (2019-20 से 2023-24)**

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मृत व्यक्तियों की संख्या | 133 | 110 | 76 | 136 | 213 | 668 |
| आबंटित रकम (करोड़ रु. में) | 1.32 | 1.10 | 0.76 | 1.35 | 2.32 | 6.85 |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर कल्याण पर्षद :** सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण, 2023-24 के अनुसार, बिहार में आम तौर पर काम करने वाले 18.2 प्रतिशत लोग निर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे। बिहार में यह क्षेत्र कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिकांश निर्माण मजदूर अनौपारिक रूप से काम करते थे जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं लागू थे। श्रमबल के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर कल्याण पर्षद (इसके बाद से पर्षद) की स्थापना की। वर्ष 2023-24 में कुल 405.01 हजार निर्माण मजदूरों ने पर्षद के पास अपना निबंधन कराया। गत पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान निर्बोधित निर्माण मजदूरों की सॉचित संख्या 1772.01 हजार पहुंच गई। वर्ष 2023-24 में लाभार्थियों की संख्या 109.63 हजार थी। वहीं, उस वर्ष कुल स्वीकृत रकम 694.80 करोड़ रु. थी जो 2022-23 की तुलना में आबंटित धनराशि में 50 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। उसमें से कुल 622.70 करोड़ रु. का उपयोग हुआ जिससे उपयोगिता दर 90 प्रतिशत हो गई।

पर्षद ने अपने द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के प्रचार के लिए अप्रील से दिसंबर 2023 के बीच प्रखंड और पंचायत स्तरों पर 6,041 शिविर आयोजित किए।

जैसा कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर (रोजगार एवं सेवा शर्त नियमन) नियमावली, 2005 में बताया गया है, पर्षद ने निर्माण स्थलों पर निर्माण मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, और अन्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1066 निरीक्षण किए हैं। साथ ही, पर्षद ने सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के लिए 285 नोटिस जारी किए हैं।

तालिका 5.15 : निबंधित निर्माण मजदूरों और लाभार्थियों की संख्या तथा धनराशि का उपयोग (2019-20 से 2023-24)

| वर्ष | निबंधित निर्माण मजदूरों की सं. (हजार में) | लाभार्थियों की सं. (हजार में) | आबंटित रकम (करोड़ रु.) | प्रयुक्त रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 551.2 | 673.0 | 289.70 | 295.70 |
| 2020-21 | 295.2 | 2100.4 | 330.00 | 537.80 |
| 2021-22 | 378.0 | 996.2 | 373.00 | 338.00 |
| 2022-23 | 142.6 | 162.2 | 464.69 | 129.36 |
| 2023-24 | 405.01 | 109.63 | 694.80 | 622.70 |
| **योगफल** | **1772.01** | **4041.43** | **2152.19** | **1923.56** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**बाल श्रम उन्मूलन** : बाल मजदूर की उपस्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए काफी बड़ा खतरा है। बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुरूप, बिहार राज्य बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) नियमावली, 2024 लागू की गई है। साथ ही, बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम, 1996 को संशोधित करके बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 लागू किया गया है।

राज्य सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग की स्थापना 1999 में की थी। आयोग के अधिदेश में बाल मजदूर की समस्याओं पर काम करना, पुनर्वास में सहयोग करना और सरकार को संबंधित मामलों में सलाह देना शामिल है। हाल में राज्य सरकार ने आयोग की प्रभाविता बढ़ाने के लिए उसको पुनर्गठित किया है। मुक्त और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत पुनर्वासित कराए गए बाल मजदूरों की जिलावार संख्या तालिका प 5.2 में प्रस्तुत है।

आयोग ने विभिन्न स्थानों पर और अनेक अवसरों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए राज्य के सभी जिलों में गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग-समझौता किया है। साथ ही, आयोग ने बाल मजदूरों को मुक्त कराने के लिए विभिन्न जिलों में कार्यबल स्थापित किए हैं। जिला, प्रखंड, और पंचायत स्तरों पर इन कार्यबलों की नियमित बैठकें होती हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए, दोषी नियोक्ताओं को मुआबजे के बतौर 20,000 रु. जुर्माना देना पड़ता है। यह रकम बाल मजदूर पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करा दी जाती है। मुक्त कराने के बाद हर बच्चे को कपड़ों के लिए 3,000 रु. और एक महीने के लिए राशन दिया जाता है। साथ ही, मुक्त कराए गए हर बाल मजदूर को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रु. आबंटित किए जाते हैं।

मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के पुनर्वास की निगरानी और उसमें मदद के लिए बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली (सीएलटीएस) सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है। प्रणाली में निबंधित हर विमुक्त बाल मजदूर को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रु. मिलते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2,658 बच्चों को 25,000 रु. प्रति बच्चे के हिसाब से कुल 6.64 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं। साथ ही, बाल मजदूर विमुक्ति प्रक्रिया की निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए ''धावा दल'' ऍप विकसित किया गया है।

ईंट भट्ठा मजदूरों के बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने सकारात्मक कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया है। बिहार में ईंट निर्माण के मौसम में विभिन्न जिलों के मजदूर ईंट भट्ठों में काम करने के लिए प्रवास करते हैं। घर पर देखरेख करने वाला नहीं होने के कारण ये मजदूर अपने बच्चों को भट्ठों पर ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन मजदूरों के बच्चे ईंट भट्ठों के विभिन्न कार्यों में लग जाते हैं जिससे वे जोखिम भरे और प्रदूषित वातावरण के लिहाज से अरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा, ये बच्चे शिक्षा के अवसरों से भी वंचित हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आयोग उनके विकास और शिक्षा के लिए अधिक सुरक्षित और सहयोगी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए 7 साल तक के बच्चों के लिए अस्थायी शिशुशालाओं और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अस्थायी विद्यालयों की स्थापना पर काम कर रहा है।

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) :** कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य उद्देश्य 4,11,210 बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं और लाभ उपलब्ध कराना है। इन व्यक्तियों को निगम के 17 अस्पतालों और 40 संबद्ध चिकित्सा केंद्रों के जरिए चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं।

10 या अधिक कर्मियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत निर्बंधित कराने की जरूरत पड़ती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मियों को बीमा आच्छादन उपलब्ध कराता है। अभी कर्मी मजदूरी की हर अवधि में मिलने वाली अपनी मजदूरी के 0.75 प्रतिशत का भुगतान करते हैं जबकि नियोक्ता द्वारा उसके 3.25 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 में बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) द्वारा 43 से भी अधिक प्रकार की दवाओं की खरीद की गई है। खरीदी गई दवाओं का वितरण निगम के अस्पतालों और अन्य चिकित्सा केंद्रों में किया गया। इस अवधि में इन अस्पतालों के जरिए 25.6 हजार कर्मियों और उनके आश्रितों का इलाज किया गया।

**तालिका 5.16 : कर्मचारी राज्य बीमा के तहत बीमित और चिकित्सित लोगों की संख्या (2019-20 से 2023-24)**

(आंकड़े हजार में)

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| बीमित व्यक्तियों की संख्या | 283.2 | 339.5 | 346.7 | 359.0 | 411.2 |
| चिकित्सित व्यक्तियों की संख्या | 55.5 | 36.5 | 31.8 | 28.2 | 25.6 |
| चिकित्सित व्यक्तियों का प्रतिशत | 19.6 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | 6.2 |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**न्यूनतम मजदूरी :** राज्य सरकार महंगाई भत्ता को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करती है। महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा होता है। वर्ष 2023-24 में 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वर्णित रोजगार की 88 श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 5.7 प्रतिशत बढ़ी है।

तालिका 5.17 : बिहार में क्षेत्र-वार न्यूनतम मजदूरी (2020 से 2024)

| श्रेणी | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **श्रमिक श्रेणी 1 और 5** | | | | | |
| अकुशल (प्रतिदिन) | 292 | 304 | 373 | 388 | 410 |
| अर्ध-कुशल (प्रतिदिन) | 304 | 316 | 388 | 403 | 426 |
| कुशल (प्रतिदिन) | 370 | 385 | 472 | 491 | 519 |
| अतिकुशल (प्रतिदिन) | 451 | 470 | 577 | 600 | 634 |
| सुपरवाइजर/ लिपिक (प्रति माह) | 8363 | 8703 | 10688 | 11107 | 11736 |
| **श्रमिक श्रेणी 2** | | | | | |
| अकुशल (प्रतिदिन) | 279 | 291 | 357 | 371 | 392 |
| अर्ध-कुशल (प्रतिदिन) | 292 | 304 | 373 | 388 | 410 |
| कुशल (प्रतिदिन) | 357 | 372 | 456 | 474 | 501 |
| अतिकुशल (प्रतिदिन) | 434 | 452 | 556 | 578 | 611 |
| सुपरवाइजर/ लिपिक (प्रति माह) | 8038 | 8365 | 10272 | 10675 | 11279 |
| **श्रमिक श्रेणी 3** | | | | | |
| अकुशल (प्रतिदिन) | 267 | 278 | 342 | 355 | 375 |
| अर्ध-कुशल (प्रतिदिन) | 277 | 288 | 353 | 367 | 388 |
| कुशल (प्रतिदिन) | 342 | 356 | 438 | 455 | 481 |
| अतिकुशल (प्रतिदिन) | 417 | 434 | 532 | 553 | 584 |
| सुपरवाइजर/ लिपिक (प्रति माह) | 7721 | 8035 | 9867 | 10254 | 10834 |
| **श्रमिक श्रेणी 4** | | | | | |
| बर्तन धोना (एक महीने तक रोज एक घंटे) | 870 | 905 | 1111 | 1155 | 1221 |
| बर्तन/ कपड़े धोना (एक महीने तक रोज एक घंटे) | 870 | 905 | 1111 | 1155 | 1221 |
| बर्तन/ कपड़े धोना/ 1000 वर्ग फीट में पोंछा लगाना (एक महीने तक रोज एक घंटे) | 870 | 905 | 1111 | 1155 | 1221 |
| बर्तन/ कपड़े धोना, 1000 वर्ग फीट में पोंछा लगाना, बच्चों की देखभाल करना (एक महीने तक रोज 8 घंटे) | 6943 | 7265 | 8918 | 9268 | 9793 |
| बर्तन/ कपड़े धोना, 1000 वर्ग फीट में पोंछा लगाना, बच्चों को स्कूल ले जाना और वहां से लाना (एक महीने तक रोज 8 घंटे) | 6943 | 7265 | 8918 | 9268 | 9793 |
| **श्रमिक श्रेणी 6** | | | | | |
| अन्य कार्य कटाई-तुड़ाई का काम छोड़कर (प्रतिदिन) | 279 | 290 | 355 | 369 | 390 |
| ट्रैक्टर चालक और पंप ऑपरेटर (प्रतिदिन) | 10047 | 10455 | 12839 | 13342 | 14097 |
| कटाई-तुड़ाई का काम (प्रति माह) | 7817 | 8135 | 9991 | 10383 | 10971 |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## 5.3 राज्य और अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए रोजगार

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र और संबंधित सेवाओं में प्रचुर संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करती रही है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन आयोग, और बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम (बीएसईडीसी) राज्य सरकार के विभागों के अंदर विभिन्न पदों के लिए योग्य प्रत्याशियों की भर्ती करने के लिए जवाबदेह हैं।

**बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी)** : यह आयोग बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के लिए अधिकारियों का चुनाव करता है और उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसाएं करता है। विभिन्न विभागों से मांग-पत्र प्राप्त होने के बाद विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इन विज्ञापनों की अनुक्रिया में पात्र प्रत्याशियों से मिले आवेदनों के आधार पर उपयुक्त प्रत्याशियों को चुनने के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023-24 में 4,29,015 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुए थे। वहीं, 30 सितंबर, 2024 तक 3420 विज्ञापित पदों के लिए 2,00,592 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

**तालिका 5.18 : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सामाजिक श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या (2020-21 से 2024-25 के 30 सितंबर, 2024 तक)**

| वर्ष | सामाजिक श्रेणी | | | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनसूचित जनजाति | अति पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति की महिलाएं * (3 %) | आर्थिक रूप से कमजोर तबका | |
| 2020-21 | 1823 | 454 | 746 | 61 | 844 | 521 | 137 | 4586 |
| 2021-22 | 18987 | 7589 | 490 | 8542 | 5694 | 1418 | 4738 | 47458 |
| 2022-23 | 310 | 100 | 6 | 105 | 66 | 13 | 59 | 659 |
| 2023-24 | 142236 | 82008 | 7775 | 87349 | 59397 | 9544 | 40706 | 429015 |
| 2024-25 (30 सितंबर, 2024 तक) | 1027 | 634 | 82 | 752 | 547 | 59 | 319 | 3420 |
| **योगफल** | **164383** | **90785** | **9099** | **96809** | **66548** | **11555** | **45959** | **485138** |

टिप्पणी : * पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आबंटित कोटा
स्रोत : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार सरकार

वर्ष 2023-24 में, विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद 2,23,153 प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के पास अनुशंसा भेजी गई। वहीं, 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक 65 चयनित प्रत्याशियों के लिए अनुशंसा की गई जिनमें से 18 महिलाएं थीं।

**तालिका 5.19 : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सामाजित श्रेणी-वार चयनित प्रत्याशियों की संख्या (2023-24 से 2024-25 के 30 सितंबर, 2024 तक)**

| वर्ष | सामाजिक श्रेणी | | | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनसूचित जनजाति | अति पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति की महिलाएं * (3 %) | आर्थिक रूप से कमजोर तबका | |
| 2023-24 | 97258 | 27152 | 1823 | 40379 | 27834 | 6072 | 22635 | 223153 |
| 2024-25 (30 सितंबर, 2024 तक) | 34 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 65 |
| **योगफल** | **97292** | **27160** | **1823** | **40385** | **27842** | **6074** | **22642** | **223218** |

टिप्पणी : * पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आबंटित कोटा
स्रोत : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार सरकार

**बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी)** : बिहार तकनीकी सेवा आयोग (समय-समय पर संशोधित ग्रेड वेतन के साथ) 4800 रु. से कम ग्रेड वेतन वाले 'बी' और 'सी' समूह के प्रत्याशियों के लिए अनुशंसा करने के लिए जवाबदेह है। वर्ष 2023-24 में आयोग ने राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन करते हुए 3913 पदों के लिए

रिक्तियों के विज्ञापन दिए थे। इस नीति के तहत आरक्षित और अनारक्षित, दोनो श्रेणियों में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण शामिल है। आयोग ने 3913 आरक्षित पदों के संबंध में 2961 प्रत्याशियों को चुनकर उनकी अनुशंसा की। वर्ष 2024-25 में (30 सितंबर, 2024 तक) आयोग ने 638 प्रत्याशियों की अनुशंसा की (देखें तालिका 5.21)। वर्ष 2024-25 में आयोग के लिए बजट आबंटन 1397.45 लाख रु. था जो 2023-24 के लिए बजट आबंटन से 7.2 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024-25 में (30 सितंबर, 2024 तक) आयोग ने कुल 491.32 लाख रु. खर्च किए (देखें तालिका 5.22)।

**तालिका 5.20 : बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | सामाजिक श्रेणी | | | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनसूचित जनजाति | अति पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति की महिलाएं * (3 %) | आर्थिक रूप से कमजोर तबका | |
| 2019-20 | 4754 | 3288 | 154 | 4055 | 1801 | 715 | 1181 | 15948 |
| 2020-21 | 1289 | 530 | 30 | 592 | 401 | 105 | 323 | 3270 |
| 2021-22 | 2634 | 1558 | 75 | 1786 | 815 | 247 | 647 | 7762 |
| 2022-23 | 4385 | 2532 | 105 | 2796 | 1456 | 505 | 1073 | 12852 |
| 2023-24 | 1538 | 709 | 56 | 756 | 354 | 139 | 361 | 3913 |
| **योगफल** | **14600** | **8617** | **420** | **9985** | **4827** | **1711** | **3585** | **43745** |

टिप्पणी : 1. अन्य सभी सामाजिक श्रेणियों के लिए सरकार ने 35 प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट किया है।
2. * पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आबंटित कोटा
स्रोत : बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार सरकार

**तालिका 5.21 : बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा श्रेणी-वार चयनित प्रत्याशियों की संख्या (2019-20 से 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक)**

| वर्ष | सामाजिक श्रेणी | | | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अनसूचित जनजाति | अति पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति | पिछड़ी जाति की महिलाएं * (3 %) | आर्थिक रूप से कमजोर तबका | |
| 2019-20 | 2030 | 457 | 33 | 628 | 506 | 189 | 453 | 4296 |
| 2020-21 | 2498 | 276 | 58 | 501 | 1069 | 181 | 625 | 5208 |
| 2021-22 | 1636 | 323 | 26 | 577 | 370 | 51 | 245 | 3228 |
| 2022-23 | 423 | 125 | 2 | 146 | 76 | 69 | 91 | 932 |
| 2023-24 | 1232 | 307 | 23 | 599 | 367 | 107 | 326 | 2961 |
| 2024-25 (30 सितंबर, 2024 तक) | 323 | 83 | 3 | 102 | 56 | 19 | 52 | 638 |
| **योगफल** | **8142** | **1571** | **145** | **2553** | **2444** | **616** | **1792** | **17263** |

टिप्पणी : 1. अन्य सभी सामाजिक श्रेणियों के लिए सरकार ने 35 प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट किया है।
2. * पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आबंटित कोटा
स्रोत : बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार सरकार

**तालिका 5.22 : बिहार तकनीकी सेवा आयोग का बजट आबंटन और व्यय (2019-20 से 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक)**

| वर्ष | बजट आबंटन (लाख रु.) | व्यय (लाख रु.) | उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 721.36 | 401.95 | 55.7 |
| 2020-21 | 657.77 | 491.95 | 74.8 |
| 2021-22 | 875.05 | 524.51 | 59.9 |
| 2022-23 | 1104.23 | 669.46 | 60.6 |
| 2023-24 | 1302.98 | 747.95 | 57.4 |
| 2024-25 (30 सितंबर, 2024 तक) | 1397.45 | 491.32 | 35.2 |

स्रोत : बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार सरकार

**बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग :** वर्ष 2023-24 में आयोग ने 1403 पदों के लिए विज्ञापन दिए जिनमें उप-निरीक्षक (मद्यनिषेध), अनुमंडल अग्निसेवा केंद्र अधिकारी, और आरक्षी उप-निरीक्षक के पद शामिल थे। वर्ष 2023-24 तक इनमें से 56 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई। भर्ती की प्रक्रिया 2024-25 में भी जारी रही और सितंबर 2024 तक 1339 कर्मियों को भर्ती किया गया। भर्ती किए गए प्रत्याशियों में 863 पुरुष, 473 महिलाएं और तीन उभयलिंगी व्यक्ति थे। प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट आरक्षण नीति का पालन किया गया जिसमें महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल है। विवरण तालिका 5.24 में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.23 : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जरिए विभिन्न पदों पर पुलिस-कर्मियों की लिंग-वार भर्ती (2021-22 से 2024-25 में सितंबर 2024 तक)**

| वर्ष | पदों की संख्या | | | | भर्ती | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | उभयलिंगी | योगफल | पुरुष | महिला | उभयलिंगी | योगफल |
| 2021-22 | 1772 | 1019 | — | 2791 | 1775 | 1007 | — | 2782 |
| 2022-23 | 1420 | 836 | — | 2256 | 1417 | 838 | — | 2255 |
| 2023-24 | 908 | 490 | 5 | 1403 | 44 | 12 | — | 56 |
| 2024-25 (30 सितंबर, 2024 तक) | — | — | — | — | 863 | 473 | 3 | 1339 |
| **योगफल** | **4100** | **2345** | **5** | **6450** | **4099** | **2330** | **3** | **6432** |

टिप्पणी : अन्य सभी जाति श्रेणियों के राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निर्दिष्ट 35 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

स्रोत : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना

**तालिका 5.24 : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जरिए विभिन्न पदों पर भर्ती पुलिस-कर्मियों का सामाजिक श्रेणी-वार वितरण (2021-22 से 2024-25 में सितंबर 2024 तक)**

| वर्ष | सामाजिक श्रेणी | | | | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | आर्थिक रूप से कमजोर तबका | पिछड़ी जाति | अति पिछड़ी जाति | अनसूचित जाति | अनसूचित जनजाति | महिला | उभयलिंगी | |
| 2021-22 | 1109 | 283 | 328 | 499 | 453 | 27 | 83 | 0 | 2782 |
| 2022-23 | 835 | 224 | 307 | 435 | 368 | 19 | 67 | 0 | 2255 |
| 2023-24* | 20 | 6 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| 2024-25 (सितंबर, 2024 तक) | 470 | 117 | 114 | 250 | 285 | 16 | 84 | 3 | 1339 |
| **योगफल** | **2434** | **630** | **760** | **1193** | **1114** | **62** | **236** | **3** | **6432** |

टिप्पणी : * भर्ती की प्रक्रिया 2023-24 में शुरू हुई और 2024-25 तक जारी रही।
स्रोत : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना

**केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद :** गत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24 तक) में केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद ने 27,846 पदों के लिए विज्ञापन दिए और सफलतापूर्वक 27,204 प्रत्याशियों की भर्ती की (तालिका 5.25)। भर्ती की प्रक्रिया में पर्षद ने आरक्षित और अनारक्षित, दोनो श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत के क्षैतिक आरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आबंटित कोटा के मानदंडों का पालन किया। सामाजिक समूहों के आधार पर पुलिस-कर्मियों की भर्ती का विस्तृत वितरण तालिका 5.26 में प्रस्तुत है।

**तालिका 5.25 : विभिन्न पदों पर पुलिस-कर्मियों एवं समकक्ष कर्मियों की लिंग-वार भर्ती (2021-22 से 2023-24)**

| वर्ष | पदों की संख्या | | | भर्ती | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | योगफल | पुरुष | महिला | योगफल |
| 2021-22 | 7797 | 5033 | 12830 | 7166 | 5591 | 12757 |
| 2022-23 | 9056 | 5271 | 14327 | 9480 | 4302 | 13782 |
| 2023-24 | 438 | 251 | 689 | 396* | 269 | 665 |
| **योगफल** | **17291** | **10555** | **27846** | **17042** | **10162** | **27204** |

टिप्पणी : 1. अन्य सभी जाति श्रेणियों के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निर्दिष्ट 35 प्रतिशत आरक्षण और विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए अन्य कोटा लागू हैं।
2. * एक उभयलिंगी प्रत्याशी शामिल है।
स्रोत : केंद्रीय सिपाही चयन आयोग, बिहार, पटना

तालिका 5.26 : भर्ती पुलिस-कर्मियों एवं समकक्ष कर्मियों का सामाजिक श्रेणी-वार वितरण (2021-22 से 2023-24 तक)

| वर्ष | सामाजिक श्रेणी | | | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | आर्थिक रूप से कमजोर तबका | पिछड़ी जाति | अति पिछड़ी जाति | अनसूचित जाति | अनसूचित जनजाति | महिला | |
| 2021-22 | 4938 | 1232 | 1479 | 2219 | 1957 | 578 | 354 | 12757 |
| 2022-23 | 5654 | 1357 | 1645 | 2414 | 2198 | 142 | 372 | 13782 |
| 2023-24 | 272 | 66 | 83* | 124 | 94 | 5 | 21 | 665 |
| **योगफल** | **10864** | **2655** | **3207** | **4757** | **4249** | **725** | **747** | **27204** |

टिप्पणी : एक उभयलिंगी प्रत्याशी शामिल है।

स्रोत : केंद्रीय सिपाही चयन आयोग, बिहार, पटना

**बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (बीएसईडीसी) :** बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को राज्य के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं की क्षमता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुशल कर्मियों की भर्ती में विभिन्न विभागों को सहयोग देने का दायित्व सौंपा गया है। आम तौर पर निगम डेटा इंट्री ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, और सूचना प्रौद्योगिकी पेशावरों की भर्ती करता है। वर्ष 2023-24 में विभिन्न सरकारी विभागों की जरूरतें पूरी करने के लिए निगम ने 1037 व्यक्तियों की सफलतापूर्वक भर्ती की। इन 1037 तैनात कर्मियों में से 989 (95 प्रतिशत) डेटा इंट्री ऑपरेटर थे।

तालिका 5.27 : बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा नियुक्त जनशक्ति का विवरण (2021-22 से 2023-24)

(संख्या)

| जनशक्ति का प्रकार | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| डेटा इंट्री ऑपरेटर | 1782 | 4898 | 989 |
| प्रोग्रामर | 116 | 167 | 23 |
| स्टेनोग्राफर और सूचना प्रौद्योगिकी पेशावर | 25 | 19 | 25 |
| **योगफल** | **1923** | **5084** | **1037** |

स्रोत : बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, बिहार सरकार

## रोजगार कार्यालयों से संबंधित जानकारी

रोजगार कार्यालय का मुख्य काम नौकरी चाहने वालों का निबंधन करना है। वर्ष 2023-24 में बिहार में विभिन्न रोजगार कार्यालयों के जरिए कुल 7,39,492 लोग निर्बंधित हुए। रोजगार कार्यालय मार्गदर्शन करने और नौकरी शिविरों तथा नौकरी मेलों के जरिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए नियमित शिविर आयोजित कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में 3228 मार्गदर्शन शिविर आयोजित किए गए और 1,17,925 व्यक्ति उनसे लाभान्वित हुए। साथ ही,

1376 नौकरी शिविर भी आयोजित किए गए जिनसे 31,784 व्यक्ति लाभान्वित हुए। वर्ष 2023-24 में रोजगार कार्यालयों ने 40 नौकरी मेलों का आयोजन किया जिनसे 25,951 आकांक्षियों को लाभ हुआ। यहां हम रोजगार कार्यालयों द्वारा अपनाई गई दो महत्वपूर्ण पहलों - 'टूल किट वितरण' और 'अध्ययन किट वितरण' - का उल्लेख करना चाहेंगे।

'रोजगार सेवा विस्तार योजना' के तहत रोजगार कार्यालयों ने बिजली मिस्त्री, फिटर, मोबाइल मरम्मत, ब्यूटीशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मत आदि विभिन्न कार्यों में कुशल (दिव्यांगों, उभयलिंगियों, महिलाओं, और अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों सहित) निबंधित प्रत्याशियों के लिए 'टूल किट वितरण' कार्यक्रम शुरू किया है। निर्णय किया गया है कि लाभार्थियों में 30 प्रतिशत महिलाएं होंगी। टूल किट की अधिकतम कीमत 15,000 रु. है। वर्ष 2023-24 में 1666 निबंधित प्रत्याशियों को टूल किट उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने टूल किट की आपूर्ति पर 79.64 लाख रु. खर्च किए।

'टूल किट वितरण' की पहल के अलावा, रोजगार कार्यालयों ने (दिव्यांगों, उभयलिंगियों, महिलाओं, और अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों सहित) निबंधित प्रत्याशियों के लिए 'अध्ययन किट' का वितरण शुरू किया है। रोजगार-सह-मार्गदर्शन योजना के तहत 'अध्ययन किट वितरण' कार्यक्रम के द्वारा सरकारी नौकरियों और अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे निबंधित और पात्र प्रत्याशियों की सहायता की जाती है। अध्ययन किट का अधिकतम क्रय मूल्य 5,000 रु. है। वर्ष 2023-24 में 2436 निबंधित प्रत्याशियों को अध्ययन किट मुफ्त उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने रोजगार-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए 144.14 लाख रु. खर्च किए हैं।

**तालिका 5.28 : रोजगार कार्यालयों की उपलब्धि, 2023-24**

| योजना | विवरण | 2023-24 |
|---|---|---|
| निबंधन * | कुल संख्या | 739492 |
| मार्गदर्शन | शिविरों की संख्या | 3228 |
| | लाभार्थियों की संख्या | 117925 |
| नौकरी शिविर | शिविरों की संख्या | 1376 |
| | लाभार्थियों की संख्या | 31784 |
| नौकरी मेला | नौकरी मेलों की संख्या | 40 |
| | चयनित प्रत्याशियों की संख्या | 25951 |
| कैरियर सूचना केंद्र | लाभार्थियों की संख्या | 71682 |

टिप्पणी : * आवेदकों का निबंधन भारत सरकार द्वारा विकसित और बिहार द्वारा अपनाए गए एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर किया जाता है

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## 5.4 कौशल विकास

बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) का लक्ष्य राज्य की कार्यशील आबादी की रोजगार-परकता बढ़ाने के लिए कुशल श्रमशक्ति तैयार करना है। मिशन का मुख्य फोकस रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि पर है। अपने आरंभ से लेकर अब तक मिशन द्वारा 20 लाख से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण मिला है। इसके प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क पूरे राज्य में सुस्थापित है।

नई पहल के अंग के बतौर मिशन ने लोगों, खास कर महिलाओं के लिए पटना नगर निगम की साझीदारी में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण चलाना शुरू किया है। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखरेख, खुदरा व्यापार, विनिर्माण, कंप्यूटिंग, और इलक्ट्रॉनिक्स जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के अलावा, मिशन ने ड्रोन प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेबसाइट विकास, और बहुकौशल तकनीशियन जैसे आधुनिक और उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की भी पेशकश की है। राज्य के विभिन्न विभागों के सहयोग से इन प्रयासों का लक्ष्य युवाओं को आज के उभरते उद्योग और श्रम बाजार के लिए प्रासंगिक कौशलों से लैश करना और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करना है। मिशन कृषि एवं सहवर्ती सेवाओं सहित राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में सतत प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। किसानों और उद्यमियों को मशरूम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। फलत:, मशरूम उत्पादन में राज्य का अब देश में पहला स्थान है।

साथ ही, मिशन ने स्ट्रीट-फूड विक्रेता, टायर फिटर, खुदरा विक्रेता, और चप्पल निर्माता जैसे राज्य के अनौपचारिक क्षेत्र में उनके कौशलों को बहुमूल्य पहचान दिलाते हुए कौशल विकास की नई राह खोली है।

**कौशल युवा कार्यक्रम (केवीपी)** : इस कार्यक्रम का संचालन 1886 केंद्रों से किया गया और 2023-24 में 4.7 लाख से भी अधिक प्रशिक्षु नामांकित हुए। कार्यक्रम में लैंगिक अनुपात के मामले में पूरा बदलाव देखा गया। विगत वर्षों के दौरान प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। जैसे, दिसंबर 2016 में प्रशिक्षुओं में पुरुष-महिला अनुपात 80:20 था जो जनवरी 2024 में बदलकर 42:58 हो गया। इस उत्साहवर्धक बदलाव से कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं की धारणाओं में सकारात्मक बदलाव का पता चलता है। अब अपने कौशलों में सुधार लाने और राज्य की आर्थिक प्रक्रिया का अंग बनने के लिए अधिकांश महिलाएं कौशल प्रशिक्षण लेना पसंद कर रही हैं। कौशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरी तरह महिलाओं के लिए तैयार किया गया था। राज्य सरकार की सात निश्चय योजना ''आर्थिक हल युवाओं को बल'' के तहत कौशल युवा कार्यक्रम को राज्य के 15 से 28 वर्ष (अजा/ अजजा और दिव्यांगों के लिए 33 वर्ष, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष) आयु समूह के 10वीं उत्तीर्ण युवाओं की रोजगार-परकता के लिए 240 घंटों का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया था। वर्ष 2023-24 में 2.5 लाख से भी अधिक प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त किए (तालिका 5.29)।

**डोमेन स्किलिंग** : इस कार्यक्रम की शुरुआत पाठ्यक्रम या योजना संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार न्यूनतम पात्रता को पूरा करने वाले श्रमिकों को उन्नत पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन ने 15 विभागों के साथ समन्वय किया था। वर्ष 2023-24 में 15,470 नामांकित

प्रशिक्षुओं में से 6,897 ही प्रशिक्षण पूरा कर सके (तालिका 5.29)। वहीं, 1416 प्रशिक्षुओं का प्रमाणन हुआ और उनमें से 260 को नौकरी मिली।

**नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती (आरटीडी) योजना** : इस योजना के तहत राज्य सरकार 15 से 45 वर्ष उम्र वाले प्रत्याशियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप औद्योगिक मानकों पर आधारित प्रशिक्षण दिलाती है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण व्यय का वित्तपोषण बिहार कौशल विकास मिशन करता है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 15 केंद्र चलाए गए जहां 4,546 प्रत्याशी नामांकित हुए और 3,307 प्रत्याशियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रमाण पत्र प्राप्त 1,248 प्रत्याशियों में से 479 को नौकरी की पेशकश की गई (तालिका 5.29)। गौरतलब है कि प्रमाण पत्र प्राप्त हर तीन प्रत्याशी में से एक को रोजगार मिल गया।

**पूर्व-शिक्षण मान्यकरण (आरपीएल)** : राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के ढांचा के तहत यह कार्यक्रम पहले से ज्ञान और कौशलों की मौजूदगी वाले 18 से 59 वर्ष उम्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की पेशकश करता है। वर्ष 2023-24 में इस कार्यक्रम को 49 केंद्रों के जरिए चलाया गया जहां 5888 व्यक्तियों ने नामांकन कराया (तालिका 5.29)। इनमें से 1216 प्रत्याशियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

**बिहार राज्य - वित्तीय लेखाकरण प्रमाणपत्र (बीएस-सीएफए)** : बिहार कौशल विकास मिशन ने इस पाठ्यक्रम को भी शुरू किया है जिसके तहत 12वीं कक्षा की शैक्षिक योग्यता वाले 17 से 45 वर्ष उम्र के युवाओं को वित्तीय लेखाकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके 78 केंद्रों से 7,755 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया लेकिन 4,267 प्रशिक्षु ही प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सके। इस कार्यक्रम के तहत 4,204 प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं (तालिका 5.29)।

**तालिका 5.29 : बिहार कौशल विकास मिशन के तहत अभी तक की भौतिक प्रगति (2023-24)**

| योजना का नाम | केंद्रों की सं. | नामांकन | प्रशिक्षण पूरा | प्रशिक्षण जारी | प्रमाण पत्र जारी | तैनात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कौशल युवा कार्यक्रम (केवाइपी) | 1886 | 476514 | 290604 | 131377 | 252965 | अनु. |
| डोमेन स्किलिंग | 115 | 15470 | 6897 | 8573 | 1416 | 260 |
| नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती (आरटीडी) | 15 | 4546 | 3307 | 1239 | 1248 | 479 |
| पूर्व शिक्षण मान्यकरण (आरपीएल) | 49 | 5888 | 5194 | 694 | 1216 | अनु. |
| बिहार राज्य -वित्तीय लेखाकरण प्रमाण पत्र | 78 | 7755 | 4267 | 1352 | 4204 | अनु. |
| **योगफल** | **2143** | **510173** | **310269** | **143235** | **261049** | **739** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**संकल्प योजना** : संकल्प योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। इसके तहत टायर फिटिंग, पथ विक्रय, और पटना नगर निगम के तहत आर्थिक प्रतिकूलता-ग्रस्त महिलाओं के लिए ई-कार्ट चलाने सहित बिहार में अनेक नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। संकल्प के तहत अभी तक 1301

प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया गया है और 1181 प्रत्याशियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाण पत्र मिल गए हैं। संकल्प योजना के तहत बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवास परामर्श एवं निबंधन केंद्र (एमसीआरसी) स्थापित किया जा रहा है। राज्य के 10 जिलों (पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और गया) में एजेंसी के चुनाव के लिए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) प्रकाशित कराया गया है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रवासी मजदूरों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, जानकारी और परामर्श देने के लिए ये केंद्र बिहार के बाहर 10 मुख्य स्थानों पर (जैसे मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पुणे, लुधियाना, और जयपुर में) भी स्थापित किए जाएंगे।

**अन्य उपलब्धियां**

कौशल युवा कार्यक्रम और नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती योजना जैसे नवाचारी अग्रणी कार्यक्रमों को 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग ने भी कौशल युवा कार्यक्रम को सम्मानित किया है।

कौशल प्रतिस्पर्धा का ऑलंपिक समझी जाने वाली 2023 वर्ल्ड स्किल्स में बिहार के सहभागियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित 13 मेडल जीते। वर्ष 2023-24 में मिशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीसी) के साथ मिलकर राज्य-स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कीं।

भविष्य में मिशन द्वारा रोडशो आयोजित करने, कमांड एवं नियंत्रण केंद्र बनाने, उच्च विद्यालयों में कौशल युवा कार्यक्रम चलाने, कौशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षकों के लिए तीन-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने, और प्रमंडल-स्तरीय समीक्षा एवं कौशल युवा कार्यक्रम संवाद की शुरुआत करने की योजना है। जिन अनुमंडलों में कौशल केंद्र मौजूद नहीं हैं उनमें बिहार राज्य - वित्तीय लेखाकरण प्रमाण पत्र (बीएस-सीएफए) के तहत नए केंद्र खोलने और हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके हब के बतौर पटना में ''महा-कौशल केंद्र'' शुरू करने की भी योजना है।

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा चलने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 893.67 करोड़ रु. आबंटित किए है (तालिका 5.30)। बिहार कौशल विकास मिशन और ग्रामीण विकास विभाग को 799.03 करोड़ रु. मिले हैं जो कुल आबंटन का 89 प्रतिशत हो जाता है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2023-24 में अकेले मिशन को 621.0 करोड़ रु. का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए धनराशि तीन स्रोतों से आती है - राज्य योजना, राज्य योजना (सात निश्चय-2), और केंद्र सरकार की योजनाएं। इन्हें तालिका 5.31 में दर्शाया गया है।

राज्य योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आइटीआइ) के लिए नए भवनों के निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए 2023-24 में 27,295.98 लाख रु. आबंटित किए गए। भवनों के लिए आबंटित धनराशि में से 11,768.00 लाख रु. का उपयोग किया गया है। नए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 9132.31 लाख

रु. आबंटित किए गए जिनकी उपयोगिता दर 85.44 प्रतिशत है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में मशीनों और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए 2023-24 में 4410.31 लाख रु. आबंटित थे लेकिन 4715.69 लाख रु. व्यय हुए। वहीं, राज्य योजना (सात निश्चय-2) के तहत मुख्यत: औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार तथा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने 50,000.00 लाख रु. आबंटित किए। राज्य सरकार के सात निश्चय, भाग-2 के तहत युवाओं को उद्योग-संरेखित, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके महा-कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए आबंटित की गई कुल धनराशि 17,334.0 लाख रु. थी (तालिका प 5.3 भी देखें)।

**तालिका 5.30 : कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विभाग-वार बजट (2019-20 से 2023-24)**

| विभाग का नाम | बजट की रकम (करोड़ रु.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| बिहार कौशल प्रशिक्षण मिशन, श्रम संसाधन विभाग | 571.32 | 520.6 | 558 | 580 | 621 |
| स्वास्थ्य विभाग | 5 | 1.98 | 0 | 41.87 | 38.73 |
| गृह विभाग (कारा एवं सुधारक सेवाएं) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0.5 |
| शिक्षा विभाग | 10 | 9.54 | 0 | 25.97 | 3.25 |
| पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 3.17 | 1.05 | 2.03 | 3 | 3 |
| पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 5 | 0 | 0 | 7.39 | 0 |
| उद्योग विभाग | 20 | 3 | 0 | 5.44 | 5.44 |
| अजा एवं अजजा कल्याण विभाग | 4.55 | 21 | 25 | 3.43 | 3.43 |
| कृषि विभाग | 6.8 | 6.86 | 12 | 8.43 | 0 |
| सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 17.2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| नगर विकास एवं आवास विभाग | 44.04 | 11.43 | 27.51 | 8.33 | 1.93 |
| पर्यटन विभाग | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 1 |
| ग्रामीण विकास विभाग | 433.43 | 579.2 | 281.61 | 168.16 | 178.03 |
| समाज कल्याण विभाग | 15 | 25 | 19.11 | 14 | 18 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 6.57 | 5.08 | 3.43 | 2.41 | 1.34 |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 5 | 5 | 5 | 8.02 | 8.02 |
| **योगफल** | **1095.58** | **1202.24** | **946.19** | **940.95** | **893.67** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका 5.31 : विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन और व्यय (2023–24)

| योजना | बजट (लाख रु.) | व्यय (लाख रु.) | उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| **राज्य योजना** | | | |
| प्रशिक्षण एवं पुन:-प्रशिक्षण | 10.00 | 9.96 | 99.65 |
| मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड की शुरुआत | 175.00 | 130.24 | 74.42 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मशीनों और उपकरणों का आधुनिकीकरण | 4,715.69 | 4,410.31 | 93.52 |
| मौजूदा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड की शुरुआत | 50.00 | 15.33 | 30.67 |
| नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना | 9,132.31 | 7,802.36 | 85.44 |
| सूचना प्रबंधन प्रणाली | 751.00 | 739.31 | 98.44 |
| नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना | 2,434.00 | 2,129.35 | 87.48 |
| बिहार कौशल विकास मिशन (राज्यांश) | 1,134.00 | 743.48 | 65.56 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण | 852.28 | 0.00 | 0.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण | 22,200.13 | 9,359.00 | 42.16 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (अनुसूचित जाति उप-योजना) | 4,796.10 | 2,192.00 | 45.70 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (जनजातीय उप-योजना) | 299.75 | 217.00 | 72.39 |
| **योगफल (क)** | **46,550.26** | **27,748.34** | **59.61** |
| **राज्य योजना (सात निश्चय-2)** | | | |
| मशीनों का आधुनिकीकरण | 3,000.00 | 2,925.27 | 97.51 |
| बिहार कौशल विकास मिशन | 15,275.00 | 15,260.24 | 99.90 |
| बिहार कौशल विकास मिशन (अनुसूचित जाति उप-योजना) | 6,952.26 | 6,952.26 | 100.00 |
| बिहार कौशल विकास मिशन (जनजातीय उप-योजना) | 225.00 | 225.00 | 100.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण | 20,382.74 | 20,186.00 | 99.03 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (अनुसूचित जाति उप-योजना) | 3,920.00 | 3,854.00 | 98.32 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (जनजातीय उप-योजना) | 245.00 | 205.00 | 83.67 |
| **योगफल (ख)** | **50,000.00** | **49,607.77** | **99.22** |
| **केंद्र सरकार की योजना** | | | |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (राज्यांश) | 1,500.00 | 15.67 | 1.04 |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (अनुसूचित जाति उप-योजना) (राज्यांश) | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (जनजातीय उप-योजना) (राज्यांश) | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (केंद्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कौशल विकास मिशन (केंद्रांश) | 1,350.00 | 200.00 | 14.81 |
| औद्योगिक मूल्यवृद्धि हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) | 1,000.00 | 262.50 | 26.25 |
| राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (नैप्स) | 124.50 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति उप-योजना) | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (जनजातीय उप-योजना) | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 500.00 | 161.43 | 32.29 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | 8,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| संकल्प | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योगफल (ग)** | **17,334.00** | **639.60** | **3.69** |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | **1,13,884.26** | **77,995.71** | **68.49** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूसेटी)

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूसेटी) कृषि कार्यक्रम, उत्पाद कार्यक्रम, प्रक्रिया कार्यक्रम और सामान्य कार्यक्रम – चार अलग-अलग मकसदों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) चलाकर युवक-युवतियों को कौशल प्रदान करते हैं। इन उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अलावा कौशल उन्नयन और विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। बिहार में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी), हाजीपुर समेत आठ बैंक बिहार के सभी जिलों में रूसेटी को प्रायोजित करते हैं। बैंकों की सूची तालिका प 5.4 (परिशिष्ट) में दी गई है।

राज्य में रूसेटी को सहयोग देने के लिए 'जीविका' नोडल अभिकरण है। विगत वर्षों के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षित प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि दिखी है। वर्ष 2023-24 में 973 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 30,434 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2023-24 में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने का कुल व्यय 10.91 करोड़ रु. था (तालिका 5.34)। प्रशिक्षित प्रत्याशियों के लिए रोजगार के अवसर भी काफी ऊंचे रहे हैं। इसलिए कि 2022-23 और 2023-24 में 80 प्रतिशत प्रशिक्षित प्रत्याशियों को रोजगार मिल गया। प्रायोजक बैंक प्रशिक्षित प्रत्याशियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराते हैं। प्रशिक्षुओं की लैंगिक संरचना भी महिलाओं के पक्ष में थी क्योंकि पुरुषों से अधिक महिलाओं ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

**तालिका 5.32 : रूसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षित प्रत्याशियों और रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या (2019-20 से 2024-25 के 30 सितंबर 2024 तक)**

| वर्ष | प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सं. | प्रशिक्षित प्रत्याशियों की सं. | | | | रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | उभयलिंगी | योगफल | |
| 2019-20 | 841 | 10300 | 14650 | 11 | 24961 | 18486 |
| 2020-21 | 537 | 6106 | 8762 | 0 | 14868 | 11137 |
| 2021-22 | 710 | 8439 | 12828 | 1 | 21268 | 14378 |
| 2022-23 | 915 | 11931 | 16361 | 0 | 28292 | 22769 |
| 2023-24 | 973 | 12966 | 17468 | 0 | 30434 | 24492 |
| 2024-25 (30 सितंबर, 2024 तक) | 725 | 10004 | 13399 | 0 | 23403 | 11889 |
| **योगफल** | **4701** | **59746** | **83468** | **12** | **143226** | **103151** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

## दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाइ)

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आजीविका उपलब्ध कराना है। बिहार में जीविका इसका क्रियान्वयन अभिकरण है। इस योजना के तहत सितंबर 2024 तक 83,806 युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। सभी प्रशिक्षित प्रत्याशियों में से 54 प्रतिशत को रोजगार मिल गया। वर्ष 2023-24 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का कुल खर्च 28.04 करोड़ रु. था (देखें तालिका 5.34)।

बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ने ग्रामीण युवाओं और उनके अभिभावकों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, रूसेटी और सीधी भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिहाज से सामुदायिक स्तर पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ''युवा परामर्श सह संसाधन केंद्र'' नामक पहल शुरू की है। गोलबंदी मजबूत करने के लिए नौकरी-सामुदायिक साधनसेवी की नीति तय की गई है और हर महीने 100 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। जीविका स्किल्स नाम इन-हाउस ऍप भी विकसित किया गया है। इस ऍप को कागज-रहित नौकरी मेले आयोजित करने और गोलबंदी तथा भर्ती के सारे आंकड़े प्राप्त करने के मकसद से विकसित किया गया है। जीविका स्किल्स ऍप में आंकड़ा संग्रहण का काम गत वर्ष से ही जारी है।

**तालिका 5.33 : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षण और नियोजन की स्थिति (सितंबर 2024 तक)**

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| प्रशिक्षित प्रत्याशियों की संख्या | 83806 |
| भर्ती प्रत्याशियों की संख्या | 45141 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

**तालिका 5.34 : रूसेटी और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की वित्तीय स्थिति (2023-24)**

(करोड़ रु. में)

| कार्यक्रम का नाम | व्यय |
|---|---|
| रूसेटी के तहत व्यय | 10.91 |
| दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत व्यय | 28.04 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

## 5.5 पासपोर्ट निर्गमन

भारत के बाहर की बेहतर आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों ने बिहार की कार्यशील आबादी को हमेशा आकर्षित किया है। पहले पासपोर्ट हासिल करने की कठिन और जटिल प्रक्रिया इच्छुक श्रमिकों के लिए विदेश जाने के अवसरों की उपलब्धता में बाधक होती थी। हाल के वर्षों में आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण और समयबद्ध पुलिस सत्यापन के कारण इच्छुक लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए उत्साहित हुए हैं। जैसे, गत पांच वर्षों में 1703.9 हजार लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और उनमें से 1683.1 हजार को पासपोर्ट मिल गया (तालिका 5.35)। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना ने सूचना दी कि 2023 में 84 प्रतिशत पासपोर्ट आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन का काम 21 दिनों के अंदर पूरा हो गया। वर्ष 2019 में पासपोर्ट के लिए कुल आवेदकों में से 69 प्रतिशत का ही पुलिस सत्यापन 21 दिनों के अंदर पूरा हुआ था। यह पांच वर्षों में हुए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। साथ ही, पुलिस सत्यापन में लगे दिनों की संख्या में भी विगत वर्षों के दौरान काफी कमी आई है (देखें तालिका 5.36)। वर्ष 2019 में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने में औसतन 17 दिन लगे थे जबकि 2023 में इस प्रक्रिया को पूरी करने में औसतन 12 दिन ही लगे। पासपोर्ट के आवेदनों और पासपोर्ट निर्गमन के जिलावार वितरण से पता चलता है कि 2022-23 से 2023-24 के बीच पासपोर्ट के लिए आवेदनों की संख्या छः जिलों में 40 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी है। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच पासपोर्ट आवेदनों के मामले में

सर्वाधिक 70 प्रतिशत वृद्धि बांका में हुई हालांकि वास्तविक संख्या कम थी। इसी प्रकार, पासपोर्ट के लिए आवेदन में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि अन्य पांच जिले कटिहार (55 प्रतिशत), सुपौल (49 प्रतिशत), मधेपुरा (48 प्रतिशत) पटना (47 प्रतिशत) और गया (41 प्रतिशत) हैं। वहीं, 2023-24 में पासपोर्ट निर्गमन के मामले में देखें तो जारी किए गए कुल पासपोर्ट में तीन जिलों (सीवान, गोपालगंज और पटना) का 29.7 प्रतिशत हिस्सा है। लाभप्रद रोजगार पाने के लिए इन जिलों के श्रमिक ऐतिहासिक रूप से विदेश, खास कर मध्य-पूर्व के देशों में जाते रहे हैं, और प्रवास का नेटवर्क अबाध रूप से बरकरार है (तालिका प 5.5)।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'पासपोर्ट आपके द्वार' के तहत, बिहार में दो नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इसके अलावा, तीन अन्य डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शीघ्र ही काम करने लगेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य निवासियों को अपने घरों के पास ही अवेदन जमा करने की गुंजाइश देकर पासपोर्ट आवेदन सेवाओं को उनके लिए अधिक सुगम बनाना है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना को 2024 में ''पासपोर्ट मोबाइल वैन'' उपलब्ध कराया है। मोबाइल सेवा ने बिहार के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में शिविर आयोजित करना शुरू किया है और उसे नए पासपोर्ट आवेदन आकर्षित करने में सफलता मिली है।

अभी पासपोर्ट मोबाइल वैन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां आवेदकों को मिलने का समय तय कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल सेवा के जरिए आवेदनों का उसी जगह प्रक्रियाकरण की पेशकश करके सुविधाजनक समाधान पेश किया गया है। अपनी पहुंच और प्रतिबद्धता में सुधार को और भी मजबूती देते हुए, पटना के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा मोबाइल सेवाओं का विस्तार अन्य स्थानों पर भी करने की योजना है।

**तालिका 5.35 : पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों और जारी पासपोर्ट की संख्या (2019-20 से 2023-24)**

(आंकड़े हजार में)

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राप्त आवेदन | 286.7 | 161.0 | 310.9 | 565.9 | 379.354 | 1703.9 |
| जारी पासपोर्ट | 305.3 | 155.8 | 309.1 | 554.8 | 358.138 | 1683.1 |

स्रोत : विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

**तालिका 5.36 : 21 दिनों में हुए पुलिस सत्यापन का वर्ष-वार प्रतिशत और पुलिस सत्यापन में लगे औसत दिन (2019 से 2023)**

| वर्ष | 21 दिनों में हुआ पुलिस सत्यापन (प्रतिशत) | पुलिस सत्यापन में लगे औसत दिन |
|---|---|---|
| 2019 | 69 | 17 |
| 2020 | 74 | 17 |
| 2021 | 80 | 17 |
| 2022 | 84 | 12 |
| 2023 | 84 | 12 |

स्रोत : विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

## परिशिष्ट

**तालिका प 5.1 : प्रवासी मजदूरों की जिलावार मृत्यु और उनके परिजनों को आबंटित रकम (2021-22 से 2023-24)**

| जिले | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मृत व्यक्तियों की सं. | आबंटित रकम (हजार रु.) | मृत व्यक्तियों की सं. | आबंटित रकम (हजार रु.) | मृत व्यक्तियों की सं. | आबंटित रकम (हजार रु.) |
| पटना | 2 | 200 | 5 | 475 | 2 | 3.00 |
| नालंदा | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| भोजपुर | 4 | 400 | 4 | 400 | 14 | 19.00 |
| बक्सर | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| रोहतास | 2 | 200 | 4 | 400 | 2 | 2.00 |
| कैमूर | 1 | 100 | 2 | 200 | 6 | 7.00 |
| गया | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| जहानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| अरवल | 0 | 0 | 2 | 200 | 7 | 7.00 |
| नवादा | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| औरंगाबाद | 3 | 300 | 3 | 300 | 2 | 2.00 |
| सारण | 13 | 1300 | 23 | 2300 | 6 | 6.00 |
| सीवान | 1 | 100 | 6 | 600 | 5 | 5.00 |
| गोपालगंज | 1 | 100 | 2 | 200 | 14 | 14.00 |
| पश्चिम चंपारण | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
| पूर्व चंपारण | 4 | 400 | 7 | 700 | 20 | 24.00 |
| मुजफ्फरपुर | 2 | 200 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| सीतामढ़ी | 6 | 600 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
| शिवहर | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 1.00 |
| वैशाली | 2 | 200 | 1 | 100 | 3 | 3.00 |
| दरभंगा | 0 | 0 | 6 | 600 | 7 | 8.00 |
| मधुबनी | 1 | 100 | 3 | 300 | 11 | 12.00 |
| समस्तीपुर | 2 | 200 | 2 | 200 | 23 | 26.00 |
| बेगूसराय | 6 | 600 | 17 | 1637 | 15 | 15.00 |
| मुंगेर | 0 | 0 | 4 | 400 | 4 | 4.00 |
| शेखपुरा | 4 | 400 | 5 | 500 | 2 | 2.00 |
| लखीसराय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| जमुई | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| खगड़िया | 3 | 300 | 1 | 100 | 1 | 1.00 |
| भागलपुर | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 2.00 |
| बांका | 2 | 200 | 1 | 100 | 3 | 3.00 |
| सहरसा | 0 | 0 | 5 | 500 | 7 | 7.00 |
| सुपौल | 3 | 300 | 3 | 300 | 5 | 5.00 |
| मधेपुरा | 1 | 100 | 3 | 300 | 9 | 11.00 |
| पूर्णिया | 0 | 0 | 7 | 700 | 2 | 2.00 |
| किशनगंज | 1 | 100 | 3 | 300 | 1 | 1.00 |
| अररिया | 0 | 0 | 2 | 200 | 7 | 7.00 |
| कटिहार | 8 | 800 | 11 | 1100 | 7 | 7.00 |
| **बिहार** | **76** | **7600** | **136** | **13512** | **213** | **232.00** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.2 : मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मुक्त और पुनर्वासित बाल मजदूर (2021-22 से 2023-24)**

| जिले | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुक्त बाल मजदूर | बाल मजदूर के खाते में अंतरण | मुक्त बाल मजदूर | बाल मजदूर के खाते में अंतरण | मुक्त बाल मजदूर | बाल मजदूर के खाते में अंतरण |
| पटना | 20 | 3 | 36 | 18 | 58 | 37 |
| नालंदा | 28 | 0 | 41 | 3 | 48 | 3 |
| भोजपुर | 5 | 3 | 10 | 5 | 26 | 9 |
| बक्सर | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 13 |
| रोहतास | 5 | 2 | 24 | 18 | 21 | 10 |
| कैमूर | 9 | 4 | 12 | 8 | 21 | 3 |
| गया | 81 | 14 | 85 | 65 | 41 | 68 |
| जहानाबाद | 10 | 4 | 16 | 12 | 26 | 10 |
| अरवल | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 2 |
| नवादा | 5 | 5 | 15 | 19 | 35 | 25 |
| औरंगाबाद | 1 | 0 | 23 | 3 | 25 | 5 |
| सारण | 4 | 0 | 23 | 1 | 39 | 33 |
| सीवान | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 |
| गोपालगंज | 6 | 0 | 2 | 7 | 26 | 3 |
| पश्चिम चंपारण | 14 | 0 | 15 | 11 | 65 | 33 |
| पूर्व चंपारण | 33 | 36 | 47 | 20 | 106 | 71 |
| मुजफ्फरपुर | 11 | 5 | 26 | 2 | 38 | 19 |
| सीतामढ़ी | 12 | 0 | 47 | 16 | 107 | 17 |
| शिवहर | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 |
| वैशाली | 37 | 0 | 22 | 3 | 55 | 22 |
| दरभंगा | 5 | 0 | 35 | 12 | 53 | 32 |
| मधुबनी | 10 | 2 | 21 | 11 | 58 | 45 |
| समस्तीपुर | 63 | 1 | 25 | 67 | 17 | 19 |
| बेगूसराय | 20 | 0 | 20 | 2 | 37 | 22 |
| मुंगेर | 4 | 0 | 8 | 6 | 17 | 3 |
| शेखपुरा | 2 | 0 | 7 | 4 | 39 | 16 |
| लखीसराय | 1 | 4 | 11 | 8 | 13 | 6 |
| जमुई | 5 | 7 | 11 | 15 | 13 | 8 |
| खगड़िया | 3 | 0 | 10 | 7 | 26 | 14 |
| भागलपुर | 3 | 1 | 32 | 8 | 51 | 9 |
| बांका | 3 | 0 | 31 | 17 | 28 | 9 |
| सहरसा | 8 | 7 | 17 | 4 | 18 | 3 |
| सुपौल | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | 12 |
| मधेपुरा | 4 | 0 | 7 | 16 | 29 | 38 |
| पूर्णिया | 7 | 0 | 23 | 3 | 58 | 27 |
| किशनगंज | 4 | 0 | 15 | 13 | 31 | 8 |
| अररिया | 7 | 0 | 26 | 6 | 26 | 23 |
| कटिहार | 20 | 3 | 66 | 12 | 34 | 17 |
| **बिहार** | **462** | **105** | **834** | **452** | **1403** | **699** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 5.3 : विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण के लिए वित्तीय आबंटन (2019–20 से 2023–24)

(लाख रु.)

| योजना | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य योजना** | | | | | |
| प्रशिक्षण एवं पुनः–प्रशिक्षण | 200 | 100 | 110 | 10.0 | 10.0 |
| मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड की शुरुआत | 100 | 100 | 500 | 350.0 | 175.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मशीनों और उपकरणों का आधुनिकीकरण | 2502 | 3008.5 | 14,000.00 | 10740.0 | 4,715.69 |
| मौजूदा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड की शुरुआत | 50 | 50 | 200 | 100.0 | 50.00 |
| नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना | 5180 | 6000 | 6,600.00 | 7260.2 | 9,132.31 |
| सूचना प्रबंधन प्रणाली | 500 | 200 | 220 | 220.0 | 751.00 |
| नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना | 1274 | 1476.3 | 1,650.00 | 1600.0 | 2,434.00 |
| बिहार कौशल विकास मिशन | 27562 | 17956.7 | 12,930.30 | 1080.0 | 1,134.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण | 446 | 1000 | 1,000.00 | 1582.0 | 852.28 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण | 28984 | 23100 | 15,227.70 | 30143.0 | 22,200.13 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (अनुसूचित जाति उप–योजना) | 5207 | 5600 | 5,000.00 | 11870.0 | 4,796.10 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (जनजातीय उप–योजना) | 809 | 400 | 300 | 547.5 | 299.75 |
| **योगफल (क)** | **72814** | **58991.5** | **57738** | **65502.7** | **46,550.26** |
| **राज्य योजना (सात निश्चय–2)** | | | | | |
| मशीनों का आधुनिकीकरण | अनु. | अनु. | 16,000.00 | 13000.0 | 3,000.00 |
| कौशल विकास मिशन | 2688 | 1080 | 1,080.00 | 11930.3 | 15,275.00 |
| बिहार कौशल विकास मिशन (अनुसूचित जाति उप–योजना) | 10000 | 10109.6 | 10,025.70 | 10025.8 | 6,952.26 |
| बिहार कौशल विकास मिशन (जनजातीय उप–योजना) | 121 | 533.7 | 543.9 | 544.0 | 225.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण | अनु. | अनु. | 11,700.00 | 17267.4 | 20,382.74 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (अनुसूचित जाति उप–योजना) | अनु. | अनु. | 3500.0 | 5630.5 | 3,920.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (जनजातीय उप–योजना) | अनु. | अनु. | 300 | 477.0 | 245.00 |
| **योगफल (ख)** | **12809.0** | **11723.3** | **43149.6** | **58875.0** | **50,000.00** |
| **केंद्र प्रायोजित योजना** | | | | | |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन | 100 | 300 | 300 | 300.0 | 1,500.00 |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (अनुसूचित जाति उप–योजना) | 35 | 40 | 40 | 40.0 | 240.00 |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (जनजातीय उप–योजना) | 5 | 10 | 10 | 10.0 | 15.00 |
| भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (केंद्रांश) | 600 | 3000 | 3,029.00 | 12000.0 | 0.00 |
| कौशल विकास मिशन (केंद्रांश) | 3257 | 6258 | 615 | 915.0 | 1,350.00 |
| औद्योगिक मूल्यवृद्धि हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) | 156 | 12320 | 5000 | 10213.0 | 1,000.00 |
| राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (नैप्स) | | | | 18.7 | 124.50 |
| राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति उप–योजना) | अनु. | अनु. | अनु. | 4.2 | 24.00 |
| राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (जनजातीय उप–योजना) | अनु. | अनु. | अनु. | 2.2 | 1.50 |
| आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | | | | | 500.00 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | | | | | 8,799.00 |
| संकल्प | | | | | 3,780.00 |
| **योगफल (ग)** | **4153** | **21928** | **8994** | **23503.1** | **17334** |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | **89776** | **92642.8** | **109881.6** | **147880.8** | **113884.3** |

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 5.4 : बिहार के जिलों में बैंक-वार रूसेटी**

| क्र. सं. | प्रायोजक बैंक | जिला |
|---|---|---|
| 1. | पंजाब नेशनल बैंक | 1. भोजपुर, 2. बक्सर, 3. कैमूर, 4. लखीसराय, 5. नालंदा, 6. नवादा, 7. पटना, 8. रोहतास, 9. गया, 10. जहानाबाद, 11. अरवल, 12. औरंगाबाद |
| 2. | केनरा बैंक | 13. शेखपुरा |
| 3. | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 14. पूर्व चंपारण, 15. गोपालगंज, 16. सारण, 17. सीवान, 18. पश्चिम चंपारण, 19. दरभंगा, 20. कटिहार, 21. मधुबनी, 22. मुजफ्फरपुर |
| 4. | रुडसेटी, हाजीपुर | 23. वैशाली |
| 5. | बैंक ऑफ बड़ौदा | 24. शिवहर, 25. सीतामढ़ी |
| 6. | भारतीय स्टेट बैंक | 26. जमुई, 27. अररिया, 28. किशनगंज, 29. मधेपुरा, 30 पूर्णिया, 31. सहरसा, 32. सुपौल |
| 7. | यूको बैंक | 33. बेगूसराय, 34. भागलपुर, 35. मुंगेर, 36. बांका |
| 8. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 37. खगड़िया, 38. समस्तीपुर |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.5 : बिहार में जिलावार प्राप्त आवेदन एवं जारी पासपोर्ट (2021-22 से 2023-24)

| जिले | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवेदन प्राप्त | पासपोर्ट जारी | आवेदन प्राप्त | पासपोर्ट जारी | आवेदन प्राप्त | पासपोर्ट जारी |
| पटना | 24762 | 24703 | 24762 | 24703 | 36393 | 34586 |
| नालंदा | 4580 | 4577 | 4580 | 4577 | 5966 | 5811 |
| भोजपुर | 6291 | 6179 | 6291 | 6179 | 7300 | 6857 |
| बक्सर | 6769 | 6664 | 6769 | 6664 | 6998 | 6520 |
| रोहतास | 6698 | 6691 | 6698 | 6691 | 8435 | 7975 |
| कैमूर | 2323 | 2349 | 2323 | 2349 | 3056 | 2773 |
| | | | | | | |
| गया | 8084 | 8599 | 8084 | 8599 | 11376 | 11172 |
| जहानाबाद | 1701 | 1666 | 1701 | 1666 | 2247 | 2110 |
| अरवल | 1136 | 1138 | 1136 | 1138 | 1388 | 1276 |
| नवादा | 4753 | 4754 | 4753 | 4754 | 5916 | 5425 |
| औरंगाबाद | 4571 | 4700 | 4571 | 4700 | 5742 | 5611 |
| | | | | | | |
| सारण | 15965 | 15614 | 15965 | 15614 | 19101 | 17995 |
| सीवान | 39112 | 39559 | 39112 | 39559 | 42566 | 39867 |
| गोपालगंज | 33701 | 33047 | 33701 | 33047 | 34029 | 32189 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 16334 | 16200 | 16334 | 16200 | 20181 | 19137 |
| पूर्व चंपारण | 16608 | 16309 | 16608 | 16309 | 21732 | 20840 |
| मुजफ्फरपुर | 13924 | 14208 | 13924 | 14208 | 17508 | 16678 |
| सीतामढ़ी | 10987 | 10492 | 10987 | 10492 | 13100 | 11873 |
| शिवहर | 1163 | 1095 | 1163 | 1095 | 1364 | 1218 |
| वैशाली | 5913 | 5857 | 5913 | 5857 | 8089 | 7690 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 13131 | 12958 | 13131 | 12958 | 15368 | 14835 |
| मधुबनी | 15489 | 152912 | 15489 | 152912 | 15804 | 15329 |
| समस्तीपुर | 5597 | 5725 | 5597 | 5725 | 7328 | 6814 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 4925 | 5060 | 4925 | 5060 | 6207 | 5909 |
| मुंगेर | 2127 | 2176 | 2127 | 2176 | 2476 | 2338 |
| शेखपुरा | 867 | 890 | 867 | 890 | 1135 | 1060 |
| लखीसराय | 1017 | 972 | 1017 | 972 | 1347 | 1223 |
| जमुई | 2315 | 2319 | 2315 | 2319 | 3056 | 2775 |
| खगड़िया | 1722 | 1676 | 1722 | 1676 | 2358 | 2229 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 4899 | 4816 | 4899 | 4816 | 6525 | 6118 |
| बांका | 1219 | 1274 | 1219 | 1274 | 2078 | 1901 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 2358 | 2297 | 2358 | 2297 | 3183 | 3021 |
| सुपौल | 3614 | 3560 | 3614 | 3560 | 5372 | 4902 |
| मधेपुरा | 1164 | 1185 | 1164 | 1185 | 1726 | 1606 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 8475 | 8257 | 8475 | 8257 | 9498 | 9027 |
| किशनगंज | 6969 | 6790 | 6969 | 6790 | 9251 | 8488 |
| अररिया | 5444 | 5218 | 5444 | 5218 | 7543 | 6838 |
| कटिहार | 4263 | 4247 | 4263 | 4247 | 6612 | 6122 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **310970** | **309112** | **310970** | **309112** | **379354** | **358138** |

टिप्पणी : आवेदनों का बैकलॉग शामिल है
स्रोत : विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

# अध्याय – 6

# भौतिक अधिसंरचना


**सारांश**

*भौतिक अवसंरचना समाज में सामाजिक-आर्थिक विकास लाती है। इसे वृद्धि और विकास का इंजन माना जाता है और इससे सुदूर और अल्पसेवित क्षेत्रों में विकास के अवसरों के आरंभ के जरिए क्षेत्रीय समानता में सुधार होता है। अवसंरचना उत्पादन आधार का विस्तार करने, व्यापार बढ़ाने और संसाधनों तथा बाजारों को समेकित अर्थव्यवस्था में एक साथ जोड़ने के लिए बहुत अधिक जरूरी होती है। यह गांवों को शहरों और बाजार केंद्रों के साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी मददगार होती है और तथा कृषि को कृषीतर क्षेत्रों के साथ और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को शहरी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ती है और अल्पविकसित तथा विकसित क्षेत्रों को एक-दूसरे के नजदीक लाती है।*

*राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में काफी निवेश किया है। परिणामस्वरूप, गत डेढ़ दशकों में परिवहन एवं संचार क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रमुख वाहकों में से एक हो गया है। बिहार में ग्रामीण अवसंरचना में भी सुधार दिखा है और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया है। बिहार ने राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और द्रुतमार्गों (एक्सप्रेसवे) तथा नए उच्चपथों के निर्माण के जरिए बाधारहित यातायात की दिशा में तेजी से बढ़ रह रहा है। राज्य में वाहनों के निबंधन में देश में लगभग सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है और मोटर वाहन कर के तहत राजस्व संग्रहण में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। अधिकांश अवसंरचना निगम राज्य में अत्याधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं।*


## 6.1 परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र की वृद्धि

आर्थिक विकास को आगे बढ़ने के लिए कुछ बुनियादी आधार की जरूरत होती है। आर्थिक विकास के सभी कारकों में भौतिक अवसंरचना एक प्रमुख कारक है। यह क्षेत्र के लिए शेष विश्व के साथ जुड़ने के लिहाज से अनेक अवसर उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार ने गत दो दशकों में पर्याप्त भौतिक अवसंरचना निर्मित करने का प्रयास किया है। देश के प्रमुख राज्यों में 2011-12 से 2023-24 के बीच परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र की वृद्धि चार्ट 6.1 में दर्शाई गई है। इस अवधि में देश के प्रमुख राज्यों के बीच इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 10.1 प्रतिशत और कर्नाटक के 7.7 प्रतिशत के बाद बिहार ने 7.6 प्रतिशत की तीसरी सबसे ऊंची वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, चार्ट 6.2 में इस क्षेत्र में दर्ज वृद्धि के साथ-साथ सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में इस क्षेत्र के योगदान के रुझान भी दर्शाए गए हैं। इस क्षेत्र में दर्ज उच्च वृद्धि के फलस्वरूप, इस क्षेत्र का योगदान क्रमशः बढ़ता गया है और स्थिर मूल्य पर 2011-12 के 17,545 करोड़ रु. से 2023-24 में 47,313 करोड़ रु. पहुंच गया है। समग्र सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का योगदान 3.0 प्रतिशत अंक बढ़कर 2011-12 के 7.3 प्रतिशत से 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 6.1 : प्रमुख राज्यों में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-12 से 2023-24)

(प्रतिशत में)

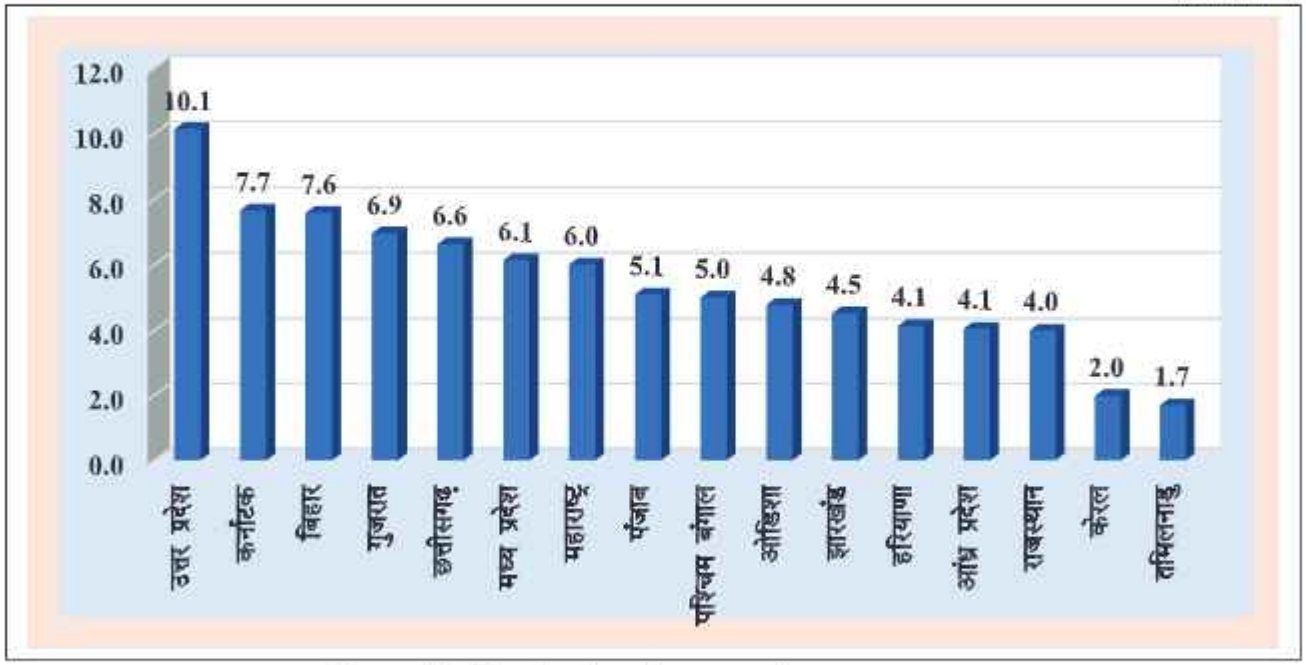


स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 6.2 : परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का आकार तथा बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इसका योगदान

(आकार हजार करोड़ रु. में और योगदान प्रतिशत में)

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

## 6.2 सड़कों और पुलों के निर्माण पर सार्वजनिक व्यय

राज्य सरकार राज्य में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पथ अवसंरचना का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रचुर धनराशि आबंटित की है और पथ अवसंरचना में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी

है। पथ अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव पर व्यय गत दो दशकों (2005-25) में लगातार बढ़ता गया है। गत दो दशकों में राज्य में सड़कों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए सड़कों और पुलों पर 1.13 लाख करोड़ रु. का भारी-भरकम बजट खर्च किया गया है। तालिका 6.1 में गत दो दशकों में बिहार में सड़कों और पुलों पर पंचवर्षीय व्यय दर्शाया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में राज्य की राजधानी पटना पहुंचने का सपना साकार कर दिया है।

**तालिका 6.1 : बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक व्यय का सारांश**

(करोड़ रु. में)

| व्यय शीर्ष | 2005-10 | 2010-15 | 2015-20 | 2020-25* |
|---|---|---|---|---|
| **सड़कों और पुलों पर कुल व्यय** | **12002** | **24273** | **30441** | **46173** |
| सड़कों और पुलों पर राजस्व व्यय (मुख्य शीर्ष-3054) | 2279 | 4607 | 8873 | 21565 |
| सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष-5054) | 9724 | 19666 | 21567 | 24608 |

टिप्पणी : * 2024-25 के बजट अनुमान को छोड़कर शेष सभी वर्षों के आंकड़े वास्तविक हैं।
स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

## 6.3 सड़क नेटवर्क

बिहार आबादी के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार यहां देश की 8.6 प्रतिशत आबादी रहती है। लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का देश में बारहवां स्थान है और देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का महज 2.86 प्रतिशत हिस्सा है। सड़क नेटवर्क के मामले में देखें, तो बिहार में लगभग 3 लाख किमी सड़कों का नेटवर्क है और 2019 में देश के सभी राज्यों के बीच इसका आठवां स्थान था। राज्य में एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं और यात्रियों के अबाध सुगम आवागमन को प्राथमिकता दी गई है। चार्ट 6.3 में सितंबर 2024 तक राज्य में चौड़ाई के अनुसार राष्ट्रीय उच्चपथों (एनएच), राज्य उच्चपथों (एसएच) और मुख्य जिला पथों की लंबाई दर्शाई गई है। लगभग 90 प्रतिशत राष्ट्रीय उच्चपथ दो या अधिक लेन वाले हैं। इसी प्रकार, लगभग 85 प्रतिशत राज्य उच्चपथ दो या अधिक लेन वाले हैं। हालांकि 48 प्रतिशत मुख्य जिला पथ मध्यवर्ती किस्म के लेन वाले और 32 प्रतिशत एक लेन वाले हैं। राज्य चार द्रुतमार्गों (एक्सप्रेसवे) (तालिका 6.2) और कुछ अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चपथों (तालिका 6.3) के निर्माण के मामले में तेज प्रगति कर रहा है और निकट भविष्य में राज्य में यातायात की तस्वीर बदल जाएगी। साथ ही, सड़कों की गुणवत्ता में जबर्दस्त सुधार हुआ है और इसके नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों और मुख्य जिला पथों के सड़क नेटवर्क का जिलावार ब्योरा क्रमश: तालिका प 6.1, तालिका प 6.2 और तालिका प 6.3 (परिशिष्ट) में दिया गया है।

भारतमाला परियोजना (चरण 1 और 2) ने देश में राष्ट्रीय नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बिहार इससे काफी लाभान्वित हुआ है। अवसंरचना की समरूपता और सड़क उपयोग करने वालों का सुसंगत अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में 'कॉरीडोर आधारित राष्ट्रीय उच्चपथ विकास' के दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। बिहार से होकर गुजरने वाली भारतमाला परियोजनाओं का ब्योरा तालिका प 6.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। बिहार के लिए कुल 26 परियोजनाएं स्वीकृत और प्रस्तावित हैं जिनके तहत 49,612 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय से 1652 किमी सड़क नेटवर्क का निर्माण शामिल है। द्रुतमार्गों और राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल प्रमुख परियोजनाएं क्रमश: तालिका 6.2 और तालिका 6.3 में सूचीबद्ध हैं।

चार्ट 6.3 क : बिहार में चौड़ाई के अनुसार राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई (सितंबर 2024 तक)

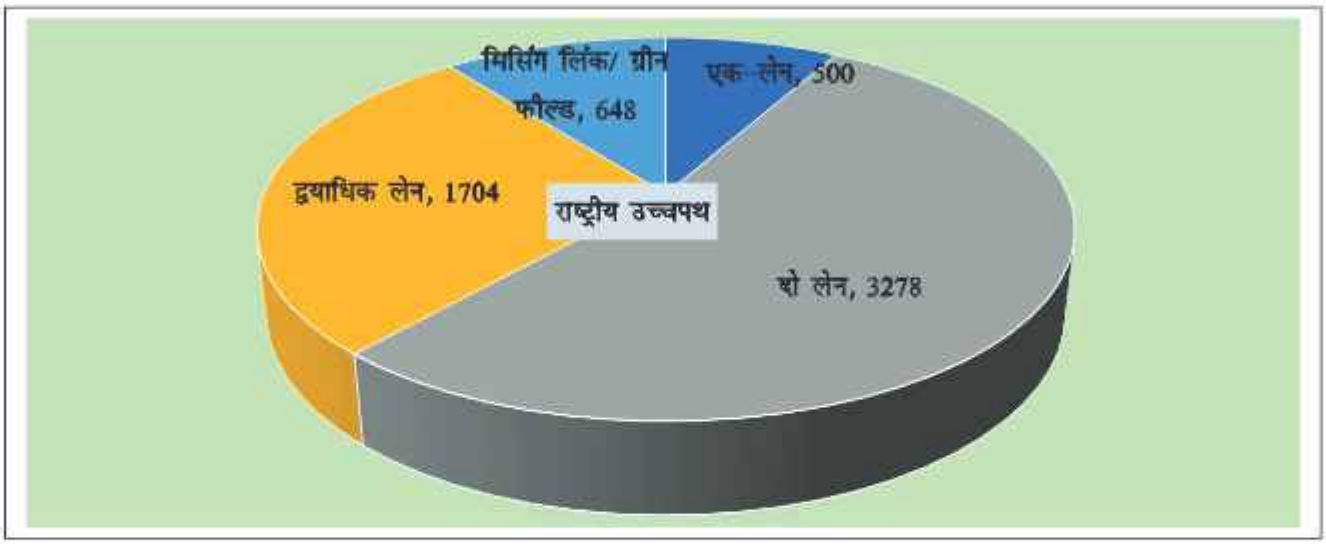


चार्ट 6.3 ख : बिहार में चौड़ाई के अनुसार राज्य उच्चपथों की लंबाई (सितंबर 2024 तक)

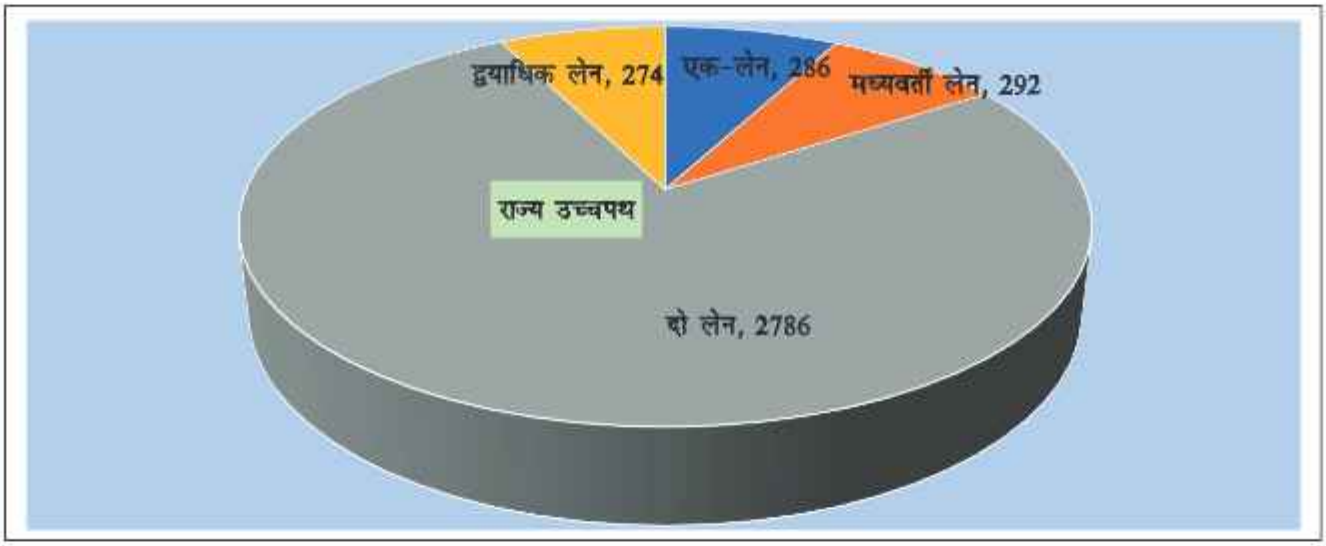


चार्ट 6.3 ग : बिहार में चौड़ाई के अनुसार मुख्य जिला पथों की लंबाई (सितंबर 2024 तक)

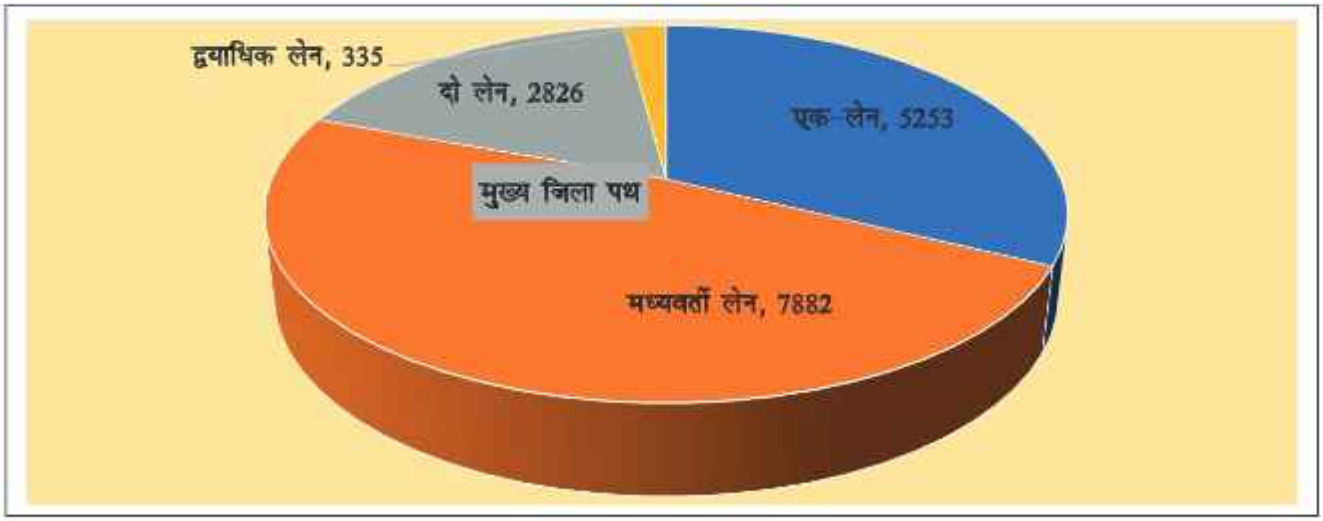


स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 6.2 : बिहार में द्रुतमार्ग

| वाराणसी-रांची-कोलकाता द्रुतमार्ग | गोरखपुर-सिलिगुड़ी द्रुतमार्ग | पटना-पूर्णिया द्रुतमार्ग | रक्सौल-हाल्दिया द्रुतमार्ग |
|---|---|---|---|
| अभी वाराणसी से कोलकाता के यातायात के लिए मुख्य संपर्क ग्रैंडट्रंक रोड (रा.उ.-19, पुराना रा.उ.-2) है जो स्वर्ण चतुर्भुज का हिस्सा है। मौजूदा जी.टी. रोड भीड़-भाड़ से भरा है और अभी उस पर न्यूनतम यातायात 50,000 पीसीयू है जिससे भविष्य में उसकी 6-लेन की क्षमता भी चुक जाएगी। | अभी गोरखपुर से सिलिगुड़ी के यातायात के लिए मुख्य संपर्क रा.उ.-27 है जो पूर्व- पश्चिम कॉरीडोर का हिस्सा है। अभी इस रास्ते गोरखपुर से सिलिगुड़ी जाने में 12-13 घंटे लगते हैं। अभी उच्चपथ के किनारे-किनारे विशाल रिब्बन विकास तथा भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर बहुत अधिक व्यय के कारण रा.उ.-27 पर पहुंच नियंत्रित सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। | यह नया द्रुतमार्ग सबसे छोटे मार्ग के रूप में पटना और पूर्णिया के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराएगा जिससे वाहनों की इंधन कुशलता बढ़ेगी। | नए द्रुतमार्ग से यात्रा का समय भी घटेगा और 18 घंटे से भी अधिक की जगह लगभग 7 घंटे रह जाएगा। |
| इस नए ग्रीनफील्ड संरेखण से यात्रा का समय 6 घंटे घट जाएगा और पथ उपयोगकर्ता वाहन प्रचालन व्यय के मामले में काफी लाभान्वित होंगे। | इस नए संरेखण से उत्तरी और मध्य भारत से सिलिगुड़ी के लिए सीधा और सबसे छोटा पथ-संपर्क उपलब्ध होगा जिससे यात्रा का समय 6 घंटे घट जाएगा और पथ उपयोगकर्ता वाहन प्रचालन व्यय में काफी कमी से भी लाभान्वित होंगे। | प्रस्तावित सड़क को 120 किमी गति हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे यातायात का तेज गति से सुगम और बाधारहित आवागमन सुनिश्चित होगा। | यह मार्ग बिहार में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित रक्सौल समेकित जांच चौकी को पश्चिम बंगाल के हाल्दिया बंदरगाह से जोड़ेगा और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल - तीन राज्यों से होकर गुजरेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी बढ़ेगा। |
| यह सड़क चार राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल - को जोड़ेगी। इससे वाराणसी, मोहनिया, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पुरूलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण स्थान जुड़ जाएंगे। | इससे राज्यों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा और तीन राज्यों में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल - तीन राज्यों को जोड़ेगी। यह सड़क गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, शिवहर, सीतामढ़, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और दार्जिलिंग जिलों से होकर गुजरेगी। | इस नए द्रुतमार्ग से पटना और पूर्णिया के बीच की दूरी 377 किमी से घटकर 269 किमी रह जाएगी और यात्रा में 3-4 घंटे का समय बचेगा। यह द्रुतमार्ग पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों से होकर गुजरेगी। | यह मार्ग पूर्व चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, देवघर, दुमका, जामताड़ा, बीरभूम, पूर्व बर्धमान, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों से होकर गुजरेगा। |
| प्रस्तावित संरेखण नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और इस ग्रीनफील्ड द्रुतमार्ग के कारण पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा। | इससे बिहार के अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। | यह सड़क 6 प्रस्तावित हवाईअड्डों को जोड़ेगी जिससे भूतल और वायु परिवहन बढ़ाने में मदद मिलेगी। | यह नया द्रुतमार्ग पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगा। |

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण, पटना

तालिका 6.3 : बिहार में प्रमुख नए राष्ट्रीय उच्चपथ

| आरा-पड़रिया-मोहनिया रा. उ.- 319 | पटना रिंग रोड रा.उ.-131जी | राम-जानकी मार्ग उच्चपथ | पटना-गया-डोभी रा.उ.-22 |
|---|---|---|---|
| यह सड़क आरा शहर के जीरो माइल से शुरू होकर मोहनिया में रा.उ.-02 से जुड़ेगी। | राजधानी वाले शहर के और अधिक विकास के लिए और शहर से गुजरने वाले सभी यात्रियों को सुगम तथा जाम-मुक्त संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पटना के इर्द-गिर्द रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है। | यह सड़क उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक है। इस धर्म-पथ की घोषणा श्रद्धालुओं को आरामदेह ढंग से और कम समय में पहुंचने की सुविधा देने के लिए की गई थी। | यह सड़क भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चार पवित्र स्थानों में से एक बोधगया के लिए संपर्क उपलब्ध कराती है। |
| आरा शहर से रा.उ.-2 तक तेज यातायात हेतु संपर्क उपलब्ध कराने के लिए इस सड़क को 2-लेन से 4-लेन बनाने के लिए उत्क्रमित किया गया है जिससे पड़ोसी राज्यों के साथ भी जुड़ाव होगा। | रिंग रोड चार चरणों में प्रस्तावित है। 984 करोड़ रु. के व्यय से कन्हौली से रामनगर तक का 39 किमी लंबा पहला भाग बन चुका है। 4250 करोड़ रु. के व्यय से गंगा नदी पर 6-लेन पुल के साथ पटना के शेरपुर से सारण के दिघवारा तक दूसरा भाग निर्माणाधीन है। शेष भाग विकास के चरण में हैं और इनका निर्माण प्रस्तावित है। | यह मार्ग उत्तर प्रदेश में भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या से आरंभ होकर मेहरौना, सीवान, मलमलिया, मसरख, राजापट्टी, केसरिया, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी, सुरसंड और भिटिया मोड़ होते हुए माता सीता के जन्मस्थान जनकपुर (नेपाल) में समाप्त होता है। | यह परियोजना अत्यंत महत्व वाली है क्योंकि यह सड़क पटना को जहानाबाद, गया, डोभी, चतरा, बालूमाथ और बीजूपाड़ा होते हुए रांची से जोड़ती है। |
| इस उच्चपथ की कुल लंबाई 115 किमी है और इस पर हुआ व्यय 1616 करोड़ रु. हैं। | | सीवान से मशरख तक 50 किमी लंबे उच्चपथ के निर्माण का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण को सौंपा गया है और 1431 करोड़ रु. परियोजना व्यय के साथ काम अभिकरण को सौंप दिया गया है। | 127 किमी लंबाई वाली इस परियोजना का व्यय 5519 करोड़ रु. प्राक्कलित है। |

| आमस-दरभंगा रा.उ.-119डी | रजौली-बख्तियारपुर रा.उ.-31 | औंटा-सिमरिया उच्चपथ और मोकामा में गंगा पर 6 लेन वाला पुल | गलगलिया-अररिया रा.उ.-327ई | सासाराम-आरा-पटना रा.उ.-119क |
|---|---|---|---|---|
| यह विकास के बड़े घटकों वाली परियोजना है क्योंकि इस परियोजना से पिछड़े, धार्मिक और पर्यटक स्थलों के लिए पथ-संपर्क विकसित होगा। | इससे राज्य को व्यापार और परिवहन बढ़ाने में मदद मिलेगी। | गंगा नदी पर 6 लेन वाला पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। यह परियोजना दो जिलों के बीच यात्रा के लिए सबसे छोटा मार्ग उपलब्ध कराएगी। | यह मार्ग व्यावसायिक और निजी वाहनों के लिए सिलिगुड़ी और उससे आगे जाने के लिए सुगम यातायात उपलब्ध कराता है। | यह सड़क मुख्यतः पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरती है इसलिए उन क्षेत्रों में विकास हो पाएगा और रोजगार बढ़ेगा। |
| यह परियोजना गया, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर और पटना के जिला मुख्यालयों के बीच बेहतर पथ-संपर्क उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी पूरा करेगी। | यह उच्चपथ झारखंड राज्य में जाने और वहां से आने के लिए तेज पथ-संपर्क उपलब्ध कराता है। | पटना जिले के औंटा और बेगूसराय जिले के सिमरिया के बीच यह अद्वितीय परियोजना राज्य के दोनो जिलों के बीच पथ-संपर्क काफी बढ़ाएगी। | यह मार्ग पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (रा.उ.-27) पर स्थित अररिया से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के गलगलिया के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। | यह ग्रीनफील्ड उच्चपथ सासाराम से शुरू होकर आरा शहर होते हुए पटना रिंग रोड पर स्थित कन्हौली में समाप्त होगा। |
| यह उच्चपथ स्वर्ण चतुर्भुज (रा. उ.-19) को पूर्व- पश्चिम कॉरीडोर (रा.उ.-27) से जोड़ेगा और राज्य से होकर जाने वालों को तेज पथ-संपर्क उपलब्ध कराएगा। | इसका लगभग 107 किमी हिस्सा बिहार में है जिसमें से 100 किमी को 3500 करोड़ रु. के व्यय से 4-लेन में उत्क्रमित किया गया है। | इस परियोजना की लंबाई 8.15 किमी और निर्माण व्यय 1161 करोड़ रु. है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। | इस परियोजना की लंबाई 94 किमी और निर्माण व्यय लगभग 2500 करोड़ रु. है। | इस परियोजना की लंबाई 118 किमी और निर्माण व्यय लगभग 4125 करोड़ रु. है। |

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण, पटना

**बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना (बीएसएचपी)** : यह चार चरणों में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से पूरे राज्य में राज्य उच्चपथ नेटवर्क के चौड़ीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना है। पहले दो चरणों में 18 पथ परियोजनाओं के तहत 8553 करोड़ रु. के व्यय से 1453 किमी लंबाई वाले राज्य उच्चपथों का एक लेन से 2-लेन में चौड़ीकरण किया गया है। बीएसएचपी परियोजना के तीसरे और चौथे चरण की प्रगति तालिका 6.4 में प्रस्तुत है।

**तालिका 6.4 : राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण का अवलोकन (सितंबर 2024 तक)**

| अभिकरण-वार सड़क/ पुल | लंबाई (किमी) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-3 (चरण-1) : 5 राज्य उच्चपथों (राज्य उच्चपथ 82, 84, 102, 58 और 85) का पक्के स्कंध के साथ 2-लेन में उत्क्रमण | 231.75 | 1859.58 करोड़ रु. का व्यय<br>राज्य उच्चपथ-82 को छोड़कर सारे काम पूरे |
| बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-3 (चरण-2) : 6 राज्य उच्चपथों (राज्य उच्चपथ 95, 98, 99, 101, 103 और 105) का मानक विन्यास के साथ 2-लेन में उत्क्रमण | 266.55 | प्राक्कलित व्यय - 2680.35 करोड़ रु.<br>काम प्रगति पर है |
| बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-4 (चरण-1) : 4 मुख्य जिला पथों का उत्क्रमण और 1 उच्च-स्तरीय पुल का निर्माण | 225.47 | अनुमानित व्यय 2900 करोड़ रु., वित्तीय स्वीकृति दी गई |
| बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-4 (चरण-2) : 5 पथों (3 राज्य उच्चपथों और 2 मुख्य जिला पथों) का उत्क्रमण | 268.11 | अनुमानित व्यय 3366 करोड़ रु. |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

**भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना** : इस परियोजना के तहत बिहार में 554.00 किमी लंबाई में 2-लेन सड़कों का निर्माण किया जाना है। सड़क उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गोबरहिया (मदनपुर) से शुरू होकर भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर चलती हुई 7 जिलों (पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज) से गुजरेगी और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित गलगलिया में समाप्त होगी। यह सड़क भारत और नेपाल के बीच की संवेदनशील सीमा पर स्थित सीमा चौकियों को पथ-संपर्क उपलब्ध कराएगी। साथ ही, सीमा पर प्रभावी पेट्रोलिंग होने से अवांछित और अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण होगा। यह परियोजना रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अभी कुल 552 किमी में से 492.00 किमी में मिट्टी का काम और 405.00 किमी में अलकतरा की परत लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ-साथ, 125 उच्च-स्तरीय पुल और 752 पुलियों का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। इस परियोजना को दिसंबर 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

## 6.4 बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल)

बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. राज्य सरकार का आइएसओ 9001: 2008 के तहत प्रमाणित निगम है जो 2009 से कार्यरत है। निगम सड़कों के निर्माण का काम करता है और अपने आरंभ से ही मुनाफी अर्जित कर रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान इसने एशियाई विकास बैंक, जापान अधिसंरचना निगम अभिकरण (जीका), सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी), अभियंत्रण, क्रय एवं निर्माण (ईपीसी) और केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) द्वारा

वित्तपोषित अनेक परियोजनाएं हस्तगत की हैं। तालिका 6.5 में निगम का गत पांच वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन प्रस्तुत है। समाज और जरूरतमंद लोगों के विकास के लिए निगम ने 2023-24 में मुख्यमंत्री राहत कोष में 7.5 करोड़ रु. का योगदान किया। निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी पहल के तहत निगम ने 2023-24 में 1.28 करोड़ रु. का योगदान किया।

**तालिका 6.5 : बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति**

(करोड़ रु.)

| शीर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | योगफल | औसत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टर्नओवर | 67.91 | 64.97 | 49.25 | 44.36 | 53.66 | 280.15 | 56.03 |
| लाभ + कर | 40.99 | 38.20 | 21.73 | 14.98 | 25.14 | 141.04 | 28.21 |
| लाभ | 26.63 | 31.53 | 18.60 | 12.49 | 19.45 | 108.70 | 21.74 |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

## बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. की कुछ जारी प्रतिष्ठित परियोजनाएं

**जयप्रकाश गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज)** : जयप्रकाश गंगा पथ का दीघा से कंगन घाट तक का 15.5 किमी लंबा हिस्सा अब चालू हो गया है और पूर्वी पटना से पश्चिमी पटना को सीधा पथ-संपर्क उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह गंगा नदी पर बने दो बड़े पुलों को भी जोड़ता है। इसके कारण पथ उपयोगकर्ताओं के लिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आना-जाना आसान हो गया है। अभी इसके 20.5 किमी में से 20 किमी लंबाई में काम पूरा हो गया है और दीदारगंज में मुख्य संरेखण मार्च 2025 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

**बिहार में गंगा पर नया 6-लेन पुल** : एशियाई विकास बैंक की सहायता से इस परियोजना का निर्माण 4988.40 करोड़ रु. के व्यय से किया जा रहा है। इसमें एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता की रकम 3000 करोड़ रु. है जबकि शेष का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। परियोजना की कुल लंबाई 19.76 किमी है जिसमें से 9.760 किमी में गंगा नदी पर 6 लेन वाला एक्स्ट्रा-डोज्ड पुल और लगभग 10 किमी में संपर्क वायाडक्ट और सड़क, टॉल प्लाजा तथा सेवा सुविधाओं का निर्माण होगा। परियोजना पटना के कच्ची दरगाह में राष्ट्रीय उच्चपथ-30 से शुरू होकर राघवपुर दियारा होते हुए वैशाली जिले के चक सिकंदर (बिदुपुर) में राष्ट्रीय उच्चपथ-103 पर समाप्त होगी। परियोजना सितंबर 2025 तक पूरी हो जाने की आशा है। इससे पटना और आसपास के क्षेत्रों, खास कर उत्तर बिहार के बीच यात्रा का समय काफी घट जाएगा।

**सिपारा-रामगोविंद सिंह महुली हाल्ट उत्थित/ ग्रेड सड़क** : पहले चरण में 850.0 करोड़ रु. के व्यय से सिपारा से पटना-गया रेलवे लाइन के किनारे-किनारे पूर्व की ओर से रामगोविंद सिंह महुली हाल्ट (परसाबाजार, पटना) तक 6.7 किमी लंबे उत्थित (एलिवेटेड)/ भूतल सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं, दूसरे चरण में रेलवे लाइन के किनारे-किनारे पूर्व की ओर से मीठापुर से सिपारा तक 2.1 किमी लंबा 4-लेन उत्थित पथ (सिपारा में 2 लेन वाले सड़क उपरिपुल के साथ) और रामगोविंद सिंह महुली हाल्ट से पुनपुन (लक्ष्मण झूला) तक 2.2 किमी लंबे 4-लेन भूतल (ऐट-ग्रेड) पथ, कुल मिलाकर 4.3 किमी लंबे मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन पथ का निर्माण प्रगति पर है। इसका परियोजना व्यय 437.15 करोड़ रु. है।

**बख्तियारपुर-ताजपुर पुल :** 2875.20 करोड़ रु. के कुल संशोधित व्यय से गंगा नदी पर करजन गांव के पास राष्ट्रीय उच्चपथ-31 के बख्तियारपुर बाइपास और राष्ट्रीय उच्चपथ-28 पर स्थित ताजपुर को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड गंगा पुल (5.52 किमी लंबा पुल और 45.5 किमी लंबा संपर्क-पथ) का निर्माण प्रगति पर है। परियोजना फरवरी 2026 में पूरी हो जाने की आशा है।

**जयप्रकाश गंगा पथ का विस्तार और जयप्रकाश गंगा पथ समग्र उद्यान**

**जयप्रकाश गंगा पथ का विस्तार :** दीघा से कोइलवर तक कुल 35.5 किमी लंबाई प्रस्तावित है। इसमें से 17 किमी 6-लेन का उत्थित पथ होगा और शेष 18.5 किमी सड़क 6-लेन की तटबंध के ढांचे वाली होगी। इसका अनंतिम परियोजना व्यय 7577 करोड़ रु. है। यह पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे पटना रिंग रोड का हिस्सा रहे शेरपुर-दिघवारा पुल को जोड़ेगी। छितनावां में 4-लेन वाले पथ-संपर्क का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के पूरी हो जाने पर पश्चिम बिहार से पूर्वी बिहार जाना बहुत आसान हो जाएगा और यात्रा के समय में काफी कमी आएगी।

**जयप्रकाश गंगा पथ का विस्तार :** दीदारगंज से बख्तियारपुर होकर अथमलगोला तक 42.5 किमी लंबाई में 6-लेन के ढांचे के साथ विस्तार प्रस्तावित है। इसका प्राक्कलित परियोजना व्यय 15,453 करोड़ रु. है। इसमें बख्तियारपुर-ताजपुर पुल के साथ 6-लेन का पथ संपर्क, और फतुहा, खुसरूपुर तथा सालिमपुर में 4-लेन वाले पथ-संपर्क का प्रावधान शामिल है। इस परियोजना के पूरी हो जाने पर बख्तियारपुर और बिहार के अन्य भागों में जाना काफी आसान हो जाएगा।

**जयप्रकाश गंगा पथ समग्र उद्यान योजना :** जयप्रकाश गंगा पथ गंगा नदी के किनारे-किनारे बनी 20.5 किमी लंबी सड़क है। जयप्रकाश गंगा पथ का प्रथम चरण जून 2022 में चालू हो गया था। उद्घाटन के बाद देखा गया कि इसके कुछ हिस्सों का उपयोग पटना के लोगों द्वारा, खास कर शाम के समय पर्यटन-स्थल के रूप में किया जा रहा है। सार्वजनिक आकर्षण के बतौर जयप्रकाश गंगा पथ की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए दीघा से गांधी मैदान के बीच जयप्रकाश गंगा पथ परियोजना क्षेत्र के दोनो ओर लगभग 50 हेक्टेयर में नदी तट विकास का प्रस्ताव है जिसके 90 प्रतिशत क्षेत्र का विकास हरित पट्टी के रूप में किया जाएगा। वहीं, शेष 10 प्रतिशत का उपयोग बुनियादी सुविधाओं के साथ घाट, तथा बुजुर्गों और बच्चों के लिए पार्क, जैव-विविधता पार्क, साइकल पथ/ पदयात्री पथ, पार्किंग आदि के लिए किया जाएगा। परियोजना का अनंतिम व्यय 785 करोड़ रु. है।

## 6.5 सात निश्चय-2 के तहत सुलभ संपर्कता

सुलभ संपर्कता बिहार सरकार के सात निश्चय-2 के तहत सात निश्चयों में से एक है। वर्ष 2021-22 में विभिन्न बाइपास सड़कों के लिए कुल 40 किमी लंबाई वाली 8 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 143 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। वहीं, 2022-23 में विभिन्न बाइपास सड़कों के लिए कुल 52.7 किमी लंबाई वाली 12 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 413 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। हालांकि 2023-24 में 128.09 करोड़ रु. के व्यय से कुल 30 किमी लंबाई में बाइपास निर्माण की पांच परियोजनाओं को ही स्वीकृति मिली (तालिका प 6.5 - परिशिष्ट)। इन बाइपास सड़कों के चालू हो जाने पर राज्य के अधिकांश शहर भीड़-भाड़ से मुक्त हो जाएंगे।

## 6.6 बिहार में पुल क्षेत्र

बिहार देश के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है इसलिए सड़कों और रेलमार्गों के ऊपर उपयुक्त स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलों की जरूरत पड़ती है। हाल के वर्षों में यातायात के सुगम प्रवाह के लिए पूरे राज्य में बड़ी संख्या में पुलों का निर्माण कराया गया है। इससे अनेक शहरों के लिए यात्रा की दूरी और समय में कमी आई है। वहीं, नदियों पर वांछित दूरी पर अनेक उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कराया गया है।

### बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. (बीआरपीएनएनएल) राज्य सरकार का एक और मुनाफा अर्जित करने वाला निगम है जो सड़कों और 25.00 लाख रु. से अधिक प्राक्कलित व्यय वाले पुलों का निर्माण कराता है। वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक निगम ने राज्य में 16,761 करोड़ रु. के व्यय से कुल 1112 पुलों का निर्माण कराया है। इस अवधि में निगम को कुल 545.07 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ हुआ। तालिका 6.6 में गत 12 वर्षों में निगम की कार्यदशा का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2023-24 में निगम ने 1567.15 करोड़ रु. का कार्य निष्पादन किया जिससे उसे 47.74 करोड़ रु. का सकल लाभ और 18.65 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ हुआ। साथ ही, निगम ने राज्य सरकार को 205.11 करोड़ रु. का लाभांश दिया और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 205.00 करोड़ रु. दान में दिए। इसके अलावा, निगम ने निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत 54.43 करोड़ रु. के काम कराए। वर्ष 2023-24 में निगम को कुल 2523.58 करोड़ रु. व्यय वाली 132 नई परियोजनाएं तथा 2024-25 में (30 सितंबर 2024 तक) 267.30 करोड़ रु. व्यय वाली 12 नई परियोजनाएं आबंटित की गई हैं।

**तालिका 6.6 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के कामकाज का सारांश**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | बने पुलों की सं. | कार्य निष्पादन (टर्नओवर) | सेंटेज (अभिकरण शुल्क)/अन्य आय | प्रशासनिक व्यय | सकल लाभ | शुद्ध लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 136 | 1273.31 | 141.94 | 34.95 | 106.99 | 63.81 |
| 2013-14 | 119 | 1480.85 | 159.22 | 39.03 | 120.18 | 72.54 |
| 2014-15 | 177 | 1739.32 | 183.22 | 44.12 | 139.10 | 80.93 |
| 2015-16 | 173 | 1698.99 | 150.59 | 42.88 | 107.71 | 70.26 |
| 2016-17 | 103 | 1840.02 | 147.44 | 39.29 | 108.15 | 68.76 |
| 2017-18 | 84 | 1500.98 | 118.31 | 40.22 | 78.09 | 37.98 |
| 2018-19 | 97 | 1496.76 | 128.21 | 47.55 | 80.66 | 42.74 |
| 2019-20 | 81 | 1114.31 | 161.85 | 85.70 | 76.10 | 39.23 |
| 2020-21 | 69 | 827.55 | 102.10 | 63.77 | 38.34 | 8.97 |
| 2021-22 | 19 | 789.55 | 96.81 | 62.58 | 34.23 | 16.01 |
| 2022-23 | 28 | 1432.61 | 104.64 | 57.05 | 47.58 | 25.19 |
| 2023-24 | 26 | 1567.15 | 96.14 | 48.40 | 47.74 | 18.65 |
| **योगफल** | **1112** | **16761.40** | **1590.42** | **605.55** | **984.86** | **545.07** |

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

**बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की जारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं**

**अशोक राजपथ पर दोतल्ला फ्लाइओवर** : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पटना में 422.00 करोड़ रु. के व्यय से अशोक राजपथ पर महत्वाकांक्षी निर्माण की परियोजना सौंपी गई है। इस दोतल्ला फ्लाइओवर का विस्तार कारगिल चौक से पटना मेडिकल कॉलेज होकर एनआइटी मोड़ तक है। यह सबसे व्यस्त सड़क है जिसके किनारे मेडिकल कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थान अवस्थित हैं। इस रास्ते से हल्के, भारी और व्यावसायिक - सभी प्रकार के वाहन गुजरते हैं जिससे इस पर अक्सर गंभीर जाम लगी रहती है जो यात्रियों के लिए कठिनाइयां पैदा करती है। इसलिए ऐसे हिस्सों में कम से कम जगह का अधिग्रहण करना पड़े इस लिहाज से दोतल्ला फ्लाइओवर बनाना अशोक राजपथ पर लगने वाले भारी ट्रफिक जाम पर काबू पाने का सबसे अच्छा उपाय है।

फ्लाइओवर के निचले तल्ले की कुल लंबाई 1.5 किमी है जिसमें पटना कॉलेज के नजदीक ऊपर जाने के लिए और बीएन कॉलेज के समीप नीचे आने के लिए रैंप शामिल हैं। वहीं, ऊपरी तल्ले की कुल लंबाई 2.2 किमी है जिसमें कारगिल चौक के समीप ऊपर जाने के लिए और पटना विश्वविद्यालय तथा साइंस कॉलेज के समीप नीचे आने के लिए रैंप शामिल हैं। प्रस्तावित पुल परियोजना से तीन बहुस्तरीय कार पार्कों (एमएलसीपी) के जरिए गांधी मैदान से आने वाले यातायात को दरकिनार करके सीधे पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचने में मदद मिलेगी। फ्लाइओवर दो अलग मार्गों में बंट जाएगा - (1) पटना विश्वविद्यालय द्वार की ओर जाने वाला हिस्सा कृष्णा घाट से जुड़ेगा और गंगा पथ के लिए सीधा संपर्क उपलब्ध कराएगा, और (2) एनआइटी मोड़ की ओर।

**छपरा में दोतल्ला फ्लाइओवर** : निगम को केंद्रीय पथ निवेश कोष (सीआरआइएफ) के तहत सारण जिले के छपरा शहर में 411.3 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय से प्रतिष्ठित परियोजना निर्माण का काम सौंपा गया है। संरेखरण का विस्तार भिखारी ठाकुर चौक से गांधी मैदान, मौना चौक और नगरपालिका चौक होते बस पड़ाव तक है। यह छपरा का सबसे व्यस्त व्यावसायिक स्थान है जहां स्थानीय क्षेत्रों से लेकर छपरा के बाहर तक से आने वाले सभी प्रकार के वाहन गुजरते हैं।

2.8 किमी की कुल लंबाई वाले फ्लाइओवर का निचला तल्ला पुलिस थाना से शुरू होकर गांधी मैदान और नगरपालिका चौक होते राजेंद्र सरोवर के पास समाप्त होगा जिसमें गड़खा, मुजफ्फरपुर से आने वाले वाहनों के लिए गांधी चौक के पास ऊपर जाने के लिए 285 मी. लंबा मार्ग/ रैंप होगा। इस तल्ले का उपयोग आरा, हाजीपुर और पटना की ओर से आने वाले वाहनों के छपरा समाहरणालय, बस पड़ाव और सीवान जाने के लिए किया जा सकता है। इस फ्लाइओवर से पड़ोसी उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा और व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

## 6.7 ग्रामीण पथ नेटवर्क

ग्रामीण अवसंरचना बिहार में अधिकांश निवासियों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में ग्रामीण क्षेत्रों का 88.7 प्रतिशत हिस्सा है। किसी भी क्षेत्र में वहां के विकास संबंधी अवसरों के पूर्ण उपयोग के लिए हर गांव-टोला तक ग्रामीण पथों का विस्तार और पहुंच आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने और यातायात का अबाध आवागमन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने रणनीतिक रूप से ग्रामीण पथों के निर्माण और रखरखाव में निवेश किया है। चार्ट 6.4 में गत दो दशकों के दौरान राज्य में पक्के ग्रामीण पथों की वृद्धि दर्शाई गई है।

चार्ट 6.4 : बिहार में ग्रामीण पथों की लंबाई के रुझान (2005-06 से 2024-25*)

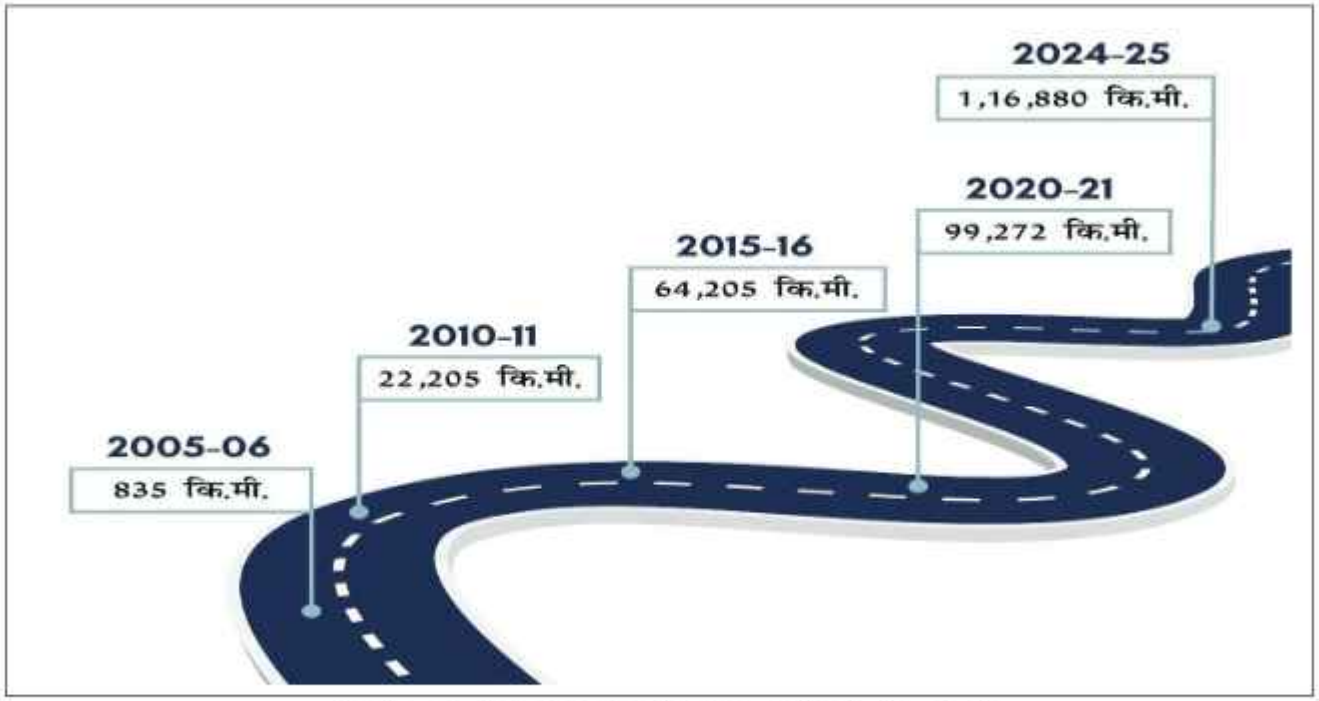


टिप्पणी : * 2024-25 के लिए सितंबर तक के आंकड़े दर्शाता है
स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

ग्रामीण पथों पर 2005-25 की अवधि में व्यय की वृद्धि के आंकड़े चार्ट 6.5 में दर्शाए गए हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण पथों पर व्यय काफी बढ़ा है जो 2005-10 के 1574 करोड़ रु. से 2020-25 में 28,973 करोड़ रु. पहुंच गया है। राज्य में पथ अवसंरचना की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए निर्गत एवं प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण अनुबंध (ओपीआरएमसी) का क्रियान्वयन किया गया है। डेढ़ दशक की इस अवधि में सरकार ने पथ अनुरक्षण नीति सहित सात निश्चय जैसी नीतिगत पहलों का क्रियान्वयन किया है। ग्रामीण गांव-टोलों तक पथ-संपर्क के लिए 2005-25 की अवधि में 60,000 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

चार्ट 6.5 : ग्रामीण पथों पर व्यय (2005-25)

(करोड़ रु.)

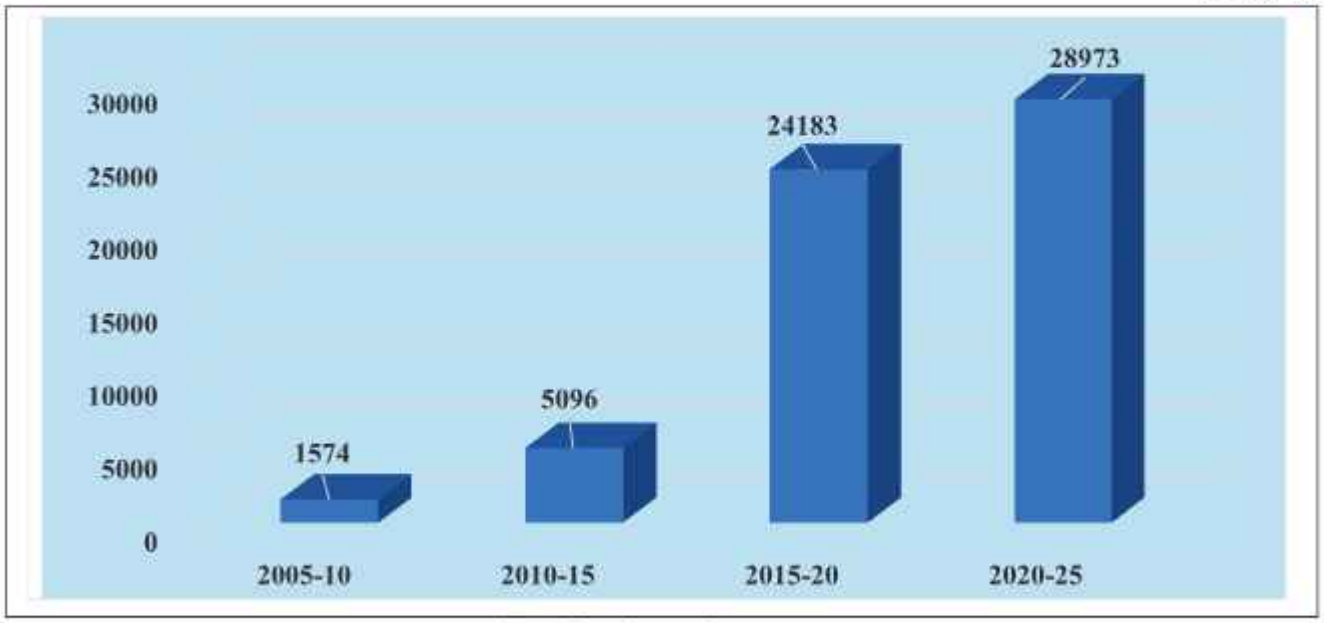


स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 6.7 में विभिन्न योजनाओं के तहत सितंबर 2024 तक ग्रामीण पथों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्योरा पेश किया गया है। ये योजनाएं हैं - (1) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाइ), (2) ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना (जीटीएसएनवाइ), (3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ), (4) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना और (5) राज्य योजना और कुछ अन्य योजनागत योजनाएं (प्लान स्कीम)। सितंबर 2024 तक 63,513 करोड़ रु. के व्यय से 1.17 लाख किमी ग्रामीण पथों का निर्माण किया गया है। साथ ही, 5330 करोड़ रु. के परिव्यय से 6362 किमी ग्रामीण पथ नेटवर्क का उत्क्रमण भी किया गया है। अंतर-जिला ग्रामीण पथ नेटवर्क की वृद्धि तालिका प 6.6 (परिशिष्ट) में दर्शाई गई है।

**तालिका 6.7 : योजनानुसार ग्रामीण पथ नेटवर्क की स्थिति (सितंबर 2024 तक)**

| योजना का नाम | पथ निर्माण (किमी) | पुल निर्माण (संख्या) | व्यय (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| **निर्माण** | | | |
| ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना | 3966.82 | — | 2319.27 |
| मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना | 31821.79 | 120 | 21748.92 |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 | 53419.09 | 1153 | 28292.47 |
| राज्य योजना | 4784.85 | 760 | 5209.21 |
| राज्य योजना की अन्य योजनाएं | 22887.44 | 40 | 5942.91 |
| **योगफल** | **116879.99** | **2073** | **63512.78** |
| **उत्क्रमण** | | | |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 | 2434.90 | 98 | 1650.07 |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 | 3850.32 | 96 | 3579.46 |
| मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना | 77.19 | — | 100.00 |
| **योगफल** | **6362.41** | **194** | **5329.53** |

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

### मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, 2024

ग्रामीण क्षेत्रों में पथ-संपर्क उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का आरंभ 2024 में किया गया है। इस योजना के तहत बाढ़ या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त पुलों, छूट गए पुलों, संपर्क-पथ विहीन पुलों के संपर्क-पथों, और संपर्क-विहीन गांव-टोलों को जोड़ने के लिए पुलों का निर्माण कराया जाना है। वंचित गांवों और आबादी, जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, बाजार, पर्यटन क्षेत्र आदि के लिए संपर्क को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, इनसे राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों, मुख्य जिला पथा और द्रुतमार्गों के साथ भी जुड़ाव होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 2024-25 में 3000 करोड़ रु. के व्यय से लगभग 600 पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया है।

## 6.8 पथ परिवहन क्षेत्र

पथ परिवहन गत दो दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक प्रमुख वाहक के रूप में उभरा है। चार्ट 6.6 से स्पष्ट है कि 2012-2024 की अवधि में इसमें दो अंकों में विकास दर दर्ज हुई है। फलतः परिवहन क्षेत्र का आकार 2011-12 के 8400 करोड़ रु. से तिगुना बढ़कर 2023-24 में 25,100 करोड़ रु. पहुंच गया।

**चार्ट 6.6 : बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर पथ परिवहन के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की वृद्धि**

(हजार करोड़ रु. में)

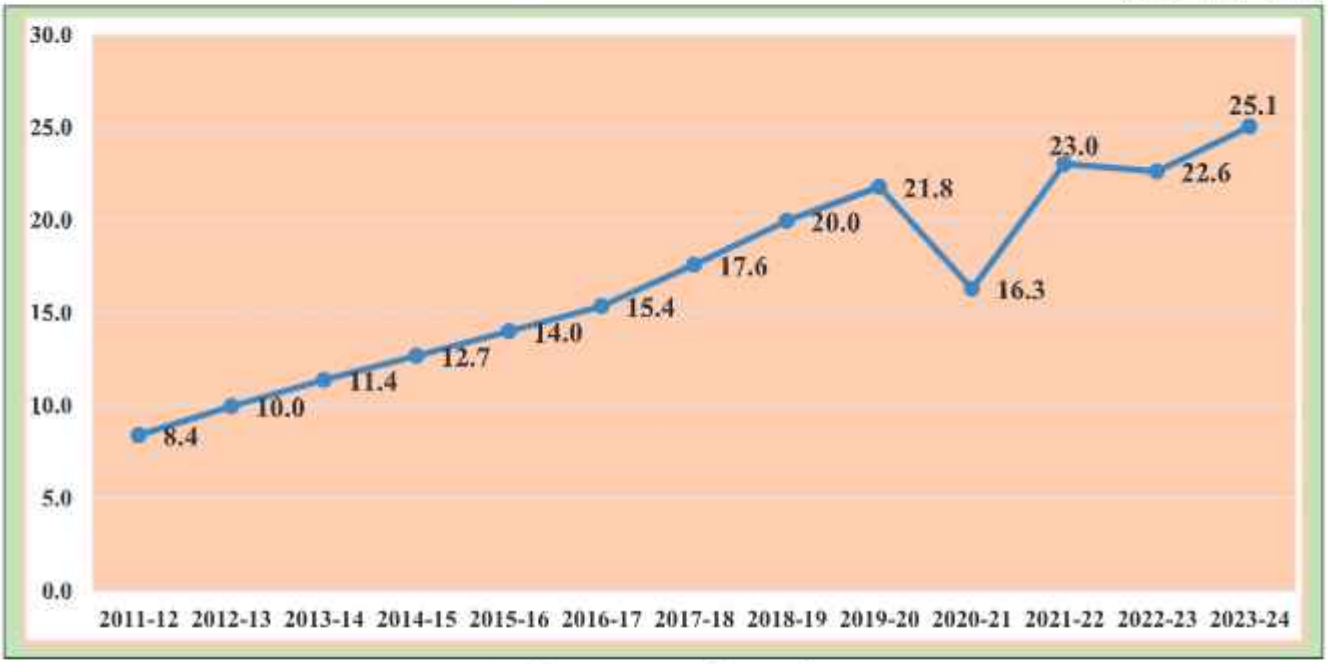


टिप्पणी : 2020-21 कोविड वर्ष था

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

परिवहन और परिवहनेतर मोटर वाहनों का वितरण तालिका 6.8 में प्रस्तुत है जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में जनवरी से दिसंबर 2023 के बीच निर्बंधित विभिन्न वाहनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। परिवहन वाले मोटरवाहनों के सर्वाधिक निबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद पांचवा स्थान बिहार का ही है। लेकिन परिवहनेतर मोटरवाहनों और सभी मोटरवाहनों के निबंधन के मामले में बिहार का देश में सातवां स्थान है। वर्ष 2023-24 के लिए वाहन निबंधन के जिलावार आंकड़े तालिका प 6.7 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

हाल की अवधि में पथ परिवहन क्षेत्र में सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए लक्षित अनेक नीतिगत और ई-गवर्नेंस हस्तक्षेपों के जरिए परिवहन परितंत्र में सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने नागरिकों (परिवहन के उपयोगकर्ताओं) और सेवा प्रदाताओं (परिवहन विभाग आदि) के बीच मजबूत समन्वय और सहयोग स्थापित किया है। तालिका 6.9 में हाल के वर्षों में निर्बंधित विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या और चार्ट 6.7 में इन वर्षों में राजस्व संग्रहण दर्शाया गया है।

## तालिका 6.8 : भारत में मोटर वाहनों का राज्य-वार निबंधन (जनवरी से दिसंबर 2023)

(आंकड़े हजार में)

| राज्य | परिवहन | | | | | | | परिवहनेतर | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बस | ट्रक | तिपहिया | ई-रिक्शा | टैक्सी/ कैब | अन्य | योगफल | दुपहिया | मोटर कार | अन्य | योगफल | |
| उत्तर प्रदेश | 7 | 78 | 69 | 218 | 22 | 15 | 408 | 2452 | 396 | 188 | 3037 | 3445 |
| महाराष्ट्र | 9 | 115 | 70 | 7 | 38 | 5 | 246 | 1762 | 434 | 123 | 2318 | 2564 |
| तमिलनाडु | 0 | 68 | 43 | 1 | 12 | 9 | 134 | 1314 | 250 | 128 | 1692 | 1826 |
| गुजरात | 4 | 63 | 76 | 1 | 12 | 15 | 171 | 1115 | 340 | 196 | 1650 | 1821 |
| कर्नाटक | 5 | 66 | 58 | 1 | 28 | 14 | 172 | 1185 | 277 | 113 | 1574 | 1746 |
| राजस्थान | 1 | 52 | 22 | 28 | 10 | 31 | 143 | 1032 | 192 | 157 | 1381 | 1524 |
| **बिहार** | **2** | **19** | **37** | **71** | **3** | **25** | **157** | **1014** | **72** | **45** | **1131** | **1288** |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 27 | 8 | 5 | 6 | 8 | 55 | 828 | 98 | 21 | 947 | 1002 |
| केरल | 3 | 23 | 32 | 0 | 4 | 4 | 67 | 491 | 198 | 4 | 693 | 759 |
| हरियाणा | 5 | 49 | 20 | 18 | 29 | 4 | 125 | 432 | 229 | 50 | 711 | 837 |
| ओडिशा | 1 | 30 | 16 | 3 | 7 | 8 | 65 | 564 | 70 | 41 | 675 | 740 |
| दिल्ली | 2 | 20 | 14 | 20 | 6 | 0 | 62 | 402 | 193 | 1 | 596 | 658 |
| पंजाब | 1 | 19 | 5 | 15 | 9 | 0 | 50 | 421 | 132 | 38 | 591 | 641 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | 26 | 5 | 8 | 2 | 5 | 46 | 416 | 57 | 45 | 518 | 564 |
| झारखंड | 1 | 16 | 11 | 12 | 2 | 13 | 55 | 357 | 55 | 78 | 490 | 545 |
| उत्तराखंड | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 34 | 171 | 48 | 4 | 223 | 257 |
| **उप-योग** | **44** | **678** | **490** | **417** | **198** | **163** | **1990** | **13955** | **3040** | **1232** | **18227** | **20217** |
| **भारत** | **52** | **808** | **595** | **509** | **239** | **211** | **2415** | **16483** | **3592** | **1520** | **21596** | **24011** |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका 6.9 : निबंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण

(संख्या हजार में)

| वाहनों का प्रकार | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21* | 2021-22* | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रक | 23 | 27 | 30 | 13 | 14 | 19 | 20 |
| बस | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| कार | 50 | 54 | 60 | 56 | 63 | 69 | 75 |
| टैक्सी | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| जीप | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| तिपहिया (ऑटो और ई-रिक्शा) | 37 | 46 | 69 | 38 | 45 | 77 | 115 |
| दुपहिया | 929 | 978 | 1119 | 739 | 828 | 951 | 1057 |
| ट्रैक्टर | 33 | 38 | 34 | 46 | 36 | 43 | 38 |
| ट्रेलर | 14 | 16 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 |
| अन्य | 11 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| **योगफल** | **1118** | **1189** | **1350** | **909** | **998** | **1173** | **1320** |
| **राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)** | **1625** | **2067** | **2713** | **2268** | **2472** | **2947** | **3351** |

टिप्पणी : * कोविड का वर्ष दर्शाता है।

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 6.7 : राजस्व संग्रहण में वृद्धि (करोड़ रु.)

| | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व (करोड़ रु. में) | 1249 | 1624 | 2067 | 2713 | 2267 | 2471 | 2947 | 3357 |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (एमएमजीपीवाइ)** : ग्रामीण पृष्ठप्रदेशों के लिए मजबूत और कुशल परिवहन प्रणाली के विकास का बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास में खास महत्व है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत राज्य की 57,000 से भी अधिक बेरोजगार ग्रामीण आबादी को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के जरिए यात्री परिवहन की समस्या का समाधान किया गया है। योजना के तहत वाहनों की खरीद पर क्रय मूल्य की 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा ई-रिक्शा के लिए 70,000 रु., यात्री वाहन के लिए 1,00,000 रु. और ऐंबुलेंस के लिए 2,00,000 रु. है। जून 2024 तक कुल 44,754 लाभार्थियों को कुल 460 करोड़ रु. की सब्सिडी दी गई है। साथ ही, ग्यारहवें चरण के अंतर्गत 6500 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

**ई-गवर्नेंस संबंधी पहलें** : ई-गवर्नेंस के तहत ई-पेमेंट का उपयोग करके सभी प्रकार के लाइसेंस, वाहनों के निबंधन और परमिट से संबंधित शुल्कों का एक खास पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा पूरे राज्य में दी गई है और इससे परिवहन विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस ई-पेमेंट का क्रियान्वयन वित्त विभाग के ओग्रास पोर्टल के जरिए किया जाता है। ई-गवर्नेंस के कार्यक्रमों पर एक अलग अध्याय (अध्याय-7) में विस्तार से चर्चा की गई है।

### मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024

परिवहन विभाग ने भारी मोटर वाहनों, हल्के मोटर वाहनों और तिपहियों के चालकों को मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024 के जरिए अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। वैध लाइसेंस-धारी ड्राइवर इस योजना के तहत पात्र हैं। ड्राइवर हर महीने की 15 और 30 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और चश्मा के प्रावधान समेत हर महीने आंखों की जांच सहित कई तरीकों से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल बिहारी-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए जाएंगे जिनके प्रीमियम का भुगतान परिवहन विभाग करेगा। विभाग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, और ई-श्रम पोर्टल में उनके अबाध नामांकन में सहयोग करेगा।

साथ ही, विभाग उन्हें औरंगाबाद के वाहन-चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आइटीडीआर) में भारी मोटर वाहन चलाने के प्रशिक्षण लेने के लिए भी पेशकश करेगी और सफल प्रशिक्षुओं को भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा। वह पथ सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी आधारित वाहन चालन पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा। जिला स्तर पर पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन पथ सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा।

**मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (एमएमपीपीवाइ), 2024**

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अगम्य स्थानों तक जन परिवहन प्रणाली की अबाध, तेज और सुविधाजनक पहुंच उपलब्ध कराने, जीवन में सुधार लाने और राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आजीविका सृजित करने के लिए बिहार सरकार की अग्रणी योजना है। पूरे राज्य में मजबूत पथ-संपर्क नेटवर्क विकसित करने के साथ योजना बसों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराकर संपर्क संबंधी समस्याओं के समाधान का मजबूत विषय बन गई है। जिला मुख्यालय वाले प्रखंड को छोड़कर हर प्रखंड में अधिकतम 7 बसों की खरीद के लिए सरकार द्वारा समाज के विभिन्न तबके के लोगों को (जिसमें 2 अजा/अजजा से, 2 अति पिछड़ी जाति से, 1 पिछड़ी जाति से, 1 अल्पसंख्यक और 1 सामान्य तबके के सदस्य होंगे) हर बस पर 5,00,000 रु. की सब्सिडी दी जाएगी।

सितंबर 2024 तक इसके लिए 6,000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक कुल 100 बसें खरीदी गई है। और विभाग ने कुल 50 करोड़ रु. की सब्सिडी दी है।

## 6.9 पथ सुरक्षा

पथ सुरक्षा बहुमुखी दायित्व है जिसमें अनेक हितधारक संलग्न होते हैं। 'मृत्यु में कमी' के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता के कारण राज्य स्तर पर बिहार पथ सुरक्षा परिषद और जिला स्तर पर पथ सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। राज्य-स्तरीय परिषद पुलिस, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आदि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करके गठित होता है। इसी प्रकार, जिला स्तर की समितियों का गठन उन्हीं विभागों के जिला-स्तरीय अधिकारियों को शामिल करके होता है। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और पथ सुरक्षा-संरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। इस पहल में समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल होते हैं। इस रणनीति में प्रवर्तन, अभियंत्रण, शिक्षा और आपात देखरेख - 4 ई शामिल होते हैं।

**मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय :** विभाग द्वारा राज्य में 74 जिला ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के लिए मोटर ड्राविंग प्रशिक्षण विद्यालय प्रोत्साहन योजना सूत्रबद्ध की गई है। लाभार्थियों को किश्त में अधिकतम 20 लाख रु. की सब्सिडी दी जा रही है। इन विद्यालयों से पथ सुरक्षा को मजबूती देने में मदद मिलेगी। ऐसे 31 ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

**वाहन-चालन जांच पथ :** राज्य सरकार की योजना सभी 38 जिलों में स्वचालन की योजना के साथ ड्राइविंग जांच पथों के निर्माण की है। अभी तक 23 जिलों में ऐसे पथ काम कर रहे हैं और शेष भी जल्द ही बन जाएंगे। साथ ही, परिवहन विभाग और मारुति सुजुकी के सम्मिलित प्रयास से 5 पथों का स्वचालन किया गया है।

**स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) - कैमरा आधारित चालान प्रणाली :** बिहार यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग के सम्मिलित प्रयास और पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा और भागलपुर जैसे शहरों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान आधारित ई-चालान प्रणाली की शुरुआत से यातायात प्रबंधन, पथ सुरक्षा और नगर विकास में काफी सुधार हुआ है। यह प्रणाली पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा और भागलपुर में पहले से ही चालू है और शेष 34 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

**औरंगाबाद और पटना में वाहन-चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आइटीडीआर) :** यह बिहार सरकार के परिवहन विभाग और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। सितंबर 2024 तक पटना स्थित वाहन-चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्के मोटरवाहन चलाने के कुल 1,18,881 लाइसेंसों की और औरंगाबाद स्थित संस्थान द्वारा 7519 लाइसेंसों की जांच की गई है। इन संस्थानों द्वारा 4329 ट्रिफिक पुलिस, 8678

चूककर्ताओं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 487 बस चालकों और 349 उड़न-दस्तों को प्रशिक्षण दिया गया है।

**बस ठहराव निर्माण** : यात्रियों के सुरक्षित ढंग से गाड़ियों पर चढ़ने-उतरने पर फोकस के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बस ठहराव का निर्माण पथ सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन अधिसंरचना में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तीन चरणों में कुल 1582 बस पड़ावों का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें से 929 का निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो गया है। इनकी डिजाइन में यात्रियों और पदयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ढंके हुए प्रतीक्षा क्षेत्र, ऊंचे प्लेटफॉर्म, रैंप और हैंडरेल तथा यात्रियों के बैठने के लिए जगह का प्रावधान है।

**हैंडहेल्ड उपकरण** : जिला परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक और परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी तथा पुलिस हाथ में रखने वाले 2000 उपकरणों के जरिए ई-चालान जारी करते हैं। इन उपकरणों के जरिए जारी चालान धीरे-धीरे मैनुअल चालान की जगह ले रहे हैं। इस परिवर्तन के कई लाभ हैं जिनमें बढ़ी दक्षता, तत्क्षण अनुश्रवण, डिजिटल रिकॉर्ड संधारण, पारदर्शिता, भुगतान के सुविधाजनक विकल्प, तेजी से समाधान और व्यवहार में सुधार शामिल हैं।

**धक्का मारकर भाग जाने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मुआबजा** : दुर्घटनाओं में कमी पर ही फोकस करना जरूरी नहीं है, बल्कि उन दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को सहयोग उपलब्ध कराना भी जरूरी है। परिवहन विभाग सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को सामान्य बीमा निगम (जीआइसी) के साथ सख्त अनुवर्ती कार्रवाइयों के जरिए अबाध मुआबजा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। इस पहल के तहत मृत्यु की स्थिति मे 2.0 लाख रु. और गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50,000 रु. की मौद्रिक सहायता दी जाती है। सितंबर 2024 तक कुल 3516 व्यक्तियों को मुआबजा मिला है।

**सीएनजी और विद्युत वाहन** : विभाग ने विद्युत वाहनों और सीएनजी आधारित वाहनों के लिए अनेक पहल किए हैं। ई-रिक्शा सहित बैटरी-चालित वाहनों के लिए राज्य सरकार द्वारा पथ कर में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। पूरे बिहार में फ्यूअल सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

**विद्युत वाहन नीति** : विद्युत वाहन क्षेत्र में हालिया तकनीकी-आर्थिक विकास पर आधारित और बिहार के नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्व विद्युत वाहनों को अपनाए जाने के लिए विद्युत वाहन नीति 2023 की शुरुआत की गई है। इसका मकसद विद्युत वाहनों और विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्रों को बढ़ावा देना, विद्युत वाहन परिवहन परितंत्र बनाना और 2030 तक सभी वाहनों के निबंधन में विद्युत वाहनों का 30 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करना है। बिहार को विद्युत वाहन परितंत्र के मामले में आदर्श राज्य बनाने के लिए इस नीति के तहत सरकार हर दोपहिए के लिए पहले 10,000 वाहनों तक 5,000 रु. प्रति किवा आवर की दर से क्रय प्रोत्साहन दे रही है जिसमें अधिकतम लाभ की सीमा 10,000 रु. है। वहीं, चारपहिया वाहनों के लिए 10,000 प्रति किवा आवर की दर से क्रय प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके तहत पहले 1000 वाहनों के लिए अधिकतम लाभ सामान्य तबके के आवेदक के लिए 1.25 लाख रु. और अजा/ अजजा आवेदक के लिए 1.50 लाख रु. है। इसके अलावा, सरकार करों में दोपहियों, चारपहिया यात्री वाहनों और भारी मोटर वाहनों के लिए के लिए 75 प्रतिशत और शेष श्रेणी के वाहनों के लिए 50 प्रतिशत छूट देती है। सरकार विभिन्न श्रेणी के चार्जरों वाले चार्जिंग स्टेशन के उपकरणों की खरीद पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान करके भी सशक्त चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए बढ़ावा दे रही है।

**बिहार स्वच्छ इंधन नीति 2019 और 2023** : राज्य सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लगाते हुए अधिसूचना जारी की है। 15 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों को पटना, गया और मुजफ्फरपुर में चलाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, 12 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों पर हरित कर लगाया गया है। साथ ही, राज्य सरकार ने बिहार स्वच्छ इंधन नीति 2019 की शुरुआत की थी जिसके तहत

पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 31 मार्च 2022 से और मुजफ्फरपुर तथा गया में 01 अक्तूबर 2023 से डीजल चालित तिपरियों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। डीजल चालित तिपहियों की जगह सीएनजी चालित तिपहियों ने ले ली है जबकि पेट्रॉल चालित तिपहियों में सीएनजी किट लगवाए गए हैं। अभी तक कुल 4.18 करोड़ रु. की सब्सिडी से कुल 1566 तिपहियों में सीएनजी किट लगाने/ सीएनजी चालित तिपहिया में बदलने का काम किया गया है। साथ ही, बिहार स्वच्छ इंधन नीति 2023 के तहत पटना में 63 डीजल चालित सिटी बसों के मालिकों को उनकी जगह सीएनजी चालित बसें चलाने के लिए 4.725 करोड़ रु. की सब्सिडी दी गई है।

**प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) केंद्र** : प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और राज्य सरकार ने नए आवेदनों के प्रक्रियाकरण तथा प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) केंद्र के लाइसेंसों के नवीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) केंद्र के लिए प्रीपेड सुविधा भी लागू है।

**प्रधानमंत्री ई-बस सेवा** : भारत सरकार के आवास एवं नगर विकास मंत्रालय ने परिवहन प्रणाली को कार्बनरहित बनाने और नगर बसों के संचालन में वृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत 671.6 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता से 400 ई-बसों की खरीद के लिए बिहार के छः शहरों (पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया) को चुना गया है। साथ ही, बिहाइंड-द-मीटर विद्युत अवसंरचना तथा 12 वर्षों की अवधि तक बसों के अबाध संचालन और रखरखाव के लिए डिपो अवसंरचना के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**मानचित्र 6.1 : बिहार के 6 स्थानों पर प्रधानमंत्री ई-बस सेवा**

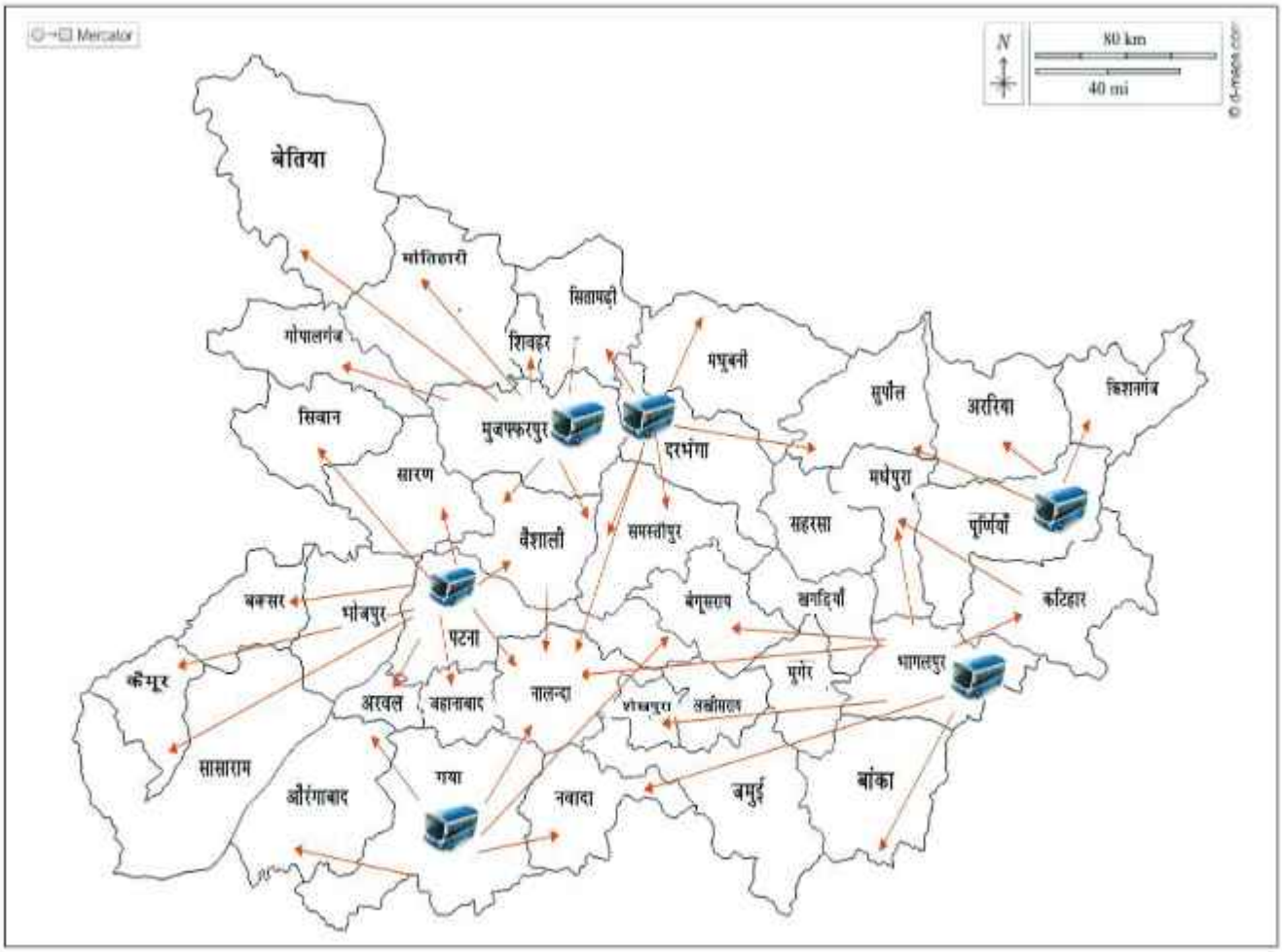

## 6.10 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी)

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत 1959 में हुई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इस निगम के जरिए राज्य सरकार लोगों को सुगम सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तालिका 6.10 में 2017-18 से 2024-25 (सितंबर) तक निगम के वार्षिक राजस्व संग्रहण के साथ-साथ ढोए गए यात्रियों की संख्या के आंकड़े भी प्रस्तुत हैं।

**तालिका 6.10 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्व संग्रहण और यात्रियों की ढुलाई**

| विवरण | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21* | 2021-22* | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर '24 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.) | 124.8 | 151.18 | 168.81 | 49.64 | 94.47 | 134.16 | 123.04 | 60.79 |
| यात्रियों की सं. (लाख) | 212.0 | 320.00 | 395.0 | 117.45 | 182.84 | 302.00 | 221.24 | 127.09 |

टिप्पणी : * कोविड के वर्ष को दर्शाता है।

स्रोत : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार सरकार

अंतर-राज्य पथ परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक समझौते किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने झारखंड के साथ 200 मार्गों के लिए, छत्तीसगढ़ के साथ 28 मार्गों के लिए, ओडिशा के साथ 16 मार्गों के लिए, पश्चिम बंगाल के साथ 45 मार्गों के लिए और उत्तर प्रदेश के साथ 34 मार्गों के लिए पारस्परिक समझौते किए हैं।

बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है और बिहार तथा नेपाल के लोग अक्सर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से एक-दूसरे के क्षेत्र में आया-जाया करते हैं। इस पृष्ठभूमि में निगम ने बोधगया-पटना-काठमांडू मार्ग पर दो तथा पटना-जनकपुर मार्ग पर चार बसें उपलब्ध कराई हैं जो प्रतिदिन चलती हैं।

यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदेह सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राज्य में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए अभी निगम द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 581 बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही, 300 बसें सार्वजनिक-निजी-साझेदारी के तहत चल रही हैं। पटना में बढ़ती आबादी के आलोक में पटना और आसपास के क्षेत्रों में आसान और तेज यात्रा के लिए 127 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। निगम ने अपने यात्रियों के लाभ के लिए अनेक अन्य उपाय भी किए हैं।

निगम ने ऑनलाइन टिकटिंग, जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली, स्वचालिक भाड़ा संग्रहण प्रणाली (एएफसीएस), बस टिकटिंग मशीन, कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि के जरिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं। सभी नगर बसों को इस मकसद से इलक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैश किया गया है। यात्री अब प्रीपेड कार्ड, पास और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जिससे यात्रियों के लिए यात्रा का अनुभव बेहतर हो रहा है।

हाल की एक पहल के तहत परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में बस पड़ावों का सर्वेक्षण किया। निर्णय लिया गया है कि बेहतर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में निगम के पड़ावों को आदर्श बस पड़ाव के रूप में उपयोग करने के लिहाज से विकसित किया जाएगा। विभाग ने यह कदम उचित पहुंच, अनुकूल परिवेश, सुगम और डिजिटल टिकटिंग प्रणाली, आहार प्रांगण, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (घोषणा) और बस पड़ावों की सीमा

में यात्रियों के लिए जन-सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। निगम को 2023-24 में 14 बस पड़ावों में सुविधाओं के उन्नयन और जीर्णोद्धार के लिए 12.26 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। राज्य के सभी बस पड़ावों में काम के लिए व्यापक योजना तैयार की जा रही है।

## 6.11 रेलवे नेटवर्क

रेलवे देश में यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में मार्च 2024 तक कुल 4509 किमी लंबा ट्रैक था जिसका देश के कुल ट्रैक में 3.4 प्रतिशत हिस्सा था। यह वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन में उल्लेखनीय योगदान करता है। यह परिवहन का सस्ता माध्यम है। चार्ट 6.8 में बिहार में 2011-12 से 2023-24 के बीच रेलवे क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान दर्शाया गया है। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में भारतीय रेलवे की मध्यम स्तर की वृद्धि दिखी जिसमें उतार-चढ़ाव का रुझान था और 2016-17 तथा 2020-21 में विकास दर में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अर्थव्यवस्था का यह उप-क्षेत्र इन 13 वर्षों में लगभग तिगुनी बढ़ी हुई है और 2011-12 के 2751 करोड़ रु. से 2023-24 में 7522 करोड़ रु. पर पहुंच गया है।

**चार्ट 6.8 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर रेलवे क्षेत्र के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की वृद्धि**

(हजार करोड़ रु.)

### पूर्व-मध्य रेलवे (ईसीआर) की हाल की उपलब्धियां

बिहार के लोगों को बेहतर रेल संपर्क और सेवाएं देने के लिए पूर्व-मध्य रेलवे ने रेल अधिसंरचना के आधुनिकीकरण और विकास के लिए जबर्दस्त अभियान चलाया है, जिसमें नई लाइनों का निर्माण, बहु ट्रैक बनाना, गॉज परिवर्तन, रेलमार्ग विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ यार्ड की रिमॉडलिंग, नए सड़क उपरिपुलों (आरओबी)/ सड़क अधो-पुलों (आरयूबी) का निर्माण, पुराने पुलों की जगह नए पुलों का निर्माण, रॉलिंग स्टॉक अनुरक्षण कार्यशालाओं, लोकोमोटिव शेड, कोच देखरेख केंद्र आदि का निर्माण शामिल हैं (चार्ट 6.9)। वर्ष 2014 से रेलवे ने राज्य में 624 किमी नई रेल लाइनों का निर्माण किया है 739 किमी में बहु ट्रैक बिछाए हैं, 519 किमी में गॉज बदला है, 1927 किमी का विद्युतीकरण किया है, और 63 सड़क उपरिपुलों तथा 214 सड़क अधो-पुलों का निर्माण किया है। इसी अवधि में यात्रियों की सुविधा के लिए 115 जोड़ी नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। साथ ही, अनेक स्थानों पर 300 जोड़ी रेलगाड़ियों का अतिरिक्त ठहराव शुरू किया गया है।

चार्ट 6.9 क : बिहार में प्रति वर्ष औसत रेल लाइन निर्माण और औसत बजट आबंटन (2009–24)

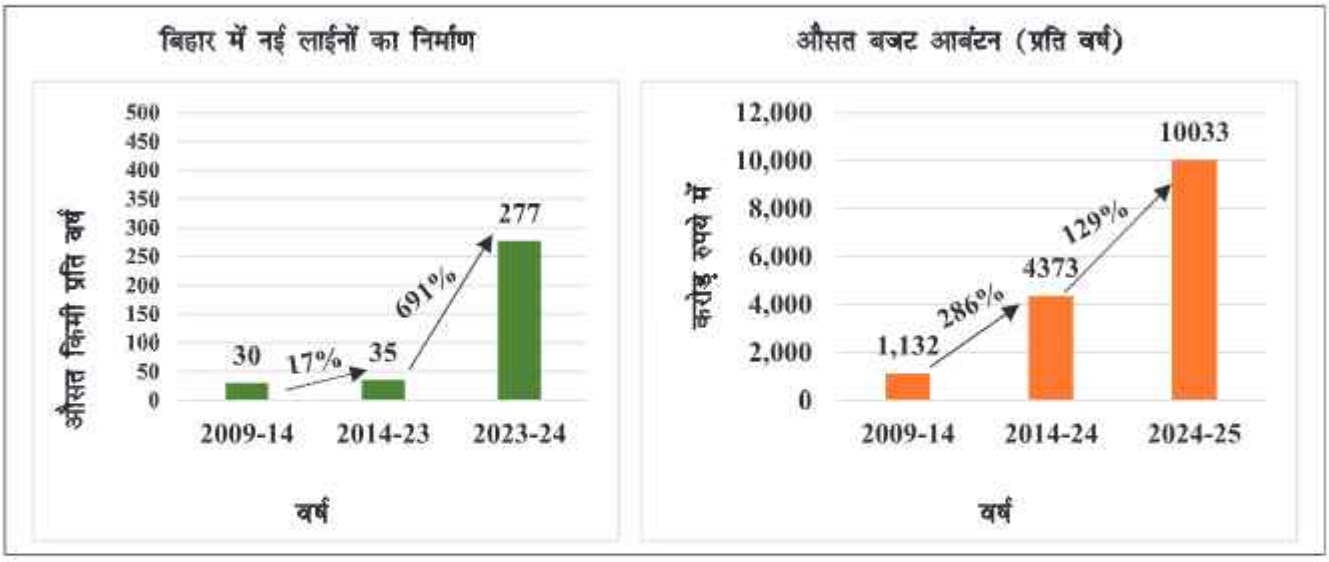


चार्ट 6.9 ख : बिहार में कुल विद्युतीकरण और गॉज परिवर्तन (2009–24)

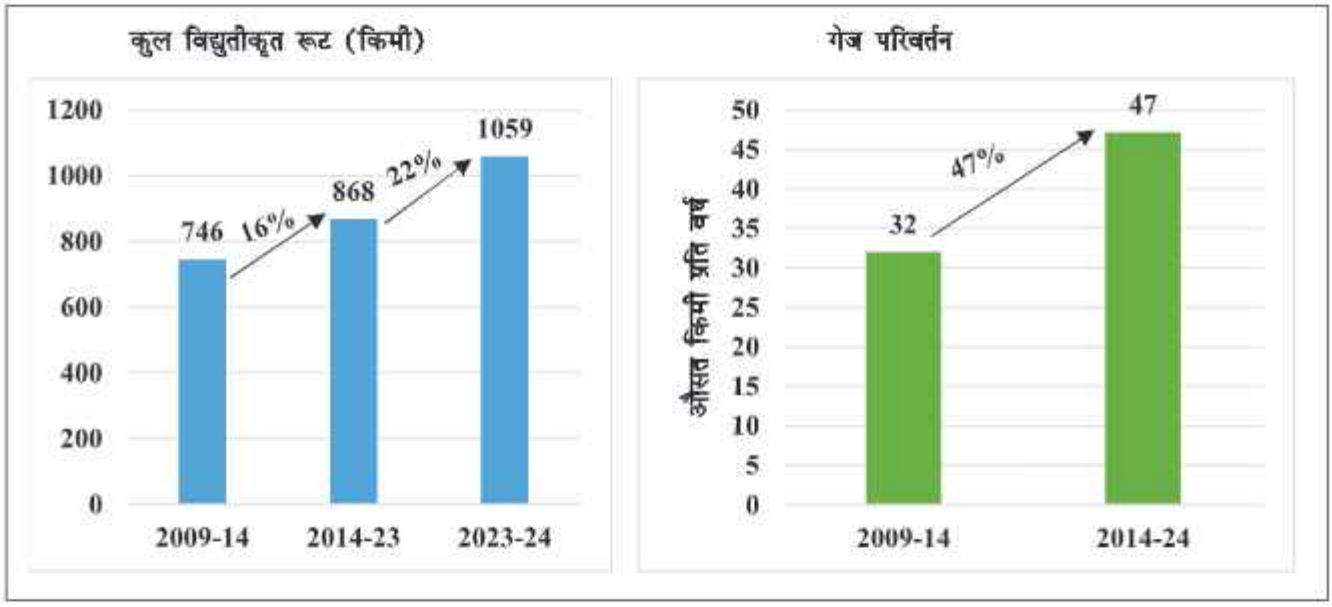


चार्ट 6.9 ग : सड़क उपरिपुलों और सड़क अधो-पुलों की प्रगति (2004–24)

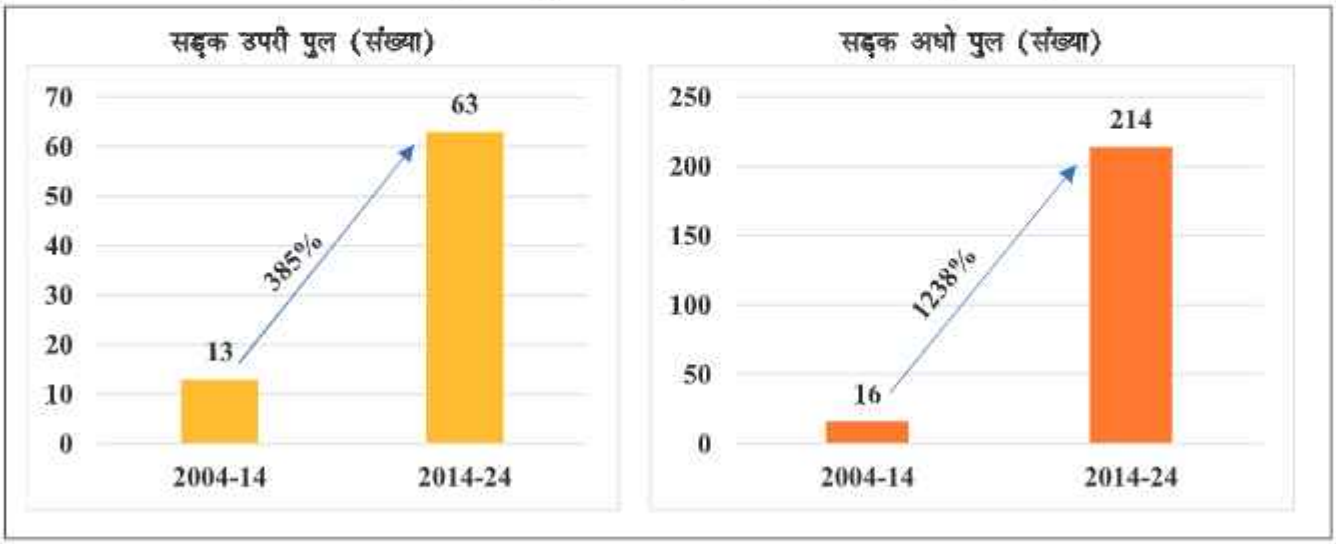


स्रोत : पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

## 6.12 वायु परिवहन

वायु परिवहन क्षेत्र के विकास से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और व्यापार का पता चलता है। पटना हवाईअड्डा देश के उभरते हवाईअड्डों में से एक है। बिहार में वायु परिवहन का योगदान विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। चार्ट 6.10 में 2011-12 से 2023-24 तक की अवधि में बिहार के वायु परिवहन (सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के उप-क्षेत्र) में दर्ज वृद्धि का रुझान दर्शाया गया है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वायु परिवहन क्षेत्र का आकार 2011-12 के 31 करोड़ रु. से नौ-गुना उछलकर 2023-24 में 282 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2023-24 में इसमें गत वर्ष की अपेक्षा 21 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।

**चार्ट 6.10 : बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वायु परिवहन से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की वृद्धि**

(करोड़ रु. में)

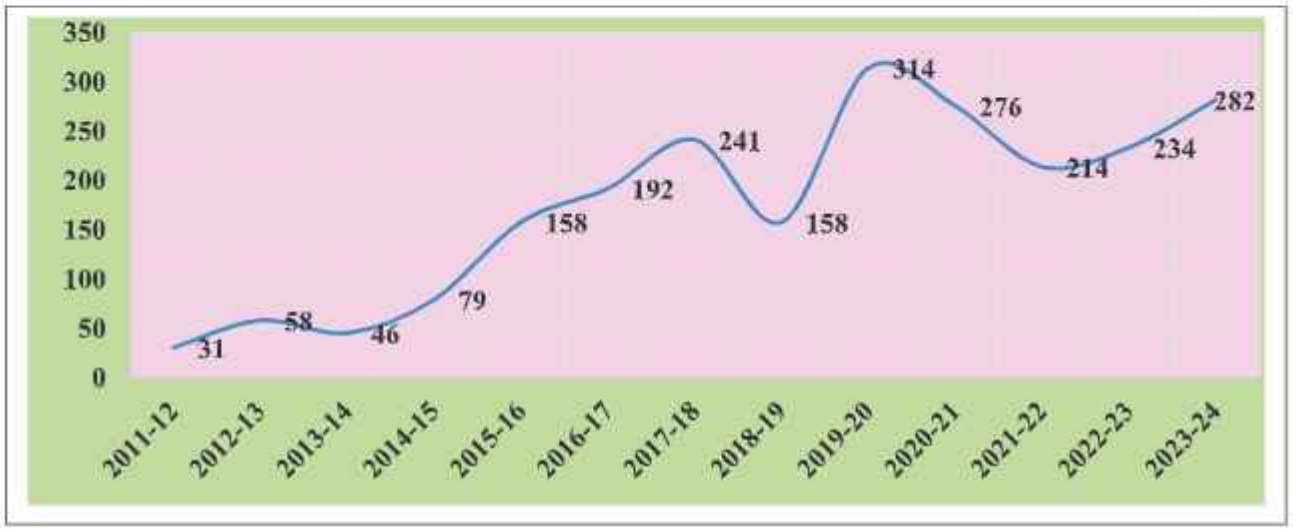


पटना हवाईअड्डा के व्यवसाय के रुझान चार्ट 6.11 में वर्णित हैं। मार्च 2024 तक यहां वायु परिवहन सेवाओं में 2004-05 की तुलना में जबर्दस्त वृद्धि हुई है (चार्ट 6.11)। साथ ही, तालिका 6.11 में वायु परिवहन के आवागमन के वर्ष-वार रुझान दर्शाए गए हैं। पटना हवाईअड्डा ने गत दशक (2014-15 से 2023-24) के दौरान लगभग 3 करोड़ यात्रियों को सेवा दी और इस अवधि में यहां लगभग 83 हजार टन से भी अधिक माल की ढुलाई हुई। इस अवधि में हर साल औसतन 24,026 वायुयानों का आवागमन हुआ।

**चार्ट 6.11 : बिहार में वायु परिवहन सेवाओं की वृद्धि**

स्रोत : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना

तालिका 6.11 : पटना हवाईअड्डा में व्यवसाय की प्रगति

| वर्ष | वायुयानों का आवागमन (सं.) | यात्रियों की सं. (लाख में) | माल ढुलाई (हजार टन में) |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | 3844 | 1.76 | 1.035 |
| 2009-10 | 10734 | 5.53 | 2.532 |
| 2014-15 | 11060 | 11.97 | 5.198 |
| 2015-16 | 13947 | 15.84 | 4.414 |
| 2016-17 | 15508 | 21.12 | 6.591 |
| 2017-18 | 24479 | 31.11 | 6.318 |
| 2018-19 | 32169 | 40.61 | 5.791 |
| 2019-20 | 35145 | 45.24 | 12.251 |
| 2020-21 | 23579 | 27.09 | 11.743 |
| 2021-22 | 28215 | 29.68 | 12.186 |
| 2022-23 | 30289 | 37.49 | 10.342 |
| 2023-24 | 25873 | 30.95 | 7.827 |
| 2024-25* | 12296 | 18.08 | 5.642 |

टिप्पणी : * आंकड़े सितंबर तक के हैं
स्रोत : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना

## 6.13 भवन निर्माण

राज्य सरकार राज्य में प्रशासनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के जरिए शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का लगातार सुदृढ़ीकरण करती रही है। भवन निर्माण विभाग के वार्षिक व्ययों के रुझान चार्ट 6.12 में दर्शाए गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि गत डेढ़ दशक (2008-09 से 2024-25 बजट अनुमान) के बीच विभाग का योजना व्यय 332-गुना से भी अधिक बढ़ा जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय महज 4-गुना के आसपास बढ़ा है। योजना व्यय क्रमशः बढ़ता रहा है और 2011-12 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से अधिक हो गया है। वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के बजट में योजना व्यय शीर्ष के तहत 4008 करोड़ रु. और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत 1005 करोड़ रु. था। साथ ही, 2024-25 के बजट अनुमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भवन निर्माण विभाग को सुपुर्द विभिन्न कार्यों की संरचना चार्ट 6.13 में दी गई है। इन निवेशों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी उच्च दर से बढ़ने का अवसर उपलब्ध होता है।

चार्ट 6.12 : भवन निर्माण विभाग का व्यय

(करोड़ रु.)

टिप्पणी : * 2020-21 कोविड वर्ष था।
स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 6.13 : भवन निर्माण विभाग को हुआ विभाग-वार धनराशि आबंटन (करोड़ रु.)

## भवन निर्माण विभाग की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं

### राजगिर खेल अकादमी

**प्रकार** : स्टेडियम
**बजट** : 889.26 करोड़ रु.
**बैठने की क्षमता** : 40,000
**जमीन (क्षेत्रफल)** : 1,47,735 वर्ग मी.
**स्थिति** : 30.06.2025 तक पूरा हो जाने की आशा
**विशेषताएं** : 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम। विभिन्न खेलों के लिए 5 इनडोर हॉल। प्रशिक्षण और कार्यसंचालन के लिए प्रशासनिक-सह-प्रशिक्षण भवन। आउटडोर खेलों की सुविधाएं – फुटबॉल के दो मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, साइकल ट्रैक, वेलोड्रोम हॉकी का आधुनिक मैदान, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, स्वीमिंगपूल आदि। आवासीय कॉलोनी – निदेशक आवास, सहायक निदेशक आवास, बालक एवं बालिका छात्रावास, ट्रांजिट हॉस्टल, कोच सूट, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के आवास आदि।

Rajgir Khel Academy

### एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी

**प्रकार** : साइंस सिटी
**बजट** : 640.55 करोड़ रु.
**जमीन (क्षेत्रफल)** : 37,619 वर्ग मी.
**स्थिति** : भवन निर्माण कार्य पूरा। प्रदर्शन संबंधी कार्य 30.11.2025 तक पूरा हो जाने की आशा।
**विशेषताएं** : 5 गैलरी, बैंक ऑफ हाउस, सभागार, डॉर्मीटरी, भूतल पर परकोटा (ऐट्रियम), संलग्न 4डी थिएटर, आयोजन-पूर्व कक्ष, बहुद्देश्यीय कक्ष, कैफेटैरिया आदि, सुरक्षाकर्मी बैरक, टिकट काउंटर, सर्विस यार्ड, जैविक कचरा कंपोस्टर भवन आदि।

APJ Abdul Kalam Science City

## बिहार पशुविज्ञान विश्वविद्यालय (बासु)

**प्रकार** : विश्वविद्यालय

**बजट** : 889.29 करोड़ रु.

**परिसर क्षेत्र** : 1,92,758 वर्ग मी.

**स्थिति** : 05.05.2025 तक पूरा हो जाने की आशा

BASU

**विशेषताएं** : प्रशासनिक भवन (बी+जी+3), शैक्षिक भवन (बी+जी+4), शिक्षण पशु चिकित्सा क्लीनिक कंप्लेक्स (बी+जी+3), विभिन्न प्रयोगशालाएं और पशु पोस्टमार्टम हॉल, गव्य अभियंत्रण ब्लॉक (3) और स्थावर संपदा अभियंत्रण शाखा, 1200 की क्षमता का सभागार, 350 बालकों के लिए छात्रावास, 150 बालिकाओं के लिए छात्रावास, 50 वैज्ञानिकों के लिए होस्टल, उप-कुलपति आवास, विभिन्न श्रेणियों के लिए 222 आवासीय फ्लैट और विश्वविद्यालय अतिथिशाला।

## बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय

**प्रकार** : संग्रहालय

**बजट** : 550.48 करोड़ रु.

**जमीन (क्षेत्रफल)** : 19,765 वर्ग मी.

**कब से चालू** : निर्माण कार्य पूरा।

**विशेषताएं** : बौद्ध स्तूप (पत्थर का ढांचा), संग्रहालय ब्लॉक, पुस्तकालय और ध्यान कक्ष, आगंतुक केंद्र, अतिथिशाला, रंगशाला और सेवा क्षेत्र।

Buddha shamyak darshan and museum

## बापू टावर

**प्रकार** : संग्रहालय

**बजट** : 129.38 करोड़ रु.

**जमीन (क्षेत्रफल)** : 9972 वर्ग मी.

**कब से चालू** : 02-10-2024

**विशेषताएं** : आयताकार गैलरी भवन, वृत्ताकार प्रदर्शन कक्ष, सहायक भवन (ईएसएस, यूजीटी, एचवीएसी संयंत्र), उन्मुखीकरण सह तल्लीनता प्रदर्शनी, टर्नटेबल आधारित तल्लीनता प्रदर्शनी।

Bapu Tower

## 6.14 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बीएसबीसीसीएल)

राज्य सरकार ने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 2008 में भवन निर्माण विभाग के तहत की थी। इस निगम ने राज्य प्रशासन के लिए पर्याप्त भवन अवसंरचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले डेढ़ दशक में निगम ने नियत समय सीमा में महत्वाकांक्षी और प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूरा किया है। निगम ने 2483 परियोजनाओं में से 2154 परियोजनाओं को पूरा किया है। मार्च 2024 तक कुल परियोजना व्यय 6532 करोड़ रु. था। वहीं, निगम की शेष परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक निगम की कार्यदशा का अवलोकन तालिका 6.12 में प्रस्तुत है। वहीं, इसकी कुल प्रमुख परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति की विस्तृत सूची तालिका प 6.8 (परिशिष्ट) में दी गई है।

**तालिका 6.12 : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अवलोकन**

| वर्ष | परियोजनाओं की सं. | व्यय (करोड़ रु.) | टर्नओवर (करोड़ रु.) | कुल राजस्व (करोड़ रु.) | प्रशासनिक व्यय (करोड़ रु.) | सकल लाभ (करोड़ रु.) | शुद्ध लाभ (करोड़ रु.) | सीएसआर रिजर्व (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 747 | 300.50 | 28.76 | 41.27 | 14.12 | 14.59 | 9.43 | 19.89 |
| 2014-15 | 128 | 637.49 | 58.18 | 72.51 | 17.24 | 41.21 | 26.78 | 25.55 |
| 2015-16 | 87 | 445.82 | 27.34 | 38.82 | 18.47 | 8.3 | 5.51 | 64.11 |
| 2016-17 | 400 | 568.63 | 39.21 | 57.47 | 14.02 | 28.59 | 18.63 | 52.06 |
| 2017-18 | 254 | 602.31 | 40.93 | 67.39 | 20.12 | 23.32 | 14.95 | 40.14 |
| 2018-19 | 153 | 415.63 | 27.17 | 40.22 | 21.65 | 8.40 | 4.22 | 99.26 |
| 2019-20 | 122 | 419.31 | 29.23 | 41.00 | 18.95 | -18.77 | -18.86 | 8.13 |
| 2020-21 | 166 | 530.53 | 29.20 | 37.96 | 13.08 | 19.88 | 14.92 | 6.33 |
| 2021-22 | 72 | 773.31 | 47.21 | 56.84 | 12.15 | 31.79 | 22.29 | 6.33 |
| 2022-23 | 52 | 1013.14 | 57.22 | 74.74 | 13.82 | 60.32 | 31.97 | 21.93 |
| 2023-24 | 302 | 824.84 | 34.4 | 56.3 | 13.5 | 40.34 | 19.82 | 64.66 |
| **योगफल** | **2483** | **6531.51** | **418.85** | **584.52** | **177.12** | **257.97** | **149.66** | **408.39** |

स्रोत : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार सरकार

## 6.15 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बीपीबीसीसीएल)

राज्य सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए कृतसंकल्प है और पुलिस का आधुनिकीकरण उच्च प्राथमिकता रहा है। सुरक्षा और संरक्षा संबंधी विशेषताओं से युक्त अवसंरचना (भवनों) के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड का अप्रत्याशित रूप से पुनर्गठन किया है। यह राज्य का एक और मुनाफा अर्जित करने वाला निगम है। यह अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन और समय से परियोजनाएं पूरा करने की प्रतिष्ठा बरकरार रखता है। पिछले एक दशक (2013-14 से 2023-24) के लिए निगम की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अवलोकन तालिका 6.13 में प्रस्तुत है। तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार, निगम के लिए 2013-14 से 2023-24 की अवधि में निगम के लिए 7093 परियोजनाओं के लिए 5730 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान भी दिए हैं और निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत भी रकम खर्च की है।

**तालिका 6.13 : बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि. की कार्यस्थिति का अवलोकन**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत रकम | निर्माण व्यय | स्थापना व्यय | कुल राजस्व | परिचालन लाभ | मुख्यमंत्री राहत कोष में दान | निगमीय सामाजिक दायित्व |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 769 | 722 | 263 | 30.8 | 37.0 | 6.2 | 5.2 | 0.0 |
| 2014-15 | 57 | 169 | 225 | 20.1 | 30.8 | 5.6 | 4.5 | 0.0 |
| 2015-16 | 292 | 100 | 280 | 18.8 | 37.0 | 15.7 | 2.0 | 0.3 |
| 2016-17 | 1053 | 119 | 365 | 20.5 | 40.8 | 17.8 | 2.5 | 0.1 |
| 2017-18 | 646 | 477 | 290 | 21.6 | 37.3 | 12.6 | 2.8 | 0.3 |
| 2018-19 | 2009 | 517 | 412 | 19.8 | 37.5 | 15.6 | 2.0 | 0.1 |
| 2019-20 | 454 | 108 | 252 | 22.6 | 34.0 | 8.5 | 2.5 | 0.4 |
| 2020-21 | 483 | 688 | 223 | 20.0 | 29.1 | 6.4 | 2.0 | 0.7 |
| 2021-22 | 564 | 1245 | 297 | 17.0 | 34.8 | 13.7 | 4.0 | 0.1 |
| 2022-23 | 140 | 990 | 340 | 20.6 | 37.8 | 11.9 | 5.0 | 0.3 |
| 2023-24 | 626 | 595 | 454 | 23.6 | 55.4 | 25.5 | 6.0 | 0.2 |
| **योगफल** | **7093** | **5729.72** | **3400.44** | **235.36** | **411.45** | **139.54** | **38.4** | **2.54** |

टिप्पणी : कोविड-19 के दौरान (2020-21 में) सरकार को 5.7 करोड़ रु. लाभांश दिया गया

स्रोत : बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड, बिहार

**चार्ट 6.14 : बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड का व्यय**

(करोड़ रु.)

## 6.16 डाक अवसंरचना

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। उल्लेखनीय है कि एक डाकघर औसत 19.93 वर्ग किमी क्षेत्र में सेवाएं देता है और 100 से अधिक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा भी उपलब्ध कराता है। डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि शामिल हैं। इनके अलावा, उसने ई-पोस्ट, ई-पेमेंट, ई-मनी ऑर्डर के अलावा जीवन प्रमाण पत्र की घर-घर सेवा आदि ई-उत्पादों और ई-सेवाओं की भी शुरुआत की है। बिहार डाक परिक्षेत्र में कुल 46 डाक निर्यात केंद्र काम कर रहे हैं जहां से 200 से भी अधिक देशों के लिए निर्यात सामग्रियां भेजी जाती हैं। वहीं, पासपोर्ट जारी करना आसान बनाने के

लिए बिहार डाक परिक्षेत्र में 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। चार्ट 6.15 में बिहार में मार्च 2023 तक डाकघर नेटवर्क की अवसंरचना दर्शाई गई है। वहीं, डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं को तालिका 6.14 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 6.15 : मार्च 2023 तक बिहार में डाक अवसंरचना**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, डाक विभाग, भारत सरकार

**तालिका 6.14 : बिहार में डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं का सारांश (मार्च 2023 के अंत में)**

| परिक्षेत्र | बचत योजनाएं | आवर्ती जमा | सावधि जमा | मासिक आय योजना | वरिष्ठ नागरिक योजना | सुकन्या समृद्धि | लोक भविष्य निधि | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खातों की संख्या (लाख में)** | | | | | | | | |
| बिहार | 33.57 | 46.69 | 16.29 | 2.59 | 0.25 | 15.34 | 0.70 | **115.43** |
| संपूर्ण भारत | 752.24 | 1141.13 | 227.27 | 93.59 | 33.54 | 293.95 | 41.70 | **2583.42** |
| **बकाया शेष राशि (करोड़ रु. में)** | | | | | | | | |
| बिहार | 11344 | 9550 | 15095 | 8850 | 1947 | 1043 | 4403 | **52233** |
| संपूर्ण भारत | 174465 | 178423 | 280437 | 242315 | 133166 | 137300 | 122436 | **1268543** |
| **प्रति खाता बकाया शेष राशि (रु. में)** | | | | | | | | |
| बिहार | 33794 | 20451 | 92667 | 342215 | 275825 | 422834 | 28698 | **45249** |
| संपूर्ण भारत | 23193 | 15636 | 123395 | 258921 | 319379 | 409338 | 41651 | **49103** |
| **संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा (प्रतिशत में)** | | | | | | | | |
| खाता में | 4.5 | 4.1 | 7.2 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 5.2 | **4.5** |
| बकाया शेष | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 3.6 | **4.1** |

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, डाक विभाग, भारत सरकार

# परिशिष्ट

## तालिका प 6.1 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (किमी)

| जिले | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 395 | 395 | 395 | 395 | 440 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| नालंदा | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| भोजपुर | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| बक्सर | 55 | 81 | 81 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| रोहतास | 145 | 183 | 183 | 183 | 183 | 211 | 211 | 211 | 211 | 246 |
| कैमूर | 99 | 99 | 99 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 176 |
| | | | | | | | | | | |
| गया | 120 | 155 | 155 | 155 | 155 | 210 | 210 | 210 | 210 | 243 |
| जहानाबाद | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| अरवल | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| नवादा | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| औरंगाबाद | 137 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 208 |
| | | | | | | | | | | |
| सारण | 181 | 227 | 227 | 227 | 245 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| सीवान | 54 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| गोपालगंज | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 112 | 112 | 112 | 125 | 125 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| पूर्व चंपारण | 94 | 126 | 126 | 162 | 162 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| मुजफ्फरपुर | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| सीतामढ़ी | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| शिवहर | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| वैशाली | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| मधुबनी | 234 | 234 | 234 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| समस्तीपुर | 66 | 66 | 66 | 159 | 159 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| मुंगेर | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| शेखपुरा | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| लखीसराय | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| जमुई | 197 | 197 | 197 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| खगड़िया | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 146 | 146 | 146 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| बांका | 86 | 86 | 86 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 93 | 93 | 93 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| सुपौल | 216 | 216 | 216 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| मधेपुरा | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| किशनगंज | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| अररिया | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| कटिहार | 165 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **4621** | **4917** | **4917** | **5411** | **5475** | **5947** | **5977** | **5977** | **5977** | **6130** |

टिप्पणी : * सितंबर तक के आंकड़ों को दर्शाता है

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.2 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राज्य उच्चपथ नेटवर्क (किमी में)

| जिले | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 208 | 208 | 208 | 219 | 219 | 219 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| नालंदा | 192 | 192 | 192 | 184 | 184 | 184 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| भोजपुर | 167 | 167 | 167 | 169 | 169 | 169 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| बक्सर | 76 | 51 | 51 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| रोहतास | 231 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| कैमूर | 85 | 85 | 85 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | | | | | | | | | | |
| गया | 240 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| जहानाबाद | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| अरवल | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| नवादा | 212 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| औरंगाबाद | 158 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 | 123 | 119 | 119 | 119 |
| | | | | | | | | | | |
| सारण | 202 | 166 | 166 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| सीवान | 156 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| गोपालगंज | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| पूर्व चंपारण | 131 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| मुजफ्फरपुर | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| सीतामढ़ी | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| शिवहर | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| वैशाली | 113 | 113 | 113 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 224 | 224 | 224 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| मधुबनी | 98 | 98 | 98 | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 78 |
| समस्तीपुर | 194 | 194 | 194 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| मुंगेर | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| शेखपुरा | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| लखीसराय | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| जमुई | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| खगड़िया | 16 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 72 | 72 | 72 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| बांका | 169 | 169 | 169 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 81 | 91 | 91 | 85 | 85 | 85 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| सुपौल | 134 | 134 | 134 | 112 | 112 | 112 | 112 | 137 | 137 | 137 |
| मधेपुरा | 99 | 99 | 99 | 104 | 104 | 104 | 100 | 79 | 79 | 79 |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| किशनगंज | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| अररिया | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| कटिहार | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 |
| | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **4253** | **4006** | **4006** | **3714** | **3714** | **3714** | **3638** | **3637** | **3637** | **3637** |

टिप्पणी : 1. * सितंबर तक के आंकड़ों को दर्शाता है

2. राज्य उच्चपथों के कुछ हिस्सों के राष्ट्रीय उच्चपथों में बदलने से राज्य उच्चपथों की लंबाई घट गई।

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.3 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार मुख्य जिला पथ नेटवर्क (किमी में)

| जिले | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 562 | 562 | 763 | 850 | 999 | 1019 | 1023 | 1046 | 1046 | 1052 |
| नालंदा | 448 | 448 | 435 | 466 | 483 | 498 | 491 | 498 | 498 | 498 |
| भोजपुर | 282 | 282 | 284 | 286 | 286 | 286 | 306 | 310 | 310 | 336 |
| बक्सर | 127 | 127 | 141 | 162 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 |
| रोहतास | 383 | 404 | 429 | 447 | 542 | 550 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| कैमूर | 269 | 269 | 311 | 326 | 352 | 354 | 354 | 370 | 370 | 370 |
| | | | | | | | | | | |
| गया | 624 | 627 | 855 | 909 | 890 | 932 | 999 | 1007 | 1007 | 1027 |
| जहानाबाद | 289 | 289 | 287 | 291 | 296 | 296 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| अरवल | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| नवादा | 172 | 151 | 171 | 183 | 384 | 382 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| औरंगाबाद | 256 | 256 | 486 | 486 | 490 | 598 | 594 | 660 | 660 | 660 |
| | | | | | | | | | | |
| सारण | 360 | 365 | 398 | 400 | 431 | 432 | 457 | 490 | 490 | 490 |
| सीवान | 306 | 306 | 307 | 323 | 336 | 345 | 347 | 347 | 347 | 369 |
| गोपालगंज | 353 | 353 | 367 | 378 | 385 | 385 | 382 | 384 | 384 | 384 |
| | | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 293 | 302 | 367 | 392 | 424 | 439 | 486 | 570 | 570 | 570 |
| पूर्व चंपारण | 474 | 462 | 461 | 451 | 451 | 521 | 641 | 684 | 684 | 684 |
| मुजफ्फरपुर | 467 | 467 | 566 | 601 | 634 | 626 | 629 | 638 | 638 | 638 |
| सीतामढ़ी | 214 | 214 | 250 | 334 | 366 | 365 | 455 | 465 | 465 | 465 |
| शिवहर | 101 | 101 | 101 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| वैशाली | 343 | 347 | 345 | 423 | 447 | 447 | 440 | 460 | 460 | 460 |
| | | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 472 | 475 | 513 | 729 | 822 | 806 | 790 | 803 | 803 | 803 |
| मधुबनी | 380 | 380 | 418 | 350 | 356 | 376 | 371 | 396 | 396 | 396 |
| समस्तीपुर | 429 | 429 | 526 | 584 | 608 | 608 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| | | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 209 | 209 | 251 | 251 | 268 | 303 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| मुंगेर | 46 | 46 | 82 | 91 | 91 | 100 | 119 | 129 | 129 | 129 |
| शेखपुरा | 137 | 137 | 141 | 169 | 169 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| लखीसराय | 93 | 93 | 114 | 119 | 140 | 151 | 159 | 173 | 173 | 205 |
| जमुई | 208 | 239 | 329 | 311 | 552 | 594 | 585 | 619 | 619 | 620 |
| खगड़िया | 243 | 243 | 239 | 247 | 256 | 249 | 250 | 248 | 248 | 248 |
| | | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 264 | 280 | 277 | 267 | 331 | 348 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| बांका | 200 | 200 | 213 | 214 | 199 | 249 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | | |
| सहरसा | 279 | 279 | 286 | 310 | 315 | 313 | 312 | 312 | 312 | 318 |
| सुपौल | 505 | 505 | 539 | 545 | 577 | 591 | 591 | 591 | 591 | 592 |
| मधेपुरा | 103 | 103 | 113 | 126 | 126 | 125 | 125 | 128 | 128 | 128 |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 227 | 227 | 344 | 344 | 404 | 404 | 401 | 416 | 416 | 413 |
| किशनगंज | 221 | 221 | 265 | 265 | 268 | 268 | 265 | 345 | 345 | 341 |
| अररिया | 375 | 407 | 482 | 488 | 504 | 504 | 505 | 532 | 532 | 535 |
| कटिहार | 275 | 275 | 253 | 253 | 318 | 318 | 321 | 321 | 321 | 325 |
| | | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **11054** | **11145** | **12774** | **13482** | **14819** | **15273** | **15637** | **16181** | **16181** | **16296** |

टिप्पणी : * सितंबर तक के आंकड़ों को दर्शाता है

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 6.4 : सितंबर 2024 के अंत में बिहार में भारतमाला परियोजना का अवलोकन**

| परियोजना का नाम | व्यय (करोड़ रु.) | लंबाई (किमी) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| **2017-18** | | | |
| औंटा-सिमरिया गंगा पुल सहित | 1161 | 8.15 | निर्माणाधीन |
| **2019-20** | | | |
| उमगांव-सहरसा (पैकेज-4) कोशी पुल और संपर्क पथ (भेजा-बकौर) | 1101.99 | 13.3 | निर्माणाधीन |
| **2020-21** | | | |
| राष्ट्रीय उच्चपथ-327ई के 0.000 से 49.000 किमी तक (पैकेज-1) गलगलिया-बहादुरगंज खंड का 4 लेन में निर्माण | 1051 | 49 | निर्माणाधीन |
| राष्ट्रीय उच्चपथ-327ई के 49.000 से 94.000 किमी तक (पैकेज-2) बहादुरगंज-अररिया खंड का 4 लेन में निर्माण | 1081.7 | 45 | निर्माणाधीन |
| बख्तियारपुर-रजौली (पैकेज-3) 101.630 से 152.50 किमी तक | 2310 | 50.89 | निर्माणाधीन |
| कन्हौली-रामनगर (पटना रिंग रोड, पैकेज-1) राज्य उच्चपथ-78/ राष्ट्रीय उच्चपथ-131जी के 0.000 से 39.160 किमी तक) 6 लेन में निर्माण | 797 | 39.16 | निर्माणाधीन |
| आरा-मोहनिया (पैकेज-2) | 690 | 60.8 | निर्माणाधीन |
| आरा-मोहनिया (पैकेज-1) | 700 | 54.75 | काम पूरा |
| **2021-22** | | | |
| राष्ट्रीय उच्चपथ-119डी का आमस से शिवरामपुर (0.000 से 55.002 किमी) तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड संरेखण (पैकेज-1) | 1157.5 | 55 | निर्माणाधीन |
| राष्ट्रीय उच्चपथ-119डी का शिवरामपुर से रामनगर (55.002 से राष्ट्रीय उच्चपथ-119डी के 109.300 किमी) तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड संरेखण (पैकेज-2) | 1207 | 54.32 | निर्माणाधीन |
| राष्ट्रीय उच्चपथ-119डी का कल्याणपुर से टाल दशराहा तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड संरेखण (पैकेज-3) | 1358 | 47 | निर्माणाधीन |
| उमगांव-सहरसा (पैकेज-1) उमगांव-बासोपट्टी-कलौही और सहरघाट-बेनीपट्टी-रहिका | 1228.24 | 47.75 | काम सुपुर्द |
| उमगांव-सहरसा (पैकेज-2) रहिका और मधुबनी बाइपास (रहिका-पोखरौनी-रामपट्टी) | | 14.88 | काम सुपुर्द |
| उमगांव-सहरसा (पैकेज-3) बिदेश्वर-स्थान (राष्ट्रीय उच्चपथ- 27, पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर) से भेजा | | 26.04 | काम सुपुर्द |
| **2022-23** | | | |
| राष्ट्रीय उच्चपथ-119डी का टाल दशराहा से बेला नवादा खंड (45.000 से 89.090 किमी) तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड संरेखण | 1687.81 | 44 | निर्माणाधीन |
| आरा-सासाराम (राष्ट्रीय उच्चपथ-119ए) | 2950 | 118 | बोली आमंत्रित |
| शेरपुर-दिघवारा (राष्ट्रीय उच्चपथ-131जी) | 4994 | 8.48 | काम सुपुर्द |
| किशनगंज-बहादुरगंज (अभी तक घोषणा नहीं) | 747 | 22.6 | To be tendered |
| चोरमा-बैरगनिया (राष्ट्रीय उच्चपथ-227एफ) | 875 | 35 | काम सुपुर्द |
| **2023-24** | | | |
| मुजफ्फरपुर-बरौनी (राष्ट्रीय उच्चपथ-28)(पुराना) | 2160 | 108 | |
| कन्हौली-शेरपुर (राष्ट्रीय उच्चपथ-131जी) | 350 | 14.52 | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रगति पर |
| रामनगर-कच्ची दरगाह (राष्ट्रीय उच्चपथ-131जी) | 1200 | 14 | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रगति पर |
| बिदुपुर-नयागांव (राष्ट्रीय उच्चपथ-131जी) | 900 | 30 | सुपुर्द नहीं |
| अदलवाड़ी-बेतिया (राष्ट्रीय उच्चपथ-139डब्ल्यू) | 4125 | 165 | एक पैकेज सुपुर्द |
| कोलकाता-वाराणसी (राष्ट्रीय उच्चपथ-319बी) | 3300 | 110 | 68.7 किमी सुपुर्द |
| गोरखपुर-सिलिगुड़ी | 12480 | 416 | सुपुर्द नहीं |
| **योगफल** | **49612.24** | **1651.63** | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 6.5 : सितंबर 2024 के अंत में सुलभ संपर्कता (सात निश्चय) की परियोजनाओं का सारांश

| क्र. सं. | जिला का नाम | परियोजना | लंबाई (किमी में) | समझौता की रकम (करोड़ रु.) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22 में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति** | | | | | |
| 1 | अरवल | कुर्था बाइपास रोड | 2.93 | 1079 | काम पूरा |
| 2 | गोपालगंज | कटैया बाइपास रोड | 1.24 | 557 | काम पूरा |
| 3 | वैशाली | राष्ट्रीय उच्चपथ-22 के टॉल प्लाजा से दौलतपुर तक बाइपास रोड | 10.10 | 2450 | काम पूरा |
| 4 | गया | नया बाजार से राम मंदिर, डाकबंगला, रमना, शेखपुरा गुरुकुल रोड होकर राष्ट्रीय उच्चपथ-2 तक बाइपास रोड | 8.05 | 2384 | काम पूरा |
| 5 | नालंदा | राष्ट्रीय उच्चपथ-31 अरौत से कोरनामा-कश्मीरीचक-सालेपुर रोड | 7.305 | 2928 | काम पूरा |
| 6 | पटना | मीठापुर बस पड़ाव के गेट सं. 2 से विग्रहपुर संजयनगर रोड होकर राष्ट्रीय उच्चपथ-31 | 1.30 | 712 | काम पूरा |
| 7 | कटिहार | गेराबाड़ी बाइपास रोड | 3.017 | 1336 | काम पूरा |
| 8 | दरभंगा | जेरिसो चौक से भारत चौक बाइपास रोड | 5.55 | 2871 | काम प्रगति पर |
| **योगफल** | | | **39.49** | **14316** | |
| **2022-23 में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति** | | | | | |
| 1 | वैशाली | लालगंज बाजार बाइपास रोड (राज्य उच्चपथ-74) का निर्माण कार्य | 2.70 | 1452.97 | काम पूरा |
| 2 | खगड़िया | खगड़िया सोनमनखी घाट में रोजवर्ड एकेडमी से बचौता होकर भिड़याही पोखर बाइपास का निर्माण कार्य | 2.80 | 1228.19 | ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष दायित्व अवधि के तहत काम पूरा |
| 3 | सहरसा | बड़ियाही ब्रह्मस्थान से बनगांव बाइपास का निर्माण कार्य | 2.15 | 650.897 | ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त |
| 4 | पटना | कंकड़बाग मुख्यपथ (कुम्हरार) से ट्रांसपोर्ट नगर होकर राष्ट्रीय उच्चपथ-30 तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य | 1.73 | 580.92 | काम पूरा |
| 5 | पटना | दीदारगंज से कटरा उप-केंद्र बाजार समिति (अब्दुल रहमान रोड) होकर अशोक राजपथ तक राष्ट्रीय उच्चपथ-30 का 4-लेन में का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य | 1.80 | 583.77 | काम प्रगति पर |
| 6 | पटना | कंकड़बाग रोड नंबर 4 का (साईं नेत्रालय के समीप से) आरएमएस कॉलोनी होकर राष्ट्रीय उच्चपथ-30 तक निर्माण कार्य | 1.34 | 724.84 | काम पूरा |
| 7 | बांका | बांका में अमरपुर बाइपास का निर्माण | 7.05 | 7424.24 | भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन |
| 8 | पटना | हाथीखाना मोड़ से चांदमारी रोड तक निर्माण कार्य | 3.87 | 4704.90 | काम प्रगति पर |
| 9 | बक्सर | बुनियादी स्कूल से आइटीआइ रोड तक निर्माण कार्य | 1.50 | 1499.00 | काम प्रगति पर |
| 10 | दरभंगा | बहेरी बाइपास रोड | 4.90 | 9921.06 | जमीन की कीमत के कारण संशोधित प्रशानित स्वीकृति में |
| 11 | वैशाली | महुआ बाइपास रोड | 9.80 | 5688.70 | काम प्रगति पर |
| 12 | मधुबनी | पंडौल उच्च विद्यालय से रामपट्टी चौक (राष्ट्रीय उच्चपथ-57) तक | 13.06 | 6834.75 | काम प्रगति पर |
| **योगफल** | | | **52.70** | **41294.24** | |
| **2023-24 में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति** | | | | | |
| 1 | गया | राज्य उच्चपथ 69 सुपता से अहियापुर बाइपास तक निर्माण कार्य | 12.4 | 5036.81 | काम सुपुर्द |
| 2 | औरंगाबाद | बारुन बाइपास तक निर्माण कार्य (नया बाजार से राष्ट्रीय उच्चपथ-2) | 3.04 | 1266.55 | सीई सहित तकनीकी बोली |
| 3 | वैशाली | महनार बाजार बाइपास रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य | 4 | 1118.6 | तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की जा रही है |
| 4 | मुंगेर | रनगांव-भागलपुर रोड से धौनी बाइपास तक निर्माण कार्य | 6.7 | 3896.42 | ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त, जमीन के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं |
| 5 | पूर्णिया | बाजार चौक से पॉलीटेक्निक चौक (राष्ट्रीय उच्चपथ-31) बाइपास तक निर्माण कार्य | 3.77 | 1490.65 | काम सुपुर्द |
| **योगफल** | | | **29.91** | **12809.03** | |

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 6.6 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार ग्रामीण पथ नेटवर्क (किमी में)**

| जिले | कुल लंबाई | पक्की | | | | | | कच्ची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024* | |
| पटना | 3909 | 3256 | 3326 | 3403 | 3459 | 3527 | 3545 | 364 |
| नालंदा | 3474 | 2756 | 2943 | 3066 | 3140 | 3185 | 3197 | 277 |
| भोजपुर | 2484 | 2097 | 2150 | 2215 | 2262 | 2303 | 2317 | 166 |
| बक्सर | 2311 | 1847 | 1969 | 2038 | 2078 | 2098 | 2131 | 180 |
| रोहतास | 3804 | 2767 | 3011 | 3267 | 3373 | 3433 | 3455 | 348 |
| कैमूर | 3178 | 2182 | 2378 | 2494 | 2650 | 2756 | 2792 | 386 |
| | | | | | | | | |
| गया | 6049 | 4495 | 4694 | 4877 | 5082 | 5336 | 5365 | 684 |
| जहानाबाद | 1504 | 1242 | 1257 | 1281 | 1323 | 1344 | 1344 | 160 |
| अरवल | 558 | 387 | 448 | 460 | 476 | 484 | 487 | 71 |
| नवादा | 2542 | 1954 | 2036 | 2097 | 2187 | 2274 | 2285 | 257 |
| औरंगाबाद | 4661 | 3487 | 3664 | 3803 | 3912 | 4005 | 4057 | 603 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 4832 | 3719 | 3923 | 4177 | 4355 | 4482 | 4495 | 337 |
| सीवान | 3871 | 2710 | 2819 | 2986 | 3115 | 3263 | 3322 | 549 |
| गोपालगंज | 3206 | 2379 | 2526 | 2696 | 2842 | 2911 | 2938 | 268 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 4917 | 3336 | 3610 | 3808 | 4236 | 4481 | 4506 | 410 |
| पूर्व चंपारण | 6875 | 4675 | 5009 | 5269 | 5440 | 5574 | 5627 | 1248 |
| मुजफ्फरपुर | 6366 | 4595 | 4942 | 5298 | 5619 | 5779 | 5808 | 558 |
| सीतामढ़ी | 3465 | 2194 | 2385 | 2545 | 2723 | 2966 | 2997 | 468 |
| शिवहर | 742 | 631 | 649 | 651 | 653 | 663 | 665 | 78 |
| वैशाली | 3993 | 3237 | 3375 | 3564 | 3698 | 3774 | 3783 | 210 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 4649 | 3231 | 3363 | 3570 | 3782 | 4065 | 4098 | 551 |
| मधुबनी | 6771 | 4683 | 5021 | 5285 | 5544 | 5941 | 5980 | 791 |
| समस्तीपुर | 4439 | 3514 | 3598 | 3736 | 3888 | 4013 | 4041 | 398 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1860 | 1446 | 1481 | 1577 | 1660 | 1704 | 1709 | 151 |
| मुंगेर | 1082 | 867 | 917 | 955 | 988 | 1009 | 1011 | 71 |
| शेखपुरा | 851 | 663 | 681 | 713 | 776 | 809 | 811 | 40 |
| लखीसराय | 900 | 651 | 689 | 730 | 745 | 779 | 789 | 111 |
| जमुई | 3401 | 2644 | 2694 | 2887 | 2980 | 3064 | 3083 | 318 |
| खगड़िया | 1442 | 955 | 980 | 1121 | 1186 | 1253 | 1257 | 185 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 2439 | 2083 | 2104 | 2161 | 2203 | 2230 | 2246 | 193 |
| बांका | 3786 | 2798 | 2887 | 3011 | 3068 | 3098 | 3134 | 652 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 2297 | 1521 | 1556 | 1651 | 1741 | 1948 | 1989 | 308 |
| सुपौल | 3683 | 2241 | 2355 | 2473 | 2632 | 2972 | 2998 | 685 |
| मधेपुरा | 3075 | 2092 | 2126 | 2236 | 2322 | 2627 | 2682 | 393 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 5180 | 3664 | 3866 | 4135 | 4333 | 4557 | 4574 | 606 |
| किशनगंज | 3264 | 2226 | 2274 | 2602 | 2779 | 2838 | 2848 | 415 |
| अररिया | 5047 | 3233 | 3412 | 3576 | 3867 | 4714 | 4798 | 249 |
| कटिहार | 4101 | 2666 | 2890 | 3226 | 3440 | 3675 | 3716 | 386 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **131007** | **95124** | **100006** | **105639** | **110559** | **115933** | **116880** | **14127** |

टिप्पणी : * सितंबर तक के आंकड़ों को दर्शाता है

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.7 : बिहार में 2023-24 में जिलावार वाहन निबंधन (संख्या)

| जिले | ट्रक | बस | कार | टैक्सी | तिपहिया (ऑटो और ई-रिक्शा) | दोपहिया | ट्रैक्टर | ट्रेलर | अन्य | **कुल योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना (BR-1) | 3972 | 399 | 30745 | 1451 | 16954 | 100984 | 1892 | 1214 | 473 | **158084** |
| नालंदा (BR-21) | 179 | 90 | 523 | 30 | 3714 | 19001 | 1013 | 261 | 58 | **24869** |
| भोजपुर (BR-3) | 944 | 58 | 772 | 34 | 1233 | 23525 | 1129 | 79 | 30 | **27804** |
| बक्सर (BR-44) | 394 | 51 | 542 | 24 | 1361 | 13244 | 653 | 50 | 56 | **16375** |
| रोहतास (BR-24) | 958 | 96 | 1273 | 41 | 2939 | 23681 | 1248 | 246 | 172 | **30654** |
| कैमूर (BR-45) | 749 | 51 | 397 | 17 | 1484 | 10545 | 772 | 48 | 72 | **14135** |
| गया (BR-2) | 858 | 181 | 3822 | 98 | 5946 | 40286 | 1810 | 411 | 116 | **53528** |
| जहानाबाद (BR-25) | 76 | 24 | 67 | 7 | 904 | 5954 | 205 | 127 | 15 | **7379** |
| अरवल (BR-56) | 20 | 4 | 67 | 2 | 120 | 3892 | 263 | 93 | 11 | **4472** |
| नवादा (BR-27) | 421 | 40 | 489 | 26 | 2865 | 14313 | 1101 | 180 | 56 | **19491** |
| औरंगाबाद (BR-26) | 527 | 53 | 931 | 73 | 1620 | 17805 | 1159 | 296 | 48 | **22512** |
| सारण (BR-4) | 283 | 45 | 827 | 40 | 3327 | 29546 | 1189 | 93 | 43 | **35393** |
| सीवान (BR-29) | 481 | 43 | 1361 | 43 | 1984 | 33043 | 1564 | 50 | 45 | **38614** |
| गोपालगंज (BR-28) | 1143 | 143 | 1108 | 19 | 2224 | 19436 | 959 | 22 | 106 | **25160** |
| पश्चिम चंपारण (BR-22) | 342 | 39 | 1412 | 23 | 2082 | 47370 | 1666 | 65 | 39 | **53038** |
| पूर्व चंपारण (BR-5) | 400 | 45 | 2050 | 70 | 4231 | 53735 | 2061 | 53 | 84 | **62729** |
| मुजफ्फरपुर (BR-6) | 2226 | 255 | 7794 | 167 | 10345 | 76764 | 1735 | 79 | 103 | **99468** |
| सीतामढ़ी (BR-30) | 86 | 39 | 347 | 14 | 1708 | 30007 | 929 | 90 | 30 | **33250** |
| शिवहर (BR-55) | 6 | 1 | 40 | 5 | 157 | 3432 | 152 | 12 | 3 | **3808** |
| वैशाली (BR-31) | 272 | 52 | 1135 | 46 | 4622 | 33895 | 778 | 132 | 46 | **40978** |
| दरभंगा (BR-7) | 888 | 86 | 2338 | 115 | 4526 | 41002 | 1112 | 69 | 70 | **50206** |
| मधुबनी (BR-32) | 143 | 59 | 645 | 41 | 1554 | 40616 | 1332 | 0 | 39 | **44429** |
| समस्तीपुर (BR-33) | 309 | 58 | 646 | 20 | 5007 | 47167 | 1302 | 165 | 18 | **54692** |
| बेगूसराय (BR-9) | 768 | 66 | 2289 | 59 | 3409 | 28721 | 839 | 591 | 86 | **36828** |
| मुंगेर (BR-8) | 110 | 5 | 311 | 12 | 1209 | 8990 | 282 | 10 | 2 | **10931** |
| शेखपुरा (BR-52) | 126 | 15 | 79 | 13 | 728 | 3589 | 382 | 216 | 15 | **5163** |
| लखीसराय (BR-53) | 109 | 8 | 221 | 33 | 1227 | 5128 | 167 | 127 | 6 | **7026** |
| जमुई (BR-46) | 161 | 15 | 324 | 20 | 1730 | 15729 | 465 | 50 | 7 | **18501** |
| खगड़िया (BR-34) | 54 | 15 | 205 | 15 | 1266 | 15615 | 769 | 128 | 2 | **18069** |
| भागलपुर (BR-10) | 679 | 76 | 2619 | 71 | 5370 | 25421 | 897 | 45 | 23 | **35201** |
| बांका (BR-51) | 196 | 17 | 203 | 14 | 1317 | 10911 | 444 | 314 | 5 | **13421** |
| सहरसा (BR-19) | 179 | 18 | 718 | 44 | 1933 | 15042 | 703 | 45 | 5 | **18687** |
| सुपौल (BR-50) | 311 | 27 | 761 | 48 | 2650 | 33903 | 945 | 19 | 6 | **38670** |
| मधेपुरा (BR-43) | 185 | 15 | 506 | 26 | 2085 | 26589 | 1165 | 42 | 2 | **30615** |
| पूर्णिया (BR-11) | 1141 | 90 | 4746 | 97 | 4846 | 44567 | 2701 | 46 | 263 | **58497** |
| किशनगंज (BR-37) | 113 | 15 | 631 | 12 | 1663 | 24561 | 663 | 0 | 8 | **27666** |
| अररिया (BR-38) | 200 | 29 | 1082 | 35 | 2241 | 33967 | 1070 | 0 | 1 | **38625** |
| कटिहार (BR-39) | 84 | 28 | 484 | 28 | 2567 | 36176 | 955 | 98 | 18 | **40438** |
| **बिहार (BR)** | **20093** | **2351** | **74510** | **2933** | **115148** | **1058152** | **38471** | **5566** | **2182** | **1319406** |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 6.8 : भवन निर्माण विभाग द्वारा हस्तगत परियोजनाओं का विवरण**

(करोड़ रु.)

| परियोजना | प्रशासनिक स्वीकृति | व्यय (2022-23) | व्यय (2023-24) | व्यय (2024-25*) |
|---|---|---|---|---|
| गर्दनीबाग आवासीय संकुल अधिकारियों के लिए | 518.63 | 145.67 | 119.13 | 50.00 |
| गर्दनीबाग आवासीय संकुल तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के लिए | 281.62 | 56.43 | 35.00 | 2.83 |
| बिहार पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, पटना | 889.26 | 85.17 | 193.75 | 114.55 |
| राजगिर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सह क्रीड़ा अकादमी | 740.82 | 33.41 | 87.00 | 105.92 |
| पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी | 640.55 | 44.33 | 62.10 | 23.55 |
| विधायक आवासन योजना, पटना | 450.32 | 39.00 | 72.00 | 100.00 |
| वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय | 301.40 | 64.50 | 98.88 | 99.04 |
| विकास प्रबंधन संस्थान (डीएआइ), बिहटा | 250.00 | 9.46 | 10.56 | 39.83 |
| पटना में समाहरणालय भवन | 186.42 | 26.01 | 76.82 | 26.34 |
| पटना संग्रहालय, पटना | 158.00 | 21.81 | 28.14 | 6.72 |
| तारामंडल, पटना | 27.39 | 0.00 | 32.68 | 3.46 |
| **नई परियोजनाएं और उनकी प्रशासनिक स्वीकृति** : कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (144.72 करोड़ रु.), राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और अतिथिशाला (129.69 करोड़ रु.), बिहार निवास, नई दिल्ली (121.83 करोड़ रु.), जजेज एन्क्लेव (75.86 करोड़ रु.), कृषि जैव-प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर (72.32 करोड़ रु.), संयुक्त सरकारी कार्यालय भवन (51.88 करोड़ रु.), बिहार विधान सभा में डिजिटल संग्रहालय (48.76 करोड़ रु.), क्रीड़ा-सह- व्यायामशाला भवन, पटना (14.92 करोड़ रु.), योग केंद्र हेतु 50 बेड की अतिथिशाला, पटना (13.97 करोड़ रु.)। | | | | |

टिप्पणी : * सितंबर तक के आंकड़ों को दर्शाता है

स्रोत : भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय - 7

# ई-शासन


**सारांश**

*ई-शासन को समग्रता में बढ़ावा देने के लिहाज से सुशासन प्रदान करने और सामाजिक-आर्थिक न्याय के साथ विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक नीतिगत पहलों और परियोजनाओं की शुरुआत की है। ई-शासन के लिहाज से राज्य सरकार का मूल उद्देश्य लोक प्रशासन में नवाचार के साथ उत्कृष्टता की प्राप्ति और समावेशी वृद्धि, समानता तथा निष्पक्षता के साथ विकास करना है। सुशासन देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) संबंधी अनेक पहलों के साथ सरकारी तंत्र को मजबूत किया गया है।*

*आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) राज्य में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। नियंत्रण एवं कमांड केंद्र को प्रतिदिन लगभग 68,000 कॉल प्राप्त होते हैं। आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली की टीम को अनुक्रिया में 15 मिनट समय लगता है जिससे आपात स्थिति में लोगों का बचाव होता है। परिवहन विभाग द्वारा ई-शासन संबंधी अनेक पहलें अपनाई गई हैं जिससे सेवा प्रदान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने के साथ-साथ आवेदकों का पैसा और समय भी बचता है। ई-शिक्षाकोष राज्य के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी प्रदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मुख्य मापदंडों के अनुश्रवण के लिए एकल केंद्रीकृत सक्रिय प्लेटफॉर्म है। राज्य सरकार की एक अन्य डिजिटल पहल 'भव्या' सर्वसुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों में रोजमर्रे के कार्यों में सहयोग करता है और रोगियों के निबंधन से लेकर उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों से छोड़ने तक ओपीडी तथा आइपीडी के सारे कार्यों को सुव्यवस्थित करता है। भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभांतरण और राज्य के नागरिकों के लिए प्रासंगिक अनेक अन्य पहलों के क्षेत्र इस अध्याय में ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं।*


ई-शासन अर्थात इलक्ट्रॉनिक शासन का अर्थ सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं की दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और गम्यता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रणालियों का उपयोग है। इंटरनेट, मोबाइल ऍप, और आंकड़ों के विश्लेषण जैसे साधनों का लाभ उठाकर ई-शासन नागरिकों, व्यवसायों, और सरकारी हितधारकों की जरूरतों की बेहतर ढंग से पूर्ति के लिए पारंपरिक शासन तंत्रों को रूपांतरित कर देता है। इसमें सरकार से नागरिक (जी2सी), सरकार से व्यवसाय (जी2बी) और सरकार से सरकार (जी2जी) के बीच अंत:क्रिया समेत कई आयाम शामिल हैं।

## 7.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना : ई-शासन की बुनियाद

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) अवसंरचना डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सुशासन देने के लिए अनिवार्य है। ई-शासन की पहुंच और सफलता भी कई कारकों, खास कर दूरसंचार की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन प्रमाणन अर्थात आधार सीडिंग आदि पर निर्भर करती है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को मुख्यालय से शुरू करके जिला, प्रखंड, पंचायत होते हुए गांवों तक लगातार मजबूत

करती रही है। तालिका 7.1 में बिहार और भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना का अवलोकन प्रस्तुत है। तालिका में दूरभाष घनत्व और इंटरनेट घनत्व के अलावा ई-स्वराज से जुड़ने वाले ग्राम पंचायतों के आंकड़े शामिल हैं। ई-शासन संबंधी कार्यक्रमों, सेवाओं और हकदारियों (प्रत्यक्ष लाभांतरण - डीबीटी) की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को इनसे जोड़ने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रही है। तालिका से यह भी पता चलता है कि राज्य में हर तीसरे व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट सेवाओं तक है। यहां गौरतलब है कि डिजिटल पहुंच के लिहाज से सारे पंचायत जुड़ चुके हैं।

**तालिका 7.1 : बिहार और भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना का आच्छादन (मार्च, 2024)**

| राज्य | दूरभाष घनत्व | इंटरनेट घनत्व | ऑनबोर्ड पंचायतें (%) |
|---|---|---|---|
| **बिहार** | **55.59** | **42.1** | **100** |
| **संपूर्ण भारत** | **85.69** | **68.19** | **95.1** |

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, और प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर नीचे चर्चा की गई है।

**बिहार राज्य आंकड़ा केंद्र (बीएसडीसी 2.0) और आपदा निवृत्ति (डीआर) केंद्र** : बिहार राज्य आंकड़ा केंद्र (बीएसडीसी) अपने विभागों के जरिए नागरिकों को कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल सेवाएं देने में राज्य सरकार की सहायता करता है। बीएसडीसी 2.0 अब काम करने लगा है। यह टायर-3 कंप्लाएंट आंकड़ा केंद्र है जिसका अपटाइम 99.982 प्रतिशत है और इस पर विभिन्न विभागों के 305 ऍप होस्ट किए गए हैं। यह 6200 कोर कैपेसिटी से लैश है। इसके रैम की क्षमता 64,000 और भंडारण क्षमता 2.6 पेटाबाइट है तथा इसमें आंकड़ों की सुरक्षा के कई स्तर हैं। इसमें डिजैस्टर रिकवरी (डीआर) साइट का प्रावधान है। डीआर-सह- बीसीपी (कार्य सातत्य कार्यक्रम) का उद्देश्य प्राथमिक आंकड़ा केंद्र के अनुपलब्ध हो जाने पर आंकड़ों को पुन: प्राप्त करके पुन:स्थापित कर देना है। सितंबर 2024 तक इस पर होस्ट किए गए 150 ऍप में डिजैस्टर रिकवरी का प्रावधान किया गया है।

**बिहार राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (बिस्वैन 2.0)** : यह नेटवर्क हाइवे है जो राज्य सरकार के कार्यालयों में आवाज, वीडियो और आंकड़ा आधारित कनेक्टिविटी सेवाएं उपलब्ध कराता है। बिस्वैन 2.0 से 450 सरकारी कार्यालय, 38 जिला मुख्यालय, और 528 प्रखंड मुख्यालय तेज गति वाले नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं जिन्हें यह नागरिकों को कुशल और पारदर्शी सेवाएं देने में मदद करता है। सितंबर 2024 तक कुल 611 संपर्क-केंद्र (पीओपी) स्थापित किए गए हैं। यहां गौरतलब है कि नेटवर्क की पहुंच और गम्यता पर अपने जोर को जारी रखते हुए राज्य सरकार ने इसके नेटवर्क का विस्तार पंचायत स्तर तक करने के लिहाज से बिस्वैन 3.0 के लिए स्वीकृति दे दी है।

**सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (सेक्लैन)** : सेक्लैन का उद्देश्य वर्तमान सचिवालय नेटवर्क को बढ़ाना और मजबूत करना है जो पटना में सभी सचिवालयों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में संचार की रीढ़ का काम करता है। यह तेज गति वाला सुरक्षित इंटरनेट है जिसका लगभग 60 किमी लंबा ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क पटना में मौजूद हैं। इस पर 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की गति से डेटा ट्रांसफर होता है और इसकी उपलब्धता चौबीसो घंटे रहती

है। इसके साथ 21,000 से भी अधिक नोड्स जुड़े हुए हैं। आंकड़ों की सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता के समाधान के लिए सरकार ने सेक्लैन 3.0 के लिए स्वीकृति दे दी है जो अतिरिक्त 5000 लैन नोड्स के साथ एक ही परियोजना में लैन और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएगा और यह अंतिम स्थान तक सुरक्षा प्रबंधन साधन से लैश होगा।

**बिहार आधार प्रमाणीकरण संरचना (बाफ)** : यह राज्य में आधार आधारित सारी लेनदेन को सक्षम बनाने वाला अंब्रेला फ्रेमवर्क है जो सुरक्षित और तेज तरीके से इलक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थियों के प्रमाणीकरण और पहचान में मदद करता है। यह सेवा प्रदान को अधिक कुशल बनाता है, छद्म लाभार्थियों को हटाने में मदद करता है और रिसावों में कमी लाता है। वर्ष 2018 से अब तक 14 सब-एयूए (आधार उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण का उपयोग करने वाले राज्य सरकार के विभाग) द्वारा 57 करोड़ से भी अधिक प्रमाणन किए गए हैं। साथ ही, 2 अतिरिक्त सब-एयूए के इससे जल्द ही जुड़ जाने की संभावना है।

**ईमेल सेवा** : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय ईमेल नीति का पालन करते हुए सभी विभागों को मुफ्त ईमेल सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। विभाग यह सेवा अभी 1.14 लाख से भी अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा देता है जिसमें से 44,000 उपयोगकर्ता पिछले एक साल में जोड़े गए हैं।

**मोबाइल सेवा प्रदान गेटवे (एमएसडीजी)** : एमएसडीजी के जरिए पुश एसएमएस के उपयोग के लिहाज से बिहार देश में अग्रणी राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सभी उपयोगकर्ता विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को मुफ्त में एसएमएस सेवाएं उपलब्ध कराता है। बिहार में हर महीने औसतन 16 करोड़ एसएमएस भेजे जाते हैं। अनेक पहुंच वाले चैनलों को बढ़ाने के लिए ह्वाट्जऐप और अन्य चैनलों सहित एकीकृत सूचनादाता प्लेटफॉर्मों की संभावना भी तलाशी जा रही है।

**सेवा अवसंरचना के रूप में ब्लॉकचेन की स्थापना** : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में एक परियोजना को स्वीकृति दी है जिसका लक्ष्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे मुख्य लेनदेनों, दस्तावेजों और जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों को अपरिवर्तनीय ब्लॉकचेक आधारित सुरक्षा के जरिए सुरक्षित करना है।

**सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाओं (आइटीईएस) के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण** : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग युवाओं की रोजगार-परकता के लिए पूरे राज्य में तकनीकी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। इस मकसद से सरकार 124 कौशल विकास केंद्रों के जरिए 9 अलग-अलग पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही है। अभी तक 56,010 प्रत्याशियों को प्रशिक्षण मिला है। वित्तवर्ष 2024-25 में कुल 2200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिला और 1838 व्यक्ति अभी प्रशिक्षण पा रहे हैं।

**पटना में सी-डैक का केंद्र** : राज्य के अंदर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पटना में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए सी-डैक की मदद की है। सी-डैक की चार इकाइयां हैं - (1) साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक्स, (2) कृत्रिम मेधा (एआइ) उत्कृष्टता केंद्र, (3) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) और एंबेडेड लैब, तथा (4) उन्नत आंकड़ा विश्लेषण एवं निर्णय केंद्र। अभी 100 से भी अधिक विद्यार्थी उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

**राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट)** : यह पटना के बिहटा में 12.36 एकड़ से भी अधिक में विस्तृत जगह पर मौजूद है। इसे राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई गई थी। बिहटा के अलावा

नीलिट के दो नए केंद्र बक्सर और मुजफ्फरपुर में भी जुलाई 2023 से चालू हो गए हैं। नीलिट के केंद्रों से लगभग 5,000 युवाओं के हर साल प्रशिक्षण मिलता है।

**सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाओं कंपनियों के लिए इनक्यूबेशन स्पेस** : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्टार्ट-अप कंपनियों को पटना में कार्यालय के लिए बिस्कोमान टावर में प्लग-एंड-प्ले वाली जगह उपलब्ध करा रहा है। वित्तवर्ष 2024-25 में कुल 13 स्टार्ट-अप कंपनियों को बिस्कोमान टावर में जगह उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, विभाग ने पटना के भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआइ) में 1 लाख वर्गफीट कार्यालय स्थापित करने में पार्क को सहयोग दिया है जो इस वित्तवर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा। वहीं, भागलपुर और दरभंगा में भी मार्च 2025 तक 16,000-16,000 वर्गफीट जगह उपलब्ध हो जाएगी।

## 7.2 कानून और प्रशासन का प्रवर्तन

सुशासन कानून एवं व्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर है। साइबर अपराध और आंकड़ों की धोखाधड़ी के वर्तमान जगत में राज्य के लिए गैर-कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण कराना और नागरिकों तथा व्यवसायों को सुरक्षित कराना अत्यंत कठित और चुनौतीपूर्ण हो गया है। साथ ही, राज्य सरकार ने कृत्रिम मेधा (एआइ), साइबर-सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) आदि का विवेकपूर्ण से इस्तेमाल किया है जो कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने की मजबूत बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे संबंधित ई-शासन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं :

**अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस)** : इस प्रणाली का आरंभ करने का उद्देश्य ई-शासन के उपायों को अपनाकर सभी स्तरों पर पुलिस व्यवस्था की दक्षता बढ़ाना है। यह पुलिस बल को जानकारी आधारित बल में बदल देता है। इसका मकसद अपराध तथा अपराधियों से संबंधित सूचनाएं देश के सभी पुलिस थानों में तत्क्षण उपलब्ध करा देने के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित करने के जरिए नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदान में सुधार लाना है।

**चार्ट 7.1 : सितंबर 2024 तक अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली की प्रगति**

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

**चक्र** : इस ऍप को अपराध अन्वेषण विभाग अर्थात सीआइडी (निषेध) द्वारा बिहार के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) को सौंप दिया गया है जो जनवरी 2023 से चालू है। चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में बिहार पुलिस के लिए अपराधी का निबंधन एवं खोज प्लेटफॉर्म शामिल है। साथ ही, चेहरे की पहचान, गिरोह के विश्लेषण आदि के आधार पर अपराधियों का आंकड़ा आधार तैयार किया जाता है और ऐसी उन्नत विशेषताओं का उपयोग अपराधियों की पहचान, आपराधिक इतिहास, त्वरित गिरफ्तारी, तथा अपराध से प्रभावी बचाव, पहचान और नियंत्रण में होता है। यह पुलिस को विभिन्न अपराधियों, आपराधिक नेटवर्क और गिरोहों की पहचान में भी सहयोग देता है। गत पांच वर्षों में सिस्टम पर लगभग 10 लाख अपराधियों के आंकड़े अपलोड किए गए हैं।

**साइबर सुरक्षा** : नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की 70,057 शिकायतें दर्ज कराई गईं। इन धोखाधड़ियों के सत्यापन के बाद 3668 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। विभिन्न जिलों में साइबर सेलों और साइबर पुलिस थानों को साइबर अपराध से संबंधित 15.72 लाख कॉल मिले। कुल 560 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक एवं साइबर अपराध स्कंध ने साइबर अपराधियों पर छापों और उनकी गिरफ्तारी के लिए 'साइबर प्रहार' ऍप विकसित किया है।

**ईआरएसएस (आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली) डायल 112** : पूरे राज्य में नियत समय में लोक सुरक्षा के लिए चौबीसो घंटे तेज और समेकित आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली के संचालन के लिए केंद्रीकृत कमांड केंद्र स्थापित किया गया है जो इस मकसद से आपात अनुक्रिया वाहनों (ईआरवी) और एसएचओ, आरक्षी उपाधीक्षक, और आरक्षी अधीक्षक जैसे रैंक के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहता है। आपात अनुक्रिया वाहनों में वायरलेस और जीपीएस उपकरण लगे होते हैं। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली की कार्य प्रक्रिया इस प्रकार की है :

**चार्ट 7.2 : आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली की कार्य प्रक्रिया**

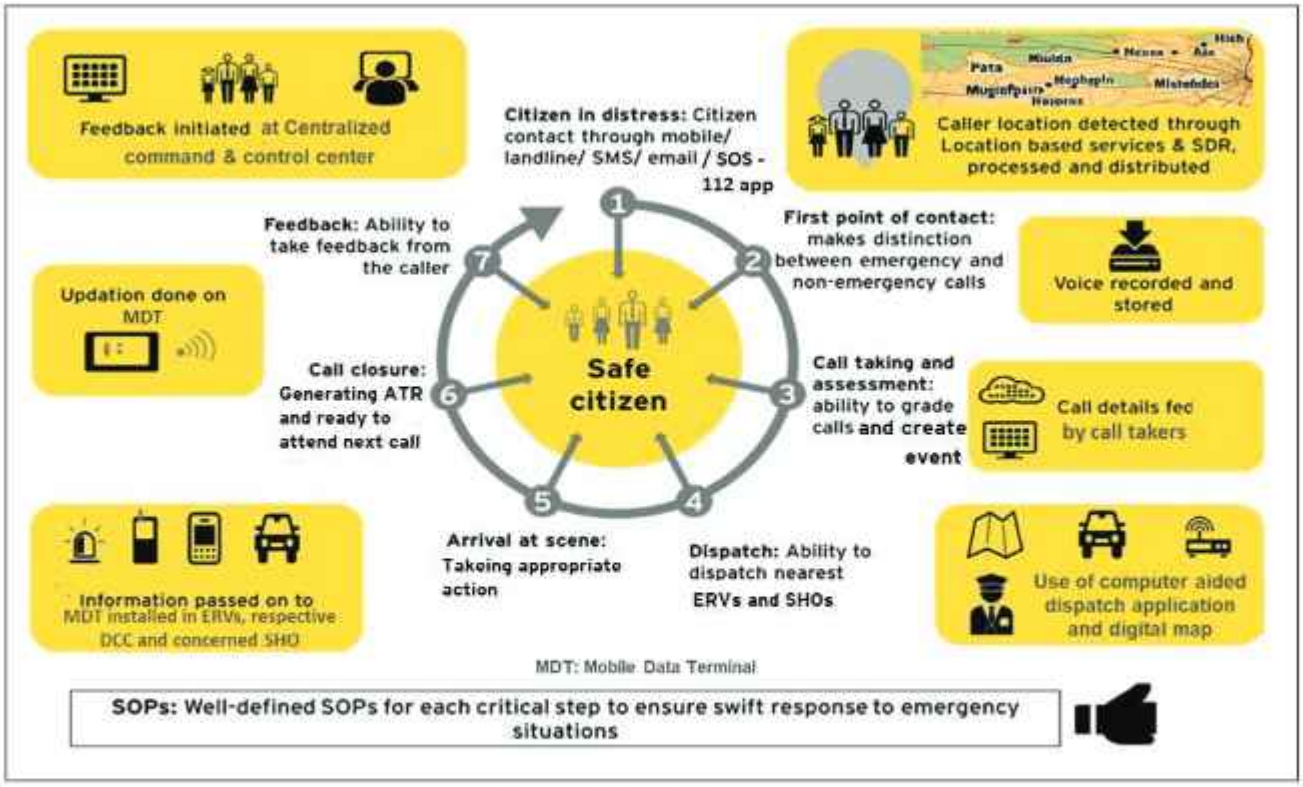


स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

महिला यात्रियों की आरंभ से गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा के लिए आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली 2.0 के तहत 'सुरक्षित सफर सुविधा' ऍप का आरंभ सितंबर 2024 में हुआ है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली की प्रगति चार्ट 7.3 में दी गई है कि आपात अनुक्रिया केंद्र के पास किस तरह 112 पर वायस कॉल, ईमेल, ह्वाट्जऍप, पैनिक बटन, ऍक्टिवेटेड कॉल और 112 इंडिया मोबाइल ऍप से कॉल पहुंचता है।

**चार्ट 7.3 : आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली का अवलोकन (सितंबर 2024 तक)**

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

**निगरानी और सीसीटीवी के कार्यों के साथ ट्रफिक सिग्नलों का समेकन (टिस्को) :** टिस्को परियोजना के तहत बिहार के नौ शहरों – बेगूसराय, बेतिया, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली को अमल में लाया गया है। इसका लक्ष्य नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित, संरक्षित और सक्षमकारी वातावरण तैयार करना है ताकि वे लिंग आधारित हिंसा और/ या उत्पीड़न से भयभीत हुए बिना सारे अवसरों का उपयोग कर सकें। इसका लक्ष्य कुशल और अनुकूलनीय यातायात नियंत्रण प्रणाली का क्रियान्वयन भी है। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा-संरक्षा सुनिश्चित करने, अपराध की पहचान करने तथा भीड़-भाड़, इंधन की बर्बादी आदि से बचने के लिए तत्क्षण यातायात पहचान प्रणाली को सुगम बनाने के लिए राज्य के 9 शहरों में टिस्को के क्रियान्वयन की पहल की है।

**ई-कोर्ट्स परियोजना :** यह देश के जिला/ अधीनस्थ न्यायालयों में क्रियान्वित हो रही ई-शासन की राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है। परियोजना को देश के सर्वोच्च न्यायालय के ई-कमिटी द्वारा तैयार कराया गया है। अभी तक 2 लाख से भी अधिक उपयोगकर्ता (अधिवक्ता और वादी-प्रतिवादी) परियोजना के तहत दी जा रही सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। परियोजना के पहले चरण का आरंभ 2009 में और दूसरे चरण का आरंभ 2016 में हुआ था। बिहार के सभी जिला न्यायालय और अधिकांश दीवानी न्यायालय कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं और ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत सीआइएस सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। दूसरे चरण में बिहार में यह कुल 79 स्थानों पर दीवानी न्यायालयों में चालू हुआ है जिसमें 37 जिला और 42 अनुमंडल न्यायालय शामिल हैं। वहीं, 68 स्थानों पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय कक्षों में सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो गया है और जिला न्यायालयों में सीसीटीवी की 4631 इकाइयां लगाई गई हैं। स्टॉक होल्डिंग निगम के जरिए ई-कोर्ट फी और ई-स्टांपिंग उच्च न्यायालय तथा सभी जिला न्यायालयों में कार्यशील है।

**सीआइएस एचसी** : सीआइएस एचसी पटना उच्च न्यायालय में काम कर रहा है जबकि सीआइएस 3.2 राज्य के सभी 79 स्थानों पर कार्यशील है। इस सुविधा का आरंभ अक्तूबर 2022 में सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय में हुआ था। वहीं, सीआइएस 4.0 के क्रियान्वयन के लिए बक्सर न्यायालय को पायलट जिले के बतौर चुना गया है। सीआइएस 3.2 से सीआइएस 4.0 पर जाने का काम जारी है जो बिहार के सभी न्यायालयों में एक महीने में पूरा हो जाएगा।

**ई-फाइलिंग** : पटना उच्च न्यायालय में 2020 से और राज्य के सभी जिला न्यायालयों में 2023 से लगभग सभी मुकदमों में दस्तावेजों की ई-फाइलिंग हो रही है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जांच और लाइव सर्वर सहित 4 लाख से भी अधिक मामलों की ई-फाइलिंग की गई है। ई-फाइलिंग पर निबंधित विद्वान अधिवक्ताओं की कुल संख्या 8000 से भी अधिक है। अधिवक्ताओं को अपने मुकदमों की ई-फाइलिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**समेकित आपराधिक न्याय प्रणाली (आइसीजेएस)** : समेकित आपराधिक न्याय प्रणाली (आइसीजेस) प्लेटफॉर्म के जुड़ने से प्राथमिकियों (एफआइआर) और चार्जशीट के मेटाडेटा तक न्यायालय की पहुंच में हो सकते हैं। अभी राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों द्वारा पूरे राज्य के पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकियों और दायर चार्जशीट से संबंधित मेटाडेटा का उपयोग किया जा रहा है। अभी तक सीआइएस ऍप पर कुल 13.60 लाख प्राथमिकियां और 2.45 लाख चार्जशीट उपलब्ध कराए गए हैं।

**चार्ट 7.4 : नवंबर 2024 तक समेकित आपराधिक न्याय प्रणाली का अवलोकन**

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

**एनस्टेप** : एनस्टेप की सुविधा जिला न्यायालयों में 2020 से शुरू हुई थी जिससे न्यायालयों द्वारा नोटिस और सम्मन जारी करने की तत्क्षण ट्रैकिंग करना संभव हो जाता है। प्रोसेस सर्वरों/ बेलिफ के लिए कुल 340 स्मार्टफोन खरीदे गए हैं और एनस्टेप के कुल 6,73,183 सम्मनों का उपयोग किया गया है। बिहार के विभिन्न न्यायालयों द्वारा नवंबर 2024 तक कुल 2,33,185 एनस्टेप सम्मन जारी किए गए हैं।

**बहु-स्तरीय ई-सेवा केंद्र** : पटना उच्च न्यायालय में चार-स्तरीय ई-सेवा केंद्र हैं। सभी जिला न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय और पंचायत न्यायालय भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पंचायत स्तर पर अंतिम उपयोगकर्ता तक ई-कोर्ट संबंधी पहलें लेने के लिए उच्च न्यायालय ने काम शुरू कर दिया है और यह सुविधा देने के लिए मौजूदा पंचायत भवनों को सक्षम बनाने के जरिए पंचायतों में ई-सेवा केंद्र की सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है। अभी तक 41 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से एक पटना उच्च न्यायालय में, 37 जिला न्यायालयों में, एक अनुमंडल न्यायालय में और दो पंचायतों में कार्यरत हैं।

**सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली** : महत्वपूर्ण स्थानों पर समग्र सुरक्षा-संरक्षा उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग ने गतिविधियों की निगरानी करने और गैर-कानूनी गतिविधयों से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। यह प्रणाली पटना में पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन, विश्वेश्वरैया भवन और नियोजन भवन जैसे सचिवालय भवनों में लगाई गई है। यह विधान सभा (पुराने और नए अनेक्स भवन) में भी लगाई गई है। सचिवालय और विधान सभा के अलावा, सभी पुलिस थानों और अनुमंडल न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालय परिसरों में भी यह प्रणाली चौबीसो घंटे काम करती है। प्रणाली भवन परिसरों में आने और वहां से जाने वाले वाहनों का ब्योरा कैप्चर करती है, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करती है और वीडियो एनालिटिक्स समेत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले नियंत्रण-सह-निगरानी कक्षों को चेतावनी जारी कर देती है।

**ई-प्रिजन्स** : यह कारागारों और कैदी प्रबंधन से संबंधित सारी गतिविधियों के तत्क्षण प्रबंधन के लिए कंप्यूटरीकरण हेतु समेकित प्रणाली अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। इसमें बिहार के सभी 59 कारागारों में कैदियों की संपूर्ण जीवनशैली को 2016 से ही कैप्चर किया जा रहा है। ई-प्रिजन्स ऍप में 2005 से ही कैदियों की लीगेसी के आंकड़े भी कैप्चर किए गए हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर काम के लिए इस ऍप के कई मॉड्यूल हैं - (1) भारतीय न्याय संहिता, (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, (3) भारतीय सुरक्षा अधिनियम को इस सिस्टम में समाहित किया गया है। अभी तक कुल 28.23 लाख कैदियों का विवरण कैप्चर किया गया है।

**ई-मुलाकात प्रणाली** : यह प्रणाली बिहार के सभी कारागारों में उपलब्ध है और बंदियों/ कैदियों के रिश्तेदारों को नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें किसी कैदी/ बंदी से मिलने के लिए रिश्तेदार(रों) के निबंधन और उसके साथ उनकी वीडियो कंफ्रेंसिंग आधारित मुलाकात शामिल है। पोर्टल में डैशबोर्ड भी मौजूद है जिस पर जिला/ देश में मौजूद विभिन्न कारागारों के सांख्यिकीय आंकड़े दिख जाते हैं। कारा के अंदर मौजूद अपने परिजन के बारे में शिकायतों को भी इस पोर्टल के जरिए दाखिल किया जा सकता है जिन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित कारा में भेज दिया जाता है। ये सेवाएं कैदियों/ बंदियों के रिश्तेदारों/ अधिवक्ताओं/ डॉक्टरों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक बिहार के कारागारों में कैदियों/ बंदियों के कुल 23.28 लाख रिश्तेदारों/ मित्रों ने इसके जरिए मुलाकात की है।

**टी-एचसीबीएस** : काराओं से अनधिकृत संचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्य की 15 काराओं में टी-एचसीबीएस (टावर्स ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम) लगाने की स्वीकृति दे दी है। इस प्रणाली से कारा परिसरों में आने-जाने वाले कॉल, एसएमएस और डेटा सेवाओं को रोक देगी। बिहार में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इन 15 कारा परिसरों के आसपास अपने रेडियो ऍक्सेस नेटवर्क को ऑप्टीमाइज कर दिया है।

**काराओं के लिए जीआइएस मैपिंग और टेरा मानचित्रों में जियो-फॉसिंग लेयर (आइभूगोल)** : बिहार की काराओं के अक्षांशों और देशांतरों को जीआइएस मैपिंग के लिए लेकर टेरा मानचित्रों में समेकित कर दिया है। यह भूआकृति, भूगोल, अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक सूचकों के बारे में एक ही स्थान पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा देता है। योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए जीआइएस और एमआइएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के आंकड़ों को एकीकृत किया जाता है।

**मिशन वाहन** : यह सॉफ्टवेयर ऍप है जिसके जरिए कारा मुख्यालय में राज्य के काराओं की रोजमर्रे की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है।

**कारा में ई-औषधि और टेली-मेडिसीन** : ई-औषधि का उपयोग कैदियों को दवा देने और काराओं में दवा का स्टॉक बनाए रखने के लिए किया जाता है। वहीं, टेली-मेडिसीन की शुरुआत राज्य के केंद्रीय काराओं में कैदियों की चिकित्सा जांच, समय से इलाज और चिकित्सीय देखरेख के लिए की गई है जिससे जिला अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में कैदियों के जाने के दौरान भी मदद मिलती है।

**न्यायालय मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस)** : न्यायालय मुकदमा प्रबंधन प्रणाली सरकारी विभागों के लिए उनके मुकदमों के बारे में जानकारी पाने और अपडेट करने के लिए ऑनलाइन ऍप है। इस प्रणाली का उपयोग सुनवाई की तिथि, मुकदमों में अनुपालन, और मुदकमों के इतिहास के बारे में चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली कारण सूची और अंतिम आदेशों की प्राप्ति के लिए न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के साथ समेकित है। साथ ही, यह प्रणाली न्यायालय के मुकदमों की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल डायरी का काम भी करती है जो हर चीज को व्यवस्थित और सुगम्य बनाए रखती है।

**आइसीजेएस सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन** : अंतर्व्यवहार्य आपराधिक न्याय प्रणाली (आइसीजेएस) का विकास आपराधिक न्याय प्रणाली के न्यायालय, पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तंभों के बीच आंकड़ों और सूचनाओं के अंतरण को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। अभी काराओं द्वारा कैदियों की हाजिरी इसी के मॉड्यूल के जरिए लगाई जाती है। यह मुकदमा और न्यायालय प्रबंधन के लिए प्रभावी साधन है क्योंकि मुकदमे की सारी प्रासंगिक सूचनाएं न्यायालय के उपयोग के लिए तत्क्षण उपलब्ध हो जाएंगी। यह प्रणाली आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ-साथ काराओं और सुधारक सेवाओं की उत्पादकता गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनो तरह से बढ़ा देती है। इसका मुख्य लक्ष्य किसी व्यक्ति की विवरणी को हाथ से लिखकर प्रविष्ट करने की व्यवस्था समाप्त करना और यह न्यायालय, पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और अभियोजन जैसे स्तंभों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान में सुगमकर्ता के बतौर काम करना है। पुलिसकर्मियों को आइसीजेएस पोर्टल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**फास्टर प्रणाली** : बिहार की सारी काराओं में सुरक्षित इलक्ट्रॉनिक संचार चैनल स्थापित किया गया है। फास्टर प्रणाली के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों और कार्यवाही के रिकॉर्ड की ई-प्रमाणित प्रतियों को कारा प्रशासन के पास अनुपालन और उचित निष्पादन के लिए भेजा जाता है। राज्य के सभी कारा फास्टर प्रणाली के जरिए जेसीएन की ईमेल आइडी के द्वारा प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर समय से कार्रवाई कर रहे हैं।

### ई-साक्ष्य प्लेटफॉर्म

ई-साक्ष्य मोबाइल ऍप प्रक्रिया को दर्ज करने के लिए, साक्ष्य लॉकर स्टोर करने के लिए और एपीआई के बंडल आंकड़ों के आदान-प्रदान के प्रमाणन के लिए ई-साक्ष्य मोबाइल ऍप के सूट हैं। ई-साक्ष्य मोबाइल ऍप को तीन प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया रिकॉर्ड करने के लिए विकसित किया गया है :

(1) अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173;
(2) तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 105; तथा
(3) पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की वीडियोग्राफी - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 185.

**ई-चालान :** यातायात के नियमों का उल्लंघन कैमरा की पकड़ में आ जाता है और वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रविष्टि के बाद अपराध को चुनकर ई-चालान जारी कर दिया जाता है। ये कैमरे यातायात के उल्लंघन के फोटो और वीडियो कैप्चर करते हैं। ये कैमरे राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एनआइसी) के वाहन और सारथी पोर्टल से जुड़े होते हैं। वहीं, यातायात के नियमों के उल्लंघन पर तत्क्षण ई-चालान जारी करने के लिए पुलिसकर्मियों को हैंड-हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) दिए गए हैं। इनकी मदद से ट्रफिक पुलिस उल्लंघनकर्ताओं से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यूपीआइ के जरिए तत्क्षण जुर्माना वसूलती है। इससे उसी स्थान पर ट्रफिक चालान जारी करने में पारदर्शिता रहती है और ऑनलाइन भुगतान में सहूलियत होती है। सितंबर 2024 तक, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 लाख लोगों से ई-चालानों के जरिए 120 करोड़ रु. वसूले गए हैं।

**आइरैड और ई-डार :** समेकित पथ दुर्घटना डेटाबेस - इलक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (आइरैड-ईडार) परियोजना सभी हितधारकों के लिए समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के लिए पूरे देश में दुर्घटना के तत्क्षण आंकड़े इकट्ठा करती है तथा दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के मामलों में कमी लाने के लिए सुरक्षा हस्तक्षेप तैयार करने में मदद करती है। राज्य सरकार ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत जनवरी 2022 में की जिसके बाद से अब तक 32,725 दुर्घटनाओं के मामले निर्बाधित हुए हैं और 2877 मामले ई-डार के लिए आगे बढ़े हैं। यह 40 पुलिस प्रशासन जिलों, 1237 थानों तथा 3084 क्षेत्रीय कार्यालय उपयोगकताओं को अच्छादित करता है। यह राष्ट्रीय उच्चपथ से लेकर गांव स्तर तक के सभी पथ अभिकरणों के प्रभागों-अनुभागों को समेकित करती है। साथ ही, 38 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और 76 से भी अधिक मोटरवाहन निरीक्षक मोटर वाहनों के निरीक्षण के लिए प्रणाली में निर्बाधित हैं। वहीं, 146 से अधिक अस्पताल और 2975 रोगी आइरैड में निर्बाधित हैं। 39,560 सहभागियों के लिए पूरे राज्य में 14,394 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

**ई-डिटेक्शन :** बिहार के परिवहन विभाग ने ई-डिटेक्शन प्रणाली राज्य के सभी 32 टॉल प्लाजा में शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण (एनएचएआइ) के टॉल गेट इस पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मकसद बिना वैध दस्तावेज चल रहे वाहनों पर नियंत्रण रखना है। जब भी वाहन राष्ट्रीय उच्चपथ के टॉल प्लाजा से गुजरते हैं, तो फास्टैग पर आधारित प्रणाली बिना बीमा, प्रदूषण नियंत्रणाधीन, फिटनेस और कर प्रमाणपत्रों के चलने वाले वाहनों की पहचान कर लेती है। उसके बाद वाहन के बारे में ई-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में सूचना भेज दी जाती है। बाद में बिना वैध दस्तावेज चलने वाले वाहनों की पहचान के लिए वाहन के आंकड़ों का मिलान एनआइसी के वाहन डेटाबेस के आंकड़ों के साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य वैध दस्तावेजों के बिना चलने वाले वाहनों पर

रोक लगाना है जिसके लिए राज्य सरकार ने ई-डिटेक्शन पोर्टल विकसित किया है। कोई वाहन सार्वजनिक पथ पर चले इसके लिए जरूरी है कि उसके पास निबंधन प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस आदि वैध दस्तावेज मौजूद हों। भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण के टॉल गेट इस पोर्टल के साथ समेकित हैं।

**तालिका 7.2 : सितंबर 2024 तक ई-डिटेक्शन के जरिए चालान भुगतान संग्रहण का सारांश**

| चालान संबंधी विवरण | मान |
|---|---|
| कुल जारी चालान | 48965 |
| निर्गत चालान की रकम (लाख रु. में) | 3189.51 |
| भुगतान किए गए चालान | 4535 |
| चालान की रकम का भुगतान (लाख रु. में) | 364.79 |
| लंबित चालान | 44430 |
| चालान की लंबित रकम (लाख रु. में) | 2824.72 |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली (सीएलटीएस)** : यह 2016 में शुरू हुई वेब आधारित ट्रैकिंग प्रणाली है जिससे बचाए गए बाल मजदूरों के अनुश्रवण और उनके पुनर्वास में मदद मिलती है। बाल श्रमिक को मुक्त कराने के बाद उसे श्रम संसाधन विभाग से तत्काल 3000 रु. की सहायता मिलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जिला पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में राज्य सरकार द्वारा 5000 रु. और अभियुक्त नियोक्ता द्वारा 20,000 रु. जमा कराए जाते हैं। इसके अलावा, बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली पोर्टल पर निबंधन के बाद, बचाए गए हर पात्र बाल मजदूर को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रु. सावधि जमा/ एन्यूइटी के रूप में दिए जाते हैं। इस एन्युइटी योजना के तहत 2912 बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रु. प्रति बच्चा सहायता राशि मिली है। 31 अक्तूबर 2024 तक बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली पोर्टल पर बाल मजदूरों की कुल प्रविष्टि 10,039 थी। बाल मजदूरों को बचाने के लिए हर जिले में गठित धावा दलों की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए धावा दल ऍप शुरू किया गया है।

**ई-ऑफिस** : ई-ऑफिस का लक्ष्य सरकार के अंदर और सरकार के बाहर की अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं का उपयोग करके सरकार को सहयोग देना है। इस प्रणाली में किसी फाइल पर काम करने के सभी चरणों के काम शामिल होते हैं जिनमें अंदर से आने वाली प्राप्तियों पर डायरी नोटिंग, फाइल निर्माण, प्राप्तियों और फाइलों का आवागमन, तथा रिकॉर्ड को ऑर्काइब में भेजना शामिल है। इस प्रणाली के जरिए प्राप्तियों और फाइलों का आना-जाना अबाध रूप से होता है और प्रणाली में अधिक पारदर्शिता रहती है क्योंकि फाइल पर की जाने वाली हर कार्रवाई इलक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड हो जाती है। इससे निर्णय लेना सरल हो जाता है क्योंकि सारी आवश्यक सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाती हैं। इसके तहत संस्था की बढ़ी पारदर्शिता, कुशलता और उत्तरदायित्व के साथ कागजविहीन कार्यालय की बात सोची गई है। ई-ऑफिस 2015 से ही राज्य के विभिन्न विभागों, चुनिंदा जिलों और अनुमंडलों में सुगमता से काम कर रही है।

चार्ट 7.5 : सितंबर 2024 तक ई-ऑफिस की उपलब्धियां

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

**ई-ग्रामस्वराज** : यह पंचायती राज मंत्रालय के ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत पंचायत उद्यम सूट में से एक है जिसका लक्ष्य विकेंद्रित योजना निर्माण, प्रगति की रिपोर्टिंग और काम आधारित लेखाकरण में पारदर्शिता में सुधार लाना है। इस डिजिटल पहल को राज्य में भी शुरू किया गया है। इस ई-शासन कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को चार्ट 7.6 के जरिए दर्शाया गया है।

चार्ट 7.6 : ई-ग्राम स्वराज की व्यवस्था

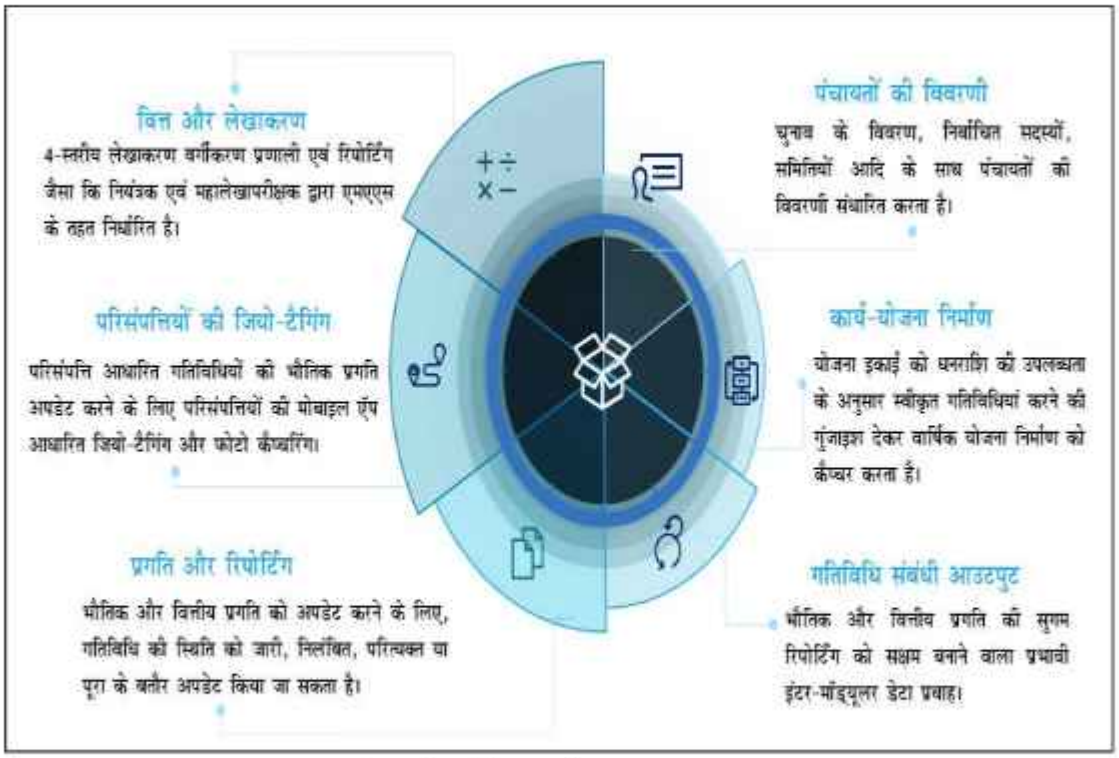


स्रोत : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**सेवा इतिहास (सेवा इतिहास प्रबंधन)** : यह सरकार से कर्मचारियों के साथ संवाद वाला ऍप है जो कर्मचारियों और कार्मिक विभाग को सेवा इतिहास से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं के प्रबंधन की गुंजाइश देता है। सेवा इतिहास पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों के नाम, सेवा संवर्ग, वर्ग, वेतनमान, ग्रेड, सिविल सूची/ वरीयता, तथा सारी पोस्टिंग से संबंधित विवरण के साथ कार्यदशा और अतिरिक्त आरोपों आदि के विवरण प्रबंधित होते हैं। इस पर राज्य के सारे संवर्ग की सेवाओं के विवरण संरक्षित होते हैं।

**पंचायत निश्चय सॉफ्ट** : इस पर पंचायती राज विभाग की किसी भी योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें पंचायत सरकार भवनों की प्रगति की स्थिति, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, लेखापरीक्षा और लेखा मॉड्यूल, तकनीकी मॉड्यूल आदि क्रमिक रूप से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, टीए, लेखाकारों, प्रखंड पंचायती राज अधिकारियों और जिला पंचायती राज अधिकारियों की प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रणाली का भी अनुश्रवण किया जाएगा।

**ई-पंचायत** : ई-पंचायत बिहार सॉफ्टवेयर का विकास छठे वित्त आयोग के तहत होने वाले भुगतानों में मदद के लिए किया गया है। छठे वित्त आयोग के तहत सभी योजनाओं से संबंधित भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के रीट मॉड्यूल के जरिए किए जाएंगे। मजदूरों, विक्रेताओं और संवदेकों के भुगतान के प्रक्रियाकरण के लिए ई-पंचायत बिहार पोर्टल के साथ समेकित करना जरूरी हो जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था प्रणाली (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत) के लिए छठे वित्त आयोग के तहत सभी भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली द्वारा सत्यापन के बाद इसी पोर्टल से किए जाएंगे। साथ ही, इस ई-पंचायत बिहार पोर्टल के साथ लेखापरीक्षा और उपयोगिता प्रमाणपत्र मॉड्यूल भी समेकित किया जाएगा।

## 7.3 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

ई-शासन निवेशकों को सिंगल विंडो प्रणाली, ई-ऑक्शन, ई-बिडिंग और ई-क्लियरेंस के जरिए अवसर उपलब्ध कराता है। हालांकि परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीमिस) के जरिए सरकार अवसंरचना परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करती है, पारदर्शी बोली आयोजित करके सार्वजनिक खरीद करती है, भूमि प्रलेखों का डिजिटलीकरण करती है, किसानों को पारदर्शी तरीके से वित्तीय सहायता देती है, उद्यमियों और मजदूरों को समर्थन देती है तथा व्यवसाय सुगमता आदि में मदद करती है। राज्य में ई-शासन के सारे कार्यक्रम सभी हितधारकों (अर्थात सरकार, परिवार, बैंकर, व्यावसायिक घराने) को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और उन्हें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बेहतर ढंग से संवाद करने में मदद करती है।

### भौतिक अधिसंरचना

**परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीमिस)** : जारी परियोजनाओं की तत्क्षण प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए सड़क एवं पुल, भवन निर्माण, विद्युत अवसंरचना आदि अवसंरचनाओं में परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीमिस) का उपयोग किया जाता है। इसमें परियोजना की संभावना का प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, समय प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, संचार प्रबंधन और उनका ऑनलाइन अनुश्रवण शामिल हैं। परियोजना के ऑनलाइन प्रबंधन से परियोजना के निष्पादन की योजनानुरूप प्रगति का पर्यवेक्षण करने मे मदद मिलती है। पीमिस यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरतों की समीक्षा करने में मदद करती है कि परियोजना ने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। यह प्रदर्शन समीक्षा और उत्पादकता विश्लेषण के लिए परियोजना के दौरान संग्रहित सूचनाओं को व्यवस्थित भी करती है। पीमिस अब किसी भी योजना की पथ परियोजनाओं के स्थान की तत्क्षण सटीक जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध

करा देती है। पीमिस का ओपन डैशबोर्ड अब उपलब्ध है और पथ सांख्यिकी से संबंधित सारी सूचनाएं यहां देखी जा सकती हैं। साथ ही, पथ परियोजनाओं की ग्राफ में प्रस्तुति के साथ भौतिक और वित्तीय सूचनाएं भी इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध होती हैं।

**आइ-ग्राम (समेकित जीआइएस-आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली)** : यह जीआइएस आधारित परियोजना है जिसका लक्ष्य पथ निर्माण विभाग के विभिन्न पथों के आंकड़ों का डिजिटीकरण करना और आइ-ग्राम पर उसको दर्शाना है। द्रुतमार्गों (एक्सप्रेसवे), राष्ट्रीय उच्चथों, राज्य उच्चपथों और मुख्य जिला पथों के पथ संरेखण और विवरण आइ-ग्राम पर उपलब्ध हैं जिन्हें राज्य, जिला, गांव-टोला, नगर स्थानीय निकाय की अवस्थिति, वासस्थल सीमा, रेलवे, हवाईअड्डा, औद्योगिक क्षेत्र आदि विभिन्न स्तरों के साथ जीआइएस मैप पर पाया जा सकता है।

**निर्गत एवं प्रदर्शन आधारित पथ परिसंपत्ति अनुरक्षण संविदा (ओपीआरएमसी)** : यह निवारक अनुरक्षण प्रणाली है जिसके तहत सड़कों के सेवा स्तर और अंतर्राष्ट्रीय दृढ़ता सूचकांक (आइआरआइ) के रखरखाव की जिम्मेवारी संवेदक को खास समय के लिए दी जाती है। इस नीति के तहत सड़क की सतह के साथ-साथ उसके स्कंध, नाली, वनस्पतियों और साइनेज आदि अन्य पथ उपस्करों का भी रखरखाव किया जाता है। इस प्रणाली के तहत प्रथम चरण (2013 से 2018 तक) में 2579 करोड़ रु. के व्यय से कुल 9064 किमी सड़कों का सफलतापूर्वक रखरखाव हुआ। वहीं, दूसरे चरण (2019 से 2026 तक) में 6655 करोड़ रु. के व्यय से 13,000 किमी से भी अधिक सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। जुलाई 2022 से नियंत्रण एवं कमांड केंद्र (सीसीसी) के जरिए सड़क अनुरक्षण कार्य के तत्क्षण अनुश्रवण और रिपोर्टिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा नया कदम उठाया गया है। अभी मुख्यालय स्थित इस केंद्र के जरिए पथ निर्माण विभाग के कुल 9817 किमी लंबाई वाली 1282 सड़कों के जारी अनुरक्षण कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा है और 11 अधीक्षण अभियंताओं, 44 कार्यकारी अभियंताओं, 116 सहायक अभियंताओं और 217 कनीय अभियंताओं द्वारा काम का निरीक्षण किया जा रहा है।

**संवेदक ई-निबंधन** : वर्ष 2016 में इसका आरंभ संवेदकों का पुनर्निबंधन करने और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए किया गया था जहां वे अपने निबंधन के लिए वे आसानी से आवेदन कर सकें और आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकें। वे आवदेन स्वीकृत होने के बाद अपना निबंधन प्रमाणपत्र पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

**ऑनलाइन प्रबंधन, अनुश्रवण एवं लेखाकरण प्रणाली (ओम्मास)** : यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित योजनाओं के अनुश्रवण के लिए वेब आधारित ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली है। यह योजनाओं के लिए योजना निर्माण, शिड्यूल निर्धारण, अनुश्रवण, ट्रैकिंग और क्रियान्वयन में सहयोग करता है। ओम्मास में मास्टर डेटा, ग्रामीण सड़क योजना, प्रस्ताव, निविदाकरण, निष्पादन, गुणवत्ता अनुश्रवण, प्राप्ति एवं भुगतान तथा अनुरक्षण मॉड्यूल मौजूद हैं। कोई भी नागरिक योजना की रोजमर्रे की प्रगति पर नजर रख सकता है।

**अनुरक्षण ऍप** : बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 का क्रियान्वयन ग्रामीण पथ परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए किया गया है। इस मोबाइल ऍप का उपयोग करके क्षेत्रगत अधिकारी सड़कों का निरीक्षण करते हैं जो पांच घटकों - वाहन मार्ग, स्कंध और तटबंध, पुलिया और पुल सहित जल निकासी, सड़कों के साइनेज तथा वनस्पतियों का जियो-टैग्ड फोटो उचित रूप से कैप्चर करते हैं। क्षेत्र से कैप्चर डेटा के आधार पर त्रैमासिक निरीक्षण किया जाता है और स्कोरिंग मैट्रिक्स के हर घटक के लिए वेटेज प्रतिशत के अनुसार कमी का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। तदनुरूप, सूचना प्रबंधन प्रणाली वेब सेवा के जरिए त्रैमासिक आबंटन किया जाता है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अनुरक्षण ऍप के अलावा ग्रामीण पथों और पुलों के पंचवर्षीय रूटीन रखरखाव की

व्यवस्था के लिए बिहार ग्रामीण पथ सामान्य अनुरक्षण प्रणाली (बीआरआरएमएस) ऍप का भी विकास किया है। इससे ग्रामीण पथ के अनुरक्षण की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन होगा।

**विद्युत क्षेत्र में डिजिटल शासन :** बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई ई-शासन और डिजिटल प्रक्रिया पुनर्रचना संबंधी पहलों ने कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित भावी क्रांति की बुनियाद रख दी है। वितरण कंपनियां अपने आरंभ के बाद से पहली बार मुनाफा दर्ज करा रही हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास (एटी एंड सी) घटकर 19.94 प्रतिशत से भी नीचे आ रहा है और 1,410 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ हुआ है। फलत: टैरिफ में 15 पैसे की कमी आई है।

**विद्युत वितरण कंपनियों का विद्युत आपूर्ति संचालन और राजस्व प्रबंधन :** राज्य में ऊर्जा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में बिजली की खरीद का 80 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया की कठिनाइयों में कमी के लिए समाधान पोर्टल का विकास राष्ट्रीय स्तर की ग्रिड सूचना प्रणालियों और आंतरिक डेटाबेस को जोड़ने वाले के रूप में किया गया था और तत्क्षण (रियल-टाइम) निर्णय लेने को बल देने के लिए इसे उपयोग में आसान डैशबोर्ड के बतौर डिजाइन किया गया है। इन निर्णयों के प्रभावों की मात्रा रकम के लिहाज से निर्धारित होती है। ऊर्जा भुगतान प्राथमिकीकरण अनुश्रवण प्रणाली (ईपीपीएमएस) के साथ मिलकर ये नवाचारी विकास वितरण कंपनियों के मुनाफे में मुख्य योगदाता रहे हैं। समीक्षा, संपूर्ण, स्काडा, संग्रहण और धावा एवं प्राथमिकी प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें वितरण में होने वाले रिसावों और नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। सहभागी, जवाबदेह, पारदर्शी, और निर्धारित सूचना प्रबंधन प्रणालियों के जरिए ये फील्ड टीम की भी मदद करते हैं।

**संचरण कंपनी में डिजिटल पहलें :** गत कुछ वर्षों में प्रणाली पर कुशल और तत्क्षण नियंत्रण के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा अधारित प्लेटफॉर्म, पहलें और परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। स्वचालित प्रणाली संतुलन तंत्र (एएसबीएम), केंद्रीकृत नियंत्रण एवं कमांड केंद्र (सीसीसीसी), सुगम (ई-ऑफिस), सैप पर आधारित ईआरपी प्रणाली, समस्त (समुचित विद्युत लेनदेन पारदर्शिता निष्पादन परिगणना), उप-केंद्र स्वचालन प्रणाली (एसएएस), परियोजना अनुश्रवण सूचना प्रणाली (पीमिस) और ऑनलाइन ग्रिड निरीक्षण प्रणाली मिलकर बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी द्वारा डिजिटल नवाचारों के समूह बन जाते हैं। कंपनी समर्पित साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) की स्थापना करने वाली देश की पहली राज्य संचरण यूटिलिटी/ एसएलडीसी बन गई है।

**सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के जरिए विद्युत उपभोक्ता सेवा मानदंडों में सुधार :** स्मार्ट प्रीपेड मीटरों ने उपभोक्ताओं को अपनी खपत संबंधी दैनिक गतिविधियों के बारे में सोचने, योजना बनाने और नियंत्रित करने की डेटा संबंधी आजादी दे दी है। उपयोग के अनुसार भुगतान करने, रूफटॉप सोलर लगवाने के बाद एसपीएम को बिना परेशानी नेट मीटर में बदलवाने, वित्तीय प्रोत्साहन पाने और सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण और भी अनेक लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण हो गया है। सुविधा ऍप, आउटेज प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस), और ओम्नी चैनल शिकायत हैंडलिंग प्रणाली (सीएचएस) को जीवन सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पूरक वर्टिकल के बतौर अपनाया गया है। वहीं, नवविकसित संपर्क पोर्टल नागरिकों में विश्वास पैदा करने में मदद कर रहा है।

**बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी और इसकी अनुषंगियों के तहत आंतरिक और मानव संसाधन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार :** महज तकनीकी प्रक्रियाओं में रूपांतरण नहीं हुआ है, कर्मचारी प्रबंधन में भी डेटा आधारित मानकीकरण हो रहा है। संज्ञान - न्यायालय मुकदमा प्रबंधन प्रणाली, ई-ऑफिस, बड्डी ट्रेनिंग पोर्टल, ऑनलाइन अपार, केवाइपी और उर्जस्विनी ई-पत्रिका राज्य सरकार के कुछ उल्लेखनीय प्रयासों में शामिल हैं।

**समेकित खनन प्रबंधन सूचना प्रणाली (इम्मिस)** : यह राज्य में खनिज प्रशासन में कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। खनिज उत्पादन और खपत से संबंधित विभिन्न स्तरों की गतिविधियों में अनेक गंभीर व्यावसायिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वर्ष 2024 में कुल 43.19 लाख ई-चालान तैयार किए गए हैं, 9.13 करोड़ मीट्रिक टन बालू और 1.08 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर डिस्पैच किए गए हैं, जीपीएस युक्त 82,112 खनिज ढोने वाले वाहनों को निबंधित किया गया है, 410 धर्मकांटों को समेकित किया गया है, और 247 घाटों की जियो-फेंसिंग की गई है।

**भूमि बंदोबस्ती एवं अभिलेख अद्यतनीकरण** : वर्ष 2024 में स्वचालित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भी बढ़ाने तथा भूमि अधिग्रहण, चकबंदी तथा बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण जैसे अनछुए क्षेत्रों में, जहां सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रवेश से खेल बदल सकता है, विभाग ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक पहलें की हैं। बिहार में चलने वाली अनेक परियोजनाओं/ अनुप्रयोगों का विश्लेषण सांख्यिक मापदंडों में वृद्धि के आधार पर किया गया है जिन्हें चार्ट 7.7 में दर्शाया गया है। राजस्व में इस वृद्धि से राज्य सरकार को आम नागरिकों की बेहतरी के लिए नवाचारी सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी साधनों को और अधिक उपयोग में लाने की ताकत बढ़ी है। सेवा प्रदान की प्रविधि में हुए प्रमुख सुधार परिमार्जन और बिहार भूमि के नए संस्करणों के रूप में सामने आए हैं।

**चार्ट 7.7 : भूमि बंदोबस्ती और भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सारांश**

स्रोत : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पटना

बेहतर भूमि अभिलेखों के कारण भूमि अधिग्रहण, दाखिलखारिज, कर भुगतान और नई विकासमूलक परियोजनाओं को आकार देने की राह आसान हो गई। राज्य की आधुनिक भूमि अभिलेख प्रणाली निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को बढ़ावा देती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी सबसे हाल के एक अन्य हस्तक्षेप ने सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन की दाखिलखारिज में काफी मदद की है। इस कदम की परिणति राज्य में रेलवे ट्रैक, हवाईड्डा, उच्चपथ, कार्यालय संकुल आदि से संबंधित बड़ी परियोजनाओं को साकार करने में हुई है।

## कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

**कृषि सिंगल विंडो** : इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्ववर्ती प्रणाली की अकुशलताओं और पारदर्शिता संबंधी समस्याओं का समाधान करना, संवाद के लिए एकल पारदर्शी विंडो तैयार करना और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है। इस प्रणाली में पंचायत, प्रखंड, जिला और मुख्यालय स्तर की चार-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। इस ढांचे से पूरी तरह प्रमाणन सुनिश्चित होता है और प्रक्रियाकरण का औसत समय 90 दिन से घटकर 15 दिन रह गया है। किसान 45,000 से भी अधिक वीएलई केंद्रों/ साइबर कैफे के जरिए ऑनलाइन अनुरोध दाखिल कर सकते हैं जिससे खुद पहुंचने और कागजी काम की जरूरत कम हो जाती है। भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दिया जाता है जिससे 90 दिनों के अंदर भुगतान संबंधी विवरणी जमा करने से संबंधित मामलों में कमी आती है। स्वचालित एसएमएस एलर्ट से लाभार्थियों को अपने अनुरोधों की स्थिति के बारे में पूरी प्रक्रिया के दौरान पता चलता रहता है जिससे पारदर्शिता और संवाद में सुधार होता है। व्यापक डैशबोर्ड और सूचना प्रबंधन प्रणाली से खरीद, बीज की जांच और मौसम संबंधी अपडेट सहित कृषि योजनाओं के तत्क्षण अनुश्रवण और रिपोर्टिंग में मदद मिलती है। दो करोड़ निर्बंधित किसानों का डिजिटीकृत डेटाबेस संधारित किया जाता है जिससे कृषि योजनाओं का बेहतर प्रबंधन और मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।

यहां प्रमुख विक्रेताओं की और सरकारी सब्सिडी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के लिए एकल समेकित प्लेटफॉर्म के विकास और क्रियान्वयन में प्रयुक्त उनके उत्पादों की सूची मौजूद है। नई प्रणाली के कारण अंतरित सहायता में काफी वृद्धि हुई है जो 1700 करोड़ रु. से 16,000 करोड़ रु. पहुंच गई। सब्सिडी संबंधी अनुरोध भी 6 लाख से बढ़कर 16 लाख हो गए हैं और वितरित वित्तीय सहायता में 10-गुनी वृद्धि दिखी है। यह किसानों की बढ़ती मांगों और उनकी आर्थिक खैरियत में सुधार को पूरा करने के लिए कार्यसंचालन के विस्तार में प्रणाली की प्रभाविता को दर्शाता है।

**बिहान ऐप** : इस ऐप ने फसल के लक्षित अनुमानों को ऑप्टीमाइज किया है, कीड़े लगने की घटनाओं का अनुश्रवण किया है, कीटनाशकों उपयोग पर नजर रखी है, और बाजार मूल्य का विश्लेषण उपलब्ध कराया है। इसने शीतगृह अवसंरचना की जरूरतों का भी मूल्यांकन किया है और टिकाऊ प्रचलनों तथा बढ़ी उत्पादकता सुनिश्चित करते हुए बीजों और उर्वरकों के आबंटन को सुव्यवस्थित किया है। इसके अलग-अलग मॉड्यूल हैं : (1) फसल संबंधी लक्ष्य, (2) फसल का आच्छादन और उत्पादकता, (3) शीतगृह, (4) कृषि बीज प्रदर्शन, (5) बागवानी बीज प्रदर्शन, (6) बीज प्रभेद, (7) बीज आवश्ययकता विश्लेषण, (8) बागवानी उत्पाद (शहद और मशरूम), (9) कृषि परिसंपत्ति ढांचा, (10) कृषि यंत्र, (11) जैविक खेती, (12) कृषि विपणन सूचना प्रणाली, (13) कीटों-

पीड़कों की निगरानी, (14) कीटनाशक उपयोग के आंकड़े, (15) क्षमता निर्माण, (16) जियो-फेंसिंग, (17) कृषि संकुल, (18) कंबाइन हार्वेस्टर पास, और (19) कृषक पहुंच सेवाएं।

**किसानों को प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी)** : कृषि विभाग किसानों को बेहतर आजीविका और आय स्तरों के लिए सक्षम बनाने के लिहाज से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता रहा है। वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में कुल 2824.64 करोड़ रु. अंतरित किए गए हैं। साथ ही, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी इस अवधि में 12,562.60 करोड़ रु. मिले हैं। इन लाभों के अलावा, 2022-23 के खरीफ मौसम में सूखा के दौरान सिंचाई के लिए 146.39 करोड़ रु. की डीजल सब्सिडी और उसी वर्ष 55.05 करोड़ रु. की कृषि लागत सब्सिडी उनके खातों में अंतरित की गई। वर्ष 2023-24 में 6.30 लाख लाभार्थियों को 102.93 करोड़ रु. की डीजल सब्सिडी अंतरित की गई। वहीं, 2024-25 में 1.87 लाख लाभार्थियों को 120.83 करोड़ रु. की कृषि लागत सब्सिडी और 20.93 लाख लाभार्थियों को 55.50 करोड़ रु. की डीजल सब्सिडी अंतरित की गई है।

**खाद्यान्न क्रय योजना** : इस योजना को किसानों के निबंधन से लेकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) द्वारा खरीद और उसके बाद किसानों को उसके लिए न्यूनतम मूल्य के भुगतान तक के सारे पक्षों को पूरी तरह ऑनलाइन और स्वचालित बना दिया गया है। उल्लेखनीय विकास यह है कि किसानों के सत्यापन के लिए 2023 के खरीफ मौसम से बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की गई है जिसके कारण क्रय प्रक्रिया का व्यापक स्वचालन हुआ है जिससे प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है।

**बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाइ) के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण** : बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन निबंधन प्रणाली की शुरुआत से किसानों की पहुंच आसान हुई है जिससे उनके लिए आसानी से लाभ प्राप्त करने की गुंजाइश बनी है। मोबाइल क्षेत्र निरीक्षणों और आधार सक्षमित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी आई है जिससे सुनिश्चित हुआ है कि पात्र किसानों को अविलंब वित्तीय सहायता मिले।

**मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना** : मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कृषि उपकरणों की प्राप्ति में किसानों की सहायता के लिए एक मोबाइल ऍप विकसित किया गया है। यह ऍप उपकरणों को इलक्ट्रॉनिक माध्यम से किराए पर लेने में सक्षम बनाती है और किसानों को पैक्स से कृषि उपकरण किराए पर लेने के लिए बाधारहित और पहुंच लायक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह कदम कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए शारीरिक श्रम घटाने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है।

**सहकारिता न्यायालय सूचना प्रणाली** : इसे न्यायालयों में सहकारी समितियों से संबंधित मुकदमों के प्रबंधन को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रणाली से प्रक्रियाकरण संबंधी दक्षता, पारदर्शिता और गम्यता में जबर्दस्त सुधार हुआ है। मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन से बेहतर रिकॉर्ड-कीपिंग, समय पर अधिसूचना और सभी हितधारकों के लिए मुकदमों के विवरणों की आसानी उपलब्धता में मदद मिलती है। किसानों को तत्क्षण सूचना और शिकायत निवारण सेवाएं देने के लिए चौबीसो घंटे क्रियाशील सुगम कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जिससे त्वरित और कुशल सहायता सुनिश्चित होती है।

**ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली (ओसीएमएमएस)** : इसे सहमति (स्थापना सहमति और संचालन सहमति) लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और संबंधित अधिनियमों/ नियमों के तहत अधिकृतकरण/ निबंधन के लिए विकसित किया गया है। सबंधित सहमति/ अधिकृतकरण/ निबंधन इसी प्रणाली के जरिए स्वीकृत होता है। बोर्ड ने सीटीओ की दो स्वत:-नवीकरण प्रणालियां शुरू की हैं जो आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को सीटीओ का तत्काल नवीकरण उपलब्ध करा देता है। पर्यावरण अनुश्रवण रिपोर्ट भी बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती हैं। परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण राज्य में 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणालियों (सीएएक्यूएमएस) के जरिए किया जाता है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वरों से जुड़े हुए हैं। सबके देखने के लिए संबंधित आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वरों के जरिए और मोबाइल ऍप समीर के जरिए प्रसारित किए जाते हैं।

**पथ परिवहन क्षेत्र में ई-शासन** : क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय में समन्वय की समस्या दूर करने के लिए परिवहन विभाग ने डिजिटल शासन अपनाया है। इसके लिए की गई मुख्य पहलों में शामिल हैं : (1) एम-परिवहन, (2) डिजिलॉकर, (3) वाहन, (4) सारथी, (5) ओग्रास, (6) ऑनलाइन परमिट सेवाएं, (7) ऑनलाइन लाइसेंस सेवाएं (प्रदूषण केंद्र, फिटनेस केंद्र, पेट्रॉल पंप और मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान), तथा (8) ई-चालान प्रणाली।

**तालिका 7.3 : बिहार में ई-शासन के जरिए परिवहन क्षेत्र की उपलब्धियां**

| मुख्य सेवाएं | पहले प्रक्रिया का समय | अभी प्रक्रिया का समय |
|---|---|---|
| ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | 30-60 दिन | 5-10 दिन |
| वाहनों का निबंधन | 30-90 दिन | 1-3 दिन |
| परमिट जारी करना | 1 महीना-1 वर्ष | 1-30 दिन |
| कर संग्रहण | 1-7 दिन | ऑनलाइन |
| यातायात उल्लंघन के लिए चालान और जुर्माना जमा कराना | 7-30 दिन | ऑनलाइन |
| निबंधन प्रमाणपत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की सुपर्दगी | 7 दिन -3 महीने | स्पीडपोस्ट से |

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

**बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** : सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अन्य समारोहों के आयोजन के लिए बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा नवाचारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसे विभिन्न हितधारकों और कलाकारों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। बिहार में बेहतर पहुंच, सहयोग और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह प्लेटफॉर्म राज्य की तीन प्रमुख सांस्कृतिक अकादमियों - भारतीय नृत्य कला मंदिर, बिहार ललित कला अकादमी, और बिहार संगीत नाटक अकादमी के लिए एकीकृत केंद्र के बतौर काम करता है।

## 7.4 राजकोषीय शासन सक्षमीकरण

आर्थिक विकास कुशल राजकोषीय प्रबंधन पर अत्यधिक निर्भर होता है। व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) के लिए ठोस लोक वित्त प्रबंधन की जरूरत होती है और प्रौद्योगिकीय नवाचार इसकी प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार बजट नियोजन से लेकर उसके क्रियान्वयन तक के लिए सशक्त लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए काम करती है।

**व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस)** : व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली का आरंभ राज्य में लोक वित्त प्रबंध को मजबूती देने, ऐसे कार्यों का डिजिटीकरण करने, इलक्ट्रॉनिक लेनदेन को प्रोत्साहित करने, और इस प्रकार यह सुनिश्चत करने के लिए किया गया है कि सत्य का एक ही स्रोत है। प्रणाली में और नियामक तथा संस्थागत ढांचे की रिपोर्टिंग और कैलीब्रेशन में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण, अनुश्रवण तथा विश्वसनीयता का प्रावधान है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के कार्यालयों का युक्तिकरण किया गया है और उनकी संख्या 12,000 से घटाकर 8000 पर ले लाई गई है। अब बिल, वाउचर और भुगतान जमा करने के लिए कोषागार जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल हस्ताक्षर लेनदेनों के लिए कानूनन वैध है। वहीं, महालेखाकार इंटरफेस से तत्क्षण लेखापरीक्षा के प्रावधान के साथ कोषागार के लेखों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना संभव हो गया है। ऋण-पत्र (एलओसी) प्रणाली और चेक प्रणाली की जगह नियमित बजट आबंटन प्रणाली ने ले ली है। इसके चलते प्रमंडल कार्यालयों में समेकित कार्य लेखे, ऑनलाइन व्यय प्रबंधन और कोषागार द्वारा लेखाकरण, सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में मौजूद खाते से आहरण के कारण मिलान संबंधी मामलों में कमी, जीवन प्रमाण के समेकन से पेंशनधारियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र का ऑनलाइन समर्पण, और विलंब से बचने के लिए एनपीएस में अंशदानों का एनएसडीएल में ऑनलाइन समर्पण संभव हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर के साथ समेकन से लाभार्थी/ प्राप्तकर्ता के बैंक खातों में प्रत्यक्ष अंतरण के जरिए भुगतान में लगने वाला समय घट गया है इसलिए बार-बार कोषागार जाने की जरूरत खत्म हो गई है। दावों के प्रक्रियाकरण का समय 30-45 दिन से घटकर महज 3 दिन रह गया है।

सारे सरकारी खाते उत्तरोत्तर कोषागार के नियंत्रण में लाए जा रहे हैं जिसके कारण 6000 करोड़ रु. जमा करा दी गई। अप्रयुक्त नकद राशि सहित कम से कम अप्रयुक्त नकद राशि बचती है। ऑनलाइन बजट तैयार करने और बजट अनुमानों के अधिकृतीकरण के चलते बजट तैयार करने का समय 3-4 महीने से घटकर लगभग 1 महीना रह गया है। साथ ही, इससे समय पर बजट आबंटन में मदद मिलती है क्योंकि आबंटन/ उप-आबंटन के लिए बजट वित्तवर्ष के पहले दिन ही उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण आबंटन पंजी, व्यय पंजी, भुगतान पंजी आदि कई भौतिक पंजियों के संधारण की जरूरत खत्म हो गई। ऍप में लागू नियंत्रणों और जांचों के के कारण इससे छद्म कर्मचारियों/ पेंशनधारियों की पहचान करने में भी मदद मिली है। डेटा निर्माण/ संशोधन/विलोपण, रिकॉर्ड या विवरणों में संशोधन, नोट-शीट या अभ्युक्तियों की प्रविष्टि/ संशोधन, दस्तावेज अपलोड करना या हटाना आदि सहित हर कार्रवाई का अंकेक्षण पथ ऍप में संधारित रहता है। और इससे वित्तवर्ष के अंत में बजटों का ऑनलाइन समर्पण करने में भी मदद मिलती है।

वित्त विभाग क्रमशः पूर्णतः स्वचालित, कार्यप्रवाह-आधारित, और सर्व-समावेशी लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली की दिशा में बढ़ रहा है इसलिए विभाग ने सीएफएमएस 2.0 के जरिए जारी सीएफएमएस ऍप के स्थिरीकरण और संपोषण

के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है जिसमें मुख्यत: निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य शामिल होंगे : (1) पेंशनधारियों का डिजिटीकरण, (2) नकद (अर्थोपाय) तथा ऋण प्रबंधन, (3) राजस्व प्रबंधन, (4) लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली, (5) परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, (6) शिकायत प्रबंधन, (7) व्यवसाय सूचना/ ओएलएपी टूल्स, और (8) लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (एसएनए स्पर्श) समेकन।

इसके अलावा, सीएफएमएस 2.0, भारतीय रिजर्व बैंक और पीएफएमएस के बीच समेकन की गतिविधियां भी शुरू की गई हैं और इन्हें फरवरी 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास एसएलएस खाते खोलने के लिए महालेखाकार से अधिकृतीकरण प्राप्त हो गया है। भुगतान प्रक्रियाकरण के लिए सीएफएमएस में साइबर कोषागार का क्रियान्वयन हो गया है। क्रियान्वयन अभिकरण आदि से संबंधित विकास प्रगति पर है और इसे मार्च 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। साथ ही, वित्तीय क्षमता में सुधार और प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग कुशलता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग की सीएफएमएस ऍप के साथ मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), ई-लाभार्थी, एनपीसीआई, ई-केवाइसी आदि अनेक अन्य इंटरफेस शामिल करने की और राज्य में व्यय प्रबंधन का चौतरफा आच्छादन करने की योजना है।

**मूल्यवर्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमिस)** : वैटमिस वेब आधारित अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग को मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, विद्युत शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर और पेशाकर जैसे विभिन्न करों के प्रशासन के लिए समेकित कंप्यूटरीकृत समाधान उपलब्ध कराता है।

**वस्तु एवं सेवा कर एकल साइन-ऑन (जीएसटीएसएसओ)** : यह समेकित प्लेटफॉर्म है जिसे वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विभिन्न ऍप की पहुंच और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इस पर होस्ट किए गए मुख्य प्लेटफॉर्म जीएसटी प्राइम, कंप्रेहेंसिव ई-वे बिल एनालिटिक्स, ई-वे बिल एमआइएस, और ई-इनवायस एनालिटिक्स आदि हैं। इनमें से प्रत्येक कर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**वस्तु एवं सेवा कर विश्लेषण एवं सूचना नेटवर्क (गैन) पोर्टल** : पहले इसे बीफा पोर्टल के नाम से जाना जाता था। इसे वस्तु एवं सेवा कर सूचना महानिदेशालय (डीजीजीआइ), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए बीफा यूनिट-जीएसटीएन द्वारा विकसित किया गया है। आपूर्तिकर्ताओं के जरिल नेटवर्क को प्रदर्शित करने और संबंधित लेनदेनों का विश्लेषण करने की इसकी क्षमता के कारण इसके जरिए कर चोरी रोकने की बात सोची गई है। इस टूल का फोकस एरिया मुख्यत:, अंतराल विश्लेषण, नेटवर्क विश्लेषण, विसंगति की पहचान, असंगति अन्वेषण, राजस्व विश्लेषण और पूर्वानुमान संबंधी मॉडलिंग है।

**ई-स्टॉपिंग** : यह ई-स्टांप प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए नागरिकों को सुरक्षित इलक्ट्रॉनिक तरीके से ई-स्टॉपिंग की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार तैयार स्टांप प्रमाणपत्रों पर अद्वितीय पहचान संख्या होगी और सुरक्षा संबंधी विशेषताएं मौजूद होंगी जिससे धोखाधड़ी समाप्त हो जाएगी। नागरिक सेवाओं के अंग के बतौर और तेज तथा बाधामुक्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रणनीति के रूप में नए ई-निबंधन समाधान में ई-स्टॉपिंग की जरूरत होती है जो इस अनिवार्य प्रक्रिया को किसी पक्ष द्वारा किसी दस्तावेज/ संविधा के निष्पादन के दौरान सुविधाजनक बना देती है।

**ई-निबंधन**

जमीन की लेनदेन के लिए ई-निबंधन सुविधा लोगों के लिए 29 जुलाई 2024 से क्रमिक रूप से शुरू की गई थी जो अब राज्य के सभी 137 कार्यालयों में उपलब्ध है। इस पहल से लोगों के लिए अपने घरों से ही भूमि निबंधन के लिए आवेदन करने की गुंजाइश बनती है और वे अपनी जमीन की कीमत की स्वत: गणना कर सकते हैं। नए सॉफ्टवेयर से लोगों को अपने आवेदन की स्थिति संबंधी अपडेट, जमीन की श्रेणी की सूचना और उसके लिए देय शुल्क के बारे में तत्क्षण जानकारी मिल जाएगी। सिस्टम में संबद्ध पक्षों के लिए ई-केवाइसी (आधार आधारित प्रमाणन) की सुविधा भी शामिल है और यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है। जमीन की लेनदेन करने के व्यक्तियों को निंबंधन की प्रक्रिया में फोटोग्राफी कराने, उंगलियों के निशान देने और सहमति पर हस्ताक्षर करने के लिए सिर्फ एक बार निबंधन कार्यालय जाना होगा।

**संपत्ति कर प्रणाली** : यह मोबाइल और वेब आधारित ऍप है जो पटना नगर निगम में संपत्ति का मूल्यांकन करने, संपत्ति कर का भुगतान करने, भुगतान की रसीद निकालने और कर संग्रहण का अनुश्रवण करने के लिए डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसका उपयोग नागरिकों, नगर स्थानीय निकायों (यूएलबी) काउंटर और उसके क्षेत्रगत कर्मचारियों तथा प्रशासन द्वारा अपने विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसकी विशेषताओं में शामिल हैं : (1) निबंधन, लॉगइन और यूजर प्रोफाइल निर्माण, (2) संपत्ति के लिए मूल्यांकन दाखिल करना, (3) संपत्ति के लिए तलाशी करना, (4) संपत्ति के मामले में संशोधन करना, (5) डिमांड नोटिस निकालना, (6) भुगतान संग्रहण और प्राप्तियां, (7) डैशबोर्ड और रिपोर्ट, तथा (8) सामान्य विशेषताएं। यह ऑनलाइन भुगतान में मदद करता है।

## 7.5 लोक सेवा प्रदान में आसानी की व्यवस्था

**ई-शिक्षाकोष** : बिहार में शिक्षा मूल्यश्रृंखला विभिन्न बल्क डेटा के मामले में सूचना प्रणालियों के जरिए शाला सिद्धि, बेस्ट, यूडाइस+, और प्रत्यक्ष लाभांतरण के लिए ऑनलाइन मेधा सॉफ्ट प्लेटफॉर्म जैसी अनेक स्वतंत्र प्रणालियों पर चलती है। राज्य सरकार के पास विद्यालयों का सशक्त शासन और प्रभावी सेवा प्रदान सुनिश्चित करने के लिए ई-शिक्षाकोष नामक समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राज्य के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी प्रदान सुनिश्चित करने के लिहाज से सभी मुख्य मापदंडों के अनुश्रवण के लिए यह एकल केंद्रीकृत सक्रिय प्लेटफॉर्म के बतौर काम करता है। यह विद्यालयों और कई स्तरों पर शिक्षा अधिकारियों के मुद्दों और शिकायतों के समाधान के लिए दो-तरफा संवाद वाले मंच के बतौर भी काम करता है।

ई-शिक्षाकोष के अलग-अलग मॉड्यूल हैं : (1) मास्टर मॉड्यूल (राज्य, जिला, प्रखंड, गांव और पंचायतों के आंकड़ों के प्रबंधन के लिए), (2) विद्यालय प्रबंधन मॉड्यूल (शिक्षकों और विद्यार्थियों के विवरणों के प्रबंधन के लिए), (3) शिक्षक प्रबंधन मॉड्यूल (शिक्षक निबंधन एवं स्वीकृति, सेवा की स्थिति का अपडेट, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति और स्थानांतरण, औद्योगिक प्रशिक्षण, छुट्टी, प्रशिक्षण, तथा ऍप में सूचना प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट आदि विभिन्न उप-मॉड्यूल के प्रबंधन के लिए), (4) शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल (शिक्षकों और जनता को अपनी शिकायतें निर्बाधित कराने में मदद के लिए), (5) विद्यार्थी प्रबंधन मॉड्यूल (विद्यार्थियों के सभी शैक्षिक विवरणों, उपलब्धियों और प्रगति का संधारण एवं प्रबंधन), (6) उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल, (7) मध्याह्न भोजन

प्रबंधन मॉड्यूल (दैनिक मेनू में उपलब्ध सामग्रियों के विवरणों का संधारण एवं प्रबंधन), (8) समिति प्रबंधन मॉड्यूल (सदस्यों का विवरण, बैठक, समिति का पुनर्गठन, और बैंक विवरण जैसे विद्यालय समिति के सभी विवरणों का संधारण), (9) अनुदान एवं कोष प्रबंधन मॉड्यूल, (10) छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल, (11) अधिसूचना प्रबंधन मॉड्यूल, (12) ऑनलाइन मूल्यांकन एवं प्रश्न बैंक, (13) विद्यालय इनवेंट्री मॉड्यूल, (14) पुस्तकालय इनवेंट्री मॉड्यूल, (15) विद्यालय अनुश्रवण और (16) मोबाइल ऍप के जरिए सेल्फी आधारित शिक्षकों की हाजिरी।

**प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सॉफ्टवेयर :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का मुख्य फोकस पूरे देश में शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) और मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में कमी लाने और गर्भवती तथा बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने पर है। समेकित रिपोर्टिंग प्रणाली में सूचनाएं प्राप्त करना किसी भी साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आलोक में इस पोर्टल का विकास परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण सहित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित सारी सेवाओं पर जानकारी पाने के लिए किया गया है। यह ऍप प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर और प्रसवकालीन सेवाओं की समय से उपलब्धता और बच्चों की पूर्ण प्रतिरक्षण सेवाओं की ट्रैकिंग में मदद करता है। साथ ही, 16,868 एएनएम द्वारा टैब का उपयोग करके प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल पर तत्क्षण रिपोर्टिंग के लिए अनमोल ऍप का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से 79.29 प्रतिशत एएनएम अनमोल की सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। वर्ष 2024-25 में (अक्तूबर तक) आनुपातिक आधार पर 55.68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रजनन और 57.22 प्रतिशत बच्चों का बाल स्वास्थ्य पोर्टल पर निबंधन हुआ है।

**मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना (एमडीएचवाइ) :** इसे **भव्या** (बिहार सर्वोपयोगी स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना) के नाम से भी जाना जाता है। भव्या सर्वसुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के रोजमर्रे के काम में सहयोग करता है और रोगी के निबंधन से लेकर केंद्र से छोड़े जाने तक ओपीडी और आइपीडी के कार्यों को सुव्यवस्थित करता है। यह पूरे राज्य में मानकीकृत कार्यप्रवाह के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य पहलों का स्वचालन भी करता है। क्रियान्वित प्लेटफॉर्म में रोगी निबंधन, ओपीडी और आइपीडी प्रबंधन, डॉक्टरों की शिड्यूलिंग और रोस्टर प्रबंधन, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, तथा प्रयोगशाला सूचना मॉड्यूल जैसे 20 से भी अधिक अलग-अलग मॉड्यूल हैं और सभी के सभी पूरे राज्य में चालू हैं। इस प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त लीगेसी या अकेले-अकेले काम करने वाले मौजूदा ऍप के साथ भी समेकित किया गया है जिससे यह एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचएमआइएस) बन गया है। इससे इन स्वास्थ्य केंद्रों का काम ही नहीं, जिला/ राज्य कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) में उनके और चिकित्साकर्मियों के प्रदर्शन, क्षेत्र के स्वास्थ्य विवरण और परिणामों का भी अनुश्रवण होता है।

**गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली युक्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सॉफ्टवेयर :** इसका आरंभ 2017 में कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधा एवं सेवा कार्यक्रम के सभी पहलुओं का व्यवस्थित रूप से अनुश्रवण किया जाता है और फीडबैक का उपयोग कमियों को दूर करने में किया जाता है। साथ ही, इससे मोबाइल ऍप के जरिए प्रलेखित चापाकल स्थापन, और मरम्मत एवं रखरखाव गतिविधियों के सारांश की रिपोर्ट भी उपलब्ध हो जाती है।

**सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूचना प्रबंधन प्रणाली (एसएसपीमिस) :** यह वेब आधारित ऍप है जिसे संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की स्वीकृति प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है जिसमें हर लाभार्थी को जोड़ने,

हटाने तथा अद्वितीय पहचान कोड उपलब्ध कराने के जरिए समेकित करने का काम शामिल है जिसके कारण धनराशि का प्रभावी उपयोग हुआ है। इस ऍप का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लगभग एक करोड़ लाभार्थियों के लिए किया जा रहा है।

**ई-लाभार्थी पोर्टल** : सभी पेंशनधारकों का डेटाबेस ई-लाभार्थी पोर्टल पर संधारित होता है और इस पोर्टल से पीएफएमएस के जरिए मासिक प्रत्यक्ष लाभांतरण होता है। इससे 107.65 लाख पेंशनधारकों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

**ई-सुविधा पोर्टल** : ई-सुविधा पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि सम्मान योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ रोगी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह अनुदान योजना और अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना के तहत भुगतान किया जाता है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से उपलब्ध राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आंकड़े भी स्वीकार करके भुगतान के लिए राष्ट्रीय साामजिक सहायता कार्यक्रम की पेंशन प्रक्रियाकरण प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) को भेजे जाते हैं।

**पोषण ट्रैकर** : पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों के अंदर ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन की व्याप्ति की सक्रिय पहचान के लिए और पोषण सेवा प्रदान के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर नजर रखने के लिहाज से लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। इसकी विशेषताओं में ये शामिल हैं : (1) तत्क्षण रिकॉर्डिंग और अनुश्रवण, (2) दी गई सेवाएं (जैसे सूखा राशन और गर्म पका खाना, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण), (3) विकास संबंधी माप (ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन की व्याप्ति के पोषण संबंधी सूचकों का अनुश्रवण), (4) विद्यालय-पूर्व शिक्षा (शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा), तथा (5) गृह-भ्रमण चेतावनी।

**महिला पर्यवेक्षक और बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए आंगन ऍप** : इस ऍप का उपयोग महिला पर्यवेक्षकों (एलएस) और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट तत्काल एनआइसी के सर्वर पर आंगन के डैशबोर्ड पर अपलोड हो जाता है। इससे तत्क्षण आंकड़े मिल जाते हैं कि कितने आंगनवाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, कितनों में पूरक पोषाहार मिल रहा है, कितने बच्चे उपस्थित हैं, आदि। इसका उपयोग आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की हाजिरी दर्ज करने और पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी) के लिए की गई खरीद के वाउचर अपलोड करने के लिए भी किया जाता है। इसी उपस्थिति और अपलोड किए गए वाउचरों के आधार पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए उनका मानदेय मिलता है और पूरक पोषाहार कार्यक्रम की धनराशि आंगनवाड़ी विकास समिति के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति** : राज्य सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समाधानों की सहायता से ठोस जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रावधान करती है। राज्य में नागरिकों के लाभ के लिए जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार के लिए इस प्रणाली में कई मॉड्यूल शामिल हैं। ये मॉड्यूल हैं : उचित मूल्य की दूकान प्रबंधन प्रणाली (एफपीएसएमएस), राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस), नकद भुगतान, तराजू का ई-पॉस उपकरण के साथ समेकन, आधार-सक्षमित जन वितरण प्रणाली (एईपीडीएस), शिकायत निवारण प्रणाली, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी), आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, जीपीएस सक्षमित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली आदि। ई-पीडीएस का अवलोकन चार्ट 7.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 7.8 : ई-पीडीएस का अवलोकन

**बिहार लोक सेवाधिकार अधिनियम, 2011 :** पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवा प्रदान सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने अपने 2010 के सुशासन के एजेंडा में एक नंबर प्राथमिकता के रूप में नागरिकों को कानूनी अधिकार सूचीबद्ध किया था। अभी 14 विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की संख्या 153 तक पहुंच गई है। प्रणाली ने सुनिश्चित किया है कि नवंबर 2024 तक प्राप्त 42.31 करोड़ आवेदनों मे 42.11 करोड़ का निष्पादन कर दिया गया है।

**बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 :** अधिकांश शिकायत निवारण प्रणालियों में उसी संस्थान के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होते हैं जिसमें शिकायत पैदा होती है, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेने वाला प्राधिकार अनुपस्थित होता है। बिहार देश का पहला राज्य और बिहार सरकार संभवत: दुनिया की पहली सरकार है जिसने लोक शिकायत निवारण को कानूनी अधिकार माना है। हर नागरिक को नियत समय सीमा (60 कार्यदिवस) में अपनी शिकायत के निराकरण पाने का अधिकार है। अधिनियम के तहत राज्य के सभी 45 विभाग शामिल हैं। अर्ध-न्यायिक शक्ति वाले लोक शिकायत निवारण अधिकारियों (पीजीआरओ) का स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचा शिकायतों का संज्ञान लेता है। अधिनियम के क्रियान्वयन के समय से अब तक 16.75 लाख शिकायतों का निबंधन हुआ है और उनमें से 16.32 लाख का निष्पादन हुआ है।

**बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली :** इस प्रणाली में सेवा और सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई जिला और विभाग में नियत सेवा शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता और शिकायत निवारण के लिए जवबदेह अधिकारी की उपस्थिति में की जाती है और 60 कार्यदिवस की समय सीमा के अंदर निर्णय ले लिए जाते हैं। नवंबर 2024 तक इस प्रणाली के तहत 11,920 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और 10,983 शिकायतों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया है। शेष आवेदन सुनवाई और निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

**अपशिष्ट प्रबंधन** : पटना नगर निगम में कूड़ा इकट्ठा करने वाले सारे वाहन जीपीएस सक्षमित हैं। जीपीएस से कूड़ा इकट्ठा करने वाले वाहनों का सबसे छोटे और सबसे कुशल रास्ते पर चलना सुनिश्चित होता है जिससे समय और इंधन की बचत हो। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि ड्राइवर और मजदूर अपना काम विचलन या संसाधनों का दुरुपयोग किए बिना पूरा करते हैं। वाहन तेजी से स्वच्छता संबंधी शिकायतों को दूर कर सकते हैं या आपात सफाई कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम में कमी आती है। इससे अस्पताल, बाजार, और आवासीय क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समय से सफाई भी सुनिश्चित होती है।

## 7.6 आपात ई-सेवाएं

**आपदा प्रबंधन ट्रैकिंग और चेतावनी** : बिहार को ढेर सारी जोखिमों और झटकों का सामना करना पड़ता है। राहत केंद्र, सामुदायिक रसोईघर, स्वास्थ्य देखरेख, शीतलहर आश्रय आदि के जरिए बचाव और राहत संबंधी गतिविधियां चलाने के लिए दैनिक गतिविधियां दर्ज करने के लिहाज से आपात संचालन केंद्र (ईओसी) बहु-जोखिम पोर्टल विकसित किया गया है। विभाग और जिला स्तर पर डैशबोर्ड का उपयोग करके उचित अनुश्रवण करने के लिए ऐसी कार्रवाइयों की जियो-टैगिंग और फोटो को भी दर्ज किया जाता है। साथ ही, विभाग ने बाढ़ तत्परता स्कोर कार्ड भी विकसित किया है जो बाढ़-प्रवण जिलों और प्रखंडों में तत्परता के स्तर का समग्रता में अवलोकन उपलब्ध कराता है। हितधारक (नीतिनिर्माता, योजनाकार, क्रियान्वयन अधिकारी, शोधकर्ता, अकादमीशियन और समुदाय आधारित संगठन) बाढ़ की चरम घटनाओं और लोगों, संपत्तियों तथा आजीविका पर उनके प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं।

जन-जीवन पर बिजली गिरने के प्रभाव से बचने के लिए अर्थ-नेटवर्क वेब ऍप विकसित किया गया है जो सूचित अक्षांश और देशांतर के 20 किमी के दायरे में बिजली गिरने की आशंका के 30 से 45 मिनट पहले ही प्रखंड-वार चेतावनी जारी कर देता है। यह तत्क्षण गूगल लोकेशन के साथ काम करता है। अर्थ-नेटवर्क द्वारा बिजली गिरने की चेतावनी संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी और जिला प्रशासन/ जिला आपात कार्यसंचालन केंद्र (डीईओसी) को ईमेल के जरिए भेज दी जाती है। आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) द्वारा भी चेतावनी की प्रखंड-वार अधिसूचना पंचायत प्रतिनिधियों, प्रखंड विकास अधिकारियों, अंचलाधिकारियों, थाना प्रभारियों और जिला आपात कार्यसंचालन केंद्र के संबंधित अधिकारियों आदि को सी-डैक ईएसएमएस ऐप की सहायता से भेज दी जाती है। इस ऍप के अलावा भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आइएमडी) द्वारा विकसित सूचना एवं संवाद प्रौद्योगिकी समाधान इंद्रवज्र भी उपयोगकर्ताओं को तत्क्षण तड़ित चेतावनी उपलब्ध करा देता है। यह ऍप पिछले 30 मिनट और एक घंटे में बिजली गिरने की संख्या की भी जानकारी उपलब्ध करा देता है। कुल मिलाकर, इंद्रवज्र बिजली गिरने की अधिक घटना वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए उपयोगी साधन है जो समय पर चेतावनी और सुरक्षा मागर्दर्शन जारी कर देता है। इसके अलावा सचेत ऍप और पोर्टल भूकंप आने के पहले चेतावनी दे देता है और नुकसान में कमी या तत्परता के तरीके सुझाता है तथा आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता निर्माण भी करता है। यह भू-लक्षित स्थान आधारित प्रणाली के जरिए भी उपाय सुझाता है जिसमें लोगों को आने वाली आपदा के बारे में चेतावनी मिल जाती है। चेतावनी जारी करने वाले अभिकरणों द्वारा भेजी गई आपदा संबंधी चेतावनी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/ राज्य आपात कार्यसंचालन केंद्र/ सचेत पोर्टल को भेज दी जाती है जहां उचित प्रमाणन और सत्यापन के बाद उसे उस क्षेत्र की जनता के बीच फैला दिया जाता है जहां के लिए चेतावनी जारी की गई होती है।

**आपदा राहत एवं अवसंरचना पुनर्निर्माण :** राहत और बचाव संबंधी ट्रैकिंग के लिए आपदा राहत एवं बचाव टीम ट्रैकर प्रणाली विकसित की गई है। यह टीम के आवागमन और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि टीम ने मुख्यालय कब छोड़ा, बचाव का काम चल रहा है या पूरा हो गया, आदि। साथ ही, आपदा घटित होने के मामलों में पीड़ित के परिवारों को सहायता देने के लिए आपदा संपूर्ति पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग बाढ़-प्रवण और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की पूर्व-सत्यापित सूची संधारित करके आपदा से पीड़ित लोगों को कम से कम समय में मुआबजा देने के लिए किया जाता है। विपदा और आपदा प्रभावित परिवारों को 'सामुदायिक रसोई घर और आश्रयगृहों की जियोटैगिंग' के जरिए आपदा के दौरान सामुदायिक रसोईघर और आश्रयगृह उपलब्ध कराए जाते हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ईओसी रिपोर्टिंग ऍप के जरिए संसाधनों और अवसंरचना की क्षति की त्वरित रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस ऍप का उपयोग करके सरकारी अधिकारी जोखिमों द्वारा हुए नुकसानों और संबंधित जिला/प्रखंड में चलाई गई राहत गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं। अधिकारी घटना-स्थल से ही संसाधनों और संपत्तियों को हुई क्षति की जानकारी दे सकते हैं। वे प्रभावित लोगों या परिवारों को दी गई राहत के बारे में भी सूचना दे सकते हैं।

**निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) :** निर्णय समर्थन प्रणाली कुशल आपदा प्रबंधन के लिए वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इससे राज्य आपात कार्यसंचालन केंद्र (एसईओसी) और उत्तरदाताओं (रिस्पौंडर) और जिला आपात कार्यसंचालन केंद्र (डीईओसी) जैसी प्रशासनिक इकाइयों के बीच तत्क्षण आंकड़ों का आदान-प्रदान, संसाधन आबंटन और समन्वय संभव हो जाता है। यह क्षेत्र में हुई घटनाओं और मौजूद संसाधनों को तत्क्षण ट्रैक करके के लिए जीआइएस मैपिंग उपलब्ध कराता है और आपदा संबंधी अनुक्रियाओं के प्रबंधन में मदद करता है। इससे कागजी काम में कमी लाकर उत्तरदाताओं के लिए डिजिटल रूप से रिपोर्ट जमा करने की गुंजाइश बनती है। समग्रतः, निर्णय समर्थन प्रणाली से अनुक्रिया के समय में सुधार होता है और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय होता है।

**जल संसाधन विभाग योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली (डब्ल्यूएसआइएमएस) :** जल संसाधन विभाग योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली (डब्ल्यूएसआइएमएस) को विभाग की जारी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण के लिए तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए योजना निर्माण, स्वीकृति, निविदाकरण, कार्य सुपुर्दगी, कार्य संविदा, योजनाओं की भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति में शामिल गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। इसमें विकसित मॉड्यूल में प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति, बीओक्यू स्वीकृति, एवं संवेदक संबंधी विवरण, निविदा विवरण, कार्य संविदा, धनराशि आबंटन, भौतिक प्रगति प्रविष्टि, वित्तीय प्रगति प्रविष्टि, भौतिक प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शामिल हैं। जारी योजनाओं के लिए तिथि-वार और माह-वार रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

**बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग केंद्र (पीएमसी) :** विश्व बैंक-संपोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना की सहायता से सरकार बीरपुर में जल संसाधन विकास विभाग के तहत शोध एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के बतौर बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग केंद्र (पीएमसी) की स्थापना कर रही है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं : (1) नदियों

के द्रवीय गुणों का अध्ययन करना, (2) जलीय ढांचे और उसके प्रभाव का अध्ययन करना, (3) नदियों की आकारिकी के व्यवहार का अध्ययन करना, (4) बाढ़ संरक्षण और कटाव-रोधी कार्यों के लिए उपयुक्त परियोजनाएं तैयार करने में सहयोग देना, और (5) नदियों के अन्य जटिल व्यवहारों का अध्ययन करना। इसके कामकाज के विभिन्न घटकों में प्रशासिनक भवन, कार्यशाला और प्रयोगशाला, जल चक्रण प्रणाली, कोशी नदी का मॉडल, कोशी बराज का मॉडल, फोर मॉडल ट्रे और भंडार कक्ष शामिल हैं।

**तत्क्षण डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटीडैस)** : बिहार में तत्क्षण हाइड्रो-मेट (जल-मौसम) प्रणाली का लक्ष्य क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपायों का बेहतर प्रबंधन है जो राज्य में नदी प्रणाली के आसपास के स्थानीय लोगों और कृषि संबंधी हितों की रक्षा कर सकता है। प्रणाली का लक्ष्य बिहार में सिंचाई योजनाओं को सहयोग देना भी है। तत्क्षण आंकड़े प्राप्त करने के लिए आरटीडैस की स्थापना विश्व बैंक-संपोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना और विश्व बैंक के सहयोग वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना - राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत तत्क्षण संचार प्रणाली के जरिए हाइड्रो-मेट के आंकड़े पाने के लिए की गई है।

**बिहार तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (बीम्स)** : बीम्स जीआइएस-आधारित वेब पोर्टल है जिसके तहत तटबंध और उसकी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों (पुल, बाढ़-रोधी स्लूइस गेट आदि) को एकीकृत करके मास्टर मॉड्यल विकसित किया गया है। गंडक बेसिन के जल-मौसमवैज्ञानिक आंकड़ों को, जो बिहार की सारी नदी बेसिन के बीच सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, भविष्य में एकत्रित किया जाएगा और राज्य में सभी नदी बेसिनों के लिए समेकित तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। बीम्स का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और तटबंध तथा उनकी परिसंपत्तियों को बचाने के लिए बाढ़ से मुकाबले के काम के रखरखाव और अनुश्रवण में विभाग की मदद करना है। इसके 13 कार्यशील मॉड्यूल हैं : (1) परिसंपत्ति सूचना प्रणाली, (2) अभियंत्रण सूचना प्रणाली, (3) जल-मौसम विषयक सूचना प्रणाली, (4) बेसिन सूचना प्रणाली, (5) भंडार सामग्री सूचना प्रणाली, (6) विश्लेषण एवं नियोजन टूल, (7) अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, (8) सामुदायिक सहभागिता प्रणाली, (9) योजना अनुश्रवण प्रणाली, (10) बाढ़ जोखिम सूचना प्रणाली, (11) परिसंपत्ति अनुश्रवण प्रणाली, (12) डेटा संपादन प्रणाली, और (13) प्रशासनिक नियंत्रण प्रणाली।

**गणितीय मॉडलिंग केंद्र (एमएमसी)** : अभी गणितीय मॉडलिंग केंद्र में पांच नदियों - गंडक, बागमती-अधवारा, कोशी, महानंदा और गंगा के बेसिनों के लिए बरसात के मौसम (जून से अक्तूबर) के दौरान 72 से 120 घंटे पहले बाढ़ का पूर्वानुमान किया जाता है। गणितीय मॉडलिंग केंद्र ने अनेक अध्ययन भी किए हैं, जैसे 2019 में कमला तटबंध टूटने का अध्ययन, सिकरहट्टा-मंझारी निम्न बांध में स्पर के डिजाइन का अध्ययन आदि जिसके आधार पर परियोजना सूत्रबद्ध की गई है और जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वयन के अधीन है।

**बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल** : बाढ़ की चेतावनी, बाढ़ नियंत्रण योजना और पुनर्वास के लिए सटीक तथा विश्वसनीय पूर्वानुमान जरूरी होता है। गणितीय मॉडलिंग केंद्र की स्थापना के बाद उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के लिए बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए जल-स्तर और प्रवाह के लिहाज से बाढ़ पूर्वानुमान किया जा रहा है। बाढ़ पूर्वानुमान के ये मॉडल वर्षापात के आंकड़ों (देखे गए और पूर्वानुमानित), विभिन्न स्थानों पर देखे गए जल-स्तर और प्रवाह,

नदी की अनुप्रस्थ काट, वाष्पण के आंकड़ों, और अन्य जलवैज्ञानिक आंकड़ों का इनपुट के बतौर उपयोग करते हैं। गुणवत्तापूर्ण इनपुट के आधार पर बिहार में कार्यशील बाढ़ पूर्वानुमान मॉडलों का विकास जारी है।

**नदी व्यवहार विश्लेषण** : नदियों की विशेषताएं मुख्यत: भूआकृतिवैज्ञानिक विशिष्टताओं अर्थात किनारे और तल की सामग्री, क्षेत्र की ढाल, स्थलाकृति, भूविज्ञान, भूआकृति, विवर्तनिकी (टेक्टोनिक्स) और भूकंप-प्रवणता संबंधी विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। इसीलिए नदी संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान और जल संसाधन परियोजनाओं की सही से प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण के लिए नदी की आकारिकी और व्यवहार की गहराई से समझ होना जरूरी है। नदियों के व्यवहार के विश्लेषण के लिए टाइम-सीरीज की उपग्रहों की छवियां और ऐतिहासिक मानचित्र नदी के प्लानफॉर्म में बदलाव को समझने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कोशी नदी प्रणाली की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए नदी व्यवहार विश्लेषण टूल का विकास 2017 में किया गया था। उसके बाद से यह बाढ़ से सुरक्षा बरकरार रखने के लिए लक्षित नदी को साधने के कार्यों, और कटाव-रोधी नियंत्रण योजनाओं के लिए योजना निर्माण में मददगार है। अभी गंडक नदी के लिए नदी व्यवहार विश्लेषण टूल के विकास के लिए उसकी आकारिकी का अध्ययन चल रहा है।

**बिहार बाढ़ एवं सिंचाई त्वरित प्रतिक्रिया ई-प्रणाली (बेफिक्र) ऍप** : बेफिक्र वेब, टैब्लेट और स्मार्टफोन आधारित ऍप है जिसका विकास गणितीय मॉडलिंग केंद्र की पहल पर किया गया था। वर्ष 2023 में तैयार हुए यह ऍप बाढ़ और सिंचाई प्रबंधन के लिए अधिकारक्षेत्र आधारित सूचनाएं प्रदान करता है। यह विभागीय आरटीडैस (तत्क्षण आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली) और स्काडा के स्टेशनों जैसे स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके तत्क्षण चेतावनी जारी करता है, और जल-स्तर, जल संसाधन विभाग के पूर्वानुमानों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों पर मुख्य सूचनाएं प्रदान करता है। इस ऍप से अधिक कुशल निर्णय लेने के लिए सूचनाओं को दृष्टिगोचर करने पर फोकस के साथ अधिकारियों के लिए आंकड़ों की गम्यता बढ़ जाती है। कुल मिलाकर, इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ों के संभावित कारणों, और जल-प्लावनों से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना तथा उस क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के लिए योजना विकसित करना है। इसके लिए क्षेत्रगत सर्वे का काम पूरा हो गया है और मॉडलिंग का काम प्रगति पर है।

## 7.7 हरित पहलें

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कुशलता, पारदर्शिता और लोक संलग्नता बढ़ाने के लिए ई-शासन के अनेक उपाय अपनाए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और टिकाऊ विकास को सहयोग देने के लिए ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं।

**वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफमिस)** : यह प्रणाली वेब, जीआइएस और मोबाइल प्रौद्योगिकियों के समेकित उपयोग से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राज्य में वनीकरण, पौधशालाओं, संयुक्त वन प्रबंधन के तहत शामिल कल्याण योजनाओं, वन्य अपराधों, वन्य जीव गतिविधियों, लेखाकरण-बजट निर्माण, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणली और पारिस्थितिक पर्यटन विकास के प्रबंधन का सूक्ष्म-स्तरीय दृष्टिकोण है। परियोजना क्रियान्वयन का आच्छादान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 8 अंचलों, 28 प्रमंडलों और 110 रेंज कार्यालयों में हैं। विभाग द्वारा ई-शासन की अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित हैं।

चार्ट 7.9 : वन प्रबंधन सूचना प्रणाली की विशेषताएं

**बिहार-वनमित्र ऐप** : बिहार-वनमित्र ऐप उपयोगकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों के लिए वानिकी संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के लिहाज से सर्वसुविधा समाधान है। यह गड्ढा खोदने, पौधों के लिए अनुरोध और पौधरोपण स्थल प्रबंधन, वनीकरण को प्रोत्साहन तथा पर्यावरण की सुस्थिरता जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। यह ऐप सतत विकास के लिए नवाचारी कदम है जो राज्य के पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों में योगदान करते हुए वनीकरण के प्रयासों को अधिक कुशल और समावेशी बनाता है।

**पौधरोपण और पौधशाला अनुश्रवण के लिए वनऐप मोबाइल ऐप** : वर्ष 2019 में आरंभ के समय से ही यह मोबाइल ऐप पौधरोपण, पौधशाला, और मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) संबंधी गतिविधियों के ऑनलाइन समेकित अनुश्रवण को सक्षम बनाने में सहायक रहा है। पर्यवेक्षी अधिकारियों को सहायता देने के लिए विकसित यह ऐप वानिकी और संरक्षण परियोजनाओं के लिए तत्क्षण ट्रैकिंग और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

**बर्ड रिंगिंग मॉनीटरिंग सिस्टम (बीआरएमएस) मोबाइल ऐप** : बर्ड रिंगिंग मॉनीटरिंग सिस्टम (बीआरएमएस) मोबाइल ऐप प्रवासी पक्षियों की उत्तरजीविता, उत्पादकता, और आवागमन के पैटर्न पर फोकस के साथ उन पर महत्वपूर्ण आंकड़े संग्रहित करने के लिए 2023 में तैयार किया गया टूल है। यह पक्षियों की आबादी पर नजर रखने और संरक्षण रणनीतियां विकसि करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऐप टिकाऊ वन्यजीव प्रबंधन और पक्षी परितंत्र की गहरी समझ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

**पौधशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनमिस)** : पौधशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनमिस) संपर्क विवरण, पौधा इनवेंट्री, पौधशालाओं का क्षेत्रफल और अन्य कार्यशील आंकड़ों सहित पौधशालाओं के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए 2023 में तैयार किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे वनीकरण और हरित पहलों के लिए सुव्यवस्थित प्रबंधन, पारदर्शिता और बेहतर योजना निर्माण सुनिश्चित होता है। एनमिस से पौधशालाओं और उनकी परिसंपत्तियों के व्यापक डेटाबेस के संधारण में मदद मिलती है जिससे कुशल संसाधन आबंटन और उन्नत अनुश्रवण की क्षमता बढ़ती है। यह पौधों और पौधशाला संबंधी कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आंकड़ा आधारित

निर्णय लेने में सहयोग देता है। इससे पौधशाला प्रबंधन में ही सुधार नहीं होता है, संसाधनों का कुशल उपयोग और पौधरोपण प्रभावों के समय से अनुश्रवण सुनिश्चित करके वनीकरण कार्यों को भी मजबूती मिलती है।

**वनेतर भूमि प्रमाणपत्र/ वनक्षेत्र से दूरी का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऍप** : इस ऍप को 2022 में वनेतर भूमि प्रमाणपत्र और वनक्षेत्र से दूरी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया था। 'कार्य सुगमता' पहल के तहत विकसित यह ऍप व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सरल बनाता है जिससे भूमि उपयोग अनुमतियों और वन क्षेत्र की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित होती है।

**लकड़ी आधारित उद्योग के निबंधन के लिए वेब पोर्टल** : वर्ष 2022 में इस ऍप का विकास बिहार काष्ठ आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इच्छुक लकड़ी आधारित उद्योग में लगे व्यक्तियों और उद्यमों के निबंधन में मदद करने के लिए किया गया था। इस पहल से निबंधन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है और क्षेत्र के अंदर निवेश और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह ऍप टिकाऊ व्यवसाय परितंत्र विकसित करने, उद्योग संबंधी मानकों में वृद्धि करने तथा राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों में रोजगार पैदा करने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है।

**राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली (एनटीपीएस)** : राज्य ने 2023 में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली को इमारती लकड़ी और वन्य उत्पादों के सुगम तथा पारदर्शी परिवहन में मदद के लिए अपनाया। इस प्रणाली को अपनाने में देश का पांचवां राज्य बनकर राज्य ने वन शासन के आधुनिकीकरण और नियामक विलंबों में कमी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसे अपनाना डिजिटल शासन की दिशा में प्रगतिशील कदम को रेखांकित करता है जिससे सतत विकास को समर्थन देते हुए वन संसाधन प्रबंधन में कुशलता सुनिश्चित होती है।

**ई-परिवेश पोर्टल : ई-परिवेश** (संवादमूलक एवं सद्गुणी पर्यावरणीय एकल विंडो केंद्र द्वारा सक्रिय और अनुक्रियाशील सुगमीकरण) पोर्टल पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। यह पर्यावरण, वन, वन्यजीव, और समुद्रतटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) संबंधी अनापत्तियों से संबंधित आवदेनों की प्रस्तुति, प्रक्रियाकरण, और अनुश्रवण के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का काम करता है।

**पारिस्थितिक पर्यटन के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली** : वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पटना चिड़ियाखाना, राजगिर जू सफारी, और राजगिर नेचर सफारी जैसे पारिस्थितिक पर्यटन-स्थलों के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे आगंतुकों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने में मदद के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आगंतुकों का अनुभव समृद्ध करना, संचालन दक्षता में सुधार लाना, और पर्यावरण हितैषी पर्यटन कार्यों को सहयोग देना है।

**वन विभाग में ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)** : वन विभाग में ग्राहक संबंध प्रबंधन की शुरुआत 2021 में हुई। इसमें जनता के साथ संवाद के प्रबंधन और वृद्धि के लिए ढांचाबद्ध प्रक्रियाओं और आंकड़ा विश्लेषण का उपयोग करना शामिल है। बड़े डेटासेट का विश्लेषण करके यह संलग्नता सुधारने में विभाग की मदद करता है, जनता की चिंताओं का समाधान करता है, और वन संरक्षण, वनीकरण कार्यक्रमों तथा पर्यावरण संबंधी जागरूकता से संबंधित कुशल सेवा प्रदान सुनिश्चित करता है।

---

# अध्याय – 8

# विद्युत क्षेत्र


**सारांश**

*ऊर्जा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार में घरों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य 2018 में ही हासिल हो गया था, और तब से राज्य में उपभोक्ता आधार और बिजली की मांग, दोनो में काफी वृद्धि दिखी है। उपभोक्ता आधार बढ़कर अब 2.12 करोड़ पहुंच गया है जबकि 2024 में बिजली की चरम मांग 8005 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हाल के वर्षों में राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में भी काफी वृद्धि हुई जो 2012–13 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2023–24 में 363 किवा आवर हो गई। आर्थिक रूप से भी बिहार ने काफी प्रगति की है और सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास 2012–13 के 45.41 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 19.94 प्रतिशत रह गया जो विद्युत मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत तय लक्ष्य से भी कम है। वहीं, केंद्र सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षेत्र में राज्य नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आने वाले वर्षों में 1 गीगावाट नवीकरणीय बिजली विकसित करने की योजना है। साथ ही, विद्युत संचरण नेटवर्क में सतत अवसंरचनात्मक विकास हुआ है। ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या 2005 के 45 से बढ़कर 2024 में 179 हो गई जबकि संचरण लाइनों की लंबाई 2005 के 5000 सर्किट किमी से बढ़कर 2024 में 20,393 सर्किट किमी हो गई। वहीं, 'मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना' जैसी राज्य सरकार की योजना के तहत बिजली के ग्रामीण लोड का प्रबंधन करने की योजना है।*


## 8.1 बिहार में विद्युत क्षेत्र का अवलोकन

ऊर्जा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का मूल अवयव है। यह सतत विकास को समर्थन देने वाली अवसंरचना स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिजली इस ग्रह पर ऊर्जा का सबसे किफायती, पर्यावरण हितैषी, तत्काल उपलब्ध, और आसानी से परिवहनीय स्रोत है जिसका पर्यावरण पर बहुत कम प्रतिकूल प्रभाव होता है। फलतः, बिजली की पर्याप्त और निर्भरता योग्य आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य फोकस बना हुआ है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 के तहत 2012 में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पांच अलग-अलग कंपनियों में विभाजन के बाद राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में काफी सुधार दिखा है।

साथ ही, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनेक गतिविधियों के कारण नए नेटवर्क के निर्माण और वर्तमान नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की नई परियोनजाओं से विद्युत अधिसंरचना का सफलतापूर्वक सुदृढ़ीकरण हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के नए साधनों का लाभ उठाने और अपने सूक्ष्म-स्तरीय अनुश्रवण प्रणालियों के आधुनिकीकरण के चलते वितरण नेटवर्क पर राज्य के नियंत्रण में सुधार हुआ है। फलतः, राज्य के शहरी क्षेत्रों में अब लगभग चौबीसो घंटे बिजली की आपूर्ति होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 22 घंटे बिजली मिलती है।

हाल के वर्षों में राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत भी काफी बढ़ी है जो 2012–13 के 134 किलोवाट आवर से 2023–24 में 363 किवा आवर पहुंच गई है। वित्तीय रूप से भी बिहार में काफी प्रगति हुई है और सकल

तकनीकी एवं व्यावसायिक (एटी एंड सी) ह्रास 2012-13 के 45.41 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 21.74 प्रतिशत रह गया जो विद्युत मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत तय लक्ष्यों से भी नीचे है।

केंद्र सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस बीच संचरण अधिसंरचना का विकास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की, खास कर नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में लगभग 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने की योजना है। राज्य में जल-जीवन-हरियाली मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत सरकारी भवनों की छतों पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। बिहार का जनसंख्या घनत्व देश में सर्वाधिक है जिसके कारण यहां जमीन की कमी है। जो जमीन उपलब्ध भी है वह या तो बहुत उपजाऊ है और उस पर खेती हो रही है या फिर जल जमाव-ग्रस्त है। झारखंड के सीमावर्ती छोटे हिस्से में ही सौर ऊर्जा का उत्पादन व्यवहार्य है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में तैरते (फ्लोटिंग) सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास किया जा रहा है। सरकार मूल्य-शृंखला के सभी पहलुओं को देख रही है लेकिन उपभोक्ता हर चीज के केंद्र में हैं। ध्यान गुणवत्ता और चौबीसो घंटे बिजली आपूर्ति के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने पर है।

सतत विद्युत उपलब्धता की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता विद्युत संचरण नेटवर्क के सतत अवसंरचना विकास से स्पष्ट है। राज्य में ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या 2005 के 45 से बढ़कर अक्तूबर 2024 तक 170 हो गई जबकि संचरण लाइनों का विस्तार 2005 के 5000 सर्किट किमी से 2024 में 20,393 सर्किट किमी तक हो गया। इन विकासों के कारण बढ़ती आबादी और उद्योगों की मांग पूरी करने के लिए बिजली की विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और सतत उपलब्धता के लिए मजबूत बुनियाद तैयार हुई है।

हाल में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) को अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए 2024 में 'सीएसआर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ द ईयर' श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित वैश्विक सीएसआर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ जिसका आयोजन ग्लोबल इनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने किया था। बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) को भी राज्य लोक डिस्पैच केंद्र (एसएलडीसी) में 'समस्त' परियोजना के अग्रणी भूमिका निभाने के कारण विद्युत एवं ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं, बिहार के राज्य लोड डिस्पैच केंद्र को नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बिहार में विद्युत प्रणाली में समेकित संचालन सुनिश्चित करने में उत्कृष्टता और असाधारण योगदान के लिए तृतीय एलडीसी एक्सैलेंस अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ।

बिहार का राज्य लोड डिस्पैच केंद्र (एसएलडीसी) अगली पीढ़ी का साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने वाले पहले राज्य लोक डिस्पैच केंद्रों में से एक है। हाल में बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) ने 'समाधान', 'संपूर्ण' और 'समीक्षा' पोर्टलों के जरिए बिजली की खरीद, ऊर्जा लेखाकरण और राजस्व वृद्धि की स्थिति के समुचित अनुश्रवण के लिए अनेक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस) पोर्टलों

का आरंभ किया है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक बनाने के क्रम में सोशल मीडिया पहल ''वोल्टेज भैया-बिजली दीदी'' को भी पुरस्कृत किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना (एमकेवीएसवाइ) के जरिए कृषि क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना के विकास पर फोकस के साथ राज्य सरकार ने कृषि रोडमैप को लगातार लागू किया है और योजना के दो चरणों में किसानों को 2.37 लाख कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही, राज्य में कृषि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 5.42 लाख पहुंच गई है। कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की आपूर्ति भी बहुत सब्सिडीशुदा दर पर की जा रही है जो अभी 0.55 रु. प्रति किवा आवर (92 प्रतिशत) है। इसके कारण कृषि उत्पादों की लागत घटी है और किसानों का प्रत्यक्ष लाभ बढ़ा है।

अनेक ग्रिड उप-केंद्रों और संचरण लाइनों का निर्माण करके संचरण क्षेत्र ने वितरण क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना के गहन विकास और उन्नति को सहायता प्रदान की है। इसलिए राज्य विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या काफी बढ़ाने और 2024-25 में (सितंबर 2024 तक) 8005 मेगवाट की सर्वोच्च चरम मांग पूरी करने में सफल रहा है। आपूर्ति के घंटों में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ गई है।

उपभोक्ताओं की संतुष्टि राज्य के लिए शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है। राजस्व प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण विभाग के लिए बड़े उपभोक्ता आधार की प्रभावी ढंग से सेवा करने की गुंजाइश बनी है। एक प्रगतिशील कदम के दौरान राज्य सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड आधार पर स्मार्ट मीटर लगाने का विकल्प चुना। यह पहल देश में पहली बार की गई थी और सकारात्मक परिणामों के बाद इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने की योजना चल रही है।

## 8.2 विद्युत क्षेत्र का सांगठनिक ढांचा

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) का गठन मूलत: अप्रील 1958 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था और उसे राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया गया जो 1 नवंबर 2012 से प्रभावी है -

(1) बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.),

(2) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.जी.सी.एल.),

(3) बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल.),

(4) उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एन.बी.पी.डी.सी.एल.), और

(5) दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एस.बी.पी.डी.सी.एल.)।

इन नवगठित कंपनियों के दायित्व संक्षेप में नीचे वर्णित हैं।

चार्ट 8.1 : विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा

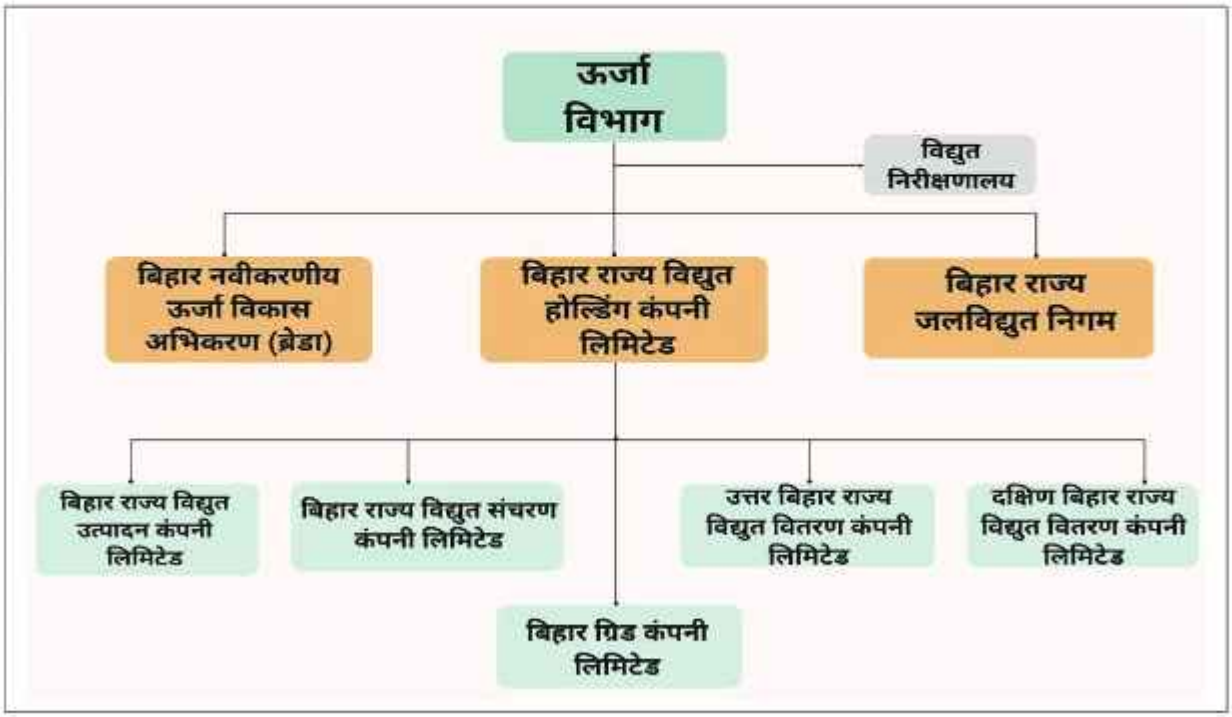


### बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.)

यह कंपनी मुख्यत: निवेश कंपनी रही है। अब इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियां, संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। यह अन्य कंपनियों के कार्यों का समन्वय करती है, विवादों का निपटारा करती है और उन्हें सारे आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराती है। नवगठित और पुनर्गठित चार कंपनियों के शेयरों का स्वामित्व इसी के पास है। ये कंपनियां हैं –

(1) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड,

(2) बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड,

(3) दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और

(4) उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

### बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (बी.एस.पी.जी.सी.एल.)

यह कंपनी बिजली का उत्पादन और आपूर्ति करने तथा बिजली की खरीद, उत्पादन, व्यापार या बिजली संबंधी अन्य काम करने और बिजली के उत्पादन, वितरण या व्यापार में लगी कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के साथ विद्युत उत्पादन केंद्रों के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित सारे मामलों में समन्वय करने के लिए जवाबदेह है। यह कंपनी विद्युत उप-केंद्रों सहित बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, परियोजना से जुड़ी लाइनों और उनसे संबंधित सारी चीजों के अधिग्रहण, स्थापना, निर्माण, संचालन, प्रबंधन, क्रय, विक्रय, अनुरक्षण, जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और उपयोग के लिए भी जवाबदेह है।

### बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (बी.एस.पी.टी.सी.एल.)

यह कंपनी विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण संबंधी परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। इस कंपनी से योजना निर्माण और समन्वय

संबंधी कार्यों के अलावा, बिजली के लिए राज्य के अंदर संचरण लाइनों की कुशल व्यवस्था विकसित करने और उत्पादन केंद्रों से लोड केंद्रों को जोड़ने की भी आशा की जाती है।

**उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (एस. बी.पी.डी.सी.एल.)**

ये दोनो कंपनियां सभी उपभोक्ताओं तक बिजली के वितरण और बिजली के व्यापार का काम करती हैं। ये कंपनियां दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना), विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम, राज्य योजना और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करती है। इनमें से अंतिम योजना बाहरी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) है। विद्युत अधिनियम, 2003 और नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार वितरण क्षेत्र में खुली उपलब्धता शुरू करने का काम भी इन दोनो कंपनियों का दायित्व है। वे बिजली की खरीद या बिक्री के लिए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) और अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करती हैं, उन्हें अंतिम रूप देती हैं और निष्पादित करती हैं।

बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. और इसकी सहायक कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 2023-24 में 1586.52 करोड़ रु. था। राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के तहत 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' से संबंधित नया कदम उठाने के कारण भी योजना के लिए 2021-22 से हर साल 300.00 करोड़ रु. आबंटित किए जा रहे हैं। विभिन्न शीर्षों के तहत आबंटित रकम का ब्योरा तालिका 8.1 में प्रस्तुत है।

**तालिका 8.1 : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन (2016-17 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| श्रेणियां | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि | 1329.4 | 2600.0 | 2013.8 | 1391.3 | — | — | 489.9 | — |
| **राज्य योजना** | | | | | | | | |
| बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कं. लि. | 127.5 | 1576.1 | 1399.1 | 1989.0 | 371.4 | 240.0 | 386.6 | 200 |
| उत्पादन | 1155.0 | 592.5 | 61.9 | 3.5 | — | — | — | — |
| संचरण | 700.0 | 510.0 | 500.0 | 325.0 | 150.0 | 190.0 | 1320.7 | 336.52 |
| वितरण | 3126.7 | 1680.0 | 1450.0 | 768.5 | 643.6 | 700.0 | 900.0 | 680.0 |
| ब्रेडा | 150.0 | 249.9 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| बिहार राज्य जल विद्युत निगम | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 14.1 | 10.0 | 20.0 |
| बिहार राज्य जल विद्युत निगम (ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष) | 67.8 | 67.8 | 5.8 | 5.8 | 10.0 | — | 10.0 | — |
| बाहरी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं | 260.9 | 235.3 | 100.0 | — | — | — | — | — |
| मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना | 587.4 | 750.0 | 560.0 | — | — | — | — | — |
| हर खेत तक सिंचाई का पानी (सात निश्चय-2) | | | | | — | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| **योगफल** | **7514.6** | **8271.6** | **6185.6** | **4583.1** | **1210.0** | **1494.1** | **3467.2** | **1586.52** |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## 8.3 बिजली की मांग और आपूर्ति

विद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है। गत दशक में बिजली की मांग लगातार बढ़ी है। बिजली की मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग शत-प्रतिशत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है इसलिए ऊर्जा की कमी लगातार घट रही है। राज्य सरकार ने 2022-23 में वस्तुतः 403.4 करोड़ रु. का विद्युत अधिशेष दर्ज किया था। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग 2017-18 से 1.4 गुनी बढ़ी जबकि बिजली की आपूर्ति इस अवधि में 1.5 गुनी बढ़ गई। चार्ट 8.2 में बिजली की मांग और आपूर्ति का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है जबकि चार्ट 8.3 में राज्य में बिजली की कमी या अधिशेष का रुझान दर्शाया गया है।

**चार्ट 8.2 : ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का परिदृश्य (मेगा यूनिट में)**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 8.3 : बिहार में विद्युत क्षेत्र में कमी/ अधिशेष का परिदृश्य (मेगा यूनिट में)**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012 के 134 किवा आवर से बढ़कर 2024 में 363 किवा आवर हो गई। गत 12 वर्षों में इसमें 229 किवा आवर की वृद्धि दर्ज हुई है। इसका साल-दर-साल का रुझान चार्ट 8.4 में प्रस्तुत है। बिहार में 2021-22 में बिजली की औसत उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में 23.1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.1 घंटे

थी। अभी शहरी क्षेत्रों में 23-24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21-22 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ऊर्जा की खपत के जिलावार आंकड़े तालिका प 8.1 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**चार्ट 8.4 : बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि (किलोवाट आवर में)**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## ऊर्जा की भावी मांग

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की मांग काफी अधिक है और बिजली की कुल खपत में इसका 41 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान किया गया है। वहीं, कृषि कनेक्शनों का ऊर्जा की खपत में 13 प्रतिशत अनुमानित हिस्सा है जबकि शेष 46 प्रतिशत बिजली गैर-घरेलू (जैसे औद्योगिक, व्यावसायिक आदि) उपभोक्ताओं को दी जाती है। चार्ट 8.5 में 2025-26 के लिए राज्य में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ के बीच ऊर्जा की जरूरत का अनुमान दर्शाया गया है।

**चार्ट 8.5 : उपभोक्ताओं के प्रकार के अनुसार ऊर्जा की जरूरत (2025-26)**

(आंकड़े मेगा यूनिट में)

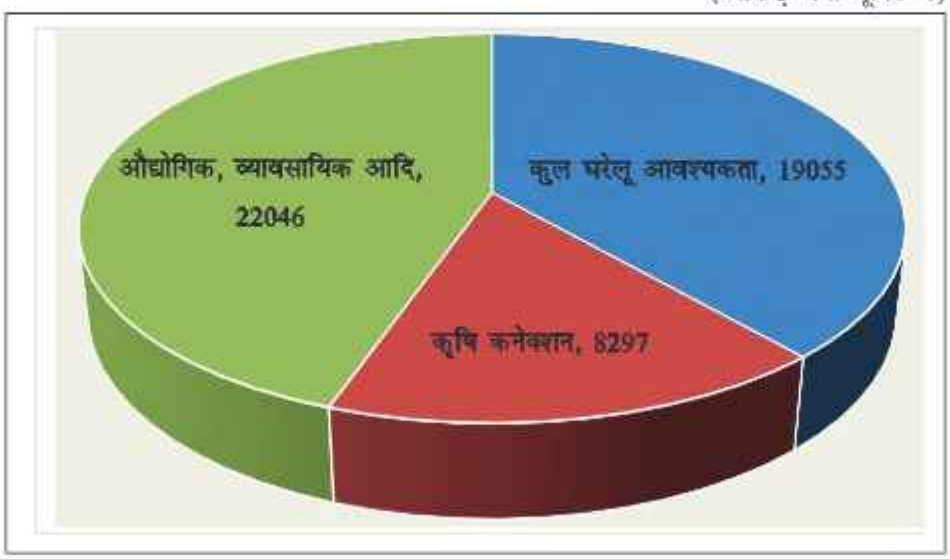


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## राज्य के दायरे में बिजली की मांग

वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए अनुमानित वार्षिक मांग तालिका 8.2 में प्रस्तुत है जिसमें राज्य के अंदर संचरण एवं वितरण जनित ह्रासों को ध्यान में रखकर ऊर्जा की जरूरत का अनुमान किया गया है। राज्य में 2024-25 के लिए ऊर्जा की अनुमानित मांग 4943.8 करोड़ यूनिट थी जो 9.1 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 5392.0 करोड़ यूनिट हो जाने का अनुमान है।

**तालिका 8.2 : राज्य की सीमा में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग**

| सूचक | ऊर्जा की जरूरत | | चरम मांग | | वितरण जनित ह्रास (प्रतिशत) | राज्य के अंदर संचरण जनित ह्रास (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मांग के अनुमान के अनुसार (करोड़ यूनिट) | राज्य की सीमा में (करोड़ यूनिट) | 0.734 लोड फैक्टर पर (मेगावाट) | 0.734 लोड फैक्टर पर (मेगावाट) (50% तक कृषि लोड सहित) | | |
| 2024-25 | 4943.8 | 4853.9 | 8908 | 8670 | 16.17 | 3.0 |
| 2025-26 | 5392.0 | 5242.8 | 9743 | 9483 | 15.00 | 3.0 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## विद्युत उत्पादन के स्रोत

वर्ष 2024-25 में विभिन्न स्रोतों से कुल 12,058 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है। बिजली की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 2025-26 में विभिन्न स्रोतों से 1112 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई है (तालिका 8.3)। ये स्रोत हैं - राज्य के उत्पादन केंद्र (एसजीएस), केंद्रीय उत्पादन केंद्र (सीजीएस), नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरएनईएस) और प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए दीर्घकालिक/ मध्यकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए)। बिजली की अतिरिक्त क्षमता या तो नई परियोजनाओं से उपलब्ध होगी या निर्माणाधीन परियोजनाओं से, अथवा उन पुरानी परियोजनाओं से जिनके जीर्णोद्धार की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2024-2025 से 2025-26 तक बिजली और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता चार्ट 8.6 में प्रस्तुत है।

**तालिका 8.3 : क्षमता विस्तार का स्रोत-वार ब्योरा**

(आंकड़े मेगावाट में)

| स्रोत | राजकीय उत्पादन केंद्र की छोटी जलविद्युत इकाइयां | केंद्रीय उत्पादन केंद्र अपारंपरिक ऊर्जा/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सोलर आदि) | केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) में हिस्सा | | | | | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तापविद्युत | जलविद्युत | स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजनाएं (केस 1) | अपारंपरिक/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सौर) | अपारंपरिक/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (पवन) | |
| 2024-25 | 54 | 236 | 7475 | 771 | 488 | 2130 | 699 | 11833 |
| 2025-26 | 54 | 236 | 8459 | 771 | 488 | 2730 | 699 | 13437 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.6 : स्रोत के अनुसार ऊर्जा की संरचना (प्रतिशत में)

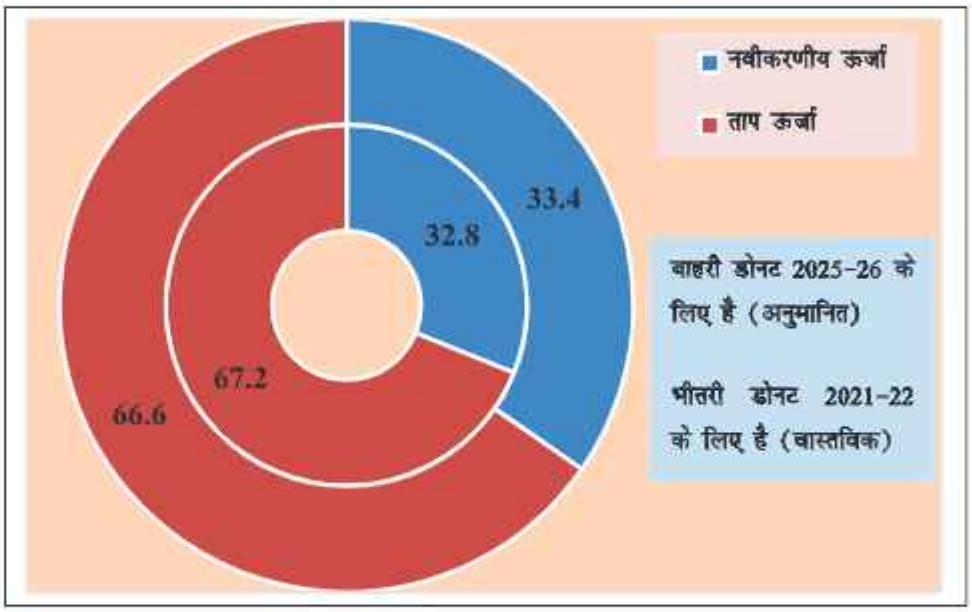


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## ऊर्जा की भावी उपलब्धता

आगामी वर्षों में बिजली की मांग और आपूर्ति को नीतिगत नजरिए से देखना महत्वपूर्ण है। जैसा कि तालिका 8.4 में दर्शाया गया है, राज्य उत्पादन योजना के अनुसार अनुमानित चरम उपलब्धता अनुमानित चरम मांग से 2024-25 में 7.1 प्रतिशत और 2025-26 में 15.1 प्रतिशत कम होगी। हालांकि राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित मांग के अनुसार, 2024-25 में 14.3 प्रतिशत और 2025-26 में 6.3 प्रतिशत अधिशेष ऊर्जा उपलब्ध होगी। चरम मांग के दौरान उपलब्धता की कमी की पूर्ति की भरपाई ऊर्जा विनिमय केंद्र से अतिरिक्त बिजली खरीदकर की जाएगी।

**तालिका 8.4 : विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी**

| विद्युत आपूर्ति की स्थिति | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|
| मात्र 50 प्रतिशत कृषिगत लोड के साथ अनुमानित चरम आवश्यकता (मेगावाट) | 8670 | 9483 |
| राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट) | 7157 | 7463 |
| चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (मेगावाट) | (-) 1513 | (-) 2020 |
| चरम मांग अधिशेष/ कमी (प्रतिशत) | (-) 17.5 | (-) 21.3 |
| राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता (करोड़ यूनिट) | 5569.0 | 5991.2 |
| राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट) | 6367.7 | 6367.7 |
| चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (करोड़ यूनिट) | (+) 798.7 | (+) 376.5 |
| चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (प्रतिशत) | (+)14.3 | (+) 6.3 |

टिप्पणी : 50% कृषिगत लोड की आपूर्ति बारी-बारी से की जाएगी।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## 8.4 उत्पादन

ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है – पारंपरिक जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है और उसका नवीकरण नहीं किया जा सकता, और अपारंपरिक जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है। दोनो के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

### क. पारंपरिक (तापविद्युत)

राज्य सरकार की तीन विद्युत उत्पादन इकाइयों – बरौनी तापविद्युत केंद्र (बीटीपीएस), कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) और नबीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एनपीजीसीएल) को राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन व्यय में कमी के लिए राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को सौंप दिया गया है। वहीं, दो और विद्युत उत्पादन इकाइयों – नबीनगर तापविद्युत संयंत्र (चरण-2) और बक्सर तापविद्युत परियोजना – का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**बरौनी तापविद्युत केंद्र (बीटीपीएस) :** बरौनी तापविद्युत केंद्र में 9 अलग-अलग इकाइयां हैं। उनमें से 5 इकाइयों का कार्यकारी जीवनकाल समाप्त हो चुका है और वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। 110 मेगावाट की इकाई संख्या 7 द्वारा 2016 से ही बिजली उत्पादन किया जा रहा है। 250 मेगावाट की इकाई सं. 8 मार्च 2020 से काम कर रही है। और 250 मेगावाट की इकाई सं. 9 द्वारा नवंबर 2021 से और जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा होने के बाद 110 मेगावाट क्षमता की इकाई सं. 6 में जून 2022 से चालू हैं। सातवीं और आठवीं इकाइयों को 31 मार्च, 2024 से बंद कर दिया गया है।

**कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल) :** कांटी बिजली उत्पादन निगम पहले राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम था जिनका इसकी इक्विटी में 65:35 अनुपात में हिस्सा था। उसकी 110-110 मेगावाट की दो इकाइयों का जीवनकाल समाप्त हो चुका है और वे उपयोग में नहीं हैं और उनसे बिजली खरीद का समझौता 7 सितंबर 2021 से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन 195-195 मेगावाट की दो नई इकाइयों (इकाई 3 और 4) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उनमें बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।

**नबीनगर संयंत्र (प्रथम चरण) :** नबीनगर विद्युत उत्पादन निगम आरंभ में राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम था जिनका इसकी इक्विटी में 50:50 अनुपात में हिस्सा था। बाद में राज्य सरकार ने अपने शेयर राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिए और अब यह राष्ट्रीय तापविद्युत निगम के पूर्ण स्वामित्व में है। व्यावसायिक उत्पादन तिथि (सीओडी) 660 मेगावाट की इकाई सं. 1 के लिए सितंबर 2019 में और 660 मेगावाट की इकाई सं. 2 के लिए जुलाई 2021 में घोषित थी। उसके बाद 660 मेगावाट की तीसरी इकाई में जून 2022 से उत्पादन शुरू हो गया है। वहीं, नबीनगर दूसरे चरण के तहत 800 मेगावाट की तीन इकाइयां (कुल 2400 मेगावाट) लगाने की योजना है। बिहार को नए संयंत्र से 1500 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है।

विगत वर्षों के दौरान राज्य में बिजली की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि दिखी है। मार्च 2023 में राज्य में बिजली कुल निबद्ध (टाइड) क्षमता 9234 मेगावाट की थी जो 3.35 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2024 में 9543 मेगावाट हो गई। बिहार में विद्यमान उत्पादन क्षमता का ब्योरा तालिका 8.5 में प्रस्तुत है।

**तालिका 8.5 : विद्यमान निबद्ध क्षमता (2023 और 2024)**

| स्वामित्व | मार्च 2023 (आंकड़े मेगावाट में) | | | | मार्च 2024 (आंकड़े मेगावाट में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | तापविद्युत (कोयला) | जलविद्युत (नवी.) | नवी. ऊर्जा स्रोत * | कुल योगफल | तापविद्युत (कोयला) | जलविद्युत (नवी.) | नवी. ऊर्जा स्रोत * | कुल योगफल |
| राज्य | 0 | 54 | 242 | 296 | 0 | 54 | 202 | 256 |
| निजी/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादक | 488 | 0 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 488 |
| केंद्र | 6220 | 771 | 1459 | 8450 | 6426 | 771 | 1602 | 8799 |
| **योगफल** | **6708** | **825** | **1701** | **9234** | **6914** | **825** | **1804** | **9543** |

टिप्पणी : नवी. = नवीकरणीय, * नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

बिहार को बिजली की आपूर्ति करने वाली केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन इकाइयां राज्य में या आसपास के राज्यों में अवस्थित हैं। इन विद्यमान और योजनाधीन उत्पादन इकाइयों का ब्योरा तालिका प 8.2 (परिशिष्ट) में दिया गया है।

बिजली की वर्तमान और भावी मांगों की पूर्ति के लिए बिहार में निम्नलिखित तापविद्युत परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं :

**बक्सर में विद्युत परियोजना :** बक्सर जिले के चौसा में 660-660 मेगावाट की 2 इकाइयों वाली ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलज जलविद्युत निगम लि. क्रियान्वयन अभिकरण है। इसका शिलान्यास मार्च 2019 में किया गया था। इसका काम प्रगति पर है और पहली इकाई 2024-25 में शुरू हो जाने की आशा है। दूसरी इकाई के 2025-26 में तैयार हो जाने की संभावना है। विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) के अनुसार, बिहार की विद्युत वितरण कंपनियों को इस परियोजना से 85 प्रतिशत उत्पादित बिजली मिलेगी।

**अतिविशाल विद्युत परियोजना (बांका) :** बांका में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके लिए 2,500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी से 120 क्यूसेक (1 क्यूसेक = 28.317 ली. पानी प्रति सेकेंड) पानी देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की कार्यावधि से पहले की गतिविधियां चलाने के लिए विद्युत वित्त निगम ने दो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) को निगमित किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए पीरपैंती और बाराहाट कोयला ब्लॉक आबंटित किया है। इस परियोजना से बिहार को 2,000 मेगावाट बिजली मिलेगी।

### ख. अपारंपरिक ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा)

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन की समस्या के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा भावी पीढ़ियों के हित में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सक्षम विकल्प दिखती है। लेकिन बिहार के पास नवीकरण ऊर्जा के निर्माण के लिए प्राकृतिक साधनों की सीमित उपलब्धता है। मैदानी क्षेत्र में भौगोलिक अवस्थिति के कारण राज्य में जलविद्युत निर्माण की बहुत कम संभावना है। इसी प्रकार, बिजली पैदा करने के लिए विंड टर्बाइन लगाने के वास्ते सबसे

अनुकूल भौगोलिक स्थल समुद्रतटीय क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र अथवा पहाड़ियों के ऊंचे गोलाकार शिखर या पहाड़ों के बीच मौजूद खुली घाटियां होती हैं जहां तेज और लगातार हवा चलती है। फलतः, विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का भी पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न स्रोतों के बीच बिहार में मुख्यतः सौर ऊर्जा की अच्छी संभावना मौजूद है क्योंकि यहां सालो भर रहने वाली पर्याप्त और लगातार धूप का लाभ मिलता है। हालांकि इसके लिए भी दो मुख्य बाधाएं हैं - एक, उर्वर जमीन के कारण यहां के अधिकांश खेत सालो भर फसलों से ढंके रहते हैं, और दो, जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण शहरी क्षेत्रों में भी खाली जगह बहुत कम है। कुछ प्रतिशत जमीन ही सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

वर्ष 2019 में शुरू हुए जल-जीवन-हरियाली मिशन की रणनीति अतिरिक्त 150-200 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की है जिसमें से 50 मेगावाट उत्पादन अब तक शुरू भी हो चुका है। राज्य की निकट भविष्य में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

**बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र**

नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) नामक संगठन की स्थापना की है। अभी यह विभिन्न पहलों के जरिए ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, तैरते (फ्लोटिंग) सौर विद्युत संयंत्र, जमीन पर लगे सौर विद्युत संयंत्र, ऑफग्रिड हाइब्रिड सौर विद्युत संयंत्र और सौर स्ट्रीट लाइट लगा रहा है जिनका लक्ष्य पूरे बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और प्रसार करना तथा नवीकरण ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना है जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी हो। इस पहल का योगदान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने और स्वच्छ पर्यावरण के लिए हो रहे वैश्विक प्रयासों में होगा। ब्रेडा द्वारा किए जा रहे कार्य नीचे वर्णित हैं :

(1) **जल-जीवन-हरियाली मिशन (चरण 1) के तहत सरकारी भवनों पर ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप (जीसीआरटी) सौर विद्युत संयंत्र** : मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर अधिस्थापन योजना और जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत ब्रेडा द्वारा ग्रिड-संपर्कित सौर विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इन विद्युत संयंत्रों की क्षमता 500 किलोवाट पीक तक की है। इन संयंत्रों से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में बिजली बिल पर व्यय बचेगा और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत शामिल राज्य सरकार के भवन हैं - नेक संवाद भवन, मुख्यमंत्री आवास, पटना उच्च न्यायालय, बिहार संग्रहालय, बुद्ध स्मृति पार्क, तारामंडल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत सरकार भवन, सरकारी उच्च विद्यालय आदि। वर्ष 2018-19 और 2024-25 के बीच 100 करोड़ रु. के व्यय से कुल 2589 सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनकी कुल क्षमता 22 मेगावाट है।

(2) **निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र** : मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर अधिस्थापन योजना के तहत ब्रेडा द्वारा निजी आवासीय भवनों पर भी ग्रिड-संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। कुल 3.08 करोड़ रु. के व्यय से निजी आवासीय भवनों पर ऐसे कुल 113 सौर विद्युत संयंत्र लगाए गए जिनकी कुल क्षमता 583 किलोवाट पीक है।

(3) **प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र** : तैरते सौर विद्युत संयंत्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आसन्न प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी में सौर विद्युत संयंत्र जल निकायों पर लगाए जाते हैं और जमीन की जरूरत नगण्य होती है। साथ ही, तैरते सौर पैनलों की उपस्थिति से जल निकायों में वाष्पीकरण की दर भी काफी घट जाती है। इससे भी जल संरक्षण में मदद मिलती है। और नीचे जल निकाय होने से सौर मॉड्यूल अपना परिवेशीय तापमान भी बरकरार रख पाते हैं इससे उनकी दक्षता बढ़ती है। इन बातों को और बिहार में जमीन की कमी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सुपौल और दरभंगा जिलों में 'नीचे मछली ऊपर बिजली' अवधारणा के तहत तैरते सौर विद्युत संयंत्र लगाने की पहल की है। सुपौल के राजापोखर में 3.00 करोड़ रु. के व्यय से लगे तैरते सौर विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता 525 किलोवाट पीक है जो अगस्त 2022 से काम कर रहा है। वहीं, दरभंगा में नाका संख्या 1 में 8.55 करोड़ रु. के व्यय से 1600 किलोवाट पीक का तैरता सौर विद्युत संयंत्र लगाया गया। यह संयंत्र मार्च 2022 से काम कर रहा है और उत्पादित बिजली को बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी द्वारा 25 वर्षों के लिए विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) के जरिए 4.15 रु. प्रति इकाई की दर पर खरीद लिया जाता है।

(4) **सोलर वाटर पंप** : सोलर वाटर पंप में फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है जिसका उपयोग प्रदूषक डीजल मशीनों की जगह सिंचाई पंपसेट चलाने के लिए होता है। मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर पंप योजना के तहत, 77.16 करोड़ रु. के व्यय से 2771 सोलर वाटर पंप लगाए गए।

(5) **50 मेगावाट का ग्रिड-संपर्कित जमीनी सौर विद्युत संयंत्र** : ग्रिड-संपर्कित जमीनी सौर विद्युत संयंत्र सौर फोटोवोल्टाइक पैनलों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र होता है जो उपयोग वाले ग्रिड से जुड़ा होता है। इसमें सौर पैनल, केंद्रीय इनवर्टर, इनवर्टर ड्यूटी ट्रांसफर्मर (आइडीटी) और ग्रिड से जोड़ने के उपकरण शामिल होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद संबंधी बाध्यता (आरपीओ) की पूर्ति और केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करने के लिए 50 मेगावाट क्षमता का ग्रिड-संपर्कित जमीनी सौर विद्युत संयंत्र मई 2024 में अवादा क्लीन सस्टेनेबल इनर्जी द्वारा स्थापित और चालू किया गया है। 25 वर्षों के लिए प्रभावी बिजली खरीद समझौता के तहत उत्पादित बिजली बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी द्वारा 3.11 रु. प्रति किवा-आवर की दर से खरीद ली जा रही है।

(6) **जल-जीवन-हरियाली मिशन (चरण 2) के तहत सरकारी भवनों पर ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र** : जल-जीवन-हरियाली मिशन के दूसरे चरण में ब्रेडा द्वारा विभिन्न विभागों के सरकारी भवनों पर ग्रिड-संपर्कित सौर विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इन विद्युत संयंत्रों की क्षमता 2 से 500 किलोवाट पीक तक की है। 13,072 सरकारी भवनों पर कुल 108.23 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए

कार्यादेश जारी कर दिया गया है। काम 2022-23 में शुरू हुआ था और अभी तक 7232 सरकारी भवनों पर कुल 69 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। इनका कुल परियोजना व्यय 522 करोड़ रु. है।

(7) **सरकारी भवनों पर हाइब्रिड (ऑफ-ग्रिड) रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र** : ग्रिड के काम नहीं करने या आपात स्थितियों में बैटरी बैकअप के लिए ब्रेडा द्वारा राज्य सरकार के वभिन्न कार्यालयों में, जैसे कि गया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर जिलों में बिहार राज्य शैक्षिक अवसंरचना विकास निगम (बीएसईआइडीसी) के भवनों पर हाइब्रिड (ऑफ-ग्रिड) सौर विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। ऐसे सौर विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 409 किलोवाट पीक की है। इस परियोजना का कुल परियोजना व्यय 3.96 करोड़ रु. है।

(8) **सौर पथ प्रकाश प्रणाली** : सौर पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) प्रणालियां बाहर में प्रकाश के लिए लगाई जाती हैं जिन्हें फोटोवोल्टाइक पैनलों से बिजली मिलती है। ये पैनल खंभों पर लगाए जाते हैं। ये पैनल दिन में रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करते हैं जो रात में जलने के लिए एलईडी लैंप को बिजली उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपलब्धियां हैं :

(क) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत चार जिलों (गया, रोहतास, कैमूर और सहरसा) में विभिन्न स्थानों पर 1629 सौर पथ प्रकाश प्रणालियां लगाई गई हैं। इसके लिए कुल व्यय 1.66 करोड़ रु. है।

(ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना (एमजीएसएसएलवाइ) के तहत पंचायती राज संस्थानों द्वारा ब्रेडा के तकनीकी सहयोग से सौर स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। हर वार्ड में 10 सौर स्ट्रीट लाइट लगाने हैं जिसके लिए अभी मौजूद चिन्हित बिजली खंभों की कुल संख्या 11.73 लाख है। अभी तक पूरे बिहार के पंचायतों में लगभग 4,70,000 सौर स्ट्रीट लाइट लगाए जा चुके हैं।

(ग) सोलर स्ट्रीट लाइट में सुदूर अनुश्रवण प्रणाली (आरएमएस) की अंतर्निर्मित सुविधा है जिसके जरिए हर लाइट की कार्य स्थिति और विभिन्न तकनीकी आंकड़ों का दूर स्थित डैशबोर्ड पर अनुश्रवण किया जा सकता है।

(घ) सभी सौर स्ट्रीट लाइटों के लिए सभी जिला मुख्यालयों में केंद्रीय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की जाएगी।

(च) सौर स्ट्रीट लाइट के विभिन्न अवयवों के (जैसे प्रकाश, फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल और लिथियम बैटरी) के 6 विनिर्माताओं को बिहार में अपनी विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। प्रकाश व्यवस्था और लिथियम बैटरियों की तीन विनिर्माण इकाइयां और सोलर फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल की एक इकाई स्थापित हो चुकी हैं।

### बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (बीएसपीजीसीएल) द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र

राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. को कजरा और पीरपैंती में तथा राज्य में नहरों और बाधों के किनारे उपलब्ध जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए नोडल/ क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में नामित किया है। कंपनी को निम्नलिखित के लिए भी नोडल/ क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में नामित किया गया है :

(क) सभी प्रकार के जल निकायों में 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना,

(ख) राज्य में अप्रयुक्त/ अनुर्वर जमीन पर 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के जमीनी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, और

(ग) राज्य में 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के बायोमास और खोई आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति नीचे वर्णित है :

(1) **लखीसराय के कजरा में सौर विद्युत संयंत्र** : लखीसराय के कजरा को पहले तापविद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था। वहां पर्याप्त भूखंड सफलतापूर्वक चिन्हित और अधिग्रहित कर लिए गए थे। बाद में, वहां मूल रूप से 254 मेगावाट आवर के तापविद्युत संयंत्रों के लिए बनी योजना के बदले 185 मेगवाट (एसी) क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) लगाने का निर्णय किया गया। इस परिवर्तन का लक्ष्य परितंत्र-हितैषी हरित ऊर्जा का उत्पादन करना था। 254 मेगावाट-आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से युक्त 185 मेगावाट का एसी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण हेतु अभियंत्रण, क्रय एवं निर्माण (ईपीसी) के आधार पर निर्माण संविदा लार्सन एंड टुबरो को दी गई है। संयंत्र दिसंबर 2025 तक चालू हो जाने की आशा है। इस सौर विद्युत संयंत्र में दिन के समय में 20 प्रतिशत उत्पादित सौर ऊर्जा को उच्च क्षमता वाली बैटरियों में भंडारित कर लेने की क्षमता होगी। यह भंडारित ऊर्जा शाम के समय ऊर्जा की मांग बढ़ने पर सूर्यास्त के बाद वितरण के लिए उपलब्ध होगी।

(2) **जल निकायों पर सौर विद्युत संयंत्र** : बिहार सीमित भूमि संसाधन वाला लेकिन सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना वाला राज्य है। इसीलिए कंपनी ने नहर, बांध और जलाशय जैसे जल निकायों पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अनेक तरीके निकाले हैं। कंपनी ने पायलट परियोजना के बतौर 2 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र लगाने के लिए पटना के विक्रम लख (लॉक) को चिन्हित किया है जहां नहर के किनारे जमीन (चार्ट लैंड) उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग ने इस परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। कंपनी ने 25 वर्षों के लिए परिययोजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए रेस्को या नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता का चुनाव कर लिया है। इस परियोजना के लिए नव धर्म इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ विद्युत क्रय समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। पूरी परियोजना मार्च 2025 तक पूरी हो जाने की आशा है। साथ ही, 5 विभिन्न स्थानों को (मधुबनी के खतौना में पश्चिमी कोशी मुख्य नहर पर 10 मेगावाट, रोहतास के इंद्रपुरी में पश्चिमी संपर्क नहर पर 5 मेगावाट, दरभंगा के तारडीह में दक्षिणी कमला बलान तटबंध पर 2 मेगावाट, मधुबनी के मधुपुर में उत्तरी कमला बलान तटबंध पर 2 मेगावाट और गोपालगंज में सारण मुख्य नहर पर 1 मेगावाट) 20 मेगावाट क्षमता के सौर उत्पादन पार्सल के लिए चिन्हित किया गया है।

कंपनी ने नवादा जिले में फुलवरिया डैम को भी 10 मेगावाट के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आदर्श स्थान के रूप में चिन्हित किया है। इस नवाचारी परियोजना से जल की सतह के नीचे के जलजीवों का पोषण होने और ऊपर में सौर ऊर्जा प्राप्त होने का दुहरा मकसद पूरा होगा जो जल-जीवन-हरियाली मिशन के उद्देश्यों के अनुसार टिकाऊ हरित ऊर्जा के हमारे मिशन के अनुरूप है। आगे की प्रक्रिया के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है। विद्युत क्रय समझौता

कर लिया गया है और काम प्रगति पर है। दुर्गावती डैम के लिए 10 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के लिए भी ऐसी ही योजना पर काम चल रहा है।

(3) **चौबीसो घंटे हरित ऊर्जा :** राज्य में जल-जीवन-हरियाली मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुछ शहरों को चुनकर उन्हें बिजली के मामले में हरित शहर बनाने का निर्णय लिया गया था। दूसरे शब्दों में, कथित शहरों को दी जाने वाली बिजली पूरी तरह से नवीकरणीय स्रोतों की होगी और चौबीसो घंटे मिलेगी। इसके लिए राजगिर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों को चुना गया था। इन चिन्हित शहरों में 210 मेगावाट हरित विद्युत की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआइ) के साथ समझौता किया गया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, दिन के समय सौर विद्युत की आपूर्ति की जाएगी और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय के बीच सौर विद्युत द्वारा चलने वाले पंप भंडारण संयंत्र से बिजली दी जाएगी।

(4) **प्रधानमंत्री कुसुम योजना, घटक ग (एफएलएस - फीडर स्तरीय सौर ऊर्जाकरण) :** इसके पहले चरण में 1235 फीडरों और 1,36,812 पंपों को सौर ऊर्जान्वित करने के लिए 800 मेगावाट के बंटे सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी जिसके तहत 6 पीएसएस (8 फीडरों) को सौर ऊर्जान्वित करने के लिए कुल 17.68 मेगावाट की संचित क्षमता के लिए 3 अभिकरणों की पहचान कर ली गई है। दूसरे चरण के लिए 1600 मेगावाट के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

## उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सौर संयंत्र

### आवासीय सोलर रूफटॉप परियोजना

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा ग्रिड संपर्कित रूफटॉप प्रणाली योजना के द्वितीय चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वितरण कंपनियों को राज्य में आवासीय सोलर रूफटॉप परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। मंत्रालय ने 2019-20 में बिहार के लिए 5 मेगावाट (दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी के लिए 3 मेगावाट और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के लिए 2 मेगावाट) रूफटॉप सोलर की क्षमता आबंटित की थी। मंत्रालय द्वारा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 20 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है जिसके तहत काम प्रगति पर है। सभी लोड के ग्रिड-संपर्कित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 25 प्रतिशत सब्सिडी स्वीकृत की है। उन्हें लगाने के लिए इच्छुक उपभोक्ताओं से वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सितंबर 2023 तक 1780 घरों में कुल 6630 किलावाट पीक क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए थे और काम अभी भी प्रगति पर है। ग्रिड-संपर्कित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की जिलावार स्थापना का ब्योरा तालिका प 8.3 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। साथ ही, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2252 (दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 1640 और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 612) से भी अधिक ग्राहकों के लिए सौर रूफटॉप संयंत्र स्थापित और चालू किए गए हैं।

### जलविद्युत

उत्तर बिहार में नदियों द्वारा धारा परिवर्तन और बाढ़-प्रवण प्रकृति के कारण बिहार को प्रचुर जलविद्युत उत्पादन की संभावना के मामले में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, दक्षिण बिहार की नदियों में सालो भर पर्याप्त

प्रवाह नहीं रहता है और जलविद्युत की संभावना के दोहन के लिए पर्याप्त ऊंचाई भी नहीं है। इसलिए क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के कारण बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का विकास वित्तीय रूप से अव्यवहार्य साबित होता है। फिर भी, जलविद्युत की संभावनाओं का दोहन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अतिलघु और लघु जलविद्युत संयंत्रों को विकसित किया जा रहा है। बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) की स्थापना राज्य में जलविद्युत संबंधी पहलों के प्रबंधन के लिए की गई है। अभी राज्य में 13 अतिलघु और लघु जलविद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है (तालिका 8.6)। निगम 11 और अतिलघु जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में है जिनकी कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है (तालिका 8.7)।

**तालिका 8.6 : अतिलघु और लघु जलविद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता**

| जलविद्युत परियोजनाएं | स्थिति | क्षमता | |
|---|---|---|---|
| कोशी जलविद्युत केंद्र (केएचपीएस), कटैया, बीरपुर | नवंबर, 2003 में यह परियोजना बिहार राज्य जलविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दी गई थी। सभी इकाइयों के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है और बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। उनका निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था। | 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयां | 19.2 |
| पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना | पश्चिम चंपारण के बाल्मीकिनगर स्थित पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना 1996-97 में चालू हुई थी। | 5 मेगावाट की 3 इकाइयां | 15.0 |
| सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना | रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन स्थित सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना 1991-92 में चालू हुई थी। | 1.65 मेगावाट की 4 इकाइयां | 6.6 |
| सोन पूर्वी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना | औरंगाबाद जिले के बारुन स्थित सोन पूर्वी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना 1996-97 में चालू हुई थी। | 1.65 मेगावाट की 2 इकाइयां | 3.3 |
| अगनूर जलविद्युत परियोजना | अरवल जिले की अगनूर जलविद्युत परियोजना 2004-05 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 1.0 |
| ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना | रोहतास जिले की ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना 2006-07 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 1.0 |
| त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना | पश्चिम चंपारण जिले की त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना 2007-08 में चालू हुई थी। | 1.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 3.0 |
| नासरीगंज जलविद्युत परियोजना | रोहतास जिले की नासरीगंज जलविद्युत परियोजना 2007-08 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 1.0 |
| सेबारी जलविद्युत परियोजना | रोहतास जिले की सेबारी जलविद्युत परियोजना 2008-09 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 1.0 |
| जयनगरा जलविद्युत परियोजना | रोहतास जिले की जयनगरा जलविद्युत परियोजना 2007-08 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 1.0 |
| सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना | रोहतास जिले की सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना 2009-10 में चालू हुई थी। | 0.35 मेगावाट की 2 इकाइयां | 0.7 |
| बेलसार जलविद्युत परियोजना | अरवल जिले की बेलसार जलविद्युत परियोजना 2011-12 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां | 1.0 |
| अरवल जलविद्युत परियोजना | अरवल जिले की अरवल जलविद्युत परियोजना 2011-12 में चालू हुई थी। | 0.5 मेगावाट की 1 इकाई | 0.5 |
| **योगफल** | | | **54.3** |

स्रोत : बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

**तालिका 8.7 : निर्माणाधीन अतिलघु जलविद्युत परियोजनाएं (सितंबर 2023)**

| परियोजना | जिला | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| वलीदाद (1x700 किलोवाट) | अरवल | 0.7 |
| देहरा (2x500 किलोवाट) | औरंगाबाद | 1.0 |
| सिपहा (2x500 किलोवाट) | औरंगाबाद | 1.0 |
| तेजपुरा (2x750 किवा) | औरंगाबाद | 1.5 |
| अमेठी (1x500 किवा) | रोहतास | 0.5 |
| नटवार (1x250 किलोवाट) | रोहतास | 0.25 |
| पहरमा (2x500 किवा) | रोहतास | 1.0 |
| रामपुर (1x250 किलोवाट) | रोहतास | 0.25 |
| राजापुर (2x350 किवा) | सुपौल | 0.7 |
| बड़वल (2x800 किलोवाट) | पश्चिम चंपारण | 1.6 |
| मठौली (2x400 किलोवाट) | पश्चिम चंपारण | 0.8 |
| **योगफल** | | **9.3** |

स्रोत : बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

उक्त परियोजनाओं के अलावा, बिहार राज्य जलविद्युत निगम राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने में भी लगा हुआ है :

(1) **महानंदा, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी बेसिन परियोजनाएं :** महानंदा, बूढ़ी गंडक और गंडक नदियों के बेसिन में जलविद्युत संयंत्र निर्माण की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार, परियोजनाओं के स्थानों और क्षमता की पहचान कर ली गई है जिनकी संयुक्त क्षमता 160.1 मेगावाट है। स्थानों और क्षमता का ब्योरा तालिका 8.8 में प्रस्तुत है।

**तालिका 8.8 : गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता**

| परियोजना का नाम | स्थान | क्षमता |
|---|---|---|
| **महानंदा नदी बेसिन** | | |
| बसंतपुर लघु जलविद्युत परियोजना | अररिया | ( 2x1.05 मेगावाट) = 2.10 मेगावाट |
| सोनापुर लघु जलविद्युत परियोजना | पूर्णिया | (3x3.80 मेगावाट) = 11.40 मेगावाट |
| दालखोला लघु जलविद्युत परियोजना | किशनगंज | (2x3.85 मेगावाट) = 7.70 मेगावाट |
| रूपाधार लघु जलविद्युत परियोजना | किशनगंज | (2x1.25 मेगावाट) = 2.50 मेगावाट |
| **बूढ़ी गंडक नदी बेसिन** | | |
| रघुनाथपुर लघु जलविद्युत परियोजना | पूर्व चंपारण | (2x1.0 मेगावाट) = 2 मेगावाट |
| बड़ा गोविंदपुर लघु जलविद्युत परियोजना | पूर्व चंपारण | (2x2.2 मेगावाट) = 4.4 मेगावाट |
| **गंडक नदी बेसिन** | | |
| बेतिया जलविद्युत परियोजना | पश्चिम चंपारण | (80 मेगावाट) |
| बगहा जलविद्युत परियोजना | पश्चिम चंपारण | (50 मेगावाट) |
| **कुल क्षमता** | | **160.1 मेगावाट** |

स्रोत : बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

(2) **जलविद्युत परियोजनाओं की खाली और अप्रयुक्त जमीन पर सौर संयंत्र :** बिहार राज्य जलविद्युत निगम ने ब्रेडा के जरिए 10 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों के भवनों की छतों, खाली जमीन, विद्युत वितरण चैनलों और टेलरेस चैनलों पर सौर संयंत्र स्थापित कराने का निर्णय लिया है।

## 8.5 वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)

बिहार में दोनो विद्युत वितरण कंपनियों ने अपने वितरण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इन योजनाओं में नए विद्युत उप-केंद्रों का निर्माण, और उच्च विभव/ निम्न विभव लाइनों तथा वितरण उप-केंद्रों का निर्माण शामिल है। मौजूदा विद्युत उप-केंद्रों और वितरण उप-केंद्रों का क्षमता विस्तार हुआ है और राजस्व प्रबंधन तथा विद्युत वितरण की अन्य गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन हुआ है। सुचारु विद्युत आपूर्ति के लिए पुराने और क्षतिग्रस्त कंडक्टरों को बदला भी गया है।

राज्य में नए बिजली कनेक्शनों में लगातार वृद्धि दिखी है जिसमें 2011-12 से 2023-24 के दौरान 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2012 में कुल 38 लाख विद्युत उपभोक्ता थे जिनकी संख्या इस अवधि में लगभग 7 गुनी हो गई (चार्ट 8.7)। विद्युत उपभोक्ताओं की क्षेत्र-वार संख्या तालिका 8.9 में दी गई है जिससे पता चलता है कि घरेलू क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्युत उपभोक्ता हैं जिनका कुल उपभोक्ताओं में 88.5 प्रतिशत हिस्सा है। उसके बाद 7.5 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक उपभोक्ताओं का है। चार्ट 8.8 में यह भी दिखता है कि 2019-20 से घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या घटने और औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी है जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के कारण कृषि उपभोक्ताओं की संख्या भी सराहनीय ढंग से बढ़ी है। गत चार वर्षों में इसमें 289 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 2018-19 के 2.28 लाख से बढ़कर 2023-24 में 6.61 लाख हो गई।

**चार्ट 8.7 : बिहार में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)**

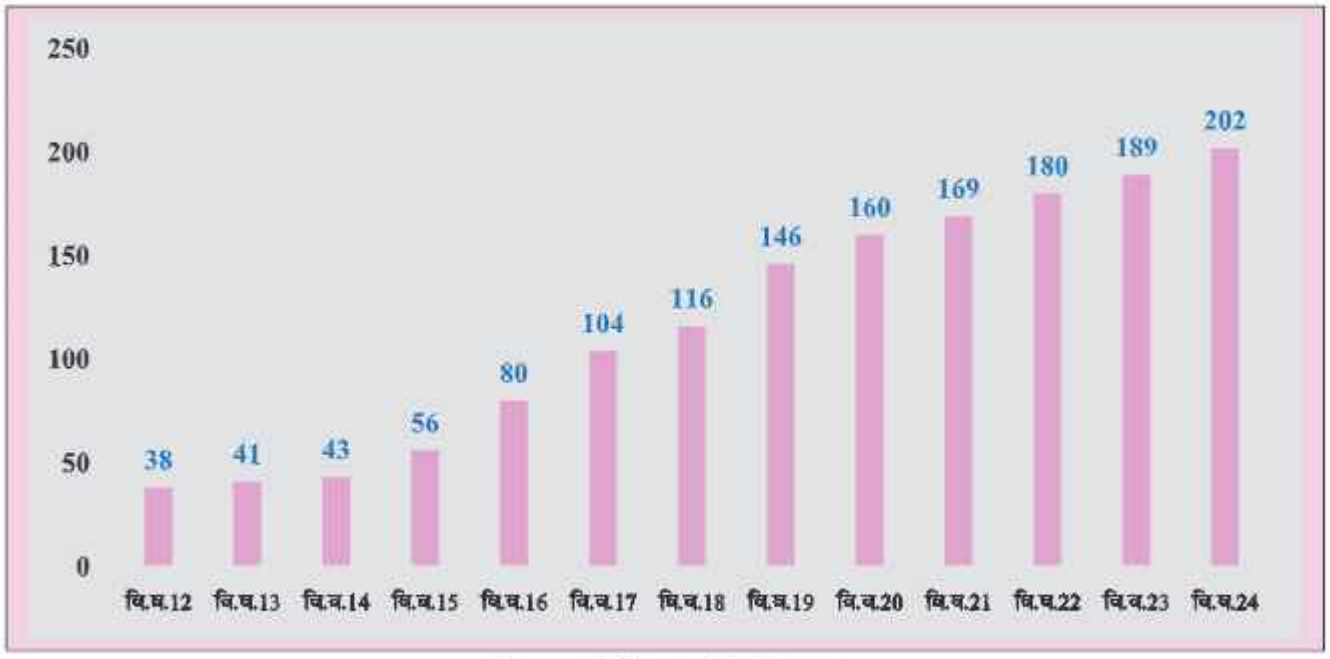


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.9 : प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या

| श्रेणियां | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू (लाख) | 134.8 (92.5) | 145.41 (91.5) | 153.26 (90.4) | 160.49 (89.6) | 167.74 (88.5) | 176.65 (87.5) |
| व्यावसायिक | 762438 (5.2) | 893570 (5.6) | 1071971 (6.3) | 1243174 (6.9) | 1425348 (7.5) | 1578653 (7.8) |
| औद्योगिक (निम्न विभव) | 90671 (0.6) | 105242 (0.7) | 125608 (0.7) | 143398 (0.8) | 163703 (0.9) | 180663 (0.9) |
| औद्योगिक (उच्च विभव) | 2806 | 3040 | 3220 | 3644 | 3976 | 4553 |
| सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था | 2483 | 2420 | 2738 | 4003 | 4504 | 5559 |
| ट्रैक्शन | 23 | 5 | 12 | 8 | 14 | 18 |
| कृषि | 228423 (1.6) | 314606 (2.0) | 359295 (2.1) | 395790 (2.2) | 495348 (2.6) | 661916 (3.3) |
| सार्वजनिक जल प्रदाय | 3700 | 4212 | 4585 | 4989 | 5261 | 5295 |
| हर घर नल का जल | — | 13090 (0.1) | 50699 (0.3) | 76055 (0.4) | 82867 (0.4) | 94104 (0.5) |
| योगफल (लाख) | **145.7 (100.0)** | **158.8 (100.0)** | **169.4 (100.0)** | **179.2 (100.0)** | **189.6 (100.0)** | **201.9 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.8 : ऊर्जा के प्रकार के अनुसार उपभोक्ताओं का वितरण (प्रतिशत में)

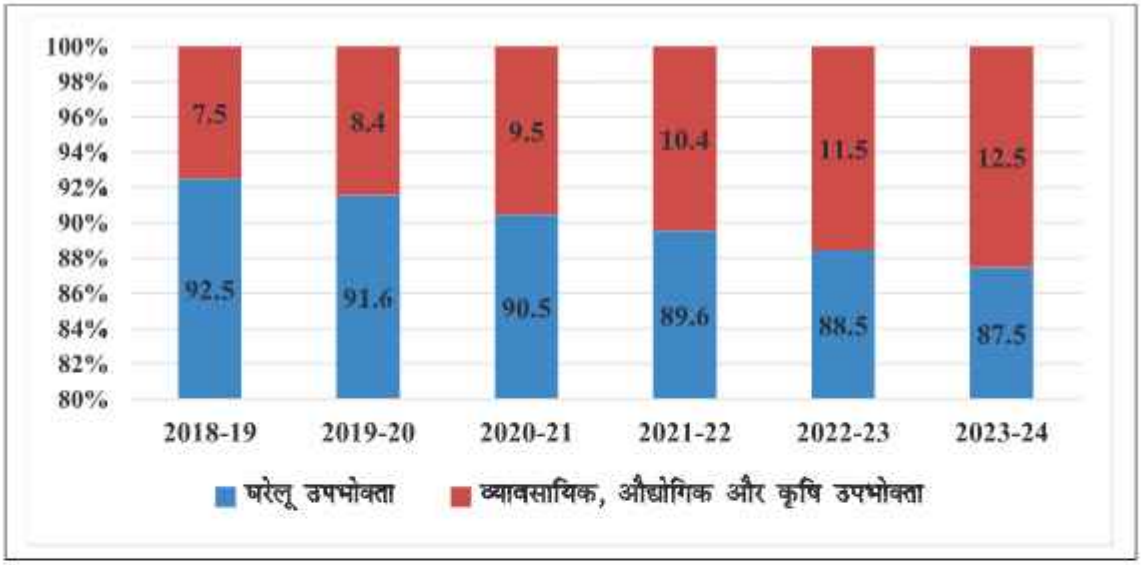


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## 8.6 वितरण कंपनियों की कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थिति

दोनो विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति तालिका 8.10 में प्रस्तुत है। बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरण जनित ह्रास को छोड़कर) 2020-21 के 3207.1 करोड़ यूनिट से 2023-24 में 4729.5 करोड़ यूनिट हो गई जिसका अर्थ तीन वर्षों में 1522.4 करोड़ यूनिट की वृद्धि है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में लागत वसूली 88.1 प्रतिशत थी जो 2023-24 में बढ़कर 95.1 प्रतिशत हो गई। वितरण कंपनियों की वित्तीय और संचालन संबंधी स्थिति में सुधार हुआ है जैसा कि तालिका 8.10 में दर्शाया गया है।

**तालिका 8.10 : विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति (2020-21 से 2023-24)**

| मद | उत्पादन और खरीद (बिक्री हेतु उपलब्ध) (करोड़ यूनिट) | बिक्री (करोड़ यूनिट) | ह्रास (%) | औसत राजस्व (रु./ यूनिट) | बिजली की बिक्री (करोड़ रु.) | सब्सिडी सहित कुल आय (करोड़ रु.) | कुल व्यय (करोड़ रु.) | लागत वसूली (कुल आय/ कुल व्यय) (%) | वित्तीय घाटा (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | | | | | | | | | |
| उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 1443.5 | 1061.4 | 26.5 | 6.74 | 7155 | 8411 | 9622 | 87.4 | 12.6 |
| दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 1763.6 | 1276.7 | 27.6 | 6.88 | 8788 | 10342 | 11653 | 88.8 | 11.2 |
| **योगफल** | **3207.1** | **2338.1** | **27.1** | **6.82** | **15943** | **18753** | **21275** | **88.1** | **11.9** |
| **2021-22** | | | | | | | | | |
| उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 1530.8 | 1235.5 | 19.3 | 6.91 | 8536 | 11193 | 12123 | 92.3 | 7.7 |
| दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 1808.0 | 1409.2 | 22.1 | 7.08 | 9971 | 12756 | 14044 | 90.8 | 9.2 |
| **योगफल** | **3338.8** | **2644.8** | **20.8** | **7.00** | **18508** | **23949** | **26167** | **91.5** | **8.5** |
| **2022-23** | | | | | | | | | |
| उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 1612.3 | 1367.5 | 15.2 | 7.01 | 9581 | 14302 | 14510 | 98.6 | 1.4 |
| दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 2013.0 | 1571.9 | 21.9 | 7.02 | 11032 | 17982 | 17560 | 102.4 | -2.4 |
| **योगफल** | **3625.3** | **2939.3** | **18.9** | **7.01** | **20612** | **32284** | **32069** | **100.7** | **-0.7** |
| **2023-24** | | | | | | | | | |
| उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 2103.7 | 1751.0 | 16.8 | 8.00 | 14003 | 15911 | 14753 | 107.9 | -7.85 |
| दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | 2625.8 | 2082.2 | 20.7 | 8.04 | 16735 | 17765 | 17513 | 101.4 | -1.44 |
| **योगफल** | **4729.5** | **3833.2** | **19.0** | **8.02** | **30739** | **33676** | **32266** | **104.4** | **-4.37** |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

विद्युत वितरण कंपनियों ने सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक (ए.टी. एंड सी.) ह्रास की समस्या का समाधान करने और इसे 2011-12 के 45 प्रतिशत से क्रमशः घटाते हुए 2023-24 में 21.74 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रयास किया है (चार्ट 8.9)। दोनो वितरण कंपनियां सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास को और भी घटाकर 15 प्रतिशत तक लाने के लिए कठिन प्रयत्न कर रही हैं।

तालिका 8.9 : सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास (प्रतिशत में)

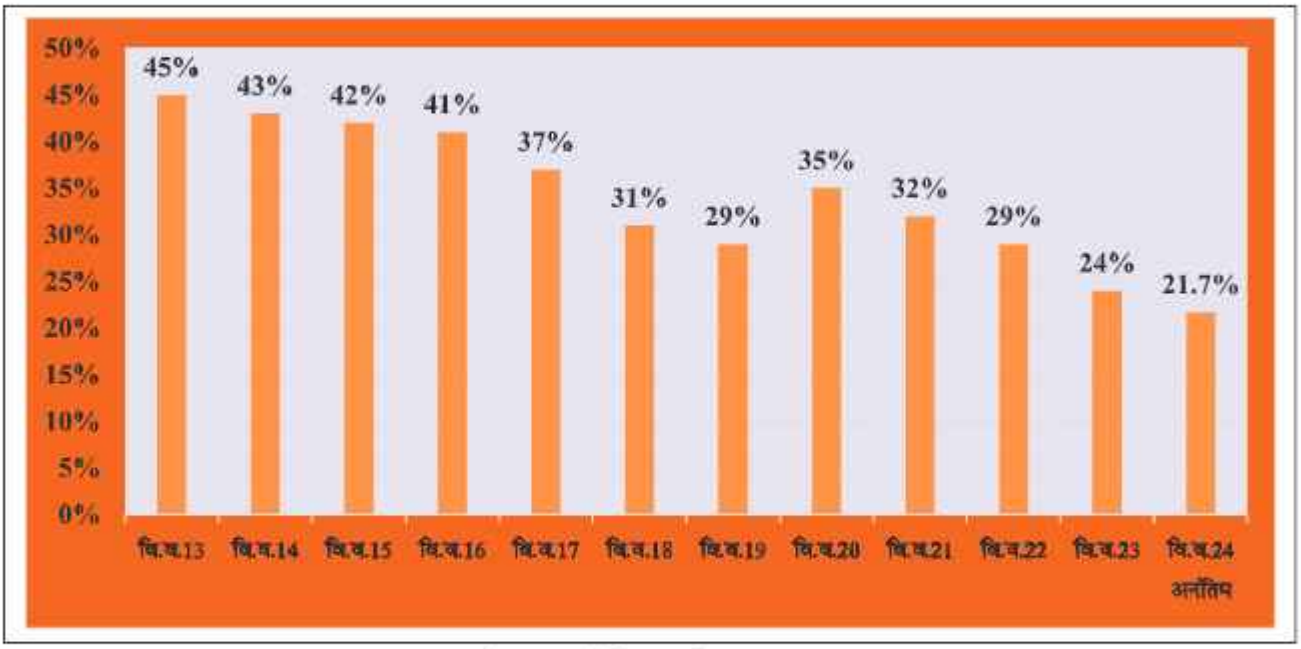


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## 8.7 संचरण

विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने क्षमतावृद्धि, संचरण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार और ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सशक्त संचरण नेटवर्क उत्पादन और वितरण की बढ़ती मांग पूरी करने में सहयोग देता है। बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों से संचरण, दोनो स्तरों पर सशक्त और विश्वसनीय संचरण नेटवर्क की जरूरत होती है। इसीलिए वर्तमान संचरण व्यवस्था का उचित योजना के साथ सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत पड़ती है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 में चौबीसो घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक क्षमता का अनुमान तालिका 8.11 में प्रस्तुत है। संचरण एवं वितरण ह्रास में कमी के लिए गत दो दशकों में संचरण नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या 2005 के 45 से लगभग तिगुनी होकर 2024 में 170 पहुंच गई जबकि संचरण लाइनें चारगुनी से भी अधिक बढ़ीं और इस अवधि में 5000 सर्किट किमी से 20,393 सर्किट किमी हो गई (चार्ट 8.10)। वहीं, 2024 में कुल 14,888 मेगावाट बिजली का संचरण हुआ है जबकि 2005 में सिर्फ 1000 मेगावाट का संचरण हुआ था (चार्ट 8.11)।

तालिका 8.11 : बिजली की अनुमानित आवश्यक क्षमता

| मांग/क्षमता | चरम मांग (मेगावाट) | चरम मांग की पूर्ति के लिए जरूरी रूपांतरण क्षमता (मेगावाट) | उपलब्ध क्षमता (एमवीए) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 400/220/132 केवी स्तर पर | 220/132 केवी और 220/33 केवी स्तर पर | 132/33 स्तर पर |
| 2024-25 | 8908 | 6030 | 3000 | 15120 | 20190 |
| 2025-26 | 9743 | 17540 | 4000 | 15520 | 20290 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.10 : ग्रिड उप-केंद्रों की वृद्धि (सं. में) और संचरण लाइनों की लंबाई (सर्किट किमी में)

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.11 : विद्युत संरचन क्षमता के रुझान (मेगावाट में)

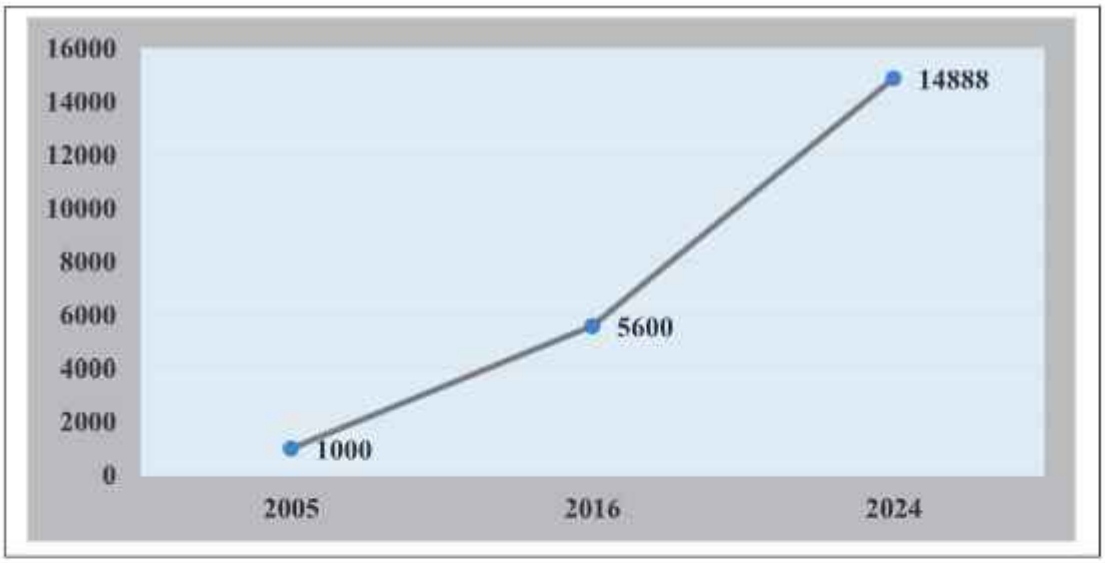


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## संचरण परियोजनाओं में नई प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन

बिहार राज्य विद्युत संरचन कंपनी लि. बड़ी संख्या में वितरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती रही है जिनमें मौजूद संचरण प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण ही शामिल नहीं हैं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया भी गया है और अपने नेटवर्क का विस्तार तथा केंद्रीय संचरण उपयोगिता (सीटीयू) तथा अनेक अन्य निकायों के साथ समन्वय का काम भी किया गया है। स्वचालन संबंधी कई पहलें इस प्रकार हैं : (1) पूर्णत: स्वचालित ग्रिडों के लिए उप-केंद्र स्वचालन प्रणाली (एसएएस); (2) लगभग 750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का संचरण; (3) भौगोलिक सूचना प्रणाली; (4) अपग्रेडेड एकीकृत लोड डिस्पैच एवं संचार (यूएलडीसी); (5) राज्य-स्तरीय डिस्पैच केंद्र (एसएलडीसी) में स्थापित पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली; तत्क्षण

(रियल-टाइम) डेटा प्रवाह का तेज संचार सुनिश्चित करने के लिए पूरे संचरण नेटवर्क में ऑप्टीकल फाइबर लिंक की स्थापना; (7) राज्य के अंदर विद्युत संचरण के व्यवसाय के लिए उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी); (8) उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मीटर; (9) उच्च तापमान निम्न शिथिलता (एचटीएलएस) कंडक्टर; (10) पुराने लाइनों के जमीनी तारों और विद्युत लाइन वाहक संचार (पीएलसीसी) उपकरणों को बदलकर हॉटलाइनों पर ऑप्टीकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) लगाना; (11) संचरण ह्रास में कमी के लिए रिऐक्टिव विद्युत की स्वचालित क्षतिपूर्ति के लिए कैपेसिटर बैंकों और रिऐक्टरों की स्थापना; तथा (13) लाइनों के सर्वेक्षण में ड्रोनों का उपयोग। इनके अलावा, संचरण लाइनों में एक पोल/ संकरे आधार वाले टावर उपयोग में लाए जा रहे हैं जिनके ये फायदे हैं : (1) कम जमीन की जरूरत, (2) देखने में सुंदर, (3) संकरे क्षेत्रों में कम जगह ही जरूरत, (4) तेजी से लगाने के लिए कम पुर्जे, (5) लगाने का कम खर्च, (6) लगाने में आसानी के लिए डिजाइन का लचीलापन, (7) मौसम की चरम स्थितियों में अधिक विश्वसनीयता, (8) रखरखाव और मरम्मत का कम खर्च, और (9) भविष्य के लिए बेहतर सुरक्षा।

## 8.8 विद्युत क्षेत्र की योजनाएं

### केंद्र सरकार की योजनाएं

पूरे बिहार में विद्युत आपूर्ति के आच्छादन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में राज्य में कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुरू किया था। इनमें से छः पूरे हो चुके हैं। ये हैं –

(1) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाइ),

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (आरई-डीडीयूजीजेवाइ) जो पूर्व में 2007-12 (चरण-2) और 2012-17 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी,

(2) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के जरिए प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए,

(4) समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस),

(5) तत्क्षण आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस), और

(6) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)।

हाल में (1) ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप (जीसीआरटी) सौर विद्युत संयंत्र और (2) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का ह्रास न्यूनीकरण घटक, दो नई योजनाओं का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र पर नवीकरणीय ऊर्जा वाले खंड में चर्चा की गई है।

**संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)** : केंद्र सरकार ने सुधार केंद्रित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के जरिए वितरण कंपनियों की संचालन कुशलता और वित्तीय सक्षमता बढ़ाने के लिए लक्षित संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(क) वित्तीय रूप से टिकाऊ और संचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र के जरिए उपभोक्ताओं को होने वाली बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वहनीयता में सुधार लाना,

(ख) वर्ष 2024-25 तक संपूर्ण भारत में सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास को घटाकर 12 से 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना, और

(ग) औसत आपूर्ति व्यय (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच फासले को 2024-25 तक घटाकर शून्य कर देना (चार्ट 8.12 और चार्ट 8.13)।

इस योजना के ह्रास न्यूनीकरण घटक के तहत दोनो वितरण कंपनियों के लिए 7081.05 करोड़ रु. की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी 60 प्रतिशत रकम केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के बतौर उपलब्ध कराई जा रही है और शेष 40 प्रतिशत रकम की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी/ संचालन प्रौद्योगिकी (आइटी/ ओटी) के तहत काम के अस्वीकृत भाग के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 224.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत कार्यों के ये लक्ष्य हैं - (क) कृषि फीडरों का निर्माण, (ख) लंबे फीडरों को बांटना, (ग) निम्न विभव वाली लाइनों के बेयर कंडक्टरों की जगह एरियल बंच्ड (एबी) केबल लगाना, (घ) उच्च विभव वितरण प्रणाली (एचवीडीएस), (च) सूचना प्रौद्योगिकी/ संचालन प्रौद्योगिकी (आइटी/ ओटी) और (छ) शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। ये काम अभी प्रगति पर हैं।

**चार्ट 8.12 : औसत आपूर्ति व्यय-औसत राजस्व प्राप्ति (रु. प्रति किवा आवर) और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी की उपलब्धि**

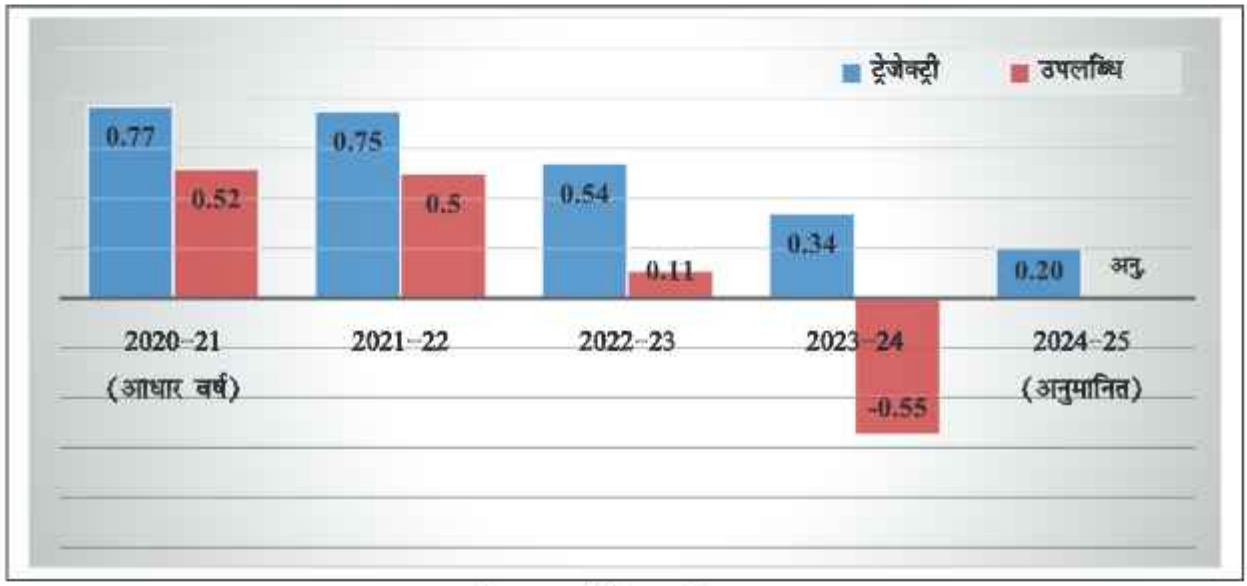


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 8.13 : औसत आपूर्ति व्यय-औसत राजस्व प्राप्ति (रु. प्रति किवा आवर) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी की उपलब्धि**

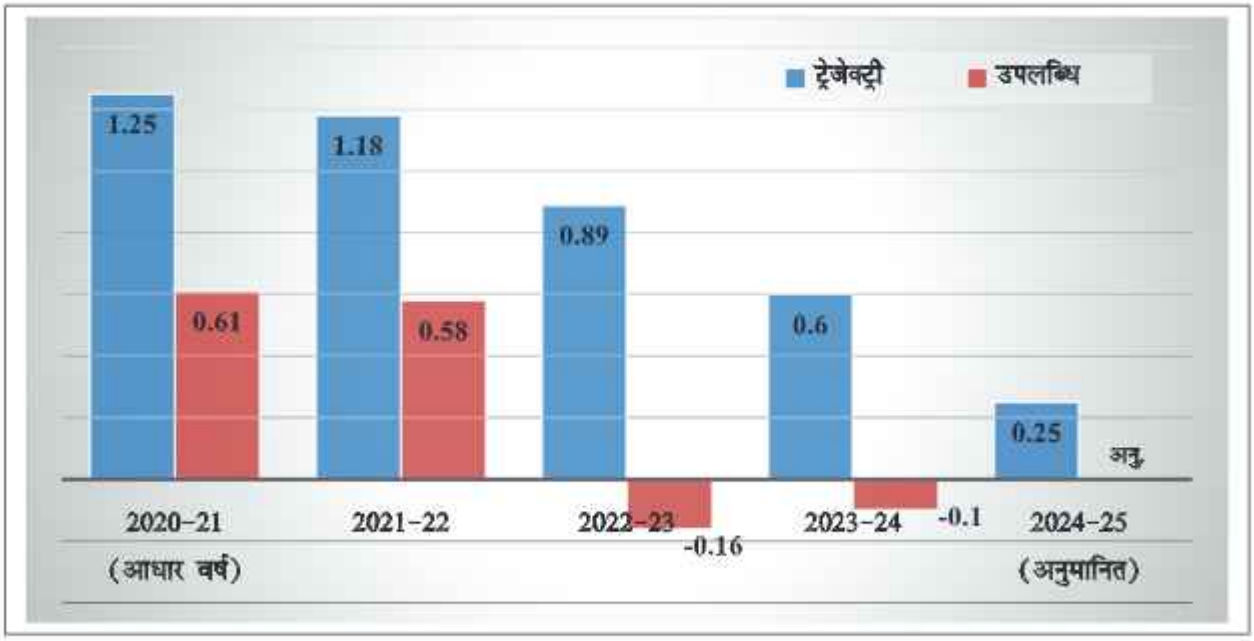


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## एक राष्ट्र, एक टैरिफ

वितरण कंपनियों की वित्तीय सक्षमता में सुधार के संदर्भ में राज्य सरकार 'एक राष्ट्र, एक टैरिफ' की नीति की हिमायत करती रही है। राज्य सरकार ने अपनी उत्पादन इकाइयां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को हस्तांतरित कर दी हैं इसलिए राज्य को लगभग पूरी बिजली केंद्र सरकार से मिलती है। लेकिन बिहार को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक दर पर बिजली मिलती है। उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का प्रावधान और केंद्र सरकार से ऊंची दर पर बिजली मिलना, दोनो मिलकर वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पैदा कर देते हैं। पहले केंद्र सरकार देश के अलग-अलग क्षेत्रों में संचरण संबंधी विविध व्यवधानों के लिहाज से अलग-अलग विद्युत टैरिफ का औचित्य बताया करती थी। लेकिन अब देश के विद्युत ग्रिड सिंक्रोनाइज हो चुके हैं इसलिए 'एक राष्ट्र, एक टैरिफ' की औचित्यपूर्ण नीति को अपनाने में कोई बाधा नहीं है। वितरण कंपनियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने और केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए समान टैरिफ का प्रावधान करने पर वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार हो सकता है। चार्ट 8.14 में बिजली की खरीद और बिक्री की स्थिति दर्शाई गई है।

**चार्ट 8.14 : बिजली की खरीद और बिक्री की स्थिति (10 लाख यूनिट में)**

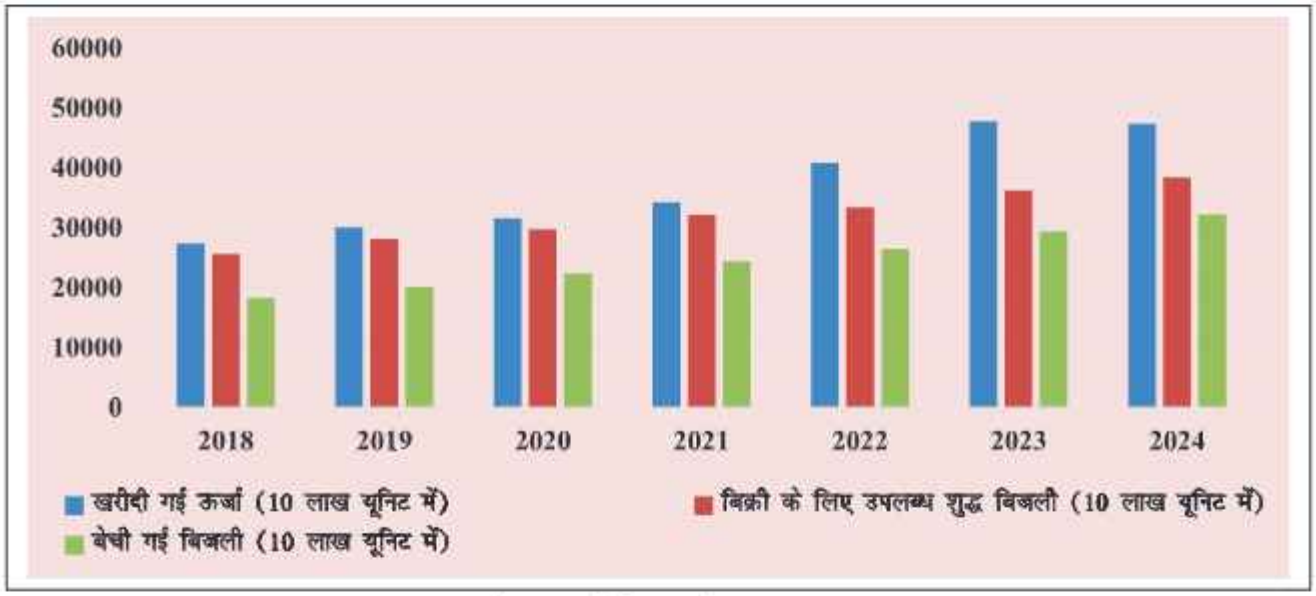


स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना

केंद्र सरकार की एक और योजना 'प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' मार्च 2027 तक एक करोड़ परिवारों को सौर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है। इस योजना पर नवीकरणीय ऊर्जा वाले हिस्से में चर्चा की गई है।

## राज्य सरकार की योजनाएं

**प्रीपेड सुविधा वाले स्मार्ट मीटर लगाना** : नवंबर 2012 में अपने आरंभ से ही उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी, दोनो ने बिहार में सभी जगह विद्युतीकरण और सभी इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी, दोनो वितरण कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं और बिक्री के घटकों की संरचना चुनौती बनी हुई है और देश की अधिकांश अन्य वितरण

कंपनियों से भिन्न है। बिहार के 1.90 करोड़ उपभोक्ताओं में से लगभग 88 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता हैं। फलतः, समय पर बिल भेजना और भुगतान पाना, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, लगातार चुनौती बना रहता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनो वितरण कंपनियों ने स्पॉट-बिलिंग के प्रचलन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लेकिन स्पॉट बिलिंग की सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण मीटर-रीडिंग पर निर्भरता लगातार चुनौती बनी रही है। इसके साथ-साथ, गलत बिलिंग, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं करना, उपभोक्ताओं का लोड दर्ज नहीं करना और चोरी आदि की काफी चुनौतियां हैं जिनकी परिणति उच्च सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास में होती है।

आरंभ में दोनो वितरण कंपनियों ने साधारण प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया जो 2013-14 में चुनिंदा परिसरों में ही लगाए गए थे। बिलिंग और संग्रहण के संदर्भ में इसके अच्छे परिणाम सामने आए। हालांकि लेखाकरण और टैरिफ में बदलाव को लागू करने से जुड़ी कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 2019 में प्रीप्रेड कार्यक्षमता से युक्त स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया जिसे 23.50 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगाने के लिए शहरी क्षेत्रों से शुरू किया गया। शहरी क्षेत्रों में 23.50 लाख उपभोक्ताओं के यहां और 'हर घर नल का जल' के तहत कृषि उपभोक्ताओं के यहां ऐसे मीटर लगाने के वास्ते जनवरी 2021 में ईईएसएल (ईनर्जी इफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) के साथ एक समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किया गया। शहरी क्षेत्रों में योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण, दोनो क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को इसमें शामिल करने के लिए इसका क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने का निर्णय लिया। तदनुरूप, 15,074.12 करोड़ रु. के व्यय से दोनो वितरण कंपनियों के ग्रामीण उपभोक्ताओं और शहरी क्षेत्रों के बचे उपभोक्ताओं के यहां 1.48 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर 2022 में स्वीकृति दे दी गई। इसको 2025-26 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

**मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना (एमकेवीएसवाइ)** : ग्रामीण क्षेत्रों में उप-संचरण एवं वितरण अधिसंरचना में वृद्धि तथा कृषि और कृषीतर कार्यों के लिए अलग-अलग नेटवर्क स्थापित करने के लिए राज्य में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को लागू किया गया था। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के चलते कृषि पंपसेटों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग बढ़ गई। फलतः, ग्रामीण क्षेत्रों में लोड भी बढ़ गया है। कृषि के मकसद से नए सेवा कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र जमा लेने के मकसद से राज्य सरकार ने पंचायत-वार शिविर स्थापित किए हैं। इन सेवा कनेक्शनों को लगाने के दौरान स्पष्ट हो गया कि कृषि पंपसेटों के लिए समर्पित फीडरों समेत अवसंरचना विकास की काफी जरूरत है। हालांकि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत फीडर अलग करने के काम की सीमित संभावना के कारण वितरण कंपनियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2020 में 'मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना नामक' नई पहल शुरू की और दोनो वितरण कंपनियों को मिले अतिरिक्त आवेदकों को शामिल करने के लिए 1329.61 करोड़ रु. स्वीकृत किए। योजना के तहत दिए गए कनेक्शनों और निर्मित अवसंरचना की संख्या का विवरण तालिका 8.12 में प्रस्तुत है।

साथ ही, राज्य सरकार ने अपने चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023-28) में कृषि के लिए समर्पित फीडरों सहित विद्युत अवसंरचना का निर्माण करने और मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के दूसरे चरण में लगभग 4.80 लाख नए कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2190.75 करोड़ रु. व्यय वाली एक नई योजना सूत्रबद्ध की है। इसके अलावा, मौजूदा 1354 समर्पित कृषि फीडरों के लिए सौर विद्युतीकरण का काम भी योजना में शामिल है। राज्य

सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कृषि उपभोक्ताओं को 0.55 रु. प्रति यूनिट की उच्च सब्सिडीशुदा दर पर बिजली आपूर्ति की जा रही है।

**तालिका 8.12 : दिसंबर, 2024 तक मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत काम का ब्योरा**

| (मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना-1) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | इकाई | संभावना (संशोधित) | | | उपलब्धि | | |
| | | उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | बिहार | उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | बिहार |
| 11,000 वोल्ट लाइन | सर्किट किमी | 5446 | 5397 | 10843 | 5446 | 5397 | 10843 |
| वितरण ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 6685 | 9366 | 16051 | 6685 | 9366 | 16051 |
| AB केबल पर निम्न विभव लाइन | सर्किट किमी | 7922 | 10104 | 18026 | 7922 | 10104 | 18026 |
| नए कृषि कनेक्शन | संख्या | 50784 | 59060 | 109844 | 50784 | 59060 | 109844 |
| **(मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना-2)** | | | | | | | |
| विवरण | इकाई | संभावना (संशोधित) | | | उपलब्धि | | |
| | | उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | बिहार | उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी | दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी | बिहार |
| 11,000 वोल्ट लाइन | सर्किट किमी | 7575 | 4856 | 12431 | 130 | 214 | 344 |
| वितरण ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 18937 | 12141 | 31078 | 277 | 272 | 549 |
| AB केबल पर निम्न विभव लाइन | सर्किट किमी | 13843 | 8876 | 22719 | 300 | 176 | 476 |
| नए कृषि कनेक्शन | संख्या | 290426 | 189272 | 479698 | 53204 | 74324 | 127528 |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

## 8.9 नागरिक हितैषी सेवाएं

बिहार की विद्युत वितरण कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने को लगातार प्राथमिकता दी है। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली कुछ मुख्य सेवाएं नीचे वर्णित हैं :

**मिस्ड कॉल करने पर एसएमएस के जरिए बिल :** अब उपभोक्ता महज मिस्ड कॉल करके बिजली कनेक्शन के मामले में वर्तमान में देय रकम और देने की तिथि के बारे में एमएमएस से जानकारी पा सकते हैं। साथ ही, सिस्टम द्वारा सबसे हाल का बिजली बिल डाउनलोड करने के लिए यूआरएल (यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सेवा के चलते बिजली कार्यालय पहुंचने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी घटी है और एसएमएस के जरिए पीडीएफ लिंक भेजकर ई-डुप्लीकेट ऊर्जा बिल उपलब्ध कराने से कागजों की भी बचत हुई है।

**सुविधा मोबाइल ऍप :** वितरण कंपनियों ने अनेक सेवाएं देने के लिए सुविधा नामक एक ऍप शुरू किया है। इन सेवाओं में नया सेवा कनेक्शन के लिए आवेदन, ऑनलाइन बिल भुगतान, बिल डाउनलोड करना, सबसे हाल के भुगतान की लेनदेन देखना, शिकायत दर्ज कराना, बिजली चोरी संबंधी सूचना देना, लोड बदलवाने संबंधी सेवा, नाम/ पता/ मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट करना आदि शामिल हैं। उपभोक्ता अब सुविधा ऍप के जरिए अपने सेवा अनुरोधों की स्थिति जांच सकने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, सारे आपूर्ति प्रमंडल 'सुविधा' काउंटरों से लैश हैं। ये काउंटर सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के बीच सिंगल विंडो इंटरफेस का काम कर रहे हैं।

**सोशल मीडिया :** सक्षमकारी वातावारण बनाने के लिहाज से सोशल मीडिया में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर जवाब देने के लिए वितरण कंपनियों ने एक समर्पित कोषांग की स्थापना की है। उपभोक्ताओं को नीतिगत मामलों पर अद्यतन रखने के लिहाज से फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब के जरिए विभिन्न योजनाओं को प्रचारित करने के लिए उनके द्वारा इन प्लेटफॉर्मों पर अधिकृत एकाउंट बनाए गए हैं।

**शिकायत निवारण :** उपभोक्ता टॉल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके परेशानियां/ शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, कंपनी के वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत पृष्ठ भी मौजूद है और शिकायतकर्ताओं को सीधे उस पर भी शिकायत या परेशानी दर्ज कराने की अनुमति है। वे अपनी शिकायतों या परेशानियों पर की गई कार्रवाइयों को भी पोर्टल पर देख सकते हैं।

**खुद से बिजली बिल निकालना :** सुविधा ऍप में यह नई सुविधा जोड़ी गई है जिसके जरिए उपभोक्ता अपने मीटर का पठन खुद भेजकर अपना बिजली बिल निकाल और प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम से बिल बिना मानवीय हस्तक्षेप के निकलता है। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें पिछला बिल भेजने के 35 दिनों के अंदर नियमित बिल नहीं भेजा गया है।

**छापा एवं प्राथमिकी प्रबंधन प्रणाली :** बिजली चोरी से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के एक खास ह्वाट्जऍप नंबर उपलब्ध कराया गया है। 1 अगस्त 2023 को ऑनलाइन मोड में छापा और प्राथमिकी के रिकॉर्ड संधारित करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। पहले यह हाथों से किया जाता था और केंद्रीय स्तर पर वैसे रिकॉर्ड को खोजना और उनका अनुश्रवण करना मुश्किल होता था। अब वितरण कंपनियों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले हर छापा/ प्राथमिकी की प्रविष्टि के लिए कंप्यूटर द्वारा अद्वितीय रेफरेंस नंबर दिया जाता है। इस शीर्ष के तहत केंद्रीकृत नकद संग्रहण के लिए यह ऍप संग्रहण काउंटरों के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। इस मॉड्यूल में विभिन्न सूचना प्रबंधन प्रणालियों द्वारा तैयार रिपोर्टों के जरिए इन रिकॉर्ड को खोजने और अनुश्रवण करने में आसानी होती है। इस ऍप का उपयोग करके जानना आसान हो गया है कि क्षेत्रगत अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित अंचल/ प्रमंडल/ अनुमंडल/ अनुभाग में कितने छापे डाले गए/ प्राथमिकियां दर्ज की गईं। जिन उपभोक्ताओं के लिए छापा/प्राथमिकी की कार्रवाई हुई उन्हें प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए प्रक्रिया के हर चरण पर एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाती है और अपने रेफरेंस नंबर का उपयोग करके वे छापा/ प्राथमिकी की रकम का भुगतान संग्रहण काउंटर पर भी कर सकते हैं। इस ऍप ने राजस्व सृजन में भी काफी मदद की है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 8.1 : बिजली की जिलावार खपत (करोड़ यूनिट में)

| जिला | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अररिया | 33.4 | 36.9 | 44.3 | 47.2 | 48.9 | 53.8 |
| अरवल | 16.6 | 17.8 | 21.4 | 22.1 | 23.4 | 24.5 |
| औरंगाबाद | 90.8 | 92.7 | 102.5 | 97.7 | 113.1 | 112.2 |
| बांका | 32.0 | 36.9 | 44.0 | 46.4 | 50.6 | 55.8 |
| बेगूसराय | 60.3 | 67.3 | 73.3 | 77.3 | 88.1 | 94.1 |
| भागलपुर | 90.1 | 99.4 | 107.9 | 112.7 | 126.6 | 130.1 |
| भोजपुर | 75.6 | 80.4 | 89.8 | 94.8 | 108.3 | 114.5 |
| बक्सर | 48.3 | 53.3 | 65.8 | 69.3 | 77.7 | 81.6 |
| दरभंगा | 63.5 | 71.2 | 83.3 | 89.1 | 93.1 | 98.7 |
| पूर्व चंपारण | 82.8 | 95.0 | 110.5 | 116.8 | 125.9 | 136.8 |
| गया | 163.3 | 170.7 | 203.1 | 201.8 | 225.0 | 240.2 |
| गोपालगंज | 49.2 | 54.5 | 59.7 | 63.5 | 66.3 | 68.1 |
| जहानाबाद | 42.8 | 43.0 | 48.2 | 49.4 | 53.3 | 55.6 |
| जमुई | 42.3 | 44.2 | 47.2 | 48.9 | 53.2 | 55.8 |
| कैमूर | 71.5 | 74.1 | 75.1 | 72.0 | 84.7 | 88.8 |
| कटिहार | 40.9 | 47.8 | 54.4 | 60.9 | 66.7 | 74.0 |
| खगड़िया | 25.6 | 26.9 | 30.8 | 32.3 | 35.0 | 37.4 |
| किशनगंज | 21.2 | 26.5 | 28.8 | 31.4 | 35.4 | 41.0 |
| लखीसराय | 33.5 | 34.9 | 35.3 | 42.0 | 44.3 | 46.2 |
| मधेपुरा | 29.9 | 32.4 | 35.7 | 36.9 | 39.1 | 41.7 |
| मधुबनी | 56.5 | 64.2 | 74.7 | 82.6 | 86.9 | 93.5 |
| मुंगेर | 38.5 | 39.7 | 43.1 | 45.1 | 48.2 | 52.9 |
| मुजफ्फरपुर | 120.2 | 137.0 | 144.4 | 147.4 | 159.0 | 165.6 |
| नालंदा | 112.8 | 117.0 | 129.5 | 125.4 | 140.8 | 151.4 |
| नवादा | 55.9 | 61.1 | 68.9 | 70.5 | 81.7 | 94.2 |
| पटना | 523.6 | 549.5 | 521.1 | 543.7 | 602.1 | 647.6 |
| पूर्णिया | 54.9 | 60.3 | 64.9 | 70.5 | 74.3 | 79.1 |
| रोहतास | 109.9 | 113.9 | 136.0 | 141.2 | 152.4 | 157.0 |
| सहरसा | 31.2 | 33.3 | 36.4 | 37.8 | 40.2 | 43.0 |
| समस्तीपुर | 68.7 | 77.2 | 86.8 | 89.1 | 100.0 | 111.9 |
| सारण | 87.7 | 99.6 | 99.9 | 108.1 | 111.6 | 118.6 |
| शेखपुरा | 19.0 | 24.1 | 24.7 | 24.9 | 29.8 | 32.2 |
| शिवहर | 8.6 | 10.4 | 11.5 | 12.8 | 14.2 | 14.8 |
| सीतामढ़ी | 48.0 | 50.7 | 60.3 | 65.2 | 72.7 | 77.8 |
| सीवान | 64.1 | 70.5 | 72.0 | 78.9 | 83.0 | 88.7 |
| सुपौल | 32.0 | 36.1 | 42.4 | 46.1 | 49.6 | 52.1 |
| वैशाली | 73.3 | 79.9 | 89.2 | 91.4 | 101.1 | 103.1 |
| पश्चिम चंपारण | 61.5 | 68.4 | 77.0 | 82.5 | 89.4 | 95.7 |
| **बिहार** | **2680.0** | **2898.8** | **3143.9** | **3275.7** | **3595.7** | **3829.9** |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 8.2 : विद्यमान और योजनाधीन उत्पादन इकाइयों के विवरण**

<table>
<tr><th colspan="4">विद्यमान उत्पादन इकाइयां</th></tr>
<tr><td colspan="2">फरक्का चरण–1 (500 मेगावाट की 2 इकाइयां) और चरण–2 (200 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td><td colspan="2">कहलगांव चरण–1 (210 मेगावाट की 4 इकाइयां)</td></tr>
<tr><td colspan="2">अंतिम इकाई की व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.07.1996 थी। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का कुल हिस्सा – 488 मेगावाट</td><td colspan="2">अंतिम इकाई की व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.08.1996 थी। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का कुल हिस्सा – 345 मेगावाट</td></tr>
<tr><td colspan="2">फरक्का चरण–3 (500 मेगावाट की 1 इकाई)</td><td colspan="2">कहलगांव चरण–2 (500 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td></tr>
<tr><td colspan="2">व्यावसायिक उत्पादन तिथि 04.04.2012 थी। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का कुल हिस्सा – 97 मेगावाट</td><td colspan="2" rowspan="2">अंतिम इकाई की व्यावसायिक उत्पादन तिथि 02.03.2010 थी। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का कुल हिस्सा – 64 मेगावाट</td></tr>
<tr><td colspan="2">तलचर चरण–1 (500 मेगावाट की 2 इकाइयां)</td></tr>
<tr><td colspan="2">अंतिम इकाई की व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.07.1997 थी। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का कुल हिस्सा – 404 मेगावाट</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">कांटी तापविद्युत परियोजना – 195 मेगावाट की 2 इकाइयां</td><td colspan="2">नबीनगर (बीआरबीसीएल) – 1000 मेगावाट (250 मेगावाट की 4 इकाइयां)</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>इकाई 3 – 195 मेगावाट<br>बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा – 142 मेगावाट</td><td>2016-17</td><td>इकाई 1 (250 मेगावाट) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (25 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2017-18</td><td rowspan="2">इकाई 4 – 195 मेगावाट<br>बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा – 142 मेगावाट</td><td>2017-18</td><td>इकाई 2 (250 मेगावाट) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (25 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>इकाई 3 (250 मेगावाट) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (25 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td colspan="2">दारलीपाली सुपर तापविद्युत संयंत्र – 1600 मेगावाट (800 मेगावाट की 2 इकाइयां)</td><td>2021-22</td><td>इकाई 4 (250 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.12.2021 को) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (25 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>इकाई 1 (800 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि मार्च 2020 में) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (162 मेगावाट)</td><td colspan="2">बरौनी तापविद्युत परियोजना – 110 मेगावाट की 2 और 250 मेगावाट की 2 इकाइयां</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>इकाई 1 (800 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.09.2021 को) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (162 मेगावाट)</td><td>2016-17</td><td>इकाई 7 (110 मेगावाट) नवंबर 2016</td></tr>
<tr><td colspan="2">बाढ़ तापविद्युत संयंत्र (चरण 1) – 1980 मेगावाट (660 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td><td>2019-20</td><td>इकाई 8 (250 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि मार्च 2020 में)</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>इकाई 1 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 12.11.2021 को) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (383 मेगावाट)</td><td>2021-22</td><td>इकाई 9 (250 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.11.2021 को)</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>इकाई 2 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.08.2023 को) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (383 मेगावाट)</td><td>2022-23</td><td>इकाई 6 (110 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.06.2022 को)</td></tr>
<tr><td colspan="2">बाढ़ तापविद्युत संयंत्र (चरण 2) – 1320 मेगावाट (660 मेगावाट की 2 इकाइयां)</td><td colspan="2">नबीनगर (नबीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लि.) – 1980 मेगावाट (660 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2015-16</td><td>इकाई 4 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि मार्च 2016 में) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (572 मेगावाट)</td><td>2019-20</td><td>इकाई 1 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि सितंबर 2019 में) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (546 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>इकाई 5 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि फरवरी 2016 में) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (572 मेगावाट)</td><td>2021-22</td><td>इकाई 2 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि जुलाई 2021 में) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (546 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td colspan="2">उत्तर कर्णपुरा तापविद्युत संयंत्र – 1980 मेगावाट (660 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td><td>2022-23</td><td>इकाई 3 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 01.06.2022 को) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (546 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td colspan="3">इकाई 1 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि मार्च 2023 में) – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा (297 मेगावाट)</td></tr>
<tr><th colspan="4">योजनाधीन उत्पादन इकाइयां</th></tr>
<tr><td colspan="2">बाढ़ तापविद्युत संयंत्र (चरण 1) – 1980 मेगावाट (660 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td><td colspan="2">बक्सर तापविद्युत परियोजना (सतलज जलविद्युत निगम लि.) – 1320 मेगावाट (660 मेगावाट की 2 इकाइयां)</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>इकाई 3 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 2024-25 में संभावित)</td><td>2024-25</td><td>इकाई 1 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 2024-25 की पहली तिमाही में संभावित)</td></tr>
<tr><td colspan="2">उत्तर कर्णपुरा तापविद्युत संयंत्र – 1980 मेगावाट (660 मेगावाट की 3 इकाइयां)</td><td>2025-26</td><td>इकाई 2 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 2025-26 की चौथी तिमाही में संभावित)</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>इकाई 3 (660 मेगावाट) (व्यावसायिक उत्पादन तिथि 2024-25 की चौथी तिमाही में संभावित – बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 297 मेगावाट)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 8.3 : ग्रिड-संपर्कित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की जिलावार स्थापना**

| 20 मेगावाट + 5 मेगावाट ग्रिड संपर्कित रूफटॉप परियोजना | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | उपभोक्ताओं की सं. | कुल क्षमता किलोवाट में (सिर्फ रूफटॉप) | जिला | उपभोक्ताओं की सं. | कुल क्षमता किलोवाट में (सिर्फ रूफटॉप) |
| अररिया | 2 | 8 | मधेपुरा | 2 | 9 |
| अरवल | 3 | 6 | मधुबनी | 10 | 31 |
| औरंगाबाद | 23 | 67 | मुंगेर | 14 | 36 |
| बांका | 4 | 14 | मुजफ्फरपुर | 126 | 484 |
| बेगूसराय | 33 | 105 | नालंदा | 303 | 920 |
| भागलपुर | 49 | 143 | नवादा | 28 | 93 |
| भोजपुर | 10 | 24 | पटना | 750 | 3353 |
| बक्सर | 18 | 51 | पूर्णिया | 8 | 28 |
| दरभंगा | 32 | 97 | रोहतास | 9 | 29 |
| पूर्व चंपारण | 18 | 64 | सहरसा | 9 | 31 |
| गया | 64 | 196 | समस्तीपुर | 64 | 165 |
| गोपालगंज | 37 | 131 | सारण | 28 | 74 |
| जमुई | 3 | 10 | शेखपुरा | 2 | 5 |
| जहानाबाद | 11 | 34 | सीतामढ़ी | 14 | 57 |
| कैमूर | 6 | 19 | सीवान | 18 | 29 |
| कटिहार | 3 | 20 | सुपौल | 4 | 11 |
| खगड़िया | 8 | 43 | वैशाली | 48 | 187 |
| लखीसराय | 5 | 16 | पश्चिम चंपारण | 14 | 40 |
| **योगफल** | | | | **1780** | **6630** |

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय – 9

# ग्रामीण विकास


**सारांश**

*बिहार की प्रगति इसके ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है जहां राज्य की अधिकांश आबादी रहती है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए लक्षित अनेक पहलों की शुरुआत की है। विभिन्न विकासों द्वारा किए गए सहयोगपूर्ण प्रयासों के चलते अति-गरीब और सीमांत समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में काफी सुधार हुआ है। 'जीविका' ग्रामीण महिलाओं की आजीविकाओं के विकास के लिए वाहक रही है। इसी प्रकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने अकुशल और शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के लिए रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) जैसी आवास योजना और बासगीत जमीन का वितरण वंचित ग्रामीण आबादी को आश्रय उपलब्ध कराने में सहायक रहा है। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) ने खाद्य सुरक्षा को मजबूती दी है और ग्रामवासियों के पोषण संबंधी खैरियत में सुधार किया है। ये विविध पहलें ग्रामीण समुदायों का उत्थान करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती हैं।*


## परिचय

ग्रामीण विकास बिहार में समावेशी विकास के लिए जरूरी है जहां लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। राज्य की प्रगति के लिए यह जरूरी है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नीव की ईंट रहा कृषि क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवा क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा योगदाता है। ग्रामीण विकास आरंभ में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों पर केंद्रित था जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक पहलुओं को समाहित करते हुए बहुआयामी दृष्टि के बतौर विकसित हुआ है। अब इसका लक्ष्य आर्थिक विकास, अवसंरचना, सामाजिक न्याय, और मानव क्षमतावृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए ग्रामीण समुदायों की प्राथमिकताएं तय करने के लिए उनका सशक्तीकरण करना है। इन जरूरतों की पहचान करते हुए राज्य सरकार ने गरीबी दूर करने, आजीविका के विकल्पों में सुधार लाने और विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहलों की शुरुआत की है।

इस अध्याय में बिहार में चलने वाले मुख्य विकासमूलक कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। जहां 'जीविका' और मनरेगा जैसी पहलों का फोकस रोजगार सृजन पर है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) और भूमि वितरण के जरिए आवास और स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर काम किया जाता है। साथ ही, जन वितरण प्रणाली ग्रामीण परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वहीं, पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआइ) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और राज्य में समावेशी विकास को बल देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए समुदायों को गोलबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

तालिका 9.1 : बिहार और भारत में ग्रामीण विकास पर व्यय के रुझान (2019-20 से 2024-25, ब.अ.)

(करोड़ रु.)

| वर्ष | बिहार | | | भारत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण विकास पर व्यय | कुल व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत | ग्रामीण विकास पर व्यय | कुल व्यय | कुल व्यय का प्रतिशत |
| 2019-20 | 12316.40 | 146096.7 | 8.43 | 122098.2 | 2686330 | 4.55 |
| 2020-21 | 15646.54 | 165696.5 | 9.44 | 196416.7 | 3509836 | 5.59 |
| 2021-22 | 19094.59 | 193122.9 | 9.89 | 160433.5 | 3793801 | 4.23 |
| 2022-23 | 19528.92 | 231903.9 | 8.42 | 176837.4 | 4193157 | 4.22 |
| 2023-24 (पु.अ.) | 32592.85 | 314950.5 | 10.35 | 171069.5 | 4490486 | 3.81 |
| 2024-25 (ब.अ.) | 27100.64 | 278725.7 | 9.72 | 177566.2 | 4765768 | 3.73 |

टिप्पणी : ब.अ. = बजट अनुमान, पु.अ. = पुनरीक्षित अनुमान

स्रोत : राज्य सरकार के बजट और भारत सरकार के बजट

ग्रामीण विकास पर व्यय ग्रामीण आजीविका और अवसंरचना बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण सूचक का काम करता है। बिहार में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की ओर निर्देशित काफी निवेश किए गए हैं। तालिका 9.1 में बिहार और भारत में 2019-20 से 2024-25 के बजट अनुमान तक ग्रामीण विकास पर व्यय का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के कुल व्यय में ग्रामीण विकास पर व्यय का हिस्सा लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है जिसे चार्ट 9.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.1 : बिहार और भारत के कुल व्यय में ग्रामीण विकास पर व्यय का प्रतिशत (2019-20 से 2024-25, ब.अ.)

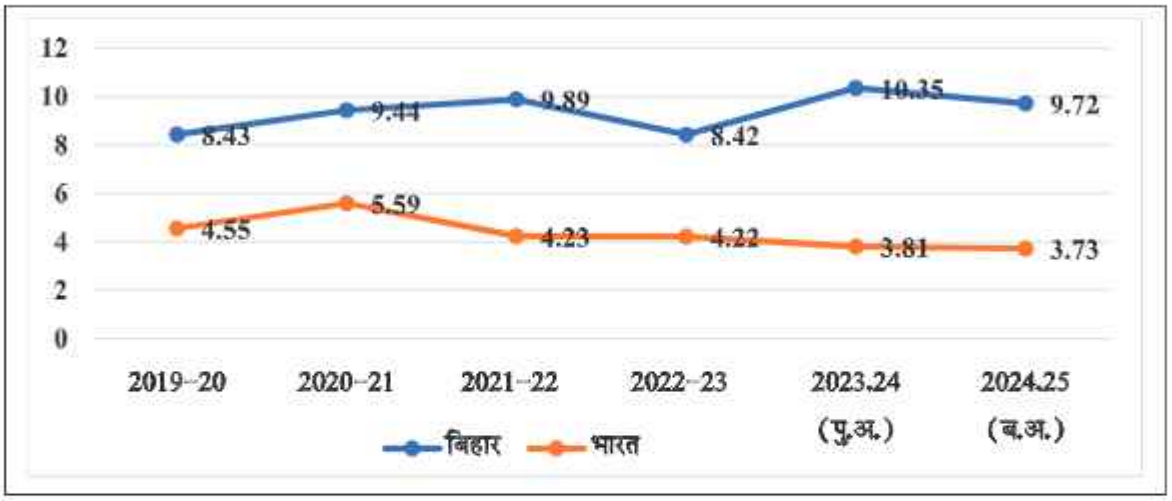


स्रोत : राज्य सरकार के बजट और भारत सरकार के बजट

## 9.1 जीविका

'जीविका' के नाम से जानी जाने वाली बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस) बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने वाली निर्बंधित निकाय है। वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के समय

से ही जीविका ने राज्य में सीमांत ग्रामीण समुदायों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत बढ़ाने में रूपांतरकारी भूमिका निभाई है। सितंबर 2024 तक 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और 71.1 हजार ग्राम संगठन (वीओ) का गठित हुए हैं। साथ ही, (स्वयं सहायता समूहों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऋण-संपर्क सहित) 2198.4 हजार स्वयं सहायता समूहों के ऋण-संपर्कों के जरिए इसने 46.9 हजार करोड़ रु. की संचयी राशि बैंक ऋण के बतौर दिलवाई गई है (तालिका 9.2)।

**तालिका 9.2 : जीविका के अंतर्गत प्रगति (2020-21 से 2024-25)**

(आंकड़े हजार में)

| सूचक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (30 सितंबर 2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या | 1028.1 | 1035.2 | 1046.0 | 1058.6 | 1063.5 |
| गठित ग्राम संगठनों की संख्या | 64.6 | 67.6 | 68.6 | 70.8 | 71.1 |
| गठित संकुल स्तरीय संघों की संख्या | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| बैंकों के साथ ऋण-संपर्क वाले समूहों की संख्या | 1211.5 | 1457.1 | 1751.0 | 2090.8 | 2198.4 |
| बैंक ऋण की रकम (करोड़ रु.) | 15.5 | 21.1 | 29.8 | 41.7 | 46.9 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

समेकित ग्रामीण विकास के लिए जीविका की जमीनी गतिविधियां आमदनी वाली गतिविधियों में और समुदाय आधारित संगठनों के जरिए समेकित ग्रामीण विकास में व्यक्त होती हैं। तालिका 9.3 में सितंबर 2024 तक हुई मुख्य घटकों की प्रगति को रेखांकित किया गया है।

ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) के जरिए वैकल्पिक बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों और गैर-समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गई है। 'एक ग्राम पंचायत एक बीसी' रणनीति के तहत प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक ग्राहक सेवा केंद्र का लक्ष्य लेकर बैंकिंग सखी मॉडल का विस्तार किया गया है। जीविका ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीएससी/ डिजिपे, डीबीजी, फिनो, आइसीआइसीआइ, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्पाइस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख बैंकों के व्यवसाय संवादताओं के साथ सहयोग-समझौता किया है। इससे बैंक सखियों को पहचान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता मिलने के साथ-साथ ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीयन संस्थान (आइआइबीएफ) द्वारा प्रमाणित बैंक सखियों को प्रभावी ढंग से ग्राहक सेवा केंद्र चलाने के लिए आरंभिक सहयोग-समर्थन मिलता है। अभी पूरे क्षेत्र में 5,878 बैंक सखियां ग्राहक सेवा केंद्रों का प्रबंधन कर रही हैं।

**तालिका 9.3 : जीविका के तहत आजीविका संबंधी कृषि की सहवर्ती गतिविधियों के विवरण**

| विवरण/ सूचक | सितंबर 2024 तक प्रगति |
|---|---|
| **वैकल्पिक बैंकिंग** | |
| बीसी अभिकर्ता के रूप में चयनित बैंक सखियों की संख्या | 5878 |
| लेनदेन की मात्रा (लाख रु.) | 1453301.22 |
| बीसी अभिकर्ताओं द्वारा उपार्जित कमीशन (लाख रु.) | 3505.9 |
| **पशु सखी मॉडल** | |
| विकसित पशु सखियों की संख्या | 5792 |
| पशु सखियों द्वारा सेवित परिवारों की संख्या | 590827 |
| प्राप्त बकरों द्वारा गर्भाधान की संख्या | 101431 |
| हरा चारा सहित विकसित एजोला गड्ढों की संख्या | 39945 |
| निर्मित मचानों/ शेड की संख्या | 21685 |
| स्थापित फीडरों की संख्या | 104317 |
| कराए गए बधियाकरण की संख्या | 364788 |
| उत्पादित दाना मिश्रण की कुल मात्रा (किग्रा में) | 284050 |
| कृमिनाशक की दी गई खुराकों की संख्या | 2947810 |
| टीका की दी गई खुराकों की संख्या | 1643695 |
| **मत्स्यपालन संबंधी हस्तक्षेप** | |
| आच्छादित जिलों की संख्या | 32 |
| आच्छादित प्रखंडों की संख्या | 109 |
| आबंटित तालाबों की संख्या | 126 |
| कारगर तालाबों की संख्या | 106 |
| मछली संबंधी हस्तक्षेप का हिस्सा रहे परिवारों की संख्या | 714 |
| **दीदी की रसोई** | |
| पूरे बिहार में खुली दीदी की रसोई की संख्या | 214 |
| **ग्रामीण बाजार संबंधी हस्तक्षेप** | |
| स्थापित ग्रामीण बाजारों की संख्या | 143 |
| प्रति ग्रामीण बाजार औसत वार्षिक लेनदेन (लाख रु.) | 38.52 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 5792 सामुदायिक कैडरों को स्वयं सहायता समूहों और गैर-समूहों के परिवारों को बकरी पालन का संबंधी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए पशु सखियों के रूप में विकसित किया गया है। इस सेवाओं में टीकाकरण, कृमिनाशन, गर्भाधान, बधियाकरण, एजोला पिट का विकास, शेड निर्माण, और आहार तैयार करना शामिल है। पशु सखी मॉडल के तहत अभी 5,90,827 परिवारों को सहयोग दिया जा रहा है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा रखरखाव और मछली पालन के लिए तालाबों को चुना है। साथ ही, 86 मत्स्य सखियों को काम में लगाया गया है जो आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों के जरिए 714 परिवारों को सहयोग दे रही हैं।

जीविका की पहल 'दीदी की रसोई' के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन के मॉडल को बढ़ावा दिया गया है जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण, साफ-सेहतमंद आहार की आपूर्ति करना है। आरंभ में रोगियों, डॉक्टरों, नर्सों और आगंतुकों को सेवा देने के बाद अब इसका काफी विस्तार किया गया है। अभी राज्य में दीदी की रसोई की कुल 214 इकाइयां चल रही हैं। इसकी 95 इकाइयां प्रमंडल और अनुमंडल अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में, 88 इकाइयां अजा/अजजा आवासीय विद्यालयों में, और 31 इकाइयां बैंकों, निबंधन कार्यालयों, तथा बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं सहवर्ती विज्ञान संस्थान (बिमहैस) में चल रही हैं।

जीविका 100 दूकानों का नेटवर्क स्थापित करके और बाजार की कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष साझीदारी करके किराना दूकानें चलाने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आजीविका में सुधार लाने का भी प्रयास कर रही है। इस पहल से समूह सदस्यों के लिए किराने के गुणवत्तापूर्ण सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ समूह संचालित किराना दूकानों और ग्रामीण बाजारों को मुनाफा भी होता है। ग्रामीण बाजार समूह सदस्यों द्वारा बने उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म का भी काम करता है।

वर्ष 2024-25 में (सितंबर 2024 तक) जीविका ने विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के जरिए कृषि, पशुधन और सहवर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 14.72 लाख किसानों ने धान, 13.01 लाख किसानों ने गेहूं, और 10.78 लाख किसानों ने सब्जियों की खेती में सर्वोत्तम प्रचलन अपनाए हैं। रसोई बाड़ी को लोकप्रियता हासिल हुई है जिससे सब्जियों और फलों की सालो भर खेती करने में सक्षम होकर 17.76 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पोषण का स्तर सुधारने में मदद मिली है। वहीं, 5.84 लाख किसान मक्का की खेती में लगे और 2.11 लाख किसानों ने दलहन पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिससे उत्पादन और आय के अवसरों को बल मिला।

समेकित कुक्कुट विकास योजना (आइपीडीएस) के तहत राज्य के 38 जिलों के 310 प्रखंडों में घर के पिछवाड़े में मुर्गीपालन संबंधी हस्तक्षेप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लाभार्थियों को दो बैच में मातृ इकाइयों में 28 दिनों तक पाले गए 45 चूजे मिलते हैं। सितंबर 2024 तक 2 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्य इस पहल में लगे थे।

तालिका 9.4 : जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलने वाली कौशल प्रशिक्षण और अरक्षितता न्यूनीकरण सहित आजीविका से संबंधित गतिविधियों का परिमाण

(आंकड़े लाख में)

| हस्तक्षेप | 2022-23 | 2023 -24 | 2024 -25 (सितंबर 2024 तक) |
|---|---|---|---|
| **कृषि आधारित आजीविका** | | | |
| धान की खेती करने वाले किसानों की संख्या | 16.64 | 14.72 | 14.72 |
| गेहूं की खेती करने वाले किसानों की संख्या | 14.26 | 13.01 | 13.01 |
| सब्जी की खेती करने वाले किसानों की संख्या | 9.92 | 9.92 | 10.78 |
| रसोई बाड़ी में सब्जी उपजाने वाले किसानों की संख्या | 20.61 | 15.61 | 17.76 |
| **कृषि सहवर्ती (ऑफ फार्म) और कृषीतर आजीविका** | | | |
| मुर्गीपालन संबंधी हस्तक्षेप में शामिल समूह सदस्यों की संख्या | 1.86 | 2.00 | 2.00 |
| दूध उत्पादन संबंधी हस्तक्षेप में शामिल समूह सदस्यों की संख्या | 1.16 | 1.31 | 1.42 |
| बकरी संबंधी हस्तक्षेप में शामिल परिवारों की संख्या | 3.03 | 5.04 | 5.91 |
| कृषीतर हस्तक्षेप में शामिल समूह सदस्यों की संख्या | 2.32 | 2.48 | 2.63 |
| **कौशल प्रशिक्षण और तैनाती** | | | |
| पीआइए और रूसेटी द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या | 3.62 | 3.98 | 4.23 |
| पीआइए, रूसेटी, नियोजन मेलों आदि के जरिए नियोजित ग्रामीण युवाओं की संख्या | 4.05 | 4.51 | 4.68 |
| **अरक्षितता में कमी** | | | |
| खाद्य सुरक्षा कोष पाने वाले ग्राम संगठनों की संख्या | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| स्वास्थ्य सुरक्षा कोष पाने वाले ग्राम संगठनों की संख्या | 0.52 | 0.52 | 0.56 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

कॉम्फेड के साथ मिलकर जीविका गोपालक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को दुग्ध सहकारी समितियों (डीसीएस) के साथ जोड़ रही है और महिलाओं द्वारा संचालित नई समितियां भी स्थापित कर रही है। सितंबर 2024 तक, 1041 महिला समितियों का गठन हुआ था जिनसे 76,130 परिवार जुड़े थे। कौशिकी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी 836 दुग्ध एकत्रीकरण केंद्र चलाती है जहां प्रतिदिन औसतन 77,087 लीटर दूध की खरीद होती है।

सीमांचल जीविका गोट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों में बकरी पालकों को सहयोग देती है। इसने 19,956 सदस्यों को गोट प्रोड्यूसर कंपनी में शामिल किया है और 27 प्रखंडों के 5.91 लाख परिवारों को कवर किया है। इन तीन जिलों में कंपनी ने लागत सामग्रियों की बिक्री और बकरे-बकरियों का करोबार शुरू किया है और 568.70 लाख रु. की लेनदेन की है।

खाद्य सुरक्षा कोष (एफएसएफ) पहल के तहत परियोजना के ट्रिगर के आधार पर ग्राम संगठनों को 1 लाख रु. का एकमुश्त चक्रानुसारी कोष उपलब्ध कराया जाता है। समुदाय-संचालित इस ऋण उत्पाद से स्वयं सहायता समूह सदस्य सामूहिक रूप से स्थानीय उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं से खरीदे जाने वाले गुणवत्तापूर्ण अनाज और खाने-पीने की चीजों की सामूहिक रूप से मांग करने, खरीदने और बांटने में सक्षम होते हैं। इसका लक्ष्य कम आमदनी वाले समय में अजा और अजजा समुदायों सहित अरक्षित परिवारों की पोषण संबंधी कमियों को दूर करना है। सितंबर 2024 तक समूह सदस्यों के लाभ के लिए 0.48 लाख ग्राम संगठनों ने इस कोष का उपयोग किया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा कोष कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों के दायरे वाले परिवारों को आपात स्थिति में कम खर्च पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। कम से कम चार महीने से अस्तित्वमान और बैंक खाता रखने वाले ग्राम संगठन इस कोष को पा सकते हैं। सितंबर 2024 तक 0.56 लाख ग्राम संगठनों को यह कोष हासिल हुआ है जिससे स्वास्थ्य संकट के दौरान इनसे जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण सहायता मिली है (तालिका 9.4)।

### कृषि संबंधी हस्तक्षेप

(क) **कृषि उत्पादकता में वृद्धि** : अपने आरंभ से ही जीविका ने किफायती और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया है। पारंपरिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक विधियों को समेकित करके इसने मिट्टी में सुधार, पानी, पौधा एवं पोषण प्रबंधन को बढ़ावा दिया है जिससे कृषक परिवारों की खाद्य सुरक्षा और आमदनी बढ़ी है। वर्ष 2024-25 में (सितंबर 2024 तक) 14.72 लाख धान और 10.78 लाख सब्जी उत्पादक किसानों ने उत्पादन के उन्नत प्रचलनों को अपनाया। रसोई बाड़ियों को भी लोकप्रियता हासिल हुई और 17.76 लाख किसानों ने भिंडी, टमाटर और साग जैसी मौसमी सब्जियां उपजाईं जिससे कम खर्च में पोषण में सुधार हुआ। साथ ही, 5.84 लाख किसानों ने मक्का की और 2.11 लाख किसानों ने दलहन की खेती पर ध्यान दिया जिससे कृषि उत्पादन और आमदनी के अवसर और भी बढ़े।

(ख) **कृषि मूल्य-शृंखला संबंधी हस्तक्षेप** : जीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनियों (डब्ल्यूएफपीसी) की स्थापना करके किसानों के स्वामित्व वाले टिकाऊ संस्थान बनाकर लघु और सीमांत महिला किसानों का सशक्तीकरण भी करती है। ये कंपनियां उत्पादों को जमा करती हैं, लागत सामग्रियों की आपूर्ति सुव्यवस्थित करती हैं और बाजार तक बेहतर पहुंच हासिल करती हैं जिससे किसानों की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। ये कंपनियां फसलों (जैसे कि मक्का, गेहूं, धान, सब्जियों, सरसों और मसूर) एकत्रीकरण और विपणन में लगी हैं और बीज तथा उर्वरक जैसी आवश्यक लागत सामग्रियों का वितरण करती हैं। वे उर्वरक वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन और मूल्यवर्धित प्रसंस्करण आदि में अपना विविधीकरण भी करती हैं। उत्पादों का विपणन ''ग्रीन डिलाइट्स'' ब्रांड के तहत किया जाता है जिसमें बिहार में महिला कृषक उत्पादक कंपनियों को प्रमुख फसल मूल्य-शृंखला में समेकित किया गया है। वर्ष 2023-24 तक विभिन्न चैनलों के जरिए व्यापार और प्रसंस्करण से 26 महिला कृषक उत्पादक कंपनियों की लेनदेन 4576.20 लाख रु. पहुंच गई। इनमें से 15 कंपनियों का प्रचार दो वर्षों तक चलने वाली ''10के एफपीओ स्कीम'' के तहत किया गया जिससे उनकी पहुंच और प्रभाव का विस्तार हुआ।

(ग) **नीरा संबंधी हस्तक्षेप** : वर्ष 2017-18 में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ साझीदारी में शुरू जीविका के नीरा संबंधी हस्तक्षेप के तहत ताड़-खजूर की ताड़ी से बने पारंपरिक पेय नीरा के साथ-साथ गुड़ और

पेड़ा जैसे उप-उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2018 तक इसका विस्तार राज्य के सभी जिलों में हो गया था। सितंबर 2024 तक 1.53 करोड़ लीटर नीरा का संग्रहण और 1.48 करोड़ लीटर नीरा की बिक्री हुई जो ऊंची मांग, सशक्त संचालन और बाजार संपर्क को व्यक्त करती है। इस हस्तक्षेप के तहत 16,200 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें गुणवत्ता संबंधी मानकों के संधारण का लाइसेंस दिया गया। साथ ही, 516 नीरा उत्पादक समूह गठित किए गए जिससे सामूहिक उत्पादन और ग्रामीण आय को बढ़ावा मिला। उत्पादकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाइ) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाइ) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकित कराया गया जिससे उन्हें जीवन और दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिली और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ आजीविका में वृद्धि भी सुनिश्चित हुई।

(घ) **कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी) और ग्राम औजार बैंक** : किसानों को कटाई-तुड़ाई और उसके बाद की कुशल गतिविधियों के लिए आवश्यक मशीनें किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के साथ मिलकर जीविका राज्य में 513 कस्टम हायरिंग केंद्र चला रही है। ये केंद्र मजदूरों की कमी का समाधान करते हैं और समय पर कृषि कार्यों के संचालन के जरिए कृषि की उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपग्रेड किए गए सीएचसी मोबाइल ऍप से मशीनों की बुकिंग और लॉजिस्टिक्स अनुकूलित करने का काम सरल हो जाता है और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। वर्ष 2023-24 तक 55,852 किसान सीएचसी पोर्टल पर निबंधित थे जिनमें से 53,727 किसान सेवाएं ले रहे थे। इससे लघु और सीमांत किसानों की संसाधन संबंधी कमी दूर हो रही है और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

(च) **कृषि उद्यमियों से संबंधित पहल** : यह पहल स्थायीय किसानों को आवश्यक कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमिता का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तीकरण करती है। कृषि उद्यमी लागत सामग्रियों की आपूर्ति करते हैं, फसल संबंधी परामर्श सेवाएं देते हैं, वित्तीय लेन में मदद करते हैं, और किसानों को बाजार से जोड़ते हैं जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ती है। कृषि कार्यों को सुव्यस्थित करने के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाकर प्रत्येक कृषि उद्यमी 3-4 गांवों के 200 से 300 किसानों को सहयोग देता है।

**तालिका 9.5 : कृषि उद्यमी हस्तक्षेपों पर प्रगति**

| विवरण | मार्च 2024 तक प्रगति | सितंबर 2024 तक संचयी प्रगति |
|---|---|---|
| कृषि उद्यमियों की संख्या | 5,232 | 5,302 |
| संग्रहित आंकड़ों में शामिल किसानों की संख्या | 10,28,927 | 10,59,986 |
| विभिन्न व्यवसायों * की संचयी लेनदेन (करोड़ रु.) | 195.4 | 250.3 |

टिप्पणी : * लागत, उत्पादन, पौधशाला, जैविक खाद, मशरूम, कृषि उद्यमियों द्वारा डिजिटल बैंकिंग आदि
स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

सितंबर 2024 तक जीविका ने 5,302 कृषि उद्यमियों को एकजुट किया था जिन्होंने संयुक्त रूप से 250.33 करोड़ रु. की लेनदेन सुगम बनाई। ये कृषि उद्यमी लागत/ निर्गत सामग्रियों की आपूर्ति, पौधशाला प्रबंधन, जैविक खाद का उत्पादन, मशरूम उत्पादन, और डिजिटल बैंकिंग जैसे विभिन्न उद्यमों का काम करते हैं। उनलोगों ने योजना और पहुंच में सुधार करने के लिए 10,59,986 किसानों के आंकड़े भी संग्रहित किए हैं। कृषि उद्यमी मॉडल जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने वाले प्रभावी विकेंद्रीकृत सेवा प्रदान को दर्शाता है (तालिका 9.5)।

**कृषीतर हस्तक्षेप**

(क) **इनक्यूबेशन कार्यक्रम :** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित यह पहल असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के स्वामित्व वाले 450 विकासोन्मुखी सूक्ष्म और अति-सूक्ष्म उद्यमों को सहयोग देती है। आइआइएम कलकत्ता इन्नोवेशन पार्क के साथ सबसे पहले साझीदारी करने वाले बिहार में 27,000 आवदेकों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिनमें से 150 उद्यमियों को सख्त मूल्यांकन के बाद चुना गया। 18 महीने के इनक्यूबेशन के बाद इन उद्यमियों को अनुश्रवण, प्रशिक्षण और व्यवसायों के साथ संपर्क के साथ-साथ 5 करोड़ रु. का सुलभ ऋण और अनुदान मिला। 80 प्रतिशत से भी अधिक उद्यमियों के राजस्व में 15 प्रतिशत से अधिक विकास हुआ और कुछ तो कमाई करने में 1 करोड़ रु. भी पार कर गए और अपनी पेशकशों का विस्तार करके उनलोगों की आजीविका में काफी वृद्धि हुई। संपर्कों और अनुपालनों का विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत है।

**तालिका 9.6 : इनक्यूबेशन के तहत संपर्क और अनुपालन**

| हस्तक्षेप | उद्यमियों की संख्या |
|---|---|
| ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग - व्यवसाय से ग्राहक (बी2सी) और व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) (अमेजन, मीशो) | 17 |
| संस्थागत क्रेता और थोक विक्रेता (तनीरा, पैब इंडिया, कदम हाट, सरल) | 30 |
| मेला और प्रदर्शनी (बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में सरस मेला; उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान बिहार से संपर्क; कृषि-सह-बागवानी विस्तार; अथर्व फाउंडेशन द्वारा आयोजित बोरीवली कला उत्सव में और लखनऊ, कटक तथा पुरी में खादी इंडिया में प्रदर्शनी) | 41 |
| क्रेता-विक्रेता समागम | 6 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

जिन 150 उद्यमियों का इनक्यूबेशन हुआ था उनमें से 125 का विश्लेषण करने से पता चला कि 30 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण में, 26 प्रतिशत विनिर्माण में, 9 प्रतिशत धातु उद्योग में, 7-7 प्रतिशत वस्त्र और परिधान में, तथा 6-6 प्रतिशत जलपानगृह/ कैटरिंग और सेवाओं में काम करते हैं। वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच इन उद्यमियों की औसत आय 73 प्रतिशत बढ़कर 4,31,216 रु. से 7,47,657 रु. पहुंच गई। इस कार्यक्रम से सृजित पूर्णकालिक रोजगार 56 प्रतिशत और अंशकालिक रोजगार 38 प्रतिशत बढ़े जबकि मौसमी रोजगार 71 प्रतिशत बढ़ा जो काफी वृद्धि दर्शाता है (चार्ट 9.2 और 9.3)।

चार्ट 9.2 : उद्यमियों की औसत वार्षिक आय (रु.)

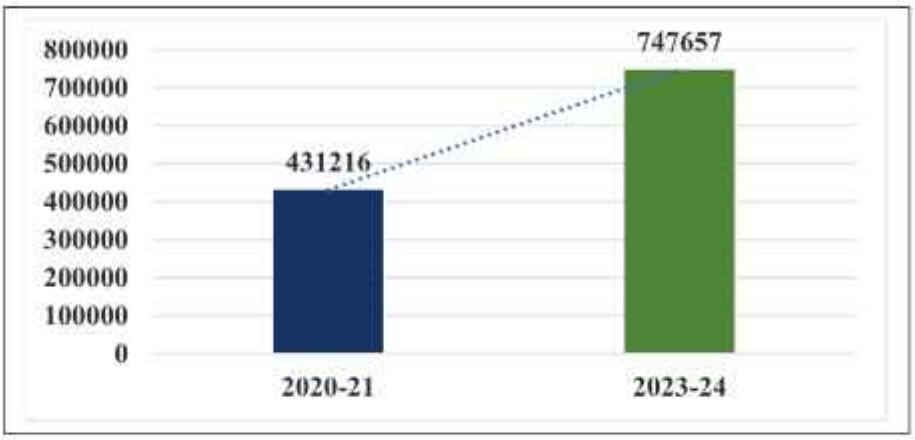


स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

चार्ट 9.3 : उद्यमों में रोजगार सृजन

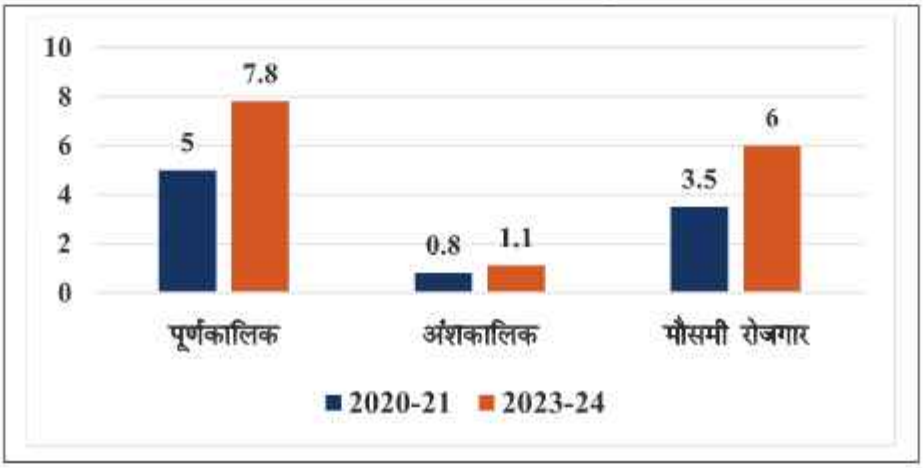


स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

(ख) **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना** : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक बनाना है। वर्ष 2024-25 में 10,000 करोड़ रु. के बजट के साथ यह योजना कृषि उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों सहित कृषि-खाद्य प्रसंस्करण समूहों की सहयाता करना है। वर्ष 2023-24 में बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ने इसके आधार पूंजी संबंधी लक्ष्य को पूरा किया जिससे 12,637 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को लाभ हुआ जिनके बीच राज्य नोडल अभिकरण के जरिए 45.81 करोड़ रु. का वितरण किया गया।

(ग) **सर्व सुविधा केंद्र (ओएसएफसी)** : सर्व सुविधा केंद्र 6 लाख रु. से अधिक टर्नओवर वाले विकासोन्मुखी उद्यमों के लिए सिंगल-विंडो सहायता मॉडल की पेशकश करके उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। ये केंद्र बाजार, मेंटरशिप, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति प्रखंड 50 लाख रु. वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन 12 जिलों के 50 प्रखंडों में किया गया है। योजना के तहत 30.04 करोड़ रु. के कुल वितरण के जरिए 7,298 उद्यमियों का वित्तपोषण हुआ है।

(घ) **सूक्ष्म उद्यम विकास (मेड)** : दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सूक्ष्म उद्यम विकास योजना द्वारा कृषीतर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए स्वयं सहायता समूहों को

सहायता दी जाती है। इसके तहत 5 जिलों के 13 प्रखंडों में कुल 2,671 उद्यमियों का वित्तपोषण किया गया है।

(च) **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता योजना (स्वेप)** : इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सामुदायिक उद्यम कोष के जरिए वित्तपोषण और व्यवसाय सहयोग सेवाओं के जरिए लघु कृषीतर उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। इसके तृतीय चरण में 10 नए प्रखंड जोड़े गए हैं और 266 प्रशिक्षित कैडर सतत उद्यमिता विकास सेवाएं प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत सितंबर 2024 तक कुल 4861 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

(छ) **मुजफ्फरपुर में बैग संकुल इकाई** : मुजफ्फरपुर के बेला में बैग विनिर्माण संकुल सफल सार्वजनिक-निजी साझीदारी है जिसमें उद्योग विभाग, जीविका और कॉर्पोरेट साझीदार शामिल हैं। संकुल में जीविका के 42 उद्यमी कार्यरत हैं जिनलोगों ने 24 मशीनें लगाई हैं जिसके फलस्वरूप 16.55 लाख रु. के बैग का उत्पादन हुआ है और इससे 1100 से भी अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। बारटैक मशीनों के उपयोग से थैलों की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार हुआ है। यहां 40 बारटैक उद्यमी सेवाएं दे रहे हैं। इस पहल से सूक्ष्म उद्यमों को 86.27 लाख रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(ज) **कला एवं शिल्प** : जीविका ने 20 जिलों के 4100 शिल्पियों को वित्तपोषण, प्रशिक्षण और विपणन में सहायता देते हुए उत्पादक समूहों में गोलबंद किया है। वर्ष 2018 में जीविका ने 'शिल्पग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' की स्थापना की जिसमें दरभंगा, मधुबनी, और मुजफ्फरपुर की 500 से भी अधिक महिलाएं शामिल हैं। शिल्पग्राम ने ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके 2023-24 में 7.78 करोड़ रु. का कारोबार किया। जीविका देश के विभिन्न मेलों और आयोजनों में प्रत्यक्ष बिक्री को भी बढ़ावा देती है।

### उद्यमिता विकास के लिए महिलाओं के नेतृत्व में व्यक्तिगत वित्तपोषण

महिलाओं की उद्यमिता बढ़ाने के लिहाज से जीविका ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में एक पायलट परियोजना शुरू की। यह हस्तक्षेप अपना व्यवसाय बढ़ाने और आजीविका में सुधार लाने के लिए आवश्यक वित्तपोषण पाने में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पहल का पायलट पटना, वैशाली और नालंदा में किया गया और उसका विस्तार 14 जिलों के 70 प्रखंडों में कर दिया गया। सितंबर 2024 तक कुल 4846 उद्यमों को बैंकों से ऋण स्वीकृत हुए हैं।

### गृह-व्यवस्था और लौंड्री

अपनी सेवा संबंधी पेशकश में विस्तार के लिए जीविका ने दो मुख्य समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किए हैं। वर्ष 2023 में अजा/ अजजा कल्याण विभाग के साथ किए गए पहले समझौते के जरिए 87 अजा/अजजा आवासीय विद्यालयों में सफाई सेवाओं की शुरुआत की गई जिससे लगभग 700 परिवार लाभान्वित हुए। वहीं, 2024 में स्वास्थ्य विभाग के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया गया।

इन गतिविधियों में सहयोग के लिए जिला परियोजना प्रबंधकों और कृषीतर प्रबंधकों ने कोइलवर स्थित बिमहैस सफाई एवं लौंड्री सेवा उत्कृष्टता केंद्र का भ्रमण किया। वर्ष 2022 से शुरू हुआ विमहैस इन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं ज्ञान केंद्र का काम करता है। साथ ही, जिला टीम ने सफाई और लौंड्री सेवाओं का प्रभावी आरंभ सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों और अजा/अजजा आवासीय विद्यालयों का भी मूल्यांकन किया।

## सतत जीविकोपार्जन योजना

राज्य सरकार ने अति-निर्धन क्रमिक वृद्धि कार्यक्रम का आरंभ 2018 में किया था। इस पहल का लक्ष्य पारंपरिक रूप से देशी शराब/ ताड़ी के उत्पादन, परिवहन और बिक्री में लगे तथा अजा/ अजजा और अन्य समुदायों अति-गरीब परिवारों के लिए आजीविका के टिकाऊ अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम के तहत आजीविका के विविधीकरण, क्षमतावृद्धि और वित्तीय उपलब्धता में वृद्धि पर जोर दिया जाता है।

इस योजना के तहत, 2,01,218 परिवारों की पहचान करके उन्हें आमदनी वाले काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है। इस पहल में उन परिवारों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उद्यम कौशलों का विकास करने पर बल दिया गया है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर परिसंपत्ति निर्माण के लिए हर लक्षित परिवार को 2 लाख रु. तक का आजीविका निवेश कोष आबंटित किया जाता है। साथ ही, परिवारों की अनिवार्य जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें तब तक आजीविका अंतराल सहायता कोष उपलब्ध कराया जाता है जब तक कि उनके नए आजीविका उद्यम से आमदनी होना शुरू नहीं हो जाय।

| विवरण | सितंबर 2024 तक संचयी प्रगति |
|---|---|
| समर्थित अति-गरीब परिवारों की संख्या | 2,01,218 |
| आत्मविश्वास वृद्धि के लिए प्रशिक्षित परिवारों की संख्या | 1,96,107 |
| आजीविका निवेश कोष | 1,85,646 |
| आजीविका अंतराल सहायता कोष | 1,71,603 |

इस दृष्टिकोण के टिकाऊपन को सरकार के कार्यक्रमों के साथ रणनीतिक एकीकरण करके बल दिया जाता है जिससे सुनिश्चित होता है कि अति-गरीब परिवारों को, खास कर कोविड-19 की महामारी जैसे संकट की स्थिति में जरूरी हक उपलब्ध हों। जीविका ने सुनिश्चित किया है कि 100 प्रतिशत जन वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और बीमा आच्छादन, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराने के दौरान लाभार्थियों के पास आधार कार्ड और बैंक खाता जैसे मुख्य दस्तावेज मौजूद हों। सितंबर 2024 में 1. 52 लाख परिवारों को सुरक्षित-संरक्षित माना गया और 17.42 लाख परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। साथ ही, लगभग 1.61 लाख परिवारों को जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हुई और 1.69 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आच्छादन कराया गया।

जून-जुलाई 2023 में हुए क्रमिक वृद्धि सूचक मूल्यांकन सर्वेक्षण में सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी परिवारों को परिसंपत्ति आधारित उद्यम सहायता दिए जाने के 18 से 24 महीने बाद उनके दूसरे कोहॉर्ट की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 35 जिलों में 1917 परिवारों (लक्षित नमूने का 79.87 प्रतिशत) को शामिल करते हुए सर्वेक्षण में टेलीफोन आधारित और व्यक्तिगत, दोनो विधियों का उपयोग किया गया।

सर्वेक्षण में परिवार की क्रमिक वृद्धि के छः महीने बाद मुख्य और अतिरिक्त सूचकों का मूल्यांकन करते हुए कार्यक्रम की सुस्थिरता की पुष्टि की गई जो इस प्रकार हैं :

- **आजीविका** : 57 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम, 21.68 प्रतिशत ने मिश्रित उद्यम, 0.3 प्रतिशत ने कृषि और 20.95 प्रतिशत ने पशुधन को अपनाया।
- **आय** : आय का औसत सूक्ष्म उद्यम वाले परिवारों के लिए 1 लाख रु., मिश्रित उद्यम वाले परिवारों के लिए 84,840 रु., कृषि वाले परिवारों के लिए 33,667 रु. और पशुधन वाले परिवारों के लिए 15,720 रु. था।
- **बचत** : 87.63 प्रतिशत परिवारों ने बैंक खातों के जरिए बचत की जिनकी औसत मासिक बचत 3,405 रु. थी।
- **योजना की पहुंच** : मुख्य योजनाओं तक परिवारों की पहुंच इस प्रकार थी - 82 प्रतिशत की राशन कार्ड, 67 प्रतिशत की नल-जल योजना, 61 प्रतिशत की ई-शक्ति/ ई-श्रम, 60 प्रतिशत की पेंशन योजना, और 43 प्रतिशत की प्रधानमंत्री आवास योजना तक।

## 9.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लक्ष्य काम के अधिकार की गारंटी करना है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों, खास कर अजा अजजा समुदाय सहित सीमांत समुदायों के लोगों के मौसमी बेरोजगारी के समाधान और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए साल में 100 दिनों का अकुशल दिहाड़ी रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी योजना की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, और राज्य सरकार ने मनरेगा के उचित क्रियान्वयन के लिए इसके संचालन दिशानिर्देशों और प्रवधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

**तालिका 9.7 : मनरेगा का प्रदर्शन (2019-20 से 2023-24)**

| सूचक | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| परिवारों को जारी जॉबकार्ड की संख्या (लाख) | 171.6 | 193.8 | 235.3 | 167.0 | 136.0 |
| रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख) | 33.7 | 51.0 | 48.0 | 50.2 | 48.2 |
| 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस) | 1416.2 | 2276.3 | 1811.8 | 2365.7 | 2205.3 |
| कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा | 55.9 | 54.6 | 53.2 | 56.4 | 54.3 |
| प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस) | 42.0 | 44.7 | 37.8 | 47.2 | 45.8 |
| पूरे हुए कार्यों की संख्या (लाख) | 4.6 | 9.9 | 13.0 | 10.9 | 6.3 |
| एमआइएस के अनुसार धनराशि का उपयोग (प्रतिशत) | 93.5 | 97.9 | 98.1 | 97.4 | 96.5 |
| खुले खातों की संख्या (लाख) | 83.1 | 87.4 | 104.9 | 92.4 | 88.4 |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

मनरेगा से संबंधित प्रासंगिक सूचनाएं तालिका 9.7 मे प्रस्तुत हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि परिवारों को जारी जॉब कार्डों की संख्या 2019-20 के 171.6 लाख से घटकर 2023-24 में 136.0 लाख रह गई। लेकिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2019-20 के 33.7 लाख से बढ़कर 2023-24 में 48.2 लाख हो गई है। सृजित रोजगार में भी भारी वृद्धि हुई है जो 2019-20 के 1416.2 लाख व्यक्ति-दिवस से 55.7 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 2205.3 लाख व्यक्ति-दिवस हो गया। वहीं, प्रति परिवार औसत रोजगार के व्यक्ति-दिवस में गत पांच वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव आता रहा है।

मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्यों की संख्या में लगातार सुधार हुआ था जो 2019-20 के 4.6 लाख से बढ़कर 2021-22 में 13.0 लाख हो गई थी। लेकिन 2023-24 में इसमें गिरावट आई जो 2022-23 के 10.9 लाख से 6.3 लाख रह गई। योजना के तहत धनराशि के उपयोग और खुले खातों की संख्या में भी 2019-20 से 2023-24 के बीच उतार-चढ़ाव रहा है। सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस) के अनुसार, धनराशि का उपयोग 2021-22 में सर्वाधिक 98.1 प्रतिशत था और 2023-24 में 96.5 प्रतिशत। इसी प्रकार, मनरेगा के तहत 2021-22 में सर्वाधिक

104.9 लाख और 2019-20 में 83.1 लाख खाते खोले गए थे। वहीं, 2022-23 में खुले खातों की संख्या घटकर 92.4 लाख और 2024 में उससे भी घटकर 88.4 लाख रह गई।

**चार्ट 9.4 : सृजित रोजगार और कुल रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत (2018-19 से 2023-24) (लाख में)**

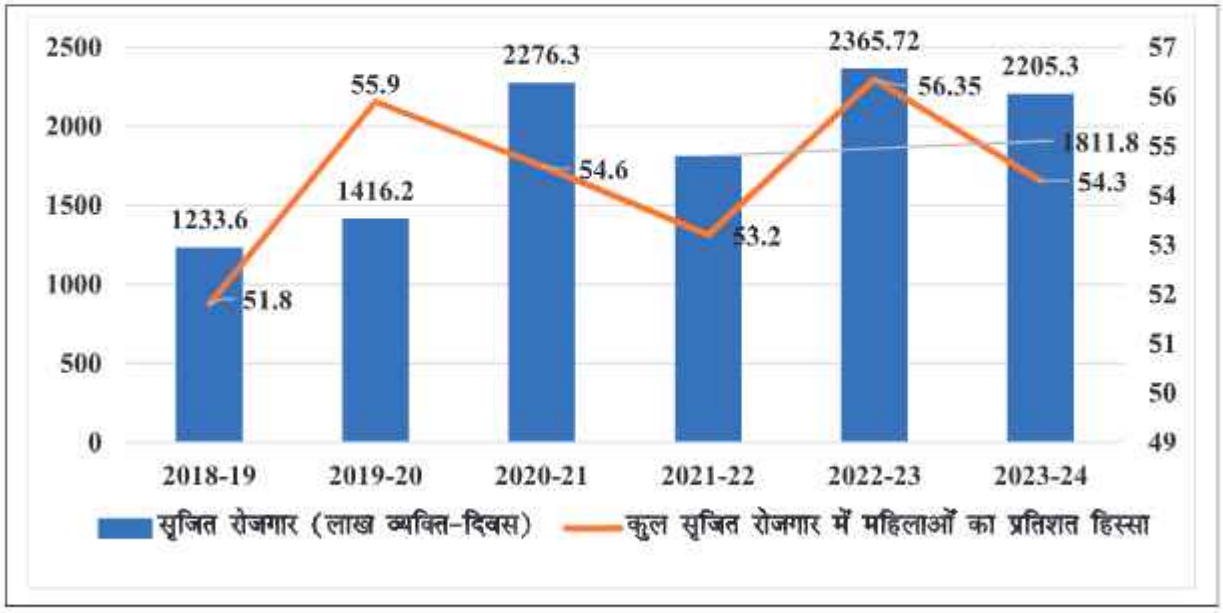


स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 9.5 : खुले खातों और पूरे हुए कार्यों की संख्या (2018-19 से 2023-24)**

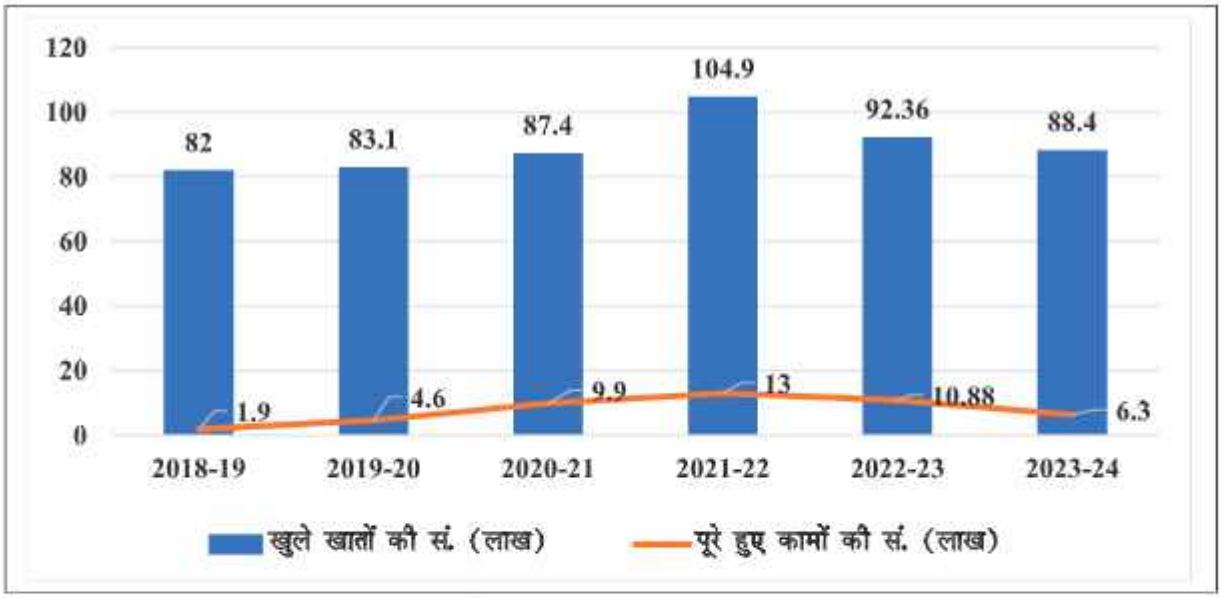


स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक जिला स्तर पर मनरेगा की प्रगति का ब्योरा तालिका प 9.1 और 9.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। सभी जिलों के बीच सर्वाधिक 7.4 लाख कार्ड पूर्व चंपारण में और उसके बाद 7.0 लाख कार्ड समस्तीपुर में जारी किए गए। जारी किए गए कार्डों की कुल संख्या 2021-22 के 189 लाख से घटकर 2023-24 में 136 लाख रह गई जो 28 प्रतिशत गिरावट दर्शाती है। जॉब कार्ड वाले परिवारों की कुल संख्या में अजा परिवारों का सर्वाधिक 36.2 प्रतिशत हिस्सा गया में, 32.7 प्रतिशत औरंगाबाद में और 31.2 प्रतिशत सुपौल में था। वर्ष

2021-22 से 2023-24 के बीच सभी जॉब कार्ड-धारी परिवारों में अजा परिवारों के हिस्से में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं, जॉब कार्ड-धारी परिवारों में रोजगार मांगने वाले परिवारों का हिस्सा काफी बढ़कर 2021-22 के 20.7 प्रतिशत से 2023-24 में 45.4 प्रतिशत हो गया। जॉब कार्ड-धारी परिवारों में रोजगार मांगने वाले परिवारों का सर्वाधिक 68.2 प्रतिशत अनुपात सहरसा में, 65.1 प्रतिशत जहानाबाद में और 61.6 प्रतिशत शिवहर में था।

100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों का हिस्सा 2021-22 के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 0.7 प्रतिशत हो गया। 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों का सर्वाधिक 1.8 प्रतिशत हिस्सा शिवहर और सहरसा में था। राज्य में सृजित कुल रोजगार 2021-22 में 954.3 लाख व्यक्ति-दिवस था जो 131.1 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 2205.4 लाख व्यक्ति-दिवस हो गया। सर्वाधिक 127.5 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार गया में सृजित हुआ और उसके बाद 114.7 लाख व्यक्ति-दिवस पूर्व चंपारण में। नालंदा, समस्तीपुर और सहरसा में भी 90 लाख व्यक्ति-दिवस से अधिक रोजगार सृजित हुआ। कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा अधिकांश जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक था, हालांकि पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, गोपालगंज और भागलपुर जिले इसके अपवाद थे। कुल मिलाकर, कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 2021-22 के 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 54.3 प्रतिशत हो गया। आंकड़ों से कुछ क्षेत्रों में गिरावट के बावजूद, मनरेगा के तहत अनेक पैमानों पर हुई काफी प्रगति का पता चलता है। रोजगार की मांग और सृजित रोजगार के व्यक्ति-दिवसों में उल्लेखनीय वृद्धि ग्रामीण आजीविका में सहयोग देने में कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि विभिन्न जिलों में मनरेगा के क्रियान्वयन में निरंतरता है और अधिकांश जिले उपलब्ध धनराशि का प्रभावी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। राज्य में 2021-22 से 2023-24 के बीच धनराशि का समग्रता में उपयोग 97.0 प्रतिशत से अधिक रहा। साथ ही, उपलब्ध धनराशि में भी सुधार दिखा है जो 2021-22 के 4,31,117.8 लाख रु. से 86.6 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 8,04,331.4 लाख रु. हो गया (तालिका प 9.3)।

**चार्ट 9.6 : मनरेगा योजना के तहत पूरे हुए श्रेणी-वार कार्य (2023-24)**

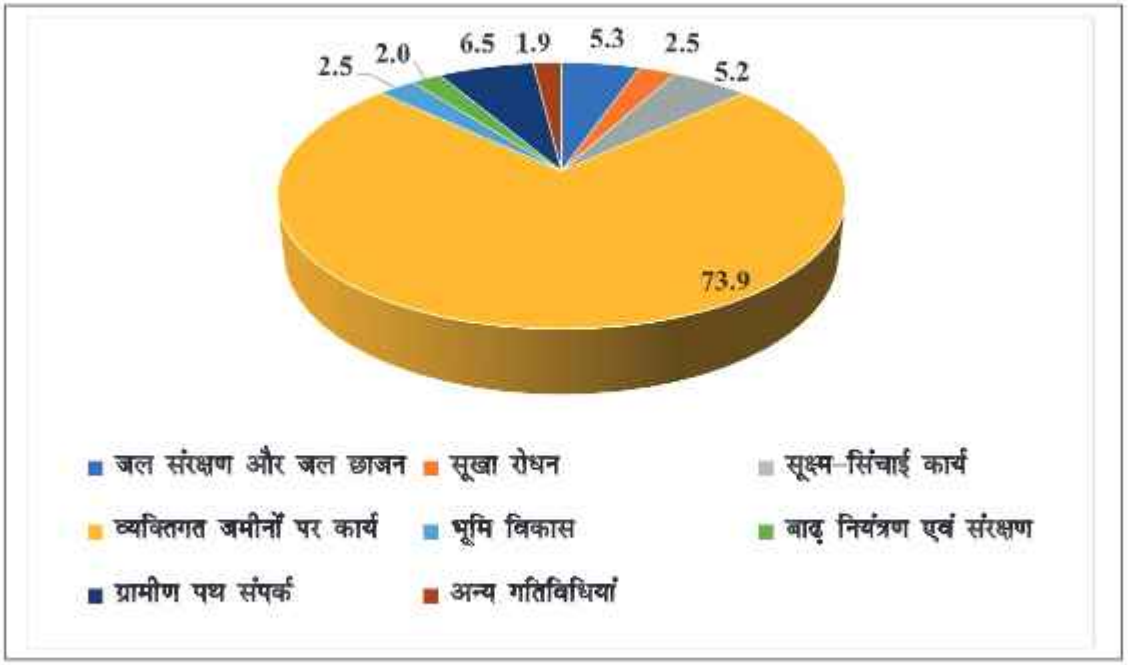


स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.8 : मनरेगा योजना के तहत पूरे हुए श्रेणी-वार कार्य (2019-20 से 2023-24)

| श्रेणियां | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| जल संरक्षण एवं जलछाजन | 5219 (1.1) | 20951 (2.1) | 36890 (2.9) | 16757 (1.5) | 33631 (5.3) |
| सूखा अवरोधन | 4182 (0.9) | 6007 (0.6) | 6372 (0.5) | 5598 (0.5) | 16040 (2.5) |
| सूक्ष्म-सिंचाई संबंधी कार्य | 7266 (1.6) | 14416 (1.5) | 21175 (1.6) | 25055 (2.3) | 32895 (5.2) |
| व्यक्तिगत जमीन पर काम | 403358 (87.0) | 875084 (88.6) | 1157153 (89.3) | 1000158 (91.8) | 465965 (73.9) |
| पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार | 1594 (0.3) | 1912 (0.2) | 2482 (0.2) | 1317 (0.1) | 1980 (0.3) |
| भूमि विकास | 15551 (3.4) | 20309 (2.1) | 16551 (1.3) | 9806 (0.9) | 15954 (2.5) |
| बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव | 1259 (0.3) | 2110 (0.2) | 4477 (0.4) | 6396 (0.6) | 12861 (2.0) |
| ग्रामीण संपर्क पथ | 20202 (4.4) | 36416 (3.7) | 41202 (3.2) | 20748 (1.9) | 41042 (6.1) |
| कोई अन्य गतिविधि | 655 (0.1) | 1089 (0.1) | 389 (नगण्य) | 117 (नगण्य) | 178 (नगण्य) |
| ग्रामीण अधिसंरचना | 240 (नगण्य) | 4358 (0.4) | 5914 (0.5) | 2142 (neg.) | 6284 (1.0) |
| भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र | 82 (नगण्य) | 83 (नगण्य) | 22 (नगण्य) | 6 (नगण्य) | 15 (नगण्य) |
| तटवर्ती क्षेत्र | — | — | — | — | — |
| मछली पालन | 7 (नगण्य) | 4 (नगण्य) | 3 (नगण्य) | 1 (नगण्य) | 7 (नगण्य) |
| खेल के मैदान | 27 (नगण्य) | 35 (नगण्य) | 21 (नगण्य) | 2 (नगण्य) | 3 (नगण्य) |
| ग्रामीण पेयजल | 159 (नगण्य) | 9 (नगण्य) | 5 (नगण्य) | 21 (नगण्य) | 9 (नगण्य) |
| ग्रामीण स्वच्छता | 4037 (0.9) | 4785 (0.5) | 3682 (0.3) | 1185 (0.3) | 3685 (0.6) |
| **योगफल** | **463838 (100.0)** | **987568 (100.0)** | **1296338 (100.0)** | **1089363 (100.0)** | **630549 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूरे हुए कुल कार्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्यों का विवरण तालिका 9.8 में प्रस्तुत है। अधिकांश (73.9 प्रतिशत) कार्य व्यक्तिगत भूमि विकास की श्रेणी में किए गए जिसके बाद 6.5 प्रतिशत ग्रामीण पथ-संपर्क, 5.3 प्रतिशत जल संरक्षण एवं जलछाजन, और 5.2 प्रतिशत सूक्ष्म-सिंचाई कार्य श्रेणियों के तहत। वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत पूरे किए गए कुल कार्यों में शेष सभी श्रेणियों का नगण्य हिस्सा था (चार्ट 9.6)।

## 9.3 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और गृहस्थल वितरण योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) का आरंभ 2016 में ग्रामीण भारत में 2024 तक ''सबके लिए आवास'' उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। योजना का फोकस कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों के लिए

बुनियादी सुख-साधनों से युक्त पक्के मकानों के निर्माण पर है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक एवं जाति गणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के जरिए लक्षित और समावेशी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मकान के व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में भागीदारी होती है। हर लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रु. की और पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों (उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तथा जम्मू एवं कश्मीर और लदाख केंद्र शासित क्षेत्र) में 1.30 लाख रु. की सहायता दी जाती है। शौचालय, बिजली, और रसोई के स्वच्छ इंधन जैसी सुविधाएं देने के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ कनवर्जेस को भी बढ़ावा दिया जाता है।

साथ ही, जमीन और सुरक्षित स्वामित्व की उपलब्धता तथा उस जमीन पर मकान बनाने का अधिकार बुनियादी मानवाधिकार है। गृहविहीन व्यक्तियों, खास कर पिछड़े वर्गों के लोगों को गृहस्थल उपलब्ध कराना उनकी अपनी जमीन के अधिकार को सुनिश्चित करता है और अपना घर बनाने के मामले में उनका सशक्तीकरण होता है जिससे उन्हें सम्मान और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता हासिल होती है। तालिका 9.9 में गृहस्थल वितरण के लिए बजट आबंटन और व्यय प्रस्तुत हैं।

**तालिका 9.9 : गृहस्थल वितरण योजना के तहत बजट आबंटन और व्यय (2021-22 से 2023-24)**

| सूचना | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| **महादलित विकास मिशन** | | | |
| बजट आबंटन (करोड़ रु.) | 6560 | 6640 | 1500 |
| व्यय (करोड़ रु.) | 337.8 | 31.8 | 0.00 |
| वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत) | 5.6 | 0.5 | 0.00 |
| **गृहस्थल योजना** | | | |
| बजट आबंटन (करोड़ रु.) | 178.9 | 300 | 200.00 |
| व्यय (करोड़ रु.) | 93.2 | 6.8 | 6.6 |
| वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत) | 52.1 | 2.3 | 3.3 |
| **जनजातीय उप-योजना** | | | |
| बजट आबंटन (करोड़ रु.) | 410 | 415 | 200.00 |
| व्यय (करोड़ रु.) | 4.8 | 0 | 21.7 |
| वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत) | 1.2 | 0 | 10.58 |
| **योगफल** | | | |
| बजट आबंटन (करोड़ रु.) | 7148.9 | 7355 | 1900.00 |
| व्यय (करोड़ रु.) | 435.8 | 38.5087 | 28.3 |
| वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत) | 6.1 | 052 | 1.5 |

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2023-24 के लिए 200 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया था और 197 लाख रु. का आबंटन हुआ था। इस योजना के तहत अति पिछड़ी जातियों (ईबीसी) के 18,297 और पिछड़ी जातियों (बीसी) के 10,058 गृहविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से अति पिछड़ी जातियों के 14,617 और पिछड़ी जातियों के 7,789 गृहविहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 204.56 लाख रु. का आबंटन हुआ। कुल 15,075 अनुसूचित जाति और 69,658 महादलित गृहविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और 11,436 अनुसूचित जाति और 59,003 महादलित परिवारों को जमीन दी गई जिससे क्रमशः 3,639 और 10,655 परिवार भूमिहीन रह गए।

इसी प्रकार, 2023-24 में जनजातीय उप-योजना के तहत 21.7 लाख रु. का आबंटन किया गया और 4,225 सर्वेक्षित गृहविहीन जनजातीय परिवारों में से 3,352 परिवारों को जमीन दी गई।

अभियान बसेरा कार्यक्रम बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, खास कर भूमिहीन और गृहविहीन परिवारों को आवास का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लक्षित पहल है। कार्यक्रम का फोकस गृहस्थल का सुरक्षित स्वामित्व सुनिश्चित करना और लाभार्थियों को अपने मकानों का निर्माण करने में सक्षम बनाना है। इसका जोर अजा/ अजजा/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) और पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) सहित सीमांत समूहों की चुनौतियों का समाधान करने पर है।

**तालिका 9.10 : अभियान बसेरा के तहत तबकावार पात्र और लाभान्वित परिवार (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | | पिछड़ी जाति 1 | पिछड़ी जाति 2 | अनुसूचित जाति | महादलित | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | सर्वेक्षित परिवारों की संख्या | 22181 | 12202 | 14051 | 5201 | 71748 |
| | लाभान्वित परिवारों की संख्या | 15465 | 7877 | 8983 | 3377 | 50910 |
| | लाभान्वितों का हिस्सा (प्रतिशत) | 69.7 | 64.5 | 63.9 | 64.9 | 70.9 |
| 2020-21 | सर्वेक्षित परिवारों की संख्या | 22526 | 12512 | 15055 | 5302 | 74001 |
| | लाभान्वित परिवारों की संख्या | 16888 | 8631 | 10126 | 3772 | 53453 |
| | लाभान्वितों का हिस्सा (प्रतिशत) | 75.0 | 69.0 | 67.3 | 71.1 | 72.2 |
| 2021-22 | सर्वेक्षित परिवारों की संख्या | 18509 | 9956 | 13955 | 4190 | 72393 |
| | लाभान्वित परिवारों की संख्या | 14353 | 7673 | 10199 | 3001 | 60237 |
| | लाभान्वितों का हिस्सा (प्रतिशत) | 77.5 | 77.0 | 73.1 | 71.6 | 83.2 |
| 2022-23 | सर्वेक्षित परिवारों की संख्या | 17896 | 9936 | 14486 | 70114 | 4261 |
| | लाभान्वित परिवारों की संख्या | 14171 | 7681 | 10890 | 59130 | 3203 |
| | लाभान्वितों का हिस्सा (प्रतिशत) | 79.2 | 77.3 | 75.2 | 84.3 | 75.2 |
| 2023-24 | सर्वेक्षित परिवारों की संख्या | 18297 | 10058 | 15075 | 70135 | 4225 |
| | लाभान्वित परिवारों की संख्या | 14617 | 7789 | 11436 | 59400 | 3352 |
| | लाभान्वितों का हिस्सा (प्रतिशत) | 79.887 | 77.4 | 75.9 | 84.7 | 79.3 |

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

अभी सरकार अभियान बसेरा-2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है जिसमें पात्र भूमिहीन परिवारों का ताजा सर्वेक्षण करना शामिल है। अभियान बसेरा योजना के तहत पात्र परिवारों और लाभार्थियों का 2019-20 से 2023-24 तक का ब्योरा तालिका 9.10 में प्रस्तुत है। योजना के विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का हिस्सा गत पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है। अति पिछड़ा वर्ग 1 और 2 में लाभार्थियों का हिस्सा 2019-20 में क्रमशः 69.7 प्रतिशत और 64.5 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर क्रमशः 79.9 प्रतिशत और 77.4 प्रतिशत हो गया। वहीं, अजा का हिस्सा 2019-20 के 63.9 प्रतिशत से 2023-24 में 75.9 प्रतिशत और अजजा का हिस्सा 2019-20 के 64.9 प्रतिशत से 2023-24 में 84.7 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार सर्वाधिक सुधार अनुसूचित जनजाति के मामले में देखा गया। महादलित तबके में वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत थी और उनका हिस्सा 2019-20 के 70.9 प्रतिशत से 2023-24 में 79.3 प्रतिशत पहुंच गया।

राज्य में संग्रहित भूमि राजस्व 2019-20 के 208.7 करोड़ रु. से लगभग दूना होकर 2023-24 में 410.1 करोड़ रु. पहुंच गया जो 96.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, लाभार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वितरित भूक्षेत्र भी काफी बढ़ा है और 2019-20 के 433.1 एकड़ से 2023-24 में 4,829.7 एकड़ पहुंच गया है। यह समाज के अरक्षित तबकों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है (चार्ट 9.7)।

**तालिका 9.11 : राज्य सरकार द्वारा संग्रहित भूमि राजस्व और गृहस्थल वितरण (2019-20 से 2023-24)**

| मद | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| संग्रहित भूमि राजस्व (करोड़ रु.) | 208.7 | 253.3 | 284.0 | 300.8 | 410.1 |
| **गृहस्थल के लिए जारी किए गए पर्चे** | | | | | |
| लाभान्वितों की संख्या | 86612 | 92870 | 95463 | 95075 | 96594 |
| वितरित जमीन का क्षेत्रफल (एकड़) | 433.1 | 4643.5 | 4773.2 | 4753.8 | 4829.7 |

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 9.7 : राज्य सरकार संग्रहित भूमि राजस्व, लाभार्थियों की संख्या और वितरित जमीन (2019-20 से 2023-24)**

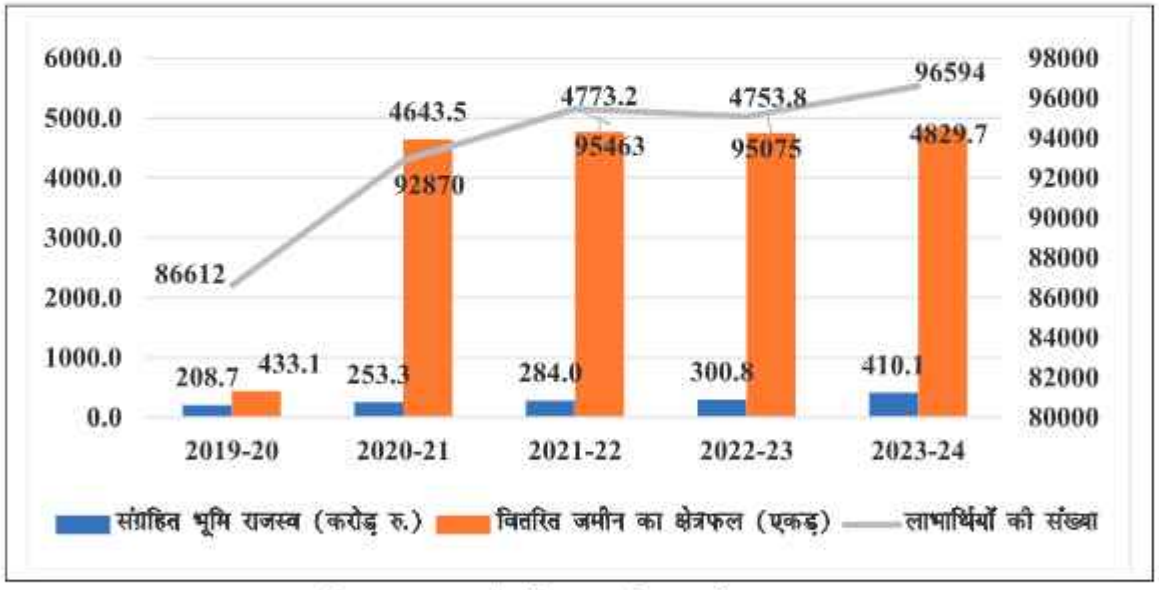


स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

## 9.4 जन वितरण प्रणाली (पीडीएस)

वर्ष 1973 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत काम करता है। यह अंत्योदय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को गेहूं और चावल का वितरण करते हुए 49,400 दूकानों वाले देश की सबसे बड़ी जन वितरण प्रणालियों में से एक का प्रबंधन करता है। बिहार में जन वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के बतौर निगम ने पारदर्शिता बढ़ाने, दायित्व सुनिश्चित करने, और वितरण प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए ई-पीडीएस प्रणाली की शुरुआत की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेवारी है। इसका आरंभ गरीबों के बीच मौजूद कुपोषण दूर करने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों के प्रबंधन और वितरण के लिए हुआ था। पूरक योजना के रूप में शुरू हुई जन वितरण प्रणाली सब्सिडीशुदा दरों पर गेहूं, चावल और दालों सहित बुनियादी सामग्रियां उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार वस्तुओं की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्यों को आबंटन की देखरेख करती है जबकि राज्य सरकार का काम पात्र परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना, और उचित मूल्य की दूकानों (एफपीएस) के संचालन का प्रबंधन करना है।

सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए राज्य के अंदर सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और सीमांत तथा वंचित समुदायों के उत्थान के लिए उचित मूल्य की दूकानों और जन वितरण प्रणाली के लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार उचित मूल्य की दूकानों का आबंटन सुनिश्चित करने से सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद और समावेशिता को मजबूती मिलती है। तालिका 9.12 में प्रस्तुत आंकड़ों से राज्य में जन वितरण प्रणाली की दूकानों के स्वामित्व के बारे में समूहित जानकारी प्राप्त होती है। राज्य में जन वितरण प्रणाली की दूकानों की संख्या 2021 के 48,512 से बढ़कर 2024 में 49,400 हो गई। जन वितरण प्रणाली की दूकानों के स्वामित्व में अजा और पिछड़ी जातियों का 2022 में क्रमशः 18.7 प्रतिशत और 27.5 प्रतिशत हिस्सा था जो 2024 में बढ़कर क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत हो गया। वहीं, विगत वर्षों के दौरान अन्य श्रेणियों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा है।

जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक विवरणी का जिलावार विवरण तालिका प 9.4 (परिशिष्ट) में उपलब्ध है। राज्य में उचित मूल्य की दूकानों की कुल स्वीकृत संख्या 53,165 थी जिसमें से 49,400 कार्यशील हैं और 3,765 रिक्त हैं जो कुल स्वीकृत दूकानों का 7 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि भोजपुर, सारण, और शिवहर जिलों में उचित मूल्य की कोई भी दूकान खाली नहीं है जबकि भागलपुर में सर्वाधिक 387 और पश्चिम चंपारण में 318 दूकानें खाली हैं।

**तालिका 9.12 : जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि (2022 से 2024)**

| दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि | दूकानों की संख्या | | | प्रतिशत हिस्सा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| अनुसूचित जाति | 9058 | 9113 | 9407 | 18.7 | 18.6 | 19.0 |
| अनुसूचित जनजाति | 563 | 577 | 453 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| पिछड़ी जाति | 13328 | 13278 | 13763 | 27.5 | 27.1 | 27.9 |
| अति पिछड़ी जाति | 7867 | 7542 | 7863 | 16.2 | 15.4 | 15.9 |
| अल्पसंख्यक | 3901 | 4014 | 4089 | 8 | 8.2 | 8.3 |
| महिला स्वयं सहायता समूह | 283 | 521 | 316 | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
| सहकारी समिति (पूर्व-सैनिक) | 3829 | 3954 | 3891 | 7.9 | 8.1 | 7.9 |
| नि:शक्त | 286 | 333 | 306 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| सामान्य जाति | 9397 | 9643 | 9312 | 19.4 | 19.7 | 18.9 |
| **योगफल** | **48512** | **48975** | **49400** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) राज्य में खाद्यान्नों की गुणवत्ता और आपूर्ति की मात्रा सुनिश्चित करता है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच गेहूं और चावल के आबंटन और उठाव के आंकड़े तालिका 9.13 में प्रस्तुत हैं। गत पांच वर्षों में राज्य में कुल मिलाकर 97 प्रतिशत से अधिक औसत उठाव दर्ज हुआ। कुल आबंटन का सर्वाधिक 99 प्रतिशत से भी अधिक उठाव 2019-20 और 2023-24 में दर्ज हुआ था। वर्ष 2023-24 में कुल 1086.7 हजार टन गेहूं और 3924.9 हजार टन चावल का आबंटन हुआ जिसमें से 1079.9 हजार टन गेहूं और 3911.5 हजार टन चावल का उठाव हुआ जो कुल आबंटन के 99 प्रतिशत से भी अधिक है।

**तालिका 9.13 : प्राथमिकता-प्राप्त परिवार + अंत्योदय अन्न योजना के तहत चावल और गेहूं का आबंटन और उठाव (2019-20 से 2023-24)**

(आंकड़े हजार टन में)

| वर्ष | कुल आबंटन (प्राथमिकता-प्राप्त परिवार + अंत्योदय) | | | कुल उठाव (प्राथमिकता-प्राप्त परिवार + अंत्योदय) | | | कुल उठाव का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गेहूं | चावल | योगफल | गेहूं | चावल | योगफल | |
| 2019-20 | 2091.3 | 3141.3 | 5232.6 | 2089.8 | 3134.1 | 5223.9 | 99.8 |
| 2020-21 | 2165.8 | 3248.1 | 5413.9 | 2065.9 | 3106.6 | 5172.5 | 95.5 |
| 2021-22 | 2208.2 | 3266.7 | 5474.9 | 2159.4 | 3187.7 | 5347.1 | 97.7 |
| 2022-23 | 1223.6 | 4220.0 | 5443.6 | 1165.1 | 3904.5 | 5069.7 | 93.1 |
| 2023-24 | 1086.7 | 3924.9 | 5011.7 | 1079.9 | 3911.5 | 4991.4 | 99.6 |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं और चावल के आबंटन और उठाव के जिलावार आंकड़े तालिका प 9.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। राज्य के 38 जिलों में से 28 में गेहूं का उठाव 100 प्रतिशत था जबकि 27 जिलों में चावल का उठाव 100 प्रतिशत था। गेहूं का सबसे कम 90.4 प्रतिशत उठाव कैमूर में, 94.2 प्रतिशत अरवल में और 95.4 प्रतिशत वैशाली में दर्ज किया गया जबकि चावल का सबसे कम 94.4 प्रतिशत उठाव वैशाली में और 95.9 प्रतिशत अरवल में हुआ।

भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की लगातार आपूर्ति करके भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जिससे उचित मूल्य और आमदनी की स्थिरता सुनिश्चित होती है। कुशल परिवहन और समय पर वितरण सुनिश्चित करके निगम जन वितरण प्रणाली और कल्याणमूलक योजनाओं को खाद्यान्नों का आबंटन करता है। साथ ही, यह कमी के दौरान बाजार मूल्य का स्थिरीकरण करता है और आपात स्थिति में बफर स्टॉक प्रदाता के बतौर काम करता है जिससे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

देश में कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार ने जन वितरण प्रणाली की दूकानों और समेकित बाल विकास सेवा तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी कल्याणमूलक योजनाओं में फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति शामिल की है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे अनिवार्य पोषक तत्वों से समृद्ध फोर्टीफाइड चावल के दानों को सामान्य चावल में कुटाई की प्रक्रिया के दौरान ही 1:100 के अनुपात में मिला दिया जाता है। इस पहल का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए अत्यावश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करके उनके समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना है।

जन वितरण प्रणाली में कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं :

- भंडार निर्गत आदेशों का स्वत: निर्माण और खाद्यान्न खरीद के लिए बैंक खातों के साथ दूकानदारों के भुगतानों का स्वचालित मिलान।
- दूकानदारों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की सही माप के लिए इलक्ट्रॉनिक वजन मशीनों का स्थापन।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12(2)(ई) के अनुरूप परिवहन वाहनों में जीपीएस और लोड सेलों का उपयोग और जिला कार्यालयों तथा मुख्यालयों के नियंत्रण कक्षों से तत्क्षण अनुश्रवण।
- लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जानकारी देने के लिए स्वचालित एसएमएस अधिसूचना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12(2)(ए) के अनुरूप सूचना प्रबंधन प्रणाली के जरिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
- तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित हेल्प डेस्क और भंडारगृहों मे खाद्यान्नों की इनवेंट्री का कंप्यूटरीकृत प्रबंधन।

## 9.5 पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआइ)

पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करके विकेंद्रित शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण विकास, गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके बिहार में त्रिस्तरीय

पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। नियमित चुनावों से समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए अजा, अजजा, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित होता है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के स्थानीय लोगों की भागीदारी से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित होती है। ये संस्थाएं सरकार और ग्रामीण समुदायों के बीच पुल का काम करती हैं और स्थानीय आबादी का विकास और सशक्तीकरण करती हैं। तालिका 9.14 में 2024 में पंचायती राज संस्था के अन्य अधिकारी सदस्यों सहित जिला परिषदों (38), पंचायत समितियों (533) और ग्राम पंचायतों (8053) की संख्या दर्शाई गई है।

**तालिका 9.14 : बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन (2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| विवरण | संख्या | विवरण | संख्या |
|---|---|---|---|
| जिला परिषद | 38 | ग्राम पंचायत सचिव | 8053 |
| पंचायत समिति | 533 | न्याय मित्र | 5826 |
| ग्राम पंचायत | 8053 | ग्राम कचहरी सचिव | 6656 |
| ग्राम पंचायत सदस्य | 109321 | जिला पंचायती राज अधिकारी | 38 |
| पंचायत समिति सदस्य | 11094 | प्रखंड पंचायती राज अधिकारी | 442 |
| जिला परिषद सदस्य | 1160 | ग्राम कचहरी सदस्य | 109321 |

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 9.8 : पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय का प्रतिशत वितरण (2019-20 और 2023-24)**

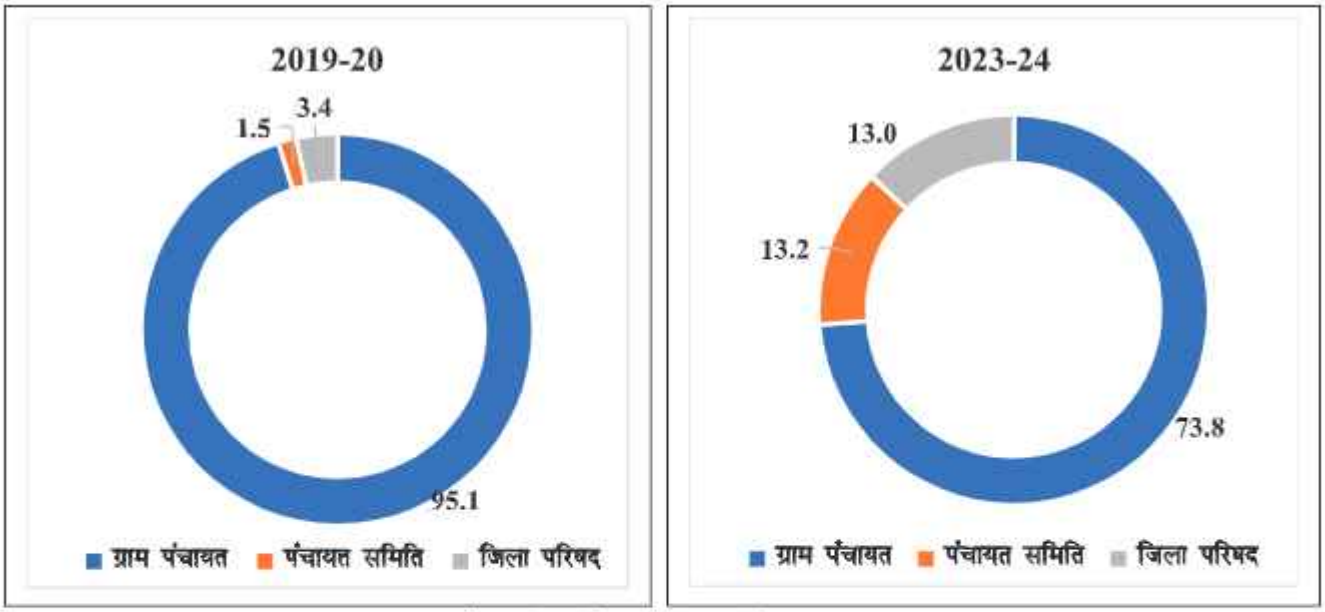


स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय उनके हर स्तर पर किए गए कार्य की संभावना और धनराशि के उपयोग का एक महत्वपूर्ण सूचक है। पहले अधिकांश व्यय ग्राम पंचायत स्तर पर संकेंद्रित रहता था। लेकिन विगत वर्षों के दौरान प्रणाली के तीनों स्तरों पर इसका संतुलित तरीके से वितरण होता रहा है।

जैसा कि चार्ट 9.8 में दर्शाया गया है, 2019-20 में ग्राम पंचायतों ने कुल धनराशि के 95.1 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया था जबकि जिला परिषद का 3.4 प्रतिशत और पंचायत समितियों का 1.5 प्रतिशत हिस्सा था। लेकिन 2023-24 में वितरण में काफी बदलाव आया और कुल धनराशि के उपयोग में ग्राम पंचायतों का 73.8 प्रतिशत, जिला परिषदों का 13.0 प्रतिशत और पंचायत समितियों का 13.2 प्रतिशत हिस्सा हो गया। तालिका 9.15 में 2019-20 से 2023-24 तक विभिन्न स्तरों पर हुआ व्यय और प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 के बाद कुल व्यय में काफी वृद्धि हुई है जो 2021-22 के 7,234.7 करोड़ रु. से 38.3 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 10,007.6 करोड़ रु. हो गया।

**तालिका 9.15 : पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के व्यय स्तर (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| पंचायती राज संस्थाओं के स्तर | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्राम पंचायत | 8124.3 (95.0) | 5898.9 (75.2) | 4793.0 (66.3) | 5804.1 (72.0) | 7383.9 (73.8) |
| पंचायत समिति | 131.3 (1.5) | 1163.6 (14.8) | 922.0 (12.7) | 1123.5 (13.9) | 1321.91 (13.2) |
| जिला परिषद | 294.0 (3.4) | 779.9 (9.9) | 1519.7 (21.0) | 1130.7 (14.0) | 1301.78 (13.0) |
| **योगफल** | **8549.6 (100.0)** | **7842.4 (100.0)** | **7234.7 (100.0)** | **8058.3 (100.0)** | **10007.6 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय धनराशि के उपयोग और हर संबंधित स्तर पर पूरे किए गए कार्यों की हद का महत्वपूर्ण सूचक है। यह आबंटित धनराशि के प्रभावी उपयोग और चलने वाली विकासमूलक गतिविधियों की संभावनाओं को व्यक्त करता है।

1. **ग्राम पंचायत** : जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतें मुख्यत: अपना व्यय स्थानीय अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, और ग्राम विकास के कार्यक्रमों पर केंद्रित करती हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय में 9.1 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, 2021-22 से 2023-24 की अवधि में इसमें 54.0 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि दिखी (तालिका 9.16)।

2. **पंचायत समिति** : इस मध्यवर्ती स्तर का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि सहायता जैसी प्रखंड-स्तरीय योजनाओं पर होता है जिससे विभिन्न ग्राम पंचायों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित होता है। इस स्तर पर व्यय में 2019-20 से 2023-24 के बीच 906.8 प्रतिशत की भारी-भरकम वृद्धि दिखी (तालिका 9.17)।

3. **जिला परिषद** : जिला स्तर पर जिला परिषद पथ संपर्क, जिला-व्यापी कल्याण योजनाओं आदि बड़ी परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं और अधीनस्थ स्तरों के लिए संसाधन आबंटन का अनुश्रवण करते हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच इस स्तर पर भी व्यय में 342.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि दिखी (तालिका 9.18)।

हर स्तर पर कुशलता से व्यय होना विकासमूलक लक्ष्यों की प्राप्ति और स्थानीय जरूरतों की प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है।

## तालिका 9.16 : पंचायती राज संस्थानों में ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय (2019-20 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

| | | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | | 0.0 | 31.7 (0.5) | 106.3 (2.2) | 55.6 (1.0) | 41.7 (0.6) |
| 2 | केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान | निबद्ध और अनिबद्ध अनुदान | 5678.2 (69.9) | 3512.6 (59.5) | 2595.9 (54.2) | 2689.8 (46.3) | 2696.7 (36.5) |
| | | स्वास्थ्य अनुदान | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | राज्य वित्त आयोग के अनुदान | | 990.4 (12.2) | 1121 (19.0) | 1604.9 (33.5) | 2694.0 (46.4) | 3338.1 (45.2) |
| 4 | मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना | | 1217.2 (15.0) | 944.1 (16.0) | 190.7 (4.0) | 110.4 (1.9) | 43.3 (0.6) |
| 5 | मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.20 (0.03) | 58.4 (0.8) |
| 6 | पंचायत सरकार भवनों का निर्माण | | 149.7 (1.8) | 171.3 (17.1) | 148.3 (3.1) | 2.2 (नगण्य) | 874.3 (11.8) |
| 7 | आकस्मिक व्यय अनुदान | | 2.1 (नगण्य) | 0.0 | 3 (नगण्य) | — | 0.00 |
| 8 | ग्राम पंचायत सदस्यों/ कर्मचारियों को वेतन और भत्ते | | 86.7 (1.1) | 118.1 (2.0) | 144 (3.0) | 188.8 (3.3) | 331.4 (4.5) |
| | **योगफल** | | **8124.3 (100.0)** | **5898.9 (100.0)** | **4793 (100.0)** | **5802.1 (100.0)** | **7383.9 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

## तालिका 9.17 : पंचायती राज संस्थानों में पंचायत समिति स्तर पर व्यय (2019-20 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

| | | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान | निबद्ध और अनिबद्ध अनुदान | 0.0 | 1003.6 (86.2) | 591.9 (64.2) | 577.7 (51.4) | 577.9 (43.7) |
| | | स्वास्थ्य अनुदान | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | राज्य वित्त आयोग के अनुदान | | 111.9 (85.2) | 134.4 (11.6) | 311 (33.7) | 525.2 (46.2) | 718.9 (54.4) |
| 4 | पंचायत समिति सदस्यों को भत्ते | | 19.4 (14.8) | 25.6 (2.2) | 19 (2.1) | 20.4 (1.8) | 25.1 (1.9) |
| 5 | मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | **योगफल** | | **131.3 (100.0)** | **1163.6 (100.0)** | **922 (100.0)** | **1123.5 (100.0)** | **1321.9 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 9.18 : पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद स्तर पर व्यय (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| | | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान | निबद्ध और अनिबद्ध अनुदान | 0.0 | 501.8 (64.3) | 1422.7 (52.8) | 576.3 (51.0) | 577.9 (44.4) |
| | | स्वास्थ्य अनुदान | 0.0 | 0.0 | 903.5 (33.5) | 0.0 | 0.00 |
| 3 | राज्य वित्त आयोग के अनुदान | | 290.0 (98.6) | 273.2 (35.0) | 366.9 (13.6) | 550.4 (48.7) | 718.94 (55.2) |
| 4 | जिला परिषद सदस्यों को भत्ते | | 4.0 (1.4) | 4.9 (0.6) | 3.9 (0.1) | 4.0 (0.4) | 4.98 (0.4) |
| 5 | मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **योगफल** | | | **294.0 (100.0)** | **779.9 (100.0)** | **2697.0 (100.0)** | **1130.7 (100.0)** | **1301.8 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

## पंचायत सरकार भवन

खर्च और समय में कमी लाते हुए ग्रामीण नागरिकों को उनके घर पर ही ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनो प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायत सरकार भवनों (पीएसबी) की अवसंरचना में सुधार का अत्यधिक महत्व है। बिहार के मामले में यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है जहां ग्राम पंचायतों के पास सीमित संसाधन हैं और ग्रामीण नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सेवाएं देने के लिए अवसंरचनात्मक सहयोग की जरूरत है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा प्रदूषण घटाने के लिए हर पंचायत सरकार भवन पर 10 किवा क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। पैदा हुई अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति सीधे ग्रिड नेटवर्क में कर दी जाएगी। इस अतिरिक्त बिजली उत्पादन से अर्जित साख से भावी बिजली बिलों को चुकाने में मदद मिलेगी जिसका पंचायतों के अपने राजस्व के स्रोत में योगदान होगा। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 2023-24 में राज्य योजना मद से स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) को कुल 1000.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। वहीं, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2024-25 में योजना शीर्ष से 636.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और उनकी उपयुक्त अवसंरचना के विकास के प्रयास साथ-साथ किए जा रहे हैं। सितंबर 2024 तक 1474 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 1463 भवन संबंधित पंचायतों को सुपुर्द कर दिए गए हैं (तालिका प 9.7)।

### बिहार में ग्राम कचहरियां

वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 और बाद में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 लागू किया। इन अधिनियमों के जरिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे लागू हुए। साथ ही, ग्राम समुदायों को किफायती और सुगम न्याय देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरियों की स्थापना करके बिहार ने प्रगतिशील कदम उठाया है।

ग्राम कचहरियों के सशक्तीकरण और जमीनी स्तर पर न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने लगातार उपाय किए हैं। ग्राम कचहरी के सचिवों और न्याय मित्रों की सहायता से अनेक स्थानीय विवाद प्रभावी ढंग से हल हुए। गांवों में अधिकांश स्थानीय विवादों का निपटारा अब ग्राम कचहरियों के जरिए हो रहा है जो बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत विशेष फौजदारी और दीवानी मामलों को हल करने के लिए अधिकृत हैं।

- **फौजदारी अधिकार क्षेत्र :** अधिनियम की धारा 106 के तहत ग्राम कचहरियां भारतीय दंड संहिता की 40 जमानती धाराओं के तहत अपराधों पर निर्णय ले सकती हैं।
- **दीवानी अधिकारक्षेत्र :** अधिनियम की धारा 110 के तहत ग्राम कचहरियां दीवानी मामलों की सुनवाई करने और उनका समाधान करने के लिए अधिकृत हैं।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच ग्राम कचहरियों ने 83,657 दीवानी मामलों में से 69,725 और 71,160 फौजदारी मामलों में से 62,111 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से ग्राम कचहरियों में महिला पंचों की संख्या काफी बढ़ी है। वर्ष 2006 में कुल पंचों और सरपंचों में महिलाएं 46.99 प्रतिशत थीं जो 2021 में बढ़कर 59.55 प्रतिशत हो गईं। इससे पंचायत स्तर पर महिला अधिकारों के संरक्षण को मजबूती मिली है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय के लिए 2023-24 में 266.00 करोड़ रु. आबंटित हुए। वहीं, ग्राम कचहरी के सचिवों और न्याय मित्रों के मानदेय और अनुकूपा अनुदानों के लिए 201.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। साथ ही, इस अवधि में ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों के आकस्मिक व्यय के लिए 8.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

### आत्मनिर्भर बिहार-2 (2020-25) के सात निश्चय-2 का क्रियान्वयन

अभी आत्मनिर्भर बिहार-2 (2020-25) के तहत सात निश्चय-2 के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) **सोलर स्ट्रीट लाइट योजना :** इस योजना के तहत बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराकर स्वच्छ और समृद्ध गांव बनाने पर जोर है। अबाध कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सशक्त अनुरक्षण व्यवस्था भी बनाई जाएगी। वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कुल 392 करोड़ रु. का आबंटन स्वीकृत किया गया है।

(ख) **ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन** : ठोस और तरल कचरा के प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर पर व्यापक उपाय किए जाएंगे। वार्ड स्तर पर नालियों और सड़कों की नियमित सफाई कराई जाएगी। ठोस कचरे को घर-घर से इकट्ठा कराया जाएगा और आधुनिक तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उसका निपटान कराया जाएगा।

(ग) **सोलर वाटर पंप प्रणाली** : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को घरों में नलों के व्यक्तिगत कनेक्शनों के जरिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पानी टंकी, पंप, और वितरण नेटवर्क जैसी आवश्यक अवसंरचना विकसित की जा चुकी है। आरंभ में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (डब्ल्यूआइएमसी) के द्वारा प्रबंधित इस योजना की देखरेख अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) करता है। पंपों को चलाने के लिए बिजली की जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग पर है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती लागत के समाधान के लिए सोलर-चालित पानी पंप प्रणालियां प्रस्तावित हैं। इन प्रणालियों से डीजल और बिजली पर निर्भरता में कमी, रखरखाव का कम खर्च और लंबा कार्यशील जीवन समेत अनेक महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं जिससे ग्रामीण जलापूर्ति का टिकाऊपन और किफायत सुनिश्चित होती है।

(घ) **मौजूदा अवसंरचना का रखरखाव** : इस कार्यक्रम के तहत नल के पानी का घरेलू कनेक्शन, पक्की गलियां और नालियां, तथा घरेलू शौचालय सहित सात निश्चय-1 के तहत विकसित अवसंरचना का पूरी तरह रखरखाव होगा और उन्हें चालू रखा जाएगा। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के लिए 200 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। घर तक पक्की गली-नाली (ग्रामीण) पहल के तहत हासिल प्रगति तालिका प 9.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

## 9.6 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

देश के 300 चुनिंदा ग्रामीण-शहरी (रूर्बन) संकुलों को शामिल करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन पहल का आरंभ 2015-16 में किया गया था। इसमें से 11 संकुलों को बिहार में चिन्हित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित इन संकुलों में शहर जैसा विकास महसूस हो रहा है लेकिन नागरिक सुविधाओं का अभाव है और आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना लक्ष्य है। मिशन का फोकस सशक्त अवसंरचना का निर्माण करने, बेरोजगारी घटाने और निवेश को बढ़ावा देने पर है।

बिहार में अधिकांश संकुलों के लिए समेकित संकुल कार्य-योजना (आइसीएपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुके हैं। पूरक वित्तपोषण गंभीर अंतराल कोष (सीजीएफ) के जरिए उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा परियोजना व्यय का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ रु. है। इसके व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी का अनुपात 60:40 है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के सितंबर 2024 तक प्रस्तावित कार्यों की संख्या 579 से बढ़कर 2623 हो गई और 2024-25 में गंभीर अंतराल कोष से 52.3 करोड़ रु. व्यय किए गए। उल्लेखनीय पहलों में विज्ञान एवं कंप्यूटर

प्रयोगशाला, किचन शेड, सोलर लाइट, और आरओ वाटर फिल्टर की स्थापना शामिल हैं। सितंबर 2024 तक 827 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं जो मिशन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को व्यक्त करती हैं (तालिका 9.19)।

**तालिका 9.19 : बिहार में रूर्बन मिशन की भौतिक और वित्तीय प्रगति (2020-21 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| विवरण | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 24 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| गंभीर अंतराल कोष का कुल स्वीकृत निवेश (करोड़ रु.) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| गंभीर अंतराल कोष से कुल व्यय (करोड़ रु.) | 13.3 | 38.5 | 45.9 | 49.6 | 52.3 |
| कुल स्वीकृत निवेश (कनवर्जेंस) (करोड़ रु.) | 864.8 | 864.8 | 878.1 | 878.1 | 878.1 |
| कुल कनवर्जेंस व्यय (करोड़ रु.) | 192.9 | 256.2 | 310.2 | 262.2 | 263.0 |
| विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में प्रस्तावित कुल काम | 579 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 |
| पूरे हो चुके काम | 34 | 463 | 746 | 784 | 827 |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

# परिशिष्ट

## तालिका प 9.1 : मनरेगा योजना के तहत जिलावार प्रगति (2021-22 से 2023-24)

(आंकड़े लाख में)

| जिले | जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों की सं. (लाख) | | | जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों में अजा परिवारों का प्रतिशत हिस्सा | | | रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| पटना | 7.1 | 3.6 | 3.9 | 22.3 | 20 | 19.6 | 14.1 | 38.3 | 36.3 |
| नालंदा | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 33.5 | 29.3 | 27.9 | 13.8 | 42.1 | 58.4 |
| भोजपुर | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 27 | 18.5 | 19.5 | 16.4 | 33.1 | 37.1 |
| बक्सर | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 26.5 | 22.6 | 23.8 | 16.9 | 40.5 | 46.8 |
| रोहतास | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 27.3 | 25.6 | 25.5 | 17.8 | 35.8 | 41.0 |
| कैमूर | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 31.8 | 28.5 | 26.8 | 19.5 | 35.6 | 53.0 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 8.1 | 8.0 | 6.6 | 46.9 | 38.9 | 36.2 | 22.6 | 43.9 | 47.6 |
| जहानाबाद | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 27.2 | 25.9 | 28.4 | 19.9 | 48.5 | 65.1 |
| अरवल | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 17.8 | 14.4 | 14.1 | 42.4 | 62.9 | 51.8 |
| नवादा | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 28.3 | 25.3 | 28.4 | 16.7 | 49.2 | 57.4 |
| औरंगाबाद | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 36.8 | 33.2 | 32.7 | 23.3 | 36.7 | 40.3 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 7.1 | 7.8 | 5.2 | 19.5 | 16.5 | 15.1 | 17.9 | 27.7 | 34.0 |
| सीवान | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 16.4 | 15.1 | 16.2 | 15.7 | 33.2 | 41.9 |
| गोपालगंज | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 17.1 | 15.5 | 15.1 | 13.3 | 19.6 | 40.1 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 6.6 | 7.4 | 4.8 | 14.5 | 12.0 | 10.8 | 20.0 | 28.3 | 45.2 |
| पूर्व चंपारण | 8.7 | 10 | 7.4 | 14.6 | 12.9 | 15.8 | 20.3 | 29.4 | 42.6 |
| मुजफ्फरपुर | 8.0 | 6.7 | 4.7 | 18.3 | 17.4 | 16.1 | 19.8 | 31.1 | 53.3 |
| सीतामढ़ी | 6.6 | 6.1 | 4.7 | 15.9 | 16.9 | 21.4 | 24.7 | 31.4 | 47.5 |
| शिवहर | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 13.2 | 11.6 | 13.5 | 31.9 | 41.1 | 61.6 |
| वैशाली | 7.6 | 3.7 | 4.3 | 25.6 | 17.1 | 20.8 | 19.3 | 47.3 | 43.8 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 8.1 | 7.7 | 5.2 | 17.3 | 14.7 | 16.0 | 27.5 | 33.8 | 46.7 |
| मधुबनी | 7.4 | 7.9 | 5 | 16.8 | 14.9 | 15.1 | 17.1 | 22.3 | 38.3 |
| समस्तीपुर | 8.5 | 8.2 | 7 | 20.0 | 17.3 | 20.3 | 25.9 | 32.8 | 36.5 |
| | | | | | | | | | |
| बेगसराय | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 17.1 | 16.0 | 14.9 | 18.6 | 26.4 | 35.3 |
| मुंगेर | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 13.7 | 10.6 | 11.6 | 26.9 | 53.1 | 56.0 |
| शेखपुरा | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 32.3 | 27.3 | 23.4 | 16.3 | 38.2 | 46.3 |
| लखीसराय | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 21.1 | 19.0 | 18.1 | 22.8 | 46.0 | 50.7 |
| जमुई | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 20.2 | 17.5 | 20.9 | 21.4 | 39.9 | 56.0 |
| खगड़िया | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 17.9 | 16.3 | 16.9 | 24.8 | 24.2 | 35.1 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 5.5 | 3.2 | 3.2 | 10.5 | 9.7 | 12.0 | 19.1 | 40.9 | 39.4 |
| बांका | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 13.2 | 12.5 | 14.5 | 27.5 | 27.0 | 40.2 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 4.7 | 5.1 | 3.8 | 17.7 | 15.6 | 15.0 | 21.7 | 34.4 | 68.2 |
| सुपौल | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 22.1 | 22.6 | 31.2 | 19.8 | 35.2 | 42.7 |
| मधेपुरा | 4.6 | 5.3 | 3.3 | 19.0 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 23.6 | 39.9 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 14.4 | 12.6 | 12.7 | 18.2 | 32.4 | 38.2 |
| किशनगंज | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 7.8 | 6.6 | 8.6 | 26.5 | 42.3 | 52.2 |
| अररिया | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 14.3 | 10.8 | 12.4 | 27.4 | 43 | 47.3 |
| कटिहार | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 12.0 | 8.8 | 11.0 | 21.3 | 54 | 54.2 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **189.0** | **167.0** | **136.0** | **20.6** | **18.0** | **19.1** | **20.7** | **34.9** | **45.4** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 9.2 : मनरेगा योजना के तहत जिलावार प्रगति (2021-22 से 2023-24)

| जिले | रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत | | | सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति-दिवस) | | | कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| पटना | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 25.9 | 59.5 | 54.2 | 49.4 | 55.5 | 49.1 |
| नालंदा | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 21.6 | 85.2 | 91.4 | 48.6 | 55.0 | 51.5 |
| भोजपुर | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 16.4 | 47.0 | 36.7 | 40.9 | 46.7 | 42.2 |
| बक्सर | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 13.6 | 38.1 | 44.9 | 36.7 | 46 | 49.5 |
| रोहतास | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 18.7 | 55.7 | 46.8 | 35.3 | 45.1 | 42.9 |
| कैमूर | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 15.5 | 46.3 | 40.6 | 38.6 | 46.9 | 48.3 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 45.4 | 158.1 | 127.5 | 53.6 | 58.2 | 56.4 |
| जहानाबाद | 0.4 | 2 | 1.5 | 10.6 | 29.7 | 28.3 | 45.9 | 52.0 | 51.9 |
| अरवल | 0 | 0.6 | 0.2 | 17.2 | 30.6 | 20.3 | 47.8 | 51.9 | 48.7 |
| नवादा | 0.1 | 1 | 0.7 | 25.0 | 98.2 | 84.1 | 53.7 | 62.2 | 56.9 |
| औरंगाबाद | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 31.8 | 92.0 | 65.6 | 42.7 | 52.3 | 48.3 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 34.2 | 88.0 | 77.4 | 48.4 | 54.5 | 54.1 |
| सीवान | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 13.9 | 49.9 | 46.9 | 41.2 | 55.7 | 50.6 |
| गोपालगंज | 0 | 0.7 | 0.8 | 11.1 | 29.3 | 38.9 | 44.2 | 53.2 | 49.6 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 33.5 | 78.5 | 62.8 | 53.3 | 53.1 | 50.3 |
| पूर्व चंपारण | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 43.1 | 115.1 | 114.7 | 61.2 | 57.0 | 54.8 |
| मुजफ्फरपुर | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 36.6 | 74.6 | 85.1 | 51.9 | 52.0 | 54.0 |
| सीतामढ़ी | 0 | 0.6 | 0.4 | 31.6 | 68.2 | 69.7 | 57.8 | 54.6 | 52.9 |
| शिवहर | 0 | 0.9 | 1.8 | 10.5 | 19.8 | 20.1 | 53.1 | 53.1 | 51.7 |
| वैशाली | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 25.2 | 66.1 | 69.0 | 58.6 | 62.5 | 55.4 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 0 | 0.3 | 0.2 | 51.4 | 78.1 | 71.3 | 60.1 | 58.9 | 59.1 |
| मधुबनी | 0 | 0.4 | 0.4 | 24.8 | 68.4 | 58.9 | 61.6 | 67.5 | 59.8 |
| समस्तीपुर | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 53.3 | 118.0 | 99.8 | 58.7 | 60.0 | 57.9 |
| | | | | | | | | | |
| बेगसराय | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 19.7 | 39.7 | 36.2 | 65.6 | 63.0 | 54.7 |
| मुंगेर | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 16.9 | 41.5 | 43.3 | 48.4 | 51.9 | 50.9 |
| शेखपुरा | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 5.8 | 21.8 | 17.9 | 49.1 | 56.6 | 51.7 |
| लखीसराय | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 13.0 | 32.6 | 28.7 | 50.1 | 55.8 | 52.0 |
| जमुई | 0.1 | 1 | 0.4 | 19.9 | 60.9 | 71.8 | 53.4 | 55.6 | 53.7 |
| खगड़िया | 0 | 0.1 | 0.2 | 15.9 | 20.9 | 19.6 | 69.6 | 65.1 | 57.8 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 0 | 0.6 | 0.3 | 24.3 | 56.1 | 48.3 | 50.0 | 50.9 | 48.8 |
| बांका | 0 | 0.4 | 0.3 | 31.0 | 38.5 | 38.6 | 57.6 | 56.3 | 56.1 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 0 | 0.6 | 1.8 | 21.9 | 71.3 | 99.0 | 52.0 | 55.8 | 56.1 |
| सुपौल | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18.9 | 45.2 | 44.3 | 59.3 | 62.7 | 57.5 |
| मधेपुरा | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 21.4 | 48.9 | 41.7 | 54.1 | 58.8 | 56.8 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 29.5 | 63.5 | 68.7 | 57.8 | 59.4 | 59.1 |
| किशनगंज | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 26.9 | 51.7 | 57.0 | 54.5 | 62.1 | 64.4 |
| अररिया | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 38.0 | 87.4 | 55.4 | 51.0 | 56.4 | 59.4 |
| कटिहार | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 40.6 | 91.5 | 79.8 | 58.9 | 59.2 | 60.1 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **0.1** | **0.8** | **0.7** | **954.3** | **2365.7** | **2205.4** | **53.4** | **56.4** | **54.3** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 9.3 : मनरेगा योजना के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति (2021–22 से 2023–24)

(लाख रु. में)

| जिले | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उपलब्ध रकम | प्रयुक्त रकम | उपयोग का प्रतिशत | उपलब्ध रकम | प्रयुक्त रकम | उपयोग का प्रतिशत | उपलब्ध रकम | प्रयुक्त रकम | उपयोग का प्रतिशत |
| पटना | 10119.1 | 8657.3 | 85.6 | 15489.3 | 13939.9 | 90.0 | 20293.2 | 18967.1 | 93.5 |
| नालंदा | 10369. 0 | 10286.5 | 99.2 | 23973.5 | 23623.2 | 98.5 | 29540.0 | 29156.1 | 98.7 |
| भोजपुर | 7728.5 | 7493.7 | 97.0 | 13891.5 | 13404.1 | 96.5 | 13611.5 | 13348.8 | 98.1 |
| बक्सर | 5544.6 | 5218.4 | 94.1 | 11006.5 | 10603.4 | 96.3 | 15200.7 | 14948.4 | 98.3 |
| रोहतास | 9067.1 | 8935.3 | 98.6 | 15994.6 | 15569.1 | 97.3 | 19338.3 | 18731.3 | 96.9 |
| कैमूर | 7051.6 | 6792.3 | 96.3 | 13567.2 | 13271.3 | 97.8 | 14003.3 | 13361.6 | 95.4 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 23201.8 | 22210.8 | 95.7 | 43493 | 42678.4 | 98.1 | 46480.3 | 45684.5 | 98.3 |
| जहानाबाद | 5001.2 | 4888.2 | 97.7 | 8339.9 | 8121.6 | 97.4 | 10518.9 | 9411.4 | 89.5 |
| अरवल | 8164.5 | 8151.8 | 99.8 | 8971.3 | 8886.8 | 99.1 | 8084.2 | 7680.6 | 95.0 |
| नवादा | 11798.4 | 11615.2 | 98.5 | 26433.9 | 26114.9 | 98.8 | 33521.2 | 25887.8 | 77.2 |
| औरंगाबाद | 11868.8 | 11522.2 | 97.1 | 23698.4 | 23229.5 | 98.0 | 21585.5 | 21392.3 | 99.1 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 13732.3 | 13370.9 | 97.4 | 24180.8 | 23658 | 97.8 | 26180.6 | 25484.2 | 97.3 |
| सीवान | 5237.4 | 5006.5 | 95.6 | 13845.6 | 13513.5 | 97.6 | 16473.1 | 16378.6 | 99.4 |
| गोपालगंज | 4764.4 | 4619.3 | 97.0 | 8832.0 | 8601.6 | 97.4 | 13178.2 | 13136.9 | 99.7 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 15023.2 | 14570.7 | 97.0 | 22076.8 | 21677.5 | 98.2 | 25232.6 | 23957.3 | 94.9 |
| पूर्व चंपारण | 22014.8 | 21729.8 | 98.7 | 31490.8 | 30897.8 | 98.1 | 41788.3 | 41439.1 | 99.2 |
| मुजफ्फरपुर | 18112.3 | 16824.4 | 92.9 | 20956.4 | 19642.5 | 93.7 | 25418.7 | 25383.8 | 99.9 |
| सीतामढ़ी | 13758.0 | 13405.7 | 97.4 | 19183.4 | 18677.2 | 97.4 | 28348.7 | 25305.2 | 89.3 |
| शिवहर | 4484.7 | 4370.1 | 97.5 | 5882 | 5678.6 | 96.5 | 10733.6 | 10635.6 | 99.1 |
| वैशाली | 12951.3 | 12840.0 | 99.1 | 17913.2 | 17599.5 | 98.3 | 21549.1 | 21109.3 | 98.0 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 18453.3 | 18162.6 | 98.4 | 22758.6 | 22161.2 | 97.4 | 27576.7 | 27260.1 | 98.9 |
| मधुबनी | 12821.8 | 12729.3 | 99.3 | 18714.8 | 18283.9 | 97.7 | 23128.0 | 22999.6 | 99.4 |
| समस्तीपुर | 25039 | 24680 | 98.6 | 33415.9 | 32616 | 97.6 | 43071.4 | 40615.7 | 94.3 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 8305.4 | 8127.4 | 97.9 | 12349.7 | 11954 | 96.8 | 16636.6 | 16396.3 | 98.6 |
| मुंगेर | 8875.8 | 8810.5 | 99.3 | 13185.6 | 12954.2 | 98.2 | 21493.7 | 21271.2 | 99.0 |
| शेखपुरा | 2138.3 | 2144.7 | 100.3 | 5462.4 | 5410.1 | 99.0 | 5752.1 | 5746.7 | 99.9 |
| लखीसराय | 6944.7 | 6891.1 | 99.2 | 9143.4 | 8957.7 | 98.0 | 13322.7 | 13102.8 | 98.3 |
| जमुई | 10835.6 | 10854.8 | 100.2 | 16092.1 | 15899.7 | 98.8 | 22468.1 | 21841.6 | 97.2 |
| खगड़िया | 6052.0 | 6039.1 | 99.8 | 6060.1 | 5923 | 97.7 | 8727.5 | 7682 | 88.0 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 11554.6 | 11517.0 | 99.7 | 15703.1 | 15368.7 | 97.9 | 16558.5 | 16472.1 | 99.5 |
| बांका | 13884.8 | 13856.5 | 99.8 | 9433.0 | 9238.8 | 97.9 | 11762 | 11634.8 | 98.9 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 7946.3 | 7964.2 | 100.2 | 17335.2 | 17096.8 | 98.6 | 25791.4 | 25631.2 | 99.4 |
| सुपौल | 9273.0 | 8257.4 | 89.1 | 13371.2 | 12717.7 | 95.1 | 15370.9 | 14524.8 | 94.5 |
| मधेपुरा | 9354.6 | 9346.7 | 99.9 | 14261.4 | 14012.5 | 98.3 | 18636.7 | 17325.4 | 93.0 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 13408.1 | 12739.1 | 95 | 22147.1 | 20992.9 | 94.8 | 25114.8 | 24918.6 | 99.2 |
| किशनगंज | 10666.8 | 10474.2 | 98.2 | 13973.6 | 13737.6 | 98.3 | 17374.9 | 17247 | 99.3 |
| अररिया | 19478.1 | 18706.6 | 96.0 | 23987.2 | 23134.2 | 96.4 | 23018.8 | 22666.8 | 98.5 |
| कटिहार | 16092.8 | 15977.7 | 99.3 | 25996.5 | 25604.9 | 98.5 | 27446.6 | 27411.4 | 99.9 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **431117.8** | **419787.5** | **97.4** | **662610.7** | **645452.1** | **97.4** | **804331.4** | **756148** | **94.0** |

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 9.4 : बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण (2023-24)

| जिले | अजा/ अजजा | पिछड़ी/अति पिछड़ी जाति | अल्पसंख्यक | सामान्य | नि:शक्त | सहकारी | महिला स्वयं सहायता समूह | कुल दूकानें | रिक्त दूकानें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 555 | 1384 | 70 | 409 | 13 | 151 | 25 | 2607 | 131 |
| नालंदा | 281 | 647 | 50 | 171 | 7 | 146 | 13 | 1315 | 52 |
| भोजपुर | 257 | 653 | 70 | 360 | 16 | 117 | 0 | 1473 | 0 |
| बक्सर | 193 | 333 | 25 | 206 | 5 | 80 | 13 | 855 | 60 |
| रोहतास | 306 | 646 | 59 | 194 | 5 | 98 | 1 | 1309 | 243 |
| कैमूर | 206 | 418 | 60 | 153 | 8 | 23 | 2 | 870 | 31 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 615 | 676 | 115 | 336 | 8 | 95 | 17 | 1862 | 236 |
| जहानाबाद | 111 | 171 | 19 | 110 | 4 | 68 | 0 | 483 | 70 |
| अरवल | 58 | 106 | 14 | 34 | 0 | 53 | 2 | 267 | 83 |
| नवादा | 202 | 454 | 48 | 239 | 10 | 120 | 23 | 1096 | 81 |
| औरंगाबाद | 240 | 509 | 64 | 400 | 6 | 89 | 2 | 1310 | 70 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 275 | 878 | 57 | 705 | 3 | 244 | 1 | 2163 | 0 |
| सीवान | 254 | 593 | 113 | 468 | 7 | 100 | 3 | 1538 | 226 |
| गोपालगंज | 216 | 491 | 75 | 441 | 6 | 188 | 4 | 1421 | 4 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 394 | 647 | 221 | 245 | 11 | 209 | 0 | 1727 | 318 |
| पूर्व चंपारण | 458 | 1109 | 197 | 527 | 12 | 183 | 4 | 2490 | 111 |
| मुजफ्फरपुर | 449 | 903 | 82 | 587 | 11 | 207 | 11 | 2250 | 43 |
| सीतामढ़ी | 325 | 776 | 157 | 235 | 11 | 103 | 8 | 1615 | 59 |
| शिवहर | 48 | 111 | 14 | 94 | 0 | 36 | 2 | 305 | 0 |
| वैशाली | 353 | 821 | 40 | 273 | 6 | 197 | 13 | 1703 | 30 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 312 | 808 | 199 | 441 | 42 | 99 | 11 | 1912 | 100 |
| मधुबनी | 469 | 896 | 186 | 306 | 24 | 151 | 18 | 2050 | 261 |
| समस्तीपुर | 418 | 938 | 50 | 358 | 11 | 212 | 10 | 1997 | 228 |
| | | | | | | | | | |
| बेगसराय | 372 | 593 | 77 | 413 | 13 | 34 | 1 | 1503 | 43 |
| मुंगेर | 73 | 356 | 33 | 104 | 2 | 46 | 1 | 615 | 146 |
| शेखपुरा | 50 | 121 | 2 | 67 | 1 | 22 | 0 | 263 | 99 |
| लखीसराय | 76 | 177 | 13 | 119 | 3 | 38 | 2 | 428 | 69 |
| जमुई | 184 | 371 | 34 | 186 | 0 | 92 | 0 | 867 | 48 |
| खगड़िया | 133 | 498 | 31 | 77 | 5 | 3 | 5 | 752 | 13 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 236 | 606 | 122 | 126 | 9 | 70 | 12 | 1181 | 387 |
| बांका | 195 | 550 | 87 | 129 | 10 | 34 | 52 | 1057 | 33 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 204 | 429 | 81 | 113 | 4 | 92 | 29 | 952 | 12 |
| सुपौल | 163 | 596 | 78 | 119 | 7 | 97 | 3 | 1063 | 10 |
| मधेपुरा | 149 | 499 | 67 | 161 | 1 | 94 | 0 | 971 | 77 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 281 | 629 | 269 | 113 | 8 | 42 | 27 | 1369 | 211 |
| किशनगंज | 174 | 222 | 334 | 32 | 4 | 46 | 1 | 813 | 45 |
| अररिया | 284 | 498 | 440 | 109 | 2 | 79 | 0 | 1412 | 89 |
| कटिहार | 291 | 513 | 436 | 152 | 11 | 133 | 0 | 1536 | 46 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **9860** | **21626** | **4089** | **9312** | **306** | **3891** | **316** | **49400** | **3765** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 9.5 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2023-24)

(आंकड़े हजार टन में)

| जिले | गेहूं | | | चावल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत | आबंटन | उठाव | उठाव का प्रतिशत |
| पटना | 51.6 | 50.7 | 98.3 | 186.6 | 184.9 | 99.1 |
| नालंदा | 30.1 | 30.1 | 100.0 | 115.8 | 115.8 | 100.0 |
| भोजपुर | 26.4 | 25.8 | 97.8 | 98.5 | 98.2 | 99.7 |
| बक्सर | 17.5 | 17.5 | 100.0 | 58.0 | 58.0 | 100.0 |
| रोहतास | 24.3 | 24.3 | 100.0 | 88.1 | 88.1 | 100.0 |
| कैमूर | 16.3 | 14.8 | 90.4 | 53.4 | 53.4 | 100.0 |
| | | | | | | |
| गया | 43.1 | 43.1 | 100.0 | 159.5 | 159.5 | 100.0 |
| जहानाबाद | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 39.0 | 39.0 | 100.0 |
| अरवल | 6.8 | 6.4 | 94.2 | 20.8 | 19.9 | 95.9 |
| नवादा | 22.8 | 22.4 | 98.3 | 73.6 | 73.6 | 100.0 |
| औरंगाबाद | 22.1 | 22.1 | 100.0 | 84.8 | 84.2 | 99.3 |
| | | | | | | |
| सारण | 35.2 | 35.2 | 100.0 | 122.2 | 121.7 | 99.6 |
| सीवान | 37.2 | 36.6 | 98.4 | 125.3 | 124.3 | 99.2 |
| गोपालगंज | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 90.7 | 90.7 | 100.0 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 44.9 | 44.9 | 100.0 | 170.9 | 170.9 | 100.0 |
| पूर्व चंपारण | 53.9 | 53.9 | 100.0 | 201.5 | 201.5 | 100.0 |
| मुजफ्फरपुर | 57.0 | 57.0 | 100.0 | 221.5 | 221.5 | 100.0 |
| सीतामढ़ी | 35.3 | 34.5 | 97.7 | 127.3 | 126.1 | 99.1 |
| शिवहर | 7.3 | 7.3 | 100.0 | 27.1 | 27.1 | 100.0 |
| वैशाली | 36.7 | 35.1 | 95.4 | 138.8 | 131.1 | 94.4 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 39.8 | 39.8 | 100.0 | 149.7 | 149.7 | 100.0 |
| मधुबनी | 47.9 | 47.9 | 100.0 | 181.0 | 181.0 | 100.0 |
| समस्तीपुर | 46.4 | 46.4 | 100.0 | 167.2 | 167.2 | 100.0 |
| | | | | | | |
| बेगसराय | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 109.2 | 109.2 | 100.0 |
| मुंगेर | 12.8 | 12.8 | 100.0 | 45.1 | 45.1 | 100.0 |
| शेखपुरा | 5.9 | 5.9 | 100.0 | 21.2 | 21.2 | 100.0 |
| लखीसराय | 12.8 | 12.8 | 100.0 | 42.1 | 42.1 | 100.0 |
| जमुई | 19.1 | 19.0 | 99.7 | 60.3 | 60.3 | 100.0 |
| खगड़िया | 18.2 | 18.2 | 100.0 | 65.4 | 65.4 | 100.0 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 32.6 | 32.6 | 100.0 | 109.5 | 109.5 | 100.0 |
| बांका | 21.3 | 21.3 | 100.0 | 76.2 | 73.7 | 96.7 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 22.6 | 22.6 | 100.0 | 82.4 | 82.3 | 100.0 |
| सुपौल | 27.8 | 27.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 100.0 |
| मधेपुरा | 20.6 | 20.6 | 100.0 | 69.4 | 69.4 | 100.0 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 35.8 | 35.8 | 100.0 | 130.2 | 130.2 | 100.0 |
| किशनगंज | 23.5 | 23.5 | 100.0 | 81.4 | 81.4 | 100.0 |
| अररिया | 32.4 | 32.4 | 100.0 | 113.9 | 113.9 | 100.0 |
| कटिहार | 32.9 | 32.9 | 100.0 | 124.9 | 124.9 | 100.0 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **1086.7** | **1079.8** | **99.4** | **3924.9** | **3911.5** | **99.6** |

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 9.6 : घर तक पक्की गली–नालियां (ग्रामीण) की प्रगति (2024–25, सितंबर 2024 तक)

| जिले | पंचायतों की सं. | वार्डों की सं. | संशोधित लक्ष्य | बाढ़ के कारण काम नहीं हुआ | संशोधित लक्ष्य | काम पूरा करने वाले वार्डों की सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 322 | 4354 | 4354 | 0 | 4354 | 4354 |
| नालंदा | 249 | 3391 | 3391 | 0 | 3391 | 3391 |
| भोजपुर | 228 | 3114 | 3114 | 0 | 3114 | 3114 |
| बक्सर | 142 | 1984 | 1984 | 0 | 1984 | 1984 |
| रोहतास | 245 | 3338 | 3338 | 0 | 3338 | 3338 |
| कैमूर | 149 | 1850 | 1850 | 0 | 1850 | 1850 |
| | | | | | | |
| गया | 332 | 4573 | 4573 | 1 | 4572 | 4572 |
| जहानाबाद | 93 | 1274 | 1274 | 0 | 1274 | 1274 |
| अरवल | 65 | 867 | 867 | 0 | 867 | 867 |
| नवादा | 187 | 2527 | 2527 | 0 | 2527 | 2527 |
| औरंगाबाद | 204 | 2852 | 2852 | 0 | 2852 | 2852 |
| | | | | | | |
| सारण | 323 | 4580 | 4577 | 0 | 4577 | 4577 |
| सीवान | 293 | 4086 | 4086 | 0 | 4086 | 4086 |
| गोपालगंज | 234 | 3177 | 3177 | 33 | 3144 | 3144 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 315 | 4194 | 4194 | 29 | 4165 | 4165 |
| पूर्व चंपारण | 405 | 5597 | 5597 | 0 | 5597 | 5597 |
| मुजफ्फरपुर | 385 | 5324 | 5324 | 0 | 5324 | 5324 |
| सीतामढ़ी | 270 | 3836 | 3799 | 0 | 3799 | 3836 |
| शिवहर | 53 | 747 | 747 | 0 | 747 | 747 |
| वैशाली | 288 | 3976 | 3976 | 0 | 3976 | 3976 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 324 | 4474 | 4474 | 0 | 4474 | 4474 |
| मधुबनी | 399 | 5523 | 5523 | 6 | 5517 | 5517 |
| समस्तीपुर | 381 | 5210 | 5210 | 0 | 5210 | 5210 |
| | | | | | | |
| बेगसराय | 229 | 3050 | 3050 | 0 | 3050 | 3050 |
| मुंगेर | 101 | 1366 | 1366 | 0 | 1366 | 1366 |
| शेखपुरा | 54 | 712 | 712 | 0 | 712 | 712 |
| लखीसराय | 80 | 1115 | 1115 | 0 | 1115 | 1115 |
| जमुई | 153 | 1963 | 1963 | 0 | 1963 | 1963 |
| खगड़िया | 129 | 1859 | 1859 | 1 | 1858 | 1858 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 242 | 3120 | 3120 | 0 | 3090 | 3120 |
| बांका | 185 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 151 | 2074 | 2074 | 0 | 2074 | 2074 |
| सुपौल | 181 | 2529 | 2529 | 0 | 2494 | 2529 |
| मधेपुरा | 170 | 2242 | 2242 | 0 | 2242 | 2242 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 246 | 3354 | 3354 | 0 | 3354 | 3354 |
| किशनगंज | 126 | 1769 | 1769 | 0 | 1769 | 1769 |
| अररिया | 218 | 2992 | 2992 | 0 | 2992 | 2992 |
| कटिहार | 235 | 3218 | 3218 | 9 | 3209 | 3209 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **8386** | **114691** | **114651** | **144** | **114507** | **114507** |

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 9.7 : पंचायत सरकार भवन की स्थिति (सितंबर 2024 तक)**

| जिले | पंचायतों की सं. | काम शुरू | काम प्रगति पर | काम पूरे | हस्तांतरित |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 309 | 85 | 31 | 54 | 54 |
| नालंदा | 230 | 112 | 40 | 72 | 71 |
| भोजपुर | 226 | 76 | 19 | 57 | 57 |
| बक्सर | 136 | 45 | 32 | 13 | 13 |
| रोहतास | 229 | 123 | 58 | 65 | 65 |
| कैमूर | 146 | 51 | 24 | 27 | 27 |
| | | | | | |
| गया | 320 | 162 | 72 | 90 | 90 |
| जहानाबाद | 88 | 40 | 18 | 22 | 20 |
| अरवल | 64 | 23 | 12 | 11 | 11 |
| नवादा | 182 | 62 | 33 | 29 | 29 |
| औरंगाबाद | 202 | 89 | 31 | 58 | 58 |
| | | | | | |
| सारण | 318 | 100 | 60 | 40 | 37 |
| सीवान | 283 | 84 | 42 | 42 | 42 |
| गोपालगंज | 230 | 101 | 62 | 39 | 39 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 303 | 67 | 30 | 37 | 37 |
| पूर्व चंपारण | 396 | 149 | 77 | 72 | 72 |
| मुजफ्फरपुर | 373 | 108 | 52 | 56 | 56 |
| सीतामढ़ी | 258 | 63 | 36 | 27 | 27 |
| शिवहर | 53 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| वैशाली | 278 | 84 | 40 | 44 | 44 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 308 | 106 | 48 | 58 | 58 |
| मधुबनी | 386 | 149 | 73 | 76 | 76 |
| समस्तीपुर | 346 | 128 | 51 | 77 | 77 |
| | | | | | |
| बेगसराय | 217 | 46 | 22 | 24 | 24 |
| मुंगेर | 96 | 38 | 26 | 12 | 12 |
| शेखपुरा | 49 | 19 | 11 | 8 | 8 |
| लखीसराय | 76 | 16 | 2 | 14 | 14 |
| जमुई | 152 | 55 | 32 | 23 | 22 |
| खगड़िया | 113 | 36 | 17 | 19 | 19 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 238 | 84 | 45 | 39 | 38 |
| बांका | 182 | 62 | 34 | 28 | 28 |
| | | | | | |
| सहरसा | 135 | 62 | 32 | 30 | 30 |
| सुपौल | 174 | 87 | 55 | 32 | 32 |
| मधेपुरा | 160 | 100 | 43 | 57 | 57 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 230 | 74 | 45 | 29 | 29 |
| किशनगंज | 125 | 62 | 35 | 27 | 25 |
| अररिया | 211 | 43 | 15 | 28 | 27 |
| कटिहार | 231 | 83 | 52 | 31 | 31 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **8053** | **2886** | **1412** | **1474** | **1463** |

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय – 10

# नगर विकास


**सारांश**

*भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक बिहार में तेजी से शहरीकरण हो रहा है हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी शहरीकरण की दर 11.3 प्रतिशत ही थी जो 31.2 प्रतिशत की राष्ट्रीय दर की तुलना में बहुत कम थी। शहरी चुनौतियों से निपटने और नगर अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 227.3 प्रतिशत की भारी-भरकम वृद्धि की है। इसके मुख्य पहलुओं में आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के तहत शामिल वर्षा जल निकासी प्रणाली, मोक्षधाम निर्माण, बुजुर्गों के लिए आश्रय, और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने 2024-25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की है। वहीं, 1,167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और सात शहरी क्षेत्रों तक फैले पटना मास्टर प्लान 2031 का लक्ष्य नगर योजना और अवसंरचना में सुधार करना है। अन्य प्रमुख योजनाओं में राज्य के चार मुख्य शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन को 2024-25 के लिए 640 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार के कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन (डे-नुल्म) और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, शहरी स्वच्छता, सफाई और अवसंरचना में सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी बिहार कृतसंकल्प है। ये व्यापक प्रयास टिकाऊ और समावेशी नगर विकास के प्रति बिहार के समर्पण को रेखांकित करते हैं।*


## परिचय

हाल के वर्षों में राज्य सरकार की अनेक पहलों ने राज्य में शहरीकरण को तेज आवेग दिया है। इस प्रक्रिया में पहला कदम नगर स्थानीय निकायों (यूएलबी) के दायरे का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करना और उसके बाद पुनर्गठित निकायों में अनेक विकासमूलक गतिविधियां चलाना है। नगर विकास की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के तहत नगरवासियों के लिए सुख-सुविधाओं और अवसंरचना के निर्माण के लिए अनेक योजनाएं चलाने की बात सोची गई है। इस अध्याय में हाल में हुए शहरीकरण से संबंधित विकासों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, और गरीबी निवारण के लिए नगर विकास महत्वपूर्ण है। हालांकि भौगोलिक और आर्थिक कारकों के कारण बिहार के विभिन्न जिलों के बीच शहरीकरण के स्तर में काफी अंतर है। चार्ट 10.1 में बिहार की शहर-वार अनुमानित आबादी दर्शाई गई है जिससे पता चलता है कि 2011 से 2024 के बीच पटना में शहरी आबादी की संख्या 3.95 लाख बढ़कर 16.84 लाख से 20.79 लाख हो गई जिसके बाद गया की आबादी 1.10 लाख बढ़ी और 4.69 लाख से 5.78 लाख हो गई (तालिका प 10.1 – परिशिष्ट)।

चार्ट 10.1 : जनगणना 2011 के आधार पर अनुमानित शहर-वार शहरी जनसंख्या

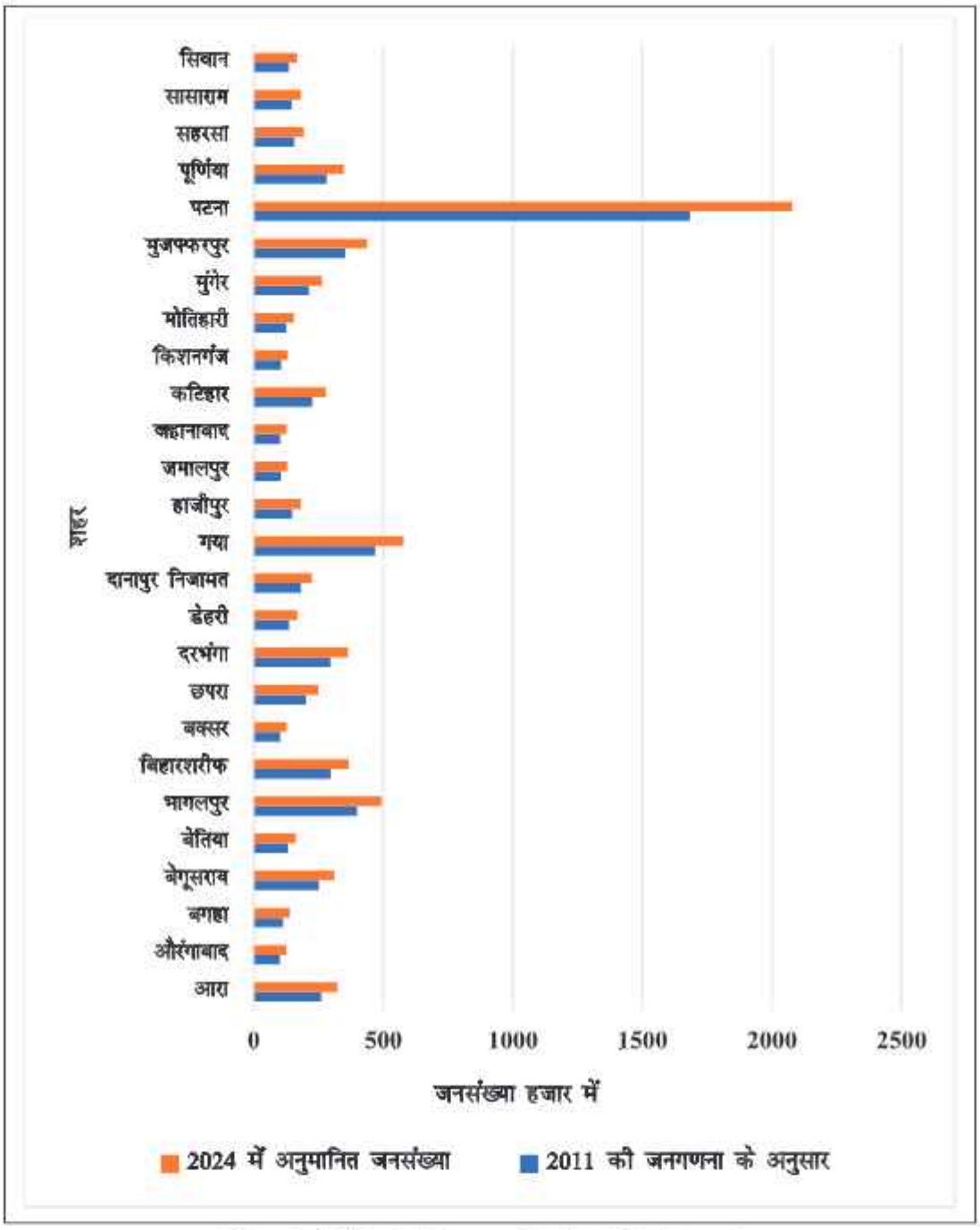


स्रोत : महानिबंधक एवं जनगणना कार्यालय, भारत सरकार

## 10.1 नगर स्थानीय निकायों का पुनर्गठन

बिहार में बड़ा पुनर्गठन 2021 में हुआ और यह प्रक्रिया प्रासंगिक सांगठनिक ढांचों के स्थापित होने तक जारी रही है। वर्ष 2024 में 116 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में और 25 ग्राम पंचायतों को नगर परिषदों में पूर्णत: समाहित कर दिया गया है। साथ ही, 45 ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से नगर पंचायतों में और 12 ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से नगर परिषदों में शामिल कर दिया गया है। इस पुनर्गठन के कारण शहरी क्षेत्रों की आबादी 3.85 लाख बढ़ गई है।

फरवरी 2021 से जून 2021 के बीच बिहार में एक नगर पंचायत को पूरी तरह नगर निगम में उत्क्रमित कर दिया गया जबकि 33 नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और सात नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित कर दिया

गया। वहीं, नौ नगर परिषदों और 111 नगर पंचायतों का नए सिरे से निर्माण किया गया। इस प्रकार, बिहार में अब 261 नगर स्थानीय निकाय (19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, और 154 नगर पंचायतें) हैं। बिहार में विभिन्न नगर निकायों की जनसंख्या चार्ट 10.2 में दर्शाई गई है। पुनर्गठन के बाद, 2011 की जनगणना के आधार पर 66.1 लाख आबादी नगर निगमों के दायरे में, 58.4 लाख लोग नगर परिषदों के दायरे में थे जबकि 33.9 लाख लोग नगर पंचायतों के दायरे में हैं (देखें चार्ट 10.2)। 120 नए नगर पंचायतों और परिषदों की स्थापना का जिलावार विवरण तालिका प 10.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 10.1 : नए क्षेत्र परिषद में उत्क्रमित या अधिसूचित क्षेत्र परिषदों में शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या और आबादी (2023-24)**

| संख्या/ जनसंख्या | नगर पंचायत | नगर परिषद | **योगफल** |
|---|---|---|---|
| पूर्णत: शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या | 116 | 25 | **141** |
| अंशत: शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या | 45 | 12 | **57** |
| उत्क्रमण के पहले जनसंख्या (लाख में) | 10.41 | 2.86 | **13.27** |
| उत्क्रमण के बाद जनसंख्या (लाख में) | 12.85 | 4.27 | **17.12** |
| परिवर्तन (लाख में) | 2.44 | 1.41 | **3.85** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 10.2 : नए क्षेत्र परिषद में उत्क्रमित या मौजूद अधिसूचित क्षेत्र परिषदों में शामिल नगर पंचायतों और नगर परिषदों की संख्या और आबादी (2023-24)**

| स्थिति | पूर्णत: शामिल | अंशत: शामिल | उत्क्रमण के पहले जनसंख्या (लाख में) | उत्क्रमण के बाद जनसंख्या (लाख में) | परिवर्तन (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| नगर पंचायत से नगर परिषद में | 26 | 52 | 10.77 | 16.91 | 6.14 |
| नगर परिषद से नगर निगम में | 22 | 9 | 6.38 | 11.04 | 4.66 |
| **योगफल** | **48** | **61** | **17.15** | **27.95** | **10.8** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 10.2 : बिहार में नगर निकायों की शहरी आबादी (2011)**

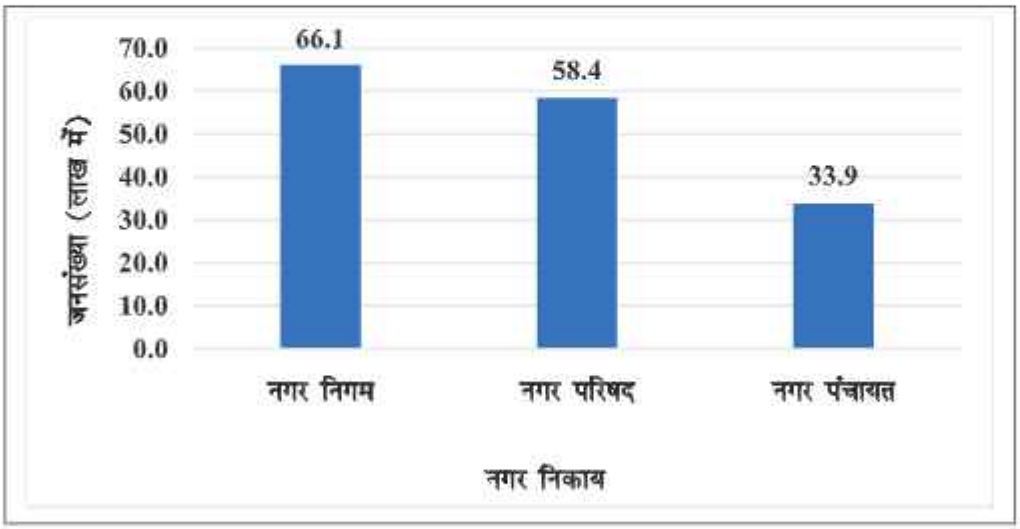


स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## 10.2 आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2

### वर्ष जल निकासी योनजा

शहरी क्षेत्रों में जल जमाव निवासियों के लिए काफी गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार वर्षा जल निकासी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग जल निकासी प्रणालियों के निर्माण के जरिए समस्या का सक्रियता से समाधान कर रही है। मुख्यमंत्री पक्की नाली गली योजना के तहत पूरे शहरों में छोटी नालियों का निर्माण कराया जा रहा है।

योजना के आर्रंभिक चरण में नगर निगम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। फलत:, पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्याओं के निवारण के लिए तैयार 9 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पटना शहर में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए नए जल निकासी पंप लगाने, नालियों का निर्माण करने, पुरानी नालियों की सफाई करने और जल निकासी पॉपिंग केंद्रों में पंपों और मोटरों को लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्षा जल निकासी योजना के क्रियान्वयन का अनुमानित व्यय 957.51 करोड़ रु. है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 11 अतिरिक्त शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत बजट 1,034.68 करोड़ रु. है।

योजना का क्रियान्वयन अभी राज्य के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। इस संदर्भ में, सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, कटिहार, दरभंगा, फुलवारीशरीफ, बाढ़ और मोकामा में वर्षा जल निकासी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका क्रियान्वयन बिहार नगर अवसंरचना विकास निगम (ब्यूडको) की देखरेख में कराया जा रहा है। सात निश्यय-2 के तहत योजना का क्रियान्वयन दो मुख्य स्रोतों से किया जा रहा है : छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित आंबटनों से और राज्य योजना के तहत किए गए आबंटनों से। तालिका 10.3 के अनुसार, 25 परियोजनाओं का कुल परियोजना व्यय 2646.37 करोड़ रु. है जिसमें से 1218.11 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। वहीं, वित्तवर्ष 2024-25 में नालियों के निर्माण के लिए कुल 145.12 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

### मोक्षधाम योजना

राज्य सरकार ने 39 शहरों में और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर श्मशानों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इस मकसद से राज्य सरकार ने 39 नगर स्थानीय निकायों के लिए 234.16 करोड़ रु. का आबंटन किया है। इसमें से 67.51 करोड़ रु. विमुक्त कर दिए गए हैं। तालिका प 10.3 (परिशिष्ट) में इन आबंटनों और विमुक्त रकम का ब्योरा दर्शाया गया है।

तालिका 10.3 : आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के तहत पटना और आसपास के क्षेत्रों से जल निकासी योजना का विवरण (2023-24)

| वर्षा जल नालियों का निर्माण | | वित्तपोषण का स्रोत | कुल परियोजना व्यय (करोड़ रु. ) | विमुक्त धनराशि (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|
| जल ग्रहण क्षेत्र | 1 | राज्य योजना | 258.31 | 80.00 |
| | 2 | | 67.85 | 39.42 |
| | 3 | छठा वित्त आयोग | 112.89 | 108.49 |
| | 4 | | 115.67 | 111.17 |
| | 5 | | 116.09 | 111.56 |
| | 6 | | 45.66 | 29.62 |
| | 7 | | 61.77 | 59.36 |
| | 8 | | 59.11 | 56.80 |
| | 9 | | 120.16 | 77.23 |
| वर्षा जल निकासी योजना के तहत सैदपुर नाला का जीर्णोद्धार | | छठा वित्त आयोग | 259.81 | 145.77 |
| **योगफल (क)** | | | **1217.32** | **819.42** |
| दरभंगा में वर्षा जल की नालियां | | राज्य योजना | 245.20 | 85.82 |
| आरा में वर्षा जल की नालियां | | | 77.81 | 27.23 |
| समस्तीपुर में वर्षा जल की नालियां | | | 48.26 | 16.89 |
| मधेपुरा में वर्षा जल की नालियां | | | 72.32 | 25.31 |
| शिवहर में वर्षा जल की नालियां | | | 60.16 | 30.00 |
| छपरा में वर्षा जल की नालियां | | | 134.97 | 15.73 |
| जहानाबाद में वर्षा जल की नालियां | | | 49.20 | 10.00 |
| बोधगया में वर्षा जल की नालियां | | | 91.18 | 10.00 |
| पूर्णिया में वर्षा जल की नालियां | | राज्य योजना | 87.46 | 10.00 |
| सीतामढ़ी में वर्षा जल की नालियां | | | 104.56 | 10.00 |
| बेतिया में वर्षा जल की नालियां | | | 63.56 | 10.00 |
| बाढ़ में वर्षा जल की नालियां | | | 29.65 | 0.50 |
| मोकामा में वर्षा जल की नालियां | | | 40.56 | 10.40 |
| कटिहार में वर्षा जल की नालियां | | | 220.51 | 37.05 |
| मधुबनी में वर्षा जल की नालियां | | | 103.65 | 99.75 |
| **योगफल (ख)** | | | **1429.05** | **398.69** |
| **कुल योगफल (क+ख)** | | | **2646.37** | **1218.11** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## वृद्धजन आश्रयस्थल निर्माण

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रयस्थल योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में विपदाग्रस्त, उपेक्षित और बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों को आश्रय तथा अन्य सुख-सुविधाएं प्रदान करके उनका जीवन स्वस्थ और सम्मानित बनाना है। इसके लिए 2023-24 में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में नगर निकायों को 19.68 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। योजना का लक्ष्य जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस पहल से सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य देखरेख, मनोरंजन, योग, आजीविका के लिए कौशल विकास और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना उनकी पहुंच में है।

(1) इस योजना के तहत हर जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के लिए 50-50 शय्याओं वाले दो आश्रयस्थल चलेंगे।

(2) आश्रयस्थल के लिए किसी सरकारी भवन को चुना जाएगा। अगर सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हो, तो किराए की जगह चुनी जाएगी।

(3) आश्रय-स्थल साल में 365 दिन चौबीसो घंटे चलेंगे। लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें प्रतिदिन 1,700 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन देना सुनिश्चित किया जाएगा और उसका फोकस गुणवत्ता तथा विविधता पर होगा। साथ ही, निवासियों को वहां पहुंचने के 24 घंटे के अंदर वस्त्र और दैनिक जरूरत की आवश्यक चीजें दी जाएंगी।

इस योजना के तहत वित्तवर्ष 2024-25 के लिए 20.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

## मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

राज्य में तेज शहरीकरण के साथ सशक्त अवसंरचना का विकास बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय नगर निकायों का सशक्तीकरण किया है और प्रगति में कुछ सहयोग किया है, लेकिन वर्तमान प्रयास अपर्याप्त हैं। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की है। इस पहल का जोर समेकित दृष्टिकोण अपनाने पर है जिसमें जल निकासी प्रणालियों से युक्त चौड़ी सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार, पार्कों का विकास, घाटों का सौंदर्यीकरण, और जलाशयों का सुधार शामिल है। अतिरिक्त विशेषताओं में वृक्षारोपण, पार्किंग स्थलों और फुटपाथों का निर्माण, पथ प्रकाश व्यवस्था, भूमिगत केबल बिछाना, और जहां जरूरी हो वहां पथ विभाजकों का निर्माण/ स्थापन शामिल है। झीलों, तालाबों, पार्कों, और घाटों के नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके पहले दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) के दौरान जिला स्तरीय कार्ययोजना के जरिए बजट की तिगुनी रकम आबंटित की जाएगी। वहीं, तीसरे वर्ष के आरंभ में उपलब्ध धनराशि के अनुरूप वार्षिक दिशानिर्देश होगा। पर्यटकों के आकर्षण केंद्रों, अस्पतालों, और शैक्षिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सार्वजनिक परिवहन के ठहराव को समेकित किया जाएगा।

योजना के तहत 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्य योजना के बजट से हर साल 500 करोड़ रु. आबंटित किए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इन धनराशियों का वितरण जिला के आधार पर किया जाएगा जिसके बाद नगर निकायों के बीच उसका जनसंख्या के अनुसार वितरण किया जाएगा। धनराशि का आबंटन बिहार नगर विकास अभिकरण (बूडा) या ब्यूडको को किया जाएगा जिसकी प्रक्रिया वित्त विभाग के परामर्श से तय की जाएगी।

दुहराव से बचने के लिए इस योजना के तहत चुनी गई 251 योजनाओं में अन्य विभागों या योजना प्रस्तावों में शामिल योजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वित्तवर्ष के दौरान प्राथमिकता के तहत सूचीबद्ध योजना का क्रियान्वयन किसी अन्य योजना के तहत होता है, तो उसे प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाएगा।

## मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में घरेलू परिसर के अंदर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लक्ष्य पूरा हो चुका है। सितंबर 2024 तक कुल 18.47 लाख परिवारों को उनके परिसरों में पानी के लिए कनेक्शन उपलब्ध हो गया है; केवल 75,000 परिवार ही बचे रहे गए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि 4,000 परिवारों ने योजना के तहत पाइप वाले पानी का कनेक्शन लेने से इनकार कर दिया था। इस योजना के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेवारी नगर स्थानीय निकायों और ब्यूडको की है। दोनो अभिकरणों ने 3,398 में से 3,158 वार्डों में योजना का क्रियान्वयन करके 14.58 लाख परिवारों को पाइप के जरिए पानी का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है। इस योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने भी क्रियान्वयन अभिकरण के बतौर काम किया है।

**तालिका 10.4 : मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की मुख्य विशेषताएं (2020-21 से 2024-25, 30 सितंबर, 2024 तक)**

(संख्या लाख में)

| वर्ष | परिवारों की कुल संख्या | परिवारों की कुल संख्या जिन्हें पाइपलाइन द्वारा पानी का कनेक्शन उपलब्ध है | | | पाइपलाइन से पानी के कनेक्शन वाले परिवारों की कुल संख्या | 3398 वार्डों में से कार्यारंभ वाले वार्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना के पहले से ही था | योजना के तहत जुड़ना है | योजना के तहत जुड़ा है (संचयी) | | |
| क | ख | ग | घ | च | ग+च | छ |
| 2020-21 | 19.22 | 3.21 | 15.85 | 5.99 | 9.20 | 2826 |
| 2021-22 | 19.22 | 3.26 | 15.85 | 9.37 | 12.63 | 3370 |
| 2022-23 | 19.22 | 3.26 | 15.85 | 14.82 | 17.78 | 3370 |
| 2023-24 | 19.22 | 3.26 | 15.81 | 15.17 | 18.43 | 3370 |
| 2024-25 (30 सितंबर 2024) | 19.22 | 3.26 | 15.81 | 15.21 | 18.47 | 3370 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## बिहार राज्य आवास बोर्ड

बिहार राज्य आवास बोर्ड बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 और बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय स्थावर संपदा प्रबंधन एवं निष्पादन) नियमावली, 1983 के तहत प्रबंधित है।

आवास बोर्ड ने राजस्व संग्रहण में गत वर्ष की अपेक्षा काफी प्रगति की है जिसके कारण उसकी आय काफी बढ़ी है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में बोर्ड की कुल राजस्व प्राप्ति क्रमशः 49.15 करोड़ रु. और 51.41 करोड़ रु. थी। वहीं, 2023-24 में उसकी राजस्व प्राप्ति 63.26 करोड़ रु. पहुंच गई। वर्ष 2024-25 के लिए 73.80 करोड़

रु. का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2021-22 में 2.00 करोड़ रु. और 2022-23 में 5.00 करोड़ रु. का योगदान किया है।

किफायती आवास परियोजना (एएचपी) के अनुरूप, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (एलआइजी) के लिए आवास निर्माण अनिवार्य है और आवास कोष शुल्क संग्रहित किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और निम्न आय समूहों के लिए स्वीकृत आवासों की संख्या क्रमश: 2,430 और 855 है। साथ ही, 192 भवन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, और 52 पेट्रॉल पंप लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। बोर्ड ने आश्रय शुल्क के रूप में 2.12 करोड़ रु. और भवन शुल्क के रूप में 4.15 करोड़ रु. संग्रहित किए हैं।

## शहर एवं देहात योजना संगठन (टीसीपीओ)

राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों, एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों तथा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इस संदर्भ में योजना क्षेत्र तय किए गए हैं, और 44 शहरों में जीआइएस आधारित मास्टर प्लान विकसित करने के लिए योजना क्षेत्र प्राधिकारों की स्थापना की गई है।

राज्य के 44 तय योजना क्षेत्रों में से पटना योजना क्षेत्र के लिए जीआइएस आधारित मास्टर प्लान को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। शेष 25 अधिसूचित योजना क्षेत्रों का मास्टर प्लान विकसित करने का काम प्रगति पर है।

राज्य सरकार ने 29 शहरों में जीआइएस आधारित मानचित्रण पूरा कर लिया है। साथ ही, 26 नगरपालिका क्षेत्रों के लिए जीआइएस आधारित मानचित्र तैयार किए जाएंगे और उन क्षेत्रों में संपत्ति के सर्वेक्षण किए जाएंगे। अभी 28 शहरों में जीआइएस आधारित मानचित्र बनाने का काम चल रहा है। साथ ही, 15 शहरों में जीआइएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण किया जाएगा। सरकार 183 शहरों का भी मानचित्रण करवा रही है। इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग ने जीआइएस आधारित मानचित्र तैयार करने और जीआइएस आधारित मास्टर प्लान के विकास के लिए 82 सहायक नगर योजना सुपरवाइजरों की नियुक्ति की है।

## पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण

पटना मास्टर प्लान 2031 का क्रियान्वयन पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। योजना का विस्तार 1,167 वर्ग किमी में है जिसमें सात शहरी क्षेत्र शामिल हैं – पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद, मनेर नगर पंचायत, नौबतपुर नगर पंचायत, और फुतुहा नगर पंचायत। साथ ही, इसमें 575 राजस्व ग्राम भी शामिल हैं। इसमें 13 सामुदायिक विकास प्रखंड शामिल हैं जिनमें से तीन (दानापुर खगौल, पटना ग्रामीण और फुलवारी) पूरी तरह और 10 प्रखंड (बिहटा, धनरुआ, दनियावां, फतुहा, खुशरूपुर, मनेर, मसौढ़ी, नौबतपुर, पुनपुन, और संपतचक) आंशिक रूप से शामिल हैं।

पटना महानगर क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के अंग के बतौर 6401.14 वर्ग मी. जमीन संबधित प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है।

## वर्षा जल संग्रहण और भूजल का कृत्रिम संभरण

वर्षा जल संग्रहण में भावी उपयोग के लिए बारिश के पानी का संग्रहण और भंडारण शामिल है जिससे पानी के बह जाने में कमी लाने और जल संरक्षण करने में मदद मिलती है। यह टिकाऊ विधि क्षेत्रों, खास कर अनियमित वर्षा के पैटर्न वाले क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने में मदद करती है। वर्षा जल संग्रहण की आम तकनीकों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग, सोख्ता गड्ढे और भंडारण टंकियां शामिल हैं। वहीं, कृत्रिम भूजल संभरण से जलभृतों (एक्वीफर) के प्राकृतिक रूप से भरने की प्रक्रिया तेज होती है। इस विधि से खास तौर पर शहरी और सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल-स्तर का गिरना रोकने, अतिदोहन से बचने और सतत जल प्रबंधन में मदद मिलती है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण की सुस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम अनिवार्य है।

नगर आवास एवं विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए अनेक उपायों को अंजाम दिया है। तालिका 10.5 में कुओं का जीर्णोद्धार, सोख्ता गड्ढों का निर्माण, और नगरपालिका के स्वामित्व वाले भवनों में रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाना शामिल है। इन पहलकदमियों में लक्ष्य के मुकाबले सर्वाधिक उपलब्धि सार्वजनिक चापाकलों के नजदीक सोख्ता गड्ढों के निर्माण में दर्ज की गई जो 84.8 प्रतिशत पहुंच गई। इसके बाद रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की उपलब्धि दर 76.4 प्रतिशत और सार्वजनिक कुओं की 75.6 प्रतिशत थी (देखें चार्ट 10.3)

**तालिका 10.5 : 38 नगर स्थानीय निकायों में वर्षा जल संग्रहण और भूजल के कृत्रिम संग्रहण के तहत उपलब्धि (2019-24)**

| विवरण | लक्ष्य | उपलब्ध | उपलब्धि (%) |
|---|---|---|---|
| सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार (संख्या) | 5087 | 3845 | 75.6 |
| सार्वजनिक कुओं के नजदीक सोख्ता गड्ढों का निर्माण (संख्या) | 4723 | 3002 | 63.6 |
| सार्वजनिक चापाकलों के नजदीक सोख्ता गड्ढों का निर्माण (संख्या) | 12105 | 10263 | 84.8 |
| नगर निकायों के स्वामित्व वाले भवनों में रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण कार्य (संख्या) | 513 | 392 | 76.4 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 10.3 : 38 नगर स्थानीय निकायों में वर्षा जल संग्रहण और भूजल के कृत्रिम संग्रहण के तहत उपलब्धि (2019-24)**

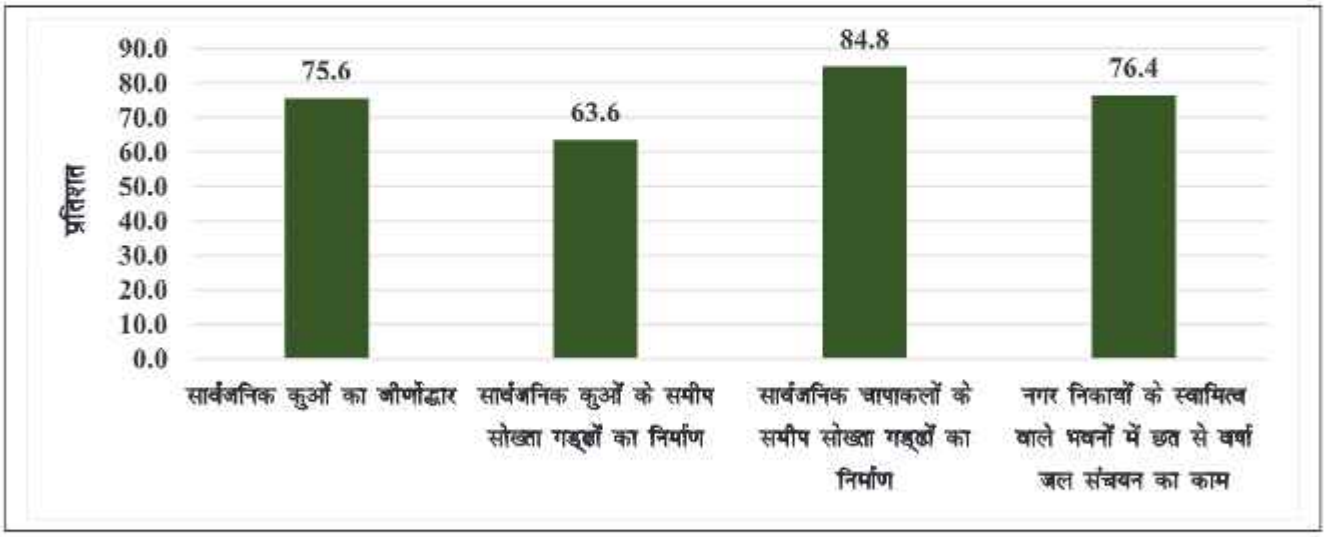


स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## 10.3 केंद्र और राज्य आधारित नगर विकास कार्यक्रम

### दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन (डे-नुल्म)

डे-नुल्म का क्रियान्वयन 2016 से सभी नगर निकायों में किया गया है। इस पहल के तहत शहरी गरीब युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और आश्रय के साथ-साथ पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए तय विक्रय क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। वर्ष 2015-16 से 51,560 युवक-युवतियों को इसके तहत प्रशिक्षण मिला है। इनमें से 37,296 प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन हुआ, और 12,214 प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक रोजगार हासिल कर लिया।

वर्ष 2023-24 में डे-नुल्म के तहत 5,154 स्वयं सहायता समूह गठित हुए और 48,296 सदस्य जुड़े। साथ ही, इस अवधि में 181 क्षेत्र-स्तरीय संघ (एएलएफ) और 4 नगर-स्तरीय संघ स्थापित हुए। वहीं, 3,653 स्वयं सहायता समूहों को चक्रानुसारी कोष (आरएफ) मिला है। वित्तीय समावेश और स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धि तालिका 10.7 में प्रस्तुत है।

**तालिका 10.6 : डे-नुल्म के तहत उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24)**

| मापदंड | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या | 4542 | 2876 | 4826 | 5594 | 5154 |
| स्वयं सहायता समूहों की सदस्य संख्या | 42351 | 28759 | 48141 | 53774 | 48296 |
| गठित क्षेत्र-स्तरीय संघों की संख्या | 143 | 108 | 181 | 180 | 181 |
| गठित शहर-स्तरीय संघों की संख्या | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| चक्रानुसारी कोष पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या | 3084 | 1555 | 4044* | 4938* | 3653 |

टिप्पणी : * पैसा पोर्टल के जरिए प्रत्यक्ष लाभांतरण

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 10.7 : वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (एफआई एवं एसईपी) के तहत उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24)**

| मापदंड | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वरोजगार कार्यक्रम-1 : व्यक्तिगत | 1251 | 1023 | 1756 | 2232 | 1876 |
| स्वरोजगार कार्यक्रम : समूह | 28 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| स्वयं सहायता समूह ऋण-संपर्क | 705 | 821 | 4176 | 5390 | 4469 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

### शहरी पथ-विक्रेता सहायता (सुस्व)

शहरी पथ-विक्रेता सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए पथ विक्रेताओं (फुटपाथ दूकानदारों) की पहचान करने के अलावा, उन्हें लॉजिस्टिक संबंधी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सुस्व के तहत चलाई जाने वाली गतिविधियों में बचत खाते खोलने में विक्रताओं की मदद करना, वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करना, और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना शामिल है। वहीं, सुस्व के जरिए पथ विक्रेता क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता और बीमा योजनाओं के जरिए भी लाभान्वित होते हैं।

पथ विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए ''बिहार राज्य पथ विक्रेता (आजीविका प्रोत्साहन एवं बिक्री विनियमन) नियमावली, 2017'' तथा बिहार राज्य पथ विक्रेता (आजीविका प्रोत्साहन एवं बिक्री विनियमन) योजना, 2017'' लागू की गई है। सभी नगर निकायों में नगर विक्रय समितियां (टीवीसी) गठित की गई हैं। सर्वेक्षित दूकानदारों को जगह देने के लिए 17 नगर निकायों में विक्रय क्षेत्रों को स्वीकृति दी गई है। अभी ऐसे 16 विक्रय क्षेत्र पटना में, तीन सीतामढ़ी में और एक-एक भागलपुर, बक्सर, मोतिहारी, दरभंगा तथा बिहिया में काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने 2021-22 में 141 शहरों में पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य पूरा किया था जो 2023-24 में भी जारी रहा। वर्ष 2023-24 में 1,91,978 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा हुआ और 1,66,436 विक्रेताओं को पहचान-पत्र दिए गए। इस अवधि में 4,512 बचत खाते खुले, और 120 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित हुए। साथ ही, 5,875 विक्रेताओं को क्षमता निर्माण पहलों के जरिए प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, 8,321 पथ विक्रेताओं को बीमा योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के वर्णित लक्ष्य हैं : (1) 10,000 रु. तक की कार्यशील पूंजी ऋण पाने में मदद करना, (2) नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना, और (3) डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना। पहले ऋण के लिए पात्र आवेदनों की संचित संख्या 1,97,130 थी और कुल 1,23,694 पात्र आवेदकों को ऋण दिए गए। सितंबर 2024 तक द्वितीय और तृतीय ऋण पाने वाले पात्र आवेदकों की संख्या क्रमश: 24,575 और 3,257 थी।

**तालिका 10.8 : शहरी पथ-विक्रेता सहायता का विवरण (2019-20 से 2023-24)**

| मापदंड | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **पथ-विक्रेताओं का सर्वेक्षण (संचयी आंकड़े)** | | | | | |
| पथ-विक्रेता सर्वेक्षण के लिए चयनित शहरों की संख्या | 98 | 98 | 141 | 141 | 141 |
| पथ-विक्रेता सर्वेक्षण शुरू करने वाले शहरों की संख्या | 98 | 98 | 141 | 141 | 141 |
| पथ-विक्रेता सर्वेक्षण पूरा कर चुके शहरों की संख्या | 21 | 63 | 141 | 141 | 141 |
| सर्वेक्षित शहरों में (बायोमेट्रिक सर्वेक्षण द्वारा) चिन्हित पथ-विक्रेताओं की संख्या | 79945 | 164516 | 183295 | 183295 | 191978 |
| पथ-विक्रेताओं के लिए जारी पहचान-पत्रों की संख्या | 20312 | 84430 | 114940 | 166422 | 166436 |
| **अन्य गतिविधियां** | | | | | |
| पथ-विक्रेताओं के लिए खुले बुनियादी बचत खातों की संख्या | 7009 | 51 | 0 | 4423 | 4512 |
| पथ-विक्रेताओं के लिए आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की संख्या | 24 | 2 | 0 | 208 | 120 |
| पथ-विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या | 3 | 1 | 0 | 778 | 567 |
| क्षमता विकास के तहत प्रशिक्षित पथ-विक्रेताओं की संख्या | 1570 | 165 | 0 | 5864 | 5875 |
| पथ-विक्रेताओं को जारी क्रेडिट कार्डों की संख्या | 5 | 0 | 0 | 19 | 30 |
| बीमा योजना के साथ जुड़े पथ-विक्रेताओं की संख्या | 848 | 36 | 0 | 7191 | 8321 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 10.4 : शहरी पथ-विक्रेता सहायता के तहत उपलब्धियां (2019-20 से 2023-24)

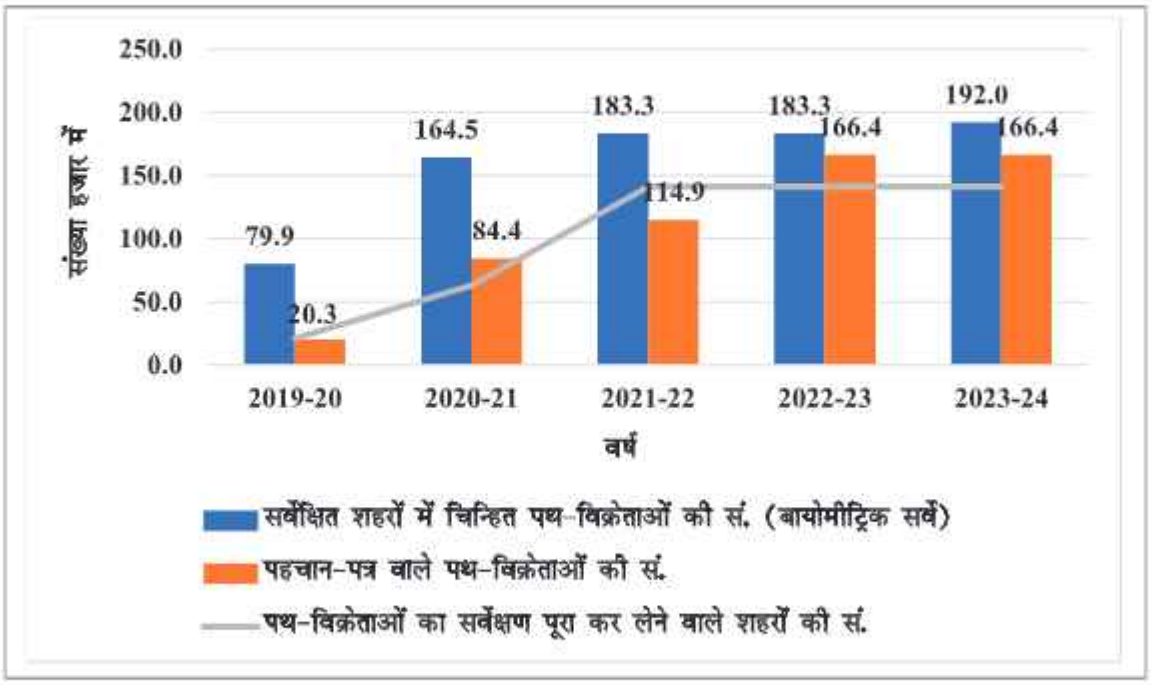


स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.9 : प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत प्रगति (सितंबर 2024 तक)

| ऋण का प्रकार | पात्र आवेदकों की संख्या | स्वीकृत ऋणों की संख्या | वितरित ऋणों की संख्या |
|---|---|---|---|
| प्रथम ऋण | 197130 | 135666 | 123694 |
| द्वितीय ऋण | 43825 | 27149 | 24575 |
| तृतीय ऋण | 6035 | 3658 | 3257 |
| **योगफल** | **246990** | **166473** | **151526** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## सबके लिए आवास (शहरी) एचएफए

आवास की समस्या दूर करने के लिए शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी निर्मित व्यक्तिगत आवास (बीएलसी) योजना के तहत निजी जमीन रखने वाले लोगों को नया मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक लाभार्थी को 2.00 लाख रु. दिए जाते हैं जिसके व्यय का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में अर्थात क्रमशः 1.50 लाख रु. और 50,000 रु. मिलते हैं। मकान लाभार्थी को खुद बनवाना पड़ता है। तालिका 10.11 से पता चलता है कि सितंबर 2024 तक हुआ कुल व्यय 3893.21 करोड़ रु. था।

**तालिका 10.10 : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम की भौतिक प्रगति (सितंबर 2024 तक)**

| भौतिक विवरण | संख्या |
|---|---|
| शामिल शहर | 142 |
| स्वीकृत परियोजनाएं | 540 |
| योजना के विभिन्न घटकों के तहत अभी तक आवासों की मांग | 526180 |
| (1) लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत निर्माण (बीएलसी) | 287659 |
| (2) ऋण-संपर्कित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) | 20291 |
| (3) यथा-स्थान मलिनबस्ती पुनर्विकास (आइएसएसआर) | अनु. |
| (4) साझेदारी अंतर्गत वहनीय आवास (एएचपी) | अनु. |
| योजना के विभिन्न घटकों के तहत अभी तक आवास निर्माण का लक्ष्य | 307950 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 10.11 : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय विवरण (सितंबर 2024 तक)**

| वित्तीय विवरण | रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|
| परियोजना व्यय | 5302.78 |
| केंद्रांश | 3977.90 |
| राज्यांश | 1325.70 |
| विमुक्त केंद्रांश | 2919.91 |
| विमुक्त राज्यांश | 973.30 |
| व्यय | 3893.21 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

विभिन्न निकायों में गृहविहीन शहरी लोगों के लिए 69 नए आश्रय-स्थलों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 54 चालू हैं और 5 निर्माणाधीन हैं। शेष 10 आश्रयों के लिए निविदा जारी की गई है।

मौजूदा रैन बसेरों की मरम्मत करने और चलाने तथा नए रैन बसेरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने नगर निकायों को 46.45 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। 54 रैन बसेरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है जो अब चालू हैं। साथ ही, बेहतर प्रबंधन और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में इन आश्रयस्थलों को महिलाओं के क्षेत्र-स्तरीय संगठनों (एएलओ) के साथ जोड़ दिया गया है।

## राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलजल निकासी नेटवर्क, और मलजल शोधन संयंत्रों सहित नालियों का अवरोधन एवं मार्ग परिवर्तन, नदी घाट विकास तथा श्मशानों का वित्तपोषण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के जरिए किया गया। इन परियोजनाओं में से मलजल शोधन संयंत्रों सहित नालियों का अवरोधन एवं मार्ग परिवर्तन को

ही 2023-24 में 139.49 करोड़ रु. और 2024-25 में (सितंबर 2024 तक) 356.99 करोड़ रु. प्राप्त हुए। वहीं, 2023-24 में अन्य योजनाओं पर काम का वित्तपोषण पूर्व के वर्षों में किए गए आबंटनों के जरिए किया गया। वर्ष 2023-24 में कुल व्यय 473.77 करोड़ रु. था। खास कर मलजल निकासी नेटवर्क और मलजल शोधन संयंत्रों सहित नालियों के अवरोधन एवं मार्ग परिवर्तन कार्य पर क्रमशः 279.95 करोड़ रु. और 190.74 करोड़ रु. का व्यय हुआ। वर्ष 2024-25 में (सितंबर 2024 तक) कुल व्यय 188.90 करोड़ रु. था।

**तालिका 10.12 : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की विभिन्न परियोजनाओं के तहत स्वीकृत रकम (2019-20 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

(करोड़ रु.)

| परियोजना | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मलजल निकासी नेटवर्क | 164.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मलजल शोधन संयंत्रों सहित नालियों के अवरोधन एवं मार्ग परिवर्तन | 202.29 | 63.89 | 0 | 406.72 | 139.49 | 356.99 |
| नदी घाट विकास | 19.02 | 12.0 | 0 | 56.23 | 0 | 0 |
| श्मशान | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **योगफल** | **388.99** | **75.89** | **0** | **462.95** | **139.49** | **356.99** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 10.13 : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की विभिन्न परियोजनाओं के तहत व्यय (2019-20 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

(करोड़ रु.)

| परियोजना | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मलजल निकासी नेटवर्क | 470.04 | 385.6 | 659.7 | 630.36 | 279.95 | 126.15 |
| मलजल शोधन संयंत्रों सहित नालियों के अवरोधन एवं मार्ग परिवर्तन | 28.49 | 107.92 | 106.84 | 121.77 | 190.74 | 50.32 |
| नदी घाट विकास | 24.17 | 23.62 | 10.25 | 9.82 | 3.08 | 12.43 |
| **योगफल** | **522.7** | **517.14** | **776.79** | **761.95** | **473.77** | **188.90** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का आरंभ 2 अक्तूबर 2019 को हुआ था और नगर निकायों को कूड़ा-मुक्त बनाने के मकसद से यह 1 अक्तूबर, 2026 तक जारी रहेगा। मिशन के पांच महत्वपूर्ण अंग हैं : पहला, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल), सामुदायिक शौचालयों, जन शौचालयों और आकांक्षी शौचालयों/ मूत्रालयों का निर्माण; दूसरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; तीसरा, प्रयुक्त जल प्रबंधन; चौथा, सूचना, शिक्षा एवं संचार की उपलब्धता; और अंतिम क्षमता निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के पहले चरण में 4,23,800 शौचालयों का निर्माण कराया गया था।

**व्यक्तिगत पारिवारिक/ सामुदायिक/ जन शौचालय** : व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, जन शौचालय, आकांक्षी जन शौचालय और मूत्रालय इस मिशन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि शहरी आबादी को लोक स्वास्थ्य और सम्मान के लिए आवश्यक, सुरक्षित और सेहतमंद स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों।

**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत सभी नगर निकायों में विभिन्न पहलों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और संबंधित कार्यक्रमों के जरिए अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। स्रोत में ही कूड़े को अलगाने का सक्रियता से पालन किया जाता है और सूखे तथा गीले कचरों की ढुलाई के लिए अलग-अलग वाहन नियत हैं। अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए अनेक नगर निकायों में सामग्री पुन:प्राप्ति केंद्र और कंपोस्टिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं। सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियानों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लगाया जाता है। मुजफ्फरपुर और बोधगया सहित छः शहरों को व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन के लिहाज से आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अनेक शहरों में लंबे समय से पड़े कूड़ों के उपचार के प्रयास जारी हैं। 'स्वच्छांगिनी परियोजना' के तहत मलिनबस्तियों की महिलाओं को नालियों की सफाई का प्रशिक्षण और उपकरण देकर उनका सशक्तीकरण किया जाता है। अब सारे नगर निकायों ने खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) की हैसियत पा ली है।

सामग्री पुन:प्राप्ति केंद्रों (एमआरएफ) और कंपोस्ट संयंत्रों के निर्माण के लिए निर्धारित 16.52 लाख रु. प्रति इकाई के आबंटन के साथ सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती का आरंभ सफाईकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रस्तुत की गई है। समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आइएसडब्ल्यूएम) परियोजना के तहत प्रस्तावों में सार्वजनिक-निजी साझीदारी में अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना शामिल है जिसके लिए 20 संकुलों में 161 इकाइयों को संगठित किया गया है जबकि 100 अन्य का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

**अपशिष्ट जल प्रबंधन** : स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र अपशिष्ट जल प्रबंधन का है। इसमें एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) और मलजनित ठोस उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) जैसी अवसंरचनाओं का विकास शामिल है। साथ ही, सेप्टिक टंकियों को खाली करने में मदद के लिए सेसपूल टैंकरों की शुरुआत की गई है जिससे सीवर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क-विहीन क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद मिलती है।

समुदाय को स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में शिक्षित और सूचित करने के लिए प्रचार और जागरूकता अभियान/ गतिविधियां तैयार की गई है। जन माध्यम, संचार-मीडिया, डिजिटल मंच, और अंतर्वैयक्तिक संवाद समेत विभिन्न मीडिया चैनल व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देते और जन संलग्नता बढ़ाते हैं।

**क्षमता निर्माण** : क्षमता निर्माण भी मिशन का अभिन्न पहलू है जिसका लक्ष्य स्वच्छताकर्मियों, नगरपालिकाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों (कनीय अभियंता और सहायक अभियंता सहित), तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशलों से लैश करना है। इस प्रशिक्षण का फोकस आपके कार्यों को कुशलता से करने के लिए उनकी दक्षता में सुधार करने, और अंततः शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अवसंरचना तथा व्यवहारों को मजबूती देने पर है।

**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** : एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक को बंद करने संबंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गजट अधिसूचना की अनुक्रिया में आदर्श बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2018 को संशोधित करके बिहार नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) उप-नियम, 2022 लाया गया है जिसे अपनाना सभी नगर निकायों के लिए जरूरी है। संशोधित उपनियम में प्लास्टिक कैरी बैग और एक बार

उपयोग वाले प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है जिसमें प्लास्टिक के बैलून स्टिक, कटलरी, थर्मोकोल की सजावटी चीजें और प्लास्टिक रैपिंग फिल्म शामिल हैं। इसका पालन नहीं करने पर उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगेगा।

ऐतिहासिक, धार्मिक, और सार्वजनिक स्थानों तथा नदियों-नालों में प्लास्टिक फेंकने तथा खुले में प्लास्टिक अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए 138 नगर निकायों में विशेष पर्यावरण दस्ते गठित किए गए हैं। साथ ही, 141 नगर दस्ते धावा बोलकर और प्लास्टिक साामग्रियां जब्त करके प्लास्टिक के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं।

**राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता परितंत्र कार्रवाई (नमस्ते)** : नमस्ते परियोजना का आरंभ 2023 में हुआ था। इस परियोजना का लक्ष्य सीवर और सेप्टिक टंकियों का काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली को प्राथमिकता देना है। नमस्ते के घटक हैं : आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाइ) के तहत स्वास्थ्य बीमा आच्छादन, सीवर और सेप्टिक टंकी कामगारों की पेशागत सुरक्षा, स्वच्छता वाहनों और उपकरणों की खरीद पर अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी, सीवर और सेप्टिक टंकी कामगारों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) किट का प्रावधान, आपात अनुक्रिया समर्थन इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए सुरक्षा उपकरण, और सीवर और सेप्टिक टंकी कामगारों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आइईसी) अभियान।

### क्लीन सर्वेक्षण 2023

पटना नगर निगम ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बीच सबसे साफ शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही, इसे खुले में शौच से मुक्ति के तहत वाटर+ प्रमाणन, और कूड़ा मुक्त शहर पहल के तहत एक-स्टार की रेटिंग मिली है। वर्ष 2022 में देश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 45 शहरों के बीच पटना का 38वां स्थान था। हालांकि 2023 में इसमें सुधार हुआ और देश के 446 शहरों के बीच इसे 77वां स्थान मिला। गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में पटना का 12वां, बड़हिया का 14वां, और सुल्तानंगज का 15वां स्थान है। एक लाख से नीचे आबादी वाले सुपौल नगर परिषद को सबसे साफ शहर की श्रेणी में मान्यता मिली और कूड़ा मुक्त शहर पहल के तहत एक-स्टार की रेटिंग मिली। कुल मिलाकर, बिहार में 85 नगर निकायों को खुले में शौच से मुक्त प्रमाणित किया गया है, 56 को खुले में शौच से मुक्त का प्रमाणपत्र मिला है, और पटना एकमात्र नगर निकाय है जिसे वाटर+ का प्रमाणन हासिल हुआ है।

### अटल कायाकल्प एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत)

वर्ष 2021 में शुरू हुए अमृत (शहरी) 2.0 का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। इस योजना का फोकस राज्य के सभी नगर निकायों में हर परिवार को पेयजल की सतत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। साथ ही, इसका जोर जल संरक्षण, जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल का पुनर्चक्रण और उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करना तथा पार्क जैसे हरित स्थलों तथा सुव्यवस्थित खुली जगहों का विकास करके नगरों का सौंदर्य बढ़ाना है। राज्य में अमृत के तहत आच्छादित पुराने शहरों में सीवर और सेप्टिक टंकी के कचरे के लिए भी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अमृत 2.0 के लिए कुल परियोजना राशि 2628.00 करोड़ रु. है। वित्तपोषण का मापदंड शहर की जनसंख्या पर आधारित है। अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकारों का योगदान इस प्रकार है : 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए राज्य सरकार परियोजना व्यय में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी करेगी। वहीं, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए दो-तिहाई खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना व्यय में राज्य सरकार की 50 प्रतिशत भागीदारी होगी। अमृत मिशन 2.0 के तहत राज्य में 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले 50 शहरों के लिए मास्टर प्लान विकसित किया

जा सकता है। अभी इस श्रेणी के 16 शहरों के लिए योजना क्षेत्र निर्धारित किया गया है और योजना क्षेत्र प्राधिकरणों के चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अमृत योजना के तहत 2260.06 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय वाली 21 नगर निकायों में 36 जलापूर्ति परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 20 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इन जलापूर्ति परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर अभी तक 2117.0 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए 237.99 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय वाली वर्षा जल निकासी की तीन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भागलपुर और पटना में वर्षा जल निकासी की परियोजनाओं का, खास कर पटना में बेउर से मीठापुर खंड का काम पूरा हो गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर अभी तक 109.20 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

तीन शहरों में वर्षा जल निकासी की परियोजनाओं का क्रियान्वयन 240.03 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से किया गया। इनमें से दो पूरी हो गई हैं। राज्य योजना के तहत कुल 859.63 करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ 15 शहरों में वर्षा जल निकासी योजनाओं पर काम शुरू हुआ था। इनमें से दो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के तहत 2,031.32 करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति वाली वर्षा जल निकासी योजनाओं का क्रियान्वयन 13 शहरों में किया गया। इन परियोजनाओं का काम पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

अमृत 2.0 के तहत सभी नगर निकायों ने नगर जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार करके अमृत 2.0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वित्तवर्ष 2024-25 में इस महत्वाकांक्षी पहल के क्रियान्वयन के लिए अमृत 2.0 के तहत 1382.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

वर्ष 2023-24 में जलापूर्ति योजना (चरण 1 और 2), पार्क विकास, और जल निकासी योजना के लिए कुल वित्तीय आबंटन 2586.3 करोड़ रु. था। इस आबंटित रकम में से 89.7 प्रतिशत का व्यय 21 शहरों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजना (चरण 1 और 2) पर हुआ। वहीं, 31.1 करोड़ रु. के व्यय से पार्क विकास योजना का क्रियान्वयन राज्य के 20 शहरों में किया गया (तालिका 10.14)। राज्य सरकार ने इसके लिए 30.48 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। कुछ मामलों में जमीन संबंधी मुकदमों के कारण राज्य सरकार परियोजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाई जिसके कारण आबंटित रकम अभ्यर्पित कर देनी पड़ी। वहीं, जल निकासी योजना के लिए कुल 234.3 करोड़ रु. का आबंटन था जो अमृत के तहत कुल आबंटन का 9 प्रतिशत है। अमृत और अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति योजनाओं के लिए शहर-वार वितरण तालिका प 10.4 में प्रस्तुत है।

**तालिका 10.14 : अमृत के तहत आबंटन (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | कुल परियोजना व्यय (करोड़ रु.) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | जलापूर्ति योजनाएं | पार्क विकास | जल निकासी योजनाएं | योगफल |
| 2019-20 | 2320.9 | 36.3 | 234.3 | 2591.4 |
| 2020-21 | 2339.6 | 20.8 | 242.8 | 2603.2 |
| 2021-22 | 2219.9 | 30.8 | 234.3 | 2485.0 |
| 2022-23 | 2320.9 | 31.1 | 234.3 | 2586.3 |
| 2023-24 | 2320.9 | 31.1 | 234.3 | 2586.3 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में स्मार्ट शहरों के विकास के लिए चार शहरों - भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहारशरीफ को चुना गया है। चारो शहरों में अभी विकासमूलक गतिविधियां चल रही हैं। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640.0 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों की समान भागीदारी होती है और पंचवर्षीय अवधि के लिए दोनो सरकारों ने 100-100 करोड़ रु. अंशदान किया है।

भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए कुल 826.82 करोड़ रु. विमुक्त किए गए हैं जिसमें केंद्र और राज्य, दोनो सरकारों के अंशदान शामिल हैं। वहीं, पटना को 497.53 करोड़ रु., मुजफ्फरपुर को 773.64 करोड़ रु. और बिहारशरीफ को 729.40 करोड़ रु. मिले हैं। विभिन्न शहरों में धनराशि आबंटन और उसके घटकों का ब्योरा तालिका 10.15 में प्रस्तुत है।

**तालिका 10.15 : बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति (30 सितंबर 2024 तक)**

| शहर/ घटक | रकम (करोड़ रु.) | शहर/ घटक | रकम (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| **पटना** | | **बिहारशरीफ** | |
| (1) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र | 288.24 | (1) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र | 102.94 |
| (2) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र सह पटना स्मार्ट सिटी लि. के भवन का निर्माण | | (2) भरावपार में फ्लाइओवर का निर्माण | 89.71 |
| (3) अदालतगंज में झील का पुनर्विकास | 13.41 | (3) ABD क्षेत्र में सड़क का सुदृढ़ीकरण (पैकेज 1, 2, 3) | 52.91 |
| (4) जन सेवा केंद्र | 15.07 | (4) ABD क्षेत्र में मलजल निकासी प्रणाली और वर्षा-जल निकासी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 297.73 |
| (5) मंदीरी नाला का पुनर्विकास | 95.98 | (5) भत्तू सेठ से लहेरी थाना तक ढंके नाले पर सड़क का निर्माण | 120.63 |
| (6) रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पुनर्विकास के तहत 440 मी. लंबे सबवे का निर्माण | 84.83 | (6) बाजार समिति का विकास (चरण 1 और 2) | 65.48 |
| **भागलपुर** | | **मुजफ्फरपुर** | |
| (1) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र | 234.71 | (1) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र | 154.58 |
| (2) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र सह पटना स्मार्ट सिटी लि. के भवन का निर्माण | 35.52 | (2) समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के भवन का निर्माण | 13.65 |
| (3) स्मार्ट रोड नेटवर्क | 299.3 | (3) मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर झील के घाटों का सौंदर्यीकरण | 213.25 |
| (4) खुली जगह (सैंडी कंपाउंड) का विकास | 47.6 | (4) सिकंदरपुर स्टेडियम का बहुद्देश्यीय खेल स्टेडियम के रूप में पुनर्विकास | 12.56 |
| (5) बसारी घाट का सौंदर्यीकरण | 169.25 | (5) मलजल निकासी प्रणाली और वर्षा जल के भूमिगत नाले का विकास | 342.88 |
| (6) भैरवा तालाब का जीर्णोद्धार | 40.44 | (6) मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के ABD क्षेत्र में मुख्य सड़कों की स्थिति में सुधार | 36.72 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## 10.4 पटना मेट्रो रेल परियोजना

पटना मेट्रो रेल परियोजना का आरंभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौते के तहत हुआ है। परियोजना व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत भागीदारी है जबकि शेष 60 प्रतिशत का वित्तपोषण बाहरी वित्तीय संस्थान जापान अंतर्राष्ट्रीय निगम अभिकरण (जीका) के जरिए किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, और पुन:स्थापन से जुड़ा खर्च पूरी तरह राज्य सरकार को वहन करना है। प्रस्तावित परियोजना के तहत पटना मेट्रो के लिए दो कॉरीडोर चुने गए हैं। पहले कॉरीडोर की लंबाई 17.93 किमी और दूसरे कॉरीडोर की लंबाई 14.57 किमी है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में काफी प्रगति हुई है क्योंकि 78.02 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, और शेष 2.75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। साथ ही, भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली 17.15 एकड़ जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त हो गया है।

अभी तक परियोजना के लिए 3402.09 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें से 872.50 करोड़ रु. का आबंटन केंद्र सरकार द्वारा और 2529.59 करोड़ का आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए परियोजना के लिए 380.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

**राज्य के चार महत्वपूर्ण शहरों - मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के लिए प्रस्ताव**

बिहार की घनी आबादी वाले चार शहर - मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर - महत्वपूर्ण व्यावसायिक, ऐतिहासिक, और शैक्षिक केंद्र हैं। इन शहरी क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या बढ़ने से इनकी परिवहन प्रणाली पर काफी दबाव बन गया है जिसके कारण यातायात में अक्सर भीड़भाड़ और विलंब होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन शहरों में परिवहन दक्षता बढ़ाने, प्रदूषण घटाने, और आवागमन का किफायती विकल्प उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए पटना मेट्रो रेल परियोजना की तरह ही वित्तपोषण मॉडल अपनाया जाएगा और केंद्र तथा राज्य सरकारों का 20-20 प्रतिशत अंशदान होगा जबकि शेष 60 प्रतिशत बाहरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषण होगा।

विभाग द्वारा प्रस्तावित इन चारो शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली के संचालन की व्यवहार्यता का गहन अध्ययन कराया गया है और राज्य सरकार ने सितंबर 2024 में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय इन शहरों में सुरक्षित, विश्वसनीय, और किफायती परिवहन व्यवस्था की जरूरत को रेखांकित करता है।

## 10.5 नगर विकास पर व्यय

नगर विकास एवं आवास विभाग का वित्तीय आबंटन और व्यय तालिका 10.19 में दर्शाया गया है। विभाग का बजट काफी बढ़ा है और 2019-20 के 3587.6 करोड़ रु. से 227 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 11,742.6 करोड़ रु. पहुंच गया है। जैसा कि तालिका 10.16 में दर्शाया गया है, इन पांच वर्षों में आबंटित बजट की तुलना में व्यय के प्रतिशत में भी काफी सुधार दिखा है जो 2019-20 के 34.3 प्रतिशत से 2023-24 में 77.4 प्रतिशत हो गया।

तालिका 10.16 : नगर विकास एवं आवास विभाग का वित्तीय आबंटन और व्यय
(2019-20 से 2023-24)

(करोड़ रु.)

| वर्ष | बजट | व्यय | उपयोग (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 3587.6 | 1231.9 | 34.3 |
| 2020-21 | 4450.1 | 1949.7 | 43.8 |
| 2021-22 | 5786.6 | 2675.2 | 46.2 |
| 2022-23 | 4380.3 | 2345.2 | 53.5 |
| 2023-24 | 11742.6 | 9091.4 | 77.4 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 10.5 : नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट और व्यय

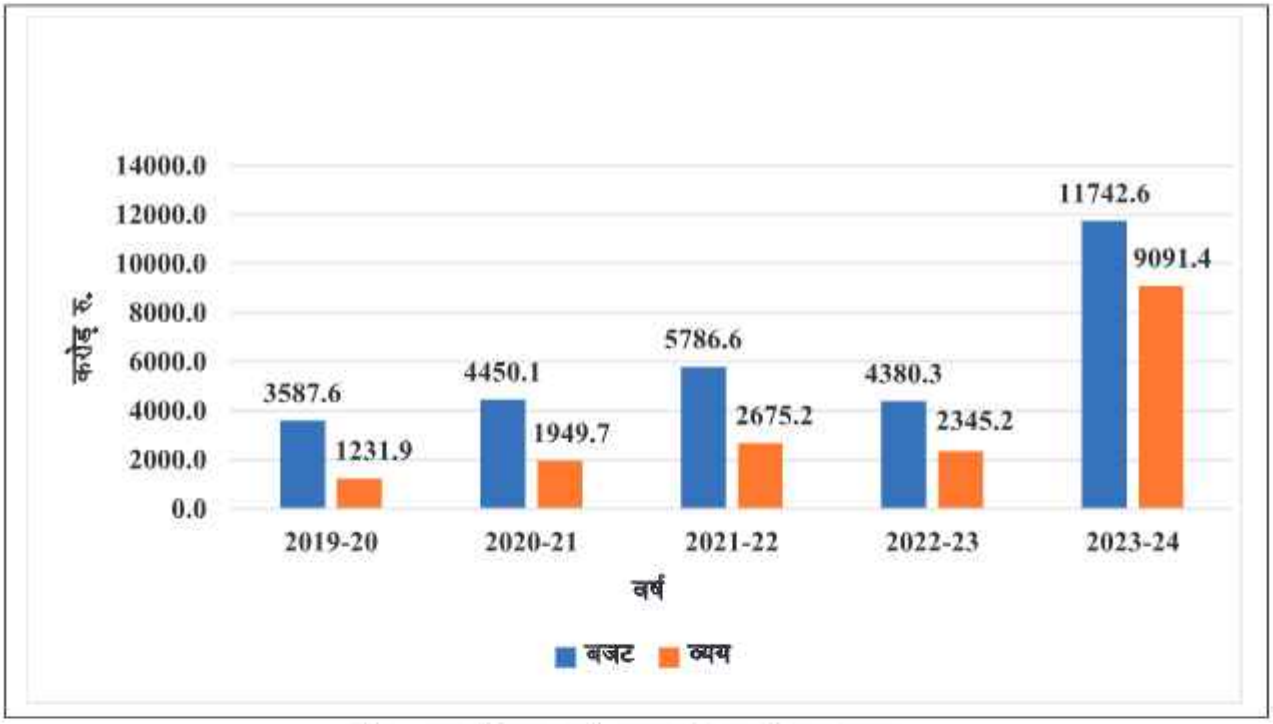


स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## 10.6 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था

नगर निकायों के लिए राजस्व के दो प्रमुख स्रोत, स्वार्जित आय और बाहरी स्रोतों से आय हैं। स्वार्जित आय होल्डिंग करों, अन्य करों, और करेतर स्रोतों से हो सकती है। इनमें से होल्डिंग करों का स्वार्जित आय में सबसे बड़ा योगदान है। वर्ष 2023-24 में कुल स्वार्जित आय में होल्डिंग करों का 70.9 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, बाहरी स्रोतों से राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व अनुदान था जिसका 2023-24 में बाहरी स्रोतों से कुल आय में 76.8 प्रतिशत योगदान था। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नगर निकायों की आय संबंधी क्षमता अभी भी सीमित है क्योंकि 2023-24 में नगर निकायों की कुल आय का 20.5 प्रतिशत हिस्सा ही उनके अपने स्रोतों से आया।

वहीं, मुख्य राजस्व व्यय शीर्ष स्थापना व्यय और संचालन/ रखरखाव व्यय हैं। वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व व्यय में स्थापना और संचालन पर राजस्व व्यय का 68.5 प्रतिशत हिस्सा था। साथ ही, नगर निकायों को 2023-24 में 1,45,209.6 लाख रु. का अनुदान मिला। उनके द्वारा किया गया कुल पूंजीगत व्यय 52,014.4 लाख रु. था। नगर निकाय अपना स्थापना व्यय पूरा करने में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य हासिल करने से भी बहुत पीछे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि स्वार्जित आय से उनके स्थापना व्यय का 54.3 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा हो सकता है।

**तालिका 10.17 : बिहार के 35 शहरों में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति (2019-20 से 2023-24)**

(लाख रु.)

| सूचक | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व आय** | | | | | |
| (क) स्वार्जित आय | **5628.2** | **14018.3** | **12279.2** | **13884.5** | **14031.7** |
| (1) होल्डिंग कर | 3681 | 10337.2 | 8708.3 | 9103.1 | 9949.7 |
| (2) अन्य कर | 470.4 | 454.5 | 227.6 | 791.5 | 131.9 |
| (3) करेतर आय | 1476.8 | 3226.6 | 3343.2 | 3989.9 | 3950 |
| (ख) बाहरी आय | **13293.6** | **52545** | **51006.86** | **49951.6** | **54447.8** |
| (1) दत्त आय | 1972.6 | 10289.2 | 9320.56 | 10423.9 | 9155.5 |
| (2) राजस्व अनुदान | 10285.3 | 41632.1 | 40180.9 | 37277.7 | 41792.6 |
| (2) अन्य आय/ प्राप्तियां | 1035.7 | 623.7 | 1505.4 | 2250 | 3499.7 |
| **योगफल (क+ख)** | **18921.8** | **66563.3** | **63286** | **63836** | **68479.5** |
| स्वार्जित आय कुल राजस्व आय के प्रतिशत में | 29.7 | 21.1 | 19.4 | 21.7 | 20.5 |
| **राजस्व व्यय** | | | | | |
| (1) स्थापना व्यय | 15404.5 | 30892.4 | 23449 | 22482.3 | 25862.8 |
| (2) कार्यक्रम व्यय | 6238.7 | 3901.8 | 5970 | 4408.1 | 1687.3 |
| (3) कार्यसंचालन/ रखरखाव व्यय | 4404.1 | 11502.4 | 10342.6 | 16285.5 | 28587.4 |
| (4) वित्तीय व्यय/ ब्याज | 7.1 | 10.4 | 2.24 | 1.51 | 5 |
| (5) अन्य | 13808.7 | 9414.5 | 11466.4 | 11596.8 | 23344.7 |
| **योगफल** | **39863** | **55721.5** | **51230.3** | **54774.1** | **79487.3** |
| **पूंजीगत अनुदान** | **79754.6** | **133459.9** | **49635.3** | **37576.2** | **145209.6** |
| **पूंजीगत व्यय** | **41244.6** | **67731.5** | **42353.2** | **32261** | **52014.4** |
| स्वार्जित आय स्थापना व्यय के प्रतिशत के बतौर | 36.5 | 45.38 | 52.4 | 61.8 | 54.3 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

## विज्ञापन और अन्य नीतियां

बिहार मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), एवं संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 को राज्य में मोबाइल टावरों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एवं दूरसंचार अवसंरचना के नियमन और विस्तार के लिए लागू किया गया है। इस नियमावली का लक्ष्य दूरसंचार कंपनियों से कर और शुल्क वसूलना है। फलतः, नागरिकों के लिए दूरसंचार सेवाओं और तेज गति वाले इंटरनेट कनेक्शन में सुधार हुआ है। इस विकास से राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में वृद्धि होने की आशा है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 की उप-धारा (1)(जी) के अनुसार, नगरपालिकाओं को समाचार-पत्रों पर प्रकाशित विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर लगाने की स्वीकृति है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के क्रियान्वयन और अधियिनम की धारा 419 के अनुरूप, पूरे राज्य के नगर क्षेत्रों में विज्ञापनों और संबंधित उपकरणों को दर्शाने के नियमन के लिए बिहार नगर क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 को अंतिम रूप दे दिया गया है।

बिहार नगर क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के लागू होने से राज्य के शहरी क्षेत्रों में विज्ञापनों का विनियमन होगा जिससे नगरपालिकाओं की आय बढ़ेगी।

# परिशिष्ट

## तालिका प 10.1 : जनगणना 2011 के आधार पर अनुमानित शहर-वार जनसंख्या 2024 में

(हजार में)

| शहर | जनगणना 2011 के अनुसार | 2024 में अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|
| आरा | 261 | 323 |
| औरंगाबाद | 102 | 126 |
| बगहा | 113 | 139 |
| बेगूसराय | 252 | 311 |
| बेतिया | 132 | 163 |
| भागलपुर | 400 | 494 |
| बिहारशरीफ | 297 | 367 |
| बक्सर | 103 | 127 |
| छपरा | 202 | 250 |
| दरभंगा | 296 | 365 |
| डेहरी | 137 | 169 |
| दानापुर निजामत | 182 | 225 |
| गया | 469 | 578 |
| हाजीपुर | 148 | 182 |
| जमालपुर | 105 | 130 |
| जहानाबाद | 103 | 127 |
| कटिहार | 226 | 279 |
| किशनगंज | 106 | 131 |
| मोतिहारी | 126 | 156 |
| मुंगेर | 213 | 263 |
| मुजफ्फरपुर | 354 | 438 |
| पटना | 1,684 | 2,079 |
| पूर्णिया | 282 | 348 |
| सहरसा | 157 | 193 |
| सासाराम | 147 | 182 |
| सीवान | 135 | 167 |

स्रोत : महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार

तालिका प 10.2 : नए 120 नगर पंचायतों और परिषदों की स्थापना (2024)

| जिले | नगर पंचायत/ नगर परिषद | |
|---|---|---|
| अररिया | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 0 |
| अरवल | नगर पंचायत : 1 | नगर परिषद : 0 |
| औरंगाबाद | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 0 |
| बांका | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 0 |
| बेगूसराय | नगर पंचायत : 0 | नगर परिषद : 1 |
| भागलपुर | नगर पंचायत : 4 | नगर परिषद : 0 |
| भोजपुर | नगर पंचायत : 1 | नगर परिषद : 0 |
| बक्सर | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 0 |
| दरभंगा | नगर पंचायत : 8 | नगर परिषद : 1 |
| गया | नगर पंचायत : 5 | नगर परिषद : 0 |
| गोपालगंज | नगर पंचायत : 1 | नगर परिषद : 0 |
| जमुई | नगर पंचायत : 1 | नगर परिषद : 0 |
| जहानाबाद | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 0 |
| कैमूर | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 0 |
| कटिहार | नगर पंचायत : 5 | नगर परिषद : 0 |
| खगड़िया | नगर पंचायत : 4 | नगर परिषद : 0 |
| किशनगंज | नगर पंचायत : 1 | नगर परिषद : 0 |
| लखीसराय | नगर पंचायत : 0 | नगर परिषद : 1 |
| मधेपुरा | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 1 |
| मधुबनी | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 0 |
| मुंगेर | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 0 |
| मुजफ्फरपुर | नगर पंचायत : 7 | नगर परिषद : 0 |
| नालंदा | नगर पंचायत : 10 | नगर परिषद : 0 |
| नवादा | नगर पंचायत : 1 | नगर परिषद : 0 |
| पटना | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 2 |
| पूर्णिया | नगर पंचायत : 8 | नगर परिषद : 0 |
| रोहतास | नगर पंचायत : 4 | नगर परिषद : 0 |
| सहरसा | नगर पंचायत : 4 | नगर परिषद : 0 |
| समस्तीपुर | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 2 |
| सारण | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 0 |
| शेखपुरा | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 0 |
| सीवान | नगर पंचायत : 6 | नगर परिषद : 0 |
| सुपौल | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 1 |
| वैशाली | नगर पंचायत : 3 | नगर परिषद : 0 |
| पश्चिम चंपारण | नगर पंचायत : 2 | नगर परिषद : 0 |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 10.3 : आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय 2 के तहत राज्य योजना के अंतर्गत मोक्षधाम क्रियान्वयन की योजनाओं का विवरण**

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | नगर निकायों के नाम | आबंटित रकम | विमुक्त रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | शिवहर नगर परिषद | 4.59 | 1.15 |
| 2 | हाजीपुर नगर परिषद | 1.75 | 0.44 |
| 3 | सीतामढ़ी नगर निगम | 4.59 | 1.15 |
| 4 | समस्तीपुर नगर निगम | 2.45 | 0.61 |
| 5 | बेतिया नगर निगम | 2.86 | 0.72 |
| 6 | रिविलगंज नगर पंचायत | 4.24 | 1.06 |
| 7 | गोपालगंज नगर परिषद | 4.26 | 1.06 |
| 8 | कटिहार नगर निगम | 4.64 | 1.16 |
| 9 | आरा नगर निगम | 4.04 | 1.01 |
| 10 | गया नगर निगम | 3.97 | 0.99 |
| 11 | जमुई नगर परिषद | 2.24 | 0.56 |
| 12 | सासाराम नगर परिषद | 4.35 | 1.09 |
| 13 | अरवल नगर परिषद | 4.65 | 1.16 |
| 14 | मुंगेर नगर निगम | 4.18 | 1.05 |
| 15 | औरंगाबाद नगर परिषद | 2.12 | 0.53 |
| 16 | सुपौल नगर परिषद | 5.67 | 1.42 |
| 17 | मधेपुरा नगर परिषद | 5.45 | 1.36 |
| 18 | मनिहारी नगर पंचायत | 9.01 | 1.25 |
| 19 | मुजफ्फरपुर नगर निगम | 8.87 | 1.22 |
| 20 | पूर्णिया नगर निगम | 10.40 | 1.60 |
| 21 | सीवान नगर परिषद | 8.93 | 1.23 |
| 22 | अररिया नगर परिषद | 5.11 | 1.28 |
| 23 | बीहट नगर परिषद | 10.02 | 1.51 |
| 24 | सहरसा नगर निगम | 9.02 | 1.26 |
| 25 | दरभंगा नगर निगम | 9.72 | 1.43 |
| 26 | किशनगंज नगर परिषद | 5.50 | 1.38 |
| 27 | बांका नगर परिषद | 5.21 | 1.30 |
| 28 | भागलपुर नगर निगम | 11.17 | 1.79 |
| 29 | बिहारशरीफ नगर निगम | 9.45 | 1.49 |
| 30 | लखीसराय नगर परिषद | 5.73 | 1.43 |
| 31 | जहानाबाद नगर परिषद | 9.07 | 1.27 |
| 32 | बक्सर नगर परिषद | 8.72 | 1.18 |
| 33 | भभुआ नगर परिषद | 5.02 | 1.26 |
| **योगफल (क)** | | 197.03 | 38.38 |
| 1 | शेखपुरा नगर परिषद | 5.03 | 4.03 |
| 2 | खगड़िया नगर परिषद | 5.31 | 4.31 |
| 3 | सुलतानगंज नगर परिषद | 8.86 | 7.86 |
| 4 | नवाद नगर परिषद | 2.87 | 1.87 |
| 5 | मोतिहारी नगर निगम | 7.69 | 6.69 |
| 6 | बख्तियारपुर नगर परिषद | 7.37 | 4.37 |
| **योगफल (ख)** | | **37.12** | **29.12** |
| **योगफल (क + ख)** | | **234.16** | **67.51** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 10.4 : जलापूर्ति योजनाओं, पार्क विकास योजना और वर्षा जल निकासी योजना का विवरण (सितंबर 2024 तक)**

(करोड़ रु.)

| जलापूर्ति योजना (चरण 1 और 2 या सिर्फ चरण 1) | | पार्क विकास | |
|---|---|---|---|
| जिला/ शहर | परियोजना व्यय | जिला/ शहर | परियोजना व्यय |
| आरा | 123.07 | आरा | 1.56 |
| औरंगाबाद | 153.10 | औरंगाबाद | 1.51 |
| बेतिया | 97.25 | बेतिया | 0.48 |
| बिहारशरीफ | 162.10 | बिहारशरीफ | 0.59 |
| बक्सर | 73.66 | बक्सर | 0.43 |
| छपरा | 117.88 | छपरा | 1.09 |
| दरभंगा | 67.99 | दरभंगा | 0.83 |
| डेहरी | 82.86 | बोधगया | — |
| हाजीपुर | 107.80 | गया | 5.96 |
| किशनगंज | 73.61 | किशनगंज | 0.78 |
| मोतिहारी | 97.40 | मोतिहारी | 1.89 |
| मुंगेर | 180.58 | मुंगेर | 2.24 |
| पूर्णिया | 195.83 | पूर्णिया | 2.89 |
| सहरसा | 92.91 | सहरसा | 0.49 |
| सासाराम | 112.60 | सासाराम | 0.96 |
| सीवान | 102.35 | सीवान | 0.63 |
| जमालपुर | 50.81 | पटना | 4.72 |
| जहानाबाद | 69.93 | भागलपुर | 1.06 |
| कटिहार | 146.47 | जहानाबाद | 1.37 |
| बगहा | 94.21 | मुजफ्फरपुर | 1.00 |
| बेगूसराय | 118.44 | | |
| **योगफल** | **2320.85** | **योगफल** | **30.48** |

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय – 11

# वित्तीय संस्थाएं


**सारांश**

*वित्तीय संस्थाएं विकास और निवेश के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करके तथा वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ बैंक शाखाओं और डिजिटल माध्यमों, दोनो के जरिए पूरे बिहार में इन संस्थाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच बिहार में ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) की संख्या 20,994 से बढ़कर 57,589 हो गई। इसी अवधि में पूरी सेवा देने वाली बैंक शाखाओं की संख्या भी 7,589 से बढ़कर 8,045 हो गई। सितंबर 2024 के अंत में राज्य में बैंकों द्वारा संग्रहित कुल जमा राशि 5.27 लाख करोड़ थी जबकि इन संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिम की रकम 2.97 लाख करोड़ रु. पहुंच गई जिससे ऋण-जमा (सीडी) अनुपात 56.3 प्रतिशत हो गया। साथ ही, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के साथ ऋण का अनुपात गत पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है और 2019-20 के 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 39.9 प्रतिशत पहुंच गया है। वित्तवर्ष 2023-24 के लिए बिहार में बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का लक्ष्य 2.6 लाख करोड़ रु. तय किया था और उपलब्धि 96.3 प्रतिशत रही। 31 मार्च 2024 को बिहार के दो सबसे बड़े बैंक समूहों - व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमश: 5.9 प्रतिशत और 23.8 प्रतिशत था।*


विभिन्न वित्तीय गतिविधियों को आधार प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे कम लागत पर आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराती हैं जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर सुगम हो जाते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ऋण देने के अलावा ये संस्थाएं अनेक प्रकार की सेवाएं भी देती हैं जिससे वित्तीय लेनदेन सुव्यवस्थित होती है और सुनिश्चित होता है कि लेनदेन सुरक्षित और विनियमित चैनलों के जरिए हो।

प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण वित्तीय परिचालन में काफी बदलाव आया है जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए औपचारिक स्रोतों से वित्तपोषण पाना आसान हो गया है। इस डिजिटल क्रांति ने वित्तीय लेनदेन को सरल बना दिया है और वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करके इसने दैनिक जीवन पर काफी प्रभाव डाला है। साथ ही, इसके कारण बैंकिंग सेवाएं देने के साथ जुड़े खर्च में भी काफी कमी आई है।

वित्तीय संस्थाएं अपनी अवस्थिति को लगातार बदलते हुए भौतिक उपस्थिति वाले स्थानों से अधिक बहुमुखी डिजिटल अवसंरचना की ओर बढ़ी हैं। इस कारण उनके लिए संचालन व्यय कम रखते हुए सुदूर क्षेत्रों के ग्राहकों सहित अधिक बड़े ग्राहक आधार को सेवा देने की गुंजाइश बनती है। इस बदलाव का उल्लेखनीय उदाहरण यूपीआइ (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के उपयोग में तेजी से वृद्धि है, जो भारत में मोबाइल से तत्क्षण भुगतान की प्रणाली है। अन्य प्रगतियों में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का व्यापक उपयोग शामिल है।

जहां राज्य में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण हाल के वर्षों में बैंकों द्वारा ऋण की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं वित्तीय संस्थाओं को और भी अधिक ऋण समर्थन देने की गुंजाईश दिखती है। औपचारिक वित्तीय संस्थाओं को राज्य में आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी ऋण की उपलब्धता बढ़ाने से राज्य की समग्र प्रगति में योगदान होगा। इस अध्याय में बिहार में बैंकों समेत वित्तीय संस्थाओं का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत है। यहां निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी अधिसंरचना और ऋण-जमा संबंधी क्रियाकलापों पर चर्चा की गई है - (1) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, (2) निजी क्षेत्र के बैंक, (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), (4) सहकारी बैंक, (5) लघुवित्त बैंक (एसएफबी), (6) भुगतान बैंक, तथा (7) सूक्ष्मवित्त संस्थान (एमएफआइ)। साथ ही, अध्याय में राज्य में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना संबंधी उपलब्धियों और अनिष्पादित परिसंपत्तियों की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। राज्य में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है।

## 11.1 बैंकिंग अधिसंरचना

बिहार में बैंकों ने नवाचारी प्रचलनों की शुरुआत की है जिससे उनकी सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। ग्राहकों को भौतिक और डिजिटल, दोनो तरह की अवसंरचनाओं के जरिए सेवाएं दी जाती हैं। जहां बैंक शाखाओं, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) के जरिए इन संस्थाओं द्वारा भौतिक उपस्थिति के आधार पर सेवाएं देना जारी है, वहीं यूपीआइ, मोबाइल बैंकिंग, और इंटरनेट बैंकिंग जैसे प्रौद्योगिकी आधारित माध्यमों की भूमिका कई गुनी बढ़ी है। राज्य में ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए कम लागत पर दी जाने वाली चुनिंदा बैंकिंग सेवाओं का कई गुना विस्तार हुआ है।

राज्य में बैंकिंग गतिविधियां मुख्यत: पूरी सेवाएं देने वाली पारंपरिक बैंक शाखाओं की स्थापना के बजाय ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि से संचालित है। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच राज्य में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या 20,994 से बढ़कर 57,589 पहुंच गई, जो इन पांच वर्षों में 174.3 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर रही है (जिसे चार्ट 11.1 में दर्शाया गया है)। इसके ठीक विपरीत, पूरी सेवाएं देने वाली बैंक शाखाओं में अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि हुई है, और इस अवधि में उनकी संख्या महज 6.0 प्रतिशत बढ़कर 7589 से 8045 पहुंची है। बैंकिंग सेवाएं जिस तरह से दी जाती हैं, ये इस बदलाव को दर्शाते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के मुख्य आधार बन गए हैं।

**चार्ट 11.1 : बिहार में बैंक शाखाओं और ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या (31 मार्च को) (2020 से 2024)**

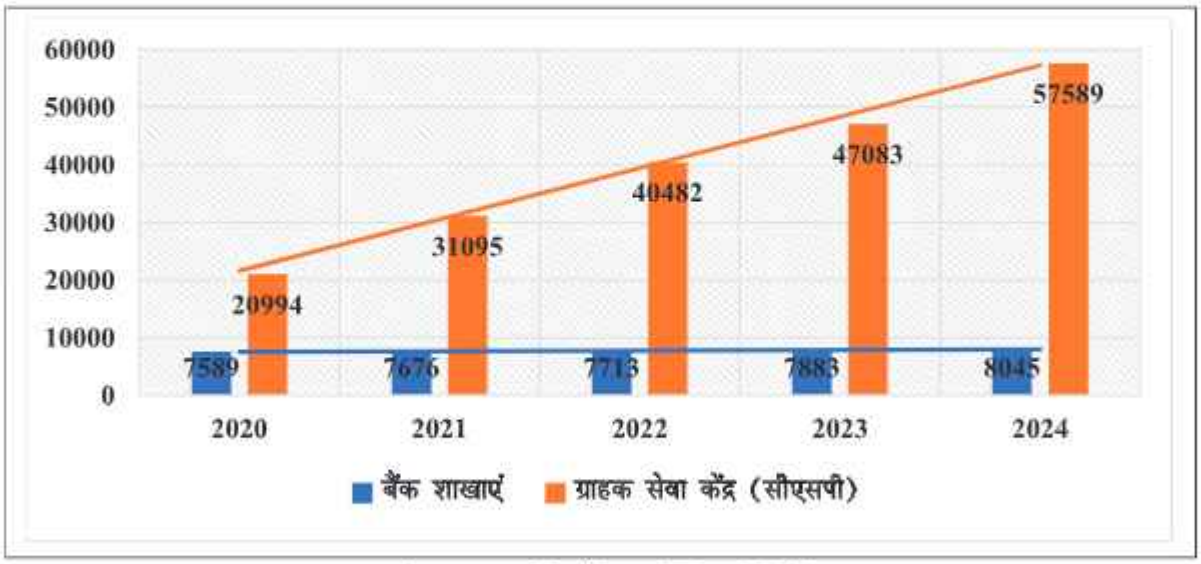


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 11.1 में बिहार में 2020 से 2024 के बीच बैंक शाखाओं, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम (स्वचालित टेलर मशीनों) और पॉस (विक्रय केंद्रों) जैसी बैंकिंग अधिसंरचना का सारांश प्रस्तुत है। साथ ही, इस अवधि में इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं, मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं, और प्रयुक्त एटीएम की संख्या भी प्रस्तुत है।

**तालिका 11.1 : बिहार में बैंकिंग अवसंरचना (2020 से 2024)**

| शीर्ष | | वर्ष के 31 मार्च को | | | | प्रतिशत परिवर्तन (2020 से 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| बैंक शाखाएं | 7589 | 7676 | 7713 | 7883 | 8045 | 6.0 |
| ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) | 20994 | 31095 | 40482 | 47083 | 57589 | 174.3 |
| एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) | 6529 | 6608 | 6744 | 7124 | 7052 | 8.0 |
| पॉस (पाइंट ऑफ सेल) | 56832 | 58331 | 86489 | 82002 | 82907 | 45.9 |
| इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ता (लाख) | 57.0 | 72.8 | 102.3 | 118.9 | 153.3 | 168.9 |
| मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ता (लाख) | 48.0 | 62.0 | 131.8 | 119.3 | 162.9 | 239.3 |
| एटीएम कार्ड (लाख) | 609.1 | 650.0 | 729.1 | 720.1 | 864.0 | 41.9 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

प्रस्तुत आंकड़ों से बिहार में गत पांच वर्षों में डिजिटल अवसंरचना आधारित बैंकिंग सेवाएं बड़ी संख्या में अपनाए जाने का संकेत मिलता है। 31 मार्च 2020 को मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 48.0 लाख थी जो 239.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हुई 31 मार्च 2024 को 162.9 लाख पहुंच गई। इसी अवधि में इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या में 168.9 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 57.0 लाख से बढ़कर 153.3 लाख पहुंच गई। वहीं, इस अवधि में राज्य में जारी एटीएम कार्डों की संख्या 41.9 प्रतिशत और पॉस मशीनों की संख्या 45.9 प्रतिशत बढ़ी। ये रुझान बैंक शाखाओं या एटीएम केंद्रों में जाने के पूर्ववर्ती प्रचलन की तुलना में राज्य में तकनीक आधारित बैंकिंग सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाते हैं।

**चार्ट 11.2 : बिहार में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या (2020 से 2024)**

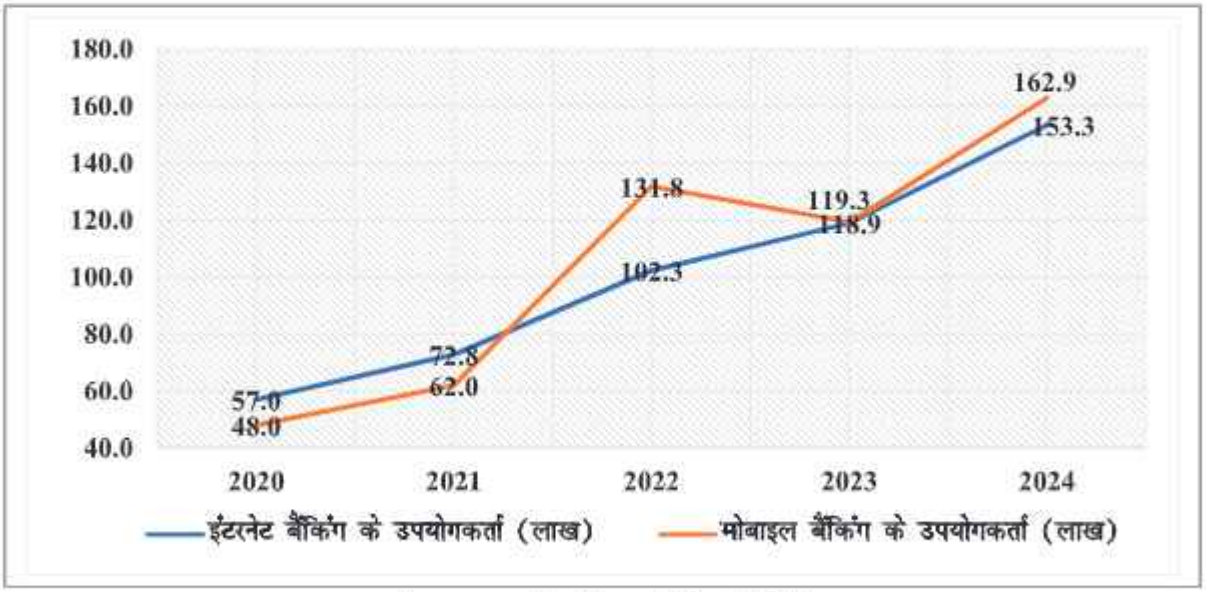


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 11.2 में बैंक श्रेणियों के अनुसार गत चार वर्षों में बैंक शाखाओं और कार्यरत संलग्न ग्राहक सेवा केंद्रों का वितरण दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक श्रेणियों के अनुसार शाखाओं और नियत ग्राहक सेवा केंद्रों का वितरण चार्ट 11.3 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 को व्यावसायिक बैंकों का नेटवर्क सबसे बड़ा था जिसकी राज्य में 5,308 शाखाएं थीं, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की 2,105 शाखाएं थीं। वहीं, सहकारी बैंकों की 290 और लघुवित्त बैंकों (एसएफबी) की 342 शाखाएं थीं। 31 मार्च 2024 को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के बैंकिंग संबंधी कार्य डाकघर के परिसरों या 10,554 ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए किए जा रहे थे। राज्य में व्यावसायिक बैंकों के प्रति शाखा औसतन 7.7 ग्राहक सेवा केंद्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति शाखा औसतन 3.0 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत थे।

**तालिका 11.2 : बिहार में बैंक शाखाओं और संलग्न ग्राहक सेवा केंद्रों का बैंक श्रेणी-वार वितरण (2021 से 2024)**

| बैंक समूह | वर्ष के 31 मार्च को | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | शाखाएं | कार्यरत संलग्न सीएसपी | शाखाएं | कार्यरत संलग्न सीएसपी | शाखाएं | कार्यरत संलग्न सीएसपी | शाखाएं | कार्यरत संलग्न सीएसपी |
| व्यावसायिक बैंक | 5082 | 14986 | 5083 | 25769 | 5186 | 30438 | 5308 | 40618 |
| सहकारी बैंक | 286 | 0 | 289 | 0 | 294 | 0 | 290 | 0 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 2110 | 5671 | 2110 | 5679 | 2110 | 6257 | 2105 | 6375 |
| लघुवित्त बैंक | 198 | 14 | 231 | 19 | 293 | 23 | 342 | 42 |
| इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक | — | 10424 | — | 9015 | — | 10365 | — | 10554 |
| **योगफल** | **7676** | **31095** | **7713** | **40482** | **7883** | **47083** | **8045** | **57589** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

**चार्ट 11.3 : 31 मार्च 2024 को बैंक शाखाओं और संलग्न ग्राहक सेवा केंद्रों का बैंक श्रेणी-वार प्रतिशत वितरण**

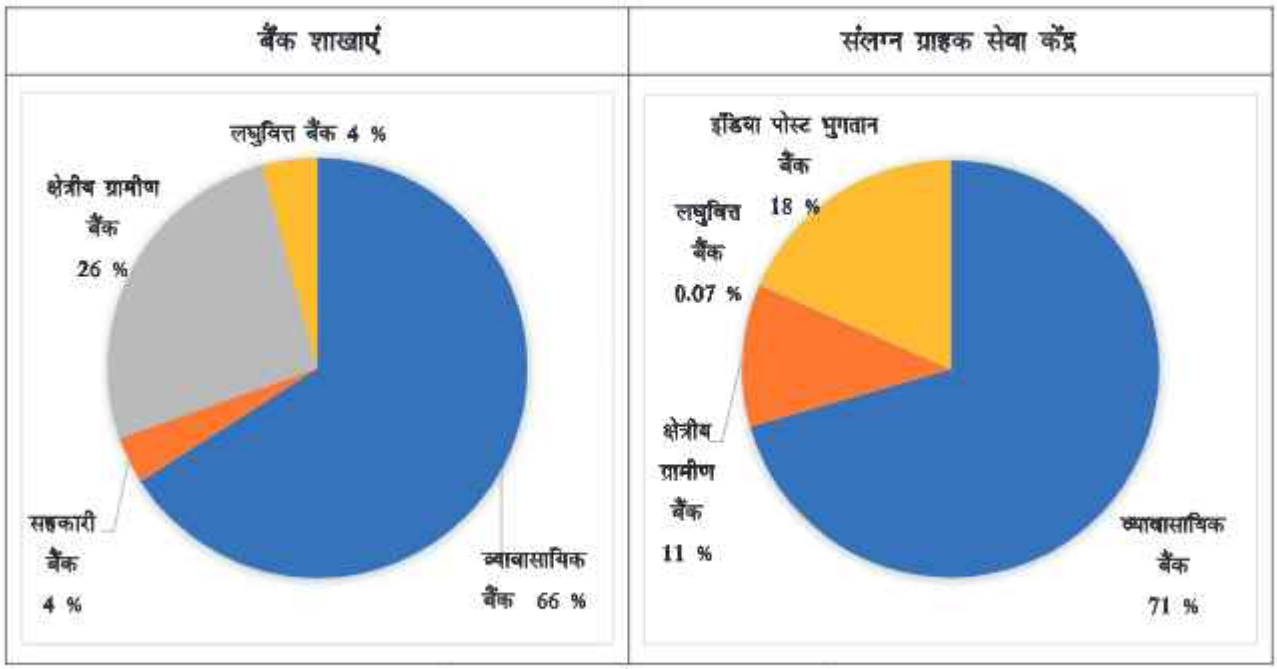


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में मार्च 2021 से मार्च 2024 के बीच बैंक शाखाओं का क्षेत्र-वार वितरण चार्ट 11.4 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 को राज्य में बैंकों की कुल 8,045 शाखाएं थीं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 46.9 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.7 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 21.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थीं। वितरण के इस पैटर्न से पता चलता है कि बिहार में अपनी उपस्थिति का विस्तार मुख्यत: अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और उसके बाद शहरी क्षेत्रों में अपनी नई शाखाएं खोलकर किया है। मार्च 2021 से मार्च 2024 के बीच अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाएं 2,327 से 9.7 प्रतिशत बढ़कर 2,553 हो गईं। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाएं 6.4 प्रतिशत बढ़ीं और मार्च 2021 के 1,615 से मार्च 2024 में 1,719 हो गईं। इन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या महज एक प्रतिशत बढ़ी है।

**चार्ट 11.4 : बिहार में बैंकों की शाखाओं का क्षेत्र-वार वितरण (मार्च 2021 से मार्च 2024)**

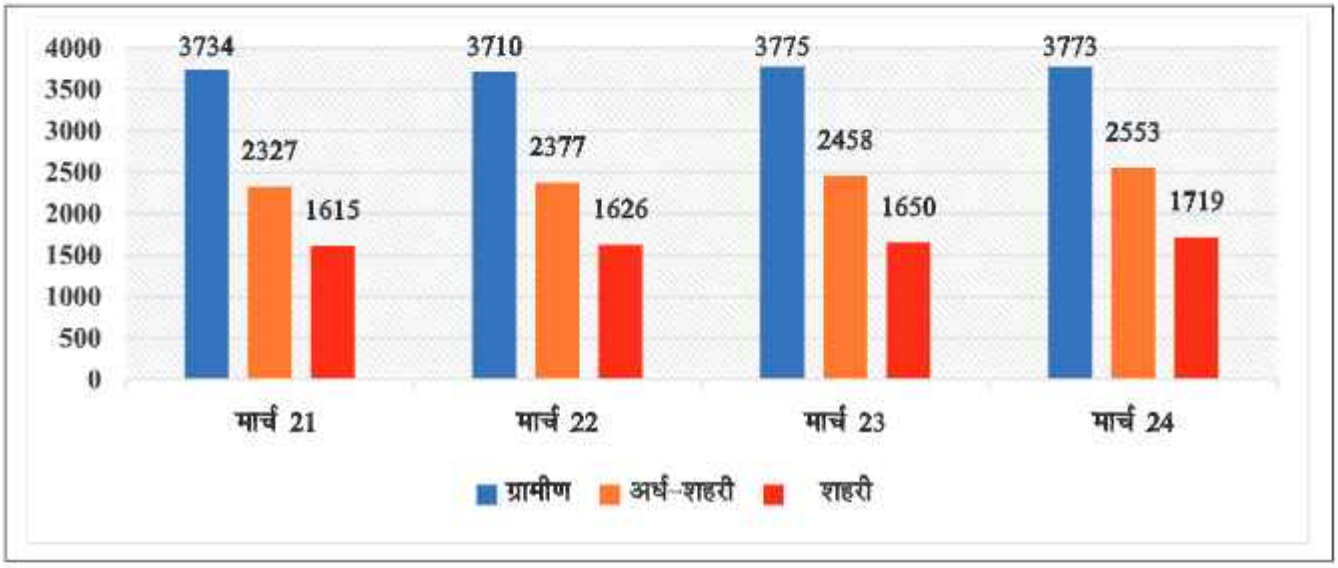


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

**चार्ट 11.5 : बिहार में बैंक शाखाओं का क्षेत्र-वार प्रतिशत वितरण (31 मार्च 2024 को)**

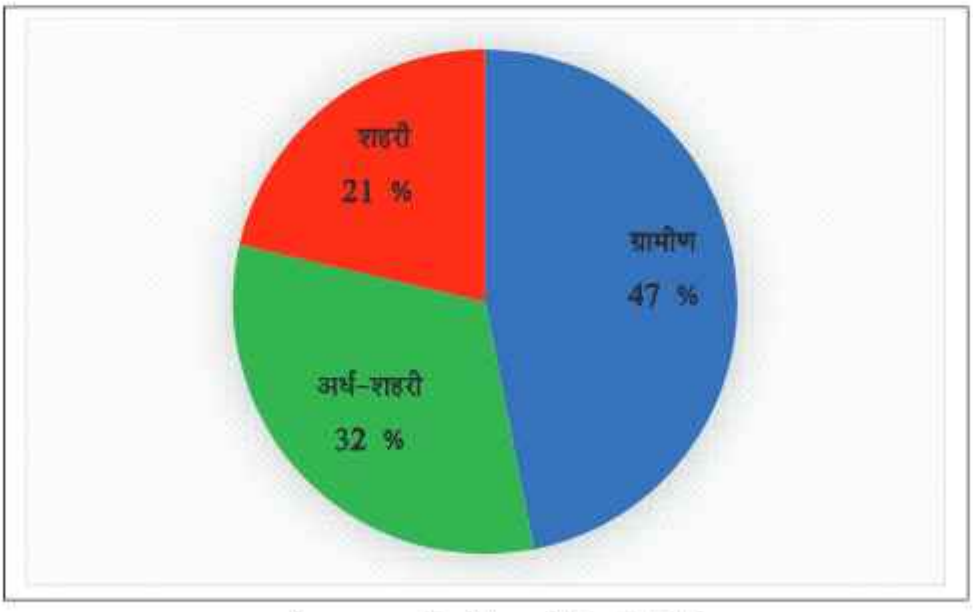


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में 31 मार्च 2024 को बैंक शाखाओं का शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण चार्ट 11.5 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 को राज्य में बैंकों की कुल मौजूद शाखाओं में से 47 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, 32 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 21 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थीं। चार्ट 11.6 में 31 मार्च 2024 को शाखाओं का ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में बैंक समूह-वार वितरण प्रस्तुत है।

राज्य में सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है जिनकी कुल 3,979 शाखाएं हैं। इसके बाद 2,105 शाखाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हैं और 1,329 निजी क्षेत्र के बैंकों की। वहीं, सहकारी बैंकों की राज्य में 290 और लघुवित्त बैंकों की 342 शाखाएं हैं। ग्रामीण बिहार में 43.2 प्रतिशत शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हैं और 38.4 प्रतिशत शाखाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। वहीं, शहरी क्षेत्रों में 60.6 प्रतिशत शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हैं और 25.4 प्रतिशत शाखाएं निजी क्षेत्र के बैंकों की।

राज्य के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का बैंक समूह-वार वितरण इस प्रकार है :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 41.0 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 32.9 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 26.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों पर है जहां उनकी 68.9 प्रतिशत शाखाएं हैं जबकि 26.1 प्रतिशत शाखाएं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- राज्य में सहकारी बैंकों की 62.4 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 18.3 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 19.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।
- निजी क्षेत्र के बैंकों की 28.3 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 38.9 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 32.8 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।

**चार्ट 11.6 : बिहार में बैंक शाखाओं का क्षेत्र और बैंक समूह आधारित वितरण (31 मार्च 2024 को)**

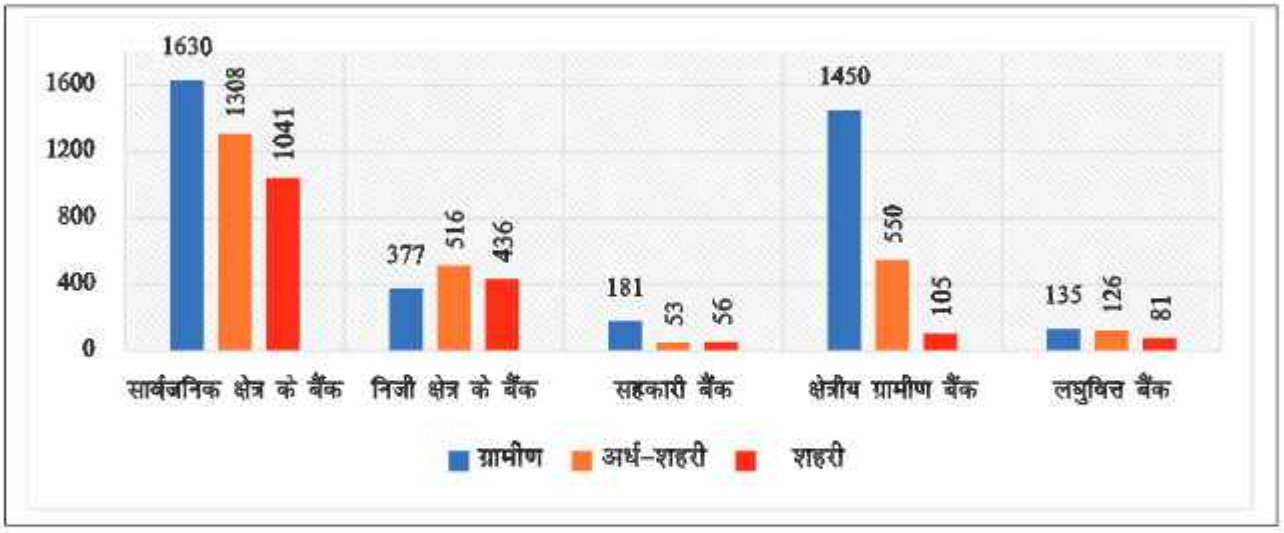


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकिंग सेवा से वंचित आबादी को, खास कर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक बैंकिंग सेवाएं देते हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपेक्षाकृत अधिक

सेवायें उपलब्ध कराने की गुंजाईश रहती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों, कारीगरों और समाज के वित्तीय रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं – दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ये बैंक बचत खाता, ऋण, और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सहित कई सेवाएं देते हैं जो स्थानीय आबादी के सशक्तीकरण में योगदान करते हैं।

सितंबर 2024 में राज्य में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं का वितरण चार्ट 11.7 में दर्शाया गया है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 2,105 शाखाएं हैं जिनमें से 1,078 (51.2 प्रतिशत) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की और 1,027 (48.8 प्रतिशत) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की हैं। दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं का नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक है, जिसकी 813 शाखाएं हैं जबकि, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 637 शाखाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके विपरीत, 346 शाखाओं के साथ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की अर्धशहरी क्षेत्रों में अधिक उपस्थिति है जबकि इन क्षेत्रों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की 204 शाखाएं ही हैं।

**चार्ट 11.7 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या (सितंबर 2024)**

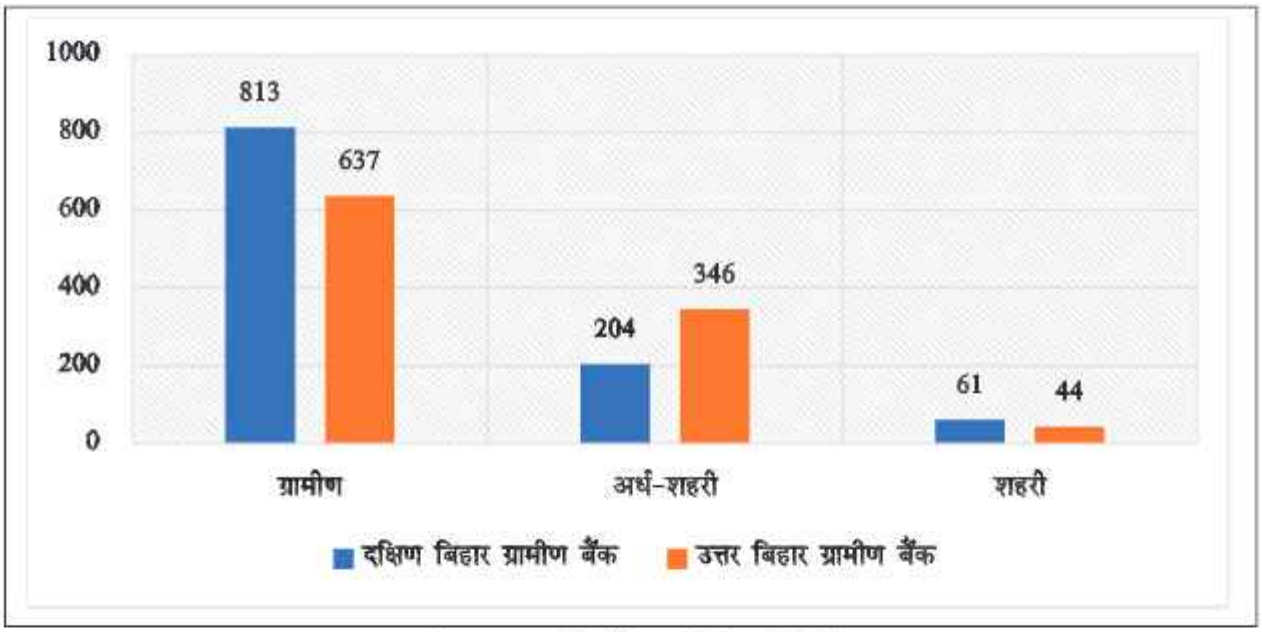


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

हालांकि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्मों की वृद्धि ने बैंक शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से जाने की जरूरत घटा दी है, लेकिन स्थानीय शाखाओं का होना व्यक्तियों और व्यवसायों की ऋण संबंधी जरूरतों के लिए आवश्यक बना हुआ है। तालिका 11.3 में देश के बड़े राज्यों में 2020 से 2024 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बैंक शाखा नेटवर्क का वितरण दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 तक देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का 4.9 प्रतिशत हिस्सा था जो राष्ट्रीय आबादी में राज्य के हिस्से से कम है। साथ ही, बिहार में कुल बैंक शाखाओं का प्रतिशत भी विगत कई वर्षों से अपरिवर्तित रहा है। बैंक शाखाओं का कम हिस्सा होना बताता है कि बिहार में देश के अन्य भागों की तुलना में प्रति शाखा अधिक लोग हैं जो राज्य में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार की जरूरत को रेखांकित करता है।

तालिका 11.3 : व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का राज्यों के अनुसार वितरण (2020 से 2024)

| राज्य | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 7252 (4.7) | 7431 (4.8) | 7446 (4.8) | 7663 (4.8) | 7898 (4.8) |
| असम | 2957 (1.9) | 3020 (2.0) | 3043 (2.0) | 3085 (1.9) | 3190 (2.0) |
| **बिहार** | **7463 (4.9)** | **7584 (4.9)** | **7640 (4.9)** | **7832 (4.9)** | **7979 (4.9)** |
| छत्तीसगढ़ | 2823 (1.8) | 2844 (1.8) | 2897 (1.9) | 2979 (1.9) | 3092 (1.9) |
| गुजरात | 8626 (5.6) | 8582 (5.6) | 8599 (5.6) | 8862 (5.6) | 9191 (5.6) |
| हरियाणा | 5224 (3.4) | 5225 (3.4) | 5190 (3.4) | 5326 (3.4) | 5515 (3.4) |
| झारखंड | 3169 (2.1) | 3190 (2.1) | 3206 (2.1) | 3298 (2.1) | 3399 (2.1) |
| कर्नाटक | 10778 (7.0) | 10875 (7.0) | 10780 (7.0) | 11034 (7.0) | 11236 (6.9) |
| केरल | 6801 (4.4) | 6869 (4.4) | 6814 (4.4) | 6921 (4.4) | 7130 (4.4) |
| मध्य प्रदेश | 7234 (4.7) | 7248 (4.7) | 7338 (4.7) | 7541 (4.8) | 7703 (4.7) |
| महाराष्ट्र | 13578 (8.9) | 13648 (8.8) | 13590 (8.8) | 13972 (8.8) | 14410 (8.8) |
| ओडिशा | 5223 (3.4) | 5289 (3.4) | 5367 (3.5) | 5548 (3.5) | 5712 (3.5) |
| पंजाब | 6735 (4.4) | 6700 (4.3) | 6550 (4.2) | 6612 (4.2) | 6784 (4.2) |
| राजस्थान | 7775 (5.1) | 7871 (5.1) | 7969 (5.1) | 8304 (5.2) | 8552 (5.2) |
| तमिलनाडु | 11829 (7.7) | 12028 (7.8) | 12094 (7.8) | 12407 (7.8) | 12832 (7.9) |
| तेलंगाना | 5388 (3.5) | 5579 (3.6) | 5605 (3.6) | 5819 (3.7) | 6047 (3.7) |
| उत्तर प्रदेश | 18041 (11.8) | 18125 (11.7) | 18073 (11.7) | 18415 (11.6) | 18883 (11.6) |
| पश्चिम बंगाल | 9251 (6.0) | 9379 (6.1) | 9616 (6.2) | 9761 (6.2) | 9948 (6.1) |
| **संपूर्ण भारत** | **153102 (100.0)** | **154485 (100.0)** | **154758 (100.0)** | **158642 (100.0)** | **163216 (100.0)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े राज्यों का हिस्सा दर्शाते हैं

स्रोत : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की मूल सांख्यिक विवरणी, 2024, डीबीआइई, भारतीय रिजर्व बैंक

## एटीएम अवसंरचना

तकनीक की उन्नति ने नकद रकम की उपलब्धता में सुधार किया है और बैंक शाखाओं तक लोगों के जाने की जरूरत कम कर दी है। जहां मोबाइल और इंटरनेट आधारित बैंक सेवाएं बढ़ी हैं, वहीं एटीएम कार्डों के जरिए विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में एटीएम (स्वचालित टेलर मशीनों) द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी है। इन सेवाओं में नकद निकासी, नकद जमा, पिन में बदलाव, और मुद्रा का अंतरण शामिल हैं। साथ ही, एटीएम कार्डों का उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनो प्रकार की खरीद के लिए किया जा सकता है। मोबाइल नंबर अद्यतन करने जैसे बैंकिंग के अन्य काम भी एटीएम के जरिए पूरे किए जा सकते हैं।

बिहार में सितंबर 2020 से सितंबर 2024 तक के पांच वर्षों में प्रति बैंक शाखा एटीएम की संख्या की अवसंरचना तालिका 11.4 में दर्शाई गई है। बिहार में बैंकों की प्रति शाखा एटीएम की औसत संख्या 0.9 से घटकर 0.8 रह गई है। लेकिन इस अवधि में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की प्रति शाखा एटीएम की संख्या 2.3 से बढ़कर 2.7 हो गई है। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रमुख बैंकों के लिए प्रति शाखा एटीएम की संख्या उतनी ही रही हैं या फिर घटी हैं। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में प्रति शाखा एटीएम की संख्या सितंबर 2023 के 1.1 से थोड़ा घटकर सितंबर 2024 में 0.9 रह गई।

**तालिका 11.4 : बिहार में प्रति बैंक शाखा एटीएम की संख्या (सितंबर 2020 से सितंबा 2024 तक)**

| बैंक | एटीएम प्रति शाखा | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सितंबर 20 | सितंबर 21 | सितंबर 22 | सितंबर 23 | सितंबर 24 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| केनारा बैंक | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| निजी क्षेत्र के सभी बैंक | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| सम्पूर्ण बिहार के लिए | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

## सूक्ष्मवित्त संस्थाएं (एमएफआइ)

सूक्ष्मवित्त संस्थाएं मुख्यत: आर्थिक रूप से सबसे निचले हिस्से में मौजूद कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण उपलब्ध कराती हैं। हालांकि इन संस्थाओं की ब्याज दरें अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से अधिक होती हैं लेकिन, ये वित्तीय संस्थाएं अक्सर बहुत कम समपार्श्विक (कॉलेटरल) सुरक्षा के साथ आवश्यक ऋण उपलब्ध कराती हैं।

ऋण सुविधाओं का विस्तार करके सूक्ष्मवित्त संस्थाएं खास तौर पर उन क्षेत्रों में वित्तीय समावेश बढ़ाती हैं जहां अनुसूचित व्यावसायिक बैंक की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। भारत में सूक्ष्मवित्त के काम में अनेक प्रकार की कंपनियां शामिल हैं जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों की सूक्ष्मवित्त संस्थाएं, बैंक, लघुवित्त बैंक, और गैर-मुनाफा सूक्ष्मवित्त संस्थाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी अपने स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में सुक्ष्मवित्त संस्थाओं ने लघु से लेकर मध्यम स्तर तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूह के साथ सफलतापूर्वक सहयोग-समझौते किए हैं जिससे राज्य सरकार की पहल 'जीविका' के जरिए वित्तीय समावेश में काफी सुधार हुआ है।

चार्ट 11.8 : बिहार और भारत में ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की संख्या (31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2024)

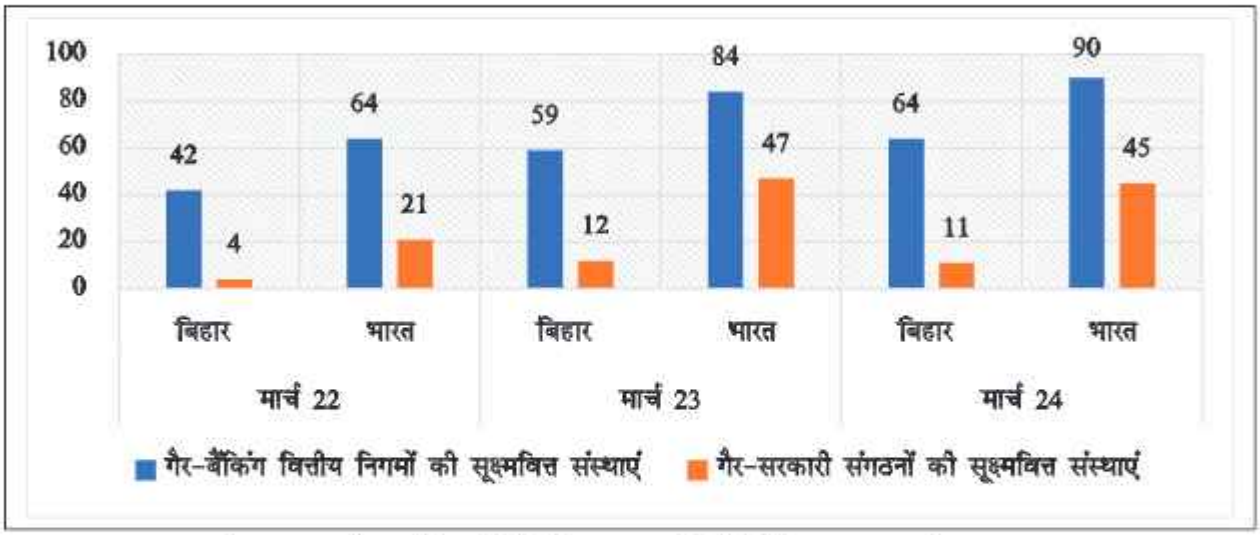


स्रोत : भारत में सूक्ष्मवित्त की स्थिति पर नाबार्ड की रिपोर्ट, 2021-22 से 2023-24

बिहार और संपूर्ण भारत में ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा 2022 से 2024 तक दिए दिए गए ऋणों का सारांश तालिका 11.5 में प्रस्तुत है। वहीं, चार्ट 11.8 में इन वर्षों में गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों और गैर-सरकारी संगठनों के ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की संख्या में आया बदलाव दर्शाया गया है। बिहार में गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की संख्या मार्च 2022 में 42 थी जो मार्च 2024 में बढ़कर 64 हो गई। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की संख्या 64 से बढ़कर 90 हो गई। साथ ही, बिहार में गैर-सरकारी संगठनों के ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की संख्या मार्च 2022 के 4 से बढ़कर मार्च 2024 में 11 हो गई। वहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पर भी गैर-सरकारी संगठनों के ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की संख्या काफी बढ़ी और इस अवधि में 21 से 45 पहुंच गई।

**तालिका 11.5 : बिहार और भारत में ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों का सारांश (31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2024)**

| सूक्ष्मवित्त संस्थान | | ऋणदाताओं की सं. | | | सक्रिय ऋणों की सं. (लाख रु) | | | कुल बकाया शेष (करोड़ रु.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| बिहार | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूक्ष्मवित्त संस्थाएं | 42 | 59 | 64 | 12 | 73 | 88 | 4503 | 19714 | 25458 |
| | गैर-सरकारी संगठनों की सूक्ष्मवित्त संस्थाएं | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0.004 | 319 | 1016 | 1 |
| | **योगफल** | **46** | **71** | **75** | **13** | **77** | **88** | **4822** | **20730** | **25459** |
| भारत | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूक्ष्मवित्त संस्थाएं | 64 | 84 | 90 | 78 | 520 | 580 | 30216 | 139632 | 163275 |
| | गैर-सरकारी संगठनों की सूक्ष्मवित्त संस्थाएं | 21 | 47 | 45 | 4 | 16 | 4 | 970 | 3778 | 854 |
| | **योगफल** | **85** | **131** | **135** | **82** | **536** | **584** | **31186** | **143410** | **164129** |

स्रोत : भारत में सूक्ष्मवित्त की स्थिति पर नाबार्ड की रिपोर्ट, 2021-22 से 2023-24

हाल के वर्षों में सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा दिए गए सक्रिय ऋणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखी है। गत तीन वर्षों में ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा दिए गए सक्रिय ऋणों की मात्रा 6.7-गुनी बढ़ी है। खास कर सक्रिय ऋणों की संख्या 31 मार्च 2022 में 13 लाख थी जो 31 मार्च 2024 को बढ़कर 88 लाख हो गई। यह वृद्धि राज्य में ऋणदाता के रूप में सूक्ष्मवित्त के विस्तार को दर्शाती है।

साथ ही, देश में सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा दिए गए कुल सक्रिय ऋणों में बिहार का हिस्सा 31 मार्च 2023 के 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 15.0 प्रतिशत हो गया। सक्रिय ऋणों की संख्या बढ़ने के साथ ही बिहार में ऋणदाता सूक्ष्मवित्त संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के बकाया शेष में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह शेष 31 मार्च 2022 को 4822 करोड़ रु. था जो बढ़कर 31 मार्च 2024 को 25,459 करोड़ रु. पहुंच गया। यह लगभग पांच-गुनी वृद्धि है जो ऋण की जबर्दस्त मांग को भी प्रदर्शित करती है और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सक्षम विकल्प के बतौर सूक्ष्मवित्त की उपस्थिति को दर्शाती है। 31 मार्च 2024 को पूरे देश में सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के कुल बकाया ऋणों में बिहार का 15.5 प्रतिशत हिस्सा था।

## 11.2 जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपात

बैंक जमा राशि एकत्र करने वाली और उपभोग तथा निवेश के मकसद से ऋण देने वाली आवश्यक वित्तीय संस्थाएं हैं। हालांकि किसी खास क्षेत्र में रकम जमा लेने और ऋण देने का काम साथ-साथ नहीं भी होता है जिसके कारण किसी राज्य में एकत्रित की गई जमा राशि और दी गई ऋण राशि के बीच भेद रह जाता है। किसी राज्य के लिए ऋण-जमा अनुपात राज्य के अंदर एकत्रित की गई जमा राशि और उसी क्षेत्र में दी गई ऋण राशि के अनुपात को व्यक्त करता है। यह अनुपात दर्शाता है कि बैंक ने जमा के रूप क्षेत्र से जितनी रकम प्राप्त की है उसमें से कितनी रकम उस क्षेत्र में ऋण के बतौर स्वीकृत की जा रही है। साथ ही ऋण-जमा अनुपात राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की संलग्नता का भी सूचक है। जहां यह अनुपात राज्य में आर्थिक गतिविधियों के स्तर और उसकी ऋण अवशोषण क्षमता से प्रभावित होती है, वहीं यह संभावित ऋणार्थियों को ऋण देने की बैंकों की इच्छा पर भी निर्भर करता है।

31 मार्च, 2024 को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्य-वार जमा और ऋण तथा ऋण-जमा (सीडी) अनुपात तालिका 11.6 में प्रस्तुत है। तालिका में इन बैंकों द्वारा प्राप्त जमा राशि और दिए गए ऋणों का देश की कुल जमा राशि और ऋण में प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा जमा की गई कुल रकम में बिहार का 2.5 प्रतिशत हिस्सा था जबकि इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में थोड़ा कम (1.6 प्रतिशत) हिस्सा था। बिहार में इन बैंकों ने कुल 524.3 करोड़ रु. की जमा राशि संचित की जबकि दिया गया कुल अग्रिम 276.8 करोड़ रु. था। फलत:, बिहार में इन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 52.8 प्रतिशत था जो संपूर्ण भारत के 79.6 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात से कम है। राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 158.9 प्रतिशत था और उसके बाद 119.4 प्रतिशत तेलंगाना का और 117.7 प्रतिशत तमिलनाडु का।

**तालिका 11.6 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च 2024)**

| राज्य | जमा (हजार करोड़ रु.) | ऋण (हजार करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 480.6 (2.3) | 763.5 (4.5) | 158.9 |
| असम | 220.5 (1.0) | 133.6 (0.8) | 60.6 |
| **बिहार** | **524.3 (2.5)** | **276.8 (1.6)** | **52.8** |
| छत्तीसगढ़ | 244 (1.1) | 193.6 (1.1) | 79.3 |
| गुजरात | 1195.4 (5.6) | 994.3 (5.9) | 83.2 |
| हरियाणा | 788.8 (3.7) | 582.1 (3.4) | 73.8 |
| झारखंड | 336.7 (1.6) | 130.9 (0.8) | 38.9 |
| कर्नाटक | 1682.4 (7.9) | 1239 (7.3) | 73.6 |
| केरल | 803.4 (3.8) | 580.7 (3.4) | 72.3 |
| मध्य प्रदेश | 617.8 (2.9) | 489.3 (2.9) | 79.2 |
| महाराष्ट्र | 4667.8 (22) | 4030.7 (23.8) | 86.4 |
| ओडिशा | 522.5 (2.5) | 266.5 (1.6) | 51.0 |
| पंजाब | 617.5 (2.9) | 376.2 (2.2) | 60.9 |
| राजस्थान | 671 (3.2) | 615.9 (3.6) | 91.8 |
| तमिलनाडु | 1344.6 (6.3) | 1582.9 (9.4) | 117.7 |
| तेलंगाना | 788.1 (3.7) | 940.9 (5.6) | 119.4 |
| उत्तर प्रदेश | 1745.8 (8.2) | 924.6 (5.5) | 53.0 |
| पश्चिम बंगाल | 1143.5 (5.4) | 601.9 (3.6) | 52.6 |
| **संपूर्ण भारत** | **21253.4 (100.0)** | **16913.7 (100.0)** | **79.6** |

टिप्पणी : कोष्टकों में दर्ज आंकड़े राज्यों का हिस्सा दर्शाते हैं

स्रोत : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की मूल सांख्यिक विवरणी, 2024, डीबीआइई, भारतीय रिजर्व बैंक

बिहार में सितंबर 2024 के अंत में जमा की गई रकम, दिए गए अग्रिम (जिसमें राज्य के बाहर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं) और ऋण-जमा अनुपात के बैंक समूह-वार आंकड़े तालिका 11.7 में प्रस्तुत हैं। 30 सितंबर 2024 तक बिहार में बैंकों द्वारा संग्रहित जमा राशि 5.27 लाख करोड़ रु. थी जबकि, इन संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिम 2.97 करोड़ रु. थे। फलतः, बिहार में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 56.3 प्रतिशत था।

**तालिका 11.7 : बिहार में बैंक समूह-वार का ऋण, जमा और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2024)**

| बैंक | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | निजी क्षेत्र के बैंक | सहकारी बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | लघुवित्त बैंक | योगफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा (करोड़ रु.) | 395829 | 79225 | 5548 | 44589 | 2238 | 527429 |
| अग्रिम * (करोड़ रु.) | 175797 | 82538 | 2528 | 27100 | 9193 | 297156 |
| **ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)** | **44.4** | **104.2** | **45.6** | **60.8** | **410.7** | **56.3** |

* अग्रिमों में बिहार के बाहर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में 30 सितंबर 2024 तक विभिन्न बैंक समूहों द्वारा संग्रहित जमा राशि और दिए गए अग्रिमों का वितरण चार्ट 11.9 में दर्शाया गया है। बिहार में संग्रहित जमा राशि और दिए गए कुल अग्रिम में सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। उक्त समय तक इन बैंकों ने कुल 3.96 लाख रु. की जमा राशि एकत्रित की जो बिहार में सभी बैंकों द्वारा एकत्रित कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत है। हालांकि उन बैंकों ने 1.76 लाख करोड़ रु. के ऋण दिए जो राज्य में सभी बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों का मात्र 59 प्रतिशत है। फलतः, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 44.4 प्रतिशत है, जो बिहार में सभी बैंकों के औसत ऋण-जमा अनुपात 56.3 प्रतिशत से काफी कम है।

**तालिका 11.9 : बिहार में ऋण और अग्रिम में बैंक समूह-वार प्रतिशत हिस्सा (सितंबर 2024)**

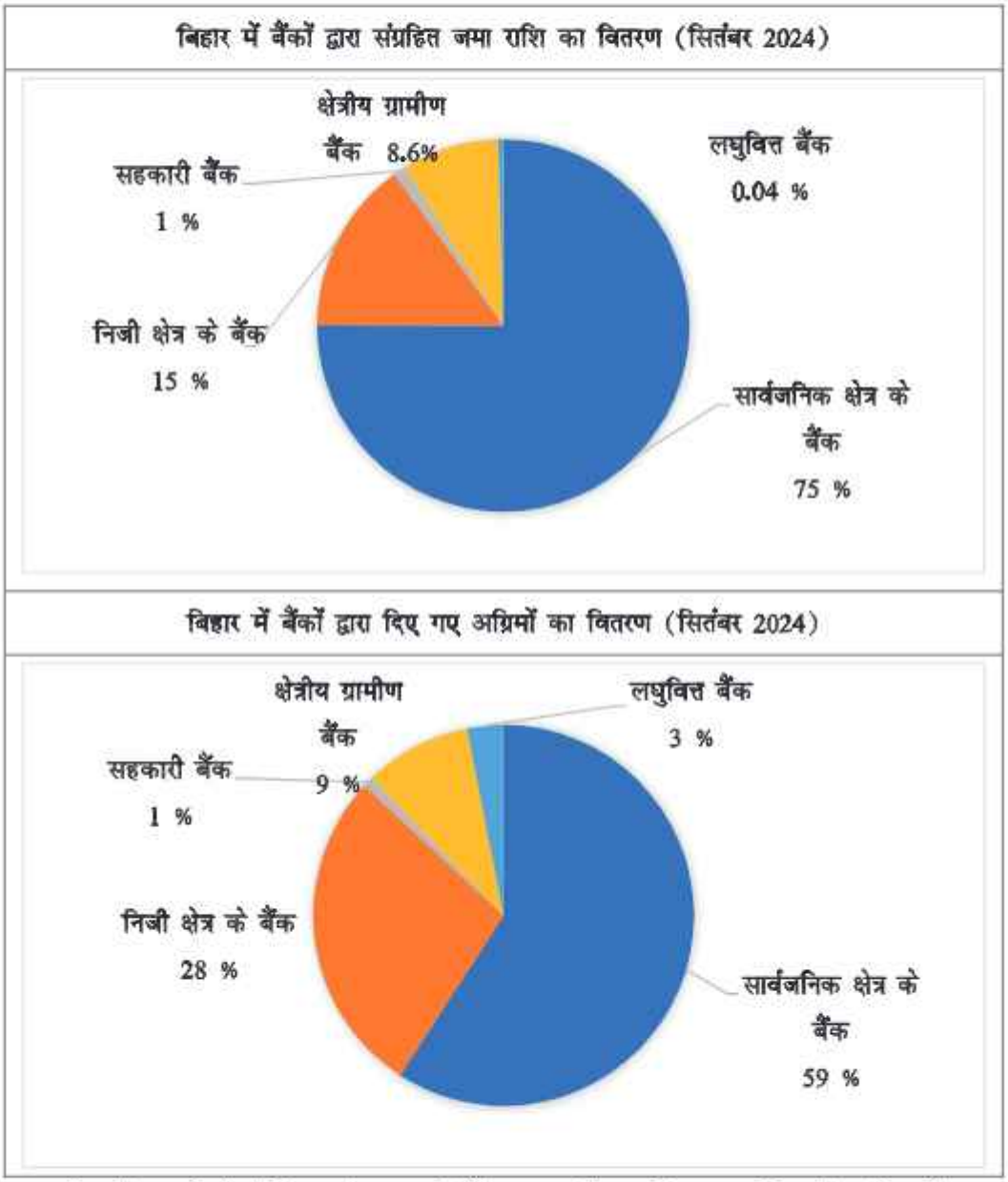


टिप्पणी : अग्रिमों में बिहार के बाहर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं
स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

इसके विपरीत, निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 104.2 प्रतिशत है। इन बैंकों ने 0.79 लाख करोड़ रु. की जमा राशि एकत्रित की और 0.83 लाख करोड़ रु. के ऋण दिए। 30 सितंबर 2024 तक राज्य में कुल एकत्रित जमा राशि में उनका 15 प्रतिशत हिस्सा था जबकि दिए गए अग्रिमों में उनका 28 प्रतिशत हिस्सा था।

सितंबर 2024 तक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 60.8 प्रतिशत था जो सहकारी बैंकों के लिए 45.6 प्रतिशत था। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल 44,589 करोड़ रु. की जमा राशि एकत्रित की और कुल 27,100 करोड़ रु. के ऋण दिए। वहीं, सूक्ष्मवित्त बैंकों ने मात्र 2,238 करोड़ रु. की जमा राशि एकत्रित की जबक 9,193 करोड़ रु. के अग्रिम दिए जिससे उनका ऋण-जमा अनुपात 410.7 प्रतिशत था। हालांकि राज्य में कुल जमा राशि और दिए गए अग्रिमों में उनका हिस्सा अन्य बैंकों से काफी कम है। कुल जमा राशि में उनका हिस्सा 0.42 प्रतिशत और कुल अग्रिमों में उनका हिस्सा 3.09 प्रतिशत था।

बिहार में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकत्रित जमा राशि, दिए गए अग्रिम और ऋण-जमा अनुपात में बदलावों की तुलना तालिका 11.8 में प्रस्तुत है। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच जमा राशि और अग्रिम में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक का था और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक तथा केनारा बैंक का।

**तालिका 11.8 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024)**

| बैंक | सितंबर 2023 | | | सितंबर 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) |
| भारतीय स्टेट बैंक | 156123.7 | 59869.1 | 38.4 | 168503.8 | 70608.1 | 41.9 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 25291.9 | 11001.8 | 43.5 | 27552.1 | 12128.8 | 44.0 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 52259.0 | 21884.6 | 41.9 | 59260.0 | 24335.4 | 41.1 |
| केनारा बैंक | 26632.6 | 14348.9 | 53.9 | 29791.3 | 18148.3 | 60.9 |
| यूको बैंक | 10584.9 | 4393 | 41.5 | 12508.6 | 5242.0 | 41.9 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 18862.4 | 10641.1 | 56.4 | 23782.9 | 10809.9 | 45.5 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 17075.6 | 5977.2 | 35.0 | 15743.7 | 6356.8 | 40.4 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 26898.6 | 10488.3 | 39.0 | 29610.5 | 11663.0 | 39.4 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 883.1 | 2753.3 | 311.8 | 1677.5 | 3113.4 | 185.6 |
| इंडियन बैंक | 20414.7 | 10671.4 | 52.3 | 22296.1 | 11409.5 | 51.2 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 3308.6 | 1967 | 59.5 | 4415.9 | 1642.2 | 37.2 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 679.5 | 304.8 | 44.9 | 687.2 | 339.8 | 49.4 |
| **योगफल (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)** | **359014.4** | **154300.4** | **43.0** | **395829.4** | **175797.0** | **44.4** |

टिप्पणी : अग्रिमों में बिहार के बाहर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

सितंबर 2023 में भारतीय स्टेट बैंक का ऋण-जमा अनुपात 38.4 प्रतिशत था जो सितंबर 2024 में 3.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 41.9 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, केनारा बैंक का ऋण-जमा अनुपात इस अवधि में 7.0 प्रतिशत अंक घटकर 60.9 प्रतिशत से 53.9 प्रतिशत रह गया। पंजाब नेशनल बैंक के ऋण-जमा अनुपात में भी गिरावट दिखी लेकिन महज 0.8 प्रतिशत अंकों की जो सितंबर 2023 के 41.9 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2024 में 41.1 प्रतिशत रह गया। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऋण-जमा अनुपात में इस दौरान 5.4 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात इस अवधि में कुल मिलाकर 1.4 प्रतिशत अंक बढ़ा और 43.0 प्रतिशत से 44.4 प्रतिशत हो गया।

बिहार में 2019-20 से 2023-24 तक के पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के ऋण-जमा अनुपात का पैटर्न तालिका 11.9 में प्रस्तुत है। साथ ही, चार्ट 11.10 में इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में हुआ बदलाव दर्शाया गया है। आंकड़ों से मिले-जुले रुझान का पता चलता है। कुछ बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि दिखी है, वहीं कुछ अन्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में कुछ वर्षों के दौरान गिरावट आई है। कुल मिलाकर देखें, तो 2019-20 से 2023-24 तक राज्य के सभी प्रमुख बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस सुधार में इंडियन बैंक अग्रणी रहा है जिसका ऋण-जमा अनुपात 2019-20 के 30.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 61.0 प्रतिशत पहुंच गया। इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक का ऋण-जमा अनुपात भी इस अवधि में 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 40.9 प्रतिशत हो गया। दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक में भी प्रगति दिखी जिसका ऋण-जमा अनुपात 2019-20 के 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 42.2 प्रतिशत पहुंच गया।

**तालिका 11.9 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (2019-20 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

(प्रतिशत में)

| बैंक | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारतीय स्टेट बैंक | 30.5 | 29.0 | 36.1 | 37.7 | 40.9 | 41.9 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 26.4 | 31.3 | 37.7 | 42.6 | 43.8 | 44.0 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 29.0 | 34.9 | 41.1 | 42.1 | 42.2 | 41.1 |
| केनारा बैंक | 46.9 | 60.7 | 64.9 | 61.3 | 56.0 | 60.9 |
| यूको बैंक | 44.3 | 44.2 | 50.1 | 41.6 | 45.0 | 41.9 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 46.4 | 48.7 | 55.9 | 56.9 | 56.7 | 45.5 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 28.4 | 29.9 | 35.0 | 35.6 | 35.2 | 40.4 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 28.6 | 29.1 | 36.1 | 35.7 | 40.0 | 39.4 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 52.4 | 121.4 | 297.8 | 305.2 | 241.8 | 185.6 |
| इंडियन बैंक | 30.7 | 36.0 | 47.8 | 51.5 | 61.0 | 51.2 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 35.5 | 45.8 | 32.5 | 35.7 | 42.7 | 37.2 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 43.2 | 45.4 | 43.7 | 44.0 | 52.7 | 49.4 |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

**चार्ट 11.10 : सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (2019-20 से 2023-24)**

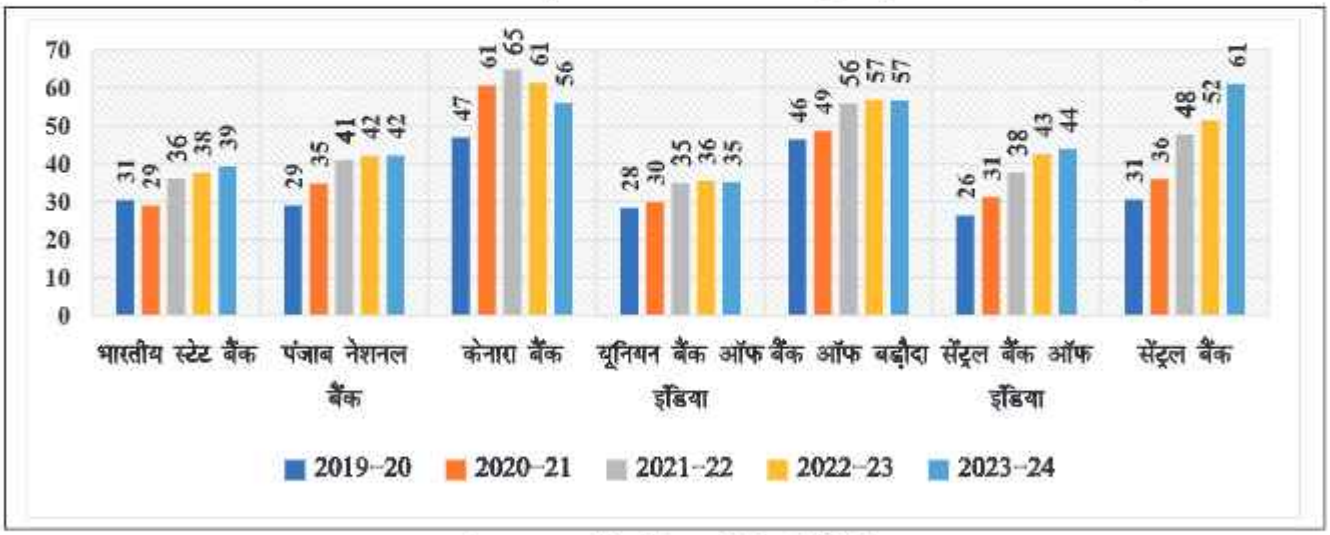


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2024 को निजी क्षेत्र के बैंकों के बैंक-वार जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपातों को तालिका 11.10 में दर्शाया गया है। बिहार में निजी क्षेत्र के बैंकों में एकत्रित जमा राशि और दिए गए अग्रिम के लिहाज से एचडीएफसी बैंक सबसे आगे है, जिसके बाद आइसीआइ बैंक और ऐक्सिस बैंक का स्थान है। बिहार में एचडीएफसी बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम सितंबर 2023 के 18,463.8 करोड़ रु. से 23.4 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2024 में 22,776.4 करोड़ रु. हो गए। इसी अवधि में ऐक्सिस बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों में क्रमश: 26.9 प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एचडीएफसी बैंक का ऋण-जमा अनुपात सितंबर 2023 के 90.3 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत अंक बढ़कर सितंबर 2024 में 95.3 प्रतिशत हो गया। वहीं, ऐक्सिस बैंक का ऋण-जमा अनुपात 66.5 प्रतिशत से बढ़कर 74.0 प्रतिशत और आइसीआइसीआइ बैंक का ऋण-जमा अनुपात 90.4 प्रतिशत से 93.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच सर्वाधिक 1047.8 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात आरबीएल बैंक का था और उसके बाद 231.3 प्रतिशत इंडसइंड बैंक का और 198.8 प्रतिशत बंधन बैंक का। कुल मिलाकर देखें, तो बिहार में सितंबर 2024 में निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 104.2 प्रतिशत था जो सितंबर 2023 से 2.1 प्रतिशत अंक अधिक है।

**तालिका 11.10 : बिहार में निजी बैंकों का जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024)**

| बैंक | सितंबर 2023 | | | सितंबर 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) |
| आइडीबीआइ बैंक | 4775.73 | 2377.71 | 49.8 | 6406.0 | 2616.3 | 40.8 |
| आइसीआइसीआइ बैंक | 16554.7 | 14972.64 | 90.4 | 18663.5 | 17378.2 | 93.1 |
| फेडरल बैंक | 690.54 | 451.47 | 65.4 | 812.3 | 550.4 | 67.8 |
| जम्मू कश्मीर बैंक | 142.8 | 22.53 | 15.8 | 157.0 | 29.9 | 19.1 |
| साउथ इंडियन बैंक | 285.72 | 14.67 | 5.1 | 299.5 | 9.9 | 3.3 |
| ऐक्सिस बैंक | 13650.97 | 9082.79 | 66.5 | 15581.0 | 11529.1 | 74.0 |
| एचडीएफसी बैंक | 20457.17 | 18463.83 | 90.3 | 23906.2 | 22776.4 | 95.3 |
| इंडसइंड बैंक | 3331.57 | 9373.72 | 281.4 | 4211.0 | 9737.9 | 231.3 |
| कर्नाटक बैंक | 29.3 | 25.19 | 86.0 | 32.3 | 23.7 | 73.3 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 1755.03 | 2617.47 | 149.1 | 1942.7 | 2932.3 | 150.9 |
| यस बैंक | 602.27 | 576.41 | 95.7 | 643.2 | 800.5 | 124.5 |
| बंधन बैंक | 4619.15 | 8312.07 | 180.0 | 4996.4 | 9935.1 | 198.8 |
| आरबीएल बैंक | 142.94 | 2332.57 | 1631.9 | 286.8 | 3005.1 | 1047.8 |
| आइडीएफसी बैंक | 878.76 | 735.74 | 83.7 | 1270.6 | 1198.0 | 94.3 |
| करुर वैश्य बैंक | 14.84 | 13.09 | 88.2 | 16.6 | 15.2 | 91.5 |
| **योगफल : निजी क्षेत्र के बैंक** | **67931.49** | **69371.9** | **102.1** | **79225.0** | **82537.9** | **104.2** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2024 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बैंक-वार जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपातों को तालिका 11.11 में दर्शाया गया है। 30 सितंबर 2024 को बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम 24,099.8 करोड़ रु. और एकत्रित जमा राशि कुल 44,588.6 करोड़ रु. थी। यह इन बैंकों द्वारा जमा राशि में 8.3 प्रतिशत और दिए गए अग्रिमों में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। फलत:, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात सितंबर 2023 के 59.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2024 में 60.8 प्रतिशत हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 2.9 प्रतिशत अंक बढ़ा जबकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 0.6 प्रतिशत अंक घट गया। 30 सितंबर 2024 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 75.7 प्रतिशत और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 49.4 प्रतिशत था।

**तालिका 11.11 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024)**

| बैंक | 30 सितंबर 2023 को | | | 30 सितंबर 2024 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) |
| दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | 23289.5 | 11637.8 | 50.0 | 25345.2 | 12529.5 | 49.4 |
| उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक | 17898.5 | 13032.4 | 72.8 | 19243.4 | 14570.4 | 75.7 |
| **योगफल (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)** | **41188.0** | **24670.2** | **59.9** | **44588.6** | **27099.8** | **60.8** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

हालांकि लघुवित्त बैंकों का आकार राज्य में अन्य प्रकार के बैंकों से छोटा है लेकिन, हाल के वर्षों में उनके कामकाज का काफी विस्तार हुआ है। बिहार में 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2024 तक लघुवित्त बैंकों के बैंक-वार जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपातों को तालिका 11.12 में दर्शाया गया है।

**तालिका 11.12 : बिहार में लघुवित्त बैंकों का जमा, अग्रिम, और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024)**

| बैंक | सितंबर 2023 | | | सितंबर 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) | जमा (करोड़ रु.) | अग्रिम (करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) |
| जना लघुवित्त बैंक | 396.8 | 1084.5 | 273.3 | 411.8 | 1123.3 | 272.8 |
| उत्कर्ष लघुवित्त बैंक | 796.7 | 4345.3 | 545.4 | 884.7 | 5247.4 | 593.1 |
| उज्जीवन लघुवित्त बैंक | 649.8 | 1868.3 | 287.5 | 860.5 | 1998.0 | 232.2 |
| ईसाफ लघुवित्त बैंक | 44.7 | 146.9 | 328.8 | 81.2 | 269.8 | 332.1 |
| यूनिटी लघुवित्त बैंक | — | 281.8 | — | — | 554.7 | — |
| **योगफल (लघुवित्त बैंक)** | **1887.9** | **7726.9** | **409.3** | **2238.2** | **9193.2** | **410.7** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच इन बैंकों द्वारा एकत्रित जमा राशि 1887.9 करोड़ रु. से 18.6 प्रतिशत बढ़कर 2238.2 करोड़ रु. पहुंच गई। साथ ही, उनके द्वारा दिया गया अग्रिम भी बढ़ा जो इस अवधि में 7726.9 करोड़ रु. से 19.0 प्रतिशत बढ़कर 9193.2 करोड़ रु. हो गया। फलतः, इन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 409.3 प्रतिशत से बढ़कर 410.7 प्रतिशत हो गया। लघुवित्त बैंकों के कुल अग्रिमों में उत्कर्ष लघुवित्त बैंक के अग्रिम का सर्वाधिक 5247.4 करोड़ रु. हिस्सा था, जिसके बाद उज्जीवन लघुवित्त बैंक का 1998.0 करोड़ रु. और जना लघुवित्त बैंक का 1123.3 करोड़ रु. हिस्सा था।

सितंबर 2023 और सितंबर 2024 में बिहार के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में बैंकों के जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपात का वितरण तालिका 11.13 में दर्शाया गया है। सितंबर 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 60.2 प्रतिशत था जो सितंबर 2024 में घटकर 59.8 प्रतिशत रह गया। वहीं, इस अवधि में ऋण-जमा अनुपात अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 52.0 प्रतिशत से बढ़कर 54.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 52.5 प्रतिशत से 54.3 प्रतिशत हो गया।

**तालिका 11.13 : बिहार में बैंकों का क्षेत्र-वार ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2023 और सितंबर 2024)**

| क्षेत्र | जमा (हजार करोड़ रु.) | | ऋण (हजार करोड़ रु.) | | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सितंबर 2023 | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2024 |
| ग्रामीण | 108.5 | 119.7 | 65.3 | 71.6 | 60.2 | 59.8 |
| अर्ध-शहरी | 123.3 | 138.2 | 64.1 | 74.8 | 52.0 | 54.1 |
| शहरी | 243.5 | 269.5 | 127.8 | 146.4 | 52.5 | 54.3 |
| **सभी** | **475.2** | **527.4** | **257.2** | **292.8** | **54.1** | **55.5** |

टिप्पणी : अग्रिम में राज्य के अंदर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम ही शामिल हैं।
स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में 2023-24 के अंत में ऋणों, अग्रिमों और ऋण-जमा अनुपात का वितरण तालिका 11.14 में प्रस्तुत किया गया है। ये आंकड़े 31 मार्च 2024 के हैं। राज्य में जमा और अग्रिम में सीमित उपस्थिति वाले बैंकों के ऋण-जमा अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हैं। जैसे, 2023-24 के अंत में लघुवित्त बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 438.3 प्रतिशत था। इसी प्रकार, सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 78.2 प्रतिशत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 58.2 प्रतिशत था, जो व्यावसायिक बैंकों के 54.1 ऋण-जमा अनुपात से अधिक है। साथ ही, राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण-जमा अनुपातों में काफी अंतर है। व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दोनो के ऋण-जमा अनुपात अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं।

**तालिका 11.14 : बिहार में बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2023-24)**

| बैंक समूह | क्षेत्र | जमा (हजार करोड़ रु.) | ऋण (हजार करोड़ रु.) | ऋण-जमा अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| व्यावसायिक बैंक | ग्रामीण | 80.8 | 49.9 | 61.8 |
| | अर्ध-शहरी | 119.2 | 60.3 | 50.6 |
| | शहरी | 257.7 | 137.6 | 53.4 |
| | **योगफल** | **457.7** | **247.8** | **54.1** |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | ग्रामीण | 28.2 | 17.4 | 61.8 |
| | अर्ध-शहरी | 12.1 | 7.5 | 61.6 |
| | शहरी | 4.8 | 1.4 | 28.4 |
| | **योगफल** | **45.1** | **26.3** | **58.2** |
| सहकारी बैंक | ग्रामीण | 3.6 | 2.7 | 73.5 |
| | अर्ध-शहरी | 1.2 | 1.1 | 93.6 |
| | शहरी | 1.0 | 0.7 | 77.0 |
| | **योगफल** | **5.8** | **4.5** | **78.2** |
| लघुवित्त बैंक | ग्रामीण | 0.1 | 3.1 | 3006.0 |
| | अर्ध-शहरी | 0.4 | 3.3 | 909.8 |
| | शहरी | 1.6 | 2.8 | 171.3 |
| | **योगफल** | **2.1** | **9.2** | **438.3** |
| सभी बैंक | ग्रामीण | 112.7 | 73.1 | 64.8 |
| | अर्ध-शहरी | 132.9 | 72.2 | 54.3 |
| | शहरी | 265.0 | 142.5 | 53.8 |
| | **योगफल** | **510.6** | **287.7** | **56.3** |

टिप्पणी : अग्रिम में राज्य के अंदर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम ही शामिल हैं।
स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (सितंबर 2024 के अंत में) में बिहार में जिलावार ऋण-जमा अनुपात तालिका 11.15 में प्रस्तुत हैं। कुल मिलाकर देखें, तो राज्य में हाल के वर्षों में ऋण-जमा अनुपात काफी बढ़ा है जो ऋण के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। लेकिन राज्य के अंदर जिलों के ऋण-जमा अनुपातों में काफी अंतर है।

सितंबर 2024 के अंत में राज्य के 18 जिलों का ऋण-जमा अनुपात राज्य के औसत से अधिक था। पूर्णिया का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 92.3 प्रतिशत था और उसके बाद अररिया का 89.3 प्रतिशत तथा पश्चिम चंपारण का 83.3 प्रतिशत। इसके विपरीत सबसे कम ऋण-जमा अनुपात वाले तीन जिले मुंगेर (33.5 प्रतिशत), भोजपुर (40.7 प्रतिशत) और नालंदा (41.3 प्रतिशत) थे।

**तालिका 11.15 : जिलावार ऋण-जमा अनुपात (2022-23 से 2024-25, सितंबर 2024 तक)**

| जिले | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | जिले | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 47.0 | 48.2 | 48.4 | दरभंगा | 45.0 | 49.8 | 50.9 |
| नालंदा | 40.9 | 44.7 | 41.3 | मधुबनी | 50.1 | 54.5 | 54.8 |
| भोजपुर | 42.8 | 43.8 | 40.7 | समस्तीपुर | 58.2 | 63.7 | 62.8 |
| बक्सर | 44.4 | 46.3 | 43.9 | बेगूसराय | 71.2 | 75.2 | 73.0 |
| रोहतास | 50.5 | 52.6 | 49.9 | मुंगेर | 31.5 | 34.4 | 33.5 |
| कैमूर | 60.4 | 60.7 | 58.1 | शेखपुरा | 46.2 | 51.8 | 47.5 |
| गया | 49.9 | 56.0 | 54.6 | लखीसराय | 43.3 | 46.1 | 45.2 |
| जहानाबाद | 43.9 | 45.4 | 42.9 | जमुई | 46.7 | 49.8 | 49.2 |
| अरवल | 48.5 | 47.0 | 43.9 | खगड़िया | 59.8 | 65.5 | 63.2 |
| नवादा | 46.8 | 54.9 | 52.9 | भागलपुर | 45.9 | 51.2 | 48.9 |
| औरंगाबाद | 66.8 | 66.2 | 60.8 | बांका | 48.3 | 52.9 | 51.2 |
| सारण | 41.1 | 46.2 | 44.7 | सहरसा | 58.1 | 63.3 | 65.1 |
| सीवान | 48.3 | 50.7 | 47.8 | सुपौल | 66.0 | 67.9 | 67.9 |
| गोपालगंज | 46.4 | 48.6 | 48.3 | मधेपुरा | 70.3 | 76.0 | 75.1 |
| पश्चिम चंपारण | 69.3 | 78.0 | 83.3 | पूर्णिया | 89.8 | 93.3 | 92.3 |
| पूर्वी चंपारण | 74.3 | 79.9 | 80.7 | किशनगंज | 75.7 | 78.5 | 76.7 |
| मुजफ्फरपुर | 69.7 | 73.0 | 72.2 | अररिया | 83.1 | 88.4 | 89.3 |
| सीतामढ़ी | 60.6 | 61.9 | 60.9 | कटिहार | 72.3 | 78.6 | 74.7 |
| शिवहर | 77.3 | 74.2 | 70.8 | | | | |
| वैशाली | 72.0 | 79.0 | 77.5 | **बिहार** | **53.0** | **56.4** | **55.5** |

टिप्पणी : अग्रिम में राज्य के अंदर की बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम ही शामिल हैं।
स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में आर्थिक गतिविधियों में हुई तेजी से वृद्धि को बैंकों द्वारा बढ़े स्तर पर दिए गए ऋणों का सहयोग मिला है। फलत:, गत पांच वर्षों में राज्य का ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात लगातार बढ़ा है (चार्ट 11.11)। खास कर यह अनुपात 2019-20 में 27.5 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 39.9 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय है कि 2022-23 से 2023-24 के बीच इस अनुपात में 5.3 प्रतिशत अंक की उछाल आई और यह 34.6 प्रतिशत से 39.9 प्रतिशत पर पहुंच गया।

**चार्ट 11.11 : बिहार में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2019-20 से 2023-24)**

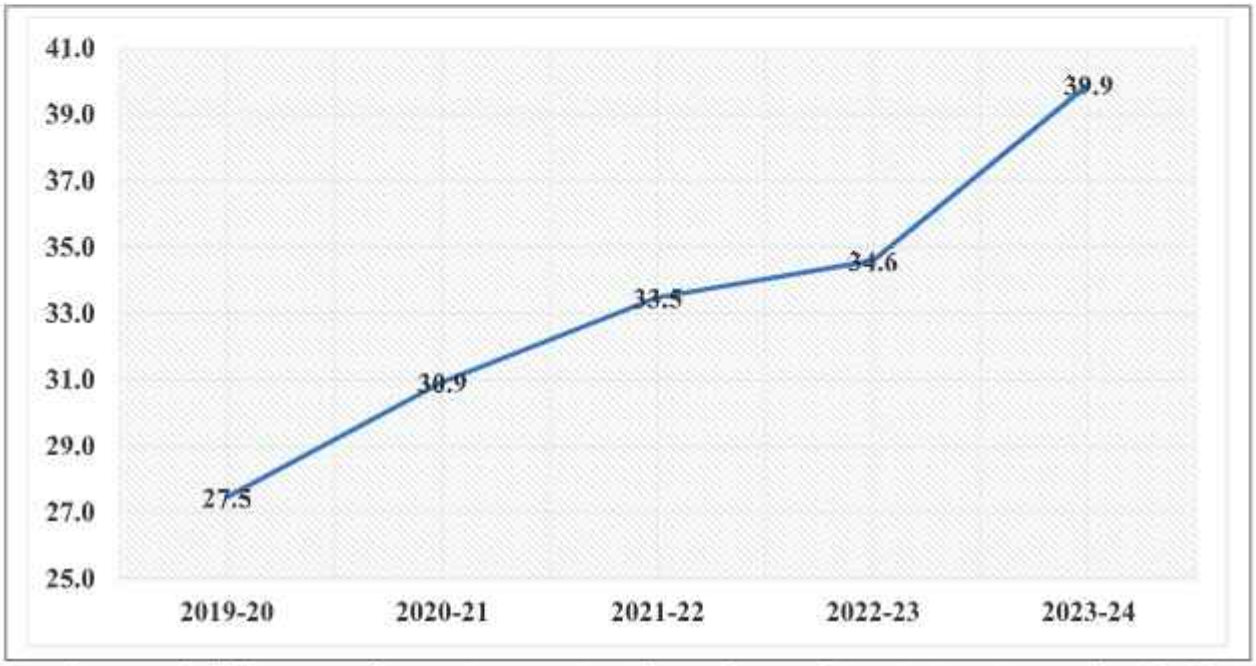


टिप्पणी : ऋण में बैंकों द्वारा राज्य के बाहर दिए गए अग्रिम और नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्वीकृति भी शामिल हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

## 11.3 वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

बैंक वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) विकसित करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस योजना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण आवंटन को रेखांकित किया जाता है और प्रगति के मूल्यांकन में यह एक प्रतिमान का भी काम करता है। सभी क्षेत्रों-प्रक्षेत्रों में ऋण का प्रभावी प्रवाह हो रहा है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय बैंकर समिति और भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक ऋण योजना और उसकी उपलब्धियों की समीक्षा भी करते हैं।

राज्य में वार्षिक ऋण योजना के तहत वित्तवर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लक्ष्य के वितरण और उनकी उपलब्धियों को तालिका 11.16 में प्रस्तुत किया गया है। यह सूचना ऋण की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में बैंकों की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। साथ ही, तालिका में राज्य में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्रिमों का क्षेत्र-वार हिस्सा भी दर्शाया गया है। वहीं, मार्च 2024 के अंत में वार्षिक ऋण योजना के तहत जिलावार लक्ष्य और दिए गए अग्रिमों को तालिका प 11.1 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है।

**तालिका 11.16 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्र-वार हिस्सा (2022-23 और 2023-24)**

| क्षेत्र | वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य (करोड़ रु.) | | उपलब्धि (करोड़ रु.) | | उपलब्धि दर (प्रतिशत) | | उपलब्धि में हिस्सा (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 |
| कृषि | 70000 | 94150 | 71002 | 83631 | 101.4 | 88.8 | 32.2 | 33.0 |
| लघु एवं मध्यम उद्यम | 70000 | 89480 | 55072 | 76975 | 78.7 | 86.0 | 25.0 | 30.4 |
| प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र | 14145 | 19520 | 18887 | 19747 | 133.5 | 101.2 | 8.6 | 7.8 |
| **योगफल - प्राथमिकता वाले क्षेत्र** | **154145** | **203150** | **144961** | **180353** | **94.0** | **88.8** | **65.7** | **71.1** |
| **प्राथमिकता-रहित क्षेत्र** | **50000** | **60000** | **75559** | **73180** | **151.1** | **122.0** | **34.3** | **28.9** |
| **योगफल** | **204145** | **263150** | **220520** | **253533** | **108.0** | **96.3** | **100.0** | **100.0** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में विभिन्न बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के लिए कुल तय लक्ष्य 2022-23 में 2.0 लाख करोड़ रु. था जो 28.9 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 2.6 लाख करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2023-24 में वार्षिक ऋण योजना के लिए तय लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 96.3 प्रतिशत थी जो गत वर्ष तय लक्ष्य के मुकाबले हासिल 108 प्रतिशत की उपलब्धि से कम है। वर्ष 2023-24 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वार्षिक ऋण योजना का कुल आवंटन 2.0 लाख करोड़ रु. था जिसका वार्षिक ऋण योजना के लिए तय कुल लक्ष्य में 77.2 प्रतिशत हिस्सा है। इसकी तुलना में 2022-23 में इस क्षेत्र के लिए आवंटन 75.5 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 में वार्षिक ऋण योजना के लिए लक्ष्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बीच कृषि का सर्वाधिक 0.94 लाख करोड़ हिस्सा था और उसके बाद लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का 0.89 लाख करोड़ रु.। उल्लेखनीय है कि 2023-24 में प्राथमिकता-रहित क्षेत्रों में उपलब्धि दर 122.0 प्रतिशत रही है, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की 88.8 प्रतिशत दर की तुलना में काफी अधिक है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंदर उपलब्धि दर कृषि के लिए 88.8 प्रतिशत और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 86.0 प्रतिशत थी।

**तालिका 11.17 : बिहार में वार्षिक ऋण योजना के बैंक समूह-वार लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां (2022-23 से 2023-24)**

| अभिकरण | लक्ष्य (करोड़ रु.) | | उपलब्धि (करोड़ रु.) | | उपलब्धि दर (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 |
| व्यावसायिक बैंक | 164981 | 215598 | 179529 | 211482 | 108.8 | 98.1 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 27635 | 31243 | 23817 | 26309 | 86.2 | 84.2 |
| सहकारी बैंक | 4276 | 6178 | 10312 | 7732 | 241.2 | 125.2 |
| लघुवित्त बैंक | 7253 | 10131 | 6862 | 8009 | 94.6 | 79.1 |
| **योगफल** | **204145** | **263150** | **220520** | **253533** | **108** | **96.3** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक ऋण योजना के बैंक समूह-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का सारांश तालिका 11.17 में प्रस्तुत है। वित्तवर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक ऋण योजना का कुल लक्ष्य 2.6 लाख करोड़ रु. था। इस लक्ष्य में सर्वाधिक 81.9 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक बैंकों का था, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 11.9 प्रतिशत हिस्सा था। वार्षिक ऋण योजना के कुल लक्ष्य में सहकारी बैंकों का महज 2.3 प्रतिशत हिस्सा था। उल्लेखनीय है कि 2023-24 में सहकारी बैंकों की उपलब्धि दर सर्वाधिक 125.2 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में अन्य बैंक समूहों के बीच व्यावसायिक बैंकों की 98.1 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 84.2 प्रतिशत और लघुवित्त बैंकों की 79.1 प्रतिशत उपलब्धि दरें थीं।

## 11.4 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

किसानों के लिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, और प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) समेत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। कार्ड-धारियों को चक्रानुसारी नकद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के जरिए ऋण मिलता है जिसमें निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी संख्या में निकासी और अदायगी की स्वीकृति होती है।

बिहार में गत पांच वर्षों में जारी नए किसान क्रेडिट कार्डों और उनके लक्ष्यों का बैंक समूह-वार सारांश तालिका 11.18 में प्रस्तुत है। वहीं, बिहार में 2019-20 से 2023-24 तक जारी नए किसान क्रेडिट कार्डों का पैटर्न चार्ट 11.12 में दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 में बिहार में बैंकों द्वारा कुल 1,67,709 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इनमें से 90,110 कार्ड व्यावसायिक बैंकों द्वारा और 75,338 कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए। सहकारी बैंकों ने 2023-24 में महज 2,261 कार्ड जारी किए और अपने लक्ष्य से 47,906 कार्ड पीछे रह गए।

**चार्ट 11.12 : बिहार में बैंकों द्वारा जारी नए किसान क्रेडिट कार्ड (2019-20 से 2023-24)**

(लाख में)

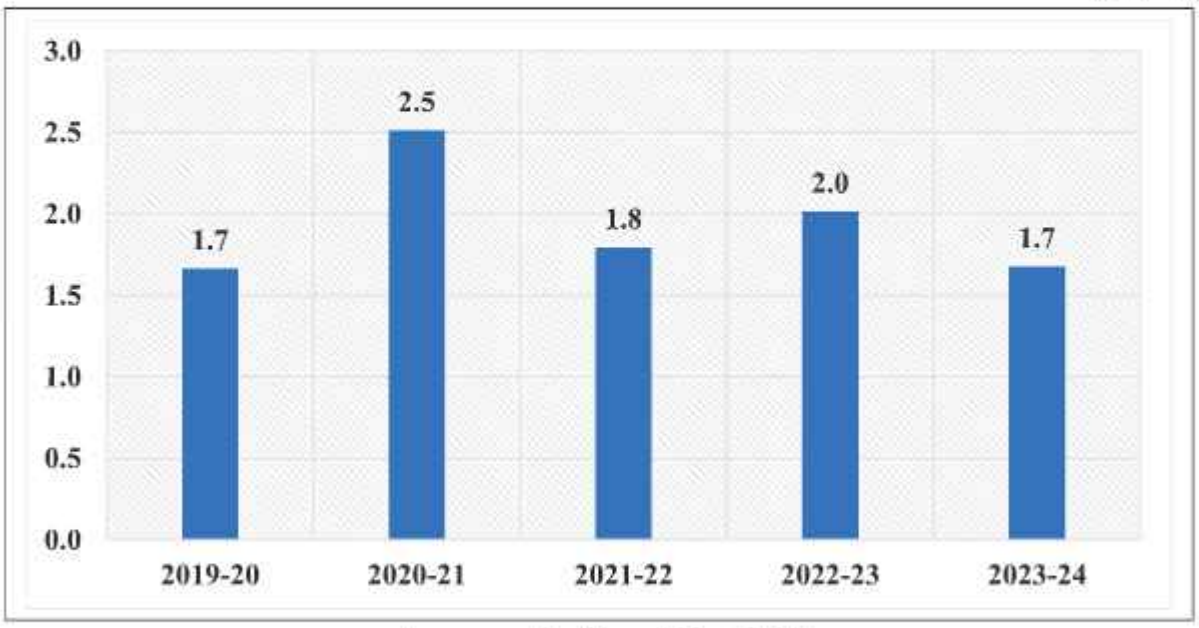


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 11.18 : बैंकों द्वारा जारी नए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2019-20 से 2023-24)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि दर | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यावसायिक बैंक | | | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | | |
| 2019-20 | 599011 | 133077 | 22.2 | 321351 | 32140 | 10.0 |
| 2020-21 | 576631 | 224360 | 38.9 | 294873 | 24990 | 8.5 |
| 2021-22 | 504599 | 158566 | 31.4 | 258012 | 18239 | 7.1 |
| 2022-23 | 216246 | 177785 | 82.2 | 110577 | 21602 | 19.5 |
| 2023-24 | 344008 | 90110 | 26.2 | 202121 | 75338 | 37.3 |
| वर्ष | सहकारी बैंक | | | योगफल | | |
| 2019-20 | 39573 | 1217 | 3.1 | 1000000 | 166434 | 16.6 |
| 2020-21 | 62066 | 1921 | 3.1 | 1000048 | 251271 | 25.1 |
| 2021-22 | 54306 | 2632 | 4.8 | 875084 | 179437 | 20.5 |
| 2022-23 | 23279 | 2146 | 9.2 | 375035 | 201533 | 53.7 |
| 2023-24 | 47906 | 2261 | 4.7 | 615488 | 167709 | 27.2 |

टिप्पणी : बिहार में बैंकों के लिए किसान क्रेडिट कार्डों के कुल लक्ष्य में लघुवित्त बैंकों (21453) के लिए लक्ष्य भी शामिल हैं। लेकिन उनकी उपलब्धि शून्य रही है।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

## 11.5 बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) उनके उन ऋणों या अग्रिमों को कहा जाता है जिनसे आय होना बंद हो जाता है। किसी परिसंपत्ति को अनिष्पादित परिसंपत्ति तब कहा जाता है जब ऋणी कम से कम 90 दिनों तक मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं कर पाता है। हाल के वर्षों में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में लगातार सुधार दिखा है। अनिष्पादित परिसंपत्तियों में कमी का श्रेय बैंकों और सरकार, दोनो को दिया जा सकता है। सरकार ने सर्फाएसी अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निष्पादन और विभिन्न सर्टिफिकेट केस के जरिए अनिष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली में बैंकों को सहयोग दिया है। इस दौरान बैंकों ने बेहतर ऋण और अग्रिम देकर अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया है।

बिहार में 2023 और 2024 के लिए अनिष्पादित परिसंपत्तियों का बैंक समूह-वार प्रतिशत चार्ट 11.13 में दर्शाया गया है। व्यावसायिक बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2023 के 7.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 5.9 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों में भी काफी सुधार हुआ है जो मार्च 2023 के 30.4 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत अंक घटकर 23.8 प्रतिशत रह गई। हालांकि राज्य में दिए गए कुल अग्रिमों में लघुवित्त बैंकों का बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन मार्च 2024 में उनकी अनिष्पादित परिसंपत्तियां सबसे कम 1.9 प्रतिशत रही।

चार्ट 11.13 : बिहार में बैंक समूह-वार अनिष्पादित परिसंपत्तियां (प्रतिशत में) (मार्च 2023 और मार्च 2024)

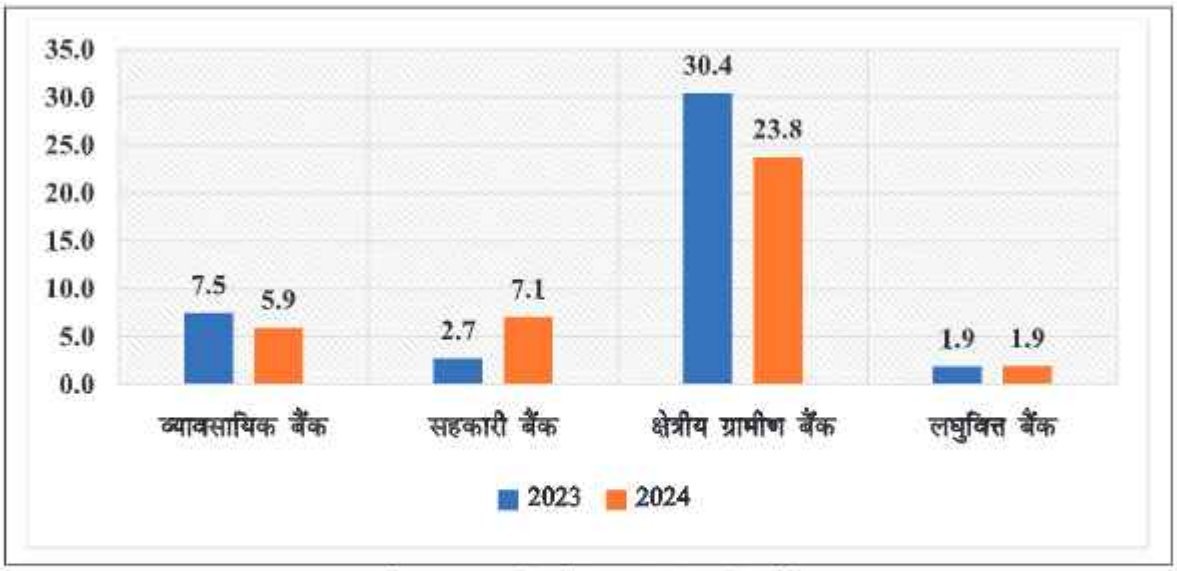


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच बैंकों की क्षेत्र-वार अनिष्पादित परिसंपत्तियां चार्ट 11.14 में दर्शाई गई हैं। बिहार में प्राथमिता वाले क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋणों के लिए अनिष्पादित परिसंपत्तियों में कमी आई है, जो मार्च 2023 के 15.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 12.2 प्रतिशत रह गई। खास कर, कृषि ऋणों के लिए अनिष्पादित परिसंपत्तियां इस अवधि में 21.5 प्रतिशत से घटकर 18.1 प्रतिशत पर आ गईं। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2023 में महज 7.8 प्रतिशत थीं और उसमें भी मार्च 2024 में गत वर्ष से 2.1 प्रतिशत अंकों की कमी आई।

इसके विपरीत, प्राथमिकता-रहित क्षेत्रों में अनिष्पादित परिसंपत्तियां पहले बहुत कम थीं लेकिन मार्च 2024 में मार्च 2023 के 1.1 प्रतिशत से बढ़कर वे 1.2 प्रतिशत हो गईं। कुल मिलाकर देखें, तो बिहार में बैंकों द्वारा दिए गए कुल बकाया अग्रिमों के प्रतिशत के बतौर अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2023 के 9.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 7.5 प्रतिशत रह गईं।

चार्ट 11.14 : बिहार में बैंकों की क्षेत्र-वार अनिष्पादित परिसंपत्तियां (प्रतिशत में)

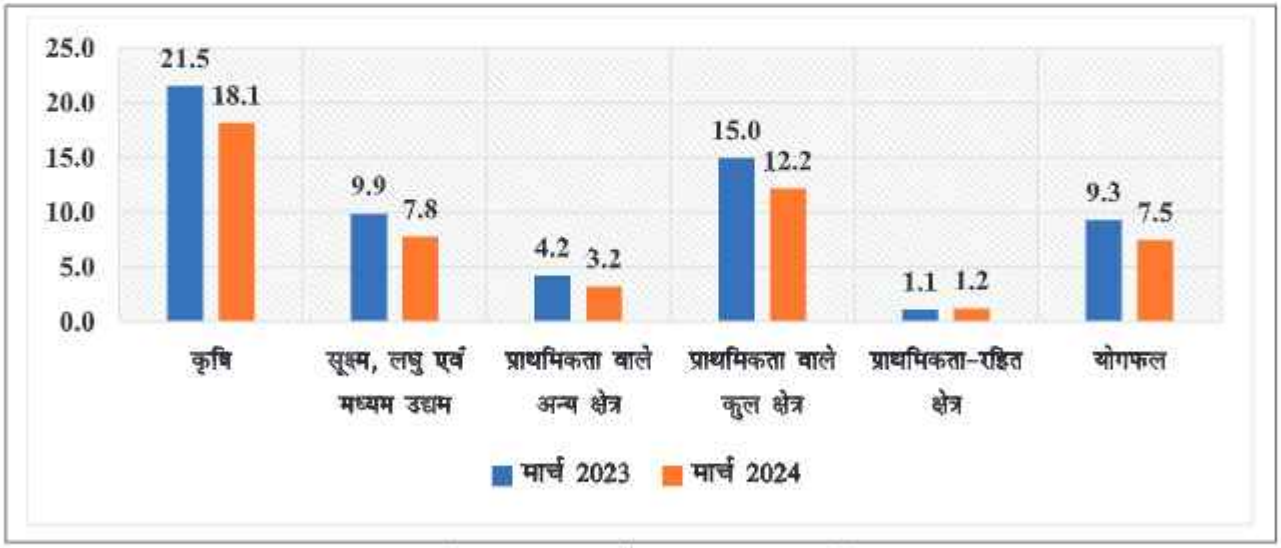


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

## 11.6 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण शिल्पों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्तीयन के जरिए ऋण देता है जिससे ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही, नाबार्ड अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और उनके उद्यमों को भी कम ब्याज वाले ऋण देता है। इन परियोजनाओं में सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और शीतगृह श्रृंखला तथा ग्रामीण अवसंरचना विकास की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, नाबार्ड ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का भी प्रबंधन करता है जिसे व्यावसायिक बैंकों और अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में हुई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया था।

बिहार में नाबार्ड द्वारा 2019-20 से 2023-24 के बीच किए गए क्षेत्र-वार पुनर्वित्तीयन का सारांश तालिका 11.19 में दिया गया है। नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता को मुख्यत: तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है - फसल ऋण, निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन तथा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष, भंडारण अधिसंरचना कोष (डब्ल्यूआइएफ) तथा खाद्य प्रसंस्करण कोष (पीपीएफ) जैसे कोषों द्वारा ऋण सहायता की स्वीकृति। नाबार्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता काफी बढ़ी है और 2019-20 के 2,992 करोड़ रु. से 2023-24 में 6,596 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा दिया गया फसल ऋण 2,300 करोड़ रु. और निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन 2,362 करोड़ रु. था। साथ ही, 2023-24 में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के संवितरण के जरिए 1,934 करोड़ रु. की सहायता मिली।

**तालिका 11.19 : नाबार्ड द्वारा क्षेत्र-वार पुनर्वित्तीयन (2019-20 से 2023-24)**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | फसल ऋण | निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन | RIDF + WIF + FPF स्वीकृति | कुल वित्तीय सहायता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 56 | 1102 | 1834 | 2992 |
| 2020-21 | 859 | 2424 | 2116 | 5399 |
| 2021-22 | 1161 | 3784 | 2400 | 7345 |
| 2022-23 | 1240 | 3647 | 1329 | 6216 |
| 2023-24 | 2300 | 2362 | 1934 | 6596 |

टिप्पणी : RIDF = ग्रामीण अधिसंरना विकास कोष; WIF = भंडारण अधिसंरचना कोष, FPF = खाद्य प्रसंस्करण कोष

स्रोत : नाबार्ड, पटना कार्यालय

नाबार्ड द्वारा प्रबंधित ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष राज्य सरकारों को ग्रामीण अधिसंरचना में निवेश के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराता है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की पुन:पूर्ति व्यावसायिक बैंकों के उतने योगदानों से की जाती है जितना वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऋण देने में पीछे रह जाते हैं। इन ऋणों के लिए बैंक दर में 1.5 प्रतिशत अंक घटाकर ब्याज दर तय की जाती है। बिहार के

लिए ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के विभिन्न ट्रेंचों के लिए मार्च 2024 तक धनराशि का संवितरण दर्शाता है कि पूर्व के ट्रेंचों में अक्सर स्वीकृति से कम संवितरण होता था लेकिन ट्रेंच 24 और 25 में संवितरण स्वीकृत रकम से बढ़ गया। (तालिका 11.20) सबसे हाल के ट्रेंच 29 में 2496.5 करोड़ रु. की स्वीकृति हुई है जो ट्रेंच 28 के लिए स्वीकृत 2399.8 करोड़ रु. से अधिक है।

**तालिका 11.20 : बिहार में मार्च 2024 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत ऋण स्वीकृति और संवितरण**

(करोड़ रु.)

| ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ट्रेंच | स्वीकृति | संवितरण | ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ट्रेंच | स्वीकृति | संवितरण |
|---|---|---|---|---|---|
| ट्रेंच 1-10 | 508.8 | 351.5 | ट्रेंच-20 (2014-15) | 1085.2 | 959.0 |
| ट्रेंच-11 (2005-06) | 459.4 | 418.3 | ट्रेंच-21 (2015-16) | 2024.9 | 1067.1 |
| ट्रेंच-12 (2006-07) | 308.4 | 231.0 | ट्रेंच-22 (2016-17) | 1836.3 | 1346.6 |
| ट्रेंच-13 (2007-08) | 569.1 | 512.5 | ट्रेंच -23 (2017-18) | 1604.3 | 1586.1 |
| ट्रेंच-14 (2008-09) | 752.2 | 732.7 | ट्रेंच-24 (2018-19) | 1632.0 | 1659.0 |
| ट्रेंच-15 (2009-10) | 673.9 | 637.5 | ट्रेंच-25 (2019-20) | 1643.1 | 1834.2 |
| ट्रेंच-16 (2010-11) | 1089.9 | 875.3 | ट्रेंच-26 (2020-21) | 2399.5 | 2116.0 |
| ट्रेंच-17 (2011-12) | 1034.1 | 817.3 | ट्रेंच-27 (2021-22) | 3130.3 | 2400.1 |
| ट्रेंच-18 (2012-13) | 1490.2 | 268.6 | ट्रेंचा-28 (2022-23) | 2399.8 | 1329.0 |
| ट्रेंच-19 (2013-14) | 1764.3 | 898.9 | ट्रेंच-29 (2023-24) | 2496.5 | 1933.8 |

टिप्पणी : संवितरण की रकम में विगत ट्रेंच के तहत हुए वर्ष-वार संवितरण भी शामिल हैं।
स्रोत : नाबार्ड, पटना कार्यालय

## 11.7 अन्य विकासमूलक कोष

उक्त निवेशों के अलावा, जिनमें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले ऋण शामिल हैं, राज्य को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से भी वित्तपोषण प्राप्त होता है। इन धनराशियों का आवंटन नगर अवसंरचना विकास कोष (यूआइडीएफ) और सिडबी संकुल विकास कोष (एससीडीएफ) के जरिए विकासमूलक परियोजनाओं के लिए होता है। ऋणों का विनियमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के जरिए होता है और किसी वित्तवर्ष में राज्य की ऋणग्रहण सीमा के अंदर ही ऋण हासिल किया जा सकता है। इन ऋणों की जिम्मेवारी बिहार सरकार के वित्त विभाग के तहत आती है।

### नगर अवसंरचना विकास कोष (यूआइडीएफ)

वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने (2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 आबादी वाले) टायर-2 और टायर-3 शहरों में सड़क, पुल, जलापूर्ति, जल निकासी, मलजल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित

अवसंरचना बढ़ाने के लिए नगर अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की है। वित्तपोषण सहायता के लिए पात्र गतिविधियों में शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी पथ-संपर्क और नगर विकास शामिल हैं। हालांकि कोष के तहत प्रशासनिक व्यय, आवासन, बिजली, दूरसंचार, नगर परिवहन, स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्थान, और रखरखाव खर्च को शामिल नहीं किया जाता है।

नगर अधिसंरचना विकास कोष के तहत 5.25 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय बैंक दर से 1.5 प्रतिशत कम है। परियोजना का न्यूनतम आकार 5 करोड़ रु. और अधिकतम आकार 100 करोड़ रु. होता है। वर्ष 2023-24 में बिहार के लिए 466.29 करोड़ रु. का आवंटन था और परियोजना क्रियान्वयन का चरण 2 से 3 वर्षों का है।

### सिडबी संकुल विकास कोष (एससीडीएफ)

सिडबी संकुल विकास कोष की स्थापना राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संकुलों में बुनियादी अवसंरचना बढ़ाने के लिए की गई है। इस कोष के जरिए तीन मुख्य श्रेणी की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सहायता मिलती है : (1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम परितंत्र में औद्योगिक एवं कृषि-सहवर्ती क्षेत्र, (2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संकुलों में और उनके आसपास सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं, तथा (3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संकुलों में पथ-संपर्क में सुधार संबंधी पहलें। इस कोष के तहत बैंक दर से 1.5 प्रतिशत कम ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 11.1 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए जिलावार वार्षिक ऋण योजना (मार्च, 2024)

(रकम करोड़ रु. में)

| जिले | कृषि | | | लघु एवं मध्यम उद्यम | | | अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % |
| पटना | 14044 | 10167 | 72.4 | 15305 | 17788 | 116.2 | 2497 | 2975 | 119.1 |
| नालंदा | 2856 | 1921 | 67.2 | 2327 | 1780 | 76.5 | 522 | 435 | 83.3 |
| भोजपुर | 3067 | 2495 | 81.4 | 2430 | 1617 | 66.5 | 505 | 520 | 102.9 |
| बक्सर | 1730 | 1375 | 79.5 | 1657 | 1073 | 64.8 | 303 | 254 | 83.9 |
| रोहतास | 2631 | 2603 | 98.9 | 2402 | 2063 | 85.9 | 529 | 364 | 68.8 |
| कैमूर | 1289 | 1508 | 117.0 | 1289 | 896 | 69.5 | 291 | 175 | 59.9 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 3793 | 3623 | 95.5 | 3845 | 3247 | 84.4 | 651 | 824 | 126.6 |
| जहानाबाद | 1155 | 770 | 66.7 | 1118 | 793 | 70.9 | 184 | 134 | 72.8 |
| अरवल | 624 | 582 | 93.2 | 630 | 373 | 59.3 | 119 | 88 | 73.8 |
| नवादा | 1531 | 1485 | 97.0 | 1241 | 974 | 78.5 | 304 | 301 | 98.8 |
| औरंगाबाद | 2093 | 1977 | 94.5 | 1926 | 1648 | 85.6 | 418 | 320 | 76.6 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 3178 | 2521 | 79.3 | 2908 | 2130 | 73.3 | 745 | 670 | 89.9 |
| सीवान | 3476 | 3451 | 99.3 | 2560 | 1938 | 75.7 | 637 | 551 | 86.5 |
| गोपालगंज | 2196 | 1946 | 88.6 | 1738 | 1216 | 70.0 | 475 | 331 | 69.8 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2528 | 2423 | 95.8 | 2229 | 1684 | 75.6 | 536 | 429 | 80.2 |
| पूर्व चंपारण | 3356 | 2998 | 89.3 | 3191 | 2496 | 78.2 | 806 | 730 | 90.6 |
| मुजफ्फरपुर | 5337 | 3998 | 74.9 | 4855 | 5104 | 105.1 | 969 | 1541 | 159.0 |
| सीतामढ़ी | 1928 | 1596 | 82.8 | 1745 | 1574 | 90.2 | 372 | 300 | 80.8 |
| शिवहर | 547 | 458 | 83.6 | 510 | 292 | 57.3 | 81 | 120 | 147.6 |
| वैशाली | 3024 | 5926 | 196.0 | 2962 | 2190 | 73.9 | 685 | 623 | 90.9 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 2982 | 2344 | 78.6 | 2643 | 2686 | 101.6 | 495 | 659 | 133.2 |
| मधुबनी | 3289 | 2575 | 78.3 | 2622 | 1850 | 70.5 | 563 | 307 | 54.6 |
| समस्तीपुर | 3200 | 3308 | 103.4 | 3063 | 2380 | 77.7 | 699 | 635 | 90.7 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2929 | 3246 | 110.8 | 2727 | 2629 | 96.4 | 605 | 571 | 94.4 |
| मुंगेर | 1446 | 876 | 60.6 | 1422 | 724 | 50.9 | 323 | 301 | 93.2 |
| शेखपुरा | 654 | 532 | 81.3 | 603 | 492 | 81.6 | 129 | 93 | 72.2 |
| लखीसराय | 846 | 753 | 89.0 | 764 | 475 | 62.1 | 180 | 184 | 102.5 |
| जमुई | 1297 | 932 | 71.9 | 1036 | 565 | 54.5 | 278 | 273 | 98.1 |
| खगड़िया | 1217 | 1139 | 93.6 | 1162 | 775 | 66.7 | 313 | 272 | 86.9 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 3298 | 2360 | 71.6 | 3529 | 2938 | 83.3 | 727 | 1035 | 142.4 |
| बांका | 1390 | 1313 | 94.5 | 1280 | 746 | 58.3 | 289 | 249 | 86.0 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 1122 | 1185 | 105.6 | 1167 | 874 | 74.9 | 283 | 355 | 125.5 |
| सुपौल | 1237 | 1274 | 103.0 | 1384 | 932 | 67.3 | 321 | 257 | 80.2 |
| मधेपुरा | 1254 | 1428 | 113.8 | 1286 | 664 | 51.7 | 354 | 482 | 136.2 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2811 | 2052 | 73.0 | 2722 | 2979 | 109.4 | 739 | 668 | 90.4 |
| किशनगंज | 1108 | 975 | 87.9 | 1185 | 836 | 70.5 | 412 | 445 | 108.0 |
| अररिया | 1703 | 1564 | 91.8 | 1802 | 1642 | 91.1 | 578 | 725 | 125.4 |
| कटिहार | 1983 | 1955 | 98.6 | 2215 | 1910 | 86.2 | 605 | 553 | 91.3 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **94150** | **83631** | **88.8** | **89480** | **76975** | **86.0** | **19520** | **19747** | **101.2** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

**तालिका प 11.2 : प्राथमिकता-रहित क्षेत्रों और संयुक्त रूप से सभी क्षेत्रों के लिए जिलावार वार्षिक ऋण योजना (मार्च, 2024)**

(रकम करोड़ रु. में)

| जिले | योगफल - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र | | | प्राथमिकता-रहित क्षेत्र | | | कुल योगफल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का % |
| पटना | 31846 | 30930 | 97.1 | 12966 | 27392 | 211.3 | 44812 | 58322 | 130.1 |
| नालंदा | 5705 | 4135 | 72.5 | 1338 | 1119 | 83.7 | 7043 | 5254 | 74.6 |
| भोजपुर | 6001 | 4631 | 77.2 | 1300 | 1148 | 88.3 | 7301 | 5779 | 79.1 |
| बक्सर | 3689 | 2702 | 73.2 | 1053 | 658 | 62.5 | 4742 | 3360 | 70.9 |
| रोहतास | 5562 | 5030 | 90.4 | 1365 | 959 | 70.3 | 6926 | 5989 | 86.5 |
| कैमूर | 2870 | 2578 | 89.8 | 759 | 401 | 52.8 | 3629 | 2979 | 82.1 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 8289 | 7693 | 92.8 | 3386 | 3503 | 103.5 | 11675 | 11196 | 95.9 |
| जहानाबाद | 2457 | 1697 | 69.1 | 703 | 626 | 89.0 | 3160 | 2323 | 73.5 |
| अरवल | 1373 | 1043 | 76.0 | 379 | 275 | 72.5 | 1752 | 1318 | 75.2 |
| नवादा | 3076 | 2760 | 89.7 | 674 | 627 | 93.1 | 3751 | 3387 | 90.3 |
| औरंगाबाद | 4437 | 3945 | 88.9 | 1114 | 1142 | 102.6 | 5550 | 5087 | 91.7 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 6831 | 5321 | 77.9 | 1685 | 1532 | 90.9 | 8516 | 6853 | 80.5 |
| सीवान | 6673 | 5940 | 89.0 | 1495 | 1855 | 124.1 | 8168 | 7794 | 95.4 |
| गोपालगंज | 4408 | 3494 | 79.2 | 1061 | 1287 | 121.2 | 5470 | 4780 | 87.4 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5293 | 4537 | 85.7 | 1394 | 1943 | 139.4 | 6686 | 6480 | 96.9 |
| पूर्व चंपारण | 7353 | 6224 | 84.7 | 2092 | 1545 | 73.8 | 9445 | 7769 | 82.3 |
| मुजफ्फरपुर | 11161 | 10644 | 95.4 | 4078 | 5843 | 143.3 | 15239 | 16487 | 108.2 |
| सीतामढ़ी | 4045 | 3471 | 85.8 | 1039 | 818 | 78.7 | 5084 | 4288 | 84.4 |
| शिवहर | 1139 | 870 | 76.4 | 300 | 264 | 88.0 | 1439 | 1134 | 78.8 |
| वैशाली | 6672 | 8740 | 131.0 | 1852 | 1463 | 79.0 | 8524 | 10203 | 119.7 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 6120 | 5688 | 93.0 | 1596 | 1677 | 105.1 | 7716 | 7365 | 95.5 |
| मधुबनी | 6474 | 4732 | 73.1 | 1540 | 896 | 58.2 | 8014 | 5628 | 70.2 |
| समस्तीपुर | 6962 | 6323 | 90.8 | 1784 | 1659 | 93.0 | 8746 | 7981 | 91.3 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 6261 | 6447 | 103.0 | 1604 | 1475 | 92.0 | 7865 | 7921 | 100.7 |
| मुंगेर | 3191 | 1901 | 59.6 | 865 | 1065 | 123.2 | 4056 | 2967 | 73.1 |
| शेखपुरा | 1386 | 1117 | 80.6 | 357 | 230 | 64.5 | 1743 | 1348 | 77.3 |
| लखीसराय | 1790 | 1412 | 78.9 | 456 | 344 | 75.5 | 2246 | 1756 | 78.2 |
| जमुई | 2611 | 1770 | 67.8 | 611 | 763 | 124.8 | 3222 | 2532 | 78.6 |
| खगड़िया | 2692 | 2186 | 81.2 | 706 | 829 | 117.4 | 3399 | 3015 | 88.7 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 7554 | 6333 | 83.8 | 2225 | 3189 | 143.3 | 9779 | 9522 | 97.4 |
| बांका | 2959 | 2309 | 78.0 | 704 | 863 | 122.6 | 3664 | 3172 | 86.6 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 2572 | 2414 | 93.8 | 809 | 758 | 93.7 | 3381 | 3172 | 93.8 |
| सुपौल | 2942 | 2463 | 83.7 | 909 | 711 | 78.2 | 3850 | 3174 | 82.4 |
| मधेपुरा | 2894 | 2574 | 88.9 | 903 | 592 | 65.5 | 3796 | 3165 | 83.4 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 6272 | 5699 | 90.9 | 1692 | 1144 | 67.6 | 7964 | 6843 | 85.9 |
| किशनगंज | 2706 | 2256 | 83.4 | 706 | 553 | 78.2 | 3412 | 2808 | 82.3 |
| अररिया | 4083 | 3931 | 96.3 | 1090 | 980 | 89.9 | 5173 | 4910 | 94.9 |
| कटिहार | 4803 | 4417 | 92.0 | 1411 | 1055 | 74.8 | 6214 | 5471 | 88.1 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **203150** | **180353** | **88.8** | **60000** | **73180** | **122.0** | **263150** | **253533** | **96.3** |

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

# अध्याय – 12

# मानव विकास


**सारांश**

*विकास के आकलन के लिए मानव विकास के तहत लोगों और उनकी क्षमताओं पर बल दिया जाता है। इसमें आर्थिक विकास और साझीदारी ही नहीं, सभी प्रकार की मानवीय आवश्यकताएं शामिल हैं। समकालीन दौर में, मानव विकास समय की बहुत बड़ी मांग है। मानव विकास के छः मूल स्तंभ हैं – समता, सुस्थिरता, उत्पादकता, सशक्तीकरण, कल्याण और सुरक्षा। इन सभी का जीवन की गुणवत्ता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में अपने कुल बजट के 36.4 प्रतिशत हिस्से का आबंटन मानव विकास से संबंधित क्षेत्रों के लिए किया है। वर्ष 2005-06 से 2023-24 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यय 13 गुना बढ़ा है। साथ ही, 2015-16 से 2023-24 के बीच सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 9.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से और प्रति व्यक्ति विकासमूलक व्यय 6.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। क्षेत्र-वार विश्लेषण दर्शाता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), प्रतिरक्षण आदि सूचकों में प्रचुर सुधार दर्ज हुआ है। इसी प्रकार, शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर स्थिर नामांकन और छीजन दरों में लगातार गिरावट मानव विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को व्यक्त करती है। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता मानव विकास के प्रमुख लक्ष्यों में हैं जो राज्य सरकार के लिए चिंता के बड़े विषय रहे हैं। इन एजेंडों के साथ-साथ अजा, अजजा, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की खुशहाली को भी राज्य की विकासमूलक नीति में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। बिहार में मानव विकास के मापदंडों में हालिया प्रगति सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्पादक क्रियान्वयन का परिणाम है।*


गत दशक में सरकार ने मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अवसंरचना पर सर्वाधिक व्यय सुनिश्चित करके समावेशिता के अपने प्रयासों में तेजी लाई थी। इस मोड़ पर मानव पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मानव पूंजी पर सार्वजनिक निवेश पर फोकस और सरकारी हस्तक्षेपों की प्रदान व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिहार की जनसांख्यिक बढ़त, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि, युवाओं को कौशलों से लैश करने, रोग के बोझ में कमी, सीमांत समूहों और दिव्यांगों के उत्थान, तथा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के समेकन से भविष्य में समृद्ध अर्थव्यवस्था की संभावना को साकार करने में मदद मिलेगी। इसलिए राज्य में प्रगति के मूल्यांकन और व्यापक आंकड़ा आधार के विकास के लिए इस अध्याय में जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा (कला, संस्कृति, युवा एवं खेल सहित), समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण, और वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा के आयामों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

सामाजिक क्षेत्र में निवेश से गरीबों को लाभ होता है और संभवत: मानव पूंजी में विकास भी होता है जिससे तात्कालिक विकास के प्रभाव और व्यापक आर्थिक लाभ, दोनो हासिल होते हैं। बिहार में सामाजिक पहलों पर सरकार द्वारा व्यय महत्वपूर्ण है क्योंकि गरीब परिवारों का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं पर निर्भर होता है और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जैसे सामाजिक क्षेत्र के सुनिर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना जरूरी है। मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय चिंता की प्रमुख बात है। तालिका 12.1 में गत 18 वर्षों के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय के रुझान दर्शाए गए हैं। वर्ष 2005-06 से 2023-24 के बीच यह व्यय 13 गुना बढ़ा है। इसी तर्ज पर इस अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय 13 गुना और शिक्षा पर व्यय 10 गुना बढ़ा है। रकम के रूप में देखें, तो स्वास्थ्य पर व्यय 2005-06 में 1015 करोड़ रु. था जो 2023-24 में 13,015 करोड़ रु. हो गया जबकि इसी अवधि में शिक्षा पर व्यय 4366 करोड़ रु. से 44,784 करोड़ रु. पहुंच गया। वहीं, 2005-06 से 2023-24 के बीच कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में 4.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। सकारात्मक रुझान दर्शाते हुए, राज्य में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय और प्रति व्यक्ति विकासमूलक व्यय इन 18 वर्षों में आठ-गुने बढ़े हैं। गौरतलब है कि 2015-16 से 2023-24 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यय 9.4 प्रतिशत की और प्रति व्यक्ति विकासमूलक व्यय 6.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है (तालिका 12.1 तथा चार्ट 12.1)।

**तालिका 12.1 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान**

| वर्ष | कुल व्यय (करोड़ रु.) | सामाजिक सेवाओं पर व्यय (करोड़ रु.) | कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा (%) | स्वास्थ्य पर व्यय (करोड़ रु.) | शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.) | सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.) | विकासमूलक व्यय (करोड़ रु.) | प्रति व्यक्ति विकासमूलक व्यय (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 22568 | 7190 | 31.9 | 1015 | 4366 | 801 | 13133 | 1463 |
| 2010-11 | 50705 | 16162 | 31.9 | 1667 | 8156 | 1669 | 33156 | 3424 |
| 2015-16 | 112328 | 38684 | 34.4 | 4571 | 18980 | 3370 | 78077 | 6801 |
| 2016-17 | 126302 | 44329 | 35.1 | 5493 | 20034 | 3767 | 90800 | 7717 |
| 2017-18 | 136427 | 50028 | 36.7 | 6182 | 24587 | 4148 | 97771 | 8107 |
| 2018-19 | 154655 | 62838 | 40.6 | 7318 | 28237 | 5083 | 107737 | 8715 |
| 2019-20 | 146097 | 61217 | 41.9 | 7674 | 26684 | 4831 | 96370 | 7605 |
| 2020-21 | 165697 | 70736 | 42.7 | 9152 | 27651 | 5446 | 112122 | 8633 |
| 2021-22 | 193123 | 81951 | 42.4 | 11510 | 35805 | 6156 | 134057 | 10070 |
| 2022-23 | 231904 | 95713 | 41.3 | 11810 | 43700 | 7014 | 160475 | 11760 |
| 2023-24 | 252082 | 91829 | 36.43 | 13015 | 44784 | 6565 | 168516 | 12048 |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 12.1 : सामाजिक सेवा और विकासमूलक व्ययों तथा प्रति व्यक्ति सामाजिक सेवा और विकासमूलक व्ययों के रुझान

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

## 12.1 जनसांख्यिक स्थिति

जनसांख्यिक आंकड़े सामाजिक नीतियों के लिए, खास कर आर्थिक विकास और लोक कल्याण के लिए योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। सदियों से हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने बिहार में जनसंख्या विकास के इतिहास को चिन्हित किया है। राज्य ने जनसंख्या में तेज वृद्धि और सापेक्ष स्थिरता का दौर देखा है। राज्य प्रजनन दर और मृत्यु दरों में काफी गिरावट का भी साक्षी रहा है और अब यहां जनसांख्यिक संक्रमण दिखने लगा है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख के बेहतर अवसरों, आर्थिक विकास की तेज दर आदि के कारण जन्म दरों में गिरावट आने लगी है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी लेकिन वह समकालिक नहीं थी। लेकिन 1881 से जनगणना नियमित रूप से 10 वर्षों के अंतराल पर होने लगी जो 2011 तक जारी रही। हालांकि 2021 में होने वाली गणना में कोविड-19 महामारी से जुड़ी चुनौतियों के कारण देर हुई और इसे 2024 में करने की योजना बनी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग किमी है जो देश के जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का लगभग तिगुना है। वहीं, लिंग अनुपात के लिहाज से बिहार का आंकड़ा 918 है जो 943 के राष्ट्रीय औसत से कम है। हालांकि बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है जो राष्ट्रीय औसत (919) से अधिक है (चार्ट 12.2)। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.1 प्रतिशत थी जो पूरे देश के लिए 17.6 प्रतिशत थी। बिहार के जिलों के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर से संबंधित अंतर और जनसांख्यिक लिहाज से जिलों के बीच अंतर को तालिका प 12.1 और तालिका प 12.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 12.2 : बिहार और भारत की जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

| बिहार | | | | भारत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (10 लाख में) | | शहरी जनसंख्या (10 लाख में) | | कुल जनसंख्या (10 लाख में) | | शहरी जनसंख्या (10 लाख में) | |
| | | | | | | | |
| (2001) | (2011) | (2001) | (2011) | (2001) | (2011) | (2001) | (2011) |
| 82.9 | 104.1 | 8.7 | 11.8 | 1028.7 | 1210.6 | 286.1 | 377.1 |
| ग्रामीण जनसंख्या (10 लाख में) | | लिंग अनुपात | | ग्रामीण जनसंख्या (10 लाख में) | | लिंग अनुपात | |
| | | | | | | | |
| (2001) | (2011) | (2001) | (2011) | (2001) | (2011) | (2001) | (2011) |
| 74.3 | 92.3 | 919 | 918 | 742.5 | 833.7 | 933 | 943 |
| बाल लिंग अनुपात | | घनत्व | | बाल लिंग अनुपात | | घनत्व | |
| | | | | | | | |
| (2001) | (2011) | (2001) | (2011) | (2001) | (2011) | (2001) | (2011) |
| 942 | 935 | 880 | 1106 | 927 | 919 | 325 | 382 |

टिप्पणी : लिंग अनुपात – महिला प्रति 1000 पुरुष; घनत्व – प्रति वर्ग किमी
स्रोत : 2001 और 2011 की जनगणना

## बिहार के लिए जनसंख्या संबंधी अनुमान

बिहार घनी आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या में होने वाले वाले बदलाव से देश की समग्र जनसंख्या की सक्रियता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनसंख्या का अनुमान करना राज्य और देश, दोनो के लिए जरूरी होता है। जिला स्तर पर नीतियां सूत्रबद्ध करने के लिए उनकी आबादियों को समझना भी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जिलों की जनसंख्या के लिए कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। इसके आलोक में वर्तमान सर्वेक्षण का लक्ष्य राज्य के हर जिले के लिए 2011 से 2041 तक की जनसंख्या का अनुमान उपलब्ध कराना है। ये अनुमान भारत के 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दरों पर आधारित हैं। बिहार की जनसंख्या 2011 के 10.41 करोड़ से बढ़कर 2021 में 12.30 करोड़ हो जाने का अनुमान है जो 1.82 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वहीं, 2031 में जनसंख्या 13.95 करोड़ हो जाने का अनुमान है जो 1.34 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। और 2041 में जनसंख्या 15.34 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है जो 1.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी (चार्ट 12.3)। हर जिले के लिए 2021, 2031 और 2041 की अनुमानित जनसंख्या तालिका

प 12.3 (परिशिष्ट) में दी गई है। परिशिष्ट तालिका से पता चलता है कि उत्तर बिहार के जिलों में जनसंख्या वृद्धि दक्षिण बिहार की अपेक्षा अधिक तेज होगी।

**चार्ट 12.3 : बिहार की जनसंख्या (1991 से 2041)**

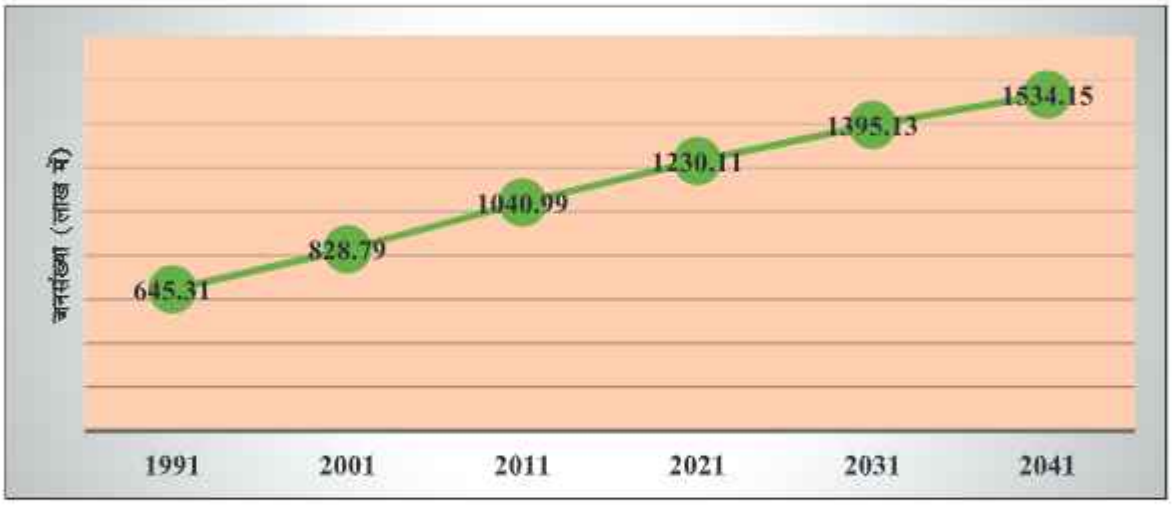


स्रोत : जनगणना (विभिन्न वर्ष)

## महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार प्रजनन

कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को किसी महिला को प्रजनन वाली पूरी उम्र (15 से 49 वर्ष) में उत्पन्न बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। महिलाओं के शैक्षिक स्तर का प्रजनन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के शैक्षिक स्तर और कुल प्रजनन दर के बीच उलटा संबंध है। तालिका 12.4 से पता चलता है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं की कुल प्रजनन दर असाक्षर महिलाओं के बीच अधिक थी। वर्ष 2015 में यह दर भारत के लिए 3.7 और बिहार के लिए 4.2 थी। इसी प्रकार 2020 में कुल प्रजनन दर समग्रत: घटती गई और भारत के लिए 3.1 तथा बिहार के लिए 3.8 रह गई लेकिन ये दरें भी अधिक हैं। शैक्षिक स्तर बढ़ने के साथ कुल प्रजनन दर में कमी आती है। देखा जा सकता है कि शैक्षिक स्तर बढ़ने के साथ 2015 और 2020 में कुल प्रजनन दर घटती गई है।

**चार्ट 12.4 : भारत और बिहार में महिलाओं के शैक्षिक स्तरों के अनुसार कुल प्रजनन दरें**

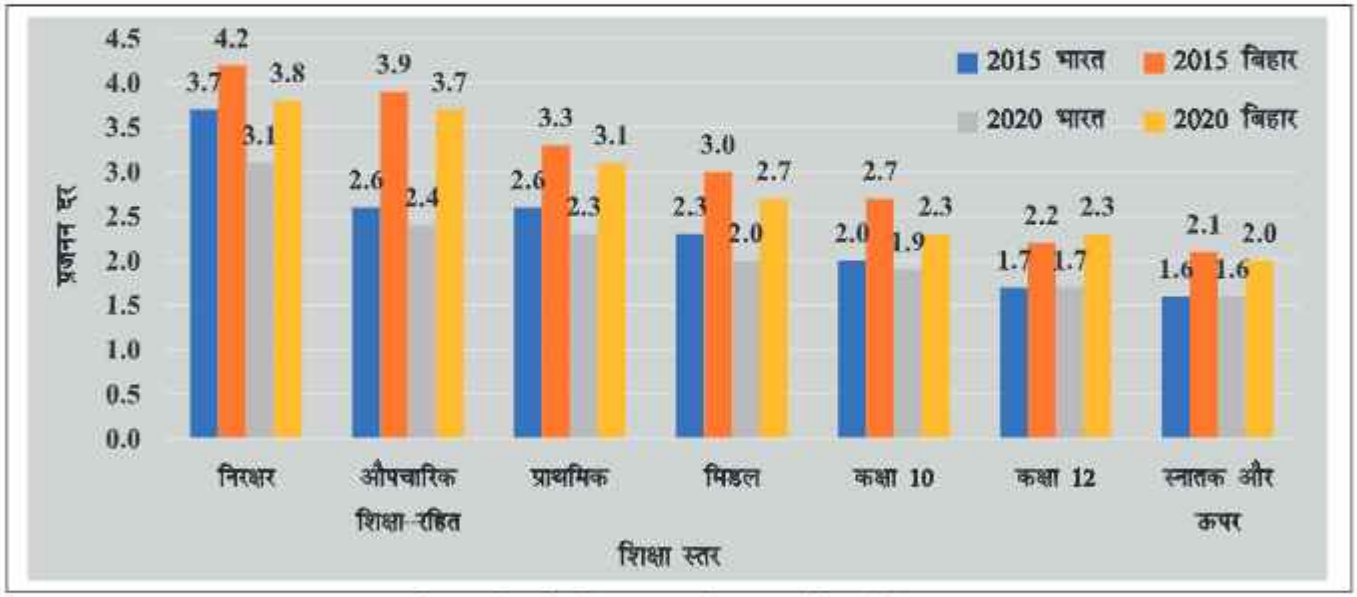


स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, भारत के महानिबंधक

## आयु संरचना में परिवर्तन

आयु संरचना में बदलाव मृत्यु और प्रजनन दरों में कमी सहित जनसांख्यिक संक्रमण के परिणाम हैं। हालांकि संक्रमण की दर में पूरे देश में भिन्नता हो सकती है। चार्ट 12.5 में विभिन्न आयु समूहों के लिए, जैसे कि 0–19 वर्ष, 20–59 वर्ष और 60 वर्ष तथा ऊपर के लिए बिहार और भारत में आयु संरचना में बदलाव का सापेक्ष परिदृश्य दर्शाया गया है। बिहार में बच्चों और किशोरवय अर्थात 0 से 19 वर्ष की आबादी का हिस्सा 2011 के 49.4 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत अंक घटकर 2041 में 30.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। दूसरी ओर, 60 वर्ष या अधिक उम्र के बुजुर्गों का हिस्सा 2011 के 7.4 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत अंक बढ़कर 2041 में 11.6 प्रतिशत पहुंच जाने का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिक लाभांश 2041 में शीर्ष पर पहुंच जाएगा जब आबादी में कामकाजी उम्र अर्थात 20 से 59 वर्ष के लोगों का हिस्सा 2011 के 43.2 प्रतिशत से 58.3 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। कामकाजी उम्र वाली आबादी बढ़ने का अर्थ जनसांख्यिक लाभांश है जिससे अर्थव्यस्था को प्रगति करने में मदद मिलेगी। यही रुझान संपूर्ण भारत के लिए भी दिखता है। हालांकि आबादी में बुजुर्ग लोगों के हिस्से में 7.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी जो बिहार में होने वाली वृद्धि से 3.1 प्रतिशत अंक अधिक है। बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि सामाजिक समर्थन की संभावित जरूरत और कामकाजी आबादी पर बोझ से संबंधित है। आयु संरचना का जिलावार विवरण तालिका प 12.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**चार्ट 12.5 : बिहार और भारत में जनसंख्या के हिस्से में बदलाव**

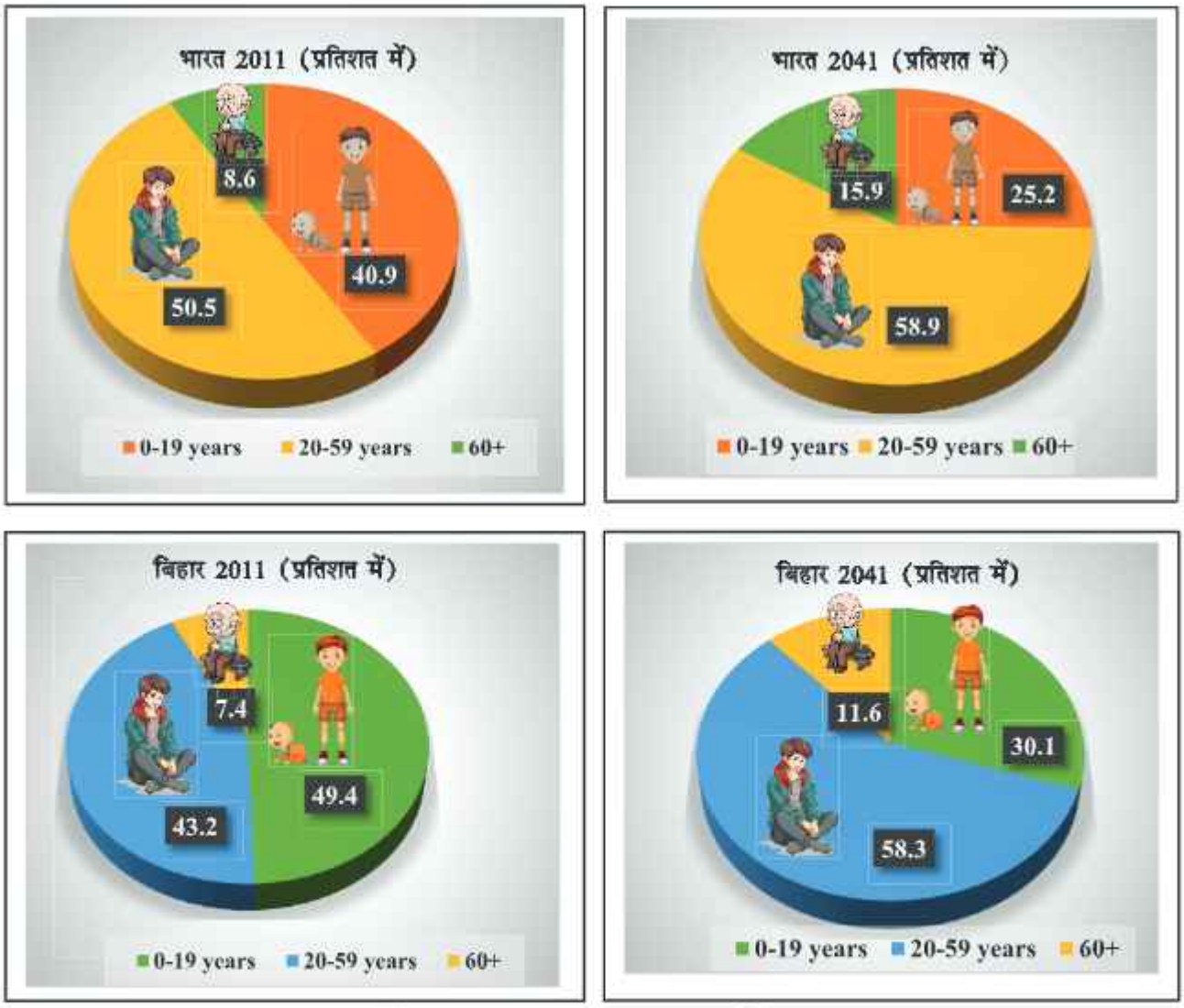


स्रोत : जनगणना 2011, भारत का महानिबंधक

## 12.2 स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक विकास आपस में इस तरह नथे-गुंथे हैं कि एक में प्रगति किए बिना दूसरे में प्रगति करना असंभव है। सीमांत और अरक्षित तबकों पर विशेष फोकस के साथ सभी नागरिकों को उचित, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में स्वास्थ्य देखरेख का सुविकसित नेटवर्क है जियमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखरेख शामिल हैं। हाल के वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की गुणवत्ता में जबर्दस्त सुधार हुआ है। यह इस अवधि में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी), शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) जैसे स्वास्थ्य देखरेख के सूचकों में महत्वपूर्ण सुधार से व्यक्त होता है। इस खंड में राज्य में स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई प्रासंगिक पहलों को प्रस्तुत किया गया है।

### बिहार में स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक

पिछले कुछ वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य देखरेख के विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) उनमें से एक है जो पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और रोगों की जानकारी के लिए छद्म सूचक है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता किसी नवजात बच्चे के लिए मृत्यु संबंधी वर्तमान अनुसूची के तहत जीवित रहने के वर्षों की औसत संख्या को व्यक्त करती है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफी सुधार हुआ है जिसे तालिका 12.2 में दर्शाया गया है कि यह एक दशक में 3.7 वर्ष बढ़कर 2006-10 के 65.8 वर्ष से 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गई। बिहार में 2016-20 में महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 69 वर्ष थी जो पुरुषों के लगभग समान थी। वहीं, भारत के मामले में महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 71.4 वर्ष थी जो पुरुषों की 68.6 वर्ष जन्मकालीन जीवन संभाव्यता से अधिक थी। बिहार में 2016-20 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006-10 की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 4.0 वर्ष बढ़ी है। वहीं, संपूर्ण भारत के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006-10 की अपेक्षा 2016-20 में पुरुषों के लिए 4.0 वर्ष और महिलाओं के लिए 3.7 वर्ष बढ़ी है। इसी प्रकार, इस अवधि में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3.7 वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 3.6 वर्ष बढ़ी है।

**तालिका 12.2 : जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (2006-10 और 2016-20)**

(आंकड़े वर्ष में)

| बिहार/ भारत | 2006-10 | | | 2016-20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | सभी | पुरुष | महिला | सभी |
| बिहार | 65.5 | 66.2 | 65.8 | 69.7 | 69.2 | 69.5 |
| भारत | 64.6 | 67.7 | 66.1 | 68.6 | 71.4 | 70.0 |
| बिहार/ भारत | ग्रामीण | शहरी | सभी | ग्रामीण | शहरी | सभी |
| बिहार | 65.6 | 67.9 | 65.8 | 69.1 | 71.9 | 69.5 |
| भारत | 64.9 | 69.6 | 66.1 | 68.6 | 73.2 | 70.0 |

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), महानिबंधक कार्यालय, भारत

जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के अलावा स्वास्थ्य संबंधी छः अन्य संवेदनशील सूचक ऐसे हैं जिनके लिए तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हैं। ये हैं - अशोधित जन्म दर (सीबीआर), शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), बाल मृत्यु दर (सीएमआर), 5-वर्ष पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) और परिजात मृत्यु दर (पीएमआर)। तालिका 12.3 में इन सूचकों के लिए बिहार और भारत, दोनो के लिए 2015 से 2020 तक के संबंधित आंकड़े प्रस्तुत हैं। अशोधित जन्म दर के लिए बिहार के आंकड़े लगातार ऊंचे रहे हैं। जैसे 2020 में बिहार के लिए इसका आंकड़ा 25.5 और भारत के लिए 19.5 प्रति 1000 व्यक्ति था जिससे दोनो के बीच 6.0 अंकों का फासला था। लेकिन 2015 से 2020 के बीच बिहार और भारत, दोनो में अशोधित जन्म दर थोड़ी घटी है। वहीं, शिशु मृत्यु दर के बारे में तुलना करने पर दिखता है कि राज्य के आंकड़ों में काफी कमी आई है और 2015 के 42 से 2020 में 27 रह गई। लेकिन भारत में बिहार से कम गिरावट आई और यह 2015 के 37 से 2020 में 28 रह गई। वर्ष 2020 में बिहार में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में 27 और शहरी क्षेत्रों में 25 थी। वहीं, भारत के लिए संबंधित आंकड़े ग्रामीण 31 क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 19 थे। शिशु मृत्यु दर में यह भारी कमी राज्य सरकार के केंद्रित प्रयासों का परिणाम है। वहीं, बाल मृत्यु दर के मामले में बिहार में 5.1 प्रतिशत अंकों की गिरावट देखी गई जो 2015 के 12.0 से 2020 में 6.9 रह गई। इसके विपरीत, संपूर्ण भारत में महज 2.0 प्रतिशत अंकों की कमी हुई और यह 2015 के 10.0 से 2020 में 8.0 हो गई। अगर शेष तीनों सूचकों की बात करें, तो बिहार में इनमें क्रमशः 18 और 7 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय कमी दिखती है। लेकिन भारत के मामले में गिरावट क्रमशः 11 और 5 प्रतिशत अंकों की है जो बिहार से कम है। इन सूचकों का प्रदर्शन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी समान ही है।

**तालिका 12.3 : बिहार और भारत के लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक (प्रतिशत)**

| भारत/ बिहार | वर्ष | सभी/ ग्रामीण/ शहरी | अशोधित जन्म दर | शिशु मृत्यु दर | बाल मृत्यु दर | 5-वर्ष पूर्व मृत्यु दर | नवजात मृत्यु दर | परिजात मृत्यु दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत | 2020 | सभी | 19.5 | 28.0 | 8.0 | 32.0 | 20.0 | 18.0 |
| | | ग्रामीण | 21.1 | 31.0 | 9.0 | 36.0 | 23.0 | 21.0 |
| | | शहरी | 16.1 | 19.0 | 5.3 | 21.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 2015 | सभी | 20.8 | 37.0 | 10.0 | 43.0 | 25.0 | 23.0 |
| | | ग्रामीण | 22.4 | 41.0 | 12.0 | 48.0 | 29.0 | 26.0 |
| | | शहरी | 17.3 | 25.0 | 7.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 |
| बिहार | 2020 | सभी | 25.5 | 27.0 | 6.9 | 30.0 | 21.0 | 17.0 |
| | | ग्रामीण | 26.2 | 27.0 | 7.0 | 31.0 | 22.0 | 18.0 |
| | | शहरी | 21.0 | 25.0 | 6.5 | 27.0 | 17.0 | 12.0 |
| | 2015 | सभी | 26.3 | 42.0 | 12.0 | 48.0 | 28.0 | 24.0 |
| | | ग्रामीण | 27.1 | 42.0 | 12.0 | 48.0 | 29.0 | 24.0 |
| | | शहरी | 20.6 | 44.0 | 11.0 | 47.0 | 20.0 | 20.0 |

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), महानिबंधक कार्यालय, भारत

## स्वास्थ्य अधिसंरचना

स्वास्थ्य देखरेख का आशय व्यक्तियों के समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए लक्षित सेवाओं के प्रदान से है। ऐसी सेवाओं के प्रावधान के लिए सशक्त स्वास्थ्य अवसंरचना निस्संदेह अनिवार्य है। स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना में भौतिक सुविधाओं और मानव संसाधनों का सुसंतुलित संयोजन शामिल होता है क्योंकि वांछित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनो ही घटक जरूरी हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को तीन स्तरों में व्यवस्थित किया गया है - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख लोगों और स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के बीच संपर्क के आरंभिक स्तर को व्यक्त करता है। इस स्तर की स्वास्थ्य देखरेख उप-केंद्रों (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) के नेटवर्क के जरिए की जाती हैं। द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे स्तर को व्यक्त करती है जहां विशेषज्ञों से इलाज कराने के लिए रोगियों को बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है। द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख करने वालों में जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) आते हैं। वहीं, तृतीयक देखरेख स्वास्थ्य देखेरख के तीसरे स्तर को सूचित करता है जिनमें सामान्यत: प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था से रेफर किए गए रोगियों की विशेषज्ञता के साथ परामर्शमूलक देखरेख की जाती है। तृतीयक देखरेख में विशेषीकृत गहन देखरेख इकाइयां, उन्नत निदानमूलक सहयोगी सेवाएं और विशेषज्ञ चिकित्साकर्मी आते हैं। तृतीयक देखरेख सेवा चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों द्वारा दी जाती है (चार्ट 12.6)।

**चार्ट 12.6 : बिहार में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के तीन स्तर**

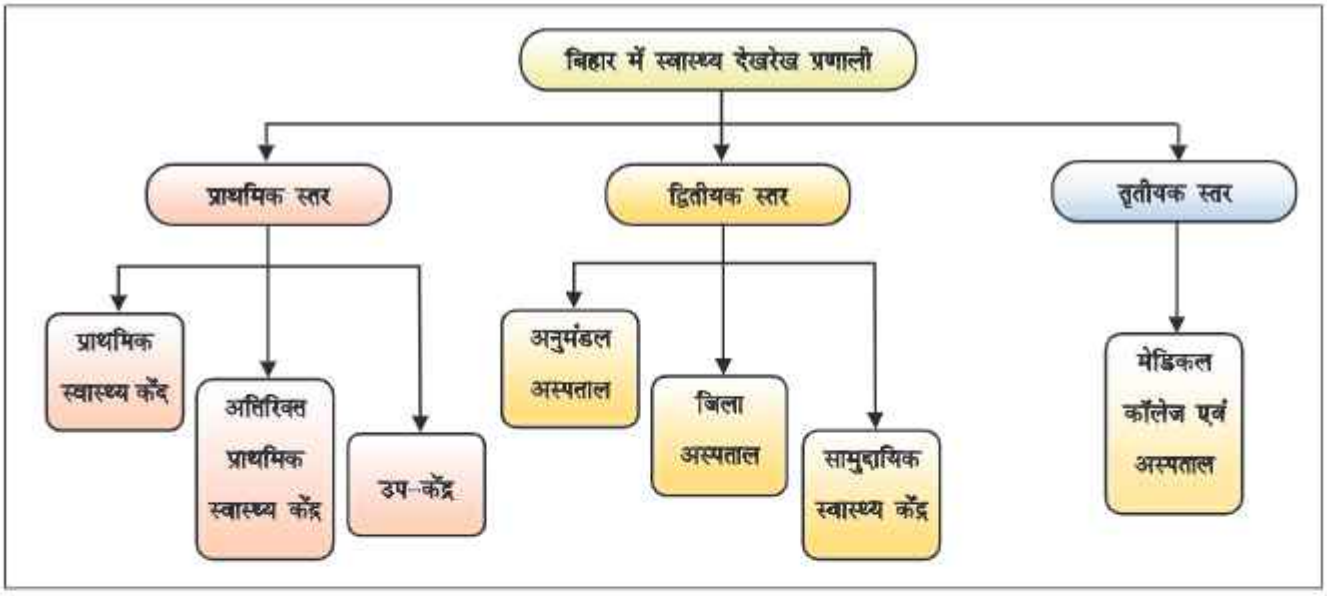


बिहार की अधिकांश जनता रोग से बचाव और इलाज संबंधी देखरेख के लिए लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा करती है। हाल में राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यसंचालन बढ़ाने के लिए अनेक व्यवहारिक उपायों को अमल में लाया है। राज्य में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के प्रदर्शन में हाल में हुई वृद्धि सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या से व्यक्त होती है (चार्ट 12.7)। वर्ष 2023 में प्रति माह अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या 10,914 थी जो 2020 के 5684 से 92.01 प्रतिशत की वृद्धि है। साथ ही, उल्लेखनीय है कि अप्रील से सितंबर 2024 के बीच हर माह अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या उससे भी बढ़कर 11,705 हो गई।

चार्ट 12.7 : सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या

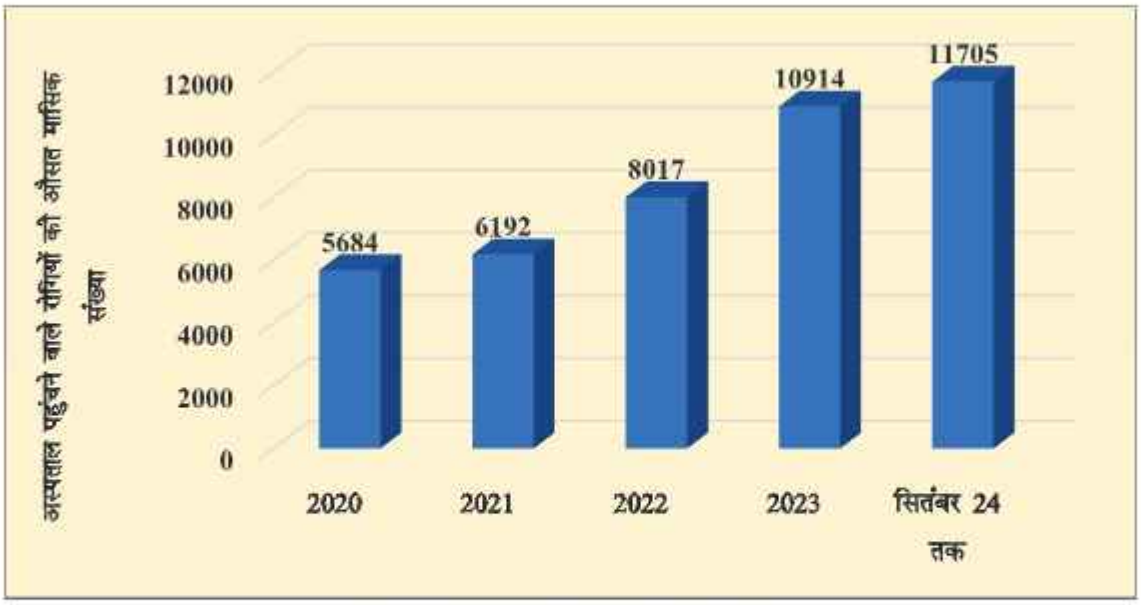


स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य उप-केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली और समुदाय के बीच सर्वाधिक सुदूर और आरंभिक संवाद केंद्र को दर्शाते हैं। उप-केंद्र समुदाय के साथ जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, गैर-जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में उप-केंद्र की स्थापना 5,000 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 30,000 आबादी को सेवा देने के लिए की जानी चाहिए। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हर चार-पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 80,000 से 1,20,000 लोगों को सेवा देने के लिए रेफरल केंद्र के बतौर काम करने के लिए की जानी चाहिए। वर्ष 2023 में राज्य में 35 जिला अस्पताल, 67 रेफरल अस्पताल, 54 अनुमंडल अस्पताल, 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,399 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10,399 उप-केंद्र थे जिनमें से अंतिम तीन की संयुक्त संख्या 12,332 हो जाती है। इस प्रकार, 2024 में राज्य में हर 10 लाख की आबादी पर लगभग 122 स्वास्थ्य केंद्र थे (तालिका 12.4)। इनके जिलावार विवरण तालिका प 12.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 12.4 : स्वास्थ्य अवसंरचना की समग्र स्थिति**

(आंकड़े संख्या में)

| वर्ष | जिला अस्पताल | रेफरल अस्पताल | अनुमंडल अस्पताल | स्वास्थ्य केंद्र | | | | प्रति दस लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रा.स्वा. केंद्र | उप-केंद्र | अतिरिक्त प्रा.स्वा. केंद्र | योगफल | |
| 2017 | 36 | 70 | 55 | 533 | 9949 | 1366 | 11848 | 99 |
| 2018 | 37 | 70 | 55 | 533 | 9949 | 1379 | 11861 | 114 |
| 2019 | 36 | 67 | 45 | 533 | 10258 | 1399 | 11657 | 114 |
| 2020 | 36 | 67 | 45 | 533 | 10258 | 1399 | 12190 | 114 |
| 2021 | 36 | 67 | 45 | 533 | 10258 | 1399 | 12190 | 114 |
| 2022 | 36 | 67 | 45 | 533 | 10258 | 1399 | 12190 | 114 |
| 2023 | 35 | 67 | 45 | 534 | 10399 | 1399 | 12332 | 119 |
| 2024, सितंबर तक | 35 | 67 | 54 | 534 | 10788 | 1399 | 12721 | 122 |

टिप्पणी : प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की गणना 2011 की जनसंख्या पर आधारित है।
स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की कुशलता का आकलन पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की संख्या और भर्ती रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है। बिहार के अस्पताल वाह्यरोगियों और भर्ती रोगियों के आंकड़े अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) के जरिए संधारित करते हैं जो भारत सरकार का पोर्टल है। पूरे राज्य के लिए वाह्यरोगियों की औसत संख्या 2019-20 में 312 थी जो 1.2-गुना बढ़कर 2023-24 में 373 हो गई। शय्या अधिभोग दर और भर्ती के दिन दो ऐसे पैमाने हैं जो अस्पताल के कामकाज की क्षमता को दर्शाते हैं। वर्ष 2023-24 में शय्या अधिभोग दर 2019-20 के 55 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत रह गई। हालांकि गत छः महीनों के लिए उपलब्ध आंकड़े दोनो सूचकों के मामले में वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2023-24 में सितंबर 2024 तक प्रतिदिन वाह्यरोगियों की औसत संख्या 382 और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर 54 प्रतिशत थी। तालिका प 12.6 दर्शाती है कि 17 जिलों में प्रतिदिन अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की औसत संख्या राज्य के औसत (373) से अधिक थी। वहीं, राज्य के 21 जिलों में शय्या अधिभोग दर भी राज्य के औसत (47 प्रतिशत) से अधिक थी।

**चार्ट 12.8 : बिहार में प्रतिदिन पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की संख्या और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर**

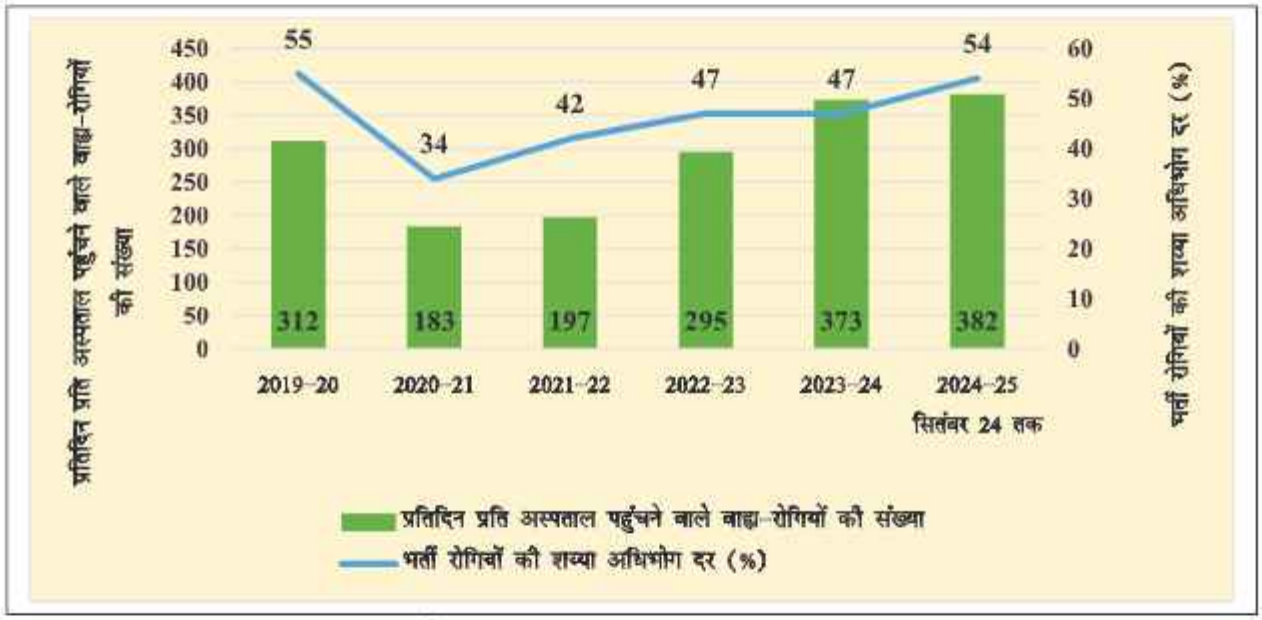


स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## स्वास्थ्य जनबल

स्वास्थ्य और खुशहाली सतत विकास के लिए सर्वोपरि है। ठोस स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली समावेशी विकास के लिए जिम्मेवार दीर्घकालिक कारकों के साथ अंतर्संबंधित होती है। स्वास्थ्य जनबल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुशल स्वास्थ्य देखरेखकर्ताओं की अनुपलब्धता और असमान वितरण की समस्या स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में केंद्रीय चुनौती हैं। इसलिए सरकार का लक्ष्य सभी विकासमूलक नीतियों में रोगरक्षी और रोगनिवारक स्वास्थ्य देखेरख विन्यास और सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के जरिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की गारंटी करना है। स्वास्थ्यकर्मियों में डॉक्टर, नर्सें, सहायक नर्स-सह-धाइयां (एएनएम) और मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) शामिल हैं। पूरे राज्य में इन कर्मियों की उपलब्धता के आंकड़े तालिका 12.5 में प्रस्तुत हैं। वहीं, परिशिष्ट की चार तालिकाओं में विभिन्न जिलों में उनके आंकड़े अलग-अलग प्रस्तुत हैं - तालिका प 12.7 में डॉक्टरों के, तालिका प 12.8 में नर्सों के, तालिका प 12.9 में एएनएम के और तालिका प 12.10 में आशा के।

तालिका 12.5 : बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या

| पद का नाम | स्थायी | | | संविदाधीन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | कार्यरत | | स्वीकृत पद | कार्यरत | |
| | | 2022-23 | 2023-24 | | 2022-23 | 2023-24 |
| डॉक्टर | 12895 | 7144 | 7144 | 4751 | 2702 | 602 |
| ग्रेड-ए नर्स | 17460 | 9650 | 9650 | 4970 | 2875 | 1690 |
| ए.एन.एम. | 29479 | 15205 | 15205 | 11204 | 9977 | 9640 |
| आशा | | | | 93687 | 89400 | 90542 |

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## संस्थागत प्रसव

मातृ स्वास्थ्य सभी लोक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के बीच लगभग चौगुना हो गया। साथ ही, उल्लेखनीय है कि गत 15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी संस्थागत प्रसव में चौगुनी वृद्धि हुई जबकि शहरों में संस्थागत प्रसव लगभग दूने हो गए। गौरतलब है कि संपूर्ण भारत में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) के बीच संपूर्ण भारत में संस्थागत प्रसवों में 49.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई जो 38.7 प्रतिशत से 88.6 प्रतिशत पहुंच गए। वहीं, बिहार में 56.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और यह 2005-06 के 19.9 प्रतिशत से 2019-20 में 76.2 प्रतिशत पहुंच गया। संस्थागत प्रसव राज्य की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की मजबूती को व्यक्त करते हैं।

## जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाइ)

जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग को प्रोत्साहित करने और सशर्त नकद अंतरण करने की योजना है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व संबंधी हस्तक्षेप है जिसका आरंभ केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर अप्रील 2005 में किया गया था। माताओं और बच्चों की मृत्यु में कमी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य लक्ष्य है। यह 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत प्रसव और प्रसव के बाद देखरेख के साथ नकद सहायता भी दी जाती है। इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव की दरों में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को निम्न प्रदर्शन राज्यों (एलपीएस) और उच्च प्रदर्शन राज्यों (एचपीएस) में बांटा गया है। योजना के तहत आशा को सरकार और वंचित गरीब महिलाओं के बीच प्रभावी कड़ी के बतौर चिन्हित किया गया है। संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता के पैमाने नी दर्शाए गए हैं।

**तालिका 12.6 : जननी सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता (रु.)**

| श्रेणी | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र | पात्रता के मापदंड |
|---|---|---|---|
| **संस्थागत प्रसव** | | | |
| निम्न प्रदर्शन राज्य | 1400 | 1000 | सरकारी और मान्यता-प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए उम्र और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है। |
| उच्च प्रदर्शन राज्य | 700 | 600 | सरकारी और मान्यता-प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए उम्र और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष सिर्फ बीपीएल/ अजा/ अजजा महिलाओं के लिए उपलब्ध है। |
| **गृह प्रसव** | | | |
| निम्न प्रदर्शन राज्य | 500 | 500 | गृह प्रसव पसंद करने वाली बीपीएल महिलाओं के लिए ही उम्र और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष उपलब्ध है। |
| उच्च प्रदर्शन राज्य | 500 | 500 | |

टिप्पणी : 1. ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के लिए 600 रु. के पैकेज में प्रसव-पूर्व देखरेख के लिए 300 रु. और संस्थागत प्रसव में सहायता के लिए 300 रु. शामिल हैं।

2. शहरी क्षेत्रों में आशा के लिए 400 रु. के पैकेज में प्रसव-पूर्व देखरेख के लिए 200 रु. और संस्थागत प्रसव में सहायता के लिए 200 रु. शामिल हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 3.12 प्रतिशत बढ़कर 16.02 प्रतिशत से 16.52 प्रतिशत हो गई (चार्ट 12.9)। इस योजना के तहत भुगतान प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार जननी सुरक्षा योजना के लिए 2013 से ही आधार से जुड़े बैंक खातों का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए सहायता उपलब्ध कराती रही है। योजना का जिलावार विवरण तालिका प 12.11 (परिशिष्ट) में उपलब्ध है।

**चार्ट 12.9 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव**

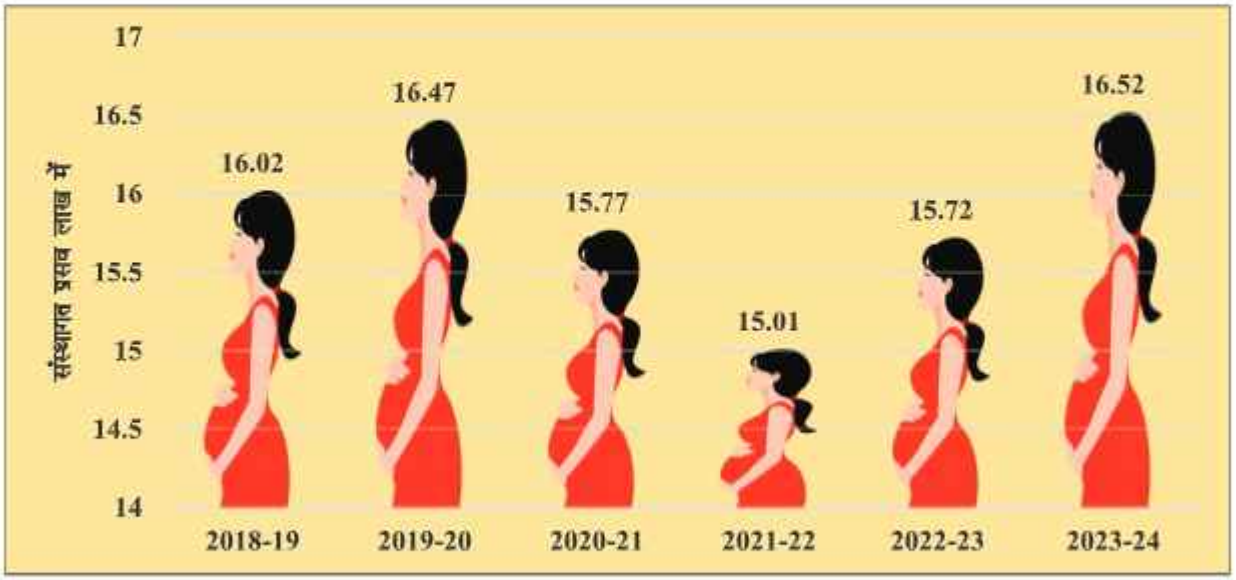


स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## प्रतिरक्षण

प्रतिरक्षण जीवनघाती संचारी रोगों पर नियंत्रण और उनसे बचाव के लिए प्रमाणित साधन है। यह सबसे सफल और किफायती स्वास्थ्य निवेशों में से एक है जिसकी आजमाई हुई रणनीतियां सर्वाधिक दुर्गम स्थानों और अरक्षित समुदायों के लिए भी इसे सुगम बना देती हैं। इसका सुस्पष्ट लक्ष्य समूह है। आउटरीच गतिविधियों के जरिए इसे प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है और टीकों के लिए जीवनशैली में बदलाव की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बिहार में 12 से 23 महीने उम्र के बच्चों में पूर्ण प्रतिरक्षण का अनुपात काफी बढ़ा है और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के 11.6 प्रतिशत से 59.4 प्रतिशत अंक बढ़कर राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) में 71.0 प्रतिशत हो गया। सबको लक्षित करने वाले अच्छी तरह क्रियान्वित प्रतिरक्षण से टीकों के जरिए बचाव लायक रोगों के बोझ में कमी लाने में काफी मदद मिलेगी जिससे 2030 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति 1000 जीवित प्रसव के नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में प्रासंगिक आंकड़े तालिका 12.7 में प्रस्तुत हैं। ये आंकड़े प्रतिरक्षण के पांच घटकों के बारे में हैं - टीडी (टेटनस-रोधी), बीसीजी, ओपीवी (मौखिक पोलियो टीका), पेंटा और खसरा। नवीनतम (2023-24 के) आंकड़ों पर नजर डालने पर दिखता है कि अधिकांश टीकों के आच्छादन के मामले में बिहार ने 75 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की है। अपवाद सिर्फ मौखिक पोलियो वैक्सिन अर्थात ओपीवी (0) है जिसके मामले में ही आच्छादन अभी भी 59.8 प्रतिशत है।

**तालिका 12.7 : बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन**

| एंटीजेन का नाम | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य (हजार) | उपलब्धि (हजार) | लक्ष्य (हजार) | उपलब्धि (हजार) | लक्ष्य (हजार) | उपलब्धि (हजार) |
| टीटी2 + बूस्टर (पी.डब्ल्यू) | 3469 | 2422 (69.8) | 3441 | 2951 (85.8) | 3488 | 2733 (78.4) |
| बीसीजी | 3285 | 2364 (72.0) | 3097 | 2572 (83) | 3143 | 2567 (81.7) |
| ओपीवी 0 | 3285 | 1631 (49.6) | 3097 | 1822 (58.8) | 3143 | 1881 (59.8) |
| ओपीवी 1 | 3285 | 2471 (75.2) | 3097 | 2887 (93.2) | 3143 | 2674 (85.1) |
| ओपीवी 2 | 3285 | 2332 (71.0) | 3097 | 2954 (95.4) | 3143 | 2598 (82.7) |
| ओपीवी 3 | 3285 | 2153 (65.5) | 3097 | 2885 (93.2) | 3143 | 2499 (79.5) |
| पेंटा-1 | 3285 | 2483 (75.6) | 3097 | 2894 (93.4) | 3143 | 2723 (86.6) |
| पेंटा-2 | 3285 | 2341 (71.3) | 3097 | 2959 (95.5) | 3143 | 2655 (84.5) |
| पेंटा-3 | 3285 | 2167 (66.0) | 3097 | 2889 (93.3) | 3143 | 2555 (81.3) |
| खसरा (एमआर-1) | 3285 | 2554 (77.7) | 3097 | 3018 (97.4) | 3143 | 2724 (86.7) |

टिप्पणी : 1. 2015-16 में डीपीटी की जगह पेंटावैलेंट ने ले ली है।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।
3. 2019 से टीटी की जगह टीडी ने ले ली है।
स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## मुख्य रोगों की व्याप्ति

महामारी संबंधी ठोस अनुसंधान पर आधारित अनुमान प्रभावी लोक नीति के लिए बुनियाद उपलब्ध कराते हैं। बिहार और भारत में स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या के रूप में संचारी और असंचारी, दोनो प्रकार के प्रकार के रोगों की

अभी भी व्याप्ति है। बिहार में मुख्य रोगों के बारे में सूचनाएं तालिका 12.8 में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट है कि 2023-24 में कुत्ता काटना बिहार में बीमारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था जिसके 244.37 हजार रोगी सामने आए थे। अगली प्रमुख श्रेणी तीव्र डायरिया रोग की थी जिसके 25.64 हजार रोगी थे। वर्ष 2023-24 में अन्य महत्वपूर्ण रोगों के मामले में जानकारी तालिका 12.8 में दी गई है। वर्ष 2023-24 में रोगियों की कुल संख्या 357.58 हजार थी। वहीं, मुख्य रोगों के जिलावार आंकड़े तालिका प 12.12 (परिशिष्ट) में दिए गए हैं।

**तालिका 12.8 : बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता**

(रोगियों की संख्या हजार में)

| रोग | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तेज अतिसार (तीव्र जठरांत्र शोथ सहित) | 308.31 (11.2) | 21.07 (8.4) | 12.32 (8) | 22.36 (6.6) | 25.64 (7.2) | 11.01 (6.3) |
| खूनी पेचिश | 146.84 (5.3) | 11.32 (4.5) | 5.97 (3.9) | 18.18 (5.4) | 22.58 (6.3) | 11.48 (6.6) |
| वायरल हिपेटाइटिस | 24.57 (0.9) | 14.41 (5.7) | 5.82 (3.8) | 1.15 (0.3) | 0.6 (0.2) | 0.59 (0.3) |
| आंत्र ज्वर (टायफायड) | 130.45 (4.7) | 9.32 (3.7) | 3.47 (2.3) | 26.6 (7.9) | 24.43 (6.8) | 11.67 (6.7) |
| मलेरिया | 19.31 (0.7) | 2.91 (1.2) | 1.85 (1.2) | 45.53 (13.4) | 22.58 (6.3) | 13.91 (7.9) |
| तीव्र श्वास संक्रमण (एआरआइ)/ इनफ्लुएंजा जैसी बीमारी (आइएलआइ) | 901.6 (32.8) | 64.79 (25.8) | 49.58 (32.2) | 17.67 (5.2) | 17.38 (4.9) | 12.1 (6.9) |
| कुत्ता काटना | 312.63 (11.4) | 41.51 (16.5) | 28.73 (18.6) | 207.18 (61.2) | 244.37 (68.3) | 114.45 (65.3) |
| **योगफल** | **2748.53 (100)** | **251.45 (100)** | **154.08 (100)** | **338.66 (100)** | **357.58 (100)** | **175.2 (100)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

2005 में शुरू हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में दो उप-मिशन शामिल हैं - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)। इसके कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल एवं किशोरवय स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) तथा संचारी और असंचारी रोग शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी नागरिकों को यथोचित, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने की बात सोची गई है जो जवाबदेह और लोगों की जरूरतों के प्रति अनुक्रियाशील हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तपोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सा होता है। मिशन लोक स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सेवा प्रदान को मजबूती देने के लिए राज्यों को वित्तपोषित करने और सहयोग देने का मुख्य साधन है। राज्यों को होने वाला वित्तपोषण राज्य की कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआइपी) पर आधारित होता है। राज्य की कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं में निम्नलिखित मुख्य पूल शामिल होते हैं - (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (एनआरएचएम आरसीएच) संबंधी फ्लेक्सीबल पूल, (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का फ्लेक्सीबल पूल, (ग) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल, (घ) असंचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल, और (च) अवसंरचना का रखरखाव। हालांकि 2022-23 से मिशन के सारे पूल एक साथ मिला दिए गए हैं

(तालिका 12.9)। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच मिशन के तहत स्वास्थ्य समितियों को वितरित कुल धनराशि 26 प्रतिशत बढ़ी। वहीं, 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में धनराशि का वितरण 43 प्रतिशत बढ़ गया। धनराशि वितरण का जिलावार विवरण तालिका प 12.13 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 12.9 : स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि**

(लाख रु.)

| वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एनआरएचएम A | 63628.6 | 50363 | 86843 | 53855.5 | | |
| एनआरएचएम B | 70676 | 115147 | 153149 | 66513.4 | | |
| एनआरएचएम C | 15469.1 | 13005 | 8300.9 | 5573.3 | | |
| एनआरएचएम D | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 134599.5 | 1,92,828.35 |
| एनआरएचएम E | 44.5 | 138 | 99 | 133.9 | | |
| एनआरएचएम F | 2306.6 | 6300 | 6627 | 7107.2 | | |
| एनआरएचएम G | 354 | 285 | 197 | 1860 | | |
| **योगफल** | **152485.9** | **185244** | **255215.9** | **135043.3** | **134599.5** | **1,92,828.35** |

टिप्पणी : रा.ग्रा.स्वा.मि. : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

### स्वास्थ्य विभाग की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां

**नई रेफरल नीति** : पटना के अस्पतालों और अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में रोगियों को रेफर करने की आदत रोकने के लिए नई रेफरल नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत, रोगियों का पहले पूरा इलाज किया जाएगा और उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर रोग की श्रेणी के अनुसार उन्हें अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। इस प्रणाली से एंबुलेंस और द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं से अनावश्यक दवाब घटेगा।

**रक्त बैंक की स्थापना** : रक्त की नियमित आपूर्ति के लिए रक्त बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति कि लिए पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में 2023 में रक्त बैंक स्थापित किया गया। अभी राज्य में 116 रक्त बैंक और 71 रक्त संग्रहण इकाइयां काम कर रही हैं। सभी रक्त केंद्रों के बारे में ई-रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध है।

**मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना (एमडीएचवाइ)** : मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का आरंभ करके बिहार डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए बुनियादी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य हो गया है। अभी यह योजना 20 जिलों में लागू है। इस योजना के तहत ओपीडी के लिए ऑनलाइन अपाइंटमेंट, सबसे नजदीकी अस्पतालों और डॉक्टरों के बारे में जानकारी, घर पर आयुष्मान भारत पहचान-पत्र बनवाने की सुविधा, चौबीसो घंटे आपात चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

## 12.3 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

बेहतर जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं का उन्नत लोक स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हर व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए टिकाऊ आधार पर पर्याप्त सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने और सबसे लिए स्वच्छता का आच्छादन हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक परिणामोन्मुख कदम

उठाए हैं। वाश के नाम से ज्ञात जल, स्वच्छता और साफ-सफाई का लोगों, खास कर महिलाओं और लड़कियों पर काफी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है। समर्पित लक्ष्यों के साथ वाश को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-6) में शामिल करना लोक स्वास्थ्य और सतत विकास के मामले में इसके आवश्यक योगदान को रेखांकित करता है। एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 में 98 अंकों के साथ बिहार का देश में तीसरा स्थान था।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार गत पांच वर्षों में बिहार में पेयजल और स्वच्छता की सुविधा में सुधार दिखा है। उन्नत पेयजल-स्रोत वाले परिवारों के मामले में 0.8 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है जो 2015-16 के 98.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 99.2 प्रतिशत हो गया। साथ ही, इस अवधि में स्वच्छता सुविधाओं के मामले में भी बिहार में काफी तेजी आई है जो 2015-16 के 26.5 प्रतिशत से 22.9 प्रतिशत अंक सुधरकर 2019-20 में 49.4 प्रतिशत हो गया।

## पेयजल आपूर्ति : हर घर नल का जल (एचजीएनजे)

ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों में वहनीय और टिकाऊ जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने सितंबर 2016 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के 'हर घर नल का जल' कार्यक्रम का आरंभ किया था। योजना के तहत, राज्य के हर गांव और इलाके के लोगों के गहन सहयोग से राजकीय अभिकरणों के जरिए राज्य के लगभग दो करोड़ परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल उपलब्ध कराने का इरादा है।

मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना सात निश्चयों में से एक है। यह योजना ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में तीन योजनाएं हैं - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र), मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र) और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। पहली योजना के तहत वे क्षेत्र आते हैं जहां अधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराइड या आयरन की मौजूदगी के कारण भूजल की गुणवत्ता खराब है। वहीं, दूसरी योजना के तहत वे ग्राम पंचायत आते हैं जहां पानी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं है और योजना शुरू होने के पहले पाइप से जलापूर्ति शुरू हो गई थी। और तीसरी योजना पंचायती राज विभाग से संबंधित है जहां ग्राम पंचायत की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (विम्स) को पाइप से जलापूर्ति की योजना का निर्माण कार्य कराने के लिए निष्पादन अभिकरण बनाया गया है। हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहज पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाएं संचालन एवं रखरखाव के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को हस्तांतरित कर दी गई हैं। तदनुरूप, जून 2023 से अक्तूबर 2023 के बीच 58,003 वार्डों में क्रियान्वित योजनाएं सुगम संचालन एवं रखरखाव के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर दी गईं। वहीं, शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन नगर निकायों द्वारा होता है।

सभी 56,447 वार्डों में वार्ड-स्तरीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद 10,719 बचे गांव/ टोलों को हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत अनाच्छादित पाया गया है। इन बचे गांव/ टोलों के आच्छादन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के बाद इन बचे गांव/ टोलों में टैप वाले पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए की प्रक्रिया जारी है (तालिका प 12.14 - परिशिष्ट)।

## भौतिक और वित्तीय प्रगति

सितंबर 2024 तक 1,14,050 ग्रामीण वार्डों में से 1,13,825 का आच्छादन हो चुका है और लगभग 1.74 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर में टैप से मिल रहे पानी का कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध है। इसके लिए इस अवधि तक परियोजना पर कुल 24,955.92 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। विवरण तालिका 12.10 में प्रस्तुत हैं। वहीं, हर घर नल का जल योजना के तहत जिलावार आच्छादन तालिका प 12.15 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है।

तालिका 12.10 : भौतिक और वित्तीय उपलब्धि

| वर्ष | भौतिक उपलब्धि | | वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| | वार्ड | घरेलू कनेक्शन | |
| 2016-17 | 730 | 266293 | 2473.13 |
| 2017-18 | 3027 | 525338 | 3343.53 |
| 2018-19 | 18680 | 599814 | 3443.31 |
| 2019-20 | 33319 | 5474207 | 7009.99 |
| 2020-21 | 54507 | 5515283 | 2996.16 |
| 2021-22 | 2990 | 4029677 | 2282.34 |
| 2022-23 | 435 | 266576 | 1508.78 |
| 2023-24 | 27 | 4212 | 1566.19 |
| 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | 110 | 732750 | 332.49 |
| **योगफल** | **113825** | **17414150** | **24955.92** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

## स्वच्छता

राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति, बिहार को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सर्वत्र स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के जरिए सफाई के स्तरों में सुधार के लिए व्यापक रणनीति अपनाई है। व्यापक स्वच्छता आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' के तहत दो और योजनाएं शुरू की गई हैं - (1) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए), और (2) शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एपीएल परिवारों को सहायता देने के लिए कृतसंकल्प है जिसके तहत एपीएल हों या बीपीएल, सभी परिवारों को 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 4000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना के तहत उन्हें 8000 रु. की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि सभी परिवारों को कुल 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो जाय। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का क्रियान्वयन जून 2016 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से लेकर ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। तब से जीविका भी मिशन उन्मुखी तरीके में काम कर रही है जिससे व्यवहार परिवर्तन के जरिए लाभार्थी के नेतृत्व में मांग-आधारित मॉडल को बढ़ावा मिलता है। इच्छित व्यवहार परिवर्तन करने के लिएजीविका के स्वयं सहायता समूह आधारित बड़े आधार का उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय में 60:40 के अनुपात में बंटवारा होता है।

## लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का दूसरा चरण और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को टिकाए रखना सुनिश्चित करने के लिए लक्षित जनांदोलन को बढ़ावा देकर बिहार के व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता को विशेष रूप से बढ़ावा देते हैं। समुदाय के सदस्यों द्वारा सुरक्षित साफ-सफाई का व्यवहार जारी रखा गया है और सभी गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है।

अभी 7764 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। अभियान के दूसरे चरण के लिए 2024-25 में निम्नलिखित विशेष उद्देश्य रेखांकित किए गए हैं जो सात निश्चयों में से एक 'स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव' के अति महत्वपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए लक्षित हैं।

- नए और प्रवासी परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 6.66 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। लाभार्थी इन शौचालयों का खुद निर्माण करने के बाद प्रोत्साहन राशि पाएंगे।
- अधिक सामुदायिक शौचालय संकुलों का निर्माण किया जाएगा।
- शेष सभी ग्राम पंचायतों (289) में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन की योजना है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन - ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए राज्य के चुनिंदा प्रखंडों में 55 से भी अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अभी तक सभी जिलों में 143 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां काम कर रही हैं।
- गोबर-धन योजना के तहत शेष सात जिलों में सामुदायिक या संकुल स्तर पर गोबर-गैस इकाइयां शुरू करने का लक्ष्य है। इससे गांवों, गोशालाओं, दुग्धशालाओं आदि से निकलने वाले कृषि और जैव अपशिष्ट का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। अभी तक 31 गोबर-धन इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया है।

साफ-सफाई और स्वास्थ्य के बीच स्पष्ट संबंध है। गत पांच वर्षों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में काफी प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में ऐसे 8.4 लाख और 2023-24 में 8.3 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की संख्या बढ़ने से डायरिया जैसे जल-जनित रोगों के मामलों में कमी आएगी। सामुदयिक स्वच्छता संकुल के निर्माण के संबंध में बात करें, तो 2022-23 में 644 संकुलों का और 2023-24 में 62 संकुलों का निर्माण किया गया (तालिका 12.11)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के मामले में जिलावार आच्छादन तालिका प 12.15 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 12.11 : स्वच्छता के तहत प्रगति**

(आंकड़े संख्या में)

| वर्ष | व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण (एपीएल+बीपीएल) | सामुदायिक स्वच्छता संकुल का निर्माण |
|---|---|---|
| 2019-20 | 1513680 | 396 |
| 2020-21 | 400864 | 6266 |
| 2021-22 | 16453 | 2778 |
| 2022-23 | 841255 | 644 |
| 2023-24 | 830384 | 62 |
| 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | 302132 | 14 |

टिप्पणी : 2019-20 से सामुदायिक स्वच्छता संकुलों का निर्माण जीविका के तहत शुरू हुआ।

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत वित्तीय स्थिति चार्ट 12.10 में और राज्य योजना की योजनाओं के तहत जलापूर्ति योजनाओं की भौतिक उपलब्धि तालिका 12.12 में दर्शाई गई है।

**चार्ट 12.10 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत कुल और राजस्व व्ययों तथा पूंजीगत परिव्यय की स्थिति**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 12.12 : राज्य योजना की योजनाओं के तहत जलापूर्ति के लिए भौतिक उपलब्धियां**

(आंकड़े संख्या में)

| वर्ष | पुराने चापाकलों को बदलना | हर घर नल का जल के तहत वार्ड-वार लक्ष्य |
|---|---|---|
| 2016-17 | 3139 | 844 |
| 2017-18 | 11720 | 490 |
| 2018-19 | 8450 | 1521 |
| 2019-20 | 10958 | 9398 |
| 2020-21 | 4400 | 41693 |
| 2021-22 | — | 1705 |
| 2022-23 | 6100 | 271 |
| 2023-24 | 5430 | 27 |
| 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | 6245 | 456 |

टिप्पणी : सात निश्चय कार्यक्रम की हर घर नल का जल योजना के तहत वार्डवार आच्छादन में पाइप आधारित जलापूर्ति योजना और पंचायती राज विभाग द्वारा किए गए कार्यों का आच्छादन भी शामिल है।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**पाइप से जलापूर्ति योजना की प्रणाली का संचालन एवं रखरखाव**

सरकार ने पाइप से जलापूर्ति की योजनाओं के दीर्घकालिक अनुरक्षण के लिए संचालन एवं रखरखाव संबंधी दिशानिर्देश स्वीकृत किए हैं। दीर्घकालिक रखरखाव के 10 सिद्धांत चिन्हित किए गए हैं और निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकृत की गई हैं।

| | |
|---|---|
| 1 | योजना के कमांड क्षेत्र में सभी परिवारों को घर में कनेक्शन |
| 2 | नियत समय पर लगातार जलापूर्ति |
| 3 | पर्याप्त दबाव के साथ जलापूर्ति |
| 4 | पंप ऑपरेटरों द्वारा रिकॉर्ड संधारण |
| 5 | उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समय से निराकरण |
| 6 | जन चौपाल में मासिक बैठक |
| 7 | मासिक उपयोग शुल्क का नियमित भुगतान |
| 8 | पानी के गुणवत्ता की नियमित जांच |
| 9 | उपभोक्ताओं की संतुष्टि का त्रैमासिक सर्वेक्षण |
| 10 | उपभोक्ता के स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन |

## 12.4 शिक्षा और युवा

शिक्षा बच्चों को आवश्यक ज्ञान और कौशलों से लैश करने और उनका सशक्तीकरण करने के लिए बुनियाद है जिससे वे उत्पादक काम के अवसरों को सुनिश्चित करने में सक्षम होते हैं। शिक्षा प्रणाली को जनसंख्या की सक्रियता में बदलाव, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, किफायती व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा की उपलब्धता, और नवाचार तथा शोध में उन्नति जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' क उद्देश्य की पहचान सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 में 2030 तक "सबके लिए समावेशी और उचित शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देने" के प्रयास के रूप में की गई है। वर्ष 2020 में शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेप) अभी इसके क्रियान्वयन के चौथे साल में है। यह एक रणनीतिक रूपरेखा है जो सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्यों के साथ संरेखित ही नहीं है, युवा व्यक्तियों को 21-वीं सदी की ज्ञान-वाहित अर्थव्यवस्था से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों से जूझने के लिए भी तैयार करती है। इस खंड में बिहार में शिक्षा की स्थिति को साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, छीजन दर, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या, शिक्षा पर व्यय, पीएम-पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान और अन्य प्रासंगिक योजनाओं के लिहाज से प्रस्तुत किया गया है।

### साक्षरता दर

भारत में 2011 में सात वर्ष और उससे ऊपर की कुल आबादी का 74 प्रतिशत हिस्सा साक्षर था जो 2001 में 65 प्रतिशत ही था। हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों की साक्षरता दरों में हुए दशकीय अंतर की तुलना करने पर दिखता है कि गत दशक में बिहार की साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ जो 2001 के 47.0 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। इसका अर्थ 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। यहां उल्लेखनीय है कि यह दशकीय वृद्धि

सिर्फ बिहार में 1971 से हुई दशकीय वृद्धि दरों में ही सर्वाधिक नहीं थी, 2001-11 के दशक में देश के सभी राज्यों के बीच भी सर्वाधिक थी। चार्ट 12.11 में हिंदी हृदय प्रदेश में 1971 से 2011 के बीच साक्षरता दरों का रुझान प्रस्तुत किया गया है।

**चार्ट 12.11 : हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों में साक्षरता दरों के रुझान**

## प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा

राज्य में शिक्षा की उन्नति प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के स्तरों पर हुए समानांतर विकासों पर निर्भर करती है। हालांकि बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि यह विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार करती है जो बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के स्तर पर जाने के लिए तैयार करती है। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में सुधार समावेशी प्रक्रिया का भी संकेत देता है क्योंकि समाज के वंचित तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिए यह अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति दो महत्वपूर्ण सूचकांकों से व्यक्त होती है – नामांकन अनुपात और छीजन दर। ये दोनो सूचक अधिकांशत: विद्यालय, शिक्षक आदि शैक्षिक अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षाशास्त्र (शिक्षा का सिद्धांत और व्यवहार) से प्रभावित होते हैं। बिहार जैसे राज्य के लिए यह खास तौर पर सही है जहां अधिकांश परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और सरकारी विद्यालयों पर पूरी तरह निर्भर हैं।

## प्रारंभिक स्तर पर नामांकन

बिहार में 2019-20 से 2023-24 तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा में कुल नामांकन को तालिका 12.13 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 112.09 लाख था जिसमें 58.19 लाख लड़के थे और 53.90 लाख लड़कियां। वहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 56.22 लाख था जिसमें 28.48 लाख लड़के थे और 27.74 लाख लड़कियां थीं। इस प्रकार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन 168.31 लाख था जिसमें 86.67 लाख लड़के थे और 81.64 लाख लड़कियां।

प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों का कुल नामांकन क्रमश: 33.50 लाख और 3.26 लाख था। परिशिष्ट की तालिका प 12.17 में सभी विद्यार्थियों का, तालिका प 12.18 में अजा विद्यार्थियों का और तालिका प 12.19 में अजजा विद्यार्थियों का जिलावार कुल नामांकन प्रस्तुत है।

**तालिका 12.13 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन**

(संख्याएं लाख में)

| विद्यार्थियों का स्तर/ प्रकार | प्राथमिक | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़के | | | लड़कियां | | | सभी | | |
| | संयुक्त | अजा | अजजा | संयुक्त | अजा | अजजा | संयुक्त | अजा | अजजा |
| 2019-20 | 71.34 | 14.32 | 1.76 | 68.13 | 13.45 | 1.62 | 139.47 | 27.27 | 3.38 |
| 2020-21 | 73.77 | 15.48 | 1.99 | 68.39 | 14.49 | 1.82 | 142.16 | 29.97 | 3.81 |
| 2021-22 | 75.91 | 16.11 | 2.14 | 70.15 | 15.13 | 1.95 | 146.06 | 31.24 | 4.09 |
| 2022-23 | 68.11 | 13.72 | 1.36 | 62.61 | 12.98 | 1.22 | 130.73 | 26.70 | 2.58 |
| 2023-24 | 58.19 | 11.82 | 1.18 | 53.90 | 11.28 | 1.06 | 112.09 | 23.10 | 2.24 |
| | **उच्च प्राथमिक** | | | | | | | | |
| 2019-20 | 35.03 | 6.14 | 0.76 | 34.26 | 5.92 | 0.76 | 69.29 | 12.06 | 1.52 |
| 2020-21 | 34.76 | 6.48 | 0.79 | 35.52 | 6.47 | 0.81 | 70.28 | 12.95 | 1.6 |
| 2021-22 | 36.36 | 6.95 | 0.87 | 36.18 | 6.84 | 0.87 | 72.54 | 13.79 | 1.74 |
| 2022-23 | 31.82 | 5.91 | 0.58 | 31.63 | 5.85 | 0.58 | 63.46 | 11.75 | 1.15 |
| 2023-24 | 28.48 | 5.25 | 0.52 | 27.74 | 5.15 | 0.51 | 56.22 | 10.40 | 1.02 |
| | **सभी** | | | | | | | | |
| 2019-20 | 106.37 | 20.46 | 2.52 | 102.39 | 19.37 | 2.38 | 208.76 | 39.83 | 4.9 |
| 2020-21 | 108.53 | 21.95 | 2.79 | 103.91 | 20.96 | 2.62 | 212.44 | 42.92 | 5.41 |
| 2021-22 | 112.27 | 23.06 | 3.01 | 106.32 | 21.97 | 2.82 | 218.59 | 45.03 | 5.83 |
| 2022-23 | 99.94 | 19.62 | 1.94 | 94.25 | 18.83 | 1.8 | 194.18 | 38.45 | 3.74 |
| 2023-24 | 86.67 | 17.07 | 1.695 | 81.64 | 16.43 | 1.569 | 168.31 | 33.50 | 3.26 |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## छीजन दर

उच्च नामांकन की उपलब्धि तभी महत्वपूर्ण होती है जब नामांकित विद्यार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखें। छीजन दर के कारणों को आम तौर अनेक श्रेणियों में समूहित किया जा सकता है : सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षण विधियां, प्रशासनिक प्रचलन और अवसंरचना। बिहार में ये सारे कारक किसी न किसी हद तक मौजूद हैं। सोच-विचारकर ऐसी बचावमूलक कार्रवाइयों और हस्तक्षेप संबंधी रणनीतियों की योजना बना लेना जरूरी है जिनका क्रियान्वयन विद्यालय छोड़ने की जोखिम वाले विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए किया जा सके। तालिका 12.14 में दिखता है कि विगत वर्षों के दौरान छीजन दरों में काफी कमी आई है। माध्यमिक स्तर पर भी 2019-20 से 2023-24 के बीच इसी तरह से 62.25 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। यह भी प्रशंसा की बात है कि इस अवधि में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की छीजन दरों में अधिक गिरावट आई है।

**तालिका 12.14 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें**

| वर्ष | प्राथमिक | | | उच्च प्राथमिक | | | माध्यमिक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़कियां | लड़के | संयुक्त | लड़कियां | लड़के | संयुक्त | लड़कियां | लड़के | संयुक्त |
| 2019-20 | 20.4 | 24.8 | 22.7 | 37.3 | 40.1 | 38.8 | 66.7 | 60.8 | 63.5 |
| 2020-21 | 2.13 | 3.39 | 2.77 | 3.39 | 2.13 | 2.77 | 22.67 | 20.01 | 21.36 |
| 2021-22 | 4.02 | 5.21 | 4.62 | 5.21 | 4.02 | 4.62 | 21.43 | 19.49 | 20.46 |
| 2022-23 | 16.99 | 14.58 | 15.79 | 14.58 | 16.99 | 15.79 | 5.37 | 7.05 | 6.21 |
| 2023-24 | 8.92 | 9.19 | 9.06 | 26.19 | 26.44 | 26.31 | 1.26 | 1.23 | 1.25 |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 12.15 में बिहार में 2019-20 से 2023-24 के बीच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा और अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें प्रस्तुत की गई हैं। तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि इस अवधि में अजा और अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरों में भी उत्तरोत्तर कमी आई है। माध्यमिक स्तर पर अजा लड़कों की छीजन दरों में 2019-20 से 2022-23 के बीच 43.9 प्रतिशत अंकों की कमी आई। इसी अवधि में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, दोनो स्तरों पर अजा लड़कियों की छीजन दरें अजा लड़कों से कम थीं।

**तालिका 12.15 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें**

| वर्ष | प्राथमिक | | | उच्च प्राथमिक | | | माध्यमिक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़कियां | लड़के | संयुक्त | लड़कियां | लड़के | संयुक्त | लड़कियां | लड़के | संयुक्त |
| **अनुसूचित जाति** | | | | | | | | | |
| 2019-20 | 21.69 | 21.62 | 21.65 | 39.66 | 44.33 | 42.10 | 62.40 | 67.15 | 65.01 |
| 2020-21 | 0.30 | 0.47 | 0.39 | 5.72 | 5.64 | 5.68 | 20.28 | 19.08 | 19.67 |
| 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 5.72 | 5.64 | 5.68 | 22.18 | 20.68 | 21.42 |
| 2022-23 | 5.39 | 6.62 | 6.02 | 11.91 | 14.38 | 13.15 | 11.15 | 11.78 | 11.46 |
| 2023-24 | 10.46 | 10.89 | 10.68 | 27.64 | 28.49 | 28.07 | 1.54 | 1.30 | 1.43 |
| **अनुसूचित जनजाति** | | | | | | | | | |
| 2019-20 | 6.36 | 17.23 | 12.27 | 25.10 | 36.48 | 31.22 | 10.61 | 42.98 | 30.12 |
| 2020-21 | 0.89 | 2.16 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 14.11 | 15.88 |
| 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 16.73 | 16.87 |
| 2022-23 | 29.80 | 29.97 | 29.89 | 30.58 | 31.54 | 31.06 | 22.38 | 26.29 | 24.32 |
| 2023-24 | 9.85 | 10.32 | 10.10 | 25.65 | 26.92 | 26.29 | 2.28 | 2.46 | 2.37 |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, हर विद्यालय के स्तर पर 30:1 से कम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाना है। वहीं, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 25:1 के नीचे रखने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2023-24 में बिहार में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की कुल संख्या 4,07,331 थी। शैक्षिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण आयाम राज्य में शिक्षकों और विद्यालयों की संख्या है। बिहार में 2023-24 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या

82,103 थी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जिलावार संख्या तालिका प 12.20 (परिशिष्ट) में और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या तालिका प 12.21 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

## शिक्षा पर व्यय

शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का अनिवार्य घटक है जो समवर्ती सूची में है। शिक्षा प्रक्रिया के जरिए इसमें समाज से जुड़े कलंकों को बदल डालने की क्षमता है। बिहार में शिक्षा पर व्यय का स्तर गत छः वर्षों में लगातार बढ़ा है। चार्ट 12.12 में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर व्यय दर्शाया गया है। शिक्षा पर कुल व्यय 2018-19 में 23,618 करोड़ रु. था जो 2023-24 में 43,224.34 करोड़ रु. हो गया। शिक्षा पर कुल व्यय की वृद्धि दर इस अवधि में 13.9 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही। स्पष्ट है कि इन सभी वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का कुल व्यय में अन्य दो श्रेणियों की तुलना में सर्वाधिक हिस्सा था।

**चार्ट 12.12 : शिक्षा क्षेत्र में व्यय के रुझान**

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

## प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)

मध्याह्न भोजन योजना अधिकार आधारित योजना थी जिसे 1995 में 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के उच्च नामांकन और संभवतः विद्यालयों में उनके प्रतिधारण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था। बच्चों के पोषण स्तर और सामाजिक समता के लिए भी योजना के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। अक्तूबर 2007 में योजना का विस्तार करके उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया और उसका नाम राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन (एमडीएमएस) कार्यक्रम कर दिया गया। वर्ष 2015-16 से योजना के खाना पकाने के व्यय और मानदेयों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में बंटवारा होता है। सितंबर 2021 से विद्यमान मध्याह्न भोजन योजना के संशोधित संस्करण के बतौर उसका नाम पुनः बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) कर दिया गया। इस योजना के तहत गर्म पके भोजन के प्रावधान का विस्तार विद्यालय पूर्व या प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका (कक्षा 1 के पहले) के बच्चों तक कर दिया गया है। इसके आवर्ती घटकों का पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। पीएम-पोषण के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्यय की स्थिति तालिका 12.16 में प्रस्तुत है। प्रशंसा की बात है कि इसके लिए वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के लिहाज से व्यय इन सभी वर्षों में 100 प्रतिशत या 100 प्रतिशत के आसपास रहा है।

**तालिका 12.16 : प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्राप्त रकम और किया गया व्यय**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट | विमुक्त रकम | | | कुल व्यय | व्यय स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के % में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भारत सरकार द्वारा | बिहार सरकार द्वारा | योगफल | | |
| 2019-20 | 1934.25 | 1093.13 | 631.65 | 1724.78 | 1790.61 | 99 |
| 2020-21 | 2284.80 | 1392.48 | 823.25 | 2215.73 | 2203.22 | 99 |
| 2021-22* | 2262.29 | 1030.16 | 620.20 | 1650.36 | 2270.56 | 100 |
| 2022-23 | 2016.66 | 969.85 | 557.57 | 1527.42 | 1512.49 | 99 |
| 2023-24# | 2151.45 | 923.23 | 533.22 | 1456.45 | 2064.92 | 100 |

टिप्पणी : * गत वर्ष की बकाया देनदारी को 2021-22 के व्यय में जोड़ दिया गया है।
# गत वर्ष के 608.47 करोड़ रु. व्यय को 2023-24 के व्यय में जोड़ दिया गया है।
स्रोत : पीएम-पोषण, बिहार सरकार

योजना के व्यापक आच्छादन के बारे में 2018-19 से 2023-24 तक की पूरी स्थिति तालिका 12.17 में दर्शाई गई है। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच पीएम-पोषण का आच्छादन प्राथमिक विद्यालयों में 62.45 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62.54 प्रतिशत था। योजना ने छीजन दरें घटाने और बच्चों में कुपोषण में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पीएम-पोषण का जिलावार आच्छादन क्रमशः तालिका प 12.22 और प 12.23 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 12.17 : पीएम-पोषण का आच्छादन**

| वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **कक्षा 1 से 5** | | | | | | |
| कुल नामांकन (लाख में) | 119.40 | 112.68 | 112.66 | 117.81 | 124.45 | 118.18 |
| रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में) | 72.64 | 71.75 | 75.65 | 75.87 | 71.59 | 72.19 |
| आच्छादन का प्रतिशत | 60.84 | 63.67 | 67.15 | 64.40 | 57.53 | 61.08 |
| **कक्षा 6 से 8** | | | | | | |
| कुल नामांकन (लाख में) | 61.55 | 59.71 | 59.39 | 61.91 | 64.05 | 61.04 |
| रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में) | 34.65 | 35.68 | 42.01 | 42.33 | 37.01 | 38.03 |
| आच्छादन का प्रतिशत | 56.29 | 59.74 | 70.73 | 68.38 | 57.78 | 62.31 |

स्रोत : पीएम-पोषण, बिहार सरकार

## कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

विद्यालयों में बच्चों का नामांकन और टिके रहना किसी भी शिक्षा प्रणाली के आकलन के लए महत्वपूर्ण है। लड़कियों की, खास कर वंचित तबकों के लड़कियों की शिक्षा चिंता की मुख्य बात है और समग्र शिक्षा की

विभिन्न गतिविधियों में लैंगिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) वंचित तबके की लड़कियों की शिक्षा को मजबूती देने के लिए नवाचारी कदम है। इसकी योजना ने राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ईबीबी) में लैंगिक अंतराल घटाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए इस योजना का आरंभ जुलाई 2004-05 में किया गया था। राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 1, 3 और 4 प्रकार के हैं अर्थात मौजूद मध्य/ उच्च विद्यालयों के साथ छात्रावास संलग्न हैं। वर्ष 2010-11 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार शैक्षिक रूप से पिछड़े उन सभी प्रखंडों में कर दिया गया जहां 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से नीचे थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार, 2025-26 तक सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक के लिए प्रोन्नत कर देना है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वर्तमान भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जाना है। राज्य में तीन प्रकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं जिनका ब्योरा तालिका 12.18 में प्रस्तुत है।

**तालिका 12.18 : नामांकन सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रकार**

(संख्या)

| विद्यालय के प्रकार | कक्षा | विद्यालय | विद्यालय | नामांकन का लक्ष्य | प्रतिशत नामांकन |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | चालू | | |
| टाइप-1 | 6 से 8 | 443 | 443 | 44300 | 43647 |
| टाइप-3 | 6 से 12 | 92 | 92 | 13400 | 12644 |
| टाइप-4 | 9 से 12 | 192 | 148 | 14800 | 9513 |
| **योगफल** | | **727** | **683** | **72500** | **65804** |

टिप्पणी : टाइप-2 बिहार के लिए उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

## प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 300 से अधिक राजकीय विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के साथ काम करना है। वर्ष 2013 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य राजकीय उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। यह केंद्रीय वित्तपोषण मानकों पर आधारित और परिणाम-निर्भर है। केंद्रीय मंत्रालय से धनराशि का प्रवाह राज्य सरकार/ केंद्रशासित क्षेत्रों के जरिए चिन्हित संस्थानों तक पहुंचता है। राज्यों को होने वाला वित्तपोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के गंभीर मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें उच्च शिक्षा में समता, पहुंच और उत्कृष्टता संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हर राज्य की रणनीति सूचीबद्ध की जाती है। इसके तहत रोजगार पाने लायक और प्रतिस्पर्धी स्नातक, स्नातकोत्तर और पी.एचडी प्रत्याशियों को तैयार करने के लिए पठन-पाठन प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार पर काफी जोर दिया जाता है।

## समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)

समग्र शिक्षा अभियान भारत का शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तरों तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। अप्रील 2018 में शुरू हुई इस पहल का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण न्यायोचित और

समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इसे हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया है। योजना के वित्तपोषण में केंद्र और राज्य सरकारों का 60:40 के अनुपात में हिस्सा होता है। समग्र शिक्षा अभियान क्षेत्र-व्यापी विकासमूलक कार्यक्रम है जिसमें सभी स्तरों पर क्रियान्वयन और आच्छादन के प्रबंधन में मदद के लिए पूर्व की केंद्र प्रायोजित योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और अध्यापक शिक्षा को समाहित कर दिया गया है। कार्यक्रम के तहत फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक पहुंच, जेंडर और समानता, समावेशी शिक्षा, डिजिटल पहलें, शिक्षाधिकार अधिनियम के हक (जैसे पोशाक और पाठ्यपुस्तकें), विद्यालय-पूर्व शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा आदि शामिल हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किए गए विभाजन का विवरण सहित बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) को 2022-23 और 2023-23 में मिली धनराशि की स्थिति तालिका 12.19 में दर्शाया गया है।

**तालिका 12.19 : समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त धनराशि की स्थिति**

(लाख रु.)

| कार्यक्रम | स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (पूर्वशेष सहित) | हिस्सा (60:40) | | केंद्रांश के बतौर भारत सरकार द्वारा विमुक्त रकम | राज्य क्रियान्वयन समिति द्वारा प्राप्त रकम | | प्राप्त रकम का प्रतिशत हिस्सा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भारत सरकार (60%) | बिहार सरकार (40%) | | भारत सरकार से | बिहार सरकार से | भारत सरकार से | बिहार सरकार से |
| **2022-23** | | | | | | | | |
| प्रारंभिक शिक्षा | 673231.3 | 403938.8 | 269292.5 | 282753.9 | 197641.1 | 139094 | 48.9 | 51.7 |
| माध्यमिक शिक्षा | 68053.9 | 40832.4 | 27221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अध्यापक शिक्षा | 479.1 | 287.5 | 191.6 | 69 | 69 | 46 | 24 | 24 |
| **योगफल** | **741764.3** | **445058.6** | **296705.7** | **282822.8** | **197710** | **139140** | **44** | **46.9** |
| **2023-24** | | | | | | | | |
| प्रारंभिक शिक्षा | 798252.1 | 478951.3 | 319300.8 | 447805.7 | 384332.1 | 256221.4 | 73.71 | 73.71 |
| माध्यमिक शिक्षा | 136144.2 | 81686.5 | 54457.67 | 50739.83 | 37877.54 | 25251.7 | 41.3 | 41.3 |
| अध्यापक शिक्षा | 11330.14 | 6798.08 | 4532.05 | 577.99 | 1963.49 | 1314.23 | 54.52 | 54.74 |
| **योगफल** | **945726.4** | **567435.8** | **378290.6** | **499123.5** | **424173.1** | **282787.3** | **68.78** | **68.78** |

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

## शिक्षा के तहत प्रमुख योजनाएं

शिक्षा विकास और प्रगति की बुनियाद है और राज्य का भविष्य गढ़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए अनेक प्रशंसनीय योजनाएं चला रही है। शिक्षा विभाग की कुछ प्रमुख राज्य योजनाओं का नीचे उल्लेख किया गया है। बच्चों से संबंधित अन्य प्रमुख योजनाओं का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण के बाल विकास पर केंद्रित अध्याय-13 में किया गया है।

### मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार ने 2018-19 में इस योजना का आरंभ लड़कियों के सशक्तीकरण और उन्हें उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते किया था। इस योजना के तहत इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पहले उन्हें 10,000 रु. दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रु. कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में इसके तहत 5.56 लाख लड़कियों के बीच कुल 1390.33 करोड़ रु. वितरित किए गए।

### मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित/ विवाहित छात्राओं को 50,000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 2018-19 में हुई थी और उन्हें 25,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। लेकिन 01 अप्रील, 2021 में इसे संशोधित कर दिया गया और अब स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली हर छात्रा को 50,000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना के तहत 2023-24 में 1.40 लाख अविवाहित/ विवाहित छात्राओं के बीच 600 करोड़ रु. वितरित किए गए।

### मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना

इस योजना का आरंभ 2014-15 में अपनी स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों के प्रति लड़कियों के संवेदनीकरण के लिए किया गया था। इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12 के बीच पढ़ने वाली हर छात्रा के खाते में 300 रु. अंतरित कर दिए जाते हैं। लेकिन यह रकम तभी अंतरित की जाती है जब सरकारी विद्यालय में उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत हो। इसके तहत 2023-24 में 9.46 लाख छात्राओं के बीच 28.40 करोड़ रु. वितरित किए गए।

#### शिक्षा के तहत नई पहलें

**विशेष कक्षाएं :** विद्यार्थियों के चौतरफा विकास के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अभियंत्रण (जेईई) और मेडिकल (नीट) की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी में मदद के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं शुरू की हैं। साथ ही, विभिन्न परीक्षाएं लेने के लिए समिति द्वारा देश का सबसे बड़ा परीक्षा संकुल 'बापू परीक्षा संकुल' विकसित किया गया है।

**कंप्यूटर प्रयोगशालाएं :** राज्य में निर्माण-स्वामित्व-संचालन मॉडल पर आधारित कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके तहत सभी मध्य विद्यालयों में 10-10 और सभी माध्यमिक विद्यालयों में 20-20 कंप्यूटर लगाए गए हैं। साथ ही, विद्यार्थियों को कंप्यूटर विज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

**शिक्षकों की नियुक्ति :** वर्ष 2023-24 के सत्र में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1,77,929 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), पटना ने अभी तक 2,95,594 प्रधानाध्यापकों/ अध्यापकों को प्रशिक्षित किया है।

## उच्च शिक्षा

हाल के समय में बिहार में विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय-स्तरीय संस्थानों एवं महाविद्यालयों की संख्या के लिहाज से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबर्दस्त विस्तार दिखा है। मानव पूंजी के विकास के लिए उच्च शिक्षा के योगदान का महत्व बिहार जैसे राज्य के लिए और भी महत्वपूर्ण है। राज्य में उच्च शिक्षा की प्रगति का आकलन उसकी सांस्थानिक क्षमता और धाराओं के लिहाज से की जाती है। शैक्षिक संस्थानों की क्षमता को शैक्षिक संस्थानों – विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों – की संख्या, शिक्षकों की संख्या और उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या के जरिए मापा जाता है। वहीं, धाराएं सामान्य, व्यावसायिक, पेशेवर या तकनीकी शिक्षा – विभिन्न प्रकृति की हो सकती हैं। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति चार्ट 12.13 में दर्शाई गई है।

**चार्ट 12.13 : बिहार की उच्च शिक्षा एक नजर में**

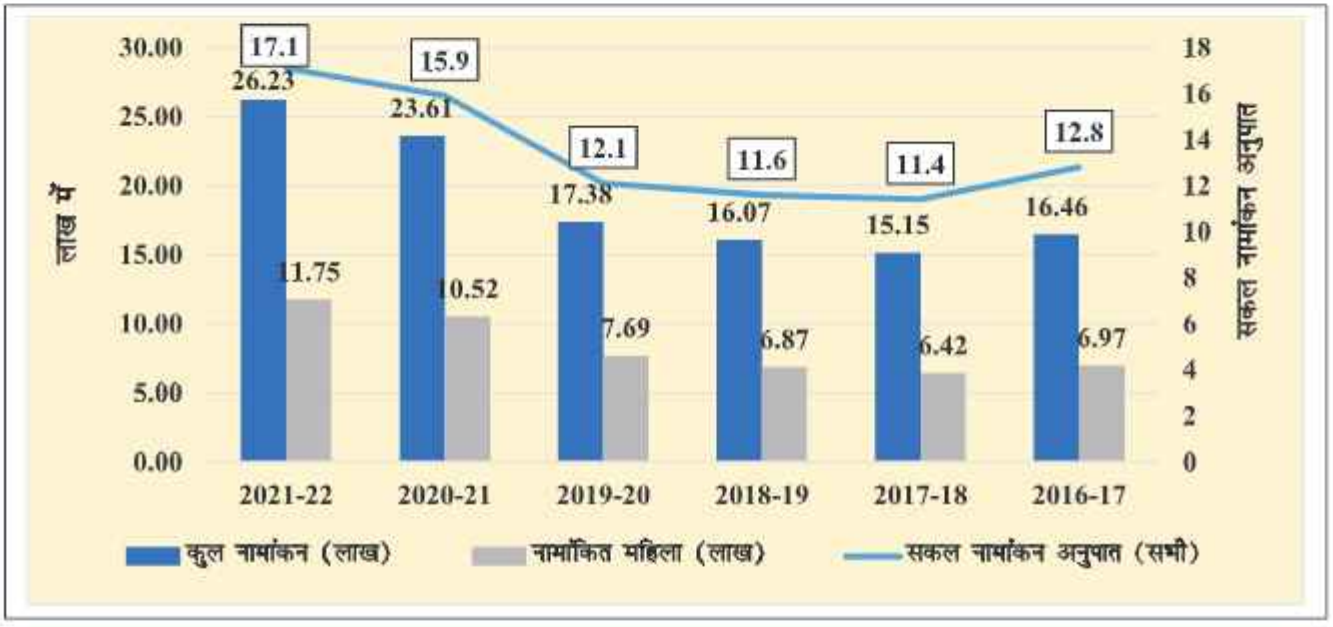


स्रोत : अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआइएसएचई), भारत सरकार

बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य और तकनीकी, दोनो धाराओं की महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा शामिल है। वर्ष 2023-24 में राज्य में 39 विश्वविद्यालय चल रहे थे जिनमें से 19 राजकीय विश्वविद्यालय, 6 राष्ट्रीय महत्ववान संस्थान, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक समकक्ष (डीम्ड) विश्वविद्यालय, 1 राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत गठित संस्थान और 1 मुक्त विश्वविद्यालय थे जबकि अन्य 7 निजी विश्वविद्यालय थे। राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों का विवरण तालिका 12.20 में प्रस्तुत है। वहीं, संबद्ध और अंगीभूत महाविद्यालयों का जिलावार ब्योरा तालिका प 12.24 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद (एनएएसी) द्वारा अपनी प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन किया जाता है कि कोई संस्थान विद्यार्थियों के बीच लैंगक समानता और संवदेनशीलता को कितना अधिक बढ़ावा देता है। सक्षमता बढ़ाने के लिए परिषद डिजिटल माध्यमों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। इसे 'सांस्थानिक मूल्यों' का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वर्ष 2023-24 में 5 विश्वविद्यालयों और 74 महाविद्यालयों को परिषद का प्रमाणन हासिल हुआ है (तालिका 12.21)।

## तालिका 12.20 : उच्च शिक्षा के संस्थान

(संख्या में)

| संस्थानों का प्रकार/ वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **विश्वविद्यालय** | | | | | | |
| केंद्रीय विश्वविद्यालय | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| राष्ट्रीय महत्ववान संस्थान | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्थान | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| समकक्ष (डीम्ड) विश्वविद्यालय | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| राजकीय प्राइवेट विश्वविद्यालय | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **योगफल** | **33** | **35** | **37** | **37** | **37** | **39** |
| शोध संस्थान | | | | | | |
| **महाविद्यालय** | | | | | | |
| सरकारी महाविद्यालय/ अंगीभूत महाविद्यालय | 280 | 284 | 286 | 286 | 284 | 293 |
| स्थानीय निकाय महाविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालय | 575 | 609 | 755 | 811 | 894 | 895 |
| स्नातकोत्तर केंद्र/ परिसरेतर केंद्र | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| मान्यता-प्राप्त केंद्र | 28 | 27 | 28 | 28 | 4 | 4 |
| **योगफल** | **892** | **929** | **1071** | **1128** | **1187** | **1197** |
| **शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र/ अभियंत्रण महाविद्यालय** | | | | | | |
| शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (प्राथमिक) | 31 | 34 | 60 | 63 | 63 | 64 |
| अभियंत्रण महाविद्यालय | 19 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| पॉलीटेकनीक | 54 | 61 | 64 | 64 | 67 | 67 |
| **योगफल** | **104** | **133** | **177** | **180** | **183** | **184** |

स्रोत : अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23, भारत सरकार और उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका 12.21 : बिहार में प्रमाणित संस्थानों का ग्रेड-वार वितरण

| ग्रेड | विश्वविद्यालय | महाविद्यालय | योगफल |
|---|---|---|---|
| ए++ | 1 | 1 | **2** |
| ए+ | | 1 | **1** |
| ए | | 1 | **1** |
| बी++ | 1 | 4 | **5** |
| बी + | 1 | 4 | **5** |
| बी | 1 | 32 | **33** |
| सी | 1 | 27 | **28** |
| डी | | 4 | **4** |
| **योगफल** | **5** | **74** | **79** |

स्रोत : अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23, भारत सरकार और उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तकनीकी शिक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमेशा ही हमारी सामाजिक और व्यवहारमूलक संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं जिन्हें विभिन्न रूपों में तकनीकी शिक्षा से समर्थन मिलता रहा है। इसके मिशन और गतिविधियों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए जून 2023 में विभाग का नाम बदलकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीएसटीटीई) कर दिया गया है। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) द्वारा स्थापित मानकों को पूरा करे। राज्य के सात निश्चयों के अनुरूप विभाग राज्य के विद्यार्थियों का न्यूनतम खर्च पर उच्च-स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है।

## सांस्थानिक व्यवस्था

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा से संबंधित जरूरतों की पूर्ति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विभिन्न संस्थानों की स्थापना की है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में की गई और मार्च 2023 से राज्य में अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले महाविद्यालय तथा संस्थान इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए हैं। वहीं, बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (बीसीएसटी) की 1984 में और राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद (एसबीटीई) की 1955 में स्थापना की गई थी। बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का फोकस पूरे बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने पर है जबकि राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए जवाबदेह है। विकेंद्रित योजना निर्माण और सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित सभी संस्थानों के लिए 'संस्थान विकास समिति' के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, इन संस्थनों में आत्मनिर्भर परितंत्र अपनाने के लिए परामर्श नीति भी विकसित की गई है।

## अवसंरचना

सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम और 'अवसर बढ़े, आगे पढ़े' के रूप में मशहूर और युवा अप मिशन के अंग के बतौर राज्य के हर जिले में कम से कम एक अभियंत्रण महाविद्यालय और एक पॉलीटेकनीक संस्थान की स्थापना की गई है। अभी राज्य के 38 जिलों में 38 सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय और 46 सरकारी पॉलीटेकनीक काम कर रहे हैं (तालिका प 12.25 और तालिका प 12.26 - परिशिष्ट)। इन संस्थानों में प्रशासनिक और अकादमिक ब्लॉक, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा संकाय सदस्यों के लिए निवास सहित आधुनिक अवसंरचना मौजूद हैं। उनमें सुसज्जित वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, सभागार और स्मार्ट वर्गकक्ष जैसी उच्च-स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं और इन सारी चीजों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा देने के लिहाज से तैयार किया गया है। संस्थानों, विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलीटेकनीक संस्थानों मे दूसरे चरण का निर्माण कार्य जारी है। विभाग ने सभी संस्थानों में समर्पित फीडरों के जरिए चौबीसो घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने और वाइ-फाइ-सक्षमित परिसर स्थापित करने के उपाय किए हैं।

## नियुक्ति

गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा सुनिश्चित करने और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के जरिए की जाती है। हाल में विभिन्न श्रेणी के 2,185 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 1,458 की नियुक्ति सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए और 727 की नियुक्ति सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों के लिए की गई है। राज्य की सरकारी नीति के अनुरूप 35 प्रतिशत स्थान महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। फलतः सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में 398 और सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों में 261 महिला संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों में प्राचार्यों, प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यपकों, विभागीय प्रधानों और व्याख्याताओं की नियुक्ति शामिल है। शिक्षण-कर्मियों के साथ-साथ संस्थान स्तर पर शिक्षकेतर और सहयोगी कर्मियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

## उभरती प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम

विभिन्न अभियंत्रण और पॉलीटेकनीक संस्थानों में उभरती प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों की उनकी विशेष क्षेत्र में कुशलता और उत्पादकता बढ़ाना है कि वे जॉब मार्केट में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहें। पारंपरिक विषयों के अतिरिक्त इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी), कृत्रिम मेधा (एआइ), मशीन लर्निंग (एमएल), डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल रोबोटिक इंजिनीयरिंग, नेटवर्किंग, वेब प्रौद्योगिकी, इमेज प्रोसेसिंग, जियो-इनफॉर्मेटिक्स, जियोटक्नीकल इंजिनीयरिंग और परिवहन अभियंत्रण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में 2022-23 के सत्र से ही नए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए थे (तालिका 12.22 और तालिका 12.23)। साथ ही, निर्माण उद्योग के अंदर सेवा की मांगों को देखते हुए गया अभियंत्रण महाविद्यालय में बैचलर ऑफ आक्रियोलॉजी (बी.आक्र.) पाठ्यकम अकादमिक सत्र 2023-24 से शुरू किया गया है।

**तालिका 12.22 : सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम**

| अभियंत्रण स्तरीय पाठ्यक्रम का नाम | |
|---|---|
| कृत्रिम मेधा | कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण (नेटवर्क) |
| इंटरनेट ऑफ थिंग्स | बायोमेडिकल एवं रोबोटिक्स अभियंत्रण |
| डेटा साइंस | वैमानिक अभियंत्रण |
| साइबर सुरक्षा | साइबर सुरक्षा एवं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी |
| सिविल अभियंत्रण एवं कंप्यूटर विज्ञान अनुप्रयोग | मशीन लर्निंग |
| वीएलएसआइ डिजाइन प्रौद्योगिकी | इलक्ट्रॉनिक्स एवं संचार (वीएलएसआइ डिजाइन) |
| रोबोटिक्स एवं स्वचालन | मेकैनोट्रोनिक्स इंजीनियरिंग |
| यांत्रिक एवं स्मार्ट विनिर्माण | कृत्रिम मेधा एवं मशीन लर्निंग |

स्रोत : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

**तालिका 12.23 : सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम**

| डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम का नाम | |
|---|---|
| अग्निशाम प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा | परिधान प्रौद्योगिकी |
| खनन अभियंत्रण | वस्त्र प्रौद्योगिकी |
| खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण | कंप्यूटर-समर्थित कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं पोशाक निर्माण |
| कृत्रिम मेधा एवं मशीन लर्निंग | फैशन एवं परिधान प्रौद्योगिकी |
| इलक्ट्रॉनिक्स (रोबोटिक्स) | सिविल अभियंत्रण (निर्माण प्रौद्योगिकी) |
| यांत्रिक अभियंत्रण (कैड और कैम) | |

स्रोत : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

## अंतर्ग्रहण क्षमता और आरक्षण

हर पाठ्यक्रम में अंतर्ग्रहण क्षमता संस्थानों में उपलब्ध अधिसंरचना और अन्य सुविधाओं के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है। अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलीटेकनीक संस्थानों की अंतर्ग्रहण क्षमता हर अकादमिक सत्र में लगातार बढ़ रही है जो सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलीटेकनीक संस्थानों की प्रचुर वृद्धि को दर्शाती है। अभी सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों की अंतर्ग्रहण क्षमता 17,054 और सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों की अंतर्ग्रहण क्षमता 14,469 और है (चार्ट 12.14)। साथ ही, एम. टेक. के लिए सीट की संख्या भी बढ़कर 612 हो गई है। महिला विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित करने की बिहार सरकार की नीति के अनुरूप बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों में डिग्री और उससे ऊपर के पाठ्यक्रमों में कुल स्थानों में से 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) को लड़कियों और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अकादमिक वर्ष 2023-24 में 8,429 नियमित और पार्श्व प्रविष्टि वाले 2,572, कुल 11,001 विद्यार्थी सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकित हुए। वहीं, 14,017 नियमित और पार्श्व प्रविष्टि वाले 1,161, कुल 15,178 विद्यार्थी सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों में नामांकित हुए।

**चार्ट 12.14 : अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलीटेकनीक संस्थानों में विद्यार्थियों की नामांकन क्षमता**

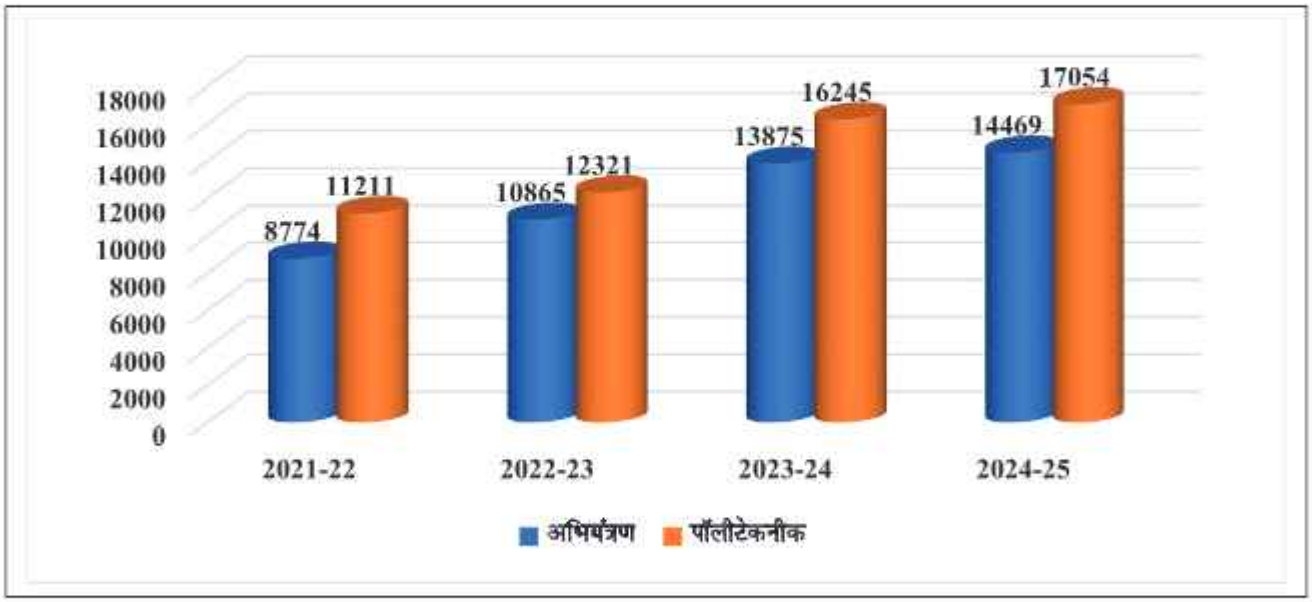


स्रोत : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

## उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के सहयोग से सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी ड्रोन प्रौद्योगिकी, विद्युत वाहन, कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, और औद्योगिक स्वचालन जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित 11 हब और 33 स्पोक स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के सहयोग से और 33 हब स्थापित किए जाएंगे। इस चरण में पहले चरण में शुरू की गई छः शाखाओं के अलावा, दो नई शाखाओं - ट्रांसफर्मर निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर (5जी सहित) - को शामिल किया जाएगा। इन केंद्रों के मार्च 2025 से चालू हो जाने की आशा है। साथ ही, वेबटेक कॉर्पोरेशन के सहयोग से पटना के नए सरकारी पॉलीटेकनीक में वेल्डिंग प्रौद्योगिकी में और सिंडर टेक्नोलॉजी के सहयोग से वैशाली तथा सीवान सरकारी पॉलीटेकनीक में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

## नियोजन (प्लेसमेंट)

नौकरी में चुने जाने में सहयोग देने तथा औद्योगिक साझीदारों के साथ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय स्तर पर नियोजन समिति और संस्थान के स्तर पर नियोजन कोषांग गठित किए गए हैं। विभाग उद्यमिता को भी सक्रियतापूर्वक बढ़ावा दे रहा है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सहयोग दे रहा है। गत तीन अकादमिक सत्रों में कुल 17,822 विद्यार्थी प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलतापूर्वक नियुक्त हुए हैं। इनमें सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के 7,872 और सरकारी पॉलीटेकनीक संस्थानों के 9950 विद्यार्थी हैं (चार्ट 12.15)। इन गुणवत्तापूर्ण नियुक्तियों से विद्यार्थियों की रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ती है।

**चार्ट 12.15 : नियोजन संबंधी विवरण**

स्रोत : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

## क्षमता निर्माण

विभाग संस्थानों के बीच आपस में और संस्थानों से व्यक्तियों को ज्ञान के हस्तांतरण को प्रोत्साहन देने के लिए कृतसंकल्प है। इस पहल का मकसद उद्योगों की मांग पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को अच्छी तरह तैयार करने

के लिए बेहतर अभ्यासों, सीखे गए सबकों, नवाचारी विचारों आदि को साझा करना है। इसके अलावा, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग ने मशीन लर्निंग और उनके अनुप्रयोगों, पाइथन का उपयोग करके डेटा साइंस, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा एंबेडेड सिस्टम्स जैसी आसन्न प्रौद्योगिकियों में तीन वित्तवर्षों में 12,000 विद्यार्थियों और 3000 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के आइ-हब दिव्य संपर्क के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किया है। इसके अलावा, लाइनक्स, लैटेक्स, जावा, एसिम, गिट, ओपन मोडेलिका, पाइथन, क्यूकैड, साइलैब, और आर्डुइनो आदि फ्री ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई के साथ मिलकर एक मौखिक शैक्षिक (स्पोकन ट्यूटोरियल) परियोजना शुरू की गई है।

बिहार कौशल विकास मिशन के साथ मिलकर विभाग ने सरकारी पॉलीटेकनीक के यांत्रिक अभियंत्रण और मोटरवाहन अभियंत्रण शाखाओं के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) और पटना में टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी) द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं, विभाग ने राज्य के सरकारी अभियंत्रण और पॉलीटेकनीक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए पटना स्थित राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट) के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किया है। इसके अलावा, भोपाल स्थिति राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआइटीटीटीआर), और पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) के साथ मिलकर संकाय सदस्य विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

### राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड

विभाग राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनबीए) द्वारा स्थापित मापदंडों का पालन करते हुए, प्रमाणन के लिए पात्र संस्थानों के प्रमाणन कार्यक्रमों को सक्रिय सहयोग दे रहा है। अभी तक नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय (चंडी) को कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण कार्यक्रम के लिए और मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान को सिविल अभियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ है। साथ ही, पटना स्थित सरकारी पॉलीटेकनीक को इलक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिकी शाखाओं में प्रमाणन हासिल हुआ है।

### स्टार्ट-अप को बढ़ावा

स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुरूप सभी सरकारी अभिंत्रण महाविद्यालयों और पॉलीटेकनीक संस्थानों में स्टार्ट-अप कोषांग स्थापित किए गए हैं। अभी 35 स्टार्ट-अप कोषांगों का 'बिहार स्टार्ट-अप कोष न्यास' के तहत वित्तपोषण हुआ है और 15 सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के 34 स्टार्ट-अप को उद्योग विभाग की 'आरंभिक अनुदान योजना' के तहत सहायता प्राप्त हुई है।

### सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप

बिहार सरकार ने सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के सातवें समेस्टर के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर 10,000 रु. देने के लिए इंटर्नशिप नीति स्वीकृत की है। विद्यार्थियों को सरकारी विभागों, निगमों, संस्थाओं, और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं में भागीदारी का मौका मिलेगा। परियोजना आबंटन और सफल विद्यार्थियों को समय से धनराशि के आबंटन के लिए समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा।

## सह-पाठ्यचर्या गतिविधियां और अन्य गतिविधियां

### भाषा प्रयोगशाला की स्थापना

विद्यार्थियों के संवाद कौशल में सुधार के लिए हर सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलीटेकनीक संस्थान में पूर्णत: सुसज्जित भाषा प्रयोगशाला (लैंग्वेज लैब) स्थापित किया गया है। इन भाषा प्रयोगशालाओं में अंग्रेजी भाषा के अलावा एक विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी।

### मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षाएं

मानसिक खुशहाली को बढ़ावा देने, एकाग्रता में सुधार और तनाव में कमी के लिए संस्थान के स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों के समग्र अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि हो। विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को इन कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

### अभिभावक-शिक्षक बैठक

अभिभावकों से फीडबैक पाने और उन्हें विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी देने के लिए संस्थान स्तर पर हर दो महीने पर अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में उठे मुद्दों को विभागीय स्तर पर समेकित किया जाता है और इन चिंताओं के समाधान के लिए भूमिका और दायित्व सुपुर्द किए जाते हैं।

### पहल

पहल विद्यार्थियों, खास कर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में समर्थन देने के साथ-साथ संकाय सदस्यों को अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए प्रोत्साहित करने की भी पहल है। संस्थान के संकाय सदस्य कक्षा 9 से 12 तक के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी मे मार्गदर्शी कक्षाएं चला रहे हैं और इस प्रकार उन्हें विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में मदद कर रहे हैं।

### उमंग

विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शैक्षिक विषयों से इतर उनकी क्षमताएं दर्शाने के लिए संस्थान के स्तर पर खेलकूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। संस्थान स्तर के आयोजनों के विजेता प्रमंडल स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। प्रमंडल स्तर पर सफल विद्यार्थी राज्य-स्तरीय आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करते हैं जिन्हें हर फरवरी में आयोजित करना प्रस्तावित है।

### मेधा प्रमाणपत्र

मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलीटेकनीक संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वार्षिक आयोजन होता है। साथ ही, विभाग इन संस्थानों की हर शाखा के शीर्ष निष्पादक को पुरस्कार देने के लिए 15 सितंबर को वार्षिक समारोह आयोजित करता है।

### विज्ञान दिवस

विभाग विद्यार्थियों की प्रतिभा को सम्मान देने, विज्ञान समझने और सीखने, तथा उसकी चुनौतियों का समाधान करने, और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए हर साल विज्ञान दिवस आयोजित करता है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हर साल सी.वी. रमन प्रतिभा खोज प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। जिला और राज्य, दोनो स्तरों पर पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं जहां प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है।

### गणित दिवस

विभाग विद्यार्थियों की प्रतिभा को सम्मान देने, गणित समझने, सीखने, गणित से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने, तथा तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए हर साल गणित दिवस आयोजित करता है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हर साल श्रीनिवास रामानुजन प्रतिभा खोज प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। पुरस्कार समारोह जिला और राज्य, दोनो स्तरों पर आयोजित किया जाता है जहां प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है।

### अन्य पहलें

### बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना (बीएससीसीवाइ) बिहार में शैक्षिक पहल और समता बढ़ाने के लिए तैयार की गई रूपांतरकारी पहल है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने में इसका प्रत्यक्ष योगदान है और यह राज्य के व्यपक सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। 02 अक्तूबर 2016 को इसका आरंभ उच्च शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मकसद से किया गया था जिससे शिक्षा की आर्थिक बाधाओं में कमी आए। यह योजना 'आर्थिक हल, युवाओं का बल' के साथ संबद्ध है जो बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत आता है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों (अधिस्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर) के पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को 4.00 लाख रु. तक की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें पॉलीटेकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके तहत लड़कों के लिए ब्याज दर 4 प्रतिशत और लड़कियों, दिव्यांगों तथा उभयलिंगियों के लिए 1 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इस योजना के तहत आरंभिक चरण में ऋण वितरण बैंकों के जरिए किया जाता था लेकिन सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रियाकरण के मकसद से 1 अप्रील 2018 से बिहार राज्य शैक्षित वित्त निगम (बीएसईएफसीएल) के जरिए ऋण वितरण किया जाता है। योजना में लैंगिक समानता पर बल दिया गया है और इसमें दिव्यांग तथा उभयलिंगी विद्यार्थियों जैसे सीमांत समूहों को भी काफी कम ब्याज दरों पर सहयोग दिया जाता है। इस योजना के कारण परिवारों का आर्थिक बोझ घट जाता है और विद्यार्थियों को बिना आर्थिक चिंता किए अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में मदद मिलती है। योजना के तहत पॉलीटेकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के पाठ्यक्रमों के लिए भी सहायता मिलती है जो व्यावसायिक कौशल और रोजगार-परकता बढ़ाने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। विवरण तालिका 12.24 में प्रस्तुत हैं।

## तालिका 12.24 : विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रगति

| वर्ष | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | अति पिछड़ा वर्ग | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | | योगफल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| 2018-19 | आवेदनों की सं. | 11,926 | 3,770 | 4,381 | 1,412 | 2,590 | 632 | 394 | 125 | 19,291 | 5,939 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 322.61 | 92.15 | 106.59 | 30.19 | 59.94 | 14.28 | 9.76 | 2.07 | 498.9 | 138.69 |
| 2019-20 | आवेदनों की सं. | 14,199 | 6,960 | 5,756 | 3,023 | 3,567 | 1,308 | 449 | 186 | 23,971 | 11,477 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 353.26 | 160.71 | 123.01 | 57.46 | 81.13 | 29.12 | 11.53 | 4.34 | 568.93 | 251.63 |
| 2020-21 | आवेदनों की सं. | 6,295 | 3,092 | 2,657 | 1,125 | 1,644 | 565 | 209 | 81 | 10,805 | 4,863 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 190.97 | 92.09 | 70.77 | 27.16 | 44.94 | 15.33 | 6.26 | 2.04 | 312.94 | 136.62 |
| 2021-22 | आवेदनों की सं. | 17,755 | 7,846 | 7,217 | 3,135 | 4,522 | 1,634 | 574 | 202 | 30,068 | 12,817 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 518.6 | 218.22 | 192.43 | 76.6 | 120.21 | 40.34 | 17.07 | 5.74 | 848.31 | 340.9 |
| 2022-23 | आवेदनों की सं. | 19.049 | 8,299 | 8,161 | 3,610 | 4,911 | 2,117 | 427 | 189 | 32,548 | 14,215 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 585.99 | 229.6 | 238.31 | 88.63 | 142.82 | 55.61 | 13.49 | 5.45 | 980.61 | 379.29 |
| 2023-24 | आवेदनों की सं. | 16791 | 7538 | 7903 | 3473 | 4229 | 2066 | 248 | 127 | 29171 | 13204 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 556.60 | 237.59 | 252.53 | 101.99 | 128.23 | 62.27 | 7.99 | 3.81 | 945.35 | 405.66 |
| 2024-25, 30 सितंबर 2024 तक | आवेदनों की सं. | 9442 | 4138 | 4502 | 2004 | 2286 | 1210 | 134 | 70 | 16364 | 7422 |
| | स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.) | 309.74 | 134.35 | 143.91 | 61.66 | 69.51 | 37.85 | 4.26 | 2.15 | 527.42 | 236.00 |

स्रोत : बिहार राज्य शैक्षिक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार सरकार

**विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की पहलें**

**इंदिरा गांधी तारामंडल**

इंदिरा गांधी तारामंडल को पटना तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान संकुल में अवस्थित है। यह विश्वस्तरीय तकनीकी विशेषताओं से लैश है और इसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता है। तारामंडल अब चालू हो गया है और बड़े पैमाने पर पुनर्निमाण तथा उन्नत प्रोजेक्शन प्रणाली की स्थापना के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया है।

**दरभंगा तारामंडल**

दरभंगा तारामंडल बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय है जिसे तारामंडल-सह-ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह दरभंगा शहर में कादिराबाद पॉलिटेकनीक मैदान में अवस्थित है। इसकी डिजाइन अमेरिकी वास्तुकला कंपनी चेलेसा वेस्ट आर्किटेक्ट्स ने तैयार की है। तारामंडल तीन खास आकृतियों वाला हैं : एक्प्लिक्टिक, गोलाकार और गुंबदाकार। तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय अब चालू है और जनता के लिए खोल दिया गया है।

**क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गया**

गया का क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बोधगया में अवस्थित है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य गया में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी विज्ञान को बढ़ावा देना है। विज्ञान केंद्र में मनोरंजन विज्ञान, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विरासत, बाल गैलरी, विज्ञान पार्क, और सभागार शामिल हैं। साथ ही, यहां विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित बहुआयामी प्रयोगशाला से युक्त नवाचार केंद्र का भी निर्माण किया गया है।

## युवा, संस्कृति और खेल

युवा वर्ग समाज का सबसे उत्पादक तबका होता है। देश के विकास की क्षमता और संभावना उसकी युवा आबादी की संख्या और ताकत के जरिए निर्धारित होती है। वर्ष 2021 के जनसंख्या अनुमान के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी में 15 से 29 वर्ष उम्र समूह के लोगों का 28.8 प्रतिशत हिस्सा है। सभी सतत विकास लक्ष्य युवा वर्ग के विकास से संबंधित हैं, लेकिन कोई गरीबी नहीं (लक्ष्य-1), स्वास्थ्य (लक्ष्य-3), शिक्षा (लक्ष्य-4), लैंगिक समानता (लक्ष्य-5) और रोजगार तथा सम्मानजनक कार्य (लक्ष्य-8) स्पष्ट रूप से युवा वर्ग के विकास से संबंधित है। बिहार में खेलकूद और संबंधित अधिसंरचना के समग्रता में विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की गई है :

खेल युवाओं के विकास के लिए अनिवार्य विषय है। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं का पता लगाने और विकास करने का लक्ष्य लेकर जनवरी 2024 से खेल विभाग को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग कर दिया गया है। इसे स्वतंत्र विभाग बनाया गया है जो राज्य में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने और राज्य को खेल के क्षेत्र में अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए समर्पित है। खेल विभाग आधुनिक खेल संरचना के निर्माण पर

ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही, बेहतर वैज्ञानिक प्रशिक्षण के जरिए खिलाड़ियों की प्रतिभा विकसित करने के लिए मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा क्रियान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण नीचे प्रस्तुत है।

**मेडल लाओ, नौकरी पाओ** : राज्य सरकार द्वारा इस पहल की शुरुआत 2010 में पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर-जिला कनीय (जूनियर) एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान की गई थी। योजना के तहत ओलंपिक खेलों/ एशियाई खेलों, राष्ट्रीय खेलों, वरीय (सीनियर) राष्ट्रीय चैंपियनशिप और कनीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत नि:शक्त खिलाड़ियों के लिए भी नौकरी का प्रावधान शामिल किया गया है। चुने गए खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर ए-श्रेणी की (बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में) नौकरी मिलेगी। इस योजना के तहत 2023-24 में 71 असाधारण खिलाड़ियों को जनवरी 2024 में नियुक्ति पत्र दिए गए।

**खेल सम्मान कार्यक्रम/ पुरस्कार** : हर वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर खेल सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य को सफलता दिलाने वाले खिलाड़ियों और कोच को सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा जीते गए मेडल के आधार पर प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह, और मानद नकद पुरस्कार देना शामिल है। विवरण तालिका 12.25 में प्रस्तुत है।

**तालिका 12.25 : खेल सम्मान योजना से लाभान्वितों की संख्या**

| वर्ष | पुरस्कृत पुरुष/ महिला खिलाड़ियों की सं. (सामान्य/ दिव्यांग) | रकम का भुगतान (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 2018-2019 | 297 | 350 |
| 2019-2020 | 345 | 210 |
| 2020-2021 | 11 | 27 |
| 2021-2022 | 75 | 27 |
| 2022-2023 | 217 | 312 |
| 2023-2024 | 411 | 425 |
| 2024-2025 | 615 | 701 |

स्रोत : खेल विभाग, बिहार सरकार

**मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत एकलव्य राजकीय आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और संचालन** : खेलकूद ऐसा क्षेत्र है जिसमें नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होता है। इस बात को ध्यान में रखकर राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत सभी जिलों में एकलव्य राजकीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और संचालन का काम किया जा रहा है। योजना के तहत खेलकूद प्रशिक्षण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले कोच को भुगतान और विद्यार्थियों

के रहने आदि से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। अभी तक राज्य के 28 जिलों में 49 एकलव्य आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत हैं जिनमें से 39 काम कर रहे हैं। वित्तवर्ष 2023-24 में 786 प्रशिक्षुओं (249 लड़कियों और 537 लड़कों) ने इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वर्ष 2024-25 में 2500 लाख रु. के व्यय से 615 प्रशिक्षु (199 लड़कियां और 416 लड़के) इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

**खिलाड़ी कल्याण कोष** : इस योजना को प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स किट या खेलकूद के उपकरण देकर, तथा प्रतिस्पर्धा के दौरान घायल होने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही, खेल कल्याण कोष के तहत चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए खेलकूद के प्रशिक्षण में डिप्लोमा के 12 महीने के पाठ्यक्रम की भी पेशकश की जाती है।

**तालिका 12.26 : खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थिति**

| वर्ष | खिलाड़ियों की सं. | रकम का भुगतान (लाख रु.) |
|---|---|---|
| 2018-2019 | 89 | 16.47 |
| 2019-2020 | 78 | 21.41 |
| 2020-2021 | 70 | 21.02 |
| 2021-2022 | 70 | 20.77 |
| 2022-2023 | 56 | 14.00 |
| 2023-2024 | — | — |
| 2024-2025 | 43 | 46.69 |

स्रोत : खेल विभाग, बिहार सरकार

**खेल छात्रवृत्ति योजना** : बिहार में विभिन्न आयु समूह के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलेटिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वययन के लिए बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए प्रति वर्ष 30.00 करोड़ रु. व्यय किया जाएगा।

**बहु-व्यायामशाला, खुले व्यायामशाला उपकरणों और खेल उपकरणों की स्थापना** : मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत बहु-व्यायामशाला, खुले व्यायामशाला उपकरणों और खेल उपकरणों को स्थापित करने का काम किया जा रहा है जो खिलाड़ियों के शारीरिक और बौद्धिक विकास में मददगार होगा। योजना के तहत 2023-24 में कुल 272.05 लाख रु. के व्यय से 12 जिलों में बहु-व्यायामशाला, खुले व्यायामशाला उपकरणों और खेल उपकरणों की स्थापना का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2024-25 में इस मकसद से 10 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

**नगर/ ग्राम पंचायतों में खेल क्लबों का निर्माण** : खेल क्लब की मुख्य भूमिका उभरते खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की और ग्रामीण युवाओं के बीच छुपी प्रतिभा को विकसित करने की है। बिहार राज्य खेल प्राधिकार के जरिए खेल विभाग राज्य के 38 जिलों के 8053 ग्राम पंचायतों और 154 नगर पंचायतों में पंचायत स्तर पर नए खेल क्लबों के निबंधन में सहयोग करने की महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। पंचायतों में स्थित खेल क्लबों के 14 से

49 वर्ष आयु समूह के सभी सदस्य उसी पंचायत के निवासी होंगे। क्लब के सदस्यों में यथासंभव शारीरिक शिक्षक, राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआइएस) से प्रशिक्षित प्रशिक्षक शामिल होंगे।

**मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण :** योजना के तहत, अधिसंरचना विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर 334 आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इनमें से 229 स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य 77 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। शेष 57 स्टेडियम के निर्माण कार्य का आरंभ प्रक्रियाधीन है।

**प्रमंडल मुख्यालयों में विश्व-स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण :** आबादी और स्थानीय स्तर के लोकप्रिय खेलों को देखते हुए सभी प्रमंडल मुख्यालयों में खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए सहमति दे दी गई है। सभी लोकप्रिय खेलों के लिए मैदानों के अलावा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीम प्रबंधकों और तकनीकी अधिकारियों के लिए आवासीय और अन्य सुविधाएं भी होंगी। योजना के तहत सभी प्रमंडल मुख्यालयों के जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

**राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण :** 740 करोड़ रु. के व्यय से राजगिर में 90 एकड़ जमीन पर राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे जून 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी, राजगिर का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। बिहार में पहली बार महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय एशियाई हॉकी चॅपियनशिप ट्रॉफी, 2024 का आयोजन किया गया जिसमें 6 अग्रणी एशियाई देशों की हॉकी टीमों ने भाग लिया।

**खेल विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में खेल भवन सह व्यायामशाला भवनों का निर्माण :** वर्ष 2023-24 में 165.25 करोड़ रु. (प्रति जिला 6.61 करोड़ रु.) के व्यय से 25 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष 13 जिलों में निर्माण कार्य जारी है।

**खेलो इंडिया योजना :** भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के तहत राज्यों में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी ऍस्ट्रोटर्फ, बहुद्देश्यीय इनडोर हॉल, स्वीमिंग पूल, फुटबॉल मैदान आदि का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक ऐसी 10 अवसंरचना के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके लिए बिहार खेल अकादमी को भारत सरकार से 20.50 करोड़ रु. मिले हैं। इसके अलावा, 35 खेल अवसंरचना के निर्माण की स्वीकृति के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। अभी इसके तहत कुल चार योजनाएं चल रही हैं : खेलो इंडिया प्रमाणन केंद्र, खेलो इंडिया राज्य-स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र, खेलो इंडिया लघु-स्तरीय केंद्र और खेल अवसंरचना का निर्माण।

**'मशाल' प्रतिभा खोज अभियान :** इस योजना का आरंभ नवंबर 2024 में हुआ है। इस योजना के तहत हर मध्य विद्यालय के 14 से 16 वर्ष उम्र के लड़कों और लड़कियों को विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें मुख्यत: एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और साइकिल चालन शामिल है। खिलाड़ियों को हर स्तर पर नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। मशाल के जरिए चुने गए खिलाड़ियों को खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकार द्वारा बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा और आवासीय सुविधा मिलेगी।

### कला एवं संस्कृति के तहत पहलें

**बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024** : राज्य सरकार ने हाल में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 सूत्रबद्ध की है। यह नीति राज्य में फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों को सहयोग देने के लिए तैयार की गई है। जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संचालन दिशानिर्देश विकसित किया गया है। इस नीति के तहत बिहार को फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

1. **सिंगल विंडो अनापत्ति प्रणाली** : बाधारहित फिल्म निर्माण के लिए सुव्यवस्थित स्वीकृत प्रक्रिया होगी।
2. **राज्यों के बीच सर्वाधिक सब्सिडी** : फिल्म तैयार करने के लिए 4 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
3. **ओटीटी वेब सीरीज के लिए अनुदान** : ओटीटी मंचों के लिए वेब सीरीज बनाने के लिए 3 करोड़ रु. तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
4. **टीवी सीरियल/ शो के लिए सहायता** : टीवी सीरियल या शो के लिए 1 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
5. **अवसंरचना विकास अनुदान** : स्टूडियो और अन्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए 1.5 करोड़ रु. तक का अनुदान दिया जाएगा।
6. **क्षेत्रीय फिल्मों के लिए प्रोत्साहन** : क्षेत्रीय सिनेमा के प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
7. **बिहार के कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति** : भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीटीआइ), पुणे, सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता, और राष्ट्रीय नाट्य अकादमी (एनएसडी) के नई दिल्ली, गैंगटोक, बंगलुरु, अगरतला, और वाराणसी परिसरों में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शिक्षा ले रहे बिहार के स्थायी विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

**सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना** : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवृद्धि और विकास के लिए पहल की है। इस प्रयास के अंग के बतौर राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों के सहयोग के लिए हर जिले में 3,000 वर्गफीट जगह किराए पर ली गई है। हर प्रशिक्षण केंद्र में चार शिक्षक नियोजित होंगे जिससे आउटसोर्सिंग के जरिए कुल 152 शिक्षक नियोजित होंगे। यह पहल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस योजना का आरंभ 2024-25 में हुआ है और इसका क्रियान्वयन 2025-27 तक होगा। हालांकि इसका विस्तार आगे भी करने की योजना है। इसके लिए 2024-25 में 1086.80 लाख रु. के व्यय की और 2025-26 तथा उसके बाद हर साल 934.80 लाख रु. व्यय की स्वीकृति दी गई है।

## 12.5 समाज कल्याण

समाज कल्याण का संबंध समाज के गरीब, अरक्षित और सीमांत तबकों की खुशहाली से है। ऐसी वहिष्कृत आबादी के पास आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के लिए कम मौके होते हैं और ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। आर्थिक विकास समावेशी हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सरकार को सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम क्रियान्वित करने की जरूरत पड़ती है। बिहार में ऐसे कल्याणमूलक कार्यक्रमों के तहत अब दलित,

महादलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य कमजोर तबके शामिल हैं। इस खंड में इनके विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

## अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए अप्रील 2007 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग का गठन किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में अजा और अजजा समुदायों का संयुक्त रूप से 17.20 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 15.9 प्रतिशत अजा और 1.28 प्रतिशत अजजा हैं। राज्य में 20 प्रतिशत से अधिक अजा और अजजा आबादी वाले जिले नालंदा, कैमूर, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, वैशाली और शेखपुरा हैं। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य योजनाएं नीचे वर्णित हैं :

**मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना** : इस योजना का आरंभ 2008-09 में हुआ था। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/ अजजा विद्यार्थी को 10,000 रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना को 2016-17 में संशोधित किया गया। अब 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अजा/ अजजा विद्यार्थी को 8000 रु. और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले को 10,000 रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2016-17 में 12वीं की फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली अजा और अजजा समुदाय की छात्राओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ऐसी छात्राओं को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रु. और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. मिलते हैं।

इस योजना के तहत 2023-24 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 180.00 करोड़ रु. और ऐसे अजजा विद्यार्थियों के लिए 20.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार, कक्षा 12 की परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली अजा छात्राओं के लिए 90.00 करोड़ रु. और अजजा छात्राओं के लिए 15.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 150.00 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 20.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं, उच्च माध्यमिक स्तर के अजा विद्यार्थियों के लिए 50.00 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 10.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए है।

**मुसहर और भुइयां समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति** : मुसहर और भुइयां समुदायों में शिक्षा के प्रसार के लिए कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थियों को प्रति माह 100 रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए योजना व्यय के रूप में 13.88 करोड़ रु. और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 0.60 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2024-25 में योजना व्यय के लिए 13.88 करोड़ रु. और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 1.50 करोड़ रु. निर्धारित किए गए।

**आवासीय विद्यालय** : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग अजा विद्यार्थियों के लिए 66 और अजजा विद्यार्थियों के लिए 25 आवासीय विद्यालय चला रहा है जिनकी क्षमता 32,640 अजा और 11,600 अजजा विद्यार्थियों की है। राज्य सरकार विद्यार्थियों की दैनिक जरूरतों, पठन-पाठन सामग्री, खाना, कपड़ा, दवा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। विभाग के तहत चलने वाले सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए

वहां रहने के दौरान नाश्ता-भोजन, पोशाक, विद्यालय परिसर की सफाई और लौंड्री सेवा की व्यवस्था जीविका द्वारा समर्थित सामुदायिक संगठन के जरिए कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार ने सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उत्क्रमित करने का फैसला किया है। अभी 720 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 10+2 आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। नए भवनों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

**विद्यालयों का उत्क्रमण :** अवसंरचना के विकास के साथ सभी आवासीय विद्यालयों को 720 सीट वाले सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जाना है। चूंकि 10 प्रतिशत अजा और 10 प्रतिशत अजजा विद्यार्थी आवासीय विद्यालयों में नामांकित हैं इसलिए ये आवासीय विद्यालय अजा और अजजा, दोनो तबकों के लिए हैं। साथ ही, आवासीय विद्यालयों में नामांकन में मुसहर/ भुइयां समुदाय के बच्चों के लिए 40 प्रतिशत और अस्वास्थ्यकर कार्यों के लगे लोगों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में अजा/ अजजा आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के निर्माण एवं साज-सज्जा के लिए 458.42 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

**छात्रावास :** अजा एवं अजजा कल्याण विभाग द्वारा अजा और अजजा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए राज्य में 118 छात्रावास चलाए जा रहे हैं। छात्रावासों में चौकी, गद्दे, आरओ का पानी आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। पुराने छात्रावास भवनों का चरणबद्ध ढंग से पुनरुद्धार कराया जा रहा है। अभी अजा और अजजा विद्यार्थियों के लिए राज्य में 117 छात्रावास चालू हैं और 47 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

**मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना :** इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्राथमिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा और अजजा प्रत्याशियों को 50,000 रु. की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्राथमिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा और अजजा प्रत्याशियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के अगले चरणों की तैयारी के लिए 1.00 लाख रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 4280 प्रत्याशी लाभान्वित हुए जिनमें से 144 केंद्रीय लोक सेवा आयोग के और 4136 बिहार लोक सेवा आयोग के प्रत्याशी थे।

**अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन :** इस योजना के तहत अजा और अजजा समुदायों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों/ प्रत्याशियों को केंद्रीय और बिहार लोक सेवा आयोगों द्वारा संचालित प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं से इतर ग्रुप-1 की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इन परीक्षाओं मे भारतीय अभियंत्रण सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, संयुक्त भूगर्भ विज्ञानी, संयुक्त प्रतिरक्षा सेवा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ), केंद्रीय सशस्त्र आरक्षी बल, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी, बिहार न्यायिक सेवा, और अन्य राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रेड-बी के अधिकारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा/ भारतीय स्टेट बैंक और अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारी (पी.ओ) बनने के लिए प्रारंभिक परीक्षा/ भारतीय बीमा निगम में सहायक प्रशासी अधिकारी बनने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आदि शामिल हैं। वर्ष 2024 से अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में प्रारंभिक जांच (पीटी) परीक्षा

उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके लिए 2024-25 में अजा प्रत्याशियों के लिए 10.00 करोड़ रु. और अजजा प्रत्याशियों के लिए 1.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

**अजा एवं अजजा (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम 1989 और नियमावली 1995** : इनका मकसद अजा/ अजजा समुदाय के सदस्यों को अन्य समुदाय के सदस्यों द्वारा होने वाले उत्पीड़न से बचाना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके व्यय में केंद्र और राज्य सरकार की 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इसके अंतर्गत उत्पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 10.03 करोड़ रु. का और योजना व्यय के लिए संयुक्त रूप से केंद्रांश और राज्यांश के बतौर 100.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

**छात्रावास खाद्यान्न योजना** : अजा/ अजजा छात्रावासों में रहने वाले हर विद्यार्थी को 9 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूं, कुल 15 किग्रा खाद्यान्न देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

**मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवास अनुदान योजना** : यह राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत अजा/ अजजा छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 1000 रु. की नकद सहयता दी जाती है।

**परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र** : केंद्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अजा/ अजजा समुदाय के प्रत्याशियों को कोचिंग सुविधा देने के लिए राज्य में 10 कोचिंग केंद्र चलाए जा रहे हैं। ये कोचिंग केंद्र पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर और पूर्णिया में विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। इसके अलावा, पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में एक विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र चल रहा है जहां जीमैट/ कैट परीक्षा के लिए कोचिंग दी जाती है। अभी विभिन्न केंद्रों में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए 2460 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है।

**थरुहट क्षेत्र विकास** : पश्चिम चंपारण में थारू और अन्य जनजातियों के विकास के लिए 2009 में समेकित थरुहट विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वर्ष 2010-11 से 2023-24 के बीच प्राधिकरण को कुल 14,989.93 लाख रु. उपलब्ध कराए गए थे जिसके जरिए चलने वाली 331 में से 256 योजनाएं पूरी हो गई हैं। वर्ष 2024-25 में 30.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए 14,989.93 लाख रु. से संपर्क-पथ, जलापूर्ति, पुस्तकालय, बुनकर भवन, स्वास्थ्य उप-केंद्र, स्टेडियम, कंप्यूटर लैब भवन, बालिका कॉमन रूम आदि के निर्माण के काम कराए गए हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण के जरिए युवा विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 5 नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जिनमें 2018-19 से ही पढ़ाई शुरू हो गई थी। थरुहट क्षेत्र के बेलटांडी (रामनगर) में 34.83 करोड़ रु. के व्यय से 720 शय्याओं वाले एकलव्य आदर्श छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई थी जो अब चालू हो गया है।

तालिका 12.27 में अजा एवं अजजा कल्याण हेतु 2017-18 से 2024-25 के बीच वार्षिक योजना व्यय दर्शाया गया है। इन आठ वर्षों में अजा एवं अजजा कल्याण पर वास्तविक योजना व्यय 56 प्रतिशत बढ़ा है। अजा एवं अजजा कल्याण की मुख्य योजनाओं के तहत राज्य में 2021-22 और 2022-23 में भौतिक और वित्तीय प्रगति के जिला-स्तरीय आंकड़े तालिका प 12.27 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 12.27 : अजा एवं अजजा कल्याण के लिए वार्षिक योजना व्यय का विवरण

(करोड़ रु.)

| मद | वास्तविक व्यय | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (ब.अ.) |
| अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना | 11086.85 | 10467.83 | 10560.59 | 10129.3 | 12494.78 | 17091.49 | 13665.48 | 17049.7 |
| जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 856.47 | 939.11 | 1146.97 | 931.54 | 1527.17 | 1784.38 | 863.28 | 1443.95 |
| **योगफल** | 11943.32 | 11406.94 | 11707.56 | 11060.84 | 14021.95 | 18875.87 | 14528.76 | 18493.65 |
| **कुल वार्षिक योजना व्यय** | 64141.05 | 69348.9 | 57419.12 | 63176.55 | 83149.18 | 105093.54 | 101806.83 | 100000.00 |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

## महादलित कल्याण

राज्य सरकार ने राज्य महादलित आयोग के शोध परिणामों के आधार पर अनेक विशेष पहलों की शुरुआत की है जिनका लक्ष्य अनुसूचित जातियों के सबसे वंचित तबके की मदद करना है। आयोग ने पाया कि बिहार की 22 में से 21 अनुसूचित जातियां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के मामले में वंचित महसूस करती हैं। इन जातियों के लोगों को अजा आबादी के लिए की गई सकारात्मक कार्रवाइयों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। इसी कारण सभी महादलित समुदायों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए राज्य महादलित आयोग का गठन किया गया। यह मिशन संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित है। महादलितों के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कुछ विशेष प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :

**विकास मित्र** : विकास मित्रों को पंचायतों और वार्डों में कार्यक्रमों के सही ढंग से क्रियान्वयन में सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास मित्र के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अभी राज्य में विकास मित्र के कुल 9820 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 9648 पर पदस्थापित विकास मित्र राज्य में काम कर रहे हैं जिन्हें महालदित समुदाय के बीच से ही चुना गया है।

**दशरथ मांझी कौशल विकास योजना** : इस योजना को कौशल विकास और विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण के जरिए महादलित समुदाय के सदस्यों की रोजगार प्राप्ति की क्षमता में सुधार के मकसद से शुरू किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 10 बैचों ने कोलकाता के अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। हाजीपुर के सीपेट मे 7 बैचों का और कटिहार के सीएसएसपीएल में 3 बैचों का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है।

**सामुदायिक कक्ष सह कार्य-शेड योजना** : इस योजना का लक्ष्य महादलित टोलों में ऐसे भवनों का निर्माण करना है जहां विवाह, छठी और अन्य समारोह संपन्न किए जा सकें। यह योजना 2010-11 में शुरू हुई थी। वर्ष 2023-24 में 302 सामुदायिक कक्ष सह कार्य-शेड का लक्ष्य तय किया गया है और 38 जिलों की सभी 302 इकाइयों के लिए बजट आबंटित कर दिया गया है।

**सहायता (कॉल सेंटर)** : इस कॉल सेंटर को अजा एवं अजजा उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 1989 और नियमावली, 1995 के अनुरूप स्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक

न्याय एवं सशकतीकरण मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना बिहार महादलित विकास मिशन में की गई है।

## पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़ी जातियां वे जातियां/ समुदाय हैं जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार में 131 पिछड़ी जातियां हैं जिनका राज्य की आबादी में लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य सरकार ने इन समुदायों के समग्र विकास के लिए 2007-08 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया था। पिछड़ी और अति पिछड़ी आबादी के कल्याण के लिए 2018-19 से 2024-25 तक की वित्तीय प्रगति का ब्योरा तालिका 12.28 में प्रस्तुत है। इन सात वर्षों में पिछड़ा वर्ग कल्याण का व्यय 7.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं, राज्य योजना के तहत व्यय 7.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है।

**तालिका 12.28 : पिछड़ा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पर व्यय**

(करोड़ रु.)

| वर्ष | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | वार्षिक योजना | केंद्र प्रायोजित योजना | योगफल |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 13.93 | 1057.05 | 111.52 | 1182.5 |
| 2019-20 | 16.88 | 1375.07 | 22.11 | 1414.06 |
| 2020-21 | 4.46 | 249.83 | 88.79 | 343.08 |
| 2021-22 | 10.79 | 2713.13 | 85.19 | 2809.11 |
| 2022-23 | 32.02 | 1196.50 | 154.99 | 1383.51 |
| 2023-24 | 42.41 | 1054.05 | 6.72 | 1103.18 |
| 2024-25 (ब.अ.) | 110.77 | 1414.04 | 162.49 | 1687.30 |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार द्वारा पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की कल्याण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए क्रियान्वित लक्षित प्रयास नीचे वर्णित हैं :

**मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** : पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी केंद्र प्रायोजित योजना अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आच्छादित थे। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पीएम-यशस्वी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नए दिशानिर्देश के तहत कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी ही आच्छादित हैं। इसलिए पहले की तरह ही कक्षा 1 से 10 तक में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लाभ के लिए राज्य योजना के तहत वित्तवर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नामक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत निम्नलिखित दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

तालिका 12.29 : छात्रवृत्ति वितरण दर

| क्र. सं. | कक्षा | छात्रवृत्ति वितरण दर (वार्षिक) |
|---|---|---|
| 1 | 1 से 4 | 600 रु. |
| 2 | 5 से 6 | 1200 रु. |
| 3 | 7 से 10 | 1800 रु. |
| 4 | 1 से 10 (छात्रावासी) | 3000 रु. |

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

**मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 :** केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की दर घटा दी गई है। इसलिए ऐसे मामलों में, खास कर तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 2022-23 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नामक नई योजना का आरंभ किया गया है जिसके तहत 4 लाख रु. तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

**अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय :** अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य के सभी 38 जिलों में चल रहे हैं। पटना जिले में ऐसे दो विद्यालय हैं और शेष सभी जिलों में एक-एक, अर्थात राज्य में कुल 39 विद्यालय चल रहे हैं। 520-बेड वाले भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक कुल 1593.23 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय से 37 जिलों के 38 विद्यालयों में 520-बेड वाले भवनों का निर्माण स्वीकृत हुआ है। अभी तक 1300.00 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं। चार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 16 अन्य भवनों का निर्माण कार्य इस वित्तवर्ष में पूरा हो जाएगा। रोहतास, समस्तीपुर, पूर्णिया और दरभंगा जिलों में से चल रहे विद्यालयों में से प्रत्येक में 31.45 लाख रु. के व्यय से कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं। शेष विद्यालयों में भी इसकी स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनके लिए स्वीकृत 1092 शैक्षिक पदों में से 561 पर नियुक्ति हो गई है और शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

**अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास :** इस पहल के जरिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परिसर में या आसपास में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को हर जिले में शामिल किया गया है। अभी 20 जिलों में ऐसे 23 छात्रावास चल रहे हैं।

**जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास :** इस योजना के तहत हर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100-बेड का छात्रावास बनाया जाना है। अब तक सारे छात्रावास बन चुके हैं जिनमें से 36 छात्रावास चालू हैं और 2 शीघ्र ही चालू हो जाएंगे।

**परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना :** इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग आदि की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। छः महीने के हर सत्र में 60 विद्यार्थियों के दो बैच चल रहे हैं। पात्रता मापदंड के तहत वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रु. से बढ़ाकर 3 लाख रु. कर दी गई है। राज्य में कुल 38 केंद्रों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। हर केंद्र में स्मार्ट कक्षाओं के लिए प्रति केंद्र 2.5 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

**मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र योजना :** प्रबंधन, वकालत आदि पेशेवर पाठ्यक्रमों में नामांकन, रोजगारोन्मुखी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2020-21 में मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र योजना नामक

नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2020-21 में पटना स्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां इस मकसद से मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। वर्ष 2022-23 में पटना स्थित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में भी ऐसा एक केंद्र स्थापित किया गया। साथ ही, 2022-23 में नेट/ गेट/ पीएचडी/ एम.फिल. और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की तैयारी कराने के वास्ते 7 विश्वविद्यालयों में ऐसे केंद्रों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इस तरह, अभी तक 10 केंद्र स्वीकृति पा चुके हैं। जिन प्रत्याशियों की पारिवारिक आय 3.00 लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है वही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

**जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र** : डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुगम बनाने के लिए सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों, और अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये केंद्र विकसित किए गए हैं।

### मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बिहार/ केंद्रीय लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की प्रारंभिक जांच परीक्षा (पीटी) में उत्तीर्ण होने पर नियत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2023-24 से अन्य राज्यों की प्रशासनिक परीक्षाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि की प्रारंभिक परीक्षओं में उत्तीर्ण होने पर संबंधित परीक्षाओं के मुख्य चरणों की तैयारी के लिए भी नियत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए दी जाने वाली राशि इस प्रकार है :

| प्रतिस्पर्धी परीक्षा का नाम | परीक्षा लेने वाले बोर्ड/ अभिकरण का नाम | निर्धारित रकम (रु. में) |
|---|---|---|
| संयुक्त सिविल सेवा | केंद्रीय लोक सेवा आयोग | 100000 |
| भारतीय अभियंत्रण सेवा | | 75000 |
| भारतीय आर्थिक सेवा | | 75000 |
| भारतीय सांख्यिकी सेवा | | 75000 |
| संयुक्त भूगर्भ-वैज्ञानिक | | 75000 |
| संयुक्त प्रतिरक्षा सेवा, भारतीय अन्वेषण ब्यूरो (आरक्षी उपाधीक्षक), केंद्रीय सशक्त आरक्षी बल | | 50000 |
| राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी | | 50000 |
| बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा | बिहार लोक सेवा आयोग | 50000 |
| बिहार न्यायिक सेवा की संयुक्त परीक्षा | बिहार लोक सेवा आयोग | 50000 |
| अन्य राज्य की प्रशासनिक सेवा की संयुक्त परीक्षा | संबंधित राज्य सेवा बोर्ड | 50000 |
| भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रेड बी/ भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के पीओ/ जीवन बीमा निगम के सहायक प्रशासी अधिकारी के लिए | भारतीय रिजर्व बैंक | 30000 |
| संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा | कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली | 30000 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय परीक्षा | संबंधित रेलवे बोर्ड | 30000 |

## अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक (मुसलमान, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और ईसाई) समुदायों के सशक्तीकरण के लिए 1991 में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। विभाग का मिशन सकारात्मक कार्रवाइयों तथा समुचित विकास के जरिए इन अल्सपंख्यक समुदायों के सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 17.3 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.9 प्रतिशत मुसलमान हैं जबकि 0.4 प्रतिशत बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई आदि अन्य धर्मों के लोग हैं। किशनगंज (68.0 प्रतिशत), कटिहार (44.5 प्रतिशत, अररिया (42.9 प्रतिशत) और पूर्णिया (38.5 प्रतिशत) जिलों की आबादी में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है। धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं इसलिए इन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्रित और समवेत प्रयासों की जरूरत होती है। चार्ट 12.16 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गत 12 वर्षों का व्यय दर्शाया गया है।

**चार्ट 12.16 : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के योजना व्यय और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की स्थिति**

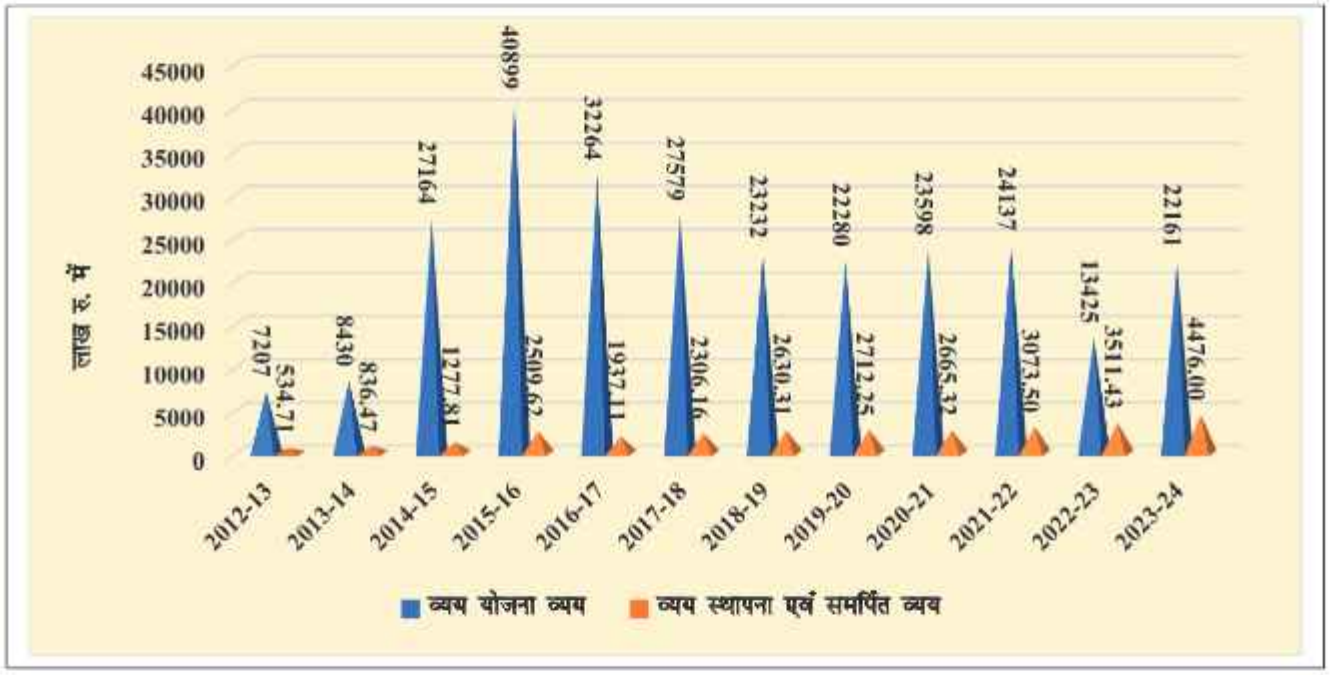


स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :

**मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** : इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा जारी रखने के लिए प्रथम श्रेणी में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 10,000 रु. और प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली मुसलमान लड़कियों को 15,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, माध्यमिक में वैकल्पिक विषय में बंगला रखने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों ने भी परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो तो उनके लिए भी 10,000 रु. की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, माध्यमिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में बंगला रखने और उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थी भी 10,000 रु. की प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र होते हैं। वहीं, बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में फौक़ानिया (माध्यमिक) और मौलवी (इंटरमीडिएट) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 10,000 रु. और 15,000 रु. की प्रोत्साहन

राशि दी जाती है। वर्ष 2023-24 में 69,596 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 91.10 करोड़ रु. का बजट निर्धारित किया गया था।

**मुसलमान तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला सहायता कार्यक्रम** : योजना का आरंभ 2006-07 में इस तलाकशुदा या परित्यक्ता मुसलमान महिलाओं को 10,000 रु. की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हुआ था। इस रकम को बढ़ाकर 2017-18 में 25,000 रु. कर दिया गया। वर्ष 2018-19 से लाभार्थियों को ई-कल्याण (ई-वेल्फेयर) पोर्टल के जरिए यह सुविधा मिल रही है। वर्ष 2023-24 में 430 जरूरतमंद महिलाओं के बीच 1.08 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

**अल्पसंख्यक छात्रावास योजना** : अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के बीच बुनियादी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अभी तक 48 छात्रावास बनाए जा चुके हैं जबकि अन्य 4 निर्माणाधीन हैं। इन छात्रावासों में लगभग 4885 विद्यार्थी रह सकते हैं। रखरखाव तथा जेनरेटर, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रीजरेटर, डीप फ्रीजर, टेलीविजन और कंप्यूटर जैसी अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अतिरिक्त रकम आबंटित की जाती है।

**मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/ खाद्यान्न योजना** : अल्पसंख्यक विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की 2018-19 में शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1,000 रु. नगद अनुदान और 15 किग्रा अनाज दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री अल्पससंसख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान के तहत 4773 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 47.73 लाख रु. कर्णांकित किए गए थे। इसी प्रकार, छात्रावास अनुदान योजना से 2023-24 में 2475 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

**मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना** : अल्पसंख्यक युवक-युवतियों के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आरंभ 2008-09 में किया गया था। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के श्रमिकों और युवक-युवतियों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे रोजगार के अवसर पा सकें। वर्ष 2023-24 में 288 प्रशिक्षुओं को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

**राज्य कोचिंग योजना** : राज्य प्रशासन और अन्य तकनीकी तथा प्रबंधकीय नौकरियों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 2006-07 से ही मुफ्त कोचिंग का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 565 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए कोचिंग मिली है।

**बिहार राज्य वक्फ विकास योजना** : सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों के तहत निबंधित संपत्ति के विकास के लिए बहुद्देश्यीय भवन, अतिथिशाला, विवाह घर, वक्फ कार्यालय भवन, बाजार संकुल आदि के निर्माण और रखरखाव का काम किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन 2018-19 से शुरू हुआ है। इस योजना के तहत 2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में बहुद्देश्यीय भवन, बाजार संकुल और पुस्तकालय निर्माण के लिए 55.65 करोड़ रु. प्रस्तावित थे जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

**बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना :** इस योजना के तहत मद्रसा अधिसंरचना और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिहाज से शैक्षिक अनुसंधान के लिए पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय, बहुद्देश्यीय कक्ष, कार्यालय कक्ष, कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना का आरंभ 2018-19 में हुआ था। वर्ष 2023-24 में नालंदा में एक, पूर्व चंपारण में एक और पूर्णिया में दो मद्रसों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3239.28 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 1260.94 लाख रु. आबंटित कर दिए गए हैं।

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना :** राज्य सरकार ने 2018-19 में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए हर जिले में एक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था। अभी दरभंगा और किशनगंज आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2022-23 में विद्यालय निर्माण के लिए बेगूसराय और पश्चिम चंपारण में जमीन चिन्हित की गई थी।

## 12.6 महिला विकास

व्यापक विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक विकासमूलक कार्यक्रमों से महिलाएं समान रूप से लाभान्वित नहीं होती हैं। नारी सशक्तीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपने अधिकारों का दावा करने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। चुनने की आजादी और सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता भी इस उपलब्धि के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आठवीं योजना (1992-97) के दौरान पहली बार महिला सशक्तीकरण की जरूरत को विशिष्ट रणनीति के रूप में मान्यता और स्वीकृति मिली थी। नवीं योजना (1997-2002) में महिला घटक योजना की अवधारणा के जरिए उसे और आगे बढ़ाया गया जिसके जरिए चिन्हित मंत्रालयों को महिला कार्यक्रमों के लिए धनराशि प्रवाह की सूचना देना जरूरी हो गया। बाद में, बारहवीं योजना (2012-17) में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के जरिए योजना प्रक्रिया में लैंगिक समानता के मुद्दे पर काम करने के लिए मुख्य सूचकों की पहचान की गई। चूंकि लैंगिक समानता और नारी सशक्तीकरण महत्वपूर्ण एजेंडा हैं इसलिए राज्य सरकार 2008-09 से जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है।

सशक्तीकरण का सूचक मुख्यत: तीन कारकों को लेकर बना है - (क) पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की संलग्नता, (ख) बैंक खाता का प्रावधान, और (ग) घर या जमीन का स्वामित्व। वर्ष 2019-20 में हुए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में 15 से 49 वर्ष उम्र की 86.5 प्रतिशत विवाहित महिलाएं पारिवारिक निर्णयों में भाग लेती हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 में दर्ज 75.2 प्रतिशत के आंकड़े से 11.3 प्रतिशत अंक अधिक है। बैंक खाता रखने और खुद चलाने वाली महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 से पता चलता है कि उनका आंकड़ा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के 26.4 प्रतिशत की तुलना में 76.7 प्रतिशत हो गया जो 50 प्रतिशत अंकों की भारी-भरकम वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि घर/ जमीन की (अकेले या संयुक्त) स्वामित्व वाली महिलाओं के मामले में 3.5 प्रतिशत अंकों की मामूली गिरावट आई है जिसका आंकड़ा 2015-16 (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4) के 58.8 प्रतिशत से 2019-20 (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5) में 55.3 प्रतिशत पर आ गया। सतत विकास लक्ष्य-5 का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव का अंत करना है जिसमें 8 स्पष्ट लक्ष्यों के तहत राज्य संबंधी 36 सूचक शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के लिए जेंडर बजट का अवलोकन तालिका 12.30 में प्रस्तुत है। तालिका से पता चलता है कि 2018-19 से 2022-23 के बीच महिलाओं पर व्यय 90 प्रतिशत बढ़ा है। इसी अवधि में श्रेणी 1 के तहत 2.3-गुना और श्रेणी 2 के तहत 1.7-गुना व्यय बढ़ा है। इन पांच वर्षों में कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा लगभग 18.1 प्रतिशत रहा है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 5.6 प्रतिशत रहा है।

**तालिका 12.30 : महिलाओं के लिए कुल व्यय**

(रकम करोड़ रु. में)

| वर्ष | बिहार का बजट | जेंडर बजट (वास्तविक) | | | कुल बजट में महिला संबंधी योजनाओं का हिस्सा (%) | महिला संबंधी योजनाओं के लिए परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श्रेणी-1 | श्रेणी-2 | योगफल | | |
| 2018-19 | 154655 | 7919.7 (36.1) | 14023.8 (63.9) | 21944 (100.0) | 14.2 | 4.2 |
| 2019-20 | 146097 | 8169.9 (35.5) | 14868.6 (64.5) | 23039 (100.0) | 15.8 | 4.0 |
| 2020-21 | 165697 | 6019.1 (26.8) | 16398.9 (73.2) | 22418 (100.0) | 13.5 | 4.0 |
| 2021-22 | 193123 | 12472.1 (37.0) | 21223.5 (63.0) | 33697 (100.0) | 17.4 | 5.2 |
| 2022-23 | 231904 | 18147.7 (43.4) | 23716.7 (56.7) | 41864 (100.0) | 18.1 | 5.6 |

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल जेंडर बजट का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में प्रकाशित हैं।

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 12.17 : श्रेणी 1 और 2 की योजनाओं में महिलाओं पर व्यय और बिहार के बजट में महिलाओं का हिस्सा**

(प्रतिशत)

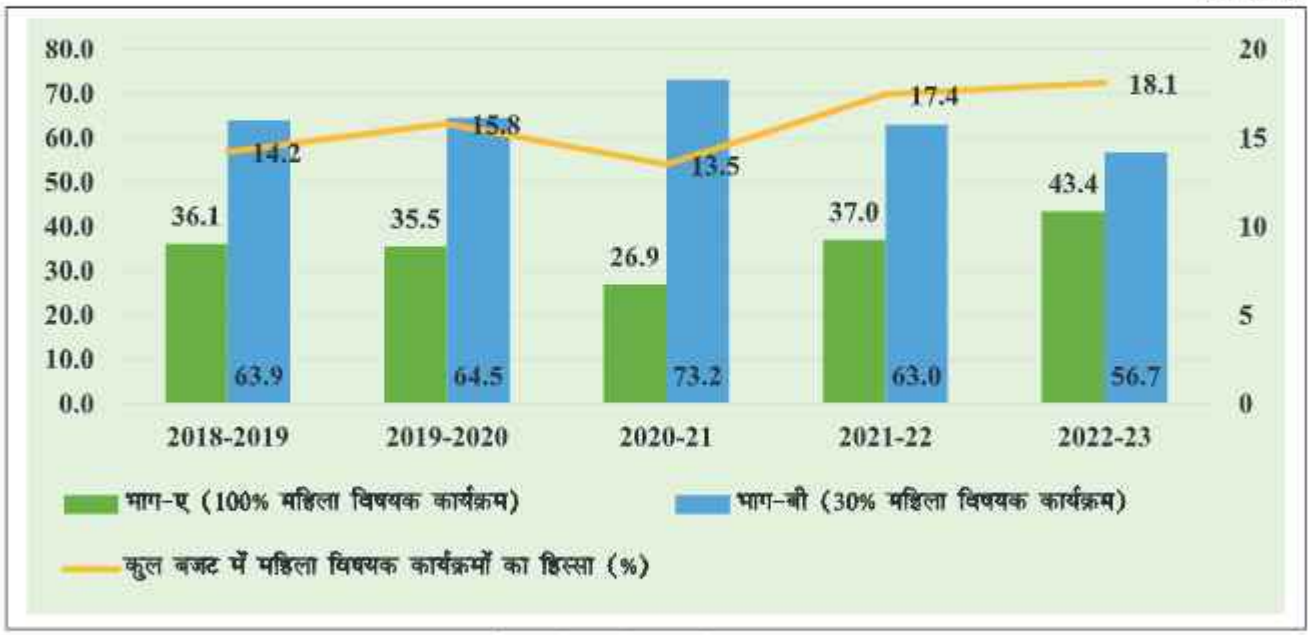


स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

जेंडर बजट निर्माण का सर्वप्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार के सभी विभागों को जेंडर के प्रति अधिक जागरूक होने और अपने-अपने बजट की लैंगिक परिप्रेक्ष्य में छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके कारण महिलाओं के लिए खास तौर पर तैयार कार्यक्रमों के लिए बजट में प्राथमिकता बढ़ेगी और सार्वजनिक व्यय को लैंगिक चिंताओं के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने का प्रयास होगा। जेंडर बजट तैयार करने के लिए उन योजनाओं को श्रेणी 1 में रखा जाता है जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए होती हैं (100 प्रतिशत महिला-विषयक कार्यक्रम)। वहीं, अन्य कार्यक्रमों के लिए माना जाता है कि न्यूनतम 30 प्रतिशत व्यय से महिलाएं लाभान्वित होंगी और उन्हें श्रेणी 2 में वर्गीकृत किया जाता है। तालिका 12.31 में विभिन्न विभागों में जेंडर बजट के मद प्रस्तुत हैं।

**तालिका 12.31 : महिला विकास पर व्यय का अवलोकन**

(करोड़ रु. में)

| विभाग | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी-1 के तहत | श्रेणी-2 के तहत | श्रेणी-1 के तहत | श्रेणी-2 के तहत | श्रेणी-1 के तहत | श्रेणी-2 के तहत |
| समाज कल्याण | 1040.29 | 3823.53 | 937.66 | 4455.32 | 1314.59 | 5296.03 |
| अजा एवं अजजा कल्याण | | 453.34 | 0.00 | 510.49 | 0.00 | 548.07 |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | | 1132.66 | 0.00 | 713.27 | 0.00 | 490.24 |
| अल्पसंख्यक कल्याण | | 100.62 | 0.66 | 91.05 | 2.00 | 66.59 |
| शिक्षा | 772.84 | 5746.04 | 2760.76 | 7313.99 | 2611.42 | 10528.17 |
| स्वास्थ्य | 879.98 | 1031.18 | 1065.19 | 1197.08 | 935.23 | 1092.60 |
| ग्रामीण विकास | 3195.50 | 2751.19 | 7367.56 | 3957.01 | 12859.47 | 3057.12 |
| नगर विकास एवं आवास | | 584.52 | 0.00 | 800.02 | 0.00 | 504.71 |
| पंचायती राज | | 148.81 | 0.00 | 153.31 | 0.00 | 193.73 |
| श्रम संसाधन | 11.42 | 58.65 | 13.98 | 72.57 | 14.85 | 69.57 |
| पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | 8.52 | 191.78 | 9.41 | 1259.78 | 16.02 | 760.50 |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | 0.98 | | 4.36 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| कला, संस्कृति एवं युवा | | 3.89 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 13.99 |
| उद्योग | | 53.75 | 200.00 | 122.75 | 250.00 | 170.60 |
| कृषि | | 293.16 | 0.00 | 403.76 | 0.00 | 590.07 |
| पर्यावरण | | | 0.00 | 74.10 | 0.00 | 61.10 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 109.42 | | 112.38 | 0.00 | 143.41 | 0.00 |
| भवन निर्माण | | 6.41 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 220.28 |
| गृह | 0.16 | | 0.16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| पर्यटन | | 19.34 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 53.32 |
| **योगफल** | **6019.13** | **16398.88** | **12472.12** | **21223.49** | **18147.74** | **23716.70** |

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक असमानता दूर करने के लिए राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों के दो मुख्य शीर्ष हैं : बाल संरक्षण (बाल भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या उत्थान योजना) और सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना) (तालिका 12.32)। वर्ष 2007-08 में शुरू हुई मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना (एमएनएसवाइ) का लक्ष्य अनेक योजनाओं के जरिए महिलाओं का सशक्तीकरण करना है। इसके अलावा, योजना के तहत हेल्पलाइन सेवाएं, अल्पावास गृह, कामकाजी महिला छात्रावास और संरक्षण गृह की स्थापना करके भी महिलाओं की मदद की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लक्ष्य 18 वर्ष या अधिक उम्र में लड़की के विवाह के समय 5000 रु. की वित्तीय सहायता देना है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच प्रमुख योजनाओं पर व्यय क्रमिक रूप से 107 प्रतिशत बढ़ा है।

**तालिका 12.32 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली योजनाएं**

(करोड़ रु.)

| योजना | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 300 | 329.5 | 324.54 | 408.54 | 271.07 |
| मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना | 2046 | 0 | 4225 | 2145 | 1835.04 |
| मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | 4036.75 | 2983.55 | 4225.8 | 11586.15 | 7914.85 |
| मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना | 4272.8 | 5199.99 | 2640 | 12170 | 12000 |
| **योगफल** | **10655.55** | **8513.04** | **11415.34** | **26309.69** | **22020.96** |

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

नारी सशक्तीकरण का मूल्यांकन तीन मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इनमें से प्रत्येक मापदंड के तहत राज्य सरकार के कदम नीचे प्रस्तुत हैं।

## आर्थिक सशक्तीकरण

**आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार :** राज्य में ''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार'' की दृष्टि के तहत राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। वहीं, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिससे राजनीतिक फलक पर उनका योगदान और भागीदारी बढ़ गई है। महिला आरक्षण नीति के कारण अप्रील 2023 से फरवरी 2024 के बीच मिले कुल 2,28,256 नियमित रोजगार में से महिलाओं को 1,08,192 रोजगार महिलाओं को मिला। यह कुल नियमित नियुक्तियों का 47.40 प्रतिशत होता है। यह 35 प्रतिशत के आरक्षित हिस्से से 12.40 प्रतिशत अंक अधिक है।

**उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं/ महिलाओं के लिए आरक्षण/ प्रोत्साहन :** उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिग्री और उससे उच्च स्तर पर उपलब्ध कुल सीट में से 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) लड़कियों/ महिलाओं के लिए आरक्षित है और यह आरक्षण बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध सारे संस्थानों के पाठ्यक्रमों में आरक्षित है। वहीं, उच्च शिक्षा पाने में प्रोत्साहन के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 रु. प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इस योजना से अभी तक 12,42,259 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। इसी प्रकार, अपनी स्नातक या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 50,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और फरवरी 2024 तक इससे 1,61,513 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं।

**महिला उद्यमिता को बढ़ावा** : मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिला उद्यमियों के लिए विशेष पहल है जिसके अंग के बतौर 2021-22 से 2023-24 तक चुनी गई 7,596 लाभार्थियों को कुल 451.35 करोड़ रु. की संचित राशि आबंटित की गई। इस योजना के तहत उद्यमी के बतौर चुनी गई 40 सदस्यों की सहायता से मुजफ्फरपुर में बैग संकुल विकसित किया गया है। वहीं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सोलर लैंप निर्माण में प्रशिक्षण पाने के बाद जीविका दीदियां सोलर सामग्रियों की दूकानें चला रही हैं। इस उद्यम से कुल 413 दीदियां जुड़ी हुई हैं। इस उद्यम को चलाने के लिए गया में जे-वायर्स कंपनी की स्थापना की गई है।

**आजीविका को प्रोत्साहन** : जीविका का फोकस खुदरा, स्वास्थ्य देखरेख, निर्माण, मोटरवाहन और विद्युत सेवा जैसे मांग वाले क्षेत्रों में युवा लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कौशल का विकास करने पर है। अभी तक 4,22,851 युवाओं को प्रशिक्षण मिला है और 4,67,797 को रोजगार मिल गया है या कौशल विकास के क्षेत्र में उनलोगों ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है।

**सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** : बिहार और केंद्रीय लोक सेवा आयोगों द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षाओं में प्राथमिक जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली महिला प्रत्याशियों को मुख्य चरण की तैयारी के लिए क्रमश: 50,000 रु. और 1,00,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 1615 और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए 102 प्रत्याशियों ने यह लाभ लिया है और इस योजना के तहत अभी तक 9.95 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

**सेवा क्षेत्र प्रशिक्षण** : महिला एवं बाल विकास निगम महिलाओं और किशोरियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कुशल/ आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास के मकसद से प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नियुक्ति और स्वरोजगार का भी प्रावधान है। सेवा क्षेत्र के तहत, महिलाओं को अपने क्षेत्र में विशेष अनुभव और योग्यता रखने वाले प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा गृहकार्य, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर और बिक्री प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिशानिर्देशों के आधार पर चुनी गई प्रशिक्षुओं को कौशल विकास मिशन द्वारा सूचीबद्ध संस्थानों के जरिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

**कौशल प्रशिक्षण** : महिला एवं बाल विकास निगम ने महिलाओं की व्यापक पसंद रहे सिलाई मशीन चालक जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों और सामान्य कार्य सहायक, आपात चिकित्सा तकनीशियन, बिजली मिस्त्री, राजमिस्त्री, बार टेंडर आदि स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक आधुनिक दौर के पाठ्यक्रमों का संयोजन शुरू किया है। समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम ने ऐसे 37 कार्य भूमिकाओं को चुना है और उसकी योजना कृषि ड्रोन तकनीशियन और बेकरी जैसे और भी नए पाठ्यक्रमों को उसमें जोड़ने की है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना (एमएनएसवाइ) के तहत कौशल प्रशिक्षण की समग्र स्थिति तालिका 12.33 में प्रस्तुत है।

तालिका 12.33 : कौशल प्रशिक्षण की स्थिति

| वित्तवर्ष | प्रशिक्षित बैचों की सं. | नामांकित | प्रशिक्षित | मूल्यांकित | प्रमाणित | नियुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 59 | 1593 | 1593 | 1067 | 995 | 342 |
| 2018-19 | 210 | 5488 | 5488 | 4097 | 3821 | 929 |
| 2019-20 | 250 | 6510 | 6510 | 5295 | 5051 | 737 |
| 2020-21 | 65 | 1613 | 1484 | 125 | 116 | 8 |
| 2022-23 | 39 | 946 | 946 | 381 | 367 | 135 |
| 2023-24 | 25 | 731 | 120 | 114 | 104 | 76 |
| 2024-25 | 377 | 11061 | 1364 | 394 | 371 | 114 |
| **योगफल** | **1025** | **27942** | **17505** | **11473** | **10825** | **2340** |

स्रोत : महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार सरकार

## सामाजिक सशक्तीकरण

**पोषण माह अभियान** : पोषण माह 2024 अभियान का फोकस ''पोषण भी पढ़ाई भी' थीम के तहत पोषण और मां-बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर है। अभियान ने रक्ताल्पता के प्रति जागरूकता, विकास अनुश्रवण, और कुपोषण के मूल कारणों को दूर करने के लिए पूरक पोषाहार प्रचलनों को लक्षित किया है। समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के साथ समन्वय और राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण से प्रभाव बढ़ गया, जिससे प्रखंड और ग्राम स्तरीय संगठन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्षम हुए।

**जीविका स्वास्थ्य हेल्प डेस्क** : स्वास्थ्य विभाग के साथ साझीदारी में जीविका स्वास्थ्य हेल्प डेस्क सभी 38 जिलों में, खास कर सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य देखरेख की उपलब्धता बढ़ाता है। सितंबर 2024 तक इसने 11,97,709 ओपीडी रोगियों और 2,16,815 भर्ती रोगियों सहित 14,14,524 रोगियों की सेवा की है, और 92 स्वास्थ्य मित्र दीदियों द्वारा 45,102 कॉल सुने गए हैं। 45 केंद्रों में दो शिफ्ट में चलने वाला हेल्प सेंटर आवश्यक सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य देखरेख संबंधी कमियों को दूर करता है।

**स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता (एचएनएस) उद्यम विकास** : अपने स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता कोष के जरिए जीविका व्यक्तिगत सदस्यों और समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर टिकाऊ उद्यमों की स्थापना में मदद करती है। इस कोष का लक्ष्य व्यक्तिगत उद्यमियों की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रु. बढ़ाना है। सितंबर 2024 तक इस कार्यक्रम ने 22 जिलों की 1,797 महिलाओं का अपना काम शुरू करने के लिहाज से सशक्तीकरण किया है। कोष के तहत व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनो प्रकार के उद्यमों के लिए ऐसे अवसर सृजित किए जाते हैं जिनसे आजीविका और सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार हो तथा स्वच्छता और पोषण को बढ़ावा मिले। इस पहल के जरिए जीविका अर्थव्यवस्था को ही मजबूती नहीं देती है, बिहार में समुदायों को अधिक स्वस्थ, अधिक आत्मनिर्भर भी बनाती है।

**मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना** : यह समेकित महिला सशक्तीकरण योजना है जो 2007-08 से चालू है। इस योजना के तहत चलने वाले कुछ घटक इस प्रकार हैं :

**सर्वसुविधा केंद्र** : सखी सर्वसुविधा केंद्र (वन-स्टॉप सेंटर) घरेलू हिंसा, अवैध मानव व्यापार या किसी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं और किशोरियों को एक ही जगह चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श आदि उपलब्ध कराता है। यह राज्य के सभी 38 जिलों में जिला दंडाधिकारी के नियंत्रण में चलता है। इसके तहत दर्ज और निष्पादित मामलों की स्थिति तालिका 12.34 में दी गई है।

**तालिका 12.34 : सामाजिक सशक्तीकरण घटक के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या**

| मामलों के प्रकार | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | निष्पादित | दर्ज | निष्पादित | दर्ज | निष्पादित |
| घरेलू हिंसा | 5615 | 4912 (87.5) | 5049 | 4470 (88.5) | 3377 | 2593 (76.8) |
| दहेज उत्पीड़न | 11 | 7 (63.6) | 3 | 3 (100) | 2 | 0 |
| दहेज हत्या | 759 | 673 (88.7) | 837 | 764 (91.3) | 526 | 345 (65.6) |
| दूसरा विवाह | 71 | 55 (77.5) | 52 | 56 (107.7) | 32 | 22 (68.6) |
| यौन उत्पीड़न | 147 | 114 (77.6) | 129 | 101 (78.3) | 91 | 58 (63.7) |
| मानव व्यापार | 2 | 4 (200.0) | 9 | 10 (111.1) | 9 | 6 (66.7) |
| कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न | 23 | 21 (91.3) | 24 | 22 (91.7) | 23 | 13 (56.5) |
| मोबाइल और साइबर अपराध से संबंधित | 42 | 30 (71.4) | 142 | 96 (67.6) | 256 | 188 (73.4) |
| बाल विवाह | 48 | 45 (93.8) | 43 | 38 (88.4) | 21 | 16 (76.2) |
| अन्य | 1284 | 1091 (85) | 1229 | 1039 (84.5) | 839 | 693 (82.6) |
| **कुल मामले** | **8002** | **6952 (86.9)** | **7517** | **6599 (87.8)** | **5176** | **3934 (76.1)** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े दर्ज मामलों में निष्पादित मामलों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार सरकार

**विशेष महिला कोषांग** : विशेष महिला कोषांग का मकसद महिलाओं और किशोरियों को प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज करने में मदद करना और पुलिस थानों में किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए पटना के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग चल रहा है।

**महिला हेल्पलाइन 181** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय घरेलू हिंसा, अवैध मानव व्यापार, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन हिंसा, और अन्य प्रकार के उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए चौबीसो घंटे सेवा उपलब्ध कराता है। इस वर्ष महिला हेल्पलाइन 181 के साथ बाल हेल्पलाइन 1098 और आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली 112 की सेवाओं को भी जोड़ा गया है।

**अल्पावास गृह** : घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, दहेज और अन्य कारणों से परिवार और समाज में उत्पीड़ित हो रही महिलाओं और किशोरियों की समस्याओं के समाधान के लिए और उन्हें सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता, तथा कौशल और क्षमता विकास उपलब्ध कराने के लिए अल्पावास गृहों का विकास किया गया है। अल्पावास गृहों का संचालन पुनर्वास होने तक प्रशिक्षण सहित अल्पावास की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से किया जाता है।

**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न** : कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यस्थल-गत महिला यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 पारित किया गया है। अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता आंतरिक समिति गठित करने के लिए जिम्मवार है जबकि यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कराने के लिए स्थानीय समिति गठित करने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी को दी गई है। अधिनियम के अनुसार, सभी जिलों में स्थानीय समितियां और सभी विभागों में आंतरिक समितियां गठित की गईं। जून 2023 में राज्य के 53 विभागों और निदेशालयों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं, अगस्त 2023 में सभी जिलों में गठित स्थानीय समितियों और जिलाधिकारी कार्यालय में गठित आंतरिक समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। और सितंबर 2023 में, सभी रेंज और अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर तबका) में गठित आंतरिक समिति के सदस्यों तथा पुलिस भवन निर्माण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

**पलना घर** : पारिवारिक आय में योगदान के महत्व को समझते हुए महिलाएं रोजगार और सेवाओं अधिकाधिक संलग्न हो रही हैं। अपना काम करने में महिलाओं को सहायता देने के लिहाज से माता-पिता के काम में रहने के दौरान शिशुओं और 5 साल उम्र तक के बच्चों की देखरेख के लिए पलना घर की सुविधा शुरू की गई है। पलना घर में बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए अनुकूल माहौल दिया जाता है, सामूहिक देखरेख की जाती है और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। अभी पटना में 3 पलना घर चल रहे हैं : ((1) पटना सचिवालय में कारा विभाग में, (2) पटना के विश्वेश्वरैया भवन में प्रथम तल पर, और (3) विकास भवन में। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 100 पलना घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। सभी 38 जिलों के मुख्यालयों में एक-एक पलना घर के निर्माण के लिए धनराशि अंतरित की जा रही है। अभी तक 62 पलना घर स्थापित हो गए हैं और सभी जिलों में 100 पलना घरों का काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

**जेंडर संसाधन केंद्र** : महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा जेंडर संसाधन केंद्र की स्थापना लैंगिक विषयों पर प्रशिक्षण, अध्ययन एवं शोध आदि के लिए तथा जेंडर बजट निर्माण में तकनीकी सहयोग देने के लिए की गई है। केंद्र मुख्यत: लैंगिक मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी हितधारकों के संबंध में शोध, विश्लेषण और संवेदनीकरण का काम करता है।

**बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** : यह योजना लड़कियों की रक्षा करने,घटता बाल लिंग अनुपात बढ़ाने तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की पहल है। बालिकाओं का महत्व बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 के अवसर पर बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी 38 जिलों में भी प्रखंड और पंचायत के स्तर पर साइकल रैली, छात्राओं के साथ कॉफी आदि दो-दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पिछले दो महीनों ने निगम द्वारा नुक्कड़ नाटक, पौध रोपण और विद्यालयों में प्रतिरक्षित लड़कियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित करने के लिए वाद-विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताओं के आयोजन कराए गए।

**मासिक स्वच्छता प्रबंधन रोडमैप :** बिहार का मासिक स्वच्छता प्रबंधन रोडमैप महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा जून 2022 में तैयार किया गया। इस रोडमैप के तहत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य कार्यबल और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय कार्यबल गठित किया जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जीविका की प्रमुख भूमिका होगी। रोडमैप के तहत मासिक स्वच्छता प्रबंधन पर सही उपाय और व्यवहार अपनाने के लिए राज्य स्तर पर मीडिया तथा रेडियो अभियानों के जरिए राज्य स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है।

**महिला थाना :** कभी-कभी पुरुष पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के कारण उत्पीड़ित महिला अपनी समस्या उचित ढंग से नहीं बता पाती है जिसके कारण उसकी समस्या का समाधान नहीं भी हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में महिला थाना की अवधारणा विकसित की गई और राज्य में अभी तक 40 महिला थाने कार्यशील हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 01 जनवरी, 2022 से अक्तूबर 2024 तक महिलाओं के साथ हुए अपराध के लिए दर्ज कुल मामलों में से लगभग 48 प्रतिशत का इस अवधि में समाधान हो गया था।

### सांस्कृतिक सशक्तीकरण

**महिला उद्यमी मेला :** महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खास कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, हैंडलूम उत्पाद, आहार सामग्रियों, कला, शिल्प, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला और सजावट आदि के विपणन के लिए महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा महिला उद्यमी मेला आयोजित किया जाता है। वित्तवर्ष 2023-24 में दशहरा मेले में महिला उद्यमियों को 20 स्टॉल आबंटित किए गए थे।

**अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस :** अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर महिलाओं और किशोरियों से संबंधित मुद्दों पर तीन-दिवसीय फिल्मोत्सव आयोजित किया गया। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किया गया। उत्सव में मणिकर्णिका, पिंक, सांड़ की आंख, और अन्य महिला थीम आधारित फिल्में दिखाई गईं।

**नायिका अपने जीवन की :** महिला एवं बाल विकास निगम महिलाओं की चुनौतियों और सफलता की गाथाओं पर चर्चा के लिए 'नायिका अपने जीवन की' नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। निगम द्वारा बच्चों के लिए 'गुल्लक – ज्ञान का पिटारा' नामक पत्रिका भी प्रकाशित करने की योजना है। इस पत्रिका का उद्देश्य मनोरंजन के जरिए ज्ञान बढ़ाना है।

#### सुरक्षित सफर सुविधा

बिहार में यात्रा कर रही महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पुलिस (गृह) विभाग द्वारा ''सुरक्षित सफर सुविधा'' नामक पहल का आरंभ किया गया। यह पहल निबंधन और आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) के जरिए उनकी तत्क्षण ट्रैकिंग की गुंजाइश देकर अकेले या परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं के लिए विश्वसनीय समर्थन प्रणाली उपलब्ध कराती है। पूरे राज्य में इस पहल का आरंभ सितंबर 2024 में हुआ। तेलंगाना और गुजरात के बाद बिहार तीसरा राज्य है जो ऐसी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

इस पहल के तहत आरंभ से दिसंबर 2024 तक प्राप्त 70 अनुरोधों में से सभी के मामले में सफलतापूर्वक सहयोग किया गया। इस सेवा के लिए निबंधन करने पर महिलाओं की यात्रा की ट्रैकिंग की जा सकती है जिससे उन्हें अतिरिक्त स्तर की सुरक्षा मिल जाती है और आपात स्थिति में तत्काल सहायता सुनिश्चित हो जाती है। 112 नंबर डायल करके यह सेवा प्राप्त की जा सकती है जो बिहार के लिए ईआरएसएस नंबर है।

## 12.7 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा की विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक के बतौर पहचान है। अच्छी तरह काम करने वाले कल्याणकारी राज्य को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 77.07 लाख लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक थे जिनका कुल आबादी में 7.4 प्रतिशत हिस्सा था। साथ ही, बिहार में 21.31 लाख लोग (कुल आबादी के 2.2 प्रतिशत) दिव्यांग थे। केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सहयोग देने के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनो द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण योजनाओं का सारांश तालिका 12.35 में दिया गया है।

**तालिका 12.35 : वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजनाएं**

(रु. लाख में)

| योजना का नाम | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि (सं.) | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि (सं.) | वित्तीय उपलब्धि | भौतिक उपलब्धि (सं.) |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 2,23,956.22 | 34,23,892.00 | 1,23,455.08 | 34,53,446.00 | 83,884.68 | 34,94,592.00 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 37,529.86 | 5,58,198.00 | 23,549.18 | 5,88,158.00 | 9,549.49 | 6,08,782.00 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना | 7,170.21 | 1,05,419.00 | 4,712.86 | 1,07,296.00 | 1,519.90 | 1,08,745.00 |
| राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | 2,511.81 | 11,995.00 | 3,693.48 | 13,773.00 | 925.69 | 3,227.00 |
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 40,853.87 | 6,79,059.00 | 27,107.22 | 7,56,073.00 | 15,298.72 | 8,08,295.00 |
| बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना | 49,571.33 | 8,20,410.00 | 31,860.45 | 8,80,542.00 | 17,596.84 | 9,24,577.00 |
| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | 2,31,649.37 | 39,15,991.00 | 1,53,082.26 | 42,65,591.00 | 89,741.15 | 46,10,500.00 |
| कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना | 1,500.00 | 43,455.00 | 1,390.00 | 50,800.00 | 495.00 | 9,096.00 |
| मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना | 500.00 | 2,495.00 | 800.00 | 3,201.00 | 500.00 | 467.00 |
| बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना | 2,500.00 | 13,771.00 | 2,500.00 | 15,168.00 | 1,432.80 | 16,077.00 |
| मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना | 545.51 | 14,299.00 | 984.86 | 16,139.00 | 325.00 | 16,999.00 |
| वृद्धाश्रम * (सहारा) | 308.77 | 210.00 | 371.70 | 304.00 | 200.00 | 382.00 |
| वृद्धाश्रम निर्माण | 323.00 | 4.00 | 149.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना | 7,800.00 | 48,715.00 | 10,343.11 | 61,937.00 | 2,799.46 | 62,347.00 |
| मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह अनुदान योजना | 400.00 | 402.00 | 500.00 | 467.00 | 200.00 | 107.00 |
| बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना | 5,668.45 | 101 बुनियाद केन्द्र | 4,363.53 | 101 बुनियाद केन्द्र | 3250.00 | 101 बुनियाद केन्द्र |
| **योगफल** | **6,12,788.40** | **96,38,315.00** | **3,88,862.73** | **1,02,12,895.00** | **2,27,718.73** | **1,06,64,194.00** |

टिप्पणी : * वृद्धाश्रम निर्माण शामिल

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

उक्त योजनाओं के अलावा भी, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और दिव्यांगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनेक अन्य पहलों का क्रियान्वयन कर रही है जो नीचे वर्णित हैं :

**मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना** : मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए अप्रील 2019 में शुरू हुई नई सर्वव्यापी पेंशन योजना है। इस योजना से 60 वर्ष और अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होते हैं जिन्होंने किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया हो। पेंशन की रकम 60 से 79 वर्ष उम्र समूह के लिए 400 रु. और 80 वर्ष तथा अधिक उम्र के लोगों के लिए 500 रु. प्रति माह है। अभी तक 46.10 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

**अटल वयो अभ्युदय योजना** : यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे देश के वरिष्ठ नागरिकों की महत्वपूर्ण जरूरतों – वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख और जीवन की गुणवत्ता तथा सम्मान में सुधार के लिए मानवीय संवाद – की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। साथ ही, इसमें समाज में जागरूकता वृद्धि और समाज के संवेदनीकरण से शुरू करके बुजुर्गों की सुरक्षा-संरक्षा और आम खुशहाली के पहलू भी शामिल हैं। इस योजना के लिए 2022-23 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय से इस योजना के लिए 7.58 करोड़ रु. विमुक्त किए गए थे। वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्ययोजना मंत्रालय को सुपुर्द कर दी गई है।

**राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर)** : यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा 2018 से 2025 तक की अवधि के लिए किया जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य व्यापक रणनीति के जरिए नशे की लत के प्रतिकूल परिणामों में कमी लाना है। कार्ययोजना की गतिविधियों में विद्यालयों, महाविद्यालयों, और विश्वविद्यालयों में जागरूकता वृद्धि कार्यक्रम, अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं और संगोष्ठियां, समुदाय आधारित सहपाठी-प्रेरित संवाद, समुदाय के अरक्षित किशोर-किशोरियों और युवक-युवतियों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाना, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण शामिल हैं। मंत्रालय ने कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय न्यूनतम बुनियादी सहायता (एनएमबीए) के जरिए पूरे देश के अरक्षित जिलों में हस्तक्षेप के लक्षित कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। राष्ट्रीय न्यूनतम बुनियादी सहायता का क्रियान्वयन बिहार के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए 5.90 करोड़ रु. के बजट वाली बिहार राज्य कार्ययोजना स्वीकृति के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के पास भेजी गई है।

**मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना** : योजना की शुरुआत 2012-13 में की गई थी। इसका मकसद राज्य में निम्न आय वाले परिवार के किसी सदस्य की अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आपराधिक घटना के कारण 18 से 60 वर्ष उम्र के किसी व्यक्ति की दुर्घटनाजनित मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 20,000 रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

**कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना** : इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर अंत्येष्टि में सहायता के लिए 3000 रु. का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। अब लाभार्थियों को ई-सुविधा का उपयोग करके प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में ई-सुविधा पोर्टल के जरिए 50,800 व्यक्तियों को

1390.00 लाख रु. उपलब्ध कराए गए। साथ ही, इसके तहत 5 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक पंचायत को 15,000 रु., 10 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक नगर पंचायत को 30,000 रु., 20 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक नगर परिषद को 60,000 रु. और 30 लाभार्थियों को भुगतान के लिए प्रत्येक नगर निगम को 90,000 रु. अग्रिम के बतौर एकमुश्त उपलब्ध कराए जाते हैं।

**मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना** : इस पहल का लक्ष्य सहयोगपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए भिक्षुकों की देखरेख, संरक्षण, और विकास, तथा सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करके उनके अधिकारों की रक्षा और वृद्धि करना है। वर्ष 2021 में मोबाइल ऍप का उपयोग करके राज्य के सभी 38 जिलों में भिखारियों का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में 15,430 भिखारियों की सफलतापूर्वक पहचान करके उनका प्रलेखन किया गया। उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं तक पहुंच में मदद के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अभी यह योजना राज्य के 10 जिलों (पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, सारण, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, और पूर्णिया) में पूरी तरह काम कर रही है। साथ ही, राज्य में 19 पुनर्वास केंद्रों और पटना में हाफवे होम का प्रबंधन किया जा रहा है।

**बिहार समेकित सामाजिक संरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना (बीआइएसपीएस)** : बिहार समेकित सामाजिक संरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना का लक्ष्य गरीब परिवारों, नि:शक्त व्यक्तियों, और विधवाओं सहित अरक्षित आबादी के लिए सामाजिक संरक्षण सेवाएं बढ़ाना है। योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिला और 63 अनुमंडल मुख्यालयों में एक-एक अर्थात कुल 101 स्थानों पर बुनियाद केंद्र नामक बुनियादी अवसंरचना का निर्माण शामिल है। अक्तूबर 2024 तक 12.65 लाख लाभार्थियों ने बुनियाद केंद्रों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं प्राप्त की हैं। यह पहल आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करके और महत्वपूर्ण सामाजिक देखरेख कार्यक्रमों तक पहुंच में मदद करके लक्षित लाभार्थियों को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

### दिव्यांग-जन सशक्तीकरण निदेशालय

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में 23.31 लाख दिव्यांग हैं। इनमें 9.88 लाख महिलाएं हैं और 13.43 लाख पुरुष हैं। राज्य में 21 प्रकार की नि:शक्तताओं की पहचान की गई है। इनमें सर्वाधिक 7.43 लाख संख्या सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों की है जिसके बाद 5.49 लाख दृष्टिबाधित लोगों की, 3.70 लाख चलने में असमर्थ लोगों की, और 1.27 लाख मानसिक नि:शक्त लोगों की है।

**मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना** : इस योजना का आरंभ 2017-18 में हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम करना और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनका शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण करना तथा उनके अधिकार सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत छत्रक योजना के बतौर चलने वाले 'संबल' के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को निम्नलिखित घटक-वार योजनाओं के जरिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :

**दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग और उपकरण** : इसके तहत दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग और ट्राइसाइकल, हियरिंग ऐड, क्रच, कैलिपर, छड़ी, विशेष सहायता उपकरण आदि सहायक उपकरण और बहुत खास मामलों में सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं।

**दिव्यांग जनों का सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण** : दिव्यांग जनों के सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण का काम समय-समय पर पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करके किया जाता है। इन शिविरों में जांच के बाद मेडिकल टीम द्वारा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

**बैटरी-चालित ट्राइसाइकिल** : मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत 2022-23 से चलने-फिरने में अक्षम व्यक्यिों को राज्य सरकार द्वारा बैटरी-चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में चलने-फिरने में अक्षम 10,000 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था लेकिन 2023-24 से लक्ष्य सीमा समाप्त कर दी गई है और अब पात्रता तथा मापदंड के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को लाभ मिलता है।

**मानसिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष दिवा विद्यालय** : दिवा विद्यालयों के जरिए प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 5 से 18 वर्ष तक उम्र वाले मानसिक नि:शक्त बच्चों के लिए 'चमन' की शुरुआत की गई है। पटना जिले में 2011-12 से ही गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन के जरिए यह विद्यालय चल रहा है।

**विशेष विद्यालय** : दिव्यांग-जन सशक्तीकरण निदेशालय के तहत पटना, दरभंगा, भागलपुर और मुंगेर में तीन अंध विद्यालय, और पांच मूक एवं बधिर विद्यालय चल रहे हैं। ये सभी आवासीय विद्यालय हैं। यहां के निवासी बच्चों को सरकार मुफ्त में आवास, भोजन, अध्ययन सामग्री, खेल सामग्री, मनोरंजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराती है।

**आसरा गृह** : दिव्यांग-जन सशक्तीकरण निदेशालय के तहत पटना में मनोरोगी महिलाओं के लिए पुनर्वास-गृह के बतौर तीन आसरा गृह चल रहे हैं।

**दिव्यांग-जन अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन योजना (एसआइपीडीए - सिपदा)** : दिव्यांगजनों के लिए सर्वत्र पहुंचना संभव बनाने के लिए भारत सरकार सार्वजनिक भवनों, जन परिवहन, और सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बना रही है।

**अद्वितीय दिव्यांगजन दिव्यांगता आइडी (यूडीआइडी)** : अद्वितीय दिव्यांगजन दिव्यांगता आइडी परियोजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार और सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिव्यांग-जन सशक्तीकरण निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य हर दिव्यांग व्यक्ति को अद्वितीय पहचान-पत्र उपलब्ध कराना और भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार तैयार करना है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 12.1 : बिहार की जनसंख्या में दशकीय अंतर

(प्रतिशत में)

| जिले | 1921-31 | 1941-51 | 1961-71 | 1981-91 | 1991-2001 | 2001-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 17.1 | 17.89 | 20.9 | 19.84 | 30.17 | 23.73 |
| नालंदा | 17.1 | 17.89 | 20.04 | 21.73 | 18.64 | 21.39 |
| भोजपुर | 9.88 | 15.45 | 20.46 | 20.26 | 24.58 | 21.63 |
| बक्सर | 9.88 | 15.45 | 20.3 | 18.63 | 29.03 | 21.67 |
| रोहतास | 9.88 | 15.45 | 25.65 | 21.77 | 27.71 | 20.78 |
| कैमूर | 9.88 | 15.45 | 24.87 | 24.2 | 30.64 | 26.17 |
| | | | | | | |
| गया | 10.94 | 10.63 | 23.92 | 23.92 | 30.03 | 26.43 |
| जहानाबाद | 10.94 | 10.63 | 20.37 | 19.43 | 28.64 | 20.59 |
| अरवल | — | — | — | — | — | 19.01 |
| नवादा | 10.94 | 10.63 | 20.54 | 23.7 | 33.08 | 22.63 |
| औरंगाबाद | 10.94 | 10.63 | 22.28 | 24.49 | 30.19 | 26.18 |
| | | | | | | |
| सारण | 6.26 | 10.3 | 18.13 | 23.44 | 26.37 | 21.64 |
| सीवान | 6.26 | 10.3 | 20.51 | 22.04 | 24.78 | 22.7 |
| गोपालगंज | 6.26 | 10.3 | 19.5 | 25.12 | 26.11 | 19.02 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 10.55 | 4.91 | 19.76 | 18.3 | 30.4 | 29.29 |
| पूर्व चंपारण | 10.55 | 4.91 | 18.36 | 25.46 | 29.27 | 29.43 |
| मुजफ्फरपुर | 6.75 | 8.51 | 19.44 | 25.3 | 26.74 | 28.14 |
| सीतामढ़ी | 6.75 | 8.51 | 14.27 | 23.13 | 32.58 | 27.62 |
| शिवहर | 6.75 | 8.51 | 13.27 | 27.34 | 36.16 | 27.19 |
| वैशाली | 6.75 | 8.51 | 19.05 | 29.08 | 26.39 | 28.57 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 8.67 | 9.04 | 21.3 | 25.04 | 30.85 | 19.47 |
| मधुबनी | 8.67 | 9.04 | 18.18 | 21.76 | 26.08 | 25.51 |
| समस्तीपुर | 8.67 | 9.04 | 16.61 | 28.35 | 25.63 | 25.53 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 12.6 | 10.52 | 20.23 | 24.61 | 29.11 | 26.44 |
| मुंगेर | 12.6 | 10.52 | 18.27 | 17.79 | 20.34 | 20.21 |
| शेखपुरा | 12.64 | 10.58 | 19.59 | 19.84 | 24.96 | 21.09 |
| लखीसराय | 12.6 | 10.52 | 24.63 | 21.08 | 23.94 | 24.77 |
| जमुई | 12.6 | 10.52 | 24.38 | 21.9 | 32.9 | 25.85 |
| खगड़िया | 12.6 | 10.52 | 18.57 | 28.44 | 29.32 | 30.19 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 15.24 | 12.25 | 22.31 | 20.67 | 27.24 | 25.13 |
| बांका | 15.24 | 12.25 | 22.06 | 24.44 | 24.47 | 26.14 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 5.81 | 15.94 | 23.88 | 25.54 | 33.03 | 25.79 |
| सुपौल | 5.81 | 15.94 | 28.83 | 23.45 | 29.95 | 28.62 |
| मधेपुरा | 5.81 | 15.91 | 20.57 | 22.16 | 29.45 | 30.65 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 8.16 | 6.13 | 26.92 | 23.76 | 35.23 | 28.66 |
| किशनगंज | 8.16 | 6.13 | 34.6 | 22.2 | 31.5 | 30.44 |
| अररिया | 8.16 | 6.13 | 27.58 | 26.69 | 31.84 | 30 |
| कटिहार | 8.16 | 6.13 | 24.8 | 21.77 | 30.91 | 28.23 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **9.74** | **10.58** | **20.91** | **23.38** | **28.62** | **25.42** |

स्रोत : भारत की जनगणना (बिहार), 2011

## तालिका प 12.2 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

| जिले | जनसंख्या (लाख) | | समग्र लिंग अनुपात | | बाल लिंग अनुपात | | घनत्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 |
| पटना | 47.2 (5.7) | 58.4 (5.6) | 873 | 897 | 923 | 909 | 1471 | 1803 |
| नालंदा | 23.7 (2.9) | 28.8 (2.8) | 914 | 922 | 941 | 931 | 1006 | 1220 |
| भोजपुर | 22.4 (2.7) | 27.3 (2.6) | 901 | 907 | 940 | 918 | 903 | 1136 |
| बक्सर | 14.0 (1.7) | 17.1 (1.6) | 900 | 922 | 929 | 934 | 864 | 1003 |
| रोहतास | 24.5 (3.0) | 29.6 (2.8) | 910 | 918 | 952 | 931 | 636 | 763 |
| कैमूर | 12.9 (1.6) | 16.3 (1.6) | 901 | 920 | 942 | 942 | 382 | 488 |
| | | | | | | | | |
| गया | 34.7 (4.2) | 43.9 (4.2) | 938 | 937 | 968 | 960 | 699 | 880 |
| जहानाबाद | 9.2 (1.1) | 11.3 (1.1) | 927 | 922 | 915 | 922 | 963 | 1206 |
| अरवल | 5.9 (0.7) | 7.0 (0.7) | 931 | 928 | 917 | 940 | — | 1099 |
| नवादा | 18.1 (2.2) | 22.2 (2.1) | 946 | 939 | 978 | 945 | 726 | 889 |
| औरंगाबाद | 20.1 (2.4) | 25.4 (2.4) | 934 | 926 | 941 | 944 | 607 | 760 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 32.5 (3.9) | 39.5 (3.8) | 966 | 954 | 949 | 926 | 1231 | 1493 |
| सीवान | 27.1 (3.3) | 33.3 (3.2) | 1031 | 988 | 933 | 940 | 1221 | 1495 |
| गोपालगंज | 21.5 (2.6) | 25.6 (2.5) | 1001 | 1021 | 964 | 954 | 1057 | 1258 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 30.4 (3.7) | 39.4 (3.8) | 901 | 909 | 952 | 953 | 582 | 750 |
| पूर्व चंपारण | 39.4 (4.7) | 51.0 (4.9) | 896 | 902 | 935 | 933 | 991 | 1281 |
| मुजफ्फरपुर | 37.5 (4.5) | 48.0 (4.6) | 921 | 900 | 927 | 915 | 1180 | 1506 |
| सीतामढ़ी | 26.8 (3.2) | 34.2 (3.3) | 892 | 899 | 924 | 930 | 1214 | 1491 |
| शिवहर | 5.2 (0.6) | 6.6 (0.6) | 883 | 893 | 911 | 929 | 1161 | 1882 |
| वैशाली | 27.2 (3.3) | 35.0 (3.4) | 919 | 895 | 939 | 904 | 1332 | 1717 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 33.0 (4.0) | 39.4 (3.8) | 914 | 911 | 913 | 931 | 1442 | 1721 |
| मधुबनी | 35.8 (4.3) | 44.9 (4.3) | 942 | 926 | 941 | 936 | 1020 | 1279 |
| समस्तीपुर | 33.9 (4.1) | 42.6 (4.1) | 928 | 911 | 937 | 923 | 1175 | 1465 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 23.5 (2.8) | 29.7 (2.9) | 911 | 895 | 947 | 919 | 1222 | 1540 |
| मुंगेर | 11.4 (1.4) | 13.7 (1.3) | 872 | 876 | 916 | 922 | 800 | 958 |
| शेखपुरा | 5.3 (0.6) | 6.4 (0.6) | 920 | 930 | 964 | 940 | 762 | 922 |
| लखीसराय | 8.0 (1.0) | 10.0 (1.0) | 919 | 902 | 954 | 920 | 652 | 815 |
| जमुई | 14 (1.7) | 17.6 (1.7) | 919 | 922 | 965 | 956 | 451 | 567 |
| खगड़िया | 12.8 (1.5) | 16.7 (1.6) | 885 | 886 | 931 | 926 | 859 | 1115 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 24.2 (2.9) | 30.4 (2.9) | 875 | 880 | 967 | 938 | 946 | 1180 |
| बांका | 16.1 (1.9) | 20.3 (2.0) | 909 | 907 | 964 | 943 | 533 | 672 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 15.1 (1.8) | 19.0 (1.8) | 911 | 906 | 910 | 933 | 885 | 1125 |
| सुपौल | 17.3 (2.1) | 22.3 (2.1) | 921 | 929 | 927 | 944 | 724 | 919 |
| मधेपुरा | 15.3 (1.8) | 20.0 (1.9) | 916 | 911 | 930 | 930 | 853 | 1116 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 25.4 (3.1) | 32.6 (3.1) | 916 | 921 | 968 | 954 | 787 | 1014 |
| किशनगंज | 13 (1.6) | 16.9 (1.6) | 934 | 950 | 946 | 971 | 687 | 898 |
| अररिया | 21.6 (2.6) | 28.1 (2.7) | 914 | 921 | 963 | 957 | 751 | 992 |
| कटिहार | 23.9 (2.9) | 30.7 (2.9) | 919 | 919 | 966 | 961 | 782 | 1004 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **830 (100.0)** | **1041 (100.0)** | **919** | **918** | **942** | **935** | **880** | **1106** |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बिहार की कुल आबादी में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं

स्रोत : भारत की जनगणना

## तालिका प 12.3 : बिहार की जिलावार अनुमानित जनसंख्या

(लाख में)

| जिले | 2011 | 2019 | 2021 | 2031 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 58.38 | 67.1 | 69.57 | 79.81 | 88.25 |
| नालंदा | 28.78 | 32.89 | 34.06 | 38.74 | 42.71 |
| भोजपुर | 27.28 | 31.22 | 32.34 | 36.87 | 40.69 |
| बक्सर | 17.06 | 19.49 | 20.18 | 22.97 | 25.36 |
| रोहतास | 29.6 | 33.87 | 35.08 | 39.96 | 44.04 |
| कैमूर | 16.26 | 18.54 | 19.18 | 21.73 | 23.92 |
| | | | | | |
| गया | 43.91 | 50.12 | 51.88 | 59.01 | 65.23 |
| जहानाबाद | 11.25 | 12.87 | 13.32 | 15.16 | 16.71 |
| अरवल | 7.01 | 8 | 8.29 | 9.42 | 10.38 |
| नवादा | 22.19 | 25.33 | 26.22 | 29.71 | 32.62 |
| औरंगाबाद | 25.4 | 29.01 | 30.03 | 34.1 | 37.54 |
| | | | | | |
| सारण | 39.52 | 45.04 | 46.6 | 52.84 | 58.26 |
| सीवान | 33.3 | 37.97 | 39.29 | 44.58 | 49.2 |
| गोपालगंज | 25.62 | 29.17 | 30.17 | 34.12 | 37.51 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 39.35 | 44.86 | 46.42 | 52.42 | 57.4 |
| पूर्व चंपारण | 50.99 | 58.09 | 60.1 | 67.83 | 74.28 |
| मुजफ्फरपुर | 48.01 | 54.93 | 56.89 | 64.86 | 71.64 |
| सीतामढ़ी | 34.24 | 39.01 | 40.37 | 45.68 | 50.22 |
| शिवहर | 6.56 | 7.47 | 7.73 | 8.75 | 9.63 |
| वैशाली | 34.95 | 39.97 | 41.39 | 47.34 | 52.59 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 39.37 | 44.94 | 46.52 | 52.71 | 57.91 |
| मधुबनी | 44.87 | 51.27 | 53.08 | 60.28 | 66.29 |
| समस्तीपुर | 42.62 | 48.62 | 50.32 | 57.01 | 62.64 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 29.71 | 33.9 | 35.1 | 39.73 | 43.58 |
| मुंगेर | 13.68 | 15.69 | 16.26 | 18.59 | 20.52 |
| शेखपुरा | 6.36 | 7.25 | 7.5 | 8.48 | 9.31 |
| लखीसराय | 10.01 | 11.42 | 11.82 | 13.38 | 14.68 |
| जमुई | 17.6 | 20.14 | 20.85 | 23.7 | 26.06 |
| खगड़िया | 16.67 | 18.96 | 19.62 | 22.05 | 24.07 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 30.38 | 34.73 | 35.96 | 40.87 | 44.97 |
| बांका | 20.35 | 23.28 | 24.11 | 27.44 | 30.24 |
| | | | | | |
| सहरसा | 19.01 | 21.67 | 22.43 | 25.32 | 27.7 |
| सुपौल | 22.29 | 25.42 | 26.31 | 29.73 | 32.55 |
| मधेपुरा | 20.02 | 22.83 | 23.62 | 26.66 | 29.15 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 32.65 | 37.15 | 38.42 | 43.27 | 47.34 |
| किशनगंज | 16.9 | 19.2 | 19.85 | 22.21 | 24.13 |
| अररिया | 28.12 | 31.99 | 33.08 | 37.16 | 40.5 |
| कटिहार | 30.71 | 34.96 | 36.16 | 40.66 | 44.31 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **1040.99** | **1188.35** | **1230.11** | **1395.13** | **1534.15** |

स्रोत : भारत की जनगणना (अनुमानित)

तालिका प 12.4 : बिहार में आयु संरचना के अनुसार जिलावार अनुमानित जनसंख्या (प्रतिशत में)

| जिले | 0-19 वर्ष | | | 20-59 वर्ष | | | 60 वर्ष और उससे ऊपर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2031 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 |
| पटना | 40.12 | 31.97 | 27.31 | 52.19 | 58.98 | 61.21 | 7.69 | 9.05 | 11.48 |
| नालंदा | 42.66 | 34.28 | 29.38 | 49.29 | 56.16 | 58.47 | 8.04 | 9.55 | 12.15 |
| भोजपुर | 42.03 | 33.70 | 28.85 | 49.88 | 56.72 | 58.98 | 8.09 | 9.59 | 12.17 |
| बक्सर | 42.61 | 34.22 | 29.28 | 48.79 | 55.56 | 57.75 | 8.60 | 10.21 | 12.96 |
| रोहतास | 42.24 | 33.89 | 29.05 | 50.02 | 56.92 | 59.27 | 7.74 | 9.18 | 11.68 |
| कैमूर | 43.92 | 35.43 | 30.41 | 47.84 | 54.74 | 57.07 | 8.24 | 9.83 | 12.52 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 42.81 | 34.40 | 29.40 | 48.10 | 54.81 | 56.91 | 9.09 | 10.80 | 13.69 |
| जहानाबाद | 42.54 | 34.17 | 29.29 | 49.52 | 56.40 | 58.72 | 7.94 | 9.43 | 11.99 |
| अरवल | 43.00 | 34.58 | 29.64 | 48.80 | 55.67 | 57.96 | 8.20 | 9.75 | 12.40 |
| नवादा | 43.73 | 35.28 | 30.36 | 49.04 | 56.10 | 58.64 | 7.22 | 8.61 | 11.00 |
| औरंगाबाद | 43.18 | 34.76 | 29.83 | 48.92 | 55.84 | 58.21 | 7.90 | 9.40 | 11.97 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 43.73 | 35.25 | 30.20 | 47.52 | 54.32 | 56.54 | 8.75 | 10.43 | 13.26 |
| सीवान | 43.50 | 35.03 | 30.00 | 47.61 | 54.38 | 56.56 | 8.89 | 10.59 | 13.45 |
| गोपालगंज | 44.50 | 35.98 | 30.91 | 47.27 | 54.19 | 56.55 | 8.23 | 9.83 | 12.54 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 44.66 | 36.15 | 31.19 | 48.51 | 55.69 | 58.36 | 6.83 | 8.17 | 10.45 |
| पूर्व चंपारण | 44.88 | 36.35 | 31.36 | 48.13 | 55.28 | 57.93 | 7.00 | 8.38 | 10.72 |
| मुजफ्फरपुर | 42.01 | 33.67 | 28.80 | 49.62 | 56.40 | 58.60 | 8.38 | 9.92 | 12.59 |
| सीतामढ़ी | 44.19 | 35.69 | 30.67 | 47.83 | 54.78 | 57.18 | 7.99 | 9.53 | 12.15 |
| शिवहर | 44.30 | 35.78 | 30.70 | 47.07 | 53.92 | 56.19 | 8.63 | 10.30 | 13.11 |
| वैशाली | 41.31 | 33.01 | 28.08 | 48.61 | 55.09 | 56.91 | 10.07 | 11.90 | 15.01 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 43.71 | 35.25 | 30.32 | 48.87 | 55.89 | 58.39 | 7.43 | 8.85 | 11.29 |
| मधुबनी | 43.13 | 34.72 | 29.83 | 49.37 | 56.36 | 58.80 | 7.50 | 8.92 | 11.37 |
| समस्तीपुर | 43.82 | 35.35 | 30.40 | 48.61 | 55.62 | 58.09 | 7.57 | 9.03 | 11.51 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 43.93 | 35.47 | 30.55 | 49.07 | 56.19 | 58.78 | 6.99 | 8.35 | 10.67 |
| मुंगेर | 41.09 | 32.85 | 28.12 | 51.38 | 58.25 | 60.57 | 7.54 | 8.91 | 11.31 |
| शेखपुरा | 44.44 | 35.93 | 30.91 | 47.86 | 54.87 | 57.35 | 7.69 | 9.20 | 11.74 |
| लखीसराय | 44.01 | 35.54 | 30.59 | 48.73 | 55.80 | 58.35 | 7.25 | 8.66 | 11.06 |
| जमुई | 42.77 | 34.39 | 29.55 | 50.04 | 57.06 | 59.55 | 7.20 | 8.56 | 10.90 |
| खगड़िया | 45.87 | 37.29 | 32.28 | 47.75 | 55.05 | 57.88 | 6.38 | 7.67 | 9.85 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 42.88 | 34.48 | 29.61 | 49.62 | 56.59 | 59.02 | 7.51 | 8.92 | 11.37 |
| बांका | 42.40 | 34.05 | 29.20 | 49.88 | 56.80 | 59.16 | 7.71 | 9.16 | 11.65 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 44.70 | 36.19 | 31.25 | 48.74 | 55.96 | 58.69 | 6.56 | 7.85 | 10.05 |
| सुपौल | 44.46 | 35.97 | 31.04 | 48.89 | 56.09 | 58.79 | 6.64 | 7.95 | 10.17 |
| मधेपुरा | 44.76 | 36.25 | 31.32 | 48.87 | 56.12 | 58.90 | 6.38 | 7.63 | 9.78 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 45.47 | 36.90 | 31.87 | 47.55 | 54.72 | 57.40 | 6.98 | 8.38 | 10.73 |
| किशनगंज | 47.17 | 38.53 | 33.50 | 47.25 | 54.73 | 57.81 | 5.58 | 6.74 | 8.69 |
| अररिया | 46.12 | 37.53 | 32.54 | 47.89 | 55.26 | 58.19 | 6.00 | 7.21 | 9.27 |
| कटिहार | 45.85 | 37.28 | 32.32 | 48.26 | 55.65 | 58.59 | 5.88 | 7.07 | 9.09 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **43.50** | **35.05** | **30.12** | **48.86** | **55.84** | **58.28** | **7.64** | **9.10** | **11.60** |

स्रोत : भारत की जनगणना (अनुमानित)

## तालिका प 12.5 : बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2024 में)

| जिले | जिला अस्पताल (1) | रेफरल अस्पताल (2) | अनुमंडल अस्पताल (3) | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (4) | स्वास्थ्य उप-केंद्र (5) | अ.प्रा.स्वा. केंद्र (6) | योग (1 से 6) | प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 1 | 3 | 4 | 23 | 488 | 67 | 586 | 81 |
| नालंदा | 1 | 2 | 2 | 20 | 371 | 45 | 441 | 126 |
| भोजपुर | 1 | 3 | 1 | 14 | 300 | 27 | 346 | 104 |
| बक्सर | 1 | 0 | 1 | 11 | 149 | 28 | 190 | 91 |
| रोहतास | 1 | 2 | 2 | 19 | 284 | 30 | 338 | 95 |
| कैमूर | 1 | 1 | 1 | 11 | 180 | 20 | 214 | 104 |
| | | | | | | | | |
| गया | 1 | 1 | 2 | 24 | 475 | 54 | 557 | 100 |
| जहानाबाद | 1 | 2 | 0 | 7 | 111 | 31 | 152 | 111 |
| अरवल | 1 | 0 | 0 | 5 | 62 | 28 | 96 | 115 |
| नवादा | 1 | 2 | 1 | 14 | 173 | 36 | 227 | 83 |
| औरंगाबाद | 1 | 3 | 1 | 11 | 247 | 60 | 323 | 101 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 1 | 3 | 1 | 20 | 395 | 35 | 455 | 95 |
| सीवान | 1 | 3 | 1 | 19 | 379 | 47 | 450 | 110 |
| गोपालगंज | 1 | 3 | 1 | 14 | 189 | 22 | 230 | 75 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | | 2 | 2 | 18 | 554 | 34 | 610 | 120 |
| पूर्व चंपारण | 1 | 1 | 5 | 27 | 411 | 72 | 517 | 78 |
| मुजफ्फरपुर | 1 | 1 | 0 | 16 | 520 | 84 | 622 | 101 |
| सीतामढ़ी | 1 | 1 | 2 | 17 | 208 | 38 | 267 | 61 |
| शिवहर | 1 | 0 | 0 | 5 | 92 | 12 | 110 | 132 |
| वैशाली | 1 | 4 | 1 | 16 | 338 | 34 | 394 | 88 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | | 2 | 2 | 18 | 259 | 50 | 331 | 70 |
| मधुबनी | 1 | 3 | 4 | 21 | 438 | 76 | 543 | 96 |
| समस्तीपुर | 1 | 1 | 4 | 20 | 358 | 54 | 438 | 82 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1 | 2 | 2 | 18 | 292 | 22 | 337 | 90 |
| मुंगेर | 1 | 0 | 1 | 9 | 174 | 22 | 207 | 126 |
| शेखपुरा | 1 | 1 | 0 | 6 | 104 | 17 | 129 | 168 |
| लखीसराय | 1 | 1 | 0 | 7 | 102 | 12 | 123 | 98 |
| जमुई | 1 | 3 | 0 | 10 | 277 | 24 | 315 | 142 |
| खगड़िया | 1 | 1 | 1 | 7 | 194 | 25 | 229 | 105 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1 | 3 | 2 | 16 | 346 | 53 | 421 | 111 |
| बांका | 1 | 3 | 0 | 11 | 271 | 29 | 315 | 122 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 1 | 0 | 1 | 10 | 165 | 28 | 205 | 86 |
| सुपौल | 1 | 2 | 3 | 11 | 314 | 16 | 347 | 121 |
| मधेपुरा | 1 | 0 | 1 | 13 | 272 | 29 | 316 | 120 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | | 2 | 2 | 14 | 473 | 44 | 535 | 128 |
| किशनगंज | 1 | 1 | 0 | 7 | 259 | 12 | 280 | 127 |
| अररिया | 1 | 2 | 1 | 9 | 221 | 37 | 271 | 74 |
| कटिहार | 1 | 1 | 2 | 16 | 343 | 45 | 408 | 104 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **35** | **67** | **54** | **534** | **10788** | **1399** | **12877** | **99** |

टिप्पणी : जनसंख्या के आंकड़े 2021 के हैं; अ.प्रा.स्वा. केंद्र - अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.6 : प्रतिदिन पहुंचने वाली वाह्यरोगी और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर

| जिले | प्रतिदिन प्रति अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की औसत संख्या | | | | भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 24 तक) | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (सितंबर 24 तक) |
| पटना | 264 | 366 | 431 | 456 | 115 | 59 | 19 | 27 |
| नालंदा | 195 | 261 | 356 | 328 | 57 | 62 | 24 | 32 |
| भोजपुर | 117 | 194 | 256 | 276 | 13 | 11 | 13 | 27 |
| बक्सर | 155 | 248 | 280 | 255 | 37 | 24 | 54 | 63 |
| रोहतास | 151 | 224 | 336 | 357 | 33 | 33 | 80 | 92 |
| कैमूर | 170 | 245 | 398 | 387 | 41 | 42 | 65 | 70 |
| | | | | | | | | |
| गया | 236 | 269 | 314 | 340 | 31 | 33 | 84 | 101 |
| जहानाबाद | 156 | 326 | 375 | 370 | 18 | 23 | 20 | 23 |
| अरवल | 145 | 222 | 292 | 317 | 17 | 28 | 21 | 41 |
| नवादा | 171 | 272 | 288 | 299 | 25 | 38 | 57 | 62 |
| औरंगाबाद | 261 | 319 | 367 | 362 | 23 | 26 | 34 | 40 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 279 | 394 | 420 | 385 | 84 | 74 | 127 | 124 |
| सीवान | 148 | 227 | 326 | 408 | 28 | 36 | 36 | 45 |
| गोपालगंज | 161 | 199 | 232 | 241 | 25 | 37 | 37 | 38 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 127 | 218 | 366 | 306 | 19 | 32 | 48 | 58 |
| पूर्व चंपारण | 207 | 294 | 355 | 339 | 26 | 23 | 35 | 40 |
| मुजफ्फरपुर | 375 | 445 | 479 | 544 | 110 | 84 | 61 | 54 |
| सीतामढ़ी | 129 | 184 | 240 | 300 | 18 | 27 | 48 | 63 |
| शिवहर | 119 | 216 | 246 | 270 | 11 | 18 | 33 | 35 |
| वैशाली | 187 | 286 | 344 | 358 | 26 | 66 | 66 | 66 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 349 | 493 | 516 | 446 | 31 | 43 | 28 | 31 |
| मधुबनी | 182 | 385 | 446 | 424 | 19 | 26 | 39 | 57 |
| समस्तीपुर | 190 | 310 | 440 | 556 | 46 | 51 | 72 | 95 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 205 | 305 | 354 | 410 | 56 | 54 | 61 | 73 |
| मुंगेर | 172 | 342 | 491 | 488 | 41 | 54 | 77 | 75 |
| शेखपुरा | 109 | 198 | 266 | 287 | 33 | 31 | 43 | 52 |
| लखीसराय | 244 | 278 | 402 | 403 | 34 | 27 | 49 | 52 |
| जमुई | 93 | 154 | 243 | 264 | 17 | 17 | 31 | 42 |
| खगड़िया | 276 | 460 | 657 | 674 | 65 | 58 | 70 | 55 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 151 | 312 | 522 | 502 | 161 | 172 | 79 | 76 |
| बांका | 123 | 217 | 325 | 380 | 35 | 53 | 73 | 72 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 136 | 204 | 286 | 270 | 67 | 60 | 99 | 124 |
| सुपौल | 166 | 284 | 482 | 423 | 36 | 89 | 103 | 89 |
| मधेपुरा | 234 | 330 | 378 | 411 | 61 | 59 | 47 | 54 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 195 | 276 | 381 | 392 | 39 | 101 | 54 | 61 |
| किशनगंज | 408 | 498 | 586 | 564 | 43 | 56 | 48 | 70 |
| अररिया | 223 | 347 | 416 | 392 | 20 | 37 | 30 | 40 |
| कटिहार | 179 | 276 | 280 | 272 | 17 | 29 | 24 | 26 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **197** | **295** | **373** | **382** | **42** | **47** | **47** | **54** |

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.7 : स्थायी और संविदाधीन चिकित्सकों का जिलावार नियोजन

(आंकड़े संख्या में)

| जिले | स्वीकृत पदों की वर्तमान सं. | | नियोजित चिकित्सकों की संख्या | | | | प्रति लाख आबादी पर चिकित्सक * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | संविदाधीन | स्थायी | | संविदाधीन | | |
| | | | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | |
| पटना | 925 | 276 | 588 | 588 | 141 | 34 | 8.6 |
| नालंदा | 461 | 162 | 288 | 288 | 90 | 14 | 8.6 |
| भोजपुर | 355 | 112 | 255 | 255 | 55 | 10 | 8.0 |
| बक्सर | 238 | 87 | 135 | 135 | 53 | 15 | 7.2 |
| रोहतास | 373 | 140 | 187 | 187 | 81 | 15 | 5.7 |
| कैमूर | 225 | 106 | 114 | 114 | 71 | 6 | 5.8 |
| | | | | | | | |
| गया | 485 | 204 | 251 | 251 | 116 | 16 | 4.8 |
| जहानाबाद | 222 | 80 | 163 | 163 | 41 | 9 | 12.6 |
| अरवल | 150 | 60 | 106 | 106 | 36 | 6 | 13.4 |
| नवादा | 323 | 114 | 164 | 164 | 58 | 14 | 6.5 |
| औरंगाबाद | 344 | 126 | 182 | 182 | 79 | 13 | 6.1 |
| | | | | | | | |
| सारण | 430 | 168 | 274 | 274 | 103 | 27 | 6.3 |
| सीवान | 410 | 158 | 186 | 186 | 100 | 21 | 5.1 |
| गोपालगंज | 312 | 118 | 185 | 185 | 82 | 20 | 6.7 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 350 | 149 | 173 | 173 | 81 | 7 | 3.5 |
| पूर्व चंपारण | 593 | 211 | 325 | 325 | 161 | 37 | 5.5 |
| मुजफ्फरपुर | 537 | 166 | 304 | 304 | 98 | 24 | 5.3 |
| सीतामढ़ी | 393 | 138 | 206 | 206 | 86 | 41 | 5.7 |
| शिवहर | 151 | 46 | 94 | 94 | 21 | 5 | 11.9 |
| वैशाली | 323 | 152 | 244 | 244 | 101 | 19 | 5.9 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 373 | 166 | 224 | 224 | 98 | 18 | 5.1 |
| मधुबनी | 572 | 188 | 271 | 271 | 111 | 31 | 5.4 |
| समस्तीपुर | 493 | 180 | 283 | 283 | 118 | 17 | 5.6 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 372 | 139 | 174 | 174 | 91 | 31 | 5.5 |
| मुंगेर | 239 | 85 | 122 | 122 | 34 | 6 | 7.8 |
| शेखपुरा | 137 | 57 | 86 | 86 | 27 | 2 | 11.4 |
| लखीसराय | 155 | 58 | 95 | 95 | 30 | 7 | 8.2 |
| जमुई | 202 | 86 | 91 | 91 | 45 | 14 | 4.7 |
| खगड़िया | 217 | 69 | 131 | 131 | 41 | 7 | 6.4 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 410 | 165 | 227 | 227 | 74 | 19 | 6.5 |
| बांका | 216 | 92 | 123 | 123 | 43 | 17 | 5.4 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 274 | 94 | 91 | 91 | 52 | 13 | 4.3 |
| सुपौल | 273 | 91 | 150 | 150 | 45 | 10 | 5.6 |
| मधेपुरा | 309 | 91 | 152 | 152 | 47 | 10 | 6.2 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 287 | 133 | 195 | 195 | 62 | 13 | 5.0 |
| किशनगंज | 175 | 61 | 63 | 63 | 29 | 6 | 3.1 |
| अररिया | 225 | 89 | 111 | 111 | 53 | 12 | 3.4 |
| कटिहार | 366 | 134 | 131 | 131 | 66 | 16 | 3.7 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **12895** | **4751** | **7144** | **7144** | **2720** | **602** | **5.9** |

टिप्पणी * : गणना के लिए 2021 की अनुमानित आबादी का उपयोग किया गया है

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.8 : 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन

(आंकड़े संख्या में)

| जिले | स्वीकृत पदों की वर्तमान सं. | | नियोजित 'ए' श्रेणी नर्सों की संख्या | | | | प्रति लाख आबादी पर ए-ग्रेड नर्सें * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | संविदाधीन | स्थायी | | संविदाधीन | | |
| | | | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | |
| पटना | 2605 | 263 | 2222 | 2222 | 134 | 60 | 31.6 |
| नालंदा | 711 | 164 | 315 | 315 | 110 | 56 | 10.6 |
| भोजपुर | 478 | 96 | 161 | 161 | 60 | 32 | 5.8 |
| बक्सर | 117 | 93 | 97 | 97 | 58 | 41 | 6.6 |
| रोहतास | 286 | 145 | 144 | 144 | 93 | 59 | 5.7 |
| कैमूर | 236 | 76 | 118 | 118 | 44 | 30 | 7.2 |
| | | | | | | | |
| गया | 845 | 212 | 551 | 551 | 134 | 83 | 11.4 |
| जहानाबाद | 150 | 92 | 86 | 86 | 63 | 33 | 8.7 |
| अरवल | 95 | 78 | 59 | 59 | 42 | 30 | 10.7 |
| नवादा | 288 | 113 | 135 | 135 | 72 | 40 | 6.4 |
| औरंगाबाद | 256 | 183 | 146 | 146 | 104 | 64 | 6.6 |
| | | | | | | | |
| सारण | 450 | 122 | 204 | 204 | 75 | 45 | 5.2 |
| सीवान | 419 | 136 | 129 | 129 | 79 | 43 | 4.2 |
| गोपालगंज | 388 | 110 | 193 | 193 | 67 | 38 | 7.6 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 625 | 170 | 243 | 243 | 78 | 50 | 5.8 |
| पूर्व चंपारण | 674 | 222 | 280 | 280 | 131 | 68 | 5.3 |
| मुजफ्फरपुर | 1491 | 190 | 753 | 753 | 119 | 80 | 13.5 |
| सीतामढ़ी | 484 | 133 | 226 | 226 | 75 | 50 | 6.3 |
| शिवहर | 82 | 53 | 47 | 47 | 31 | 17 | 7.7 |
| वैशाली | 334 | 178 | 181 | 181 | 138 | 61 | 5.4 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 1166 | 191 | 772 | 772 | 103 | 51 | 17.5 |
| मधुबनी | 614 | 166 | 256 | 256 | 91 | 65 | 5.7 |
| समस्तीपुर | 584 | 167 | 201 | 201 | 98 | 77 | 5.2 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 401 | 135 | 168 | 168 | 75 | 38 | 5.5 |
| मुंगेर | 216 | 71 | 159 | 159 | 40 | 27 | 11.3 |
| शेखपुरा | 90 | 51 | 64 | 64 | 14 | 9 | 9.5 |
| लखीसराय | 105 | 58 | 60 | 60 | 40 | 23 | 6.6 |
| जमुई | 140 | 95 | 92 | 92 | 58 | 36 | 5.8 |
| खगड़िया | 215 | 70 | 81 | 81 | 44 | 24 | 4.8 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 826 | 164 | 629 | 629 | 90 | 54 | 17.9 |
| बांका | 177 | 100 | 96 | 96 | 66 | 41 | 5.3 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 232 | 151 | 106 | 106 | 96 | 37 | 6.0 |
| सुपौल | 241 | 98 | 89 | 89 | 57 | 37 | 4.4 |
| मधेपुरा | 486 | 100 | 233 | 233 | 59 | 35 | 10.2 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 348 | 167 | 134 | 134 | 89 | 52 | 4.4 |
| किशनगंज | 106 | 71 | 40 | 40 | 13 | 9 | 2.2 |
| अररिया | 153 | 133 | 79 | 79 | 65 | 47 | 3.4 |
| कटिहार | 286 | 153 | 92 | 92 | 79 | 48 | 3.6 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **17460** | **4970** | **9650** | **9650** | **2875** | **1690** | **8.7** |

टिप्पणी * : गणना के लिए 2021 की अनुमानित आबादी का उपयोग किया गया है

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.9 : एएनएम का जिलावार नियोजन

(आंकड़े संख्या में)

| जिले | स्वीकृत पदों की सं. | | नियोजित ए.एन.एम. की संख्या | | | | नियोजित ए.एन.एम. की संख्या* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | संविदाधीन | स्थायी | | संविदाधीन | | |
| | | | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | |
| पटना | 2110 | 387 | 950 | 1364 | 381 | 356 | 23.8 |
| नालंदा | 915 | 413 | 644 | 791 | 392 | 403 | 34.2 |
| भोजपुर | 720 | 339 | 475 | 512 | 314 | 321 | 25.1 |
| बक्सर | 371 | 182 | 199 | 234 | 146 | 149 | 18.4 |
| रोहतास | 1031 | 302 | 520 | 524 | 281 | 285 | 22.6 |
| कैमूर | 464 | 192 | 259 | 257 | 168 | 171 | 20.9 |
| | | | | | | | |
| गया | 1654 | 545 | 551 | 559 | 510 | 106 | 12.0 |
| जहानाबाद | 638 | 129 | 310 | 401 | 111 | 118 | 37.9 |
| अरवल | 278 | 73 | 160 | 157 | 64 | 67 | 26.9 |
| नवादा | 886 | 204 | 309 | 426 | 179 | 181 | 22.3 |
| औरंगाबाद | 559 | 277 | 384 | 406 | 252 | 260 | 20.8 |
| | | | | | | | |
| सारण | 879 | 449 | 485 | 383 | 408 | 376 | 15.8 |
| सीवान | 501 | 410 | 291 | 262 | 347 | 341 | 14.8 |
| गोपालगंज | 451 | 202 | 168 | 177 | 173 | 188 | 12.0 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 719 | 573 | 471 | 286 | 477 | 487 | 15.2 |
| पूर्व चंपारण | 441 | 439 | 291 | 229 | 334 | 391 | 9.4 |
| मुजफ्फरपुर | 822 | 544 | 682 | 585 | 504 | 498 | 17.6 |
| सीतामढ़ी | 1475 | 235 | 223 | 198 | 201 | 212 | 9.4 |
| शिवहर | 252 | 97 | 82 | 86 | 62 | 68 | 18.5 |
| वैशाली | 777 | 369 | 437 | 522 | 329 | 344 | 19.3 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 642 | 319 | 394 | 321 | 300 | 302 | 13.2 |
| मधुबनी | 1014 | 399 | 462 | 393 | 359 | 333 | 12.9 |
| समस्तीपुर | 913 | 391 | 686 | 687 | 372 | 374 | 19.8 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 654 | 338 | 423 | 490 | 323 | 328 | 21.8 |
| मुंगेर | 504 | 192 | 354 | 482 | 175 | 183 | 40.5 |
| शेखपुरा | 256 | 94 | 171 | 222 | 79 | 88 | 40.3 |
| लखीसराय | 495 | 111 | 247 | 281 | 96 | 107 | 31.1 |
| जमुई | 621 | 296 | 354 | 326 | 278 | 268 | 26.8 |
| खगड़िया | 443 | 198 | 464 | 326 | 180 | 191 | 23.8 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 871 | 426 | 207 | 736 | 403 | 394 | 29.7 |
| बांका | 854 | 256 | 382 | 440 | 240 | 245 | 26.6 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 330 | 196 | 185 | 142 | 174 | 170 | 13.0 |
| सुपौल | 890 | 195 | 456 | 340 | 136 | 136 | 16.6 |
| मधेपुरा | 923 | 288 | 377 | 407 | 268 | 265 | 25.6 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1066 | 365 | 540 | 394 | 344 | 331 | 17.3 |
| किशनगंज | 557 | 165 | 297 | 237 | 106 | 100 | 15.3 |
| अररिया | 1188 | 255 | 625 | 484 | 172 | 165 | 17.7 |
| कटिहार | 1325 | 359 | 690 | 310 | 339 | 338 | 16.4 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **29479** | **11204** | **15205** | **15377** | **9977** | **9640** | **19.2** |

टिप्पणी * : गणना के लिए 2021 की अनुमानित आबादी का उपयोग किया गया है

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.10 : आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन

(आंकड़े संख्या में)

| जिले | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 (सितंबर 2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | चयन | लक्ष्य | चयन | लक्ष्य | चयन |
| पटना | 3461 | 3289 | 3461 | 3344 | 3461 | 3377 |
| नालंदा | 2415 | 2241 | 2415 | 2275 | 2415 | 2312 |
| भोजपुर | 2331 | 2298 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 |
| बक्सर | 1551 | 1461 | 1551 | 1461 | 1551 | 1461 |
| रोहतास | 2538 | 2373 | 2538 | 2397 | 2538 | 2419 |
| कैमूर | 1570 | 1520 | 1570 | 1527 | 1570 | 1536 |
| | | | | | | |
| गया | 3878 | 3619 | 3878 | 3640 | 3878 | 3722 |
| जहानाबाद | 990 | 957 | 990 | 972 | 990 | 976 |
| अरवल | 749 | 732 | 749 | 733 | 749 | 738 |
| नवादा | 2004 | 1886 | 2004 | 1917 | 2004 | 1910 |
| औरंगाबाद | 2299 | 2288 | 2299 | 2282 | 2299 | 2286 |
| | | | | | | |
| सारण | 3602 | 3441 | 3602 | 3506 | 3602 | 3519 |
| सीवान | 3136 | 2949 | 3136 | 2953 | 3136 | 3042 |
| गोपालगंज | 2396 | 2375 | 2396 | 2352 | 2396 | 2334 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3644 | 3534 | 3644 | 3538 | 3644 | 3617 |
| पूर्व चंपारण | 4684 | 4612 | 4684 | 4653 | 4684 | 4661 |
| मुजफ्फरपुर | 4510 | 4274 | 4510 | 4332 | 4510 | 4342 |
| सीतामढ़ी | 3259 | 3158 | 3259 | 3225 | 3259 | 3236 |
| शिवहर | 646 | 520 | 646 | 529 | 646 | 524 |
| वैशाली | 3265 | 3160 | 3265 | 3165 | 3265 | 3186 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 3729 | 3255 | 3729 | 3497 | 3729 | 3627 |
| मधुबनी | 4298 | 4033 | 4298 | 4055 | 4298 | 4177 |
| समस्तीपुर | 4161 | 3903 | 4161 | 3981 | 4161 | 4044 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 2493 | 2314 | 2493 | 2337 | 2493 | 2348 |
| मुंगेर | 1014 | 973 | 1014 | 985 | 1014 | 986 |
| शेखपुरा | 526 | 509 | 526 | 507 | 526 | 505 |
| लखीसराय | 900 | 819 | 900 | 833 | 900 | 830 |
| जमुई | 1654 | 1544 | 1654 | 1540 | 1654 | 1540 |
| खगड़िया | 1571 | 1548 | 1571 | 1548 | 1571 | 1548 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 2435 | 2300 | 2435 | 2386 | 2435 | 2360 |
| बांका | 1966 | 1863 | 1966 | 1944 | 1966 | 1932 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 1823 | 1798 | 1823 | 1810 | 1823 | 1810 |
| सुपौल | 2140 | 2090 | 2140 | 2098 | 2140 | 2091 |
| मधेपुरा | 2049 | 1918 | 2049 | 1984 | 2049 | 2004 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 2983 | 2951 | 2983 | 2974 | 2983 | 2975 |
| किशनगंज | 1585 | 1550 | 1585 | 1550 | 1585 | 1550 |
| अररिया | 2637 | 2568 | 2637 | 2597 | 2637 | 2607 |
| कटिहार | 2795 | 2777 | 2795 | 2784 | 2795 | 2779 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **93687** | **89400** | **93687** | **90542** | **93687** | **91242** |

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

**तालिका प 12.11 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन**

(आंकड़े हजार में)

| जिले | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 60 | 57 | 49 | 49 | 53 | 56 |
| नालंदा | 42 | 42 | 40 | 38 | 39 | 41 |
| भोजपुर | 37 | 39 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| बक्सर | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 |
| रोहतास | 25 | 28 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| कैमूर | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | |
| गया | 50 | 51 | 45 | 42 | 46 | 50 |
| जहानाबाद | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| अरवल | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| नवादा | 31 | 33 | 33 | 29 | 33 | 36 |
| औरंगाबाद | 33 | 35 | 33 | 32 | 34 | 34 |
| | | | | | | |
| सारण | 50 | 56 | 46 | 51 | 50 | 53 |
| सीवान | 40 | 40 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| गोपालगंज | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 73 | 70 | 57 | 63 | 66 | 71 |
| पूर्व चंपारण | 65 | 66 | 68 | 64 | 67 | 72 |
| मुजफ्फरपुर | 55 | 56 | 56 | 57 | 59 | 65 |
| सीतामढ़ी | 49 | 50 | 52 | 52 | 50 | 52 |
| शिवहर | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| वैशाली | 61 | 63 | 62 | 58 | 57 | 61 |
| दरभंगा | 56 | 55 | 47 | 50 | 52 | 57 |
| मधुबनी | 59 | 62 | 58 | 55 | 54 | 55 |
| समस्तीपुर | 88 | 92 | 87 | 84 | 81 | 82 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 52 | 56 | 55 | 51 | 52 | 53 |
| मुंगेर | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 |
| शेखपुरा | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| लखीसराय | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| जमुई | 28 | 28 | 25 | 22 | 25 | 25 |
| खगड़िया | 38 | 39 | 40 | 37 | 40 | 42 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 53 | 52 | 50 | 48 | 54 | 56 |
| बांका | 36 | 36 | 37 | 31 | 36 | 41 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 41 | 43 | 43 | 40 | 45 | 47 |
| सुपौल | 50 | 51 | 52 | 45 | 50 | 52 |
| मधेपुरा | 47 | 49 | 51 | 44 | 50 | 53 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 74 | 80 | 80 | 72 | 79 | 84 |
| किशनगंज | 26 | 28 | 29 | 26 | 28 | 29 |
| अररिया | 55 | 59 | 61 | 57 | 62 | 64 |
| कटिहार | 61 | 65 | 55 | 56 | 61 | 66 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **1602** | **1647** | **1577** | **1501** | **1572** | **1652** |

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.12 : रोगों की व्याप्ति (2023–24)

(आंकड़े संख्या में)

| जिले | तीव्र विसूचिका (तीव्र जठरांत्र शोथ सहित) | खूनी पेचिश | वायरल हिपेटाइटिस | आंत्र ज्वर | मलेरिया | तीव्र श्वास संक्रमण/ इनफ्लुएंजा जैसा संक्रमण | कुत्ता काटना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 1729 | 1138 | 170 | 4651 | 1331 | 1638 | 28229 |
| नालंदा | 4 | 312 | 19 | 414 | 166 | 0 | 17354 |
| भोजपुर | 5039 | 759 | 10 | 1 | 61 | 693 | 9776 |
| बक्सर | 406 | 128 | 2 | 72 | 50 | 334 | 3666 |
| रोहतास | 26 | 9 | 8 | 257 | 60 | 5 | 1618 |
| कैमूर | 3 | 0 | 18 | 266 | 313 | 0 | 4864 |
| | | | | | | | |
| गया | 3 | 101 | 6 | 7 | 286 | 256 | 6077 |
| जहानाबाद | 881 | 1779 | 9 | 355 | 112 | 214 | 10217 |
| अरवल | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 1548 |
| नवादा | 384 | 138 | 11 | 15 | 1510 | 2 | 5805 |
| औरंगाबाद | 0 | 0 | 25 | 284 | 1704 | 0 | 860 |
| | | | | | | | |
| सारण | 1 | 104 | 23 | 34 | 681 | 0 | 5047 |
| सीवान | 161 | 605 | 7 | 581 | 298 | 254 | 5481 |
| गोपालगंज | 296 | 187 | 13 | 96 | 381 | 0 | 16376 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 76 | 114 | 3 | 497 | 102 | 0 | 16125 |
| पूर्व चंपारण | 669 | 118 | 9 | 471 | 810 | 0 | 11229 |
| मुजफ्फरपुर | 450 | 395 | 16 | 1308 | 334 | 1 | 5112 |
| सीतामढ़ी | 0 | 20 | 8 | 132 | 168 | 2290 | 4281 |
| शिवहर | 630 | 1414 | 0 | 1 | 0 | 129 | 1952 |
| वैशाली | 934 | 158 | 106 | 340 | 283 | 327 | 12064 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 79 | 455 | 34 | 822 | 2651 | 1142 | 5220 |
| मधुबनी | 1537 | 660 | 11 | 47 | 1076 | 1869 | 7214 |
| समस्तीपुर | 1568 | 1295 | 15 | 1292 | 2630 | 106 | 6344 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2265 | 267 | 10 | 1134 | 1727 | 317 | 4115 |
| मुंगेर | 2 | 180 | 1 | 1605 | 712 | 463 | 2851 |
| शेखपुरा | 0 | 92 | 0 | 8 | 49 | 0 | 1770 |
| लखीसराय | 128 | 63 | 9 | 1 | 550 | 8 | 1956 |
| जमुई | 70 | 96 | 4 | 269 | 436 | 7 | 5225 |
| खगड़िया | 257 | 707 | 2 | 82 | 54 | 342 | 1966 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 142 | 79 | 10 | 1154 | 435 | 1 | 3505 |
| बांका | 392 | 1 | 4 | 2176 | 1463 | 24 | 2203 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 368 | 358 | 3 | 301 | 364 | 445 | 5530 |
| सुपौल | 0 | 125 | 10 | 194 | 657 | 229 | 2389 |
| मधेपुरा | 829 | 9 | 8 | 313 | 222 | 69 | 3656 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 3295 | 5503 | 4 | 3984 | 720 | 4722 | 6334 |
| किशनगंज | 388 | 1592 | 1 | 143 | 55 | 70 | 2600 |
| अररिया | 6 | 486 | 9 | 1043 | 53 | 1 | 8562 |
| कटिहार | 2625 | 3134 | 4 | 77 | 45 | 1424 | 5246 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **25643** | **22581** | **604** | **24431** | **22576** | **17382** | **244367** |

टिप्पणी : अज्ञात मूल ज्वर (पीयूओ), न्यूमोनिया, राज्य में होने वाला कोई अन्य खास रोग (उल्लेख करें) और असामान्य लक्षण समूह को वर्तमान आइएचआइपी/ आइडीएसपी पोर्टल में कैप्चर नहीं किया जा रहा है।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.13 : स्वास्थ्य समितियों को जिलावार वितरित धनराशि

(करोड़ रु.)

| जिले | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 60.65 | 65.97 | 60.5 | 56.32 | 60.22 | 86.06 |
| नालंदा | 50.47 | 52.3 | 48 | 47.56 | 47.30 | 66.86 |
| भोजपुर | 41.17 | 37.44 | 33.56 | 35.23 | 31.23 | 51.61 |
| बक्सर | 29.11 | 28.1 | 39.03 | 18.59 | 31.12 | 33.95 |
| रोहतास | 24.47 | 43.95 | 49.79 | 23.91 | 33.63 | 55.99 |
| कैमूर | 26.66 | 33.96 | 34.16 | 23.26 | 26.01 | 36.24 |
| | | | | | | |
| गया | 54.08 | 72.86 | 72.69 | 37.39 | 61.69 | 97.73 |
| जहानाबाद | 22.43 | 16.15 | 23.5 | 14.33 | 17.43 | 26.24 |
| अरवल | 19.71 | 11.91 | 13.92 | 10.57 | 11.23 | 15.85 |
| नवादा | 26.41 | 38.45 | 34.67 | 22.71 | 25.72 | 38.19 |
| औरंगाबाद | 29.59 | 40.72 | 42.73 | 20.53 | 33.31 | 49.25 |
| | | | | | | |
| सारण | 43.35 | 62.19 | 69.68 | 51.74 | 61.85 | 73.85 |
| सीवान | 36.64 | 50.89 | 61.18 | 34.78 | 38.90 | 54.69 |
| गोपालगंज | 33.07 | 41.91 | 48.74 | 31.61 | 35.88 | 46.33 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 615.2 | 50.53 | 74.77 | 38.63 | 51.98 | 73.12 |
| पूर्व चंपारण | 59.96 | 49.95 | 79.76 | 76.10 | 58.82 | 78.84 |
| मुजफ्फरपुर | 50.6 | 28.7 | 68.41 | 65.90 | 48.93 | 74.84 |
| सीतामढ़ी | 56.16 | 36.1 | 52.55 | 34.97 | 42.12 | 54.11 |
| शिवहर | 20.73 | 11.36 | 9.95 | 10.63 | 10.38 | 13.00 |
| वैशाली | 59.33 | 51.77 | 69.87 | 39.55 | 42.14 | 65.14 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 45.19 | 50.5 | 67.08 | 49.41 | 43.80 | 59.22 |
| मधुबनी | 60.33 | 112.96 | 97.18 | 64.20 | 46.85 | 62.85 |
| समस्तीपुर | 58.85 | 69.5 | 89.18 | 72.25 | 54.46 | 82.36 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 51.47 | 41.48 | 61.89 | 35.51 | 41.64 | 60.04 |
| मुंगेर | 23.87 | 28.84 | 27.65 | 23.48 | 27.46 | 36.52 |
| शेखपुरा | 22.75 | 12.04 | 15.69 | 12.66 | 13.35 | 19.47 |
| लखीसराय | 19.78 | 18.52 | 10.65 | 13.74 | 16.23 | 24.45 |
| जमुई | 28 | 34.41 | 28.76 | 30.21 | 25.93 | 37.95 |
| खगड़िया | 27.38 | 28.98 | 39.63 | 23.22 | 19.60 | 34.01 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 41.23 | 52.78 | 61.26 | 47.89 | 46.84 | 66.59 |
| बांका | 27.06 | 41.75 | 33.26 | 37.89 | 27.35 | 41.81 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 33.5 | 32.06 | 45.97 | 26.90 | 30.03 | 37.81 |
| सुपौल | 30.29 | 41.71 | 46.8 | 23.31 | 25.52 | 39.74 |
| मधेपुरा | 29.74 | 48.28 | 38.82 | 35.13 | 31.84 | 46.60 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 62.73 | 49.49 | 60.61 | 65.51 | 41.02 | 60.21 |
| किशनगंज | 265.91 | 24.28 | 27.32 | 13.34 | 18.34 | 27.00 |
| अररिया | 37.8 | 47.35 | 34.73 | 34.46 | 29.07 | 41.79 |
| कटिहार | 59.39 | 48.93 | 66.97 | 54.47 | 39.16 | 57.97 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **2,285.06** | **1,609.07** | **1840.91** | **1,357.89** | **1,348.37** | **1,928.28** |

टिप्पणी : राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि का वितरण जिला स्वास्थ्य समिति, आरपीएमयू, चिकित्सा महाविद्यालयों, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, बीएमसीआइएसीएल आदि क्रियान्वयन अभिकरणों को किया गया है लेकिन उक्त तालिका में सिर्फ वितरित धनराशि दर्शाई गई है।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

## तालिका प 12.14 : 'हर घर नल का जल' के तहत बचे टोलों का विवरण

| प्रमंडल | योजना का नाम | कुल गुणवत्ता प्रभावित टोले | घरेलू कनेक्शन का कुल लक्ष्य | गुणवत्ता अप्रभावित टोले | चालू घरेलू नल कनेक्शन | कुल बचे टोले | घरेलू कनेक्शन का कुल लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरा | 172 | 129 | 14065 | 0 | 0 | 129 | 14065 |
| | 73 | | | 42 | 6867 | 42 | 6867 |
| बक्सर | 7 | 37 | 2369 | | | 37 | 2369 |
| | 12 | | | 55 | 3261 | 55 | 3261 |
| सासाराम | 19 | 19 | 2288 | | | 19 | 2288 |
| | 149 | | | 149 | 11560 | 149 | 11560 |
| औरंगाबाद | 40 | 40 | 3665 | | | 40 | 3665 |
| | 257 | | | 257 | 21165 | 257 | 21165 |
| हाजीपुर | 1 | 3 | 300 | | | 3 | 300 |
| | 105 | | | 317 | 36399 | 317 | 36399 |
| दरभंगा | 1 | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| | 5 | | | 12 | 1600 | 12 | 1600 |
| समस्तीपुर | 8 | 165 | 20445 | | | 165 | 20445 |
| | 13 | | | 88 | 11080 | 88 | 11080 |
| भागलपुर पूर्व | 80 | 186 | 24884 | | | 186 | 24884 |
| | 25 | | | 63 | 7912 | 63 | 7912 |
| भागलपुर पश्चिम | 38 | 133 | 12508 | | | 133 | 12508 |
| | 14 | | | 27 | 3145 | 27 | 3145 |
| बांका | 167 | 186 | 58799 | | | 186 | 58799 |
| बाराहाट | 65 | 28 | 23549 | | | 28 | 23549 |
| | 3 | | | 6 | 476 | 6 | 476 |
| मुंगेर | 71 | 158 | 14730 | | | 158 | 14730 |
| | 76 | | | 217 | 17808 | 217 | 17808 |
| शेखपुरा | 8 | 15 | 1705 | | | 15 | 1705 |
| | 21 | | | 37 | 3030 | 37 | 3030 |
| जमुई | 671 | 671 | 46240 | | | 671 | 46240 |
| | 622 | | | 602 | 43173 | 602 | 43173 |
| बेगूसराय | 20 | 32 | 20541 | | | 32 | 20541 |
| | 50 | 100 | | | | 100 | |
| तेघड़ा | 12 | 22 | 12500 | | | 22 | 12500 |
| | 33 | 50 | | | | 50 | |
| लखीसराय | 24 | 129 | 9357 | | | 129 | 9357 |
| | 33 | | | 153 | 15060 | 153 | 15060 |
| खगड़िया | 47 | 47 | 6566 | | | 47 | 6566 |
| | 194 | 194 | 25391 | | | 194 | 25391 |
| पूर्णिया | 323 | 323 | 31226 | | | 323 | 31226 |
| कटिहार | 833 | 833 | 74302 | | | 833 | 74302 |
| अररिया | 145 | 548 | 67746 | | | 548 | 67746 |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 12.14 : 'हर घर नल का जल' के तहत बचे टोलों का विवरण (जारी)**

| प्रमंडल | योजना का नाम | कुल गुणवत्ता प्रभावित टोले | घरेलू कनेक्शन का कुल लक्ष्य | गुणवत्ता अप्रभावित टोले | चालू घरेलू नल कनेक्शन | कुल बचे टोले | घरेलू कनेक्शन का कुल लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किशनगंज | 182 | 687 | 77321 | | | 687 | 77321 |
| धमदाहा | 199 | 321 | 34642 | | | 321 | 34642 |
| फारबिसगंज | 127 | 430 | 60184 | | | 430 | 60184 |
| सुपौल | 181 | 1000 | 73580 | | | 1000 | 73580 |
| सहरसा | 102 | 268 | 24223 | | | 268 | 24223 |
| मधेपुरा | 570 | 570 | 63588 | | | 570 | 63588 |
| पटना पूर्व | 37 | 0 | 0 | 45 | 4496 | 45 | 4496 |
| पटना पश्चिम | 27 | 0 | 0 | 72 | 7612 | 72 | 7612 |
| बिहारशरीफ | 55 | 0 | 0 | 84 | 6606 | 84 | 6606 |
| हिलसा | 33 | 0 | 0 | 62 | 3693 | 62 | 3693 |
| गया | 10 | 0 | 0 | 58 | 5250 | 58 | 5250 |
| नवादा | 112 | 0 | 0 | 112 | 11104 | 112 | 11104 |
| जहानाबाद | 21 | 0 | 0 | 83 | 5823 | 83 | 5823 |
| शेरघाटी | 11 | 0 | 0 | 339 | 27569 | 339 | 27569 |
| अरवल | 3 | 0 | 0 | 8 | 535 | 8 | 535 |
| भभुआ | 32 | 0 | 0 | 74 | 6425 | 74 | 6425 |
| मोतीपुर | 19 | 0 | 0 | 76 | 10525 | 76 | 10525 |
| मुजफ्फरपुर | 32 | 0 | 0 | 32 | 4740 | 32 | 4740 |
| सीतामढ़ी | 28 | 0 | 0 | 28 | 5058 | 28 | 5058 |
| शिवहर | 4 | 0 | 0 | 17 | 2851 | 17 | 2851 |
| छपरा | 16 | 0 | 0 | 52 | 2196 | 52 | 2196 |
| सीवान | 3 | 0 | 0 | 3 | 211 | 3 | 211 |
| गोपालगंज | 26 | 0 | 0 | 26 | 2903 | 26 | 2903 |
| मोतिहारी | 14 | 0 | 0 | 29 | 3876 | 29 | 3876 |
| ढाका | 12 | 0 | 0 | 46 | 6690 | 46 | 6690 |
| बेतिया | 14 | 0 | 0 | 32 | 5038 | 32 | 5038 |
| झंझारपुर | 8 | 0 | 0 | 40 | 4021 | 40 | 4021 |
| मधुबनी | 50 | 0 | 0 | 50 | 4819 | 50 | 4819 |
| **योगफल** | **6365** | **7326** | **806949** | **3393** | **314577** | **10719** | **1121526** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.15 : हर घर नल का जल कार्यक्रम का जिलावार आच्छादन

| जिले | प्रमंडल का नाम | कुल योग | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वास्तविक लक्ष्य | काम पूरा कर चुके वार्ड | चालू घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य | चालू घरेलू नल कनेक्शन लगे |
| पटना | पटना पूर्व | 785 | 781 | 128556 | 127511 |
| | पटना पश्चिम | 687 | 687 | 116784 | 111369 |
| नालंदा | बिहारशरीफ | 1535 | 1535 | 204601 | 203740 |
| | हिलसा | 650 | 650 | 103894 | 103882 |
| भोजपुर | आरा | 1355 | 1355 | 167158 | 166328 |
| अरवल | अरवल | 73 | 73 | 11083 | 11083 |
| बक्सर | बक्सर | 1042 | 1042 | 125161 | 125179 |
| रोहतास | रोहतास | 1789 | 1789 | 233781 | 233781 |
| कैमूर | कैमूर | 1117 | 1117 | 158552 | 157644 |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1082 | 1082 | 167629 | 160848 |
| गया | गया | 1970 | 1959 | 236187 | 236187 |
| जहानाबाद | जहानाबाद | 382 | 382 | 56791 | 56548 |
| नवादा | नवादा | 1531 | 1524 | 170552 | 167684 |
| मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 1011 | 1011 | 150812 | 150343 |
| वैशाली | वैशाली | 1898 | 1898 | 292820 | 292640 |
| सीतामढ़ी | सीतामढ़ी | 618 | 618 | 121234 | 121234 |
| शिवहर | शिवहर | 229 | 229 | 39031 | 39031 |
| पूर्व चंपारण | मोतिहारी | 308 | 308 | 48943 | 48943 |
| | ढाका | 341 | 341 | 52779 | 51825 |
| पश्चिम चंपारण | बेतिया | 912 | 912 | 148907 | 148907 |
| दरभंगा | दरभंगा | 625 | 614 | 89550 | 86665 |
| मधुबनी | मधुबनी | 802 | 802 | 128168 | 127501 |
| समस्तीपुर | समस्तीपुर | 2299 | 2299 | 323897 | 323847 |
| सारण | सारण | 1215 | 1215 | 153892 | 153892 |
| सीवान | सीवान | 475 | 475 | 54801 | 54801 |
| गोपालगंज | गोपालगंज | 409 | 409 | 52520 | 52520 |
| पूर्णिया | पूर्णिया | 3354 | 3280 | 540149 | 532443 |
| किशनगंज | किशनगंज | 1769 | 1769 | 270981 | 270981 |
| कटिहार | कटिहार | 3209 | 3209 | 523889 | 523889 |
| अररिया | अररिया | 2992 | 2992 | 567266 | 567266 |
| सहरसा | सहरसा | 2069 | 1724 | 331874 | 255123 |
| सुपौल | सुपौल | 2522 | 2522 | 419056 | 417489 |
| मधेपुरा | मधेपुरा | 2242 | 2242 | 402763 | 402763 |
| भागलपुर | भागलपुर पूर्व | 1794 | 1794 | 239650 | 239408 |
| | भागलपुर पश्चिम | 562 | 562 | 88134 | 85816 |
| बांका | बांका | 1668 | 1668 | 212853 | 212853 |
| मुंगेर | मुंगेर | 1149 | 1149 | 160935 | 160760 |
| जमुई | जमुई | 1697 | 1697 | 194145 | 194145 |
| शेखपुरा | शेखपुरा | 712 | 712 | 109993 | 109993 |
| बेगूसराय | बेगूसराय | 3050 | 3046 | 495603 | 475431 |
| खगड़िया | खगड़िया | 1844 | 1844 | 262675 | 262675 |
| लखीसराय | लखीसराय | 674 | 674 | 100815 | 99534 |
| **बिहार** | | **56447** | **56447** | **55991** | **8458864** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 12.16 : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि**

| जिले | जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा | कुल व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (बीपीएल+एपीएल) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25, सितंबर 2024 |
| पटना | 5.6 | 75414 | 22324 | 5 | 31207 | 27257 | 9438 |
| नालंदा | 2.8 | 31023 | 3001 | 1 | 18719 | 9292 | 3852 |
| भोजपुर | 2.6 | 49036 | 8156 | 0 | 21372 | 21576 | 6582 |
| बक्सर | 1.6 | 33316 | 10515 | 0 | 19618 | 14192 | 4732 |
| रोहतास | 2.9 | 55786 | 3730 | 1 | 21439 | 18464 | 2303 |
| कैमूर | 1.6 | 9448 | 1104 | 0 | 10797 | 8210 | 1596 |
| | | | | | | | |
| गया | 4.2 | 46642 | 10861 | 0 | 27472 | 18614 | 7710 |
| जहानाबाद | 1.1 | 20632 | 1051 | 1 | 10722 | 7183 | 2474 |
| अरवल | 0.7 | 7770 | 5893 | 0 | 6152 | 9127 | 3974 |
| नवादा | 2.1 | 36623 | 2843 | 1 | 19426 | 18664 | 4983 |
| औरंगाबाद | 2.4 | 30879 | 2697 | 2 | 20888 | 13519 | 13458 |
| | | | | | | | |
| सारण | 3.8 | 49511 | 20979 | 0 | 29125 | 38944 | 12467 |
| सीवान | 3.2 | 25147 | 5576 | 0 | 29081 | 28890 | 7030 |
| गोपालगंज | 2.5 | 38329 | 4427 | 0 | 25794 | 20000 | 6685 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 3.8 | 49257 | 23925 | 0 | 37387 | 33143 | 26583 |
| पूर्व चंपारण | 4.9 | 86503 | 14636 | 0 | 52568 | 46772 | 14495 |
| मुजफ्फरपुर | 4.6 | 101289 | 31905 | 0 | 25562 | 27695 | 8961 |
| सीतामढ़ी | 3.3 | 65674 | 11610 | 0 | 19956 | 16048 | 7342 |
| शिवहर | 0.6 | 10652 | 288 | 0 | 7311 | 7608 | 1444 |
| वैशाली | 3.4 | 41517 | 3758 | 4 | 31541 | 46538 | 17044 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 3.8 | 51935 | 30516 | 8 | 24924 | 27092 | 6377 |
| मधुबनी | 4.3 | 61621 | 20036 | 8 | 38055 | 32129 | 11357 |
| समस्तीपुर | 4.1 | 75270 | 12675 | 1 | 42309 | 38835 | 9760 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 2.8 | 58311 | 11129 | 0 | 17157 | 25311 | 7987 |
| मुंगेर | 1.3 | 25453 | 5688 | 0 | 15964 | 15271 | 5684 |
| शेखपुरा | 0.6 | 15766 | 1610 | 0 | 6147 | 5160 | 4298 |
| लखीसराय | 1 | 14637 | 4362 | 0 | 6810 | 5412 | 1985 |
| जमुई | 1.7 | 33967 | 13341 | 0 | 10533 | 11487 | 5321 |
| खगड़िया | 1.6 | 22175 | 3837 | 2 | 20541 | 23636 | 9950 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 2.9 | 38495 | 17356 | 0 | 33110 | 31299 | 10169 |
| बांका | 2 | 28624 | 16663 | 0 | 14404 | 8596 | 7233 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 1.8 | 28947 | 7349 | 2968 | 14263 | 12420 | 10217 |
| सुपौल | 2.1 | 30517 | 15032 | 9835 | 12112 | 31216 | 12216 |
| मधेपुरा | 1.9 | 32093 | 6037 | 3298 | 18453 | 21588 | 7185 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 3.2 | 54997 | 28119 | 1 | 32679 | 30400 | 7105 |
| किशनगंज | 1.6 | 16649 | 456 | 0 | 11780 | 15849 | 2531 |
| अररिया | 2.7 | 32336 | 7673 | 306 | 17781 | 21502 | 6996 |
| कटिहार | 3 | 27439 | 9706 | 11 | 38096 | 41445 | 12608 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **100** | **1513680** | **400864** | **16453** | **841255** | **830384** | **302132** |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

## तालिका प 12.17 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन (सभी)

(लाख में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | | प्रारंभिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (2023-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | |
| पटना | 5.84 | 3.10 | 8.94 | 4.86 | 2.73 | 7.59 | 67.6 |
| नालंदा | 3.65 | 1.75 | 5.40 | 3.14 | 1.52 | 4.66 | 76.8 |
| भोजपुर | 3.07 | 1.55 | 4.62 | 2.51 | 1.32 | 3.83 | 68.5 |
| बक्सर | 1.96 | 0.99 | 2.96 | 1.64 | 0.86 | 2.50 | 71.2 |
| रोहतास | 2.95 | 1.63 | 4.58 | 2.52 | 1.39 | 3.91 | 63.2 |
| कैमूर | 1.90 | 1.03 | 2.93 | 1.63 | 0.89 | 2.52 | 72.4 |
| | | | | | | | |
| गया | 5.65 | 2.57 | 8.22 | 4.82 | 2.24 | 7.06 | 76.3 |
| जहानाबाद | 1.25 | 0.66 | 1.91 | 1.06 | 0.53 | 1.59 | 66.6 |
| अरवल | 0.88 | 0.44 | 1.32 | 0.77 | 0.36 | 1.13 | 76.1 |
| नवादा | 2.95 | 1.30 | 4.25 | 2.55 | 1.12 | 3.67 | 75.4 |
| औरंगाबाद | 3.00 | 1.57 | 4.57 | 2.62 | 1.38 | 4.00 | 74.2 |
| | | | | | | | |
| सारण | 4.59 | 2.40 | 6.99 | 3.86 | 2.09 | 5.95 | 70.7 |
| सीवान | 3.35 | 1.79 | 5.14 | 2.66 | 1.50 | 4.16 | 58.7 |
| गोपालगंज | 2.83 | 1.41 | 4.24 | 2.29 | 1.15 | 3.45 | 61.6 |
| | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5.36 | 2.26 | 7.63 | 4.48 | 2.05 | 6.53 | 74.4 |
| पूर्व चंपारण | 6.86 | 3.17 | 10.03 | 5.69 | 2.71 | 8.40 | 73.6 |
| मुजफ्फरपुर | 5.35 | 2.92 | 8.27 | 4.61 | 2.59 | 7.20 | 73.1 |
| सीतामढ़ी | 4.72 | 2.31 | 7.03 | 3.95 | 2.06 | 6.01 | 80.4 |
| शिवहर | 0.92 | 0.45 | 1.37 | 0.76 | 0.40 | 1.16 | 81.5 |
| वैशाली | 3.98 | 2.12 | 6.10 | 3.31 | 1.84 | 5.15 | 72.7 |
| | | | | | | | |
| दरभंगा | 4.77 | 2.41 | 7.17 | 4.14 | 2.19 | 6.33 | 75.3 |
| मधुबनी | 5.30 | 2.80 | 8.10 | 4.53 | 2.32 | 6.85 | 70.6 |
| समस्तीपुर | 5.28 | 2.68 | 7.96 | 4.71 | 2.48 | 7.19 | 77.5 |
| | | | | | | | |
| बेगूसराय | 3.90 | 2.05 | 5.95 | 3.29 | 1.92 | 5.21 | 79.7 |
| मुंगेर | 1.58 | 0.77 | 2.36 | 1.40 | 0.70 | 2.10 | 77.2 |
| शेखपुरा | 0.88 | 0.44 | 1.32 | 0.81 | 0.41 | 1.21 | 87.0 |
| लखीसराय | 1.30 | 0.64 | 1.94 | 1.12 | 0.56 | 1.68 | 77.8 |
| जमुई | 2.43 | 1.15 | 3.58 | 2.18 | 1.06 | 3.24 | 87.9 |
| खगड़िया | 2.20 | 1.07 | 3.28 | 1.94 | 1.00 | 2.94 | 78.2 |
| | | | | | | | |
| भागलपुर | 3.82 | 1.94 | 5.76 | 3.33 | 1.74 | 5.07 | 79.9 |
| बांका | 2.72 | 1.23 | 3.95 | 2.49 | 1.18 | 3.68 | 86.5 |
| | | | | | | | |
| सहरसा | 2.73 | 1.19 | 3.92 | 2.37 | 1.11 | 3.48 | 82.6 |
| सुपौल | 3.24 | 1.35 | 4.59 | 2.94 | 1.21 | 4.15 | 82.7 |
| मधेपुरा | 2.88 | 1.28 | 4.16 | 2.55 | 1.18 | 3.72 | 82.7 |
| | | | | | | | |
| पूर्णिया | 4.87 | 2.11 | 6.99 | 4.39 | 2.00 | 6.39 | 88.6 |
| किशनगंज | 2.60 | 1.19 | 3.79 | 2.30 | 1.07 | 3.37 | 88.5 |
| अररिया | 4.51 | 1.69 | 6.19 | 3.79 | 1.52 | 5.31 | 83.2 |
| कटिहार | 4.63 | 2.07 | 6.70 | 4.07 | 1.86 | 5.93 | 86.9 |
| | | | | | | | |
| **बिहार** | **130.73** | **63.46** | **194.18** | **112.09** | **56.22** | **168.31** | **75.6** |

टिप्पणी : सकल नामांकन अनुपात संबंधित कोहॉर्ट के प्रतिशत के बतौर उम्र से निरपेक्ष किसी कक्षा में कुल नामांकन के अनुपात को व्यक्त करता है।

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.18 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा)

(लाख में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | | प्रारंभिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (2023-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | |
| पटना | 1.24 | 0.56 | 1.80 | 1.03 | 0.47 | 1.50 | 74.5 |
| नालंदा | 1.02 | 0.45 | 1.47 | 0.89 | 0.39 | 1.28 | 90.2 |
| भोजपुर | 0.61 | 0.27 | 0.89 | 0.51 | 0.23 | 0.74 | 79.1 |
| बक्सर | 0.35 | 0.17 | 0.51 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 76.3 |
| रोहतास | 0.62 | 0.30 | 0.92 | 0.55 | 0.26 | 0.80 | 64.6 |
| कैमूर | 0.49 | 0.25 | 0.74 | 0.43 | 0.22 | 0.65 | 77.4 |
| गया | 2.21 | 0.84 | 3.05 | 1.94 | 0.74 | 2.68 | 87.9 |
| जहानाबाद | 0.35 | 0.16 | 0.51 | 0.30 | 0.13 | 0.43 | 83.6 |
| अरवल | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 88.3 |
| नवादा | 0.99 | 0.36 | 1.35 | 0.87 | 0.32 | 1.19 | 89.0 |
| औरंगाबाद | 0.93 | 0.44 | 1.37 | 0.82 | 0.40 | 1.23 | 88.1 |
| सारण | 0.65 | 0.32 | 0.97 | 0.55 | 0.28 | 0.83 | 76.3 |
| सीवान | 0.47 | 0.25 | 0.72 | 0.38 | 0.21 | 0.59 | 66.5 |
| गोपालगंज | 0.44 | 0.21 | 0.65 | 0.36 | 0.17 | 0.53 | 72.5 |
| पश्चिम चंपारण | 0.90 | 0.34 | 1.24 | 0.76 | 0.30 | 1.06 | 83.1 |
| पूर्व चंपारण | 1.05 | 0.43 | 1.48 | 0.87 | 0.37 | 1.24 | 81.9 |
| मुजफ्फरपुर | 1.07 | 0.54 | 1.61 | 0.93 | 0.47 | 1.40 | 84.4 |
| सीतामढ़ी | 0.78 | 0.35 | 1.14 | 0.65 | 0.32 | 0.97 | 103.6 |
| शिवहर | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 79.2 |
| वैशाली | 1.12 | 0.57 | 1.68 | 0.95 | 0.49 | 1.44 | 89.3 |
| दरभंगा | 1.07 | 0.48 | 1.55 | 0.93 | 0.43 | 1.36 | 96.0 |
| मधुबनी | 1.03 | 0.50 | 1.53 | 0.90 | 0.41 | 1.30 | 93.5 |
| समस्तीपुर | 1.41 | 0.67 | 2.08 | 1.26 | 0.62 | 1.88 | 100.7 |
| बेगूसराय | 0.85 | 0.42 | 1.26 | 0.72 | 0.40 | 1.12 | 110.2 |
| मुंगेर | 0.31 | 0.14 | 0.45 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 101.2 |
| शेखपुरा | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 107.4 |
| लखीसराय | 0.25 | 0.10 | 0.35 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 88.2 |
| जमुई | 0.52 | 0.23 | 0.75 | 0.47 | 0.21 | 0.68 | 103.7 |
| खगड़िया | 0.43 | 0.18 | 0.61 | 0.38 | 0.17 | 0.55 | 91.6 |
| भागलपुर | 0.57 | 0.28 | 0.85 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 104.9 |
| बांका | 0.44 | 0.19 | 0.63 | 0.41 | 0.19 | 0.60 | 109.8 |
| सहरसा | 0.79 | 0.30 | 1.09 | 0.63 | 0.27 | 0.90 | 117.4 |
| सुपौल | 0.67 | 0.23 | 0.90 | 0.61 | 0.21 | 0.82 | 96.8 |
| मधेपुरा | 0.68 | 0.27 | 0.95 | 0.60 | 0.26 | 0.86 | 101.5 |
| पूर्णिया | 0.63 | 0.24 | 0.87 | 0.57 | 0.23 | 0.80 | 87.3 |
| किशनगंज | 0.16 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 82.1 |
| अररिया | 0.58 | 0.20 | 0.78 | 0.49 | 0.18 | 0.67 | 74.0 |
| कटिहार | 0.40 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.16 | 0.50 | 83.6 |
| **बिहार** | **26.70** | **11.75** | **38.45** | **23.10** | **10.40** | **33.50** | **88.2** |

टिप्पणी : सकल नामांकन अनुपात संबंधित कोहॉर्ट के प्रतिशत के बतौर उम्र से निरपेक्ष किसी कक्षा में कुल नामांकन के अनुपात को व्यक्त करता है।

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.19 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा)

(लाख में)

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल |
| पटना | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| नालंदा | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| भोजपुर | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| बक्सर | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| रोहतास | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| कैमूर | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
| | | | | | | |
| गया | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| जहानाबाद | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| अरवल | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| नवादा | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| औरंगाबाद | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| | | | | | | |
| सारण | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| सीवान | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.21 |
| गोपालगंज | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 0.34 | 0.15 | 0.49 | 0.28 | 0.13 | 0.42 |
| पूर्व चंपारण | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| मुजफ्फरपुर | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| सीतामढ़ी | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| शिवहर | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| वैशाली | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| मधुबनी | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| समस्तीपुर | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| मुंगेर | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| शेखपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लखीसराय | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| जमुई | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.20 |
| खगड़िया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| बांका | 0.21 | 0.09 | 0.30 | 0.18 | 0.08 | 0.27 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| सुपौल | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| मधेपुरा | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 0.17 | 0.07 | 0.24 |
| किशनगंज | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| अररिया | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| कटिहार | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.28 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **2.58** | **1.15** | **3.73** | **2.24** | **1.02** | **3.26** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.20 : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जिलावार संख्या

| जिले | 2022-23 | | | प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात | 2023-24 | | | प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | |
| पटना | 5559 | 8483 | 14042 | 62.5 | 5567 | 9064 | 14631 | 51.9 |
| नालंदा | 5016 | 6880 | 11896 | 44.6 | 4951 | 6924 | 11875 | 39.2 |
| भोजपुर | 3932 | 6927 | 10859 | 41.9 | 3902 | 7207 | 11109 | 34.4 |
| बक्सर | 2121 | 4730 | 6851 | 42.3 | 2130 | 4713 | 6843 | 36.5 |
| रोहतास | 4041 | 6365 | 10406 | 43.4 | 4034 | 6630 | 10664 | 36.6 |
| कैमूर | 2046 | 4445 | 6491 | 45.6 | 2123 | 5264 | 7387 | 34.1 |
| | | | | | | | | |
| गया | 5377 | 8770 | 14147 | 57.4 | 5456 | 11050 | 16506 | 42.8 |
| जहानाबाद | 1825 | 3456 | 5281 | 36.1 | 1767 | 3534 | 5301 | 30.0 |
| अरवल | 1053 | 2084 | 3137 | 41.9 | 1328 | 2377 | 3705 | 30.5 |
| नवादा | 3927 | 4494 | 8421 | 51.0 | 3879 | 5009 | 8888 | 41.3 |
| औरंगाबाद | 2895 | 6853 | 9748 | 47.3 | 3125 | 7534 | 10659 | 37.6 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 5208 | 7877 | 13085 | 53.5 | 5510 | 8236 | 13746 | 43.3 |
| सीवान | 5185 | 8005 | 13190 | 37.7 | 5393 | 8405 | 13798 | 30.1 |
| गोपालगंज | 4209 | 6791 | 11000 | 38.5 | 4315 | 7454 | 11769 | 29.3 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5751 | 6638 | 12389 | 60.9 | 6556 | 8750 | 15306 | 42.6 |
| पूर्व चंपारण | 6995 | 10204 | 17199 | 57.8 | 7219 | 10940 | 18159 | 46.3 |
| मुजफ्फरपुर | 5403 | 10650 | 16053 | 52.5 | 6002 | 12601 | 18603 | 38.7 |
| सीतामढ़ी | 3478 | 7045 | 10523 | 66.3 | 3525 | 7173 | 10698 | 56.2 |
| शिवहर | 710 | 1318 | 2028 | 68.7 | 719 | 1414 | 2133 | 54.6 |
| वैशाली | 3718 | 8122 | 11840 | 52.0 | 3820 | 8728 | 12548 | 41.0 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 5709 | 10988 | 16697 | 43.3 | 6615 | 11889 | 18504 | 34.2 |
| मधुबनी | 7049 | 8869 | 15918 | 50.8 | 7232 | 9179 | 16411 | 41.7 |
| समस्तीपुर | 5386 | 9063 | 14449 | 55.5 | 7578 | 11521 | 19099 | 37.7 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 3384 | 8648 | 12032 | 48.9 | 3940 | 9876 | 13816 | 37.7 |
| मुंगेर | 1510 | 3322 | 4832 | 48.1 | 1459 | 3689 | 5148 | 40.7 |
| शेखपुरा | 750 | 1474 | 2224 | 58.9 | 905 | 2258 | 3163 | 38.4 |
| लखीसराय | 1398 | 2314 | 3712 | 50.9 | 1520 | 2603 | 4123 | 40.7 |
| जमुई | 2182 | 5104 | 7286 | 49.3 | 2356 | 5556 | 7912 | 40.9 |
| खगड़िया | 1746 | 4243 | 5989 | 55.6 | 2192 | 4391 | 6583 | 44.7 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 3451 | 6977 | 10428 | 56.1 | 3701 | 8003 | 11704 | 43.3 |
| बांका | 6100 | 8772 | 14872 | 53.8 | 2981 | 6423 | 9404 | 39.1 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 2720 | 5312 | 8032 | 49.2 | 2796 | 5455 | 8251 | 42.2 |
| सुपौल | 3624 | 4563 | 8187 | 56.8 | 4013 | 5654 | 9667 | 42.9 |
| मधेपुरा | 2378 | 6012 | 8390 | 50.0 | 2698 | 6668 | 9366 | 39.7 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 3852 | 6202 | 10054 | 70.7 | 4397 | 6396 | 10793 | 59.2 |
| किशनगंज | 2194 | 4481 | 6675 | 57.4 | 2412 | 4850 | 7262 | 46.3 |
| अररिया | 4609 | 5420 | 10029 | 61.4 | 4834 | 5940 | 10774 | 49.3 |
| कटिहार | 4576 | 5747 | 10323 | 65.3 | 4794 | 6229 | 11023 | 53.8 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **141067** | **237648** | **378715** | **52.3** | **147744** | **259587** | **407331** | **41.3** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 12.21 : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या**

| जिले | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | योगफल |
| पटना | 2067 | 1809 | 3876 | 2067 | 1932 | 3999 |
| नालंदा | 1383 | 1259 | 2642 | 1375 | 1368 | 2743 |
| भोजपुर | 1167 | 1068 | 2235 | 1159 | 1168 | 2327 |
| बक्सर | 720 | 610 | 1330 | 718 | 618 | 1336 |
| रोहतास | 1328 | 1027 | 2355 | 1312 | 1133 | 2445 |
| कैमूर | 625 | 642 | 1267 | 624 | 768 | 1392 |
| | | | | | | |
| गया | 1773 | 1769 | 3542 | 1764 | 1923 | 3687 |
| जहानाबाद | 552 | 428 | 980 | 549 | 475 | 1024 |
| अरवल | 353 | 266 | 619 | 346 | 288 | 634 |
| नवादा | 992 | 880 | 1872 | 989 | 989 | 1978 |
| औरंगाबाद | 1138 | 1142 | 2280 | 1153 | 1223 | 2376 |
| | | | | | | |
| सारण | 1480 | 1332 | 2812 | 1465 | 1451 | 2916 |
| सीवान | 1298 | 1326 | 2624 | 1285 | 1395 | 2680 |
| गोपालगंज | 1077 | 910 | 1987 | 1075 | 936 | 2011 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1691 | 1333 | 3024 | 1674 | 1339 | 3013 |
| पूर्व चंपारण | 1968 | 1595 | 3563 | 1967 | 1601 | 3568 |
| मुजफ्फरपुर | 1656 | 1566 | 3222 | 1647 | 1789 | 3436 |
| सीतामढ़ी | 1159 | 1229 | 2388 | 1135 | 1334 | 2469 |
| शिवहर | 219 | 236 | 455 | 219 | 258 | 477 |
| वैशाली | 1188 | 1102 | 2290 | 1158 | 1204 | 2362 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 1460 | 1194 | 2654 | 1448 | 1361 | 2809 |
| मधुबनी | 1916 | 1342 | 3258 | 1911 | 1499 | 3410 |
| समस्तीपुर | 1623 | 1205 | 2828 | 1603 | 1345 | 2948 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 776 | 961 | 1737 | 756 | 1058 | 1814 |
| मुंगेर | 565 | 533 | 1098 | 551 | 573 | 1124 |
| शेखपुरा | 258 | 259 | 517 | 254 | 279 | 533 |
| लखीसराय | 484 | 382 | 866 | 466 | 427 | 893 |
| जमुई | 862 | 869 | 1731 | 853 | 990 | 1843 |
| खगड़िया | 555 | 520 | 1075 | 555 | 577 | 1132 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 952 | 998 | 1950 | 947 | 1137 | 2084 |
| बांका | 1268 | 905 | 2173 | 1259 | 1002 | 2261 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 786 | 664 | 1450 | 775 | 737 | 1512 |
| सुपौल | 1061 | 849 | 1910 | 1039 | 1007 | 2046 |
| मधेपुरा | 829 | 820 | 1649 | 827 | 820 | 1647 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 1381 | 1047 | 2428 | 1373 | 1212 | 2585 |
| किशनगंज | 848 | 906 | 1754 | 846 | 1000 | 1846 |
| अररिया | 1353 | 921 | 2274 | 1327 | 1056 | 2383 |
| कटिहार | 1206 | 1047 | 2253 | 1189 | 1171 | 2360 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **42017** | **36951** | **78968** | **41660** | **40443** | **82103** |

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.22 : पीएम-पोषण का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)

| जिले | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल नामांकन (लाख) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख) | नामांकन की तुलना में आच्छादन (प्रतिशत) | कुल नामांकन (लाख) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख) | नामांकन की तुलना में आच्छादन (प्रतिशत) | कुल नामांकन (लाख) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख) | नामांकन की तुलना में आच्छादन (प्रतिशत) |
| पटना | 3.99 | 2.90 | 72.75 | 4.38 | 2.48 | 56.58 | 4.09 | 2.52 | 61.54 |
| नालंदा | 2.98 | 1.85 | 61.98 | 3.08 | 1.73 | 56.13 | 2.91 | 1.82 | 62.57 |
| भोजपुर | 2.47 | 1.65 | 66.88 | 2.55 | 1.47 | 57.82 | 2.38 | 1.34 | 56.54 |
| बक्सर | 1.33 | 1.15 | 86.06 | 1.65 | 0.90 | 54.30 | 1.51 | 0.98 | 65.02 |
| रोहतास | 2.91 | 1.91 | 65.79 | 2.83 | 1.54 | 54.39 | 2.62 | 1.66 | 63.44 |
| कैमूर | 1.72 | 1.17 | 67.82 | 1.87 | 1.17 | 62.43 | 1.78 | 1.15 | 64.73 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 4.65 | 2.90 | 62.29 | 4.88 | 2.89 | 59.14 | 4.50 | 2.82 | 62.68 |
| जहानाबाद | 0.93 | 0.68 | 73.06 | 1.09 | 0.61 | 55.84 | 0.96 | 0.63 | 64.92 |
| अरवल | 0.81 | 0.47 | 58.45 | 0.81 | 0.47 | 57.97 | 0.78 | 0.49 | 63.59 |
| नवादा | 2.40 | 1.62 | 67.56 | 2.62 | 1.51 | 57.70 | 2.51 | 1.61 | 64.34 |
| औरंगाबाद | 2.68 | 1.88 | 70.34 | 2.74 | 1.52 | 55.40 | 2.74 | 1.73 | 63.33 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 4.52 | 3.05 | 67.57 | 4.40 | 2.61 | 59.34 | 4.15 | 2.28 | 54.98 |
| सीवान | 2.64 | 1.96 | 74.24 | 2.65 | 1.47 | 55.40 | 2.55 | 1.36 | 53.56 |
| गोपालगंज | 2.50 | 1.85 | 73.89 | 2.76 | 1.50 | 54.44 | 2.55 | 1.40 | 54.87 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 4.77 | 3.47 | 72.70 | 4.93 | 3.12 | 63.23 | 4.40 | 2.95 | 67.03 |
| पूर्व चंपारण | 6.75 | 4.46 | 66.16 | 7.11 | 3.95 | 55.53 | 6.74 | 4.48 | 66.44 |
| मुजफ्फरपुर | 5.13 | 3.32 | 64.58 | 5.25 | 3.32 | 63.31 | 4.95 | 3.01 | 60.83 |
| सीतामढ़ी | 4.77 | 2.86 | 59.85 | 4.96 | 2.96 | 59.57 | 4.70 | 2.79 | 59.29 |
| शिवहर | 1.10 | 0.62 | 56.13 | 1.13 | 0.67 | 59.76 | 1.10 | 0.64 | 57.70 |
| वैशाली | 3.31 | 1.95 | 59.02 | 3.33 | 1.73 | 51.99 | 3.36 | 1.87 | 55.69 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 4.43 | 2.95 | 66.62 | 4.72 | 2.63 | 55.75 | 4.49 | 2.83 | 62.92 |
| मधुबनी | 6.01 | 3.83 | 63.74 | 6.01 | 3.52 | 58.60 | 5.88 | 3.50 | 59.61 |
| समस्तीपुर | 4.39 | 2.88 | 65.77 | 4.90 | 2.81 | 57.45 | 4.54 | 2.86 | 62.95 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 3.36 | 2.17 | 64.53 | 3.44 | 2.12 | 61.50 | 3.24 | 2.08 | 64.24 |
| मुंगेर | 1.25 | 0.92 | 73.71 | 1.48 | 0.82 | 55.40 | 1.34 | 0.88 | 65.64 |
| शेखपुरा | 0.73 | 0.49 | 67.52 | 0.80 | 0.47 | 59.02 | 0.77 | 0.47 | 60.74 |
| लखीसराय | 1.18 | 0.79 | 67.44 | 1.22 | 0.65 | 53.34 | 1.24 | 0.74 | 59.49 |
| जमुई | 2.37 | 1.60 | 67.73 | 2.43 | 1.28 | 52.73 | 2.51 | 1.51 | 59.93 |
| खगड़िया | 2.31 | 1.40 | 60.80 | 2.46 | 1.40 | 56.96 | 2.50 | 1.41 | 56.23 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 3.34 | 2.16 | 64.75 | 3.52 | 2.12 | 60.29 | 3.18 | 2.02 | 63.52 |
| बांका | 2.23 | 1.41 | 63.48 | 2.58 | 1.54 | 59.70 | 2.37 | 1.54 | 65.17 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 2.89 | 1.57 | 54.55 | 2.88 | 1.62 | 56.31 | 2.82 | 1.61 | 56.96 |
| सुपौल | 2.82 | 1.72 | 61.08 | 3.22 | 1.72 | 53.34 | 2.99 | 1.89 | 63.33 |
| मधेपुरा | 2.72 | 1.66 | 61.01 | 3.06 | 1.71 | 55.80 | 3.01 | 1.74 | 57.92 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 4.65 | 2.61 | 56.12 | 4.99 | 2.89 | 57.92 | 4.91 | 3.06 | 62.42 |
| किशनगंज | 2.38 | 1.42 | 59.57 | 2.83 | 1.53 | 54.02 | 2.77 | 1.52 | 54.82 |
| अररिया | 3.94 | 2.29 | 58.12 | 4.39 | 2.42 | 55.20 | 4.01 | 2.45 | 61.16 |
| कटिहार | 4.48 | 2.27 | 50.57 | 4.50 | 3.03 | 67.16 | 4.34 | 2.74 | 63.14 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **117.81** | **75.87** | **64.40** | **124.45** | **71.90** | **57.77** | **118.18** | **72.19** | **61.08** |

स्रोत : पीएम-पोषण निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 12.23 : पीएम-पोषण का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)

| जिले | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल नामांकन (लाख) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख) | नामांकन की तुलना में आच्छादन (प्रतिशत) | कुल नामांकन (लाख) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख) | नामांकन की तुलना में आच्छादन (प्रतिशत) | कुल नामांकन (लाख) | रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख) | नामांकन की तुलना में आच्छादन (प्रतिशत) |
| पटना | 2.32 | 1.60 | 69.06 | 2.42 | 1.28 | 52.67 | 2.30 | 1.42 | 61.82 |
| नालंदा | 1.49 | 1.11 | 74.41 | 1.56 | 0.88 | 56.43 | 1.49 | 0.96 | 64.39 |
| भोजपुर | 1.51 | 1.01 | 66.55 | 1.42 | 0.86 | 60.18 | 1.35 | 0.73 | 53.88 |
| बक्सर | 0.82 | 0.73 | 89.85 | 0.94 | 0.55 | 58.60 | 0.90 | 0.58 | 64.72 |
| रोहतास | 1.63 | 1.21 | 74.72 | 1.71 | 1.12 | 65.47 | 1.55 | 0.99 | 63.75 |
| कैमूर | 1.06 | 0.79 | 73.98 | 1.07 | 0.71 | 66.16 | 1.00 | 0.66 | 65.50 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 2.33 | 1.50 | 64.42 | 2.37 | 1.29 | 54.43 | 2.12 | 1.34 | 63.08 |
| जहानाबाद | 0.56 | 0.40 | 71.32 | 0.60 | 0.38 | 63.84 | 0.51 | 0.33 | 64.73 |
| अरवल | 0.51 | 0.29 | 57.45 | 0.47 | 0.29 | 63.15 | 0.45 | 0.27 | 61.51 |
| नवादा | 1.33 | 0.87 | 65.68 | 1.27 | 0.81 | 64.18 | 1.18 | 0.74 | 63.33 |
| औरंगाबाद | 1.68 | 1.27 | 75.45 | 1.63 | 1.02 | 62.23 | 1.59 | 1.05 | 65.97 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 2.71 | 1.92 | 70.85 | 2.50 | 1.34 | 53.69 | 2.41 | 1.43 | 59.39 |
| सीवान | 1.75 | 1.25 | 71.08 | 1.72 | 0.92 | 53.57 | 1.63 | 0.92 | 56.15 |
| गोपालगंज | 1.37 | 1.01 | 73.71 | 1.44 | 0.77 | 53.14 | 1.33 | 0.81 | 60.53 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 2.07 | 1.55 | 74.54 | 2.18 | 1.44 | 66.29 | 1.98 | 1.40 | 70.86 |
| पूर्व चंपारण | 3.38 | 2.48 | 73.42 | 3.62 | 1.89 | 52.33 | 3.42 | 2.27 | 66.21 |
| मुजफ्फरपुर | 2.97 | 2.00 | 67.36 | 3.05 | 1.82 | 59.54 | 2.81 | 1.82 | 64.68 |
| सीतामढ़ी | 2.48 | 1.68 | 67.88 | 2.53 | 1.46 | 57.60 | 2.51 | 1.53 | 60.92 |
| शिवहर | 0.53 | 0.36 | 68.16 | 0.56 | 0.37 | 66.99 | 0.57 | 0.35 | 61.03 |
| वैशाली | 1.98 | 1.27 | 64.33 | 1.98 | 1.00 | 50.25 | 1.99 | 1.00 | 50.24 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 2.30 | 1.78 | 77.34 | 2.46 | 1.36 | 55.37 | 2.37 | 1.55 | 65.21 |
| मधुबनी | 3.25 | 2.17 | 66.83 | 3.29 | 1.93 | 58.77 | 3.27 | 1.92 | 58.86 |
| समस्तीपुर | 2.55 | 1.70 | 66.73 | 2.60 | 1.43 | 54.90 | 2.46 | 1.65 | 66.99 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 1.90 | 1.39 | 73.16 | 1.83 | 1.19 | 65.22 | 1.88 | 1.33 | 70.62 |
| मुंगेर | 0.77 | 0.56 | 72.24 | 0.77 | 0.45 | 58.34 | 0.71 | 0.49 | 69.24 |
| शेखपुरा | 0.40 | 0.26 | 64.65 | 0.42 | 0.26 | 61.60 | 0.41 | 0.25 | 60.98 |
| लखीसराय | 0.70 | 0.44 | 63.34 | 0.68 | 0.38 | 56.24 | 0.68 | 0.40 | 58.61 |
| जमुई | 1.25 | 0.85 | 68.33 | 1.26 | 0.68 | 54.06 | 1.30 | 0.81 | 62.20 |
| खगड़िया | 1.12 | 0.77 | 68.75 | 1.21 | 0.62 | 51.02 | 1.27 | 0.73 | 57.18 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1.84 | 1.28 | 69.37 | 1.97 | 1.30 | 65.87 | 1.67 | 1.07 | 63.85 |
| बांका | 1.18 | 0.80 | 68.13 | 1.28 | 0.84 | 65.39 | 1.16 | 0.75 | 64.23 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 1.22 | 0.70 | 57.03 | 1.22 | 0.70 | 57.16 | 1.22 | 0.70 | 56.82 |
| सुपौल | 1.30 | 0.75 | 57.52 | 1.39 | 0.73 | 52.57 | 1.29 | 0.79 | 60.93 |
| मधेपुरा | 1.25 | 0.84 | 67.15 | 1.40 | 0.86 | 61.38 | 1.39 | 0.83 | 59.45 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 1.90 | 1.08 | 57.02 | 2.15 | 1.13 | 52.61 | 2.13 | 1.35 | 63.41 |
| किशनगंज | 1.14 | 0.75 | 65.96 | 1.28 | 0.72 | 56.35 | 1.27 | 0.70 | 54.99 |
| अररिया | 1.33 | 0.78 | 58.39 | 1.65 | 0.93 | 56.30 | 1.48 | 0.87 | 58.89 |
| कटिहार | 2.04 | 1.13 | 55.66 | 2.11 | 1.28 | 60.42 | 1.99 | 1.29 | 64.64 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **61.91** | **42.33** | **68.38** | **64.05** | **37.01** | **57.77** | **61.04** | **38.03** | **62.31** |

स्रोत : पीएम-पोषण निदेशालय, बिहार सरकार

## तालिका प 12.24 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या

| जिले | संबद्ध महाविद्यालय | अंगीभूत महाविद्यालय | संबद्ध महाविद्यालय | अंगीभूत महाविद्यालय |
|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | | 2023-24 | |
| पटना | 164 | 40 | 165 | 37 |
| नालंदा | 60 | 8 | 60 | 7 |
| भोजपुर | 31 | 6 | 31 | 7 |
| बक्सर | 19 | 5 | 19 | 5 |
| रोहतास | 33 | 9 | 33 | 9 |
| कैमूर | 19 | 2 | 19 | 2 |
| | | | | |
| गया | 53 | 7 | 53 | 7 |
| जहानाबाद | 20 | 3 | 20 | 3 |
| अरवल | 7 | 1 | 8 | 1 |
| नवादा | 21 | 4 | 21 | 4 |
| औरंगाबाद | 32 | 5 | 32 | 5 |
| | | | | |
| सारण | 15 | 12 | 15 | 12 |
| सीवान | 20 | 7 | 20 | 7 |
| गोपालगंज | 9 | 5 | 9 | 5 |
| | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 20 | 4 | 20 | 4 |
| पूर्व चंपारण | 17 | 10 | 17 | 11 |
| मुजफ्फरपुर | 42 | 18 | 42 | 18 |
| सीतामढ़ी | 17 | 6 | 17 | 6 |
| शिवहर | 1 | 1 | 2 | 1 |
| वैशाली | 41 | 8 | 41 | 8 |
| | | | | |
| दरभंगा | 33 | 20 | 33 | 21 |
| मधुबनी | 27 | 18 | 27 | 20 |
| समस्तीपुर | 25 | 16 | 25 | 16 |
| | | | | |
| बेगूसराय | 15 | 7 | 15 | 8 |
| मुंगेर | 6 | 7 | 6 | 7 |
| शेखपुरा | 6 | 2 | 6 | 2 |
| लखीसराय | 5 | 2 | 5 | 2 |
| जमुई | 14 | 2 | 14 | 2 |
| खगड़िया | 8 | 5 | 8 | 5 |
| | | | | |
| भागलपुर | 21 | 13 | 21 | 13 |
| बांका | 17 | 2 | 17 | 2 |
| | | | | |
| सहरसा | 9 | 9 | 9 | 8 |
| सुपौल | 6 | 3 | 6 | 4 |
| मधेपुरा | 15 | 5 | 15 | 5 |
| | | | | |
| पूर्णिया | 15 | 8 | 15 | 9 |
| किशनगंज | 7 | 4 | 7 | 4 |
| अररिया | 9 | 2 | 9 | 2 |
| कटिहार | 15 | 5 | 13 | 4 |
| | | | | |
| **बिहार** | **894** | **291** | **895** | **293** |

स्रोत : अखिल भारतीय उच्च शिक्ष सर्वेक्षण तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.25 : सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों की सूची (2024-25)

| अभियंत्रण महाविद्यालय का नाम | स्थापना वर्ष | 2024-25 सत्र में स्वीकृत सीट की संख्या (स्नातक कोर्स) | 2024-25 सत्र में स्वीकृत सीट की संख्या (स्नातकोत्तर कोर्स) |
|---|---|---|---|
| मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर | 1954 | 500 | 120 |
| भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर | 1960 | 360 | 84 |
| नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी | 2008 | 360 | 60 |
| दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा | 2008 | 360 | 30 |
| मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी | 2008 | 360 | |
| गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया | 2008 | 400 | 72 |
| लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा | 2012 | 360 | |
| राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय | 2016 | 360 | |
| कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार | 2016 | 360 | 48 |
| शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम | 2016 | 360 | |
| सीतामढ़ी प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतामढ़ी | 2016 | 360 | |
| बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर | 2016 | 360 | |
| बी.पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा | 2016 | 360 | |
| सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा | 2017 | 360 | |
| पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया | 2017 | 360 | |
| सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल | 2017 | 360 | 18 |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली | 2018 | 420 | 102 |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई | 2018 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका | 2018 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज | 2019 | 360 | |
| श्री फनीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया | 2019 | 360 | 60 |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चंपारण | 2019 | 360 | 18 |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय | 2019 | 360 | |
| सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर | 2019 | 360 | |
| **योगफल** | | **13920** | **612** |

स्रोत : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 12.26 : सरकारी पॉलीटेकनीक की सूची (2024-25)

| पॉलीटेकनीक का नाम | स्थापना वर्ष | 2024-25 सत्र में स्वीकृत सीट की संख्या |
|---|---|---|
| नई सरकारी पॉलीटेकनीक, पटना-13 | 1955 | 505 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, पटना-7 | 1954 | 390 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, मुजफ्फरपुर | 1949 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, दरभंगा | 1959 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, सहरसा | 1965 | 385 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, पूर्णिया | 1960 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, छपरा | 1994 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, भागलपुर | 1955 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, बरौनी | 1964 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, गया | 1960 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, गोपालगंज | 1994 | 385 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, कटिहार | 2012 | 360 |
| सरकारी महिला पॉलीटेकनीक, पटना | 1985 | 360 |
| सरकारी महिला पॉलीटेकनीक, मुजफ्फरपुर | 1985 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, मोतिहारी | 2015 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, मधुबनी | 2015 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, शिवहर | 2015 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, अस्थवां, नालंदा | 2015 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, डेहरी-ऑन-सोन | 2015 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, लखीसराय | 2016 | 120 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, वैशाली | 2016 | 360 |
| बदीउज्ज़मा खान पॉलीटेकनीक संस्थान, सीतामढ़ी | 2015 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, कैमूर | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, सुपौल | 2015 | 360 |
| ब्रजकिशोर नारायण सिंह सरकारी पॉलीटेकनीक, गोपालगंज | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, मधेपुरा | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, मुंगेर | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, टेकारी, गया | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, जमुई | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, शेखपुरा | 2016 | 240 |
| कामेश्वर नारायण सिंह सरकारी पॉलीटेकनीक, समस्तीपुर | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, बांका | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, किशनगंज | 2016 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, बक्सर | 2017 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, पश्चिम चंपारण | 2017 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, सीतामढ़ी | 2017 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, नवादा | 2018 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, अररिया | 2018 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, सीवान | 2018 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, भोजपुर | 2019 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, जहानाबाद | 2019 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, खगड़िया | 2019 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, अरवल | 2019 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, औरंगाबाद | 2019 | 360 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, बाढ़ | 2022 | 240 |
| सरकारी पॉलीटेकनीक, वस्त्र प्रौद्योगिकी, भागलपुर | 2022 | 300 |
| **योगफल** | | **16245** |

स्रोत : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 12.27 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला-स्तरीय अवलोकन**

| जिले | आवासीय विद्यालयों का रखरखाव (अजा) | | | छात्रावासों का रखरखाव | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्तीय आबंटन (लाख रु.) | | भौतिक उपलब्धि (संख्या) | | आबंटित रकम (लाख रु.) | |
| | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 |
| पटना | 1054.38 | 1318.99 | 1476 | 1488 | 175.51 | 301.59 |
| नालंदा | 475.08 | 598.86 | 817 | 763 | 31.82 | 37.62 |
| भोजपुर | 569.24 | 509.52 | 720 | 695 | 75.83 | 75.00 |
| बक्सर | 239.91 | 263.97 | 275 | 286 | 11.71 | 14.98 |
| रोहतास | 540.02 | 502.41 | 587 | 607 | 61.85 | 65.82 |
| कैमूर | 563.75 | 481.57 | 460 | 564 | 62.10 | 54.48 |
| | | | | | | |
| गया | 1915.70 | 1968.30 | 3497 | 3458 | 48.60 | 42.84 |
| जहानाबाद | 348.39 | 389.33 | 425 | 456 | 25.65 | 34.41 |
| अरवल | 283.11 | 322.30 | 391 | 397 | 0.00 | 0.00 |
| नवादा | 708.69 | 748.44 | 1003 | 1045 | 19.17 | 25.97 |
| औरंगाबाद | 268.04 | 339.55 | 345 | 372 | 13.13 | 11.98 |
| | | | | | | |
| सारण | 185.28 | 181.67 | 325 | 295 | 20.59 | 12.68 |
| सीवान | 206.12 | 248.81 | 297 | 277 | 65.09 | 64.68 |
| गोपालगंज | 203.20 | 293.10 | 394 | 392 | 35.68 | 69.09 |
| | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 682.24 | 518.64 | 652 | 568 | 45.27 | 56.93 |
| पूर्व चंपारण | 297.25 | 314.65 | 383 | 390 | 46.75 | 62.33 |
| मुजफ्फरपुर | 775.72 | 790.13 | 1094 | 1033 | 92.81 | 111.41 |
| सीतामढ़ी | 206.73 | 290.29 | 397 | 400 | 63.59 | 78.57 |
| शिवहर | 233.95 | 278.96 | 380 | 383 | 0.00 | 0.00 |
| वैशाली | 299.68 | 358.48 | 478 | 487 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| दरभंगा | 293.72 | 413.59 | 308 | 307 | 79.97 | 119.40 |
| मधुबनी | 713.67 | 725.81 | 930 | 887 | 8.81 | 11.48 |
| समस्तीपुर | 462.40 | 485.49 | 1213 | 771 | 43.23 | 32.33 |
| | | | | | | |
| बेगूसराय | 198.63 | 238.74 | 379 | 367 | 11.94 | 10.47 |
| मुंगेर | 202.56 | 249.39 | 394 | 395 | 42.16 | 46.80 |
| शेखपुरा | 239.60 | 241.74 | 317 | 339 | 11.04 | 8.51 |
| लखीसराय | 207.37 | 309.21 | 389 | 350 | 5.00 | 0.00 |
| जमुई | 229.56 | 313.33 | 359 | 380 | 12.16 | 13.18 |
| खगड़िया | 192.20 | 233.28 | 394 | 374 | 4.86 | 0.00 |
| | | | | | | |
| भागलपुर | 284.11 | 298.90 | 464 | 471 | 83.73 | 96.81 |
| बांका | 166.19 | 204.92 | 204 | 180 | 14.85 | 8.81 |
| | | | | | | |
| सहरसा | 264.00 | 292.73 | 464 | 495 | 39.11 | 19.97 |
| सुपौल | 160.28 | 252.49 | 266 | 295 | 31.27 | 43.42 |
| मधेपुरा | 524.17 | 306.59 | 385 | 392 | 30.42 | 31.88 |
| | | | | | | |
| पूर्णिया | 252.80 | 271.69 | 388 | 394 | 100.42 | 58.19 |
| किशनगंज | 340.61 | 270.05 | 381 | 395 | 13.05 | 15.33 |
| अररिया | 280.72 | 306.61 | 380 | 384 | 13.19 | 48.34 |
| कटिहार | 291.51 | 268.97 | 389 | 369 | 12.51 | 8.79 |
| | | | | | | |
| **बिहार** | **15360.60** | **16401.50** | **22400** | **21901** | **1452.85** | **1694.08** |

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

# अध्याय – 13

# बाल विकास


**सारांश**

*बच्चों की खुशहाली किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वे भावी मानव संसाधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र के 4.98 करोड़ बच्चे थे। देश में बच्चों की कुल आबादी में राज्य का 11 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत बच्चे गांवों में रहते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है और इसकी प्राप्ति के लिए उनकी उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण तथा सहभागिता पर केंद्रित व्यापक समेकन की नीतियों की जरूरत है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिहार में 2013-14 से बाल बजट निर्माण शुरू किया गया। उसके बाद से बच्चों के लिए आबंटन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच बच्चों पर कुल व्यय 19.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 2016-17 के 3275 रु. से दूना से भी बढ़कर 2022-23 में 9131 रु. पहुंच गया। राज्य के कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा बाल विकास व्यय के लिए समर्पित है हालांकि इस आंकड़े में साल-दर-साल अंतर रहा है। इसी प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत में यह व्यय 5 प्रतिशत के आसपास रहा है। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और कल्याण में राज्य सरकार के प्रयासों ने शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और रुग्णता के अन्य स्वरूपों में कमी में योगदान किया है। समेकित बाल विकास सेवा, पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य और अन्य सरकारी पहलों के कारण राज्य में बच्चों के विकास और कल्याण में काफी वृद्धि हो रही है।*


बाल विकास मानव विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों की खुशहाली देश के विकास के लिए अपरिहार्य है क्योंकि वे देश के भावी मानव संसाधन हैं। बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र के 4.98 करोड़ बच्चे रहते हैं जिनका राज्य की कुल आबादी में 48 प्रतिशत हिस्सा है। भारत का संविधान 'कम उम्र के लोगों' के हकों को सुरक्षित-संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधानों और संरक्षण के साथ बच्चों को विशेष हैसियत देता है। जैविक रूप से बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का जीवनकाल होता है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का उनके समग्र विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों की स्थिति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका मूल्यांकन चार मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है – (1) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, (2) शिक्षा एवं विकास, (3) संरक्षण, तथा (4) सहभागिता। हर बच्चे का अच्छी तरह विकास हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए आरंभिक बचपन में पर्याप्त निवेश अनिवार्य है। हर बच्चे को सुरक्षित और भेदभाव-रहित वातावरण में जन्म लेने और अपने जीवन के बनने के दिनों में स्वस्थ और सम्मानजनत तरीके से पलने-बढ़ने का बुनियादी अधिकार है। इसलिए सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी के स्तर को घटाना और विद्यालयों में नामांकन तथा प्रतिधारण दरों को बढ़ाना राज्य में बाल विकास के लिए केंद्रित हस्तक्षेप है। इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में मुख्यत: बिहार में बच्चों की जनसांख्यिक, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता संबंधी स्थिति पर ध्यान दिया गया है। साथ ही, अध्याय में बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों का भी ब्योरा दिया गया है।

वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी) के तहत इतिहास में मानवाधिकार की सबसे व्यापक स्तर पर स्वीकृत संधि को अपनाया गया। यह बच्चों के बुनियादी मानवाधिकार को चार सिद्धांतों के इर्दगिर्द निर्धारित करता है जिनमें उनके नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक अधिकार एक साथ शामिल हो जाते हैं। बच्चों की जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहली बड़ी और व्यापक पहल 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति (एनपीसी) का स्वीकरण थी। दूसरी बड़ी पहल राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का विकास था जिसमें बच्चे को 0 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। नीति में रेखांकित किया गया है कि जीवन के इस चरण के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ, बहुवर्णी, और समावेशी दृष्टिकोण की जरूरत है। उसके बाद बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधार किए गए। बाल बजट तैयार करना उनमें से एक था। बिहार में बाल बजट के प्रचलन का आरंभ 2013-14 में हुआ।

## 13.1 जनसांख्यिकी

भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी 39 प्रतिशत आबादी 0 से 18 वर्ष तक उम्र वाली है। वहीं, बिहार में इस उम्र समूह का कुल आबादी में 48 प्रतिशत हिस्सा है। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार का 11 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में बच्चों की कुल आबादी 4.98 करोड़ है जिसमें से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 0.50 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। वहीं, लैंगिक विवरणों के अनुसार, बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की 2.35 करोड़ लड़कियां थीं और 2.62 करोड़ लड़के। बच्चों की आबादी में विभिन्न उम्र समूहों का हिस्सा इस प्रकार है : 0-6 वर्ष 38.4 प्रतिशत, 7-14 वर्ष 45.4 प्रतिशत और 15-18 वर्ष 16.2 प्रतिशत (चार्ट 13.1)। राज्य के विभिन्न जिलों में इनके वितरण का पैटर्न तालिका प 13.1 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राज्य में बच्चों की आबादी 20.3 प्रतिशत बढ़ी थी और 2001 के 4.14 करोड़ से 2011 में 4.98 करोड़ हो गई थी।

**चार्ट 13.1 : बिहार और भारत में विभिन्न उम्र समूहों के अनुसार बच्चों की आबादी**

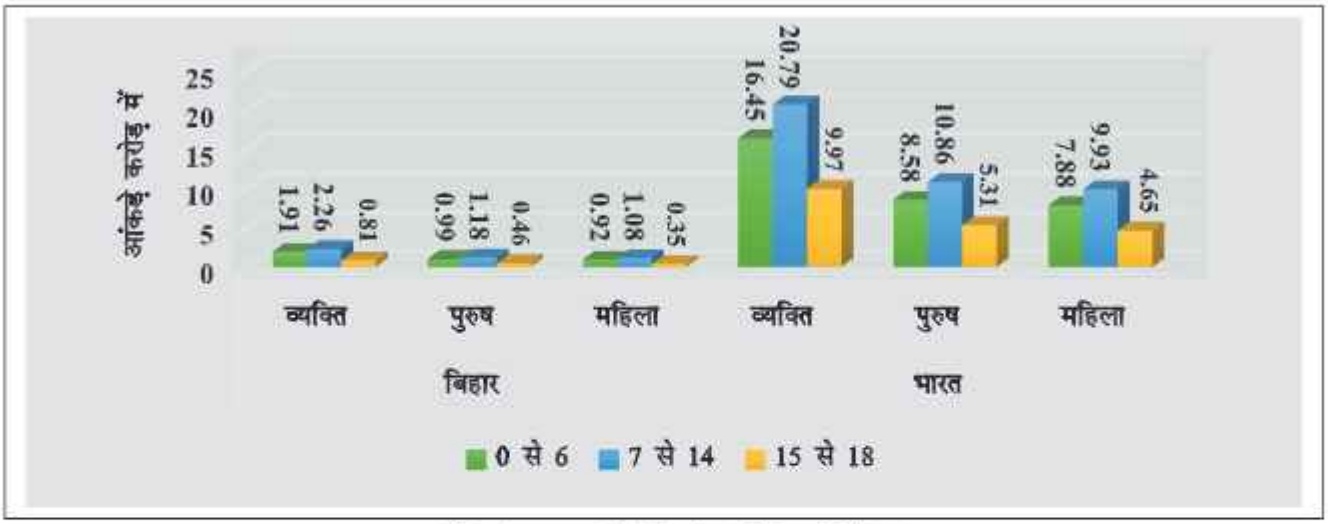


स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

### जन्मकालीन लिंग अनुपात (एसआरबी)

लड़के को तरजीह देना बिहार सहित देश के अनेक राज्यों की बड़ी परिघटना है जिसकी गहरी सांस्कृतिक जड़े हैं। इसके कारण महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण और हानिकारक बर्ताव किया जाता है। इसलिए लड़कियों की स्थिति को समझने के लिए जन्मकालीन लिंग अनुपात का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

लैंगिक-पूर्वाग्रहपूर्ण लैंगिक चयन को बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और जन्मकालीन लिंग अनुपात के जरिए मापा जाता है। जन्मकालीन लिंग अनुपात लड़कियों के कम निबंधन, शिशु में अंतर और उम्र की गलत रिपोर्टिंग जैसे अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। इसलिए जन्मकालीन लिंग अनुपात में असंतुलन के लिए लैंगिक-पूर्वाग्रहपूर्ण लिंग चयन की प्रथा को पूरी तरह जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है। जन्मकालीन लिंग अनुपात को प्रति 1000 लड़कों पर जन्मी लड़कियों की संख्या के बतौर परिभाषित किया जाता है। प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में जन्मकालीन लिंग अनुपात 2014-16 के 908 से घटकर 2018-20 में 895 रह गया। राज्य में 2018-20 की अवधि में जन्मकालीन लिंग अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 894 और शहरी क्षेत्रों में 897 था। चार्ट 13.2 में क्रमागत वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्मकालीन जीवन अनुपात के बीच अंतर दर्शाया गया है। राज्य में विभिन्न आयु समूहों के लिए जिलावार लिंग अनुपात तालिका प 13.1 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है।

## बाल लिंग अनुपात (सीएसआर)

लिंग अनुपात बच्चों और वयस्कों, दोनो मामलों में महिलाओं की स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में बाल लिंग अनुपात समग्र लिंग अनुपात से अधिक है। प्रति 1000 पुरुष लिंग अनुपात 0-6 आयु समूह में 935, 0-14 आयु समूह में 923 और 0-18 आयु समूह में 897 था। वहीं, सभी आयु समूहों के लिए यह अनुपात 918 था। जिलों के बीच किशनगंज (971), कटिहार (961) और गया (960) में 0-6 आयु समूह के लिए बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक हैं जबकि वैशाली (904), पटना (909) और मुजफ्फरपुर (915) में लिंग अनुपात अधिक प्रतिकूल हैं। अनुसूचित जातियों (962) और अनुसूचित जनजातियों (969) में बाल लिंग अनुपात राज्य के औसत (935) से अधिक है। अजा/ अजजा बाल लिंग अनुपात राज्य के सभी जिलों के औसत से अधिक है। तालिका प 13.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 0-18 वर्ष आयु समूह के लिए बाल लिंग अनुपात 20 जिलों में राज्य के औसत से अधिक है। सभी जिलों के बीच सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाले जिले गोपालगंज (959), किशनगंज (958 और सीवान (946) हैं।

**चार्ट 13.2 : बिहार में जन्मकालीन लिंग अनुपात (महिला प्रति 1000 पुरुष) के रुझान**

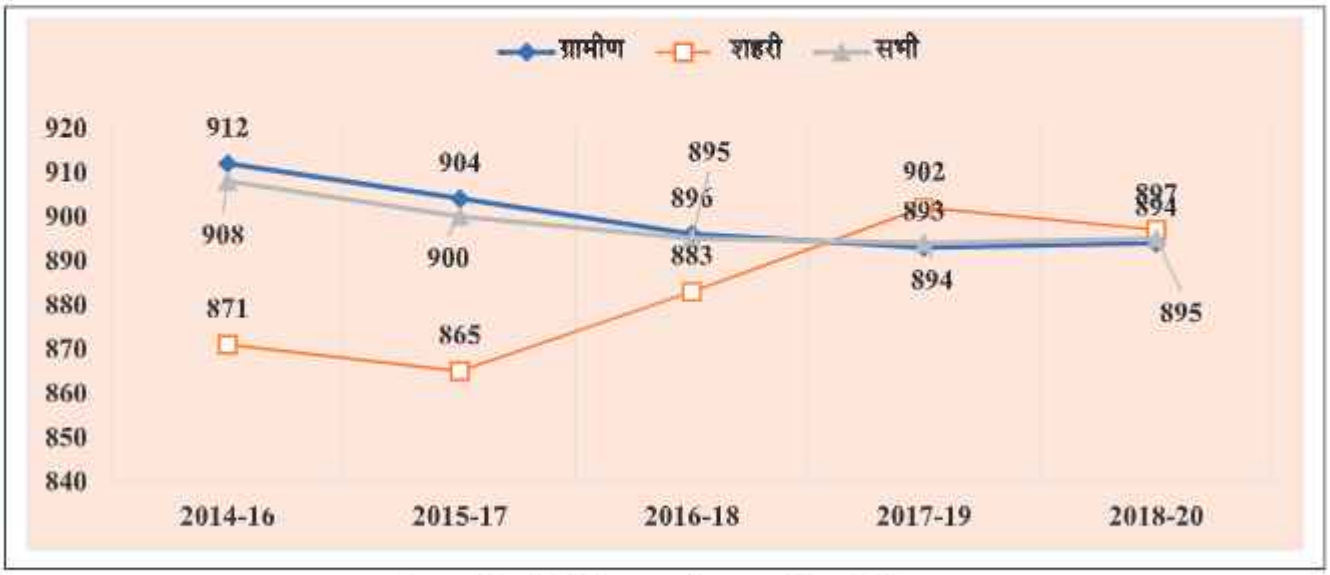


स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, भारत के महानिबंधक

## बिहार में किशोरवय आबादी

वर्ष 2021 के लिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राज्य की आबादी के लगभग 23 प्रतिशत (2.77 करोड़) हिस्से वाली किशोरवय आबादी में निवेश करना बिहार की प्रतिस्पर्धी आबादी का, जो ''जनसांख्यिक लाभांश'' है, लाभ उठाने का सर्वोत्तम तरीका है। भारत की आबादी में किशोर-किशोरियों का अच्छा-खासा अनुपात है। विभिन्न आयामों में सुधार के बावजूद, आबादी के इस हिस्से द्वारा गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना जारी है। विश्व स्वास्थ्य संघ (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार 10 से 19 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति किशोरवय हैं। यह पूर्ण सामाजिक-आर्थिक, और भावनात्मक निर्भरता से अपेक्षाकृत स्वतंत्रता में पहुंचने का चरण होता है। हालांकि किशोरवय लोग अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों, खास कर पोषण के दुहरे बोझ, कुपोषण, रक्ताल्पता और अधिक वजन/ मोटापा, नशाखोरी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं आदि के लिहाज से भी अरक्षित होते हैं। किशोरवय आबादी में निवेश सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार में कुल किशोरवय आबादी 2011 के 2.34 करोड़ से 13 प्रतिशत बढ़कर 2036 में 2.64 करोड़ पहुंच जाने का अनुमान है। इस अवधि में किशोरों की आबादी 2011 के 1.25 करोड़ से 1.10-गुना बढ़कर 2036 में 1.38 करोड़ और किशोरियों आबादी 2011 के 1.09 करोड़ से 1.15-गुना बढ़कर 2036 में 1.26 करोड़ हो जाने का अनुमान है (चार्ट 13.3)। इसका अर्थ हुआ कि बिहार को युवा आबादी का लाभ मिलेगा जबकि अन्य राज्य बुजुर्ग होती आबादी के बढ़ते बोझ से परेशान होंगे। इस संबंध में जिलावार विवरण तालिका प 13.3 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**चार्ट 13.3 : बिहार में किशोरवय आबादी का परिदृश्य (अनुमानित)**

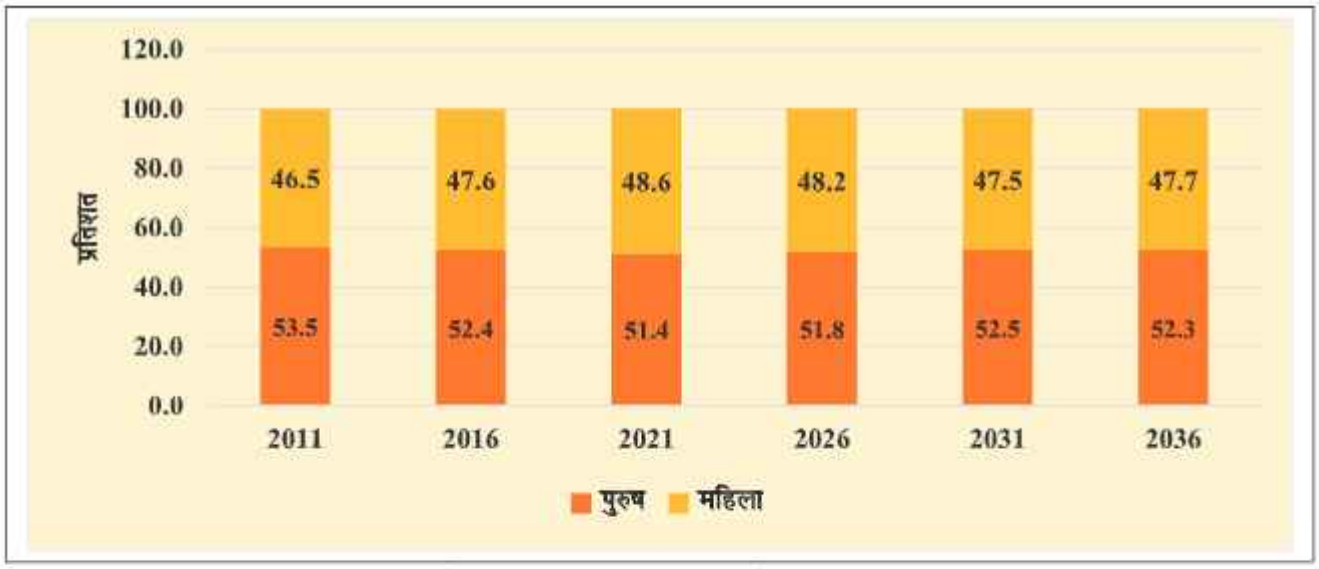


स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

## 13.2 बच्चों पर व्यय

बाल बजट निर्माण महज लेखाकरण अभ्यास नहीं है। बजट निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाल विकास पर पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करना है ताकि उनकी जरूरतों और अरक्षितताओं का समग्रता में समाधान किया जा सके। बच्चों पर लोक व्यय की पूरी समझ तभी विकसित हो सकती है जब इसके विभिन्न घटकों पर विचार किया जाय। यह बच्चों के लाभ के लिए खास तौर पर किए जाने वाले आंबंटनों के विखंडन का प्रयास है। इससे आकलन करने की गुंजाइश बनती है कि राज्य सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धताएं किस हद तक वित्तीय प्रतिबद्धताओं में रूपांतरित होती हैं। बच्चों की जरूरतें पूरी करने का लक्ष्य लेकर भारत सरकार ने 2008-09 में बाल कल्याण की योजनाओं के लिए बजट प्रावधान के बतौर विवरण 22 की शुरुआत की थी। वर्ष 2017-18 में इसका नाम बदलकर विवरण 12 कर दिया गया।

बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013–14 में शुरू हुई। बाल बजट में बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं का सारा वित्तीय विवरण शामिल होता है। ये आबंटन मुख्यत: शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं, खास कर लड़कियों और बाल सुरक्षा के लिए विशेष योजनाओं से संबंधित होते हैं। तालिका 13.1 में दिखता है कि गत छः वर्षों के दौरान बच्चों के लिए बजट आबंटन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 से 2022–23 के बीच बच्चों पर व्यय 19.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2.8–गुना बढ़कर 2016–17 के 3275 रु. से 2022–23 में 9131 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का औसत हिस्सा 18 प्रतिशत के आसपास रहा है जिसमें साल–दर–साल कुछ अंतर रहा है। इसी प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के बतौर यह हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत रहा है।

**तालिका 13.1 : बच्चों पर केंद्रित योजना बजट का अवलोकन**

| वर्ष | वास्तविक व्यय | प्रति व्यक्ति व्यय | बाल बजट का हिस्सा | |
|---|---|---|---|---|
| | (करोड़ रु.) | (रु.) | राज्य बजट में | सकल राज्य घरेलू उत्पाद में |
| 2016-17 | 16639 | 3275 | 13.17 | 3.95 |
| 2017-18 | 17530 | 3437 | 12.85 | 3.74 |
| 2018-19 | 28553 | 5575 | 18.46 | 5.41 |
| 2019-20 | 27640 | 5376 | 18.92 | 4.75 |
| 2020-21 | 30903 | 5966 | 18.65 | 5.45 |
| 2021-22 | 41453 | 7956 | 21.46 | 6.37 |
| 2022-23 | 47848 | 9131 | 20.63 | 6.41 |

टिप्पणी : गणना के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अगस्त 2024 में अपडेट किए गए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

स्रोत : बाल बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

**चार्ट 13.4 : बच्चों पर वास्तविक व्यय और कुल बजट में बच्चों का हिस्सा**

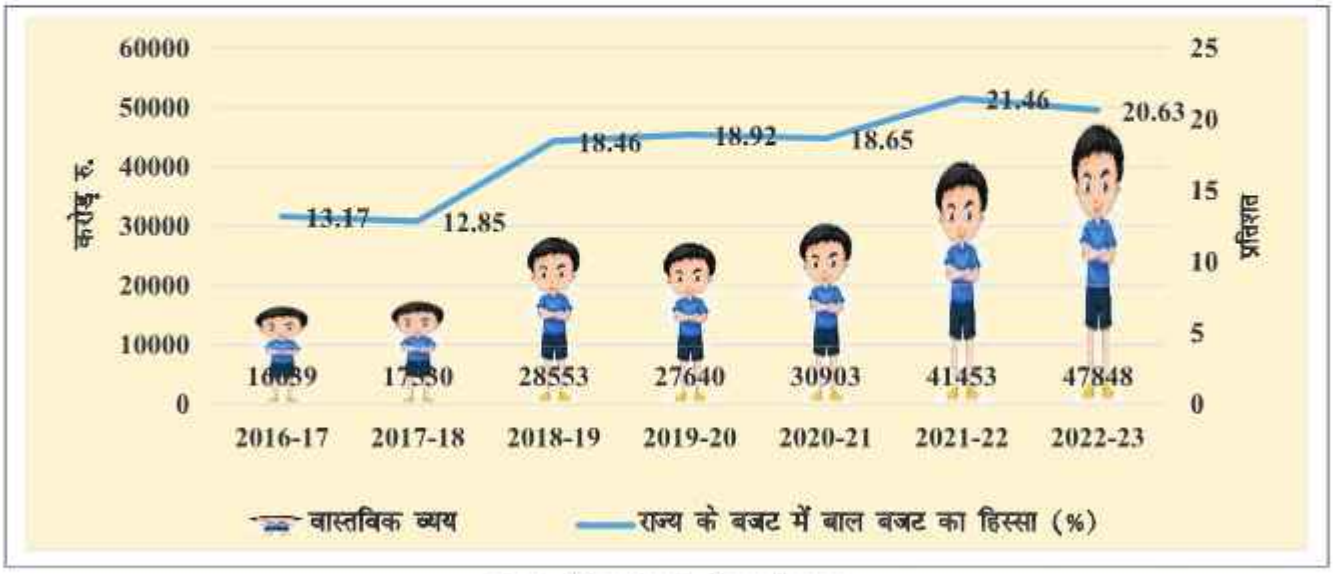


स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

## 13.3 सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य का मुख्य एजेंडा समावेशिता और समाज के सभी लोगों के लिए परिणामों में सुधार है। खास कर समाज के सभी लोगों के लिए इसके एजेंडा में बच्चों, युवाओं, दिव्यांगों, शरणार्थियों, प्रवासियों और अन्य अनेक तबकों की जरूरतों को शामिल करना है। 17 सतत विकास लक्ष्यों और उनको रेखांकित करने वाले 169 लक्ष्यों की दिशा में देश की औसत स्तर की प्रगति का अनुश्रवण पहले से ही आंकड़ा संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता रहा है। विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए परिणामों को मापने के लिए औसत से आगे जाना तो और भी मुश्किल है। राष्ट्रीय सूचक रूपरेखा के अंदर सतत विकास लक्ष्य के 49 सूचक हैं जो उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता की संभावना के लिहाज से बच्चों से सीधे संबंधित हैं। जुलाई 2024 में जारी की गई एसडीजी इंडिया इंडेक्स की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, 113 में से 28 सूचक उन 7 सूचकों से संबंधित है जिसका बच्चों से प्रत्यक्ष संबंध है। बिहार के इनके लक्ष्य-वार प्राप्तांक चार्ट 13.5 में दर्शाए गए हैं। 28 में से एक तिहाई (9) सूचकों के मामले में बिहार का स्कोर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

**चार्ट 13.5 : बिहार में बच्चों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य-वार प्रदर्शन**

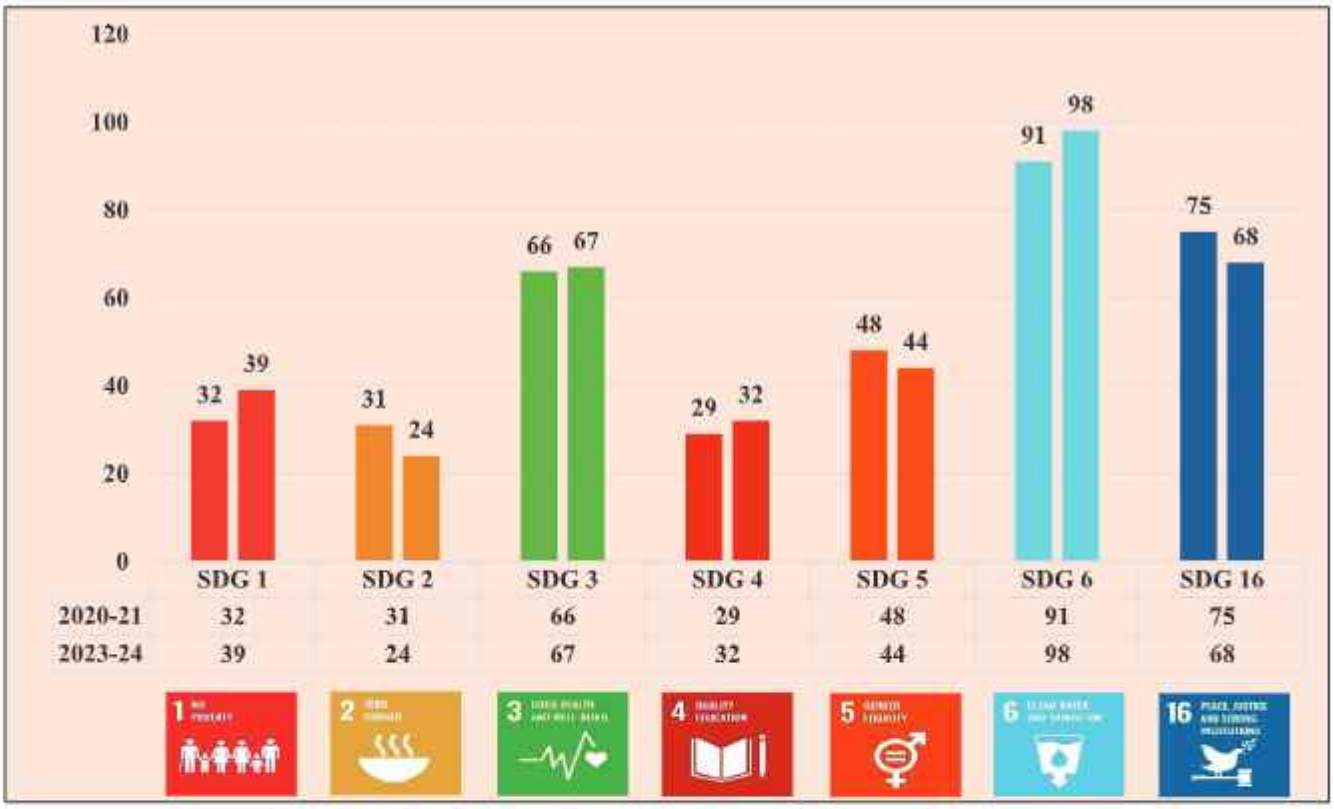


स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और नीति आयोग, भारत सरकार

## 13.4 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खाका

अच्छा पोषण बच्चों की उत्तरजीविता और विकास का आधार होता है। स्वस्थ और सुपोषित बच्चे बेहतर तरीके से बढ़, सीख, खेल और अपने समुदाय की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र की भावी क्षमताओं की वृद्धि की बुनियाद है। इसलिए यह बड़ा सामाजिक सरोकार है जिसके लिए राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका

निभानी है। विकासशील देशों में बाल मृत्यु को रोकने के लिए सामान्यत: चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इस स्वास्थ्य देखरेख में मुख्यत: खास-खास संक्रामक रोगों से बचाव और उन पर नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है और बच्चों की बुनियादी पोषण स्थिति में सुधार की दिशा में कम प्रयास किया जाता है। शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), 5-वर्ष पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात मृत्यु (एनएमआर), परिजात मृत्यु दर (पीएमआर) और प्रतिरक्षण 5 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक सूचक हैं। मानव विकास पर केंद्रित 12वें अध्याय में इन सूचकों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। कुपोषण और मृत्यु के बीच मजबूत संबंध है इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के जरिए सुधार किया जाना चाहिए। अन्य सूचकों के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए तीन पैमाने हैं – 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन (उम्र के अनुसार ऊंचाई), दुबलापन (ऊंचाई के अनुसार वजन) और कम वजन या हल्कापन (उम्र के अनुसार वजन)।

### ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन

ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन कुपोषण के तीन सूचक हैं। ठिगनापन का आशय 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों से है जो अपनी उम्र के लिहाज से कम लंबे हैं। यह स्थिति चिरकालिक अल्पपोषण को व्यक्त करती है। दुबलापन ऊंचाई के लिहाज से वजन का सूचकांक होता है जिससे शरीर के वजन के संबंध में शरीर की मात्रा की अपर्याप्तता को मापा जाता है। यह पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति को व्यक्त करता है। दुबलापन अपर्याप्त खाना खाने या हाल में हुई बीमारी के कारण वजन घटने का परिणाम हो सकता है। वहीं, कम वजन उम्र की तुलना में वजन का सूचकांक होता है जो उम्र की तुलना में ऊंचाई और ऊंचाई की तुलना में वजन का संयुक्त सूचकांक होता है। इसमें तीव्र और चिरकालिक, दोनो प्रकार के अल्पपोषण को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 और 5 की तुलना करने पर दिखता है कि बिहार में 5 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों में ठिगनापन 48.3 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत अंक घटकर 42.9 प्रतिशत रह गया। वहीं, कम वजन वाले बच्चों के मामले में भी आंकड़ा 2.9 प्रतिशत अंक घटकर 43.9 प्रतिशत से 41.0 पर आ गया। हालांकि दुबलापन की समस्या झेल रहे बच्चों के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है (तालिका 13.2)। गौरतलब है कि बिहार में ठिगनापन और कम वजन के मामले में सुधार ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में हुआ है। इसी प्रकार, दुबलापन के संबंध में खराब होती स्थिति भी ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में दिखती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिक है। वहीं, संपूर्ण भारत में तीनो सूचकों के मामले में सुधार हुआ है। जहां तक बिहार और संपूर्ण भारत के बीच अंतर की बात है, तो पोषण संबंधी स्थिति, खास कर कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत के लिहाज से आशानुरूप भारत में बेहतर है। हालांकि पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अनेक परिणामोन्मुखी कदमों के कारण इस सूचक में भी पर्याप्त प्रगति दिखेगी। बिहार के विभिन्न जिलों में कम वजन की व्याप्ति को मानचित्र 13.1 में दर्शाया गया है। वहीं, ठिगने, दुबले और कम वजन वाले बच्चों का जिलावार विवरण तालिका प 13.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

मानचित्र 13.1 : 5 वर्ष से कम उम्र के (उम्र की तुलना में) कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत

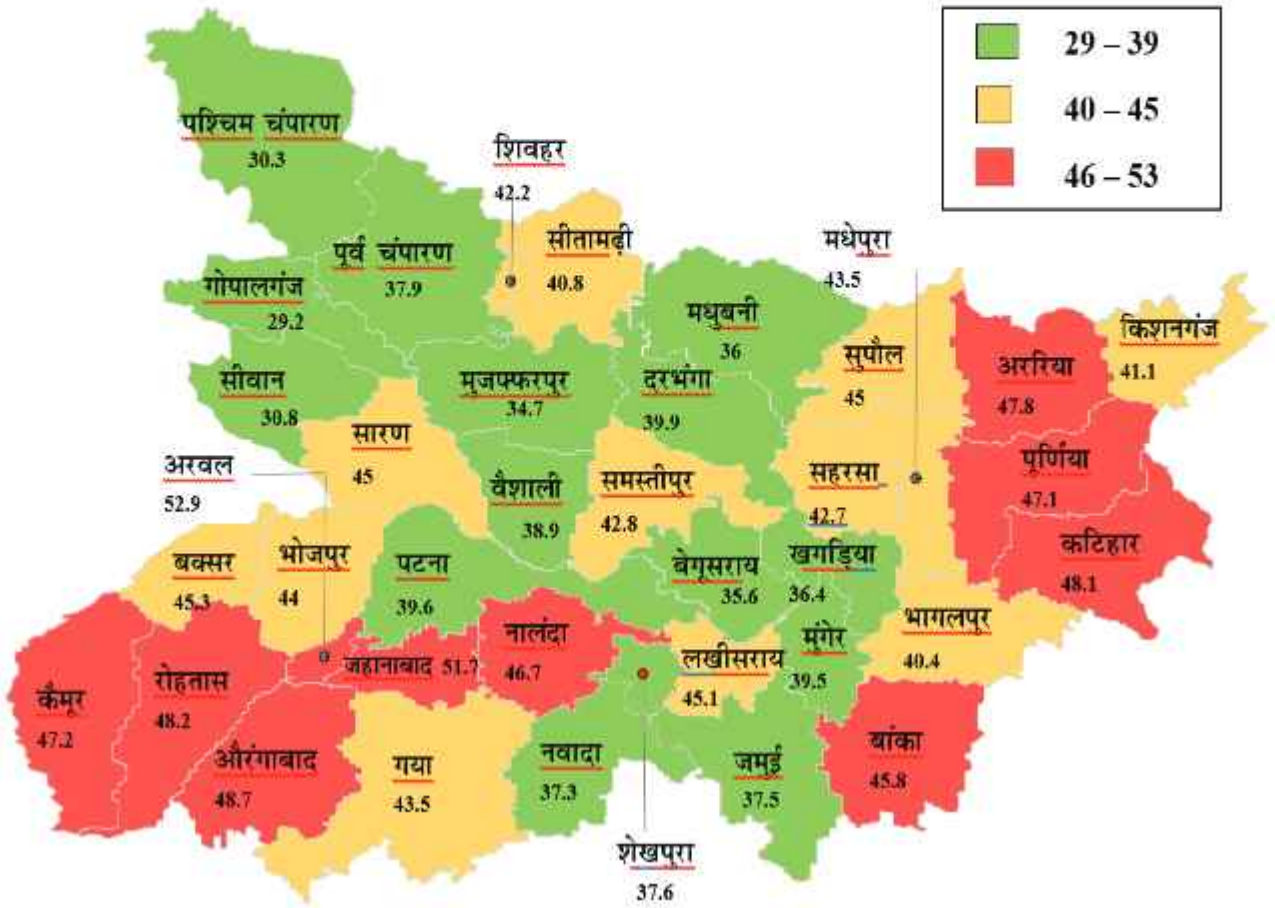


स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत सरकार

## बच्चों में रक्ताल्पता (6-59 महीने)

बच्चों की रक्ताल्पता बिहार और भारत में लोक स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि इससे बच्चों के विकास और उनके समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खून में हीमोग्लोबिन का निम्न स्तर रक्ताल्पता कहलाता है। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है और आयरन की कमी रक्ताल्पता का मुख्य कारण होती है। इसके अन्य कारणों में मलेरिया, अंकुश कृमि और अन्य कृमियां, पोषण संबंधी अन्य कमियां, चिरकालिक संक्रमण, और आनुवांशिक स्थिति शामिल हैं। बच्चों में रक्ताल्पता गंभीर चिंता की बात है क्योंकि इससे उनके संज्ञानात्मक विकास को क्षति हो सकती है, वृद्धि घट सकती है, और संक्रामक रोगों के कारण रुग्णता बढ़ सकती है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 6 से 59 महीने उम्र के 69.4 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 5 के आंकड़ों की तुलना करने पर भी दिखता है कि रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है जो राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के 63.5 प्रतिशत से 5.9 प्रतिशत अंक बढ़कर राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) में 69.4 प्रतिशत हो गया है। भारत के मामले में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के 58.6 प्रतिशत से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के 67.1 प्रतिशत के बीच यह अंतर और भी अधिक (8.5 प्रतिशत अंक) था। बिहार के साथ-साथ भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय पारिवारिक

स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दोनो चक्रों के बीच आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं (तालिका 13.2)। प्रासंगिक जिलावार आंकड़े तालिका प 13.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 13.2 : भारत और बिहार में कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत**

| सूचक | एनएफएचएस-4 (2015-16) | | | एनएफएचएस-4 (2019-20 और 2019-21) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शहरी | ग्रामीण | सभी | शहरी | ग्रामीण | सभी |
| **थ्बहार** | | | | | | |
| ठिगने (उम्र की तुलना में ऊंचाई) | 39.8 | 49.3 | 48.3 | 36.8 | 43.9 | 42.9 |
| दुबले (ऊंचाई की तुलना में कम वजन) | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.6 | 23.1 | 22.9 |
| कम वजन वाले (उम्र की तुलना में वजन) | 37.5 | 44.6 | 43.9 | 35.8 | 41.8 | 41 |
| 6 से 59 महीने उम्र के रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चे | 58.8 | 64.0 | 63.5 | 67.9 | 69.7 | 69.4 |
| **भारत** | | | | | | |
| ठिगने (उम्र की तुलना में ऊंचाई) | 31 | 41.2 | 38.4 | 30.1 | 37.3 | 35.5 |
| दुबले (ऊंचाई की तुलना में कम वजन) | 20 | 21.5 | 21 | 18.5 | 19.5 | 19.3 |
| कम वजन वाले (उम्र की तुलना में वजन) | 29.1 | 38.3 | 35.7 | 27.3 | 33.8 | 32.1 |
| 6 से 59 महीने उम्र के रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चे | 55.9 | 59.4 | 58.4 | 64.2 | 68.3 | 67.1 |

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 और 5

## 13.5 बच्चों के लिए विकासमूलक कार्यक्रम

वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 0-6 वर्ष उम्र समूह के 1.99 करोड़ बच्चे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए अनेक विकासमूलक योजनाएं चला रही हैं। उनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं।

### मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0

भारत सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (जिसे मिशन पोषण 2.0 के नाम से भी जाना जाता है) को स्वीकृति दे दी है। यह कुपोषण से स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों की दिशा में मिशन मोड में रणनीतिक बदलाव है। मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. देश की मानव पूंजी के लिए योगदान करना;
2. कुपोषण की चुनौतियों से निपटना;
3. दीर्घकालिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना; तथा
4. मुख्य रणनीतियों के जरिए पोषण संबंधी कमियां दूर करना।

जारी पोषण कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न कमियों और अपर्याप्तताओं के निराकरण और पोषण तथा बाल विकास संबंधी परिणामों के क्रियान्वयन और त्वरण के लिए पोषण 2.0 के तहत मौजूदा योजना के घटकों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। योजना के मुख्य स्तंभ हैं :

1. 6 महीने से 6 वर्ष तक उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं तथा आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष उम्र की किशोरियों के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी) के जरिए पोषण संबंधी सहायता;
2. आर्रभिक शैशवकालीन शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा 0-3 वर्ष उम्र समूह के लिए आर्रभिक प्रेरणा;
3. आधुनिक, उत्क्रमित आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी की अवसंरचना; तथा
4. पोषण अभियान।

**आंगनवाड़ी सेवा (ए.एस.)**

आंगनवाड़ी सेवा भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे पहले समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के नाम से जाना जाता था। यह आर्रभिक शैशवकालीन देखरेख और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और अनन्य कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ओर विद्यालय-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देने की चुनौती की प्रतिक्रिया में अपने बच्चों और शिशुवती माताओं के लिए, तो दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की घटी क्षमता और मृत्यु के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना के लाभार्थी 6 महीने से 6 वर्ष उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं तथा आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्व राज्यों में 14 से 18 वर्ष उम्र की किशोरियां हैं। समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ 2 अक्तूबर 1975 को 0 से 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए लक्षित उपचारी कार्यक्रम के बतौर हुआ था। कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों की देखरेख, आर्रभिक प्रेरणा और दीर्घकालिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण को बढ़ाना है। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत पूरे देश के 33 प्रखंडों में पायलट आधार पर की गई थी जिनमें 4,891 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) शामिल थे। इनमें से तीन प्रखंड बिहार के थे। नवीं योजना के अंत तक देश में आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रसार बढ़ते-बढ़ते 5,652 परियोजनाओं और 6 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों तक हो गया। नवीं योजना तक आंगनवाड़ी सेवा योजना का हर जगह आच्छादन नहीं था। अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का संचालन 7075 पूरी तरह चालू योजनाओं और 13.95 चालू आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के जरिए होता है।

समेकित बाल विकास सेवा के तहत छः सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। ये हैं - (1) पूरक पोषाहार कार्यक्रम, (2) 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा, (3) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, (4) प्रतिरक्षण, (5) स्वास्थ्य जांच, और (6) रेफरल सेवा। इनमें से तीन अर्थात प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना के लक्ष्य समूह तक आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंच होती है। समेकित बाल

विकास सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), महिला पर्यवेक्षक (एलएस), आंगनवाड़ी सेविका (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) शामिल होते हैं।

इस योजना के मुख्य लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष तक उम्र वाले बच्चे हैं। उनके साथ-साथ, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह तक के दूध पीने वाले बच्चे और स्कूल नहीं जाने वाली 14 से 18 वर्ष तक उम्र वाली किशोरियां भी इस योजना से लाभान्वित होती हैं। अभी समेकित बाल विकास सेवा 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए राज्य के सभी 38 जिलों में चल रही है। वहीं, इसकी सभी 544 परियोजनाएं 1,07,894 आंगनवाड़ी केंद्रों और अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 7115 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित होती हैं।

## केंद्र और राज्यों के बीच व्यय में भागीदारी

योजना के लिए केंद्र और राज्यों के बीच व्यय में इस आधार पर भागीदारी होती है :

**तालिका 13.3 : आंगनवाड़ी सेवा के तहत व्यय में भागीदारी के मानक**

| राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र | आंगनवाड़ी सेवा | पूरक पोषाहार कार्यक्रम |
|---|---|---|
| राज्य/ विधानमंडल वाले केंद्रशासित क्षेत्र | 60:40 | 50:50 |
| उत्तर-पूर्व/ हिमालयी राज्य/ जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र | 90:10 | 90:10 |
| विधानमंडल रहित केंद्रशासित क्षेत्र | 100:0 | 100:0 |

स्रोत : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

## पूरक पोषाहार के लिए व्यय मानकों में संशोधन

सरकार ने आंगनवाड़ी सेवा के तहत अक्तूबर 2017 से पूरक पोषाहार के व्यय मानकों में संशोधन को स्वीकृति दी है जो नीचे प्रस्तुत है :

**तालिका 13.4 : संशोधित व्यय मानक**

(प्रतिदिन प्रति लाभार्थी)

| श्रेणी | संशोधन-पूर्व की दरें | संशोधित दरें |
|---|---|---|
| बच्चे (6-72 महीने) | 6.0 रु. | 8.0 रु. |
| गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं | 7.0 रु. | 9.50 रु. |
| गंभीर कुपोषित बच्चे (6-72 महीने) | 9.0 रु. | 12.0 रु. |

स्रोत : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

समेकित बाल विकास सेवा चूंकि सेवा-आधारित कार्यक्रम है इसलिए इसके क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2021-22 की तुलना में बाल विकास परियोजना अधिकारियों की संख्या बाद के वर्षों में थोड़ी घटी है। लेकिन इसके विपरीत, महिला पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी सेविकाओं की संख्या 2020-21 के बाद बढ़ गई है। जहां तक आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बात है, तो स्वीकृत पदों पर कार्यरत सहायिकाओं की संख्या लगभग समान ही है। तालिका 13.5 के अनुसार, 2023-24 में रिक्ति अनुपात इस प्रकार हैं - बाल विकास परियोजना अधिकारी (30.2 प्रतिशत), महिला पर्यवेक्षक (40.2 प्रतिशत), आंगनवाड़ी सेविका (2.2 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी सहायिका (10.8 प्रतिशत)। आंगनवाड़ी सेवाएक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है जो बचपन की जरूरतों को प्रत्यक्षत: पूरा करती है।

**तालिका 13.5 : आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) में कर्मियों की संख्या**

| वर्ष | पद | बाल विकास परियोजना अधिकारी | महिला पर्यवेक्षक | आंगनवाड़ी सेविका | आंगनवाड़ी सहायिका |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत पदों की संख्या | | 544 | 4,210 | 1,14,718 | 1,07,603 |
| 2020-2021 | कार्यरत | 407 | 2,245 | 1,11,939 | 1,03,188 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 25.2 | 46.7 | 2.4 | 4.1 |
| स्वीकृत पदों की संख्या | | 544 | 4,210 | 1,15,009 | 1,07,603 |
| 2021-2022 | कार्यरत | 376 | 2,267 | 1,12,094 | 1,03,141 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 30.9 | 46.2 | 2.5 | 4.1 |
| स्वीकृत पदों की संख्या | | 544 | 4,210 | 1,15,009 | 1,07,603 |
| 2022-2023 | कार्यरत | 337 | 2,267 | 1,12,585 | 1,02,624 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 38.1 | 46.2 | 2.1 | 4.6 |
| स्वीकृत पदों की संख्या | | 544 | 4,210 | 1,15,009 | 1,15,009 |
| 2023-2024 | कार्यरत | 380 | 2,519 | 1,12,470 | 1,02,624 |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | 30.2 | 40.2 | 2.2 | 10.8 |
| स्वीकृत पदों की संख्या | | 544 | 4,210 | 1,15,009 | 1,15,009 |
| 2024-2025 | कार्यरत | 407 | 2,704 | 1,12,385 | 1,02,624 |
| सितंबर 2024 तक | रिक्त पदों का प्रतिशत | 25.2 | 35.8 | 2.3 | 10.8 |

स्रोत : आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) निदेशालय, बिहार सरकार

वहीं, आंगनवाड़ी सेवा के लिए बजट प्रावधान 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है और 2017-18 के 988.7 करोड़ रु. से 2023-24 में 2064.14 करोड़ रु. हो गया है। वर्ष 2023-24 में 2064.14 करोड़ रु. के इस बजट प्रावधान में से 1861.08 करोड़ रु. केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त किए गए। गौरतलब है कि 2023-24 में 100 प्रतिशत विमुक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया जो राज्य सरकार द्वारा धनराशि के कुशलतापूर्वक उपयोग को दर्शाता

है। उल्लेखनीय है कि 2024-25 में भी सितंबर 2024 तक योजना के तहत विमुक्त धनराशि के 98 प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है। योजना के विवरण तालिका 13.6 और चार्ट 13.6 में प्रस्तुत है।

**तालिका 13.6 : आँगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) में संसाधनों का उपयोग**

| वर्ष | बिहार में योजना का बजट (करोड़ रु.) | केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि (करोड़ रु.) | व्यय (करोड़ रु.) | विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर | व्यय विमुक्त राशि के प्रतिशत के बतौर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 988.7 | 1075.2 | 940.42 | 108.75 | 87.46 |
| 2018-19 | 1213.9 | 1321.5 | 1119.9 | 108.86 | 84.74 |
| 2019-20 | 1735.7 | 1641.7 | 1200.96 | 94.58 | 73.15 |
| 2020-21 | 1533.83 | 1406.09 | 1269.66 | 91.67 | 90.3 |
| 2021-22 | 1758.37 | 1693.67 | 1636.04 | 96.32 | 96.6 |
| 2022-23 | 1965.71 | 1751.63 | 1910.54 | 89.11 | 109.07 |
| 2023-24 | 2064.14 | 1861.08 | 1965.77 | 90.16 | 105.63 |
| 2024-25 सितंबर 2024 तक | 2670.78 | 501.54 | 490.28 | 18.78 | 97.75 |

स्रोत : आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका 13.6 : आंगनवाड़ी सेवा के तहत विमुक्त धनराशि और व्यय**

स्रोत : आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) निदेशालय, बिहार सरकार

## पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर समेकित बाल विकास सेवा नियमावली, 2017 के तहत पूरक पोषाहार फरवरी 2017 से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का मकसद हर गर्भवती महिला और प्रसव के 6 महीने बाद तक शिशुवती महिला तथा कुपोषण से पीड़ित बच्चा सहित 6 महीने से 6 वर्ष आयु समूह के हर बच्चे के लिए हकों को विनियमित करना है। इसके तहत साल में 300 दिनों के लिए खाद्यान्नों का प्रावधान है।

हक के अनुरूप निर्धारित मात्रा में खाद्यान्नों या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में हकदार व्यक्ति को हक है कि वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाए। इस प्रकार, बिहार में महिलाओं और बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार के लिए आंगनवाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। योजना के तहत 6 महीने से 3 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों तथा शिशुवती और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी मानदंडों को सूखा राशन (टीएचआर) या सेहतमंद गर्म पका खाना (एचसीएम) उपलब्ध कराकर पूरा करना होता है। वहीं, 3 महीने से 6 साल उम्र वाले बच्चों को दैनिक जरूरत के लिए गर्म पके भोजन के रूप में ऊर्जा-सघन पोषक (ईडीएन) आहार दिया जाता है। कार्यक्रम का विवरण तालिका 13.7 में दिया गया है। विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों को भी गर्म पका खाना तैयार करके दिया जाता है। इसके साथ-साथ, बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार सुबह में नाश्ता भी दिया जाता है (तालिका 13.8)।

**तालिका 13.7 : पूरक पोषाहार कार्यक्रम (सूखा राशन) के तहत वितरित खाद्य सामग्रियां**

| श्रेणी | चावल (किग्रा) | मूंग दाल (किग्रा) | सोया बड़ी (ग्राम) | मिश्रित मसाले (ग्राम) | नमक (ग्राम) | सोयाबीन तेल (ग्राम) | व्यय मानक (रु. प्रतिदिन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे | 1.87 | 0.75 | 500 | 12.5 | 50 | 250 | 8 |
| 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे | 2.94 | 1.33 | 500 | 25 | 75 | 500 | 12 |
| गर्भवती और शिशुवती महिलाएं | 2.25 | 1 | 375 | 12.5 | 62.5 | 375 | 9.5 |

टिप्पणी : सूखा राशन के जो लाभार्थी सोया बड़ी के बदले अंडे चाहते हैं उन्हें 8 अंडे दिए जाते हैं।
स्रोत : समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय, बिहार सरकार

**तालिका 13.8 : पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बच्चों के लिए गर्म पका खाना का और सुबह के नाश्ता का वर्तमान मेनू**

| दिन | वर्तमान गर्म पका खाना का मेनू | सुबह के नाश्ते का मेनू | |
|---|---|---|---|
| | मुख्य भोजन | सुबह का नाश्ता | सुबह का अतिरिक्त नाश्ता (राज्य योजना) |
| सोमवार | चावल का पुलाव | भुनी मूंगफली और चना | — |
| मंगलवार | भात और आलू-चना की सब्जी | केला/ पपीता या कोई मौसमी फल | दूध-100 मिली |
| बुधवार | भात और सोयाबीन बड़ी की सब्जी | अंकुरित चना और गुड़ | अंडा 1/ मूंगफली |
| वृहस्पतिवार | रसियाव (मीठा भात) | केला/ पपीता या कोई मौसमी फल | दूध-100 मिली |
| शुक्रवार | भात और लौकी-दाल की सब्जी/ साग दाल | केला/ पपीता या कोई मौसमी फल | अंडा 1/ मूंगफली |
| शनिवार | चावल-दाल की खिचड़ी | केला/ पपीता या कोई मौसमी फल | — |

टिप्पणी : ये आंगनवाड़ी केंद्र में विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले 3 से 6 साल तक बच्चों को दिए जाते हैं।
स्रोत : समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय, बिहार सरकार

## राज्य सरकार की पहल

**सुधा दूध :** आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा पाने वाले 3 से 6 साल तक उम्र वाले बच्चों के लिए नाश्ता के अलावा, सप्ताह में दो दिन (मंगलवार और वृहस्पतिवार को) सुधा दूध का पावडर उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों को 100 मिली पानी में 12 ग्राम सुधा दूध का पावडर घोलकर दिया जाता है।

**अंडा :** आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा पाने वाले 3 से 6 साल तक उम्र वाले बच्चों को सप्ताह में दो दिन नाश्ता के अलावा मुर्गी के अंडे दिए जाते हैं। वहीं, अंडा नहीं खाने वाले बच्चे को अंडे की जगह भुनी हुई मूंगफली दी जाती है।

## पोषण अभियान

सुपोषित भारत का लक्ष्य पाने के लिए समग्र पोषण की महत्वपूर्ण योजना (जिसे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से जाना जाता था) का आरंभ मिशन मोड में किया गया। मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0) स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षण का पोषण करने वाले प्रचलनों को बढ़ावा देने पर फोकस के साथ पोषण संबंधी सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूती देने वाला समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम है। पोषण संबंधी परिणामों में वृद्धि के लिए आंगनवाड़ी सेवा, किशोरी योजना और पोषण अभियान को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। पोषण 2.0 का फोकस दुबलापन और कम वजन की व्याप्ति में कमी लाने के लिए माताओं, शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार मानकों, आयुष संबंधी प्रचलनों के जरिए मध्यम/ गंभीर कुपोषित लोगों के इलाज और तंदुरुस्ती पर है। कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग, कनवर्जेंस के जरिए व्यवहार परिवर्तन, व्यापक जन-भागीदारी के जरिए पोषण में सुधार के एजेंडा को जनांदोलन में बदलने, और अनुश्रवण के विभिन्न मापदंडों के जरिए विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। वर्ष 2024-25 में इसके लिए प्रस्तावित बजट प्रावधान में केंद्रांश 19,893.63 लाख रु. और राज्यांश 2370.97 लाख रु. है।

## जनांदोलन (समुदाय आधारित आयोजन)

जनांदोलन पोषण अभियान का एक मुख्य घटक है। हर साल सितंबर में पोषण माह और पोषण पखवारा तथा मार्च-अप्रील में नियत सप्ताह आयोजित किए जाते हैं जिनसे सबसे बड़े पोषण केंद्रित जनांदोलनों के जरिए जनता तक पहुंचने में मदद मिलती है। विगत वर्षों के दौरान जनांदोलनों में अनेक थीमों को शामिल किया गया है जिनमें समग्र पोषण, साफ-सफाई, जल एवं स्वच्छता, रक्ताल्पता से बचाव, स्तनपान का महत्व, विकास अनुश्रवण आदि शामिल हैं। बच्चों में खाद्य विविधता और पूरक पोषाहार को बढ़ावा देने के लिए हर महीने 19 तारीख को अन्नप्राशन सह विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्रवेशोत्सव दिवस और हर महीने 7 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में गोद-भराई दिवस सह सुपोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। लगभग 86 प्रतिशत बच्चे पूरक पोषाहार में विविधतापूर्ण आहार पा रहे हैं। पूरक पोषाहार के लिए मुख्यत: देशज आहार की अनुशंसा की जाती है क्योंकि इससे प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। साथ ही, आंगनवाड़ी सेविकाओं के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों में योगाभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

### पोषण ट्रैकर

अपने पूर्व-स्वरूप में समेकित बाल विकास सेवा - सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (आइसीडीएस-सीएएस) के नाम से प्रचलित पोषण ट्रैकर को आंगनवाड़ियों में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर नजर रखने और उन्हें सुधारने तथा लाभार्थियों का पोषण प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य लेकर स्थापित किया गया था। यह सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का तत्क्षण अनुश्रवण और ट्रैकिंग करता है। बिहार में सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं इस ऍप का उपयोग कर रही हैं जिससे उन्हें गंभीर तीव्र कुपोषित (सैम) बच्चों की पहचान में मदद मिल रही है जिनको इलाज के लिए ट्रैक किया जाता है। अभी पोषण ट्रैकर के जरिए 1.05 लाख लाभार्थी जुड़े हुए हैं और उनमें से 95 को आधार प्रमाणन प्राप्त है।

### पोषण वाटिका

सही प्रकार के पोषण में सक्षम बनाने के लिए अभियान का एक और मुख्य पटल पोषण वाटिका है जिनकी स्थापना पूरे राज्य में फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों की आसान और किफायती उपलब्धता प्रदान करने के लिए की जा रही है। इसलिए पोषण वाटिका बच्चों को फलों और सब्जियों की लगातार आपूर्ति के जरिए सूक्ष्म-पोषक तथ्व उपलब्ध कराकर आहार विविधता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

### किशोरी योजना (एसएजी)

किशोरी योजना को संशोधित करके अप्रील 2022 से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण में समाहित कर दिया गया है। आकांक्षी जिलों की 14 से 18 साल तक उम्र की किशोरियां इस योजना की लाभार्थी हैं। इसका क्रियान्वयन राज्य के 13 आकांक्षी जिलों में 178 परियोजनाओं के जरिए किया जा रहा है। ये जिले हैं - अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, और सीतामढ़ी। इस योजना के पोषण और पोषणेतर, दो मुख्य घटक हैं। पोषण घटक के तहत किशोरियों को अधिकतम 300 दिनों के लिए 600 किलो कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म-पोषक तत्वों वाला पूरक पोषाहार सूखा राशन के रूप में दिया जाता है। वहीं, पोषणेतर घटक विभिन्न मंत्रालयों के कनवर्जेंस पर आधारित है जिसमें इन लड़कियों को आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां मिलती हैं, स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा रेफरल सेवाएं मिलती हैं।

क. **पोषण के लिए व्यय :** पोषण घटक के लिए वित्तीय मानक साल में 300 दिनों के लिए 9.50 रु. प्रति लाभार्थी प्रतिदिन है। इसमें सूक्ष्म-पोषक तत्वों के फोर्टीफिकेशन का व्यय भी शामिल है।

ख. **वित्तपोषण पैटर्न :** पूरक पोषाहार के व्यय में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में भागीदारी की जाती है।

वर्ष 2023-24 में इस योजना से 1.15 लाख लड़कियां लाभान्वित हुईं। वहीं, 2024-25 के लिए 4198.89 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से 3149.16 लाख रु. केंद्रांश था औ 1049.73 लाख रु. राज्यांश।

### पोषण का वित्तपोषण

पोषण संबंधी अपर्याप्त स्थिति को विरूपित स्वास्थ्य सूचकों में योगदान करने वाला एक मुख्य कारक माना जाता है। कम वजन, ठिगनापन, दुबलापन, और कुपोषण की समस्याएं स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित बहुमुखी चुनौतियों

में बदल गई हैं। फलतः, कुपोषण की उच्च दर समाज, खास कर सर्वाधिक वंचित और अरक्षित लोगों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। पोषण केंद्रित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अल्पपोषण का बोझ घटाने के साथ-साथ राज्य की समग्र प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों में समुचित पोषण के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसलिए पोषण में निवेशों का मूल्यांकन देश के भावी विकास के निर्धारण के लिए अत्यंत प्रासंगिक पैमाने का काम करता है। तालिका 13.9 में आंगनवाड़ी सेवा के पोषण संबंधी घटक के वित्तपोषण के रुझान दर्शाए गए हैं। बिहार में आंगनवाड़ी सेवा का कुल बजट 4.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2019-20 के 3800.18 करोड़ रु. से 2023-24 में 4611.53 करोड़ रु. हो गया। वहीं, आंगनवाड़ी सेवा के तहत पोषण का बजट 1.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2019-20 के 1791.89 करोड़ रु. से 2023-24 में 2064.72 करोड़ रु. हो गया।

**तालिका 13.9 : आंगनवाड़ी सेवा के तहत पोषण (पूरक पोषाहार कार्यक्रम) के लिए वित्तपोषण**

| वर्ष | बिहार में सभी योजनाओं का कुल बजट * (करोड़ रु.) | बिहार में पोषण के लिए कुल बजट * (करोड़ रु.) | केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि (करोड़ रु.) | बिहार सरकार द्वारा विमुक्त राशि (करोड़ रु.) | व्यय * (करोड़ रु.) | विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर * | व्यय विमुक्त राशि के प्रतिशत के बतौर * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 3800.18 | 1791.89 | 761.01 | 1013.63 | 1578.09 | 99 | 89 |
| 2020-21 | 4108.98 | 2053.4 | 856.08 | 1253.75 | 2031.85 | 103 | 96 |
| 2021-22 | 4129.51 | 1896.44 | 883.69 | 1040.37 | 1848.65 | 101 | 96 |
| 2022-23 | 4240.48 | 1767.38 | 951.94 | 883.69 | 1767.37 | 104 | 96 |
| 2023-24 | 4611.53 | 2064.72 | 897.23 | 897.23 | 1862.71 | 87 | 104 |

टिप्पणी : * इसमें राज्य योजनाएं भी शामिल हैं।

1. वर्तमान वर्ष में राज्यांश घटक के लिए केंद्र सरकार द्वारा चौथी किश्त में विमुक्त राशि 388.39 करोड़ रु. है। लेकिन राज्यांश घटक के लिए बजट प्रावधान इस रकम से कम है।
2. केंद्र सरकार द्वारा 27.61 करोड़ रु. गत वर्ष के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विमुक्त किए गए।
3. केंद्र सरकार द्वारा 68.24 करोड़ रु. गत वर्ष के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विमुक्त किए गए।
4. 2022-23 का अप्रयुक्त शेष 68.25 करोड़ रु. था जिसका उपयोग 2023-24 में किया गया।

स्रोत : समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय, बिहार सरकार

## प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाइ)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य मजदूरी के नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए नकद प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना है ताकि महिलाएं अपने पहले प्रसव के पहले और बाद पर्याप्त आराम कर सकें। इस घटक के तहत स्थानीय आंगनवाड़ी के जरिए पोषण संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद छः महीनों तक उन्हें मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है और लाभार्थी को दो किश्तों में 5000 रु. का मातृत्व लाभ दिया जाता है। महिला को इसका लाभ पहले दो जीवित बच्चों तक दिया जाता है बशर्ते कि दूसरे

प्रसव में लड़की का जन्म हुआ हो। पहले बच्चे के मामले में दो किश्तों में 5000 रु. दिए जाते हैं जबकि दूसरे प्रसव में लड़की जन्म लेने पर एक ही किश्त में 6000 रु. दिए जाते हैं। हालांकि दूसरे बच्चे के लिए लाभ लेने के लिए गर्भावस्था के दौरान निबंधन कराना जरूरी है। इस योजना के चलते जन्मकालीन लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है और महिला भ्रूण हत्या रुक रही है।

**तालिका 13.10 : नकद प्रोत्साहन की शर्त**

| किश्त | शर्त | रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **पहले बच्चे के लिए योजना की शर्त** | | |
| पहली किश्त | गर्भावस्था के निबंधन के बाद और अंतिम मासिक की तिथि से 6 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र या स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र में (जिसे संबंधित प्रशासी राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किया गया हो) कम से कम एक बार प्रसवपूर्व जांच कराने पर। | 3,000 |
| दूसरी किश्त | I. बच्चे के जन्म का निबंधन कराने पर।<br>II. बच्चे को 14 सप्ताह की उम्र तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सर्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य सभी उपयुक्त टीके लग जाने पर। | 2,000 |
| **बच्चे के लिए योजना की शर्त (अगर वह लड़की हो)** | | |
| एक ही किश्त | गर्भावस्था के निबंधन के बाद और अंतिम मासिक की तिथि से 6 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र या स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र में (जिसे संबंधित प्रशासी राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किया गया हो) कम से कम एक बार प्रसवपूर्व जांच कराने पर। योजना के तहत लड़की के जन्म का निबंधन कराया जाएगा। लड़की को 14 सप्ताह की उम्र तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सर्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य सभी उपयुक्त टीके लग जाने पर। | 6,000 |

स्रोत : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

## 13.6 पेयजल और स्वच्छता

साफ-सफाई रोगों को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पेयजल तथा स्वच्छता इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब तक विद्यालय में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों, तब तक बच्चे को सेहतमंद माहौल नहीं दिया जा सकता है। विद्यालय की स्थिति बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि बच्चे अनेक सामाजिक आदतें और व्यवहार वहीं सीखते हैं। बच्चे सीखने का स्वस्थ माहौल पाने के हकदार हैं जिसमें सुरक्षित और स्थायी पानी, स्वच्छता तथा साफ-सफाई (वाश) सेवाओं की आसानी से उपलब्धता शामिल हैं। फलतः, विद्यालयों में वाश सुविधाएं संधारित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत व्यक्त करने वाले बाल सूचक पर, जो सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 6 के तहत आता है, बिहार का स्कोर 92 प्रतिशत है। इसलिए पर्याप्त सुरक्षित जल और समुचित स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना विद्यालय अवसंरचना का अनिवार्य घटक है। चार्ट 13.7 (क+ख) में बिहार के विद्यालयों में 2021-22 में कार्यशील पेयजल और शौचालय सुविधाओं की स्थिति दर्शाई गई है। अभी कुल 1,15,009 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1,02,242 में पेयजल सुविधा और 96,251 केंद्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है।

चार्ट 13.7 : बिहार के विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं (प्रतिशत)

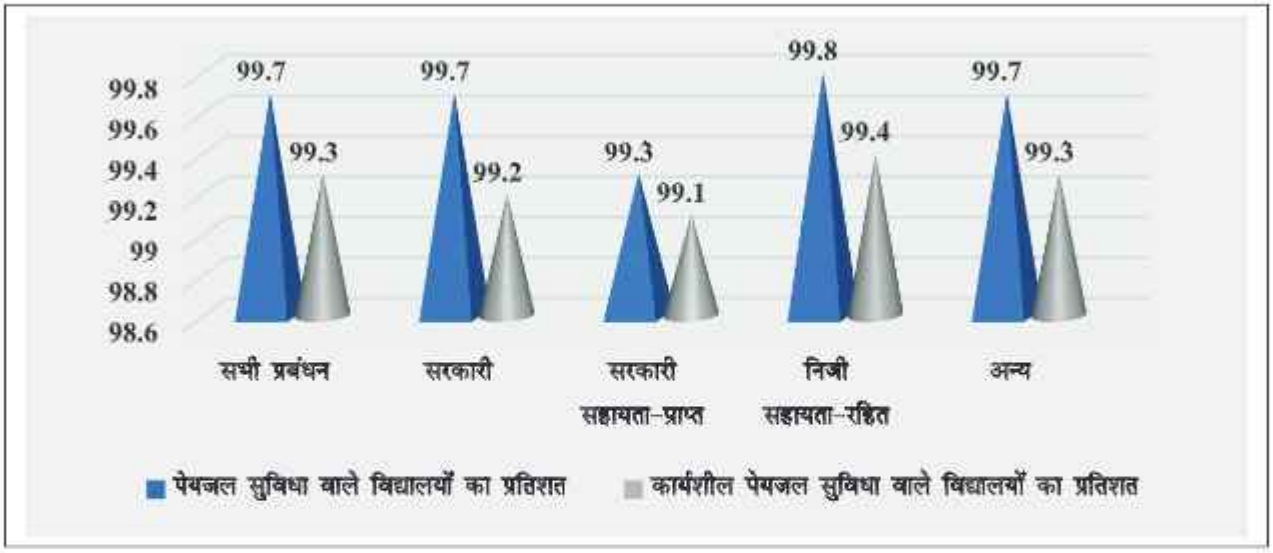


चार्ट 13.7 क : बिहार के विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय सुविधाएं (प्रतिशत)

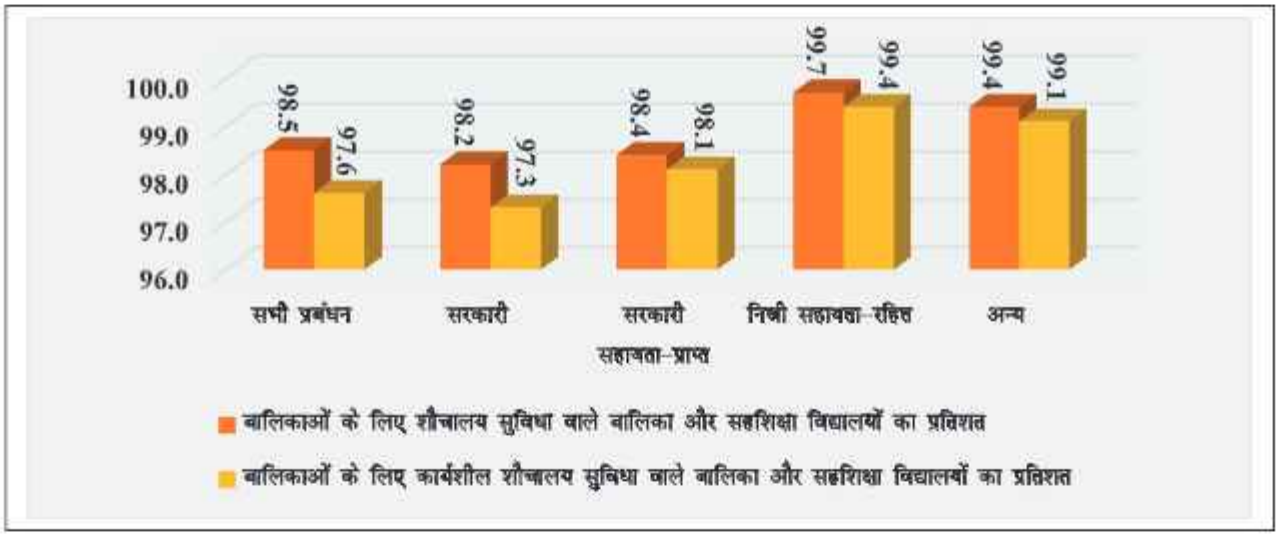


चार्ट 13.7 ख : बिहार के विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय सुविधाएं (प्रतिशत)

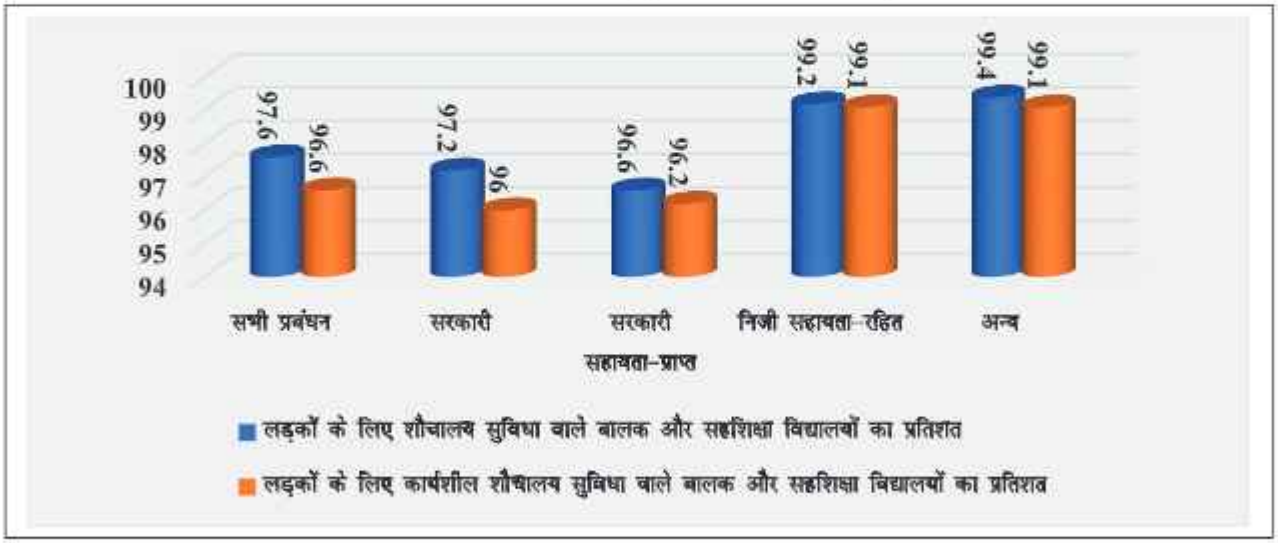


स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, भारत सरकार

## 13.7 छोटे बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

शिक्षा व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ाती है और घनिष्ठ रूप से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिक परिवर्तनों के लिए उत्प्रेरक का काम करती है जिसके कारण समाज का समग्र विकास होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अब 5+3+3+4 वर्षों की स्कूली शिक्षा होती है जिसमें औपचारिक शिक्षा के दायरे में शैशवकालीन शिक्षा भी शामिल है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पर मानव विकास वाले अध्याय 12 में चर्चा की जा चुकी है। इसलिए इस खंड में शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) और राज्य में बाल विकास के अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

### विद्यालय-पूर्व शिक्षा

आरंभिक बचपन के अनुभव बच्चों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्माण के इन वर्षों में बच्चे के दिमाग में तेज बदलाव आता है, सामाजिक और व्यक्तिगत आदतें तेजी से स्थापित होती हैं, और बच्चे के आजीवन व्यापक विकास के लिए मजबूत बुनियाद बनती है। आरंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए जरूरी है कि सभी बच्चों को उच्च-स्तरीय विद्यालय-पूर्व अनुभव उपलब्ध हों। गुणवत्तापूर्ण विद्यालय-पूर्व शिक्षा सुनिश्चित करना सतत विकास लक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य है। शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क के 85 प्रतिशत से भी अधिक भाग का विकास 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है जो मस्तिष्क के स्वस्थ विकास और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभिक बचपन में उपयुक्त देखरेख और प्रेरणा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत को रेखांकित करता है।

### शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई)

शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा में निवेश करने से निवेश पर काफी प्रतिफल मिल सकता है। शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल बच्चे बढ़े संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास दर्शाते हैं, बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, और पूरे जीवन में उन्नत स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव करते हैं। ये परिणाम आजीवन खुशहाली और विभिन्न आयामों में व्यापक वृद्धि एवं विकास के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने में शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं। शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू 'सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' मिशन के तहत आती है। मिशन ने छोटे बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति, तथा उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा पर काफी बल दिया है। साथ ही, 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ''पोषण भी पढ़ाई भी'' कार्यक्रम के जरिए आरंभिक शिक्षा और पोषण पर पुन: ध्यान देने के लिए एक पहल की शुरुआत की जिसमें बच्चों के व्यापक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की गई है। बिहार में आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) पहल अभी 544 परियोजनाओं और 1,15,009 आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रणाली के जरिए काम करती है। इसने 2024-25 में 3 से 6 साल उम्र के कुल 53.5 लाख बच्चों को सफलतापूर्वक शैशवकालीन शिक्षा प्रदान की है जिनमें 24.7 लाख लड़के और 26.1 लाख लड़कियां हैं। अभी लाभार्थियों को सहयोग देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाली 2704 सुपरवाइजर, 1,12,094 आंगनवाड़ी सेविकाएं, और 1,03,432 आंगनवाड़ी सहायिकाएं काम कर रही हैं।

### विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम

आंगनवाड़ी केंद्र 3 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों को विद्यालय-पूर्व शिक्षा देते हैं। इन केंद्रों में निबंधित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नाश्ता और गर्म पका खाना दिया जाता है। गर्म पका खाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में दिए गए निर्देश के आधार पर बच्चों की कैलोरी, प्रोटीन और सूक्ष्मपोषक तत्वों की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। किसी आंगनवाड़ी केंद्र में लगभग आम तौर पर 35-40 बच्चे निबंधित होते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं का काम केंद्र में विद्यालय-पूर्व शिक्षा के सत्र चलाना है। शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका के जरिए होता है। बिहार में अक्तूबर 2024 तक 1,15,009 आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल 53.5 लाख बच्चे नामांकित थे।

### विद्यालय-पूर्व शिक्षा किट

विद्यालय-पूर्व शिक्षा किट उपलब्ध कराना और आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन प्रक्रिया में उनका उपयोग सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के सभी 1,15,009 आंगनवाड़ी केंद्रों को 3000 रु. प्रति केंद्र के व्यय से विद्यालय-पूर्व शिक्षा किट उपलब्ध कराए जाते हैं। पठन-पाठन प्रक्रिया में उपयोग के लिहाज से संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, बुनियादी साक्षरता एवं गणना तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास आदि सभी क्षेत्रों के लिए सामग्रियों की खरीद की जाती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि खरीदे गए सामान उपयोग में सुरक्षित और टिकाऊ हों। राज्य में आधारशिला पाठ्यचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रवीण प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआइपीसीसीडी) के सहयोग से किया जाता है। अभी कुल 1092 प्रवीण प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

### बाल मूल्यांकन कार्ड

3 से 6 साल उम्र के बच्चों के शैक्षिक परिणामों के मूल्यांकन के लिए बाल मूल्यांकन कार्ड तैयार किए गए हैं। शैक्षिक सूचकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का अनुपालन करते हुए विकसित किया गया है। मूल्यांकन कार्डों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उम्र के उपयुक्त उच्च कोटि के कौशलों को 'पोषण भी पढ़ाई भी' के रिपोर्ट कार्ड में समेकित किया गया है।

### पोशाक के लिए प्रावधान

आंगनवाड़ी केंद्रों में समता को बढ़ावा देने के लिए विभाग बच्चों की पोशाकों के प्रावधान में मदद कर रहा जिसका व्यय 400 रु. प्रति लाभार्थी है। इस रकम को बच्चों के अभिभावकों के खातों में जमा कर दिया जाता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से यूनीफॉर्म खरीदने में सक्षम होते हैं।

### स्थानीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति

राज्य में विभिन्न स्तरों पर आरंभिक बचपन में शिक्षा का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड स्तर पर गठित स्थानीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति में ये सदस्य होते हैं : अध्यक्ष बाल विकास परियोजना अधिकारी

की ओर से, चक्रानुसारी क्रम में समन्वयक के बतौर काम करने के लिए एक महिला पर्यवेक्षक, प्रखंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, और प्रखंड स्तर पर नागरिक समाज संगठन से दो सदस्य। इस समिति को प्रखंड स्तर पर संचालित गतिविधियों की देखरेख करने, चुनौतियों की पहचान करने और आवश्यक सुधारक उपाय सुझाने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने, तथा आवश्यक हस्तक्षेपों को सुगम बनाने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ संवाद करने का जिम्मा होता है।

### सामुदायिक संलग्नता

'पोषण भी पढ़ाई भी' पहल का लक्ष्य आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्रिय शिक्षा केंद्रों में बदल डालना है। इसकी प्राप्ति के लिए विभाग ने विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में समुदाय को महत्वपूर्ण हितधारक मानते हुए समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। बच्चों और उनके परिवारों, दोनो की गहरी समझ हासिल करने के लिए समुदाय के सदस्यों की संलग्नता जरूरी है। आरंभिक विकास के वर्षों में अभिभावकों के लिए आवश्यक होता है कि वे आंगनवाड़ी केंद्र में चलने वाली गतिविधियों में शामिल हों और उन्हें समर्थन दें। वहीं, आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए भी बच्चे के घर के माहौल से अवगत होना जरूरी है। अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में नियमित जानकारी दी जाती है। फलतः, राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप मासिक शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा दिवस मनाने का दिशानिर्देश तय किया है। सभी जिलों में थीम आधारित गतिविधियों और हितधारकों की भूमिकाओं तथा दायित्वों का विवरण देते हुए 12 महीने की व्यापक योजना दर्शाई गई है। अनुशंसा की गई है कि शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा दिवस का सत्र कम से कम दो घंटे चले। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के सुगम संक्रमण में सहयोग के लिए इस योजना को अप्रील से मार्च तक चलने वाले अकादमिक कैलंडर के अनुरूप बनाया गया है।

### विद्यालय से बाहर के बच्चे (ओओएससी)

आम तौर पर विद्यालय से बाहर के बच्चे समाज के सर्वाधिक वंचित समूहों के बच्चे होते हैं। मलिनबस्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जीर्णशीर्ण मकानों में, रेलवे स्टेशन या सड़कों पर अथवा अन्य खतरनाक, जीवनघाती स्थितियों में रहने वाले बच्चों को नियमित विद्यालय आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे अनेक सीमांत बच्चे भीख मांगने, कूड़ा बीनने, या छोटे व्यवसायों में सहायता देने जैसे कामों में लगे रहते हैं। हालांकि सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के समग्र शिक्षा अभियान के ध्येय के अनुरूप, आवश्यक है कि सभी विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के ढांचे में शामिल किया जाय। विद्यालय से बाहर के बच्चों के वास्तविक बोझ के आकलन के लिए राज्य में वासस्थलों की मैपिंग की गई है जिसमें राज्य शिक्षाधिकार नियमावली के मानकों के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा की उपस्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। विद्यालय से बाहर के बच्चों की स्थिति नीचे की तालिका में देखी जा सकती है। राज्य सरकार विद्यालय से बाहर के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समेकित करने के लिए व्यापक और समावेशी रणनीति का क्रियान्वयन कर रही है।

तालिका 13.11 : बिहार में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या

| 2022-23 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणी | 6 से 10 वर्ष | | | 11 से 13 वर्ष | | |
| | लड़के | लड़कियां | योगफल | लड़के | लड़कियां | योगफल |
| सभी | 12274 | 10522 | 22796 | 5937 | 4148 | 10085 |
| अनसूचित जाति | 3405 | 2799 | 6203 | 1482 | 1063 | 2545 |
| अनसूचित जनजाति | 365 | 286 | 653 | 290 | 143 | 434 |
| अल्पसंख्यक | 1713 | 1472 | 3185 | 1017 | 610 | 1627 |
| **2023-24** | | | | | | |
| श्रेणी | 6 से 10 वर्ष | | | 11 से 13 वर्ष | | |
| | लड़के | लड़कियां | योगफल | लड़के | लड़कियां | योगफल |
| सभी | 10537 | 7949 | 18486 | 8435 | 6364 | 14799 |
| अनसूचित जाति | 3633 | 2741 | 6374 | 1558 | 1175 | 2733 |
| अनसूचित जनजाति | 440 | 332 | 772 | 189 | 142 | 331 |
| अल्पसंख्यक | 2039 | 1539 | 3578 | 874 | 660 | 1534 |

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

## खेलकूद और शारीरिक शिक्षा

समग्र विद्यालयी शिक्षा योजना अर्थात समग्र शिक्षा के तहत 'शिक्षा' को समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है जिसमें प्राथमिक-पूर्व, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर निरंतरता में हैं। यह विद्यालय-पूर्व से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की समेकित/ संयुक्त विद्यालय प्रणाली है जो विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए संक्रमण को सुगम बनाती है और विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोन्नति देने में सहायता करती है। योजना की दृष्टि शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुपालन-स्वरूप विद्यालय-पूर्व से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी और उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की है। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा शीर्ष के अनुसार, विद्यालय स्तर पर खेल के सामानों की खरीद के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रु., मध्य विद्यालय के लिए 10,000 रु. और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रु. का बजट प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में 75,424 विद्यालयों के लिए 6910.25 लाख रु. स्वीकृत किए गए थे। इसके जरिए सभी 38 जिलों में गुणवत्तापूर्ण सामान खरीदे गए हैं।

### बिहार के हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करने और युवाओं तथा खास तौर पर स्कूली बच्चों और लड़कियों के लिए खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत खेल के मैदानों के विकास का निर्णय किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से बच्चों और युवाओं को स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मनरेगा के तहत खेल के मैदानों के विकास के लिए जमीन की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित तीन प्रकार के खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं :

प्रकार-1 : बड़े मैदान (04 एकड़ तक) - मानक प्राक्कलन 9.94 लाख रु.

प्रकार-2 : मध्यम मैदान (1 से 1.5 एकड़ तक) - मानक प्राक्कलन 9.12 लाख रु.

प्रकार-3 : छोटे मैदान (1 एकड़ से छोटे) - मानक प्राक्कलन 8.28 लाख रु.

बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, दौड़ के ट्रैक, बैडमिंटन, ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी, खो-खो, जैसी खेल सुविधाओं का प्रस्ताव है। योजना का लक्ष्य राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत खेल के न्यूनतम एक मैदान का निर्माण करना है। सभी मैदानों के निर्माण का बजट 804.36 करोड़ रु. है और इनसे लगभग 52.74 लाख व्यक्ति-दिवस काम उपलब्ध होगा। खेल के मैदानों के निर्माण के प्रथम चरण में कुल 654.50 करोड़ रु. के व्यय से 533 प्रखंडों के 5671 ग्राम पंचायतों में कुल 6859 मैदानों के निर्माण की शुरुआत की गई है जिससे लगभग 41.00 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार मिलेगा।

## विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूसीएन) के लिए समावेशी शिक्षा

समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 18 वर्ष के विशेष जरूरत वाले बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार अन्य बच्चों की तरह ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन कौशल उपलब्ध कराना है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं रह जाय। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक दृष्टिकोण, विकल्प और रणनीतियां अपनाई गई हैं ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी प्रतिभा के अनुसार सीख सकें। इससे संबंधित पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. **खेलकूद समारोह** : बिहार के सभी जिलों में 2022 के अंत और 2023 के आरंभ में खेल महोत्सव आयोजित किए गए थे। गतिविधि का अयोजन 3 दिसंबर 2022 को विश्व नि:शक्तता दिवस और 4 जनवरी 2023 को लुई ब्रेल दिवस के अवसर पर किया गया। आयोजन ने महामारी के दौर में भी चित्रकला, क्विज प्रतिस्पर्धा, गायन-वादन आदि अवसरों पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका दिया। आयोजन ने नि:शक्तता-ग्रस्त बच्चों के समावेश को बढ़ावा दिया और उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खेल भावना, टीमवर्क और नेतृत्व कौशल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

2. **ब्रेल लेखन सामग्री** : मुद्रित सामग्री पढ़ने-लिखने में अक्षम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद के लिए राज्य ने ब्रेल लिपि में मुद्रित सामग्री, ब्रेलर, ब्रेल स्लेट, अबैकस और टेलर फ्रेम आदि उपलब्ध कराए हैं और 813 विद्यार्थियों की मदद की है। इन उपकरणों का उपयोग करके विद्यार्थी पढ़ना-लिखना सीख सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकते हैं और उसके जरिए कक्षा की नियमित गतिविधियों में बेहतर सहभागी बन सकते हैं।

3. **लड़कियों के लिए वजीफे** : इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक में पढ़ने वाली विशेष आवश्यकता वाली कुल 9737 लड़कियों को वजीफा दिया जा रहा है। इससे वर्गकक्षों में उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। इस सहयोग के कारण ऐसी लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ने के मामले घटे हैं।

4. **कौशल वृद्धि (विशेष आवश्यकता वाले दृष्टिबाधित बच्चों के लिए "स्पर्श")** : इस कार्यक्रम के तहत, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 90-दिवसीय केंद्र चलाया जाता है जिसके जरिए उनके लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम (जैसे दैनिक गतिविधि, ब्रेल पठन, उन्मुखीकरण ज्ञान और सक्रियता, अंग-विन्यास की जानकारी, रंगों की जानकारी) चलाए जाते हैं। वर्ष 2022-23 में 1019 दृष्टिबाधित बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

5. **घर आधारित शिक्षा** : इसके तहत समावेशी शिक्षा में कार्यरत पुनर्वास पेशावर गंभीर श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के घर जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। घर आधारित शिक्षा से इस श्रेणी के 9038 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

**खेलो इंडिया** : खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना है। इसका आरंभ 2018 में राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में खेल को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से किया गया था। खेलो इंडिया युवा खेल कार्यक्रम का आरंभ खिलाड़ियों की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ ऑलंपिक में भी भारत की रैंकिंग में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। चुने गए खिलाड़ी लगातार आठ वर्षों तक 5 लाख रु. की छात्रवृत्ति पाने के हकदार होते हैं। खिलाड़ियों को पढ़ाई और खेल, दोनो में सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम का लक्ष्य देश में 20 विश्वविद्यालयों की पहचान करके उन्हें बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का संचालन बिहार के सभी विद्यालयों में किया जा रहा है।

**विद्यालयों में राष्ट्रीय पठन एवं समझ प्रवीणता तथा गणना पहल (निपुण) पठन-पाठन सामग्री किट की उपलब्धता** : सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को कक्षा में खिलौना आधारित शिक्षा के लिए पठन-पाठन सामग्री किट उपलब्ध कराया गया है, जैसा कि विद्यार्थियों के लिए लक्षित शैक्षिक परिणाम हासिल करने, जटिल अवधारणाएं समझने में उनकी मदद करने और उनमें पढ़ाई के प्रति उत्सुकता पैदा करने के लिए वर्गकक्षों को संसाधन-संपन्न बनाने और शिक्षकों को 'टूल किट' के जरिए सशक्तीकरण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। इसमें अक्षर, फ्लैश कार्ड और कथा पुस्तकें, चेन लिंक, 3-डी आकृतियां, विद्यार्थी किट और विद्यालय किट शामिल होते हैं। पठन-पाठन सामग्री किट के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल किट के 5 अलग-अलग सेट उपलब्ध कराए गए हैं। हर किट में कक्षा-विशेष के लिए पोस्टर और चार्ट सहित भाषा और गणित के लिए सामग्रियां मौजूद हैं। वहीं, बच्चों को भी किट उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें कक्षा 1 से 3 तक के लगभग 55 लाख बच्चों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ऊर्दू की कार्यपुस्तिकाएं होती हैं।

सारे किट बिहार के राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की जांच प्रक्रिया से गुजरे। पठन-पाठन सामग्रियों के विद्यालयों में पहुंचने के बाद इस किट के उपयोग पर जिला-स्तरीय अधिकारियों, प्रखंड-स्तरीय अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण करने के लिए ऑनलाइन उन्मुखीकरण आयोजित किया गया। यह किट अब राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग में लाए जा रहे हैं।

**तरंग** : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 'तरंग' कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लगभग 500 बच्चों ने क्रॉसवर्ड, क्विज प्रतियोगिता, स्पेल-बी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और बिना तैयारी के बोलने जैसी विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में भाग लिया। प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तरों पर आयोजित 'तरंग मेधा खेल उत्सव-2022' के तहत 6 से 17 वर्ष तक उम्र के 1224 विद्यार्थियों ने निर्णायक राज्य-स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया।

**प्रवेशोत्सव कार्यक्रम** : विद्यालयों में नामांकन का माहौल बनाने के लिए राज्य स्तर से जिलों में कला जत्था की टीम भेजी गई।

## 13.8 बाल संरक्षण

भारत के संविधान में बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। नीति-निर्माताओं ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की उत्तरजीविता, शिक्षा, संरक्षण और समग्र कल्याण में पर्याप्त निवेश जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण पोषण, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, और अन्य सेवाएं पाने में बिहार और बाहर के, दोनो जगह के अनगिनत बच्चों को विभिन्न अरक्षितताओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, बच्चों को ऑनलाइन शोषण, जलवायु परिवर्तन, और प्राकृतिक तथा मानवजनित, दोनो तरह की आपदाओं जैसी नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली से संबंधित इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने अनेक पहलों को अंजाम दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी) का भी हस्ताक्षरकर्ता है इसलिए बच्चों के संरक्षण के लिए सशक्त कानूनी ढांचा भी मौजूद है। इस कानूनी ढांचे में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 भी शामिल है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों और कार्यों के उपयोग और निष्पादन के लिए अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन किया गया है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें नीचे वर्णित हैं :

### मिशन वात्सल्य (समेकित बाल संरक्षण योजना)

मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप बाल विकास और बाल संरक्षण संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित रणनीतिक ढांचा के बतौर काम करता है। इसके तहत 'एक भी बच्चा नहीं पीछे छूटे' के सिद्धांत के मार्गदर्शन में बाल अधिकारों, उनके पक्षपोषण और जागरूकता के साथ-साथ किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण प्रणाली के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। मिशन के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी कानूनी साधन किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 हैं। वर्ष 2009-10 के पहले मंत्रालय के तहत तीन खास योजनाएं कियान्वित होती थीं - (1) देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों और कानून तोड़ने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम, (2) सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम, और (3) शिशु गृह सहायता योजना। इन तीनो योजनाओं को समेकित बाल संरक्षण योजना (आइसीपीएस) नामक केंद्र प्रायोजित पहल में समाहित कर दिया गया जो 2009-10 से काम करने लगा। लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर 'बाल संरक्षण सेवा' (सीपीएस) कर दिया गया। वहीं, उस योजना को 2021-22 से मिशन वात्सल्य में समाहित कर दिया गया।

विभिन्न स्तरों पर इस योजना के क्रियान्वयन में सहायता के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के सुधार और कल्याण में वृद्धि और दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा अलगाव का कारण बनने की आशंका वाली स्थितियों और कार्यों से उनकी अरक्षितता में कमी लाना शामिल हैं। अगले वित्तवर्ष 2023-24 में योजना के लिए आबंटन बढ़ा दिया गया और केंद्रांश 5013.00 लाख रु. तथा राज्यांश 3200.00 लाख रु. कर दिया गया। वहीं, 2024-25 में आबंटन बढ़ गया है और केंद्रांश 5461.89 लाख रु. तथा राज्यांश 3734.74 लाख रु. हो गया है।

### परवरिश

यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों की परिवार/ रिश्तेदार आधारित देखरेख में मदद के लिए तैयार की गई है : (1) अनाथ, (2) एचआइवी से प्रभावित या ऐसे लोगों के साथ रहने वाले बच्चे, (3) दूसरी श्रेणी के कुष्ठ से प्रभावित व्यक्ति, (4) न्यायिक आदेश के तहत सजायाफ्ता माता-पिता के बच्चे, तथा (5) मानसिक विकलांग माता-पिता के बच्चे जिसके कारण उनकी पर्याप्त देखरेख नहीं हो सकती है। इस कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक हर बच्चे को 1000 रु. की मासिक सहायता दी जाती है। वित्तवर्ष 2023-24 में इसके लिए 1500 लाख रु. का बजट आबंटन था जिसमें से 1407 लाख रु. योजना के तहत खर्च किए गए।

### ट्रैक चाइल्ड और खोया-पाया

ट्रैक चाइल्ड पोर्टल 2012 से चालू कर दिया गया है। यह पोर्टल पुलिस थानों में दर्ज 'खोए' बच्चों का मिलान बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआइ) में रह रहे 'पाए गए' बच्चों के साथ करता है। जो हो। इस पोर्टल का वेब पता *www.trackthemissingchild.gov.in* है। इस पोर्टल को संबंधित हितधारकों, यथा पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थानों, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय पर्षदों आदि द्वारा अपडेट किया जाता है।

### चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) सेवा

मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य और जिला के अधिकारियों के साथ समन्वय से चाइल्ड हेल्पलाइन चलाया जा रहा है जिसे गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) के साथ समेकित किया गया है। अभी यह राज्य के 26 जिलों में चालू है और चाईल्ड हेल्पडेस्क बिहार के 11 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।

### किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

भारत सरकार ने 2021 में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया है। यह बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कानून है। यह अधिनियम देखरेख, संरक्षण, विकास, चिकित्सा, और समाजिक पुनर्समेकन के जरिए देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों तथा कानून तोड़ने वाले बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करके उनको संरक्षण उपलब्ध कराता है।

### मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एमएसएसपी)

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के प्रत्येक विद्यालय में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है और प्रत्येक विद्यालय कैलेंडर के अनुसार ''सुरक्षित शनिवार'' की

गतिविधियां चला रहा है। वर्ष 2022-23 में विद्यालय सुरक्षा के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के 3,84,611 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। कुल 74,934 प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों को 'प्राथमिक चिकित्सा किट' उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालयों के पाठ्यपुस्तकों में आपदा प्रबंधन पर एक अध्याय शामिल किया गया है। आपदा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। यहां तक कि विद्यालय विकास योजनाओं में भी विद्यालयों और संबंधित हितधारकों की सुरक्षा-संरक्षा चिंताओं को शामिल किया गया है। 'विद्यालय सुरक्षा' को बच्चों के लिए उनके घरों से लेकर विद्यालयों तक आने-जाने तक सुरक्षित वातावरण निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है।

## 13.9 बाल सहभागिता

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी) में बाल सहभागिता को एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें अपने विचारों को औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से खुलकर व्यक्त करने के बच्चों के अधिकार पर बल दिया गया है। बाल सहभागिता में अपने जीवन पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के बारे में निर्णय लेने और कार्रवाई करने में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा भूमिका निभाने की स्वीकृति देना शामिल है। यह बच्चों का सशक्तीकरण करके और बच्चों, वयस्कों तथा समुदायों के बीच पारिवारिक, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय – विभिन्न स्तरों पर परस्पर सम्मान और सहयोग पर आधारित सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देकर हासिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नीति के नजरिए से बाल अधिकार समझौता (सीआरसी) के अनुच्छेद 12 में बाल सहभागिता को यह कहते हुए अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है कि ''राज्य सुनिश्चित करेंगे कि अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम बच्चों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है''। अपने परिवारों, विद्यालयों, स्थानीय समुदायों, संस्थानों, सरकारी नीतियों और न्यायिक प्रक्रियाओं के अंदर बच्चों से संबंधित मामलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनो ने सभी योजना प्रयासों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी की गारंटी करने के लिए निर्णय प्रक्रिया में उनकी संलग्नता को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित कार्यक्रम विकसित किए हैं। उनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं।

### किशोरी मंच

माध्यमिक स्तर पर छात्राओं, खास कर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक/ अजा/ अजजा समुदायों की छात्राओं का स्कूल छोड़ देना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, ऐसे अनेक सामाजिक कारण हैं जो छात्राओं के लिए विद्यालयों में टिके रहना मुश्किल कर देते हैं। इसलिए इसके निराकरण के लिए 2022-23 में राज्य के 13 जिलों – अररिया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल के 1300 माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किशोरी मंच कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। किशोरी मंच की गतिविधियों का संचालन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मॉड्यूल के अनुसार किया जाता है। यह मंच विद्यार्थियों के बीच से एक अंबेसडर का चुनाव भी करता है जो कार्यक्रम का नेतृत्व करती है। अंबेसडर के लिए ऐसे छात्राओं को प्राथमिकता दी गई जो मंच और शिक्षकों के सामने अपनी किशोरावस्था से संबंधित समस्याओं को बताने में हिचकती हैं। अभी 57,600 किशोरियां किशोरी मंच में शामिल होकर इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही हैं। कार्यक्रम ने किशोरियों में सामाजिक और भावनात्मक कौशलों के विकास में और अपने, दूसरों तथा विद्यालय के बारे में छात्राओं का दृष्टिकोण बदलने में मदद की है। कार्यक्रम ने सामाजिक और कक्षागत

व्यवहारों तथा चिंता और अवसाद जैसे भावनात्मक संकटों से मुक्ति में भी मदद की है। साथ ही, इससे किशोरियों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, खास कर ऋणों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में भी जानकारी मिली है।

### बाल संसद

आज बिहार के हर विद्यालय में विद्यार्थियों का संसद स्थापित है जिसे बाल संसद कहा जाता है। इन बाल संसदों में 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालयों में गठित किया गया है। शिक्षा में बच्चों का अधिक महत्व सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की सहायता करना उनकी मुख्य जिम्मेवारी है। इन बाल संसदों का उद्देश्य नेतृत्व कौशल विकसित करके और संवाद क्षमता बढ़ाकर बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना है। ये बाल संसद विद्यार्थियों द्वारा अपने विद्यालय, आसपास के समाज, स्वास्थ्य और साफ-सफाई संबंधी जरूरतों तथा व्यक्ति के रूप में अपने संपूर्ण अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त मंच हैं।

### बाल संवाद अदालत

बाल अपराध आपराधिक प्रवृत्ति वाले नाबालिगों द्वारा प्रदर्शित सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार को व्यक्त करता है और यह परिघटना पूरी दुनिया में देखी जाती है। ये बाल अपराधी अधिकांशत: वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं जिन्हें अक्सर 'कानून तोड़ने वाले बच्चे' (सीआइसीएल) कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 1960 के महासम्मेलन में इस मुद्दे पर गौर किया गया था। दिसंबर 2012 में 'निर्भया कांड' की दुखांत घटना के बाद किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया गया और उसके बाद बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 लागू की गई। इस कानून में इन बच्चों के पुनर्वास के लिए लक्षित व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें उन्हें दंड देने के बजाय सुधारक उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है। यह आरोपित नाबालिगों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण भी सुनिश्चित करता है। कानून तोड़ने वाले ऐसे नाबालिगों के छोटे अपराधों से संबंधित मामलों को बाल संवाद अदालत में प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है। इसे पटना उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया है जो बच्चों से परामर्श के आधार पर काम करती हैं और उसमें जिला स्तर पर मौजूद किशोर न्याय पर्षद सहयोग करते हैं। यह नवाचारी प्रक्रिया दृष्टिकोण बिहार के लिए अनोखा है। पहली विशेष बाल संवाद अदालत पटना दीवानी अदालत में पहले से ही काम कर रही है। इसके अलावा, बिहार के सभी जिलों में बाल मित्र न्यायालयों की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

### मीना मंच

राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल उच्च प्राथमिक कक्षाओं की लड़कियों के लिए लक्षित मीना मंच का गठन है। यह 20 लड़कियों का समूह होता है जिसमें 15 लड़कियां उच्च प्राथमिक विद्यालय की और 5 लड़कियां पढ़ाई छोड़ देने वाली या सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने वाली होती हैं। मीना मंच की सहभागियों के बीच से एक लड़की को 'मीना प्रेरक' के रूप में चुना जाता है। साथ ही, अपने विद्यालय में मीना मंच की गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रत्येक आदर्श संकुल विद्यालय में एक शिक्षिका 'मीना सुगमकर्ता' के बतौर चुनी जाती है। इसका लक्ष्य लड़कियों में नेतृत्व के गुण को बढ़ावा देने के लिए उनमें अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मंच को यह सुनिश्चित करने का कार्यभार दिया जाता है कि विद्यालय में विकासमूलक ढंग से विद्यार्थियों का नामांकन हो। साथ ही, उनका काम विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नजर रखना, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में उनकी सहायता करना और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना भी होता है।

## बाल विकास के लिए प्रमुख योजनाएं

### मुख्यमंत्री बालिका/ बालक साइकल योजना

ऊंची कक्षाओं में उपस्थिति और प्रतिधारण दर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना का आरंभ 2007-08 में और मुख्यमंत्री बालक साइकल योजना का आरंभ 2009-10 में किया गया था। इन योजनाओं के तहत साइकल खरीदने के लिए विद्यार्थी के खाते में 3000 रु. प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए भेजे जाते हैं। यह रकम कक्षा 9 में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनकी कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। वर्ष 2023-24 में साइकल खरीदने के लिए 4.72 लाख विद्यार्थियों के बीच 141.58 करोड़ रु. बांटे गए हैं।

### मुख्यमंत्री बालिका/ बालक पोशाक योजना

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का आरंभ 2008-09 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में पढ़ रही छात्राओं के लिए हुआ था। इस योजना के तहत 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर रकम विद्यार्थियों को भेजी जाती है। वर्ष 2023-24 में 282.22 करोड़ रु. के व्यय से कुल 43.71 लाख छात्राएं लाभान्वित हुई। मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना भी ऐसी ही योजना है और राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसका आरंभ भी 2008-09 में ही हुआ था। वर्ष 2023-24 में 37.70 लााख छात्रों को पोशाक बांटने के लिए कुल 228.90 करोड़ रु. खर्च किए गए।

### मुख्यमंत्री बालिका/ बालक प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजना

बालिका छात्रवृत्ति योजना का आरंभ 2009-10 में और बालक छात्रवृत्ति योजना का आरंभ 2015-16 में हुआ था। इनके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 10,000 रु. मिलते हैं। योजना का लाभ सामान्य और पिछड़ा वर्ग-2 श्रेणी की छात्राओं और अल्पसंख्यक सहित सामान्य श्रेणी के छात्रों को मिलता है। रकम उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना के तहत कक्षा 9 और 10 के सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1800 रु. की छात्रवृत्ति मिलती है। वर्ष 2023-24 में 0.90 लाख विद्यार्थियों के बीच 90.35 करोड़ रु. वितरित किए गए।

### बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशक योजना

इस योजना का आरंभ 2011-12 में छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया था। इस योजना का लाभ कक्षा से 12 तक में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलता है। इसके तहत, स्कूल यूनीफॉर्म खरीदने के लिए छात्राओं के बैंक खाते में 1500 रु. अंतरित किए जाते हैं। वर्ष 2023-24 में 8.20 लाख छात्राओं के बीच 123.01 करोड़ रु. वितरित किए गए।

### मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना

इस योजना का आरंभ 2014-15 में अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए लड़कियों का संवेदनीकरण करने के लिए किया गया था। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के बैंक खातों में 300 रु. भेजे जाते हैं। रकम तभी भेजी जाती है जब सरकारी विद्यालयों में उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत हो। वर्ष 2023-24 में 9.47 लाख छात्राएं इस योजना से लाभान्वित हुई और जिनके बीच 28.40 करोड़ रु. वितरित किए गए।

# परिशिष्ट

## तालिका प 13.1 : बिहार में बच्चों की जिलावार संख्या (2011)

(संख्या हजार में)

| जिले | 0-6 वर्ष | | | 07-14 वर्ष | | | 15-18 वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सभी | लड़के | लड़कियां | सभी | लड़के | लड़कियां | सभी | लड़के | लड़कियां |
| पटना | 943.6 | 494.2 | 449.3 | 1154 | 610 | 544 | 486 | 268 | 217 |
| नालंदा | 518.7 | 268.7 | 250.0 | 613 | 321 | 292 | 219 | 120 | 99 |
| भोजपुर | 459.2 | 239.4 | 219.8 | 573 | 302 | 271 | 230 | 127 | 103 |
| बक्सर | 506.8 | 262.5 | 244.3 | 634 | 330 | 304 | 235 | 129 | 106 |
| रोहतास | 299.3 | 154.1 | 145.2 | 356 | 186 | 170 | 130 | 72 | 58 |
| कैमूर | 295.1 | 152.6 | 142.5 | 361 | 190 | 171 | 144 | 79 | 65 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 783.1 | 399.4 | 383.6 | 933 | 484 | 450 | 342 | 180 | 162 |
| जहानाबाद | 198.8 | 103.5 | 95.3 | 243 | 127 | 116 | 86 | 46 | 40 |
| अरवल | 127.8 | 65.9 | 61.9 | 150 | 78 | 72 | 54 | 29 | 25 |
| नवादा | 393.5 | 202.3 | 191.2 | 492 | 256 | 236 | 181 | 95 | 86 |
| औरंगाबाद | 455.4 | 234.3 | 221.1 | 549 | 284 | 265 | 203 | 109 | 94 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 681.1 | 353.7 | 327.4 | 865 | 446 | 419 | 350 | 189 | 161 |
| सीवान | 551.4 | 284.2 | 267.2 | 733 | 375 | 358 | 306 | 158 | 147 |
| गोपालगंज | 449.5 | 230.0 | 219.5 | 575 | 294 | 282 | 226 | 115 | 111 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 776.0 | 397.4 | 378.6 | 876 | 458 | 418 | 286 | 165 | 121 |
| पूर्व चंपारण | 1018.3 | 526.8 | 491.5 | 1141 | 603 | 538 | 363 | 216 | 147 |
| मुजफ्फरपुर | 845.3 | 441.3 | 404.0 | 1002 | 526 | 476 | 374 | 216 | 158 |
| सीतामढ़ी | 663.2 | 343.6 | 319.7 | 751 | 399 | 352 | 249 | 146 | 103 |
| शिवहर | 128.7 | 66.7 | 62.0 | 143 | 76 | 67 | 47 | 28 | 19 |
| वैशाली | 601.9 | 316.1 | 285.8 | 722 | 380 | 342 | 263 | 155 | 108 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 725.5 | 375.7 | 349.8 | 857 | 451 | 406 | 309 | 177 | 132 |
| मधुबनी | 810.5 | 418.6 | 391.9 | 987 | 514 | 474 | 334 | 190 | 144 |
| समस्तीपुर | 797.4 | 414.6 | 382.8 | 941 | 493 | 449 | 316 | 186 | 130 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 546.0 | 284.5 | 261.4 | 663 | 349 | 315 | 225 | 134 | 92 |
| मुंगेर | 229.9 | 119.6 | 110.2 | 278 | 148 | 130 | 111 | 65 | 46 |
| शेखपुरा | 121.6 | 62.7 | 58.9 | 141 | 74 | 67 | 48 | 26 | 22 |
| लखीसराय | 188.2 | 98.1 | 90.2 | 218 | 115 | 103 | 78 | 45 | 33 |
| जमुई | 324.5 | 165.9 | 158.6 | 371 | 194 | 176 | 134 | 74 | 60 |
| खगड़िया | 340.9 | 177.0 | 163.9 | 377 | 200 | 177 | 122 | 74 | 48 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 546.4 | 281.9 | 264.4 | 645 | 339 | 306 | 241 | 141 | 99 |
| बांका | 375.3 | 193.2 | 182.1 | 428 | 225 | 204 | 148 | 87 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 387.5 | 200.5 | 187.0 | 421 | 225 | 196 | 128 | 76 | 52 |
| सुपौल | 437.4 | 225.0 | 212.4 | 507 | 264 | 243 | 148 | 87 | 62 |
| मधेपुरा | 404.6 | 209.6 | 195.0 | 449 | 236 | 213 | 133 | 79 | 54 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 656.5 | 336.0 | 320.6 | 725 | 376 | 348 | 244 | 138 | 106 |
| किशनगंज | 346.9 | 176.0 | 170.9 | 385 | 196 | 189 | 142 | 75 | 67 |
| अररिया | 577.9 | 295.3 | 282.6 | 640 | 332 | 308 | 206 | 119 | 87 |
| कटिहार | 620.3 | 316.4 | 303.9 | 688 | 355 | 333 | 236 | 135 | 101 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **19134.0** | **9887.2** | **9246.7** | **22587** | **11810** | **10777** | **8076** | **4552** | **3524** |

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

**तालिका प 13.2 : बिहार में जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात (2011)**

(महिला प्रति 1000 पुरुष)

| जिले | सभी उम्र के | 0-6 वर्ष | 0-18 वर्ष | 7-18 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| पटना | 897 | 909 | 882 | 867 |
| नालंदा | 922 | 931 | 903 | 886 |
| भोजपुर | 907 | 918 | 888 | 872 |
| बक्सर | 922 | 934 | 896 | 875 |
| रोहतास | 918 | 931 | 906 | 892 |
| कैमूर | 920 | 942 | 904 | 881 |
| | | | | |
| गया | 937 | 960 | 936 | 921 |
| जहानाबाद | 922 | 922 | 908 | 899 |
| अरवल | 928 | 940 | 916 | 901 |
| नवादा | 939 | 945 | 927 | 917 |
| औरंगाबाद | 926 | 944 | 925 | 914 |
| | | | | |
| सारण | 954 | 926 | 917 | 912 |
| सीवान | 988 | 940 | 946 | 949 |
| गोपालगंज | 1021 | 954 | 959 | 961 |
| | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 909 | 953 | 899 | 865 |
| पूर्व चंपारण | 902 | 933 | 874 | 836 |
| मुजफ्फरपुर | 900 | 915 | 877 | 853 |
| सीतामढ़ी | 899 | 930 | 872 | 836 |
| शिवहर | 893 | 929 | 869 | 831 |
| वैशाली | 895 | 904 | 865 | 841 |
| | | | | |
| दरभंगा | 911 | 931 | 885 | 857 |
| मधुबनी | 926 | 936 | 900 | 878 |
| समस्तीपुर | 911 | 923 | 880 | 853 |
| | | | | |
| बेगूसराय | 895 | 919 | 871 | 843 |
| मुंगेर | 876 | 922 | 861 | 827 |
| शेखपुरा | 930 | 940 | 906 | 884 |
| लखीसराय | 902 | 920 | 882 | 859 |
| जमुई | 922 | 956 | 908 | 879 |
| खगड़िया | 886 | 926 | 861 | 820 |
| | | | | |
| भागलपुर | 880 | 938 | 878 | 844 |
| बांका | 907 | 943 | 883 | 846 |
| | | | | |
| सहरसा | 906 | 933 | 868 | 825 |
| सुपौल | 911 | 944 | 898 | 869 |
| मधेपुरा | 929 | 930 | 879 | 845 |
| | | | | |
| पूर्णिया | 921 | 954 | 910 | 882 |
| किशनगंज | 950 | 971 | 958 | 949 |
| अररिया | 921 | 957 | 908 | 876 |
| कटिहार | 919 | 961 | 913 | 883 |
| | | | | |
| **बिहार** | **918** | **935** | **897** | **874** |

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

## तालिका प 13.3 : बिहार में जिलावार किशोरवय आबादी (2011)

(जनसंख्या लाख में)

| जिले | पुरुष | महिला | योगफल |
|---|---|---|---|
| पटना | 6.99 | 5.98 | 12.97 |
| नालंदा | 3.39 | 2.96 | 6.35 |
| भोजपुर | 3.37 | 2.89 | 6.25 |
| बक्सर | 2.11 | 1.81 | 3.92 |
| रोहतास | 3.58 | 3.14 | 6.72 |
| कैमूर | 1.98 | 1.72 | 3.70 |
| | | | |
| गया | 5.14 | 4.71 | 9.84 |
| जहानाबाद | 1.32 | 1.19 | 2.51 |
| अरवल | 0.83 | 0.74 | 1.56 |
| नवादा | 2.67 | 2.46 | 5.13 |
| औरंगाबाद | 3.04 | 2.75 | 5.79 |
| | | | |
| सारण | 5.00 | 4.48 | 9.48 |
| सीवान | 4.20 | 3.96 | 8.16 |
| गोपालगंज | 3.16 | 3.04 | 6.20 |
| | | | |
| पश्चिम चंपारण | 4.67 | 3.91 | 8.58 |
| पूर्व चंपारण | 6.15 | 4.92 | 11.07 |
| मुजफ्फरपुर | 5.83 | 4.80 | 10.64 |
| सीतामढ़ी | 4.15 | 3.36 | 7.51 |
| शिवहर | 0.79 | 0.64 | 1.43 |
| वैशाली | 4.24 | 3.44 | 7.68 |
| | | | |
| दरभंगा | 4.87 | 4.06 | 8.93 |
| मधुबनी | 5.38 | 4.60 | 9.98 |
| समस्तीपुर | 5.23 | 4.33 | 9.56 |
| | | | |
| बेगूसराय | 3.73 | 3.04 | 6.78 |
| मुंगेर | 1.70 | 1.36 | 3.06 |
| शेखपुरा | 0.76 | 0.67 | 1.43 |
| लखीसराय | 1.23 | 1.03 | 2.26 |
| जमुई | 2.06 | 1.79 | 3.85 |
| खगड़िया | 2.08 | 1.65 | 3.74 |
| | | | |
| भागलपुर | 3.77 | 3.06 | 6.83 |
| बांका | 2.40 | 1.96 | 4.36 |
| | | | |
| सहरसा | 2.24 | 1.79 | 4.03 |
| सुपौल | 2.61 | 2.19 | 4.80 |
| मधेपुरा | 2.35 | 1.91 | 4.26 |
| | | | |
| पूर्णिया | 3.92 | 3.38 | 7.30 |
| किशनगंज | 2.06 | 1.94 | 4.00 |
| अररिया | 3.39 | 2.88 | 6.27 |
| कटिहार | 3.76 | 3.23 | 6.99 |
| | | | |
| **बिहार** | **125.13** | **108.97** | **234.10** |

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

तालिका प 13.4 : बिहार में कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत

| जिला | ठिगने | | दुबले | | कम वजन के | | 6-59 महीनों के रक्ताल्पता-ग्रस्त (<11.0 g/dl) 22 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NFHS-4 | NFHS-5 | NFHS-4 | NFHS-5 | NFHS-4 | NFHS-5 | NFHS-4 | NFHS-5 |
| पटना | 43.5 | 34.5 | 28.5 | 27.5 | 43.3 | 39.6 | 51.6 | 65.4 |
| नालंदा | 54.1 | 42.6 | 24.3 | 27.8 | 50.2 | 46.7 | 59.0 | 80.3 |
| भोजपुर | 43.5 | 40.7 | 26.0 | 31.3 | 47.2 | 44.0 | 70.6 | 67.7 |
| बक्सर | 43.9 | 39.6 | 19.6 | 33.2 | 41.2 | 45.3 | 59.8 | 68.3 |
| रोहतास | 48.5 | 40.0 | 19.9 | 31.8 | 45.1 | 48.2 | 61.3 | 70.3 |
| कैमूर | 53.8 | 44.1 | 21.4 | 27.3 | 48.1 | 47.2 | 63.0 | 71.4 |
| | | | | | | | | |
| गया | 52.9 | 47.4 | 25.6 | 24.3 | 53.1 | 43.5 | 59.0 | 76.7 |
| जहानाबाद | 52.1 | 41.3 | 19.6 | 36.6 | 47.1 | 51.7 | 61.4 | 61.9 |
| अरवल | 50.2 | 45.6 | 30.7 | 36.8 | 54.0 | 52.9 | 66.8 | 65.8 |
| नवादा | 48.4 | 49.4 | 21.4 | 18.2 | 45.9 | 37.3 | 56.4 | 73.3 |
| औरंगाबाद | 48.3 | 41.2 | 24.8 | 32.9 | 47.6 | 48.7 | 53.4 | 68.4 |
| | | | | | | | | |
| सारण | 46.1 | 39.7 | 18.1 | 28.8 | 40.4 | 45.0 | 61.9 | 69.8 |
| सीवान | 37.9 | 36.7 | 15.0 | 18.2 | 31.6 | 30.8 | 63.1 | 63.9 |
| गोपालगंज | 35.6 | 34.2 | 16.5 | 21.5 | 30.5 | 29.2 | 63.3 | 56.1 |
| | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 43.6 | 43.5 | 21.7 | 13.2 | 39.1 | 30.3 | 62.3 | 61.6 |
| पूर्व चंपारण | 47.2 | 49.1 | 18.0 | 16.8 | 40.8 | 37.9 | 65.7 | 61.0 |
| मुजफ्फरपुर | 47.9 | 42.6 | 17.5 | 19.9 | 42.3 | 34.7 | 58.5 | 64.6 |
| सीतामढ़ी | 57.3 | 54.2 | 15.8 | 16.2 | 47.7 | 40.8 | 69.0 | 70.0 |
| शिवहर | 53.0 | 34.4 | 14.8 | 35.4 | 42.8 | 42.2 | 63.7 | 73.1 |
| वैशाली | 53.7 | 38.3 | 15.1 | 19.6 | 41.3 | 38.4 | 67.4 | 77.1 |
| | | | | | | | | |
| दरभंगा | 49.0 | 45.4 | 16.6 | 19.3 | 41.1 | 39.2 | 69.9 | 68.9 |
| मधुबनी | 51.8 | 43.3 | 19.1 | 17.1 | 45.4 | 36.0 | 62.9 | 71.0 |
| समस्तीपुर | 49.2 | 44.0 | 18.4 | 21.3 | 41.3 | 42.8 | 65.4 | 67.2 |
| | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 44.9 | 37.8 | 18.4 | 21.0 | 39.1 | 35.6 | 62.7 | 74.5 |
| मुंगेर | 46.6 | 35.5 | 21.5 | 26.7 | 43.7 | 39.5 | 62.5 | 74.3 |
| शेखपुरा | 46.4 | 53.6 | 28.9 | 16.3 | 51.7 | 37.6 | 66.0 | 80.1 |
| लखीसराय | 50.6 | 42.7 | 20.1 | 25.6 | 47.3 | 45.1 | 66.3 | 77.2 |
| जमुई | 45.9 | 43.0 | 29.4 | 19.4 | 47.2 | 37.5 | 61.3 | 81.9 |
| खगड़िया | 49.8 | 34.8 | 17.0 | 25.3 | 42.4 | 36.4 | 63.4 | 67.1 |
| | | | | | | | | |
| भागलपुर | 46.6 | 40.0 | 23.1 | 21.2 | 40.8 | 40.4 | 70.1 | 78.7 |
| बांका | 49.6 | 46.7 | 26.0 | 26.9 | 48.5 | 45.8 | 70.4 | 77.8 |
| | | | | | | | | |
| सहरसा | 43.9 | 47.8 | 24.0 | 20.5 | 44.4 | 42.7 | 68.4 | 69.3 |
| सुपौल | 48.1 | 42.3 | 20.9 | 25.8 | 43.4 | 45.0 | 72.4 | 63.6 |
| मधेपुरा | 51.8 | 46.3 | 24.2 | 20.6 | 49.2 | 43.5 | 61.4 | 67.7 |
| | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 52.1 | 43.5 | 20.8 | 25.8 | 47.0 | 47.1 | 66.5 | 68.0 |
| किशनगंज | 46.9 | 38.8 | 22.8 | 23.9 | 45.4 | 41.1 | 65.2 | 67.5 |
| अररिया | 48.4 | 49.9 | 22.8 | 23.9 | 45.4 | 47.8 | 61.8 | 75.8 |
| कटिहार | 49.2 | 43.9 | 20.7 | 23.5 | 45.1 | 48.1 | 61.3 | 65.6 |
| | | | | | | | | |
| **बिहार** | **48.3** | **36.8** | **20.8** | **21.6** | **43.9** | **35.8** | **63.5** | **69.4** |

टिप्पणी : NFHS : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 और 5, भारत सरकार

# अध्याय – 14

# पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन


**सारांश**

*बिहार देश की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य सरकार पर्यावरण की सुस्थिरता के साथ विकास की दिशा में बढ़ रही है। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र के योगदान में दो अंकों में वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच इस क्षेत्र में तिगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई। बिहार में 2011-24 की अवधि में औसत वार्षिक वर्षापात 1004.6 मिमी था जिसमें सर्वाधिक (85 प्रतिशत) योगदान दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून का था। वर्ष 2023 में औसत वार्षिक तापमान 21.2$^0$ सेल्सियस से 24.7$^0$ सेल्सियस रहा। गत पांच वर्षों (2020-25) में राज्य सरकार ने सुस्थिर पर्यावरण संबंधी अनेक पहलों के लिए 41,809 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण 2011-23 की अवधि में वनाच्छादन 687 वर्ग किमी बढ़ा है।*

*राज्य सरकार अपने 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) का उपयोग करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता का और 34 स्थानों पर गंगा और इसकी सहायक नदियों के पानी की तथा 70 स्थानों पर तालाबों के पानी की गुणवत्ता का नियमित रूप से पाक्षिक अनुश्रवण करती रही है। अभी जल संसाधन विभाग द्वारा जल-जीवन-हरियाली योजना के क्रियान्वयन के लिए 4515.70 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। नदियों को जोड़ने की ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनसे जल प्रबंधन, कृषि की उत्पादकता और विविधता, रोजगार के अवसरों, हरित आच्छादन, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, कमांड क्षेत्र विकास, और बाजार की सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही, राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग का गठन किया है।*


## परिचय

बिहार का पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत विविधतापूर्ण है और यहां अनेक मौसम होते हैं। इस पूर्वी भारतीय राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। इसके भूगोल में हिमालय की हरी-भरी तराई, गंगा के मैदान, और खनिज-समृद्ध दक्षिणी पठार शामिल हैं। साथ ही, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय नदियों समेत दर्जनों नदियां मौजूद हैं। गंगा नदी मैदानी भाग को विभाजित करके उत्तर और दक्षिण बिहार को आकार देती है। दोनो ही हिस्सों की चिकनी, बलुआही और दोमट मिट्टी उपजाऊ है। बिहार की अवस्थिति और भौगोलिक स्थितियां इसे प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के लिहाज से अरक्षित बना देती हैं। राज्य के अनेक भाग बाढ़, सूखा, लू, शीतलहर, भूकंप और चक्रवात के मामले में अरक्षित हैं। कृषि क्षेत्र और स्तूप के निचले हिस्से के लोगों को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने का अधिक जोखिम झेलना पड़ता है। जलवायु संबंधी जोखिमों और उनके अपेक्षित परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं में कमी पर ध्यान केंद्रित किया है। इसीलिए वह अलग से हरित बजट लाती है। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एसएपीसीसी) अग्रिम चरण में है। सुस्थिर पर्यावरण संबंधी पहलों के साथ-साथ राज्य का हरित आच्छादन क्रमशः बढ़ रहा है।

## 14.1 जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन अधिकांशत: हमारे पानी (वर्षा) और तापमान को प्रभावित करता है जिसके कारण बाढ़ और सूखा जैसी मौसम की चरम स्थितियां पैदा होती हैं। अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आइपीसीसी) ने बताया है कि वैश्विक तापन की हर डिग्री के साथ सूखा और बाढ़ संबंधी जोखिम और उनसे जुड़े नुकसानों के और भी बढ़ते जाने की आशंका है।

### वर्षापात के पैटर्न

अर्थव्यवस्था बारिश पर निर्भर करती है। बारिश की अधिकता बाढ़ लाती है और बारिश की कमी सूखा। इसलिए बारिश और उसके पैटर्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उसी से नदियों और झीलों में पानी भरता है और कृषि, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र आदि के विकास को आवेग मिलता है। तालिका 14.1 में राज्य में विभिन्न मौसमों के दौरान बारिश का पैटर्न दर्शाया गया है। वार्षिक वर्षापात के आंकड़ों से उतार-चढ़ाव वाले पैटर्न का पता चलता है जिसमें 2013 में न्यूनतम वर्षापात (वार्षिक औसत का 77.0 प्रतिशत) हुआ था तो 2021 में अधिकतम (वार्षिक वर्षापात का 140.7 प्रतिशत)। चार्ट 14.1 के अनुसार, बिहार में 2011-14 की अवधि में औसत वार्षिक वर्षापात 1004.6 मिमी था। लगभग 88 प्रतिशत वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से हुई दर्ज की गई। जैसा कि तालिका प 14.1 (परिशिष्ट) में दिया गया है, जिलों में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं है।

**तालिका 14.1 : बिहार में वार्षिक वर्षापात का मौसम-वार पैटर्न (मिमी में)**

| वर्ष | जाड़े की बारिश | गर्मी की बारिश | दक्षिण-पश्चिम मानसून | उत्तर-पश्चिम मानसून | **वार्षिक वर्षापात** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5.2 | 79.4 | 1028 | 0.5 | **1113.1** |
| 2012 | 11.2 | 31.3 | 704.2 | 51.2 | **797.9** |
| 2013 | 17.1 | 73.8 | 518.4 | 164.3 | **773.6** |
| 2014 | 33.3 | 96.1 | 788.3 | 41.9 | **959.6** |
| 2015 | 11.7 | 89.3 | 690.7 | 4.3 | **796.0** |
| 2016 | 7.5 | 72.6 | 936.9 | 54.5 | **1071.5** |
| 2017 | 0.4 | 103.1 | 843.2 | 47.6 | **994.3** |
| 2018 | 0.1 | 65.5 | 689.9 | 25.4 | **780.9** |
| 2019 | 28.2 | 56.9 | 968.3 | 41.0 | **1094.4** |
| 2020 | 28.8 | 172.5 | 1159.7 | 24.0 | **1385** |
| 2021 | 0.5 | 251.2 | 960.8 | 201.3 | **1413.8** |
| 2022 | 44.8 | 109.2 | 693.8 | 1.3 | **849.1** |
| 2023 | 1.3 | 78.6 | 849.6 | 100.7 | **1030.2** |
| 2024 (सितंबर) | 16.0 | 100.6 | 886.8 | — | **1003.4** |
| **औसत (2011-24)** | **14.6** | **98.4** | **833.2** | **58.3** | **1004.6** |

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 14.1 : बिहार में वर्षा के मौसम-वार वितरण के रुझान (मिमी में)

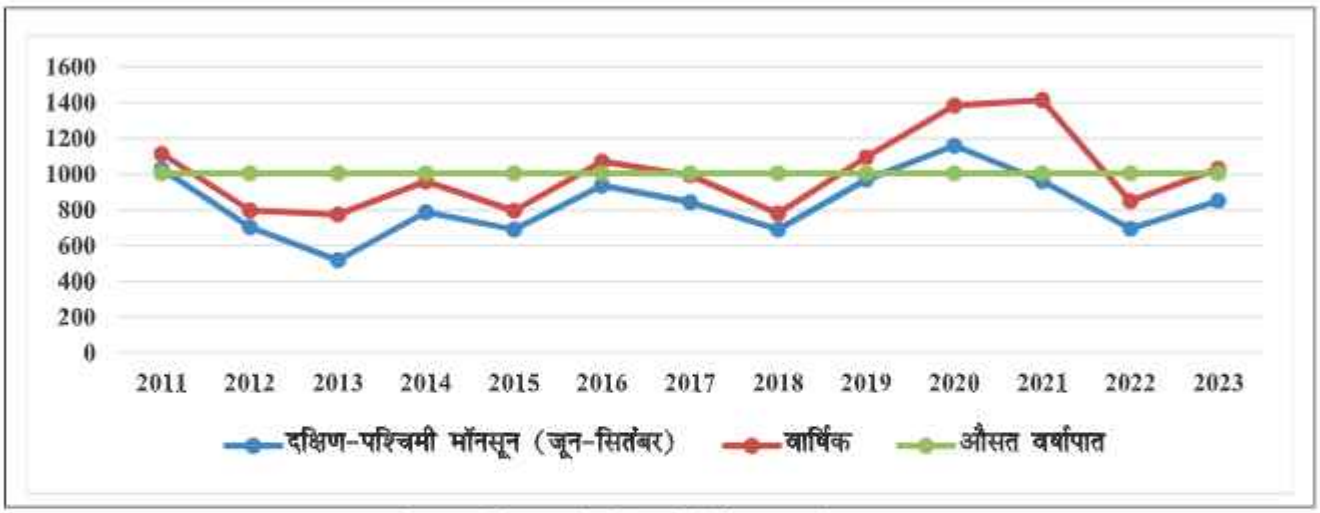


स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

### तापमान के रुझान

बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है जहां गर्मी का मौसम आर्द्र गर्म होता है और जाड़े का मौसम सूखा हल्का ठंडा। औसतन, ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी (40-42$^0$ सेल्सियस) और जाड़े के मौसम में हल्का जाड़ा (7-8$^0$ सेल्सियस) पड़ना इसके आर्द्र उपोष्ण जलवायु को निर्धारित करते हैं। चार्ट 14.2 में वार्षिक न्यूनतम, अधिकतम और औसत तापमान के आंकड़े दर्शाए गए हैं। यहां अधिकतम 46.4$^0$ सेल्सियस तापमान 2012 में दर्ज किया गया था और न्यूनतम 1.1$^0$ तापमान 2013 में। गत 13 वर्षों का वार्षिक औसत 23.6$^0$ सेल्सियस है।

चार्ट 14.2 : बिहार में तापमान के वार्षिक रुझान (डिग्री सेल्सियस में)

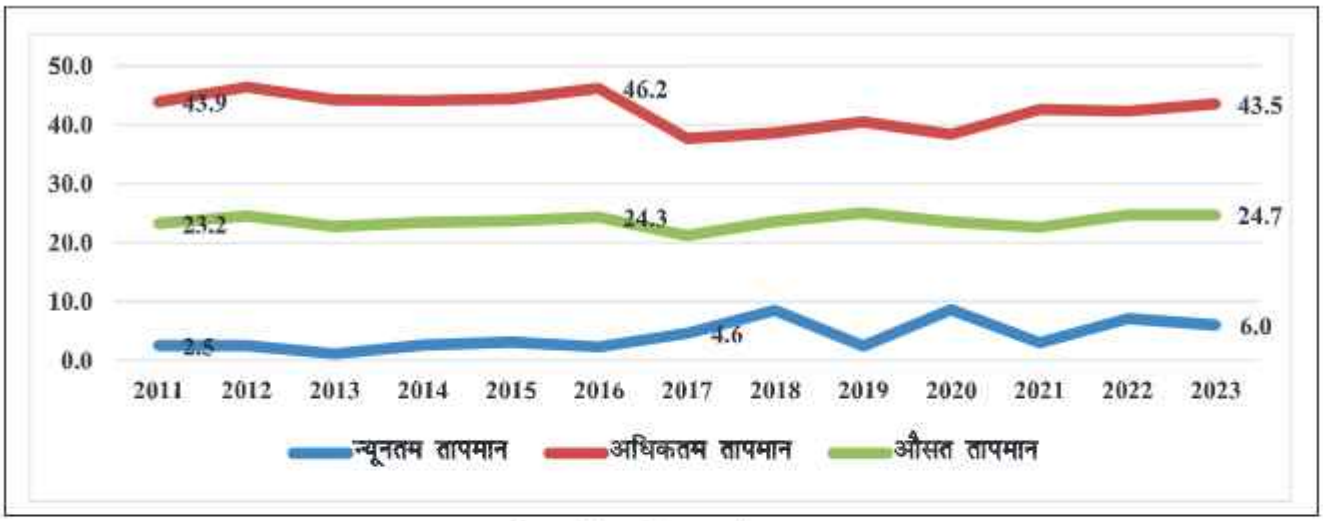


स्रोत : मौसम-विज्ञान केंद्र, पटना

## 14.2 वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन की वृद्धि

वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन के योगदान की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) 10.7 प्रतिशत दर्ज हुई। यह 2011-12 के 4187 करोड़ रु. से बढ़कर 2023-24 में 13,549 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र में इसका लगभग 7 प्रतिशत और समग्र सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में लगभग 2 प्रतिशत योगदान था (चार्ट 14.3)।

चार्ट 14.3 : बिहार में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र की वृद्धि (करोड़ रु.)

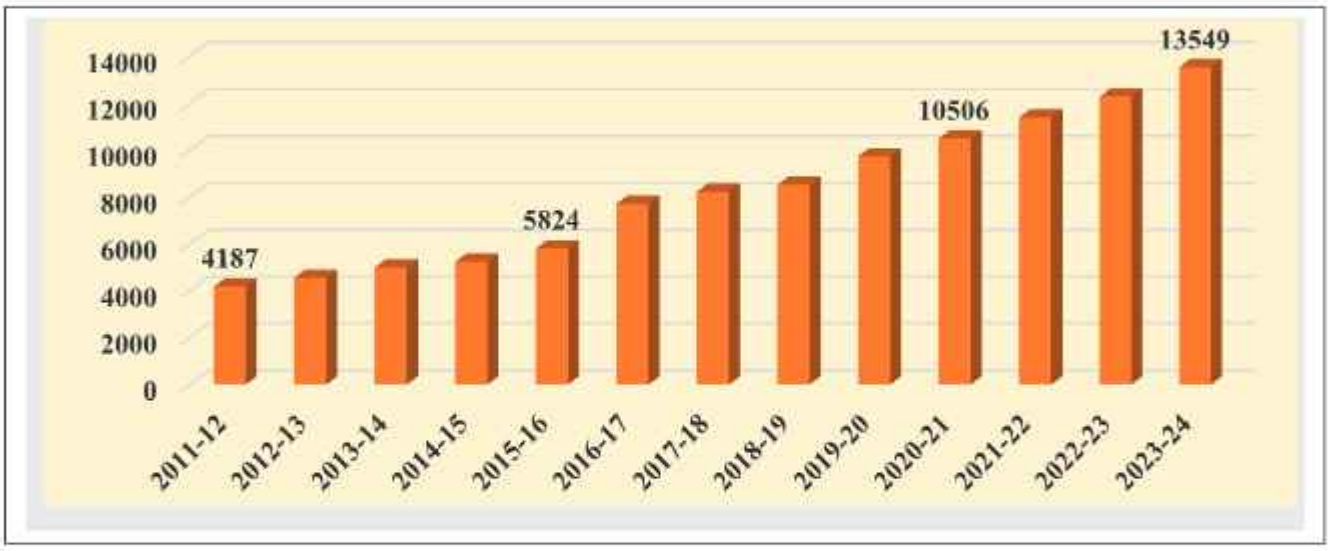


स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

## 14.3 जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सार्वजनिक व्यय

बिहार हरित बजट के मामले में अग्रणी राज्य है। राज्य 2020-21 से ही हरित बजट तैयार कर रहा है। जलवायु से संबंधित मुद्दों पर व्यय 2020-21 के 3308 करोड़ रु. के चारगुने से भी अधिक बढ़कर 2024-25 के बजट अनुमान में 13,823 करोड़ रु. पहुंच गया। चार्ट 14.4 में बिहार में गत पांच वर्षों में हरित बजट में दर्शाए गए ऐसे व्ययों के रुझान दिए गए हैं।

चार्ट 14.4 : जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर व्यय के रुझान (करोड़ रु.)

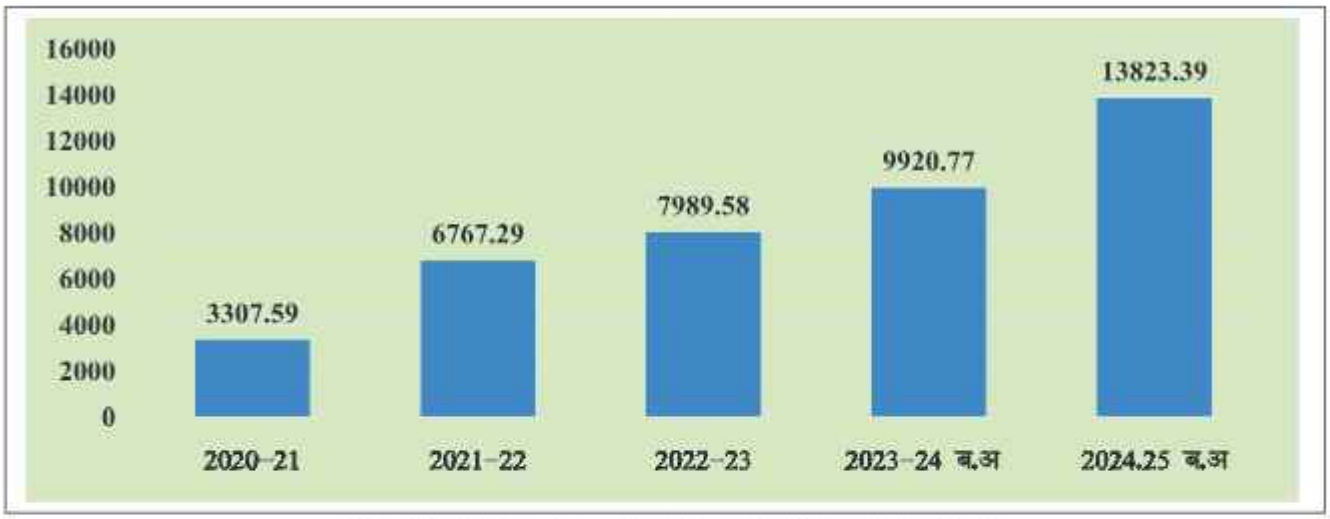


स्रोत : बिहार हरित बजट, 2024-25, वित्त विभाग, बिहार सरकार

## 14.4 वन संसाधन

### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का राजस्व और व्यय

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के व्यय का उतार-चढ़ाव भरा रुझान दिखता है (चार्ट 14.5)। लाइन ग्राफ राजस्व का रुझान प्रस्तुत करते है जिसमें 2019-21 की अवधि में कमी आई लेकिन उसके बाद इसमें चारगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई। वहीं, इसका व्यय गत दो वर्षों में दूना हो गया है। इसके आरंभिक रुझान उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं और योजना व्यय में अधिक वृद्धि दर्ज हुई है।

चार्ट 14.5 : वन विभाग का राजस्व और व्यय (करोड़ रु. में)

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## वनाच्छादन

चार्ट 14.6 में वन, वन वाह्य वृक्ष (टीओएफ) क्षेत्र और वृक्षाच्छादन की अवधारणा दर्शाई गई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर), 2023 के अनुसार, बिहार में 2011-2023 की अवधि में वनाच्छादन 687 वर्ग किमी बढ़ा है। इसी प्रकार, इस अवधि में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में कुल वनाच्छादित और वृक्षाच्छादित क्षेत्र में 0.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई (तालिका 14.2)।

चार्ट 14.6 : वन, वन वाह्य वृक्ष क्षेत्र और वृक्षाच्छादन की अवधारणा का चित्रण

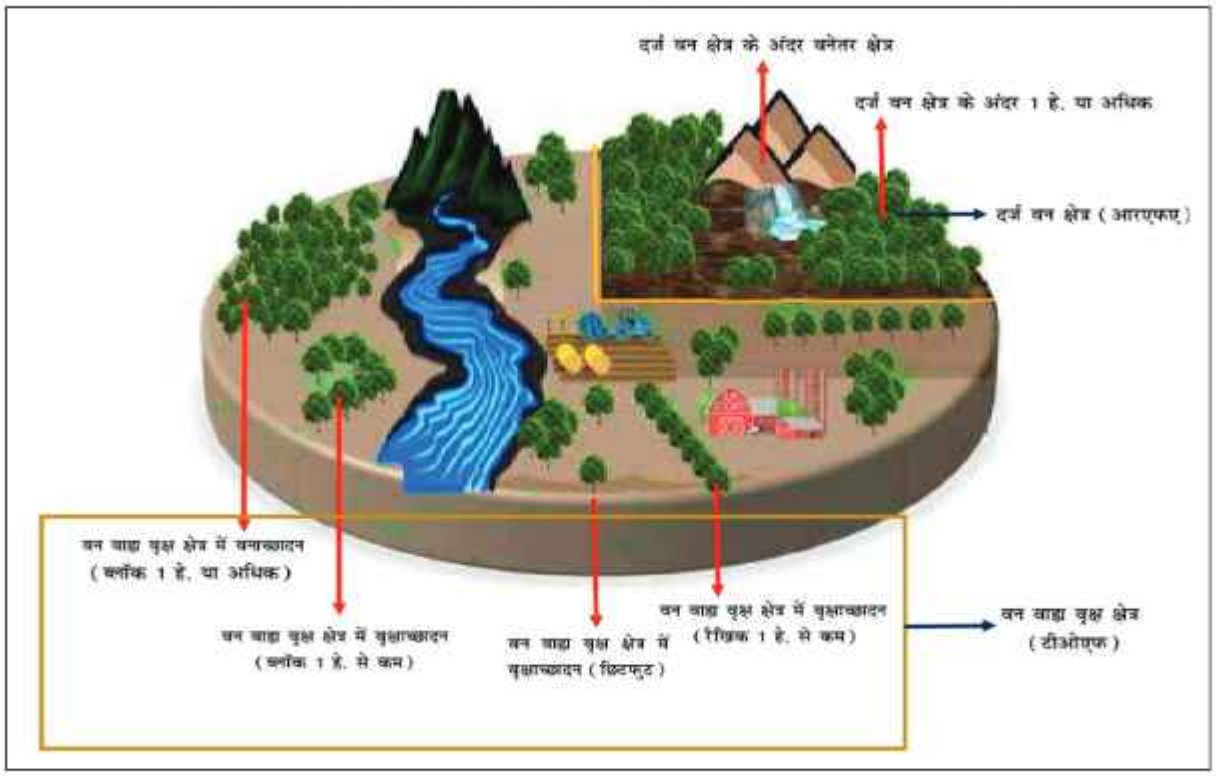


स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

**तालिका 14.2 : बिहार में वनाच्छादन का क्षेत्रफल**

| वर्ष | वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | वन (वर्ग किमी) | वनाच्छादन का प्रतिशत | भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का प्रतिशत हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9214 | 6845 | 7.3 | 9.8 |
| 2013 | 9455 | 7291 | 7.7 | 10.0 |
| 2015 | 9470 | 7288 | 7.7 | 10.1 |
| 2017 | 9562 | 7299 | 7.8 | 10.2 |
| 2019 | 9309 | 7306 | 7.8 | 9.9 |
| 2021 | 9722 | 7381 | 7.8 | 10.3 |
| 2023 | 9903 | 7532 | 8.0 | 10.7 |
| **2011 से वृद्धि** | **689** | **687** | **0.7** | **0.9** |

स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023-28) में बताया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्वारा उच्च रिजॉल्यूशन वाले उपग्रहीय छवियों (लिस्स-4) के आधार पर राज्य में कुल 13,896 वर्ग किमी हरित क्षेत्र होना अनुमानित है जो 2019 में कुल भूक्षेत्र का 14.75 प्रतिशत था। इस आंकड़े में अधिसूचित वन क्षेत्र और वनेतर वृक्षाच्छादन, दोनो शामिल हैं।

## वन घनत्व के रुझान और पैटर्न

सुस्थिर पर्यावरण के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने वनाच्छादान और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनेक पहलें की हैं। वर्ष 2011 से 2023 के बीच खुले वनों का क्षेत्रफल 527 वर्ग किमी बढ़ा और उसके बाद अति सघन वनों का क्षेत्रफल 156 वर्ग किमी बढ़ा (तालिका 14.3)। कुल वनों में खुले वनों का आधा से अधिक हिस्सा है जबकि मध्यम सघन वनों का 44 प्रतिशत हिस्सा है (चार्ट 14.7)। वनाच्छादन का जिलावार वितरण तालिका प 14.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

**तालिका 14.3 : बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र (क्षेत्रफल वर्ग किमी में)**

| वर्ष | वन का प्रकार | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अति सघन वन (वीडीएफ) | मध्यम सघन वन (एमडीएफ) | खुले वन (ओएफ) | योगफल |
| 2011 | 231 (3.4) | 3280 (47.9) | 3334 (48.7) | 6845 (100.0) |
| 2013 | 247 (3.4) | 3380 (46.4) | 3664 (50.3) | 7291 (100.0) |
| 2015 | 248 (3.4) | 3346 (46.1) | 3664 (50.5) | 7258 (100.0) |
| 2017 | 332 (4.5) | 3260 (44.7) | 3707 (50.8) | 7299 (100.0) |
| 2019 | 333 (4.6) | 3280 (44.9) | 3693 (50.5) | 7306 (100.0) |
| 2021 | 333 (4.5) | 3286 (44.5) | 3762 (51.0) | 7381 (100.0) |
| 2023 | 387 (5.1) | 3284 (43.6) | 3861 (51.3) | 7532 (100.0) |

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े योगफल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 14.7 बिहार में विभिन्न प्रकार वनों की संरचना (2023)

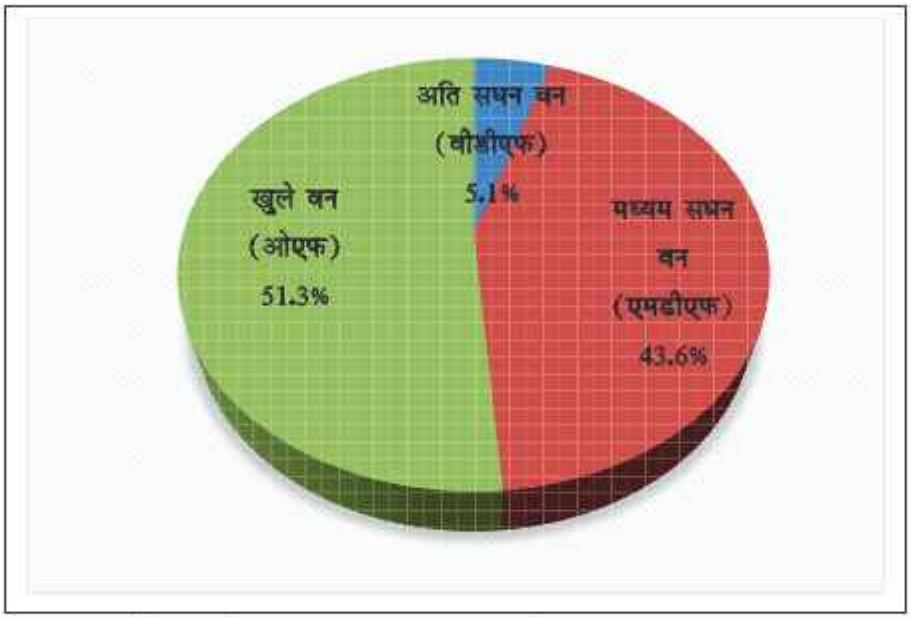


स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## कार्बन स्टॉक

भारतीय वन सर्वेक्षण ग्रीन हाउस गैस इनवेंट्री में सूचना देने के लिए वनों और वन-वाह्य वृक्ष क्षेत्रों में कार्बन स्टॉक का अनुमान करता है। कार्बन स्टॉक का भौगोलिक आरेख चार्ट 14.8 में प्रस्तुत है। वर्ष 2023 में 58,451.0 हजार टन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2021 से 2023 के बीच कार्बन स्टॉक 1570 हजार टन बढ़ा है। इस अतिरिक्त वन कार्बन पूल में मृदा जैव कार्बन का सर्वाधिक 63 प्रतिशत योगदान है और उसके बाद 26 प्रतिशत भूम्योपरि बायोमास का।

चार्ट 14.8 : कार्बन के पांच अलग-अलग पूल के लिए आरेख

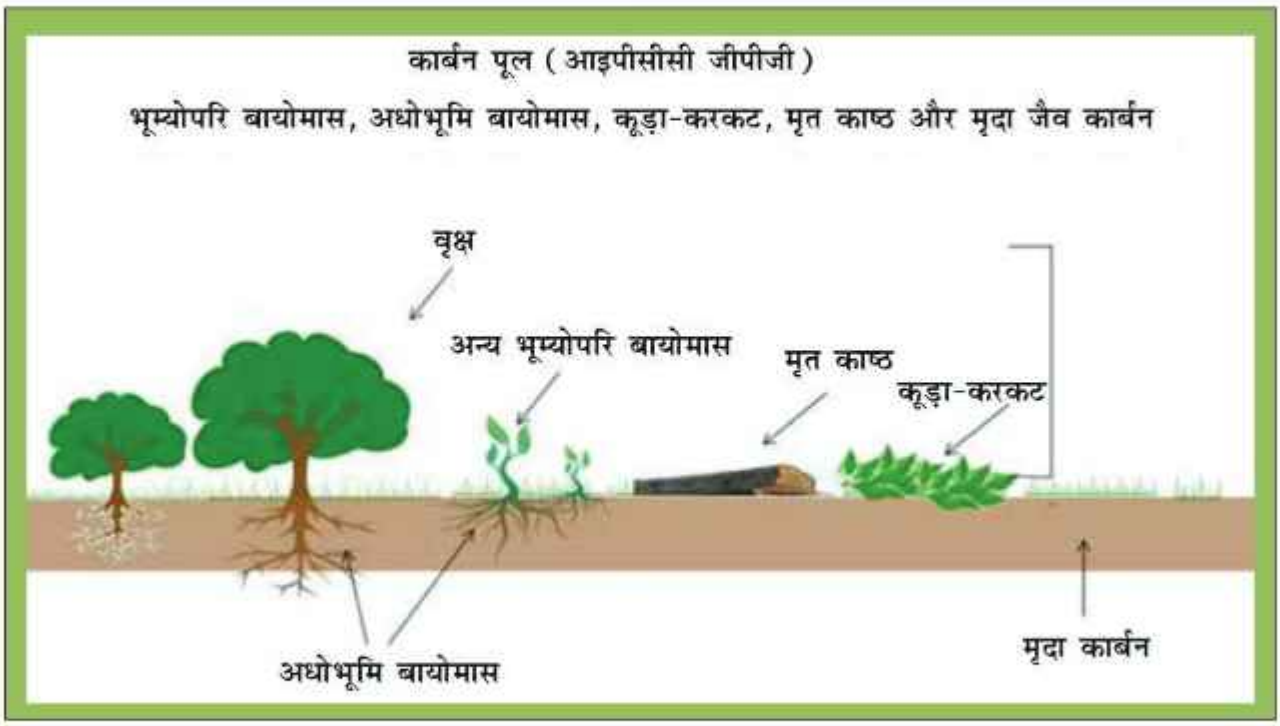


स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 14.4 : बिहार में वन्य कार्बन स्टॉक (हजार टन में)

| घटक | 2021 | 2023 | 2021 से 2023 में कार्बन स्टॉक में शुद्ध बदलाव |
|---|---|---|---|
| भूम्योपरि बायोमास (एजीबी) | 14743.0 | 15166.0 | 423.0 |
| अधोभूमि बायोमास (बीजीबी) | 5249.0 | 5330.0 | 81.0 |
| मृत लकड़ी | 231.0 | 741.0 | 510.0 |
| कूड़ा-करकट (लीटर) | 785.0 | 621.0 | -164.0 |
| मृदागत जैव कार्बन (एसओसी) | 35873.0 | 36593.0 | 720.0 |
| **योगफल** | **56881.0** | **58451.0** | **1570.0** |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 14.9 : बिहार में विभिन्न पूल में घनत्व के अनुसार कार्बन स्टॉक (2023)

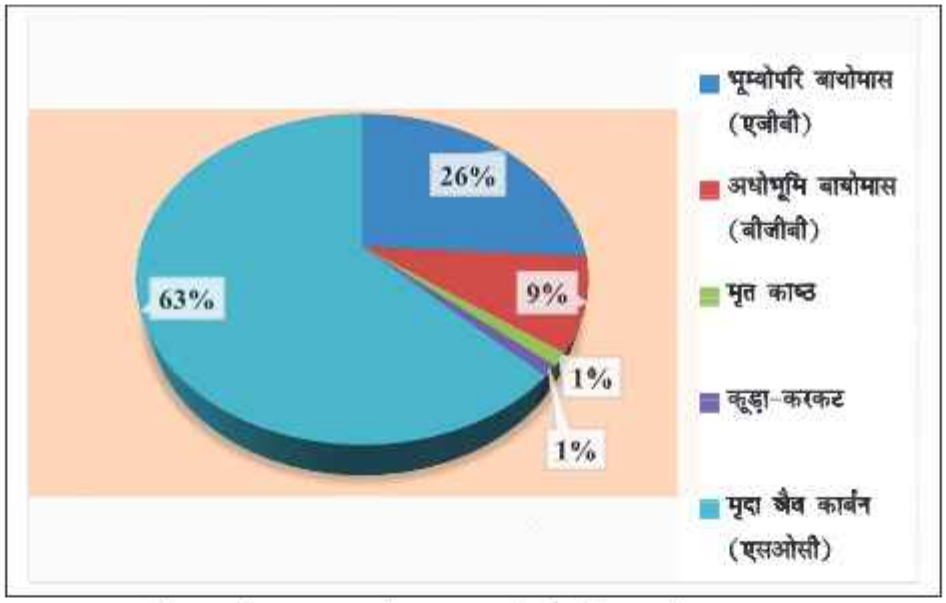


स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## जंगल की आग

जंगल की आग में कमी और उस पर नियंत्रण के संबंध में समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है क्योंकि यह वन परितंत्र के संरक्षण और प्रबंधन को आकार देता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के चलते लगातार गर्म और शुष्क मौसम और कृषि के लिए भूमि परिवर्तन जैसे अन्य मानवीय कारक जंगलों में आग लगने के मुख्य कारण हैं। जंगल में आग लगना पूरी दुनिया में वन परितंत्रों और मानव समुदायों के लिए बड़ा खतरा है। जंगल की आग के वार्षिक रुझानों में उतार-चढ़ाव रहा है। इसकी सर्वाधिक 771 घटनाएं 2023-24 में दर्ज की गईं (तालिका 14.5)। इनमें से लगभग आधी घटनाएं वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में हुईं (चार्ट 14.10)। इनका जैव-विविधता, मृदा क्षरण, और आर्थिक नुकसान के मामले में प्रभाव हो सकता है। सौभाग्यवश, बिहार के आधे वनों को कम अग्नि-प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है (चार्ट 14.10)। राज्य सरकार राज्य में अग्नि सुरक्षा और फसलों की ठूंठ जलाने की घटनाओं के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने के लिए उत्सुक है।

चार्ट 14.10 : बिहार में विभिन्न अग्नि-प्रवण वर्गों वाले क्षेत्र (2023) (क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

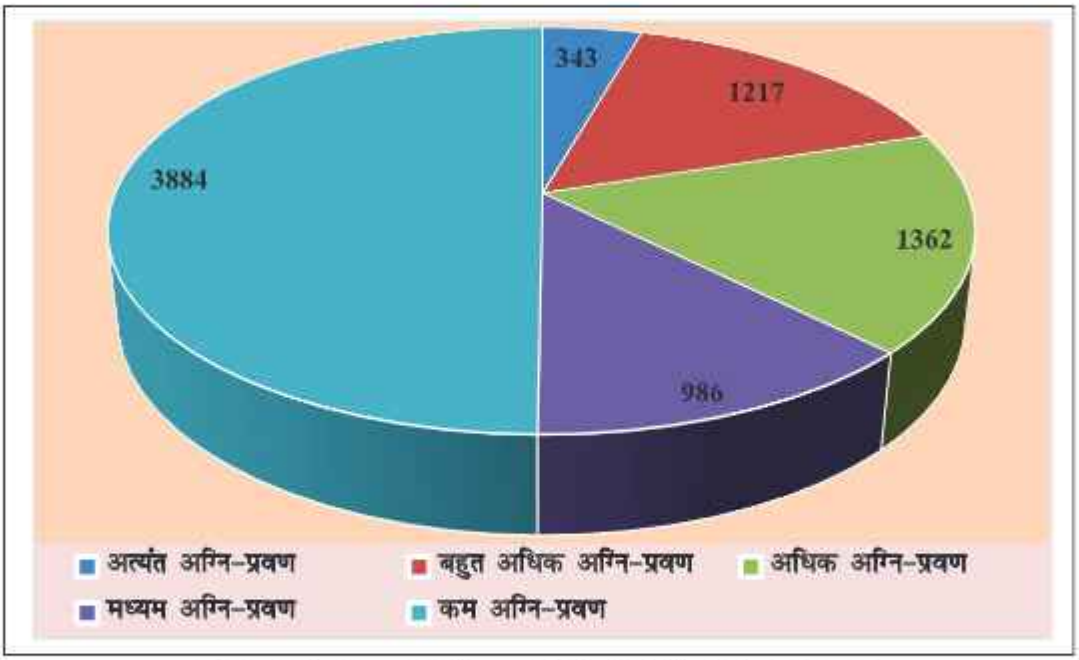


स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 14.5 : बिहार के जंगलों में आग लगने की प्रमंडल-वार घटनाएं

| प्रमंडल | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| रोहतास | 82 | 28 | 38 | 19 | 66 |
| कैमूर | 53 | 84 | 43 | 51 | 29 |
| वाल्मीकि बाघ आरक्ष-1 | 74 | 95 | 115 | 30 | 267 |
| बांका | 7 | 28 | 14 | 31 | 30 |
| वाल्मीकि बाघ आरक्ष-2 | 225 | 121 | 99 | 65 | 238 |
| गया | 10 | 0 | 20 | 17 | 21 |
| जमुई | 11 | 92 | 24 | 30 | 40 |
| मुंगेर | 64 | 162 | 38 | | 27 |
| नालंदा | 13 | 6 | 11 | 2 | 20 |
| नवादा | 36 | 11 | 39 | 37 | 26 |
| औरंगाबाद | | 6 | 4 | 1 | 7 |
| **योगफल** | **575** | **633** | **445** | **283** | **771** |
| **जल गया क्षेत्र (हे.)** | **1103.7** | **572.4** | **664.6** | **386.9** | **1404.9** |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## वन भूमि का उपयोग परिवर्तन

आबादी, औद्योगीकरण, और विकासमूलक गतिविधियों की बढ़ती मांगों को पूरी करने के लिए हाल के वर्षों में वन संसाधनों का उपयोग किया जाता रहा है। जैसा कि तालिका 14.6 में दर्शाया गया है, 2019-20 से 2023-24 तक के गत पांच वर्षों के दौरान वन क्षेत्रों में 349 परियोजनाएं चलाई गईं जिनके चलते 2129 हे. वनों का उपयोग वनेतर प्रयोजनों के लिए कर लिया गया।

**तालिका 14.6 : विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग परिवर्तन**

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| परियोजनाओं की संख्या | 70 | 47 | 78 | 87 | 67 |
| वनेतर उपयोग के लिए दिया गया क्षेत्र (हे. में) | 377.7 | 432.8 | 329 | 486.2 | 502.8 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

राज्य के वन संसाधन आधार को मजबूती देने के लिए वानिकी, वन्यजीवों और जैव-विविधता से संबंधित अनेक कार्यक्रम और पर्यावरण संबंधी अन्य योजनाएं चल रही हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

**(क) हरियाली मिशन** : राज्य में हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए हरियाली मिशन के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण का काम किया जा रहा है। कृषि-वानिकी योजना के तहत किसानों की मदद से कुल 20.77 लाख पौधे लगाए गए हैं। वहीं, जीविका के स्वयं सहायता समूहों की सहायता से पौधशालाओं की 494 इकाइयों का वितरण किसानों और जीविका दीदियों के बीच किया गया है। कुल 494 पौधशालाएं/ कृषक पौधशालाएं स्थापित की गई हैं और उनमें लगभग 98.80 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पोपलर) योजना के तहत 2023-24 में किसानों द्वारा 32 पौधशालाओं में डंठलों के टुकड़ों (ईटीपी) से कुल 3.2 लाख पौधे तैयार करने की योजना है।

**(ख) बांस मिशन** : इस परियोजना के तहत सरकारी/ निजी जमीन पर बांस के पौधे लगाए जाते हैं और पौधशालाएं विकसित की जाती हैं। बांस के पौधे किसानों की मांग के अनुसार वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत 2024-25 के लिए 62.50 लाख रु. का प्रस्ताव कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया गया है।

**(ग) कृषि वानिकी (पोपलर ईटीपी) योजना** : कृषि वानिकी योजना के तहत मुख्यत: कम समय में तैयार होने वाले पेड़ के रूप में पोपलर प्रजाति के पौधे लगाने की शुरुआत की गई है। यह योजना 2012-13 से चल रही है। दिसंबर-जनवरी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से उद्यमियों/ किसानों/ लाभार्थियों को 10 रु. प्रति पौधा की दर से पोपलर के पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को पौधों की देखरेख करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अगर पौधों के बचे रहने की दर 50 प्रतिशत से अधिक रही तो तीन साल बाद प्रति पौधा 60 रु. की प्रोत्साहन राशि के अलावा 10 रु. की आरक्षित रकम भी वापस कर देने का प्रावधान है।

**तालिका 14.7 : बिहार में कृषि-वानिकी (पोप्लर ईटीपी) योजना की स्थिति (लाख में)**

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| लगाई गई ईटीएपी की कुल संख्या | 0.92 | 5.60 | 0.45 | 0.70 | 0.45 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

**(घ) कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना** : इस कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों के खेतों में सागवान, महोगनी, सेमल, गम्हार, कदंब, यूक्लिप्टस आदि अन्य प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। यह योजना भी 2012-13 से चल रही है। जुलाई से सितंबर तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं द्वारा किसानों/ उद्यमियों/ लाभार्थियों को 10 रु. प्रति पौधा की दर से पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को पौधों की देखरेख करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अगर पौधों के बचे रहने की दर 50 प्रतिशत से अधिक रही तो तीन साल बाद प्रति पौधा 60 रु. की प्रोत्साहन राशि के अलावा 10 रु. की आरक्षित रकम भी वापस कर देने का प्रावधान है।

**तालिका 14.8 : बिहार में कृषि-वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना की स्थिति (लाख में)**

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| लगे पौधों की संख्या | — | 21.53 | 10.21 | 11.75 | 20.32 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

**(च) मुख्यमंत्री (पोप्लर) निजी नर्सरी योजना** : इस योजना का आरंभ कृषि वानिकी योजना के तहत पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। चुने गए उद्यमियों/ किसानों/ जमीन मालिकों को अपनी जमीन पर नर्सरी लगाने के लिए विभाग की स्थानीय पोप्लर पौधशालाओं द्वारा दिसंबर-जनवरी में पोप्लर के ईटीपी मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद पोप्लर के तैयार पौधों को विभाग द्वारा पूर्वनिधारित दर पर खरीद लिया जाता है। वर्तमान वित्तवर्ष में जीवित रहने के आधार पर 13 रु. से 15 रु. प्रति पौधा की दर तय की गई है। इस योजना के तहत 2023-24 में 32 पौधशालाओं में 3.2 लाख डंठलों को रोपा गया है।

**तालिका 14.9 : मुख्यमंत्री निजी पोपलर योजना की स्थिति**

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| उद्यमियों/ किसानों की संख्या | 100 | 20 | 22 | 27 | 32 |
| लगे ईटीएपी की कुल संख्या (लाख में) | 10.0 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

**(छ) मुख्यमंत्री (अन्य प्रजाति) निजी नर्सरी योजना** : इस योजना का क्रियान्वयन वितरण के लिए अन्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर किया जा रहा है। इस मकसद से पौधशालाएं स्थापित करने के लिए चुनिंदा लाभार्थियों को विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जाता है। नर्सरी की स्थापना फरवरी-मार्च में की

जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें से मापदंड पर खरे उतरने वाले पौधों विभाग द्वारा तय मूल्य पर खरीद लिया जाता है। तैयार किए गए 20,000 पौधों में से 25-30 प्रतिशत लगाने के लिए उसी साल उपयोग कर लिए जाते हैं। वहीं, शेष पौधों को एक साल तक सुरक्षित रखकर देखभाल की जाती है और अगली बरसात में लगाया जाता है। पौधों का औसत मूल्य 24 रु. है जिसका भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है - पहली किश्त में 7 रु. प्रति पौधा, दूसरी किश्त में 8 रु. प्रति पौधा और तीसरी किश्त में 9 रु. प्रति पौधा। इस दर में वास्तविक उत्पादन व्यय, निरीक्षण कार्य का व्यय और प्रोत्साहन राशि शामिल हैं। इस योजना के तहत किसानों द्वारा 494 इकाइयों के जरिए लगभग 98.80 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य है।

**तालिका 14.10 : मुख्यमंत्री (अन्य प्रजाति) निजी नर्सरी योजना की स्थिति (2019-20 से 2023-24)**

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| लाभार्थियों की संख्या | 364 | 400 | 400 | 500 | 494 |
| लगे पौधों संख्या (लाख में) | 72.8 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 98.8 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

**(ज) जल-जीवन-हरियाली अभियान** : राज्य सरकार ने इसे जल सुरक्षा एवं वनीकरण के उद्देश्य से 2019 में शुरू किया था ताकि हरित आच्छादन में वृद्धि हो, प्रदूषण घटे, जन भागीदारी बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, और पर्यावरण तथा विकास के बीच संतुलन स्थापित हो। राज्य में इसके तहत चेक डैम, बोल्डर चेक डैम, जल संग्रहण ढांचों, गालैंड ट्रेंचिंग आदि के जरिए जल संसाधनों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। योजना की प्रगति का ब्योरा तालिका 14.11 में प्रस्तुत है।

**तालिका 14.11 : जल-जीवन-हरियाली अभियान का विवरण**

| वर्ष | सघन वृक्षारोपण (पौधों की संख्या लाख में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | | | |
| | | वन विभाग | ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) | बागवानी मिशन | योगफल |
| 2019-20 | — | 84.95 | 45.40 | — | 130.35 |
| 2020-21 | 251.00 | 277.27 | 120.19 | — | 397.46 |
| 2021-22 | 500.00 | 230.99 | 152.29 | 5.72 | 389.00 |
| 2022-23 | 300.00 | 138.02 | 147.19 | 3.09 | 288.30 |
| 2023-24 | 445.39 | 198.24 | 167.48 | 2.17 | 367.89 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

**(झ) नमामि गंगे** : इस परियोजना के तहत भारत सरकार की योजना गंगा का स्वच्छ और सतत प्रवाह सुनिश्चित करने की है। इसके विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत हैं :

**तालिका 14.12 : नमामि गंगे के तहत वानिकी कार्यों का विवरण (2024-25)**

| मॉडल/ कार्य | क्षेत्रफल (हे) | पौधों की संख्या | दरें (रु.) | कुल व्यय (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| **2024-25 के लिए प्रस्तावित** | | | | |
| ब्लॉक/ नदी किनारे रैखिक वृक्षारोपण | 26 | 13000 | 316940 | 82.4 |
| बांस का घेरा | 543.83 | 163150 | 534740 | 2908.09 |
| सड़क किनारे रैखिक वृक्षारोपण | 32 | 16000 | 316940 | 101.42 |
| कृषि वानिकी | 1233.33 | 185000 | 125 | 231.25 |
| संस्थागत वृक्षारोपण (100 पौधे प्रति संस्था) | 73.33 | 11000 | — | 163.72 |
| क्षमता निर्माण | — | — | — | 60 |
| जागरूकता | | | | 25 |
| **स्वीकृत अनुरक्षण कार्य** | | | | |
| अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष) (2022-23 में स्वीकृत योजना) | — | — | — | 195.6 |
| अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) (2021-22 में स्वीकृत योजना) | | | | 117.24 |
| अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) (2020-21 में स्वीकृत योजना) | — | — | — | 55.32 |
| अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष) (2019-20 में स्वीकृत योजना) | | | | — |
| **योगफल** | **1908.49** | **388150** | — | **3940.04** |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

इन पहलों के अलावा भी राज्य और केंद्र सरकारों ने अनेक पहलें की हैं, जैसे : (1) क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण (कैंपा), (2) राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एसएपीसीसी), (3) समेकित वन प्रबंधन योजना, (4) प्राकृतिक वन विकास, (5) जैव-विविधता प्रबंधन, (6) गालैंड ट्रेंचिंग योजना, (7) बिहार विरासत वृक्ष ऍप, (8) जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला, (9) पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, और (10) पारिस्थितिक-पर्यटन और पार्कों का विकास।

## 14.5 बिहार में नमभूमि संरक्षण एवं विकास

बिहार गंगा के मैदान के मध्य भाग में अवस्थित है। राज्य से होकर ढेर सारी नदियां बहती हैं जिनमें से अनेक नेपाल से निकलती हैं। अतीत में इन नदियों ने अनेक बार अपने प्रवाहपथ बदले हैं। इससे वहां प्राकृतिक रूप से गहरे स्थान मौजूद हैं जिनको वर्षा और नदियों की बाढ़ का पानी मिलता है। उनसे अक्सर, गोखुर झील, नदीजनित नमभूमि (रीवरिन वेटलैंड), छाड़न, मान और चौर जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। इन प्राकृतिक नमभूमियों के अलावा, अनेक मानवनिर्मित जलाशय/ नमभूमियां भी हैं जो पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय नमभूमि एटलस

(एनडब्ल्यूए) 2010 में बिहार की 4416 नमभूमियां सूचीबद्ध हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कम से कम 2.25 हे. है। इनके अलावा भी राज्य में 2.25 हे. से कम क्षेत्रफल वाली लगभग 17,582 छोटी नमभूमियां मौजूद हैं।

राज्य नमभूमि प्राधिकरण राज्य में नमभूमियों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों (रामसर साइट) की पहचान तथा इस मकसद से स्थानीय, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है। ये गतिविधियां नमभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 का पालन करते हुए चलाई जाती हैं। प्राधिकरण ने प्रथम चरण में वृक्षारोपण के साथ संरक्षण और विकास के लिए 133 नमभूमियों को चुना है। 80 नमभूमियों के स्वास्थ्य कार्ड और संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करके मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

## 14.6 जैव विविधता और वन्यजीवन

जैव-विविधता ढेर सारे उत्पादों और परितंत्रीय सेवाओं में योगदान करती है जो जल और हवा के शुद्धिकरण, इमारती लकड़ी और अन्य वन संसाधनों के उत्पादन, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता तथा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लाभों के जरिए मानवों की खुशहाली बरकरार रखती हैं। वन्य जीव जैव-विविधता के अभिन्न अंग हैं और परागण, बीजों के फैलाव तथा अपघटन जैसी पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य जीव भोजन और वस्त्र, मनोरंजन, पर्यटन और सांस्कृतिक उपयोगों के स्रोत के बतौर और विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। जैव-विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार राज्य में वन्यजीव और पक्षी अभयारण्यों में अपने एजेंडा का लगातार विस्तार कर रही है (तालिका प 14.4 - परिशिष्ट)। इनमें वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष (टाइगर रिजर्व) प्रमंडल 1 और 2, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, राजगिर वन्यजीव अभयारण्य, और रजौली वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।

राज्य में कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य, बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य, नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य, नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य, और कांवर झील पक्षी अभयारण्य जैसे अनेक पक्षी अभयारण्य भी हैं। साथ ही, संकटग्रस्त प्रजाति गांगेय डॉल्फीन (सूंस) के संरक्षण के लिए भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य मौजूद है। इनके अलावा, राज्य के संरक्षण आरक्षों (रिजर्व) में पूर्णिया स्थित गोगाबिल संरक्षण आरक्ष और रोहतास स्थित भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष शामिल हैं।

**वन्यजीव सुरक्ष, संरक्षण एवं प्रबंधन** : वन्यजीव प्रबंधन लोगों और वन्यजीवों की जरूरतों में संतुलन स्थापित करने के लिए जरूरी है और यह जैव-विविधता से मिलने वाले संबद्ध लाभों के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग, और पहुंच तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने का मुख्य अवयव है। राज्य सरकार राज्य में वन्यजीवों और जैव-विविधता के संरक्षण के लिए व्याघ्र आरक्ष, पशु एवं पक्षी अभयारण्यों तथा सामुदायिक आरक्षों की स्थापना सहित अपने एजेंडा की संभावनाओं का निरंतर विस्तार करती रही है। राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्योरा तालिका 14.13 और तालिका 14.14 में प्रस्तुत है।

**तालिका 14.13 : बिहार में जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण की केंद्र प्रायोजित योजनाएं (लाख रु. में)**

| केंद्र प्रायोजित योजना का नाम | व्याघ्र परियोजना | समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास | गज परियोजना |
|---|---|---|---|
| **2021-22** | | | |
| भारत सरकार द्वारा स्वीकृत | 1064.55 | 951.06 | 65.04 |
| भारत सरकार द्वारा विमुक्त | 556.32 | 393.46 | 39.02 |
| आबंटित रकम (केंद्रांश + राज्यांश) | 962.56 | 48.17 | 29.42 |
| व्यय | 694.84 | 25.25 | 11.81 |
| **2022-23** | | | |
| भारत सरकार द्वारा स्वीकृत | 1153.57 | 1889.17 | 53.23 |
| भारत सरकार द्वारा विमुक्त | 451.77 | 0.00* | 30.97 |
| आबंटित रकम (केंद्रांश + राज्यांश) | 541.14 | 0 | 43.78 |
| व्यय | 541.14 | 0 | 38.55 |
| **2023-24** | | | |
| केंद्र प्रायोजित योजना का नाम | | समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास | गज परियोजना |
| भारत सरकार द्वारा स्वीकृत | — | 2242.48 | 1208.69 |
| भारत सरकार द्वारा विमुक्त | — | 336.37 | 466.29 |
| आबंटित रकम (केंद्रांश + राज्यांश) | — | 560.62 | 867.62 |
| व्यय | — | 560.62 | 867.62 |

टिप्पणी : * भारत सरकार द्वारा पीएफएमएस में 2022-23 के लिए केंद्रांश विमुक्त नहीं किया गया है।

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका 14.14 : बिहार में जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण की राज्य की योजनाएं (लाख रु. में)**

| वित्तवर्ष | बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत | आबंटित रकम | व्यय |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 375.85 | 249.46 | 246.3 |
| 2021-22 | 233.08 | 233.08 | 233.08 |
| 2022-23 | 714.89 | 699.94 | 688.01 |
| 2023-24 | 747.36 | 739.27 | 716.10 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

वन्यजीव संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ऐसी विभिन्न गतिविधियों पर नीचे चर्चा की गई है :

**विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य** : देश का एकमात्र डॉल्फीन (सूंस) अभयारण्य राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित है। इसे गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किमी लंबाई में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत गांगेय डॉल्फीनों की रक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है। यह एशिया में लुप्तप्राय गांगेय डॉल्फीनों की संरक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। इस अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति की संरक्षण गतिविधियों की शुरुआत बिहार में केंद्र प्रायोजित योजना 'समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास' (आडीडब्ल्यूएच) के तहत वार्षिक योजना संचालन (एपीओ) के आधार पर की गई है। गांगेय डॉल्फीनों को 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलजंतु घोषित किया गया है।

**केंद्र प्रायोजित बाघ एवं हाथी परियोजना** : बाघ परियोजना और गज परियोजना को व्यय वित्तपोषण समिति के निर्णयानुसार एक योजना में मिला दिया गया है जिसे मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति देकर 2023-24 से केंद्र प्रायोजित बाघ एवं हाथी परियोजना नाम दे दिया गया है।

इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा घोषित बाघ आरक्षों में किया जाता है। वाल्मीकि बाघ आरक्ष के तहत अवैध शिकार का विरोध और निगरानी, वायरलेस सूचना प्रणाली का विकास/ निर्माण, गश्ती शिविरों/ अवैध शिकार विरोधी शिविरों भवनों/ पानी के गड्ढों की स्थापना, रात में देखने के उपकरणों, क्षेत्रकर्मियों की पोशाकों, बायनाकुलरों की खरीद, पूर्व-सैनिकों और गृह-रक्षकों का नियोजन, गश्ती के लिए स्थानीय श्रमबल का नियोजन, अवैध शिकार विरोधी दस्तों का नियोजन, पहले से मौजूद पानी के गड्ढों (वाटर होल) का रखरखाव, नाकों के लिए कर्मियों का नियोजन, शोध गतिविधियों, क्षेत्र संबंधी उपकरणों की खरीद, आदि काम किए जाते हैं। इनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं :

<u>पर्यावास सुधार एवं प्रबंधन</u> - घास भूमि का विकास, खर-पतवार साफ करना, वन्य जीवों की निगरानी, आग से बचाव के लिए फायर लाइनों का निर्माण, टाइगर ट्रैकर लोगों द्वारा वन्य जीवों का अनुश्रवण, पानी के गड्ढों का निर्माण और रखरखाव आदि।

<u>अवसंरचना सुदृढ़ीकरण</u> - सड़क नेटवर्क का उत्क्रमण, गश्ती और बचाव वाहनों का प्रावधान, ई-निगरानी की स्थापना, क्षेत्र-कर्मियों के लिए आवास, जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि।

<u>पर्यावरण विकास</u> - स्थानीय ग्रामवासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर, सोलर लाइट का वितरण, पर्यटन को बढ़ावा, सीमावर्ती गांवों में कल्याणमूलक सुविधाएं, जनजातियों सहित स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के वैकल्पिक अवसर आदि।

राज्य में गज परियोजना का लक्ष्य परितंत्र पर शोध और हाथियों के प्रबंधन को समर्थन देना, वाल्मीकि बाघ आरक्ष के अंदर हाथियों के बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का प्रबंधन करना, अवैध शिकार विरोधी अवसंरचना का विकास, क्षमता निर्माण और पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा नेपाल से भटककर बिहार में आने वाले जंगली हाथियों का पुनर्वास

करना है। मानवों और हाथियों के बीच टकराव पर नियंत्रण जैसे विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी बल दिया गया है।

**केंद्र प्रायोजित योजना – समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास/ वन्यजीव पर्यावास विकास :** समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास (आइडीडब्ल्यूएच) केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तीन घटक हैं :

(1) संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा-संरक्षण।

(2) संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा-संरक्षण।

(3) अति संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुन:प्राप्ति कार्यक्रम।

बिहार में उक्त तीनों घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कैमूर, भीमबांध, राजगिर, उदयपुर, रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्यों तथा गोगाबील संरक्षण एवं सामुदायिक आरक्षों में वन्यजीवों की सुरक्षा-संरक्षण के लिहाज से उनके पर्यावासों के संरक्षण-संवर्धन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए वन्यजीवों के लिए विकासमूलक और प्रबंधन कार्य किए जा रहे हैं। संसाधनों, सुविधाओं और अवसंरचना का प्रावधान/ निर्माण, सामुदायिक विकास (पर्यावरण विकास), प्रचार, प्रशिक्षण और अन्य प्रासंगिक कार्यों का क्रियान्वयन आदि नियमित आधार पर किए जा रहे हैं।

राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों से बाहर के क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों में भागलपुर जिले में गांगेय नदी क्षेत्र में संकटग्रस्त बड़े गरुड़ पक्षी की प्रजाति का संरक्षण, सांभर, स्लोथ बीयर और विलुप्तप्राय जीवों की सुरक्षा-संरक्षण, मानवों और भालुओं के बीच संघर्ष में कमी, मानवों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष में कमी, तथा सहरसा जिले के अरान गांव में मोरों के उनके पर्यावास में संरक्षण तथा विकास शामिल हैं।

वहीं, अति संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुन:प्राप्ति कार्यक्रम घटक के तहत नदी बेसिन क्षेत्रों में गांगेय डॉल्फीनों, घड़ियालों और जैव-विविधता के संरक्षण-संवर्धन के लिए गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों में गंडक नदी और उसके बेसिन के क्षेत्रों, भागलपुर जिले में गंगा नदी के पूर्वी भाग में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य क्षेत्र में, डॉल्फीन अभयारण्य के बाहर बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय में गंगा नदी में तथा सहरसा, सुपौल और अररिया जिलों में कोशी-महानंदा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन-निष्पादन किया जा रहा है।

साथ ही, राज्य योजना 'वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास' के तहत संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर वन्यजीव पर्यावास विकास के काम किए जा रहे हैं।

### जंगली जानवरों के आक्रमण के कारण जीवन हानि के लिए मुआबजा

खास-खास जंगली जानवरों द्वारा मानव जीवन के नुकसान/ चोट-चपेट/ संपत्ति के नुकसान और फसल के नुकसान के लिए बिहार सरकार के 2024 में संशोधित प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुरूप मुआबजा दिया जाता है। जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षति और मुआबजे की दी जाने वाली रकम का अनुमानित विवरण नीचे प्रस्तुत है :

तालिका 14.15 : जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षतियों की संख्या

| वर्ष | मानव मृत्यु | मानव घायल | पशुओं की मृत्यु | घर की क्षति | फसल को नुकसान | मुआबजा भुगतान (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 03 | 49 | 108 | 02 | 0 | 50.94 |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## वाल्मीकिनगर में इको-पार्क

वाल्मीकिनगर इको-पार्क पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से 110 किमी दूरी पर अवस्थित है। यहां आवागमन के लिए अच्छा संपर्क उपलब्ध है और यह वाल्मीकि बाघ आरक्ष के सामने स्थित मशहूर गंतव्य है। 2.64 एकड़ जमीन पर फैले इस पार्क में सुंदर रास्ते, समान दूरी पर लगे स्थानीय प्रजातियों के पेड़, बच्चों के खेलने के लिए झूला सहित प्ले स्टेशन, सुंदर दृश्यावली, बुर्ज आदि मौजूद हैं। यहां 40 फीट ऊंचा वाच टावर भी मौजूद है जो जाड़े के मौसम में धौलागिरि, अन्नपूर्णा और मनासलू जैसी हिमालय की चोटियों की झलक पाने के लिहाज से पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह है। पार्क के उत्तरी ओर के खुला हिस्से में हिमालय की गोद से आने वाली गंडक नदी बहती है जिससे यह पार्क ध्यान और सुबह की सैर के लिए पसंदीदा जगह बन जाता है। इस पार्क के पश्चिम की ओर की किसी भी ऊंची जगह से गिरिदर्शन का आनंद लिया जा सकता है। पार्क के दक्षिण में मौजूद रास्ते त्रिवेणी संगम, कोलेश्वर मंदिर, जटाशंकर मंदिर, वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि बाघ आरक्ष पहुंचा सकते हैं जिससे यहां पर्यटकों के लिए अनेक गंतव्य उपलब्ध हो जाते हैं।

## अन्य पहलें

(1) पटना स्थित राष्ट्रीय डॉल्फीन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी) भारत और एशिया का पहला डॉल्फीन अनुसंधान केंद्र होगा। यह गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित होगा।

(2) डॉल्फीनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा मछुआरों और नागरिकों के लिए प्रोत्साहन-सह-मुआबजा योजना शुरू की गई है जिसके तहत 20,000 रु. तक नकद मुआबजा/ प्रोत्साहन और 'डॉल्फीन दिवस' मनाना शामिल है।

(3) भारतीय वन्यजीव न्यास के सहयोग से पश्चिम चंपारण के बेतिया में 'घड़ियाल प्रजनन-सह-संवर्धन केंद्र' की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है।

(4) अररिया में 'कछुआ अनुसंधान एवं अनुश्रवण केंद्र' की स्थापना विचाराधीन है।

(5) बंबई प्राकृतिक इतिहास समिति (बीएनएचएस) के तकनीकी सहयोग से भागलपुर में 'बर्ड रिंगिंग एवं अनुश्रवण केंद्र' की स्थापना के लिए कॉप 13 में बंबई प्राकृतिक इतिहास समिति के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित हुआ है।

(6) स्वयंसेवकों की सहायता से 2022 से नियमित रूप से वार्षिक जलपक्षी गणना की गई है जो वन विभाग द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी नागारिक विज्ञान पहल है।

(7) बीआरएमएस मोबाइल ऍप का उपयोग शुरू किया गया है। एडब्ल्यूसी 2024 में 84 नमभूमियों को शामिल किया गया है औ 220 प्रजातियों के 80,246 जीवों की गणना की गई है।

(8) राज्य वन्यजीव परिषद की 2020 में हुई नवीं बैठक में लिए गए निर्णयों और एनटीसीए द्वारा दी गई सैद्धांतिक सहमति के आलोक में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ आरक्ष घोषित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(9) राज्य वन्यजीव पर्षद से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के तीसरे चिड़ियाघर के बतौर अररिया में रानीगंज जैविक उद्यान की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

(10) राज्य वन्यजीव पर्षद से स्वीकृति मिलने के बाद बक्सर जिले में नवानगर काला हिरण बचाव-सह-पुनर्वास केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

## 14.7 पर्यावरण प्रदूषण

पर्यावरण का प्रदूषण कोई नई परिघटना नहीं है, फिर भी यह मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है और रुग्णता तथा मृत्यु का मुख्य कारण बन रहा है। शहरीकरण, औद्योगीकरण, खनन और अन्वेषण के जरिए मानवीय गतिविधियां पर्यावरण प्रदूषण में अग्रणी हैं। वहीं, प्राकृतिक और मानवजनित स्रोत इसे और भी बढ़ाते हैं। प्रदूषण पर ध्यान देने के बावजूद इसके गंभीर दीर्घकालिक दुष्परिणामों के कारण इसका प्रभाव अभी महसूस नहीं हुआ है। इस खंड में प्रदूषण के प्रकारों और टिकाऊ पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत समाधानों पर चर्चा की गई है।

### वायु प्रदूषण

हवा की गुणवत्ता जलवायु और पूरी दुनिया के पारिस्थतिकी तंत्र के साथ जुड़ी हुई है। वायु प्रदूषण प्राकृतिक और औद्योगिक तथा वाहनों के उत्सर्जन, जीवाश्म इंधनों को जलाने, निर्माण-स्थल की धूल, घरेलू इंधन जलाने और खुले में कचरा जलाने जैसी मानवजनित गतिविधियों के जटिल मिश्रण का परिणाम है। जंगलों की आग, परागकण, रेडियोसक्रिय तत्व और जैविक अपघटन का भी वायु प्रदूषण में योगदान होता है। हवा में कणीय पदार्थों की वृद्धि में शामिल एक और काम खेतों में फसलों की ठूंट जलाना है। बिहार में मुख्य प्रदूषकों के वार्षिक औसत और विभिन्न स्थानों पर बेंजीन, टॉलुइन, और जाइलिन (बीटीएक्स) संबंधी मापदंडों का ब्योरा तालिका 14.16 में प्रस्तुत है। इन मापदंडों में सल्फर डायक्साइड (एसओ2), नाइट्रिक डायक्साइड (एनओ2), कणीय पदार्थ (पीएम10) और महीन कणीय पदार्थ (पीएम2.5) जैसे मुख्य वायु प्रदूषक शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के लिए संबंधित प्रेक्षण तालिका 14.16 में प्रस्तुत हैं।

**तालिका 14.16 : बिहार में मुख्य प्रदूषकों का वार्षिक औसत और बीटीएक्स के मानदंड (2023-24)**

| परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति | पीएम10 $\mu g/m^3$ | पीएम2-5 $\mu g/m^3$ | कार्बन मोनोक्साइड $mg/m^3$ | सल्फर डायक्साइड $\mu g/m^3$ | नाइट्रिक ऑक्साइड $\mu g/m^3$ | अमोनिया $\mu g/m3$ | ओजोन $\mu g/m^3$ | बेंजीन $\mu g/m^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इको पार्क, पटना | 190.31 | 77.31 | 1.29 | 8.73 | 30.53 | 22.09 | 25.55 | 2.44 |
| एस.के. मेमोरियल हॉल, पटना | 276.98 | 110.34 | 1.03 | 8.45 | 23.58 | 22.37 | 38.97 | 1.3 |
| बीआइटी मेसरा, पटना | 238.44 | 101.19 | 1.69 | 7.04 | 39.95 | 37.88 | 40.84 | 1.11 |
| डीआरएम कार्यालय, दानापुर, पटना | 181.13 | 85.2 | 0.97 | 6.62 | 34.31 | 19.58 | 28.36 | 1.25 |
| सरकारी उच्च विद्यालय, शिकारपुर, पटना सिटी | 140.56 | 59.68 | 0.91 | 9.11 | 17.29 | 12.63 | 23.83 | 2.03 |
| तारामंडल (आइजीएससी), पटना | — | 53.26 | 0.53 | 7.54 | 27.05 | — | 23.09 | 1.22 |
| **उक्त सभी केंद्रों का औसत** | **205.48** | **81.19** | **1.07** | **7.92** | **28.79** | **22.91** | **30.11** | **1.56** |
| समाहरणालय, मुजफ्फरपुर | — | 56.7 | 1.56 | 16.57 | 34.3 | — | 54.74 | 1.98 |
| सरकारी जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर | 167.83 | 78.11 | 0.85 | 8.03 | 15.51 | 29.02 | 47.38 | 0.79 |
| एमआइटी, मुजफ्फरपुर | 169.93 | 80.68 | 1.62 | 13.13 | 8.58 | 15.72 | 40.76 | 1.55 |
| **उक्त सभी केंद्रों का औसत** | **168.88** | **71.83** | **1.34** | **12.58** | **19.46** | **22.37** | **47.63** | **1.44** |
| राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान, गया | 72.44 | 45.06 | 0.76 | 6.54 | 23.47 | 14.66 | 27.85 | 1.69 |
| समाहरणालय, गया | — | 71.3 | 1.1 | 13.06 | 9.32 | — | 59.94 | 0.8 |
| करीमगंज, गया | 135.19 | 35.87 | 0.87 | 8.72 | 21.54 | 15.51 | 37.27 | 0.55 |
| **उक्त सभी केंद्रों का औसत** | **103.82** | **50.74** | **0.91** | **9.44** | **18.11** | **15.09** | **41.69** | **1.01** |
| हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र, वैशाली | 165.41 | 47.96 | 0.82 | 5.83 | 25.56 | 32.69 | 35.64 | 2.66 |

टिप्पणी : (क) $\mu g/m^3$ = माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर; $mg/m^3$ = मिलीग्राम प्रति घनमीटर

(ख) वार्षिक औसत के लिए मानक मान : पीएम $_{10}$=60 $\mu g/m3$, पीएम$_{2.5}$ = 40/$ug/m^3$, सल्फर डायक्साइड = 50 $ug/m^3$, नाइट्रिक ऑक्साइड = 40 $ug/m^3$

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

## परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण

### शहरी क्षेत्रों में अनुश्रवण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (बीएसपीसीबी) राज्य के 23 जिलों में स्थापित 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) का उपयोग करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण करता है। इन केंद्रों का वितरण इस प्रकार है - पटना में 6, मुजफ्फरपुर में 3, गया में 3, भागलपुर में 2, नालंदा में 2 और पश्चिम चंपारण में 2 केंद्रों के साथ-साथ हाजीपुर, अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सीवान शहरों में एक-एक केंद्र अवस्थित हैं (चित्र 14.1)।

इन केंद्रों का उपयोग करके पीएम10, पीएम2.5, सल्फर डायक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, अमोनिया, तथा बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन (बीटीएक्स) गैसे गैसीय मानदंडों के साथ-साथ सापेक्ष आर्द्रता (आरएच), वायु गति (डब्ल्यूएस), हवा की दिशा (डब्ल्यूडी), सौर विकिरण (एसआर) जैसे मौसमविज्ञानी मानदंडों का भी अनुश्रवण किया जाता है। ये केंद्र राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण नेटवर्क से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (सीपीसीबी) के सर्वर के जरिए जुड़े हैं और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वेबसाइट के जरिए भी पहुंच में हैं। पर्षद राज्य के शेष 15 जिलों में भी तत्क्षण (रियल टाइम) अनुश्रवण केंद्रों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। हर शहर के लिए मुख्य प्रदूषकों और बीटीएक्स मापदंडों का औसत तालिका प 14.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

**चित्र 14.1 : बिहार में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की अवस्थिति**

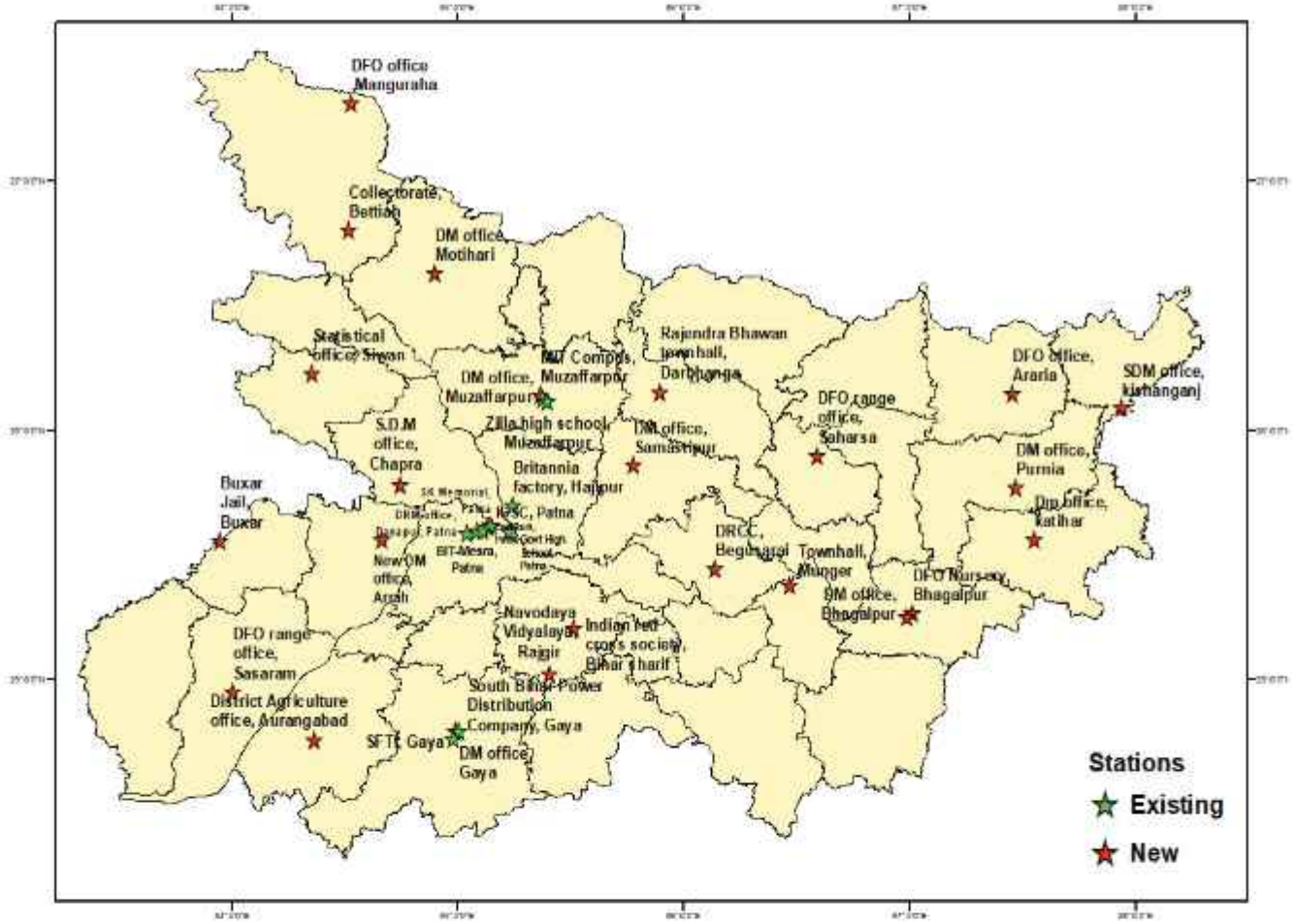


स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

## ग्रामीण क्षेत्रों में अनुश्रवण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पश्चिम चंपारण में मंगुराहा स्थित वन विश्राम गृह में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित किया है जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विवरण तालिका प 14.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

## वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ)

पर्षद द्वारा इलक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और केंद्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षदों की वेबसाइट के जरिए परिवेशीय वायु गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) की जानकारी दी जाती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न प्रदूषकों से संबंधित वायु गुणवत्ता के जटिल आंकड़ों को एक ही संख्या (सूचकांक), नाम और रंग में बदल देता है। इसकी छः श्रेणियां हैं - अच्छी (0 से 50), संतोषजनक (51 से 100), मध्यम (101 से 200), खराब (201 से 300), बहुत खराब (301-400) और गंभीर (401 से अधिक)। धरती के आसपास महीन कणीय पदार्थों के संघनित हो जाने के कारण जाड़े दिनों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब से लेकर गंभीर तक हो जाती है। हवा में कणीय पदार्थों के स्तरों में मानवीय क्रियाकलापों और भौगोलिक अवस्थितियों का योगदान होता है। तीन शहरों के लिए 2021-22 से 2023-24 तक की अवधि में इसका प्रेक्षण तालिका 14.17 में प्रस्तुत है।

**तालिका 14.17 : पटना, मुजफ्फरपुर और गया में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति**

| शहर | वर्ष | अच्छी | संतोषजनक | मध्यम | खराब | बहुत खराब | गंभीर | कुल दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 2021-22 | 14 | 125 | 81 | 113 | 31 | — | 364 |
| | 2022-23 | 4 | 87 | 107 | 85 | 74 | 8 | 365 |
| | 2023-24 | 10 | 80 | 135 | 101 | 40 | — | 366 |
| मुजफ्फरपुर | 2021-22 | 44 | 106 | 64 | 80 | 57 | 4 | 355 |
| | 2022-23 | 3 | 127 | 39 | 8 | 4 | — | 181 |
| | 2023-24 | 3 | 82 | 157 | 110 | 14 | — | 366 |
| गया | 2021-22 | 31 | 140 | 151 | 39 | 2 | — | 363 |
| | 2022-23 | 6 | 100 | 177 | 46 | 32 | — | 361 |
| | 2023-24 | 21 | 156 | 130 | 58 | 1 | — | 366 |

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

## ध्वनि अनुश्रवण

निर्माण गतिविधियों, यातायात, लाउडस्पीकर, और उत्सवों के दौरान पटाखों के कारण बिहार के छोटे-बड़े शहर ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अनुश्रवण प्रणाली के विकास और ध्वनि प्रदूषण में कमी के लिए पटना में अनेक स्थानों पर ध्वनि के स्तरों का अनुश्रवण करता है। तालिका 14.18 क में 2019-2023 की अवधि में पटना के व्यावसायिक, औद्योगिक और आवसीय क्षेत्रों तथा शांत क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर शोर संबंधी वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत हैं। इसमें दिन और रात, दोनो समय में शोर के आंकड़े शामिल हैं। स्वीकार्य डेसिबल का ब्योरा तालिका 14.18 ख में दिया गया है।

**तालिका 14.18 (क) : पटना में विभिन्न स्थानों पर परिवेशीय शोर अनुश्रवण**

(औसत समकक्ष सतत ध्वनि स्तर डेसिबल में)

| केंद्र | प्रकार | समय | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर | आवासीय | दिन | 47.7 | — | — | — | — |
| | | रात | 41.8 | — | — | — | — |
| कोका कोला, पाटलिपुत्र | औद्योगिक | दिन | 57.4 | 61.2 | 67.1 | 75.1 | 74.5 |
| | | रात | 57.7 | 61 | 67.3 | 71.9 | 71.1 |
| तारामंडल, अदालतगंज | व्यावसायिक | दिन | 63.5 | 60.3 | 61.4 | 61.9 | 60.9 |
| | | रात | 56.9 | 55.2 | 56.8 | 54.7 | 63.3 |
| रेलवे स्टेशन गोलंबर | व्यावसायिक | दिन | 59.7 | — | — | — | — |
| | | रात | 54.2 | — | — | — | — |
| पटना मेडिकल कॉलेज, अशोक राजपथ | शांत क्षेत्र | दिन | 54 | — | — | — | — |
| | | रात | 48.7 | — | — | — | — |
| पटना डेयरी, फुलवारीशरीफ | आवासीय | दिन | — | 51.6 | — | 57.9 | 58 |
| | | रात | — | 51.6 | — | 52.8 | 52.1 |
| इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, मुख्य द्वार, शेखपुरा | व्यावसायिक | दिन | — | 55 | 59.3 | — | — |
| | | रात | — | 51.1 | 52.3 | — | — |

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

**तालिका 14.18 (ख) : ध्वनि स्तर की मानक सीमाओं पर आँकड़े**

(स्वीकार्य समकक्ष सतत ध्वनि स्तर डेसिबल में)

| समय | औद्योगिक | व्यावसायिक | आवासीय | शांत क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| दिन (06:00 बजे सुबह से 10:00 बजे शाम) | 75 | 65 | 55 | 50 |
| रात (10:00 बजे शाम से 6:00 बजे सुबह) | 70 | 55 | 45 | 40 |

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

## जल गुणवत्ता अनुश्रवण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद 34 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता का पाक्षिक और इसकी सहायक नदियों तथा तालाबों का 70 स्थानों पर मासिक अनुश्रवरण करता है। गंगा के पानी की गुणवत्ता से उच्च मात्रा में बैक्टेरिया (कुल कोलीफॉर्म और मल जनित कॉलीफॉर्म) की आबादी के उच्च मान का पता चलता है। इसका कारण मुख्यत: गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों में मलजल/ घरेलू अपशिष्ट जल को उन नदियों में डालना है। अन्य मापदंडों को, जैसे कि पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), और ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग (बीओडी) को राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों में निर्धारित सीमा के अंदर पाया गया है जो बताता है

कि पानी जलीय जीवन, वन्य जीवों के बढ़ने, मछलियों, और सिंचाई के लिए उपयुक्त है (तालिका 14.19)। पर्षद औद्योगिक इकाइयों तथा मलजल उपचार संयंत्रों/ मलजल वाही नालों से निकलने वाले अपशिष्ट जल/ मलजल की गुणवत्ता का भी अनुश्रवण करता है। अभी राज्य में पर्षद द्वारा विभिन्न स्रोतों से जल/ अपशिष्ट/ मलजल के 2561 नमूने एकत्र किए गए हैं।

**तालिका 14.19 : स्नान के लिए पानी की गुणवत्ता के मुख्य मापदंड**

| | |
|---|---|
| पीएच | 6.5 से 8.5 |
| घुलित ऑक्सीजन (डीओ) | 5 मिग्रा प्रति ली. या अधिक |
| ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग (बीओडी) | 3 मिग्रा प्रति ली. या कम |
| मलजनित कॉलीफॉर्म | 2500 एमपीएन प्रति मिली |

टिप्पणी : एमपीएन - सर्वाधिक संभावित संख्या
स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

## 14.8 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

राज्य सरकार ने 2018 से सभी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में आकार और मोटाई से निरपेक्ष सभी प्रकार के कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्री, या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन राज्य सरकार ने अपघटित होने वाले पदार्थों से बनी प्लास्टिक की सामग्रियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार, कंपोस्ट बनने लायक या जैव-अपघट्य प्लास्टिक के कैरी बैग पर मोटाई के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन कंपोस्ट बनने वाले प्लास्टिक से बने कैरी बैग को भारतीय मानक संस्थान के आइएस 17088:2021 के मापदंडों को पूरा करना होगा।

साथ ही, इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भी 12 अगस्त 2021 को एक बार प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक के नियमन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी जिसका लक्ष्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का विनियमन करना था। राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी ऐसी अधिसूचना जारी की थी। इन अधिसूचनाओं के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टिरीन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टिरीन सहित एक बार उपयोग वाली सभी प्लास्टिक सामग्रियों का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, और उपयोग प्रतिबंधित है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, बैलून के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, और सजावट वाले पॉलीस्टिरीन (थर्मोकॉल)।

(ख) प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी (कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और ट्रे), मिठाइयों के बॉक्स में लपेटने या पैक करने का शीट, आमंत्रण-पत्र, और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी के झंडे (100 माइक्रॉन से कम के) और स्टिरर।

(ग) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये प्रावधान कंपोस्ट लायक या जैव-अपघट्य प्लास्टिक के सामानों के लिए लागू नहीं हैं।

## 14.9 जल संसाधन

पानी धरती पर सभी स्वरूपों वाले जीवनधारियों के जीवित रहने के लिए जरूरी है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और उपयोग संबंधी व्यवहारों में बदलाव के साथ पानी की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। पानी कृषि, मछलीपालन और विनिर्माण सहित आर्थिक क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौभाग्यवश, बिहार में प्रचुर भूतल जल और भूजल संसाधन मौजूद हैं जो विभिन्न नदियों और उनकी सहायक नदियों तथा वर्षा, खास कर दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के दौरान हुई वर्षा के जरिए भर जाते हैं। गंगा के मैदान का हिस्सा होने के कारण बिहार राज्य को गंगा और गंडक जैसी महत्वपूर्ण नदियों का अवदान प्राप्त है। जहां कोशी और गंडक उत्तर बिहार में मौजूद हैं, वहीं सोन, फल्गु, पुनपुन, सकरी, चानन आदि दक्षिण बिहार में हैं। वर्ष 2023 में राज्य में भूतल जल अधिसंरचना से पता चलता है कि राज्य में 968 नहरें, 4819 नलकूप, 464 तालाब (आहर-पइन, तालाब चैक डैम) और 26 जलाशय मौजूद हैं।

**तालिका 14.20 : बिहार में भूतल जल स्रोतों के ढांचों की स्थिति (2023)**

| प्रकार | नहर | जलाशय | नलकूप | तालाब (आहर-पइन, तालाब, चैक डैम) | उद्वह सिंचाई |
|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | 968 | 26 | 4819 | 464 | 45 |
| क्षेत्रफल (हे. में) | 2764864 | 217560 | 52218 | 68351 | 3400 |

स्रोत : जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

भूतल जल स्रोतों के साथ-साथ राज्य को भूजल संसाधनों का भी अवदान प्राप्त है। विभिन्न जिलों में 2022 में वर्षा ऋतु के पहले और बाद में जल-स्तरों का मूल्यांकन तालिका प 14.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

### जल की गुणवत्ता

लोक स्वास्थ्य अभिंयत्रण विभाग (पीएचईडी) ने पानी का मूल्यांकन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित है, एक जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल विकसित किया है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में दो महीने में एक बार और आयरन से प्रभावित वार्डों में चार महीने में एक बार पानी के नमूनों की जांच करना तथा जो वार्ड गुणवत्ता की किसी समस्या से प्रभावित नहीं हैं उनमें साल में कम से कम दो बार मूल्यांकन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पानी की प्रभावित गुणवत्ता वाले ग्रामीण वार्डों की स्थिति का सारांश तालिका 14.21 में प्रस्तुत है।

**तालिका 14.21 : बिहार में भूजल की प्रभावित गुणवत्ता वाले ग्रामीण वार्डों की स्थिति**

| रासायनिक प्रदूषक | प्रभावित वार्ड | प्रभावित परिवार (लाख में) | योजना पूरी करने वाले वार्ड | घरों को मिला नल का कनेक्शन (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| आर्सेनिक | 4709 | 6.98 | 4709 | 6.74 |
| फ्लोराइड | 3789 | 4.67 | 3784 | 4.64 |
| आयरन | 21709 | 36.03 | 21286 | 35.13 |
| **योगफल** | **30207** | **47.68** | **29779** | **46.51** |

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

## जल संसाधन विभाग की पहलें

जल संसाधन विभाग द्वारा पर्यावरण संबंधी अनेक उपाय किए गए हैं जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है :

(1) **गंगाजल आपूर्ति योजना :** बिहार जलवायु परिवर्तन, अरक्षणीय व्यवहारों और संसाधनों के विवेकरहित दोहन के कारण परितंत्रीय असंतुलन का सामना कर रहा है। राज्य, खास कर दक्षिणी भाग सूखा, बाढ़, और भूजल का स्तर गिरने से, और पेयजल की समस्या से पीड़ित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा गंगाजल आपूर्ति योजना का आरंभ किया गया है। इस पहल को गंगा नदी में उपलब्ध प्रचुर भूतल जल को पटना जिले के मोकामा प्रखंड के मरांची गांव से बरसात के महीनों (जुलाई से अक्तूबर तक) में पंप करने के लिए डिजाइन किया गया है। पंप किए जाने वाले पानी को भूमिगत रूप से पाइपलाइन के जरिए विभिन्न स्थानों पर बन रहे भंडारण जलाशयों में ले जाया जाएगा जिसे उचित उपचार के बाद गया, बोधगया, राजगिर और नवादा शहरों में लोगों को पीने और घरेलू कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, इन भंडारण जलाशयों के निर्माण से आसपास के क्षेत्र के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को भी लाभ होगा। संभावना है कि घरेलू मांग घटने से नजदीकी स्थानों का घटता जलप्रवाह भी बढ़कर सामान्य स्तर पर आ जाएगा। राजगिर और तेतर जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में भूजल संभरण भी होगा। वहीं, इस कार्यक्रम से राजगिर में जू सफारी और नेचर सफारी के पशुओं तथा जलीय जीवन को भी लाभ होगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 4515.70 करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह योजना लगभग पूरी हो गई है। अभी इससे राजगिर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना से इन शहरों के निवासियों और पर्यटकों को लाभ हो रहा है।

**गंगा जलापूर्ति योजना भाग 2** के तहत बिहारशरीफ शहर में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए नवादा जिले में मधुबन जलाशय के निर्माण के लिए 1110.21 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

(2) **जल जीवन हरियाली मिशन के तहत औरंगाबाद, डेहरी, और सासाराम शहरों में जलापूर्ति की योजना:** 1347.32 करोड़ रु. के व्यय से सोन नदी में उपलब्ध भूतल जल का उपयोग करके औरंगाबाद, डेहरी, और सासाराम शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत काम चल रहा है। भूजल के स्तरों में तेज गिरावट के कारण ये शहर पेयजल के संकट का सामना कर रहे हैं। इन शहरों में, जो पर्यटन के और धार्मिक, दोनो लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, 20.6 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति और वितरण करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को इन शहरों में 2051 के लिए अनुमानित आबादी के लिए पानी की घरेलू मांग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत आवश्यक पानी भंडारित करने के लिए 1874 में निर्मित परित्यक्त एनिकट (वीयर) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसकी सहायता से इंद्रपुरी बराज से छोड़े गए अधिशेष जल को भंडारित करके पेयजल के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह योजना दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाने की आशा है।

(3) **जल जीवन हरियाली मिशन के तहत भभुआ और मोहनिया शहरों में जलापूर्ति की योजना :** जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 198.58 करोड़ रु. के व्यय से दुर्गावती जलाशय से भभुआ और मोहनिया शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम प्रगति पर है। जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, और भूजल के स्तरों में गिरावट के कारण बिहार में सूखा और बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है। भूजल के स्तरों में लगातार कमी आ रही है, और सुरक्षित भंडार क्रमशः घटते जा रहे हैं। फलतः, दक्षिण बिहार के कई क्षेत्र पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय भूजल पर्षद के अनुसार, भभुआ और मोहनिया में भूजल स्तर विगत वर्षों के दौरान लगातार गिरता गया है। इस स्थिति में जलाशयों से भूतल जल को भेजकर उचित उपचार के बाद पेयजल के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत, दुर्गावती जलाशय से हर साल 1.3 करोड़ घनमीटर भूतल जल उठाया जाएगा। शुद्ध करने के बाद पाइपलाइनों के जरिए भभुआ और मोहनिया को पानी की आपूर्ति की जाएगी। इन शहरों के लिए 2051 में अनुमानित जनसंख्या के लिए पानी की मांग के अनुरूप पानी का वितरण किया जाएगा। इस योजना को सितंबर 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

(4) **टाल विकास योजना :** विभाग 1178.50 करोड़ रु. के व्यय से पटना, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय जिलों में अवस्थित टाल क्षेत्र के पानी का बेहतर उपयोग और प्रबंधन करने के लिए कृतसंकल्प है। 108 किमी में तटबंध और 27 वीयर के साथ 15 चेक डैम के निर्माण, 74 पइनों की उड़ाही और 42 बॉक्स पुलियों तथा 101 पार-पथ के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। योजना के तहत टाल क्षेत्र में मौजूद जलाशयों को गहरा करके और स्थानीय पइनों की उड़ाही के जरिए जल निकासी प्रणाली को प्रभावी बनाकर मछली और पानी में उपजने वाली चीजों का उत्पादन भी करने की बात सोची गई है। इस योजना से पटना जिले के फतुहा, दनियावां, खुशरूपुर, बख्तियारपुर, पंडारक, बेलछी, मोकामा और घोसवरी प्रखंड, नालंदा जिले के हरनौत, चंडी, बिंद और सरमेरा प्रखंड, शेखपुरा जिले के शेखपुरा और घाट कुसुंभा प्रखंड तथा लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड को लाभ होगा। अभी तक योजना की 33 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(5) **फल्गू नदी पर गयाजी डैम (रबर डैम) :** फल्गु नदी में पानी की कमी दूर करने के लिए विष्णुपद मंदिर के पास देश के सबसे बड़े रबर डैम 'गयाजी डैम' का निर्माण किया गया है। डैम का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वह बरसात के मौसम में पानी भंडारित करके और सालो भर पानी दे। इससे पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलने के साथ-साथ फल्गु नदी की पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इसका निर्माण मंदिर से 360 मी. नीचे की ओर किया गया है। 334 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय वाला यह डैम राज्य में अपने किस्म का पहला डैम है। इसकी लंबाई 411 मी. और ऊंचाई 3 मी. है। इसमें 65 मी. लंबाई वाले 6 स्पैन हैं। न्यूमेटिक ट्यूब मेंब्रेन होने के कारण इसके भरने और खाली होने में आसानी होती है जिससे डैम का प्रवाह सुनिश्चित होता है और जल स्तर पर असर नहीं पड़ता है। डैम में

मशीनी उपकरण कम से कम हैं जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल है और इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च कम है। रबर डैम के मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- डायफ्राम वाल और शीट पाइल : पर्याप्त जल-स्तर बनाए रखने और नदी के भूजल को बहने से रोकने के लिए नदी के बाएं और दाएं किनारों के समीप डैम की धुरी के साथ-साथ उन्नत पाइल्स और डायफ्राम वाल भी बनाए गए हैं।
- 411 मी. लंबा स्टील पाथ-वे : नदी के बाएं और दाएं किनारों (विष्णुपद घाट से सीताकुंड) को जोड़ने के लिए 411 मी. लंबा स्टील का पैदल पार-पथ बनाया गया है।
- घाट निर्माण : श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 500 मी. में टाइल का काम किया गया है।
- मनसरवा नहर : गया शहर के मलजल के निपटान के लिए 752 मी. लंबी भूमिगत नहर बनाई गई ताकि नदी का मुख्य प्रवाह प्रदूषित नहीं हो।
- मां सीता पथ : श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए दाएं किनारे पर 690 मी. लंबाई में इसका निर्माण किया गया है।
- दाएं किनारे पर तट विकास : इस योजना के तहत सतह पर और सतह के नीचे पानी भंडारित करने के लिए सड़क पुल के ऊपर 50-50 मी. की दूरी पर 5 बोरवेल लगाए गए हैं।

(6) **मृत नदियों को पुनर्जीवन** : विभाग ने सीतामढ़ी जिले में लखनदेई नदी की पुरानी धारा और बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की है। 15 फरवरी, 2018 को शुरू हुई इस योजना में लखनदेई नदी की पुरानी और नई धाराओं को जोड़ना, 3 किमी लंबी नई नहर बनाना, और 18.27 किमी लंबाई में पुरानी धारा से गाद हटाने का काम शामिल है। इससे 170 किमी लंबी पुरानी लखनदेई नदी का पानी 21.27 किमी लंबी नहर के जरिए सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा, बथनाहा, सीतामढ़ी और रुन्नीसैदपुर प्रखंडों में सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा।

(7) **बाढ़ प्रबंधन और रेती हटाना** : हाल के वर्षों में बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में शीट पाइलिंग का उपयोग नदियों के किनारों के दीर्घकालिक संरक्षण की आधुनिक तकनीक के बतौर किया गया है। वहीं, बाढ़ से जूझने और कटाव रोकने के मकसद से कोशी नदी पर डगमारा सीमांत जलाशय का निर्माण किया गया है। नदी के तटबंधों पर पानी का दबाव घटाने के लिए नदियों में विभिन्न स्थानों पर बने रेत के टीलों को हटाने का भी काम किया गया है। इससे तटबंध पर नदी की धारा की आक्रामक प्रकृति में कमी लाई जा सकती है।

(8) **विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना (बीकेबीडीपी) के तहत गतिविधियां** : घटक 'बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार' का उद्देश्य बाढ़ संबंधी जोखिमों के प्रबंधन में जल संसाधन विभाग की क्षमता बढ़ाना और कोशी नदी बेसिन में बाढ़ संबंधी अरक्षितता घटाना है।

तटबंध सुदृढ़ीकरण : पूर्वी कोशी तटबंध के साथ लगे 46 स्परों और पश्चिमी कोशी तटबंध के साथ लगे 24 स्परों के तटबंध संरक्षण कार्यों के साथ-सथ संरक्षण, पुन:स्थापन और नए स्परों के निर्माण जैसे सुदृढ़ीकरण

कार्य पूरे हो गए हैं। स्परों के सुदृढ़ीकरण का काम तटबंधों के आसपास बाढ़ का जोखिम कम करने में बहुत प्रभावी हुआ है।

उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग केंद्र (पीएमसी) : इस केंद्र की स्थापना से शुरू में विशेषज्ञों की मदद से कोशी नदी के विभिन्न स्थानों (तटबंध और स्पर समेत) की मॉडल आधारित जांच की जाएगी। ये मॉडल अध्ययन बेहतर बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ जोखिम प्रंधन में सुधार के लिए लाभप्रद होंगे। भौतिक मॉडलिंग केंद्र के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। केंद्र को कार्यशील बनाने के लिए तकनीकी और विशेषज्ञों के पद सृजित किए गए हैं और कुछ अभियंताओं को केंद्र में पदस्थापित किया गया है।

उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पटना में गणितीय मॉडलिंग केंद्र (पीएमसी) : उत्कृष्टता केंद्र के रूप में गणितीय मॉडलिंग केंद्र की स्थापना बिहार में पानी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गणितीय मॉडलों के विकास और उपयोग की आंतरिक क्षमता विकसित करने की दृष्टि से की गई थी। अभी गणितीय मॉडलिंग केंद्र में गंडक, बागमती-अधवारा, कोशी, महानंदा और गंगा - पांच नदी बेसिनों के लिए बरसात के मौसम में (जून से अक्तूबर तक) बाढ़ पूर्वानुमान का काम किया जाता है।

(9) **कमला-बलान के बायां और दायां तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण** : परियोजना के तहत 877.47 करोड़ रु. के व्यय से कमला-बलान नदी के बाएं और दाएं तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, और कालीकरण शामिल है। इससे बाढ़ के दौरान मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा जिलों के लगभग 32.60 लाख लोगों को लाभ होगा। परियोजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर नीचे चर्चा की गई है :

1. **चरण-1 (पिपराघाट से ठेंगा तक पुल)** : झंझारपुर रेलवे पुल सं. 88 के समीप बाढ़ के स्तरों से निपटने के लिए 32,512.32 लाख रु. के व्यय से बायां कमला-बलान तटबंध और दायां कमला बलान तटबंध प्रथम चरण के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, और पक्कीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना से मधुबनी और दरभंगा जिले के लगभग 12 लाख लोगों को लाभ होगा और 0.48 लाख हे. जमीन की बाढ़ से सुरक्षा होगी।

2. **चरण-2 (फटकी कुट्टी से पुनाच तक बायां और ठेंगा से पलवा तक दायां कमला-बलान तटबंध)** : 29,689.00 लाख रु. के प्राक्कलित व्यय वाली इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इससे बाढ़ प्रभावित जिलों की आबादी के लाभान्वित होने के साथ-साथ 0.56 लाख हे. जमीन की भी बाढ़ से सुरक्षा होगी।

3. **चरण-3 (जयनगर से कसमा, पिरही से पिपराघाट, और पुनाच से घोघेपुर तक बायां और जयनगर से भटगामा और पलवा से फुहिया तक दायां कमला-बलान तटबंध)** : इस परियोजना के शुरू होने से लगभग 8.6 लाख आबादी को लाभ होगा और 0.55 लाख हे. जमीन का बाढ़ से बचाव होगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन 25,545.92 लाख रु. के प्राक्कलित व्यय से होगा।

(10) **हसनपुर-बनिया से सगुनी तक 8.33 किमी लंबाई में सुरक्षा कार्य सहित नए तटबंध का निर्माण :** हसनपुर-बनिया से सगुनी तक 8.33 किमी लंबाई में सुरक्षा कार्य सहित नए तटबंध के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका प्राक्कलित व्यय 5998.27 लाख रु. है। तटबंध का निर्माण माधोपुर जमींदारी बांध और सारण तटबंध के बीच नदी के किनारे पर किया जाएगा। इससे सारण जिले के पानापुर और तरैया प्रखंडों को नदी प्रवाह के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध होगी।

(11) **गंडक-अकाली नाला (छारी)-गंडकी-माही-गंगा नदी अंतर्संबंधन :** 6989.79 लाख रु. के प्राक्कलित व्यय से गंडक-अकाली नाला (छारी)-गंडकी-माही-गंगा नदी को जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। परियोजना का लक्ष्य जमे हुए पानी को निकासी नाले बनाकर गंगा नदी में गिराना है जिसका उपयोग खरीफ और रबी मौसमों के दौरान सिंचाई और कृषि के मकसद से किया जा सकता है। परियोजना का विस्तार 170 किमी में होगा और बाढ़ के अतिरिक्त पानी की उचित निकासी से लगभग 7 लाख लोग और 0.60 लाख हे. क्षेत्र को लाभ होगा।

(12) **तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क के प्रावधान के साथ किमी 80.00 से किमी 120.28 तक सारण तटबंध का पुन:स्थापन :** 12,411.00 लाख रु. के प्राक्कलित व्यय से तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क के प्रावधान के साथ किमी 80.00 से किमी 120.28 तक सारण तटबंध का पुन:स्थापन के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। परियोजना का लक्ष्य 40.28 किमी लंबाई में सारण तटबंध का सुदृढ़ीकरण और उक्त दूरी में तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क का निर्माण करना है। तटबंध का सुदृढ़ीकरण होने पर गंडक नदी में बार-बार आने वाले बाढ़ों से सुरक्षा होगी। साथ ही, तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क का निर्माण होने से तटबंधों के बेहतर निरीक्षण के साथ-साथ गोपालगंज जिले के बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंडों में बेहतर ग्रामीण पथ संपर्क भी उपलब्ध होगा।

**जल संसाधन विभाग की नई योजनाएं**

(1) **80.00 से किमी 152.00 तक सारण तटबंध का और बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी के दाएं तटबंध पर संबंधित चरखी उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, संरक्षण और कालीकरण :** इसके लिए 35,151.00 लाख रु. के प्राक्कलित व्यय की स्वीकृति मिली है। परियोजना का लक्ष्य सारण मुख्य तटबंध और बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी के दाएं तटबंध पर संबंधित चरखियों तथा 40.28 किमी में तटबंध का सुदृढ़ीकरण और उक्त खंड में तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क का निर्माण करना है। तटबंध का सुदृढ़ीकरण होने पर गंडक नदी में बार-बार आने वाले बाढ़ों से सुरक्षा होगी। साथ ही, तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क का निर्माण होने से तटबंधों के बेहतर निरीक्षण के साथ-साथ गोपालगंज जिले के बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंडों में बेहतर ग्रामीण पथ संपर्क भी उपलब्ध होगा।

(2) **अजगैबीनाथ मंदिर के पास पुरानी उत्तरवाहिनी धार में सीढ़ी घाट और चैनल निर्माण :** 164.57 करोड़ रु. के प्राक्कलित व्यय से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर के पास पुरानी उत्तरवाहिनी धार में सीढ़ी घाट और चैनल निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना पूरी

होने के बाद इससे गंगा की धारा के अत्यधिक प्रवाह के दौरान इस स्थान पर कटाव की आशंका से बचाव होगा। साथ ही, श्रद्धालुओं को भी विभिन्न उत्सवों और धार्मिक कृत्यों के दौरान सुविधाएं मिलेंगी।

(3) **दायां सिकरहना तटबंध का निर्माण** : सिकरहना के दाएं तटबंध का 56.22 किमी लंबाई में निर्माण कराया जाएगा जिसका 25.87 किमी हिस्सा पश्चिम चंपारण में और 30.34 किमी हिस्सा पूर्व चंपारण में होगा। इसका प्राक्कलित व्यय 239.63 करोड़ रु. है और इससे 69,606 हे. क्षेत्र को लाभ होगा। इसके निर्माण से पश्चिम चंपारण के चनपटिया, बेतिया, और मझौलिया प्रखंडों तथा पूर्व चंपारण के सुगौली, बनजरिया और मोतिहारी प्रखंडों के 2,35,000 लोगों को लाभ होगा।

(4) **समस्तीपुर जिला में बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंडक अंतर्संबंधन परियोजना** : समस्तीपुर जिले में 12,096.11 लाख रु. प्राक्कलित व्यय वाली बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य बागमती नदी से बाढ़ के अतिरिक्त पानी को बूढ़ी गंडक नदी में लाना और उसके जरिए 0.39 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित करना है।

(5) **पुरानी और नई सुगरवे नदी के दाएं ओर बाएं किनारों पर नए तटबंध का निर्माण** : 7308.53 लाख रु. के व्यय से सुगरवे नदी के दाएं ओर बाएं किनारों पर नए तटबंध का निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। योजना से मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में 0.35 लाख आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे पूरे मधुबनी जिले को लाभ होगा।

(6) **बागममती-बूढ़ी गंडक नदी अंतर्संबंधन परियोजना (बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल)** : बाढ़ के अतिरिक्त पानी को मोड़ने के लिए बागमती नदी को शिवहर जिले में मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जा रहा है। परियोजना का स्वीकृत व्यय 13,088.57 लाख रु. है और इससे शिवहर, मुजफ्फरपुर और पूर्व चंपारण - तीन जिलों के 30 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ होगा। इससे इन क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण और समस्तीपुर - चार जिलों में 1,35,000 हे. जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा शिवहर और मुजफ्फरपुर जिलों में बाढ़ नियंत्रण होगा। इसके अन्य लाभों में टिकाऊ जल प्रबंधन, कृषि, रोजगार के अवसरों, हरित आच्छादन, और खाद्य सुरक्षा में सुधार, आर्थिक विकास, कमांड क्षेत्र विकास तथा विपणन सुविधाओं में सुधार शामिल हैं।

(7) **सीढ़ी घाट के पास पक्का संरक्षण और कटाव-रोधी कार्य** : पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा की धारा के दाएं किनारे पर सीढ़ी घाट के पास पक्का संरक्षण और कटाव-रोधी कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है जिसका प्राक्कलित व्यय 5606.00 लाख रु. है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद गंगा नदी की धारा अधिक तेज होने पर भी इस स्थान पर कटाव की आशंका नहीं रहेगी। इससे बख्तियारपुर शहर को बाढ़ से अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही, विभिन्न उत्सवों और धार्मिक पर्व-त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी।

## लघु जल संसाधन विभाग की पहलें

इस खंड में राज्य में जल प्रणालियों के प्रबंधन के लिए लक्षित लघु जल संसाधन विभाग के तहत भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों तथा विभिन्न पहलों की पूर्ति की विशेष बातों को रेखांकित किया गया है (तालिका 14.22)।

**तालिका 14.22 : विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां**

| क्र. सं. | योजना का नाम | 2022-23 | | | | 2023-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक (हे.) | | वित्तीय (लाख रु.) | | भौतिक (हे.) | | वित्तीय (लाख रु.) | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क | **राज्य योजना** | | | | | | | | |
| i | राज्य योजना – नलकूप | 117180 | 115546 | 2500 | 2409 | 60000 | 40600 | 4248.753 | 3911 |
| ii | राज्य योजना – भूतल सिंचाई | 1293 | | 2587 | 640 | 1668 | 1000 | 1500 | 1026 |
| iii | मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना | | | | | | | 1000 | 1000 |
| iv | बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना | | | 300 | 256 | 35922 | 11600 | 0 | 0 |
| v | बिहार भूजल विकास मिशन | | | 200 | 20 | | | 0 | 0 |
| vi | सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | | | 100 | 0 | | | 0 | 0 |
| ख | **सात निश्चय 2** | | | | | | | | |
| i | हर खेत तक सिंचाई का पानी | 40248 | 12693 | 20000 | 13381 | 62863 | 40012 | 33000 | 30873 |
| ग | **ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष** | | | | | | | | |
| i | ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष – भूतल सिंचाई | 1000 | 1000 | 3500 | 3274 | | | 500 | 250 |
| ii | जल-जीवन-हरियाली (नाबार्ड) | 34837 | 21805 | 46500 | 33459 | 53012 | 30769 | 28000 | 26716 |
| घ | **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** | | | | | | | | |
| i | भूतल सिंचाई योजना | 10945 | 10945 | 27000 | 1482 | | | 3833 | 3789 |
| | **योगफल** | **205503** | **161989** | **102687** | **54921** | **213465** | **123981** | **72081.75** | **67565** |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

पर्यावरण की सुरक्षा और जल संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं नीचे वर्णित हैं :

(1) **जल-जीवन-हरियाली अभियान (जेजेएचए)** : जल संरक्षण और पारंपरिक योजनाओं की सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित करने के मकसद से राज्य सरकार के मुख्य कार्यक्रम 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' का शुभारंभ 26 अक्तूबर 2019 को किया गया था। इसके तहत 2023-24 तक विभाग की कुल 2377 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें से 2182 पूरी हो चुकी हैं। पूरी हुई योजनाओं से 2,22,639 हे. सिंचाई क्षमता और 992 लाख घन मीटर की भंडारण क्षमता सृजित हुई है। वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं पर 269.66 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(2) **टेलीमेट्री प्रणालियों की स्थापना** : भूजल स्तर के अनुश्रवण के लिए हर प्रखंड और जिला मुख्यालयों में कुल 504 टेलीमेट्री प्रणालियां (स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर) लगाई गई हैं। इन प्रणालियों से विभिन्न अवधियों में प्राप्त जल-स्तरों के आंकड़े विभिन्न विभागों और संबंधित गैर-सरकारी संस्थाओं को भेजे जाते हैं।

## 14.10 आपदा प्रबंधन

बिहार को अपनी भौगोलिक अवस्थिति और जल तथा मौसम प्रणाली संबंधी अनिश्चितताओं के कारण अनेक प्राकृतिक आपदाओं के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। विगत कुछ दशकों में जलवायु से संबंधित गंभीर आपदाओं की बारंबारता और गंभीरता काफी बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में 6 जिलों के 3.16 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए (तालिका 14.23)।

**तालिका 14.23 : प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति का नुकसान और क्षति (2023-24)**

| प्राकृतिक आपदा का प्रकार | प्रभावित जिले | प्रभावित लोगों की सं. (लाख में) | प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हे.) | फसल उत्पादन को नुकसान (लाख रु.) | प्रभावित पशुधन (लाख) |
|---|---|---|---|---|---|
| बाढ़ | 6 | 3.16 | 0 | 0 | 0.43 |
| सूखा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 14.24 में 2019 से 2023 तक बाढ़ से प्रभावित जिले दर्शाए गए हैं। वर्ष 2023 में राज्य के 6 जिलों में लगभग 0.90 लाख परिवार और 737 मकान बाढ़ से प्रभावित हुए। चित्र 14.2 में बाढ़-प्रवण जिलों को मानचित्र के जरिए दर्शाया गया है।

**तालिका 14.24 : बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति का मूल्यांकन**

| वर्ष | जिले | प्रभावित परिवारों की सं. (लाख में) | प्रभावित घरों की सं. |
|---|---|---|---|
| 2019 | शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा | 37.36 | 45161 |
| 2020 | मधुबनी, खगड़िया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्व चंपारण, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, सीवान, सारण, मधेपुरा | 25.06 | 18775 |
| 2021 | पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर | 20.24 | 12289 |
| 2022 | पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, भोजपुर, लखीसराय, बेगूसराय, पटना, बक्सर, वैशाली, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल | 1.12 | 1744 |
| 2023 | किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया | 0.90 | 737 |

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

**चित्र 14.2 : बिहार में बाढ़-प्रवण जिलों का मानचित्र**

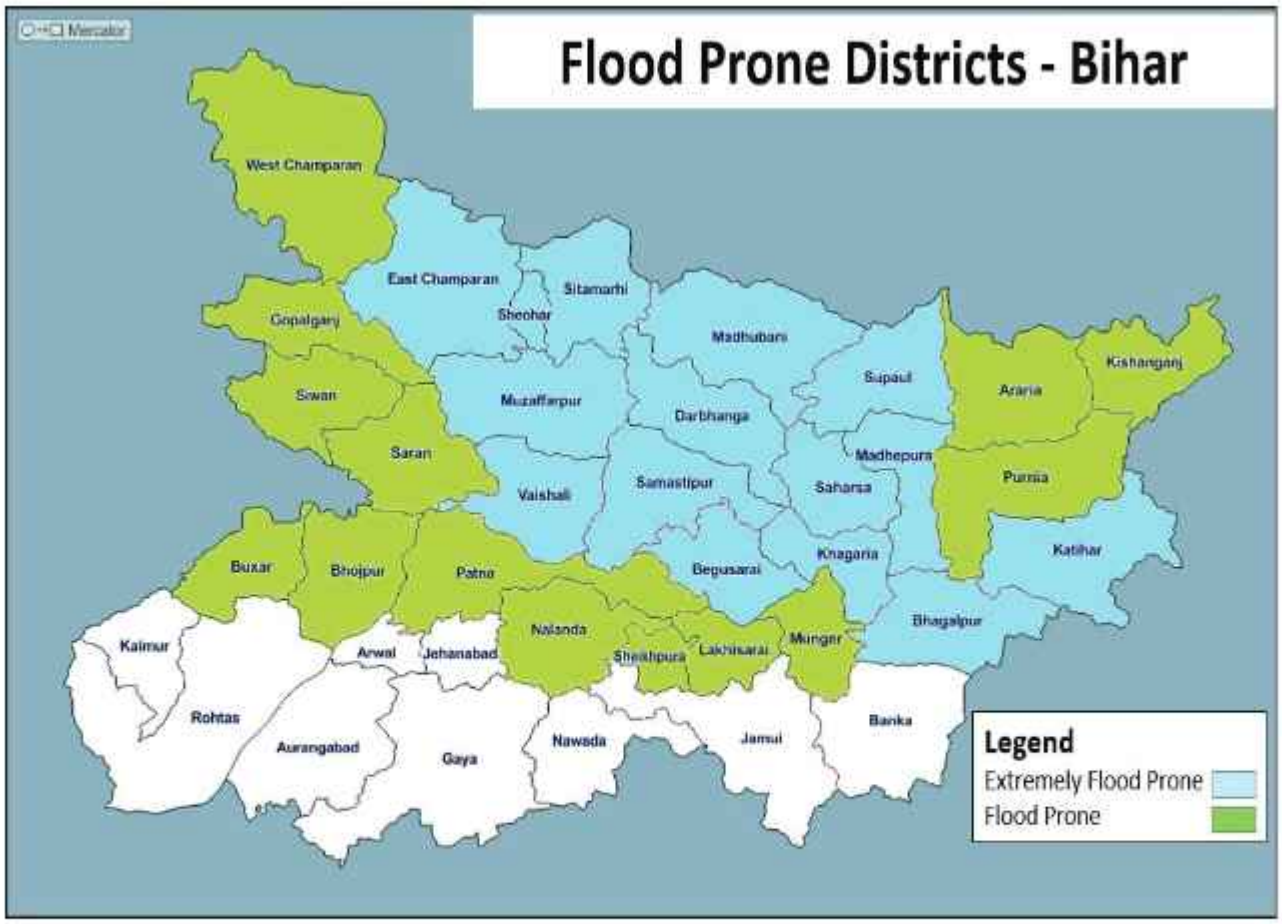


स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार की भौगोलिक प्रकृति, इसकी सीमा, इसकी जमीन, इसके जल निकाय, जलवायु, और सबसे बढ़कर इसकी अवस्थिति इसे आपदाओं का गृह राज्य बना देते हैं। लगभग सभी जिले भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा और आग में से अधिकांश जोखिमों के लिहाज से अरक्षित हैं। कभी-कभी दो या अधिक आपदाएं राज्य के विभिन्न भागों में एक साथ आ धमकती हैं। इसके कारण राज्य शब्द की सच्ची प्रकृति के अनुरूप बहु-जोखिम विवरणी वाला राज्य है। आपदाजनित नुकसान की गंभीरता आपदा के प्रकार, उसके पैमाने, और प्रभावित आबादी की अरक्षितता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु और घायल होने के आंकड़े तालिका 14.25 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 2107 लोगों की मौत हुई जिसमें से सर्वाधिक 1560 मौतें डूबने के कारण और उसके बाद 242 बिजली गिरने और 120 आग लगने के कारण हुईं। वहीं, उस वर्ष 151 लोगों की मृत्यु सांप काटने से हुई। बाढ़ के अलावा, राज्य खास कर दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्से को अक्सर आंधी-तूफान का सामना करना पड़ता है। तालिका प 14.7 (परिशिष्ट) में आंधी-तूफान से संबंधित मृत्यु के जिलावार में आंकड़े प्रस्तुत हैं।

**तालिका 14.25 : बिहार में विभिन्न आपदाओं के कारण मृत और घायल लोगों की संख्या**

| नुकसान का प्रकार | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मृत्यु | घायल | मृत्यु | घायल | मृत्यु | घायल | मृत्यु | घायल | मृत्यु | घायल |
| आग | 40 | 4 | 28 | 8 | 55 | 20 | 85 | 26 | 125 | 70 |
| नौका दुर्घटना | 12 | शून्य | 38 | शून्य | 44 | शून्य | 35 | शून्य | 22 | 0 |
| डूबना | 659 | शून्य | 1060 | 0 | 1275 | 0 | 1132 | 4 | 1560 | 0 |
| बाढ़ | 300 | शून्य | 62 | शून्य | 72 | शून्य | शून्य | शून्य | 0 | 0 |
| ओला | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0 | 0 |
| लू | 107 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 12 | 0 |
| बिजली गिरना | 253 | 48 | 459 | 68 | 280 | 56 | 400 | 77 | 242 | 37 |
| सड़क दुर्घटना | 622 | 257 | 689 | 385 | 746 | 117 | 654 | 274 | शून्य | शून्य |
| सांप काटना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 92 | शून्य | 151 | 0 |
| **योगफल** | **1994** | **309** | **2336** | **461** | **2472** | **193** | **2398** | **381** | **2107** | **107** |

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

जीवन और संपत्ति की क्षति में कमी लाने में मददगार व्यापक और प्रभावी योजना बनाने के लिए बचाव, शमन, तत्परता और अनुक्रिया के उपाय बहुत जरूरी हैं। राज्य में बाढ़, सूखा, आंधी-तूफान, बिजली गिरना, चक्रवात आदि आपदाओं की आंशका और विविधता को देखते हुए, राज्य सरकार आपदाओं के प्रबंधन और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कृतसंकल्प है। राज्य में 2021-22 से 2024-25 के सितंबर तक बाढ़ और चक्रवात के प्रबंधन के लिए आबंटित धनराशि का विवरण तालिका 14.26 में प्रस्तुत है। आपदाओं के प्रबंधन के लिए कुल आबंटित रकम 2023-24 में 574.29 करोड़ रु. थी। साथ ही, आपदाओं के जोखिम में कमी और जोखिम प्रबंधन के लिए अनेक दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं।

तालिका 14.26 : बिहार में बाढ़ और चक्रवात के लिए आबंटित धनराशि

(करोड़ रु.)

| कार्यक्रम | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 सितंबर 24 तक) |
|---|---|---|---|---|
| बचाव उपकरण | 0.0411 | 0.03 | 0 | 0 |
| सामुदायिक रसोई | 122.2694 | 12.54 | 8.75 | 7.1 |
| अनुकृपा राहत (जीआर) वितरण | 999.9754 | 3.88 | 42.0397 | 0 |
| सड़कों और पुलों की मरम्मत | 160.43 | 35.16 | 149.3874 | 0 |
| घर खाली कराने और राहत का कार्य | 111.2541 | 75.08 | 20.419 | 15.6422 |
| सार्वजनिक भवनों की मरम्मत | 1.3219 | 2.56 | 1.1952 | 0 |
| कृषि लागत सब्सिडी | 1001.07 | 0 | 0 | 0 |
| नावों की मरम्मत | 0.679 | 0.49 | 0.4635 | 0.4788 |
| तटबंधों और सिंचाई प्रणालियों की मरम्मत | 510.71 | 6.84 | 127.6342 | 0 |
| अनुग्रह राशि का भुगतान (बाढ़ के शिकार लोगों को) | 6.34 | 0.24 | 0 | 0 |
| अनुग्रह राशि का भुगतान (अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए) | 8.24 | 8.88 | 12.535 | 12.76 |
| स्थानीय आपदा (बिजली गिरना, डूबना और अन्य) | 309.7853 | 285.22 | 211.8614 | 76.8229 |
| **योगफल** | **3232.116** | **430.92** | **574.29** | **112.80** |

टिप्पणी : 2024-25 के आंकड़े 30 सितंबर, 2024 तक के हैं।

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

## आपदा प्रबंधन के लिए नई पहलें

(1) **बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संवर्ग का गठन** : आपदा प्रबंधन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसी प्रकार, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपदा प्रबंधन महज राहत और पुनर्वास नहीं होकर अवसंरचना का पुनर्निर्माण और तेजी से पुन:स्थापन का काम भी है। इसलिए गतिविधियों के सफलतापूर्व संचालन के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर समर्पित अधिकारियों की जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संवर्ग के तहत 57 पद सृजित किए गए हैं जिसमें से 43 पद सहायक आपदा प्रबंधन अधिकारी के, 11 पद उप-आपदा प्रबंधन अधिकारी के और 3 पद आपदा प्रबंधन अधिकारी के हैं।

(2) **मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण** : विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया सूत्रबद्ध की गई है। बाढ़, सूखा और पेयजल संकट प्रबंधन के लिए मानक कार्यसंचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं। इसके अलावा, भूकंप आपदा के प्रबंधन के लिए भी मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया विकसित करने का काम किया जा रहा है।

(3) **राज्य आपात कार्यवाही केंद्र (एसईओसी) का आधुनिकीकरण** : प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदाओं से नुकसान में कमी और किसी आपदा के दौरान प्रभावी और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए राज्य आपात कार्यवाही केंद्र (एसईओसी) और राज्य के सभी जिलों में जिला आपात कार्यवाही केंद्र (डीईओसी) स्थापित किए गए हैं। राज्य आपात कार्यवाही केंद्र जनवरी 2019 से पटना में नेहरू पथ पर स्थित सरदार पटेल भवन में काम कर रहा है। नई प्रौद्योगिकी आधारित संचार प्रणालियों की उचित व्यवस्था करने के लिहाज से राज्य आपात कार्यवाही केंद्र को मजबूत करने के लिए इसके आधुनिकीकरण की कार्रवाई की गई है। साथ ही, आपदाओं के दौरान तत्क्षण रिपोर्टिंग के लिए ऍप आधारित अनुश्रवण, सुविधाओं और संसाधनों की ट्रैकिंग, जीआइएस मानचित्र पर आपदा का मूल्यांकन, अतर्विभागीय समन्वय, आदि का विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही, जनवरी 2024 में राज्य आपात कार्यवाही केंद्र में निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित की गई है।

## आपदा प्रबंधन के लिए जीविका की पहलें

इस खंड में आपदा प्रबंधन के संबंध में जीविका की पहलों का उल्लेख किया गया है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप के अनुरूप हैं। इन उपायों की प्रगति तालिका 14.27 में प्रस्तुत है। राज्य में जीविका के नेटवर्क और अन्य अभिकरणों के साथ उसके काम का उपयोग करके आपदाओं से लोगों की रक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के मकसद से विभिन्न पहलें की गई हैं।

**तालिका 14.27 : आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न गतिविधियों की प्रगति**

| जीविका द्वारा चलाई गई गतिविधियां | सितंबर 2024 तक प्रगति |
|---|---|
| बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा (मॉड्यूल 1) पर जीविका के प्रवीण प्रशिक्षकों (मास्टर ट्रेनर) का प्रशिक्षण | 800 |
| प्राकृतिक आपदा (मॉड्यूल 1) पर जीविका के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | 4,567 |
| प्राकृतिक आपदा (मॉड्यूल 1) पर प्रशिक्षित जीविका के कार्यकर्ताओं की कुल सं. | 30,132 |
| प्राकृतिक आपदा के दो या अधिक घटकों पर प्रशिक्षित जीविका दीदियों की सं. | 42,18,108 |
| जीविका के सक्रिय आपदा-स्वास्थ्य हेल्प डेस्क केंद्रों की सं. (सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में) | 45 |
| जीविका के सक्रिय आपदा-स्वास्थ्य सहायकों (स्वास्थ्य मित्रों) की सं. | 192 |
| चिन्हित आपदा स्वयंसेवकों की सं. | 1,28,163 |
| किफायती पौधरोपण के लिए विकसित ''जीविका दीदियों की पौधशालाओं की सं. | 947 |
| ''हरित जीविका हरित बिहार हस्तक्षेप'' के तहत लगे पौधों की संख्या (करोड़ में) | 4.25 |

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

(1) **बाढ़ संबंधी तत्परता एवं प्रबंधन** : ''जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2031'' के अनुरूप, जीविका को आपदा के जोखिमों में कमी लाने के साथ-साथ आजीविका के अवसर पैदा करने का जिम्मा दिया गया है। यूनीसेफ के साथ मिलकर जीविका ने 'बाढ़ संबंधी तत्परता एवं प्रबंधन' पर बिहार के 28 जिलों में प्रशिक्षण चलाया। प्रवीण प्रशिक्षकों ने इन जिलों में सभी संकुल स्तरीय संघों (सीएलएफ) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया है। सितंबर 2024 तक 42,18,108 से अधिक जीविका-कर्मियों, सामुदायिक पेशावरों, और समुदाय के सदस्यों को संकुल और प्रखंड स्तरों पर प्रशिक्षित किया गया है।

(2) **आपदा जोखिम न्यूनीकरण** : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर जीविका ने आपदा जोखिम प्रबंधन एवं शमन के मॉड्यूल-1 पर प्रवीण प्रशिक्षकों का तीन-दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। कुल 800 प्रवीण प्रशिक्षकों को आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के बाद ये प्रवीण प्रशिक्षक अपने संबंधित प्रखंडों और जिलों में समुदाय के सदस्यों, परियोजना-कर्मियों, और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही, जीविका के 800 प्रशिक्षकों ने 7 बैच में मॉड्यूल-2 का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है।

# परिशिष्ट

## तालिका प 14.1 : विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात (2023-24 और 2024-25 (सितंबर तक))

(वर्षापात मिमी में)

| जिले | 2023-24 | | | | | 2024-25 (सितंबर तक) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जाड़े की बारिश | गर्मी की बारिश | दक्षिण-पश्चिम मानसून | उत्तर-पश्चिम मानसून | वार्षिक | जाड़े की बारिश | गर्मी की बारिश | दक्षिण-पश्चिम मानसून | वार्षिक |
| पटना | 0.7 | 65.4 | 690.5 | 77.5 | 834.1 | 25 | 63 | 650.6 | 738.6 |
| नालंदा | 2.2 | 65.2 | 679.6 | 102.1 | 849.1 | 23.5 | 74.1 | 823.4 | 921 |
| भोजपुर | 2.1 | 76.1 | 594.1 | 63.8 | 736.1 | 34.3 | 36 | 795.8 | 866.1 |
| बक्सर | 6 | 55 | 609.8 | 73.9 | 744.7 | 31.9 | 40.2 | 743.9 | 816 |
| रोहतास | 0.4 | 54.6 | 548.3 | 178.9 | 782.2 | 40.1 | 40.4 | 735 | 815.5 |
| कैमूर | 1.8 | 52.3 | 581.1 | 137.4 | 772.5 | 43.8 | 16.5 | 650.9 | 711.2 |
| | | | | | | | | | |
| गया | 0.1 | 35.7 | 617.4 | 124.4 | 777.7 | 41 | 65.3 | 892.2 | 998.5 |
| जहानाबाद | 1.2 | 57.3 | 583.4 | 79.8 | 721.8 | 27.1 | 82.3 | 676 | 785.4 |
| अरवल | 0 | 59.2 | 503.1 | 73.4 | 635.8 | 31.3 | 33.9 | 792.6 | 857.8 |
| नवादा | 0.4 | 52.7 | 688 | 152.9 | 894 | 31.7 | 102.5 | 1038.1 | 1172.3 |
| औरंगाबाद | 0.4 | 34.6 | 591.5 | 140.9 | 767.4 | 40.2 | 33.6 | 926.9 | 1000.7 |
| | | | | | | | | | |
| सारण | 1.3 | 66.8 | 722.8 | 47.3 | 838.2 | 26.3 | 54.5 | 644.6 | 725.4 |
| सीवान | 1.7 | 69.1 | 729.1 | 43.1 | 843 | 14.6 | 51.2 | 872.5 | 938.3 |
| गोपालगंज | 0.4 | 72.7 | 654 | 59.9 | 787 | 9.5 | 60.6 | 869.9 | 940 |
| | | | | | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1.3 | 86 | 712.8 | 138.9 | 938.9 | 1.9 | 129.5 | 1231.9 | 1363.3 |
| पूर्व चंपारण | 1.8 | 85.3 | 714.1 | 54.3 | 855.4 | 3.3 | 138.3 | 978.4 | 1120 |
| मुजफ्फरपुर | 1.6 | 90.6 | 1022.2 | 80.9 | 1195.4 | 5.7 | 136.4 | 610 | 752.1 |
| सीतामढ़ी | 1.7 | 81.6 | 702.1 | 38.8 | 824.2 | 1.6 | 138.2 | 982.8 | 1122.6 |
| शिवहर | 2.3 | 81 | 806.7 | 54.1 | 944.1 | 3.6 | 150.5 | 1012.9 | 1167 |
| वैशाली | 1.3 | 71.6 | 907.5 | 73.3 | 1053.8 | 15.1 | 89.5 | 568.3 | 672.9 |
| | | | | | | | | | |
| दरभंगा | 1.6 | 78.1 | 777.9 | 70 | 927.7 | 4.3 | 137.7 | 655.8 | 797.8 |
| मधुबनी | 1.8 | 97.5 | 842.8 | 51.4 | 993.4 | 1.2 | 163.2 | 819.7 | 984.1 |
| समस्तीपुर | 1.3 | 65 | 868.9 | 115.7 | 1050.9 | 9.3 | 136.8 | 664.8 | 810.9 |
| | | | | | | | | | |
| बेगूसराय | 0.8 | 94.6 | 831.7 | 97.5 | 1024.7 | 9.3 | 139.3 | 829.3 | 977.9 |
| मुंगेर | 0.3 | 72.8 | 981.5 | 127.8 | 1182.3 | 13.3 | 126.5 | 842.6 | 982.4 |
| शेखपुरा | 0.2 | 45.7 | 792.3 | 80.3 | 918.5 | 17.3 | 80.2 | 910.9 | 1008.4 |
| लखीसराय | 0.1 | 57.4 | 878.6 | 99 | 1035.1 | 13.2 | 94.9 | 910.2 | 1018.3 |
| जमुई | 0.4 | 85 | 1001 | 107.5 | 1193.8 | 29.8 | 107.5 | 997.3 | 1134.6 |
| खगड़िया | 1.3 | 70.1 | 1002.1 | 129.9 | 1203.4 | 7.6 | 89.8 | 829.3 | 926.7 |
| | | | | | | | | | |
| भागलपुर | 1.7 | 94.9 | 1194.9 | 203.3 | 1494.7 | 14.8 | 89.4 | 774.1 | 878.3 |
| बांका | 1.4 | 74 | 1001.9 | 150.1 | 1227.3 | 20.8 | 126.3 | 931.6 | 1078.7 |
| | | | | | | | | | |
| सहरसा | 1 | 81.6 | 881.1 | 115.8 | 1079.5 | 3 | 110.9 | 759.4 | 873.3 |
| सुपौल | 2.3 | 155.2 | 977.8 | 78.2 | 1213.6 | 2.6 | 150.9 | 938 | 1091.5 |
| मधेपुरा | 1.6 | 107.9 | 1025.6 | 152.3 | 1287.4 | 2.2 | 118.7 | 856.8 | 977.7 |
| | | | | | | | | | |
| पूर्णिया | 2.6 | 94.6 | 1303.1 | 120.1 | 1520.4 | 0.8 | 142.6 | 1105.9 | 1249.3 |
| किशनगंज | 1.7 | 184 | 1736.1 | 125.5 | 2047.3 | 0.4 | 180.1 | 1947 | 2127.5 |
| अररिया | 1.3 | 144.4 | 1409.6 | 80.3 | 1635.6 | 0.8 | 158.1 | 1398.3 | 1557.2 |
| कटिहार | 0.9 | 69.9 | 1119.9 | 127.9 | 1318.5 | 5.3 | 132 | 1029.7 | 1167 |
| | | | | | | | | | |
| **बिहार** | **1.3** | **78.6** | **849.6** | **100.7** | **1030.2** | **16** | **100.6** | **886.8** | **1003.4** |

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 14.2 : बिहार में जिलावार वन क्षेत्र (क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

| जिले | भौगोलिक क्षेत्रफल | 2021 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अति सघन वन | मध्यम सघन वन | खुले वन | कुल वनाच्छादन | अति सघन वन | मध्यम सघन वन | खुले वन | कुल वनाच्छादन |
| पटना | 3202 | 0.0 | 19.6 | 8.5 | 28.0 | 0.0 | 19.9 | 8.5 | 28.4 |
| नालंदा | 2355 | 0.0 | 6.9 | 31.7 | 38.6 | 0.0 | 10.4 | 34.4 | 44.8 |
| भोजपुर | 2395 | 0.0 | 19.4 | 12.6 | 32.0 | 0.0 | 19.2 | 12.3 | 31.6 |
| बक्सर | 1703 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 5.9 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| रोहतास | 3881 | 0.1 | 351.3 | 318.5 | 669.9 | 0.0 | 350.3 | 317.8 | 668.1 |
| कैमूर | 3332 | 0.0 | 519.8 | 531.7 | 1051.6 | 0.0 | 526.0 | 499.7 | 1025.7 |
| गया | 4976 | 0.0 | 132.0 | 470.5 | 602.6 | 0.0 | 134.3 | 488.2 | 622.5 |
| जहानाबाद | 931 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 6.1 |
| अरवल | 638 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 4.0 |
| नवादा | 2494 | 0.0 | 214.7 | 302.2 | 516.9 | 0.0 | 199.5 | 306.8 | 506.3 |
| औरंगाबाद | 3305 | 0.0 | 62.4 | 97.4 | 159.9 | 0.0 | 65.6 | 92.2 | 157.8 |
| सारण | 2641 | 0.0 | 26.3 | 33.0 | 59.3 | 0.0 | 25.5 | 37.3 | 62.8 |
| सीवान | 2219 | 0.0 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 2.5 | 6.9 | 9.4 |
| गोपालगंज | 2033 | 0.0 | 2.6 | 5.9 | 8.6 | 0.0 | 4.7 | 6.6 | 11.3 |
| पश्चिम चंपारण | 5228 | 249.3 | 548.5 | 105.5 | 903.3 | 303.8 | 527.3 | 77.2 | 908.2 |
| पूर्व चंपारण | 3968 | 0.0 | 64.6 | 101.2 | 165.8 | 0.0 | 66.5 | 120.9 | 187.4 |
| मुजफ्फरपुर | 3172 | 0.0 | 52.2 | 114.1 | 166.3 | 0.0 | 53.5 | 122.3 | 175.8 |
| सीतामढ़ी | 2294 | 0.0 | 37.4 | 110.4 | 147.8 | 0.0 | 37.8 | 114.1 | 151.9 |
| शिवहर | 349 | 0.0 | 2.0 | 19.6 | 21.6 | 0.0 | 2.2 | 28.2 | 30.4 |
| वैशाली | 2036 | 0.0 | 86.2 | 29.5 | 115.7 | 0.0 | 88.3 | 30.6 | 118.9 |
| दरभंगा | 2279 | 0.0 | 43.5 | 94.4 | 138.0 | 0.0 | 44.2 | 100.1 | 144.2 |
| मधुबनी | 3501 | 0.0 | 40.4 | 165.0 | 205.4 | 0.0 | 42.2 | 190.0 | 232.2 |
| समस्तीपुर | 2904 | 0.0 | 105.4 | 48.8 | 154.2 | 0.0 | 101.8 | 47.4 | 149.2 |
| बेगूसराय | 1918 | 0.0 | 28.9 | 53.7 | 82.6 | 0.0 | 28.0 | 51.5 | 79.5 |
| मुंगेर | 1419 | 38.0 | 223.6 | 24.4 | 286.0 | 39.2 | 240.7 | 26.2 | 306.0 |
| शेखपुरा | 689 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
| लखीसराय | 1228 | 17.0 | 143.5 | 22.9 | 183.4 | 16.2 | 126.6 | 26.8 | 169.5 |
| जमुई | 3098 | 29.0 | 352.8 | 279.4 | 661.2 | 27.8 | 352.7 | 290.4 | 670.8 |
| खगड़िया | 1486 | 0.0 | 3.2 | 15.3 | 18.5 | 0.0 | 2.8 | 14.8 | 17.6 |
| भागलपुर | 2569 | 0.0 | 46.4 | 23.5 | 69.9 | 0.0 | 64.5 | 38.8 | 103.3 |
| बांका | 3020 | 0.0 | 100.0 | 177.1 | 277.0 | 0.1 | 100.6 | 194.8 | 295.5 |
| सहरसा | 1687 | 0.0 | 4.2 | 30.2 | 34.4 | 0.0 | 4.0 | 31.9 | 35.8 |
| सुपौल | 2425 | 0.0 | 3.9 | 130.4 | 134.3 | 0.0 | 4.3 | 138.2 | 142.5 |
| मधेपुरा | 1788 | 0.0 | 0.9 | 51.9 | 52.8 | 0.0 | 1.4 | 58.6 | 60.0 |
| पूर्णिया | 3229 | 0.0 | 5.0 | 50.7 | 55.7 | 0.0 | 5.3 | 55.3 | 60.7 |
| किशनगंज | 1884 | 0.0 | 16.3 | 87.2 | 103.6 | 0.0 | 12.3 | 83.0 | 95.3 |
| अररिया | 2830 | 0.0 | 8.1 | 142.8 | 150.9 | 0.0 | 7.9 | 138.8 | 146.6 |
| कटिहार | 3057 | 0.0 | 6.2 | 55.8 | 62.0 | 0.0 | 6.5 | 58.9 | 65.4 |
| **बिहार** | **94163** | **333.4** | **3285.8** | **3761.5** | **7380.8** | **387.0** | **3284.2** | **3861.2** | **7532.5** |

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स (विविध संस्करण)

**तालिका प 14.3 : वित्तीय और भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्योरा (2022-23 और 2023-24)**

| जमीन का प्रकार | मद/ गतिविधि | 2022-23 | | | | 2023-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | | उपलब्धि | | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
| | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय |
| वन भूमि | अपक्षरित वन का पुनर्वास, मृदा नमी संरक्षण कार्य, खर-पतवार नियंत्रण, घासभूमि विकास और बांस लगाना | 1.59 | 55.66 | 0.43 | 53.40 | 31.7 | 129.91 | 17 | 97.06 |
| वनों के बाहर सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण | नदी तटबंधों पर | 15.70 | 148.02 | 15.28 | 136.13 | 94 | 205.23 | 71 | 189.63 |
| | नहर तटबंधों पर | | | | | | | | |
| | ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों पर | | | | | | | | |
| अपक्षरित, बंजर और शहरी भूमि | शहरी एवं संस्थागत वृक्षारोपण | 19.50 | | 18.96 | | | | | |
| | पार्क विकास | — | | — | | | | | |
| नमभूमि क्षेत्र | नमभूमि संरक्षण एवं विकास | — | | — | | | | | |
| किसानों की जमीन | कृषि वानिकी | 30.00 | | 11.75 | | 45 | | 21 | |
| | जीविका | 101.65 | | 89.51 | | 100 | | 86 | |
| | बागवानी | 72.49 | | 3.09 | | 11 | | 2 | |
| | सीमावर्ती गांव | 1.75 | | 2.09 | | 2 | | 3 | |
| मनरेगा द्वारा वृक्षारोपण | ग्रामीण विकास विभाग | 161.34 | 1199.28 | 147.20 | 355.40 | 161 | | 167 | |
| **योगफल** | | **404.04** | **1402.96** | **288.31** | **544.93** | **445.39** | **335.14** | **367.89** | **286.69** |

टिप्पणी : (क) भौतिक उपलब्धि के तहत पौधों की संख्या लाख में और वित्तीय उपलब्धि करोड़ रु. में है।

(ख) वित्तीय उपलब्धि सिर्फ आरडीएफ, एनटीएफ, पीटीएफ, जन-जीवन-हरियाली, पारिस्थितिक पर्यटन, प्राकृतिक वन विकास, योजना बजट के बाहर वन विकास आदि वृक्षारोपण योजनाओं से संबंधित है।

(ग) मनरेगा के तहत वृक्षारोपण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है और वित्तीय आंकड़े बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 14.4 : बिहार में वन्यजीव अभयारण्य (2022–23)

| क्र. सं. | वन्यजीव/ पक्षी अभयारण्य/ व्याघ्र आरक्ष का नाम | स्थान | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | प्रजातियां (प्रकार और संख्या) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य | वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल 1 और 2, बेतिया, पश्चिम चंपारण | 880.78 | स्तनपायी (58), पक्षिजात (261), सरीसृप (26), उभयचर (13) |
| | वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष | पश्चिम चंपारण | 898.93 | |
| 2. | भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य | मुंगेर | 680.94 | पेड़ (71), झाड़ियां (19), शाक (42), घास (33), आरोही (09), स्तनपायी (22), पक्षी (147), सरीसृप (10) |
| 3. | उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य | बेतिया | 8.87 | पेड़ (53), झाड़ियां और आरोही (13), सामान्य घास (8), तितलियां (5), ड्रैगनफ्लाइ (3), मकड़ियां (4), स्तनपायी (11), सरीसृप (7) |
| 4. | कैमूर वन्यजीव अभयारण्य | कैमूर और रोहतास | 1784.73 | पेड़ (40), झाड़ियां (45), शाक (110), आरोही (25), नरकुल (12), घास (25), पशु (16), पक्षी (100) |
| 5. | गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य | गया | 138.33 | स्तनपायी (11), पक्षिजात (100), सरीसृप (10), उभयचर (8), वनस्पति (255) |
| 6. | राजगिर वन्यजीव अभयारण्य | नालंदा | 35.84 | स्तनपायी (8), पक्षिजात एवं अन्य (288), सरीसृप (10), उभयचर (8), वनस्पति (520) |
| 7. | रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य | नवादा | 27.27 | स्तनपायी (11), पक्षिजात (16), सरीसृप (12), उभयचर (5), वनस्पति (111) |
| 8. | कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य | दरभंगा | 29.21 | स्तनपायी (4), पक्षिजात (138), सरीसृप (7), उभयचर (12), वनस्पति (129) |
| 9. | बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य | वैशाली | 1.98 | स्तनपायी (4), पक्षिजात (117), सरीसृप (8), उभयचर (12), वनस्पति (179) |
| 10. | नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य | जमुई | 3.33 | स्तनपायी (4), पक्षिजात (199), सरीसृप (8), उभयचर (10), वनस्पति (15) |
| 11. | नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य | जमुई | 1.92 | स्तनपायी (4), पक्षिजात (199), सरीसृप (8), उभयचर (10), वनस्पति (15) |
| 12. | कांवर झील पक्षी अभयारण्य | बेगूसराय | 63.11 | स्तनपायी (5), पक्षिजात (244), सरीसृप (8), उभयचर (10), वनस्पति (255) |
| 13. | विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य | भागलपुर | गंगा नदी में 60 किमी लंबाई में | स्तनपायी (5), पक्षिजात (74), सरीसृप (5), उभयचर (8), मछली (20), वनस्पति (31) |

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

## तालिका प 14.5 : मुख्य प्रदूषकों और बीटीएक्स प्रतिमानों का शहरवार वार्षिक औसत (2022-23)

| स्थान | पीएम 10 ($\mu g/m^3$) | पीएम 2.5 ($\mu g/m^3$) | कार्बन मोनोक्साइड ($mg/m^3$) | सल्फर डाक्साइड ($\mu g/m^3$) | नाइट्रिक ऑक्साइड ($\mu g/m^3$) | अमोनिया ($\mu g/m^3$) | ओजोन ($\mu g/m^3$) | बेंजीन ($\mu g/m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **शहरी/ शहर** | | | | | | | | |
| पटना | 205.48 | 81.19 | 1.07 | 7.92 | 28.79 | 22.91 | 30.11 | 1.56 |
| मुजफ्फरपुर | 168.88 | 71.83 | 1.34 | 12.58 | 19.46 | 22.37 | 47.63 | 1.44 |
| गया | 103.82 | 50.74 | 0.91 | 9.44 | 18.11 | 15.09 | 41.69 | 1.01 |
| हाजीपुर | 165.41 | 47.96 | 0.82 | 5.83 | 25.56 | 32.69 | 35.64 | 2.66 |
| अररिया | 155.04 | 66.8 | 0.93 | 14.68 | 12.67 | 17.01 | 21.68 | 0.31 |
| आरा | 145.68 | 75.78 | 0.97 | 11.51 | 20.03 | 25.93 | 18.31 | 0.23 |
| औरंगाबाद | 111.6 | 50.96 | 1.26 | 10.87 | 7.9 | 12.52 | 33.01 | 0.19 |
| बेगूसराय | 236.22 | 121.28 | 0.72 | 17.55 | 45.28 | 24.19 | 21.24 | 0.05 |
| बेतिया | 145.34 | 55.3 | 1.34 | 11.31 | 17.48 | 15.54 | 25.45 | 0.94 |
| भागलपुर | 151.32 | 80.32 | 0.85 | 17.43 | 25.66 | 24.53 | 30.95 | 0.17 |
| बिहारशरीफ | 105.13 | 32.33 | 0.6 | 7.9 | 7.11 | 6.46 | 29.71 | 0.09 |
| बक्सर | 192.01 | 87.53 | 1.29 | 12.33 | 32.28 | 8.35 | 62.3 | 0.25 |
| छपरा | 177.23 | 76.59 | 1.18 | 23.76 | 16.98 | 50.91 | 15.76 | 0.78 |
| दरभंगा | टाउन हॉल - लालबाग, दरभंगा | | | | | | | |
| कटिहार | 150.07 | 69.22 | 1.53 | 15.11 | 37.45 | 17.34 | 21.54 | 0.6 |
| किशनगंज | 138.38 | 41.33 | 0.63 | 14.59 | 30.33 | 41.7 | 31.51 | 0.26 |
| मोतिहारी | 114.54 | 51.93 | 1.14 | 6.66 | 49.02 | 32.86 | 35.11 | 0.37 |
| मुंगेर | 159.03 | 61.29 | 1.04 | 22.26 | 18.85 | 17.21 | 19.22 | 0.07 |
| पूर्णिया | 141.41 | 73.65 | 1.31 | 10.56 | 25.56 | 30.06 | 21.58 | 0.57 |
| राजगिर | 131.94 | 67.53 | 0.52 | 4.9 | 7.67 | 7.26 | 28.44 | 1.04 |
| सहरसा | 143.5 | 78.07 | 0.62 | 17.8 | 6.52 | 24.7 | 34.05 | 1.21 |
| समस्तीपुर | 138.78 | 63.65 | 1.05 | 12.66 | 12.33 | 16.43 | 8.75 | 0.11 |
| सासाराम | 85.67 | 48.4 | 1.11 | 17.92 | 20.67 | 32.78 | 30.23 | 0.97 |
| सीवान | 142.31 | 65.46 | 2.04 | 17.48 | 40.06 | 30.92 | 37.14 | 0.19 |
| **ग्रामीण/ गांव** | | | | | | | | |
| मंगुराहा (प. चंपारण) | 79.16 | 38.35 | 0.68 | 4.5 | 25.95 | 14.28 | 39.19 | 0.56 |

टिप्पणी : (क) $\mu g/m^3$ = माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर; $mg/m^3$ = मिलीग्राम प्रति घनमीटर

(ख) वार्षिक औसत के लिए मानक मान : पीएम $_{10}$=60 $\mu g/m3$, पीएम$_{2.5}$ = 40/$ug/m^3$, सल्फर डायक्साइड = 50 $ug/m^3$, नाइट्रिक ऑक्साइड = 40 $ug/m^3$

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

**तालिका प 14.6 : बिहार में भूजल संसाधन की जिलावार स्थिति (2021 और 2022)**

(मीटर में)

| जिले | मौसमी उतार-चढ़ाव | | मौसमी उतार-चढ़ाव | |
|---|---|---|---|---|
| | मॉनसून के पहले | मॉनसून के बाद | मॉनसून के पहले | मॉनसून के बाद |
| | 2021 | | 2022 | |
| पटना | 7.71 | 3.12 | 7.67 | 5.04 |
| नालंदा | 7.36 | 3.97 | 6.70 | 5.28 |
| भोजपुर | 6.65 | 3.28 | 5.82 | 4.52 |
| बक्सर | 7.24 | 3.66 | 6.25 | 4.52 |
| रोहतास | 8.99 | 4.44 | 7.33 | 5.27 |
| कैमूर | 10.17 | 6.43 | 7.61 | 5.74 |
| | | | | |
| गया | 9.98 | 6.63 | 8.17 | 7.74 |
| जहानाबाद | 8.36 | 5.40 | 7.19 | 5.05 |
| अरवल | 7.25 | 3.46 | 5.73 | 3.73 |
| नवादा | 10.82 | 6.64 | 9.29 | 7.39 |
| औरंगाबाद | 10.97 | 6.70 | 7.93 | 5.99 |
| | | | | |
| सारण | 5.83 | 2.35 | 5.31 | 3.40 |
| सीवान | 5.40 | 2.30 | 6.38 | 3.68 |
| गोपालगंज | 5.35 | 2.36 | 4.83 | 3.14 |
| | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 5.74 | 2.56 | 4.98 | 3.61 |
| पूर्व चंपारण | 6.12 | 2.93 | 5.91 | 3.74 |
| मुजफ्फरपुर | 6.27 | 2.51 | 5.37 | 3.75 |
| सीतामढ़ी | 5.62 | 2.89 | 6.68 | 4.20 |
| शिवहर | 5.95 | 1.79 | 6.36 | 4.50 |
| वैशाली | 6.9 | 2.91 | 7.29 | 5.08 |
| | | | | |
| दरभंगा | 6.48 | 2.51 | 4.92 | 3.27 |
| मधुबनी | 6.39 | 2.57 | 5.75 | 3.53 |
| समस्तीपुर | 7.87 | 3.38 | 7.37 | 5.14 |
| | | | | |
| बेगूसराय | 7.28 | 3.76 | 6.04 | 3.78 |
| मुंगेर | 8.9 | 5.24 | 8.15 | 6.54 |
| शेखपुरा | 8.19 | 4.42 | 8.65 | 5.80 |
| लखीसराय | 8.92 | 4.89 | 7.07 | 6.37 |
| जमुई | 9.99 | 6.03 | 7.26 | 5.51 |
| खगड़िया | 6.88 | 2.39 | 4.41 | 3.46 |
| | | | | |
| भागलपुर | 8.23 | 5.66 | 7.55 | 5.85 |
| बांका | 7.45 | 3.62 | 5.72 | 4.06 |
| | | | | |
| सहरसा | 5.05 | 1.93 | 4.45 | 1.73 |
| सुपौल | 4.93 | 1.86 | 4.31 | 1.67 |
| मधेपुरा | 5.56 | 1.85 | 4.03 | 2.54 |
| | | | | |
| पूर्णिया | 5.88 | 2.49 | 4.82 | 3.42 |
| किशनगंज | 6.00 | 2.12 | 4.31 | 2.91 |
| अररिया | 4.23 | 2.05 | 3.95 | 2.70 |
| कटिहार | 6.35 | 2.12 | 4.60 | 3.36 |

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

**तालिका प 14.7 : आंधी-तूफान (बिजली गिरने) से मौत की जिलावार घटनाएं**

| जिले | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 5 | 16 | 12 | 24 | 10 |
| नालंदा | 12 | 20 | 15 | 21 | 6 |
| भोजपुर | 5 | 15 | 12 | 25 | 3 |
| बक्सर | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 |
| रोहतास | 11 | 29 | 18 | 14 | 25 |
| कैमूर | 10 | 16 | 15 | 19 | 12 |
| | | | | | |
| गया | 12 | 22 | 17 | 45 | 21 |
| जहानाबाद | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| अरवल | 13 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| नवादा | 17 | 21 | 14 | 29 | 10 |
| औरंगाबाद | 14 | 49 | 20 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| सारण | 4 | 22 | 7 | 14 | 12 |
| सीवान | 12 | 14 | 8 | 7 | 2 |
| गोपालगंज | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 |
| | | | | | |
| पश्चिम चंपारण | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| पूर्व चंपारण | 8 | 5 | 9 | 11 | 6 |
| मुजफ्फरपुर | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 |
| सीतामढ़ी | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| शिवहर | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| वैशाली | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| | | | | | |
| दरभंगा | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| मधुबनी | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| समस्तीपुर | 4 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| | | | | | |
| बेगूसराय | 8 | 15 | 6 | 11 | 3 |
| मुंगेर | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 |
| शेखपुरा | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| लखीसराय | 4 | 8 | 9 | 14 | 7 |
| जमुई | 22 | 23 | 17 | 16 | 17 |
| खगड़िया | 3 | 9 | 7 | 13 | 7 |
| | | | | | |
| भागलपुर | 17 | 13 | 9 | 22 | 16 |
| बांका | 27 | 4 | 15 | 26 | 7 |
| | | | | | |
| सहरसा | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| सुपौल | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| मधेपुरा | 5 | 14 | 16 | 12 | 16 |
| | | | | | |
| पूर्णिया | 16 | 18 | 11 | 14 | 3 |
| किशनगंज | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| अररिया | 7 | 6 | 9 | 11 | 1 |
| कटिहार | 10 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| | | | | | |
| **बिहार** | **287** | **450** | **339** | **454** | **275** |

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

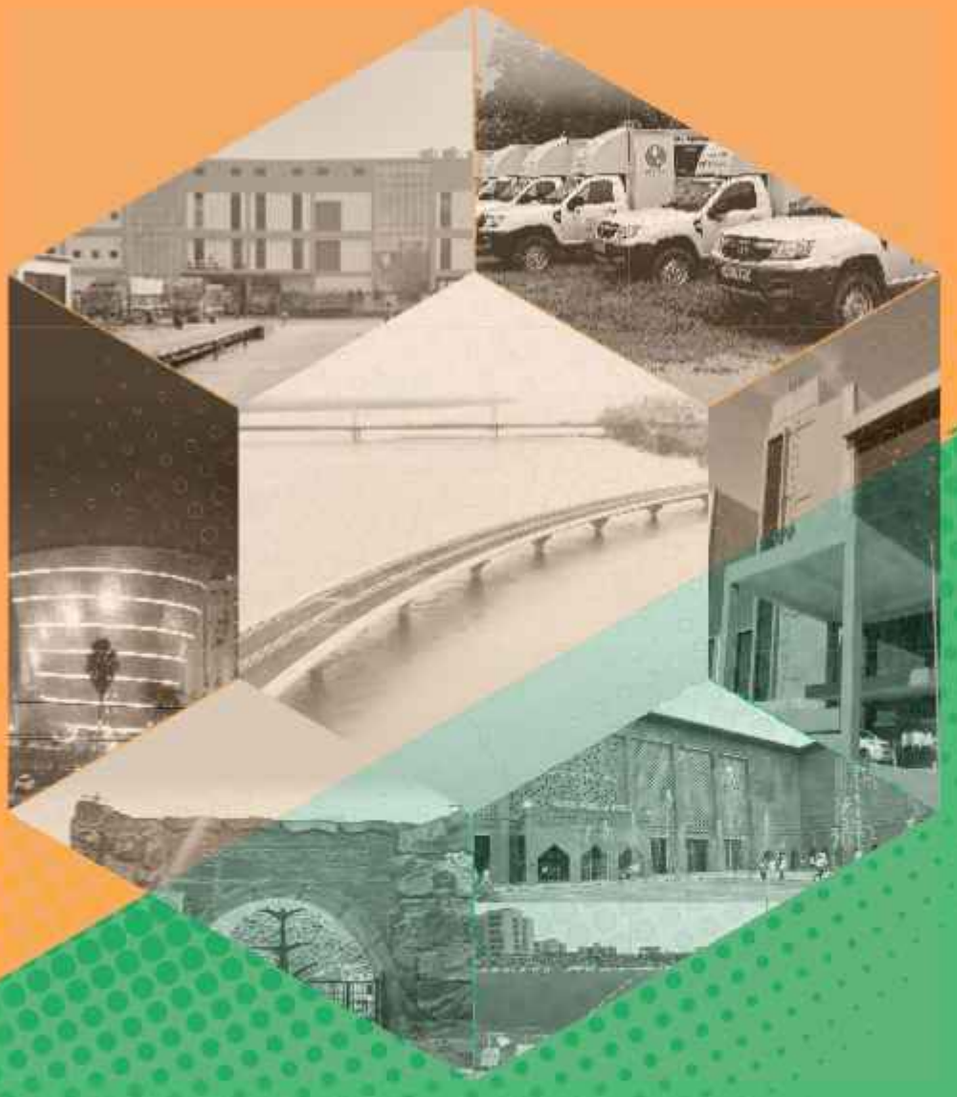

बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार

Printed at : Saraswaty Press Limited, (Govt. of WB Enterprise)